

# व्यवसाय संगठन और प्रबंध

## (BUSINESS ORGANISATION)

लेखक

### मेरुचंद शुक्ल

व०० ८०, दौ० कान , (विरामिसम), बैरिस्टर एट-ना, वार्स पिनियन और प्रोडेनर आर काम्प में एट  
ता, श्रीराम कानेज आर काम्प, दिल्ली, भूमूर्ति प्रोफेसर आर काम्प, एच० एन० कानेज आर  
काम्प अहमदाबाद एट दा हेजी कानेज आर काम्प, लहौर, मर्केन्डन ला, कर्ननी ला,  
इंडियन ला, कनिनक आर लाव के लेखक तथा काम्प एकाडम्स के महानेता

भूमिकालेखक

डा. वी. के. आर. वी. राव

एम० ए०, पी ए० टी० टी०, दौ० चिट०.

डाकेटर, दिल्ली सूच अक्ष इकामिक्स एवं प्रोडेनर आर इकामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय

एस० चांद एण्ड कम्पनी  
दिल्ली - जलन्धर - लखनऊ

BUSINESS ORGANISATION by M C Shukla Ed 1956	Rs 12 8 0
COST ACCOUNTS by M C Shukla and T. S. Grewal	Rs 7 8 0
MERCANTILE LAW by M C Shukla	Rs 12 8 0
वानिज्य विधि हेतुव मेहर चन्द बुक्स	Rs 5 0 0
COMPANY LAW by M C Shukla Ed 1956	Rs 5 0 0
Hindi Edition	

## एस० चाद एंड कंपनी

आशिफ अली राड नई दिल्ली  
 फ़त्तारा „ दिल्ली  
 माटद हीटा गढ़ „ जलधर  
 सारगाम „ लखनऊ

मूल्य १२॥)

प्रगामक गोरीगंज शर्मा द्वारा एस० चाद एंड कंपनी, दिल्ली  
 मुद्रक व्रानिकल प्रेस, गोरी गेट, दिल्ली।

अध्याय :: १

## व्यवसाय संगठन की प्रकृति व अभिक्षेत्र

व्यवसाय का अर्थ व अभिक्षेत्र—व्यवसाय (अयेजी का Business) एक लोचदार तथा पूर्णांगक शब्द है जिसकी परिधि में सभी शृखलाबद्ध प्रक्रियाएँ आ जानी हैं जिनके द्वारा वाहनीय वस्तुओं को पूर्खी क मर्भ में निकाला जाना है, उनको मनुष्य व मनोरन के द्वारा अपनान्तरित व स्पानान्तरित किया जाना है एवं एकनित किये जाने के बाद उन व्यक्तियों वे सुनुदे किया जाना है जो उनके लिए पैमे देने को तैयार है। वस्तुतः यह “उन मानव-क्रियाओं के अनिरिक्त कुछ नहीं हैं जो वस्तु क्रियाक्रिय के द्वारा धन-उत्पादन व धन-व्यविकरण के लिए मजालित की जानी है।” व्यवसाय शब्द वे जनर्गत वाणिज्य व उद्योग दोनों आते हैं। दुनिया के कानूनों से सामान एकनित किये जाने हैं, अपर्षप काटि की औद्योगिक प्रक्रियाओं स गुजरन के बाद वे सामान बनते हैं तथा वाणिज्य के द्वारा व्यावहारिक रूप दर्हण करते हैं। उत्पादन माल को दुनिया के बोने-कोने में पहुचाया जाना है और उनके आगे प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें उनकी चाह है। व्यवसाय का उद्देश्य है भौतिक जावस्यकताओं तथा आध्यात्मिक उक्तकालों को पूर्ण करना। व्यवसाय का अभिकाश उद्देश्य है उन उपकरणों की व्यवस्था करना जो शरीर को मुख्यपूर्ण बनावें। वे उपकरण हैं। स्थान के लिए भौजन, पहनने के लिए वस्त्र, उपकरण (फर्नीचर) तथा रसोई बनाने के वर्तन व आश्रय के लिए मकान—इसी प्रकार की वे वस्तुएँ जो शारीरिक आराम तथा मुख ने सम्बद्ध भौतिक सन्तुष्टि प्रदान करें। इसका अर्थ बदल जाता है जब एक किताव सरीदाने की बात आती है। पुस्तक प्रकाशन एक व्यावसायिक साहस्र है, इस साहस्र का परिणाम होता है वे भौतिक वस्तुएँ जो जानकारी में अपना स्थान प्रटूटा करती हैं। फिर उनको पढ़ने से जो आनन्द प्राप्त होता है वह भौतिक आनन्द से प्रेरणी काटि का आनन्द है। आदमी के बल भौजन करने और कपड़े पहनने में जीवित नहीं रह सकता है, उसके पास एक आध्यात्मिक प्रकृति भी है जो कुछ असों में भौजन और दस्त्र की आवश्यकता री मात्र इसकी वृत्तियों पर शासन करती है। व्यवसायी मनुष्य की इस प्रकृति को पहुचानना है, फिर पुस्तकों, ग्रामोसोन तथा रेडियो का उत्पादन करना है।

व्यवसाय नेवाओं की व्यवस्था करता है और आपको जीत देता है। जब मनुष्य निनेगा जाना है या अपने जीवन के लिए बोना करवाना है तो उसे आने देव के बदले दोस चीज़ नहीं मिलती, उने के बल एक कामज़ का दुकहा ही मुश्मश होता है। लेकिन

फिर भी, मिनमा गृह या दीमा वमनी व्यवसायिक कर्म है। वे जिन चीजों  
वस्था करते हैं उन्ह माल की कोटि से बहुत तभी रखा जा सकता, ये तो अब  
हैं—कुछ चीज़ को देखने और उसके आनन्द प्राप्त करने का अवसर, द्रव्य वस्तु  
तथा मूल्य के बाद स्त्री तथा परिवार के लिए व्यवस्था कर जाने का अवसर। इस  
की चीजों को हम प्राय सदा कह सकते हैं, और बहुतेरे व्यवसाय ऐसी ही ३  
प्रबार की सदाए प्रदान करने वे लिए विषय जात हैं। होटल आवास की व्यवस्था क  
है, रेलगाड़िया तथा बायुयान एक स्वान से दूरर म्यान पर जाने के माधन उपस्थि  
वस्तु हैं। जलशोन कम्पनिया छुट्टियों के लिए यात्रा-व्यवस्था ने इरारा स्वास्थ्य के  
आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है।

व्यवसाय (Business) तथा पेशा (Profession) में अन्तर—  
स्वास्थ्य-गम्भीरी गवाओ की व्यवस्था के बल पान कम्पनिया ही नहीं करती। डाक्टर,  
बैच तथा हरीमो जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने मानव व्याधियों को बचने जीवन  
का कार्य बना लिया है तथा अपन-अपन तरीका से जिन्होंने उन्ह गोपन कीं रामी जात  
विधिया का अध्ययन किया है तथा हो जान पर उनके निदान का पता लगाया है।  
पोत वमनी की भाँति डाक्टर, बैच या हकीम का उद्देश्य भी मानव आवश्यकता की  
पूर्ति करना है, एसा करने के लिए व अपनी सेवाए अप्रित करने की तैयार रहते हैं और  
पोत वमनी की तरह बदले म भुगतान पान के लिए भी। विन्तु वे व्यवसायी नहीं हैं,  
उनका कार्य पदा बहलाता है, व्यवसाय नहीं। डाक्टर या बैचील मानव-ज्ञान की प्रबु  
शुभक ग्राह्या में कुशल होता है, इस प्रबार व्यवसायी अपने विशेष कार्य म कुशल होता  
है। लेकिन शुशल ज्ञान के प्रयोग म वे एक दूसरे मे भिन्न हैं। डाक्टर या बैचील  
का कार्य मूलत तथा तत्क्षेत्र वैयक्तिक कोटि का है। वह अपने रोगी या मुविकिल के  
सम वं मे आता है तथा रोगी की होलत या मुविकिल के मुकदमा से सम्बद्ध समस्याओं  
मे निवटने के लिए अपन कुशल ज्ञान का उपयोग करता है। कुछ क्षण के लिए वह अपने  
को पूर्ण रूप ते उस रोगी या मुविकिल की समस्या के निदान म निमग्न कर देता है।  
इस समय के लिए उगे रोगिया या मुविकिलो की सामान्य समस्याओं मे काई गम्भीर  
नहीं रहता। लेकिन व्यवसायी का कार्य टीक इसरे विषयी है। नियो जम्क व्यवित  
की तबलीफा रो उग कोई ताल्लुर नहीं, उमे जननमूह से निवटना है। मानव आव-  
श्यकताओं से उगे तभी दिलचस्पी शुरू होती है जब वे विस्तृत हा पारण कर चुकी  
होती है। जब मानव आवश्यकता व्यावहारिक व्यवसाय के क्षय मे प्रवेश करती है  
तब यह व्यवसायिक प्रश्न हो जाती है ताकि इसके उत्तर के लिए कुछ साधन ढूढ़  
निकाले जाय।

लाभ आग्रह (Profit Motive) तथा सेवा (Service Motive)  
आशय—अत जब आवश्यकता, चाह वह भीहित हो जयवा आध्यात्मिक, व्यक्ति विशेष  
की दीमा लाय वर सामान्य रूप प्रह्लण वर लेती है और माग का रूप धारण वर  
लेती है तब ही वह व्यवसाय की परिधि मे जानी है। वैयकिक उद्दम के लिए पा-

सगठन का अर्थ—सगठन (Organisation) शब्द की अरेकानेक परिभाषाएँ की गयी हैं तथा मान्य (Standard) परिभाषा इन का भी प्रयास किया गया है, परन्तु मुश्किल मे ही बाई भी एमा प्रयत्न पूण सफल हुआ हो और न राम्रति इन प्रयत्नों की सूचि म एवं एमा प्रयास और जोड़ दना है। वेवल दा परिभाषा दी जानी है वे भीधी और विवादरहित हैं। पहिली परिभाषा जी० १० गिलबर्ड के द्वारा दी गयी है—“तृतीय तथा बमंचारी समृद्धय का मैनीपूण अतर-भव्य”, और दूसरी परिभाषा और जा अधिक उपयुक्त प्रतीत हानी है हृते मटोदेय के द्वारा दी गयी है—“सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य-समृद्ध वी प्राप्ति के लिए विशिष्ट जबवलों का मैनीपूण समापाजन सगठन है।” वहन का अर्थ है कि विभी चीज़ की उत्पानि इस अर्थ में होनी है कि वित्तिपय तत्त्वों का एवं विशेष ढग से आवद्ध वर दिया जाता है। बीतमें तत्त्व चुन गय है और विशेष ढग मे वे मध्यबहु वर दिय गये हैं—इगत सगठन के स्वतंत्र का निर्वारण हाना है तथा निमित व्यवसाय के वित्तिपय तत्त्व। पर हम निवार करें ता वे हैं। मनुष्य, भासान, मशीन, भवन तथा मुद्रा। और जब तीन घटक (Factors) भूमि, श्रम तथा पूजो चीजें घटक व्यावर्यायिक मात्र्य के साथ साहमी-गुलभ योग्यता के द्वारा घन-उत्पादन या धन प्राप्ति के लिए मैनीपूण रीति से गम्यकृत वर दिये जाने हैं तब हमें व्यवसाय सगठन मिल जाता है। अत व्यावर्यायिक इवाई भूमि, श्रम व पूजो की प्राप्ति स्वतन्त्र मिलावट है जो साहमी-गुलभ योग्यता के द्वारा उत्पादन-मावर्ती उद्देश्य के लिए संगठित तथा संचालित को जाता है।—(हिैने)

प्राप्त निम्नलिखित सम्पर्क की चर्चा व्यावर्यायिक दावे म हो गी है—  
(क) समानि का स्वामित्व, (ख) पूर्ति भुगतान तथा अन्य साधनों मे आय मे हिस्मेदारी, (ग) जनसाधारण तथा राज्य मे सम्बन्ध, (घ) निम्नलिखित के सम्बन्ध म व्यक्तिनों के धीर्जन पारस्परिक कर्त्तव्य तथा उनरदायिक (१) सामान की प्राप्ति, (२) वस्तु वी निर्माण-विवि, (३) वस्तु वी विद्युत विधि, (४) नियुक्ति अवधि। चूकि उपर्योग या व्यवसायी सगठन गीति तथा उमर मचाऊन मे निर्णयात्मक रीति मे अपना प्रभाव ढारता है अत हम इसकी गेवाजा की प्रकृति या विविद रूपों साथ-साथ समझ लेन की चेष्टा करनी चाहिए।

व्यवसायी या साहसी—व्यवसायी कहने मे लोगों को प्राप्त तोदियल बनिये का वोय हाता है जिसके पास अग्रीम धन है तथा जिसका हृदय पापाणवन् बठोर है और जिसके लालच का विस्तार इस विद्वन म कम नहीं है और जो वह बता दे कि आपने अपनी प्रत्येक चीज़ कितने भ स्वरीदी है तथा कहीं जापका उसमे सही चीज़ मिल सकती है। गोमा वहना निम्नदेश व्यवसायी का मस्तोर उठान है, ऐसिन किर भी यह आधिक रूप मे गत्य है। जनसाधारण की उपयुक्त कृपना के व्यवसायी स इमारी समय-नमय पर मुश्किल होनी रही है। ऐसिन मच्छी वार तो यह है कि वोई भी व्यक्ति, जिसमे यह योग्यता हो गि वह उन चीजों की व्यवस्था करे दिगे लोग चाहने हो पर उसे नहीं होती है व्यवसायी है। आरम्भक कार म वे लोग जिन्हाने दूसरों की आपश्यरताएँ

की पूर्ति को अपना धना बना लिया तथा जिन्हाने जरूरतमन्द लोगों से भी उपादा उनकी जबरदो का समझना गुह बर दिया, व्यवसायी की बोटि में आ गये। आज भी टीक पहां बात है। नाई भी अकिन जा माला व रोकाओं के उपरोक्ताओं की अमृत्यु नाहों की पूर्ति बरने म लगा है, व्यवसायी है। कुछ व्यवसायी स्वयं या अन्य की दहाड़ा में माला का उत्पादन करत है और कुछ उत्पादकों से खरोद बर विक्रीताओं के आगे माल प्रस्तुत करत है। पान-बीड़ी की टुकान का स्वामी जैसा व्यवसायी है वैमा हीं व्यवसायी थी ज० आर० डॉ० टाटा है—अन्तर कबल परिमोण का है।

साहमो या व्यवसायी (Entrepreneur) वह मनुष्य या मनव्य समूह है जो व्यवसायिक इकाइया का समठित तथा सचालित करता है। उदाहरण की दृष्टि से कहा जाय तो साहमी या व्यवसायी भूमि, यम तथा पूजी पर शीर्षस्थ होता है तथा निर्देश बरता है और इन घटकों के उचित बत्तेव के लिए उत्तरदायी होता है। वह व्यवसाय योजना का निर्माण करता है तथा उसकी कार्यान्वयिति पर ध्यान देता है इसलिए वह पूर्जीपति बहुआना है। लेकिन ठीक वहा जाय तो बेबल पूजी का स्वामित्व ही इसी नो गहराई नहीं बना देता। साहमो (Entrepreneur) मूलत वह अकिन है “जो प्रहृति-प्रदत्त ब्रह्मदरों से लाभ उठाना है, ऐसा करने के लिए वह अपनी योग्यता तथा दुर्दशिताके जरिये मानव ऊर्जाके प्रयोग को अम दक्षित तथा पजो-न्ययम के रूप में सचालित करता है। पूजी का स्वामित्व तो इन उद्देश्य की पूर्ति का साधन मान है, पूजी उसके हाथ में यश के हाथ में है”। स्वभावन, इसका लाभ पूजी के जनुपान के ही लगभग होगा।

स्वनन्द समाजन-न्यता तथा निर्देशक के रूप में साहमी अपने नियुक्तों को भूति तथा जिन्होंने उसे पूजी दी है उन्हें व्याज देने की गारण्डी देता है और फलस्वरूप अपेक्षतः वडा जोखिम अपने माये उठाना है। प्रत्येक अकिन में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह जिसी इकाई का समाज बरे, इसका निर्देशन बरे तथा जोखिम उठाये। हालांकि प्रत्येक व्यवसायी, जाहे वह छोटा हीं या बड़ा, न्यायार्थ व्यवसाय करता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं होता कि सभी व्यवसायियों को बड़ी रकम का मुनाफा मिले या मुनाफा मिले है। यदि व्यवसाय हमेशा लाभदायक ही होता और उसके साथ बोई जोखिम नहीं होत तब तो प्रत्येक आदमी व्यवसायी हो ही जाता। व्यवसाय चालुगे का खेड है जिसमें सर्वोन (Chance) बड़ी मात्रा में विद्यमान है। प्रश्नक सिलाई समाजावी आगा नहीं कर सकता। इस खेड म जोखिम अधिक है और परिस्तोपिक भी। चूकि जावदरक योग्यना, वी गई मेवा तथा उठाया गया जोखिम तीनों एक दूमरे से जनित है, जा, उच्चतम बोटि की योग्यना के बड़ पर ही बोई अधिक सकद व्यवसायी हो सकता है।

वे मुन जो व्यवसायी का निर्माण करते हैं—प्रेसीडेन्ट रजाप्रेस्ट ने एक बार ऐसा बहा थ, कि बोई भी आदमी, जिसमें निष्कर्ष निकालने की क्षमता है, यदि व्यावसायिक अवस्थाओं का जरा भी अव्ययन करे तो उन्हें पता लग जायगा कि वैयक्तिक

योग्यता व्यवसाय-सचालन में सबसे बड़ा घटक है। किसी भी व्यवसाय, चाहे छोटा ही या बड़ा, क शीर्षस्थ व्यक्ति की व्यावसायिक योग्यता वह घटक है, जो आश्चर्यजनक सफलता तथा नेरास्पूर्ण विफलता के बीच भी खार्द का नियरिण बरता है। लाभपूर्ण व्यवसाय तथा सुमचालित सम्थाए प्रत्य उम व्यक्ति या व्यक्तिमूह भी प्रतिच्छवि है जिनमें योग्यता है। संगठित इकाई के प्रबन्ध या सचालन की कला की नीव व्यक्ति म सनिहित होनी है। आरम्भ करने, सचालन तथा नियन्त्रण करने के लिए योग्यता चाहिए और इसमें भी बढ़कर सहभागी की स्वामिभवित, एव प्रतिष्ठा को प्राप्त करने तथा इसे कायम रखन की क्षमता। व्यावसायिक विफलता प्राय दोषपूर्ण प्रबन्ध या (व्यवस्था) के बारण होती है या उसका कुछ बारण होता ही नही। व्यावसायिक विफलताओ के लिए प्राय जो बारण कहे जाते हैं वे हैं अपर्याप्त कार्यशील पूजों तथा अपर्याप्त विनी। ठीक उमी प्रकार जैसे सफलताओ के मूलक अच्छे लाभ तथा अच्छी वार्धिक हालत मानी जाती है। लेकिन ये तो ठीक उमी प्रबन्ध नीति का परिणाम मात्र है जिस प्रकार व्यक्ति की सफलता और विफलता बैंयकितक प्रबन्ध योग्यता की सुधना देनी है।

कोई भी मुख्यविधित व्यवसाय प्राय उम व्यक्ति तथा व्यक्तिमूह भी प्रतिच्छवि होता है जिसम नेतृत्व तथा मचालन-गम्भवनी प्रहृत या प्राप्त गुण होते हैं। अत, सुकलता प्राप्त करने के लिए व्यवसायी वो जनिवार्यत मुसान्तुलित तथा प्रतिभावान होना चाहिए। दूसरों के माथ व्यवहार करने के समय स्टॉटा, स्थिरता तथा दृढ़ता की दृष्टि से उमे मानित है से एनियल होना चाहिए। उच्चदोषि के स्वानशासन के जरिये ही एकनियन्त्रण प्राप्त वी जा सकती है। बाज प्रस्तरचित्तता, कल ईर्ष्या और परसो अपने आदमियो की ओर से उदासीनता वा प्रदर्शन करके उमे, अपनी मनोदशाओ का निकार नही होना चाहिए। ऐसे ही मालिक—जिनके मस्तिष्क में चीजों की धुमली तस्वीर रहती है तथा जिनका स्वभाव परिवर्तनशील है—मच्चे कार्य-कर्ताओ के लिए विश्वर्ण वा बारण बनते हैं और चारो ओर चाढ़वारो तथा ऐसे सुशामदियो वो एकत्रित कर लेते हैं जो प्रिय पात्र बनने वी चेष्टा करते हैं तथा दूसरों वी शिकायतें पढ़ुताते हैं। इनके पाम ऐसे भी व्यक्ति होने हैं जो प्रमुखता वी कोहिं में नही जाना चाहते और कम में कम काम करके झक्कट से बने रहना चाहते हैं। जो व्यवसायी अपने व्यवसाय का गफ़ देखना चाहता है उमे निष्जयरहितता (Inconsistency) तथा इसके दुप्परिणाम अनुचितता में बचे रहना चाहिए।

प्राय यह कहा जाता है कि नेता जन्मजात होते हैं, बनाये नही जाते। लेकिन मह मत्य नही है। इसमें मद्देह नही कि कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तिया वी जनेशा जन्म गे ही जन्मे नेता होते हैं। लेकिन कोई भी आदमी, जिसे काय-सचालन-गम्भवनी नेतृत्व का भार उठाना पड़ा है, विचारणीकरा के द्वारा अपनी बैंयकितप्रभविष्यता को बढ़ा सकता है। विभिन्न लोगो ने व्यवसायी के लिए विभिन्न गुणों का होना जावश्यक समझा

है। अनुमत बनाना है कि व्यवसायी के कर्तिपय प्रभुत्व तथा मौलिक मुण निम्नलिखित प्रकार के होने चाहिए।

**व्यापार्या या शुद्धता (Accuracy)**—व्यवसायी का प्रथम मुख्य गुण यह है कि वह जानता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तथा मेरा तात्पर्य क्या है क्योंकि उमे अनेक मामाल्य आवश्यकताओं में निवटना पड़ता है। आदेश (Order) तथा इसकी कार्यनिवित्ति (Execution) में व्यधार्यता (Precision) इसके लिए अनिवार्य है तथा वह बड़ी उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से इसका पालन करता है। जहाँ प्रायेक व्यवहृत शब्द का मुनिदिव्वन तथा विवादरहित अर्थ होता है, वहाँ यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बात है कि शब्द का सदैहरहित शुद्धता के साथ व्यवहृत किया जाय तथा इसी प्रकार उनका अर्थ भी लगाया जाय। बहुत-लेखन की एक अच्छी प्रणाली प्रायेक प्रकार के व्यवसाय के लिए आवश्यक है और इसमें एकाव भूल भी सह्य नहीं है। शुद्ध कार्य शुद्ध चिन्नन पर निर्भर करता है। जब्तु व्यवसायी में इतनी योग्यता तो होनी ही चाहिए कि अपनी समस्याओं को परिमाणात्मक हूँड निकालने के बाद उसमें इसकी पैठ हो जाय।

**समय ज्ञान (Time Sense)**—अपने द्वारा उत्पादित माल की प्रशृति व परिमाण को समझने के अतिरिक्त व्यवसायी को आवश्यक रूप में समय की जानकारी होना चाहिए। उमे सर्वदा समय के बारे में जोचना ही पड़ता है। कार्यों के जापनी सम्बन्ध को विलकुल तोड़कर बोर्ड कार्य नहीं किया जा सकता। कार्यों की एक शूल्कता और भी है जो अवश्यन्वेद अन्तिम उपभोक्ताओं की इन परिवर्तनशील इन्ड्यों के अनुचूल होनी चाहिए। इससे मह परमावश्यक हो जाता है कि विभिन्न कार्यों का आभास यथास्थान व यथासमय हो। व्यवसाय में अन्दाज़ की बात नहीं चलती, मारे कार्य अक्षे एव वास्तविकता पर निर्भर करते हैं। जिस व्यवसायी ने सच्चा व समय पर विचित ध्यान दिया वह व्यवसर के उपस्थित होने पर इसमें अधिकाधिक लाभ उठाने वो हमेशा तत्पर रहेगा और अपनी आवश्यकता के अनुचूल सविव्यन् घटनाओं को और दृष्टि गडाये रहेगा। व्यवसाय की दुनिया आवश्यकताओं का जाल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अत, माहसी (व्यवसायी) को इन आवश्यकताओं की पहचान में जीवना तथा विश्वान के नाय काम करना चाहिए तथा अपनी सम्पत्ति का इनकी पूर्ति में उपभोग करना चाहिए। माफ़ल व्यवसायी अपने विचार, बाणी तथा कार्य में सचेष्ट रहना है तथा उने यह अच्छी तरह तथा ठीक मालूम रहता है कि वह क्या करना चाहता है और तब वह दुर्दिमानीपूर्वक प्रायेक कार्य के सम्पादन के लिए कदम उठाना है।

**स्तरक्ता (Alertness)**—किसी भी व्यवसायी को जो सफलता के लिए उचित है अपने को दुनिया के समर्क में रखना पड़ता है तथा उमे अपनी जगत्कृता सर्वदा बनाये रखनी पड़ती है। उमे धूमना चाहिए तथा यह देखने रहना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। उमे नई जावश्यकताओं तथा नई जावश्यकताओं को जन्म देने

वाडे आविष्कारों का परीक्षण कहना पड़ता है। इस अर्थ में उमे एक सौदागर होना है। व्यापारिनि उन माला को बचने के लिए जिनका उत्पादन हुआ है, चरित्र बल तथा ज्ञान की आवश्यकता है। इतना भी तय करने के लिए विस उसे किम निस्म की वस्तु बेचनी है या अपनी मशीनों के द्वारा किम कोटि की वस्तुएँ निर्मित करनी हैं, उमे सौदागर या व्यापारी होना ही पड़ेगा। उमे पूर्णरूप में जागरूक रहना पड़ता है तथा बनेमान आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है परन्तु जागरूकताओं को जन्म देने की क्षमता रखनी है।

**सत्यता (Honesty)**—उपरोक्ताओं की मालों की पर्याप्ति पूर्ति के लिए, व्यवसायी को अनिवार्यत मरवा होना पड़ेगा। योडे समय के लिए भासव विज्ञापन या बनधोर विक्रय बल के बल पर अवालनीय चीजों की विक्री की जा सकती है लेकिन ऐसी विक्री कायम नहीं रह सकती। ऐसा इमलिए होना है कि प्रत्येक विक्री के उपरान्त येता के अधिकार में एक वस्तु चली आती है जो शीर्ष ही नेता को यह बनाना गुण कर देती है कि उमने उमे स्वीकारने में गलती की है और इस प्रारार इसकी चहूत कम समावना है कि येता दुवारा क्रयाददा दे। इसके विपरीत यदि विनेता अपनी धोखाता रा उपयोग आवश्यकता की ठीक पूर्ति करने में करता है, तब वह अपने लिए स्वानि (Goodwill) की रकना करता है। इस स्वानि में संज्ञित सत्यता तथा आशावादिता अत्यधिक मात्रा व्यवसायी के गुण हैं।

**सहयोगात्मक क्षमता (Ability to Cooperate)**—व्यवसायी का दूसरा उल्लेखनीय गुण है अधिक से अधिक लागों के साथ मिलकर बास करने की क्षमता। इसमें अनिवार्यत समझीता करने, समजन (Adjustment) करने, अनुकूलित (to adapt) होने की क्षमता होनी चाहिए तथा समय अपने पर उमे अपनी निर्मिति सम्बन्धी भूमों की स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभाजित अधिकार वा उपयोग करने के लिए भी उमे स्वभावत सक्षम होना चाहिए। वह एक अच्छा सहयोगी प्रमाणित होगा और इमलिए अच्छा व्यवसायी भी यदि वह अपने व्यवसाय के अन्य लागों का दृष्टिकोण से सर्वोत्तम ताकि वह अपने व्यवसाय में बाहर काले प्राह्लों के मन को बान जान सके।

**निर्भर-योग्यता (Dependability)**—एक सगठन को जन्म देने के बाद व्यवसायी को यह भरपूर प्रयत्न करना चाहिए कि उम सगठन में निरन्तरता तथा निर्भरयोग्यता के सन्वय विद्यमान रह ताकि उम सगठन की क्षमता में आरंहाव-रोह के बावजूद भी दूसरे बास करने वालों को अपनी आदा की परिधि का ज्ञान बना रह। प्रत्यक्ष व्यक्ति को इस बान का सर्वदा ज्ञान रहता है कि मैं बया कर सकता हूँ और यह नहीं, मूलमें लोग क्या उम्मीद करते हैं और दूसरे मेरे लिए बया कर देंगे और उम प्रकार वह अपने को नदमुकूल बनाता है।

निर्भर योग्य व्यवसायी अपने सहकर्मियों को सन्तुष्ट रखता है और ये सन्तुष्ट गठकर्मी उम व्यवसायी तथा उमका द्वारा सचालित व्यवसाय के प्रति बफादार रहते हैं।

**ऊर्जा शक्ति (Energy)**—शरीर तथा स्नायुओं में पर्याप्त ऊर्जा द्वारा आवश्यक गुण है जिसके बिना व्यवसायी के और सारे गुण बिलकुल बैकार हो जाने हैं। दूसरे क्षेत्रों का भाग व्यवसाय-क्षेत्र में भी महत्व बरने की अमीम क्षमता जाति आवश्यक है। ऊर्जा के अध्यय कोप के अतिरिक्त व्यवसायी में अपने उन विचारों तथा सुझावों का, जिन्हें वह डीक समझता है, मनवाने भी दृढ़ता होनी चाहिए।

**चरित्र बल (Character)**—प्रतिभाएं और निखर ढंगी है यदि उनमें नैतिक चरित्र मिल जाना है क्योंकि इसमें ऊर्जा बफादारी, योग्यता की अनवरुद्ध वृद्धि तथा निरीक्षण म बचत प्राप्ति की आज्ञा रहनी है। नैतिक बल से युक्त होने के लिए नेता को घर्मभीर तथा ईश्वरोन्मुख होना चाहिए ऐसिन इसे केवल घटा दजाने वाला नहीं होना चाहिए, उसे बैसा होना चाहिए जो अपने द्वारा किये गये प्रत्यक कार्य का आत्म-निरीक्षण करना हो। शोकेपर हार्दिकिंग के शब्दों में ऐसा मनुष्य अपनी धात्रों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने हाव-भाव के द्वारा, अपने कथन के तत्त्व के द्वारा, अपने आदमियों में अपना भन डाल देता है। वह अपने साथियों तथा मातृत्व लोगों के प्रति मिथ्याचरण से बचने का प्रयत्न करेगा। सभी प्रकार के मिथ्याचरण व्यर्थ होते हैं और बफादारी द्वा तो यह नितान्त विनाशक है।

इन विद्यापृष्ठ गुणों के अतिरिक्त व्यवसायी में वे सभी या कतिपय गुण होने चाहिए जो सभी नेताओं में पाये जाते हैं। इसमें औसत में अधिक कुशाग्रता या मानसिक चौकनापन, व्यावहारिक (रचनात्मक) कल्पना, मानव-प्रकृति का ज्ञान, प्रस्तुत योजना के हेतु उत्साह, विनोदशीलता, आत्मविश्वास, आत्मनियवण, मनोरजक व्यक्तित्व, एकाग्रता, सहिष्णुता तथा नेतृत्व किये जाने वाले लोगों के प्रति मैत्रीभाव तथा सदाशयता की भावना होनी चाहिए।

इस मूलि में कतिपय ऐसे लक्षण हैं जिन्हें विचारोपरान्त बदला जा सकता हो। कुछ हद तक शरीर तथा स्नायु सम्बन्धी ऊर्जा बनायी जा सकती है। तार्किक प्रतिया तथा तज्जनिन अवस्थाओं की ओर चेष्टापूर्वक ध्यान देने से कल्पनाशीलता में वृद्धि की जा सकती है। मानव-प्रकृति के ज्ञान में तत्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुभव के उपरान्त वृद्धि की जा सकती है। उत्साह में उस गति से वृद्धि लायी जा सकती है जिस गति से आदमी विश्वास तथा भावना के जरिये उद्देश्य से तादात्म्य स्पष्टित करता आता है। हीनता की भावना कहा से पैदा होती है—इसकी जानकारी के लिए आत्म-विश्वास की मात्रा बढ़ायी जा सकती है। लोगों के प्रति मैत्रीभाव तथा इससे भी गहरा प्रेम का भाव पैदा किया जा सकता है। आखिरी बात सबसे अधिक महत्व की है क्योंकि यह समस्या के केन्द्र-विन्दु वा स्पर्श करती है, क्याकि यह जीवन तथा मानव जाति वे प्रति व्यक्ति के रूप के प्रदर्श वो लाकर उपस्थित करती है।

अध्याय :: २

## वाणिज्य तथा उद्योग का विकास

हम लोग पहले देख चुके हैं कि व्यवसाय शब्द के अन्तर्गत वाणिज्य और उद्योग दोनों आते हैं। यदि हम इन दो अवयवों के विकास पर अलग-अलग विचार करें तो हमें व्यवसाय के विकास की एक तस्वीर प्राप्त हो जायगी। इस अध्याय में वाणिज्य तथा उद्योग का रेखांचित्र उपस्थित करना हमारा उद्देश्य है।

**वाणिज्य का प्रारम्भ**—वाणिज्य का अर्थ होता है मालों के वितरण की प्रक्रिया अर्थात् मालों को उस स्थान से, जहाँ वे उत्पन्न विये जाने हैं और पर्याप्त मात्रा में हो, इटाकर उस स्थान को ले जाना जहाँ वे अल्प मात्रा में हो और मात्रा की बरत्तु हो। यह एक बहुत तथा पैचीदा कार्य है जो अपने में मालों के क्रम विक्रय से सम्बद्ध सारे कार्यों को निहित बिये हैं। लेबिन अपेक्षात् हाल में ही इसने अपना इतना प्रभुख तथा बहुत रूप धारण किया है। वाणिज्य का आरम्भ विनियम वे आरम्भ के साथ माना जा सकता है। वाणिज्य नामक तन्त्र की आवश्यकता इन कारणों से होती है: (क) प्रारूपित साधनों की अनेकहस्ती तथा पृथ्वी पर उनका भौगोलिक वितरण; (ख) मानव-आवश्यकताओं में विभिन्नता, (ग) श्रम-विभाजन, (घ) मानव-आवश्यकताओं की पूर्ति की जरूरत। इससे यह निरर्थ निवलता है कि यदि उत्पादन तथा उपभोक्ता एक ही व्यक्ति हैं, या जहाँ वस्तुएँ उत्पादित होती हो वही उपभुक्त भी हो जाती हो, तो वाणिज्य की आवश्यकता ही ही नहीं।

सम्यता के आदिकाल में मनुष्य का जीवन शात्र-प्रतिशत अपने शरण पर निर्भर करता था। वह जो कुछ उत्पादन करता था वही उपभोग करता था तथा वही उपभोग करता था जो कुछ उत्पादन करता था। उत्पादन तथा उपभोग के बेन्द्र म दूरी नहीं होती थी। बत, स्थान, ममण तथा व्यवित के बारण कोई व्यवसाय नहीं था। मनुष्य स्वच्छन्द तथा स्वावलम्बी प्राणी था। वह भूमि को जीतता था तथा जीवित रहने के लिए इसमें भोजन पैदा करता था। मास पाने के लिए वह शिकार करता था और इस एक काम के जरिए वह अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन की, तथा मानसिक चाह की पूर्ति के लिए चर्म लगोटी की व्यवस्था करता था। यह भी गम्भीर है कि इसके एक पली रही ही जो खेत जीतने में इसको सहायता पढ़ुवानी रही हो तथा पहनने के लिए कपड़े बनाती हो। ऐसी दुनिया में न तो वाणिज्य की कोई गुजाइश थी और न वणिक थी। इस ममण सम्पर्क ग्रन्थ प्रकार का अधिकार होता और इस अधिकार

को प्रत्येक आदमी सर्वोल्लास समझता था; किन्तु चौज को पता लगाने का अर्थ यह इस पर स्वामित्व कायम बरला। राज्य या अन्य प्रकार की मामूलायिक संस्था का इस अधिकार निर्वारण में कोई हुश्य नहीं था क्योंकि इस समय में राज्य नाम की कोई चौज थी ही नहीं। जिस भी किसी माति हो, मनुष्य प्रहृति के उन्मुक्त दान कोप ने अपनी आवश्यकता की वस्तुए प्राप्त कर लेता था। वैयक्तिक हप में प्रहृति पर निर्भर रहने का तान्त्रय या प्रहृति की अनिश्चितता पर शत-प्रतिशत निर्भरता। स्थान पर बसने के बाद लोगों को पर्याप्त विश्वाम मिलता था और तब वे कबीले बनाकर रहने लगे। इस प्रकार विपत्ति के समय पारस्परिक सहायता का उद्भव हुआ। घर बनाये गये, पौधे लगाये गये जिसमें एक स्थान पर बस कर कृषि करने का प्रारम्भ हुआ। इससे स्थानगी सम्पत्ति वी प्रथा चल पड़ी। अब जादमी अपनी भूमि पर विचरण करता था तथा अपने मकान में रहने लगा। वह अपने आप भूमि को जोतता था, इसी से यह कहावन चल पड़ी है 'जो बोना है वह काटेगा।' सम्पत्ति के अधिकार ने उत्तराधिकार को जन्म दिया तथा परिवार के अधिकार में सम्पत्ति एकत्रित होने लगे वैमें-वैसे गाव, शहर तथा बड़े शहर बनने लगे। इसने समाज के प्रशासन तथा समठन की नामांजिक समस्या को जन्म दिया। समाज में रहने तथा श्रम-विभाजन के लाभ मामने आने लगे। विभास का कम जारी रहा, समय ने पलटा लाया तथा सम्भवता की प्रगति एवं नागरिक जीवन की उत्तरति के माथ अति साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति भी ज्यादा दुष्कर हो गयी। इसके अनिरिक्त आवश्यकताएं भी बहुत बढ़ गयीं। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अन्यत्र चेष्टा की जाय। पड़ोस के शहर में देखा जाय जो शायद अपनी आदादी को आवश्यकता से अधिक गेह ना उत्पादन करता है तथा उनमें माना जाय कि वह कुछ दे सकता है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि इसके बदले में कुछ दिया जाय और इसलिए एक शहर को अपनी निजी आवश्यकता में अधिक उत्पादन करना पड़ता था ताकि वह पड़ोसियों से बरादे गये सामान का मूल्य चुका सके। स्वभावत अधिक आदमी उनी प्रकार के उत्पादन में विशेषज्ञ होने लगे जिसमें उनकी रुचि सबसे अधिक थी तथा जिसके लिए उन्हें मुविद्या प्राप्त थी। इन सबका परिणाम श्रम-विभाजन हुआ तथा मालों के विनियम का आगार किसी घरे को करने में लगने वाला समय तथा श्रम था। रोविन्मन दूमों की अर्थ-प्रणाली वस्तु विनियम ( Barter ) अर्थ-प्रणाली में परिवर्तित हो गयी। हमारे देश में गावों में अब तक भी वस्तु-विनियम का चलन है।

वस्तु-विनियम अर्थ-प्रणाली के बहुत में परिणाम हुए। विशेषीकरण के कारण कारोगरों तथा चनुराई पर्याप्त रीति में बड़ी, धर्घे वजानृगत हो गये। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रणालो के अन्तर्गत दूरों की रचना हुई, व्यापार का जन्म हुआ, लेकिन बरीद और वित्ती का वाम उत्पादक तथा भोजना जे द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता था। मध्यस्थ कोई नहीं था। विनियम का लात्पर्य था कि आप कुछ चीजें दसरे को दे रहे

हैं इसलिए कि दूसरा आपको वह चीज दे जो आपके पास नहीं है लेकिन जिसे वह देना चाहता है। इसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि यह थी कि विनिमय कभी-नभी होता था। विनिमयों की इतनी अल्प सम्भ्या वाणिज्य वो जन्म देने तथा उसे बायम रखने वे लिए पर्याप्त न थीं।

समय के बीतने के साथ और खासकर मालों के विनिमय में जब मौद्रिक अध-प्रणाली का प्रबोच हुआ तब मनुष्यों ने दूसरों के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था बरना तथा यह जानना कि वे कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं, अपना व्यवसाय बना दिया। आज ठीक वही हालत है। सम्भता का विकास ही गया है और परिस्थितियाँ देवीदगियों से भर गयी हैं। दुनिया के हर एक बोने से सामान एकत्रित किये जाते हैं; वे असम्भव कोटि की ओद्योगिक प्रतियाओं में गृजरते हैं ताकि वे बुद्ध व्यवहारिक रूप ग्रहण कर सक और इस प्रकार के उत्पादित माल वाणिज्य के द्वारा दुनिया के प्रत्येक भाग में उन घरों में पहुचा दिये जाते हैं जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। इसी प्रिया को प्राप्त यह बहा जाता है कि व्यवसाय का उद्देश्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति बरना है। पुरान जमाने की तरह आज भी दुनिया काम में लगी है। हृषक मंदान में है, वह बीज बो रहा है या कमल बाट रहा है। बारखाने का मजदूर मशीनों का नियन्त्रण बर रहा है, उसमें कच्चा माल ढाल रहा है जो हथान्तरित होने पर निर्मित माल में बदल जाता है। खान मजदूर पृथकी के गर्भ से खनिज पदार्थ को ऊपर ला रहा है। किरानी आफिन में व्यवहारों (Transactions) को लिपिबद्ध कर रहा है। डाक्टर अपन परामर्श-कक्ष में रोगियों को सलाह दे रहा है। शिक्षक कालेज या स्कूल में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा है। ट्रान्सपोर्ट मजदूर मालों एवं मनुष्यों को स्थानान्तरित कर रहा है। तार तथा टेलीफोन के जरिए समृद्धी तार तथा बेतार के जरिए आदर्शयंजनक चाल में आदेश तथा निर्देश एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाते हैं। आर्थिक हृत्यक वे पहिये तूफान की तरह धूम रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ये सारे कार्य होते क्यों हैं?

प्रत्येक मजदूर इच्छा या अनिच्छा से मजदूरी करना जाता ही है। वह पैसे बीचातिर पैसा नहीं चाहता। वह पैसे के द्वारा सरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए पैसा चाहता है। वह आदमी सामर्थ्य भर इस प्राप्त करता है ताकि वह अपनी उन चीजों की आवश्यकता, जिन्हे हम उपभोक्ता की वस्तुएँ कहते हैं, जी पूर्ति कर सके। यदि वह बिना काम किय उन वस्तुओं को पा गकता तो वह काम करने तक न जाता। वह इसलिए बाम करता है कि वह उपभोग कर सकने में समर्थ हो सके। यह बात प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है जो निजी धन के द्वारा, अपने धन के विनियोग द्वारा या अपना धन वा दूसरों को व्यवहार के द्वारा आर्थिक कार्य में योगदान देता है। आर्थिक कार्य या उत्पादन का तर्किक निष्पर्य है मानव-आवश्यकता की पूर्ति। यह सम्भता के आदिकाल में होता था, और आज भी ऐसा ही होगा। ये आर्थिक कार्य प्राप्त चार श्रेणियाँ में विभक्त किये जाने हैं-

स्थान सम्बन्धी (Extractive), तत्त्वनामक (Constructive) या निर्माण सम्बन्धी (Manufacturing), वाणिज्य सम्बन्धी (Commercial), तथा प्रत्यक्ष सेवाएँ (Direct Services)। स्थान सम्बन्धी धन्वे का सम्बन्ध है मिट्टी से पैदावार करने, या भूमि के गम्भीर संभेद प्रकार के धन प्राप्त करने में। निर्मिति-प्रदान धन के द्वारा स्थान उद्योग में प्राप्त किये गये कच्चे माल को निर्मित पदार्थ में रखाना चाहिए किया जाता है। वितरण या वाणिज्यप्रधान श्रेणी के अंतर्गत वे धन्वे जहाँ हैं जो उत्पादकों के यहाँ में व्यवस्था के उपभोक्ताओं के दर्ता स्थानान्तरित करने, या निर्मितिकर्ताओं के यहाँ स्थानान्तरित करने, या निर्मितिकर्ताओं के यहाँ से निर्मित पदार्थों का उपभोक्ताओं के दर्ता स्थानान्तरित करने में सम्बन्ध रखते हैं। इन वितरण कार्यों में सलग्न सभी व्यक्ति, जैसे रेल व्यापारी, वैद्य, बोमा व मनिया, दलाल, घास वित्तीता तथा सुदरा वित्तीता, इस धर्ये में हाथ घटाने वाल है। प्रत्यक्ष में व्यक्ति के धर्ये वाले वे व्यक्ति हैं जो स्वयं ना उपभोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते लेकिन जो अपेक्षित प्रत्यक्ष स्वयं में निर्मिति कार्य में लगे मजदूरों को कुशलता बढ़ावा देते हैं। वहाँ का सारांग यह है कि वाणिज्य सम्बन्धी वे धन्वे हैं जिनका उद्देश्य है निर्मितिकर्ताओं तथा उत्पादनकर्ताओं के बीच एवं निर्मितिकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के बीच माल का विनियय। व्यवसाय मण्डल में वाणिज्य का कार्य है आर्थिक निर्दारण के अनुसार विनियय को उपलब्ध द्वारा उत्पादन के विभिन्न विभागों वो एक सूत्र में ग्रहित करना। मध्ये प्रमेय में, यह उत्पादन-सम्बन्धी कार्य की शृङ्खला में आनिरुद्ध तथा पहली लड़ी है।

उद्योग का विकास—मध्य यन्त्रे प्राग्रथम से ही तीन प्रमुख कोटि के उद्योग देश के विभिन्न भागों में चालू रहे हैं और इनमें प्रचेक, एक मुद्रोर्धं पर अनिस्तित काल में मूल्य रहा है। इसमें पहला दस्तकारी प्रणाली है जिसका दस्तकारी सघ से धना सम्बन्ध रहा है अर जो पन्द्रहवीं शताब्दी तक सारे देश में प्रचलित था। दूसरा प्रेरल प्रणाली कोटि का है जिसने औद्योगिक पूजोवाद को जन्म दिया और जो मन्त्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी तक प्रचलित था। तीसरी फैक्ट्री प्रणाली कोटि का है जो अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पर्याप्त रोति में इग्निएट म शुरू हुआ और जिसने उत्तोमवीं शताब्दी के दूसरे दशक में जर्मनी तथा तीसरे दशक में फ्रास में प्रसुतता प्राप्त की और तत्पश्चात् सर्वे विकास में सुन्न दिया।

दस्तकारी प्रणाली—प्रारम्भिक मध्यगृहीन काल का उद्योग अन्य तथा सीधा था। दस्तकारी प्रणाली मव जगह प्रचलित थी। निर्मिति प्रतिवाएँ अन्य तथा सापारण कोटि की थीं। अनेक, बाम में लायी जाने वाली भूमीन भौंडे टग की तथा भूसी थीं। भाष को भस्ति के दारे में कोई जानता नहीं था, तथा जलमस्ति का बहुत कम उपयोग होता था। सभी प्रकार की चीजें सचमुच में हाथ में बनायी जाती थीं। दस्तकारी

“इस उम उद्योग का बोध होता है जो न वेवल हाथ के श्रम पर आधारित है वहाँ जिसमें किंगी भी प्रकार का पूजीवादी तत्व विद्यमान न हा। इस्तकाई प्रणाली वे ज तगत औद्योगिक समग्र की इकाई परिवार या वह परिवार जिम थोटी माझा म वाहरा श्रम की सहायता मिलनी हो होता था। निमिति के लिए कच्चे माल मूल्य रूप स नजदीक से ही उपलब्ध हा जात थ। उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के टुकु होता था। इसका एक बड़ा कारण या यातायात में असहृष्ट व्यय। श्रम विभाजन उद्यग काटि (Vertical Type) का न होकर भौतिक कोटि (Horizontal Type) का था और शिल्प (या कारोगरी) एक दूसरे में विकृत जग्गा हाना था और प्रत्यक्ष गिल्प म सम्बद्ध सारे निमिति काय—कच्चे माल की प्राप्ति म रक्कर माल का बाजार म विक्री के लिए उपस्थित बरन तक—विलिया का एवं समूह बरना था। श्रम की उत्पादन शमता निम्न थी। तब भी मध्य यग हस्त श्रम तथा जापनिक युग क माना (या यात्रिक) उत्पादन के धीरे कोई उचित तुरना नहा सकती। वेवल श्रम तथा कच्चे माल की पूर्ति की दिशा म हा नहीं बरन बस्तुआ की विक्री क लक्ष म भा एक प्रकार का अविद्यसनीय स्थायित्व था। मध्ययुगीन ममाज गतिशील था—परिवर्तन की धीमी गति थी तथा फैशन म बहुत कम रदा-वदा हाता था। परिणामस्वरूप पूर्ति तथा मार्ग क बीच स तुलन कभी विगड़ता नहीं था।

**सघ (Guild)**—मध्ययुगान उद्योग की सबसे जविक्त उल्लङ्घनीय विधि पता था श्रमजीवियों का समग्र। मध्ययुग के लागा म समुदाय-बद्ध (Corporate) हान वा वितना तपरता थी इसके कई व्यावहारिक रूपों में स एक स्व सब ह। इसका दो मरण स्व हा यग व्यापारी सघ (Merchant Guild) तथा गिल्पा सघ (Crafts Guild)। व्यापारिक सघ व्यापार म ज्ञ लागा का एक साहचर्य था जो नगरों म भय विक्रम करत थ। व्यापारी सघ के दो काय थ उपभावना के लिए उचित मूल्य तथा विक्रना का उचित प्रतिफल। व्यापारी सघ पार स्परित रक्षण तथा सहायता के लिए निमित एक सघ (Association) था तथा राग एवं दरिद्रता स रक्षा के लिए एक बोमा-गर्नन था। बारहवीं शताब्दी वे अततक गिल्पा सघ (Crafts Guild) का उदगम हुआ और एक शताब्दी के अन्तर यह द्विनिया म सघ जगत् पर गया। शिल्पी सघ शहर या जिले में एक ही प्रकार के धर्म म ज्ञ वारागग का सघ था। साधारणत एक शहर म कड़ शिल्पी सघ होत थ। बुनवरा का एक सघ रागेजा का दूसरा मोम्पत्ता बनान वाला का तीसरा तथा मुनारा का चौथा और इसा प्रकार अनका। सघ हात थ। गिल्पी सघ की सदस्यता प्रायः गिल्पी के लिए अनिवाय थी। एकामिकार (Monopoly) भी रखना इन सघों का उद्दय हाता था। गिल्पी सघ गिल्पी—बुद्ध गिल्पी—का उचित राया जीवन निवाह का तथा वारीगरी के अच्छ मानउड़ वा भरोसा दिनों थ। रामारी तथा गरामी के गमय पारस्परिक मनायना उनके गणठन का आवश्यक अग था। मध्यभालान उद्योग समग्र म साफ तोर में तीन श्रणियों में श्रमजीवी था

उस्ताद (Masters), कार्गिर (Journeyman) तथा नवसिलुए (Apprentices)। नवमिचुआ लटका या मुक्क होता था जो काम सीखता था और प्राप्त जाने उस्ताद के परिवार के साथ रहता था और बड़ले में अपने उस्ताद की जो सहायता कर सकता था, करता था। उम कुछ मजदूरी मिल जाती थी। नवसिलुआ अवधि के बीत जाने के बाद, जो प्राप्त मान वर्गों के, होती थी, वह मुक्क आइमी कारोगर हो जाता था यानी एक म्हमजील श्रमजीव जो मजदूरी के लिए अपने शिष्य-सम्बन्धी कार्य करता था, और अन्त में जब वह इन्हें पैमे इकट्ठा कर लेना जो उन्हें जपना वारसाना स्कॉलने योग्य बना सकता और वह मनचाही जगह म वारसाना स्कॉलने के लिए अपने साथी श्रमजीवियों के सघ (Guild) की अनुमति पा लेता तब वह उस्ताद हो जाता था। उस्ताद श्रमजीवी अपने परिवार के सदस्यों की सहायता और प्राप्त एक मादो कारोगर तथा एक मादो नवसिलुओं की मद्दयता पाकर उस विशेष गिरोह का स्वयं धारण कर लेता था जिनका बलन मध्य युग में था। मिद्दान्त एक गिरोह के सभी मद्द्य एक ही स्थान पर रहते थे, जिनमें निवास करने का स्थान ऊपरी मजिल पर होता था और नीचे की मजिल म व्यवसाय होता था जिसमें काम करने के क्षमते (कार्पेंक्स) पौछे हाते थे और विशेषज्ञ मामने। हस्तशिल्प प्रणाली (Handicraft System) के जन्मानन उद्योग मूलत वैयक्तिक कोटि का होता था जो आज की पूजीवादी प्रणाली की तरह समृद्ध प्रयत्नों पर निर्भर नहीं था।

जब मप का चरणोन्कर्त था तो वह बहुत ही उपर्याप्त था तथा अनेक तरह के उद्देश्यों को पूर्नि करना था। वह अपने सदस्यों के आधिक हिन की रक्खा करना था; वह श्रमजीवियों के लिए प्राविधिक शिक्षण (Technical Training) की व्यवस्था करता था, वह निर्मिति (Manufacturing) का मानदण्ड ऊचा रखना था तथा वैयक्तिक हिनों को समाज-कल्याण के मानहन बनाता था। लेकिन इसमें कोई अमुविवाह नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। इसका निहित मिद्दान्त एकाधिकार था; इसके कठार नियम माहृम मा उद्यम को दबाते थे, यह मजदूरों को निम्न करता था, यह उम प्रकार के औद्योगिक मण्डन को बढ़ाता था जो मध्य थेणी का ही उद्यादन कर सकता। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक परिवारग प्रधान नीति (Exclusionist Policy) के अपनाये जाने तथा परिजामन-प्रतिहन्दी मेवन (Yeomen) या कारोगर मप (Journeymen Guild) के जन्म के कारण यह प्रणाली क्षयप्रस्त होने लगी। पूजीवाद की वृद्धि तथा उद्योग में पूजी के बढ़ते हुए प्रयोग ने भी जिनका परिणाम, उद्योग वितरण के मौर्गोलिक परिवर्तन में हुआ, मर्दों के हांग में घोगदान दिया।

गृह-प्रणाली (Domestic System)—यह प्रणाली के पतन के साथ एक नई कोटि के मण्डन का उद्भव हुआ जिनका नाम या गृह-प्रणाली। सघ-प्रणाली के अल्पान्त उस्ताद शिली आना कच्चा माल सहीदना था, उन्हें अपने ही कारनामे में अपने परिवार तथा नियुक्तों (Employees) की सहायता से

निर्मित माल में परिवर्तित बरता था तथा उस निर्मित माल को प्राय उसी जगह अपने ग्राहकों व हाथ उच दता था। लेकिन इसके विपरीत गृह प्रणाली के अन्तर्गत उद्यमी या व्यवस्थापक उन नियुक्तों का काम देता जो उसके मकान में नहीं रहते थे तथा जो अपने घरों में ही थम बरते थे। कभी-कभी नियुक्त स्वयं सामान तथा औजार की व्यवस्था करता था लेकिन अधिकतर सामान अथवा औजार इन दोनों की व्यवस्था नियोक्ता (Employer) ही करता था। सबसे अधिक प्रचलित परिषाटी के अनुसार नियोक्ता दोना चौजों की व्यवस्था कर देता था और नियुक्त औजार के लिए भाड़ा लुकाता था तथा काम के अनुसार मजदूरी पाता था, अर्थात् मजदूरी उसके द्वारा निर्मित माल के परिमाण पर निर्भर करती थी। इस नवी प्रणाली की उत्तरति बाजार के विस्तार, कार्य-विधि के विकास तथा जनसत्त्वा की वृद्धि के कारण हई। लेकिन मूल्य स्थपने से पहली भूमि वृद्धि तथा एक नवी श्रेणी के ओद्योगिक प्रबर्तना या उद्यमिया (या साहसिका) के उद्भव से इसको मस्त प्रेरणा मिली, तथा इसकी सबसे बड़ी विशेषता, जो इसे अन्य प्रणालिया से भिन्न रखती है, वह है, उत्पादन तथा उपभोक्ता के बीच म उद्यमी का आ जाना। नवे प्रकार का नियोक्ता प्रथमत व्यापारी था वह विभी भी तरह शिल्पी नहीं कहा जा सकता। वह बड़े परिमाण में नया विकल्प पर ध्यान देता था, और न तो वह स्वयं अपने हाथों से काम करता था और न निर्मिति के निरीश्वरण में समय देता था। ही, वह अपने ठेकों की पूर्ति बरतवाने के लिए समय देता था। वह केवल सध का सदस्य होता था और उसके वक्तिधारियों या नियुक्तों का, जो प्राय पास के जिले या गाँव में रहते थे, कोई सगठन नहीं होता था।

यह प्रणाली भूर्यत वस्त-निर्माण उद्योग के सिलगिले में ही उद्भूत हुई तथा बढ़ी। निर्मिति का बायं उन व्यक्तियों द्वारा होता था जो अपने घरों में रहते थे तथा जिन्हें कभी-कभी एक या दो कार्रणगता या कुछ नवमित्रों द्वारा सहायता मिलती थी, लेकिन अधिकतर अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा ही। यह धन्या मूल्यत गाँवों तथा पास के दाहरों म होता था तथा इसके साथ खेती का बायं भी होता था। कभी-कभी उत्पादन कार्य अपने सभी स्तरों (Stages) पर एक ही स्थान पर होता था; कभी-कभी एक घर का गिरोह कताई बुनाई या रगाई जैसे उत्पादन की विनी विशेष शाखा में विशेषीकरण प्राप्त करता था (विशेषज्ञ होता था)। यह प्रणाली दृष्टिकोण से लिए, जो अपनी धाढ़ी जमीन के बल पर परिवार का निर्बाह नहीं कर सकते थे, वही लाभ-दायक सिद्ध हुई। उनी उद्योग, बील (Nail) निर्माण-उद्योग, साबुन निर्माण उद्योग वर्तन निर्मिति तथा इस तरह के बहुत से शिल्प उद्योगों में इन आदमियों को अपनी रोज़ी या अपनी जीविका के साथनों को बढ़ाने का अवसर मिला। ऐसा करने में उन्हें खेती के परिस्ताया तथा अपनी सामाजिक या आर्थिक स्थिति में बोई मौतिक परिवर्तन करने की नीति नहीं आयी। वे अपने मन के मृताविवर अधिक में अधिक या कम से कम काम कर सकते थे, तथा जाहे व झड़ी के दिनों में वे इन कामों को आमानी से कर सकते थे। स्त्रियां और बच्चे कामों में हाथ बटाकर घर की सहायता कर सकते थे।

ऐमा करना न तो इनके लिए अस्वास्थ्यकर ही था और न मनोरजनहीं ही था। जिन औजारों की आवश्यकता होनी थी उन्हें सचारित करने के लिए दक्षता के बजाए धैर्य समझे आवश्यक गुण था।

मोलहबी और मनदहबी शनान्दी म निमिति विदि में पर्याप्त उभ्रति हुई, इसका कुछ कारण तो परेमिश तथा ह्यूजनोट के उन कारोगरों द्वारा लाये गये नये विचार तथा विद्यिया थी, जिन्होंने याननाशो से पीड़िन होकर इमलैण्ड के औद्योगिक क्षेत्रों में शरण लो थी और कुछ कारण उन काल के माजा कम तथा दुनाई की मशीन के छोटे-छाटे आविष्कार थे। किन्तु फिर भी, मशीने मीठी तथा कम खर्चीली ही रही। इन आविष्कारों तथा माजा के लिए बड़नी मार्ग न गृह-प्रणाली के द्वारे अध्याय का प्रारम्भ किया, जो आधुनिक निर्माणों प्रणाली (Factory System) का परिचायक हुआ। अब उत्पादन एक नियन्वणकर्ता स्वामी या प्रदान के द्वारा सम्पादित होता था जो मशीन चलाने तथा मजदूरी के लिए हस्तात्रम करने के लिए भूतिथारियों को नियन्त्रक करता था। यह उत्पादन का कार्य प्राय भूतिदाता दा नियन्त्रिता के द्वारा नियन्त्रित तथा अधिकृत निर्माण मकान में होता था, जिसका नाम कारखाना (Workshop) पड़ चका था। उपकरणों या व्यापारी के उद्भव ने पूजीवाद का जन्म दिया। यद्यपि पूजीवाद धौरे-धीरे बड़ा, चूंकि यह स्वतन्त्र शिल्पियों तथा स्वावलम्बी कृषि-भूवनों के गृह-उत्पादन का स्थान शीघ्र ही नहीं ले सका, फिर भी धर्म विभाजन पर आवारारित इस पूजीवाद ने शिल्पियों के द्वारा उत्पादित भलो (Products) को बेरहमी से मार भगाया। हानशील या पतनोन्नुस गद, जिन्होंने शिल्पकारिता के मापदण्ड तथा कीमत की रक्षा की थी, पूजीवाद की बड़नी चोट के कारण पूर्ण स्पष्ट हा गए।

इन परिवर्तन का सामाजिक परिणाम यह हुआ कि शिल्पियों ने अपनी स्वतन्त्रता सो दो तदा औजार एवं सामान पर नियन्त्रण और स्वामित्व भी सो दिया। अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्हें विरामे के मजदूरों की तरह दूनरे आदमियों की संज्ञा या उपकरणों (Equipment) का उपयोग करना पड़ा। साफ तौर में परिलिपित होने वाला एक परिवर्तन दिखाई पड़ा, व्यवहार वे लिए उत्पादन में विकी वे लिए उत्पादन; और वह उत्पादन जिसकी विकी पर पर्याप्त लाभ हो जिसके कारण वैद्यकिक सम्पत्ति वा एक्सीकरण शुरू हुआ। इस प्रक्रिया ने आधुनिक औद्योगिक मूल्यप्रकार (Modern Capitalistic Capitalism) को जन्म दिया।

### औद्योगिक शान्ति

पूजीवादी लाभ के लिए धनधोर प्रतियोगिता ने वैज्ञानिक अनुनयन तथा ज्ञान की सामान्य प्रगति को प्रेरणा दी। लजारहबी शनान्दी के उनराऊं में इमलैण्ड में एक सामाजिक तथा आर्द्धक उलट-केर हुई विस्की व्याप्ति (Scope)

परिणाम तथा सामान्य महस्त्र इतने अधिक हुए कि इसका नाम ही औद्योगिक आन्ति पड़ गया। यह औद्योगिक आन्ति निर्मित प्रशिया तथा अवस्थाओं का स्वरूप परिवर्तन था जो दीर्घकाय उत्पादन के लिए अनुकूल मरीनों सथा आविष्यारों के कारण हुआ; विशेषतया उन मरीनों के कारण जो भाष की शक्ति से सचालित होती थी। इसका सबसे अधिक उल्लेखनीय परिणाम (Manifestation) हुआ—गृह-प्रणाली के स्थान पर निर्माण-पद्धति का उत्थान तथा नगर की जनसंख्या में वृद्धि। यह वहा जा सकता है कि यह आन्ति अठारहवीं सदी के मध्य के बाद (१७६०) में आरम्भ हुई तथा १८२५ ई० में समाप्त हुई।

ओद्योगिक आन्ति सर्वप्रथम इगलैण्ड में आरम्भ हुई, तत्पश्चात् अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में पैदा, जहाँ इसने एक नवीन औद्योगिक दशता को जन्म दिया। दूसरे देशों के बजाय यह परिवर्तन इगलैण्ड में ही क्यों आरम्भ हुआ—इसने अनेक पैचीदा तथा कुछ हट तक यामन कारण है। बिन्तु फिर भी इन परिवर्तनों की उत्प्रेरण परिस्थितिया का उल्लेख किया जाता है। के बारण इस प्रकार है “संनिक चढाई से निरापदता, इगलैण्ड को सामूद्रिक मार्गों की उपलब्धि, भारतीय साम्राज्य से लूट तथा भाड़ में एवं त्रिस की गयी सम्पदा, सुलेखनों की घरेवन्दी में” कारण सम्में थ्रम वी वहुलता, अन्यत्र यातनाओं के डर से बाय हुए शितियों की निपुण शिल्पज्ञता, वैज्ञानिक प्रयोगों में प्रदर्शित की गयी अभिरुचि, जल-सञ्जिन, लोहा तथा बोयले के स्पष्ट में प्राकृतिक साधन, अयोजी वा खरिप्रवल जो दशता के नये सिद्धान्त में असीम उत्साह का अनुभव करते आर्थिक यन्त्रा में, उत्पादन के सारे घटक सस्ती कीमत में उपलब्ध थे। सस्ती पूँजी, सस्ता धर्म, सस्ती प्राविधिक योग्यता, सस्ती दर्शित तथा सस्ता बच्चा माल—सभी चीजें सस्ती थीं। इसके अतिरिक्त, उत्पादित माल के लिए उत्तुक श्रेताओं का तेवार बाजार भी था।”<sup>१</sup> इन बारण में हम रघु-प्रणाली का अपेक्षत द्रुत हास तथा व्यापारी निर्मिति-वर्त्ताओं (Merchant Manufacturers) के द्वारा नियन्त्रित गृह-उद्योगों के क्षेत्र-विस्तार को भी जोड़ सकते हैं, इन व्यापारी निर्मिति-वर्त्ताओं ने निर्माणी पद्धति को और परिवर्तन की ओर गतिशील कर दिया। अनुकूल राजनीति तथा धार्मिक अवस्थाएं, कभ हृनिप्रद आर्थिक प्रणाली तथा इनके अतिरिक्त दीर्घ तथा द्रुत यानिक आविष्कारों की प्रगति भी औद्योगिक आन्ति के कारण हैं जो भवते हैं। इस काल में इगलैण्ड ने बहुत सारे अद्वितीय आविष्कारों का जन्म दिया—के, हारप्रीम, आर्कराइट, कॉम्पटन, कार्टराइट, रेडिनिक हारोकम, न्यूबर्मेन, थाट, बोल्टन, टेलफोइ, मरठॉन, ट्रेवेलिक, कार्ट और अनेक दूसरे—जिनके द्वारा ग्राहरस्टर्म, और रुम्मेस्टरी, शलाल्डी के आरम्भ काल में युक्त राज्य का नेतृत्व इनकी दृढ़ता के साथ बायम बिया गया कि उद्योग तथा निर्माणी प्रणाली के क्षेत्रों में की गयी प्रगति स्थायी हो गयी।

निर्माणी पद्धति (Factory System)—ओदोगिक अन्ति, जिसकी परिनियति निर्माणी पद्धति (Factory System) में हुई, वा सबसे बड़ा महत्व है जाविकारा का होना जिसने हाथ के कार्य का यानिकर सहायता में बदल दिया। इसके पट्टे, ओजार तथा भर्तीभी ओजार (Machine Tools) हाथ के शासन मध्ये। शिल्पी शक्ति दान करना था और ओजार इसकी आज्ञा का पालन करने थे लेकिन उपयुक्त जाविकारा का वाणिज्योक्तरण हाने के बाद शिल्पी का काम मशीनों ओजार तथा हाथ का स्फूर्ति दन के बजाय मशीनों का सहायता प्रदान करना हो गया। शिल्पी बबल सचाइर मात्र रह गया और बहुत से कार्यों की दृष्टि में वह जड़ यन्त्र से अधिक नहीं रह गया। अब जरा भा शिक्षमता नहीं रह गयी है, और शिल्पी मशीन का मानहन हो गया है। इस निमाणा पद्धति का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है पूजीवादी के जनान पड़े-नड़े कारखाना में बहुत बड़ी सूझा में भूतिगारी शमशीरिया का एकत्रित होना, जिन कारखानों में प्राय बड़ी तथा खर्ची भर्ती शक्ति के द्वारा मकालिन की जाती है। योग्यागिक पूजीवाद के परिणामस्वरूप पूजीवादी वर्ग तथा अमरीकी वर्ग के बीच पूर्ण अल्पाव (Demarcation) हो गया है।

चूंकि मशीनें कीमती थीं, अत बुटीर शिल्पी के द्वारा उनका प्रयोग एक व्यवसाय वान थी, और नयी मशीनों की घर में सचाइरित बरना एक अमर्भव कार्य था। परिणामत, बुटीर शिल्पी ने बुटीर निर्मिति का कार्य छोड़ दिया और वह जिनी कारखानों में भूतिगारी (Wage Earner) हो गया जहाँ मशीन चालक नियोजनार्थी (Employers) के नियन्त्रण में नियन्त्रित घटे तक काम करने। शिल्पी (Craftsman) अमरीकी (Worker) में परिणत हो गया। हस्तशिल्पी का शिल्प विशेष की दृष्टि में एक व्यर्थ की बस्तु हो गया क्योंकि नयी मशीनें अकुशल लोगों के द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती थीं। सारी कार्यशील शक्ति अपने स्थान में पदच्युत हो गयी अर्थात् उनके कौशल और शम का बाजार मूल्य गिर कर उन अकुशल लड़के-लड़कियों के, जो नयी मशीन परिचालित कर सकती थीं, मूल्य के बराबर हो गया। इस प्रक्रिया में स्वामार्शिक शम का ठीक उल्टा हुआ। रोजी कमाने वाला तो घर में बिना काम के बैठने लगा और स्थी तथा छोटे-छोटे बच्चे मिल जाने की बाध्य होने लगे। उदाहरणत इश्लैफ्ट में १८३३ ई० में सूनी वपटों की मिलों ने ६०,००० वर्षम्ब चुन्नी, ६५,००० वर्षम्ब महिलाओं तथा ८८,००० अवयवों—जिनमें जाधे की मूल्या में १८ वर्ष में नौकरे के लिडके-लड़कियों थीं, काम दिया। १८४४ ई० तक ४२०,००० परिवारों में चीमाई में कम १८ वर्ष के उपर तथा २४२,००० औरने तथा लड़कियों थीं। परिणाम भयावह हुआ। एक पनी को, जिसे प्रतिदिन फैक्ट्रो में १२-१३ घटे तक काम करना पड़ता था, अपने बच्चों की देसभाइ करने का मनव ही नहीं मिला था और ऐन्जिल के दुष्प्राप्त शहरों में वे (बच्चे) जाली पाम की तरह बड़े। बच्चों पर इसका कमा प्रभाव पड़ा, इसकी सहज ही बल्पना की जा सकती है। यके मादे होते जप वे रात को घर लौटने, इतने थके होकर तिउन्हें

स्थान पर उन नयी विधियों को जन्म दे रही हैं जिन्हे श्रमिकों का नया वर्ग परिचालित करता है।<sup>१</sup>

मरीनों तथा यातायात में वृद्धि के साथ-साथ उद्योगों ने अपने वार्ष का क्षेत्र निरन्तर गति से बढ़ाया है। इसके लिए उमेर अधिक पूजी वी आवश्यकता हुई। इम प्रबाल अकेला व्यापारी उत्तरोत्तर दूसरे का साहचर्य प्राप्त करने वो बाध्य हुआ। इम समिति पूजी ने वैयकित्व व्यापारी से जटिक दाकिन प्राप्त की। वृद्धन का यह त्रैम, जिनकी ओर सावारण मनव्य का ध्यान गया भी नहीं, उस समय तक जागी रहा जब तक सम्पत्तिशाली वर्ग का यह स्वतन्त्रता नहीं मिल गयी कि वह अपने धन वो समान-मेलित संस्थाओं (Corporate Bodies) में विनियोग कर के उनस-दायित्व से मुक्त हो जाय। सीमित दायित्व (Limited Liability) के विस्तार से व्यवसायी तथा पेशवारी (Professional) वैयकित्व विनियोक्ता उत्तरोत्तर अपने धन को उन व्यवसायी फर्मों को सुपूर्द करने लगे जो हमारो मनुष्यों व करोड़ो लोगों पर पर्याप्त नियन्त्रण रखते थे। इस परिवर्तन का आधिक परिणाम यह हुआ कि धन का स्वामित्व धन के नियन्त्रण से उत्तरोत्तर विलग होने लगा, तथा व्यक्ति इसके उपयोग वो नियन्त्रित करने की चिन्ता से दूर हो गया। यह त्रैम आज तक जारी रहा है और आज हम दीर्घाय परिचालन (Large-Scale Operations) को औद्योगिक नियुणता का प्राप्त मानते हैं। कर्म बहुत बड़ा होने लगा है जिसे उम्मा स्वामी सम्भाल नहीं सकता। अब, बेतनभोगी प्रबन्धक, जो प्रशिक्षित तथा नियुण होता है, औद्योगिक कारखानों वी व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। भूमि, श्रम तथा पूजी के तीन छठानी वे अतिरिक्त, सामग्री उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक हो गया है।

सीमित दायित्व के सिद्धान्त ने आधिक समाज के लिए कम्पनी प्रबन्धक (Company Promoters) नामक एवं नये प्रणेता को ला लड़ा किया है—जिनकी चातुरी इसी में है कि वह अनुकूल शर्तें (Favourable Terms) पर व्यावसायिक फर्मों को खरीदने या रचित करने के लिए कर्ज पर धन एकक्षित करे; और तत्पद्धतान् उस खरीदे गये या रचित फर्म को लाभ पर बेच डाले। ऐसा करने में उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन फर्मों की उत्पादक-क्षमता वो बड़ाये प्रत्युत उनके बाजार-मूल्य की वृद्धि करे। विज्ञापनकर्त्ताओं, प्रकाशन-अभिकर्त्ताओं, अदा दलालों व अदा विनेताओं ने इस बाम में उसकी महत्वता दी। अगर उनको बेचने के आसाजनक प्रयत्न के पहले उम्मा फर्म विनाप्त हो गया तो वह परिमित दायित्व का बहुना लेकर भाग छड़ा होता, कम्पनी को समेट लेता तथा विधि का आशीर्वाद ले लेकर दूसरों कम्पनी आरम्भ कर देता। इसका भार-बहन कम्पनी के अणदाता तथा वशधारी करने।

मरीनों तथा वैज्ञानिक क्रियाओं के आविष्कार, या यो बहु जाय कि उनके वाणिज्यिक रूप, ने आधिक बचत के द्वारा औद्योगिक दक्षता में बहुत बड़ा योगदान

दिया, इस आधिक बचत को समय की बचत, थम वी बचत तथा सामान की बचत कहा जा सकता है। मनुष्य का सामर्थ्य मशीनों के प्रयोग से ज्यादा रूप से बढ़ गया है, तथा उमरी शक्ति हजारों गुण वह जानी है जब विद्युत, टेलर, भाष पर तथा जल शक्ति को कार्यनिक बनाया जाता है, और आज सामूहिक थम के प्रधान बल के उपयोग को बहुत कम आवश्यकता है। इनके परिसरित वैज्ञानिक नवयोगदान ने उपजाता (By-product) की उपयोगिता के पूर्य वा बहुत बड़ा दिया है, और बहुत गी व्यवस्थाएँ म तो उन्हें रायुक्त वस्तु (Joint Product) बना दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ है कि मशीन माप में जरा भी हेरफेर किये दिना वारीर से वारीर तत्त्व (Mechanism) का पुनर्व्यवस्थादान कर सकती है।

मशीनों के प्रयोग ने अम-विभाजन या विशेषीकरण को और भी अधिक गति प्रदान की है। आज के औद्योगिक संगठन में दो प्रकार का विशेषीकरण वृनियार्थी सा हा गया है, उदय थम विभाजन (Vertical Division of Labour), जिसमें अनेक थमिक वच्चे माल का नियमित माल में परिवर्तित करने की विभिन्न प्रक्रियाएँ म युलान होते हैं और विशेषपक्क अविच्छिन्न प्रक्रिया (Continuous Process) वाले उद्योग में, जैसे जूता निर्माण, कागज के मिल आदि तथा धैंतिज थमविभाजन (Horizontal Division of Labour) जिसमें एक ही प्रकार के वच्चे माल से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाने में कई लोग सहाय्य रहते हैं। चमड़े का उपयोग जूता बनाने वाला, घोड़े की जीत बनाने वाला तथा सूटरेस बनाने वाला करता है। इनमें से प्रत्येक एक दूसरे से विकृत भिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाता है। अम-विभाजन, प्रमाणीकरण (Standardisation), विशेषीकरण तथा बृहत्-माल-उत्पादन (Large-Scale Production)—जिनका परिणाम औद्योगिक पूर्जीवाद हुआ है—निर्माणी प्रणाली के अंतर्गत दृष्टि से महत्वपूर्ण परिणामों में से बुल्ल है।

भाषुनिक औद्योगिक द्वाचा पूजीवादी है—पिछले पृष्ठों में बोद्धागिक द्वाचे वा जो विश्लेषण उपस्थित किया गया है, उमरों यह साए दिव्यार्थी पढ़ने लगा है कि भाषुनिक प्रवृत्ति वृद्धन्वाय ढाचे की ओर है, जिसे मोर्गिक लार्डिक सुविद्याएँ प्राप्त है, लेकिन इस प्रगती का वास्तविक परिणाम क्या है? इन ढाचों का नियन्त्रण-जग्वन्थी किसी मिलान्त के अनुमार मूल्यवद्ध हाना बनिवार्य है। नवीन औद्योगिक पद्धति के अनुमार नियन्त्रण उपकरणी के हाथ में था। नई दशता के हित थम के लिए पूजी अनिवार्य थी और पूजी पूजीवादी उद्यमी के हाथ में थी जिसके बल पर उमे सारे थम, वच्चे माल, मर्मीना तथा फैक्टरी की समाम नाज-नज्जा पर नियन्त्रण प्राप्त था। वह थम तथा वच्चे माल का वाजार म सरोंदता था तथा इन दों धटकों के समुक्त उत्पादन पर उमरा आधिकरण था। पूजी पर स्वामित्व होने के नामे किसी भी व्यावसायि इकाई के अन्तर्गत नियन्त्रण उमरों हाथ की वस्तु थी। १९वीं शताब्दी में नियन्त्रण पूजी के स्वामी के हाथों से निवल बर उपकार लेने वालों के हाथों में लगा गया और न्यासकर समृद्ध

स्वन्ध कम्पनी के विकास के बाद। अब तथाकार्यित वित्तदाता (Financier) के हाथ में वास्तविक नियन्त्रण है, और वह प्राप्त बड़े-बड़े व्यवसायिक संयोगों को आबद्ध करता है और वह ऐसा, सम्पूर्ण पूजी के घोड़े में अपना का स्वामी होकर कर पाता है।

प्राविधिक (Technical) अर्थवैज्ञानिक विकास तथा वृहत्काय सचालन के हित नये जागिरकारों के पूजी का एकत्रीकरण दोनों क्रियाएं सायंसाय चली और उद्योग पूजीवादी उद्योग कहलाने लगा। वर्तमान प्रणाली दूसरे अर्थ में भी पूजीवादी प्रणाली है क्योंकि सम्पूर्ण उद्योग पर जो भी नियन्त्रण है वह प्रतिष्ठित व्यवसाय के पूजीतानों द्वारा है जो प्रतियोगिता का अन्त कर दने तथा व्यपने लाभ में वृद्धि करने के नये-नये रास्ते ढूढ़ रहे हैं। सर्वप्रजीय पूजीवादी अर्थ-प्रणाली के चार पहलू हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं—(१) माल लाभार्थ विक्री के लिए उत्पादित रिप्रेजेनेटरों द्वारा है जो अन्त कर दने तथा व्यपने लाभ में वृद्धि करने के नये-नये रास्ते ढूढ़ रहे हैं। (२) एक प्रकार की धन-प्रणाली सामान्य व्यवहार में है जो कोम्पनी का मापक, मूल्य का मानदण्ड, विनियम का मान्यम तथा अम मुगतान का साधन है। यह भूतिमूलक अम उत्पादन के व्यापक आवार की तरह व्यवहृत होता है तब धन सामान्य आवश्यकता की बस्तु हो जाता है। (३) व्यक्ति और कम्पनिया उत्पादन के नाम्न हैं जिनका उद्योग, अमजोबो (Worker) करते हैं। (४) उत्पादक स्वनन्त्र भाड़े के कमंचारी हैं जिनके पास न तो उत्पादन के लिये आवश्यक सामान तथा साज-बज्जा है, और वे अरने श्रम से उत्पन्न बस्तु के अधिपति हैं।

पूजी के स्वामी ही सब कुछ हैं। पूजीवादी उत्पादन ने एक-एक वरके सब प्रकार की प्रदृष्ट अर्द्धप्रणाली का स्थान ले लिया। परिचमी जगत् में तो यूह कुटीर के आखिरी शिल्पों का स्थान भी बेकरी, खाने कपड़े की फैक्ट्री तथा भट्टीखाने ने ले लिया। जो औजार अमजीवियों के हाथों से ले लिये गये वे अब बहुत बड़ी सामाजिक घटनाक्रिया में बदल दिये गये हैं जिसमें अमजीवियों का गिरोह सद्युक्त प्रयत्न की ओर खिचा चला आता है। अम की प्रक्रिया भी समाजीकृत कर दी गयी है। जो व्यक्ति अपनी पुरानी पृष्ठभूमि से उन्मूलित कर दिये गये वे दठोरता के कारण सग्राम तथा एकता में दीक्षित हो गये हैं। पूजीवादी प्रणाली ने अपर्याप्त सम्मिश्रण (Integration) के बाल सामाजिक दुर्बलता (Malnutrition) पैदा कर दी है। इन्हे वैद्यकिक धन के दुरुपयोग तथा अमजीवियों के लिए बाम सम्बन्धी अनिश्चितता जैसी असमानता की भयकर ममस्याएं पैदा कर दी है। चूंकि वैद्यकिक धन का दुरुपयोग किया गया है, अब यह दलील पेश की जाती है कि इसका अन्त कर दिया जाय। पुरानी मार्गे दुहरानी जा रही है कि उत्पादन उपयोग के लिए होना चाहिए, न कि लाने के लिए। इस में राजकीय समाजवाद (State Socialism) ने पूजीवाद का स्थान ले लिया है। सानगी सम्पत्ति समाज को हस्तान्तरित कर दी गयी है जिसका नियन्त्रण राज्य को सौर दिया गया है। इगलैण्ड जैसे अन्य देशों में हाल में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

वैज्ञानिक क्रान्ति (Scientific Revolution)—आइने सम्बन्धी

सभी परिवर्तनों की प्रगति के साथ हमारा महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। प्राकृतिक कार्बनिक तथा आद्युनिक परिवर्तन का वैज्ञानिक परिवर्तन का नाम दिया है।<sup>१</sup> उत्तर महाद्वीप के वैज्ञानिक नाम दिया है। उत्तर महाद्वीप का प्रभाव औद्योगिक क्षेत्र से निश्चय हो जाता है क्योंकि इसका उदाहरण द्रव्य (Matter) तथा ऊर्जा (Energy) की प्रवृत्ति तथा बनावट (Structure) के सम्बन्ध में मीर्गिक अनुमधान है। औद्योगिक क्षात्रिय प्रथमत यान्त्रिक (Mechanical) तथा जिसमें निम्न वस्तुएँ थीं—भाष्ट इंजिन तथा विद्युत वरदा। वाय निव रसायन तथा भौतिक शास्त्र जिनकी प्रवृत्ति एक दूसरे से मिल जान की है न क्षमता जाता (Energy) के नय रूप की उत्पत्ति बरत है अल्प उनमें पहली क्षमता है कि वे द्रव्य (Matter) के टुकड़े कर नहीं तथा उन टुकड़ों का मिलाकर मरण कर दें। नय मार्ग (Product) तथा नयी प्रतिक्रिया अनवरह यति संविस्तरी जा रही है। मातापान (Transport) तथा सचार (Communication) के नवीन साधनों के प्रस्तुत्य ही तथा समय में सकोचन जाना जा रहा है। अर्किन का बावू मलान तथा मवारिन बरत के लिए नय माध्यनाका अनुमधान हो रहा है। अण्डाकिन तथा तमान्वप (Radar) का व्यापारिक उपयोग किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि विद्युतिका गोपनीयता जावन का भी ही विद्युत उत्पादन के लिए अणुवित वा नियन्त्रित तथा व्यवहृत किया जायगा। कोष्ठग्य मुग्य का अत दिवानी देन लगा है। इसमें हम गोपनीयता के स्थापन्त्र (Architecture) में नया सूझा अपेक्षा तथा शायद अणुवित और गोपनीयता के चक्र (Gas Turbine) मरणन हो जाय ताकि मातापान के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो जाय। इसका वाय वह गोपनीय हो जा दिया गया भूव को रहन लायक स्थान बना दें तथा महस्त्र को भी माचना आरम्भ कर दें। इन सभीका अर्थ यह ही सकता है कि सम्पूर्ण विश्व के लिए वायन्य का एक नया मुग्य आरम्भ हो, वशर्ने कि युद्ध हम लोगों की शक्तिको बढ़ाव लाना दायक क्षमता में मोड़न न आ जाय। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षात्रिय का वाक्षिकारा के विपरीत बनापान अनुमधान अनुमधानकर्त्ताओं के दल के द्वारा कियी खाम उद्देश्य के लिए मानित दृष्टि से किया जाता है। बाज उद्योग के माध्य मिश्नकर वैज्ञानिक रूप अध्ययन (Design Study) का काय बरत है, और बाज इसके पहले कि प्लाट के लिए वास्तविक याजना बनाई जाय या उस लक्ष्य किया जाय, हर समावना का अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार वाक्षिकारा का वाणिज्यीकरण पहले से ज्यादा दृढ़ होता है और इस प्रकार युगों में चार आता गुड़ तथा युक्त विनान की वीच का दिग्गज लाभ हो गया है। ऐसित इन मध्यी प्रकार के विकास के लिए यह अत्यन्यक है कि ग्राम्यकर उत्पादन के लिए उत्पादन बढ़ाव देनी मात्रा में किया जाय। वायन्यक विकास का दूसरा पक्ष है मुक्तव्यापार की नीति (Laissez

faire) का अनु हो जाना और योजनावरण का प्रचलन। सर्वश्र अन्य उच्चवल औद्योगिक प्रणाली पर काव् पाने की चेटा की जा रही है। यह सभी मानन रहे हैं कि आधुनिक अर्थिक प्रणाली की मौलिक विशेषता है आपोजित अर्थ-व्यवस्था जो पूजीवाद की बाजार अर्थ-व्यवस्था के ठीक विपरीत है।

### भारतवर्ष में औद्योगिक विकास (Industrial Evolution in India)

प्राचीन युग में ही क्यो, अपेक्षत आधुनिक समय तक, भारतीय उद्योग, जिसका आधार हस्त-शिल्प था, समसामयिक यूगोंपीय उद्योग से अत्यधिक उच्च स्तर पर था। भारतीय मूली उद्योग उतना ही पुराना है जितनी भारतीय सम्पत्ति और अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारतवर्ष सभ्य जगत् का सूनी-वस्त्र निर्माता रहा। इसके माल उच्चबोटि के होते थे। ढाका की मलमल अपनी अत्यधिक वारीकी के कारण 'वस्तु की छाया' कहाती थी तथा उसको बनाना आदियों के बजाय हमिया की परियों का बाम था। सौल और सतरजी उनी उद्योग के इतिहास में उल्लेखनीय हैं। कहा जाता है कि भारत के रेतम् के क्षेत्रे गेम में अपने तोल के बराबर सोने के मूल्य म बिके थे। लोहा उद्योग न केवल स्वानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, प्रत्युत वह भारत-वर्ष की निर्मित वस्तुएँ विदेश की निर्यात करने में समर्थ करता था। इस्पात तथा पिटे लोहे का निर्माण कम से कम दो हजार वर्ष पहले पूर्णता को पहुच चुका था। दिल्ली में कुतुबमीनार के पास का सम्मान इस बान का पूर्ण प्रमाण है कि ४५०० वर्ष पहले भारत वर्ष के लोहनिर्माताओं की कला और चातुरी बहा तक पहुच चुकी थी। यह बगैर किसी धारुमकर के शूढ़ ढलता लोहा है। पर इताविद्यों तक खुली हवा में रहने पर भी इसमें जग नहीं लगा। भारतीय शीशा-उद्योग की प्राचीनता वा पता अनेशास्त्र, शुद्धीति तथा स्त्रियों में पाये गये वर्णन से चल जाता है। ऋग्वेद में वर्णन लाता है कि स्त्रिया शोणे की चुडिया पहनती थी। यदि हम चीनी की तरफ मुड़ते हैं तो यह दावा किया जाना है कि भारतवर्ष गते का जन्मस्थान है। प्राचीन काल में श्रीत में चीनी की लोग भारतीय मीठा नमक कहने थे।

अपर जो कुछ बताया गया है उसमें यह निष्कर्ष निवलता है कि अप्रेजो के आगमन के पहले भारतवर्ष व्यापार तथा उद्योग के धोत्र में दुनिया में पहला स्थान रखता था। हास तथा अन्तिम पतन के कारण अनेक तथा बहुत प्रबार के हैं, लेकिन यहा उनमें से कुछ का वर्णन कर देना ही पर्याप्त होगा। पतन का बीज-ब्यपन मृगल काल में हो चुका था और अप्रेजा के आगमन ने विनाश की गति को केवल तेज कर दिया। कुछ उद्योगों के लिए भारतीय दरवारों तथा रईसों का सरक्षण अप्राप्य हो गया, इन दरवारों तथा रईसों के स्थान तथा उनकी सह्या में विदेशियों के राजनीतिक प्रभुत्व के कारण बड़ी कमी हुई। मृगल राजाओं ने अप्रेज व्यापारियों को व्यापार तथा फैब्रिरी स्थापित करने की जो सुविधाएँ प्रदान थी, उन सुविधाओं के कारण ही बास्तव में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग के विनाश का श्रीगणेश हुआ है। मशीन निर्मित सम्मे माल ने, जिनका इस देश में आपान होने लगा, भारतीय कारखानों के अपेक्षाहृत महगे, पर

अधिक कलापूर्ण व टिकाऊ माल को बाजार से बाहर निकाल दिया। लेकिन इन सबके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी की नीति ही भारतीय व्यापार के विष्फुट थी। मार्टीय माल इगलैण्ड के बाजार में न बिके, ऐसा करने के लिए इस कम्पनी ने कुछ भी नहीं उठा रख छोड़ा। कम्पनी वा ऐसा करना देशी माल वे लिए बढ़ा ही थाकर था। जैसी जासा वी जानी थी, इसने उन उद्योगों को बिनपट बर दिया जो विदेशी बाजार वी माल पर निर्भर करते थे।

भारतवर्ष में औद्योगिक ऋान्ति (Industrial Revolution in India) --इगलैण्ड तथा जन्य पूरोपीय देशों के विपरीत, हिन्दुस्तान वी औद्योगिक ऋान्ति उन शक्तियों का परिणाम थी जो विदेशों में प्रसूत हुई तथा वे भरीन-निर्मित माल, जिनके साथ देशी बारीगांगे को प्रतिदृष्टिता करनी पड़ती थी, हिन्दुस्तान में नहीं बरन् इगलैण्ड की पैचटरियों में बनते थे। धधारहित उद्योगजीवों लोगों को खेती वा सहारा लेना पड़ा और इस प्रकार नए वृहत्त्वाम उद्योग विकल होने लगे तथा देश के ग्रामीण रण में तेजी से बढ़ि होने लगी। और यद्यपि हिन्दुस्तान ही प्रथम देश वा जिसने उद्योगवाद के प्रभाव का अनुभव किया फिर भी इसमें परिवर्तन या युगान्तरण (Transition) कभी भी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन जापान में, जहा उद्योगीकरण बाद में शुरू हुआ, यह परिवर्तन पूर्ण हुआ। छिप्पुत तथा 'सफल प्रवलो' के अतिरिक्त, हिन्दुस्तान में उद्योगीकरण (निर्मिति तथा यातायात में यान्त्रिक शक्तियों का उपयोग) १८५० ई० में शुरू हुआ, लेकिन जापान म १८६८ ई० में मेजी रेस्टोरेशन (Meiji Restoration) के उपरान्त भी यह आरम्भ नहीं हुआ और जापान १८८० ई० तक हिन्दुस्तान से औद्योगिक विकास वी दृष्टि से पिछड़ा था। उसके पश्चात् औद्योगिक विकास के ग्रम ने जापान में जोर पकड़ना शुरू किया और परिणामस्वरूप १८६८ ई० के युवक यायोजनों के लघूजीवन बाल में ही औद्योगिक ऋान्ति सम्पूर्ण हो गयी, और १९३० ई० तक जापान की अर्थ-प्रणाली आधुनिक उद्योगप्रवान राष्ट्र के समक्ष हो गयी। लेकिन हिन्दुस्तान में इस दिनों में प्रगति बहुत धीमी रही। यद्यपि भारतीय दृष्टिकोण से तो हिन्दुस्तान ने वर्तमान यातायाती के आरम्भ से ही इतनी महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है कि वह दिव्य के दस श्रीद्योगिव व्यग्रणी देशी वै वीच में रखा जाता है, फिर भी यदि हम प्रत्येक व्यक्ति वी दृष्टि से देखे तो हिन्दुस्तान वी प्रगति देश वी आवश्यकता से कम है। यद्यपि इसके साफ प्रमाण उपलब्ध है कि हिन्दुस्तान का उद्योगीकरण आगे बढ़ रहा है तथापि इसकी गति व परिमाण से वोई सन्तुष्ट नहीं हैं। ऐसी भावना वैवल अर्थव्य के कारण हो हो, ऐसी वात नहीं है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। इसमें सदेह नहीं कि इसको जितनी साधन प्राप्त है उसके बल पर हिन्दुस्तान, जिसमें अभी आशिक उद्योगीकरण हुआ है, सम्पूर्णरूप से उद्योगीकृत हो जायेगा। लेकिन समस्या उद्योगीकरण के होने न होने की नहीं है, बल्कि इसकी शीघ्रता की है। दूत उद्योगीकरण वै रास्ते में बहुत-भी और टेही बठिनाइया है, इसमें सभी सहमत हैं। फिर भी उद्योगीकरण वी भविष्यत् गति वै वर्तमान गति वी

अनेक तेज होना ही होगा ताकि लागा का बनेमान जीवन-स्तर और इतना नीचा न हो जाय कि उसे उपर उठाना ही मुश्किल हो।

द्रुत उद्योगीकरण के सामना को दूट निकालने के लिए यह बता देना अप्राप्तिक न होगा कि साधना की बहुतता तथा प्रारम्भिक आरम्भ के बावजूद हिन्दुस्तान का उद्योगीकरण इतना धीमा तथा अपांच क्षय होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जाति प्रथा, जा आनुवंशिक धधा के कठोर पालन को आवश्यक समझनी है मुक्त बवासर, निर्भय प्रतिशोधिता वृद्धिशील विद्यपीकरण तथा वैयक्तिक गत्यात्मकता जो गतिशील औद्योगिक अर्थप्रणाली के साथ जुड़ होत है, विपरोत दिसा में बाम करनो है। नयुक्त-कटुम्ब-प्रथा भी जो १९वीं शताब्दी में धूरोप म प्रचलित नहीं थी, आधुनिक उद्योगीकरण के विपरीत सिद्ध हुई है। जाति की तरह इसने सामाजिक गत्यात्मकता को सीमित कर दिया क्योंकि इसमें व्यक्ति जन्म के आनार पर दूसरो के साथ आबद्ध हो जाता था, वह योग्यता की परवाह किय दिना एक गिरोह को आर्थिक सम्बल प्रदान करने को बाच करता था, वह व्यवसाय और राजनीति दोनों में पक्षपात का प्रवेश करता था तथा कम उम्र के लोगों का बड़ा के द्वारा भरण-पोशण के सम्बन्ध में विश्वास दिलाता था। यह बढ़ार परिवारवाद उद्योगीकरण के रास्ते में बाया बनकर ढूँढ़ा हो गया और इस प्रकार यह औद्योगिक सम्बन्धिक घटना नहीं है कि पूर्व की बजाय धूरोप में औद्योगिक श्रान्ति का प्रारम्भ हुआ। हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म भी आधुनिकीकरण के लिए बाया का काम करता था क्योंकि यह कर्मरहित तथा वैयक्तिक बोटि के सन्तुत्वाद तथा भौतिक जगत् के परिवाय पर बहुत जोर देता था। जानि, परिवारवाद तथा धर्म का यह सम्बोग आधुनिकीकरण के रास्ते में एक दुर्भाग्य दीवार था। हालांकि यह कठिनाई अजेय नहीं थी क्योंकि आज तो वे (जाति, परिवारवाद आदि) कम से कम नष्ट हो रहे हैं तथा आधुनिक प्रविधि (Technique) व आधुनिक आर्थिक जीवन के अन्वल जपने को बना रहे हैं।<sup>1</sup>

औद्योगिक विवास को अवश्य करने वाल सामाजिक तथा सास्कृतिक घटकों के अतिरिक्त भारतीय उद्योगीकरण के रास्ते में राजनीतिक तथा आर्थिक परावलम्बन भी द्वावट का काम करते थे। उदाहरणत जापानी उद्योगीकरण जापान के राजनीतिक द्वारा एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए यथे सचिव योजनाकरण वा परिस्थापन था। इसके विपरीत, चूंकि हिन्दुस्तान राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि में एक परावलम्बी राष्ट्र था, वह इसकी और इश्लैण्ड के द्वारा बरतो जाने वाली नीति एक औद्योगिक राष्ट्र के द्वारा हृषि-प्रधान उपनिवेश की ओर बरती जान वाली नीति थी। इश्लैण्ड इस देश को कन्वे माल वा उन्यादक तथा अपने उद्योग के द्वारा उन्यादित माल के लिए बाजार ही समझता था। हिन्दुस्तान में केवल उन्हीं उद्योगों को वित्तनित होने दिया जाता था, जो प्राप्त उन शक्तिशाली राष्ट्र के नागरिकों के लिए लाभदायक थे। इस आर्थिक परावलम्बन के प्रमाण भारतीय और अंग्रेज दोनों प्रदार

1 Kingsley Davis, The Population of India and Pakistan

के लेखकों के द्वारा एकत्रित तथा प्रिण्ट किये गये हैं। हम निम्नलिखित बहिरपय की रूपरेखा उपस्थित कर सकते हैं —

१—वे अधेज़, जो हिन्दुस्तान पर शासन करते थे, उस कोटि के नहीं थे जो भारतीय उद्योग का विकास कर सके। वे इस प्रकार के व्यक्ति थे जो अपनी पूर्वी प्रजा को समझत नहीं थे, इसे हेप डूटिंग से देखते थे तथा उससे विलकुल अलग रहते थे। इसके अतिरिक्त यद्यपि वे दुनिया में औद्योगिक स्तर से सर्वोत्तम राष्ट्र के अधिकारी थे, फिर भी वे उद्योग में प्रगतिशील नहीं थे, अहं तत् विं वे तत्सम्बन्धी समस्याओं से अवगत भी नहीं थे। वहाँ वे सभी अमीर खानदानों के थे जो न केवल व्यवसाय से अनभिज्ञ थे बल्कि व्यवसाय को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनकी भवित अपने घर तथा उसी प्रकार की चीजों से थीं। उनमें ऐसी कमता मुश्किल से ही थीं जो हिन्दुस्तान को एक दक्षिणाधी आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र में परिवर्तित कर सके।

२—जैसा वि हम ऊपर देख चुके हैं, टट्टव नीति (Tariff Policy) पर निश्चित रूप से इगलैण्ड के आधिक हितधारियों की मांगों का बहुत बड़ा प्रभाव था। सन् १७०० ई० से लेकर सन् १८२५ ई० तक ब्रिटेन ने भारतीय शिल्प उद्योग के द्वारा निश्चित उच्च धोनी के वपड़ों पर बहुत बड़ी भाँति में मरक्केण्मूलक वर लगा दिया और दूसरी ओर इगलैण्ड ने इग बात पर जोर था वि विलायती माल हिन्दुस्तान में विना वर के प्रवेश करे। जब इगलैण्ड ने अमेरिकी हड्डी से शक्तिम-चालित मशीनों के द्वारा कपड़े बनाना आरम्भ किया तब भारतीय वर्नन से मरक्केण्मूलक आवश्यकता जानी रही। मुक्त व्यापार की नीति पर जोर देते हुए ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान के अधिकार वाजार को सत्त्वे कपड़ों से भर दिया तथा देसी हस्त शिल्प उद्योग का सर्वनाश कर दिया। तत्पश्चात् १९२७ के बाद से जब इगलैण्ड के द्वारा प्राप्त द्वाभों की परिस्थिति में परिवर्तन हो गया, तब मुक्त व्यापार की नीति से प्राप्त लाभ को लोग आमानी से भूल गये। इसके स्थान पर भारतवर्ष के मत्थे जबरन अन्न सामाज्य अधिकान (Imperial Preference) की नीति लाद दी गयी, यह नीति विलायती माल को भारतीय बाजार में भारतीय माल तथा सामाज्य में बाह्य देश के माल के मुकाबिले में मुविधा प्रदान करती थी।

३—रेलवे का सगठन तथा ढाचा इस प्रकार आयोजित किया जाता था वि वह विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में बन्दर शहरों (Port Towns) का अनुचित भावा में लाभ पहुंचाये। ऐसा बरना देश के विकास के प्रतिकूल था।

४—भारत सरकार राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों का नियन्त्रण तथा दोहन (Exploitation) राष्ट्र के दीर्घकालीन हित की बृद्धि के उद्देश्य से नहीं करती थी। उसके विपरीत, यह विदेशी उद्यमों को मुक्त सहायता प्रदान करती थी ताकि यह उद्यम भविष्यत् उत्पादनों को नुकसान पहुंचाकर भी शीघ्र लाभ बना सके।

५—भारतीय सरकार की व्यापक नीति भारतीय हितों के लिए हानिकारक थी। इसका परिणाम यह हुआ वि देश के हस्त-शिल्प-उद्योग विंगे भी स्वामानिक

रूप में नष्ट हो जाने लेकिन जो विचारणीय दान है वह यह है कि अप्रेजो ने वैमे विभी उद्योग की रचना नहीं की जो हस्त-शिल्प-प्रणाली का स्थान ले सके और न तो उन सोगों ने ही पुरानी हस्त-शिल्प-पद्धति को नवीन औद्योगिक पद्धति से मिलाने का कोई प्रयत्न किया।<sup>1</sup>

आधिक परावलम्बन के जो भी प्रमाण उपर दिये गये हैं उनका मुख्य उद्देश्य यह बनाना है कि बाहरी शासकों ने प्रत्यक्ष रूप से उद्योगीकरण के रास्ते में वित्ती बाधाएं उपस्थित कीं। अब जब हम अपनी सरकार बना पाये हैं तब हमें कृपिप्रधान अर्थ-प्रणाली को उद्योग-प्रधान अर्थ-प्रणाली म परिवर्तित करने का काम बड़ी सेजी से करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह देश को शीघ्र ही उद्योगीकृत करने के लिए मजबूत में मजबूत नीति तथा युभिनमण नीति को अपनावे। जब हम यह देखने हैं कि इस देश में पूजीवाद पुरानी तथा प्रारम्भिक नीति में अभी भी काम कर रहा है तथा पूजीपति को लोग एक मुविधाप्राप्त वर्ग का प्राणी मानते हैं जो कर की बचत करता है, अभिको का शास्त्र करता है तथा ग्राहकों से निर्विचर होकर मनमानी अधिक कीमत लेता है, तब इसकी आवश्यकता और अधिक हो जाती है।

गति

---

1. Davis, op. cit.

## परिचालन का पैमाना एवं व्यावसायिक इकाई का आकार

आयुनिंग औद्योगिक मण्डल के उल्लङ्घनीय लक्षण में एक महत्वपूर्ण लक्षण है औद्योगिक मस्थापना (Industrial Establishments) के आकार में बृद्धि तथा परिणामस्वरूप दीर्घकाय उत्पादन। दो व्यापक दिशाओं में यह बृद्धि हुई — (१) औद्योगिक मस्थापन का आकार बृद्धि तथा (२) सामान्य नियन्त्रण के अन्तर्गत समान या असमान मस्थापन का वर्गीकरण या एकीकरण (Integration)। इस दाहरे विभास न कभी-कभी इकाई के आकार या सचारन के परिणाम के सम्बन्ध में पर्याप्त गड़बड़ी पैदा की है। उद्योग के आकार—परिभाषा के सम्बन्ध में बातचीत करें। ए अवशासनी भी—कभी-कभी साफ-न्याय यह नहीं बता सकत नि-उद्योग मत्तुव के भूमि प्लाट (Plant) या उन दानाम परिसी और चीज़ में। इसीलिए यह बोक्सप्रक है कि व्यावसायिक इकाई के आकार के सम्बन्ध में व्यवहृत विभिन्न शब्दों का साफ-न्याय परिभाषा की जाय। इस प्रकार तीन शब्द हैं प्लाट, कर्म तथा उद्योग जिनकी व्याख्या गृह्ण म हो वर उनीं चाहिए यदि इन्हें आकार का ठीक शब्द प्राप्त करता है। प्राप्त सारजण परारेंस प्लाट की परिभाषा बरते हैं एक जमात या व्यक्तिया का समूह जा एक निश्चित स्थान और समय म एकत्रित होने हैं। २ प्लाट शब्द फैक्ट्री, मिल, कारखाना (Workshop) यानि, गोदाम, लद्दाह दुकान आदि का समानार्थक है। परं एक इकाई है जो प्लान्ट या प्लाट समूह की व्यवस्था करता है, स्वामित्र करता है तथा नियन्त्रण करता है। उदाहरणत यदि कोई व्यक्ति या कष्टी दा या उमस अधिक मिल या फैक्ट्रिया का स्वामी है तो उस व्यक्ति या कष्टी का वार्षिक तथा प्रभासन वीं दृष्टि स कर्म या एकाकी औद्योगिक इकाई कहता चाहिए। कभी-कभी एक प्लान्ट कर्म ने समझप हो सकता है। यह उस समय होगा जहा एक पर्म एक प्लाट का स्वामित्व तथा नियन्त्रण करता है गविन एस भी बहुत म पर्म है जो कर्द प्लान्ट के स्वामी है। इस प्रकार आकार, लाभ उत्पादकता तथा व्यय की दृष्टि म एक स्वामी के अधीन मार्गी फैक्ट्रिया की इकाईया का एक पर्म ही गमनना होगा। यह पर्म या केन्द्रीय अधिकारी अपने अधीन सभी प्लाट के वार्षिक बाजार सम्बन्धी तथा हिसाब सम्बन्धी नीतियों का सचारन करता है। उद्योग उन लोगों का समूह है जो प्लान्ट या पर्म के सम्बन्ध में काम में लग हता है। यह उन पर्मों तथा प्रबाधक प्लान्ट का समूच्चय है जो समान

प्रकार के मालों का उत्पादन करते हैं। भारतीय उद्योग में एक बहिनाई और है। प्रौद्योगिक व्यवसायों के अधीन लगभग सारी फैक्टरियों का प्रबन्ध, प्रबन्ध अभिकर्ता (मैनेजर एजेंट) करते हैं और बहुत से उदाहरणों में एक ही प्रबन्ध अभिकर्ता फर्म एवं या विभिन्न स्थान के बहिनाईयों का प्रबन्ध करता है, जिनमें बहुत बहर भिन्न-भिन्न कार्य होता है। प्रबन्ध अभिकर्ता के इस नियन्त्रण के कारण सामृहिक कार्य तथा विषय मन्त्रियों बहुत-भी बचत प्राप्त होती है जिसमें उत्पादन को छोटी-छोटी इकाइयों वो दोषकाप सम्भव के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। हिन्दुस्तान में फर्म की परिभाषा इन प्रकार दो जा सकती है—एह (फर्म) एह ही अभिकर्ता के द्वारा व्यवस्थित किसी औद्योगिक वेन्ड की उत्पादक इकाइयों का मन्त्री समुदाय है। लेकिन कुछ हरे नहीं हासा यदि हम फर्म वो मौलिक परिभाषा पर ही ठिक रहे, जो इस प्रकार है 'किसी एक इकाई के अपीन प्लान्ट समह।' इस अर्थ में हिन्दुस्तान के सूनी मिल उद्योग के अन्तर्गत वे सारे फर्म चले आयेंगे जो उन सूनी मिलों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण करते हैं—जो मूल तथा कपड़े की सम्पूर्ण मात्रा का नियंत्रण करते हैं।

**आकार का मापदण्ड (Measure of Size)—**उपर्युक्त मापदण्ड का, जो पर्यान् सेनि से आकार को माप सके, चूनता भवदा सम्भव नहीं। बहुधा उद्योग की प्रकृति या उत्पादित माल की विशेषता उपर्युक्त मापदण्ड की कोटि का नियररण करती है। चाहे जिस प्रकार के मापदण्ड बने जाय, वे अनुकूल (Approximate) ही होंगे पर्याप्त (Precise) नहीं। सीमेंट, चौनों तथा बोयला उद्योगों में, जहां सम्भारीय या समृद्ध भाल का उत्पादन होता है, उत्पादन की राशि आकार के मापदण्ड की तरह व्यवहृत हो सकती है लेकिन सूनी वस्त्र सरीखे उद्योगों में, जो विभिन्न कोटि के मालों का उत्पादन करता है, उत्पादन की राशि औद्योगिक इकाइयों के आकार की विभिन्नता प्रशंसित करने में प्राप्त सकल भर्ती हो सकती। कर्तव्यों तथा तकुओं (Spindles) की संख्या तथा उनकी अमता ऐसो हालत में आकार का एक अच्छा मापदण्ड हो सकती है। उसी प्रकार कागज, रसायन, दीवाया या लोहा इम्पान जैसे उद्योगों में प्लान्ट की संख्या व उनको उत्पादन क्षमता आकार का एक विश्वसनीय सूचक हो सकती है।

पूजों विनियोग आकार का एक अच्छा मापदण्ड है, लेकिन पूजीकरण के सम्बन्ध में ठीक-ठीक आकड़े प्राप्त करना मुश्किल है। उदाहरणतः, जमुक इकाई की पूजी आवश्यकता तथा उनको अपेक्षित की विधिया एक दूसरे से इन्हीं भिन्न होती है कि प्रदत्त पूजी के आकड़े या प्रजाओं का सम्पूर्ण विनियोग भी आकार का पर्याप्त मापदण्ड प्रभागित नहीं हो हृते। दूसरे विधि जो सामाजिक व्यवहृत की जाती है—भूनिवारियों की मृस्या है। यह मापदण्ड उस समय महत्वपूर्ण है जब उन इकाइयों की तुलना की जाती है, जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है या जो प्राविधिक विकास की एक ही अवस्था (Stage) का प्रतिनिविच्च करती है। लेकिन जब उत्पादन प्रविधि तथा उत्पादित वस्तुओं की कोटि में पर्याप्त भिन्नताएँ हो तब ऐसे मापदण्ड का परिणाम

नियत होना है, इन नियन आकार में कम होने पर प्राविधिक दृष्टि से उत्पादन या तो अनम्भव होना है या आर्थिक दृष्टि से अलाभदायक ।<sup>१</sup> इस आकार को न्यूनतम 'प्राविधिक' या 'आर्थिक' आकार कहा जाना है । लघु प्रारम्भ की अपनी अनेक मुश्किलें हैं और दहुनेरे व्यावसायिक इकाईया प्रारम्भ में न्यूनतम आर्थिक आकार से बड़ी नहीं हानी । लेकिन ममवत कोई भी व्यावसायिक इकाई इस न्यूनतम से सतुष्ट नहीं हो सकती और निश्चय ही उनका आकार विस्तार इतना तो होगा ही कि वह दीर्घकाल उत्पादन के लाभों को प्राप्त वर सब लेकिन उनका विस्तार और अधिक नहीं होगा । एक सोमा है जिसका अतिक्रमण लाभदायक नहीं होगा । यह सोमा सचालन परिमाण की दिशा में आदर्श या आदर्शाकार कहा जाना है ।

रॉविन्सन महोदय<sup>२</sup> कहते हैं, 'आदर्श फर्म से हमें केवल उभी फर्म जा दौध होना चाहिए जिसमें प्राविधिक तथा मगठन योग्यता की वर्तमान अवस्थाओं में सारे अनिवार्य घटया को जोड़ने के उपरान्त औसत लागत न्यूनतम हो ।' जिसी निश्चिन अवधि में उद्योग में एक अमृक आकार को व्यावसायिक इकाई होनी है जो इतनी निपुणता से सचालिन होनी है कि जरा भी बड़ी या छोटी किये जाने पर वह निपुणता (Efficiency) सो बैठनी है । यह इकाई आदर्श इकाई या आदर्श फर्म कहलानी है और यदि उत्पादक की दृष्टि से कहे तो जब तक आदर्श की अवस्था बनी रहेगी तब तब इस फर्म के द्वारा निमित माल की प्रति इकाई औसत लागत न्यूनतम होगी । यह न्यूनतम लाग सब व्यया को जोड़ने के बाद होगी । यह सर्वोत्कृष्ट फर्म है जिसका आकार विलुक्त ठीक है, न अधिक बड़ा और न अधिक छोटा ।

लेकिन आगे बढ़ने के पहले हमें "आदर्श फर्म" तथा मार्गिल द्वारा बणित "प्रतिनिधि फर्म" के बोन विभाजन-रेखा खीच लेनो चाहिए । "प्रतिनिधि फर्म" से मार्गिल का तात्पर्य उस फर्म से था जो औसत अवस्थाओं में औसत दक्षता से काम दरती हो, और जो प्रमाणानुसार मापदण्ड का बाम दे । मार्गिल का तात्पर्य इस फर्म में नहीं या जो अतिविशेष अवस्थाओं—चाहे वे अच्छी हों या बुरी—में बाम करती हो क्योंकि ऐसी फर्म को, सुलभा का मापदण्ड मानने से परिणाम यामव ही होगा । लेकिन प्रतिनिधि फर्म को कल्पना इनी अमूर्त—( Abstract ) या भूक्षम सम्या गणितीय ( Static ) है कि इसका व्यावहारिक उपयोग कुछ हो ही नहीं मिलता । कुछ भी हो, ऐसा फर्म विचार तल पर ही स्थित है । ऐसे भी बहुतेरे फर्म हैं जो जोबन के प्रारम्भकाल में ही दोर्घकाय होने हैं जो आदर्श भी हो मिलते हैं । अनेक यह आवश्यक नहीं कि प्रतिनिधि फर्म आदर्श फर्म ही हो—आदर्श फर्म तो वह है जिसकी प्रति इकाई दोर्घकाल लागत व्यय प्रविधि, ज्ञान तथा मगठन योग्यता की जनुकूल वरम्या में न्यूनतम हो । ऐसा फर्म सर्वाधिक दम्भ होना है ।

श्रेफ्टर पीयू ने एक दमरे फर्म का व्यवहार किया है "समुचित फर्म" ( Equilibrium Firm ) जो सब मनुष्यों तभी होगा जब मम्पूर्ण

1. Lokanathan, Industrial Organization in India, p. 132.

2. Robinson, The Structure of Competitive Industry, p. 15.

उद्योग मतुलित है। यह मार्शलीय नमूना फर्म (Typical Firm) के समकक्ष है जिसका विभाग उसी परिमाण पर होता है जिसे फर्म व्यवहारत प्राप्त करते हैं। यह विचार भी वास्तविकता से दूर है तथा बहुत कम व्यावहारिक है क्योंकि कोई भी उत्पादनकारी, सभवत जैसा कि इन विचारों में अपेक्षित है, अपने फर्म के आकार के सम्बन्ध में प्रयोग या खिलवाट नहीं करेगा। आदर्श फर्म एक ठीक सम्भावना है। यह आकार की इकाई है जिसे प्रदृढ़ सचालन व प्रतियोगिता की शक्तियां से वाध्य होकर वे सभी फर्म, जो जीवनन्माम में जीवित रहना चाहती हैं, प्राप्त करने को वाध्य होते हैं।

आदर्शाकार कोई स्थिर विन्दु नहीं हो सकता। लघुवाल में यह स्थिर विन्दु हो सकता है। यह सदा परिवर्तनशील है, यदि प्रविधि वी अवस्था, ज्ञान तथा सगठन की योग्यता उत्तर होती है तो आदर्शाकार बढ़ता है। इसलिए आदर्शाकार सापेक्ष (Relative), न कि निररेक्ष (Absolute) विचार है। साधनों की अमुक प्रदत्त राशि की दृष्टि से जो आदर्शाकार है वह एक या अधिक घटकों में परिवर्तन होने से बदल जायेगा। प्राविधिक उत्पत्ति, बाजारदारी (Marketing) की कला में उत्पन्न, पूँजी प्राप्त करने की नयी सुविधाएं आदर्श इकाई के आकार बृद्धि की दिशा में पर्याप्त सहायक हैं, इसके विपरीत यदि एक या अधिक प्रकार के साधन की प्राप्ति में नई बढ़िनाइया पैदा होती है तो आदर्शाकार में कमी हो सकती है।

### आदर्शाकार (Optimum Size) या सर्वोत्कृष्ट आकार को निर्धारित करने वाली शक्तियां

यदि यह मान लिया जाय कि बाजार वस्तु से वस्तु एक आदर्शाकार फर्म के सम्पूर्ण उत्पादन को खपा लेने के लिए पर्याप्त है तो वे शक्तियां, जो सर्वश्रेष्ठ आकार को निर्धारित करती हैं, पाच श्रेणियों में वाटी जा सकती हैं।<sup>1</sup> वे शक्तियां हैं : प्राविधिक शक्तियां, (Technical Forces), प्रबन्ध सम्बन्धी शक्तियां (Managerial Forces), जीवित तथा उत्तर-चाल (Forces of Risks and Fluctuation) की शक्तियां। इनमें से प्रत्येक शक्ति में मेल लाते हुए एक आदर्शाकार इकाई है जिसे श्रमदा, प्राविधिक आदर्श इकाई, प्रबन्ध आदर्श-इकाई, वित्तीय आदर्श इकाई, बाजार-आदर्श इकाई तथा जीवत्सु (Surviving) आदर्श इकाई कहा जाता है। विभी व्यावसायिक इकाई का अन्तिम आकार अन्तत विभिन्न आदर्श आकारों के एक द्वारे से मुक्त हो जाने पर निर्भर करता है। अब हम इन विभिन्न आदर्श इकाइयों पर विचार करेंगे।

प्राविधिक आदर्शाकार इकाई (The Optimum Technical Unit) प्राविधिक विशेषज्ञ के द्वारा प्राविधिक आदर्शाकार निर्धारित होता है और वास्तव आदर्शाकार विन्युल छोड़ दिये जाने हैं। यह (१) अन्विभाजन तथा (२) प्रक्रियाओं के समेकन के आविष्कार लाभ वा परिणाम है।

1. Robinson, op cit pp. 16-17.

श्रम-विभाजन के मुख्य आर्थिक लाभ हैं (क) प्रन्येक श्रमिक की कुशलता में वृद्धि, (ख) उम समय की बचत, जो एक काम में दूसरे काम के लिए स्थानान्तरण में बर्बाद होना है; तथा (ग) दड़ो-बड़ो मरीजों का आविष्कार जो श्रम में कमी करना तथा एक आदमी को अनेक लाइमियों के बराबर काम करने में समर्थ करता है। श्रम-विभाजन के सिद्धान्त के लिए आवश्यक है कि फर्म इनना बड़ा हो कि वह अधिक से अधिक लाभदायक श्रम-विभाजन के लायक हो। जब वहुत से कामों की अपशा कम यानिक सचालना का स्थान लेने के लिए किसी बड़ी मरीजों का रूप निर्धारण किया जाता है तब समेकन की दर्शकता होनी है। श्रमविभाजन की प्रक्रिया उलट जाती है और किसी काम को पूर्ति के द्विगुण पहले को अपेक्षा कम निर्मित प्रक्रिया को आवश्यकता होनी है। समेकन से जो आर्थिक लाभ प्राप्त होने हैं वे हैं नियन लागत व्यय में कमी तथा उत्पादन की वृद्धि के अनुपात में निर्माण तथा सचालन व्यय में कम वृद्धि। प्रक्रियाओं के सतुलन से प्राविधिक इकाई निर्धारित होनी है। हो सकता है कि आर्थिक लाभों का होना भी बन्द हो जाय लेकिन आर्थिक हानियों का होना अवश्य हो बन्द हो जायगा। यही कारण है कि प्राविधिक आदर्श-कार इकाई न्यूनतम, न कि अधिकतम, परिमाण निर्धारित करती है, अधिकतम इकाई का निर्धारण अन्य शक्तियों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए यदि १०,००० इकाई के उत्पादन में ही आर्थिक लाभ अपनी जनिम सौमा पर पहुंच जाने हैं और १०,००० इकाई से अधिक उत्पादन के बाद भी आर्थिक हानि शुरू नहीं होती है तो प्राविधिक आदर्शकार का न्यूनतम आकार १०,००० इकाई का उत्पादन ही है और अधिकतम आकार का निर्धारण तो अन्य शक्तियों के द्वारा होगा।

**प्रबन्ध सम्बन्धी आदर्शकार इकाई (The Managerial Optimum Unit)**—ऐसी इकाई भी प्रबन्ध-सम्बन्धी कृत्यों (Functions) की प्रक्रिया में श्रम-विभाजन तथा समेकन के आर्थिक लाभों व हानियों का परिणाम है। इस सम्बन्ध में श्रम-विभाजन का आर्थिक लाभ यह है कि विशिष्ट पोष्यता का पूरा उपयोग किया जा सकता है तथा किसी काम के सम्बन्ध में पूरी जानकारी इस काम पर ध्यान-मण्डना के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उम प्रबन्धकर्ता को, जिसे कच्चे माल का क्रय करना है, पहले जमाने के प्रबन्धकर्ता की तरह अन्य सैकड़ों प्रकार के बोझ से पिछना नहीं है। लेखापाल को लेता की बहियों तथा टाइपराइटर दोनों जगह काम नहीं करना पड़ता। यहा प्रतिभावा के समेकन का उदाहरण मरीज वही लेखन (Machine Book Keeping) है। प्राविधिक शक्तियों के विपरीत, इस अवस्था में आर्थिक लाभों की समाप्ति के शोध परचान् ही आर्थिक हानिया शुरू हो जाती है। एक अमुक आकार के बाद मूल्यांकन (Co-ordination) या समन्वय में पैदा होने वाली कठिनाइया ही प्रबन्ध-सम्बन्धी आदर्शकार इकाई की उपर्योगी और निचली सौमांगी का निर्धारण करती है। अधिकार समर्त्तण (Delegation of authority) के हेतु उर्मचारी मूल्याय (Staff) सगड़न के विभिन्न प्रणालियों को काम में लाकर प्रबन्ध-सम्बन्धी आदर्शकार इकाई को अधिक प्रशस्त करने के लिए प्रयत्न किये जाने हैं, रेता व कर्मचारों समुदाय प्रगति (Line and Staff

System) तथा इत्यीय योजना (Functional Plan) गेमे प्रवत्ता के विषय उदाहरण हैं।

**आदर्शकार वित्तीय इकाई (Optimum Financial Unit)**—विनी पर्म की उत्पादन लागत उम पर्म की पूजी प्राप्ति योग्यता पर भी निर्भर करती है। पूजी उगाहने का वार्ष कर्म के आकार तथा दाचे दाता का प्रभावित करता है, प्रयत्न तो व्याज के दर द्वारा और द्वितीय, किसी समय म अमुक व्याज दर पर विभिन्न बोटि के फर्म निनी रखम उगाह सकते हैं। वडे आकार के पर्म की इस सम्बन्ध म हमेशा मुविया प्राप्त है। व्याकि पर्म आकार म जिनना ही बड़ेगा उम जतने ही सम्ने दर पर पूजी प्राप्त होगी। उत्पादन विस रीति मे बढ़ा जायगा, वित्तीय व्यय उसी रीति म कम होना जाता है। अतएव वित्तीय शक्ति न्यूनतम या अधिकतम आकार का निर्धारण नहो करती।

**बाजार सम्बन्धी आदर्शकार इकाई**—विनी पर्म के सम्पूर्ण व्यय पर अपवित्र का पर्याप्त प्रभाव रहता है। अत ये आदर्शकार पर्म तथा उद्योग के दाचे को पर्याप्तत प्रभावित करते हैं। आदर्शकार बाजार इकाई बूहत तथा विक्रय के आर्थिक लाभ व हानियो या परिणाम है। जब कोई बड़ा पर्म बड़ी भृत्या मे खरीदारी करता है तो वह सर्ते दाम पर चोजो की खरीद वर सकता है। उमने मोल-भाव बरने की अधिक शक्ति होती है, वह विशेषज्ञता की सेवाय प्राप्त कर सकता है, तथा वह यातायात व्यय म बचत कर सकता है, लेकिन बड़ा पर्म खरीदारी म वी गयी गलतियों का आसानी से निराकरण नही कर सकता। बूहत परिमाण विनी के ये आर्थिक लाभ हैं पर्यट्का की दिनी म बचत, कम स्टाक तथा व्याज में बचत तथा पर्म के द्वारा बनेव कोटि के स्टाक रखे जाने की क्षमता म बृद्धि। जा पर्म मतत घटता जाता है, वह विनी सम्बन्धी आर्थिक लाभो को उस अवस्था म भी प्राप्त कर सकता है। जब उमने प्राविधिक आदर्शकार इकाई तथा प्रबन्ध आदर्शकार इनाई प्राप्त कर ली है। अत पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था म बूहतर उत्पादन से हान बाली हानियो के मुकाबल मे आर्थिक लाभ के बाद जा यप प्राप्त होगा, उमो मे सन्तुलन वी प्राप्ति होगी। पर अपूर्ण प्रतियोगिता की हालत मे यह सम्भव नही कि पर्म विक्रय आदर्शकार प्राप्त कर सके।

**आदर्शकार जीव सु इकाई (The Optimum Survival Unit)**—जब तब हम लागा ने यह मान रखा है कि उत्पादित माल की माग बरारर कायम है। लेकिन व्यवहार म माग सम्बन्धी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ करता है। माग में परिवर्तन की सम्भा बना एव अनिश्चितता पर पैदा देती है तथा उत्पादनवनी को अपने पर्म की आकर योजना बनाते ममय इम परिवर्तन का खयाल रखना पड़ता है। जब माग स्थिर है तब उत्पादनवनी यह चाहेगा कि उमका पर्म सर्वाधिक दश आकार बाहो, तथा वह सर्वाधिक विशिष्ट मशीनों का उपयोग करेगा। लेकिन, यदि माग बदल गयी तो विशिष्ट मशीनों को अन्य बोटि के माल उत्पादन के लियह नही बनाया जा सकता। अन उस पर्म की समाप्ति हो जानी है। इमके विपरीन वह पर्म, जो स्थिर माग की दृष्टि से अपनी मशीनों की सापेक्षिक अविशिष्टता के कारण कम कुशल है, माग के परिवर्तन होने पर आसानी से अपने को नयीनयी बोटि के माल उत्पादन के लायक

बना सकती है। अतएव माग परिवर्तन की सम्भावना लघुतर आदर्शाकार जीवलम् इकाई का बारण बन जानी है।

किसी फर्म ने विस हृद तक आदर्शाकार को प्राप्ति में सफलता प्राप्त की है—यह व्यवसाय की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ऐसा हो सकता है कि यदि किसी फर्म ने प्राविधिक या प्रबन्ध-सम्बन्धी आदर्शाकार की प्राप्ति कर ली है तो उसने अन्य प्रकार के भी आदर्शाकार की प्राप्ति कर ली हो। नितिय उद्योगों को इस दृष्टि से अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक सुविधा प्राप्त होती है क्योंकि विभिन्न प्रकार के आदर्शाकार उत्पादन की एक ही मात्रा में समान रूप से सहायक हो और साहसी को शायद ही किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। लेकिन अनुभव बताता है कि कठिन शक्तियों के सम्बन्ध में जो आदर्शाकार व्यवसाय के एक अमुक आवार म प्राप्त हो जाना है वह आवार दूसरी कोटि की शक्ति के लिए अनुकूल नहीं होता। उदाहरण के लिए प्राविधिक आदर्शाकार इकाई १५००० इकाइयों की हो सकती है, प्रबन्ध-सम्बन्धी आदर्शाकार इकाई १२००० इकाइयों की तथा बाजार आदर्शाकार इकाई २०,००० इकाइयों की और इसी प्रकार आगे। अन्तिम आदर्शाकार उस उत्पादन दर के द्वारा निर्धारित होता है जिस पर मध्यूर्ण आर्थिक लाभ सम्पूर्ण आर्थिक हानिया से सन्तुलित हो जाना है। इस कठिनाई से पैदा होने वाली समस्या मामूली नहीं है। इस समस्या का हल निकालने के प्रयत्न ने आधुनिक व्यावसायिक दावे पर अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया छोड़ी है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक सुगठित फर्म इसलिए सुगठित है कि इसका प्रबन्ध आदर्शाकार अन्य आदर्शाकार इकाइयों से बढ़ा है। इजीनियरिंग उद्योग में यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि प्रविधि की दृष्टि से आदर्शाकार एक सचालन सम्बन्धी संगठन की अपेक्षा बड़ा है। वृहृ भण्डारों तथा एक ही फर्म की बहुत सारी दुकानों के उन्नभव तथा बाजार सम्बन्धी आदर्शाकार के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है।

उपर्युक्त विवेचन विन्कुल सामान्य विवेचन है यद्यपि उसमें प्रायः सभी उद्योगों में पायी जाने वाली एक प्रवृत्ति का उल्लेख है—वह प्रवृत्ति है उत्पादन के औसत व्यय को कम से कम करना। आदर्शाकार फर्म वास्तव में है या नहीं, यह सदिगम है, क्योंकि फर्म आदर्शाकार तभी हो सकती है जब सम्पूर्ण बाजार का क्षेत्र बड़ा हो तथा प्रतियोगिता पूर्ण हो। यदि प्रतियोगिता पूर्ण है, तब फर्मों के आदर्शाकार होने की प्रवृत्ति जोर पर होगी क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता माग मूल्य को सर्वाधिक दक्ष आकार वाली फर्म की उत्पादन लागत ने अधिक नहीं होने देगी। जो फर्म आदर्शाकार फर्म से कम या अधिक उत्पादन करेगी उसका उत्पादन लागत व्यय औसत लागत व्यय से अधिक होगा। जन इमार उत्पादन हानिवारक होगा और अन्तिमत्वा इनकी स्थिति समाप्त हो जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में केवल आदर्शाकार फर्म ही अपनी उत्पादन लागत पूरी तर मात्री है। जब किसी फर्म की सीमान आय सीमान लागत के बराबर हो तब यह फर्म सन्तुलन (Equilibrium) की प्राप्त होती है। विक्रय मूल्य की सीमान आय कुल आय में एक योग है जो उत्पादन की एक और इकाई की विशेषता में प्राप्त होती है। सीमान्त लागत कुल लागत में योग है जो एक और इकाई के

उत्पादन के कारण व्यय करना पड़ता है। जब तक सीमान्त आय सीमान्त लागत से अधिक है फर्म की प्रवृत्ति बढ़ने की रुही है, लेकिन जब सीमान्त लागत सीमान्त आय से अधिक है तो फर्म को प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होगी। पूर्ण प्रतियोगिता को अवस्था में सीमान्त आय सीमान्त बीमत के बराबर होती है, अतः सीमान्त आय तथा सीमान्त लागत बीमत के बराबर हो जाती है। जब फर्मों की सह्या कई होती है तब बीमत सन्तुलन में औसत लागत के बराबर होती है अन्यथा पुराने फर्म मिट जायेंगे और नये फर्म व्यवसाय में प्रविष्ट होंगे। अतएव, औसत लागत को सीमान्त लागत के बराबर हाना ही चाहिए और ये दोनों बीमत के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, यह फर्म आदर्शाकार को प्राप्त हुआ है और इसकी औसत लागत में कमी होना बन्द हो गया, लेकिन इसमें बृद्धि शुरू नहीं हुई है तब यह साफ़ है कि ऐसी स्थिति में औसत लागत सीमान्त लागत के बराबर हो। जब प्रतियोगिता पूर्ण है तब परिस्थिति अधिक पेचीदा होती है। एवं सीमा तब तो फर्म को औसत लागत कम करने की सम्भावना को ढूढ़ निकालने की प्रेरणा मिलती है किन्तु उच्चोग के कुछ उत्पादन को दृष्टि से इमारा उत्पादन अधिक है। अत हा सकता है कि विभिन्न बीमत में कटौती किये बिना उसके लिए अत्युत्पादिन मात्र का बेच हालता सम्भव नहीं हो। ऐसी हालत में औसत व्यय को कम करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना लाभदायक नहीं भी हो सकता है क्योंकि अधिक उत्पादन के कारण लागत में प्राप्त बचत से विकी मूल्य में कटौती के कारण घटा अधिक होगा। अपूर्ण प्रतियोगिता की हालत में फर्म के लिए आदर्शाकार की प्राप्ति बतौर सम्भव नहीं होती। वास्तविक दुनिया अपूर्ण प्रतियोगिता की दुनिया है तथा वास्तविक जीवन में याद ही आदर्शाकार की प्राप्ति होती हो। हम अपूर्ण मानवों के लिए आदर्शाकार अप्राप्य आदेश ही हैं।

### बृहत् व लघु व्यवसाय

#### बृहत् माप व लघु माप सचालन के जापेक्षिक लाभ

‘ऐसा मानने का तार्किक बारण है कि यान्विक तथा मानवीय विशेषीकरण (Specialisation) के लाभ उपलब्ध होने पर बृहत् माप उत्पादन का परिणाम विशेषतया बृहत्भाष्य फर्मों तथा प्लाटों में कार्यान्वित किये जाने पर, महत्तम दक्षता होती है।’<sup>1</sup> एक सगठन के अन्तर्गत बृहत् सचालन का उच्चोग बृहत् उत्पादन का द्योतक होता है। बृहत् माप सचालन के लाभों का इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है — (१) उत्पादन में मितव्यिता (Economy), (२) प्रबन्ध में मितव्यिता, (३) वित्तीय प्रशासन में मितव्यिता, (४) धानारक्षण में मितव्यिता।

उत्पादन में मितव्यिता—(१) वडा फर्म व्यवस्थ्य में बचत करता है क्योंकि यह ऊस्ता भाल तथा जलादन (Fuel) वडी मात्रा में और इसलिए मस्ता भी खरीदता है अत इसे रियायती भाड़ा देना पड़ता है और इस तरह ट्रान्सपोर्ट में अनेक प्रकार से बचत करता है। इसका परिणाम फोरेन्स के शब्दों में ‘बोक व्यवहार’ (Bulk Transaction) होता है जिसके फलस्वरूप बृहत् परिमाण में सौदा करने का व्य

लघु परिणाम में सौदा करने के व्यय से प्राप्त अधिक नहीं होता, और इस प्रकार प्रति इकाई लागत अपेक्षाकृत कम होती है। जिसी क्रम अभिकर्ता को १०,००० हजार ६० के आर्डर का सौदा करने में, या लिपिक को उसे दर्ज और नक्शी करने में उतना ही समय लगेगा, जितना १० ६० के आर्डर में।

(२) अम शब्दिन का अधिक लाभपूर्ण उपयोग हो सकता है क्योंकि प्रक्रियाओं का विभाजन सम्भव है जिसके परिणाम अभिविभाजन तथा विशेषीकरण के कारण बचत होता है।

(३) प्लाट तथा पूर्ति को अविलम्ब तथा पूरी क्षमता से चलाया जा सकता है। भाग का अदाज लगाया जा सकता है जिसमें मढ़ी तथा तेजी का भय नहीं रहता।

(४) सामान का अधिक फलदायक उपयोग हो सकता है—उत्पादन (By-Product) निर्माण द्वारा या वेकाम माल की थोक द्वारा।

(५) प्रमाणोकरण को आसानी से प्रयुक्त किया जा सकता है जिसका परिणाम प्रक्रियाओं के अन्तर्गत थ्रेण्टनर सूत्रोकरण (Better Coordination) होता है। और इस प्रकार बूहन्माप उत्पादन सम्भव हो जाता है।

(६) प्रति उत्पादित इकाई की कम लागत पर अनुसन्धानकर्ताओं के द्वारा खोज तथा विकास के कार्य चलाये जा सकते हैं। जिसका परिणाम उद्योग की प्राविधिक प्रक्रियाओं में बदलता होता है।

(७) बड़ा फर्म एक वस्तु के उत्पादन में वैसी विधिष्ठता प्राप्त कर सकता है कि वह प्लाट का उपयोग उस वस्तु के उत्पादन में कर सके।

प्रबन्ध में मितव्यिता—(१) प्रति इकाई उपरिव्यव (Overhead Cost) विशेषकर नियत प्रभार, उत्पादन के उत्पादन में नहीं बढ़ते।

(२) थ्रेण्टनम प्रबन्ध की व्यवस्था की जा सकती है जिसमें सर्वोच्च स्तरिक जिसे बूहन् व्यवसाय प्राप्त कर सकता है, व्यवसाय के विभिन्न विभागों का प्रबन्ध कर सकते हैं। बूहन् व्यवसाय प्रबन्ध के कृत्यों (Functions) जो बहुतेरे भागों में विभाजित कर देते हैं तथा प्रत्येक कृत्य के सम्पादन के लिए उन आदमियों को चुना जाना है जो उचित तथा अनुभव के कारण अपने स्थान के लिए सर्वाधिक अनुकूल होने हैं।

(३) बड़ा फर्म सगठन की मितव्यिता को प्राप्त कर सकता है। अम का अधिक पुराल सगठन तथा प्राप्त साधनों के अनुरूप होने की क्षमता सर्वदा सम्भव है। फर्म व्यवसाय जितना ही बड़ा होगा वह उतनी ही सूची के साथ योग्य आदमी को अनुकूल काम दे सकता है। यह विशेष योग्यता का भरपूर व्यवहार कर सकता है।

(४) बड़ा फर्म बहुत से पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, तथा गुप्त विधियों पर काप कर सकता है तथा इनका लाभ दूसरे प्लॉटों को दे सकता है, विभिन्न फर्मों तथा सर्वोच्च पेटेन्ट के सशोग के जरिये वह ऐसा कर सकता है और इस प्रकार वह फर्म की मितव्यिता या एकाधिपत्य का लाभ उठा सकता है।

(५) तुलनात्मक आलेखन (Comparative Accounting) उत्पादन मान की मितव्यिता, यथा लागत आलेखन, अपेक्षत प्रति इकाई कम

लागत पर व्यवहृत किये जा सकते हैं और माझंल की आन्तरिक बचत (Internal Economy) प्राप्त की जा सकती है।

वित्तीय प्रशासन में मित्तिष्यपिता—(१) बड़ा फर्म सकते दर पर पूँजी प्राप्त कर सकता है क्योंकि इसमें यहाँ पूँजी अधिक निरापद अवस्था में रहती है, और चूंकि इसका उपार्जन प्रायः बढ़ा होता है, अतः यह अपनी पूँजी का एक अच पूर्ण विनियुक्त कर सकता है। छोटे फर्म की बहुत थोड़ी अच पूँजी (Share Capital) होती है और उसे लघुकालीन-शर्त पर ऊंचे दर से नह लेना पड़ता है, अतः इसे बड़े फर्म की अपेक्षा जाक्षिम उठाना पड़ता है।

(२) बड़े फर्म को अपनी प्रतिभूतियों (Securities) के प्रबलन (Flotation) करने में छोटे फर्मों की अपेक्षा कम स्वर्चं लगता है। बड़े फर्म को लाभ तथा हानि के संचयन (Pooling of the Profits and Losses), बाह्य बाजार की अपस्थापना के अध्ययन की अधिक योग्यता तथा योग्यतर प्रशासन के बारण योग्यिम की मात्रा पर प्ल्यूप में कम होगी।

(३) बड़ा फर्म, वैयक्तिक तथा सामृद्धिक हृषि से छोटे फर्म की अपेक्षा आय सम्बन्धी स्थायित्व का अधिक प्रदर्शन कर सकता है। ऐसा इसीलिए होता है कि बड़े फर्म के लाभ और हानि की दर एक समुचित दायरे में घटती और बढ़ती है। इसके विपरीत फर्म जितना ही छाटा होगा लाभ तथा हानि की मात्रा उतनी ही बड़ी होगी। बहुत अधिक सफल छोटे व्यवसाय के लाभ की दर बहुत ही ऊंची होगा और हानि भी उस दर से होगी। लेकिन बड़े फर्म की ऐसी नितान्तता औसत के निष्ठ छोटी है।

(४) यह भी समझ है कि छोटे व्यवसाय का प्रत्याय (Return) मूलत लघुकालीन प्रत्याय हो। क्योंकि लागत के आवडे स्वामी सचालक की योग्यता तथा उसे प्रतिस्थापित करने की कठिनाई की पूर्ति करने की गुजाइन नहीं रख सकते। वैदल बड़ा फर्म ही आमनी से व्यवसाय की निरस्तरता को बिगाड़े बिना ऐसे प्रतिस्थापन का कार्य कर सकता है।

(५) मन्दी तथा व्यावसायिक कठिनाई के समय बड़े फर्म को अपेक्षत अधिक वित्तीय साधन प्राप्त हो सकते हैं। यद्यपि सभी व्यवसाय में अनिश्चितता के तत्व विद्यमान है, पर भी इसका वास्तविक प्रभाव बड़े इकाई पर थोड़ा और छाटी इकाई पर अधिक होता है। हो सकता है कि छोटे व्यवसायी का बच जाना किसी एक व्यवहार (लेन देन) की सफलता पर आधारित हो। इसके विपरीत बड़े फर्म वो साधन अधिक प्राप्त होते हैं तथा आय अनेक कोटि की होती है। हानि तथा विपलनाओं की सख्त छोटे मनुष्यों की मोलिक बमजोरी का इजहार पेन करती है।

(६) एवं बड़ी बम्पनी अपनी हानि को अपने लाभ से मन्तुरित करते, वो प्रबृत्ति रखती है, यह निज का बीमा व्यवसाय बरतती है जो छोटा फर्म करने में असमर्थ है। जब एक क्षेत्र में कार्य बन्द हो जाता है तो नये क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि वर्ष का लाभ नये माल के प्रबोग लागत के बारण कम हो जायेगा, लेकिन व्यवसाय का समामेलित व्यवितरण प्रतिवर्ष बना रहेगा। हो सकता है कि अद्यधारी को

बैंकिंग रीनि पर थोड़ा कम मुनाफ़ा मिले लेकिन लाभ पाने की निश्चिनता लघुप्रत्याय से होने वाली हानि को पूर्ण कर सकती है।

(७) जरोव्य क्रणों के उन्मूलित होने की ज्बादा सम्भावना है। फर्म के एकान्तिक (Monopolistic) होने पर क्रणों क्रण का नुगनन करने से इनकार नहीं कर सकता, चूंकि उनको यह डर बना रहा हि कि उने माल का मिलना बन्द हो जाय।

बाजारदारी में मितव्यधिता—(१) बड़े परिमाण में विक्री के द्वारा बड़े फर्म की विक्री व्यय में बचन होनी है। योक परिमाण में माल दूसरी बगह भेजे जा सकते हैं जिनका परिष्याम प्रति इकाई प्रेयिन माल में बचन होता है।

(२) विज्ञापन लागत प्रति उन्मादित इकाई बहुत कम होनी दृष्टि विज्ञापन पर सर्व की गदी रकम बास्तव में बहुत अधिक हो सकती है।

(३) बड़ा फर्म लान्पूर्ण रीनि से वित्त और वितरण जमिक्ताओं को कार्यस्त रख सकता है।

(४) सभी चालू किस्म के मालों की पूर्णी की जा सकती है लेकिन केवल उन्हीं घनों के द्वारा जिनका पार्टिकल समेक्षन (Lateral Integration) हुआ है।

(५) बड़ा फर्म प्राप्त आदेमों को पूर्णी धीधृता में कर सकता है चाहे उन आदेमों का जाकार जितना ही बड़ा क्यों न हो।

(६) चूंकि बड़ा फर्म देग भर के बाजार के लिए सब तरह के मालों का निर्माण करता है, अब यह दोहरे भाड़े (Cross Freight) को समाप्त कर सकता है। ऐसा देग के विभिन्न भागों में उमी प्रशार की विभिन्न घनों के संयोग के द्वारा हो सकता है।

(७) व्यवसाय वित्तार के साथ व्यापार चिह्न (Trade Mark), स्थानीय तथा डिजाइन के मूल्य में बुद्धि होगी।

दड़े फर्म की दर्बलनाएँ—जिनुएँ छोटे आदमी को कुछ ऐसी युविधायें प्राप्त हैं जो इनिय परिस्थितियों में उने सफलतापूर्वक बड़े नियन्ति कर्ता (Manufacturer) या व्यापारी से प्रियोंगिना करने में समर्थ कर सकती हैं, और इन्हीं कारणों से किर भी छोटे फर्म सफलतापूर्वक कार्यम हैं यद्यपि दीर्घमात्र सचालन की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक दीर्घमात्र नियोक्ता कुछ हद तक अपने मानहन काम करने वाले व्यवस्थापनों को देख पर नियंत्र करता है; हाल हि उने ऐसा अवसर प्राप्त है कि वह मण्डन-योग्यता वाले व्यक्तियों को बुने, किर भी उम्मा चुनाव दोपुर्व हो सकता है। हो सकता है कि उन्हें द्वारा नियुक्त विषे आदमी में सफलता के अविकाम तत्व विद्यमान हो, लेकिन नैनियता का अन्य दोष की बजह ने उन्हें पूर्णप ने विश्वासनामना की कमी हो। जो भी हो, यह सम्भव नहीं कि एक देनदारी प्रबन्धकर्ता या व्यवस्थापन उन्होंना ही दिल लगापर काम करे जिनका कि वह व्यक्ति, जिनकी नैनियता व विस्तृत अपने ही नौजने-पन पर नियंत्र करती है। पुनः एक छोटा नियुक्तिकर्ता (Employer), दृनियत्र दम जादमी के जो अपनी शक्ति के वितरण के कारण लाभ उठाता है, प्रवद्या निरीक्षा के

कारण निस्सन्देह अधिक लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त वहे फर्म में ऐसे बहुत से काम हैं जो वस्तुत आवश्यक हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायक नहीं हैं, जैसे वही लेखन की लम्बी प्रणालिया, जो छोटे फर्म में बहुत थोड़ी है। वहे फर्म वे बहुत् स्टार्ट से जो लाभ प्राप्त होता है वह छाटे फर्म म छोटे आदमियों वे द्वारा वैयक्तिक आवश्यकताओं के लिये अध्ययन के बाराबर हो सकता है। कुछ ऐसे व्यापार में भी, जहाँ पूजीवाड़ सर्वोपरि हैं, हाथ का काम बिल्कुल समाप्त ही नहीं हो गया है। बहुत से जूता बनाने वाले वैयक्तिक अवस्थाओं का ऐसा अध्ययन बरते हैं कि हाथ से बनाये गये जूते में विशिष्टता प्राप्त बरना ही इनके लिए लाभदायक है।

लेकिन वहे फर्म की छोटे फर्म से तुलना में कार्ड लाभ नहीं क्योंकि बहुत उत्पादन के लाभ इनने सुनिश्चित हैं। इस सम्बन्ध में यह समझ रखना चाहिए कि बतिपय निर्धारित अवस्थाओं में फर्म की वृद्धि पर एक स्वाभाविक राव रग जाती है और वे शक्तियाँ जो ऐसे राव रग जाती हैं लघुतम व्यवसाय की अद्युष्णता को बनाये रखती हैं।

यह भी नहीं भूला चाहिए कि दीर्घमाप व्यवसाय का विकास विवेकरहित आशय (Irrational Motive), बाणिज्य सम्बन्धी प्रतिष्ठा की अभिलापा, प्रभुव के लिए सध्य और अन्त में प्राप्ति विप्रयक्त तृप्ति से निधारित होता है। ऐसे विचारों का वार्यन्वयन और अधिक वढ़ जाता है, यदि फर्मों की तथाक्षयित स्वयं अर्थपूर्ण प्रबन्धक अभिवर्ताओं द्वारा वढ़ जाती है और इस प्रकार फर्म को पूजी बाजार पर निर्भर रह बिना विस्तृत होने का अवसर मिल जाय और परिणामस्वरूप उसे व्याजदर नियमन से छुट्टी मिल जाय। दूसरा हानिकारक सामाजिक परिणाम यह होता है बहुतमाप उत्पादन कमचारियों को श्रमिक वर्ग की श्रेणी में परिणत कर देता है। इन बतिपय निष्पत्ति की दृष्टि से हम बहुत भाल परिवालन (Large Scale Operation) के प्राप्त वरन वी विविध विधियों पर धिकार बरगे।

बहुतमाप परिवालन वो वार्यान्वयन करने की विधियाँ—हम लागो ने आगे यह देखा कि व्यवसाय सम्भालनों की (Business Undertakings) अन्त की प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है। प्रथम विधि है कि वी एक प्लाट या सम्भालन की प्रदृश विकास या समुच्चयन से स्वाभाविक वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि रूप में बेंद्र मूर्झ (Concentric) होती है, क्योंकि प्लाट दौरे विभी उत्तरवासीय परिवर्तन, वे अपने मूल के इदं गिर्द ही प्रिस्तार प्राप्त करता जाना है। उदाहरण एक बपड़े की मिल बेंद्र १०,००० तकूर भ उत्पादन वार्य प्रारम्भ करे लेकिन वर्षों तक समयन्वयन पर तकुआ की सम्भा में वृद्धि करती जाय और जन्त म तकुआ की सम्भा १००,००० हो जाय जो किसी एक इकाई के लिए अधिकतम सम्भा है। दूसरी विधि है कि वी एक नियन्त्रण के अतर्गत समान या असमान सम्भालन के ममित्रण या बैन्ड्रिंग के द्वारा वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि एकीकरण (Integration) के द्वारा होती है। यह एकीकरण (१) क्षैतिज (Horizontal) (२) लंब (Vertical) स्वतंत्रीय या भुजीय (Lateral) तथा कर्णीय (Diagonal) हो सकता है।

क्षेत्रिज या समानान्तर या इकाई एकीकरण —जहाँ वैसी इकाइयाँ या औद्योगिक संस्थाएँ जो एक ही प्रश्नार की बस्तुएँ, जैसे मोटर गाडिया, बनाने में सलग हैं एक व्यवस्था के अन्तर्गत कर दी जाती हैं वहाँ क्षेत्रिज सम्पर्क का उद्भव होता है। यहाँ दो या अधिक फैक्टरिया जो उत्पादन की एक व्यवस्था में सलग हैं, सम्पर्क हो जाती हैं। जो

क्षैतिज एकोकरण

### (Horizontal Integration)

१	मोटर गाडिया	माटर गाडिया	मोटर गाडिया	→बाजार
२	कपड़े की मिल	कपड़े की मिल	कपड़े की मिल	→बाजार
३	खांड की मिल	खांड की मिल	खांड की मिल	→बाजार
४	कोयले के स्थानीय व्यापारी	कोयले के स्थानीय व्यापारी	कोयले के स्थानीय व्यापारी	→बाजार

ପିଲ୍ଲାରୀ


फर्म एक ही धरातल या व्यवसाय में एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी हैं। पा जो समान व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, एक दूसरे के पास सयुक्त हो जाते हैं। यह सबसे अधिक प्रबलित कोटि का एकीकरण है जो उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक हानिप्रद सिद्ध हुआ है। यह एका-धिपत्य स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

झौतिज एकीकरण से होने वाले लाभ महत्वपूर्ण हैं। केन्द्रीयत घोक सरीदा, बेंग्रीयत विशिष्ट सेवाओं, जैसे सोज व इजोनियरिंग तथा सम्मिश्र विज्ञापन, के लाभ अमरिदाय हैं। ऐसा सम्भव है कि सम्मिश्रण (Consolidation) के द्वारा प्लॉटो की पुनर्व्यवस्था के परिणामस्वरूप एक ही स्थान पर अधिकतम मात्रा म उत्पादन हो, तबा प्रत्येक प्लॉट को सर्वाधिक अनुकूल काम मिले। सबसे बड़ा लाभ यह है प्रतिसौगितात्मक बल में अधिक बढ़ि हो जाती है, क्योंकि सम्मिश्रण से बाजार मूल्यों पर नियन्त्रण का दायरा बड़ जाता है।

**लम्ब या प्रक्रिया एकीकरण (Vertical or Process Integration) —** लम्ब एकीकरण से जो आकार वृद्धि होती है वह क्षेत्रिक एकीकरण वाली आकार वृद्धि से बहुत भिन्न है। लम्ब एकीकरण के अन्तर्गत उन समझनों का एकीकरण होता है जो विभिन्न पर्याप्तता पर स्थित होते हैं या जो एक ही उद्योग की क्रमिक व्यवस्थाओं या व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह निमित्त वस्तु की निमित्त प्रतिक्रियाओं या अपरस्थाओं का ऐक्य है जो बच्चे माल से प्रारम्भ होते रियलिटि से गुजरते हुए, निमित्त वस्तु तथा तन्मन्दनीय वितरण में समाप्त होता है। जो समझन संयुक्त होते हैं वे एक दूसरे के प्रतिफ़िल्डों नहीं बन्दि एक वे ऊपर दूसरा इस भावि स्थित होते हैं और एक, दूसरे की निमित्त वस्तु का बच्चे माल की तरह प्राप्त करता है। उभयन की प्रत्येक इकाई एक निमित्त वस्तु बनाती है जो दूसरी प्रक्रिया (इकाई) के लिए कच्चा माल हो जाती है, इस तरह यह काम उस समय तक चलता है जब तक वस्तु पूर्ण होता रहता है। लम्ब एकीकरण का उल्लेखनीय उद-

है बच्चा लोहा (Pig Iron), लोहे की गलाई (Smelting) तथा लोहे के इस्तान में तरह-नरह की चीजों का निर्माण। टेक्नोलॉजी उद्योग द्वारा उत्पादित है जहा धुनाई, क्लार्ट तथा बुनाई जैसी सम्बद्ध प्रक्रियाएँ एवं मण्डन के अन्तर्गत सम्पादित होती हैं। ऐसे एकीकरण में आधारभूत (Basic) या विनियोग (Extractive) से लेकर निर्मित वस्तु तक—ओर बाजारदारी तक भी, सभी अवस्थाएँ एवं में मिल जाती हैं। इन अवस्थाओं को प्राप्त उदारणात्मक (Extractive) (कच्चा माल) विशेषणात्मक (Analytical) (वज्रों का तत्त्वज्ञान) (Fabrication), एकीकरण निर्मित माल बनाने के लिए बड़ा काम का एकत्रित करना (Assembling) तथा बाजारदारी (Marketing) कहा जाना है। इमारे देश में रेल के धोर में हम लम्बे एकीकरण का उत्पादन पाने हैं। उत्पादन दॉ० पी० रेलवे जौ० आई० पी० रेलवे के माध्यम से है या ईम्ट इंडिया रेलवे के माध्यम वी० वी० वी० आई० रेलवे के माध्यम और व्यावहारिक क्षेत्र में पह मरी रेले एवं प्रगारी वी० तरह बाम बरनी है। हम लोग इस तरह एकीकरण की व्याव्या करने के लिए मोटरगाड़ी निर्मित वा उत्पादन लेंगे।

### स्वयं एकीकरण (Vertical Integration)



वित्र नू० २

यह उत्तर दक्षिणी के एकीकरण वा उत्पादन है जो नामान्यत स्वतंत्र है या कम में बहुत अन्तर हात दर्शाने व्यक्तिय थी। यहाँ पर वाले विचारणरिय हैं कि यह उन भूमिगतों का पूर्ण एकीकृत समूह है जिसमें कच्चे पाइ ने विक्री माल भूटांग गुड़ी की निर्मिति के लिए सभी प्रक्रियाएँ सम्पादित होती हैं। एकीकरण के पृष्ठे व्यवस्था माल बच्चा लोहा, बोयलर, जगड़ का स्वामित्व—जीने विभिन्न पर्मों के हाथ में होता तथा खगड़ी, कपड़ा बनाई, लकड़ी विराई तथा दीदा निर्माण कर्दि अन्य विभिन्न पर्मों के द्वारा सम्पादित होते हैं। मोटरगाड़ी निर्माता मोटरगाड़ी वा प्रेम पहिया बोदि बनाने

के गिए इस्पात सरीरेंगा लेकिन एकले तथा अन्य बहुत से पुर्जे दूनरे से बनवायेगा। एकीकरण के काम की समाप्ति के बाद वह भोटरगाड़ी को बाढ़ी दूसरी जगह बनायेगा। जब माल विश्री के लिए बनकर तैयार हैं तब वह विश्री का कार्य किसी विनाश कम्पनी को नौंच देगा। जब एकीकरण हो जाने के बाद सभी व्यक्तियाएँ कच्चे माल से माटर-गाड़ी निर्माण तक इक ही सगड़न के हाथ में हैं।

एकीकरण उम्म निर्माण से आरम्भ हो सकता है जो पूर्ण तथा बाजार पर नियन्त्रण की अनिलापा करता है, यह उम्म विनाश में प्रारम्भ हो सकता है जो विकेय मार पर ज्ञाता बच्छा नियन्त्रण चाहता है, यह कच्चे माल के उस उत्पादन कर्ता से प्रारम्भ हो सकता है जो माल का विकास चाहता है या इसकी उन्नति सभी पक्षों के पारस्परिक हितों को मान्यता के फलस्वरूप हो सकती है।<sup>1</sup>

उन उद्योगों में जिनमें निर्माणित लक्षण पाये जाने हैं, उन्हें एकीकरण की प्रवृत्ति पायी जानी है।

(१) जहाँ उत्पादित माल का गुण (quality) महत्वपूर्ण है। यहाँ निर्मित माल कच्चे माल का निर्धारण करता है। अतः कच्चे माल पर नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है।

(२) जहाँ एक उद्योग का निर्मित माल दूसरे उद्योग के द्वारा कच्चे माल की रख है व्यवहृत होता है।

(३) जहाँ एक प्रक्रिया का अन्त स्वभावत दूसरी प्रक्रिया के आरम्भ में होता है।

(४) जहाँ 'सन्तुलित उत्पादन' महत्वपूर्ण है यानी निर्मिति के प्रयोग स्तर पर विन्कुल उचित परिमाण में उत्पादन, जैसे कताई और दुनाई, किया जा सके।


(५) जहाँ सुपुर्दगी (Delivery) के समय को दृष्टि में रखकर पूर्ति का नियन्त्रण करता है। एकीकरण इस दिशा में सहायता प्रदान करता है कि प्रत्येक प्लाट में बहुत से कम माल का स्टॉक रखा जा सके।

मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि गुण-प्रधान मालों का उत्पादन करने वाले एकीकृत होते हैं तथा सस्ते मालों का उत्पादन करने वाले एक दूसरे से अलग होते हैं। निसन्देह यह एकीकरण भाड़ारीकरण (Storage) वित्त, क्या निरीक्षण तथा उत्पादन की एक बबस्त्या में दूसरी बबस्त्या में माल को ले जाने में परिवहन व्यय की दृष्टि से पूँजी की बचत करता है। ऐसिन बूहतम् उद्योगों को छोड़कर उन्हें एकीकरण शायद ही प्रगति कर सकता है, इस एकीकरण को उत्पादित माल की सादी तथा तम्भन्ता ने बढ़ी सहायिता होती है। लेविन चूंकि उपक्रम का बड़ा होना आवश्यक है, अतः इसका सफलनापूर्वक नियन्त्रण करना और विशेषकर तब जब यह एकीकरण अमरमान इकाइयों से बना है, बहुत ही कठिन कार्य है। यद्यपि सगड़न के व्यवस्था की आधुनिक विधियों ने बहुत उपक्रमों को सफलतापूर्वक नियन्त्रित करना पहले से आसान बना दिया है किंतु भी स्तर पर उपक्रमों को सफलतापूर्वक नियन्त्रित करना पहले से आसान बना दिया है किंतु भी स्तर पर उपक्रमों को सफलतापूर्वक नियन्त्रित करना पहले से आसान

उद्योग में ऊचे दरज का एकीकरण हुआ है उनमें भी जोक्ष के अभाव की प्रवृत्ति रहता है तथा उन्ह उत्पादन में परिवर्तनों के अनुकूल हाना किन्तु है।

**भुजीय या सम्बद्धित एकीकरण (Lateral or Allied Integration)**—जहा विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ, फिर भी एक जाति की, एक ही समिति के द्वारा निर्मित की जाती हूँ, वहा भुजीय एकीकरण का जन्म हाता है। वहने ना अब यह है कि विश्लेषणात्मक अवस्था की प्राप्ति के बाद विभिन्न फर्म विभिन्न वस्तुएँ वार्ग अलग न बनाकर एक ही साथ ही जाते और तभ उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उदाहरणत जब कच्चा लोहा विश्लेषणात्मक अवस्था में गलाई को पार कर जाता है तब वह अनेकों प्रकार से तथा लाहा व इस्पत्त के माल निर्माण की बहुत सी प्रतियाओं में व्यवहृत होता है और इस प्रकार एक फर्म मुख्या बना सकती है, दूसरी चीज़ी, तीसरी पिन और चौथी मछुरी पासन की बसी। जब ये फर्म साथ ही जाते हैं लोहा गलान का काम तो एक स्थान पर होता है, और ये वस्तुएँ तथा अब बहुत सी मिलती-जुलती चीज़ एक ही फर्म के द्वारा निर्मित की जानी है। इसी प्रकार जब चमड़ा पका लिया गया हो तब घाड़े की जोन व लगाम, सूटबैम व थेले तथा बहुत-भी कमी चीज़ें (Gancy Goods) भुजीय एकीकरण के बाद वार्ग-अलग फर्म के द्वारा न बनायी जाकर एक ही कम के द्वारा बनाई जानी है। प्रोफर्मर क्लॉरेन्स के शब्द में इस एकीकरण के द्वारा हम 'प्रावार को अधिक प्रशस्त करते हैं।'


### भुजीय एकीकरण Lateral Integration



चित्र न० ३


भुजीय एकीकरण का प्रकार है विस्तारक (Divergent) तथा सकाचक (Convergent)। जब एक सामान से बहुत भी चीज़ बनायी जानी है तब एकीकरण विस्तारक होता है और जब विभिन्न वस्तु ये माला को एक वस्तु के निर्माण के लिए एकत्रित किया जाता है तब एकीकरण सकाचक होता है। विस्तारक एकीकरण में एक ही प्रक्रिया या उद्यग से तरह-तरह के माला का निर्माण होता है। लेकिन सकाचक एकीकरण की अवस्था में एक ही प्रक्रिया या बाजार में सामान के द्वीभूत होने हैं।

**विस्तारक भुजीय एकीकरण  
(Divergent Lateral Integration)**



चमड़ा कच्चे माल का उद्गम है जिसमें जीन, लगाम, जूते, सूटकेस हाथ के थेले फैन्सो माल आदि पूर्ण निर्भलते हैं। चूंकि ये सभी समान प्रक्रिया में निर्भलते हैं तथा सबों द्वा कच्चा माल ऐसा ही है, अतः थाक वी जर्य-प्रणाली लागू होती। अब ऐसा समान समान माल की सहीद करता है।

**संकोचक भुजीय एकीकरण  
(Convergent Lateral Integration)**



वित्र नं० ५

यह यह उल्लेखनीय है कि संकोचक एकीकरण में कच्चे माल अनेकों प्रकार के होते हैं, जैस पख, रोदा, इस्पात, लकड़ी का ढड़ा जिनमें भढ़लीमार (Angler) के लिये बनाये जाती है। वे सब एक ही बाजार में जमा होते हैं, अतः उन सबके लिए एक ही बाजार-व्यय होता है।

भुजीय एकीकरण लाभदायक रीति से उस स्थिति में किया जा सकता है जहाँ प्रक्रिया विशेष एक प्रकार के उत्पादन के लिए पूरे दौर से व्यवहृत बीं जा सकती है तथा दूसरे व तीसरे प्रकार की प्रक्रिया जो पहियों प्रक्रिया से प्रमूल होती है, वीच की रिक्तियाँ (gap) की पूर्ति करे। यह एकीकरण वहा भी व्यवहृत होता है जहाँ उत्पादन एक

दिशा म बढ़ने के बजाय कई दिशाओं में बढ़े और इन प्रकार उपादन भ्रम म जा रिक्त है, उमरीय पूर्ति के लिए जाखिम उठाय जा सकत है। इस उद्देश्य ने विभिन्न दिशीय विस्तारक एकीकरण का समग्र छाना किया यदि एक प्रकार के माल के लिए माग वर्ष हा नाय तो इस धर्ति की धूमि दूसरे प्रकार के माल उपादन की बृद्धि में हा। एक विष्म की पूर्ति की माग की समान्ति संपत्ति हानि वाल जाखिम या बढ़नी लागत संबंधी वर्ष हानि मुरीय एकीकरण का सामान और माल वा एकीकरण भी वहा जाता है।

**वर्णीय या सेवा एकीकरण(Divisional or Services Integration)**— सेवा एकीकरण की उपति उम समय हानी है, जब एक समग्र व्यापक अन्यत सम्पादित हानि वारी विभिन्न प्रकार की मुख्य उपादन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक महायर्ष माल व मायाओं की स्वयं व्यवस्था बर। उदाहरण एक संगठन व्यापक उपादन डिजायन या विकित की व्यवस्था बर सकता है, अपनी मरीन व औजार स्वयं कना सकता है, तबा फरमल वे लिए अपनी व्यापकी की समाजों वा उपयोग बर सकता है। हो सकता है कि यह संगठन व्यापक प्रधान माल वा विकी के लायक बनाने व लिए सहायक वस्तुओं वा निर्मित करे। उदाहरण के लिए भिगरट निर्माता टिन का डिव्या पैकेट बादि निर्माताओं से न सरीदरर स्वयं कनाय।

सेवा एकीकरण से यानायान (Transport) सवाद वहन (Communication) कायपालन या कायान्वयन (Execution) तथा निरीक्षण म भित्तयिता हानी है क्याकि अमवद्ध प्रक्रियाएं व सेवायें एक ही प्लाट के बलागत सम्पादित हाना है।

उपमहार—अन्न म यह निष्पर्य निकाय जा सकता है कि एकीकरण एक सापक्ष शब्द है, क्याकि व्यवहारत सभी औद्योगिक प्लाट विभी न कियी हृद तक एकीहृत होते हैं। लेकिन एकीकरण की माया अपरिवर्त्य नहीं हानी। कुछ टकमटाइड फम बुनाई और कताई दाना काय बरत है परलु कुछ बैवर युनाई का कार्य ही बरत है। कुछ फम ता विद्युत इस्तिन दी स्वयं व्यवस्था बरत है लेकिन दूसरे व्यवस्थाएं म स्थान है। इस प्रकार अन्य वई उदाहरण है। एकीकरण की माया इन्हीं वडी हो सकती है कि उमक अन्यान्य चारा प्रकार के एकीकरण आ जाए। उदाहरण के लिए तम्बाकू उचाग म तम्बाकू उचाग, तम्बाकू नैयार करता व्यवहार म बान वारी भरीने निर्मित करता, नगदार जड़ी, भिगर, भिगरट, पाइप तम्बाकू बनाना, लिको राट्म, टीन की परत, टिन का निया, पैकट तथा पैकज बनाना आदि और अन्न में पैट निर्मित माल की घुदरा विकी—य सभी काये करीब-करीब भुजीय तथा वर्णीय हप स एकीहृत बर दिये गय हैं। जब दो या अधिक फम जा एक प्रकार के काये बरते हैं संयुक्त हा जात है, तब हम थैनिज सपोग पाते हैं।

## अध्याय :: ४

# प्लांट का स्थान व अभिन्यास

(Plant Location and Layout)

वह क्षेत्र, जिसमें किसी फैक्ट्री की स्थापना होती है, प्राय मौके की बात है। लेकिन जिस रीति से वर्तिपय उद्योग किसी क्षेत्र से सम्बद्ध होते हैं, उससे उन घटकों का महत्व प्रकट होता है जो सस्थापन को प्रभावित करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि स्थानीय विषयमताओं को दूर करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है और इस तरह मशीनों तथा फैक्ट्री भवन के प्रमाणीकरण (Standardisation), भूति दर और व्याजदर के समतलीकरण (Levelling) और सुदूर क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं की आदतों के प्रमाणीकरण के द्वारा स्थापन घटकों की महत्ता कम कर दी गयी है, किर भी निर्माण उपकरण (Manufacturing Enterprise), और विशेषकर जब लघुमाल स्थापन हो, के लाभपूर्ण सचालन पर स्थान निश्चित रूप से अपना असर डालता है। दौड़े स्थापन का बाजार प्रधानत स्थानीय होता है तथा यह निकटस्थ विनियोक्ताओं को ही रखता है। किसी एक उद्योग के सम्बन्ध में स्थान की चाहे जो भी महत्ता हो, जब स्थान-सम्बन्धी निर्णय एक बार हो जाता है तब स्थानान्तरण की कठिनाइयों के कारण स्थान में परिवर्तन बरता बिल्कुल असम्भव हो जाता है। ऐसे अनेकों घटक हैं जो किसी पर्म या व्यवसाय के स्थापन को वरीव-करीव निर्धारित करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि किसी प्लाट का स्थान-निर्णय इस भाँति होना चाहिए कि जो लोग इसकी सफलता के अभिलाप्ती हैं वे लाभपूर्वक इनके माल की विक्री कर सकें तथा उसे कम से कम व्यव पर निर्मित कर सकें।

उन मौलिक घटकों को, जो सलाभ सचालन हित प्लाट का स्थान निर्धारित करते हैं, निम्नलिखित ध्रेणी में विवरण किया जा सकता है —

**क्षय—**

१. बच्चे माल से निकटता ।
- २ बच्चे माल तक पहुँचने की सुविधा ।

**निर्मिति—**

१. प्रहणशील (Adaptive) थर्म-समुदाय से निकटता ।
२. शक्ति-मत्तौ से निकटता ।
३. भरमनी बारखानों तक मुलभ पहुँच ।
४. अच्छे वैकों तथा उदार सम्बन्धी सुविधाओं से निकटता ।
५. पर्याप्त यानायात तथा सचार सुविधाएँ ।

६. सस्ती रीति पर प्लाट को निर्माण करने तथा विस्तृत करने की योग्यता ।
७. सरकारी नियमन तथा व्यायिक सहायता ।
८. आग दुश्याने की पर्याप्त मुद्रिता ।
९. शिक्षा के संगठन व विकास की अवस्था ।
१०. अनुदूल मिट्टी, जलवायु, तथा भूमि रखना ।

अन्य उद्योगों के साथ सम्बद्धता—

१. पूरक उद्योग ।
२. प्रतिफलन्द्वी उद्योग ।

३. प्रारम्भिक आरम्भ वा गतिलाभ (Momentum)

विक्रय—

१. बाजार से निकटता तथा पहुँच ।
२. आवादी ।
३. स्टाइल आनंदोलन ।

क्रप—

कच्चे माल से निकटता—कच्चे माल के प्राप्त करने में जो व्यय या लागत होती है उसका स्थान पर बढ़ा असर पड़ता है । कच्चे माल की लागत में वई प्रकार के व्यय सम्मिलित हो जाते हैं । आरम्भिक क्रय मूल्य, व्यय व्यय तथा भाड़े की दर के अतिरिक्त रिजर्व स्टाव के रखने में भी वित्तीय व्यय है जिनका इसमें जोड़ा जाना आवश्यक है । रिजर्व स्टाव का उत्तम अविकाप्य हो जाता है ताकि पूर्ति की अविकाप्यता (Irregularity of Supply) में होने वाली अविद्या में बचा जाय । कवालिटी या गुण के बदलने रहने के कारण उत्पादित माल में रद्दीबद्द रहने में जो खर्च पड़ते हैं वे भी इनी व्ययों में जाड़ लिये जाते हैं । भरोगे योग्य पूर्ति, मालों के विस्तर में जनेश्वरा—तात्त्वि मन-पसन्द माल चुने जाते हैं—का प्रभाव इनका अधिक होता है कि मोलिव पूर्ति के क्षेत्र के बजाय प्लाट को बड़े बाजार म जविक गफड़ा होगी । अपर्याप्त या दोषपूर्ण वर्गीकरण के कारण मोलिव पूर्ति की निकटता के बजाय प्लाट सकलनापूर्वक वैमें बाजार के निकट स्थित होगे जहां पूर्ति मिलनी हो तथा जहां माल एकत्रित लिये जाते हैं । सामग्री (Material) की दृष्टि से आदर्श स्थिति बहुत है जहां सभी घटनाएँ मिलने से निर्मित माल की प्रति इकाई कच्चे माल की लागत निम्नतम हो । व्यवहृत सामग्री की प्रति इकाई लागत में लागत की परीक्षा नहीं की जा सकती । व्यवहृत में सूनी उद्योग, बलवत्ता में पाठ उद्योग तथा जमशेदपुर म लौह या इस्पात उद्योग के स्थापन पर इसी घटना का प्रभाव पड़ा है । कच्चे माल की पूर्ति वे प्रभाव वे अतिरिक्त मोटे तौर पर पड़ोमें प्राप्त उन प्राहृतिक भावनों वा भी प्रभाव पड़ता है जिनका होना लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है । कच्चे माल की लागत न केवल उन प्राहृतिक साधनों पर निर्भर करती है जो प्रत्यक्ष रूप में उद्योग के काम में आने हैं, बरन् थम, पूँजी और व्यवस्था की स्थानीय लागत पर भी निर्भर करती है । फिर ये घटना इस दान पर निर्भर करते हैं तिं मनोव्यवनक जीवन-स्थापन के लिए आवश्यक चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलनी हैं या नहीं ।

इच्छे माल तक पहुँच—इसी सामान को भरपूर मात्रा में केवल उपलब्ध ही पर्याप्त नहीं। उपलब्धि तक आमतौर पर्याप्त सकता भी बाबद्दम्भक है। यदि वह क्षेत्र पहुँच के बाहर है तो उसका विद्योहन (Exploitation) भी नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुन वह उन सामग्री से रहता है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। कच्चे माल की उपलब्धि इन्हीं कठिन बात नहीं है जिन्हीं श्रमिकों की प्राप्ति। यदि अभीष्ट मामणी के माय वे सामग्रिया, जिन पर उद्योग निर्भर करता है, उपलब्ध नहीं है तो इसके पहले वि उनका उपभोग काई मूल्य रखे, उनमें अनिदाय गुण व परिमाण का होना आवश्यक है क्योंकि अधिक लागत के कारण विद्योहनशीलता (Exploitability) वा मीमान्त केवा होगा। अतएव स्थापन की दृष्टि से कच्चे माल के मूल्य पर पर्याप्त दुलाई मुविधा, उपजाऊ मिट्टी तथा अनुकूल जलवायु का प्रभाव पड़ता है।

### निर्माण (Manufacturing)

पर्याप्त प्रणाली (Adaptive) श्रम से निकटता—प्लाट की आवश्यकता-नुमार नियन्त्रित तथा निर्भरत्योग्य श्रम की पर्याप्त उपलब्धि निस्मन्देह महत्वपूर्ण है लेकिन इसके अनियिकता व ई बातें हैं, यथा निर्वाहक्य तथा श्रम की दक्षता व प्रदृष्टि, जिन पर विचार करना आवश्यक है। श्रम की पूर्ति सबमें अधिक भहत्वपूर्ण है जो इसी स्थापित उद्योग को स्थिरता (Inertia) प्रदान करता है। औद्योगिक समाज के नियमित होने में समय लगता है और जब एक बार यह नियमित हो जाना है तो उसे मशीन की तरह स्थानान्तरित कर देना आमान कार्य नहीं है। यह प्रवृत्ति भारतीय श्रमिकों में भी दिलायी देने लगी है। उदाहरणत भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के बीच, जो देशनों के रहने वाले हैं, स्थायित्व-विहीन प्रवृत्ति के विरोध वस्तर, अमरोदमुर, मद्रास, नागपुर, अहमदाबाद जैसे उद्योग प्रशान शहरों में स्थायी औद्योगिक जावाड़ी को प्रवृत्ति जोर पकड़नी जा रही है। औद्योगिक श्रमिकों के इस नये दर्दों ने उन चानुरी को विभिन्न किया है जिसके बल पर बटिना माल का उन्यादन नष्ट होता है तथा जो उद्योग की स्थिति को पर्याप्त रोनि में प्रभावित करती है।

शक्ति स्रोतों से निकटता—उद्योग के चक्के को सचालित करने के लिए शक्ति स्रोत ने प्लाट स्थापन तथा विकास को युगों से प्रभावित किया है। भाषा इन्जिन के आने तक जल व वायु शक्ति अभीजित शक्ति पूर्ति थी। विभिन्न प्रकार की शक्तियों के अलग-अलग लाभ हैं। जड़ शक्ति के निकट उद्योग स्थापन, अविच्छिन्न प्रक्रिया वाले उद्योग, जैसे आटा पिनाड़ी, कानून निर्माण, पन्थ मिल, के लिए आवश्यक होगा क्योंकि इसमें सत्ती विद्युत शक्ति उपलब्ध होगी। जहा कोयला व्यवहृत होता है, वहा बन्दरगाहों के निकट स्थापना की प्रवृत्ति होगी है क्योंकि इसमें यानायान लागत में कमी होगी। अभी हाल में जनविद्युत शक्ति के विकास के बारे, जिसमें उच्च दबाव लाइन (High Tension Line) के जरिये औद्योगिक बेन्द्र तक विद्युत शक्ति को ले जाया जाता है, इन बातों की मम्भावना है कि प्लाट स्थापन के लिए विद्युत की महत्व में कहाँ हो जाय।

मरम्मती कारखानों की सहज गम्भीरता—मुख्यतः उद्योग की दृष्टि से ही यह घटक महत्वपूर्ण है। यदि नियादेश पर्याप्त हो और मशीन बीच म ही टूट जाय तो यदि अविलम्ब मरम्मत नहीं हो जाती है तो फर्म की प्रतिष्ठा मे कमी होगी और वह व्यवसाय भी खो देंगे। बड़े व्यवसाय में मरम्मत का काम फैक्टरी में हो जायगा, ऐसा कर्णीय एकीकरण (Diagonal Integration) के कारण सम्भव है।

अच्छी उधार व अविकोपण मुविधाओं से नेकट्ट्य—विना धन की उपलब्धि के, जो विनियोग के कामों मे विनियोजित विद्या जा सके, उद्योग न तो कायम रह सकते हैं, और न बढ़ि ही प्राप्त कर सकते हैं। धन की प्राप्ति बैंकों तथा जन्य जर्यपूर्ति गृहों मे हानी है। एक छाट व्यवसाय को बैंक के निकट होना चाहिए हालाकि बड़े व्यवसाय के लिए, जिसकी साख पर्याप्तत प्रशस्त है, ऐसा हाना कोई महत्व नहीं रखता। क्षण पर प्राप्त होने वाली पूँजी तथा वित्तीय संस्थाओं का उमी प्रकार एक आर्थिक भूगाल है जिस प्रकार बच्चे माल व श्रम पूर्ति का। शहर के बायाद देहात मे स्थित व्यवसाय को कम व्याज पर पूँजी मिलती है लेकिन बड़े बैंकों मे पूँजी बड़ी मात्रा म उपलब्ध होती है। अनेक औद्योगिक व्यवसाय को जर्यपूर्ति का बायर्ड बड़े से बड़े वित्त बाजार मे करना चाहिए, ताकि यह अपनी साख बना सके। वित्त की दृष्टि से बम्बई एन अनुकूल स्थान है। यही कारण है कि नवीन मोटरों की उद्योग की प्रवृत्ति बहुत ही स्थित होने वी है।

यातायात (Transport) व साचार (Communication)—स्थानीय अनुकूलताओं की सीमा को भी लावकर विस्तित होने तथा ननी-ननी तो केवल बायम रहने के लिए भी यह आवश्यक है कि यातायात उद्योग की पहुँच के भीतर हो। बच्चे माल की प्राप्ति तथा बत माल का विनय आवश्यक है। उद्योग के लिए जगह चुनने समय रेल, जल तथा बायु, यातायात व ट्रक यातायात की उपलब्धि व मात्रा को ध्यान मे रखना अनिवार्य है। यातायात या ट्रान्सपोर्ट शाद वे बहने से भाड़ारीकरण (storage) तथा उठावरी (Handling) तथा सेवा-मुविधाओं का भी बोय होता है तथा उद्योग उन्हीं स्थानों मे आकृष्ट होने हैं जहा मे उचित मूल्य मे उपलब्ध हो। कोई भी औद्योगिक प्लाट अनवरद्ध तथा सफर रोनि से सचालित होना रह—इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रबन्धाधिकारिया का बच्चे माल, निर्मित माल, पूर्ति व मूल्य की दृष्टि से बाजार की स्थिति के बारे म सूचनाएं मिलती रहे।

अग्नि-शामन (Fire-fighting) की पर्याप्त मुविधाएं—प्लाट के भीतर तथा बाहर वही से भी बाग लग सकती है। यदि बाग जन्दर मे लगी है तो उम पर अग्नि-शामक सावना से बाग पाया जा सकता है, लेकिन यदि बाग बाहरी कारण से लगी है तो उस पर बाग पाना दृष्टिकोण से नहीं है। हमारे देश के अधिकांश शहरों मे आग बुझाने की मुविधाएं अस्याप्त हैं और देहानी क्षेत्र मे किसी भी प्रकार का सामन उपलब्ध नहीं है। इनका परिणाम यह हुआ है कि बीमा को दिस्ता में, तथा निवारण (Assessment), भवन के ढांचों तथा व्यवसाय की प्रहृति के बीच कोई अनुपात ही नहीं है। जन, औद्योगिक स्थापन की दृष्टि से वैसा स्थान बाढ़नीय है, जहा अग्नि-शामन की पर्याप्त मुविधाएं उपलब्ध हो।

**दिक्षर के संपाठन व विकास की स्थिति**—उन्यादित माल के विकास तथा उन्यादित विधि के उन्नयन के लिए नये व पुराने दोनों प्रकार के उद्योग सेवा तथा अनुसवान पर निर्भर होते हैं। इसके जनिरिति, जिनी भी उद्योग का लाभपूर्ण सचालन इस बात पर निर्भर चरता है कि शिक्षित व प्रशिक्षित आदमी निरन्तर गति से मिलते रहें। दोनों प्रकार के दोनों की प्राप्ति के लिए शैक्षणिक व छ सेवा मन्त्रालयों की आवश्यकता है। संगठित शिक्षा के बिना शायद ही कोई उद्योग उनवर्षद गति से विकसित होना रहे। अब तक तो हमारे देश में इन दोनों में बहुत योड़ो मात्रा में कार्य हुआ था लेकिन हाल में ही भरतवार ने औद्योगिक क्षेत्रों के निकट व इर्दगिर्द बहुतेरो मन्त्रालयों की स्थापना की है, जहाँ नववृद्धों को प्रशिक्षण मिल नदेता।

**प्लाट को विकसित करने की योग्यता**—जिनी भी प्लाट की रचना इन प्रकार नहीं पड़ती है कि निर्माण प्रणिति कम से कम समय तथा सामग्री में सम्पादित की जा सके। यह भी देखना पड़ता है कि उसके चारों ओर काफी जगह छुट्टी हो ताकि बाम वो रोके बिना, जिसमें उत्पादन में कमी होती है, उसमें हेरफेर या बृद्धि का काम किया जा सके। फैक्ट्री भवन उभी स्थान पर बनाया जाना है जिनका मूल्य कम हो ताकि निर्मिति का उपरी व्यय कम से कम हो।

**राज्य-नियमन (Regulation) व सहायता (Subsidy)**—राज्य व राज्यीय सरकार उत्तरोत्तर उन अभिकर्ताओं की रचना कर रही है जो प्रयोक प्रकार के उद्योग का नियन्त्रण व नियंत्रण करेंगे। निर्मिति उद्योग विशेष रूप से इन विधियों ने प्रभावित होते हैं। नियुक्तों की सुरक्षा नम्बन्यो विधि (Law), दुर्घटनाओं के लिए क्षतिपूर्ति नम्बन्यो विधि, अन्य वर सम्बन्धी विधि, भवनों के उपयोग, अन्न-गोद व नर-धण नम्बन्यो, अनुमतियों (Licence) तथा कच्चे माल के उपयोग व निर्मारण नम्बन्यो विधि तथा इसी प्रकार की अनेकों विधियों के कानून्यवृप्त उन्यादित लागत में इनकी बृद्धि हो जानी है कि लाभ वो दृष्टि से उद्योग की स्थिति ही मक्कियों हो जानी है; तब निर्माणालयों के लिए ऐसी जगह ढूँढ़ा, जो इस दृष्टि से अधिक लाभदायक हो, प्राप्त अनिवार्य हो जाना है। इसके अनिरिति वे निर्माण, जो नये स्थानों की सेवा में है, इन बानों पर पहुँच से ही विचार कर लेने हैं। सरकार आर्थिक सहायता देकर उद्योगों के विकास को और प्रभावित करती है। देश के निर्मिति व्यवसायों को दिए गये प्रतिवेशिता में बचाने के लिए टैक्टिक का उपयोग किया जाना है और कभी-कभी तो पिशेष निर्मित उपयोगों की स्थापना तथा इन्हें चालू रखने के नियम, सरकारी द्वारा मोटी रकमों का जन्मदान दिया जाना है। सरकारी महानगर प्लाट स्थापना को प्रभावित करते हैं क्योंकि इसके कारण उद्योग उन स्थानों में स्थित होना है जहाँ मालारान्तः प्रतिवेशिता नमूलक अवस्था में उद्योगों का होना लाभदायक नहीं माना जायगा।

**अनुकूल मिट्टी, जलवायु तथा भूमि रखना (Topography)—प्रारम्भिक विकास के काल में जिनी देश के जमुँ भेत्र या भाग के निवासी कौनसे धन्ये करेंगे, इन पर मिट्टी का प्राप्त व प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए अवनर प्रदान करती है, तथा ऐसे उद्योगों को आहूष्ट करती है जिनमें सेनी की उपज वा उपयोग हो या जो**

इसी मन्त्रधी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उसरे मिट्टी (भूमि) लोगों को रोजी के अन्य साधनों जैसे मल्टीप्लाइन (Fishing), व्यापार या निर्मिति को अपनाने के लिए बाध्य करतो हैं। तरीकरण (Heating) व वायु नियन्त्रण (Air conditioning) की आधुनिक विधिया के विकास ने प्राहृतिक तापमान तथा आद्रेता की महत्ता का औद्योगिक प्लाट के स्थान नियारक घटक की दृष्टि से कम कर दिया है। पिछे भी किसी क्षय या भाग के औद्योगिक वार्षिक वायरल्या पर जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसका थमिको पर प्रभाव पटता है। शीतल स्पॉटिंदायर जलवायु सर्वोक्तुप्त कोटि के औद्योगिक थमिक का विकास करता है। इस मकान, भाजन तथा चर्स-प्राप्त करने के लिए काम करना ही उद्देश्य, लेकिन अति उच्च जलवायु के निवासी, यथा उच्च कटिवन्धन व निवासी, औद्योगिक थम के लिहाज में अपेक्षित कम दक्ष होते हैं। उनमें मकान, भाजन तथा चर्स की प्राप्ति के लिए काम करने की प्रणाली नहीं रहती, क्योंकि ये आमतौर पर प्राप्त होते हैं। आदतन वे ठड़ जलवायु में रहने वाले थमिकों की नाई स्कूलिपूर्ण (Energetic) नहीं होते और स्वभावत वे अपने को परेलू धन्धा के लायक शीघ्र नहीं बना सकते। भूमि रखना (Topography) भी स्थापन पर महत्वपूर्ण अमर डालती है। पहाड़ी, उच्च-खाड़ी तथा पश्चीमा स्थान सुगमता से कृपीय धन्धा के बनुकर नहीं होता और न बहु कोई औद्योगिक वार्षिक ही होते हैं—गिवाय इसके कि विभीत स्थान विशेष को खनिज पदार्थों वा वरदान मिला हा, जिसमें किसी एक विस्त्र का उद्योग उन्नत हो सके। पवनीय अवराय, उपत्यकायें तथा बड़ी-बड़ी नदियां औद्योगिक विकास के लिए प्राप्त वाया सिद्ध हानी हैं। इनमें से किसी भी एक या कई के स्थान में यानायात तथा सचार सम्बन्धी कठिनाइया पैदा हो जानी है और व्यय भी बढ़ जाता है जिसके कारण उन क्षेत्रों से प्रतियोगिता म उत्तरना जो अपेक्षित सहज गम्भीर है असम्भव हो जाता है। हो सकता है कि इही घटकों के कारण जनसत्त्वा बृद्धि पर विपरीत वसर पड़ और परिणामस्वरूप सम्भावित स्थानीय उद्योगों का वाजार अति सीमित हो जाय।

अन्य उद्योगों—परिपूरक (Complimentary) तथा प्रतिदृष्टी (Competitive)—का साहचर्य—कुछ निर्मितिकर्ता परिपूरक या सहायक उद्योगों के निकट स्थान चुनते हैं वे सहायक या परिपूरक उद्योग वे हैं जो उन मामियों का पूर्तिया का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग उन्हीं की निर्मिति प्रतियोगी म होता है। प्लाट स्थापन की दृष्टि से इसमें उद्योग के केन्द्रीकरण का प्रामाण्य मिलता है। इसके विपरीत उद्योगों के बीच प्रतिदृष्टी अमर उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का प्रामाण्य बरती है। यह सम्भव है कि वे प्रतिदृष्टी उद्योगों के साथ जो एक दूसरे के निकट स्थित हैं परम्परा के कारण वध हो जिस नयी नियमिति विविधा ने प्रारम्भ करने में कठिनाई हो, और व्यापनिया वा व्यापस म थमिकों के लिए प्रतियोगी होना पड़। इसके बातिरेका, हा भक्ता है कि प्लाट के बीच अम-पक्ष पैर जान की सहज ही प्रवृत्ति हो। पिछे भी, जैसा कि जोन्स महोदय<sup>1</sup> न व्याख्या की है, निम्नलिखित वारणों की वजह से उद्योग समृद्धि म ही सर्व-

मिह विभिन्न होने हैं

१ एक क्षेत्र में कई व्यवसाय, एक व्यवसाय की ओरेक्सा प्राप्त आमतौर से सामनिया प्राप्त कर सकते हैं। कई समान व्यवसायों के एक जगह (Concentration) होने से उन सामानों की फिल्मों में बृद्धि होती है जो पूर्णिकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

२ व्यवसायों के एकत्रित होने में, चाहे वे एक प्रकार के या एक दूसरे के प्रतिटिन्हों हीं वरों न हों, नियुक्तिकर्ता और नियुक्त दोनों के द्वितीय प्रकार में बृद्धि होती है। वह क्षेत्र, जो एक तरह के व्यवसाय के लिए प्रभित्व हा चुका हो उन दश थमिकों को अपनी ओर जाकृष्ट करता है, जिन्होंने इमरी जगह राखी थी दी है तथा जो जपनी कार्यगरी बदलने में अमर्य है, तथा उन विनायकों का, जो दैमी जगह में जपने को जगता सुरक्षित महनूस करते हैं, जहाँ एक से अधिक नियुक्तिकर्ता है। इसके अतिरिक्त, यदि इनी वडे केन्द्र का थम बाजार जमनुल्लित हो जाता है तो उन व्यवसायों के द्वारा जाग अधिक थम का उपयोग कर सकते हैं, अतिरिक्त थम के उपयोग का वार्षिक वड जाता है।

३ विशिष्ट केन्द्रों में वैक्ष प्रमुख उद्योग की आवश्यकताओं में परिचित हो जाते हैं। उन्हें फर्मों की नाम की जानकारी रहती है और वे अधिक तन्त्रज्ञ व निरापदना के साथ विशिष्ट व्यापारिक सावधानों का भुता सकते हैं।

४ कई प्लाट मिलकर ऐमी मान पैदा कर सकते हैं जो अनेकों तरह के मरम्मत प्लाट व पूर्ति केन्द्रों तथा औद्योगिक सेवाओं, जैसे फ्लाई कारखाना (Foundries), मशीन कारखाना (Machine Shop), बोजार निर्माण, मिल सामग्री विक्रेता (Mill Store Suppliers) आदि की स्थापना का कारण हा।

५ यदि हम थम-विभाजन की पूर्णता की ओर एक कदम जाग चले तो यह मालूम होगा कि विशिष्ट औद्योगिक केन्द्र के कारण भेवा उद्योगों में बृद्धि हो जाती है, यथा पार्ट निर्माण तथा एकवक्ता (Assemblers) वड जाते हैं जो विशेष कॉटि के कार्यों को जमकर करते हैं और उच्च कॉटि की पूर्णता प्राप्त करते हैं। इन व्यवसायों के होने में यह मम्मत होता है कि उपर्यामी स्वेच्छातुमार सोमित्र क्षेत्रों में भपने का लगाते रहे जो उनकी द्वजों व प्राविधिक योग्यता के अनुकूल हो।

६ एक स्थान में सम्बद्ध या समान निर्माणों के रहने से स्थानीय बाजार में पूर्णता जाती है। एक फर्म की द्वानि दूसरे फर्म की द्वानि की पूर्ति करती है और इस प्रकार उन शहर का नाम ही व्यापार चिन्ह (Trade Mark) हो जाता है और फर्म के बाल इन बात में प्रतिष्ठित हो जाता है कि वह लघ्वप्रतिष्ठ जगह में स्थित है।

७ विशिष्ट नियमित केन्द्र विभिन्न प्रकार के व्यापारिक भेवा उद्योग, जैसे बधार करने वाले (Packers), बीमा करने वाले (Insurers), माल चालन करने वाले (Forwarders), पेंशेवर येड करने वाले, विजापन अभिकर्ता (Advertising Agents), आम भाटापार (Public Warehouses) आदि को प्राप्त करने में समर्य हो जाते हैं।

**प्रारंभिक आरंभजन्य गतिलाभ (Momentum of an Early Start)-** साधारणत, ऐसी जगह उद्योग शुरू करने में, जहाँ पहले से ही इस प्रकार के उद्योग सफल हो चुके हैं, लोग निश्चिन्ता का अनुभव बरते हैं। वह उद्योग, जो किसी स्थान में कुछ काल तक सफलतापूर्वक सञ्चालित हो चुका है, चल निश्चिन्ता है, क्योंकि बैन्ड की आरम्भजन्य गति इतनी अधिक होती है कि वह दूसरे उद्योग को इस कोटि में आने नहीं देनी। किसी स्थान में आरम्भजन्य गति स्थापन की दृष्टि से इतनी महत्त्वपूर्ण होती है, कि दो शहरों में से, जो किसी किसी के माल निर्मिति के लिए समान रूप से अनुकूल हैं, आरम्भजन्य गति वाला विकसित होगा और वह उद्योग के बैन्ड्रीयकरण को आहूष्ट करेगा और दूसरा शहर इस दिशा में विलुप्त असफल रहेगा। कोई क्षेत्र अनुकूल समय में ही निर्मिति कार्य के लिए अनुकूल है और जब कोई दूसरा क्षेत्र निर्मिति का कार्य शुरू कर देना है तब इसकी अनुकूलता खत्म हो जाती है। स्थान ठीक है, लेकिन अनुकूल समय चीज़ चुका।

### विनिय—

विक्षी बाजार तक पहुंच तथा उससे निष्टट्टा—बाजार की निष्टट्टा से जो लाभ प्राप्त होने हैं उसकी तुलना कर्वे माल की निष्टट्टा से नहीं करनी चाहिए। जब निर्मिति-कर्त्ता बाजार के निष्टट्ट हैं तब बाजार की गतिविधि के सम्बन्ध में रह सकता है। कभी-कभी औद्योगिक बैन्ड में विद्योप बोटि के साम उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ऐना उम्मेद बास-नाम संकर बाटने रहते हैं। जब नेता किसी निर्मिति प्लाट को देखने जाना है तब वह उत्पादन कर्त्ता तथा डिजाइन निर्माता के गहरे सम्बन्ध में आता है। इसमें निर्मितिकर्त्ता आहका से अपना सम्बन्ध उत्तेजन कर सकता है तथा उनकी की जानेवाली सेवाओं को भी उत्तेजन कर सकने में समर्प होता है। बाजार की गम्भीरता या बाजार सम्बन्धी भूगोल स्थापन के महत्त्व को बड़ा देता है। बाजार के भूगोल वा मूल्यादान करने के लिए वाणिज्य सम्बन्धी दूरी व्यास्तविक दूरी नहीं है। यह दूरी मीलों के माध्यम से नहीं नापी जाती, बरत् नगद, (Cash), उद्व्यय (Outlay), समय, व्यय, जोखिम, असुविधा तथा मानसिक मुस्ती, (Mental Inertia) जिन पर विजय पाना जरूरी है, के माध्यम से वह दूरी नापी जाती है।

**लोक-स्वरूप (Characteristics of People)—**मनी प्रवार की निर्मितियों का उद्देश्य होता है बाजार में उन मालों को प्रस्तुत करना जिन्हे लोग खरीदें। किसी समाज के लिए केसा बाजार चाहिए—यह आवादी, धन तथा लोगों की आदतों पर निर्भर करता है। उस माल की निर्मिति व्यर्थ है जिसे लोग नहीं चाहते हो यह जिसे के बालुनीय नहीं समझते हों तथा जिसे खरीदने के लिए लोगों के ग्राम क्षय जाकिन (Purchasing Power) नहीं हो। उपभोक्ता मालों की विकी तभी हो सकती है जब लोगों की चिन्तन व जीवन-मायन की आदतें इस प्रवार की हों कि उनमें इन मालों को अपने जीवन में सम्मिलित करने के लिए आग्रह किया जा सके।

**स्टाइल आन्डोलन—**स्टाइल को दृष्टि से लोग उस बाजार से माल नहीं खरीदेंगे

जिनमें नये स्टाइल का आगमन बहुत देर से होता हो। स्टाइल आन्दोलन का नियम है कि यह बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में और घनाढ़ी क्षेत्र से अपेक्षाकृत कम घन दाले क्षेत्र में जाता है।

### फैक्टरी के निमित्त स्थान (Factory Site)

ग्राम, शहर या पारदर्शकता क्षेत्र—ग्राम या ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले अधिक लाभ योड़े हैं, लेकिन कतिपय उद्योगों के लिए वे महत्वपूर्ण हैं। देहनों में भूमि सत्त्वी मिलती है, अतः कारखानों का फैलाव अधिक हो सकता है और आग लगने का जोखिम बहुत कम हो जाता है तथा एक-मजिले भवनों का मनचाहा उपयोग हो सकता है। स्थानीय कर (Rates), भाटक (Rent) तथा कर की मात्रा योड़ी होती है। छोटे स्थान में अभिक वर्ग अधिक स्थिर-नियत (Constant) तथा कर्तव्यपरायण होता है, वह मिल-जुल कर काम करने का अधिक अभिलाषी होता है क्योंकि प्रत्येक अभिक एक दूसरे को अच्छी तरह जानता है तथा वह अम-आन्दोलनकर्तियों के प्रभाव में आ जाय, इसकी सम्भावना कम रहती है। देहनी क्षेत्र अधिक स्वास्थ्यप्रद होता है, अतः यह समझ है कि अभिक ज्यादा दम्भ हो। किन्तु ग्रामीण स्थापन (Rural Location) के विश्व कतिपय आपत्तिया हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक कुशल धम को आइप्ट करना चाहिए है। लेकिन बड़े केन्द्र में कुशल धम बहुतायत से प्राप्त हो सकता है। ग्रामीण स्थापन पूर्ति गृहों तथा बाजार से प्राप्त दूर होता है तथा मरम्मन मम्बन्धों सुविधाएं तन्त्राल प्राप्त नहीं होती।

शहरों में कुशल धम की बहुलता रहती है, हालांकि निर्वाह स्तर की अविक्षिता के बारण मजदूरी का बुल व्यय अधिक होता है। शहर में महत्वाकांक्षी अभिक के लिए अपनी स्थिति को उन्नत करने के पर्याप्त अवनमन होते हैं। जिन उद्योगों में औरने नियुक्त ही जाती हैं, उन उद्योगों के लिए शहर सर्वोन्हाट स्थान है। शहरी स्थापन बाजार के निकट होता है तथा अपेक्षाकृत छोटा प्लाट शहर में अधिक सफूजता के साथ सचालित हो सकता है क्योंकि महायक सेवाएं निकट ही उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन भूमि व्यय, भाटक, स्थानीय कर तथा कर-मम्बन्धों व्यय अधिक होते हैं, फिर भी शहरों में निर्मिति स्थानों के मूल्य में स्थिरता रहती है जिससे इस प्रकार की अचल सम्पत्ति पर क्रण प्राप्त करना आसान हो जाता है। साधारणत ग्रामीण स्थापन छोटे तथा नगर स्थापन बड़े उद्योगों के लिए अनुकूल होने हैं। लेकिन इधर कुछ बर्पों से प्लाट को शहरों के पासवंवत्तीय (Suburban) क्षेत्रों में स्थित करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। पासवंवत्ती क्षेत्र नगर और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में होने के कारण दोनों प्रकार के लाभों से संयुक्त होता है।

विकेन्द्रीकरण व फैलाव (Decentralisation and Dispersal)—स्थापन घटकों की महत्ता स्थैतिक (Static) नहीं बरन् परिवर्तनशील होती है। न बेबल मानवीय अनुमन्यानों ने ही कतिपय घटकों की महत्ता कम कर दी है, बरन् प्राइवेट प्रवृत्तियों के कारण भी कुछ घटक महत्वहीन हो गये हैं। उदाहरण बेलिएट्टनटाइल मिलों में स्वचल बार्डरिंगारक उपकरणों (Automatic Humidifying Applia-

nces) के प्रवेश ने उद्योग स्थापन की जलवायु सम्बन्धी समस्या को पर्याप्त कम कर दिया है। उत्तरप्रदेश, पंजाब तथा दिल्ली, टैक्सटाइल मिल उद्योग के लिए विशुल अनुकूल माने जाते हैं हालांकि इन स्थानों में बम्बई या अहमदाबाद की ओर जलवायु नहीं पायी जाती। इसी प्रकार विशिष्ट थ्रम-वचाऊ मशीनों (Labour-Saving Machinery) के प्रवेश ने श्रमिक गमाज की बारीगरी सम्बन्धी कुशलता के महत्व को कम कर दिया है। अब, उद्योग व्यवस्थापकों को यह मान लेना चाहिए कि स्थापन सम्बन्धी लाभों में परिवर्तन होने रहते हैं और यदि समझ हो सके तो उन्ह स्थापित उद्योग के निरन्तर ही नये प्लाट की स्थापना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने में उन्ह यह स्वीकार करना चाहिए कि स्थापन के विषय म हाल में पर्याप्त विचार-मन्त्रन किया जा चुका है।

वहां यह पाया गया है कि मौलिक लाभ, जिनकी खोज की जानी है, लाभदाता रीति में निर्मित सचालन में जरा भी महत्वपूर्ण नहीं होते। इनलिए हाल में इधर झुँझ वर्षों में वहे उद्योगों के द्वारा अपने बायों को विनियोगित कर देने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है, कभी-नभी तो ये वहे प्लाट शीर्ष एकीकरण की योजना के अन्तर्गत अपने सहायक प्लाट को पर्याप्त दूरी पर स्थित करते हैं या भुजीय एकीकरण (Lateral Integration) को वार्यान्वित करने के लिए वे सहायक प्लाट जो समक्ष सम्पूर्ण वस्तु को निर्मित करते हैं, एवं दूसरे से दूर स्थित होते हैं, ताकि भीड़-भाड़ (Congestion) न हो। प्लाट के इस फैलाव में सामग्री पूर्ति सम्बन्धी, अम सम्बन्धी तथा माल वितरण सम्बन्धी उल्लेख-नीय लाभ प्राप्त होते हैं। परिणामत सारी दुनिया में उद्योग फैलाव या विस्तृतीकरण को उत्तरातर मान्यता मिल रही है। भारतवर्ष म सन्तुलित धोनीय विकास (Balanced Regional Development) पर जोर दिया गया है। धोनीय योजनाकरण वाचनीय ता है लेकिन कहीं एका न हो कि धोनीय विकास प्रान्तीयना का रूप ले ले क्याकि स्वावरुद्धन की दीड़ में प्रान्तीय औद्योगिकता देश के औद्योगिक विकास के स्वरूप को ही विद्रूप कर दी। राज्य का चाहिए कि वह स्थापन व नियन्त्रण करे, इस कार्य के लिए विदेशी समिति (Expert Committee) बनानी चाहिए जिसका कार्य हीमा उद्योगों के समन्वित करना वाजना बनाना ताकि देश के सभी धोनीय का आर्थिक व सामाजिक कल्याण हो सके।

### भारत में उद्योग स्थापन

वहां औद्योगिक वेन्ट्रीकरण सभी उन्नत देशों का एक सामान्य लक्षण है। उदाहरणत रिटेन के उद्योगों का उद्भव मुख्यत छोयले की खानों तथा देढ़े-ढोड़े बन्दरगाहों के निकट हुआ। भारतवर्ष में प्रधान औद्योगिक वेन्ट्री खनिज धोन। में नहीं पाये जाते वरन् वे बन्दरगाहों तथा व्यापारिक वेन्ट्रा, जैस बम्बई, २४-परगाला, हावडा, अहमदाबाद तथा बांग्लपुर में पाये जाते हैं। इस देश में छोड़े-छोड़े उद्योगों की वहुता की दृष्टि से हेमा होना स्वाभाविक ही है और साथ-साथ यह बात भी है कि हमारे देश की औद्योगिक प्रणाली ग्रेट रिटेन की औद्योगिक अर्थप्रणाली के ही समान छोयले व लोटे पर निर्भर नहीं रहती। उन उद्योगों की प्रवृत्ति, जो वैसे माला का उत्पादन करते हैं, जो वजन में

हुलके हों, लेकिन कीमत में भारी और इस प्रकार अपेक्षन कम व्यय में दूर-दूर पहुँचाये जा सकते हों, घनो आवादी बाले धोत्रों में स्थित होने की होती है। इस प्रकार के उद्योगों में सामाजिक महत्वपूर्ण बाह्य मित्रव्यविधि ( External Economy ) प्राप्त होती है। लोहा व इस्तात तथा अन्य राहायक उद्योग विहार व बगाल के उन भागों में स्थित हैं जहाँ नौबला व लोहा एक दूसरे के निकट पाये जाते हैं, सूनी तथा पाट उद्योग की जाति के अन्य उद्योग बन्दरगाहों या व्यापारिक शहरों में या उनके आगमाम के धोत्रों में केन्द्रीकृत हैं। प्रबन्ध अभिन्यातों ने भी बन्दरगाहों तथा अन्य व्यापारिक नगरों की, जहाँ इनके कार्यक्लाप वेन्द्रीभूत थे, ही प्रयत्न किया। सब मिलाकर, भारतवर्ष की औद्योगिक गतिविधि नितान्त स्पष्ट से विप्रम है। भारतवर्ष में केवली अभिन्यों की कुल मूल्य की आधी से अधिक दो राज्यों, बम्बई और बगाल, में पाई जाती है। उद्योगों का विप्रम विनरण वेवल निरेश ( Absolute ) नहीं, बरन् आवादी विनरण की दृष्टि से भी यह औद्योगिक विनरण विप्रम है। उदाहरणत, विभाजन के पूर्व बगाल और बम्बई में नमूर्य जनमूल्या का अमरा: १५% और ५% निवास करता था लेकिन कुल औद्योगिक अभिन्यों का अमरा: १९% और २३%। इन दो राज्यों में ही था। अजमेर-मेरवाडा, दिल्ली और कुर्म के छोटे-छोटे क्षेत्रों को छोड़कर भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में कुल जनमूल्या के अनुपात में कम औद्योगिक आवादी निवास करती थी। अभी इबर कुछ काल में दगाल और बम्बई इस दृष्टि से अपना अग्रणीपद खो रहे हैं, तथा उद्योगों के विस्तृतरण की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। सन् १९५२ ई० में प्रकाशित Large Industrial Establishments in India in 1948 के अनुसार निम्नांकित तालिका में भारतवर्ष के स्थान द्वाचे का पता लगता है:

प्रमुख उद्योगों का स्थान, १९४८

उद्योग, फैक्टरियों की मूल्या, मजदूरों की मूल्या	राज्य और प्रमुख जिलों में फैक्टरियों की मूल्या
मूरी वपडा (कनाई बुनाई तथा अन्य मिलें) १०८४ मिले <sup>१</sup>	बम्बई राज्य, ८२५; पश्चिमी बगाल, २९; मद्रास, ९३; उत्तर प्रदेश, ३१, दिल्ली, ७; रम्मूर, ३३; मध्य प्रदेश, १८; मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश, २०, पंजाब, विहार, हैदराबाद, राजस्थान, २६।
७,३६,२८३ मजदूर मोजान्वनिगान (होजरी) १३९, ८६५६	उत्तर प्रदेश, ८; मद्रास, १६; पंजाब, ३१, बम्बई, ३१; देहली, ८; पश्चिमी बगाल, २८; शेष, २८।
जूट, १०१	पश्चिमी बगाल, ८८; विहार, ३; उत्तर प्रदेश, ३; मद्रास ५; शेष २।
३,२०, ३९९	पश्चिमी बगाल, ६; विहार, ५; बम्बई, ८; मद्रास, ६; देहली, २; पंजाब, ६; उत्तर प्रदेश, १; कर्मीर, २२; हैदराबाद, ६, रम्मूर, ३८।
२२,२६९	

१. शोलापुर को २४३ मिलों के मजदूरों की मूल्या इसमें शामिल नहीं है।

**उद्याग, पैकरिया की सत्त्वा  
सत्त्वा, मजदूरों की सत्त्वा**

ऊनी गलौचा इत्यादि २९, ५, ४४३  
ऊनी वस्त्र मिल, ४४ १८, ४८७  
खोहा और इस्थान, ४५, ९८, २५६  
चीनी १६० १, ००, ५७५  
रमायनिक द्रव्य १२२ २४, ६४९  
दियामलाई १६१, २१, ०२३  
कागज मिल, ३२, २२, १३५  
सीमन्ट, २१, १९, ५२१  
काच, १८६, ३०, ७८८

**राज्य और प्रमुख जिलों में पैकरिया की सत्त्वा**

मद्रास, ५, मैसूर, १२, कश्मीर, ४, उत्तर प्रदेश, ४, राजस्थान, २, खालियर, २। उत्तर प्रदेश, ५, पंजाब, २३, बम्बई, ५, कश्मीर, ५; शेष, ६। विहार, ४, (६६, ९३८ मजदूर), पश्चिमी बगाल, १६ (२३, ८०४ मजदूर); उत्तर प्रदेश, १४, मैसूर, १, शेष १०। उत्तर प्रदेश, ८५, (५६, २२२ मजदूर), विहार, ३५ (१९२३९ मजदूर), मद्रास, ११, बम्बई, १४, शेष १५। पश्चिमी बगाल, ३५, बम्बई, ३३, मद्रास, ७, उत्तर प्रदेश, १२, पंजाब, ७, विहार, ८, देहली, ६, मैसूर, ५, शेष ९। मद्रास ९५, पश्चिमी बगाल, ८, बम्बई, १०, उत्तर प्रदेश, ४, सौराष्ट्र, १२, हैदराबाद, १८, डावनबोर-काथीन, १०, शेष ८। बम्बई, १३, पश्चिमी बगाल, ८, उत्तर प्रदेश, ६, मद्रास, २, विहार और उड़ीसा, २, हैदराबाद, ४, मध्यप्रदेश, १। विहार और उड़ीसा, ६, मद्रास, ८, मध्य प्रदेश, १, मध्य-भारत, ३, राजस्थान, १, हैदराबाद, १, पैम्पू २, बम्बई, १, पश्चिमी बगाल १, सौराष्ट्र २। बम्बई, ३०, पश्चिमी बगाल, २८, उत्तर प्रदेश, १६, पंजाब, ५, मद्रास, ५, दिल्ली, १, विहार और उड़ीसा, ८ शेष १३।

## मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों के प्रमुख उद्योग, १९४८

स्थेत्र	उद्योग
बम्बई राज्य और सौराष्ट्र	मूनी वपटा, ८६४, होजरी, ३१; रेशम ८७, ऊनी वस्त्र, ५; चीनी, १४, रमायनिक द्रव्य (कैपिकल) ३३, दियामलाई, १८, काच, ३०, इन्जीनियरिंग, रेल के टिक्को और मोटरकार की मरम्मत, और पुजे जोड़कर मोटर बनाना, ३५, तम्बाकू और बोडी, १९५०, जर्दा, ३१८; तेल मिले, ११३।
पश्चिमों बगाल	जूट, ८८, लोहा और इस्पात, १६; मूनी वस्त्र, २९, होजरी, २८, रेशम, ६, रमायनिक द्रव्य, ३५; दियासलाई, ८; कागज मिले, ४; काच, २८, चीनी मिट्टी के बर्तन (पीटरीज), १२।
उत्तर प्रदेश	चीनी ८५; काच, ९६; सूनी वस्त्र, ३१; होजरी, ८; ऊनी मिले, ५; लोहा और इस्पात, १४, रेशम, १; दियासलाई, ४; रसायनिक द्रव्य, १२; कागज मिले, ६।
मध्यास	मूनी वस्त्र मिले, १३; होजरी, १६; रेशम, ६; दियासलाई, १५; जहाज बनाना, १; चीनी, ११; जूट, ५; रसायनिक द्रव्य, ७, काच, ५।
मध्यप्रदेश	मूनी वस्त्र मिल, १८; कागज मिल, १; सीमेंट, १; काच ४।
बिहार	लोहा और इस्पात, ४; चीनी, ३५; जूट, ३; रमायनिक द्रव्य, ७, सीमेंट, ३, काच, ७; रेशम, ५; कागज मिले, २।
देहूनी	मूनी वस्त्र मिले, ७, होजरी, ८; रेशम, २, रसायनिक द्रव्य, ५; काच, १।
पंजाब	होजरी, ३१; रेशम, ६; ऊनी वपडा मिल, २३; लोहा और इस्पात, ७; चीनी, २; रसायनिक द्रव्य, ७; कागज मिल, १; सीमेंट, १; काच, ५।
मैसूर	रेशम ३८; रसायनिक द्रव्य, ५; मूनी वपडा, ३३; लोहा और इस्पात, १।
हैदराबाद	रेशम, ६; दियामलाई, १४; कागज मिल, ४।
कर्नाटक	रेशम, २२; ऊनी वस्त्र, ९।

मूनी टैक्मटाइल मिलों तथा उनमें नियुक्त देनिक अधिकारी की ओर से संस्था से पता लगता है कि कुल मिलों व अधिकारी की संस्था का दो-तिहाई से अधिक बम्बई राज्य में विनियोग है। देश के सम्पूर्ण वस्त्र उत्पादन का ६०% बम्बई राज्य नियमित करता है। विन्तु

वम्बई राज्य में स्थापन घटकों की प्रवृत्ति हास रह है। पाट(जूट)उद्योग मुख्यतः परिचमी वगाल मे स्थित है यद्यपि उत्तर प्रदेश की पाट मिलों को कच्चा माल प्राप्त कराने के हेतु उत्तर प्रदेश मे ही जूट उत्पादन की चेष्टाय की जा रही है। देश की रेशम जावश्यकताओं की पूर्ति का अधिकांश मैसूर, बड़मीर, परिचमी वगाल तथा भद्रास निमित्त करते हैं। जीनी मिले मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पजाव और बड़मीर मे केन्द्रित हैं। लोहा व इस्पात उद्योग विहार और परिचमी वगाल मे केन्द्रित है। यह बात सही है कि दूसरे राज्य भी लोहा व इस्पात उद्योग के लिए अभिकों की पूर्ति करते हैं लेकिन फिर भी कुल अभिका का ७०% विहार म (सिंहभूम, जगददुर), २०% परिचमी वगाल मे तथा बैबल १०% अन्यत नियुक्त हैं। चीनी उद्योग मे उत्तरप्रदेश का स्थान सर्वप्रथम है जहा चीनी मिलों व अभिकों की समूण सह्या का आवा स्थित है। यदि हम राज्यों को ले तो सूनी बपडे मे प्रथम स्थान वम्बई का है, पाट मे परिचमी वगाल का, चीनी और बाच मे उत्तरप्रदेश का, पोतनिर्माण मे मद्रास का, लोह और इस्पात मे विहार का तथा ऊनी वस्त्र उद्योग मे पजाव का।

भारतवर्ष मे अविष्यत् माली स्थापन का स्वरूप कैसा होता, इस सम्बन्ध मे वित्तीय (Fiscal) अत्योग ने यह सुझाव दिया है कि लघुमाल उद्योग व बुटीर उद्योग तथा बूहू, माल उद्योग के लिए भी सावधानीपूर्व योजनाकरण होना चाहिए। आयोग का बहुत माल उद्योग के स्थापन स्वरूप का नियमन करना अधिक अच्छा होगा। ये नकारात्मक उपाय उन क्षेत्रों मे, जहा पहले मे ही औद्योगिक वेन्ड्रीरण हो चुका है या जा क्षेत्र उद्योग जति विशिष्ट हा चुके ह, अधिक औद्योगिक वेन्ड्रीरण को रोकते हैं। इन नकारात्मक विधियों के साथ-साथ स्वीकारात्मक (Positive) क्रम भी उठाये जा सकते हैं जिम्म उन क्षेत्रों का आकर्षण बढ़े जिन क्षेत्रों मे वर्तमान उद्योग का स्थानान्तरण या नय उद्योगों की स्थापना बाढ़नीय है। ऐसा करने के लिए राज्य की सहायता से वित्तीय कोटि की सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ।<sup>1</sup> इगलेंड की रीति गे, व्यापार प्रक्षेत्रों (Trading Estates) की स्थापना के बारे मे इग आयोग तथा घोजना अपेक्षा दोना ने सिफारियों {री}।

### पाट अभिन्यास (Plant Layout)

भवन ढाढ़ा—स्थान चुन ऐते के बाद दक्ष मर्मीनों का नय तथा उपयुक्त रीति के भवन निर्माण का स्थान जाता है।

निर्माणी या पैकेटी भवन का प्रधान वाम है, ताल, प्रवाश (Light), वायु संचार, तथा अभिका के आराम व स्वास्थ्य-मन्दनीय जरूराओं का नियन्त्रित रखना तथा निर्भक्त व्रिक्षाएँ लगाय, यानिक उपकरण (Mechanical Equipments) तथा सामग्रियों का शक्ति से वचाना। भवन के डारा मर्मीनों जीनीव तथा शक्ति मत्ताकरण (Transmission of Power) के लिए मजबूत साधन की व्यवस्था होनी है। मर्मीनों के डारा आग मे पैदा होने वाले जोखिम नियमित और

<sup>1</sup> Report of the Fiscal Commission 1949, p. 125

विनाजित होने और इस तरह कम होने हैं। कोलाहलपूर्ण तथा पूल वाले विभाग एक दूमरे से विलग हो जाने हैं, अनेक मजिलों के द्वारा अनिस्तिन स्थान की रचना होनी है, तथा प्रत्येक वारसाना व प्रशासन इकाइया स्थानीय भावात् व नाम (Local Habitation and Name) प्राप्त करती है। भवन का टाचा कई घटकों द्वारा निर्धारित होता है। विभिन्न स्थान स्पष्ट म इकाई दबाव क्या होगा—इसमें दोबार वी मोटाई, शृणीरत्या सम्भों की दिशा स्थिति तथा भवन निर्माण के स्ट्राइल निर्धारित होने हैं। बहुत हल्के भवन बनाने की अपेक्षा बहुत भारी भवन बनाना ज्यादा अच्छा होना है। भवन की चौड़ाई तथा छत की ऊँचाई दोनों एक दूमरे को निर्धारित करती हैं। यदि छत से प्रकाश की व्यवस्था न हो तो भवन जितना ही चौड़ा है, खिड़किया उतनी ही ऊँची होनी चाहिए ताकि बमरे के मध्य में प्रकाश आ सके। आग सम्बन्धी सतरों का प्रभाव, भवन की लम्बाई पर पड़ता है। भवन की लम्बाई उतनी ही होनी चाहिए जिसे यदि चौड़ाई से गुण कर दिया जाय तो गुणनफल में वह क्षेत्रफल प्राप्त हो जो नगरपालिका भवन नियमों के द्वारा स्वीकृत अधिकतम सीमा के अन्तर्गत हो। मजिलों की सह्या उत्पादित माल को प्रहृति तथा एक भवन में उत्पादित प्रक्रियाओं को (एक दूमरे से बिल्कुल अलग) प्रचलित रखने की सुविधा पर निर्भर करती है। प्रति वर्ग फुट स्थान स्पष्ट की लागत निम्नजले व ऊपरजले भवन से न्यूनतम हो सकती है, लेकिन दो मजिल में अधिक जाने में लागत में विवेक कमी नहीं होती। जब पर्याप्त रम मूल्य में, जैसे देखतों में, पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो तब एक-मजिला मकान ही सर्वोच्चट होता है।

वर्दि मजिले भवन की अपेक्षा एक-मजिले भवन के ये लाभ हैं (१) प्रकाश उत्पादा आता है, (२) हवा अच्छी आती है, (३) भवन आमानी में गरम व ठंडे होने हैं, (४) मरीनों का दाढ़ा ज्यादा नमी लागत में दिया जा सकता है, (५) चूँकि मरीने सीधे जमीन में गाढ़ी जाती है, जब मकान में कम्पन नहीं होता, (६) फर्ण भरने होने हैं, (७) अधिकों पर अधीक्षक (Superintendent) आमानी में निगरानी रख सकता है, (८) सामग्रियों को सुलभना से तथा कम व्यय पर इवर-उघर दिया जा सकता है, (९) भवनों का जिनो भी दिया जा सकता है, (१०) भवन निर्माण व्यय कम होता है, (११) आग से धूति होने का भय नहीं रहता है। जहाँ एक-मजिले मकान का व्यवहार सम्भव या बाढ़नीय नहीं है, वहाँ अच्छी लिपट प्रगल्ली या बैंड कन्वेयर्स (Band Conveyors) या चूट (Chute) की व्यवस्था होती। यह उम स्वीकृत मिद्दान्त का केवल प्रयोग मात्र है जो यह बताता है कि यानिक माध्यन (Mechanical Appliance), जाहे उन्हें खटा करने में जिनका भी व्यय व्यों न पड़े, खाली हाय के श्रम से सस्ता ही पड़ता है, वसने कि यानिक सामग्री को सतन उपयोग में रखने के लिए पर्याप्त राम हो। वजनी मरीन निचली सतह पर ही गाढ़ी जाने तो ताकि उन बजनी बस्तुओं का ऊपर से नीचे दिया जाना कम ने कम दिया जा सके जिनके लिए इन मरीनों का व्यवहार होगा। निचली सतह पर मरीन वे गाढ़े जाने में वह व्यय

भी वच जाता है जो दिवालों तथा उपरी सतह को इसलिए अभिक मजबूत बनाने में करना पड़ता है कि उसे आवश्यकता से अविक बोझ सटना पड़ेगा।

**अभिन्यास (Layout)**—प्लाट वे वास्तविक अभिन्यास पर विचार नहीं किया गया तो दक्ष मर्मानों के खरीदने तथा उचित रोति के भवन निर्माण के लिए विये गये प्रयत्न व्यय सिद्ध हो सकते हैं, योरोपि कुशल अभिन्यास के जरिये ही व्यवस्थाधिकारी सभी उद्देश्यों वी प्राप्ति कर सकते हैं। वे जर्मान उद्देश्य इस प्रकार वे हैं : (१) सामग्री व उत्पादन माल की उदाधरी में मिनव्यविता, (२) उपयोगी दोओं वी व्यय न्यूनता, (३) उत्पादन म विलम्ब-न्यूनता, (४) अवरोध (Bottle-neck) से बचाव, (५) अच्छा उत्पादन नियन्त्रण और निरीक्षण (६) जब एक अभिन्यास गया हो तब अनावश्यक और सर्वांगि परिवर्तनों से बचना, (७) उत्पादन की प्रतिक्रिया और तरीकों में सुवार (८) आमार निष्पत्ति की व्यवस्था जिसमे प्रतियोगितामुक्त मर्दों पर व्यय करना सम्भव हो सके, और (९) सुखाका को अभिन्यास तथा सबठन का अग मात्रकर उसका प्लाट में वस्तुत सम्मिलित किया जाना। प्लाट अभिन्यास को परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है— प्लाट अभिन्यास फैक्ट्री के अन्दर मर्मानों, प्रतिपादा तथा प्लाट सेवाओं को इस प्रकार स्थित करने की विधि है जिसमे निम्नतम तुल निर्मित व्यय म सर्वांगि तथा सर्वोच्च कोटि के माल का उत्पादन किया जा सके। इसका उद्देश्य है उस आइसामिन (Optimum) याजना को ढूढ़ निश्चालना जिसके द्वारा प्रत्येक परिचालन (Operation) सर्वांगिक सुविधा से सम्पादित हो सके और किसी परिचालन की सुविधा ढूमरे परिचालन की सुविधा से सघर्ष में न आ जाय।

स्थान के चुनने तथा निष्पत्ति की आयोजित करने में समय विस्तार की गुजारना रख छोड़ना बुद्धिमानी होगी। यदि जगह तग होगी तो व्यवसाय की मात्रा में पदार्थ बृद्धि के बारण भवनों को अमुविधाजनक ठचाई तक ले जाना होगा या इस बात की आवश्यकता होगी कि व्यवसाय को नयी जगह मे ले जाया जाय या उसे ठिक भिन्न करने में अनावश्यक व्यय किया जाय। विभिन्न कारणाना (Workshop) तथा विभागों के लिए स्थान निर्धारित करने में भी इसी प्रसार की दूरदृश्यता से काम होना चाहिए ताकि वहां पर भी कार्यांवित्य के बारण स्थान की सीमा का अनिन्दण न हो जाय। निम्न भिन्न विभागों को किन्तु जाह देनी चाहिए—इसका निर्णय विगत अनुभव के आधार पर किया जा सकता है पर यदि विगत अनुभव उपद्रव नहीं हो तो प्रयोग विभाग के लिए तश्तुदूर आवश्यक उपकरणों (Equipments) तथा परिचालनों (Operations) की दृष्टि से अनुभान तैयार करना होगा। इसके बाद निर्मित के अन्तर्गत प्रक्रियाओं की अविकाना तथा सामग्रियों के सचलन (Movement) की दृष्टि से उत्पादन बेन्द्रा के दोच सम्बन्ध की निर्धारित बरता होगा। इसका अनिवार्य उद्देश्य यह है कि कार्य का प्रवाह जनवद्ध हो तथा अवरोध (Bottle-neck) के बारण काम की भीड़ (Congestion) न हो और न अर्धनिर्मित माड से यम्बद्ध कार्य को रोक कर पीछे को ओर मुड़ना पड़े। अनएव, प्लाट अभिन्यास का

आरम्भ बिन्दु उत्ताद्य वस्तु का विस्तृत विशेषण हो होना चाहिए। ऐसा डमलिए आवश्यक है चिकित्सक प्राये क उत्पादित माड़ या मेवा की अपनी समस्या होनी है। चीनी मिल के बड़े कच्चे माड़—ईब—पर प्रतिशाश बर्ती है, इस्पात मिल अपने कच्चे माड़ को विभिन्न स्थितियों में गुजारती है और जन मे वह एक कड़ी घानु में परिष्ठ प हो जाता है, या मोटर गाड़ी प्लाट में विभिन्न स्थानों पर अन्त अमनत प्रतिशायें होनी हैं और अन म दाढ़ार के लिए प्रबन्धन माड़ गाड़ी बैगर हा जानी है। सनन या सम्बद्ध प्रतिशा वह कहती है जो कच्चे माड़ मे शुद्ध हास्तर, विना किमी वापा या श्वावट के, निर्मित माल तक जारी रहती है, तथा उत्पादित के चर म, विभाओं की शृंखला उत्पादित माल को पूर्णतापर बनानी है। इन्हें कई अवन्याओं ने हानी हुई नवालिन होनी है। कहने का भाग यह है कि ये मध्यिराम (Intermittent) प्रतिशाय कई अल्प-अल्प विभिन्न विभाओं से निर्मित होती है जिनके दाग ने अनियम माल बन जाता है। ये प्रतिशाय एक दूसरे पर निर्भर बरती हैं और अन्य उत्ताद्य वस्तु के निर्मित होने में महादृष्ट होती है। निर प्रक्रिया दो प्रकार की हा मञ्चों हैं विशेषणमात्र (Analytical) तथा सम्बद्धप्रयोगमात्र (Synthetic)। जब कच्चा माल कई प्रकार के उत्पादा यथा तेल विषद्धि (Oil Refineries), यादा पिनार्ड जादि मे विभक्त कर दिया जाता है, तब प्रतिशाय विशेषणमात्र कहती है, बिन्दु जब प्रक्रिया कई वस्तुओं को एक में मिलत बर देती है तब प्रक्रिया सम्बद्ध (Synthetic) कहती है। उदाहरण, रग लेप (Paint), सफेद तेल तथा जन रगद्वारों का सयोग है।

सम्बद्ध प्रक्रिया उद्योग के किए विभिन्न अभियास इस तरह का होना चाहिए कि विभिन्न प्रतिशाय उन कारबानों म सम्पादित हा जो एक दूसरे से उभी जन मे जुड़े हों, जिन के से प्रतिशाय सम्पादित होती है। तभी उत्ताद्य वस्तु सम्बद्ध तप मे होकर न बरेगा। कार्य का प्रमात्र एक प्रक्रिया मे दूसरी प्रक्रिया तक अनवरद्ध होता है और किमी स्पान पर भीड़ नहीं होती। तथा थिकिं म्बच्छन्द तथा द्रुत गति मे एक स्पान मे दूसरे स्पान मे जाने हैं। कार्य के क्षेत्रों नवालन का तान्यर्थ होता है अधिकतम सरलता तथा भक्ति। इसका जर्य चलने किरने की जगह की न्यूनातिन्यून रम्बाई भी होना है। जन, निर्माण के काम मे लगा हुआ स्पान अधिकतम होता है। बिन्दु हो सकता है कि उत्पादित वस्तु इस तरह की न हो जो सम्बद्ध प्रक्रियाओं ने होकर गुजर न के लेकिन इस प्रकार की हो जो सम्बद्ध कारबानों मे निर्मित वस्तुओं के अन्तों मे बनती है। मर्गीन वा निर्माण उम मयोजन विभाग (Assembly Department) मे होना चाहिए जो अग्निर्मितिकारी बारबाना (Part-manufacturing Department) के केन्द्र मे नवालन हो। प्राप्ति तदा प्रदण विभाग (Receiving & Despatch Departments), जिसके नाय लदाई तथा उत्पादित टेक भी हा, बारबाने के प्रवेश द्वार या निर्माण द्वार पर नियंत्रित होना चाहिए, नेत्रिन यदि मम्बव हो मवे तो मम्बूर्ज अभियास को इस प्रशारजाने विकरना चाहिए कि विभिन्न विभाग, जो प्राप्ति तथा प्रेस-डेक्स (Receiving and Despatch Decks) का उपयोग करते हैं, एक दूसरे

के विपरीत सतुलन में हो क्योंकि प्रत्येक उत्तादनशील विभाग वो हमेशा इन विभागों से सामग्री प्राप्त करने तथा भेजने के समय काम पड़ेगा। निर्माणी द्वार के पास काललिपिक (Time-Keeper) का स्थान होगा। विद्युत प्रबन्धक का बाफिम, आगणन गृह (Counting House), त्रय विभाग तथा अन्य व्यापारिक विभाग भवन के मुख्य द्वार पर ही स्थित होंगे।

एकांकी) साहमी वहे व्यवसाय का साहम नहीं वर सकता और न प्रयाग करने की ही हिम्मत वर सकता है। इस प्रशार के व्यवसाय का प्रधान लक्षण यह है कि व्यक्ति स्वयं अपने निमित्त, जैसे जाखिम पर तथा बेबल अपने लाभ के लिए व्यवसाय करता है। वह न बेबल व्यवसाय में प्रयुक्त अपनी पूजी का स्वामी है वरन् प्रय वह उम्रता मण्डन-कर्ता भी है। जो भी हो, व्यवसाय से सम्बद्ध सभी वालों का वह सर्वेश्वरितार्थी निषेध-कर्ता है, जो जब चाह किसी को नीचर रख सकता है और जब चाह हटा सकता है और इच्छा के जनुमार वह अपना अधिकार दूसरों को समर्पित कर सकता है। ऐसिन अपने काम के लिए उस किसी प्रकार का पारिथमिक मिलना निश्चिन नहीं है और उने मालूम है कि वह जो भी लाभ जंतु वरता है, वह उसकी व्यावसायिक कुमारता पर निर्भर वरता है।

दिविन यह जाकन्यक नहीं कि वैयक्तिक व्यवसाय का पंजीयन (Registration) हो। व्यवसायों की बोटियों जो एकांकी व्यापारी के मण्डन का स्वयं धारण करती हैं, इस प्रशार है चुद्रा व्यापारी, फैन वार, मिटाई वारे (Confectioners) तथा प्रयक्ष मध्ये प्रदान करते वाले द्वारा।

राम (Advantages)—वैयक्तिक उद्यम संगठन के मुख्य लाभ इस प्रशार हैं

(१) वैयक्तिक उद्यम (उपकरण) की रक्कता करना तथा उसे सचालित बरना सख्त है। इसका स्वयंपित करने के लिए किसी वैमिक (Legal) आड्म्बर जैसे पंजीयन (Registration) को आवश्यकना नहीं होता। काई भी व्यक्ति इच्छानुसार, इस प्रकार के व्यवसाय में वर्गीकृत राज्य न उस पर काई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाता है, अपने का सख्त वर मन्त्र है। उदाहरणत कोई भी आदमी अनुज्ञाति (Licence) के द्वारा अकम या शराब न तो बेच सकता है और न निर्मित ही बर सकता है। शराबन्दी की दृग म, जैसे वस्त्री म, किसी भी आदमी का, वीष्यपि ने बामा के मिठा, शराब निर्माण तथा विक्रय व्यवसाय बरने की स्वतन्त्रता नहीं है।

(२) निजी व्यवसाय का दूसरा वाला लाभ है व्यवसाय में जरूरत अविष्ट दिलच्छी तथा तज्जनित साक्षातों, दक्षता तथा मिनव्यविता। नीति निर्वाचन में बड़ा लोच होता है क्योंकि एकांकी व्यवसायी सर्वेश्वरितार्थी (Supreme) स्वामी होता है जो परिस्थिति की मांग पर कभी भी परिवर्तन कर सकता है।

(३) तथु व्यवसाय की सफलता के लिए गोपनीयता (Secrecy) बहुत महत्वपूर्ण है, और एकांकी व्यापारी एकी स्थिति में होता है कि वह अपने मामलों का अपने तर ही सीमित कर सकता है।

(४) बिलम्ब (Prompt) निषंय में दक्षता (Efficiency) पैदा होती है और अविभूत निषंय का उद्भव तत्परता (Preparedness) तथा दायित्व प्रदृश की उत्तुकता में होता है। एकमात्र स्वामी होने के कारण एकांकी व्यापारी शीघ्र निषंय कर सकता है तथा इस पर काष्ठम रह सकता है।

(५) नियन्त्रा की मात्रा भयांग हो भी है तथा लाभ का सर्वोत्तम स्वामी का होना है। प्रयाम व पारिथिभिक वा नोधा मन्दन्य एकारी स्वामी वा अभिक्षिनम प्रयाम बरने का प्रेरित करता है। पज्जोबाद वा मुनहल्ला नियम कि जहा जोखिम है वही नियन्त्रण भी रहना चाहिए, इस प्रकार के संगठन म आदर्शप्रबन्ध रीति से लाग होता है।

(६) एकारी व्यवसाय इन स्थिति म है कि वह जपने ग्राहकों के गहरे सम्पर्क में रहे तथा उनकी रचियों को पूर्ण करता रहे और इस प्रकार वह जपन लिए बृहत् स्वाति (Goodwill) को रखना देरे। वैयक्तिक स्वामी उन सारे व्यवसायों म समृद्धि होता है जहा 'वैयक्तिक तत्त्व' की महत्वा होती है।

(७) बृहत् स्वाति (Large Goodwill) प्रात्कों को बड़ी सम्भातया अमीमिन दायित्व—इन तीनों के मिलने मे यह मन्दन्य है कि प्रदायक (Creditors) उने बुखर उधार देने को उद्यत हा जाए, और इस तरह एकारी व्यापारी अधिक लाभ के लिए जपने व्यवसाय का विस्तार कर सकता है।

(८) दोषी दुकान के स्पृष्टि में वैयक्तिक स्वामित्व का समाजसान्तोष महत्व इस वान मे है कि वह अभिकार्य सेवाएँ प्रदान करता है और साथ-साथ बहुत मे लातों के लिए स्वनन्य गोजी बमाने वा मायन बनता है। एकारी व्यवसाय एक ऐसे जीवन व वारे को सम्बोध करता है जिसमें उच्चरोटि का जाननिर्णय है सात्रेष्य बादेम्पादन वा आनन्द है, सामाजिक समर्पण का उमाह है, नुगम्बद्ध परिवार का आनन्द है तथा नोकर सरेवा जीवन (Non-proletarian life) नहीं है। मयुन स्वन्य कम्पनी मे दो परियोग वैयक्तियों के हाथ मे शक्ति वा केन्द्रोक्तरा होता है पर एकारी व्यवसाय मे अभिपत्ति विवेदित होता है। इनके परिस्तिक आनन्दन्तरा, उत्तरदायित्व, स्वप्रकर्तृत्व (Initiative) के गुण, जिनका सामाजिक महत्व बरन्त जपित है, एकारी ग्राहकों मे विक्षित होते हैं।

अमर्त्यम् (Disadvantages)—इनके लाभों के बावजूद भी इस प्रकार के मन्दन्य वो बहुत गम्भीर नीतियाएँ हैं, जो लोकों की जानी हैं-

(१) प्रथम गोप्ता पूजी के सम्बन्ध मे है। इन्होंने जाने वाली पूजी की राशि आवश्यक स्पृष्टि मे मीमित होती है। एकार अपवादरूप अवस्था को दोषी बोर्ड एक जादी इन्होंना धनान्देश नहीं हो भवता वि व्यवसाय के लिए पर्याप्त पूजी दे सके या पर्याप्त पूजी देने को इच्छुक होता है। इनके अनिरिक्त, चूबि एकारी व्यवसायी इनके व्यवसाय का "रामान निर्धारित होता है, जन त्रिनियोगाओं को उनके हाथ म जपना जन दे देने को प्रेरित नहीं किया जा सकता। इन प्रकार उनकी पूजी उनकी ही राशि तक मीमित होती है जो वह स्वयं या अपने मित्रों या सम्बद्धियों के द्वारा मे निर्जी सात पर प्रात्तकर मरता है। परिमित पूजी के व्यवहार का तात्पर्य है परिमित सामन।

(२) दूसरा बड़ा अनाम है परिमित व्यवसायन क्षमता (Limited Manufacturing Ability)। रिम्मी एक व्यक्ति ने, चाहे वह इनका ही योग्य क्षमा न हो, उसका नहीं की जा सकती ऐसे उने व्यवसाय की प्रत्येक शास्त्र की पूरी जानकारी प्राप्त होती अनु वह उन वायों के बरने मे अपनी वैयक्ति का हु म वर देना जिन कायों के मम्पाइन मे

साझेदारी में या कम्पनी में दूसरों के जिम्मे सौंपा जा सकता है। चूंकि प्रत्येक काम उसे देखना ही चाहिए, अत एकाकी व्यवसायी उत्तरदायित्व का बहुत बड़ा बोझ दोये रहता है जिसके भार में वह दब जाएगा यदि निर्णय, कुशाश्रता (Intelligence) तथा मेहमानी की दृष्टि से उसकी क्षमता असीम नहो। इम प्रकार से हो सकता है कि उत्पादन लागत में बढ़ि हो जाय और लाभ में उतनो ही कमी हो गए। प्रत्यक्ष प्रेरणा अ र अविलम्ब वार्ता, एकाकी व्यवसाय के ये दो बड़े लाभ समाप्त हो जाते हैं, यदि हम यह सोचें कि एक व्यक्ति की जपेक्षा दो व्यक्ति थेष्टर हैं या किर कि वह एक व्यक्ति सर्वोक्षित हो।

(३) पूँजी तथा व्यवस्थापन योग्यता की परिमितता व्यवसाय विस्तार पर रोक का काम करती है।

(४) व्यवसाय स्वामी की दृष्टि से अपरिमित दायित्व दूसरा लाभ है। उसके प्रदावकों (Creditors) का दावा उसकी सारी सम्पत्ति पर होता है, न कि बेबल व्यवसाय में विनियुक्त धन राशि पर। नियन्त्रण बेन्ड्रीकरण का लाभ जोखिम के एक दौरे से समाप्त हो जाता है। यह जोखिम कभी-कभी बहुत बड़ा हो सकता है और एकाकी व्यवसायी जा कुछ करता है उसके बदले में उने पारिवर्त्यिक प्राप्त हो जाए, इस बात का कोई निश्चय नहीं।

(५) सामाजिक व वैयक्तिक दृष्टि से एकाकी व्यवसाय की बहुत बड़ी नुटि यह है कि इसमें स्थायित्व का बनाये रखना कठिन है और शास्त्रता उसमें भी अधिक कठिन है। जब स्वामी की मृत्यु हो जानी है या वह इस लायक नहीं है कि वह व्यवसाय का सचारन या अपने भाग्य का निर्देशन वर सके तब व्यवसाय का अन्त हो सकता है। सामान्यत व्यवसामी की जीवनाधिकारी स्वास्थ्य उसके व्यवसाय के जीवन काल की सीमा परिवर्द्ध करता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि उसका उत्तराधिकारी भी व्यवसाय भव्यालन की योग्यता रखे या उसमें ऐसा सामर्थ्य हो। व्यवसाय की अविच्छिन्नता (Continuity) मुख्यत उत्तराधिकार तथा विश्वानुभव पर निर्भर करती है। ऐकिन प्राय यह होता है कि उत्तराधिकारी भ आवश्यक योग्यता की कमी होती है और व्यवसाय दूसरी व तीसरी पाँड़ी में निर्बल कन्धा पर आ पड़ता है। श्री मार्गेल महोदय न इस घटना का इनना विस्तृत उल्लेख किया है कि वह उद्भूत करने के लायक है। व्यवसायी के पुन वो एक विशेष लाभ प्राप्त है कि उसे अपने पिता की व्यावसायिक व्यवस्था व ममस्था वो गोर से देखने का अवसर है, प्राय उसे उत्तराधिकार में पर्याप्त पूँजी मिलती है, और वह स्थापित मणीनों तथा व्यापारिक सम्बन्धों से व्यवसाय प्रारम्भ करता है। ऐकिन उसमें अनुशासन, प्रेरणा तथा प्रारम्भिक मध्यर्पण की कमी है। इतिहास में ऐसे घटन के बहुत उदाहरण मिलते हैं जिमका परिणाम यह हुआ कि व्यवसाय की या तो समाप्ति हो गयी है या नये लोगों का समिलित वर व्यवसाय को चालू रखा गया है। इम कठिनाई का दूर करन तथा व्यवसाय में नवजीवन दालने के लिए तत्वमें सरल विधि है कि योग्यतम कर्म-चारी को साझे में सम्मिलित वर लिया जाए।

भारतवर्ष में अविभक्त हिन्दू परिवार पर्म के रूप में पारिवारिक व्यवसाय हैं

जो सारत एकांकी व्यवसायी हैं जिसे उपयुक्त सभी लाभ व अलाभ प्राप्त हैं। अतः, साझेदारी पर विचार करने के पहले हम अविभक्त हिन्दू परिवारकर्म तथा इसके मुख्य व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे तथा यह देखेंगे कि यह साझेदारी से किस प्रकार भिन्न है।

### अविभक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय<sup>1</sup>

हिन्दू विधि या समाज की दो पद्धतियां हैं, अर्थात् दायभाग जो वगाल में व्यवहार्य है और मिताक्षरा जो भारतवर्ष के क्षेत्र भागों में प्रचलित है। मिताक्षरा विधि के अनुसार अविभक्त परिवार हिन्दू समाज की सामान्य अवस्था है तथा अविभक्त हिन्दू परिवार म वशानुव्रत से एक पूर्वज से जन्म प्रहृण करने वाले सभी लोग होते हैं जिसमें उनकी पत्निया तथा पुत्रिया भी सम्मिलित होती हैं। इस अविभक्त परिवार के अन्तर्गत कुछ ढंगे व्यक्तियों का एक छोटा समूह होता है, जिसमें केवल वे लोग होते हैं जो जन्मना सपुत्र या दादेलाई (Coparcenary) सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त करते हैं। ये सम्पत्तिधारी के पुत्र, पौत्र तथा प्रपोत्र होते हैं। पुरुष सम्पत्तिधारी के बाद की तीन अविच्छिन्न लन्तर सततियों से दादेलाई की रचना होती है तथा एक हिन्दू के द्वारा उत्तराधिकार में पिता, पिता के पिता तथा पितामह से प्राप्त सम्पत्ति पैतृक सपत्ति होती है। अन्य दूसरी सम्पत्ति जिसे वह अपने सम्बन्धियों से या अपने प्रयत्न से प्राप्त करता है उसकी अपनी अलग सम्पत्ति होती है। पुत्र, पौत्र तथा प्रपोत्र जन्म से ही सम्पत्ति के सहस्यामी हो जाने हैं। पिता परिवार का प्रधान बनकर सम्पत्ति को धारण कर सकता है तथा उसका प्रबन्ध कर सकता है। हालांकि पुत्र को भी पिता के साथ उस सम्पत्ति में समान स्वत्व धारण करने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार है और वह अपनी सम्पत्ति को पिता की सम्पत्ति से विभाजित कर सकता है।

हिन्दू विधि (Hindu Law) में व्यवसाय एक पृथक् उत्तराधिकार-प्राप्त आस्ति (Asset) है। हिन्दू की मृत्यु के बाद यह अन्य उत्तराधिकार प्राप्त सम्पत्ति की भाँति उत्तराधिकारी को मिल जाती है। यदि वह नर सन्तति छोड़ जाता है तो व्यवसाय उन्हीं को मिलता है। नर सतति के हाथ में पड़कर यह अविभक्त परिवार कर्म हो जाता है। नर सन्ततियों के बीच में इस प्रकार से रचित सयुस्त स्वमिल्ल सामारण साझेदारी नहीं है जो प्रसविदा से उद्भूत होती है, यह एक साझेदारी (Partnership) है, जो विधि के प्रवर्तन से बनती है। अतः, सदायदारों (Co-parceners) के साथियों व अधिकारों का निर्धारण भारतीय साझेदारी अधिनियम १९३२ में दी गयी व्यवस्थाओं के द्वारा नहीं होता। इस पर हिन्दू विधि के सामान्य नियमों, जो सयुस्त परिवार के लेन-देनों का नियमन करते हैं, की ही दृष्टि से विचार करना चाहिए।

सयुस्त परिवार के व्यवसाय का प्रबन्ध साधारणतः पिता या अन्य तत्कालीन अग्रतम व्यक्ति (Senior) करता है। वह कर्ता या व्यवस्थापक कहा जाता है। परिवार के प्रधान की हैसियत से आप-व्यप्त

1. Adapted from D. F. Mulla, Principles of Hindu Law.

पर उपका नियन्त्रण होता है तथा यदि कोई रकम बच जानी है तो वह रकम उसकी देख-रेख में रहती है। परिवार के अन्य सदस्य व्यवसाय मंचालन के सम्बन्ध में उसके नियंत्रण में मीनमेल नहीं कर सकते, उनके पास केवल एक ही चारा है कि वे वटवारे की मांग पारें। इसके विपरीत, यदि उसने उनके हिस्से की रकम का दुरुपयोग किया है या ऐसे मद में खर्च किया है जिसमें परिवार की दिलचस्पी नहीं थी तो वह उस प्रकार खर्च की गयी रकम को पूर्ति करने का दायी है। व्यवसाय के व्यवस्थापक को पारिवारिक व्यवसाय के लिए रूपया उधार लेने का ध्वनित अधिकार (Implied Right) है लेकिन दूसरे सदस्य का दायित्व पारिवारिक सम्पत्ति में हिस्से तक ही होता। पुनः व्यवस्थापक को व्यवसाय से सम्बद्ध प्रविविदा करने, रमीद देने, पावना का भुगतान लेने या तत्सम्बन्धी समझौता करने का अधिकार है, क्योंकि इस प्रकार के व्यापक (या सामान्य) अधिकार के बिना व्यवसाय का संचालन ही अमम्बव कार्य हो जाएगा। किन्तु परिवार के द्वारा प्राप्त कृदण को वह छोड़ नहीं सकता। व्यवसाय मंचालन के अधिकार के बारें आवश्यक रूप से उसे यह ध्वनित (Implied) अधिकार भी प्राप्त हो जाता है कि व्यवसाय सम्बन्धी वंध व उचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारिवारिक सम्पत्ति को बन्धक (Mortgage) रखे या बेच डाले। और इस बात का नियंत्रण करना कि अलाभदायक ध्यवसाय को चालू रखना चाहिए कि बन्द कर देना चाहिए, उम पर निभंर बरता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, परिवार के सभी व्यक्ति मदस्य पारिवारिक सम्पत्ति में अपने हिस्से तक पारिवारिक कृदण के लिए दायी हैं और उन्हें दिवालिया करार दिया जा सकता है। लेकिन अवयस्क (नावालिय) मदस्य को दिवालिया करार नहीं दिया जा सकता, हालांकि भुगतान करने के लिए उमकी सम्पत्ति हस्तांतरित की जा सकती है।

### साझेदारी संगठन

वैयक्तिक साहम संगठन में कार्य बड़ी तरफ परिस्थितियों में सम्पादित होता है, हर आदमी अपना लाभ देखता है और व्यवसायों का प्रशासन (Administration) एक प्रकार की प्रतियां है जिसमें प्रत्येक अपने काम का खाता रखता है। संगठन स्वामित्वधारी का विस्तार मान है। यदि स्वामित्वधारी अच्छे व्यवसायी के गुण से युक्त हैं तब लाभार्जन करता है। लेकिन हमेशा भर सम्भव नहीं कि किसी एक व्यक्ति में सारे आवश्यक गुण विद्यमान हों या उसके पास सकल व्यवसाय मंचालन के लिए, जो सकलता के साथ आकार में बहुत जायगा, पर्याप्त पूँजी हो। अतएव समान स्वास्थ्य तथा सामर्थ्य के लोग अपने साधनों को युक्त करते हैं। तथा पूँजी, श्रम तथा कौशल के इस संयोग में साझेदारी संगठन का जन्म होता है। इस प्रकार की कल्पना में उद्भूत व्यवसाय उन विभिन्न धरणियों के योग्य व्यक्तियों की बकादारी का मिलन-विनियु होता है जो पारस्परिक सकलता के लिए उपलब्ध हैं। अतएव ये उद्भूत व्यवसाय के सदस्यों या पड़ोसियों के साहचर्य (Association) में अधिक नहीं या जो एक दूसरे से अच्छी तरह परिचिन होने तथा जो विसी काम के लिए अपने साधनों के बोडे हिस्सों को एकत्रित करते थे। प्रायः वह काम या व्यवसाय ऐसा होता कि उसके लिए आवश्यक पूँजी किसी एक व्यक्ति से प्राप्त पूँजी में अधिक होती या जोखिम इतना बड़ा होता कि

उनका सम्मुखीय भार इनी एक जादमो के लिए उठा बढ़ना सामर्थ्य के बाहर होता। अब ऐनिटामिन्स दूषित में साझेदारी संगठन का जन्म इन आवश्यकताओं की पूर्ति बरने के लिए हुआ है—वर्धमान बाजार के लिए उत्पादन के हित अधिक पूजो अधिक प्रभावी निरोक्षण तथा नियन्त्रण, स्वामिन्द्रियाद्वारा वीच थेप्टनर कार्डिनेशियाजन तथा विशेषीकरण और जैविक का विभाजन ( Spreading )। साझेदारी संगठन व्यवसाय बाजार को विस्तृत करने की सबसे सरल विधि है और साथ-साथ एकाकी उत्पादक को उनके दायित्व से अग्रन् मुक्त भी कर देता है। लेकिन इनका यह तात्पर्य नहीं कि साझेदारी संगठन नुटियों में मैट्रिक रहता है। इनका मफल मचालन पारस्परिक विचारात् तथा उन्हें सद्व्याप्त सद्व्याप्तना पर निर्भर करता है। चूंकि प्रत्येक साझेदार इससे साझेदार का अनिवार्य है तथा घन के मानक में उने पूरा उन्नतदारी बनाना है इसलिए साझेदारी का चुनाव करने समय पूरी मात्रानी बरतने की जावशक्तिता है। ऐसा बहा गया है कि “जब तुम साझेदार के बारे में विचार कर रहे हो तब जन्मी न हो—उनका परोक्षण बरतने के लिए तुम अपने को समझ दो। साझेदार चुनना पत्ती चुनने वी तरह है। जन्मों में विचार करना बाद में पछाना है—दोनों अवस्थाओं में शानि में विचार करने की तथा निश्चित जानकारी की आवश्यकता है।

साझेदारी की प्रकृति व स्वरूप—प्रतिविदा बरतने के योग्य व्यक्तियों का वह साहचर्य जिसमें वे मिलकर लाज के उद्देश्य में वैद्य व्यवसाय बरतने को महसून होते हैं, साझेदारी है। इन तरह का संगठन सामाजिक पूजो, धर्म कौशल या धर्म व कौशल दोनों के सम्बोध से होता है लेकिन वैद्यक पूजो देने और सम्पत्ति के सद्युक्त स्वामित्र भान से ही साझेदारी का निर्माण नहीं होता क्योंकि विधि वी दूषित में साझेदारों का अपना वर्ष होता है और साझेदारों को प्रकृति संगठनों के लिए सबसे चच्छा यह होता कि हुन मास्नीय साझेदारी अधिनियम १९३२ में दी गयी परिभाषा वो देखें। अधिनियम को इसी पारा में परिभाषा इस प्रकार दी गयी है “उत्कृष्टियों के ऊंचे” वा सम्बन्ध जो अपने हारा मचालिन या सबके निमित्त विधि एक हेडाय सचाइन व्यवसाय में होते वाले लाभ वो विभाजित करने के लिए महसून होता है।” इस परिभाषा में दो पाच तत्व हैं जिनके मिलने से साझेदारों का निर्माण होता है।

१. साझेदारों एक प्रतिविदा वा परिषाम है, जो
२. दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच,
३. जो व्यवसाय बरतने को महसून होते हैं,
४. दाम-जर्जर के उद्देश्य में विदा जाता है,
५. यह व्यवसाय सभी भूमत व्यक्तियों, या मवके हेतु उनमें से किसी एक व्यक्ति हारा सम्मानित होता है।

इनी समह वे व्यक्तियों को साझेदार होने के लिए इन सभी तत्वों का होना आवश्यक है। प्रायः ऐसा होता है कि यदि निश्चित क्षम से लिखित राजीनामा न हो तो मह तर कसा छिन हो जाता है कि साझेदारी है या नहीं। व्यवसायों हमेशा सभी प्रकार की सम्भावनाओं में बचने की व्यवस्था नहीं करते, यदि कार्डिनेशियान-भाव के

लिए भी इन्तजाम हो गया है तो वे सन्तुष्ट हो जाते हैं और जब तक कुछ गोलमाल न हो जाय बालूनी उलझनों में भी लोग नहीं पड़ते। अतएव साझेदारी के लिए उपयुक्त इन आवश्यक तत्त्वों की चर्चा करना आवश्यक है। पहले तत्त्व से यह मालूम पड़ता है कि साझेदारी प्रसविदा का परिणाम है और यह किसी स्थान, जैसे अधिकार परिवार पर्म में स्थिति का परिणाम नहीं है। हमरा तत्त्व बताता है कि साझेदारी व्यक्तियों वे ऐच्छिक आचरण का परिणाम है और इससे यह भी पता चलता है कि प्रसविदा वे लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता है। साझेदारी अधिनियम साझेदारों की अधिकृतम स्थित्या के सम्बन्ध में कुछ नहीं बहता लेकिन भारतीय कम्पनी अधिनियम १९१३ की धारा ४ के अनुसार अधिकोपण (Banking Business) व्यवसाय के निमित्त साझेदारों की स्थित्या १० तथा अन्य व्यवसाय वे निमित्त २० हो सकती हैं। इनमें अतिरिक्त, जब साझेदारी का उद्देश्य अवैध हो या अनेकिक या सरकारी नीति के प्रतिकूल हो या इसमें अवैधता के प्रविष्ट होने से अवैध हो गया हो या अन्तर्राष्ट्रीय मौजूद्य के विरुद्ध हो तब साझेदारों अवैध हो जाती है। अवैध साझेदारी न्यायालय में न्याय याचना नहीं कर सकती हालांकि इसके विरुद्ध मुकदमे खाल्ये जा सकते हैं यद्यन्ते कि मुकदमा ठोकन वाले ने इसके साथ वैध प्रसविदा की हो या वह किसी भी तरह उस अवैध कार्य से सम्बद्ध न हो। तीसरा तत्त्व इस बात पर जोर डालता है कि प्रसविदा व्यवसाय सञ्चालन के लिए की गयी हो। साझेदारी से व्यवसाय की ध्वनि निकलती है और जहां व्यवसाय मपादन के हित साथों या सम्मेलन नहीं है वहा साझेदारी नहीं हो सकती। अधिनियम में व्यवसाय शब्द सबसे विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त विया गया है तथा इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के व्यवसाय आ जाते हैं। इसम प्रत्येक प्रकार के व्यापार (Trade), उपजीविका (Occupation) तथा कृति (Profession) सम्मिलित है। यह दीर्घ परिचालन (Operation) तक ही सीमित नहीं है, इसमें कोई एक व्यवसाय भी आ सकता है और तब यह विशेष साझेदारी (Particular Partnership) बहलता है। जब इसका निर्माण अनिश्चित बाल या व्यवसाय के लिए होता है तब उस इच्छानुसार साझेदारी (Partnership at Will) कहा जाता है। पहले प्रकार की साझेदारी का अन्त व्यवसाय की पूर्ति हो जाने या अवधि के बीत जाने पर होता है तथा दूसरे प्रकार की साझेदारी का अन्त किसी साझेदार द्वारा इसे समाप्त करने की मूचना देने से होता है।

चौथे तत्त्व के अनुसार, साझेदारों के बीच व्यवसाय सञ्चालन की सहमति का उद्देश्य होता है सबके निमित्त लाभ का अजंता। अत दानशीलता का कोई कार्य, चाहे उसम वितना भी व्यवसाय थयो न हो, साझेदारी नहीं है। यद्यपि लाभ में हिस्सेदारी आवश्यक है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो व्यक्ति लाभ में हाय बटाने हैं, वे साझेदार हैं। प्रबन्धकर्ता, जिसे व्यवसाय के लाभ में हिस्सा पिलता है, फर्म का भूत्य ही है, साझेदार नहीं, और फर्म को उधार देने वाला महाजन, जिसे व्यवसाय के लाभ में हिस्सा देने की शर्त है, उत्तमगं (Creditor) है साझेदार नहीं। साझेदारी की रचना के लिए लाभ की सजानीयता (Community) होनी चाहिए, हितों का समर्पण नहीं, जैसे क्रांतिकारियों व ऋणधारियों की अवस्था में होना है। पाचवा तत्त्व साझेदारी

काबड़ी ही महत्वपूर्ण उपाय है क्योंकि साझेदारी का आमारभूत विचार है अनिकरण का विचार, तथा तो यह है कि साझेदारी अभिकरण का ही विचार है। प्रयेक साझेदार अपने तथा दूनरों के निमित्त अभिकर्ता और प्रयान दोनों हैं। कहन का अर्थ यह है कि प्रयेक साझेदार अभिकर्ता है जो दूसरे साझेदारों को, जो उसके प्रयान हैं, उत्तरदायिन्व से आबद्ध करता है तथा स्वयं प्रयान की हैमित्र में दूसरे साझेदार, जो उसके अभिकर्ता है, के कर्तृत्व में आबद्ध होता है। इस प्रकार साझेदारीमुक्त मन्दन्द में अभिकर्तृत्व व्यक्ति होता है और जिसके परिणामस्वरूप प्रयेक साझेदार जो व्यवसाय को मचान्ति करता है, दूसरे साझेदार का अभिकर्ता ममजा जाता है। व्यवसाय मचालन्व का भार एक या एक से अधिक साझेदारों का भाग दिया जा सकता है लेकिन जब तक व्यवसाय अन्य साझेदारों के माध्यम से तब तक यह साज का व्यवसाय है।

वे व्यक्ति जो एक दूसरे के माध्यम साझेदारी में प्रविष्ट होता है व्यक्तिगत रूप से साझेदार, तथा सामूहिक रूप में फर्म कहलाते हैं तथा जिस नाम से व्यवसाय होता है वह 'फर्म' का नाम कहलाता है। फर्म एक सूचितवालक शब्द है जो साझेदारों का दोनों है तथा इनका साझेदारों में जक्ग कार्ड वैश अस्तित्व नहीं है। कम्पनी की तरह न तो यह कार्ड वैश मत्ता है और न कार्ड एमा व्यक्ति है जिसका साझेदारों में पृथक् कार्ड अविकार प्राप्त हो। केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकते हैं, फर्म या मन्दन्द (Association) नहीं। प्रयेक साझेदार एक अभिकर्ता है जो फर्म के नाम पर मन्दादित किये गये भी नियमित कार्डों, जैसे व्यापार के निमित्त स्वाक्षर स्टाक व सरोडव विक्री, सूचतया अभिकर्ताओं की नियुक्ति, वन की उपर प्राप्ति या विनियोग दरों (Negotiable Instruments) के नियंत्रण द्वारा सभी मदम्बी को बाध्य कर सकता है। साझेदार का यह कार्ड फर्म का कार्ड समझा जाता है तथा साझेदार के द्वारा इस अधिकार का उपयोग साझेदार का वह व्यक्ति ( Implied ) अधिकार है, जिसमें वह अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है। लेकिन साझेदारों को नियमित कार्डों के लिए व्यक्ति या अप्रयेक (Implied) अविकार नहीं है —

१. फर्म के व्यवसाय में सम्बद्ध जगहें को पचायन के सुरुद्दि करना,
२. फर्म के नियमित अपने नाम में बैंक में साता सौलाना,
३. फर्म के किनी दावों को पूर्णना या अदान-त्पान देना या तन्मध्यमी समझौता करना,
४. फर्म की ओर से विये गये मुकद्दमे या तन्मध्यमी कार्यवाही (Proceeding) को वास्तव लेना,
५. फर्म दर इये गये मुकद्दमे के कोई दायिन्व स्वीकार करना,
६. फर्म के नियमित अबद्ध सम्पत्ति जीतन करना,
७. फर्म की बचल सम्पत्ति हम्मानरित करना,
८. फर्म की ओर से साझेदारी में प्रविष्ट होना।

यद्यपि साझेदारी के कार्ड फर्म के नाम से सम्पादित होते हैं, फिर भी उनमें उन्मन दायित्व सामूहिक तथा विभाजित, या वंशक्रिक होता है जो प्रत्येक साझेदार पर होता है।

तथा अपरिमित होता है। यदि साझेदार इम दायित्व को आपमों समझते हैं मेरी सीमित वर्तमान है, तो उनका ऐसा करना उनमें इतर पा.गा के लिए वैध नहीं होता। इमकी विनाशकीयता नहीं है। अतः जब कोई साझेदार लापरवाही करता है, या धनियायक कार्य करता है, या धोखेगाजी का दोषी है, तब उमकी अधिकार-परिधि के अन्तर्गत उमके दूसरे साझेदार भी उमके साथ समान रूप से अधिकारिक दायित्व के भागी है। फर्म से निवृत्ति के बाद भी साझेदार फर्म के बृहत्या के लिए दर्यी हो सकता है यदि उसने अपनी निवृत्ति की आम सूचना नहीं दी है। सभी महत्वपूर्ण कार्यालय, जैसे फर्म की नीति के निर्माण वे समय सावधारा का सहमत होना अनिवार्य है ट्रांजिशन फर्म के साधारण मामला में अधिकार (Majority) अधिकार का आमन ही चलता है। काई साझेदार फर्म का प्रतियोगी नहीं हो सकता और न तो प्रायश अनुमति के बिना फर्म के हाथ नियमी प्राप्तार की विक्री कर सकता है और न खरीद ही कर सकता है या इसके साथ बाहरी अधिकार की तरह अन्य व्यवहार कर सकता है, यदि ऐसा करता है तो वह अन्य साझेदारों के आगे तत्सम्बन्धी हिसाब देने के लिए अपने का दायी ठहराता है। सर्वगम्मति के द्वारा साझेदारों में स्वतंत्रता नहीं हो सकता। यदि इसके विपरीत इन्हाँ नामकरण नहीं होता, मृत्यु, दिवाला, या विभी गद्य का मद्यना-यात्रा फर्म को समाप्ति का कारण होता है।

साझेदारों के सम्बन्ध का आधार पारम्परिक धार्था (Faith) तथा विश्वास (Confidence) है। एक बार तो प्रत्येक माझेदार का व्यवसाय के प्रबन्ध में हाथ बटाने का अधिकार है और दूसरी आर उमका यह क्षतिव्य है जिसके बहुत सारे माझेदारों का अधिकार में अधिकार समान लाभ के लिए उसाहजनक सहयोग के माध्य काम करता चाहिए। चूंकि उद्देश्य की सचाई तथा व्यवहार का औचित्र माझेदारों के मौलिक मिळान्त है, जब माझेदार वा चुनने के समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्यांति हो सकता है जिस सावधार का गलत चुनाव फर्म के विनाश का कारण बने।

### अन्य माहौलों (Associations) में माझेदारी का विमेद

सह स्वामित्व तथा साझेदारी (Co ownership and Partnership) — एसा सम्भव है जिसस्वामी अपनी सम्पत्ति का उपयोग व्यवसाय के लिए कर तथा लाभ आपस में बाट ले पर किर भी के साझेदार न हो। हम दोनों के बीच अन्तरममन सकत है। महस्वामित्व मर्वेंडा ट्रस्टर वा परिणाम नहीं होता, इसकी उन्नति विधि के प्रबन्धन के कारण या परिस्थितिवश हो सकती है। इसके विपरीत, साझेदारी निविन प्रया मौलिक या घनित (Implied) इन्हाँ में ही हो सकती है। सह-स्वामिया के मध्य वह घनित अभिन्नत्व नहीं है। यह आपस्थक नहीं हिस्से है व्यवसामित्व में लाभ और हानि साझी हो लेविन माझेदारी में ऐसा होता है। एक महस्वामी दूसरा भी अनमति के बिना भी अपनी सम्पत्ति तथा स्वतंत्रता का अपरिचित के हाथ हस्तान्तरित कर सकता है लेकिन साझेदार अन्य माझेदारों का अभिवत्ता है, जब माझेदार सम्पत्ति पर उमका धरणाधिकार (Lien) है लेविन महस्वामी का मयूर सम्पत्ति पर

ऐसा धरणाधिकार नहीं। सहस्वामी सम्पत्ति को बस्तुओं के बटवारे की मांग वर सबता है लेकिन नाज़ेदार ऐसा नहीं वर सबना। उसका केवल यही अधिकार है कि वह सम्पत्ति से प्राप्त लाभ का हिस्सा ले।

समाप्तेलित (Incorporated) कम्पनी तथा साझेदारी—साझेदारी का वैधानिक व्यक्तिगत (Legal Entity) नहीं हाना तथा इसका साझेदारों से पृथक् काई अधिकार तथा दायित्व नहीं होता। लेकिन कम्पनी जैसे ही सम्पापित होती है, जैसे पर्यावरण के द्वारा, वैसे ही यह एक वैधानिक व्यक्ति हो जाती है और मनुष्य व्यक्ति की नाई यह मुकदमा चला सकती है तथा इस पर मुकदमे चलाये जा सकते हैं। साझेदारी म अलग-अलग साझेदारों के विश्व अधिकार तथा दायित्व प्राप्त होते हैं ताकि इने निर्मित वरने वाले सदस्यों के विश्व। साझेदारों का दायित्व अपरिहित होता है लेकिन अशाधारियों का दायित्व परिमित होता है। इसके अनियन्त्रित साझेदारी की मृत्यु से फर की समाप्ति, साझेदारों की स्वीकृति के बिना स्वतं वा हस्तान्तरण करके अपने स्थान पर नया नाज़ेदार न ला सकता, साझेदारों का एक दूसरे के प्रति पारस्परिक दायित्व—ये कुछ ऐसे लभण हैं जो साझेदारी को कम्पनी से बिलग करने हैं।

साझेदारी तथा अधिभवन हिन्दू कुटुम्ब फर्म—साझेदारी तथा अधिभवन हिन्दू कुटुम्ब फर्म के बीच निम्नलिखित विभेद हैं।

१. साझेदारी पर्यां के बीच मतिश (Contract) से ही हो सकती है, लेकिन अधिभवन हिन्दू कुटुम्ब फर्म में अपना मानवन्द विच्छेद कर लेता है तब उसे लाभ-हानि का अधिकार नहीं रहता। लेकिन नाज़ेदारों में इनके विपरीत होता है।

२. हिन्दू कुटुम्ब फर्म में पट्टीशार की मृत्यु या दिवालियाप्ति (Insolvency) से समाप्त नहीं होता लेकिन नाज़ेदारों सामारण्य समाप्त हो जाती है।

३. पट्टीशार जब बौद्धिक फर्म में अपना मानवन्द विच्छेद कर लेता है तब उसे लाभ-हानि का अधिकार नहीं रहता। लेकिन नाज़ेदारों में इनके विपरीत होता है।

४. अ. हिन्दू कुटुम्ब फर्म में डेवल प्रबन्धकर्ता (कर्ता) को ही यह घनित या अपने अधिकार है कि वह बौद्धिक व्यवसाय के उद्देश्य के दशीभूत होकर ऋण ले या कर्न की साथ या सम्पत्ति को जमानत रखे। साझेदारी में कोई भी नाज़ेदार व्यवसाय मतालन में ऋण प्राप्ति के द्वारा जब सह नाज़ेदारों (Copartners) को कान्ध बर सकता है।

५. नाज़ेदारों का दायित्व मन्त्रन तथा विभाजित है, पानी प्रत्येक नाज़ेदारों सम्पत्ति में नाज़ेदारों का जो हिस्सा होता है उनका दायित्व उनका ही सीमित नहीं होता वरन् प्रत्येक नाज़ेदार की नियी सम्पत्ति भौं साझेदारों के दायित्व में चली जाती है। कर्ता के द्वारा किये गए ऋण, जा बहु (कर्ता) बौद्धिक व्यवसाय के मामाले मतालन के नियमित में लेता है, की जबन्दा में कर्ता के दायित्व तथा परिवार के और सदस्य के दायित्व में अन्तर है। प्रबन्धकर्ता या कर्ता मन्त्रन कुटुम्ब सम्पत्ति में अपने हिस्से तक ही दायी नहीं है, चूंकि वह किये जाने वाले अनुबन्ध में एक पक्ष है, जो, वह व्यक्तिगत

लोग सदस्य होते हैं जो तथ्यतः साझेदारी में प्रविष्ट हों, अधिभक्त कुटुम्ब के सब सदस्य नहीं। पर प्रबन्धकता के परिवार को आगे हिसाब दिखाना पड़ेगा लेकिन साझेदारी अनुबन्धकर्ता सदस्य (Contracting Partners) जिसमें प्रबन्धकर्ता भी सम्मिलित हैं, तथा अपरिचित के बीच हो सम्पादित समझी जायगी। इस तरह की साझेदारी मारनीय साझेदारी अधिनियम, १९३७ के अनुमार शामिल होंगी जिमका परिणाम यह होगा कि यदि अपरिचित को मृत्यु हो जाने हैं तो साझेदारी की समाप्ति हो जाएगी। उत्तरजीवी (Surviving) महस्य अपरिचित के साथ साझेदारी में बने रहने का दावा नहीं कर सकते और न तो साझेदारी की समाप्ति के लिए मुकदमा हो दायर कर सकते हैं क्याकि उनको हैसियत अवश साझेदार (Sub-partner) को है। अपरिचित साझेदार भी मृतक साझेदार के घाटे के हिस्से की बमूली के लिए उत्तरजीवी साझेदार पर मुकदमा कर सकता है। इसके लिए एक ही चारा है और वह यह कि वह मृतक साझेदार की सम्पत्ति से बमूली की कारंबार्ड कर सकता है। अधिभक्त कुटुम्ब, जिमका प्रबन्धकर्ता अपरिचित के साथ साझेदार हैं, के सदस्यों के बीच वटवारा होन पर, प्रबन्धकर्ता को कुटुम्ब के लाभ के लिए तथा मद्देन्द्रों में बाटे जाने के लिए, साझेदारों की जड़विधीत चुक्कन पर साझेदारी की आमिनियों में से जपने हिस्से को प्राप्त कर ही लेना होगा।

### साझेदारों की श्रेणियाँ

कोई भी व्यक्ति, जिसको फर्म से व्यवहार रहता है, उस समय तक जब तक फर्म वा काम निविच्छयनि से चलना रहता है और कृष का भुगतान होता रहता है और मात्रों की सुपुर्देयी (Delivery) होती रहती है, तभीवत यह चिन्ता नहीं करता कि फर्म के माझेदार जासिर हैं कौन, लेकिन जैसे ही फर्म में उसके वक्ताया की बमूली नहीं होती, उसे उन व्यक्तियों की खोज करनी पड़ती है जो उसका पावना चुका दें। ऐसे ही जबकि पर दावेदार यह जानना चाहेगे कि कौन उसके माझेदार है और किस हृद तक उनमें से प्रत्येक दायी है। ऐसा इमलिए चूकि विभिन्न कोटि के साझेदार हात हैं। वे साझेदार जो व्यवसाय में सक्रिय भाग लेने हैं सक्रिय (Active) या कर्मवाहक (Working) कहलाते हैं। वह व्यक्ति जो बमुत माझेदार है लेकिन जिमका नाम साझेदार की हैसियत से कही प्रकट नहीं होता तथा जिसे बाहरों लोग माझेदार को हैमियत में नहीं जानते, निपिय (Dormant) सुपुर्ज (Sleeping) या गुन (Secret) साझेदार कहलाता है। ऐसे साझेदार उन तीनों पक्ष (Third Parties) के जाने, जिन्हाने उस माझेदार जानेविला भी फर्म को कृष दिया है ऐसिन धीरु पश्चात् नामवन्दी जानकारी उन्हें प्राप्त हो गयी है, दायी होता। वह व्यक्ति जिमका नाम इस भावि व्यवहृत किया जाता है मात्रों वह साझेदार नहीं है और फर्म के लाभ में जिमका हिस्सा हो है नाममात्र का (Nominal) माझेदार ज्ञा जाता है। वह फर्म के मारे दार्या के लिए दायी है। वह व्यक्ति जिसने अन्य माझेदारों में यह मम्मनि कर ली है कि वह हानियों में भागीदार हुए रिना केवल फर्म के लाभ में भागेदार होता, लाभार्थी माझेदार (Partner for Profit)

कहा जाता है। सावारण, व्यवसाय के प्रबन्ध में उमरा कोई हाय नहीं रहता लेकिन तीसरे पक्ष के आगे वह फर्म के सभी कार्यों के लिए दायी होगा।

**प्रतिष्ठित तथा अवस्थित द्वारा साझेदार (Partners by Estoppel and Holding out)**—जब कोई व्यक्ति विधित या लिखित शब्दों या अपने आचरण द्वारा दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाये कि वह अमुक फर्म का साझेदार है हालांकि वस्तुत वैसा नहीं है और इस विश्वास पर दूसरा व्यक्ति फर्म को साख दे या फर्म को माल या धन उधार दे तो विधित वह साझेदार होने की बात से इनकार नहीं कर सकता। उमरे मुक्त पर अपने आचरण द्वारा ही ताला पड़ जाता है और इस प्रकार के साझेदार को प्रतिष्ठित द्वारा साझेदार (Partner by Estoppel) समझा जाता है। उदाहरण, यदि कि ख और ग इस शर्त पर व्यवसाय करते हैं कि ग न हो श्रम करेगा और न पूछी देगा और न व्यवसाय के लाभ में हिस्सा हो वटावेगा लेकिन साझेदार की तरह फर्म को अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति देगा तब ग उस प्रत्येक वाहरी व्यक्ति के आगे दायी होगा जिसने यह समन्वय फर्म को कृण दिया है कि ग फर्म का साझेदार है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा साझेदार घोषित किया जाता है और वह व्यक्ति इस जानवारी के बाद भी, कि उसका नाम साझेदार की तरह व्यवहृत किया जा रहा है, इस घोषणा का प्रतिवाद नहीं करता है तो वह साझेदार अवस्थित साझेदार (Holding out Partner) वहा जाता है और वह उस व्यक्ति के आगे दायी होगा जिसने उक्त घोषणा को सत्य मानकर फर्म को उगार दिया है। चूंकि ऐसा व्यक्ति फर्म का वास्तविक साझेदार नहीं है, अतः वह फर्म के लाभ में हवाहार नहीं है लेकिन फर्म के सभी करणों के लिये दायी है। ऐसे उदाहरण प्राय पाये जाते हैं। एक व्यक्ति ने फर्म से निवृत्ति के बाद भी अपनी निवृत्ति मन्त्रन्धी आम मूचना या वास्तविक मूचना नहीं दी और फर्म के विलो, पत्र-शीर्पको आदि में उमरे नाम का व्यवहार चालू है और यदि वह उसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं करता है तो वह उन ऋणदाताओं (Creditors) के द्वारा, जिन्होंने उसको उक्त विश्वास पर कृण दिया है, अवस्थित साझेदार (Holding out) समझा जायगा।

**निवृत या बहिर्गत साझेदार (Retired or Outgoing Partner)**—वह सक्रिय या निपिक्ष साझेदार जो फर्म को छोड़कर बाहर चला जाता है जबकि अन्य साझेदार व्यवसाय सञ्चालित करते होते हैं, निवृत्त या बहिर्गत साझेदार वहा जाता है और वह अपनी निवृत्ति के पहले फर्म के करणों (Debts) व देनों (Obligations) के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। वह उन सारे लेन-देनों (Transactions) के लिए भी, जो उसकी निवृत्ति के समय फर्म के द्वारा शुल्किये गये थे लेकिन समाप्त नहीं हुए थे, तीसरे पक्ष के आगे दायी होगा हालांकि उसने निवृत्ति-मन्त्रन्धी मूचना तीसरे पक्षों को दे दी है। जैसा कि ऊपर बहा जा चुका है, अपनी निवृत्ति के बाद फर्म द्वारा प्राप्त करणों से मुक्त होने के लिए उसे सभी करणदाताओं को अपनी निवृत्ति की भूचना विधिवत् देनी ही होगी। लेकिन निवृत्ति प्राप्त (Retired) साझेदार करणदाताओं तथा अन्य सभी साझेदारों की सहमति में अपने सारे दायित्वों से मुक्त हो

है, वह अन्य माझेदारों की तरह कर्म के सारे क्रमांक व देयों के लिए व्यक्तिगत स्पष्टीय से दायी हो जाता है।

### साझेदारी विलेख (Partnership Deed)

साझेदारी की रचना के लिए पश्चीमी के बीच समझौता होना तो अनिवार्य है लेकिन वह आवश्यक नहीं कि यह समझौता लिखित हो। यह विल्कुल आडम्बररहित या अनोखारिक (Informal) ढंग का हो सकता है, या मौखिक हो सकता है, चाहे तत्परतावाली व्यवसाय में लाखों वा लेन-देन हो। इसके विपरीत, यह साझेदारी समझौता ऐसा मुक्तिसून लिखित लेटर हो सकता है जिसे साझेदारी विलेख (Partnership Deed) या साझेदारी के अन्तर्नियम (Articles of Partnership) कहते हैं, जो बचीलों द्वारा तंपार किया हुआ हो सकता है। जहाँ साझेदारों ने साझेदारी विलेख म प्रक्रिया होने का निश्चय किया है, वह मुद्राक अधिनियम (Stamp Act) के अनुमार इसे मुद्राकित होना चाहिए। साझेदारी विलेख कमनी पार्पेंट मोमानियम (Memorandum of Association) की नाइ सार्वजनिक लेस्य (Public Document) नहीं है और यह तीमरे पक्ष पर उसी हालत म लागू होगा जब वह इसमें अवगत है। विधिवृत्त रचन साझेदारी विलेख में सामान्यतया निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए-

१. कर्म का नाम, इसके निर्माण साझेदारों का नाम।
२. व्यवसाय की प्रकृति तथा साझेदारी की अवधि।
३. प्रत्येक साझेदार द्वारा किए जाने वाले पूँजी (Capital) अपदान (Contribution) की राशि और देने की रोति।
४. लाभ-हानि विभाजन का अनुपान।
५. साझेदारों को चुकाया जाने वाला बेनन, कर्माशान आदि, तथा उनके द्वारा निकाली जा सकने वाली (drawable) राशि।
६. साझेदारों को पूँजी पर दिया जाने वाला व्याज, साझेदारों द्वारा लिये गये क्रमांक तथा प्रत्याहरण (drawing) पर व्याज तथा उनके द्वारा प्राप्त अधिविकर्प (Overdraft) पर लगाया जाने वाला व्याज।
७. कर्म के प्रबन्ध के लिए साझेदारों के बीच बायं का विभाजन।
८. निवृत्ति (Retirement), साझेदारों की मृत्यु (Death), प्रवेश (Admission), स्थानीय वा मूल्यांकन (Valuation of Good-will) तथा लाभ के माझेदारागांवों प्राप्त अंगमध्यवाली बाने, और निवृत्ति-प्राप्त साझेदारों पर व्यवसाय-ममत्वाली प्रतिवन्ध।
९. कर्म के विवरण पर हिसाब का परिस्थापन (Settlement of Accounts)।
१०. न्यायालय की शरण गये विना, साझेदारों के बीच होने वाले भगड़ों के निवारण के लिए पचायत विषयक घारा (Arbitration Clause)।
११. अन्य स्थान जो व्यवसाय विशेष की दृष्टि से आवश्यक समझा जाय।

## साझेदारियों का पंजीयन (Registration of Partnerships)

साझेदारी अधिनियम से जो महत्वपूर्ण नदी चोट है वह है कर्म के पंजीकर्ता (Registrar) के कार्यालय में आयी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित प्रोप्रेना के रूप में कर्म का पंजीयन किया जाना। पंजीयन के लिए तीन रुपये पंजीयन शुल्क (Registration Fee) देना पड़ता है और निम्नलिखित बानों की पोषणा करनी पड़ती है-

(१) कर्म का नाम, (२) कर्म का प्रधान व्यवसाय-स्थान, (३) प्रत्येक साझेदार की व्यवसाय में सम्मिलित होने वी तारीख, (४) साझेदारों के पूरे नाम व पते, (५) कर्म की कार्यविधि। साझेदारों के नाम व स्थान के प्रत्येक परिवर्तन वी सूचना पंजीकर्ता का विधिवत् दी जाती चाहिए। यह उत्तेजनीय है कि अधिनियम पंजीयन को अनिवार्य नहीं बनाना और न अपंजीयन (Non-Registration) के लिए दण्ड का उपचय करना है लेकिन यह अपंजीयन की दशा में वित्तपर्य नियम न्यनाओं (disability) को रखना करता है जिनसे पंजीयन किसी न किसी समय आवश्यक हो ही जाता है। इनगए य है-

(१) अपंजीयन कर्म के सदस्य न तो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध कानून से अपने अधिकारों को प्राप्ति कर सकते हैं और न किसी बाहरी व्यक्ति वे विरुद्ध, (२) बाहरी (Stranger) व्यक्तियों का कर्म तथा साझेदारों के विरुद्ध अभियोग चलाने (मुकदमा करने) का पूरा अधिकार है। अब पंजीयन किसी समय भी किया जा सकता है—अभियोग चलाने में पहले भी और कर्म द्वारा चलाये गये अभियोग के बाद भी। अभियोग को न्यायालय में वापिस लिया जा सकता है और पंजीयन के बाद फिर चलाया जा सकता है।

जिन्हुं अपंजीयन से निम्नालिखित अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता :

१. तीसरे पक्षों का कर्म या किसी साथेदार पर अभियोग चलाने का अधिकार।
२. कर्म के विवरण या विवरित कर्म के साने (हिसाब) या विवरित कर्म की आस्ति (Asset) में अपने हिस्से के निमित्त अभियोग चलाने का किसी साझेदार का अधिकार।
३. सरकारी अभिस्तानिती (Official Assignee) या धारक (Receiver) का दिवालिया साझेदार वी सम्पत्ति से बमूली करने (Realisation) का अधिकार।
४. उत कर्मों या कर्म के साझेदारों के अधिकार जिनका व्यवसाय-भेद भारतवर्ष में नहीं है।
५. कोई अभियोग या प्रति-दाता (Set-off), जिसकी रकम एक सी रुपये में अधिक नहीं हो, और जो द्विवाद न्यायालय के अधिकार-भेद के अन्तर्गत हो।

साझेदारी सम्पत्ति

इस बात का निश्चय करना साझेदारों की पारस्परिक

में

है कि कोन-सी सम्पत्ति कर्म की भानी जाएगी और कोन-सी किसी एक या एक से अधिक साझेदार वी, चाहे इसका उपयोग कर्म के कार्यों के लिए होता हो। यदि साझेदारों के बीच कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करार न हो तो निम्नलिखित कर्म की सम्पत्ति समझी जाएगी—

(क) साझेदारों द्वारा साझेदारी के प्रारम्भ में या तत्पश्चात् लायी गई वे सब सम्पत्ति, अधिकार या स्वत्व जो व्यवसाय कार्य के निमित्त एकत्रित की गई है।

(ख) व्यवसाय के सिलसिले में कर्म के घन में प्राप्त की गई वे सम्पत्ति, अधिकार या स्वत्व जिनमें गुप्त लाभ तथा किसी साझेदार की प्राप्त वैयक्तिक लाभ।

(ग) व्यवसाय की पद्धत या स्थाति (Goodwill)

पद्धत या स्थाति (Goodwill)—साझेदारी अधिनियम में इन बात की विशेष व्यवस्था है कि कर्म की स्थाति साझेदारी की सम्पत्ति है। अधिनियम में स्थाति की परिभाषा नहीं है, यदोकि सम्भवत यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी परिभाषा बरना आमान कार्य नहीं। इसके द्वारा स्थाति व्यवसाय द्वारा प्राप्त वह सुविधा है जो नियुक्त पूजी, बार सचिव, निधि तथा सम्पत्ति में अलग है और जो व्यापक जन-मरक्षण व उत्तराह-दर्दन ओर नियमित एव अम्यस्त प्राहृती के परिणामस्थल प्राप्त होता है। स्थाति ही वह अन्तर है जो हम सद्य आरम्भ व्यवसाय, जिसके पास स्थाति नहीं है, और उम व्यवसाय के बीच पाते हैं, जिसने सत्यापित प्रतिष्ठा तथा व्यावसायिक सम्बन्ध के द्वारा रखाति प्राप्त की है। नवीन व्यवसाय में व्यापारी का उपभोक्ता समाज के बीच में अपन प्राहृता का ढूँढ निकालना पड़ता है, लेकिन सत्यापित व्यवसाय की दशा में व्यापारी की बने बनाये प्राहृत मिलते हैं। हा सबता है कि 'स्थाति' का मूल्य उन्लेखनीय हो, बमी-बमी सो यह 'स्थाति' व्यवसाय की भित्ति ही होती है जिसके दिना व्यवसाय ने किसी प्रकार वा लाभांजन नहीं किया जा सकता, हालांकि स्थाति अमूर्त (Abstract) वस्तु है। साझेदारी अधिनियम में स्थाति आगणन के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है। स्थाति की आगणना बरने वा एक प्रचलित तरीका यह है कि पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ को तीन गुणा से पाच गुणा तक बढ़ कर दिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त राशि स्थाति की राशि होती है। दूसरी, और भम्भवत थेप्टनर, विधि है पूजीकरण (Capitalisation)। यह मान लिया जाता है कि व्यवसाय में नियमित रूप से सामान्य लाभ हो रहा है। गस्टेनवर्ग ने मतानुसार पिछले पाच वर्षों के जर्जर्स (Earnings) या लाभों को एक निर्धारित प्रनियत की दर से पूजीकृत बर दिया जाता है। इस दर वा निर्धारण व्यवसाय की प्रदृष्टि तथा जोखिम पर निभंग करता है। इस पूजीकृत राशि से व्यवसाय की मूर्त आस्तियों वा आगणित मूल्य पढ़ा जिया जाता है। बाकी वही राशि 'स्थाति' की राशि है।

यदि औसत वार्षिक लाभ ३०,००० रुपये है और यदि यह ५ प्रनियत की

नीट है तो इसकी राशि ६००,००० रुपये होगी। यदि वास्तविक मूर्त

१०,००० रुपये की जाती है तो स्थाति की राशि १,००,००० होगी।

### विघटन (Dissolution)

भारतीय साझेदारी अधिनियम ने साझेदारी के विघटन तथा फर्म के विघटन के बीच अन्तर बनाने हुए यह व्यवस्था दी है कि सभी साझेदारों के बीच साझेदारी सम्बन्ध का विच्छिन्न हो जाना फर्म का विघटन है। इससे यह निष्पत्ति निकलता है कि फर्म का विघटन हुए बिना भी साझेदारी का विघटन हो सकता है। उदाहरणतया यदि कोई ग्रिमी फर्म के साझेदार थे और कोई मर गया, या निवृत्त हो गया या दिवालिया घोषित हो गया तो साझेदारी का अन्त हो जाएगा लेकिन साझेदारों ने यदि यह सहमति बर ली कि किसी सापेदार की निवृत्ति या दिवालिया या मृत्यु से फर्म विघटित नहीं होगा तो इन घटनाओं में से किसी एक के घटित होने पर साझेदारी का निस्सन्देह अन्त हो जाएगा हालांकि फर्म या पुनर्निर्मित फर्म (जैसा कि अधिनियम ने कहा है) पुराने नाम से चालू रह सकता है। अतः साझेदारी के विघटन में फर्म का विघटन शामिल हो भी सकता है, और नहीं भी, लेकिन फर्म के विघटन का कर्य साझेदारी का विघटन होगा ही। साझेदारी के विघटन के उपरान्त पुनर्निर्मित फर्म द्वारा व्यवसाय को सचालित रखा या सकता है लेकिन फर्म के विघटित होने पर सारे व्यवसाय का अन्त हो ही जाना चाहिए, आस्तियों को बेचकर फ्रेण-शातायों द्वारा मुग्यानान बर ही देना चाहिए तथा वास्तविक धनराशि को साझेदारों के बीच विभागित बर देना होगा।

**साझेदारी का विघटन (Dissolution of Partnership)**—साझेदारी का विघटन इन घटनाओं के कारण होता है (१) साझेदारी की अवधि पूरी हो जाने पर व्यवसाय विशय वे पूरे हो जाने के कारण, (२) किसी साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन या निवृत्ति के कारण। इन सभी अवस्थाओं में तन्त्रसम्बन्धी प्रथम या अप्रत्यक्ष सहमति के अनुमार वाकी साझेदार अपने व्यवसाय को चालू रख सकते हैं।

**फर्म का विघटन (Dissolution of Firm)**—निम्नलिखित अवस्थाओं में साझेदारों के बीच जो सम्बन्ध होता है वह अवश्य छिप भित्त हो जाता है और व्यवसाय की समाप्ति हो जाती है :

१. पारस्परिक स्वीकृति से फर्म विघटित हो सकता है यानी सभी साझेदारों के बीच विघटन-सम्बन्धी सहमति द्वारा।

२. एक का दोडकर यदि सभी साझेदार दिवालिया या मृत्यु हो जाय तब फर्म विघटित हो जाएगा।

३. यदि व्यवसाय अवैध है या प्रत्यक्ष शक्ति घटना के कारण दूसरे हो जाता है तो फर्म विघटित हो जायगा।

४. यदि साझेदारी इच्छित साझेदारी (Partnership at Will) है तो किसी एक साझेदार के द्वारा सभी साझेदारों को विघटन सम्बन्धी लिखित मूल्यांक देने से साझेदारी का विघटन हो जायगा।

**न्यायालय द्वारा विघटन (Dissolution through Court)**—इच्छित

साझेदारी के विपरीत विशेष साझेदारी (Particular Partnership) (जो एक नियम अवधि या व्यवसाय के लिए हो ) मूल्यना द्वारा विभित्ति नहीं हो सकती। और जब साझेदारी उपर लिखित विसी भी बारण में विविट्टि नहीं हो सकती तब विसी साझेदारी के द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाये जाने पर ही यह सम्भव है कि इसका विषयट्टन हो। निम्नांकित अवस्थाओं में ही साझेदारी का न्यायालय द्वारा विषयट्टन हो सकता है—

१. जब विसी साझेदार का मस्तिष्क विहृत (Unsound) हो जाय। विसी साझेदार के उन्मत्त हो जाने मात्र ने साझेदारी का विषयट्टन नहीं हो जाता और न उसके उम अधिकार का अनु छोता है जिसके द्वारा वह साझेदारी को दायी ठहरा सकता है। अन यदि उन्मत्त साझेदार अपने अभिभावक मा अन्य साझेदार द्वारा न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत करे तो न्यायालय विषयट्टन का आदेश दे सकता है।

२. जब बोई साझेदार साझेदारी सम्बन्धी वर्त्तव्यों का पालन बरने में स्थायी रूप में अव्योग्य हो जाता है तब अन्य साझेदारों के अभियोग चलाने पर न्यायालय विषयट्टन आदेश दे सकता है।

३. जब बोई साझेदार अभद्राचरण (Misconduct) का दोषी हो और उसका अभद्राचरण कर्म के व्यवसाय ने लिए हानिकारक हो तब अन्य विसी भी साझेदार के अभियोग चलाने पर न्यायालय विषयट्टन आदेश दे सकता है।

४. जब बोई साझेदार साझेदारी अनुदन्ध वा अवमर उल्लंघन बरता है और अन्य साझेदारों के लिए व्यवसाय को चालू रखना अमम्भव हो जाता है तब विसी साझेदार के तत्पर्यन्धी अभियोग पर न्यायालय विषयट्टन आदेश दे सकता है।

५. जब विसी साझेदार ने अपना सम्पूर्ण विसी तीसरे व्यक्ति की हस्तान्तरित कर दिया है या उसका स्वत्व आन्वित द्वारा बुर्ज (attach) हो गया है या विधि प्रतियान्तर्गत (Under Process of Law) बेच दाल गया है तब दूसरे साझेदार विषयट्टन सम्बन्धी अभियोग चल सकते हैं।

६. न्यायालय को जब यह विश्वास हो जाय कि अमुक साझेदारी विना हानि के चालू नहीं रखी जा सकती या उसे विविट्टि बरना ठीक या न्यायमगत है तब वह उसे विरक्ति बरना सकता है।

### विषयट्टन के उपरान्त भुगतान

हानियों का चुकाता—जहा कर्म को घाटा हुआ है या पूजी क्षतिग्रस्त हो गई है वहा अविनियत लाभ, यदि हो तो, वह सर्वंग्रथम घाटा चुकाते में तथा पूजी की क्षतिपूति में प्रयुक्त बरना चाहिए। यदि लाभ को रकम अपर्याप्त है तो पूजी को घाटे की पूर्ति करने में प्रयुक्त बरना चाहिए। यदि इसके बाद मीं घाटा है तो तानुपालिका द्वारा म साझेदारों के लिए अपनी सम्भति में उस घाटे की पूर्ति बरना अनिवार्य है।

आस्तियों का वितरण (Distribution of Assets)—कर्म की सम्भति का सर्वंग्रथम उपयोग तीसरे पक्षों के क्रृष्णा को चुकाना बरने में होना चाहिए। उसके

बाद यदि कुछ बच रहे तो सामंजदारों के द्वारा दिये गये अग्रिमो (Advances) वा भूगतान होना चाहिए। इसके बाद भी कुछ बचत रहे तो उसे सामंजदारों के पूर्जी साने म आनुपातिक साधा में चुक्ता बरना चाहिए। इन भूगतानों के बाद बचों राशि को सामंजदारों के बीच अनुशासन में (Prorata) म वितरित बरना चाहिए।

साझेशारी संगठन के लाभ व अलाभ (Advantages and Disadvantages of Partnership Organisation)

**लाभ—** साधारण साक्षेत्रीय मगठन में वैयक्तिक साहमी मगठन के कछ लक्षण (Characteristics) विद्यमान रहते हैं और परिणामस्वरूप इसमें लाभ और इसकी अधिकतर सीमाएँ भी ।

१ एकाकी व्यवसाय की भानि माझेदारी भी बिना किसी व्यय तथा वैधानिक औपचारिकताओं (Legal Formalities) के निमित्त की जा सकती है तथा उम्ही प्रदार विवरित भी की जा सकती है। मदुक्तन स्वन्ध कम्पनियों की भानि विधिवन दस्तावजा के रचित किये जाने की आवश्यकता नहीं होती।

२ साक्षेदारी को मास्केदारी के मयवन साथना तथा योग्यताओं के लाभ प्राप्त हैं और प्राप्त वर्ष व्यक्तियों का ममिलित निण्य बहुत ही उपयोगी मिह द्वैना है। हिनों तथा दायितों के एकद को और ददाने के लिए नदे लोगों का लाने को हमेशा गुजारदा रहनी है।

३ चूकि साथेदारी व्यवसाय कामों पर लगभग बोई बंधानिक प्रणिवन्ध नहीं होता, अनेक, यह व्यवसाय चिन्हुल गतिशील (Dynamic) तथा लोचदार (Elastic) होता है। यह कई साथेदारों द्वारा स्वेच्छा से किया गया एक आनुबन्धिक (Contractual) मम्बन्ध है। उन्हें इस बात की पूर्ण स्वच्छन्दता है कि व्यवसाय के सचर्वन काल में वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यवसाय में बोई भी बाटोंतों परिस्थिति बदल सकते हैं तथा विसीं भी प्रकार की शर्तें अपना सकते हैं।

४ व्यवसाय में वैयक्तिक सत्त्व (Personal Elements) तथा उभी हिमाय में मानवानी, निपुणता व मिनव्यमिना एक विशेष लाभ है। इस प्रकार इसमें उत्पादन के लिए एक प्रभावी प्रेरणा है (Effective Motivation) हालांकि यह प्रेरणा एक ही व्यवसाय जैसी उच्च वौटी की नहीं है।

५ यह वैधानिक व्यवस्था कि साधारण सांसदों अपने समूर्ख निरी भग्नति तक दायी होंगे, खतरनाक मौद्रिकाजी में रोकनी है। यह व्यवस्था इण्डियाताओं की ज़रूरत से बहुत कठिन हो करती है। जोर इस प्रकार तर्क दो सुनामापूर्वक इस व्याज पर कर्ज मिठ मतता है।

६. बानीत सामेदारी में अल्पमस्त्यक हिन की वास्तविक रक्षा करता है। नीति मध्यन्यी मनो वानों में सभी सामेदारों की महमनि अनिवार्य है, और दंनिव नायों जैसी भास्मली वानों में भी अमन्तुष्ट मायेदार किनारावशी कर सकता है और पर्म को विरचित कर सकता है या इसके बायों में इतनी अड़चरनें उपस्थित कर सकता है कि साझे-

दार उसके हिस्ते की खरीद लेने के लिए वाप्त हो जाये।

**अलाभ (Disadvantages)**—१ उपर्युक्त वयन से वैधिकता साहसी समृद्धि को अपश्चात् इम फर्म में फट को सम्भावना अधिक मालूम होती है। साझेदारी का सबसे बड़ा दोष है अविलम्ब तथा एक नापूर्ण प्रबन्ध की प्राप्ति कमी। साधारणता मतभिन्नता यैदा हा जाती है तथा प्रत्येक साझेदार एक दूसरे का असत् व्यवहार में हरा देना चाहता है। साझेदारों वा गठन जिनको ही अविर्व होती, प्रबन्ध में हितों का समन्वय प्राप्त करने में उत्तरो हा उड़िताई पैदा होती। साझेदारों को सफलता वै लिए साझेदारों की सह्या उतनी भी कम हो उतना ही अच्छा है।

२ बिन्तु साझेदारों की सह्या को भीमितता से उगाही जाने वाली पूजी भी सेमित हा जाती है। साझेदारों का यह दूसरा बड़ा दोष है, और विश्ववर उम स्थिति म जड़ व्यवसाय के लिए बड़ी मात्रा से स्थायी पूजी(Fixed Capital) की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से हालांकि यह एकाकी व्यवसाय से थेष्ठ है, किर भी व्यति उनक नयुक्त पूजी कम्पनी से यह हीन ही है।

३ अनरिमित दायित्व में वृहत् साहम (Enterprise) पर प्रतिवन्ध जारीने का प्रत्युति विश्ववान है, और विश्ववर उम स्थिति में, जर इसके लिए वृहत् दायित्व की रक्का को आवश्यकता होती है। सच्ची बान ता यह है कि अधिकार प्रयोजनों के लिए माझेदारा का दायित्व अतिशय ही समझा जायगा। साझेदारी व्यवसाय खुद्रा व्यवसाय, मध्य थ्रेणी के व्यापारिक फर्म या बहुत ही छोटे निर्मित-व्यवसाय मरीरे अवैधन छोटे व्यवसाय के लिए ही उपादेय प्रतीत होता है। बास्तव में हमारे देश में साझेदारों फर्मों से सयुक्त कुटुम्ब फर्मों की मख्य ही अधिक है।

४ वैधानिक विनियमों वै नहीं होने तथा साझेदारी व्यवसाय के मामला के प्रचार को कमी के कारण इसमे विश्वाम कम हो जाता है।

५ निरतरता की कमी एक ऐसा दोष है जो लोक वै राम का लुप्त कर देता है। साझेदार रा मृदु, दिशालियान या निवृति पर व्यवसाय का अन्त होता अनिवार्य है, या साझेदारों इसारानामे (Partnership Agreement) वै उल्लंघन जैमे दोपूर्ण कार्य का परिगाम धनिप्रस्तुत साझेदार द्वारा अभियान चलाये जाने पर साझेदारी का विषट्टन हो सकता है। लेकिन साझेदारी में शाश्वतता (Perpetuity) की कमी की पूर्ति दत्तकप्रहृण (Adoption) द्वारा हा जाती है। वैधानिक माहम में व्यवसाय का अधिकारान्तरण उत्तराधिकार द्वारा होता है लेकिन साझेदारी में नयी पीड़ी के प्रवेश हित सन्तानों को गोद ही लेना हापा और इस प्रवार नवीन तथा प्राचीन के ममन्वय से निरतरता प्राप्त की जा सकती है।

#### एरिमित साझेदारी (Limited Partnership)

वैतिप्य सीमाओं व्यवसाय साझेदार वै अपरिमित दायित्व (Unlimited Liability) वै पूजी को परिमित राजि की परिमित साझेदारी समृद्धि (Limited Partnership Organisation) द्वारा दूर किया जा सकता है। हम सोशो ने यह

देख लिया है कि माझेदारी का सहल मचालन पारस्परिक निर्दिशनात् तथा विश्वास ( Mutual Confidence and Trust ) पर निर्भर करता है, अतः अपरिचित अपने धन को नियोजित बर्जे में सतक ही रहेंगे। परिमित साझेदारी किस्म का मनउत्त अपरिमित दायित्व धारे सामान्य साझेदारों ( General Partners ) के सतय विशेष साझेदारों (Particular Partners) के प्रबोध को सम्मिल बनाता है। हमारे देश में इन प्रकार का उपाय प्राप्त नहीं है लेकिन पश्चिमी देशों में इस प्रकार का मनउत्त विलकुल प्रबलित है। इस प्रकार वी नाजेदारी की रचना बर्जे बाली सभी सविचियों में एक ही प्रकार का सिद्धान्त निहित है, अतः हम आगल परिमित साझेदारी अधिनियम १९०७ ( English Limited Partnership Act, 1907 ) के महत्वपूर्ण उपबोधों को स्पष्टरेखा उपस्थित करेंगे।

इस विभाग का उद्देश्य है साझेदारों में से कुछ को, उनके द्वारा लायी गई पूँजी को राशि तक ही दामो बनाना, इस प्रकार उनके दायित्व को परिमित बर्जना तथा अन्य फर्म के लिए पूरे तौर से दामो बनाना। परिमित साझेदारी की महत्वपूर्ण विशेषताएँ ये हैं-

१. इनमें एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों का होना अनिवार्य है जो सामान्य माझेदार (General Partners) कहलायेंगे तथा जो फर्म के सारे अध्यो व देवों के लिए दायी होंगे।

२. इनमें ऐसे भी एक, या एक से अधिक व्यक्ति, जिन्हें परिमित साझेदार (Limited Partners) कहा जाएगा, रहने अनिवार्य है जो पूँजी को एक निर्दिशन राशि देने तथा उसी राशि तक दामो होंगे, आगे नहीं। सामं तो यह है कि परिमित साझेदार वह अपाधारी है जिसने अपने अमा को पूरी राशि तुङ्गना कर दी है, और जिसकी पूँजी उन समय तक नहीं लौटाई जा सकती, जब तक साझेदारी चालू है।

३. परिमित साझेदार न तो साझेदारी व्यवसाय के प्रबन्ध में भाग ले सकता है और न वह फर्म पर दावा कर सकता है, लेकिन वह इसकी लेत्ता पुस्तकों आदि का नियोजन कर सकता है।

४. यदि वह व्यवसाय प्रबन्ध में भाग लेना है तो अपने कार्यकाल में फर्म द्वारा लिये गये क्रमणे तथा देवों के लिए पूरे तौर से दामो होगा।

५. सामान्य साझेदारों को स्वीकृति में परिमित नाजेदार माझेदारी में अपने हिस्से का अभिहस्ताक्षण (Assignment) कर सकता है और अभिहस्ताक्षणी (Assignee) को अपने स्थान में परिमित माझेदार बना सकता है।

६. प्रायःक परिमित साझेदार का देवोन अनिवार्य है।

**मापारण:** साझेदारी की तुङ्गना में परिमित साझेदारी के कनिष्ठ लाभ है। एक और तो प्रश्नन में प्राप्त प्रेरक व बना रहता है और दूसरी ओर प्रबन्ध में एकाक्र प्रबंध बना रहता है जो अधिक दुनना तथा एकता से काम कर सकता है। नियोजक समाज को धन का बूहतर नियोजन करने के लिए प्रोत्साहित करती है और इस प्रकार यह उन औद्योगिक नेताओं के सम्मुच्च, जिनके पास वन पूँजी है, समाज नेत्रा के हित

अपनों प्रतिभा तथा अविन का उपयोग करने का अवमर उपस्थित करती है। नियन्त्रण में हमारी निये बिना भी सामान्य मान्यताएँ अनियन्त्रित पूँजी प्राप्त कर सकते हैं। परिमित दायित्व डॉक्ट्रिन में अधिक उपरांग प्रशाणित होगा “जब बहुत ही कम्प्रीम्यूट तथा उत्तरदायी प्रबन्ध अपेक्षित हैं और माय-माय पूँजी भी अधिक चाहिए और विदेशी राजव्य या विनियामक अप्रबन्धों (Regulating Provisions) के आरण नियमन वाली नीति न हो।

## अध्याय :: ६

### संयुक्त स्कन्ध कम्पनी संगठन

(JOINT STOCK COMPANY ORGANISATION)

व्यवसाय संगठन के रूप में साझेदारी के अधिकार दोपो को परिभित दायित्व वाली संयुक्त स्कन्ध कम्पनी द्वारा दूर चिया जा सकता है। संयुक्त स्कन्ध संगठन का मौलिक सिद्धान्त यह है कि व्यवसाय की पूजी बहुतेरे लोगों द्वारा, जिन्हे अधिकारी कहा जाता है, एकत्रित की जाती है तथा इन अधिकारियों के अधिकार बहुत सीमित होते हैं, और प्रबन्ध में इनका बहुत कम हाथ रहता है। ये अधिकारी प्रबन्ध का भार एक प्रबन्ध समिति का, जिसे भचल्क मडल कह जाना है सौप देने हैं और वह विभागीय प्रबन्धकों के जरिये कम्पनी को नियन्त्रित करता है। भारतवर्ष में भचल्क प्रबन्ध अभिवत्ताओं द्वारा अपने कार्य वरते हैं। संयुक्त स्कन्ध संगठन की यह प्रणाली उन व्यवसायों के लिए बहुत ही उपादेय है जिनके लिए बड़ी पूजी की आवश्यकता होती है, और जो पूजी उन बहुतेरे लोगों से प्राप्त की जा सकती है जिन्हे इस बात का विश्वास होना है कि साझेदारी की तरह यहां उनका सारा धन जोखिम में नहीं है। विसी भी अधिकारी वा दायित्व उस द्वारा लिये गय अश तक ही सीमित है—यह एक ऐसा सत्य है जो सब प्रकार के लोगों को अपनी बचत उम कम्पनी में नियो-जित करने को प्रोत्त्वाहित करता है, जिसे वे अपनी बहते हैं और साथ-साथ अपने धन्घों में लगे भी रहते हैं क्योंकि लाभार्थी की प्राप्ति मात्र से ही उन्हें सन्तोष हाना है। यही कारण है कि संयुक्त स्कन्ध उपक्रम का आज व्यापार व उद्योग के लिए पूजी की पूर्ति का माध्यम तथा उत्पादन का एक शक्तिशाली व दक्ष इजन माना जाना है।

प्रकृति व लक्षण (Nature and Characteristics)—कम्पनी दान के नियमित एव स्वेच्छया नियमितमप है नियमी पूजी परिभित दायित्व वाले हस्तान्तरणीय अदा में विभाजित होती है तथा जिने नियमित निकाय तथा सार्व भुजा (Common Seal) प्राप्त होती है। यह कानून द्वारा नियमित एक रचना है और कमी-भी वृत्तिम व्यक्ति वहलानी है, जो अदृश्य अमूर्त होती है और जो केवल कानून की व्यवस्था में हो होती है और इसलिए जिसका प्राहृतिक या भौतिक अस्तित्व नहीं होता। चूंकि यह उन लोगों से जो इसके मदस्य होने हैं, विल्कुल भिन कानूनी अस्तित्व रखती है, अत इसके सदस्य इसके अधिकारी नी हो सकते हैं और कष्टदाना भी। विसी भी अधिकारी को कम्पनी के कार्यों के लिए उस स्थिति में भी दायी नहीं ठहराया जा सकता जब वह कम्पनी की लगभग सम्पूर्ण अश पूजी का स्वामी

हो। अधिकारी कम्पनी को अपने बायों के लिए उत्तरदायी नहीं छहरा मत्ते, वे इसके अभिकर्ता नहीं हैं। कम्पनी को अभियोग चलाने का अधिकार है तथा इस पर भी अभियोग चलाया जा सकता है लेकिन आप इसमें प्रेम से हाय नहीं मिला मत्ते और न गुस्से में इसको ठोकर ही मार सकते हैं। कूकि कम्पनी एक भावनाहात अमूर्त (Abstract) तथा कानून द्वारा निर्मित एक हृत्रिम सत्ता है, अतः यह उन देहधारी मरणशील मनुष्यों से बिन्दुर भिन्न है जो समपन्मय पर इसके सदस्य होने हैं। विधिगत व्यक्तित्व (Legal personality) तथा परिमित दायित्व (Limited Liability), कम्पनी को दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। कोई भी व्यक्ति कागज के उत्तरदाता की वरीद वर, जिन्हे अशा या स्वतंत्र कहा जा सकता है, कम्पनी के नाम से प्राप्त सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है, और उसे इस बात की स्वतन्त्रता है कि यदि कम्पनी भुग्त गीलमाल हो तब इन अशा की जर नाहै बेच दाते। उसका दायित्व उसके द्वारा रख्ये गये अशो की रकम तक ही सीमित है। क्लूमरे शब्दों में, एक ओर तो उसे अपने द्वारा नियोजित घन को सो देने का सतरा है और दूसरी ओर यह बात भी सही है कि कम्पनी के क्रांत के भुगतान के लिए उसे अपनी सम्पत्ति से एक खाद्य भी देनी नहीं हांगी। निगमन तथा अशो की हमनान्तरणीयता के स्वाभाविक परिणामस्वरूप कम्पनी को वह चीज़ जिसे शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession) कहते हैं, प्राप्त है, जिसका अर्थ यह होता है कि कम्पनी का जीवन इसके सदस्यों के जीवन से स्वतन्त्र है। सदस्यों की पीड़िया आनी और चली जानी है पर कम्पनी के अम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वगने कि कानून द्वारा इसे समेट न लिया जाए। इस क्यन का मूल्य नालंबन्ध है पारंपर, स्वेच्छा निर्माण लेकिन अनिवार्य मात्रत्व, राज्य द्वारा मूजन, स्वायतना (Autonomy), जाये की अनिवार्य एवना, परिमित दायित्व तथा निजी लाभ के जरिये कुछ जनकल्याण की सिद्धि। इन सभी दृष्टियों से कम्पनी समृद्धि तथा सामेदारी व्यवसाय में सौलिक विभिन्नताएँ हैं।

**कम्पनियों का निगमन (Incorporation of Companies)**— कम्पनियों का निगमन तीन प्रकार में हो सकता है। सनद द्वारा (By Charter), मविधि द्वारा (By Statute) और पंजीयन द्वारा (By Registration)। वह कम्पनी जो राजा द्वारा स्वीकृत या सनद के द्वारा निर्मित होती है, सनद धारी कम्पनी या चार्टर्ड कम्पनी (Chartered Company) कहती है तथा इसका निर्माण मनद द्वारा होता है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा चार्टर्ड बैंक आफ इण्डिया, बाल्टिमोर एण्ड चाइना इस प्रकार की कम्पनी के उदाहरण हैं। वह कम्पनी जो विधान मटल (Legislature) की किसेप निविधि (Special Statute) से निर्मित होती है, माविधिक कम्पनी कहती है और इस प्रकार की मविधि में दी गयी व्यवस्थाओं द्वारा प्रशासित होती है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया एंड बाट की कम्पनियों के उदाहरण हैं। वह कम्पनी जो भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के यहां किये गये पंजीयन के फर्स्टस्टप जन्म प्रदान करती

है, पंजीयित कम्पनी (Registered Company) कहलाती है। इस अधिनियम की घारा ११ के अनुसार प्रत्येक उम संघ को, जिसमें २० सदस्य हो (वैक्ष व्यवसाय की हालत में १०) अनिवार्य रूप में पंजीयित हो जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे संघ को जर्बंध समझा जायगा।

पंजीयित कम्पनी के मद्दत्या का दायित्व परिमित या अपरिमित हो सकता है, लेकिन अपरिमित दायित्व वाली कम्पनिया अब बहुत कम पार्श्वी जाती है। लगभग सभी कम्पनियों ने अपने का परिमित दायित्व वाली कम्पनिया को तरह पंजीयित करवा दिया है। ऐसी भी कम्पनिया हो सकती है जिनकी पूर्जी मार्गी द्वारा परिमित (Limited by Guarantee) हो सकती है। मार्गी परिमित होने का अर्थ यह है कि प्रत्येक मद्दत्य कम्पनी के अण की एक निश्चित भावा का भुक्तान करने के लिए दायित्व दृष्टि बरता है। क्षब, व्यापार संघ तथा विभिन्न प्रकार के नामांजिक एवं नामहिन्क कार्यों के संबद्धत के तिमित बनाई गई ममिनिया इस प्रकार की कम्पनियों के उदाहरण है। इन प्रकार की कम्पनिया भी आजकल बहुत दुखेम हो गयी है। अन्त में, तबसे जरिक प्रचलित कम्पनी, जो आजकल देखत का मिलती है, वे हैं असा द्वारा परिमित दायित्व वाली कम्पनिया। सभी प्रकार के व्यवसायों में ये ही चलती हैं। निम्नांकित निम्नों में मुख्यतः इन इनी प्रकार की कम्पनी का वर्णन करें।

निम्नों द्वा लोक कम्पनी (Private or Public Company)—ओई भी कम्पनी, जिनका पर्याप्त परिमित दायित्व के साथ हूआ है, जिनी कम्पनी द्वा लोक कम्पनी हो सकती है। जिनी कम्पनी वह है जो दो या ज्यधिक लोगों द्वारा पंजीयित हो सकती है तथा जो अन्तर्नियनों द्वारा (१) अपने सदस्यों (नन्दारियों या भूतपूर्व कर्मचारियों की छाड़िय) की मम्या पत्ताम तक ही सीमित बर देती है, (२) अपने अशों के हस्तान्तरण पर वित्तीय प्रतिक्रिय लगा देती है तथा (३) अशा (Shares) या क्रमदत्ता (Debentures) को स्वीकृति देती है तथा दिवरा-पत्रिका व अन्य जरिया में आम-लित करने पर रोक लगा देती है। यह जातव्य है कि निम्नों कम्पनी उन लोगों की आव-इष्टता के अनुकूल निष्ठ होती है जो परिमित दायित्व से लाभ तो उठाना चाहते हैं लेकिन व्यवसाय की अपने कामर्थ भर निम्नों ही बनाये रखना चाहते हैं। कई दृष्टियों से यह साझेदारी की तरह है। इसमें स्वच्छ स्वारूप अशों का हस्तान्तरण नहीं हो सकता। और न अश अधिकारों (Share Warrants) का नियंत्रण ही हो सकता है। इन प्रकार माझेदारों को तरह निम्नों के मद्दत्य इस स्थिति में है कि वे आपस में वैय-क्लिक मम्कं बनाये रख सकें।

चूंकि निम्नों कम्पनी की मद्दत्या शायः निम्नों व मम्बनियों तक ही सीमित रहती है, तब इने बिलास ऐड लाभ उठाया है जो लोक कम्पनी को प्राप्त नहीं। पार्पेंट मीमा नियम (Memorandum of Association) में दो व्यम्भियों का हस्ताक्षर ही निम्नों कम्पनी को रखा के किए पर्याप्त है, तथा यह पंजीयन के गोपन् पद्धतान् व्यवसाय आरम्भ कर सकती है। इने विश्वरा पत्रिका के बढ़े पोस्ट (Statement in lieu of Prospectus) प्रकृत बरते की आवश्यकता नहीं होती। इह आवश्यक नहीं कि यह

सावित्रिक वैठव (Statutory) दुग्धाये और इसमें सिफं दो सचालव या शादर, ठू हो सकते हैं।

लाल कम्पनी वह कम्पनी है जिसकी मदस्यता अन्तरियमों की व्यवस्थानुसार सर्वमाधारण के लिए उपलब्ध हो। इसका निर्माण करने के लिए न्यूनतम मरणा ७ है। लेकिन अधिकतम मस्ता पर कोई सीमा नहीं। यह अपने थक्का विवरण पत्रिका में विवरण के जरूरी सर्वमाधारण के हाथ देखती है। लाल कम्पनी निजी कम्पनी के लिये अवश्यक हिता भी प्रतिवर्तन को काम में नहीं लाती, अतः कोई भी व्यक्ति जो अनुबन्ध-याप है, वह भरतोत्तम हो या विदेशी, इसका मदस्य हो सकता है। उम हात में, जह न्यूनतम प्राप्तिक पूँजी (Minimum Subscription) के लिए आवेदन-पत्र या गये हो, विवरण-पत्रिका निर्मित किये जाने के १२० दिनों के अन्दर ही अपने अंशों का बटन कर देना होगा। इसके लिए कम में कम तीन सचालकों का होना अनिवार्य है तथा यह पत्रोंकार के यहाँ से वर्तमाय आरम्भ का प्रमाण-पत्र (Certificate to Commence Business) पाने के बाद ही व्यवसाय आरम्भ कर सकती है।

### भारतवर्ष में मधुकन स्वयं करनिया

मधुकन पूँजी कम्पनी तथा कम्पनी कानून सह-विस्तारी (Ca-extensive) है और दोनों मारतवर्ष के लिए विदेशी है क्याकि इनका आयात इंग्लैण्ड से हुआ है। इग्लिश कन्फर्नेट १८४४ के अनुसार भारतवर्ष में भवितव्यम भन् १८५० ई० में कम्पनी अधिनियम (Companies Act) स्वोहन हुआ। परिवर्तन दायित्व वाला मिदान्स सन् १८५७ ई० में लागू किया गया, तथा अनक मगाइन अधिनियमों (Amendment Acts) के द्वारा कानून की चुटियों को दूर करने के लिए बहुतेरे मशोधन किये गये। १९१३ में एक नया कानून बनाया गया जिसम सब मशोधन उपबंध ममाविट्ट कर किये गये थे। इसमें १९३६ म मशोधन हुआ। यद्यपि इस मशोधित कानून म बहुत परिवर्तन किये गये थे तो भी बहुत सी चुटिया रह गई थी। इसलिए, भारतवर्ष म भी सर्वमाधारण ने यह माल देने को हि कम्पनी अधिनियम का पुन निर्माण हो। इस माल को पूलि दे लिए भारत सरकार ने १९४९ में एक मरण-पत्र निर्मित किया जिसम लाकम्त के लिए प्रस्तावित मशोधन थे। विभिन्न हिन्हों द्वारा प्रवृट किये गये विचार एक दूसरे म छाने भिन्न थे कि भारत सरकार को भारतीय कम्पनी विधि पर विचार बर्न तथा जावदयाँ सुनाव देने के लिए १२ आदियाँ वी एक ममिनि बनानी पड़ी। ममिनि ने १९५२ में अपना प्रतिवेदन दिया जिसमें मौद्रिक कानून में बहुत दूर-गामी परिवर्तन करने की मिकारिश की गयी थी। उनको अधिकार मिक रिपो १९४८ के इग्लिश कानून के आधार पर है। इसी बीच, प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा जिये जाने वाले कदाचारों (Malpractices) का राइने के लिए १९५१ म एक मरण-पत्र कानून पास किया गया। कम्पनी कानून समिनि के प्रतिवेदन पर आधारित एक नया विवेदक ममद में १९५३ में पेश किया गया, और दोनों मम्मों की मधुकन प्रबंध ममिनि द्वारा इसमें कई मट्टियाँ के सारमूत परिवर्तन किये जाने के बाद, यह नवम्बर १९५५

व सदृशता के पश्चात् का समय सहयोगीता का समय रहा है और पूजी ने हड्डताल की हुई है।

ज्ञा कि ५० दर्पों में कम्पनियों की सह्या में हुई वृद्धि से ज्ञात होता है, कम्पना विवास का चित्र विल्कुल आसामय नहीं बहा जा सकता। एक ओर वा उन कम्पनियों को सह्या जिनका प्रयोगन हुआ और जो इस अवधि के अन्त में चालू अवस्था मध्ये १३,००० म घोड़ी अविक्ष है, और दूसरी ओर, उन कम्पनियों की सह्या, जिनका समापन हो गया या जिन्हान अपना व्यवसाय बन्द कर दिया, या कभी शुरू ही नहीं किया लगभग १५,४०० है। इससे यह पता चलता है कि पञ्जीयित कम्पनियों में ५५ प्रतिशत या ता समाप्ति (Wound up) हा गयी थी या व्यवसाय बन्द हा गया या उहोन इस प्रकार व्यवसाय शुरू किया ही नहीं। कम्पनी विफलता का वार्षिक औसत ६३ प्रतिशत है। यह कोई अच्छी अवस्था नहीं है और इससे यह साफ़-साफ़ पना चलता है कि कम्पना का निर्माण उचित व्यवसाय उद्देश्यों या मुद्रुद्वय व्यवसाय आधारों पर नहीं हुआ है। कुछ वर्दमान प्रवर्तनक मर्वसाधारण से पैसे एटना बपना रोजगार बना रहे हैं—य सर्वेसाधरण प्राप्य भाले होते हैं। गौमाण्य से सच्चे उद्दया के निर्मित बनायी जान वाली कम्पनियों की सह्या वृद्धि पर है। भारतीय कम्पनी (मण्डलन) अविनियम १९३६ का कम्पनी प्रवर्तन तथा प्रवर्धन पर अद्यता प्रभाव पड़ा है। मोजूदा कानून ता इस दिया म जनता के लिए बरदात सिद्ध होते की आशा है।

नियोजकों दे लिए बचाव (Safeguards for Investors)—इस बात के निश्चय के लिए कि कम्पनी अपना व्यवसाय पवाल पूज, स प्रारम्भ करे तथा मनमानी न्यूनतम पूजी राशि, जैसे १० जश मान, तथा न करे, कम्पनी कानून की धारा ६८ और अनुसूची दा का खड़ ५ नवनम द्वागार, जिसे न्यूनतम प्रार्थित पूजी (Minimum Subscription) कहते हैं निश्चित बताते हैं। इन प्रार्थित पूजी का विवरण सम्भावित अव-अनेकांश की मूलना के लिए प्रविवरण म होना अनिवार्य है। न्यूनतम प्रार्थित पूजी एक नेत्री विवारित रखन हो जा निर्गमन द्वारा नक्द प्राप्त की जाय और जो इन कार्यों के लिए पराम हो (व) औत या कर की जान वारी समति का मूल्य जो अस निर्गमन से प्राप्त वर्त के द्वारा चुकाया जाय, (ख) प्रारम्भक व्यय (Preliminary Expenses) तथा कम्पनी द्वारा दय वर्तन (Commission), (ग) उपर्युक्त व्यय की व्यवस्था के लिए किये गये कठग का भुगतान तथा (घ) कार्यशील (Working) पूजी। विधान ऐसो भी व्यवस्था करता है कि प्रार्थित पत्र के माय चूकाई जाने वाली रकम अस की अंकित राशि (Nominal amount) के ५ प्रतिशत मे वम हा ही नहीं सकता और न वर्तन जिसमे अभियान वर्तन (Underwriting Commission) भी सम्मिलित है, निर्गमन मूल्य के ५% से अधिक हो सकता है। प्रवर्तनों का जनता को गुमराह करने मे रोकने की दृष्टि से न्यूनतम प्रार्थित पूजी सम्बन्धी पाच बातों के बारे में विस्तृत जानकारी के विषय म, १९५५ के अधिनियम वी धारा ५३ की ५५ १९४८ के इगरिश अधिनियम ३८ वी तथा ४७ वी धाराओं पर आधारित है। मुन एगी व्यवस्था कि प्रार्थित पत्र राशि की अनिवार्य रूप से नियी अनुसूचित वैक में

रहता होगा तथा पंजीकार से व्यवसाय आरम्भ का प्रभाव-पत्र पाके बिना इसका उत्तम नहीं किया जा सकता, एक जन्म नियन्त्रण का वाद करती है तथा इसका अर्थ अदायारियों का मरण भी है। अदायारियों के हिस्से की एक प्रकार से और रक्षा होने हैं क्योंकि केंद्रीय सामने की दृष्टिनिर्माण से, पंजीकार कम्पनी के समाप्ति के लिए आवेदन करता है, यदि चिट्ठ (Balance Sheet) की जात के बाद उसे इस बात का विश्वास हो जाए कि कम्पनी अपने काल चुक्ता कर सकते हैं असमिये हैं।

नया फार्म जैसा कि अनुद्धरी ६ में वर्णित है, जिसके अनुमार ही चिट्ठे का बनाना जाना जनिवाये हैं, पहले की जैक्षण्य अधिक सूचनाएँ देता है। सचालकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रायः चिट्ठे के माय कम्पनी की स्थिति सम्बन्धी रिपोर्ट जोड़ दें तथा यह भी बनावें कि महायक कम्पनी (यदि ही ता) के लाभ-हानि (Profit and Loss) का लेवा-जौना समारों कम्पनिया (Holding Companies) के साथ में इन प्रकार इकाग्रा अकेभार की रिपोर्ट भी साथ होनी चाहिए और तब में लेख व रिपोर्ट वार्षिक बृहत् अधिबेशन (Annual General Meeting) से २१ दिन पहले अश्वारियों और क्रान्ति धारियों के पास भेजी जानी चाहिए ताकि वे कम्पनी की विधिनि को अपने महसून में ममत्य हों। कपट तथा कपटी कम्पनियों को रोकने के लिए पंजीकार को एक और जेनरल दिवा गया है। यदि इसे प्रत्युत्त किये गये लेखों के पड़ने मा जिसी अग्रसरी या अग्रसना में स्वना प्राप्त करन पर यह विश्वास हो गया है कि कम्पनी के प्रबन्ध में छठ व अनिवार्यता में बान लिया गया है तो वह कन्द्रीय सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित कर सकता है। केंद्रीय सरकार जात करने वालों द्वारा नियुक्त कर मर्ने हैं और यदि उसकी रिपोर्ट पर आवश्यक प्रतीत हो तो उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह के बिना, फौजदारी मुकदमा (Criminal Case) या एडबोकेट-जनरल के प्रतिवानुकार अन्य कारंवाई को जा मर्नी है, जो कपट या मिथ्याचरण का दोषी प्रतीत होता है। लेकिन अमैन में जात पड़नाल को कारंवाई वैधानिक दुर्बलता ओं के बारे प्रकार इसका अधिकार ही है। अन्, जात पड़नाल अधिकोग्य कम्पनियों (Banking Companies) के जात-पड़नाल के स्तर पर कर दी गयी है।

**पूँजी-निर्गमन पर नियन्त्रण (Control of Capital Issue)**—भारतवर्ष में कम्पनी विकास की बात को नवाज़ करने के पहले एक महत्वावूर्ध विषय, अर्थात् पूँजी निर्गमनों के नियन्त्रण का विवरण, अनिवाय है। सन् १९४३ई० में युद्ध दूर-दूर तक पैल गया था और भारत सरकार के सामने युद्ध के हित विपुल धन राजि एकत्रित करने की विष्ट मरम्मता आ गयी थी। देश के मानवों का मुख्य मुद्द-जनित उद्देश्यों के हित उपयोग करने के लिए सरकार ने उद्दोगों के द्वारा स्वच्छन्द विन उपयोग पर रोक लगानी चाही, जनाद, सरकारी उधार-इण्ड (Govt. Borrowing) तथा औद्योगिक विनियोग के बीच उचित सन्तुलन (Judicious Balance) बनाने तथा मुद्रासंरक्षण-नियमों पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने मई १९४३ में भारत द्वा नियम १८-ए (Defence of India Rule 94-A.)

के अन्तर्गत पूजी निर्गमन नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश जारी किया, जिनकी समाप्ति सितम्बर १९४६ में हो गयी लेकिन उनकी वह अवधि १९४६ के विशेष आईनेस न० २०, द्वारा बढ़ा दी गयी।

आईनेस को व्यवस्थानुसार कोई भी कम्पनी बेन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के द्वारा (क) अप्रेजी भारत में किसी भी प्रकार की दूजी निर्गमित नहीं कर सकती, (ख) अप्रेजी भारत में किसी भी प्रकार की प्रतिभूतिया सर्वसाधारण के बीच विश्रीं बरने का प्रत्याव नहीं बरने सकती, (ग) किसी भी प्रतिमूलि को जो अप्रेजी भारत में भूगतान की तारोल प्राप्त कर रही हो, पूर्णविधि, को तारीख स्थिगित की या बदली नहीं जा सकती। इसने जनसाधारण को कम्पनी की ऐसी प्रतिभूतिया खरीदने से भी निपिद्ध बर दिया जो बेन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना निर्गमित बीं गई है। सरकार ने प्रतिभूतियों वे निर्गमन की स्वीकृति या मात्रता देने वे समय ऐसी शर्तें लगाने का, जो वह उचित समझती है, अधिकार अपने पास रख लिया। इन उपवधों का उत्तराधन बरने वाला काई भी प्रवर्तक, प्रबन्ध अभिकर्ता या अधिक्रेता पात्र वर्ष की केंद्र या अर्थदण्ड या दोनों का भागी हो सकता था। आईनेस की व्यवस्थाय अधिकोपण (Banking) तथा बीमा कम्पनी को छोड़कर पाच लाख में तम पूजी निर्गम पर लागू नहीं होती थी।

यद्यपि पूजी नियन्त्रण का मौलिक उद्देश्य या युद्धजन्य आवश्यकताओं की पूर्ति तथा युद्धकाल में आवश्यक नेवाओं तथा वस्तुओं की समिति पूर्ति के लिए छीना-झपटों को राबना, फिर भी युद्ध के बन्द होने पर भी यह अनुभव किया गया कि देश की युद्धोत्तर परिस्थिति ऐसी है जिसमें नियन्त्रण का होना जहरी है। अतः, “उद्योग, कृषि एव सामाजिक सेवाओं के बीच सन्तुलित नियाजन प्राप्त बरने एव इस बात को सुनिश्चित बरने के लिए वि प्राप्य पूजी साधन कृपीय, औद्योगिक तथा अन्य विकास के बीच सन्तुलित रूप से प्रयुक्त किये जाए और पूजी वस्तुओं अ उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के बीच एव सन्तुलन रखने के निमित्त” १९ अप्रैल १९४७ में बेन्द्रीय विधान मंडल में एक विधेयक ऐश किया गया जा पूजी निर्गम (नियन्त्रण जारी रखना) अधिनियम के नाम से प्रकट हुआ। निम्नान्वित परिवर्तनों को छोड़कर यह अधिनियम भारत रक्ता नियम १४ ए (Defence of India Rule) की व्यवस्थाओं के अनुसार ही था—

१ अधिनियम तीन वर्ष लागू रहना था।

२ पात्र सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति का गठन होने वाला था, जो कानून के लागू होने के फलस्वरूप उत्पन्न विषयों पर परामर्श देती।

३ जब पूजी निर्गमन के हीत दिया गया आवेदन-पत्र अस्वीकृत होता तो प्रार्थी के आवेदन-पत्र पर केन्द्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अस्वीकृति के कारण प्रार्थी के पास लिखित रूप में प्रेपित करे।

चूंकि इस कानून की अवधि मार्च १९५० में समाप्त होने वाली थी, अतः दूसरा

व्यष्टि पड़ी रहती। प्रायः व्यवसाय चलने के लिए हमारे पाग बासी बचत नहीं होती और यदि हम लोगों के पाग पर्याप्त धन हो, तदे भी शायद हम लोग अबने बनेमान थन्दे को छोड़कर वह अन्या अपनाता नहीं चाहेंगे किसी गिरफ्त विकास का आवाज रुचि या कुशलता का अभाव है। लेकिन कम्ती के लोगों को सर्वेक्षण में बाद काम का खाल रिये दिना ही हम लोग आगिक रूप से कम्ती के स्वामी हो जाते हैं। हमारे वेनिप्रिन पाइ गम थार है, जूँकि थारे परिमाल में अब बर्गीद जा सकते हैं, अतः हम अपना बचत को विभिन्न कम्तियों के बांक विनियित कर गवते हैं और हम प्रश्नार मन्त्रांग उत्पिद का वर्ष बर गवते हैं। अदों की हम्मालरणीयता तथा स्थान मार्फेट में उत्तरा योग्यता विद्या कम्ती का पूँजी प्राप्ति के मामते में और बाबुरंग बना देंगी है। कम्ती में विनियोजित पूँजी का हम आमानी में बापग पा सकते हैं; उत्तरा लागों भ, किसी पास अपादन याहाँ रखन प्रत्य हाती हों, पूँजी एकत्रित बरनको विधि त कारण बनना ता उम धन राशि में कहीं ज्यादा पूँजी प्राप्त हो जानी है जो वैरिक्षण व्यवसायियों द्वारा आमानी में इकट्ठी की जा सकती है और जो स्वामित्व-धारिया का विनियन यात्रने द्वारा लिये गए क्रते पर निर्भर करती है। सच्ची वात तो पहूँच हिं बृहत् पूँजी एकत्रित करने के मामते में जितनी बनकूड गयुक्त रखन्य कर्ता ही उत्तरा काहि व्यवसाय का दूसरा न्य नहीं। कम्ती की उत्तरा योगी के बृहत् सच्च नहीं और वह सधय जाके उदाग की विशेषताओं में से है।

२. दूसरा गम उपर्युक्त विवेचन का परिणाम है। इन का जांचित बहुत ने विनियोजनाओं के बांक विनियित हो जाता है तथा थोड़े में लोगों को, जैसे मालेश्वरीया एकांकी व्यवसायों को अवस्था में, हांते धारी धनि की सम्भावना न्यूनतम हो जाती है। अब यह अवश्यकता नहीं रहती कि घनाद्य लोग व्यवसाय का भार बहन बरते रहें, कमाके दूरदूर में तथा दूरदूर गव धना व्यक्तियों में पूँजी एकत्रित एव व्यवस्था के द्वारा नियन्त्रित की जा सकती है।

३. दूसरा वा बोक्तव्य छोटो-छोटी राशिया एकत्रित की जानी है और मामूलिक द्वा में विनियुक्त का जानी है जिसका परिणाम मार्फेट महोदय के शब्दोंमें, व्यवसाय नियन्त्रण के प्रश्न, स्वामित्व का लोकनन्दीकरण (Democratisation of Ownership) होता है। पाइ और नो भदुक्त पूँजी कम्ती मन प्रश्न के लोगों को, जाहि के बड़े हो या छाटे मालियी हों या सावधान, यह मामर्य प्रदान करती है कि के व्यवसाय के अधिक स्वामी हों और दूसरों और योग्य साहियों की पद्धता तथा ग्रामभूमि (Initiative), उत्तरा विनियना तथा व्यावसायिक अमना की उत्तरादयता के नियम प्रदान करती है। मालियों के में गुण ममात्र को अन्यथा उत्तराध्य नहीं होते।

४. पोरोपक दोषित एक बीनीकन लान प्रदान करता है। व्यावसायिक गान्धन के विकास की विस्ती अवस्था (Stage) ने भी, बोंदे, विनियोग को उत्तरा मुक्तम नहीं दवाया जितना कि परिक्षित दायित की बैंकानिक व्यवस्था ने। इसने जांचित तथा अवस्था (Return) के बांक प्रयोग गमन्य का सम्भव दवाया है। क्योंकि

जेंडा कि इने महोदय ने कहा है, माझदारी या साहचर्य (Association) के विवार का इत्रो विनियोग में प्रयत्न करती है ताकि उनकी सभ सम्बन्धी विचार को न केवल इस व प्रबन्ध में बन्धित जानियाँ में भी, प्रयुक्त करती है। केवल नियमित कम्पनी, के अन्तर्गत ही मृत सदस्यों का जारीकरण दायित्व उनके विनियोग के माध्यम सम्बद्ध कर दिया जाता है। अर्थात्, परिमित कम्पनी उन व्यवसायों के लिए विशेष हृषि न अनुकूल है, जिनके अन्तर्गत व्यवसायों के बाद ही लाभ अर्जन किया जा सकता है।

५. यह नाटन एक बैंकनिक व्यक्ति है जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार (Perpetual Succession) प्राप्त है। यह व्यापारी उत्पादकों की अनेक पोषियों के बाद भी जारिन रह सकता है। उस व्यापारी की कम्पनी का अन्त नियमित है जिसे अमीम उपलिपि प्राप्त नहीं है। एक बड़ी कम्पनी का एम बट्टन से विस्तृत लाभ प्राप्त है जो काल के माध्यम सम्बद्ध में समाप्त नहीं हो जाते। वाम्बिकता यह है कि इमर्झी भिन्नतरता, जो निगमन ने उत्प्रभुता हातों है और जो निगमन, उत्तराधिकार तथा कार्य की एकता को सम्बद्धना के कारण स्वाधित वा कारण बनती है, एक बहुत बड़ा लाभ है, वर्गे के यह प्रशासा तथा नियुक्ति का प्राप्ताहित करती है। कम्पनी की इन अविच्छिन्नता पर प्रबन्ध या स्थानियों के परिवर्तन का कार्ड प्रभाव नहीं पड़ता। मृद्ग की सम्पत्ति के मनाधारन के मनव असों पा स्फन्द वा स्वाधित मम्बन्धी जगड़ा भी कम्पनी पर कोई अन्तर नहीं ढाल सकता। भल्ली बात यह है कि वे व्यवसाय भी, जिनका स्वामित्व दम्भुत किसी एक आदमी के हाथ में होता है, एक अधिक व्यवसाय (One man Company) को तुरह कभी-कभी नियमित कर दिये जाते हैं, और व्यवसाय का स्वामी अपने भिन्ना तथा सम्बन्धियों को विनियोग अग्र दे देता है ताकि व्यवसाय का संगठन ऐसा हो जिसे वह व्यवसायी की मृद्ग के उत्पातन भी चालू रहे।

६. कम्पनी का छात्र लाभ मचालन तथा प्रबन्ध की बड़ी हृदै दक्षता में है। उत्पादन के उत्पादकों का सहृदय मर्यादा ही जाता है। परिमित दायित्व तथा स्वतंत्र प्रबन्ध के फलस्वरूप प्रशासन की पत्तना तथा लोच में बृद्धि हो जाती है। सर्वाधिक चतुर तथा पटु मचालक चुने जा सकते हैं, और यदि वे बाद में उदासीन तथा अकुशल मार्दिन हों तो वहें भी जा सकते हैं। यह बात भी है कि एक ओर तो व्यापक सम्बन्धों के निराकरण के लिए मचालकों द्वारा नवाचन विचार प्रविष्ट रिये जा सकते हैं और दूसरी ओर, कम्पनी में मर्डोच्च योग्यता की कमी के कारण अवश्य करना जराइड़हँ है क्योंकि योग्य मण्डलकर्ताओं उत्पत्ति की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार की कम्पनी स्वेच्छायूर्बद्ध बृद्धि प्राप्त कर सकती है। सर्वाधिक योग्य व्यवसाय भी व्यवसाय पर अधिकार नहीं रख पाता है या ऐसे संगठन की समस्या दस्के नामने पर सही होती है जो उनके लिए बहुत ही बड़ा है। लेकिन कम्पनी जिसी एक आदमी पर नियंत्रण नहीं करती। इस प्रकार मचालक माडल किसी एक आदमी की अपेक्षा बहुत नोटिपरिवर्तन को आरम्भ कर सकता है। इसके अलावा, जैनेजैने कम्पनी बड़ी होता, वैने हो वैने इने नरी प्राविधिक भिन्नस्वदिनाएं प्राप्त होती जायेगी।

७ कम्पनी को एक बड़ा आधिक लाभ यह है कि प्रबन्ध-अभिकर्ताओं, प्रबन्ध-सचालकों और प्रबन्ध-व्यवस्थापकों का दिए जाने वाले कुल बेतनों की राशि एक सफल व्यवकिन्तव्य व्यापारी को होने वाले अतिरिक्त लाभों की तुलना में बहुत ही कम है।

८ कम्पनी व्यवसाय का एक निश्चिन हैंसियन प्रदान करती है और अभिकर्ताओं के जरिये उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन को सुविधा प्रदान करती है। इससे यह होता है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे छल-छद्म पा प्रपञ्च की आवश्यकता नहीं रहती। कोई बाहरी व्यक्ति कम्पनी के साथ व्यवहार करने की हमेशा तत्त्वर रहता है तूकि वह कम्पनी के व्यवसाय के अभिकर्त्र के इसके अधिकारों की वंधानिक सीमाओं से अच्छी तरह अवगत होता है।

९ कम्पनी में जो लाभ समाज का प्राप्त होता है, वह है विनियोग को प्रोत्साहनकरण वडे पमान के उद्याग (Large-scale Industry) के कुमल मचालन की सम्भावना। कम्पनी के द्वारा स्थापित वे तत्व पर काफी निगरानी रखी जाती हैं। अनिवार्य प्रकाशन तथा कम्पनिया के अन्य नियमन समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं और विसेपकर देव तथा लाइसेंसोग (Public utility) कम्पनिया सबधी नियमन।

द्वन्द्व (Disadvantages)—कम्पनी संगठन के इनके लाभों के बावजूद, इसके बहुत से खतरे हैं और विसेपकर एवं विनियोगका के लिए, जिसे उस कम्पनी को वास्तविक स्थिति का बहुत कम ज्ञान हाता है जिसमें वह अन्यों वचन का विनियोग करना चाहता है। जिन्हुंने जनहित की रक्षा के लिए सभी प्रकार की कम्पनिया का नियमन करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है, लेकिन कम्पनी संगठन का नियमन आज की सबधीकरण कठिन समस्याओं में से एक है तथा इसके खतरे व दोष हमारे सामने हैं।

१ इसका पहला दोष तो यह है कि दो कारणों से इस बान की सम्भावना है कि कम्पनी दग्गावाज लोगों के हाथों पड़ जाय। पहला कारण तो यह है कि चरित्रहीन प्रबन्धकों के द्वारा पूजी प्राप्त करने के साधन का आसानी से दुरुपयोग हो सकता है, और दूसरा कारण यह है कि उन सचालकों व प्रबन्ध अभिकर्ताओं की योग्यताओं तथा सचाई को ज्ञान करना जिनके नाम प्रविवरणों में छपते हैं, कठिन है। प्रविवरणों को ऐसे शब्दों में लिखकर, जिनसे सब्ज बाग दिखायी दे, चालाक तथा टग लोग भीली जनता से रुपये एठ लेते हैं, जिसका परिणाम मवनाम होता है। गाफिल लोगों की वचन उनसे ठग न ली जाय, इस बाम के लिए जिसी प्रकार के अभिकरण (Agency) की स्थापना हानी चाहिए जिसका बाम रहे सर्वसाधारण को विनियोग सम्बन्धी निरापदता या अनिरापदता के सम्बन्ध में परामर्श देना। इसके साथ जिस दग्गावाज का भडाफाड हो उसके बारे में अधिकाधिक प्रचार विद्या जाना चाहिए। उसे दवाना नहीं चाहिए जैसा कि आजकल होता है। ऐसा करने से ही मुफ्त की कमाई पर पलने वाला से समाज की रक्षा हो सकती है।

२ सिद्धान्त में तो निस्सन्देह सबूत सन्धि कम्पनी एवं सोकरन्त्र है लेकिन

चवहार में दुर्भिक्षणवश अभिकर्ताओं तथा मचालको का अल्पतन्त्र है, जिनका परिणाम होता है थोड़े से लोगों में नियन्त्रण का नितान्त केन्द्रीकरण। अशावारियों की, जो कम्पनी के वास्तविक स्वामित्वधारी हैं तथा जोखिम को ढोने वाले हैं, शायद ही कम्पनी के मामले में कोई आवाज हो या जोखिम को उठाने में कोई हाथ हो। वे सुपुष्ट साझेदार होते हैं, जो बदलते हैं तो माल में एक ही बार और तब भी अत्यन्तव्यादियों तक उनकी आवाज पहुंच जाय, इतना जोर उनकी आवाज में नहीं होता। “भीतर” (Insiders) लोग, जिनके पास पर्याप्त माला में अश तथा मताधिकार होता है अशावारिया तथा प्रबन्ध के बीच मजबूत दोबार होने हैं। अधिक्तर अशावारी अधिवेशनों में सम्मिलित नहीं होने व्योकि तन्मन्त्रव्यय उम रकम से ज्यादा होता है जिनमें पाने की आज्ञा वे कम्पनी खे बरतते हैं। जब तक उन्ह लाभाक्ष मिलता रहे, तब तक सब ठीक है, चाहे कोई उन्हें उनके अधिकार से बचिन ही क्यों न करदे। और नहीं तो देने तथा समय बचाने एव मह सलोट प्राप्त करने के लिए कि उन्होंने अन्त अधिकार का उपयोग किया है, वे प्रबन्ध अभिकर्ता या मचालक के पक्ष में प्रतिपत्र (Proxy) देदेते हैं। यह रिवाज मारतवर्य में अन्यथिक चालू है। इन उपायों द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता, मचालक तथा उनके मित्र, जो कम्पनी के भीतरी धेरा “(Inner Ring)” होते हैं, पूजी थोड़े से माल, यथा अश पूजी का दश प्रतिशत, वे स्वार्थी होकर भी कम्पनी पर दूर्ज नियन्त्रण रखते हैं।

प्रबन्ध (Management) चाहे तो, विभिन्न कोटि के अर्थों से सम्बद्ध मनाधिकारों का इस प्रवार उल्टफेर बरके कि अपेक्षात् थोड़ी बीमत बाले अशों की प्राप्ति द्वारा बहुमत (Majority) प्राप्त हो जाय, अशावारियों को अपने विचार स्वीकृत कराने में बचिन भी कर सकता है। उदाहरणतः, १०,००,००० रुपये की अधिकृत पूजी १०० रुपये वाले २,५०० मताधिकारहीन अधिमान अशों में, जिसमें २,५०,००० प्राप्त हुए, १० रुपये वाले ६५,००० साधारण अशों में (प्रत्येक को एक मन प्राप्त) जिसमें ६,५०,००० रुपये प्राप्त हुए तथा एक रुपये वाले १,००,००० दैकर्त अशों या सस्यामक अशों में (प्रत्येक को एक मत प्राप्त) जिसमें १,००,००० रुपये प्राप्त हुए—विभाजित की जा सकती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त अशों के घारक ६५% साधारण अशावारियों तथा २५% अधिमान अशावारियों (जिन्हें मनाधिकार होता ही नहीं) के मुकाबले में निरापद बहुमत में हैं। अपनी स्थिति को बिन्कुल निरापद बना लेने के बाद प्रबन्ध अभिकर्ता तथा मचालक कम्पनी के कोष को निवी लाभ के लिए बदलत बरके, विकी या लाभ पर कमीशन के रूप में अनिश्चय प्रतिक्रिया, तथा बेतन व भना ऐकर कम्पनी का दोहन करते हैं। हो सकता है कि कम्पनी को बदल उनके द्वारा बदलाद कर दो जाय या अनुत्पादक कामों में प्रयुक्त करदी जाय; बेचारे अशावारियों के दाल कोई प्रतिकार नहीं।

३. तीसरा दोष यह है कि इन प्रवार का मगजन स्टार्ट मार्केट में मट्टेवाली जो प्रोत्याहन देता है, यह हमारे देश में भयकर दोष है, क्योकि स्टार्ट मार्केट मद्द विनियोग (Sound investment) या स्थायित्व (Stability)

को महायता देने के बदले सट्टेवाजी के उत्प्रेरक (Hush Agency) का काम करते हैं। बटुवा प्रबन्ध अभिकर्ता अपने लाभ तथा सामान्य अशाधारियों की प्राणधात्री हानि के लिए स्टाक एक्सचेंज में अशो के मूल्य इवर-उथर करके अपनी स्थिति का दुरपयोग करते हैं।

४ उपर्युक्त हानि से बिल्कुल सम्बद्ध वह हानि है जिसे डा० लोकनाथन "प्रबन्ध अभिरुत्तमी तथा अशाधारियों के बीच हित का सघर्ष" कहते हैं। प्रारम्भ में ही यह कहा जा सकता है कि यद्यपि दोनों वे बीच इस सघर्ष तथा जसगति का कारण प्रबन्ध अभिरुत्तमी है और वास्तव में यह घटना सबसे बड़ी कमज़ोरियों में से एक है, लेकिन इनका यह तात्पर्य नहीं कि अशाधारी सर्वदा सही तथा प्रबन्ध (Management) गलत या दोषी है। यह यह कहने का इतना ही तात्पर्य है कि भारतवर्ष में अशाधारियों का प्रबन्ध के प्रतिशूल कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, यदि वे ऐसा अधिकार रखना भी चाहें। अब पर यह होता है कि अपोग्य तथा बैंडमान प्रबन्ध अभिकर्ता, जिनमें कम्पनी को सकृदाना के लिए काम करने वे उच्चादासी की नितान्त बमी होती हैं, अशाधारियों को विपत्ति में डाल देते हैं और स्वयं बाल्यवाल बच जाते हैं। ऐसा करते समय वे सभी प्रशार को आर्थिक गोटेवाजी वे जरिये लाते भी रकम हड्डप जाते हैं। ऐसे प्रबन्ध अभिरुत्तमी अशवारण से होने वाली अमदनी को अन्य जरियों से होने वाली आमदनी की अरेका होन समझते हैं और इस प्रणाली को बदनाम करते हैं। कम्पनी तथा प्रबन्ध वे हितों में ऐस्य की इस बमी के कारण ही गोटेवाजी (Manipulation), सट्टेवाजी (Speculation) तथा सर्वनामा को प्रोत्साहन मिलता है।

अत रात्रिया तथा प्रबन्ध के बीच इस सघर्ष के अतिरिक्त विभिन्न बोटि के अशाधारियों के बीच भी हित सघर्ष का खतरा हमेशा विद्यमान रहता है। यह नियम सा हो गया है कि अधिकारा अशाधारी निर्धारित लाभाश (Fixed Dividend) मेंही अपना हित समझते हैं, अन्, लाभों के न्यूताधिक किये जाने की ओर वे अरन्ति दिसाते हैं। साधारणतया स्वतंत्र अशाधारे लाभसंकीर्ति के लिये अपनाये गये इन साधनों वो पक्ष्यन्द करते हैं और ही संकता है कि वे सचिति निर्माण का विरोध करे।

५ एको अशाधारी तथा साझेदारी के मुकाबले में संयुक्त स्वन्ध कम्पनी का दूसरा दोपहर अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यायोजित (Indirect and Delegated) व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली वरवादी तथा अकुशलता की सम्भावना। वेतनभोगी प्रबन्धकर्ताओं के द्वारा व्यक्तिगत दिलचस्पी के अभाव वे कारण अकुशलता तथा वरवादी की उत्पत्ति होती है, विपक्षी वैयक्तिक प्रारम्भण (Individual Initiative) तथा वैयक्तिक उत्प्रदायित्व का नामोनिशान नहीं होता। उत्साह तथा वफादारी वो बोर्ड प्रेसिडेंस उपर्युक्ती तो नहीं होती जितनी लाजेदारी में, जिसमें लक्ष्य संज्ञेदार संवित प्रबन्धकर्ता होते हैं। एक शब्द में यह बहा जा सकता है कि कम्पनी में अन्य व्यवसायिक साठियों की अरेका चालक शक्ति वह प्रत्यक्ष तथा निर्दिचत होती है। व्यवसाय का स्वामी जब विसी परिवर्तन की बात सोचता है तब उसमें उसका निजी इति सम्मिलित होता है जिसके बल वह होने वाले लाभ वो हानि से तोलता है।

लेकिन इनके विपरीत बैनपारी प्रबन्धकर्ता या पदाधिकारी का निजी हित विपरीत दिग्गज में होता है। अन्तनम विरोध का रास्ता, सवाधिक आरम तथा स्वयं वो न्यून-तम खारा, यह वह मार्ग है जिसमें उत्पन्न के लिए प्रवलशील नहीं होना है तथा उत्पन्न के लिए प्रवल नहीं करने की लचर दर्तील उस समय तक हटते जाना है जब सकड़ा दिन्कुल असदिग्द नहीं हो गयो हो। पुन वैयक्तिक उत्पादनकर्ता अविलम्ब वार्य कर सकता है, लेकिन समृद्ध स्कन्ध कम्पनी चिन्तामन हो एक-एक इस बढ़ती है और तब ही कार्य करती है जब विरोधी हितों में भर्तक्षय हो जाए।

६ कम्पनी प्रबन्ध का एक और दोष है कम्पनी के पदस्थों का नीतरसाही मिजाज जिसके कारण वे कलेशजनक प्रारम्भण (Troublesome initiative) में दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इससे सामाजिक यन्त्र में जग लगता है तथा चरित्र बल में दिरावट होती है।

७ अन्त में बृहत् घबसाय की एकत्रिपय दुर्बलताए हैं जो समृद्ध स्कन्ध कम्पनी से प्रस्तुत होती है। सर्वप्रथम तो यह बात होती है कि अशारियों के पंसे से काम दिये जाने हैं, लेकिन अशारियों का उत्तरदायित्व इन कामों के लिए प्राप्त नहीं होता। इससे अनेक प्रकार की बुराइया पैदा होती है। जैसे दोहन (Sweating), असन्तोष-जनक कार्य परिस्थितिया तथा थमिक का शोषण (Exploitation of Labour) इत्योर, बड़े घबसाय का प्रत्येक विभाग भय हुआ तथा निर्दिष्ट होता है जिसके लिए परोक्षा (Check) तथा प्रतिपरोक्षा (Counter-checks) की प्रणाली आवश्यक हो जाती है। इस तरह की प्रणाली आवश्यक रूप से मानव-प्रयत्नों के लिए धातक होती है और लोच (Elasticity) को दबाती है। तीसरी बात यह है कि समृद्ध स्कन्ध संगठनों में समोजन (Combination) नियमित की प्रवृत्ति होती है। ये समोजन एकाधिपत्य अधिकारों का उपयोग करते हैं जिनकी प्रतिक्रिया समझक उत्पादनकर्ताओं तथा उत्पादित माल के उपभोक्ताओं के लिए अहित-कर हो सकती है।

जो कुछ ऊर बनाया गया है उनमें यह निष्पत्ति निवलता है कि सामाजिक दृष्टि से धन के वितरण पर समृद्ध स्कन्ध मण्डन का महस्तपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनमें बुरी और अच्छी दोनों तरह की सम्भावनाएँ निहित हैं। एक और तो यह लघुराशि विनियोग एवं तन्मध्यन्धी लाभ व व्याज के वितरण के द्वारा धन को विकेन्द्रित करता है और दूसरी ओर इसका परिणाम मुद्दी भर औद्योगिक तानाशाही के हाथ में धन का दोष समृद्ध तथा अलोकन्धीय बेंदीकरण भी हो सकता है। समृद्ध स्कन्ध मण्डन के द्वारा धन के अमान वितरण को प्रोत्ताहन मिला है। कम्पनियों को बृद्धाकार होन देना और साय-भाय तञ्जनित लाभ सर्वभागरण को निर्दिष्ट रूप से प्राप्त करा सकना टेंडी सौर मालूम पड़ता है।

## अध्याय :: ७

### कम्पनी प्रवर्तन (COMPANY PROMOTION)

व्यावसायिक कर्मों जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु मालों का उत्पादन तथा सभरण करती हैं, यह पाती है कि इन आवश्यकताओं की कोई दृश्य सीमा नहीं है, और वे तयी आवश्यकताएं पैदा करती चली जाती हैं। नयी-नयी विधियों द्वारा नयी कोटि का माल दो में से बिसी एक प्रकार से बाजार में प्रवेश करता है, चालू व्यवसाय के उत्पादित मालों की शृखला में जुड़वार या नये साहम (व्यवसाय या उपक्रम) की रूचना या प्रवर्तन द्वारा।

चालू व्यवसाय की प्रतिमूर्तिया विनियोगी जनता द्वारा शीघ्र खरीद ली जाती है। लेकिन धनार्जन के लिए विनियोक्ता नयी योजना की खोज नहीं करेगा और न नयी योजना को अपनायेगा ही। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उस व्यवसाय में विनियोग करने की जिसके बारे में वह कुछ जानता है और जो लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अत इसके पहले वि वित्वान् व्यक्ति को नये व्यवसाय का लोग दिया जाय ताकि धन के उपार्जन के नये अवसर वा उचित विकास हो, यह आवश्यक है कि उसे एक सुनिश्चित योजना या प्रस्थापना प्रदान की जाय, अर्थात् उसे यह बताया जाय कि प्रस्तावित व्यवसाय का बरने जा रहा है तथा सगठन के बीन साधन है जिनके जरिये अभिष्ट की प्राप्ति होगी। अतएव, एक ऐसे आदमी की आवश्यकता पड़ती है, जो धनोपार्जन के अवसर दूढ़ निकाले, ऐसी प्रस्थापनाओं का अन्वेषण करे, उनके विभिन्न तत्त्वों को एकत्रित करे व उसका वितरण करे तथा उन कार्यों के सम्पादन द्वारा एक चालू व्यवसाय को जन्म दे। वह व्यक्ति जो इन कार्यों का सम्पादन करता है, प्रवर्तन कहा जाता है। व्यवसाय के विशिष्ट अवसरों को दूढ़ निकालने तथा उत्पादन के घटकों को, धनोपार्जन के हित तत्पश्चान् समर्थित करने की प्रक्रिया को प्रवर्तन कहा जा सकता है।

प्रवर्तन की तीन कोटिया होती है—(१) पेशेवर प्रवर्तन (Professional Promoters) जो कम्पनियों का प्रवर्तन व निर्माण (Floating) अपना पेशा बना लेते हैं। (२) सामयिक प्रवर्तन (Occasional Promoters) जो कभी-बभी प्रवर्तन कार्य करते हैं, जो उनके व्यवसाय का मुह्य अग होता है, (३) किसी अवसर के लिए प्रवर्तन जो विश्वी व्यवसाय का जिसमें उनकी दिलचस्पी होती है, प्रवर्तन करते हैं। अनुसन्धान-कर्ता अपने अनुसन्धान को विस्तृत करने के लिए कम्पनी

को प्रबन्धन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, कर्म, सिन्हिकेट, समय या कम्पनी जो कम्पनी की रचना तथा निष्पत्ति के लिए आवश्यक कार्यों का सम्पादन करती है, प्रबन्धन की हो सकती है। परिचमों देशों में प्रबन्धनको का एक स्वनन्व वर्ग होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है व्यवसाय को आरम्भ या सुगठित करना और प्राप्त वह वर्ग व्यवसाय के जीवनक्रम तथा विकास में आग कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इसके विपरीत, भारत में कुछ अपवाहों के अतिरिक्त, प्रबन्धन कार्य ऐसा विशिष्ट कार्य नहीं बन पाया है कि प्रबन्धनको का एक नया वर्ग पैदा हो सके। हमारे देश में प्रबन्धन कार्य उन व्यक्तियों द्वारा नियन्त्रित होता है जिन्होंने प्रबन्धन के पदचान् व्यवसाय का प्रबन्ध व नियन्त्रण किया है। इन लोगों को प्रबन्ध अभिकर्ता कहा जाता है जिनके बारे में आग बनामा जाएगा।

प्रबन्धनको के हाथ में कम्पनी की रचना तथा स्वरूप-निर्धारण होता है जिन्हें पहले अधिकार होता है कि वे यह बनायें कि कम्पनी कब, किस रूप में तथा किसकी देश-भैत्य में उद्भूत होगी, और व्यवसाय निगम (Corporation) के रूप में आता कार्य आरम्भ करेगा। ऐसी अवस्था में कम्पनी में उनकी स्थिति विवाहाधिन (Fiduciary) होती है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी के आगे वे अभिकर्ता या प्रत्यानी (Trustees) के रूप में उत्तरदायी होते हैं। उन्हें अनुचित लाभ हरणित नहीं कमाना चाहिए, और सभी प्रकार की प्राप्ति का, चाहे वह जिस भी जरिए से हो, हिमाव कम्पनी को देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे स्वनन्व मचालक मण्डल (Board of Directors) के द्वारा अपने पारिषद्मिक तथा अपने द्वारा विकीर्ण सम्पत्ति के मूल्य को स्वीकृत करा लें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कम्पनी उनके द्वारा की शीर्षी मविदाओं को भग बर दे। जब तक कम्पनी अपने ही मण्डल (बोर्ड) के हाथों में नहीं आ जाती है, तब तक मह प्रबन्धनको की चोज है जिसे अपने हिन के लिए कोई कार्य नहीं कर सकती। जब प्रबन्धनको को मावधान होता ही है तथा उन्हें सत्यना व सद्विद्वान के साथ काम करना हो चाहिए। यदि किसी ने कम्पनी के विस्तर घोला तथा विज्ञामोल्लङ्घन के लिए मुहूरदा किया है तो किसी मूल प्रबन्धन की सम्पत्ति उसी हालत में दायो होगी जब उस सम्पत्ति को कुछ लाभ प्राप्त हुआ है, अन्यथा नहीं।

### प्रबन्धन मंजिलें (Stages in Promotion)

विनोदव्यवसाय के प्रबन्धन में चार मंजिलें होती हैं, यथा, १. विचारोत्पत्ति तथा अन्वेषण अन्वेषण, २. विनायक अन्वेषण ३. असेंबली (Assembly) और ४. विनायण (Financing)

**विचारोत्पत्ति (Discovery of Idea)**—जिस आइडी को किसी विचार की मूल होती है उडे अपने विचार के लिए अनीम उन्माह होता है। उदाहरणत, एक अद्विक यांत्रिक जानुरं (Mechanical Skill), बुद्धिमानी तथा मौजिकता से सम्बन्धित होता है जैसे कि उनमें यह क्षमता नहीं होती कि वह अपने अन्वेषण का

जाविक मूल्यावत करके उसको उपयोगिता को परख सके। यही कारण है कि अन्वेषक को अव्यावहारिक प्रतिभा (Impractical Genius) चहा गया है। न सो उनमें प्रशिक्षित प्रबन्धकों को तरह व्यवसाय का मस्तिष्क ही होता है और न सगठन सम्बन्धी प्रतिभा (Organ sing Gift) ही होता है। अन उनके हक में यही अच्छा होगा कि वह असता विचार ( Idea ) किसी निष्पक्ष अनुसन्धानकर्ता को दे जो प्रशिक्षित प्रबन्धक हो और जो सफलता तथा विफलता के तत्वों का भाष्य ज्ञोख कर सके। प्रबन्धक की प्रारम्भिक खोज-पढ़ताल का अध्य होगा इस बात का पता लगाना जिसे विस्तृत खोज-पढ़ताल करना लाभप्रद है या नहीं। वह सम्भव आय-व्यय (Revenue and Expenditure) का अन्दराजा लगाता है और तब अपने अनुमान को चालू व्यवसाय के वास्तविक आवड़ों से मिलाता है, और तब वह व्यवसाय के हेतु अपने अनुमत्यान को पेटेन्ट (एक्स्ट्रा) करवा लेता है।

**विस्तृत खोज पढ़ताल (Detailed Investigation)**—प्रबन्धन की दूसरी अवस्था के अन्तर्गत विचार व योजना या प्रस्थापना की विस्तृत जाच में निहित दुर्बलताओं का पता लगाना, आवश्यक वस्तुओं का निर्धारण, तथा सचालन व्यय एवं सम्भाव्य (Probable) आय का अन्दराजा आते हैं। जब खोज का कार्य पूर्ण हो जाता है, तब मुद्रित या टाकित (Typewritten) रिपोर्ट के रूप में खोज के निष्पक्षों को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें मकालित जाकड़े, लोगत तथा आय के अनुमान तथा लास क्षेत्र, जैसे इजोनियरिंग, में विदेशी के विचार रखे जाते हैं। खोज के दोरान प्रमुख समस्याओं का विस्तृत शोध करना होगा। इन प्रमुख समस्याओं के अन्तर्गत निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। उत्पादन समस्या, जिसका निदान इन्जीनियर या रसायन-कार्यालयों द्वारा प्राप्त विषया जाता है। मार्ग का पता लगाना, जिसकी उचित जानकारी बाजार विश्लेषण विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त की जाती है, उचित पेटेन्ट का प्रदान, जिसका उत्तर प्रवीण बकील द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, प्लाट के उचित स्थान की समस्या, (जिसमें यातायात, बच्चा पदाय तथा बाजार से निकटता, सन्तोष-जनन श्रम-नूति तथा अनुकूल जलवायु के प्रदान आते हैं) जिसका हल प्रदर्शन व परामर्श विशेषज्ञों से मिलकर ढूढ़ा जाता है तथा यह प्रदान कि पूजीवरण पर्याप्त है या इनाविन कम्पनी अतिरूपीकृत या अन्य-नूजीकृत होगी, जिसका हल वित्त विशेषज्ञ के द्वारा होता है। संसेन में, विस्तृत खोज के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि अनुष्ठानित आय अनुमानित मुकालन लागत, विनियोजित पूँजी पर व्याज तथा स्वामित्ववारिया द्वारा उठाये गये जालिम तथा प्रदत्त मेवाओं के लिए क्षतिनूति देने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं।<sup>१</sup>

**उपवरण सभ्य (Assembling)**—जब प्रस्तावित व्यवसाय की पूरी खोज-पढ़ताल की जा चुकी है तब प्रबन्धक यह निर्णय करता है कि वह प्रबन्धन के

१ निगमन तथा औद्योगिक वित्त का अध्याय देखिये।

जानिम उठाने का तंदार है या नहीं और तब वह पूँजीकरण की धारना के सम्बन्ध में नियम करता है। तदुपरान वह प्रस्तावना के उपकरणों का सचय करता है। सचय ( Assembling ) से हमारे तान्त्रिक है मूल विचार का सरलण, व्यवसाय के लिये जावस्यक सम्भति का प्राप्ति तथा उन सारे व्यक्तियों से सविदा करना जो प्रमुख प्रबत्तक पदा पर लिये चुने गये हैं।

**साध्य का वित्तोदय ( Financing the proposition )**—विचार भावा इसा, उसकी स्थान-पड़ताल हा गई तथा उपकरणों का सचय हा गया, अब प्रबन्धक का साध्य का प्राप्ति हा गयी। यह साध्य सर्वसाधारण तथा अभिगापका ( Underwriters ) के सम्मुख एक रिपोर्ट के हप म, जिसे प्रविवरण कहा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उद्देश्य हाना है उनमें मह आश्रह करना कि यह काम उनके घन लगाने के याम्य है। प्रविवरण म सम्पूर्ण काम का विस्तृत विवेचन हाना है और भाय ही स्थान के दरम्यान नियुक्त अनेक विसपन्ना की रिपोर्ट हानी है। इम प्रक्रिया का अवसर का पूँजीकरण ( Capitalisation of opportunity) कहा जाता है। इम क्रिया के दो भाग हाते हैं, पहला, सम्भति समाप्तने के लिए कम्पनी का निमाग और दूसरा, सम्भति वस्तुत प्राप्त करना।

### कम्पनी का निर्माण (Formation of Company)

मह पहले ही कहा जा चुका है कि कम्पनी निर्मित बस्तु है और यह सच है कि पर्जीयन द्वारा निर्मित कम्पनियों की मव्या सर्वाधिक है, अनेक यजायन द्वारा स्वन्ध प्रभावित या स्ट्राक्टर कम्पनी निर्माण के जनिलार्पा व्यक्तिया, यानी प्रबत्तकों का सदूक्त स्वयं कम्पनियों के पर्जीयन के यहा निम्नलिखित लेख्य ( Documents ) अनिवायी द्रष्टुत करते चाहिए—

(१) पापद सोमानियम ( Memorandum of Association ) यिम पर बम से कम सात व्यक्तियों ने (यदि निर्जी इमना हा ता दा ने) अपने नाम लिये हा और माना में से प्रत्येक व्यक्ति ने बम से बम एक अग्र स्तरीदा हा।

(२) पापद अन्ननियम ( Articles of Association ) इसी प्रकार हम्नागरित।

(३) मचालका की मूली ।

(४) मचालका द्वारा मचालक बनने की लिखित सम्मति ।

(५) सचिव मा एक मचालक या किसी प्रबत्तक द्वारा मह सावित्रिक घास्ता ( Statutory Declaration ) कि पर्जीयन की सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गयी है।

आवश्यक नत्यीकरण ( Filing ) करा देना तथा पर्जीयन शुल्क भी चुका देना चाहिए। नत्यीकरण शुल्क प्रति लेख्य ३ रपये हैं और पर्जीयन शुल्क अधिकृत पूँजी के अनुसार बम अपिक्त हाना है। पर्जीयन शुल्क निम्नलिखित है—

जहापूँजी २०,००० रुपये से अधिक नहीं हो वहाँ ४० रुपये;

जहाँ पूँजी २०,००० रुपये से अधिक हो लेकिन ५०,००० रुपये से अधिक न हो वहा प्रति १०,००० रुपये या उसके भाग पर २० रुपये;

जहाँ पूँजी ५०,००० रुपये से अधिक हो पर १०,००,००० रुपये से अधिक न हो वहा प्रति १०,००० रुपये या उसके भाग पर ५ रुपये।

१०,००,००० रुपये से अधिक पूँजी होने पर प्रति १०,००० रुपये या उसके भाग पर १ रुपया।

अधिकतम देय शुल्क १००० रुपये हैं और यह अधिकतम देय शुल्क ५२,५०,००० रुपये की पूँजी पर हो जाता है।

पंजीकार को जब यह सतोष हो जाये कि सभी औपचारिकताओं (Formalities) की पूर्ति कर दी गई है, तब वह नई कम्पनी का नाम पंजी में प्रविष्ट कर लेगा और तब निगमन का प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation) निर्गमित हो रेगा। यह प्रमाणपत्र कम्पनी को उस दिन से बंध अस्तित्व प्रदान करता है जिस दिन वी तिथि उस पर अक्षित होती है। यह इस बात का अखदूय प्रमाण है कि कम्पनी ने मरणधर्म मनुष्य के अधिकारों व दायित्वा से युक्त होकर जल्म ग्रहण किया है, तथा इस सविदा करने की क्षमता है।

**पार्चेंड सीमानियम (Memorandum of Association)**—पार्चेंड सीमानियम कम्पनी का सबसे महत्वपूर्ण लेख्य है। यह एक अधिकार पत्र (Charter) है जिसमें वे सभी आधारभूत अवस्थाएं (Conditions)\* उल्लिखित होती हैं जिनको परिधि म ही कम्पनी निर्गमित हो सकती है। यह कम्पनी की शक्ति सीमा के उस क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है जिसके परे कम्पनी नहीं जा सकती। इस वा उद्देश्य है अशास्त्रियों, कल्पदाताओं तथा कम्पनी से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को यह अवगत करना वि कम्पनी के व्यवसाय की स्वीकृत सीमा क्या है। अतएव इसका निर्माण वही सावधानी से होना चाहिए। इसे मुद्रित, सदभीं म विभाजित, क्रमांकित (Numbered) तथा साथी के सम्मुख सानों हस्ताक्षरकर्ताओं (Signatories) म से प्रत्येक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यत अपना पता व विवरण देना चाहिए तथा कम्पनी का कम से कम एक अदा अवश्य खरीदनर चाहिए। अब्जो द्वारा परिमित कम्पनी के पार्चेंड सीमानियम में निम्नलिखित विवरणों या खड़ों का होना अनिवार्य है —

**नाम खड़ (Name clause)**—कम्पनी इच्छानुसार कोई भी नाम प्रहण कर सकती है, शर्त केवल यह है कि वह नाम समान व्यवसाय करने वाली विसी वालू कम्पनी के नाम के समान या वही (Identical) न हो। धारा २० में यह उपबन्धित है कि बोई कम्पनी ऐसे नाम से पंजीयित नहीं हो सकती जो केन्द्रीय सरकार की राय में अवाञ्छिय है। नाम का अन्तिम शब्द ‘लिमिटेड’ (‘परिमित’) होना चाहिए ताकि कम्पनी से व्यवहार करने वाले सब व्यक्तियों को यह साफ़ मूचना

मिल जाय कि कम्पनी के सदस्यों का दायित्व परमित है। कम्पनी वे नाम से यह भी सूचित होना चाहिए कि वह निजी यानी प्राइवेट कम्पनी है या लोक कम्पनी। इसलिए प्रत्येक प्राइवेट कम्पनी के नाम के अन्त में “प्राइवेट लिमिटेड” शब्द आने चाहिए।

**अवस्थिति खड़ ( Situation clause )**—प्रत्येक कम्पनी का पर्याप्तित कार्यालय होना चाहिए जहाँ सूचना मेजी जा सके, लेकिन सीमानियम में राज्य का उल्लेख करना ही पथ पत है और उस शहर का उल्लेख आवश्यक नहीं जिसमें कम्पनी का पर्याप्तित कार्यालय स्थित होगा। बास्तव में केवल राज्य का नाम देना सुविधाजनक है क्योंकि तब, विना किसी कानूनी औपचारिकता के, पर्याप्तित कार्यालय एक शहर से दूसरे शहर में बदला जा सकता है।

**उद्देश्य खड़ ( Object clause )**—सीमानियम में उद्देश्य का विवरण बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इससे कम्पनी की शक्ति के विस्तार तथा इसके कार्य-क्षेत्र का पता लगता है। उन उद्देश्यों से, जिनका विशिष्ट रूप से वर्णन होना चाहिए, हटकर नहीं चला जा सकता, तथा कम्पनी के शक्ति-विस्तार से बाहर बिए गए सारे कार्य “शक्ति बाह्य” ( Ultra Vires ) तथा शुन्य ( Void ) होने हैं और सारे अद्यारी मिलकर भी उन कार्यों की पुष्टि करने में असमर्थ होते हैं। अत यह आवश्यक है कि उद्देश्य खड़ की रचना में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र प्रवर्तनों को उन सारे घटवायों के सम्बन्ध में, जिन्हें कम्पनी करेगी, अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। अस्पष्टायंक (ambiguous) व्यापक व्यवस्थाओं (General Provisions) का कोई उल्याग नहीं होगा। यद्यपि उद्देश्य खण्ड के अनिरिक्त, अन्य सारे अधिकारों का भी साफ साफ उल्लेख कर देना सर्वोत्तम है, किर भी यदि कम्पनी कुछ ऐसे कार्य करती है जो विशिष्ट उल्लिखित शक्ति के प्राप्तिक या आनुपर्याक हो तो ऐसा कार्य “शक्तिबाह्य” नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार व्यापारी कम्पनी को कठोर लेने, सामान्य रूप से हुण्डिया या विपत्र लियने तथा स्वीकृत करने की घनित शक्ति है लेकिन कोई रेलवे कम्पनी हुण्डिया या विपत्र निर्गमित नहीं बर सकती, यद्यपि वह घन उधार ले सकती है।

**दायित्व खड़ ( Liability Clause )**—इस बायाय की घोषणा कि अद्यारीयों का दायित्व उनके अशो की न चुका दी गई राशि तक सीमित है, पार्पद सीमानियम में हानी अनिवार्य है।

**पूँजी खड़ ( Capital clause )**—इस खड़ में कपनी के द्वारा प्रस्तावित पूँजी की राशि तथा उसके निश्चित राशि वाले अशो में विभाजन सम्बन्धी पायणा होनी चाहिए। मुद्राक शुल्क ( Stamp duty ) इस राशि पर देय होता है और इसका वर्णन विभिन्न तरीकों में किया जाता है, यथा “पर्याप्ति,” “अधिकृत” या “नामांकित” पूँजी ( Registered, authorised or nominal capital )। जब पूँजी संवेदाधारण को प्रस्तुत तथा आवृत्ति की जाती है तब वह निर्गमित ( Issued ) तथा अभिदत्त पूँजी कहलाती है जो नामांकित ( No-

inal) पूजी से अत्यधिक कम हो सकती है और प्राय होती भी है। निर्गमित पूजी पूर्णतः या अशत् याचित् (Called-up) हो सकती है और हो सकता है कि याचित् पूजी का एक अश ही प्रदत्त या शोधित (Paid-up) हो। इन प्रकार यदि नामांकित पूजी ५,००,००० रुपये की हो, जो १०० रुपये वाले ५००० साधारण अशों में विभाजित हो और निर्गमित पूजी १,००,००० रुपये हो तो प्रारम्भ में प्रति अश ५० रुपये ही व्यवसाय स्थापित तथा सचालित करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। १,००,००० रुपये याचित् पूजी होगी और यदि कितिय अशाधारियों से १०,००० रुपये अभी प्राप्त होने हो तो केवल ९०००० रुपये प्रदत्त पूजी होगी।

पार्यंद या अभिदान खड़ ( Association or subscription clause )—यह खड़ सीमानियम के हस्ताक्षरकर्ताओं के नामों से पहले आता है और प्राय इस प्रकार होता है। “हम कई लोग, जिनके नाम और पते दिये हुए हैं, इस बात के इच्छुक हैं कि इस सीमानियम के अनुसार हम कम्पनी बना लें तथा हम नमश अपने नामों के सामने लिखित अशों की सत्या कम्पनी की पूजी में लेना मनूर करते हैं।”

प्राधिकों के नाम, पते तथा वर्गनं	प्रत्येक प्रार्थी द्वारा लिये गये अशों की सत्या	साझिकों के नाम, पते तथा वर्गनं
१		
२		
३		
४		
५		
६		
योग	अश	

तिथि

१९५ का

वा दिन

## सीमानियम में परिवर्तन

कम्पनी अधिनियम की घारा १६ में इस बात की व्यवस्था है कि सीमानियम जब एक बार पंजीयित हो जाता है तब कम्पनी उसमें अधिनियम में दी गई बवस्थाओं में, और रीति से तथा हद तक ही परिवर्तन कर सकती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार निम्नलिखित, विपयों के सम्बन्ध में ही सीमानियम में

\* We the several persons, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective names.

परिवर्तन किये जा सकते हैं वशनें कि प्रत्येक विषय में, दो गई कार्यविधि का पालन किया गया हो—

(१) भीमानियम में प्रबन्धक या प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्ध सचालक या सचिवों और कोयाव्यज्ञों की नियुक्ति तथा अन्य ऐसे मामलों सम्बन्धी कोई उपबन्ध, जो कम्पनी के मुख्य उद्देश्य के प्राप्तगिक्स (Incidental) या सहायक हो, विशेष प्रस्ताव द्वारा तथा सरकार या न्यायालय के अनुमोदन के बिना परिवर्तित किया जा सकता है।

(२) विशेष प्रस्ताव द्वारा तथा बैन्ड्रीय सरकार के अनुमोदन से कम्पनी का नाम किसी भी समय बदला जा सकता है, लेकिन परिवर्तन उसी समय प्रभावी होगा जब पज़ीकार निगमन का नया प्रमाण-पत्र निर्गमित कर दे।

(३) कोई भी कम्पनी सब सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित करके तथा न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके विशेष प्रस्ताव द्वारा (१) अपना पज़ीयित कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन कर सकती है (२) अपने उद्देश्य लड़ में परिवर्तन कर सकती है, यदि यह परिवर्तन निम्नलिखित कार्यों के लिए आवश्यक हो (३) अपना व्यवसाय अधिक मिनव्यिता तथा दबाना से करने के लिए, (४) नवोन तथा उन्नत साधनों द्वारा अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, (५) अपने कार्य के स्थानीय क्षेत्र को बड़ा या परिवर्तन करने के लिए या (६) कोई ऐसा व्यवसाय करने के लिये जो मौज़दा परिस्थितियों में लाभदायक रूप से कम्पनी के व्यवसाय के साथ मिलाया जा सकता है। (६) भीमानियम में विनिर्दिष्ट किसी उद्देश्य की परिधि कम करने या उनका परित्याग करने के लिए, (७) कम्पनी के उपकरण या इसी एक उपकरण की व्यवहार विक्री करने, या उसे याचिन करने के लिए, (८) किसी अन्य कम्पनी या व्यक्तियों के निकाय से समाझेलित होने के लिये।

परिवर्तन की पुष्टि करने के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास होना चाहिए कि परिवर्तन उपर्युक्त ७ उद्देश्यों में किसी एक उद्देश्य की पूति से सम्बन्ध रखता है, और यह परिवर्तन कम्पनी के मद्देन्यों के बीच औचित्य को नष्ट नहीं करता तथा अद्यातात्री के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। न्यायालय को यह भी तस्वीली होनी चाहिए कि उन परिवर्तन कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य को नष्ट नहीं कर देना। पज़ीकार को भी न्यायालय के सामने अपनी आपत्तिया और सुझाव रखने का मौका दिया जायगा। आदेश-प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति तथा परिवर्तन भीमानियम की मुद्रित प्रति कम्पनी के पज़ीकार के यहा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके पश्चात् पज़ीकार परिवर्तित सीमानियम के पज़ीयन के बाद एक प्रमाण पत्र निर्गमित करेगा और तब वह पीरवात्तन सीमानियम कम्पनी का भीमानियम होगा। यदि कम्पनी का पज़ीयित कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया जाता है तो तस्वीर्वन्धी लेन्ड्र्य प्रायेर के राज्य के पज़ीकार के यहा भेजना तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

यदि अन्तर्नियम अधिकार देने हों तो असो द्वारा परिमित कम्पनी बूहूत् अधिवेशन (General meeting) में स्वीकृत साधारण सत्रल्य द्वारा निम्नलिखित

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूजी में परिवर्तन कर सकती है—(१) नवीन अशों के निर्गमन द्वारा पूजी में बढ़िये के लिए, (२) पूजी को संयुक्त (Consolidate) करने तथा इसे बड़ी राशि के अशों में विभाजित करने के लिये, (३) प्रदत्त पूजी को स्थग (Stock) में परिणत करने के लिए या स्वयं को प्रदत्त पूजी में परिणत करने के लिये, (४) इसके अशों को छोटी राशि के अशों में उपविभाजित करने के लिये, (५) उन अशों को रद्द करने के लिये जो अविकृत हों या जिनके सम्बन्ध में सबल्प के समय लेने का बचन दिया गया था (धारा १३)। यदि अन्तर्नियम में तत्सम्बन्धी अधिकारों की व्यवस्था नहीं है तो कम्पनी अधिनियम कम्पनी को विशेष सबल्प द्वारा पूजी परिवर्तित करने के अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देता है। पूजीबढ़ि के हित निर्गमित किए गए नवीन अश पहले पुराने अशधारियों को उनके घारित अशों के अनुपात में प्रस्तुत जिये जाने चाहिए और जब उन द्वारा प्रस्ताव (Offer) स्वीकृत न हो तब उन्हें सर्वोत्तम रीति से बेचना चाहिए। इन सारे परिवर्तनों की मूल्यना पर्जीकार को एक भास के अन्दर मिल जानी चाहिए, तथा परिवर्तन के उपरान्त सीमानियम वी सब प्रतियों में नवीन पूजी का ही उल्लेख होना चाहिए।

अश पूजी को घटाना (Reduction of Share Capital)—अत्तर्नियम द्वारा अधिकृत होने पर या अन्तर्नियम में तत्सम्बन्धी व्यवस्था न हो तो विशेष सबल्प के अनुसार पूजी घटाने के अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात् अश परिमित कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा, जिसकी पुष्टि न्यायालय ने कर दी हो, वर्षनी पूजी जिसी भी प्रकार कम कर सकती है और विशेषतया निम्नलिखित प्रकार से कम कर सकती है—(क) अयाचिन पूजी पर सदस्यों के दायित्व को कम करने या उने विलक्षुल समाप्त करने (ख) विनष्ट पूजी (Lost Capital) को रद्द (Write-off) करके (ग) कम्पनी की आवश्यकता से अतिरिक्त पूजी को वापिस करने। जहां अश पूजी कम करने में, अदत्त पूजी के दायित्व में कमी की जानी है या किसी अशधारी को प्रदत्त पूजी वापिस की जानी है, वहा अटणदाताओं की आपत्ति उठाने का अधिकार है और न्यायालय तभी घटाने की अनुमति देगा जब उने यह सतुष्टि हो जाए कि या तो अटणदाताओं की समति प्राप्त कर ली गयी है या उनके अण चुका दिए गये हैं। न्यायालय कम्पनी को एक नियन अवधि तक अपने नाम में "और घटायी गयी (And Reduced)" शब्द जोड़ने, तथा घटाने के कारण जनता की मूल्यनार्थ प्रकाशित करने का आवेदन दे सकता है। पूजी में कमी जिये जाने के पश्चात् सीमानियम में भी आवश्यक परिवर्तन अवश्य कर लेना चाहिए। न्यायालय से पुष्टि प्राप्त भवन्य तभी प्रभावी होगा जब वह तथा वृत्तलेख (Minutes) पर्जीकार के यहा नत्यों कर दिये गये हों। पर्जीकार एक प्रमाण-पत्र निर्गमित करेगा जो इस बात का वि सभी चीजें विधिवत् थीं, अन्तिम प्रमाण होगा।

पूजी कम करने के पश्चात् भूत या वर्तमान सदस्य वा दायित्व उम प्रदत्त राशि या न्यूनहृत (जैसी भी स्थिति हो) राशि का, जो अशों पर शोधित ढहराई गई

है तथा वृत्तलेख (Minutes) द्वारा निश्चित की गई अशो की राशि का अन्तर होगा। उदाहरण के लिये, यदि पूजी १,००,००० रुपये से घटाकर ६०,००० रुपये कर दी जाए जो ६० रुपये के १००० अशो में विभाजित हो और यह कमी ४० रुपये प्रति अश के बर्तमान असोधित दायित्व का रद्द करके की गई हो तो अब कोई भी सदस्य ६० रुपये तक ही दायी होगा, जो उस अवश्या अन्तिम मूल्य है।

यदि अन्तर्नियमों द्वारा अधिकार प्राप्त हो तो कम्पनी वृहत् अधिकारन में साधारण प्रस्ताव के जरिये अपने पूर्ण प्रदत्त (Fully Paidup) अशों को स्वन्ध में परिषत् कर सकती है और ऐसा करने के एक भाव के अन्दर पूजीकार को सूचना प्रेपित कर सकती है। सदस्यों की पूजी म सदस्यों के द्वारा लिये गये अशों की संख्या के बजाय स्वन्धों की संख्या का अनिवार्य उल्लेख मिलना चाहिए। यह उल्लेख-नीय है कि आरम्भ में स्वन्ध निर्गमित नहीं किये जा सकते। पहले अशों का निर्गमन और उनका पूर्णतः प्रदत्त होना अनिवार्य है, और तब वे स्वन्ध में परिवर्तित किये जा सके हैं।

यहाँ यह जान लेना चाहिए कि स्वन्ध तथा अश के बीच क्या अन्तर है। इसी भी कम्पनी की पूजी समान राशि की इकाइयों में विभाजित होती है। इस प्रकार वी इकाई अश कहलाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति कम्पनी की सदस्यता प्राप्त करने के लिये सहीदना है। कम्पनी के निश्चयानुसार यह अश पूर्ण या अशतः प्रदत्त हो सकता है। यह इकाई अधिभाज्य है, तथा पूर्णतः हस्तान्तरणों द्वारा अशतः प्रदत्त हो जाते हैं, तब उन्हें स्वन्ध में परिषत् किया जा सकता है। अनएव, स्वन्ध ऐसे पूर्ण प्रदत्त अश मात्र है, जिन्हे एकत्रित या समिलित (Consolidate) कर दिया गया है तथा वे इसी भी घन राशि में हस्तान्तरणों द्वारा अशतः प्रदत्त हो जाते हैं।

**पार्ट अन्तर्नियम (Articles of Association)**—पार्ट अन्तर्नियम वे नियम या उपविधि (By-laws) हैं जो कम्पनी के आन्तरिक संगठन तथा आचरण द्वारा प्रशासित करने हैं। अन्तर्नियम में मचालको तथा पदाधिकारियों के मनदान आदि सम्बन्धी अधिकार, वह विधि (Method) तथा स्वरूप (Form) जिसके अनुसार कम्पनी का व्यवसाय सञ्चालित होगा, तथा वह विधि और स्वरूप जिसके अनुसार नमय-भूमय पर कम्पनी के आन्तरिक नियमों में परिवर्तन होगा, दिये रहते हैं।

अन्तर्नियम भीमानियम के मानहत होता है, जो कम्पनी के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। अन अन्तर्नियम वे अधिकार नहीं हैं सकता जो सीमानियम के परे है और न यह नियमित (Statute) के विपरीत ही व्यवस्था दे सकता है। वस्तुतः, अन्तर्नियम केवल नियम तथा वायदे मात्र है, जो भीमानियम में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति किन रास्ते होगी—इने निर्धारित करते हैं। अनएव, यह निश्चित है कि सीमानियम में परिभायित क्षेत्र द्वी परिधि तथा कम्पनी अधिनियम की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कम्पनी उन नियमों को निर्मित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।

कम्पनी अन्तर्नियमों को पर्जीयित कर भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम की प्रथम अनुसूची (Schedule) में वी गयी तालिका 'ए' जिसमें १९ आदर्श नियम दिये हुए हैं, वो सम्पूर्ण रूप में अभीहृत कर सकती है या अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल अपने नियम निर्मित कर सकती है और उन्हें पर्जीयित करा सकती है। कम्पनिया प्राय अपने अन्तर्नियम ही बनाती है। अन्वय के नियम वे अनुसार, यदि अन्तर्नियम पर्जीयित नहीं कराये गये हैं, तो तालिका 'ए' लागू होगी, और यदि पर्जीयित कराये गये हैं तो तालिका की वे व्यवस्थाएँ लागू होगी जो पर्जीयित कराये गये अन्तर्नियमों म नहीं हैं। लेकिन प्रत्याभूति द्वारा परिमित कम्पनी(Company Limited by Guarantee)मा अपरिमित कम्पनी या निजी कर्फनी के लिए, अन्तर्नियमों का पर्जीयित अनिवार्य है हालांकि तालिका 'ए' के बोई नियम यह अभीहृत कर सकती है। अन्तर्नियमों को अनिवार्यतंत्र मुद्रित, सन्दर्भी में विभाजित, भ्रामकित, मुश्कित (Stamped) तथा सीमानियम वे हस्ताधरकर्ताओं द्वारा हस्ताधरित होना चाहिए। सीमानियम वे साथ इनका भी पर्जोकार के यहा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

**अन्तर्नियमों में परिवर्तन (Alteration of Articles)**—चूंकि अन्तर्नियम कम्पनी के आनंदरिक प्रबन्ध सम्बन्धी नियम हैं, अत विना न्यायालय वो अनुमति के विशेष प्रस्ताव के जरिये इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, यश्यते कि परिवर्तन सद्भाव पूर्वक (Bonafide) तथा कम्पनी के मर्याँतम हिन के लिए हो। यदि परिवर्तन अनुचित तथा सदस्या के पारस्परिक हिन के विपरीत हो तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन को रोक देगा। उदाहरणत, उस परिवर्तन को न्यायालय रोक देगा जिसमें अल्पगम्भक सदस्यों के प्रति अत्याचार हो, या वह सदस्यों के दायित्व म वृद्धि कर देता हो या किसी वी गयी नविदा को भग करना हा। इस बात की सावधानी भी करनी चाहिए कि परिवर्तित नियम कम्पनी के सीमानियम द्वारा प्रदत्त अधिकार वो बढ़ान द और न वे नविधि के (Statute) विपरीत हा। पुन, कम्पनी अपने अन्तर्नियम म बोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती जो उसे अपने वो अन्तर्नियम में परिवर्तन करने के अधिकार से विचित कर दे।

**सीमानियम तथा अन्तर्नियमों का प्रभाव—पर्जीयित किये गये सीमानियम तथा अन्तर्नियम कम्पनी तथा इसके मदस्यों वो इस प्रभाव दायी ठहराते हैं, मानो उन पर प्रत्येक सदस्य ने व्यक्तिगत ढण से हस्ताधर किया हो, तथा इनमें उल्लिखित व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए सदस्यों ने करार किया हो। इस प्रभाव मदस्य कम्पनी के प्रति बढ़ है तथा कम्पनी सदस्यों के प्रति बढ़ है और सदस्य एवं दूसरे के प्रति पारस्परिक रूप से बढ़ है। सांभारेयम तथा अन्तर्नियम सार्वजनिक लेखण (Public Documents)है, जिनका बोई भी बाहरी व्यक्ति, जो कम्पनी से व्यवहार करने की इच्छा रखता है, निरीथण कर सकता है और करता भी है। अतएव, यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति जो किसी कम्पनी से सविदा करता है, कम्पनी वे अन्तर्नियमों**

से अवगत होगा, पर नाथ हो केवल 'आनंदिक प्रबन्ध' (Indoor Management) का मिट्टाल नीलागू हाता है जो उने यह मानने का अधिकार देना है कि कम्पनी के प्रदातिकारियों ने अन्तिमियमों की व्यवस्थाओं का पालन किया है।

### प्रविवरण (Prospectus)

यह नियम-ना हो गया है कि नियमन प्रभाव-पत्र प्राप्त करने के बाद कम्पनी के प्रबन्धन एवं लेन्ड के रूप में, जिसे प्रविवरण कहा जाता है, भवसाधारा वो नियमित करते हैं कि वे कम्पनी की पूँजी के लिए आवदन नेज। भारतीय कम्पनी अधिनियम की घारा २ (२६) प्रविवरण को इस प्रकार परिभाषित करती है, "यह एक प्रविवरण, मूचना, गमनीपत्र, विज्ञापन या अन्य लंख्य है जो सर्वमाधारण में किसी नियमित निकाय के अश या क्रण-पत्र सेने या क्रय करने के प्रभाव माना जाता है।"<sup>1</sup> सभी प्रेषण में, प्रविवरण हर किसी के लिए, जा अपना धन लाए तथा दचित रोत्या आवेदन करे, कम्पनी के अन्त तथा स्ट्रेपत्र स्तरीदने का नियमन्वय है। प्रविवरण के चार लंख्य हैं, पहला सर्वमाधारण को यह सूचित करना कि कम्पनी की रक्खना हृदृष्टि है, दूसरा, उन लोगों को, जिनके पाम विनियोग करने के लिये जपनी दचने हैं, यह विस्वाम दिलाना कि चूंकि कम्पनी ने सच्चे तथा योग्य सचालको व प्रबन्ध कमिक्टरीओं की सेवाएं तथा सफलनादायक अन्य घटक प्राप्त कर लिये हैं, अत यह लाभ-पूर्ण विनियोग की दृष्टि से सर्वोत्तम अवभर प्रदान करती है, तीसरा, उन शर्तों एवं आकर्षणों को अधिकृत अभिलेख (Record) के रूप में सुरक्षित रखना जिनके बाधार पर सर्वमाधारण को कम्पनी के अश व क्रण-पत्र स्तरीदने के लिए आमन्वयित किया गया है, चौथा, इस बात को सुनिश्चित या प्रत्याभूत करना कि प्रविवरण में किये गये घटने के लिए सचालक उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। इस कारण कम्पनी की स्थापना से सम्बद्ध महत्वपूर्ण व्यावहारिक विधियों में से प्रविवरण का नियमित तथा नियंत्रण भी एक है।

अग या क्रणपत्र स्तरीदने की इच्छा रखने वालों को यह हक्क है कि उन्हें प्रविवरण में सभी मत्य मूचना ए प्राप्त हो। प्रविवरण जो नियमित करने वाले दामी स्वचित उन्हे भव्य बाग दिखाने वाली बस्तु बना मक्ते हैं। पर साय ही उन्हें सब बात विन्युक्त सत्य बनानी चाहिए, और उन्हें बोई ऐमी बात छिपानी भी न चाहिए जो उनकी जानकारी में हो और जिसका अग क्रय सम्बन्धी लाभ तथा सुविधाओं की प्रदृष्टि मात्रा तथा गुण पर, जो प्रलोभन के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं, जरा भी प्रभाव पहता हो। जो भी चौत्र सर्वसंग्रहारण को अशक्य के लिए प्रेरित करने के लिए लाभपत्र फ्रीट हो, वह प्रविवरण में दी जा सकती है, पर अनुमूल्य २ में उल्लिखित कुछ बातें कम्पनी द्वारा निकाले जाने वाले प्रविवरण में व्यवस्थ होनी चाहिए।

1 "Any prospectus, notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any shares in or debentures of, a body Corporate."

### कम्पनी का प्रार्थनेटन या प्रविवरण

कम्पनी के प्रार्थनेटन में निम्नांकित बातें अवश्य होनी चाहिए —

(१) कम्पनी के मुख्य उद्देश्य और मैमारेण्डम यानी सीमानियम के हस्ताक्षर-वर्ताजा के नाम पेसे और पने और उन द्वारा लिये गये शेयरों की संख्या तथा यह भी कि उन्होंने विष्व विस्तरह के रितने कितने शेयर लिये हैं और धारी का कम्पनी की सम्पत्ति और लाभों में वैसा स्वहित है तथा विमोचन योग्य प्रैफरेन्स शेयरों की संख्या और विमोचन की तिथि तथा विधि।

(२) यदि अन्तनियमों ने किसी मचालक के लिए कुछ शेयर लेना चाहती रहा हो तो उनकी मत्त्या, और मचालकों के, प्रबन्ध सचालकों के या अन्य स्पा म उनकी सेवाओं के लिये मचालकों का पारिधिक।

(३) मचालक, प्रबन्ध मचालक, प्रबन्ध अभिरक्ता, सचिवों, कोपाध्यक्षों और प्रबन्धक (प्रत्येक के बारे में यह बताने हुए कि वह नियुक्त किया जा चुका है या नियुक्त किया जाना है) के नाम, पेशे और पने।

४ जिसी अन्तनियम में आ जिसी सविदा भे प्रबन्ध सचालक, प्रबन्ध अभिरक्ता, सचिवों, कोपाध्यक्षों या प्रबन्धक की नियुक्ति के बारे में, उसे दिये जाने वाले मेहनताने के बारे में और अपने पद की हानि के लिये उसे दिये जाने वाले मुआवजे के बारे म कोई उपबन्ध होता।

(५) जहाँ किसी कम्पनी का प्रबन्ध प्रबन्धअभिरक्ता या सचिवों और कोपाध्यक्षों द्वारा किया जाना है जो निगमित निकाय (Body Corporate) है, वहा उस निकाय की अभिदत्त पूँजी।

(६) वह अनुनाम अभिदान जिस पर सचालक शेयर या अदा बाटवा युह बर सकते हैं, अभिदान मूलियों के खुलने का समय और प्रत्येक शेयर के प्रार्थनान्यत तथा बटन पर देय राशि।

(७) प्रत्येक शेयर के प्रार्थनान्यत और बटन पर देय राशि और यदि शेयर दुजारा या बाद म प्रस्तुत किये गये हों तो पूर्ववर्ती दो वर्षों में किये गये प्रत्येक पिछले बटन पर अभिदान के लिये प्रस्तुत राशि, बस्तुत बटिन राशि और इस तरह बटिन शेयरों पर बोई धन चुकाया गया हो तो वह।

(८) यदि जिसी व्यक्ति का कम्पनी के शेयर या अन्य पत्रों के लिए अभिदान करने के बास्ते बोई विवर्य या विशेष अधिकार देने की सविदा या व्यवस्था की गई हो उसका मुद्दाम जारी देय राशिदा तथा वह जबकि जिसम इस विवल्याधिकार का प्रयाग किया जाना है, जिस व्यक्तिपा को मह अधिकार दिया गया है, उनके नाम, पेशे और पने भी दें देये।

(९) पूर्ववर्ती दो वर्षों के भीतर नरद के बलावा और जिसी तरह में जा शेयर या क्रणपत्र दिये गये हैं या देने स्वीकार किये गये हैं, उनके नाम, वर्षन और राशिया तथा उनका प्रतिक्रिय (Consideration)। प्रत्येक शेयर पर जो जारी किया

जाना हैं प्रीमियम के रूप में देय राति तथा जारी करने की प्रस्तावित तिथि । जहा उसी वर्ग के कुछ शेयर कुछ प्रीमियम पर तथा और शेयर कुछ कम प्रीमियम पर या विना प्रीमियम के य डिस्कोंट पर निर्णयित किये जाने हैं, वहाँ यह भेद करने के हेतु और प्रीमियम को निपटाने का तरीका ।

(१०) यदि कोई अभिगोपक हो तो उनके नाम और सचालको का यह अभिमत कि अभिगोपको के साधन उनके बन्धनों की पूर्ति के लिए काफी है ।

(११) यदि कम्पनी ने इसी विकेता से सम्पत्ति खरीदी हो तो उसका नाम, पेशा और पता तथा नक्कद दी गई या दी जाने वाली राशि विकेता के दिये जाने वाले शेयर या अक्षण पत्र, और जहा एक से अधिक विकेता हों या कम्पनी अनुक्रेता (Sub-buyer) हों, वहाँ प्रत्येक विकेता का दी गई या दी जाने वाली राशि यदि कोई राशि स्थापित के लिए दी गई या दी जाने वाली हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

(१२) ऐसी सम्पत्ति में जो कम्पनी द्वारा अवाप्त की गई है या अवाप्त की जानी है उसके स्वत्व (Title) या स्वहित (Interest) का स्वरूप और पूर्ववर्ती दो वर्षों में सम्पत्ति के बारे में किये गये प्रत्येक व्यवहार का, जिसमें कोई प्रवर्तन या सचालक बद्धित था, संभिप्त विवरण और उस व्यक्ति का नाम ।

(१३) ऐसे प्रत्येक प्रवर्तन का कम्पनी के अफसर का नाम, वर्णन, पता और पेशा जिसे कोई शेयर या अक्षण लेना स्वीकार करने या उन्हें अभिगोपित करने के लिए पूर्ववर्ती दो वर्षों के भीतर कोई कमीशन दिया गया है, दी गयी राशि और अभिगोपन कमीशन की दर,

(१४) आरम्भिक सचों की राशिया अनुमानित राशि और वे व्यक्ति जिन्हाने इनमें से कोई सचों अदा किये हों या अदा करने हों । इन सचों में भैमोरेण्डम यानी सीमानियम और अन्तर्नियम बनाने और उपचाने के, रजिस्ट्रेशन के, मुद्राक शुल्क, बकील की फीस, आदि, प्रासारेंटस छान्वाने और निकालने, आरम्भिक सविदाए लिखने और निष्पादित करने, साविक्षक पुस्तकों और सार्वमुद्रा (Common seal) के सचें शामिल होंगे ।

(१५) पूर्ववर्ती दो वर्षों में किमी प्रवर्तन का अफसर को अदा की गई कोई राशि या पहुँचाया गया कोई लाभ, या अदा करने या पहुँचाने के लिए आशयित कोई राशि या लाभ तथा उस अदायनी के लिए या लाभ पहुँचाने के लिए प्रनिष्ठित ।

(१६) प्रबन्ध संचालक, प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिवों और बोयाघ्यरों या प्रबन्धक की नियुक्ति करने या भेहनतामा नियुक्त करने वाली प्रत्येक सविदा, वह कभी भी कोई गई हो, की लियिदा, उसके पश्च और सामाजिक स्वरूप तथा प्रत्येक अन्य सारन्तर सविदा और वह समय और स्थान जहा ऐसी सविदा देखी जा सकती है ।

(१७) (१) कम्पनी के प्रवर्तन में या (२) प्रासारेंटस निकालने के दो वर्ष के भीतर कम्पनी द्वारा अवाप्त विना सम्पत्ति में किमी सचालक का प्रवर्तन का कोई स्वहित हो तो उस प्रत्येक के स्वरूप और मात्रा का पूर्ण विवरण ।

(१८) अन्तर्नियम कम्पनी की बैठकों में मतदान का जो अधिकार देने हो वह,

ऋग्मणि विभिन्न बगीचे के शेयरों से सलग्न पूजी और लाभादा के विषय में कोई अधिकार। यदि अन्तर्नियम मदस्यो पर हाजिरी मनदान या बैठका म बोलने के बारे में या शेयरों के हम्स्तातर के अधिकार के बारे मत तथा सचालका पर उनकी प्रबन्ध की शक्तियों के बारे में कार्ड पाइन्डिया लगाने हो तो वे।

(१९) वगर कम्पनी कारबार कर रही हो ऐसे कारबार के समय वी अवधि और यदि वह कोई कारबार लवात्त बरना चाहती है तो भव बात कि वह कारबार क्व में चढ़ रहा है।

(२०) यदि कम्पनी या उम्मीदों किसी सहायक कम्पनी वा सचिन भन (Reserve) या लाभ पूजीकृत किया गया है तो ऐसे पूजीकरण का विवरण और कम्पनी वी आस्तियों के या इसकी किसी महायक कम्पनी के, प्रासर्पेक्टस की नियम से पूर्ववर्ती दो वर्षों में किसी पुन भूत्यावन से उत्पन्न आधिक्य (Surplus) का विवरण और यह बात कि उस आधिक्य का क्या किया गया।

(२१) कम्पनी के अवेक्षकों के नाम और पते और यदि कम्पनी कारबार बरती रह रही है तो लाभों और हानियों तथा आस्तियों और दायित्वों के बारे में अवेक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रासर्पेक्टस निकालने के ठीक पहले वे पहले पाच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में दिये गये लाभादा की दर। जिस विस वर्ष के शेयर पर कंसो-कंसो लाभादा दिया गया और उन वर्षों में उन शेयरों का विवरण जिन पर शोई लाभादा नहीं दिया गया।

(२२) रिपोर्ट में प्रासर्पेक्टस निकालने से ठीक पहले वाले ५ वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में कम्पनी के लाभों और हानियों का विवरण तथा जिस अन्तिम तिथि तक कम्पनी का हिसाब पूरा है उस पर उसकी आस्तिया और दायित्वों का विवरण भी होना चाहिए। यदि कम्पनी की सहायक कम्पनियां हैं तो रिपोर्ट में प्रत्येक सहायक कम्पनी के बारे में उपर्युक्त विवरण होना चाहिए।

(२३) यदि शेयरों या ऋण पत्रों के निर्गम के आगम या उनका कोई भाग सीधे तोटसे या परोक्ष रूप से (१) किसी कारबार के स्वारीदाने में या (२) किसी कारबार में कोई स्वद्वित खरीदाने में लाभ लाये जाएंगे या लाया जाएगा जिससे कम्पनी को उस कारबार की पूजी या लाभों और हानियों या दोनों में उसके ५० प्रतिशत से अधिक स्वद्वित प्राप्त हो जाएगा तो रिपोर्ट में प्रासर्पेक्टस निकालने से ठीक पहले वाले ५ वित्तीय वर्षों में प्रत्येक के लिए उस कारबार के लाभों और हानियों का विवरण देना होगा।

(२४) यह वक्तव्य कि प्रासर्पेक्टस की एक प्रति पञ्चिकार के यहां पेश कर दी गयी है, तथा प्रासर्पेक्टस पेश करने के लिए विदेषज्ञ की निम्नति। प्रबन्ध सचालक, प्रबन्ध अधिकारी, सचिवों और कोपाध्यक्षों या प्रबन्धक वी निम्नुक्ति या अस्तित्वानुभव उस बरने वाली प्रत्येक सविदा की एक प्रति, यह वक्तव्य भी साथ होना चाहिए कि पूजी निर्गम नियम अधिनियम के अधीन जैसा अपेक्षित है उसके अनुसार वैन्द्रीय सरबार की सम्मति प्राप्त कर ली गयी है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन अनिवार्य विवरणों के अतिरिक्त कोई और जानकारी नहीं भी स्वदय दी जा सकती है और बहुधा दी जानी है। यह स्वेच्छया दी गयी जानकारी शेयरों के निर्गम की गत्तों के बारे में अभिदान मूल्यों के सुलगने और बन्द होने की नियिदों और स्टाक एक्सचेंज में कम्पनी के शेयरों का सौदा करने के लिए आवेदन पत्र देने के बारे में हो सकती है।

### प्रासर्पेक्टस के बदले में बननव्य या घोषणा

पर यह कोई कम्पनी पूँजी प्राप्त करने के लिए बफनी निजों व्यवस्था कर सकती है वहा उसके लिए प्रासर्पेक्टस निकालना जरूरी नहीं। पर उस अवस्था में प्रानपैक्टस के बदले में एक बननव्य, जिसमें प्रासर्पेक्टस जैसी सूचनाएँ होनी चाहिए, और जो उनीं तरह हस्ताक्षरित होना चाहिए, पूँजीकार के यहा पेश करना होगा। जब तक प्रानपैक्टस या प्रासर्पेक्टस के बदले में बननव्य पूँजीकर्ता के यहा दर्ज नहीं कराया जाता, तब तक कोई लोक कम्पनी (पब्लिक कम्पनी) शेयर या कृपणपत्र नहीं बाट सकती।

कानूनी अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला प्रासर्पेक्टस तंशार हो जाने पर यह दिनांकित और सब सचालनों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उनीं दिन उसको प्रत्येक सचालक द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रति पूँजीदन के लिए पूँजीकर्ता को सौंप दी जानी चाहिए। इस प्रति के साथ (१) प्रासर्पेक्टस निकालने के लिए विशेषज्ञ की सम्मानी, (२) प्रबन्ध सचालक, प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिवों और कोपाध्यक्षों या प्रबन्धक की नियुक्ति या पारिथमिक नियिक्त करने वाली प्रत्येक सविदा की, चाहे वह कभी भी की गयी हो, एवं प्रति और प्रत्येक अन्य सारमूल सविदा, जो किये जाने वाले कारबार के सामान्य क्रम में या कपनी द्वारा करने के लिए आशयित कारबार वे सामान्य प्रम में को गई सविदा नहीं हैं, होनी चाहिए। पूँजीकार उपर्युक्त शर्तें पूरी न होने पर प्रासर्पेक्टस पूँजीदन करने से इन्हार कर देगा। इसके अलावा यदि ऊपर की शर्तें पूरी किये बिना प्रासर्पेक्टस निकाला जाएगा तो कम्पनी और वह प्रत्येक व्यक्ति जो जानने हुए इसके निकालने में हिस्सेदार बना है, ५ हजार रुपये तक के जुमानि से दडनीय होगा। प्रासर्पेक्टस की प्रति रजिस्ट्रार को देने की नियि के बाद ९० दिन के भीतर प्रासर्पेक्टस निकाल दिया जाना चाहिए। और यदि यह ९० दिन के बाद निकाल जाता है तो कपनी और इसके निकालने में हिस्सेदार प्रत्येक व्यक्ति ५०००० रुपये तक के जुमानि में दडनीय होगा। आम जनता को शेयरों के आवेदन के लिए दिये गये मद्द फार्मों के साथ प्रासर्पेक्टस जम्हर होना चाहिए। यह घ्यान रहना चाहिए कि नया कानून उन प्रत्येक लेख का (जिसमें अखबार वा विज्ञापन भी शामिल है), जिसमें जनता को शेयर या कृपण पत्र वित्री के लिये प्रभ्युत किये जाते हैं, प्रासर्पेक्टन बना देता है।

### भावक प्रविवरण (Misleading Prospectus)

यह अनिवार्य है कि प्रविवरण साथ, समूज साथ और केवल सत्य का व्यवहार करे; उसे उन बातों को दियाना भी नहीं चाहिए, जिन्हें कहना अनिवार्य है। प्रविवरण

में आहव खीचने की दृष्टि से लच्छेदार तथा जावर्षक भाषा रखी जा सकती है जिसमें लोग इसकी बात मुनने के लिए आड़प्ट हो जाएं, लेकिन इसे किसी भी तरह मामक नहीं होना चाहिए। प्रविवरण में अमत्य व्यन न हो, और न सत्य को दबाया गया हो, तब भी वह मामक या कपट पूर्ण हो सकता है, यदि इसे जानवूज वर इस प्रकार गढ़ा गया हो कि इसमें मिथ्या तथा मामक प्रभाव पड़े। पुन यदि किसी प्रविवरण में प्रत्येक तथ्य सत्य हो, लेकिन जा कुछ कहा गया है उसका वास्तविक असर मिथ्या तथा मामक हो तो भी वह प्रविवरण कपटपूर्ण होगा। यदि सम्पूर्ण प्रविवरण में मिथ्या छाप पट्टी हो तो यह कपटपूर्ण होगा, चाहे जिनकी चालाकी या अस्पष्टावृत्त भाषा या अर्थ सत्यों से ऐसी छाप टाली गयी हो।

यदि कोई प्रविवरण इस कारण मामक या कपटपूर्ण है कि इसमें सारभूत (Material) तथ्यों की गलतव्यानी है या इसमें सारभूत तथ्यों का मामक विलोप है, तो उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार वीं गलत व्यापारी या विलाप पर भरोसा करने वाला खरीद लेता हो और भ्रम में पड़ जाता है, निम्नलिखित उपचार (Remedies) प्राप्त हैं —

(१) वह सविदा का निराकरण कर सकता है क्योंकि नितान्त सद्भाव के अभाव के बारण यह शून्य (Void) है। इस प्रकार के निराकरण का प्रभाव यह होगा कि वह व्यापारी को अस्वीकार कर देगा तथा कमनी से व्याज महित अपना धन वापस पा लेगा और उसका नाम भी सदस्यों की पंजी से हट जाएगा। किन्तु सविदा के निराकरण का अपना अधिकार वह निम्नलिखित हालतों में से देगा—

(२) यदि उस व्यक्ति ने प्रविवरण का अव्ययन करते हुए वैसे बायं नहीं किया, जैसे ऐसी परिस्थितियों में कोई प्राज्ञ व्यक्ति करता;

(३) यदि वह गलतव्यानी की जानकारी के बाद शीघ्रता तथा तकनीक अपने भीतर बायंवाही नहीं करता,

(४) यदि वह ऐसी जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने आचरण से सविदा का अनुभमर्थन कर देता है, या, याचिन रागि का भुगतान कर देता है, अधिकार में सम्मिल्न होता है, लाभाग प्राप्त करता है या अपने वेचने का प्रयत्न करता है,

(५) यदि उसके सविदा के निराकरण से पहले कष्टनी विघ्नित हो जानी है।

(२) निराकरण के अधिकार के अतिरिक्त, शतिप्रस्तु व्यक्ति को कमनी पर शतिपूर्ति का दावा करने का भी अधिकार है वशतें कि उसे कोई हानि हुई हो। उपर्युक्त कारणों से यह अधिकार नप्ट हो जायगा।

(३) अद्यत्तेन शर्ति, उत्तरी, हैदराबादी, भौमायर, प्रवत्तंक या अल्प व्यक्ति में जिसने प्रविवरण के निर्गमन का अधिकृत किया या, शतिपूर्ति माग सकता है।

मध्यालय, प्रवत्तंक या अन्य अपमर के लिए निम्नलिखित सफाइया (Defences) हैं — (१) कि उसने निर्गमन के पूर्व अपनी स्वीकृति वापिस ले ली थी,

या निर्गमन के बाद पर आवटन से पहले, उसने स्वीकृति कापिस लेने के कारण देने हुए तर्कसंगत लोक-मूचना दी थी,

(ii) कि निर्गमन उसकी जानकारी या सम्मनि के बिना किया गया था और वह इस तथ्य को तर्कसंगत मूचना देता है,

(iii) कि ऐसा विश्वास बरन के लिये उसके पास तर्कसंगत आधार ये कि कथन सत्य है,

(iv) कि वह कथन विशेषज्ञ (Expert) की रिपोर्ट (Report) का सही और उचित संक्षेप है या किनी अधिकृत व्यक्ति द्वा बयन है या अधिकृत लेख्य में आया हुआ बयन है।

पर यदि वह सचालक प्रवर्तन का अन्य अफसर कायवाही होने से पहले मर जाए तो उसकी सफदा क्षतिपूति के लिए दायी नहीं।

(४) अबने दीवानी दायित्व (Civil liability) के अतिरिक्त, असत्य कथन (Misrepresentation) के लिए इनका फौजदारी दायित्व (Criminal liability) भी है। पहले सचालक तथा प्रवर्तन दड विधि के अधीन दपट के लिए दायी होने ये जिसे सिद्ध करना बठिन होता था। अब वह व्यक्ति, जिसने ऐसे प्रविवरण का निर्गमन प्राप्तिकृत किया है जिसमें कोई असत्य कथन है, दो वर्ष तक के कानूनास, या ५००० रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दोनों हो सकेगा। पर प्रतिवादी दायी नहीं होगा यदि वह मह मिद्द कर सके कि वह बयन अनामूल था, या कि उसके पास यह मानने के लिए तर्कसंगत आधार था कि वह बयन सत्य था।

उपर्युक्त उपचार केवल आर्मिड आवटिती (Original allottee) को उपलब्ध है निसने प्रविवरण के असत्य कथनों या विलोपो पर विश्वास करके अश सरीदे हैं। खुले वाजार में अशों के बेता या पार्पंद सीमा नियम के हस्तान्धर कर्ता को ये अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

इमें सदैह नहीं कि वानून (law) सर्वमाधारण की हितरक्षा के लिए तत्पर है तथा विवेद्धीन सचालक और प्रवर्तन वानून के जाल म बाधा जा सकता है जिसमें सभाव्यत कम्पनी को अविलम्ब वित्तीय हानि हानी जो उनकी सुच्चाति व व्यवसाय को सामान्य रूप से अपूर्व धनि पहुचायेगी, लेकिन किर भी, यदि सचालक या प्रवर्तन उपर्युक्त व्यावहार का सहारा देने म समर्थ हुए तो भौले तथा जति उत्तमाही विनियोजना उपर से युक्तिमयत दीखने वाली बाना के फदे में पटवर अपने घन से बचन दिये जा मनने हैं और उनके पास कोई उपचार नहीं होगा। प्रवर्तक प्राय विनियोजना के अनान पर अननी अनन् इच्छाओं की पूर्ति के लिये आगा लगाये बैठा रहता है। अवसर विनियोजना अनान होना है, लेकिन उने अपने अनान का पना नहीं होना, और ऐनी स्थिति म वह आमासूर्ण तथा बड़ी-बड़ी बान बरने वाले प्रविवरण के जाल में फम जाता है और तब प्रदत्तक आसानी में अदश विनियोग के लिये धन प्राप्त कर सकता है। अन अश बेता या अषदाना के लिए अपना धन देने से पहले प्रविवरण का सावधानी से अध्ययन करना आवश्यक है। यदि वह इस घोग्य नहीं है कि

प्रतिवरण में लिखे विभिन्न विषयों की पेचीदगी को समझ नके तो उसे अपने दलाल (Broker) या अधिकोपक (Banker) से परामर्श लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नये कानून में अश्वेता की मदद के लिए यह उपबन्ध है कि जो व्यक्ति किसी को किसी सम्पत्ति के अध लेने के लिए प्रलोभित करेगा, करेगा, वह पात्र वर्ष तक वे कारावास या १०,००० रुपये तक जुर्माने या दोनों से दफ्तरीय होंगा। अश या अक्षय पत्र घर-घर जाकर बेचने पर पावनी लगा दी गयी है, और ऐसा करने या दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति ५०० रुपये तक जुर्माने का भागी होंगा।

जैसा कि ऊपर बहा जा चुका है, विभिन्न प्रतिवरण में वर्तिपय भ्रह्मपूर्ण विषयों के मन्बन्ध में सूचना देना अपेक्षित दरती है। स्थानाभाव के कारण इन सब विषयों का पूरा विवेचन यहां नहीं किया जा सकता। उनका सर्वेत मर देना ही यहां पर्याप्त होंगा ताकि सभावी विनियोगका के ध्यान में वे बातें विचारार्थ आ जाय। पहली बात यह है कि उमे व्यवसाय की प्रकृति, तथा सफलताकारक घटकों के प्रवर्ण में उसकी सभावनाओं की जाच करनी चाहिए; सफलताकारक घटक में है—व्यवसाय की साधारण स्थिति, उत्पादन के विभिन्न घटक, यानायात तथा बाजारदारी (Marketing) सुविधाएं तथा राज्य का इल। दूसरी बात यह कि उसे व्यवसाय के कर्णधारों के बारे में जितनी जानकारी समझ हो, उतनी प्राप्त करनी चाहिए। अधिकादा उपऋगों की सफलता या विफलता सचालकों के प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के इसी छोटे से समूह की योग्यता पर निर्भर होती है। सचालकों व प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का स्वहित, तथा यह बात भी देखनी चाहिए कि विभ हृद तक सचालक प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के मुख्यप्रैक्षी है। प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के साथ हृद सविदाओं की शर्तों (Terms) की जाच करनी चाहिए। तीसरी बात यह कि इस बात का पता लगाने के लिए कि प्रस्तावित पूँजी, जिसके उपाहे जाने की समावना है, व्यवसाय की सफलता के लिये पर्याप्त होगी या नहीं, कम्पनी की पूँजी योजना का अध्ययन करना चाहिए। विभिन्न बंगों के अशधारियों के मतदान के अधिकार भी देखने चाहिए? यह भी देखना चाहिए कि निर्गम अभिगोपित विया गया है या नहीं, और कि क्या कमीशन दिया जा रहा है। जब कम्पनी किसी सम्पत्ति या चालू व्यवसाय को खरीदना चाहती है, तब व्यवसाय के अतीत इतिहास का अध्ययन इस बात का पता लगाने के लिये करना चाहिए कि विया जाने वाला व्यवहार (Transaction) मुस्थित (Sound) है या नहीं। बंगनी के अधिकोपक (Bankers) वैधानिक परामर्शदाता, अकेल, दलाल (Broker) तथा अन्य परामर्शदाता कम्पनी की स्थिति के अच्छे सूचक हैं। स्पानिसम्पन्न सत्याएं तथा व्यक्ति साधारण नियम व्यवसाय में हिस्सेदार नहीं हो सकते।

### अग्रों के लिए आवेदन

माधारणत, प्रतिवरण के माय, इच्छुक विनियोक्ताओं के उपयोग के लिए

एक प्रार्थना-पत्र लगा दिया जाता है। अब प्रार्थना-पत्र सभा प्रार्थनापत्र, दोनों साथ निर्गमित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि अशों या कृष्णपत्रों के हिस्सों प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र नहीं हैं तो दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों पर ५००० रुपये तक जुर्माना हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अशों की हिस्सी भी सभ्या के लिए प्रार्थना कर सकता है। ऐसा बारें के लिए उसे निर्दिष्ट स्थान पर अशों की सभ्या भर देनी होगी और अपना हस्ताक्षर कर देना होगा। आवश्यक घनराशि के साथ भेजा गया यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा अशों के लिए किया गया प्रस्ताव है जो उस समय एक सामान्य समिति (Valid Contract) बन जायगा जब कम्पनी उसे अश आवृत्ति कर देगी। प्रार्थना पत्र निरूपात्ति (Absolute) या सामान्य (Simple) अथवा सरान्त (Conditional) हो सकता है। यदि यह सामान्य है तो आवटन तथा प्रार्थी को इसकी मूल्यना पर्याप्त स्वीकृति है। यदि यह मरान्त है तो आवटन प्रार्थी द्वारा दी गयी शर्त के अनुसार होना चाहिए, क्याकि सरान्त प्रार्थना के उत्तर में निरपात्ति (Absolute) आवटन अमान्य (Invalid) होगा। पर स्वीकार्य होने के लिए शर्त पूर्ववर्ती (Precedent) शर्त होनी चाहिए। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति ने इस शर्त पर अश आवटन के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा कि उने आवटन से पूर्व कम्पनी का शावा प्रवर्त्यक नियुक्त कर लिया जाय तो वह कम्पनी का सदस्य नहीं बनेगा यदि इस शर्त को पूर्ति के बिना उसे अश आवृत्ति किये जाते हैं।

**अशों का आवटन**—अशों के आवटन का वर्ण है सचालक मण्डल (Board of Directors) द्वारा प्रार्थना-पत्र के उत्तर में अशों की कुछ सभ्या का निर्धारण कर देना। अश आवटन वस्तुतः अश लेने के प्रस्ताव की कम्पनी द्वारा स्वीकृति है। अन्य स्वीकृति भी नानि इसको भी अनिवार्य शर्तरहित (Absolute) तथा समूचित (Communicated) होना चाहिए। आवटन को मूल्यना जैसे ही डाक में ढाली जाती है वैने ही समूचन सम्पादित हो जाता है। जैसा कि साधारणतया सनक्षा जाता है, सचालकों को यह स्वतन्त्रता नहीं कि वे अशों की प्रार्थना सभ्या से कम आवृत्ति वरे। लेकिन व्यवहार में प्रार्थना सभ्या से कम आवृत्ति करने का अधिकार मुररक्षित रखा जाता है किसके परिणामस्वरूप सचालकों वो इस बात का अधिकार प्राप्त होता है कि वे अशों को न्यून सभ्या आवृत्ति करे। आवटन मान्य (Valid) हो, इसके लिए आवटन का कार्य विधिवत् गठित सचालक मण्डल के अधिकारित में स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा आवृत्ति की नियम से उचित अवधि के अन्तर्गत ही सम्पादित होना चाहिए। कम्पनी अधिनियम की धारा १०१ के अनुमार कम्पनी के द्वारा आवटन कार्य शुरू किये जाने के पूर्व निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूर्ति होनो चाहिए:—

(१) प्रथम आवटन के पूर्व, प्रविवरण या प्रविवरण के बदले घोषणा का नायी-करण हो चुका हो।

प्रथम आवटन के पूर्व, प्रविवरण में निर्धारित ‘न्यूननम अभिदान’ (Minimum Subscription) अभिदात हो चुका हो, या प्रार्थन हो चुका हो।

(३) कम्पनी को अग्रे के नामांकित मूल्य का कम से कम ५ प्रतिशत प्रारंभना-पत्र राशि के रूप में नकद मिल नुका हो और प्राप्त राशि आवटन के पूर्व किसी अनु-सूचित बैंक (Scheduled Bank) में जमा बर दी गयी हो।

**अनियमित आवटन (Irregular Allotment)**—यदि किसी कम्पनी ने उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक वर्गी भी पूर्ति किये बिना आवटन बर दिया है, तो प्रार्थी साविधिक अधिवेशन (Statutory Meeting) के बाद दो महीने के भीतर आवटन का परिहार बर सकता है, और यदि आवटन साविधिक अधिवेशन के बाद किया गया है तो इस प्रवार के आवटन के दो महीने के भीतर परिहार बर सकता है। यदि कम्पनी का समाप्त हो रहा हो तो भी वह अपने धन की बापमी का दावा बर सकता है। यदि कम्पनी या आवटिती ने इस प्रवार के आवटन के फलस्वरूप कोई क्षति उठायी है तो सचालव कम्पनी या आवटिती की क्षति की पूर्ति बरने के लिए दायी है। सचालव, प्रवर्तक तथा वे अन्य व्यक्ति भी, जो जानने-बूजने उपर्युक्त उपवन्धों के अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं, ५०००००० तक जुर्माने से दृढ़नीय है।

**अभिदान सूची (Subscription list)**—पुराने कानून की कुछ कमियों को दूर करने के लिए नये उपवन्ध किये गये हैं। पुराने कानून में कम्पनी के लिए अपनी अभिदान सूची किसी समय तक खुली रखना ज़हरी नहीं था। अशों के लिए आवेदन करने वाले का भी आवटन किये जाने में पहले अपना आवेदन बापस लेने की आजादी थी। कानून की इस हालत का नामीजा यह था कि दो बुराट्या चल पड़ी थी। कुछ कम्पनियों में अभिदान सूची जिस दिन खोली जानी थी उसी दिन बन्द कर दी जानी थी। परिणामतः जनता की प्रासर्पेक्टम में दो हुई बातें दिमाग में बैठाने के लिए भी समय नहीं मिलना था, स्वतन्त्र स्पष्ट से मराह लेने के समय की तो बात ही क्या और प्रासर्पेक्टम में विस्तृत बातें दिये जाने का विधान करने में विधान मडल का जो आशय था उसे व्यर्थ कर दिया जाना था। दूसरी बात यह कि 'स्टैग्स' (Stags) यानी नकली आवेदन, अच्छी कम्पनियों के दोषर अधिक मूल्य में तुन बैचबर ज़हरी नफा कमाने की दृष्टि में बहुत से आवेदन पत्र दे देते, पर यदि जरा भी यह सम्भावना हो कि कम्पनी अच्छी नहीं चलेगी तो वे झूटे आवेदन पत्र बापम ले लेते थे। नई पारा ७२ में इसका इलाज किया गया है इसके अधीन अभिदान सूची की प्रासर्पेक्टम निवालने के बाद ५ दिन तक खुला रखना पड़ेगा। ये ५ दिन बीतने से पहले आवेदन अपना आवेदन बापम ले ली है, तो आवेदक अपना आवेदन-पत्र बापम ले सकता है। यह भी उपवन्ध है कि जिस दिन अभिदान सूचिया बन्द की जाए, उस दिन की घोषणा भी जानी चाहिए और कि ऐसे बन्द करने के दिन के बाद दसवें दिन में अपश्चात् आवटन बर दिया जाना

चाहिए और आवटन की सूचना दे देनी चाहिए। ये बातें घन लगाने वाली जनता तथा उपक्रम, इन दोनों के लिए लाभदायक होने की आशा है।

बहुधा यह जोर-सोर से कहा जाता है कि अभिदान के लिए प्रस्तुत अशो या कृष्णपत्रों की वीमन बताने के लिए स्टाक एकमचेज में आवेदन किया गया है या किया जायगा। यह काम रप्या लगाने के इच्छुक लोगों का। यह आवासन देने के लिए किया जाता है कि अश खरीदने-बेचने योग्य हो जाएं और वह इस आधार पर अश खरीद सके। पर असल म, अधिकार आवश्यक इजाजत नहीं मांगी जानी, या बहुत देर बाद मांगी जाती है। इस समस्या को धारा ७२ में हल किया गया है। इस धारा के अधीन, जब किसी प्रासर्पेक्टस म उपर्युक्त प्रवार का व्यवहार किया जाता है तब कम्पनी को प्रासर्पेक्टम के पहली बार निकाले जाने के बाद दसवें दिन से पहले सोडे करने के लिए स्टॉक एकमचेज को आवेदन पत्र देना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करती तो किए गए आवटन शून्य हो जायगे। यह उपचरण भी किया गया है कि यदि स्टाक एकमचेज अभिदान सूची बन्द होने की तिथि से तीन सप्ताह बीत जाने में पहले या वह बड़ी अवधि बीत जाने में पहले जो उक्त ३ सप्ताहों में आवेदन की मूलिकता जाए (पर यह अवधि ६ सप्ताह में अधिक नहीं हो सकती), इन्कार कर दे तो आवटन शून्य होगा इनमें से किसी भी अवस्था म, अर्थात् वहा भी जहा आवेदन नहीं किया गया है और वहा भी जहा इजाजत नहीं दी गई है। कम्पनी जो दिना व्याज के घन तुरन्त आवेदनकर्ताओं को लौटाना होगा और यदि घन लौटाने के लिए कम्पनी के दायी होने के बाद ७ दिन के भीतर ऐमा घन वापस नहीं दे दिया जाता तो आठवा दिन बीतने के बाद से ५ प्रनिधान बांधिक दी दर के व्याज महिने घन वापस करने के लिये कम्पनी के सचालन संयुक्त और पृथक् दायी होंगे।

### आवटन का विवरण (Allotment Return)

आवटन का विवरण, चाहे वह एक ही अश के आवटन का क्यों न हो, आवटन वे एक महीने के अन्दर पंजीकार के पास नत्यों किया जाना अनिवार्य है, जिसमें अशों की नामांकित राशि व स्थाया, आवटितों का नाम व पता, तथा प्रायोक अदा पर शोधित (Paidup) या शोध्य (Payable) राशि का उल्लेख होता है। उन अशों के सम्बन्ध में जो नगदी के बजाय अन्य प्रतिफल के बदले आवटित किये गये हों, उन सविदाओं की लिखित प्रतिया, जो आवटितों का स्वतन्त्र अस्तित्व गठित करती है, तथा विश्वय सविदाओं की प्रतिया पंजीकार के पास नत्यों कर देनी चाहिए।

यदि कोई कम्पनी "न्यूनतम अभिदान" राशि को अप्राप्ति या किसी अन्य शर्त की अपूर्ति के बारे प्रविवरण के प्रथम निर्गमन वे १८० दिनों के अन्दर अश आवटित करने में अमर्य हैं, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि अगले दस दिनों के अन्दर वह प्रायिकों को उनका घन दिना व्याज के लौटा दे। इसके पश्चात् सचालन संयुक्ततः तथा पृथक् सारी रकम बांधिक ७५ प्रतिशत के व्याज के साथ लौटा देने में लिए दायी होंगे।

### वारदार अरिम्ब करने का प्रमाणपत्र

अब कम्पनी पंजीकार से वारदार आरम्भ करने का प्रमाणपत्र भागने के लिए आवेदन करने की स्थिति म है । यदि सारी औपचारिकताओं (Formalities) तथा वंधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति हो गयी है तो वह प्रमाण-पत्र निर्गमित कर दिया जाएगा । मतलब यह कि पंजीकार तभी प्रमाणपत्र देगा यदि—

(१) "न्यूनतम अभिदान" राशि आवंटित हो गयी है,

(२) पापद अन्तर्नियमों की व्यवस्थानुसार सचालकों ने अर्हता अशा क्षरीद लिए हैं तथा उनके लिए भुगतान कर दिया है,

(३) प्रविवरण या प्रविवरण के बदले घोषणा तथा इस आदाय की साविविक (Statutory) घासणा कि उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर दी गयी है, न तभी कर दी गयी है ।

यह उल्लेखनीय है कि यदि निगमन के एक वर्ष के भीतर कम्पनी अपना वारदार शुरू नहीं करती तो व्यायालय इस के समापन तक आज्ञा दे सकता है । निगमन की तिथि तथा व्यवसायारम्भ के बीच की गयी सब सविदाएँ अस्थायी (Professional) होती हैं और वे कम्पनी को तब से बढ़ वरगी जबसे कम्पनी का व्यवसायारम्भ का अधिकार हाता है, मानी उस तिथि से जो व्यवसायारम्भ के प्रमाण पत्र पर अवित है । कम्पनी के निगमन से पूछ की गयी कोई भी सविदाएँ कम्पनी का बढ़ नहीं करती और न वे सविदाएँ निगमन के पश्चात् अनुसमर्थित ही की जा सकती हैं ।

अध्याय : : =

## निगम व औद्योगिक वित्त

### CORPORATION & INDUSTRIAL FINANCE

पिछले अध्याय में उस विष्णुन जाच-पड़ताल की चर्चा की गयी है जो एक प्रवर्तक अवस्था के लिए आवश्यक पूजी निर्मारित करने के हेतु करता है। यह कहा गया था कि प्रवर्तक आवश्यक पूजी का अनुमान लगाना है और तब एक वित्तीय योजना तैयार करता है जो उम्मेद अनुमान के अनुकूल हो। ठीक यहाँ प्राय भयकर गलनी हुआ करती है। प्राय आवश्यक पूजी की उचित मात्रा नहीं तय की जाती। यह आगाम करना आसान है कि प्लाट, मशीना, भवन, माइन-मज्जा (Equipment), कार्यालय फॉर्म्चर (उपस्थर) — एक शब्द में, व्यवस्था के लिए स्थिर आस्तियों (Fixed Assets) के लिए किनी पूजी की आवश्यकता होगी। किन्तु इसके अतिरिक्त आस्तियों की कुछ अनिश्चित राशि भी आवश्यक होती है, यथा प्लाट बचालन व्यय, प्लाट को अच्छी अवस्था में बनाये रखने अर्थात् उम्मेद संराखण (Maintenance) व अवधारण का व्यय तथा विकास व्यय। तदुपरान, कच्चे माल तथा पूनिक्य, माल के निर्माण, माल के विक्रय तथा भुगतान की प्राप्ति तथा इनजार के लिए यानी कार्यमौल पूजी के रूप में भी पर्याप्त पूजी की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि कार्यमौल पूजी का अनुमान अपर्याप्त है तो वैसी स्थिति में कुछ आपातिक (Emergent) उपाय करना अनिवार्य होगा, अन्यथा व्यवसाय बिन्कुल बन देंगे।

पुन, हानियों का तथा विकासार्थ व्यय की राशि का अनुमान प्राय अल्प किया जाता है। प्रत्येक नवोन संगठन अशान एक परीक्षण होता है। वैसे व्यक्ति नियुक्त होंगे जो पदों के लिए अनुकूल नहीं, उत्पादन तथा वित्रय की वे विधिया प्रयुक्त होगी जिन्हे त्याग देना होगा, मरीने शायद अनुपयुक्त सावित हो, विज्ञापन शायद लाभदायक के बजाय हानिकारक सावित हो। यदि साहस का आधार दृढ़ है तो उन मारी खचोंली हानियों को व्यवसाय के चल निकलने में प्रारम्भिक व्यय माना जा सकता है। पीड़ियों ने अनुभव ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इस प्रकार के व्यय अनिवार्य हैं और पूजी व्यय (Capital Expenditure) के आरम्भिक अनुमान में ही इनकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। ये क्यन, अपेभावृत कम मात्रा में, विस्तार तथा उन्नयन की योजनाओं पर भी लागू होने हैं जिनके लिए नयी पूजी उगाही जानी है।

सम्पूर्ण पूजों आवश्यकता का अपेणन—सम्पूर्ण पूजों आवश्यकता का इस दृष्टि से आगणन करने में कि व्यवसाय का कार्यारम्भ हो जाए, पंजीयन शुल्क, कार्यालय व्यय, वकील की फीस (Lawyer's Fees) तथा अन्य प्रारम्भिक लागत प्रवर्तन व्यय

वे अन्तर्गत आती हैं। द्वितीय, स्थिर आस्तिया जो व्यवसाय को आरम्भ करने के लिए आवश्यक हैं, यथा भवन, मशीन तथा कार्यालय सज्जा। व्यवसाय को स्थापित करने के बय पर भी विचार करना चाहिए। इस लागत (या परिव्यय) का अनुमान बाजार विशेषण (Market analysis expert) करते हैं और यह उतनी मात्रा है जितनी मात्रा म, क्तिपय प्रारम्भक महीनों म बय आमदनी से बढ़ जाता है। इसके बाद नगद राशि या तरल पूजी (यानी कार्यशील पूजी) आपी है जिसका हाथ में हाना व्यवसाय के लिए उचित है। अन्त में, वित्तरोपण व्यय (Cost of Financing) आता है। इसमें आवश्यक नकद धन और उसे प्राप्त करने की लागत शामिल है। आवश्यक नगद राशि से उपर्युक्त व्यय स्वतं निकल आता है जिसमें आपाना (Emergencies) के लिए, जो मगठन के दरमान उत्पन्न हा सकत है, १०% और जोड़ देना चाहिए। धन संग्रह करने का व्यय संगृहीत धन का २% से १०% तक पड़ता है, और यह व्यय धन संग्रह करने के लिए प्रयुक्त विधि पर निर्भर करता है। उम हालत में सम्पूर्ण धन प्रवतक समझ के सदस्यों से एवं वित्त जाना है, संग्रह व्यय बास्तव में कुछ नहीं पड़ता, लेकिन यह विधि आजकल प्रचलित नहीं है। दूसरी विधि है कम्पनी की प्रतिभूतिया (Securities) संवंशाधारण के बीच बेचना और तब व्यय १०% में अधिक तक जा सकता है। यह व्यय वित्तना बाएगा, यह उपक्रम के समर्थन व्यक्तियों की द्याति, उपक्रम की प्रकृति तथा विनियोग बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। पूजी संग्रह करने की तीसरी विधि है अभिगमन गृहों में द्वारा।

कुल आवश्यक पूजी की गणना की दा विधिया है। पहिरी आगणन विधि (Estimating Method) और दूसरी तुरना विधि (Comparison Method)। आगणन विधि के अनुमान खोज (Investigation) की विभिन्न लागतों, जैसे स्थिर आस्तिया, कार्यशील पूजी आदि, जैसा कि ऊपर दता दिया गया है, का अनुमान कर लिया जाता है। तुरना विधि के अनुमान प्रमाणित कम्पनी के सम आकार तथा तथा सम परिस्थिति के कुछ व्यवसायों वा पना रणान का प्रयत्न किया जाता है। इन व्यवसायों के आकड़ा के जरिये नये व्यवसाय के गिए पूजी की सम्भावित आवश्यकता आ का अनुमान लगाया जाता है। दोना विधिया वा उपराग करना प्रवतक के लिए अधिक लाभप्रद होगा।

उपर्युक्त विवेचना में यह निष्पत्ति निकरता है कि प्रत्यक्ष व्यवसाय का तीन उद्देश्यों के लिए पूजी की आवश्यकता होती है, अयत् (१) स्थिर आस्तिया का खरीदने या स्थिर (Block) व्यय के लिए, (२) चारू आस्तिया खरीदने के लिए यानी चालू कार्यशील व्यय के लिए, जिसे चक्रार्थ (Revolving) व्यय कहा जाता है और जो नियमित (Regular) या परिवर्ती (Variable) हो सकता है, तथा (३) उन्नयन (Improvement) के विम्नान पर व्यय के गिए। अगले मन्दभौमी म इन आवश्यकताओं तथा इनकी पूर्ति के गिए मिश्रित संग्रह करने का प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना है।

**स्थिर पूँजी (Block Capital)**—किसी फैब्रिरी को आरम्भ करने तथा इसे सञ्जित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आरम्भिक पूँजी की आवश्यकता होती है जो करोब-करोब स्थायी रूप से स्थिर होनी है या गला दी जाती है ( Stock ) और जिसे इच्छानुसार बापिस नहीं पाया जा सकता। स्थिर पूँजी प्लाट, सज्जा, ( Equipment ) भूमि व भवन या ऐसे रूपों में लगी होनी है जिन्हें व्यवसाय को संचित किये बिना बेचा नहीं जा सकता। स्थिर आस्तिया सरीदाने के लिए आवश्यक पूँजी की रकम उद्योग को प्रदृष्टि उत्पादन कार्य की सम्पादन विधि, तथा इन कार्यों के सम्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि योजना सार्वजनिक उपयोगिता या रेलवे की किसी की है तो सज्जा तथा सम्पत्ति में विनियोग हेतु पूँजी की बड़ी रकम की आवश्यकता होगी। यदि किसी वस्तु का निर्माण होना है तो उत्पाद वस्तु की इकाई के परिमाण के अनुसार स्थिर पूँजी की छोटी रकम की आवश्यकता होगी। इकाई जितनी बड़ी होगी, पूँजी उतनी ही अधिक होगी और इकाई जितनी छोटी होगी, पूँजी उतनी ही कम। पूँजी को प्रभावित करने वाला तीसरा घटक यह है कि क्या व्यवसाय सिर्फ विक्रेता होगा, या विक्रेता या निर्माता दोनों ? यदि व्यवसाय केवल विक्रेता है तो स्थिर पूँजी की शायद ही आवश्यकता हो, परन्तु यदि व्यवसाय निर्माण और विक्रय दोनों कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में पर्याप्ततः बड़ी राशि की आवश्यकता होगी—यह राशि उत्पादन वस्तु की प्रदृष्टि तथा आकार द्वारा निर्धारित होगी। उत्पादन की साधारण विधि (Method of handling production) भी स्थिर पूँजी ( Block Capital ) को प्रभावित करती है। उत्पादन के कई तरीके हो सकते हैं, यथा पुरानी मरोनों की सहायता से बस्तुएँ स्वयं निर्मित की जा सकती हैं, प्लाट का क्षय तथा पट्टा (Lease) दिया जा सकता है, माल निर्माण करने की सविदा की जा सकती है, नमूनों या विशेष औजारों का स्वामित्व प्राप्त दिया जा सकता है, या माल के अंशों को बनाये दिया या बहुत घोड़े में अंशों को बनाकर माल के एकत्रीकरण का काम दिया जा सकता है।

इसमें द्रूमरी समस्या उठ सड़ी होती है जिसे प्रवर्तनक को यह निर्णय करने के समय हल्करना पड़ता है कि क्व छोटे परिमाण में निर्माण या सर्वेषा अ-निर्माण योजना व्यवहृत को जानी चाहिए और क्व माल बनाने और उसे बेचने, दोनों कार्यों की वोशिश की जानी चाहिए। यदि प्रवर्तनको पूँजी सचय बरने में बड़िनाई हुई थी तो उसे उसी विधि को चुनना चाहिए जिसमें निम्नतम प्रारम्भिक पूँजी की आवश्यकता हो, अर्थात् केवल माल की विक्री करनी चाहिए तथा माल निर्माण के लिए सविदा बरलेनी चाहिए। वूलवर्थ (Woolworths) का वित्यात बहुसंख्यक विभागीय शृक्खला भण्डार इसी विधि का अनुसरण करता है। इगलेंड में दर्जन से अधिक फैब्रिया प्रधानतः इनी कर्म के लिए अनेक प्रधार की वस्तुओं का निर्माण करती हैं। वेमो स्थिति में भी, जहाँ मरीन जादि में बहुधा बहुत राशि के विनियोग की आवश्यकता हो, या व्यवसाय मौसमी (Seasonal) प्रदृष्टि का हो, या विफलता का बड़ा

जोखिम हो, सविदा प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, जहां प्रस्तावित साहम की सफलता असन्दिग्ध तथा माग में स्थिरता हो और वहे पैमाने पर उत्पादन की सम्भावना हो, और जहां उत्पादित माल की गोपनीयता या कवालिटी महत्व-पूर्ण हो। वहां माल का निर्माण तथा माल की विक्री, दोना ही कार्य किये जाने चाहिए। बहुत सी पर्में एक शीकरण प्रणाली (Assembling method) और माल निर्माण सबधीं सविदा का अपनाकर व्यवसाय करने के कुछ समय पश्चात् सम्पूर्ण माल के निर्माण करने का इसलिए निश्चय बरती है कि वे तीव्र प्रतिष्ठोगिता वा मुकाबला कर सकें। स्थिर आस्तिया (Fixed Assets) खरीदने के लिए जिस पूजी वी आवश्यकता हानी है वह दीर्घकालीन पजा है, और प्रायः अश पूजी, निजी व लोक निश्चेरों, प्रबन्ध अभिकरण तथा अड्डेपत्र निर्गमन के लिए जरिये सचिन वी जानी है। इधर हाल में कुछ राज्यों ने भी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न रूपों में अलग दंगा शुरू किया है।

**कार्यशील पूजी (Working Capital)**—कार्यशील पूजी कच्चे माल, निर्मित व अर्धनिर्मित माल वे स्टार, प्राप्य लेखे, विक्रेय प्रतिभूतियों तथा रोकड़ (Cash) म विनियुक्त वी जानी है। आवश्यक रूपपरिवर्तन के पश्चात् इस प्रबार वी पूजी निरन्तर गति से रोकड़ या नगद में परिवर्तित होती रहती है और यह रोकड़ पुनः अन्य प्रबार की कार्यशील पूजी के बदले बाहर चली जानी है। इस प्रबार यह सर्वथा धूमनी (Revolving) या चक्कर वाटी (Circulating) रहती है। यहां यह समझ लेना चाहिए कि नकद या नकद-दोष आस्तियों वा चालू भूत्य कार्यशील पूजी वी मात्रा में नहीं लगाया जा सकता। चिट्ठे वे दूसरी तरफ ऐसे दायित्व होते हैं, जिन्हें कुल दाय-शील आस्तियों में से घटा कर शुद्ध कार्यशील पूजी निर्धारित वी जा सकती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह कर्म जिसन बहुतेरी उधार बस्तुओं का क्षेत्र लगा लिया है, अपनी आस्तियों को दृष्टि में अच्छे कार्यशील पूजी वाली प्रतीत होगी, हालांकि सच्ची वाल यह हो सकती है कि चालू दायित्वा के अतिरिक्त उसके पास कार्यशील पूजी हो ही नहो और हो भी तो थोड़ी हो। अन कार्यशील पूजी वी परिभाषा इस प्रबार की जा सकती है, “चालू दायित्वों में अतिरिक्त चालू आस्तियों की मात्रा” और निम्नलिखित समीकरण में इसे प्रबट किया जा सकता है।

**कार्यशील आस्तिया**—चालू दायित्व-कार्यशील पूजी। चालू आस्तिया या कार्यशील पूजी प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूजी अल्पकालीन पूजी हानी है।

पर्याप्त कार्यशील पूजी की आवश्यकता—बहुत-मी वस्तुयों ने प्रारम्भ में वापों आकर्षण प्रदर्शित किया है जिन्हें लगभग एक भाल के अन्दर ही धन ऐसा कहा जाने के कारण वे विकड़ हो गयी हैं। अपर्याप्त कार्यशील पूजी के कारण ही ऐसा होता है। या विभी वस्तुयों ने लाभजनक तथा बड़ा व्यवसाय किया है और जहां तक कालिक प्रक्रियाओं का सम्बन्ध है, वह नियान्त मुद्यवस्थित रही है, ऐसीन व्यवसाय

के द्वान विस्तार के बारप, जिसके परिणामस्वरूप स्थिर आस्तियों में बाही रखने विनियुक्त हो गयी है, कार्यशोल आस्तियों में विनियुक्त की जाने वाली राशि में बारेशिक कमी हुई है, और इस प्रकार वह आधिक कठिनाइयों का दिक्षार हुई है। हो गवता है कि चालू देन विना चुकाये वहनी चली जाय, कम्पनी का नवीन अशो के निर्मन द्वारा अपनी पूँजी वहनी पड़े और वे अश न दिके और बेसी हालत में कम्पनी की बाध्य होकर व्याज की ऊंची दर पर कर्ज लेना पड़े और भाष्य-भाष्य व्यवसाय को जीवित रखने के लिए बढ़ाने की आवश्यकता हो। अतएव, इस प्रकार की उन्नति का यह परिणाम हो सकता है कि कम्पनी शनै-शनै त्रिसों भी दर पर धन प्राप्त करने का लाचार हो। यदि वह अपनी प्रणालियों में कोई आवृत्तिमत्ता परिवर्तन नहीं करती तो इस बात की बड़ी मम्भावना बनी रहेगी कि कम्पनी विफटन (Liquidation) की ओर तेजी से बढ़े। “व्यवसाय जिन्दगी की मह एक दुखपूर्ण तथा लगानार पुनर्जटित होने वाली घटना है कि एक बलिष्ठ आइमो उन्नादन तथा विक्री सम्बन्धी अपनों ही योग्यता तथा शक्ति के कारण विफल हुआ है।” इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि पूँजी निधि के विनियोग में सावधानी बरती जाय और विदेश पर कार्यशोल पूँजी की पर्याप्त राशि हाथ में रखी जाय।

कार्यशोल पूँजी की प्रभावित करने वाले घटक—जरर के विवेचन से हम इन नियर्स पर पढ़ूँ जाने हैं कि कार्यशोल पूँजी की मम्भावना पहले ही कर ली जाय ताकि पूँजी निधि को व्यवस्था करने में सुविधा रहे। बाई ऐमा मान्य सूत्र नहीं है कि सभी व्यवस्थाओं में प्रबुक्ति किया जाय; बेवल अनुमान से काम लिया जा सकता है। प्रारम्भ में यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन तथा अन्य उपकरणों में, जिनमें दायित्वों में आस्तिया अधिक नहीं होती, कार्यशोल पूँजी नहीं होती, उनमें परिचालन पूँजी या व्यय होते हैं। निर्मिति उपकरणों (Manufacturing Enterprises) में प्राप्त यह माना जाता है कि आस्तियों एवं दायित्वों के बीच अनुपात १०० के ७५% के १०० के ८० में कम नहीं होना चाहिए। किन्तु ये अनुमान स्थिर और अन्तिम मापदण्ड नहीं हो सकते; ये बेवल पद्धतिमत्ता कर सकते हैं। फिर कनिश कोटि के व्यवसायों में कार्यशोल पूँजी का अनुपात अन्य व्यवसायों को अरेका बहुत अधिक होता है। हम उदाहरणस्वरूप दो चरण उदाहरण दें। दिल्ली-नवरात्र बन्धनों या टेशीहोन बन्धनों की अवश्य ही बहुत स्थिर आस्तिया होती है, जैसे तार, छम्बे, बेन्द्रोंय कार्यालय तथा दूसरी भगवान; नेहिन जब किसी समुदाय में टेलीफोन प्लाट स्पाइल कर दिया गया, तब चालू व्ययों के अन्तर्मत संघारण व्यय, भूतिपारियों व पद्धतियों के वेतन आते हैं जो अरेकत बम होते हैं। टेलीफोन कम्पनियों अधिक भुगतान ले लेती है क्योंकि प्रहिल्यास्ट्रेट ज़ालू व्ययों के लिए ज्ञातव्यहृषि ज्ञातव्यहृषि व्यय के पहले ही आ जाती है। अन्तः, कार्यशोल पूँजी की आवश्यकता नहीं होती, व्योद्धि चालू व्यय के लिए चालू आय पर मुगमना में भरोसा किया जा सकता है। विद्युत-नरण, परिवर्तन तथा अन्य इसी प्रकार के उपकरणों में टीक मही बात होती है। अब दूसरी तरफ हम एक न्यूइट्रा भगडार (Retail Store) का उदाहरण लें, जो एक भाड़े के महान म व्यवसाय करता है। इसके लिए आवश्यक स्थिर जास्ति भगडार, उपत्तर

(Furniture) तथा सज्जा ही होगी; अन्य दूसरी आस्तिया, जैसे माल वा स्टाक, प्राय लेखे तथा रोकड़, कार्यशील होग। अत कार्यशील पूजी सम्पूर्ण पूजी का ७५% या ८०% हागो। प्राय सभी व्यापार मन्त्रन्धी उपक्रमों की यही हालत होती है और यह बात विसंग रूप से वित्तीय व्यवसायों में लागू होती है। वैको को अनिवार्यत अपनी सम्पूर्ण आस्तिया ऐसे रूप में रखनी होती है कि वे क्षण भाव वी सूचना पर रोकड़ (Cash) में बदली या परिवर्तित की जा सके।

आधारभूत या मोलिक घटक, जो कार्यशील पूजी की आवश्यकता का निर्धारण करते हैं, दो हैं—(क) व्यवसाय की व्यापक प्रदृष्टि तथा (ख) व्यवसाय का परिमाण (Volume)। यदि व्यवसाय अचल सम्भवि का पट्टा देने, परिवहन की सुविधा प्रदान करन या ऐसे ही किसी और प्रकार का है तो सम्भूर्ण या लगभग सम्भूर्ण विनियोग स्थिर रूप में होगा। यदि व्यवसाय माल निर्माण का है तो कार्यशील पूजी का अनुपात अतिशय कम होगा। यदि व्यवसाय व्यापार या वित्त-प्रोप्रण का है तो व्यवसाय की प्रमुख आवश्यकता कार्यशील पूजी होगी। पट्टेदारी (Leasing) या परिवहन (Transport) के अतिरिक्त, जैसा कि उपर बहाजा चुका है, कार्यशील पूजी की आवश्यकता सामान्यत वित्री के परिमाण के अनुपात के अनुसार बदलेगी। बिन्तु एसी स्थिति में यह बात मान्य हो जाती है कि अन्य घटक, जिनकी चर्चानीचे की गयी है, एक गति से परिवर्तित होते हैं। यदि यह मान लिया जाय कि मालों के क्रय-विक्रय की शर्तें, व्यय तथा विधिया वा मालों के उत्पादन वा प्रभावीकरण हो गया है तो हम यह आसानी से वह सकते हैं कि उत्पादन तथा वित्री में ५० प्रतिशत की वृद्धि होने पर उसी अनुपात में कार्यशील पूजी की वृद्धि की आवश्यकता होगी और इस हालत में कार्यशील पूजी परिवर्ती होगी। उपर की परिवर्ती में व्यवसाय को प्रदृष्टि व परिमाण के सम्बन्ध में जो भी सामान्य विवेचन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है निम्नलिखित विवेचन के सम्बन्ध में ज्ञानि को दूर रखना। कार्यशील पूजी का अनुमान करने में जिन व्यावहारिक बातों पर विचार करना चाहिए और जिनसे उसमें सहायता मिलती है, वे इस प्रकार हैं—

- १ निर्मिति काल की जरूरि ।
  - २ कुल विनी ('Turnover) या वापसी ।
  ३. सहीद और विनी की दाते ।
  - ४ कार्यशोल आस्तियों को रोकड़ में रुग्णतरित करने की सुविधाएँ ।
  - ५ व्यवसाय में मीसमो परिवर्तन ।

निर्मिति काल को अवधि—उम वर्षनी को, जो ऐसे माल बनाने हैं जिसकी निर्मिति म लम्बी अवधि की आवश्यकता हो, इस बात के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसके अलावा खरेद, अधिकार, छोटी देर शरण, निर्मिति के अलावा आपकी व्यापक चुकावे तथा इसके पहले लिए प्रस्तुत हो, इनजार करे। वेवल निर्मिति प्रक्रियाओं में पूजी की बहुन बड़ी रकम कर जाएगी। एक बहुत बड़े जलपोत को बनाने तथा सुजित करने में तीन या चार साल लग सकते हैं तथा कई करोट टप्पे की पूजी

की आवश्यकता हो सकती है। वैसो विधि में, जब कि माल को समुद्रमोत्तक भुगतान नहीं मिलता, पूजी की राशि बहुत बड़ी हो जाती है। इन परिस्थितियों में साधारणत छेत्र पर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है। ऐसा होने पर भी बहुत बड़ा रकम की आवश्यकता पड़ती है। ठेकेदारी व्यवसाय में दिवालियापन की स्थिति सबसे बड़ी होती है। इसका एक सीधा सा कारण यह है कि ठेकेदारी फर्म की कार्यशील पूजी व्यवसाय के लिए पर्याप्त नहीं होती। इससे अपेक्षत अच्छी हालत बाले व्यवसायों में भी इस घटक का महत्वपूर्ण हाथ है लेकिन प्राय इसकी उपेक्षा की जाती है जिसका परिणाम व्यवसाय वे लिए दुखद होता है। इसके अतिरिक्त, लम्बी प्रक्रिया बाली निर्मिति में कीमतों के घटने बढ़ने का जोखिम रहता है—जिसके कारण अपेक्षित लाभ में कमी हो सकती है, या वह विल्कुल ही समाप्त हो जा सकता है। यहाँ कार्यशील पूजी पर्याप्त होनी चाहिए ताकि कम्पनी अपनी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सके। लम्बी प्रक्रिया बाली निर्मिति में तत्काल बाजार की दशाओं के अनुकूल हो जाना प्रायः असम्भव घटना है। इसके विपरीत, हम बेकरी (Bakery) का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ आवश्यक समय की अवधि व्यूनतम होनी है क्योंकि यह रात भर में अपना माल बना लेता है, और प्रातःकाल बेच देता है। यदि एक प्रकार की रोटी के स्थान पर एकाएक दूसरे प्रकार की रोटी की माग हो जाय या रोटी की माग की जगह दूसरे प्रकार के भोजन की माग हो जाय तो रोटी बनाने वाले थोड़े समय में ही इस परिवर्तन के अनुकूल अपने को बना सकते हैं। परं चर्म-निर्माता को ऐसा लाभ प्राप्त नहीं है। इसके पास हमेशा कच्चे चमड़े (Hides) तथा निर्मिति के भिन्न स्तरों पर तंपार चमड़े का बड़ा स्टाक रहता है। यह उसके लिए कम से कम व्ययसाध्य है और अक्सर चर्म निर्माता के लिए एक प्रकार के माल-निर्माण को छोड़कर दूसरे प्रकार के माल निर्माण में जाना असम्भव है। उपभोक्ताओं के हच्छ-परिवर्तन के कारण मात्र से उसे बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। अत उत्पादित माल का मूल्य तथा निर्मिति की अवधि महत्वपूर्ण घटक है जो यह निर्धारित करने हैं कि कम्पनी के लिए वित्तनी कार्यशील पूजी चाहिए। यदि औसतन उत्पादन प्रक्रिया में छह महीने लगे और उत्पादित माल की कीमत इस तरह लगानार बढ़ती जाय कि निर्मिति के छह महीने में जो इसकी कीमत हो, वह वने माल की कीमत की आधी हो तो यह निष्पर्यं निवलता है कि कार्यशील पूजी की मात्रा तीन महीने में उत्पादित माल की कीमत के बराबर होगी।

**वापसी (turn-over)**—एक दूसरा घटक, जो घनिष्ठ रूप से इस प्रश्न से सम्बद्ध है, कार्यशील पूजी की वापसी या टने ओवर है। इससे तात्पर्य है औसत कार्यशील आन्तियों तथा वार्षिक समग्र विश्री के बीच अनुपान। यह वह अक है जो यह बतलाता है कि कार्यशील आस्तियों में विनियुक्त रकम का वर्ष में कितनी बार व्यापार हुआ है या वह रकम वित्ती बार वापस हुई है। याद रखना चाहिए कि यह सम्बन्ध समग्र विश्री तथा कार्यशील आस्ति के बीच है न कि समय विश्री तथा कार्यशील पूजी के बीच। व्यापार प्रधान व्यवसाय में, और विशेष कर खुदरा विश्री में, टने ओवर के बारे

में प्राय बहुत-सी बातें कही जाती हैं। लेकिन निर्मिति व्यवसाय में टन ओवर के बारे में अपेक्षाकृत कम चर्चा की जाती है। किर भी यह निर्मिति-कर्त्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्राय स्वयंसिद्ध है कि टन ओवर जितना ही बड़ा होगा, एक निश्चित बायंशील पूजी के जरिये उतनी ही बड़ी मात्रा में व्यवसाय किया जा सकता है। उदाहरणतः, यदि एक लुद्रा भण्डार ऐसे माल की विक्री कर रहा है जिसकी बापी माग है, और स्टाक बरते ही उस माल की विक्री हो जाती है, तो कुल विक्री बापी बड़ी होगी। इसके विपरीत, यदि विक्री अनियमित और धीमी है तो स्टाक में विनियुक्त पूजी आवश्यक बही होगी। इस प्रकार टन ओवर की द्रुतता को निर्धारण करने में पहला तत्व माग है। परस्पर एक दूसरे के विरोधी दो उदाहरण इस कथन की व्याख्या कर देंगे। एक समाचार-पत्र विक्रेता (Newsagent), जो दैनिक समाचार-पत्र की विक्री से अपना व्यवसाय आरभ बरता है, पायेगा कि उसका टन ओवर बापी तेज है वयोःकि विनियुक्त पूजी और लाभ एक दिन में ही बापस मिल जाते हैं। जब वह भासिक पत्रों के वितावों का स्टाक, जिसकी विक्री संविलम्ब होती है, रखना शुरू बरता है तो उसका टन ओवर या बापमी कम हो जाती है। दूसरी ओर एक आभूषण भण्डार का उदाहरण है जिसमें आवश्यक है कि दीमती मालों का बड़ा स्टाक हो ताकि ग्राहक अपनी पसंद की चीज़ चुन सके और साथ-साथ विक्री भी अपेक्षाकृत अनियमित तथा इक्के-दुक्के होती है। यह साफ जाहिर है कि इस प्रकार वे व्यवसाय में टन ओवर बहुत कम होगा।

जो दूसरा तत्व टन ओवर या बापमी की द्रुतता को निर्धारित करता है, वह है फर्म की विक्रय नीति। यदि विक्रय प्रयत्न इस उद्देश्य से निर्दिष्ट किये जाते हैं कि स्टाक की विक्री शीघ्र हो—यदि आवश्यक हो तो कीमत में छूट कर दो जाय या निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असाधारण विक्रय व्यवहार किये जाए, तो टन ओवर की दर ऊँची होगी। उस व्यवसाय में यह नीचों होगी जिसमें निश्चित विक्रय नीति नहीं है। टीक्यां ये ही बातें निर्मित व्यवसाय में टन ओवर की द्रुतता निर्धारित बरती है। निर्मित माल की अविलम्ब विक्रयशीलता इस बात को निर्धारित करती है कि निर्मिति-वर्त्ता कच्चे माल का स्टाक रखता है, या अर्धनिर्मित माल का स्टाक रखता है या निर्मित माल दूधर से उपर आ जा रहा है, या उसके यहां इनका बड़ा देर लग रहा है। दूसरी बात यह है कि उत्पादित माल (Product) के प्रमाणीकरण के जरिये और साथ-साथ विज्ञापनवाजी के हारा, जो उपभोक्ताओं को प्रमाणित माल की अच्छाई के सम्बन्ध में प्रभावित बरती है, निर्माता अपने हारा निर्मित मालों की किसी तथा शीलियों की सह्या में कमी करने में समर्थ हो सकता है। आटोमोबाइल के निर्माता यह जानते हैं कि चेसिस की एक या दो स्टाइल और प्रत्येक में दो या तीन बाँड़ी (body) की स्टाइल किसी भी निर्माता के लिए निर्माण वा पर्याप्त क्षेत्र है। सच्ची बात तो यह है कि इस क्षेत्र में जो सबोंविक मफल हुए हैं वे इतनी त्रिस्में भी नहीं बनाते, उदाहरण के लिए, रॉल्स-रॉयस (Rolls-Royce)। एक सुनिश्चित विक्रय नीति जो इस बान का प्रयत्न बरती है कि शीघ्रता में स्टाक की निकामी होनी जाय, जितनी व्यापारी (Merchant) के लिए आवश्यक है, उतनी ही एक मफल

निर्माण के लिए भी है।

**क्र-विक्रय की शर्तें (Terms of Sale and Purchase)**—यदि कोई व्यवसाय सारी चीजें नगद सहीदा हैं और उधार बेचता है तो नियमदेह उसे उनको कार्यशील पूँजी चाहिए जो माल के पूरे स्टाइल को सहीदने तथा उन माल को भी सहीदने के लिए पर्याप्त हो जो बेच दिया गया है लेकिन जिसकी कीमत प्राप्त नहीं हुई है। इसके विवरीन यदि एक व्यवसाय ऐसा है जो काफी असैक्षणिक है तो उसके सभूर्ज स्टाइल के लिए भी तात्कालिक पूँजी नहीं चाहिए और यह अपने देन का चुक्ता विक्रय से प्राप्त आमदानी के जरिये कर देगा। साधारणतः इन दोनों में से कोई भी अवस्था व्यावहारिक जीवन में नहीं मिलती। मालों की सहीद और विक्री दोनों, कम से कम आवश्यक रूप में, उधार होती है, हालांकि इधर उधार की अवधि को कम करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। उधार की अवधि जितनी ही लम्बी होती (और जो विक्रय के लिए आवश्यक है) कार्यशील पूँजी की राशि उनकी ही बड़ी होती। नागपुर में काठन मिल के लिए आवश्यक कार्यशील पूँजी अहमदाबाद मिल की अपेक्षा बड़ी होती है। इसका कारण यह है कि नागपुर में मिलों को साल भर के लिए आवश्यक रुई फसल के समय सहीदानी होती है जब कि बम्बई में मारे साल रुई की सहीद चलती है।

**कार्यशील आस्तियों का नामी में रूपान्तर**—उम कमनी के लिए, जिसके पास तरल कार्यशील आस्तिया पर्याप्त मात्रा में है, यह आवश्यक नहीं कि उसके पास कार्यशील पूँजी हो। तरल आस्ति प्राप्त साने मा विक्र (Bill) जो कुठ ही दिनों में भुगतान-प्राप्त होने हैं तथा वे माल होने हैं जो नगद विक्र चुके हैं या गोष्ठ ही विक्र सकते हैं। लेकिन वे चालू आस्तिया, जो पर्याप्त समय या धन्यान के बाद ही नामी में रूपान्तरित की जा सकती, नामी नहीं बड़ी जा सकती। किसी व्यापारी का यह ममझना कि जो ब्याक पड़े हुए हैं वे विक्र चुके या जो असोम्य क्रान हैं उनकी प्राप्ति हो चुकी है, उने मरटदस्त कर सकता है। अब कुल चालू आस्तियों को चालू दायित्वों से काफी अदिक रखना आवश्यक है। निमिति व्यवसाय में, यदि आस्तिया चालू दायित्वों के १३५ प्रतिशत में लेकर १३३ प्रतिशत तक है तो मानारूपया यह ठीक है। किसी कमनी को चालू आस्तियों को जितनी देखा जै नामी में रूपान्तरित किया जा सकता है, चालू आस्तियों तथा चालू दायित्वों के बीच अनुपान उनका ही कम रखा जा सकता है, या अन्य दशदो में, व्यवसाय के किंवा कार्यशील पूँजी की आवश्यकता उनकी ही कम होती। अनग्रह चालू आस्तिया जिनकी अदिक मात्रा में तरल होती, कार्यशील पूँजी की दशन उनकी ही अदिक होती।

**मौसमी परिवर्तनों (Seasonal Variations)**—लिए आवश्यक कार्यशील पूँजी—यहन्मी क्लिनिकों को दिल्ली का मामना करना पड़ता है जिसका कारण यह है कि एक मौसम में दूसरे मौसम में उनके व्यवसाय की मात्रा नया स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन अनें रहते हैं। चौथां, तेज, तथा रवर माल के निर्माण, ओडाई तथा देल की मिले

ऐसे व्यवसाय के बनिधि उदाहरण हैं। उद्योग के इन सारे खेतों में निर्मित माल (चौपी, बिनीला तथा तेल) काफी बड़ी मात्रा में निर्मित करने होंगे, तथा मौजम के बाद तत्त्व रखने होंगे, या एक मौजम म कच्चे माल का पर्याप्त स्टाक खरीदा जाय तथा तथा तथा बाकी महीनों में धीरे-धीरे उनका प्रयुक्त किया जाय। इन दोनों हालातों में साफ जाहिर है कि वर्ष के बुद्ध महीनों में अपेक्षा बहुत अधिक वार्षिकी आम्ल में धन का कमावर रखा जायगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अनापारण हृषि से कठिनाई पैदा होती है और जा कार्यशील पूजी की मात्रा को पर्याप्त प्रभावित करती है। साधारणतया यह किया जाता है कि जैसे-जैसे निर्मित माल का स्टाक जमा होता जाता है, वैसे-वैसे उत्तरोत्तर वही मात्रा म बैक से बर्जे लिया जाता है जो विक्री के मौजम में अदा कर दिया जाता है। या वरीद के मौजम में बाकी बर्जे ले लिया जाता है जो माल की बाकी अवधि में भुक्त दिया जाता है। बुद्ध क्षमिया हूले मौजम में अपने अतिरिक्त धन की अत्यधिकालीन प्रतिभूतियों में नियुक्त कर देना लाभदायक ममतानी है तथा व्यवसाय के मौजम में उने भुता दान्त्री है।

**निकर्ण—**विभी व्यवसाय के लिए आवश्यक कार्यशील पूजी की गणि का आवणन करने के लिए कोई निर्दित भूत दूढ़ निकालना अव्यवहृत्य ही होता। हम इस सामान्य कथन में ही सन्तोष कर लेना चाहिए कि मोटे हृषि में पूजी सम्बन्धी आवश्यकताएँ व्यवसाय के परिमाण (Volume), निर्मिति की अवधि, ग्राहकों को दिये जाने वाले उधार को ओमान अवधि, व्यवसाय के परिमाण में मौजमी परिवर्तन की सीमा के अनुपात में बदल करती है, और वापरी (Turnover) की द्रुतता, माल क्षय में प्राप्त उधार की अवधि तथा चालू आस्तियां को नकद (Cash) में रुकान्तरित करने की मुदियाआ के उत्तमानुपात (Inverse Proportion) में बदलती है। चलि अधिकारा व्यापारिक कार्योंको गणना का आधार महीना होता है, अतएव कार्यशील पूजी सम्बन्धी आवश्यकताओं का जागणन भी माहवारी आधार पर ही होना चाहिए।

**सधारण (Maintenance)** तथा उन्नयन (Betterment) का वित दोइश—पर्यान कार्यशील पूजी की व्यवस्था के अनिवार्य, एवं सकृद व्यवसाय सधारण तथा उन्नयन की व्यवस्था भी करता है। समाजिक को धैर्यों हालत में रखने के लिए, जो प्लाट की अच्छी हालत के लिए निर्धारित, प्रमाणित भौतिक अवस्था के अनुसृत हो, जो धन श्रम, औजारा तथा भागीदारी पर खर्च किया जाता है, वह उस व्यवसाय का सधारण व्यय है। निर्धारित मापदण्ड आदर्श है और यह देखना सधारण विभाग का बर्तन्य है कि समाजि उपा हालत में बनी रहे, और उन्नादन के धैर्य में निर्धारित मापदण्ड को कानून रखने के लिए मतत मावधारी रुप्य अनुकूल निगरानी की आवश्यकता है। सधारण के अन्तर्गत उन्नयन भी जाना है, और उन्नयन व्यय वह व्यय है जो प्लाट के मापदण्ड का लंबा करता है, और इदर्हीं अधिक दश बनाना है। सधारण अपेक्षाया एवं स्थिर व्यय है जिसमें तभी परिवर्तन होता है जब समाजिक भास व धौजन बर्खे बाले तत्त्वों में परिवर्तन पा हेरकेरहा। अत जिस प्लाट का सधारण निर्मित है, उस प्लाट पर सधारण व्यय कम

पड़ता है। अतएव यदि व्यवसाय को जीकिन रहता है तो प्लाट की मरम्मत सदैव होती रहे। भूपारग के सम्बन्ध में टार्मटोल दिसो भी अच्छे प्रबन्ध को नहीं नहीं होती।

कार्यशील तथा स्थिर पूँजी (Working and Block Capital) का आरेशिक अनुपात—स्थिर तथा कार्यशील पूँजी के बीच का अनुपात उद्योग की प्रवृत्ति तथा मालकिनोंगे के लिए जावशक्ति अवधि की लम्बाई पर निर्भर करता है। उत्पादनप्रक्रिया जिसी ही धूमावदार हाली, स्थिर द्वारा तथा चक्रशील पूँजी (Fixed and Circulating Capital) के बीच अनुपात उत्तम हो वडा होगा। इस प्रकार स्थिर तथा कार्यशील पूँजी का जो अनुपात जिसी मात्रम या उपकरण के लिए जावशक्ति है वह उद्योग के अनुमान बदला करता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका<sup>१</sup> में दिये गये अवै सारांश प्रतीत होगा।

### १९५२ में २६ उद्योगों में स्थिर तथा कार्यशील पूँजी का आपेक्षिक अनुपात

व—राज्यों के अनुसार

(रुपये, करोड़ों में)

राज्य	प्रयुक्त उत्पादनशील पूँजी		
	स्थिर पूँजी	कार्यशील पूँजी	कुल पूँजी
बम्बई	८१७	१५६१	२३३८
पश्चिमी बंगाल	७४१	८३६	१५७७
बिहार	४३२	४६०	९३२
उत्तरप्रदेश	२३४	५३६	७३०
मद्रास	३२४	४१२	७३६
जन्म (१२ राज्य)	४००१	४००४	९००५
य.ग	३००९	४०९९	७००८

१ १९५२ के भारतीय निर्मान उद्योगों के आवृद्धों के मध्येष के आगार पर भारतीय निर्मानाओं की सातवीं गणना की रिपोर्ट, जो १९५५ में प्रकाशित हुई है।

## सं-उद्योगों के अनुसार

क्रमांक	उद्योग	प्रौद्योगिक फंक्शनों की संख्या	सूचना दर्ते वाली फैक्टरी रियो की संख्या	60 करोड़ में		प्रयुक्त उत्पादक पूजी कार्यशाल पूजी	60 करोड़ में सम्पूर्ण वारा %	60 करोड़ में सम्पूर्ण वारा %	60 करोड़ में सम्पूर्ण वारा %
				रियर पूजी	सम्पूर्ण वारा %				
१	पाठ	४९१	५६८	७६३	३१२ %	१६६८	६८८० %	१६६८	२४३१
२	सामाचर व विद्युत इंजीनियरिंग	१००९	१०४	२८४	४२० %	४०३	५८०० %	४०३	६८७७
३	लोहा व इसात	२,०२०	१,७६४	२७२	४१० %	३३४	५५०० %	३३४	६०६६
४	चीनी और गुड़	१२७	१२०	२५५	५७३ %	२९२	५२७० %	२९२	५८७७
५	चीनी	२३९	१३७	२०३	२८७० %	५२७	७१३ %	५२७	७२००
६	गृ	११६	११६	०७	०७	०२	०२	०२	०२
७	वनस्पति तेल (भोज्य हाइड्रोजिन- नेट्रोड तेलों को छोड़ कर)	१०३६	१०५	१२६	५२० %	१३०	५०३ %	१३०	५८६६
८	भोज्य हाइड्रोजिन-तेल	३३	३३	७६	७६	६४	६४	६४	६४००
९	रसायन (कैमिकल)	२७६	२६५	३७३	६२७ %	२१४	३६३ %	२१४	५८०८
१०	सीमेंट	११	११	११६	५९९ %	८२	३०१ %	८२	३१६३
११	अन्य (२१ उद्योग)	२,६३८	२,४१०	५२३	५६४ %	६०३	५३६ %	६०३	५९२६
१२	दोष	७,१४६	६,४५०	३००९	४१२ %	५२९९	५८८० %	५२९९	७३०८

उपर्युक्त तालिकाओं से यह पता लगता है कि १९५२ में जिन उन्नीस भारतीय उद्योगों की गणना की गई, उनमें कुल उत्पादनशील पूजी ७३०.८ करोड़ लगाई गई, जबकि १९५१ में यह ७१३ करोड़, १९५० में ६१४.५ करोड़ १९४९ में ५००.५ करोड़ रुपये और १९४८ में ८८२.१ करोड़ रुपये लगाई गई थी। चूंकि स्थिर पूजी ३००.९ करोड़ रुपये को थी, अतः यह कुल पूजी का ४१.२ प्रतिशत थी और कार्यशील पूजी ४२९.९ करोड़ रुपये को थी जो कुल लगाई गई पूजी का ५८.८ प्रतिशत थी। यदि हम राज्यवार लें तो कम्बिंड के टिस्मे सबसे अधिक उत्पादन शील पूजी यानी २३७.८ करोड़ थी। इसके बाद परिचमी वागल का स्थान है जिसकी पूजी १५७.७ करोड़ है थी। तब विहार का स्थान आता है जिसकी पूजी ९३.२ करोड़ थी। इसके बाद उत्तरप्रदेश तथा मद्रास आने हैं जिनकी पूजी उत्पन्न ७३ करोड़ तथा ७३.६ करोड़ हैं। यह एक दिलचस्प बात है कि इन पांच राज्यों ने कुल उत्पादनशील पूजी का ८९ प्रतिशत लगाया और बाकी बचों ११ प्रतिशत पूजी अन्य १२ राज्यों में लगाई गई।

दिनेत उद्योगों में मूरी वस्त्र उद्योग की पूजी सबसे अधिक थी जो २४३ करोड़ रुपये था। इनके बाद पाट उद्योग जिसकी पूजी ६० करोड़ है, सामान्य तथा विद्युत इन्जीनियरिंग, जिसकी पूजी ६१ करोड़ है, लोहा व इस्पात उद्योग, जिसकी पूजी ५२ करोड़ है तथा चीनी उद्योग, जिसकी पूजी ७३ करोड़ है, बनस्पति तेल जिसकी पूजी ३९ करोड़ है, रसायन उद्योग जिसकी पूजी ५९ करोड़ है, और सीमेंट जिसकी पूजी २१ करोड़ रुपये है, आने हैं। इन आठों से यह पता लगता है कि ये मात्र उद्योग बड़े पैमाने पर मचालिन किये जाने थे जिनमें मद्रें के अनुपात २९ उद्योगों में लगी ७३०.८ करोड़ रुपये की कुल उत्पादन शील पूजी का ८१ प्रतिशत लगा है। इसमें यह भी पता लगता है कि बाकी उद्योग मध्य या सधु आकार चाले हैं।

मूरी वस्त्र उद्योग में कार्यशील पूजी की जो आवश्यकता होती है वह स्थिर पूजी व्यय से अधिक होती है। इमारा बारण कच्ची रई तथा भण्डार (Stores) की सागत है तथा वह अवधि है जिसमें निर्मित माल तथा कच्ची रई आदि को हाथ में रखना पड़ता है। कार्यशील पूजी तथा स्थिर पूजी के बीच का अनुपात ३१ है। एक काफी बड़ी मिल में, जिसकी चुक्ता पूजी एक करोड़ रुपये है, लगभग सारी चुक्ता पूजी उद्व्यय की निरूपित करती है और कार्यशील पूजी के लिए छेड़ करोड़ रुपये में भी अधिक प्रति दर्द चाहिए। लोहा व इस्पात तथा इन्जीनियरिंग उद्योग में स्थिर तथा कार्यशील पूजी हीनो बड़ी मात्रा में चाहिए। इनके लिए आवश्यक कार्यशील पूजी छह महीने में उत्पादित माल की लागत के लगभग बराबर होती है। बानज मिल और सीमेंट फैक्ट्री में स्थिर और कार्यशील पूजी का अनुपात लगभग ५५:१ होता है और आवश्यक कार्यशील पूजी छह मास के उत्पादन की लागत के बराबर होती है। चीनी उद्योग में यह अनुपात लगभग ३१ है तथा कार्यशील पूजी तीन महीने में उत्पादित माल की लागत के मूल्य के बराबर है, तथा दियामलाई उद्योग में चार महीने में उत्पादित माल की लागत कार्यशील पूजी की आवश्यकता का अन्दाज लगाने के लिए एक अच्छा

आधार समझा जाता है। इस उद्योग म स्थिर तथा कार्यशील पूजी के बीच वा अनुपात ३ १ है। जूट मिल में कार्यशील पूजी स्थिर पूजी विनियोग का ५० प्रतिशत थी जबकि इसमें बच्चा माल सवारे अधिक महत्वपूर्ण मद है और यह प्रौग्यम में ही खरीदा जाता था तथा दोप महीना में इसके लिए बहुत कम कार्यशील पूजी आवश्यक थी। बटवारे के बाद स्थिति बदल गई है। बच्चा माल पाकिस्तान में है तथा जूट फैक्ट्रिया हिन्दुस्तान म। जब और जिम प्रकार पटसन मिल सके उसे खरीदना है और परिणामस्वरूप कार्यशील पूजी का अनुपात बढ़ गया है। अब कार्यशील तथा स्थिर पूजी के बीच वा अनुपात १ ३ ७ हो गया है जबकि बनस्पति तेलों में यह ४ ३ है।

चाय उद्योग की लाक्षणिक विशेषता यह है कि चाय बागान के आरम्भ तक सभी चाय की उपज हानि के बीच एवं इन्हाँ द्वारा भव्यान्तर ( Interval ) है। न बेवल भूमि खरीदने, बाग लगाने, मशीन खरीदने तथा भवन निर्माण आदि के लिए बड़ी मात्रा में स्थिर पूँजी की आवश्यकता होती है, जिसके बास्तविक उत्पादन मूल्य की प्राप्ति के पहले बागान म चार-पाच वर्षों तक काम बरतने के लिए भी ऐसी पूँजी की आवश्यकता है। मान लिया जाय कि लाभदायक उत्पादन (Economic Production) के लिए ५०० एकड़ के त्यूनतम आवार का बाग चाहिए तो प्रारम्भ में इनमें सात आठ लाख रुपये की पूँजी आवश्यक समझी जायगी। उत्पादन आरम्भ होने पर वृद्धि राशि की कार्यसील पूँजी नहीं चाहिए क्याकि तब वैकल्पिक उत्पादन की प्रतिमूलि पर कर्ज देने का इच्छुक रहते हैं। लेविन विकास तथा उन्नयन के लिए पूँजी चाहिए और यह पूँजी दीर्घकालीन पूँजी है। चाय उद्योग को तरह बीपले की सान में भी कुछ वर्षों तक स्थिर पूँजी लगातार आती रहनी चाहिए। यद्यपि प्रारम्भिक पूँजी की अवस्था प्राय हो जाती है, किंतु भी अन्य उद्यागों के विपरीत, यह स्थिरपूँजी (Block Capital) की आवश्यकता बार-बार होती है। कालियरी के कार्यशील स्थिति में आजाने के बाद भी वहतन्हीं पूँजी स्थायी रूप से डालना होता है।

## पूँजीकरण (Capitalisation)

'पूजीकरण' शब्द वा अथ होता है निर्गमित अदाय, बन्ध पत्रों तथा क्रणपत्रों की बुल सख्ता, त वि 'पूजी' या "पूजी स्कन्ध" और विभी भी कम्पनी का पूजीकरण एवं अक पर निश्चित होता है। कम्पनी वे मध्यूर्ण सांसाधन 'पूजी' का प्रतिनिधित्व वरता है, तथा सभी प्रकार के निर्गमित अदायों का सम मूल्य (Par Value) 'पूजी-स्कन्ध' का प्रतिनिधित्व वरता है, जबकि सब प्रकार की प्रतिमूलिकाय, यथा सभी कार्यों के अदायों तथा सभी प्रकार की 'उत्तर्मर्णा प्रतिमूलिकों' (Creditorship Securities) का कुल योग 'पूजीकरण' का प्रतिनिधित्व वरता है। इसी अर्थ में अनिपूजी-करण (Over-capitalisation) अल्पपूजीकरण (Under-capitalisation) या सामान्य पूजीकरण (Normal Capitalisation) होता है। पूजीकरण का अति, अल्प या सामान्य होना तब होना है जब कम्पनी कम्पनी अपने अशो को सममूल्य पर बनाने के लिए पर्याप्त अर्जन नहीं बर रही है, उपर्युम को सचालित बढ़ने

के लालक पूँजी पर्याप्ति नहीं है अबतक आवश्यकताओं के लिए पूँजी पर्याप्ति है। अनुच्छेद की आमिनदा पूँजीकृत अक के बराबर ही भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इकिन स्ट्रिमन्डी (Conservative) या मानवानु उपक्रम में व्यवसाय के आरम्भ में आमिनों का मूल्य पूँजीकृत अक का सदाचारी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कम्पनी एक व्ययों की प्रतिमूलि निर्गमित करती है तो एक रूपया नकद या उन्हें मूल्य की मध्यनि भी पानी है। जब उपक्रम अपना कार्य आरम्भ कर देता है तब आमिनों का वास्तविक मूल्य पूँजीकरण में कम या अधिक हो सकता है। इस मूल्य का कम या अधिक होना उपक्रम की मफलता पर निर्भर करता है।

इसी व्यवसाय का शुद्ध मूल्य (Net Worth) इसकी वास्तविक तथा दायित्वों के बोच का अनुर है। जिनी कम्पनी का शुद्ध मूल्य 'पूँजी स्कर्व' के सममूल्य में आन्तोच्य अवधि में व्यापार के कारण हुई दबाने को जोड़ने दा कर्मी को उनमें में घटाने पर प्राप्त राशि होती है। यदि कोई दायित्व न हो तो शुद्ध मूल्य कम्पनी हारा धारित मारी आमिनों का मूल्य है। जिनी भी अशक्ता वाजार मूल्य, शुद्ध मूल्य, निर्गमित अग्र के मूल्य तथा कम्पनी की अर्जन इकिन के बोच जो मध्यन्द है, उस पर निर्भर करता है। यदि शुद्ध मूल्य निर्गमित पूँजी में बहुत अधिक होता तो प्रत्येक अग्र का मूल्य बढ़ जाता है और हो सकता है कि यह सममूल्य में बहुत अधिक कीन पर दिके। यदि शुद्ध मूल्य (Net worth) में कार्ड परिवर्तन दूर विना लाभार्थी दर गिर जाती है, तो ऐनी म्यनि में अग्रों के मूल्य म गिरावट होती और इन हालत में भी वह सममूल्य में कम में विक सकता है। यदि शुद्ध मूल्य में गिरावट आती है, तो अग्रों के दास गिर सकते हैं, चाहे कम्पनी की अर्जनअमता अच्छी हो, दूसरी आर, यह साक है कि कम्पनी की अर्जन इकिन में परिवर्तन होने पर अग्रों के मूल्य में भी वैमा ही परिवर्तन होगा। इन प्रभावों का परिणाम व्यवसाय की सामान्य मुख्यानि और स्थिति तथा उसके परिणामस्वरूप जनसामाजिक में व्यवसाय की सहजना के बारे में विस्तार के कारण भी परिवर्तित हो जाता है। यह निश्चय करने के ममय कि उपक्रम अनिपूँजीकृत है या अपनपूँजीकृत, इन सामान्य विवेचन को ध्यान में रखना चाहिए।

**अतिपूँजीकरण (Over-capitalisation)**—जैना कि ऊपर सैकिन किया जा चुका है, अनिपूँजीकरण उस म्यनि में होता है जहा कम्पनी की अर्जन-इकिन निम्न है, अबता व्यवसाय का शुद्ध मूल्य कुल निर्गमित प्रतिमूलि दों के मूल्य में नीचे गिर गया है दानों दह इनका परिवर्तन अर्जन नहीं करती कि इसकी प्रतिमूलि दों सममूल्य पर विक मते। दूसरे शब्दों में जो अग्र निर्गमित किये गये हैं, उनकी राशि वास्तविक आव-ध्यता ने बहुत अधिक है, और इस प्रकार वह वास्तविक आमिनों में अधिक है, और परिणामस्वरूप आमार्थ की दर इनकी बन है कि अग्र नम मूल्य पर नहीं विकते। ऐनी म्यनि प्राप्ति परिणामनित या सद्विवादी प्रहृति के उपक्रमों में होती है। इनका अर्थ यह है कि अनिपूँजीकृत व्यवसाय में विनियुक्त घन का लाभार्थी प्रयोग नहीं होता।

दूसरी तरह से यह कहा जा सकता है कि अतिपूजीकरण का अर्थ है कि उस व्यवसाय में पूजी को इस व्यर्थ रीति से बिनियुक्त किया गया है कि उसे अशत वहाँ से निकाल दूर दूसरी जगह इसमें कहीं अधिक लाभदायक तरीके से व्यवहृत किया जा सकता था। व्यवसाय वित्तीय अनुकूलनम या आदर्शांतर (Financial Optimum) से बढ़ गया है।

निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार अतिपूजीकरण हो सकता है —

१. जहा कोई उपकरण लाभदायक तरीके से प्रयुक्त की जा सकते दोष पूजी से ज्यादा पूजी निर्गमित करता है।

२. जहा जानवूदवर यह आवश्यनक से अधिक पूजी इस उम्मीद म निर्गमित करता है कि अवित मूल्य में कम कीमत पर ही अप बेचे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वह कीमत लाभदायक हानी,

३. जहा यह भविष्य म अधिक लाभ की उम्मीद में ज्यादा अप निर्गमित करता है वहा उम्मेद भविष्य के अजंते की दृष्टि से अतिपूजीकरण उचित है,

४. जब किसी व्यवसाय की आस्तियों की दक्षता (Efficiency) म इसलिए गिरावट होती है कि जबक्षण (Depreciation) व अप्रचलितता (Obsolescence) या अन्य आकस्मिकनाओं के लिए की गयी व्यवस्था अपर्याप्त है। आस्तियों की लाभ-अजंत क्षमता में गिरावट के कारण अर्थों के मूल्य में भी हाम दृग्मा है;

५. जब किसी कम्पनी को उथार लिये गये घन पर अत्यधिक ऊर्ही दर में व्याज देना पड़ता है, तब ऊर्ही दर का यह व्याज लाभ में बहुत कमों कर देना है;

६. जहा कोई कम्पनी तेजी के दिनों में नये कारखाने बनाती है या पुराने कारखानों को विकसित करती है, वहा इसे अतिपूजीकरण के रोग में प्रस्त होना पड़ता है। आस्तियों तथा अन्य समर्पितियों को बहुत अधिक ऊर्ही कीमतों पर बरीचना होता है जिसका परिणाम यह होता है कि पूजी की मात्रा बहुत बढ़ी हो जाती है। उत्पादन शुल्क होने-होते मन्दी आ जाती है जो कीमतों में गिरावट लाती है। मन्दी के समय भी आस्तियों को मौलिक मूल्य पर ही रखा जाता है हालांकि उनकी कीमत उम्मेद बहुत कम रह जाती है। कम्पनी की अजंत-क्षमता कम हो गई है और दूसरी ओर पूजी की राशि पर्याप्तत बढ़ी हो गयी है, जिसके कारण लाभाश में पर्याप्त गिरावट हो जाती है और परिणामत अप मूल्य में कमों हो जाती है।

७. जब कोई कम्पनी विस्तृत भूमियों पर बहुत ज्यादा सर्व सर्तों हैं, जो की मशीनों तथा उपकरणों पर भी अधिक व्यय बर्तावी है और इधर उत्पादन उनमा नहीं होता कि जिस पर इनका अधिक व्यय करना उचित हो। इसके कारण परिवारन व्यय दह जाता है और परिणामत अग्रभारियों को लाभाश अपर्याप्त मिलता है।

**तरलित पूजी (Watered Capital)**—जब कम्पनी किसी चालू व्यवसाय को सहीदने में अशों के जरिये स्थानि के लिए उचित से बहुत अधिक कीमत चुकाती

है तब पूजी का अधिकार इसी प्रकार की अनुरूप आस्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और वह पूजी तरलित पूजी कहलाती है। पूजी में 'तरलना' शब्द से पूजी के उम अश का दोष होता है, जो व्यवनाय के लाभदायक सचारून में प्रवट स्प से सहायता नहीं करता, या वह हिस्सा जो उन आदिमियों को निर्गमित किया गया है जो इस प्रकार की आस्तिया नहीं देन, जो व्यवनाय के लाभदायक रौनि से चलने में सहायता करे—उदाहरणत व्यर्थ के विज्ञापन अभियान पर सचं किया गया थन, स्थानि के लिए चुकाया गया थन बैधानिक या अन्य साधनों पर सचं किया गया थन—यह सभी तरलना हैं। पूजी में अनियाय तरलना (Water) रागि का रहना एवं बड़ा दाप है यद्यपि इसका थाड़ा होना कुछ सति नहीं पहुचा सकता।

यहाँ यह जानन्य है कि 'पूजी म तरलना' और 'अतिपूजीकरण' दोनों समानार्थक शब्द हो, यह कोई आवश्यक नहीं। हा सतता है कि कभी-कभी पूजी की तरलता होने पर भी अतिपूजीकरण न हा, क्योंकि कम्नी का मचालन इतना ज्यादा दश हो कि इसका उपार्जन बहुत अधिक हा जाय और परिपाम्बद्धरूप अग अकिन मूल्य से अधिक में दिने। दूसरी बार, कम्नी बनने अशा के लिए पूरा भुगतान पाये, किर भी अतिपूजीकरण इस बारण हो मरता है कि कम्नी अपने अशों को अकिन मूल्य पर भी बनाये रखने की सातिर उपार्जन शक्ति को पर्याप्त नहीं बड़ा पायी है :

अतिपूजीकरण से उत्पन्न चुराइया—प्रतिपूजाकरण कम्नी और अशारियों को निम्नलिखित रूप में हानि पहुचा मरता है —

१. जिन कम्नी के अश अकिन मूल्य में कम में दिने हैं, उम कम्नी की सात में गिरावट हो जाती है। वह यह सम्भव है कि विस्तार तथा उत्पन्न के निमित्त अतिरिक्त पूजी प्राप्त करने में इसे कठिनाई हो।

२. प्रतेक जाहरण चुराइया का भूतिमूल्क धारणा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति खत्ता है चूकि "अनांजन लाभाद" ऐकर समूद्रि का प्रदर्शन मात्र (Window-dressing) किया जा सकता।

३. अम्बदत अनुचिन उत्पायों के जरिये लाभ को बड़ा हुआ दिवलाया जायगा या लाभ को बना का छिपाया जायगा। यिसाई, अगोध्य करण तथा अन्य अम्भावनाओं के लिए व्यवस्था करने को उपेक्षा जायगी।

४. इस मध्य बत्तों में गिरावट जाती है तथा उत्पादित माल के गुण में हानि होता है, ऐकिन उत्पादकी कौन्त में बृद्धि होती है।

५. अशारियों के इटिकोल ने पूजी तथा आय की हानि होगी। जब इस तरह की कन्नी निर्मित की जाती है तब बहुत में दोग कम्नी की बास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ होने हुए भी जरा यरोद लेने हैं और वे अम्बर ऊची कीमत पर सरीदने हैं और बनाते कि व्यवस्था लियने में खाद में परिचिन होने हैं। ऐने अशारी दुविधा में पड़ जाते हैं—यदि वे अश अविकल्प बेच देते हैं तो उन्हें बासी सति होती है, क्योंकि उन्हें अतों के अच्छे कौन्त नहीं मिल सकती, और यदि वे अश अन्ने पास रखते हैं तो उन्हें शाद हो लानाग मिले।

६. अनियोगीहृत वस्तु के अग दर्जे के लिए वच्छी प्रतिमूलि नहीं हो सकते, वरांति एवं अग वा वैपर निष्पन्नेहृत वस्तिर हाँगी और इसमें परिकाशनिक गोटेवाजी (Speculative manipulation) की सम्भावना रहती है।

७. पुराणेत का वाज़, जो अनियोगीहृत वस्तु में करीबनकरीब निर्दित है, अगवारिया के मात्र पदाना, और अदावारिया का मुद्रित से अपने धन पर कुछ प्रत्याप (Return) मिला होगा।

८. अनियोगीहृत वा भी हानि वो सम्भावना है क्योंकि उन्हें पर्याप्त मजदूरी व कर्मान्वय सम्बन्धा मुविगाए यह कट्टर नहीं थीं जो मक्ती कि साम कम हुआ है।

९. अनियोगीहृत उपक्रम का सम्भवाद (Collapse) घटाहट दशा मक्ता है और इस प्रकार उत्तरण वर्ग के द्विन वा नुस्खान पहुँचा मक्ता है।

१०. अनियोगीकरण मामान्यन उद्याग में एक बुरा नैतिक धातावरण पैदा करता है, और दिवेकहान मटटवाजी का बढ़ावा देता है।

११. ममदाय की दृष्टि में, कीमता में वृद्धि तथा गुण में गिरावट के अनियित अनियोगीकरण ने दम के समावना का दुरायाग तथा उमड़ी वरदादी हानी है।

१२. अनियोगीकरण म, मव विश्ववर, उद्याग का बड़ा धक्का लग मक्ता है क्योंकि हा मक्ता है कि उचित उपक्रम का भी पर्याप्त पूँजी पाने में सफ़र्हता न हो। आशेप्रिय विनियाग में लागवारी आम्ना का हित जाना वदस्यमावी है।

प्रथम विश्व पुद्ध तथा युद्धात्तर कार का तीनी में हमार दम में और विसेपवर वस्त्रहृत का भिन्न में तो पूँजी का भौतिक रूप में पज़ी विनियाग तीन गुणा प्रतिक हो गया था। बहुतसी भिन्न में पूँजी का नरगोपरण भी हुआ क्योंकि कई वारों तक तज़ी के बारे अनेक बाह्य वातावरण में बहुत अधिक भीमता पर समर्तिया लगाई गयी थी। पाटे लाभात योगित दिये गये, ऐविन मविनियो (Reserves) के अवक्षयण तथा प्रतिक्ष्यान के निमित यायद ही काई व्यवस्था की गई हा। जब १९२४ के लगभग महीने आयी, तब इन भिन्न ने बड़ी कठिनाई अनुभव की और उनमें स कट्टा न तो अपनी पूँजी विश्ववर आयी कर दी, कई विशी के जरिय दूसरी भिन्न में एकीहृत हो गयी तथा कई का अपने वाप कन्द कर देने पड़े।


**अन्यूनीकरण (Under-capitalisation)**—अल्पानीकरण का मताद होना है अपनाम का सम्मुख जावदवक्ताओं के गिरे वर्षान्ते पूँजी। उद्याहरणम्, १९४३ के पहले भारतवर्म में अन्यूनीकरण एक मामान्व छटना थी और वस्त्रहृत में भी जग रुका मपारन तथा औद्योगिक विनियाग में बड़ी गाड़ दिव्यस्ती दिव्यानामै भूमा उग्रा का स्थाना इन्हों थाड़। प्राग्मिता चुक्तापूँजी में हुई थी जो स्तिर पूँजी के द्वारा त्रापान था। तथा अपेक्षाकृती के द्वारा दिल्लूर ही अपेक्षाकृती। अद्यवदात्तर में अन्यूनीकरण एवं नियम मा था। इस विषय में भी बल्लानीकरण होता है जहा अपनाम का नाम जावदवक्ता की पूर्ण मर्वनाधारण या वा म द्वान धन द्वारा बर्ते थी चाहे की जानी है जिसकी प्राक्ति प्राप्त कम और अधिक हानी रहती है। अन्यूनीकरण तो इतर में दिवार्ह दन वारी या अपरी विनीय ममदि का परिणाम

है और लगभग सदा औद्योगिक तेजी का महचर है, लेकिन अल्प-पूजीकरण तय होता है जब उद्योग उप्रति की ओर नहीं चल रहे हीने और पर्याप्त पूजी उगाहने में असमर्थ होने हैं। किसी व्यवसाय के अल्पपूजीहन हने के कई कारण में एक बारण यह है कि प्रत्यंत इसकी पूजोंना आवश्यकताओं का टीक-ठीक अन्दाज नहीं लगा सकते तथा वे चाढ़ू घन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सकते। यही कारण है कि कम्पनी अधिनियम में न्यूनतम प्राप्ति पूजी की व्यवस्था है जिसका अदा-बटन के पहले प्राप्ति हो जाना प्राक्षरण है। अधिनियम द्वारा न्यूनतम आवश्यकता सम्बन्धी व्यवस्था के अंतिरिक्त किसी व्यवसाय को सकुरता के लिए यह आवश्यक है कि सम्मूलं पूजी-आवश्यकता के लिए प्रचुर व्यवस्था कर सके जाय।

अ गूज़ीहन व्यवसाय को मर्वंदा समाप्त हो जाने का भय बना रहा है। वे अपराप्त पूजों से अपना व्यवसाय शुरू करते हैं और अपर्याप्त प्रत्याय के प्रारम्भिक बाद को पर बर्ले में अनमर्य होते हैं, और कलन बढ़त ही ऊंची दर पर पूजी उधार लने को मजबूर होते हैं। बहुत अधिक छूण लेना औद्योगिक बृद्धि में न्यावट का बास करता है। किसी भी मरल व्यवसाय के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का पूरे तौर से अध्ययन करना और नव उत्तरी पूजी मचित करना, जितनी इमरी आवश्यकताओं के लिए अवशिष्ट हो, जर्मर्ट है। जहाँ एक ओर, हमारे देश में बहुत से लोग उत्तरी गई रुजी से हैं, अपने व्यवसाय का प्रारम्भ करते हैं, वहाँ दूसरी ओर, उधार लोग गई रुजी कम्पनी के लिए परेशानी का कारण है। उत्तर लिये गये घन के पश्चात् एक यह दायित्व जा जाता है कि निश्चित समय पर निश्चित राशि, जो प्राय अन्याधिक हुआ बरता है, चुकाई जाय, अन्यथा कम्पनी को निस्तारक ( Liquidator ) के हाथों में माँग दिया जाय। अन नरे व्यवसाय को वित सम्बन्धी प्रत्येक तरह की मावधारी बरतनी चाहिए, यथा बहुत बड़े उधार सरीद बरना, अन्य जबवि के लिए उधार बेचना, वशाया अविलम्ब बमूरना, न्यूनतम हठाक रखना, वेतन में बड़े खंड खंड बरना, लाभादा में थाड़ी राशि देना या बिलकुल न देना और इन प्रकार कार्यशील पूजों की प्रत्येक विधि में बचाना और अतिरिक्त कोई निर्मित बरते को चेप्टा बरना। पूजों मचित बरना तथा उने व्यवहृत बरना एक बन्दा है। इन बला के लिए तात्त्विक तथ्यों ( Vital Facts ) की जानकारी तथा अग्रिम योजना नियमि आवश्यक है। किसी भी उपत्रन को आवश्यकता ने अधिक पूजों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि न्यूनपूर्ण घन या बेकाम घन उन दर में हाथ प्राप्त करता है जिस दर से घाज दिया जाता है। और न आवश्यकता में बड़े घन होना चाहिए क्योंकि इसका अर्थ होगा व्यावसायिक अथर्वा कोई खो देना। जिन झूँगों या देनों का भुगतान भविष्य म होना है, उनके लिए नन्य रहने को या बचन उन विधियों के जरिये होना चाहिए जो व्यवसाय के सामान्य सचाइन ( Normal Functions ) की दृष्टि ग यथागत अनुरूप है। इन प्रकार, इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि भवित्व में मुनिनिवत रूप में घन उपलब्ध हों और इनके लिए ऐसी योजनाओं का विकास बरना चाहिए, जिनमें पूजों को पुन जपन कार्यशील प्राप्त हो सके।

प्रवर्तन समय (Time of Iloatation)—वित्त व प्रशंसा उपायजा गियरिंग या मिट्टन (Capitel Gearing) के द्वारा म कर्ता प्रवर्तन के लिए उचित समय या यान एक महत्वपूर्ण घटक है। उन सभादगा म जहाँ वित्तीय यन (Financial Machine) तथा आमनिक प्रबंध (Credit) का स्वाहृत प्रणाली व व्यवसाय एक साथ एक बार दूसरा के स्थितिया या उनि दिवित अवधि बार चारों म ग गत रहता है। पृष्ठ चक्र या वर्त म प्राय ३ म ५ वर्ष वा समय रहता है। व्यापारिक या आविक चारों तथा उतार बार चक्र जा व्यापार की वित्तीय अवस्थाओं के बढ़ कार परन इन शम स—व्यापि ज्या र ति स नहा—जावति बरत ८८ प्रतियाको निर्दित बरत है। इस्थितिया या जररियाम समूहदद किय गा मरत है—

- १ उत्तर्यन और विद्यास का काढ
- २ व्यापक ममदि अनिवार्य तथा परिकल्पन (Speculation) का बार
- ३ प्रतिरिक्त नया मक्क (Crisis) का बार
- ४ व्यापक म तथा उत्तर्या का बार जिसक बार किर उत्तर्यन का बाल जाना है।



व्यापारिक मन्त्रिया या व्यापक व्यावसायिक ममदि के का क आगमन का सूचना प्रदृग है बन बाजार (Money Market) तथा रटार भारत का देशांत्रिया म उचित र या मिर जाना है। व एक तारिक र निम लाग देत है। पहल

वे अधिक दूनियारों निमिति उद्योग को प्रभावित करते हैं और तन्हरचान् उन उद्योगों के बीच फैलते हैं जो पर्वतीय कंटेन वे मालों तथा उपभोक्ता मालों का निर्माण करते हैं। यह व्यापार देने योग्य वात है कि व्यापार चक्र (Trade Cycle) तीन प्रशार के बाजारों की प्रतिनिधि है—उन बाजार, स्टार्ट मार्केट तथा औद्योगिक मालनिवार व हृषीपुर उद्यादनों का बाजार। परिवर्तनों का कम पृष्ठ १४८ पर दिये गये पढ़ों मर्दावे चित्र में निम्नलिखित रैति में स्पष्ट किया गया है।

### व्यापार का चक्र

- IMR** — घन दुलंभ है, जिसके परिणामस्वरूप व्याज दरें कम हो जाती हैं।
- DGP** — परम प्रतिभूतियों (Gilt-edged securities) की कीमतें गिर रही हैं।
- DSP** — स्टार्ट एक्सचेंज में कीमतें गिर रही हैं—  
प्रतिशिक्षा और मकाट का बाल जिसके बाद व्यापक मद्दी जाती है।
- DCP** — किसी की कीमतें गिर रही हैं।
- DRP** — स्थावर संपत्ति की कीमतें गिर रही हैं।
- GD** — व्यापक मद्दी का बाल।
- LRM** — घन की प्रवृत्ति है, जिसने व्यापार की कीमतें नीचों हैं।
- IGP** — परम प्रतिभूतियों की कीमतें चढ़ रही हैं।
- ISP** — स्टार्ट एक्सचेंज में कीमतें चढ़ रही हैं—  
प्रतिशिक्षा के बाद ममृदि।
- ICP** — किसी की कीमतें चढ़ रही हैं।
- IRP** — स्थावर संपत्ति की कीमतें चढ़ रही हैं।
- GP** — व्यापार का समृद्धि

**सुधार का बाल (Period of Improvement)**—इस बाल में नया गठन तथा उन्नाह प्रदर्शित होता है। शात उद्योग पुनः कार्यरत हो जाते हैं तथा विद्यान प्रयोजनों के लिए तेवार पर्जी गिरती है। अपेक्षत वर्ष कीमत बाली जिसी (Commodities) की कीमत में नेजी आती है। विकल्पाएँ बम हो जाती हैं, और व्यवसाय, हाथारि वे बहुत अविवाहित नहीं होते, जागान्वित हो जाते हैं, और मन्दी की अवस्था में लोटकर सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। इस बाल में निषेच (दाजमा) अधिकानम भीमा पर पट्टुच जाते हैं तथा निषेच के अनुपात में शून्य की मात्रा बम हो जाती है। व्याज की दर अपेक्षत बन हो जाती है। भविष्य में अधिक उत्तरांत की जागा की जाती है जिसके बारण उन प्रतिभूतियों की कीमतें में, जो पहले नन्दी की शिवार हो गई थीं, मामान्य या उगने भी अविक्षय जाती हैं।

**अतिविकास का बाल (Period of Over-development)**—उन्हें यह अवस्थाओं के बाद व्यापारगति वृद्धि तथा अतिविकास का बाल जाता है। कंटारिया और कारपाते पूर्णतया आर्थिक गतावन होते हैं। अधिकांश गतावनों पर जोर पड़ता है। क्षण से ज्ञाने दृष्टि गये हैं तथा उन्होंने निषेच की सीमा जो पार कर दिया

है। अधिक य (या बैर) ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रतिबन्ध लगाना शुल्क बरने हैं। स्वन्धों के दाम तेज़ी की चरम सीमा पर पहुँचने के बाद भविष्यत् सर्टिकल की आपका संग्रह लगने हैं। बाजार ऊपर से बोझिल (Top-heavy) है, क्योंकि लोगों ने चढ़नी हुई कीमतों इस उम्मीद पर म सरार है कि व विपण बाजार (Bill Market) म साठा मुनाफा कमायग।

**प्रतिक्रिया का काल (Period of Reaction)** —यह सर्वदा कठिनाई का कारण है। जिसों तथा प्रतिभूतियों के दाम उपादन तथा उपग्रहण शक्ति के अनुकूल होने चाहिए। अग्रवाल निस्तार और विकास पर जा पूर्ववर्ती (Preceding) सुधार काल के परस्पर शुल्क हुआ है, जिनका विपरीत प्रतिवन्ध लगाना चाहिए। अधिकायण जगत पर जा जाना स्थिर जास्तियों को जानवित बाजार म अनिच्छित समाप्तन (Forced Liquidation) के बारण पूर्ण विनाश से बचाने म व्यस्त है, परदान। बा बड़ा बाल या पड़ना है। निक्षेप अवश्यत कम है ऐसीन समाप्तन म वृद्धिक साथ उम्मीद होती है। अहन की बड़ी मांग है तथा व्याज की दर बहुत ही बड़ी गई है। इस की समाप्ति के समय अधिकायण समाप्तना की प्राप्ति मुख्य हो जानी है क्योंकि दबाव म कमी जा गई है। अब ही अवमर है जब थेल कौटि की वे प्रतिभूतियों चुना जा सकता है जिनकी कामत बहुत ऊपर से नाच धार्य है।

**भल्डी का काल (Period of Depression)** —उद्गुर्म पर्याप्त धीमी की आर चूल चुका है और वह अब अवश्यत उम्मीदनिवृण स्थिरता के काल का सकत बरता है जो अनिवार्यत इस सर्वेत तथा तूफान का, जिसन व्यवसाय जगत की नीव तक हिला दी है जनुगमी है। व्यवसाय सामान्य हो जाना है तथा वह मद रीति से प्रतिवन्धा के साथ भवारित विधा जाता है। जिसों की कीमतों का स्तर नीचा है, यातायात कम है तथा अविकायण के अंजन मूल्य जिसों की दृष्टि म पर्याप्त कम हो गये गये है। औसत दर्जे के व्यवसाय विकल्पों के शिकार नहीं होने तथा व्यवसाय निम्न स्तर पर सामान्यत स्थिर (Stable) होना है, जो अन्त में सुधार के कुछ चिन्ह प्रदर्शित करता है। व्याज बा दर बहुत कम होती है तथा अविकायण भवितियों म तेजी से वृद्धि होती है। स्वाध बाजार म प्रतिभूतियों की मांग के बारण व्यवसाय म वृद्धि होती है तथा मूच्चा में तेजी जाती है। व्यापार चक्र वा दृष्टि में नय उपक्रम के निर्माण या पुरान उपक्रम के विस्तार का वितरण समय अविकल लाभदायक रीति से आई० एम० प०० (I S P.) यानी प्रतिभूतियों की वृद्धिरीति कीमतों तथा आई० म०० प०० (I C P.) यानी जिसों की वृद्धिरीति कीमतों के व्यवसाय कीमतों में पड़ता है और उसी कीमत पर भी प्रतिभूतियों नुकसार विकल्पी है तथा यह समय भानक के शुल्क होने से बहुत पहले का समय होता है। इस प्रकार य संवित धन आणामों में समय साज-मज्जा की व्यवस्था में प्रवृत्ति किया जा सकता है जबकि सामरियों तथा श्रम की कीमत का प्रवृत्ति नहीं है। “इस योजना के अनुसार शुल्क किया गया उपक्रम इस स्थिति में होगा कि वह व्यवसाय की धोरे धारे पर पूर्णता के साथ तैयारी कर सके, नई प्रक्रियाओं

का प्रयोग कर सके, थम बाजार में मारत व वा चयन कर सके, अनुशासन की स्थापना कर सक, तथा मर्मी घटका वा मुद्रन कार्य की शृङ्खला में ऐसा जमा सह जिसस मर्दी की समाजिक वाद जैसे ही मान को उचिति हो, वैसे ही वह उचिता लाभ उठा सके।<sup>1</sup> इससे विवरीत, जैसा कि मैदान<sup>2</sup> महादय न बन गया है—'पर्याप्ति लाग तेजी' के समय न वारचाना का निर्माण शब्द करन है और प्राप्त यह देखन में जाना है कि जब वारचान बनकर तैयार होत है तब तक मूल्य म गिरावट आ चुकी जाती है। शायद इसका वारण यह है कि नई-नई फैक्टरिया न उन्नादक शक्ति का भी बढ़ा दिया है। यह भी वारण हा मत्ता है कि नई फैक्टरिया की समावना में प्रतिद्वंद्वियों न अपनी मार्ग व म वर दी है। गहरी मर्दी के समय हा दुद्धिमान तक नई फैक्टरी बनान या सरीदान के मर्दों-हुए जरूर पायगा। अनेक तजी के समय तो घन मचद वा कार्य करना चाहिए और मर्दी के समय मदना नया मर्दीना के निर्माण व श्रव्य का काम करना चाहिए ताकि मर्दी की समाजिक दृष्टिगति वारण होत ही माल विश्री के लिए प्रस्तुत किया जा सके।

**वित्तसंचय की विधिया (Method of Raising Finance)—** वित्तपात्रा की विधि व्यापार चक्र की अवस्था के साथ समाप्तोजित (Adjusted) होनी चाहिए। मर्दाँ-पूजी विभिन्न विधियों में एकत्रित की जायेगी, या जैसा कि प्राप्त वहा जाना है, व्यापार चक्र की अवस्था के अनुमान प्राप्त की जायेगी (Geared)। विभिन्न प्रकार की प्रतिमूलिका कुछ अनुपान में निर्गमित की जा सकती है और प्रत्येक प्रकार की प्रतिमूलिका कुल पूजी के किम अनुपान में होगी—यह व्यापार चक्र की मीड़दा अवस्था पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आगाजनक विस्तार के प्रारम्भ में कुछ पश्चा का निर्मान लाभदायक हा मत्ता है। इससे वाद जब परिवार्यनिक उभार (Speculative Enthusiasm) जोगे पर है तब अश ज्यादा बच्छे बिल्डेंगे। मर्दी के समय स्थूकार्नीन क्षण का महारा लिया जा सकता है बश्यते कि कम्पनी की साध अच्छी हो। वित्तोदय को योजना, निर्मान प्रतिमूलियों का अनुपान, आप की दर, अभियान (Denomination), एव प्रत्यामूल अधिकारा में परिवर्तन करने वाला तथा प्रतिमूलि वाजार की अवस्था प्रा क साथ समाप्तोजित की जा सकती है।

विनियोक्ता की दृष्टि से विनियोग की राशि व समय बहुत कुछ प्रतिमूलि की प्रहृति व उमरी अर्नी चिन्तन रोनि पर निर्भर करेगा। कोई प्रतिमूलि आकर्षक हा, इसके लिए इन तथावित बुलियादी विग्रहताओं का होना अनिवार्य है। इसमें विनियुक्त मूल्यन मुख्यत नुस्खिन रहे, इसमें पर्याप्त प्रत्याप (Return) मिलना रहे, तथा इसमें होने वाली आप स्थायी हो। इससे अनिरिक्त, इस मुल्यन विवरणीलता प्राप्त हो तथा सामाजिक (Collateral) प्रतिमूलि के स्वरूप में इसका मूल्य हो। तथा इस स्वरूप राशि तथा अवधि वाला होना चाहिए। इसमें मूल बृद्धि की समाव्यता भी हो।

1. Jones Op. Cit. p. 36.

2. The Depreciation of Factories, pp. 114-115.

दिसी भी उपत्रम के वित्तपोषण के साथन कई एक दूसरे से विपरीत कोटि के हो सकते हैं। वैयक्तिक व्यवसाय में प्रमुख जरिया वैयक्तिक स्वामित्वधारी बंग है जैसा सामाजिक या जीवभूत हिन्दू कुरुम्ब व्यवसाय में होता है। इसका परिस्थूरक उचार लिया गया धन हा सकता है। यह उचार की राशि व्यवसाय भी साख सम्बन्धी सम्पत्ता या विदेशी पर निर्भर करती है। ऐदिन वहत माप उद्योग के लिए, जिमका सचालन मुश्यत संशुल्पती करना के द्वारा होता है, वृहत् परिमाण वा आवश्यकता है। अत इस उद्योग को अनिवायत आवश्यक धन का संचय करने के लिए सभी प्रकार की विविदों का महारा ना पड़ता है। भारतवर्ष में वित्त के प्रमुख स्रोतों का निम्नलिखित वर्णन मात्रा जा सकता है—

- १ वैयक्तिक वित्तियोग—वैयक्तिक व्यवसाय की अवस्था में,
- २ विभिन्न कोटि के अमा का नियमन
- ३ बधारा तथा छहपत्रा का नियमन
- ४ जाव निधि (Public Deposits),
- ५ प्रदूष अभिकर्ता,
- ६ संपूर्ण स्वयं वेका तथा देशी महाजना से प्राप्त नहं
- ७ अधिक पूजी वृद्धि पढ़ति, जिसमें लाभ का उपयोग पूजीवृद्धि में विद्या जाता है जो उपार्जन का पुनर्वित्तियोग करता है
- ८ राज्य।

इस स्थिर पूजी, कार्यशील पूजी एवं विस्तार तथा सुधार वे वित्तपोषण के सिद्धात का विस्तृत विवरण वर चुके हैं। वित्त के उद्दगमा का इस दृष्टि से पुन दर्शन करण विद्या जा सकता है जिस पूजी के इन प्रवर्गों का वित्तपोषण करने के लिए कौन उद्दगम उपयुक्त है और कौन नहीं।

**स्थिर पूजी का वित्तपोषण (Financing of Fixed Capital)**— वह या वृद्धत्वाप उद्योग द्वारा स्थिर पूजी के लिए इन उद्दगमों द्वारा वित्त संचित किया जाता है।

१ अश पूजी, २ प्रबन्ध अभिकर्ता, ३ लोकनिधि, ४ छहपत्र, ५ राज्य इन्स्टिट्यूट फाइनेंस वारपारदान वा क इडिया तथा राज्य फाइनेंस कारफोरदानों से कृण।

**कार्यशील पूजी का वित्तपोषण (Financing Working Capital)**—उद्योग के लिए कार्यशील पूजी तोन प्रकार संचित की जा सकती है, यथा, (१) अश द्वारा, (२) अतिरिक्त प्रतिभूतिया के नियमन द्वारा, (३) उपार्जन के पुन वित्तियोग द्वारा। अनीत म भारताप उद्योग ने मुख्य छह द्वारा अपनी कायागाल पूजी का संचय विद्या है। भारतवर्ष म कार्यशील पूजी के मुख्य उद्दगम निम्नलिखित हैं— (१) प्रबन्ध अभिकर्ता (२) लोक निधि, (३) प्रतिभूतिया, अमा या छह पत्रों का नियमन, (४) संपूर्ण स्वयं वैको स छह, (५) देशी महाजना तथा वडे वित्तपोषक से छह।

**विस्तार और सुवर्तन ( Expansion and Improvements )** का द्वितीय प्रयोग — मार्गदर्शक विभाग के बारें और विकास की आवश्यकता के निमित्त विनारंग व सुगारी का वित्तीय प्रयोग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। वित्त के सापेक्ष ये हैं, (१) लाभ का पुनर्विनियोग, (२) प्रणिनीतियाँ—जैसों या अद्यतनों, या दानों—का नियंत्रण, (३) प्रबन्ध अभिकर्त्ता, (४) लोकनिधनोंप (५) राज्य—इस्ट्रियल काइन कारखोरेशन या राज्य काइन कारखोरेशन से छूटन।

निम्नलिखित सदमों में वित्त के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन है, जिसमें उनके जारी-दिक्कत गुणों व दोनों की चर्चा की गई है और उन्हें देश में उद्दोग के वित्तीय प्रयोग की विधियों को उप्राप्त करने के लिए मुद्रावाह है।

### कंश (Shares)

बहु जाना है कि धनलिखित मारी वुरादों की जड़ है। यह मर्ही है कि धन की आवश्यकता औद्योगिक और व्यावरणीय वार्षिकताओं की जड़ है। धन इसलिए आवश्यक है कि यह मंचों व माल प्राप्त वर्तने का माध्यम है। नागरिक अपने धन का लाभदायक उद्योग चाहते हैं। इस धन का वे कम्पनी की पूँजी के लिए अशादान वर सकते हैं या वे यह कम्पनी को उपार दे सकते हैं। यदि वे कम्पनी में अदा करीदते हैं तो पूँजी का अशादान वरते हैं। इस पूँजी शब्द का, सामिन अर्थ में, तान्त्रिक होता है कम्पनी में कुल स्वामित्व। विनायन, यह कुल स्वामित्व सदर्भी हित बहुत से अदाओं में विनायित होता है, जो असाधारियों द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। अनेक अदा उन समान अदाओं को बहते हैं जिनमें कम्पनी की पूँजी विभाजित होती है और प्रत्येक अंशपारी को यह इक प्राप्त है कि वह कम्पनी के लाभ का वह हिस्सा प्राप्त करें जो इसके द्वारा तीनि अदाओं की सम्भा के अनुपात में हो।

पहले कोई कम्पनी जड़ प्रक्षेत्रों के अधिकार अथवा मालान्य अदा, गस्त्यार्ददों के अथवा स्थगित अथवा ( Deferred shares ) आदि अनेक तरह के शेयर नियंत्रित कर सकती थी। जिन पर अदान-अदान अधिकार होते थे। स्थगित अथवा मालान्यार्ददों के अथवा प्राप्त यहूत वर्ष अविन भूत्य के होते थे और कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा किये जाते थे, जो अन में इसके अभिकर्त्ता बन जाते थे, या विनीं व्यवनाय वे विक्रेता होते थे और नई कम्पनी ने कोन्वेन की आगिस अदायनी के अन में इन्हें लेने थे। ये विनीं इन ने इसी प्रदोषत के लिये ऐसे जाते थे कि इनके घारकों को उपेक्षणीय पूँजी क्षमातर कम्पनी पर नियन्त्रण प्राप्त हो जाए। कर्मांक इन्हे अधिकार और मालान्य अदाओं पर लाभादा दे दिये जाने के बाद ही लाभादा मिलता था, इसलिए “इनका उद्योग आरम्भिक प्रबन्धकों द्वारा विक्रेताओं को लाभ वा प्रबन्धिता देने के लिए और नाव ही बड़ी विनायन का दियाजा करने के लिए एक चानुर्वेशन उदाद के अन में दिया जाता था”। हाट्से विनीं के इन वर्तन में, जो इगलेंड की अवन्यादों का बहा नहीं गारा पेश करता है, इनीं बात और जोड़ी जा सकती है कि प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को उन नामकान के भूत्य वाले शेयरों को महादान से कानीं पर नियन्त्रण प्राप्त हो जाता था। स्फूटित

अशी वा यह शक्तिशांति उत्तम, जिसमें प्रधाय अभिवर्ती हो। अब प्रदत्त मूल्य के, बहुत ऊँची मनदान शक्ति वाले और कर्तवियों के लाभों में अवशिष्ट हिन्दूर अधिकार, ये तीनों चाहे एक साथ देना था, अब कमनिया की पूँजी सरखना में अधिमान और सामान्य, इन दो प्रकार के अग्रा के अलावा और मध्य प्रशारा के हटा दिये जाने से सभी ही मग्या हैं। इसलिए भविष्य में लाल-कम्पनी निकं अधिमान अश और सामान्य अश निर्णयित वर मार्ग, यद्यपि निजी कमनी अब भी किसी भी तरह के अपने निर्णयित वर मार्ग है और यह आवश्यक नहीं कि वे मिर्झ अधिमान अश और सामान्य अश ही हो।

**अधिमान अश—**—नवे अधिनियम में अधिमान अश की परिभासा यह की गई है कि कम्पनी की अपने पूँजी का वह भाग, जो निम्नलिखित दोनों अवश्यक-पूरी करता है, नामक यह लाभात् के विषय में अधिमान्य अधिकार देता ही और भमाल की अवस्था में पूँजी लौटाने के बारे में अधिमान्य अधिकार देता है। इन अशों पर लाभात् निश्चिन है। कम्पनी वाहे जितनी ममृद्ध हो जाए, पर अवश्यारिया का यह निश्चिन लाभात् ही, यह ५ प्रतिशत या ६ प्रतिशत या जो भी हो, मिल गा। ये अश भी विनियोगियों में विमाजित होते हैं। प्रथम और द्वितीय अधिमान अश होते हैं, यानी अधिमान अशों के ये वह लाभात् का दृष्टि स एक वादा दूसरा बाने हैं। अधिमान अश मच्यों (Cumulative) और अमच्यों होते हैं। मच्यों अधिमान अश का यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे उन वर्षों का भी लाभात् पाए जिन वर्षों में लाभात् नहीं हुआ है। अमच्यों अधिमान अश को यह अधिकार नहीं होता। यदि कम्पनी का कोई वर्ष, मात्र नीजित १९५८, लाभात् पाया है और कम्पनी ने लाभात् की घोषणा नहीं की है, पर १९५५ में अद्यतिक लाभ हुए हैं तो ऐसी स्थिति में अमच्यों अधिमान अश अधारी १९५५ के लिए लाभात् पायें। ऐसिन मच्यों अधिमान अशावारी मत् १९५४ और १९५५ दोनों वर्षों के लिए लाभात् पायेंग। प्रत्याभूत अधिमान अश प्राप्त उस स्थिति में निर्णयित विषय जात है जब कार्ड निजी कम्पनी परिषित कम्पनी में व्यापत्तिल की जानी है, या जब यह कम्पनी दूसरा कम्पनी के हाथ बेच दाती जानी है। विकेता या अन्य सबढ़ पक्षों को इन स्थितियों में कठिन वर्षों के लिए एक निर्धारित दर पर लाभात् की गारी दी जानी है। महापर्वा अधिमान अश (Participating preference shares) का यह अधिकार है कि उन्हें नियन लाभात् के अनिश्चिन कुछ और दिया जाए। वे अनधिमान अशों (Non-preference shares) पर लाभात् में पूरी तरह पाकुछ मीमा तक हिस्सा प्राप्त वर महत्व है। विमोचन योग्य अधिमान अश भी निर्णयित निए जा सकते हैं परन्तु याधित होने चाहिए। इन जगत् का क्रियाचरण प्राप्त लाभात् के किया जा सकता है ताकि किसी लोक-योग्य अशों के भूगतान के कारण पूँजी में कमी न हो।

यद्यपि अधिमान अश पर लाभात् की आय नियन रखनी है, फिर भी ये प्रतिभूतियां पूँजी में मूल्य बढ़ि प्राप्त वर महत्व है। जिम कम्पनी ने वर्षों लाभात् घायित नहीं किया है, ऐसिन बव उत्तरि भी और अप्रमर ही रही है, उम्हे मच्यों अधिमान अश

ऐसे अशारियों के सम्बुद्ध अश के पूर्णीगत मूल्य में वृद्धि का सम्भावना प्रत्युत करते हैं। यह वृद्धि स्थिर तथा अपशाकृत कम नियत दर के लाभाश के बारण हुई सति की पूर्ति करते हैं। अधिमान अश का साधारण अश की अपेक्षा पूर्वाधिकार होता है, लेकिन उन्ह सीमित मताविचार होता है। अधिमान अशारों सिंक अपने अधिकारों पर सीधा प्रभाव डालने वाल संवत्यों पर मत द सकते हैं, पर यदि अधिमान अशारियों के अशों पर दो वर्षों तक लाभाश न दिया गया हो तो वे जब मामलों पर साधारण अशारियों की तरह मत द सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिमान अश की राशि साधारण अशों की अपेक्षा ग्राम ऊर्जा हुआ करती है जो वास्तव में अच्छ विनियोग के नियमों के विपरीत है। ऐसे अश उन आदमियों के लिए उपयुक्त होते हैं जो जौहिम नहीं ले सकते। सर्वसाधारण की बजाए वा उपयोग करन के लिए, अधिमान अशों की राशि को नीचा करना आवश्यक है।

**साधारण अश ( Ordinary or Equity shares )**—साधारण अश अधिमान अशों के पश्चात् लाभाश पाने के अधिकारी होते हैं, लेकिन उन्हें, जबिमान अशों के निश्चित लाभाश के भुगतान के बाद लाभाश मद में जो भी रकम बच जाती है, वह मारी पान का अधिकारी है। साधारण अश सभी अधिमान अशों की भानि अशारियों को न केवल लाभाश की प्राप्ति का संकेत करते हैं, अपितु उन्हें पूर्णीगत वृद्धि की भविष्यत मम्भावना का भी संकेत करते हैं। उन पर दिये जाने वाले लाभाश की राशि ग्राम लाभ के अनुमार मिलनी रहती है। भारतवर्ष में बहुमूल्य में कम्पनियों का वित्तगोपण साधारण अशों के जरिए ही हुआ है। उदाहरणार्थ, आदों में अधिक मूल्य वस्त्र और चीजों मिलों और चाप बगों के अश साधारण अश होते हैं। बेल लोहा, इस्पात और कुछ ही तक पाठ उद्योग में अधिमान अश हैं जिनका परिमाण कमशा कुल पूर्जी का ४३ प्रतिशत और २९ प्रतिशत है।

**स्थगित अश ( Deferred Shares )**—स्थगित अश अब निर्जी कम्पनियों द्वारा ही निर्गमित किये जा सकते हैं, लोक कम्पनियों द्वारा नहीं। वे सामान्यतया घोड़े अकित मूल्य वाले होते हैं और वे जबिमान अशों के परिपूरक हैं। उन्हें अधिमान अशारियों तथा साधारण अशारियों को लाभाश मिल जाने के बाद ही लाभाश पाने का अधिकार है जैसा कि उपर कहा गया है, अपर ऐसे अश कम्पनी के प्रवर्तकों के द्वारा या सम्पत्ति विक्रेताओं द्वारा कम्पनी में भुगतान के रूप में दिये जाने हैं। ऐसे अश विशेष उद्देश्य में निर्गमित दिये जाने हैं, जिसका बर्णन हाउले दिवदेव महोदय ने अच्छी तरह किया है। उन्हें अशों के बार में वे बहते हैं : “यह एक चारुर्युल साधन है, जिसमें जरिये मौलिक प्रवर्तकों या श्रनाओं के लिए लाभ में पर्याप्त हिस्सा सुरक्षित रखा जाता है और जाय ही साय इनकी विनाशता का दिलाता भी बना रहता है।” स्थगित अशों का वर्भी-वर्भी गम्भायत या व्यवस्थापन अशों की तरह प्रयोग किया जाता है। अशों के इन दोनों वर्गों की रचना इन प्रायत उद्देश्य में की जाती है कि यम्पत्ति का नियन्त्रण इनके धारकों के हाथ में चला जाय। सामान्य रूप में ऐसे अश बाजार में बिकते नहीं आते, पर इन अशों का बहुत कुछ आवंग सतत हो गया

ह याकि उनका उपयोग तो व कम्पनिया पर नियन्त्रण प्राप्त करने के सापेक्षे है मैं  
महा विद्या आ सकता ।

किसी कम्पनी में पंजीयित (Registered) या बाहक (Bearer)  
या दोनों प्रकार के अग्र हो सकते हैं । पंजीयित वगा वाधारा का स्वामित्व की  
स्थिति में ला विद्यता है । उनका प्रकार वगा कम्पनी वा वित्ताना में उनके नाम पंजीयित  
होते हैं जिन्हें तसम्बद्धा पंजादा है । उह अभान चाक के उरिए प्राप्त नहीं होता है ।  
इन पंजीयासिया के पास प्रमाणपत्र होते हैं जो कह वात वा प्रभागित करने हैं जि उनसे  
पास इनके स्वामित्व या अग्र है तथिन प्रमाणपत्र स्वयं इनका या स्वयं पर  
परम स्वत्व (Absolute title) नहीं है । यदि प्रमाण पत्र विद्या प्रतिक्रिया दे  
वद्वा में दिया वा द भा दिया जाय तब भा यह उस द्वारा पंजा के स्वामित्व का  
हस्तातर नहीं होता । हस्तातर विधिवत् हस्तातरपत्र व निष्पात्न द्वारा हा होना  
चाहिए और तब हस्तातर कम्पनी द्वारा रखा यह सदस्य पूँजी में पंजीयित होना  
चाहिए । बाहक (Bearer) अग्र स्वयमवाला स्वत्व आर वह अग्र अधिक  
( Share Warrant ) के में में नियमित दिया जाता है । इसका स्वामी कम्पनी की  
पुस्तकों में लिखित नहीं जाता । इसके अभान चाक के उरिए नहीं जान जिसके  
अग्र अधिकार (Share Warrant) में संवेदन करने के उपस्थान द्वारा अभान  
प्राप्तिवाद दिया जाता है । उधिकार से बाहर दिया जाता है जार कम्पनी के पास भज  
दिया जाता है । कम्पनी उनका जांच करती है और तब उनका भुगतान देता है । व्यवहार  
में श धरतर यह होता है कि वाला भगा के अधिकार वाधारा अग्र अधिकार का अपन  
वक में जमा कर देता है और वका पर यह दायित्व छाड़ देते हैं कि व आवायक दूसरे  
कम्पनी के यह प्रस्तुत कर । क्याकि जा वपन जाए एवं स्वत्व ह अन सो जान तथा  
इस चारा में बचत इ लिये अंतिम भावधाना बरती चाहिए । यह ना एक बजह ह  
जिमक कारण इन अग्र अधिकार इस वक के मात्र वर्ग (Strong Room)  
में संरक्षित रखने के लिए प्रतिरक्षित है । वाला जगा के अभानों के मात्रावर्ग में इनका  
एवं बहुत बगा गम यह है कि इह आसाना में नया स्वामिया के हाथ उस्ताने रित दिया  
जा सकता है तो इन पर वक आगान में पस उपर दिया जाता है क्याकि  
स्वामित्व पर वकतन के लिए दिया होना वित्तान वित्तान ( Transfer Deed )  
व आवायकना महा जाता । यह बाल्व जगा अधिकार मिल उद्द कम्पनी द्वारा पृष्ठतमा  
नवित अग्रा है लिए तो हा नियमित दिया जा सकत है यदि इसके अत्तर्नियम  
एवं नियम का प्राप्तिवान फरत हो और कान्द्राय भरकार वा भवमान प्राप्त वर दिया  
गया हो ।

विभिन्न बाटि व वगा के नियमन दा जह यह विभिन्न प्रकृति वाले गोपा  
का विनियान के क्षम्भ वाले अंगिए प्रसिद्ध रखता । मायवान विभिन्नता या नास्तिक्य  
उसका का तथार नहीं हो नियत प्रयाय थार भवया अधिकार वगा के एवं म होगा—  
वह प्रयाय का वा तो मुख्या का अविक प्रमाण वरता है । वम मायवान या माहनी

योजना नहीं बनायी जा सकती, जिसका परिणाम अति भा अल्प पूँजीकरण हो सकता है। ऐसा काइ आपार नहीं जिसके दश पर अशो वा मूल्य ऊचा या नीचा समझा जाए और न काइ ऐसा मालदण्ड ही है जिसके जरिये विनियोग पर प्रत्याप के अधिकार के बारे म निर्गत विषय जा सकते हैं।

**छूट पर अशो का निर्गमन (Issue of Shares at Discount)**— व्यापकी अधिनियम को १९३६ के सदाचालन के पूर्व, विभी व्यापकी का छूट पर यानी मी रुपये के बज, मान लीजिए, बेकड अस्ती रुपये में, तिर्यकित करने के अनुमति नहीं थी, इन्तु धारा १०५ प निम्नलिखित अवस्थाओं म व्यापकी का छूट पर अश निर्यकित करने का अधिकार देती है —

(१) सदूष निर्गमन उसी बोटि के अशों वा हो, जिस बोटि के अश निर्यकित किये जा चुक हैं,

(२) निर्गमन दृढ़त अधिकेशन में स्वीकृत मकल ढारा प्राप्ति हो तथा न्यायालय न उसका अनुमान बर दिया हो।

(३) नवार छूट की अधिकतम दर का उल्लेख कर देता है, जो दस प्रतिशत या ऐसी छव, प्रतिशतरता ये, जैसी बन्दीय सरकार विष, विभाग मामले म अनुज्ञान करे, अभिव नहीं होती,

(४) निर्गमन उम निधि में एक वर्ष बीतने से पहले न विदा गया हो तथा जिस निधि में व्यापकी का अवधाय आरम्भ करने का अधिकार प्राप्त हुआ,

(५) न्यायालय मे स्वीकृति प्राप्त करने के दो महीने के अन्तर्मध या ऐसे बहाये हुए ममद के अन्तर्मध, जैसा न्यायालय अनुज्ञान करे, ही अश छूट पर निर्यकित किये गये हो।

### बन्ध-पत्र तथा ऋण-पत्र (Bonds and Debentures)

हो मकना है कि कोई व्यापकी अधिक अद पूँजी या आमित्व-मूल्य प्रतिभूतियों को न चाह, किर भी अभिव धन की दृष्टा रखे। यह लोगों को पूँजी अक्षदान करने के बजाय गृह दान करने का आमन्त्रित दर मकनी है। इस प्रकार, उत्तर दिया गया धन भी अभिग्नित तथा अभिव्यक्ति (Acknowledged) होना अनिवार्य है। ऋणदाता जा सेव्य पाना है उने ऋणपत्र कहते हैं। ऋणपत्रारी व्यापकी का उत्तमर्य होता है लेकिन अशधारी व्यापकी को पूँजी का स्वार्थी है जो इसक दायित्वा के लिए उत्तरदायी होना है। ऋणपत्रारी कमना के दायित्वा में मे है जिसक गिए अशधारी दारी होता है। इस प्रकार कोई व्यापकी जनी प्रारम्भिक आवध्यकता के बाले दीर्घवाहिन विन प्राप्त करने के लिए तथा प्राप्त विवास तथा सुधार के अनु असी पूँजी की पूति के गिए ऋण-पत्र या उत्तमर्या प्रतिभूतिया (Creditorship Securities) निर्यकित बर मकनी है। सच्ची बान ता यह है कि प्राप्त क देश म वित्त मवय के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मरवूर्ण विधि है।

व्यापकी अभिनियम ऋणपत्र की कोई मतोंपत्रक परिनामा नहीं

करता। धारा २ (१३) में मिर्क यह उपबन्ध है—“क्रणपत्र में क्रणपत्र, स्वन्ध, वध-पत्र और कम्पनी की अन्य प्रतिमूलिया शामिल हैं, चाहे कम्पनी की आस्तियों पर प्रभार (Charge) हा पा नहीं।” जैवे शब्दों में, क्रणपत्र कम्पनी द्वारा क्रण का स्वीकरण है (Acknowledgement), लेकिन चबि बहुवा (सर्वदा नहीं) यह सार्व मुद्रा के अवैतन निर्गमित किया जाता है, और कम्पनी की आस्तियों पर स्थायी या अस्थायी प्रभार द्वारा मुरबित होता है और इसमें विसिएट तिथियों पर व्याज का भुगतान अनिवार्य होता है अतः क्रणपत्र का परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है— यह कम्पनी द्वारा भार्व मुद्रा के अवैतन निर्पादित संक्षय है, जो अग्रिम दी गई रकम की प्रतिमूलि करने के निर्मित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सम्मुख क्रण का स्वीकरण करता है। क्रणपत्र कम्पनी के द्वारा शृङ्खलावद्ध रीति में निर्गमित निश्चित अकित मूल्य, जैसे मौहर, पाँच मौहर, हजार मूल्य, का बन्धपत्र है जो लोगों के समझ प्रविवरण के जरिये प्रस्तुत किया जाता है। जिन शर्तों पर वे निर्गमित किये जाने हैं, वे बन्धपत्र की पीछे पर उल्लिखित होती हैं और जो इनके धारकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार देती है। एक दर्शन यह होती है कि क्रणपत्र अमुक मस्त्या की शृङ्खला में से है और एक शृङ्खला के सभी क्रण पत्र समभाव से (Pari Passu) भुगतान के अनिवारी होते हैं, अर्थात् किसी एक शृङ्खला के सभी क्रणपत्रों का अनुपाततः भुगतान दिया जातगा, ताकि यदि सबको भुगतान देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो सबका भुगतान अनुपाततः कम हो जाएगा। यदि ‘समभाव में’ (Pari Passu) शब्द नहीं प्रयुक्त किया गये हैं तो क्रणपत्रों का भुगतान निर्गमन तिथि के मुताबिक होगा और यदि वे सब एक ही दिन निर्गमित किये गये हैं तो वे मस्त्या कम से भुगतान याप्त होंगे। जो क्रणपत्र मम्पति के स्वत्व विनेत्र (Title Deeds of Property) के द्वारा रक्षित होता है, जिसके माय एक स्मरण-भव्य होता है जो लिखित स्वरूप में इस पर प्रभार का सूजन करता है, उसे माम्यपूर्ण या इक्विटेबल (Equitable) क्रणपत्र कहते हैं। जहाँ कम्पनी की सम्पत्ति का वैशानिक स्वामित्व एक विलेन वे द्वारा क्रण की रक्षा या प्रतिमूलि (Securities) के रूप में क्रणपत्र धारकों को हमतान्तरित हो जाता है, वहा क्रण पत्र वैशानिक क्रणभव्य (Legal Debenture) कहलाता है। क्रणपत्र उनी हालत में विमोचननेत्र्य या भुगतान योग्य (Redeemable) होता है जब इसमें एक निश्चित तिथि पर, या माग करने पर या तमन्वयों मध्यना देने पर मूलधन के भुगतान का उल्लेन रहता है या वे उस स्थिति में अदिमोच्य या शाश्वत होते हैं, जब कम्पनी के लिये अनिवार्यतः भुगतान कर देने की तिथि वा उल्लेन नहीं होता। ऐसी हालत में जब तक कम्पनी चालू हालत में है, तब तक क्रणपत्रधारक भुगतान पाने की माग नहीं कर सकते। भारतवर्ष में सामान्यतः विमोचनयोग्य क्रणपत्र ही निर्गमित किये जाने हैं। इसका कारण यह है कि इस सामान्य धारणा के विपरीत, कि भारतीय विनियोक्ता वृद्धिशील मूल्यवाची प्रतिमूलियों को ही पदन्द करते हैं, वे प्रतिमूलियों में मध्यदृ मुख्य (Securities) की परवाह करते हैं। अदिमोच्य क्रणपत्र की हालत में विनियोक्ताओं की यह इतर्मीनान नहीं हो

सकता कि व्यवसाय की जारी विविध अमदिग्द रूप में अच्छी है। लेविन विमोच्य प्रति-भूतियों में उनके हिन भली भाति मरकिन है। विमोच्य छह पत्र मन्दी या धन वाजार में हाने वाले परिवर्तनों के कारण अब मूल्यन के शिक्का नहीं होते। कलिपय अवस्थाओं में वे भुगतान दिवन में पहुँचे कम्पनी द्वारा वादिम गिये जा सकते हैं और प्राय इन्हीं उद्देश्य ने निर्मित निमेप निवि (Sinking Fund) या कृष्ण दोधन निवि (Amortisation Fund) में में कृष्ण पत्रों के भुगतान की व्यवस्था बर की जानी है।

पक्षी न्यौत वो दृष्टि से छुगपत्र अधिकान वशा या अन्य प्रतिभूतियों की जरूरत ज्यादा सुरक्षित (Secured) होते हैं। उदाहरणत, वरक ऋणपत्र धारक, (Mortgage Debenture Holder) यह जानता है कि उसकी सुरक्षा कीमी है और प्राय उसके हित की रक्खा के हनुमानी (Trustees) है। मात्रम् की दृष्टि से अरक्षण उद्यागा क विकास की दृष्टि से छुगपत्र विमयन उपादेव होते हैं। जब प्रस्तुत सुरक्षा अच्छी है, तब ऋणपत्र व्यष्टि तथा मस्थान्य, दोनों प्रकार के, विनियोक्ताओं द्वारा पमन्द किये जाते हैं। ऋणपत्र दम्पत्र मावजान विनियोक्ताओं के लिए ही उपयोग है क्योंकि निर्गमन शर्तों में प्राय एवं ऐसा लकड़ होता है जो विनियोक्ताया के हिता वा खतरे से बचाता है। लेविन कम्पनी द्वारा निर्मित छुगपत्र की मकाना प्रस्तुत (Offer) सुरक्षा की प्रहृति पर निर्भर करती है। सुरक्षा जितनी ही बड़ी होती, ऋण पत्र निर्गमन की मकाना उनकी ही विविध होती।

इसमें भन्देह नहीं कि स्थारी वित्त का एक हिस्सा कृष्ण पत्रों द्वारा सचिन विद्या जाना चाहती जहाँ, क्याडि इसमें मिनव्ययिता हाती है, लेविन सभी प्रकार के उत्तरों के लिए यह अनुकूल नहीं पड़ता। अधिकान वशों की भानि ऋणपत्र का अर्थ कम्पनी पर एक वित्तीय वात्स होता है, जबकि इसे कम्पनी की नियन्त्रणता तब ही सीमित होता चाहिए। मीड (Meade) के अनुमार, कम्पनी के मकान अर्जन (Gross Earning) की अधिक में अधिक २० प्रतिशत राशि की व्याज के भुगतान में दग्धाना चाहिए। उनक अनुमार, जो कम्पनी इस सीमा में पार बपते अर्जन की व्याप्ति के भुगतान में कमा देती है, वह अपने भविष्यत् तां खतरे से ढाकने की जोखिम उठाती है। बान बेकरथ (Von Beckerath) महोदय ठीक ही कहते हैं कि नियन्त्र व्याज वाड ऋण (Interest Credit), जो व्यावसायिक हानि में हाय नहीं बढ़ते, जैसे वर पत्र, दरक पत्र तथा अन्यकारी ऋण, सभी प्रकार के बैंक औद्योगिक उपक्रमों के लिए खतरा है क्योंकि यदि व्याज का भुगतान जारी रखना पड़ा तो मन्दि के बनियन वर्गों में पज़, स्कॉच समाज हो जायग। ऋण ने प्रात धन पर अविद्यय नियन्त्रण मामान्य भवय में भी अदापार्या के लिए यिररेत है। अनेक ऋणपत्र उनी मधय निर्मित करने चाहिए जब काट लोर चारा न हो। और वह भी कम्पनी की अर्जन-ममता की सीमा के अन्तर्गत ही। वह व्यवसाय, जिसने पास पर्याप्त अचानक सम्भवि है तथा जिसका अर्जन यविन पर्याप्त स्थारी है, उस व्यवसाय की अक्षमा,

जिसकी समर्पित थोड़ो तथा अर्जन परिवर्तनशाल है, अधिक मरुलता ने और लान-दायक रीति में क्रृष्ण-पत्र निर्गमित कर सकता है। उदाहरणतः एनाविषय के बारण पाट मिलों का उपार्जन बृहत् तथा निश्चिन था, अन उन्होंने सफलतापूर्वक क्रृष्ण-पत्र निर्गमित किये हैं, लेकिन कावला कम्पनिया का क्रृष्ण-पत्र निर्गमन में विशेष सकलता नहीं हुई। इसने, अर्जन दावित के कारण ऐसे तथा ट्राम कम्पनियों में भी क्रृष्ण-पत्र निर्गमन सकल रहा है। हम लोगों को प्रायः सभी प्रमुख ऐसे प्रगतिशीलों का पोषण भारत मरुलता या भारत मरी (Secretary of State) द्वारा निर्गमित क्रृष्ण-पत्र स्वन्या द्वारा ही हुआ है जार लगभग आदी छाड़ों ऐसे कम्पनियों के द्वारा ही पर्याप्त बनमत्रय करने में सकुल रही है। चाय उद्योग में बहुत थोड़ा मात्र कम्पनियों ने क्रृष्ण-पत्र निर्गमित किया है, लेकिन चीनी उद्योग ने, जो बनात एवं नया उपयोग है, सफलतापूर्वक क्रृष्ण-पत्रों का निर्गमन किया है। मव मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय उद्योग में क्रृष्ण-पत्र का यह बहुत महत्वहीन कार्य रहा है और २० प्रतिशत की सीमा तक भी बोर्ड उद्योग नहीं पहुँच पाया है। यहाँ यह बता दिया लाभदायक होगा कि भारतवर्ष के क्षतिपृष्ठ महत्वपूर्ण उद्योगों में कुल पौरी तया विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के बीच वया अनुपात है। अगले पृष्ठ पर दो गयों तालिकाएँ भारतवर्ष में निर्गमित विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की आवेदिक मृत्तिज्ञात होगी।

इम तालिका ने यह साकृत हो जाता है कि औद्योगिक वित्त के धोन में क्रृष्ण-पत्रों या बन्दव क्रृष्णों (Mortgage Debts) के कार्य महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, अधिवक्तर भूपत्रमिति उद्योगों को पूर्वी की कमी के कारण परेशानी उठानी पड़ी है किन्तु क्रृष्ण पत्रों द्वारा पर्याप्त बन सचय करने में उल्लेखनीय कठिनाइया है। सर्वप्रदम, वे छोटी कम्पनियाँ, जो काकों सुरक्षा प्रस्तुत नहीं कर सकती, सर्वसाधारण के बीच क्रृष्ण-पत्र निर्गमित नहीं कर सकती। विशिष्ट मस्तियों को इन उद्योगों की अचल सम्पत्ति की जमानत पर लग देने को मनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी अवसाय समाप्त हो जाने की दृग्म में हानि का खतरा है। द्वितीय, निर्गमित कम्पनियों को लें तो सर्वसाधारण उनके क्रृष्ण-पत्रों को तमालेने को तन्वर होगे जब उन्होंने पर्याप्त लाभ का अर्जन किया हो। तृतीय, और शायद भारतवर्ष में क्रृष्ण-पत्रों की अलोक्यिता का सब से बड़ा कारण यही है कि वे को काकभी भी उनका चाव नहीं रहा है। जो कम्पनी क्रृष्ण-पत्र निर्गमित नहीं है, उसकी साथ वे को को आखों में गिर जाती है। चूंकि सम्पत्ति पर प्रयत्न प्रभार करण पत्र ही है, जिस कम्पनी ने क्रृष्ण-पत्र निर्गमित किया है, वह वेक में और घन प्राप्त करने में असकुल रहती है। वेक यह दर्लील पश करने हैं, हालांकि यह दर्लील ग्रानिमूलक है, कि कम्पनी की सुरक्षा दुर्बल हो गयी है। वे यह भूल जाते हैं कि यदि कम्पनी की यथार्थ म्याति दड़ है तो क्रृष्ण-पत्र उनको सुरक्षा को उसी तरह दुर्बल नहीं करते, जैसे वेक-क्रृष्ण नहीं करते। यथार्थ वात तो यह है कि भारतवर्ष में शायद ही ऐसे घटना घटती ही कि क्रृष्ण-पत्र के निर्गमन के कारण कम्पनी को भक्ट का सामना करना पड़ा हो। वेक को अनिवार्यत यह चाहिए कि वे क्रृष्ण-पत्र के सम्बन्ध में

## विभिन्न प्रतिभूतियों की आपेक्षिक महसूस दिखाने वाली तालिका

उपयोग का नाम	कर्पनिया की कुल मध्यम	कुल जीवित पुरी (आण्ज-पश्चिा सहित)	ग्रामसंघ अथवा पुरी		अधिसूचना अथवा पुरी	स्थगित अथवा पुरी		कुल मध्यम	
			भौतिक ग्राम			भौतिक ग्राम		भौतिक ग्राम	
			भौतिक ग्राम	भौतिक ग्राम		भौतिक ग्राम	भौतिक ग्राम	भौतिक ग्राम	
जूट	५५	२६,५५	१३,०४	५०	५९	६,२२	२६	११	
चूपी उद्योग	१५६	३४,१६	२८,१७	८२	५७	४,८७	८५	८२	
लोहा और इसारा	५	२०,८५	८,७५	८३	२	८,८५	१	१३	
सीपट	५	१३,५५	१२,२५	९२	२	८,८०	१	५	
चीरी	५९	१,६०	१,५०	९७	२३	१,७२	१८	१५	
चाप	१३३	५,८५	५,८५	१०	२३	५,८	—	५	

(a) उपेक्षणीय

अनना हव बदले और उन्हें क्रम पंक्तों को लोकप्रिय बनाने के लिये रिजार्वील होना चाहिए। नाये बात यह है कि दोसा कम्पनिया, जो आमतौर पर में अण-पत्र सर्वेद मक्तवी थी, इस दिशा में आगे नहीं आई है। क्या यह कहा जा सकता है कि उनका यह रुख इस बात का नहीं बनें बरता है कि भारतीय उद्योग में उन्हें विश्वास नहीं है? अण-पत्र नियंत्रण के रास्त में दावड़ी बाबा है प्रन्यानी म्बाओ (Trustee Services) तथा विनियाम अभिकरण, जैसे विनियाम प्रन्याम विनियाम चंद्र व बिन कम्पनियों, का न हाना। इस दश में अण-पत्रों के विकास के रास्ते में छठी रकाबट यह है कि व बहुत खर्चोंले होने हैं। अण-पत्रों के हस्तानार पर अधिक मुद्राक शुल्क (Stamp duty), बोग्यन व दलाली तथा उनक, मौसित विनियांलता भी उनके लोकप्रियता को कम करती है। परिणाम यह हाना है कि सावधान विनियोक्ता एक निश्चिन व्याज बाले अधिकान बदा का प्रबन्ध करता है। कार्डगोल्ड प्लॉट व विनार के लिए पूँजी के, व्यवस्था लोक नियोग तथा प्रबन्ध अभिकर्ताओं से प्राप्त छपों द्वारा हो जानी है। लेकिन औद्योगिक उत्कर्षों को चाहिए कि वे उत्तरोत्तर इन दो उद्यगों पर अपने नियंत्रण का परिवार करें तथा अण-पत्रों के नियंत्रण पर अधिक भरोसा रखें।

### प्रतिमूलियों की बाजारदारी या वित्रय (Marketing of Securities)

अपिकाग म्युन स्कृप्ट उपकम अन्नी प्रारम्भिक पूँजी; प्रवर्तका, वित्तपोषकों (Financiers) या प्रबन्ध अभिकर्ताओं में प्राप्त करने हैं। लेकिन सर्वामारण के अशास्त्र के नियमित भी प्रतिमूलियों को नियंत्रित करना होता है, जिनके लिए वित्रय की उपयुक्त मरकियों का होना आवश्यक है। सामारणता अशो व अण पंक्तों को वित्रय, के लिए तीन महत्वपूर्ण दरिये हैं। वे हैं (क) प्रबन्ध अभिकर्ता, जो प्रतिमूलियों को प्रत्यक्ष स्व में अपन सम्बन्धियों, मित्रों तथा अन्यों के हाथ देते हैं, और पराय स्व में सर्वामारण का अवशान के लिए आनंदित करते हैं, (ख) इस प्रयोजन के लिये नियुक्त वित्रे गये कम्तनें; क अभिकर्ता, तथा (ग) अभिगोपक।

प्रबन्ध अभिकर्ताओं व कम्तनी के सचाउओं द्वारा विक्री प्रतिमूलियों की सीधी विक्री का सबदने सन्ना तरीका होना चाहिए, क्योंकि उनमें यह आशा की जानी है कि वे कपनियों के प्रवर्तन और दुर्ल करने में दिलचस्ती रखने वाले व्यक्तियों के हृष्य में विना कमीशन लिए क्षुन ने क्रम पक्ष तथा अशो वेच सकते हैं। लेकिन अशो के विक्रय हेतु बाजार में प्रस्तुत करने के लिये वे नियमित कम्तनान लेते हैं। ऐसा दौखना है कि वे अपने तथा कम्तनें के टिनों के बीच सज्ज्य में हैं। अपने कार्प का प्रारम्भ करते हैं और इसमें अपने हृत का ही दे जाते रखते हैं। लेकिन स्थानोंमें इस उद्देश्य ने कमीशन के आपार पर नियमन वित्रे गये अभिकर्ताओं के द्वारा प्रतिमूलियों की विक्री होनी है। इसमें मद्देह नहीं कि अपने स्वार्य के कारण ये लोग अशो की पर्यान मात्रा में विक्री करते हैं, लेकिन अशो की सम्पूर्ण राशि, या सम्पूर्ण नहीं तो लगभग सम्पूर्ण राशि की दिक्की उनके दाविद पर छोड़ना निराशर नहीं है। प्रकाश्यता, अशो की दिक्की की यह विविध भी सत्ती

दोल पर्नी है, लेकिन, जैमाकि उपर कहा जा चुका है, इस विधि पर निभंर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि यह हो सकता है कि निर्गमित अशा की सम्पूर्ण मात्रा निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्ति न हो, या प्रविवरण के प्रथम निर्गमन वे १८० दिनों के अन्दर न्यूनतम अभिदान ही न हो, जिसका परिणाम यह होगा कि विधि के अनुमार अपेक्षित आपेक्षन राशि (Application Money) बाप्ति करनी होगी। यह प्रबन्ध की गतिका क्षण पहुँचा मरनी है तथा अशा के भवियत् निगमन में वाया पहुँचा मरनी है। पुन यह भी हा मरता है कि अभिदान की गति घोमी हो तथा आवेदित राशि कम्पनी की सीज़दा आवश्यकता में बहुत कम हो। इन अनिवार्यताओं की दृष्टि में तोतरी विधि, जर्मान् अभिगोपन का मटारा तेता वालनीय है।

**अभिगोपन (Underwriting)**—अभिगोपन की व्यवस्था प्रवर्तकों द्वारा की जानी है जाएम व्यक्तिया म सम्पूर्ण स्थापित करने हैं जो अशो या कलापनों के लोग निर्गमन की सकृतता के लिए प्रत्याभिकर्ता का कार्य करे। बृहत निर्गमन प्राप्त अभिगोपन वर लिये जाने हैं लेकिन इमरार देश में अभिगोपन की पठिकमी देशों की तरह महत्ता प्राप्त नहीं हुई। अभिगोपन की परिभाषा इम प्रकार की जा सकती है, “यह प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिया, जैसे दलायो, या स्थानों जैसे बैंकी, बीमा बम्पनियों, सिडीकेंडो या बडे विनियोक्ताओं के साथ, जिन्हें अभिगोपन कहते हैं, यो गयी सविदा है” जिसके अनुमार वे निर्धारित कमीशन के बदल, जो अशा की निर्गम कीमत में ५ प्रतिशत स अविक्ष नहीं होना चाहिए, निर्गमित अशा की सम्पूर्ण राशि या उम हिस्से को खरीद लेना है जो सर्वेमाधारण द्वारा आवेदित नहीं हुआ है। अभिगोपक एक निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत प्रतिभूतियों की विक्री का अभिगोपित या प्रत्याभूत करता है और जो प्रतिभूतिया सर्वेमाधारण द्वारा नहीं खरीदी जानी है उन्हें वह सरीद लेता है और उनका मूल्य चुका देना है। विभिन्न प्रकार की अभिगोपन मविदार होती हैं लेकिन सभी सविदाओं म एक विवेता होती है कि अभिगोपक इस बात की गारदी देते हैं कि कम्पनी का निर्धारित अविक्ष में सम्पूर्ण निर्गमन के लिए नियत राशि में कम रखन प्राप्त न हो। अतः कम्पनी के लिए इन बातों का काई महत्व नहीं रह जाता कि सारी प्रतिभूतिया एक साथ विक गयी या कम में कम विक्ष सम्बन्धी मविदा कर ली गई है या कोई उतर-दापी बैंक या मिट्टेके इमकीं विक्री वो प्रत्याभूत कर द। दोनों हालातों में उन अभिगोपकों द्वारा अविक्ष व्यवस्था हो जानी है जो अभिगोपित या व्रित्त प्रतिभूतियों की विक्री का यत्न करने हैं ताकि कम्पनी को दिया गया धन उन्हें बाप्ति मिल जाय।

व्यक्तिन, दलाय, बैंक या बीमा बम्पनिया छोटी राशि हीं अभिगोपित कर सकती हैं और अवमर व प्रतिभूतियों को दिक्कूल सरीद लेनी हैं, और तब सर्वेमाधारण क बीच उनकी विशेषता होती हैं या केवल उन्हें अभिगोपित करती हैं पर जहा बहुत बड़ी राशिया होती है वहा जाकिम वा भार बहन करने या विक्री को प्रत्याभूत करने के हेतु सिन्टीकेट की रचना की जानी है। कम्पनी स्वयं निगमित अशा की विक्री कर सकती हैं और सिटीकट के बल यह गारण्टी दर्ता है कि सम्पूर्ण निर्गमित अश न्यूनतम मूल्य पर

निर्धारित अवधि के अन्तर्गत दिक्षित जायेगा। यदि निर्गमित अशो वं, विक्री सफल रही तो सिडीकेट अपना क्रमांकन एकवित बर लेंगे, परन्तु यदि नियत मूल्य पर निर्गमन असफल रहा तो अविवैत अशा सिडीकेट खराद लगा और उसे बेच दगे। किन्तु इस प्रकार समझौते सामान्यत प्रबलित नहीं हैं। इसके विपरीत, सिडीकेट प्रतिभूतियों को लेकर अविलम्ब अनन्त सदस्यों के बीच भागीदारी के अनुपात म विनियित बर सञ्चालन है। इस प्रकार का अभियोपन नयन नय की प्रकृति का होता है जिसमें यह आशा की जाती है कि प्रत्येक मश्स्य स्वतन्त्रतापूर्वक अपने हिस्से के निर्गमित अशा की विक्री बरेगा। वृत्त्व परिमाण के निर्गमन को दिए ये यह सर्वाधिक लोकप्रिय तथा उपादेय करार हैं।

**अभियोपन की महता**—कम्पनी को अभियोपन के लाभों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मूल्य चुकाना पड़ता है, तब भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि प्रवर्तनों को अशा की विक्री की प्रत्याभूति व जाक्रियम मरक्षण देकर अभियोपक नवोन कम्पनियों के प्रवर्तन के क्षेत्र म बहुमूल्य से बाएँ करने हैं। सर्वद्रव्यम, जो निर्गमन अभियोपक बर दिया जाना है, उसकी विक्री की मनकृता निश्चित है। अभियोपक अपनी प्रत्याभूति या सम्पूर्ण स्वरीद द्वारा विक्री वं, अनिश्चितता और जोखिम अपने झंगर से लेने हैं और इस प्रकार इस बान वा खाल विने विना कि उनके द्वारा प्रत्याभूत अश विकर्गे या नहीं, प्रवर्तनों को अविलम्ब बटों रकम नवद देने हैं। परिणामस्वरूप, कम्पनी अविलम्ब अपनी उस योजना की पूर्ति वा कार्य आरम्भ कर सकती है, जिन योजनाएं विनियोपयन के लिए नयी पंजी अभीष्ट थीं। अशों के वित्रय काल म प्रतीक्षा तथा मन वो थका देने वाली अवधि नहीं रहती है। जहां सभी एक महत्वपूर्ण तत्व हैं, यथा, नया प्लाट किसी मविदा की पूर्ति के लिए रुदा दिया जा रहा है, या प्रतियोगिता का सामना बरने की नीतार्थी की जा रही है, वहां अभियोपन अवधिक उपादेय होता है।

अभियोपन का दमरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह सम्पूर्ण आवश्यक धन-मत्रा को समर्पित को निश्चित कर देता है। अभीष्ट गणि में कम कोइ भी राशि कम्पनी के लिए बल होने के बजाय प्राय बोन हो होती है। उदाहरणत, जहां कम्पनी को १०,००,००० रुपये की आवश्यकता है और वह इस राशि के लिए अशा निर्गमित करती है, ऐसिन जैसा कि अवमर हमारे देश म हुआ है, यह केवल ५,००,००० रुपये ही प्राप्त करती है, तब इसकी स्थिति ऐसी है कि न तो यह आगे बढ़ मवर्ती है और न पीछे हो टूट सकती है। अभियोपन इस प्रकार वं, कठिनाई से बरपनी को बचाता है। यह निर्धारित अवधि में निर्धारित पंजी की प्राप्ति के लिए निश्चिन्त हा सकती है। यदि इसके देश में अभियोपन का उपयोग अविलम्ब होना सो भास्तीय उद्योग अन्य अज्ञितरण की उन्नियों ने बचे रहते हैं।

प्रमाणत अभियोपन मविदा में दे लाभ निहित है जो सब सविदाओं में होते हैं और जिनके अनुसार अविकोपण कम्पनिया कम्पनी की प्रतिभूतियों का वित्रय करने को सहमत होती है। कम्पनी को देश के विशिष्ट अनुभव तथा निर्णय का लाभ प्राप्त

हो जाता है और इस प्रकार नवीन प्रतिभूतियों की सत्र एवं इस में बड़ी गलती करने की जोखिम शुभ्रतम हो जाती है।

दूसी प्रकार, जिस अभिगोपन वित्तीय स्थ से सबल एवं व्यापारिलालधि व्यक्ति होने हैं अन् जिसी निर्गमन के माय उनका नाम वा होना निर्गमन की प्रतिष्ठा का लोगों की आज्ञा में उच्चा उठा देता है, जिसके फलस्वरूप लोग उसे अदिलम्ब खरीद लेने हैं।

अभिगोपन प्रतिभूतिया का भोगालिक विविध (Geographical dispersion) म गहायता प्रदान करता है। इसमे प्रतिभूतिया न केवल लाघु-चौडे दोष ये वितरित हो जाती हैं, प्रायुत इनका वितरण दीर्घविवित तथा अस्त्रा है। ऐसा होना प्रत्येक निर्गमन की अपनी परिस्थिति पर निर्भर करता है। इनका गुम्ब परिणाम यह होता है कि विनियोग बाजार म मल्यों को आवश्यक तेजी-मन्दी से बचन नहीं आता जो प्रतिभूतियों का बाजार मे एक माय ला के करने मे होता है।

अभिगोपन न केवल बम्पनी के लिए लाभदायक होना है बरन यह प्रतिभूति के बेना लिए भी लाभप्रद होता है। मर्वप्रयमन के प्रतिभूति का किसी अभिगोपन या किन्हीं-कट द्वारा अभिगोपन होना इसकी सबस्ता को प्रत्याभूत करता है। ऐसिन इसमे भी बड़ा लाभ यह है कि अना को यह उन्ही सम्भावनाओं के विरुद्ध आगापित करता है, जो सम्भावनाए बम्पनी के लिए हानिप्रद होंगी क्याकि जब यह एक बार बम्पनी की प्रतिभूति लुटाकर लेता है, तब वह बम्पनी की अच्छाइदा और बुरादों म भावा होना शुरू कर देता है। अन् यदि प्रीक्षा या विलम्ब के कारण बम्पनी की क्षति पहुचनी है तो वह भी क्षति मे भागी होता है। अन् यह उम्हे हित मे है कि निगमन अभिगोपित हो और इस प्रकार उम्ही दिशी निश्चिन हो जाए।

अभिगोपन के उपर्युक्त बहुनेरे लाभों की दृष्टि मे यह आवश्यक है कि बड़ी वित्तीय फर्म, जिन्ह अपने धन वा विनियोग बरना है, प्रतिभूतिया के अभिगोपन का कार्य कर। सम्भावित विनियोगनाओं को किसी निर्गमन की सबलता या दुरंत्वता के विषय म परामर्श द सकने की स्वतन्त्र स्थिति म रहने के बारण, वे पूजी प्रबन्ध करने तथा उने उचित दिशा मे निर्दिष्ट बरन की स्थिति म होग। उद्योग की दृष्टि मे उम्हत देशो म अभिगोपन ने महत्वग्रन्थ बार्य किया है और यह भारत मे भी बड़ा उपाय हो सकता है। ऐसिन यहा इस बात पर जार दना आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों तथा कोठिया वा अभिगोपक होना है, उन्ह किसी भी प्रकार उम्ह बम्पनी के प्रवर्तन या विवास मे भम्भद नहीं होना चाहिए। जिस बम्पनी की प्रतिभूति व अभिगोपित करते हों। बस्तुत यदि वे जपना बार्यक्षेत्र अभिगोपन तक ही सीमित रम, तो यह भवते लिए लाभप्रद होगा। उन्ह प्रवर्तनों के चरित्र बल वा जामिन होना चाहिए, न कि अक्षमों वा साथी। इम बायत वा बारण यह है कि किसी बम्पनी का निर्माण स सम्बद्ध व्यक्तियों का समूह यदि उनका सञ्चाना न हो, जिनका उने होना चाहिए तो अभिगोपन उम्हे हायो मे पटकर एक खनरे की चीज हो जायगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रवर्तन एक दित कोटी ( Finance House ) का सचालन करता है, विजापन

एजेंसी का स्वामिन्व करना है, प्रौद्योगिक विद्य सम्बन्धी सान्ताहिक पद का सचालन करता है तो वह प्रारम्भिक व्ययों के मद में सुले हाय से सचं कर सकता है तथा वित्त कोठी (जो अन्य लोगों के पैसे से निर्मित हुई है) के द्वारा कम्पनी की प्रतिभतियों को, सभावी आवेदकों को घाटे म रखकर, अभिगोपित वर सकता है। उसी के अपन सान्ताहिक में मोटे कमीशन पर बहुत ही बर्चली रोति मे निर्गमन का विज्ञापन होता है, जिसको मध्य प्रनिया उस सप्ताह वितरित को जानी है, तथा अपने ही दलाली फर्म (Bucket Shop) से बढ़ावा पाकर प्रबन्धक पर्यात घन राशि पा सकता है, चाह कम्पनी या विनियोक्ताओं का कुछ भी हो। अपने देश में अभिगोपन सफल हो, इसके लिए हमें ऐसे लोगों से अवश्य सावधान होना चाहिए तथा सच्चे लोगों को प्रबत्तन और अभिगोपन के बार्य डाने को प्रेरित करना चाहिए।

**विनियोग बंक (Investment Bank)**—एक ऐसी सस्था का जिक्र किया जा सकता है जो समुद्र राज्य अमेरिका में विनियोक्ता तथा उद्योग के बीच वित्तीय मायस्य के स्प में महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह सस्था विनियोग बंक या अधिकोपक है, जो कम्पनी के प्रतिभूति प्रस्तवन (Security Offering) को अभिगोपित करता है, और इसप्रकार उन्हें पूजी बाजार के सम्पर्क म लाता है। प्रतिभूति दलाल जो हैसियत से विनियोग अधिकोपक दोहरे बार्य करते हैं। एक और तो वे समाज वा घन सोबै विनियोक्ताओं या मध्यस्य सस्थाओं के जरिये एकत्रित करते हैं, और दूसरो ओर, वे उनमे सम्पर्क स्थापित करते हैं जिन्हें ऐसी पूजी की आवश्यकता है, और इसकी धारा को आगाजनक सरगियों भ प्रवाहित करते हैं। इन्ही दलालों या मध्यगो द्वारा अमेरिकी बाजार मे मन्त्रित नयी पूजी प्रत्याभूत होती है। ये अधिकोपक बैल थोड़ व्यापारी वा या खेड़ा व्यापारी का बार्य कर सकते हैं या दोनों के कामोंको मिला भी सकते हैं। विनियोग अधिकोपकों के जरिये पूजी सचय वी सामान्य बार्य पढ़नि यह है जिस कम्पनी को दीवंबालीन विनियोग के निर्मित घन चाहिए, वह विनियोग अधिकोपण गृह के पास जानी है और अपनों आवश्यकताओं का बर्णन करती है। तब अधिकोपण गृह वित्तीय विवरण तथा कम्पनी के सामान्य इतिहास को जाच तथा विशेषज्ञों को महायाना से भवनों, उपकरणों तथा स्टाइल के मूल्यों तथा कम्पनी की आन्तरिक स्थिति की जानकारी प्राप्ति करता है; ऐसा करने का उद्देश्य प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की सुधानिमुक्त ढानबोन करना होता है। यदि अधिकोपक मनुष्ट है तो प्रतिभूति की प्रकृति, व्याज की दर, भुगतान तिथि तथा क्रय कीमत के निषेण हेतु बातदौन युह होती है। जब निर्गमन घरोंद लिया जाना है तब दूसरा बद्दम है इसे विनियोगों जनना के बोध वितरित करना। यदि निर्गमन बूहू, परिमाण वा है, तब ऐसी फर्म अन्य गृहों को इसलिए आमतित करेगों कि वे सम्पूर्ण निर्गमन के एक भाग को अभिगोपित करें। विनियोग अधिकोपक के द्वारा वित्त बार्य विस्तृत प्रचार तथा विदेशाओं को सहायता से जोर-शोर ने आंच बढ़ाया जाना है।

विनियोग अधिकोपक निर्गमन कम्पनी तथा विनियोक्ता दोनों की सेवा करता

है। कम्पनी की सहायता तो वह आवश्यक पूँजी प्राप्त करने की सर्वाधिक मदल व निरापद रिपि के प्रयत्न द्वारा करता है और विनियोक्ता की सहायता उन्हें निष्पट बोटिया की प्रतिभूतियों में बचावर भरता है। वह अपने ग्राहकों को परामर्श मध्यधी मण्डाए प्रदान करने का दायित्व भी अपने कानून लेता है। बहुत से गृह तो ग्राहकों की पूछताछ वा उनके दिन के उद्देश्य में अपने सास्थिरीय विभाग (Statistical Departments) की मध्याए उपलब्ध कराते हैं। ग्राहकों की उनकी प्रतिभूतियों के उचित वितरण पर परामर्श दिया जाता है, कर सम्बन्धी विषयों पर परामर्श दिया जाता है उन्हें यह सूचित दिया जाता है कि बन्ध पत्र कव निर्गमित दिये जाते हैं तथा आप वायद महुगरे वायदा में व्यव वदना चाहिए। कुछ गृह तो यहा तक बरते हैं कि व ग्राहकों की भूमि रखते हैं, तथा उनके बारे में कुछ कुछ समय बाद रिपोर्ट उपस्थित करते हैं। कभी-कभी एक होता है कि विनियोग अधिकोपव निर्गमक वस्त्रनी का मध्याल्क मडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं ताकि कम्पनी के द्वारा एक कार्य न दिया जाय जा अनावश्यक हृष में प्रतिभूतियाखातों की स्थिति कमजोर कर दे। य जपियापन समुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ही लाभदायक प्रयोजन की पूर्ति बर रह है और चूंकि उनके द्वारा लो गई प्रतिभूतियों का प्रतिभूति व विनियोग आशोग (Securities and Exchange Commission) के यहा पर्याप्त अनियाप्त है, अत उनके व्यापकों पर अच्छा नियन्त्रण रहता है। भारतवर्ष में ऐसी मस्तिश्चाओं की आवश्यकता है तथा यह आशा की जानी है कि चूंकि वाणिज्य वेक्त तथा वीमा कम्पनियों नियमित अभियापन कार्य नहीं करते, अत उपर्युक्त लाभप्रद कार्यों के मम्पादन के लिए उनकी स्थापना होगी।

**लोक निधेप (Public Deposits)**—बम्बई तथा अहमदाबाद तथा कुछ हद तक, शोलापुर की सूनी बस्त्र मिलों ने तथा बगाज व आसाम के चाय बागों ने लाइनिशेप के जरिये अपनी स्थायी पूँजी का मच्य दिया है, अर्थात् उन्होंने भी के सर्व-मापारण में नियरित अद्वित के लिए, प्राय मान भाल दे लिए, तिर्परित व्याज दर पर नियरेप स्वीकृत दिया है। १९३० के दिना में पजाव के मिट्टगुमरी कॉटन मिल ने ११ वर्ष के लिए स्थायी नियरेप दिये थे। लोक नियरेप न बेंवल उद्योगों के लिए, वस्त्रिक अन्य उद्योगों के लिए भी कार्यशील और विस्तार के काम आने वाली पूँजी का बहुत महत्वपूर्ण दोत रहे हैं। वायरशील पूँजी के लिए लोकनियरेप की अवधि ६ में १२ महीनों के लिए हानी है। लोक नियरेप के जरिये पूँजी मच्य की प्रणाली की कड़ी जालोचना की गयी है और मदेह नहीं कि इम प्रणाली म त्रुटिया है। संक्षिप्त इस सत्य में इनकार नहीं किया जा सकता कि व मध्यइ व अहमदाबाद की सूनी बस्त्र मिला वा अधिकतर विकास इसी प्रणाली के कारण हुआ है। लिम्लिमिन्ह लाइनिशेप में इन्ह वित्तीय स्रोतों की तुलना में लाइनिशेप की महत्ता वा ज्ञान ही जायगा।

१९३६ में विविध अभिकरणों का अपेक्षिक अश प्रदर्शित करने वाली तालिका

वर्णन	बम्बई		अहमदाबाद		शोलापुर	
	प्रधान संसदीय लाइन कुल	प्रति प्रति शत	प्रधान संसदीय लाइन कुल	प्रति प्रति शत	प्रधान संसदीय लाइन कुल	प्रति प्रति शत
प्रबन्ध अभिकर्ता	७६४	५९.७	३२९	३१.७	२१	१५.४
लोक निशेष	१२७	१०.२	५२९	५०.९	१५	११.०
वेक	११९	९.२	५८	५.६	२५	१८.४
धक ऋणपत्र	१३०	१३.५	—	—	४४	३२.४
अन्य	८९	७.१	१२३	११.८	३१	२२.८
कुल मोग	१२,५१	१००	१०३९	१००	१,२६	१००.

तालिका में दिये गये आकड़ों से यह पता चलता है कि उक्त अवधि में अहमदाबाद में लोकनिशेष उद्योग वित्त का अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। यह सभी श्रेणी में विचित की गई रकम से भी अधिक था। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में भी यह निशेष वहां वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत है। परन्तु उक्त आकड़ों से बम्बई में निशेष के महत्वपूर्ण कार्य वा पता नहीं लगता, जो १९२१ में पहले बहुत अधिक था। १९२१ के पश्चात के वर्षों में निशेषों को वापस कर दिया गया क्योंकि लोगों ने बम्बई की बाटन कम्पनियों के प्रति विश्वास स्रो दिया। सामान्य समय में क्रृष्ण प्राप्ति की इस विधि का लाभ यह है कि यह कम्पनियों को अश पूँजी की भाँति कम रखने और सस्ते दर पर क्रृष्ण प्राप्त करने में समर्थ रखती है, और इस प्रकार कम्पनियों द्वारा इस योग्य बनानी है कि वे उस समय की अपेक्षा जब मारी पूँजी अवृत्तों के में रूप में होती है, उन्हें दर से लाभान्वता दें। जहां तक कार्यशील पूँजी की आवश्यकता का प्रश्न है, यह प्रणाली मूली वस्त्र उद्योग के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। सरीद के मौसम में जब हर्ई की सरीद चलती है, निशेष छह महीने के लिए दिये जाने हैं और छह महीने बाद जब वर्षडे की बिनी हो जाती है तब वे लौटा दिये जाने हैं। उद्योग मुलभ घन लेता है और जब इसका मिलना दुलभ होने लगता है, तब इसकी आवश्यकता जाती रहती है। चूंकि उद्योगों को अधिकोपण सहायता की मुविद्याएँ अप्राप्य हैं, अतः इस प्रणाली ने भारतवर्ष में एवं वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति की है।

किन्तु यह प्रणाली मन्दी के समय, जब उद्योग की गति उतार पर होनी है, संकटपूर्ण है। ऐसे समय में जब उद्योग को अधिक धन की आवश्यकता है, निशेषकर्त्ताओं में आतक छा जाता है और वे अपने जमा की बाधिनी कर लेने हैं और इस प्रकार उस प्रणाली को उद्योग के लिए दुर्बलता व परेशानी का जरिया बना दते हैं। अत वित्त-पोषण की दृष्टि से इस प्रणाली की सूख के समय के मायी में तुलना की गई है। जब उद्योग विकासमें सूख है तब आवश्यकता में अधिक धन आ गिरता है। लेकिन मन्दी के समय यह स्थान सूख जाता है। औद्योगिक कर्म इस स्रोत पर निर्भर नहीं कर सकती क्योंकि मालूम नहीं कि कब निशेषों की बाधिनी कर ली जाय। अनीत में, व्यवसाय में सबदृ अभिकर्त्ताओं का हृभियत और माल इन निशेषों की प्राप्ति का बारण थी, लेकिन अब इन अभिकर्त्ताओं की माल की अवस्था बदल चुकी है और इसलिए पूँजी सचिव की इस विधि पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता।

### प्रबन्ध अभिकर्त्ता

भारतवर्ष में औद्योगिक व्यवसायों के प्रवर्तन, वित्तपोषण तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में प्रबन्ध अभिकर्त्ता कन्द्रीय आवर्ण रह है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रबन्ध अभिकर्त्ता अद्विनीय स्वायत्मक अभिकरण (Institutional Agency) है। उन्होंने न क्षेत्र स्थिर (Block) तथा कार्यशील पूँजी का प्रबन्ध किया है, अपितु इसे विभिन्न मानों म प्राप्त बरत म सामन का काम भी किया है। अनीत में उन्होंने भारतीय औद्योगिक उपकरों के विकास में निम्नालिखित प्रकार से बहुमूल्य सेवाएं की हैं औद्योगिक कम्पनियों का प्रबन्धन करके, स्वयं बृहत राजि में अन्न क्रय करके या यन्य प्रकार से अपन प्रभावों का उपयोग करके, ताकि उनके मिश्री, सम्बन्धियों व सामाजिक जनता के दीन अश्व प्रस्तुत किय जा सके। उन्हें अर्द्धन कम्पनियों की जब कर्भा भी अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता हुई है, तब उन्होंने इसकी पूति भी है। प्रत्यक्ष वित्त-पूति के अतिरिक्त प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं न झूल पत, वेवं झूल तथा लोक निशेष के रूप में घन आकृष्ट किया है। कम्पनी की प्रतिभूतियों को बाजार में प्रस्तुत बरत क द्वारा वे परिचमी देशों ने अभिगाप्तों या निर्गमन गृहों या यूरोप के औद्योगिक देशों के कार्यों का सम्पादन करने हैं और इस प्रकार विनियोक्ता तथा कम्पनी को एक दूसरे के सम्पर्क म लाने हैं। उदाहरणत अहमदाबाद मूरी दस्त मिलों की पूँजी का प्राप्त ६० प्रतिशत प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथ म है और ऐस उदाहरणों की भी कमी नहीं जिनमें कुछ जमा के ८५ से लेकर ९० प्रतिशत का स्वामित्व इन्हींने किया है। वस्तुइ में भी, वे बहुमध्य अश्वों के धारक हैं। उनक द्वारा प्रारम्भ में बहुत बड़ी सत्या में अशों का लिया जाना और फिर जनमाधारण के बीच उहे वेच देना बैमा ही कार्य है जैसा विनियोग के होने में ज़रूरी के औद्योगिक देशों के विकास वाले में या मन्दी के समय, जब वेकोंसे रहरदे नहीं मिल सकने और न जनना झूल तरीदती या निशेष जमा करती है, प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं न पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है।

यद्यपि प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आवश्यक पूँजी के प्रबन्ध द्वारा भारतीय उद्योग की महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं, फिर भी इस प्रणाली की

बहुनेरो श्रुटिया हैं। डाक्टर लोकनायन तीन प्रकार वे दोपों की ओर संकेत करते हैं, यथा (क) उद्योगों में औद्योगिक विचारों के प्रावन्य की अपक्षा वित्तीय विचारों (Financial Considerations) का प्राप्तान्य, (ख) वित्त के लिए प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर अतिशय निर्भरता (ग) उनके नियवण में स्थित बम्पनियों के अशों में अतिशय मट्टेवार्जे। इन श्रुटियों में इनके बरों में उनकी आवधि स्थिति में तथा नियों सम्बन्धि में हुआ होन भी जोड़ा जा सकता है। अब हम उद्योगों की प्रारम्भिक पूँजी का सवय बरत के लिए प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर निर्भर नहीं रह सकते। वर्तमान समय में अभिकर्ताओं की अमीम गिरावट से यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उनके लिए बम्पनियों को सहायता प्रदान करना उत्तरोत्तर एक कठिन काम होना जा रहा है। क्षितिय प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने जो दुष्कृत्य किये हैं, उनका भण्डाफोड़ हो चुका है और अब जनता में उम्म वर्ग के विरुद्ध बड़ा अविवास पैदा हो गया है। इन परिस्थितियों में भारतीय उद्योगों का वित्तरोपण पहले की अपेक्षा उन पर कम ढोड़ना चाहिए।

### सम्पुक्त स्कंद वंक

भारतीय उद्योगों की स्थिर व कार्यशाल पूँजी की पूर्ति के सम्बन्ध में वंकों की विवरता के बारे में कार्य कहा और लिखा जा चुका है। यह कहा जाता है कि न्हें जर्मनी के वंकों की तरह न तीन बम्पनियों के बरों ब अब पश्चिम के बड़ा उद्योग को बड़ावा ना चाहिए। लेकिन ऐसा कहने के समय लोग यह भूल जाते हैं कि १८४८-१८७० में, जब जर्मन वंक ये कार्य करने थे, वे विशुद्ध रूप में औद्योगिक वंक थे, तथा निःेप की प्राप्ति नहीं करते थे और जब गत शताब्दी के तीसरे चर में वे निःेप अभी बरने लगे तब "मिथिन वंक" हो गे, जिन्होंने पहले के विनियोग प्रन्यास के बारों को केवल ४३ वर्ष (१८७०-१९१३) की लघु अवधि के लिए निःेप व्यवसाय से समुक्त कर दिया।

प्रथम विश्व-युद्ध के समय तथा पश्चात् वंकों की यह इच्छा जानी रही कि वे दीपविधि के लिए एवं उत्पादन तथा उन्होंने उत्तरोत्तर नियमित वाणिज्य अधिकोपण पर ध्यान जमाना शुरू कर दिया। जब वे निःेप अधिकोपक बन गये हैं जो इगलैण्ड तथा भारतवर्ष के वंकों की तरह वाणिज्य वंकों के कार्य करते हैं। इन परिस्थितियों में औद्योगिक वित्त के सोन की हृसियत में जर्मन वंकों के उदाहरण का औचित्य जाता रहा है। चूंकि भारतीय सम्पुक्त स्कंद वंक निःेप वंक हैं और उनके दायित्व लघुकालीन दायित्व है, अन वे लघुकाल के लिए ही अधिम दे सकते हैं। वे अपने धन को दैनिककालीन शृण में नहीं फैसा सकते, क्योंकि इस बात की सभावना बर्नर हन्नी है कि वे मात्र पर या अधिम लघुकालीन सूचना देवर वापिस ले लिये जायेंगे। आस्तियों की तरलता बनाये रखने के हेतु भारतीय वंकों ने उद्योगों की स्थिर पूँजी आवश्यकता वित्तरोपण में बोई पोग नहीं दिया है।

प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् "औद्योगिक वंकों" की स्थापना द्वारा, जिनमें दाना इन्डस्ट्रियल वंक सबमें बड़ा था, दीर्घकालीन वित्तरोपण का अभक्त प्रयोग किया

है, यदि लाभाश नीति बहुत उदार न रखी जाय। मनितियों के निर्माण हेतु सचिति निधि ( Reserve Fund ) निर्मित करने की यह नीति व्यष्टि इकाइयों को भी बड़ी-नो-बड़ी भन्दा के हट्टै-नो-ट्रैड प्रभाव से बचाने में सहायता प्रदान कर सकती है। इसके विरोध, ये सचितिया व्यवसाय भवी के समय में, जब सामग्रिया सस्ती हो, अमर्की बहुलता हो तथा बेहतरी का कार्य व्यवसाय को तनिक भी बाधा पहुँचाये जिना सप्तादित हो सकता हो, विस्तार तथा बेहतरी के लिए बड़ी ही लाभपूर्ण रौति से प्रभुत की जा सकती है। पुनर्विनियोग की यह विधि सस्ती है तथा प्रबन्ध अभिवृत्ताओं द्वारा दिये जाने वाले वित की आवश्यकता खत्म करती है।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी, अर्जन से आवश्यकीय विकास तथा पुनर्गठन के निर्मित प्रभी सचय की प्रगाले, उस योजना से कही ज्यादा युक्तिमयत है, जिसके द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष व्यक्तियों की आय के रूप में बहुत लाभाश राशि का वितरण किया जाता है। दूसरे पथ के अनुसरण (यानी प्रथम वर्ष लाभाश के वितरण) से यह आशा की जाती है कि लोग प्राप्त आय को सचेत नहीं करेंगे, बल्कि विकास के हेतु तर्हा पूँजी का निर्माण करने के लिए विनियोजित करेंगे, हालांकि ऐसा मानना अतार्किक दिलाई पढ़ता है। उद्दोग की दृष्टि से उद्गत देशों में साक लक्षण दिलाई पढ़ते हैं कि श्रीदेवगिक विकास के लिए प्रभी के निर्मित आय में व्यक्तियों द्वारा बचत बरने की युगों से आर्ती पढ़ति पुरानी पड़ चुकी है। राज्य राष्ट्रीय बचत वीर राशि का न बेवल निर्वाचन करने की स्थिति में है बल्कि इसे विनियोग उद्योगों व मेवाओं के बीच वितरण करने की, स्थिति में भी हो सकता है। त्रिटिया तथा अमेरिकन कम्पनियों के निर्माण व विकास में अर्जन का पुनर्विनियोग एक बहुत बड़ा घटक रहा है। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दीखता कि यह पढ़ति भारतवर्ष के लिए लाभदायक क्यों न हो। बास्तविकता तो यह है कि यह पढ़ति हमारे देश के लिए, जहां पर्सोनल पूँजी निर्माण, तथा पूँजी निर्देशन की अविलम्ब तथा बड़ी आवश्यकता है, वह दाम वीर प्रमाणित होगी।

पुनर्विनियोग में कुछ नुटिया भी हैं और यदि इने सीमा में बाहर प्रभुत विद्या गया तो यह खतरनाक भी प्रमाणित हो सकता है। अत्यूत्तमाही सचालकों के रूप में पड़कर विनियोग, उद्योग में विनियोगाविक्षय का कारण हो सकता है, जिसने अतिविस्तार होगा जिसका एक अनिवार्य परिणाम होगा एकपक्षीय उपभोग (One-sided Consumption)। पुन वे अवधारी, जिनकी कमनी में, अलग-अलग, दिलचस्पी नहीं होती और जो सर्वदा बदला करते हैं, अविक से अधिक लाभाश लाते हैं। यदि सचालकों ने सचिति निर्माण की नीति अपनाकर, अपनाने ही सही, अशवारियों का यह दिव्यवाय दिला दिया है कि वे अशवारियों के हितों का विचार नहीं करते, तो इस बात का लक्ष्य है कि वही पूँजी सम्पूर्ण उद्योग की दृष्टि में असत्तुलित हो में न वितरित हो जाय। इसके विरोध, इस प्रणाली से अवधारी उन प्रबन्ध अभिवृत्ताओं के चगुन में निकल जायेंगे जो पुनर्विनियोग के लिए लाम में में कुछ राशि निकाल लेने पर अवधारियों के लिए जिनका धन बच रहता उसमें बहुत कम उनके लिए छोड़ने हैं। इसलिए यदि स्वयं-नियोजन की सावधान, निकिन साहसपूर्ण नीति का अनु-

सरण वित्र जाय तो भारतीय उद्योग प्रबन्ध अभिकर्ता से, जिन्हे अन्त में सतत हो ही जाना है, स्वतन्त्र आन्तरिक वित की प्रगतिशीली विकसित कर सकता है।

उद्योगों को राजकीय सहायता की आवश्यकता सभी जगहों में लोग बहुत दिनों में मानते आये हैं। किन्तु भारतवर्ष में एक विद्व मुद्दे ने सरकार को तटस्थित की नीति (Laissez faire) की नीट में जगाया तथा उसका यह मान्त विचार “कि देश के आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप इसके कल्याण के लिए हानिकारक है”, छुड़ाया। औद्योगिक आयोग ने, जो १९१६ में नियुक्त किया गया था, अन्य मिकारिसा के साथ यह सिफारिश भी कि राज्य को उद्योगों के वितरणमें नियन्त्रित कार्य करना चाहिए। आयाग न मुसाव दिया कि राज्य सहायता का यह रूप होना चाहिए : नयी सम्पन्नियों के लाभार्थ प्रत्याभूत करना, चालू सम्पन्नियों को ऋण प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों की प्रतिमूलियों—असा तथा ऋण पत्र, दोनों—का क्रय करना तथा उनके उत्पादन को खरीदने की गारंटी देना। यद्यपि मद्रास तथा उत्तर प्रदेश को मरकारों द्वारा राज्य भवायता के लिए कतिंच प्रयत्न किये गए, लेकिन राज्य सहायता के दुग का आरम्भ औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट के प्रवाश के बाद अनेक प्रान्तों द्वारा उद्योग राज्य सहायता अधिनियमों की स्वीकृति में हुआ। सर्वप्रथम मद्रास मरकार ने १९२२ में एक अधिनियम स्वीकृत किया, जिसका उद्देश्य या “इष्टीय तथा औद्योगिक वायं सम्पादन की सुविधा तथा मर्दानों की खरीद व उन्हें खड़ा करने के हेतु क्रप स्वीकृत करना।” उसी अधिनियम के अनुसूत १९२३ में “बिहार तथा उड़ीसा अधिनियम” स्वीकृत हुआ। दूसरे प्रान्तों में भी उद्योग राज्य सहायता अधिनियम स्वीकृत हुए और अगले दस वर्षों की अवधि में इनों प्रकार सभी प्रान्तों में तत्प्रबन्धी अधिनियम स्वीकृत हुए। इन अधिनियमों के अन्तर्गत पर्याप्त क्रृण दिये गये लेकिन परिणाम निराशाजनक हो रहा जिसके बारें कुछ लोगों को यह विश्वास हो गया कि उद्योगों को राज्य द्वारा सहायता दिये जाने का सिद्धान्त ही गलत है। लेकिन उद्योगों को सहायता को यह प्रगति इसलिए अमरकृत नहीं रही कि इनमें कुछ मोलिक अमर्गति रही थी, बल्कि यह मुख्यतः इसलिए असकृत रही कि इसका प्रयोग दोपूर्ण नहीं था। विभिन्न इवाइशनों के बजाय कुछ व्यवसायों को बड़े रकमों के क्रृपाद देने तथा क्रृपाद के प्रयोग देने में नोकरशाही विलम्ब के बारें बैसा निराशाजनक परिणाम हुआ। इसमें प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों की औद्योगिक नीति में समन्वय की कमी भी जोड़ी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़कर दोष या इस प्रकार के उपरोगी तथा कुशल यन्त्र की कमी, जो सरकारी रूपदे देने से पहले राज्य सहायता के लिए प्रार्थी उद्योग की ऋण-प्रौद्योगिकता का सावधान-पूर्वक तथा सम्पूर्णता के साथ अनुमान करे, तथा व्यवसायी कर्म की दृष्टि में इसकी दृढ़ता का मूल्यांकन करे।

### औद्योगिक वित निगम (Industrial Finance Corporation)

इन निराशाजनक परिणामों, तथा भारत में औद्योगिक वेको की अमरकृताओं एवं उद्योग के लिए राज्य सहायता को सफल बनाने की दृष्टि में सेव्हल वेकिंग इन्कावायरी

कमिटी ने प्रान्तीय ओद्योगिक कारखारेशन की स्थापना के लिए मिफारिस की थी, हालांकि वित्तिय जर्वस्याओं में जिल भारतीय ओद्योगिक निगम या (कारखारेशन) की भी समझ बताया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पहले तब टिप्पोटं की इन मिफारिसों के अनुकूल की आधंवाही नहीं की गई। युद्ध समाप्ति के बाद एक बार किर भारत में ओद्योगिक वित्त की समस्या पर लोगों का ध्यान केन्द्रित हुआ। इसी अवधि में द्वितीय विभिन्न दशा की सरकार उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के हतु विभिन्न सम्याओं का गठन करने लगे। यहां भारतवर्ष में युद्ध के पश्चात् युद्धवालीन उत्पादन को शान्तिकाल के लिए उत्पादन में परिवर्तन वरत, प्रतिस्थापन (Replacement) तथा मरम्मत के जरिय उद्योगों को पुनर संज्ञित करने तथा अनिष्ट हास्त्रा में उद्योगों के जावुनिर्वाचन तथा विस्तार (Modernisation and Extension) की विदेशी सरकार ने जिम काम को नहीं किया, उपर अपन दशा की सरकार मप्पादित करेगी। जन लोगों की आज्ञा की पूर्ति करने के लिए तथा उद्योगों की राज्य सहायता की विविध सम्मीलीयता का जनुभव करने हुए अन्तर्रिम राष्ट्रीय सरकार ने ६ नवम्बर १९४६ को बेंद्रीय विवास भारत में ओद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के लिए एक विवेक प्रस्तुत किया। १९४८ के आरम्भ में यह विवेक अन्तिम रूप में पाया हुआ और मार्च १९४८ में इस गवर्नर-जनरल की जनुमति मिल गयी, और ओद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, जिमका उद्देश्य भारतीय ओद्योगिक वित्त निगम की स्थापना थी, १ जुलाई, १९४८ में लागू हुआ। इस अधिनियम का अभिक्षम जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़कर भर्मूण भारत है।

अपने चार साल के कार्यकाल में इस निगम ने इस देश के ओद्योगिक विवास के लिए एक मष्य में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की। जब बाजार में पूर्णी प्राप्त वरता मुलभ नहीं था। देश के दृढ़तर ओद्योगिक विवास के हित की दृष्टि से मह आवश्यक समझा गया कि इस निगम का कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाय तथा इमर्जी स्थिति ऐसी हो कि यह अपन ममाधनों का, मस्थाओं में क्रृष्ण द्वारा, यथा पुनर्निर्माण, व विवास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development) के क्रृष्ण द्वारा, विस्तार कर गए। अब, ओद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में १९५२ में गवोपन किया गया। निम्नलिखित सदमों में निगम की वर्तमान स्थिति का, जैसी कि वह ३० जून १९५३ की थी और उसकी पचम वार्षिक रिपोर्ट में इन्लिखित है, विवरण किया जाएगा।

पूर्जी ढाँचा—निगम की अधिकृत पूर्जी १० करोड़ रुपये है जो ५००० रुपये वाले पूर्णत घोषित २०,००० बतों में विभाजित है। नम्भति १०,००० अरही, जिनका कुल मूल्य ५ करोड़ रुपया है, निर्गमित किये गये हैं तथा ये अध वर्द्धीय सरकार की आज्ञा न मष्य-ममय पर आवश्यकता तथा गुविनों के अनुमार निर्गमित किए जाएँग। पाच करोड़ रुपये (१०,००० अरह) की इस निर्गमित पूर्जी में केंद्रीय सरकार तथा

रिजर्व बैंक में से प्रत्येक ने १ करोड़ रुपये के २००० अशा, अनुमूलित (Scheduled) बैंकों ने सवा करोड़ रुपये के २,५०० अशा, बोमा कम्पनियों, विनियाग प्रन्यामा तथा अन्य वित्तीय मस्ताओं ने सवा करोड़ रुपये के २,५०० अशा तथा सहवारी बैंकों (Co-operative Banks) ने एक करोड़ रुपये के १,००० अशा खरीदे हैं। सहवारी बैंक जपन हिस्ने क पूरे अशा नहीं ले सके, अन अधिनियम की धारा ४ (५) के अनुनाम केन्द्रीय सरकार तभा रिजर्व बैंक ने ७९ अनावृटित अशा ले लिये। ३० जून १९५५ को अशा वितरण की स्थिति इस प्रकार थी —

	अशा गारी	लिए रुपये अशो की संख्या	राशि
(१)	केन्द्रीय सरकार	२,०००	१,००,००,०००
(२)	रिजर्व बैंक	२,०५४	१,०२,७०,०००
(३)	अनुमूलित बैंक	२,४०५	१,२०,२५,०००
(४)	बोमा कम्पनियों, विनियोग संचालन तथा अन्य वित्तीय मस्ता	२,५९६	१,२९,८०,०००
(५)	सहवारी बैंक	१४५	४३,२५,०००

अलग-अलग मस्ताओं के बीच अशो के वितरण के सम्बन्ध में यह उपदेश है कि कोई भी मस्ता अपने बाँ को सस्ताओं के लिए सुरक्षित अशो के १० प्रतिशत में अधिक नहीं ले सकता। अशा अदायारियों के उक्त बाँ के बीच ही हस्तान्तरणीय है, अन्य बोर्ड उन्हें नहीं ले सकता। निगम के पूजी ढाँचे की इस बात की कुछ क्षेत्रों में आलोचना की गयी है कि यह लोगों दो निगम के अशागारी बनने वा अवसर प्रदान नहीं करता। मैं अनुभव करता हूँ कि यह उचित दसा में उठाया गया कदम है क्योंकि लोक निगम (Public Corporation) के ढग की मस्ताओं के लिए व्यष्टि अशागारी न तो आवश्यक है और न बाधनीय ही, क्योंकि कुछ व्यष्टियों के समूइ के हाथ में इसका एकाधिकतम नहीं देना है। निगम के अशा मूलधन की वापिसी तथा वापिक लाभाश शोरन की दृष्टि में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत है। सम्प्रति लाभाश सवादो प्रतिशत की दर पर प्रत्याभूत है। लाभाश की अधिकतम दर ६ प्रतिशत है लेकिन इस दर से लाभाश वा शोरन तभी होगा जब प्रदत्त पूजी राशि के बराबर सचित निधि निर्मित हो चुकी हो और प्रत्याभूति के अन्तर्गत सरकार द्वारा चुकायी गयी रकम वी वापसी निगम के द्वारा हो चुकी हो। पालकम से जब सचित निधि अशा पूजी के बराबर हो जाएगी तब ५ प्रतिशत से अनेकिय लाभाश घोषित करने के बाद वची राशि बेट्रीय सरकार को देदी जाएगी। १९५३ का लाभ सवादो प्रतिशत के प्रत्याभूत व्याज के लिए पर्याप्त न हो अधिक या। अतः १९५३ का वर्ष प्रथम वर्ष या जब सरकारी कोष में हरवे नहीं लिये गये। पर १९५४ में सरकारी कोष में धन लेना पड़ा या और इस प्रकार ३० जून, १९५४ को समाप्त हुए वर्ष तक, प्रत्याभूत लाभाश देने के लिए

सरकार से ली गयी। राशि ३०,१५,४९० ह० २ आने ६ पाई थी। १९५५ में १,६९,५०९ ह० ४ आ० ५ पाई का सारा कुल लाभ वरा वे लिए रख दिया गया था। इसलिए १९५५ में भी सरकार को प्रत्याभूत लाभादा की सारी राशि ११,१५,००० रुपये देनी पड़ी।

अशा जी के अतिरिक्त, निगम बन्ध पत्र तथा कृष्ण पत्र भी निर्गमित कर सकता है, तथा सर्वसाधारण से निषेप स्वीकृत कर सकता है, जो निषेप तिथि से पाँच वर्ष की अधिक के पहले शोध्य नहीं है। किंमी भी समय इन निषेपों की कुल रकम १० करोड़ रुपये तक सीमित कर दी गयी है। १९४९ के जून के अन्त तक निगम वे द्वारा स्वीकृत कुल कठाओं की राशि ३,४२,२५,००० रुपये थी और चूंकि निगम नी प्रदत्त पाँजी ५ करोड़ रुपये ही थी, अत निगम की बधायन निर्गमन द्वारा अपने नसाधनों को अधिक दढ़ बनाना पड़ा। १९४९-५० में निगम ने साढ़े सात करोड़ रुपये के भूल्य के १९६४ में शोध्य ३। प्रतिशत के बध पत्र निर्गमित किये जिन्हे केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा २१ के अन्तर्गत मूलधन तथा व्याज शोधन के सम्बन्ध में प्रत्याभूत किया है। ३० जून, १९५५ को बशोधित कुर्त बन्ध पत्रों की राशि ७,८०,५०,००० रुपये थी। अभी तक लोक निषेप नहीं आमत्रित किये गये हैं। सशोधन अधिनियम १९५२ निगम को यह अधिकार देता है कि वह विश्व बैंक (World Bank) से विदेशी चलार्य में अग्रणी याचना वरे तथा यह केन्द्रीय सरकार को ऐसे अहग को प्रत्याभूत बरते की शक्ति प्रदान करता है। ३० जून १९५५ का निगम पर ऐसा कोई कहन नहीं था। निगम रिजर्व बैंक से भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की ऐसी प्रतिभूतिया की जमानत पर, जो माग पर या १० दिनों की अवधि के उपरान्त शाख्य हा, रुग्ण ले सकता है। यह रिजर्व बैंक से अपने बन्धपत्रों तथा क्रांतगपत्रों की जमानत पर अहग प्राप्त कर सकता है जो १८ महीने के भीतर शाख्य है, बशर्ते कि इस प्रकार के नह्न की कुल रकम तीन करोड़ रुपये में अधिक न हो। १९५५ में कुल २९ लाख रुपये की राशि रिजर्व बैंक में उधार ली गयी थी, और प्रतिभूति के स्पष्ट में निगम के १९५६ में परिष्कृत (mature) होने वाले, २॥ बरोड रुपये के अक्षित मूल्य के ३॥ प्रतिशत के बधपत्र रख गये थे। यह सारा कृष्ण ३० जून, १९५५ तक चुका दिया गया था। निगम वे वित्तीय दावे को और सबल बनाने के लिए उसे यह बनुजा प्राप्त है कि रिजर्व बैंक में परामर्श के बाद, यह अपने कोष की अनुमूलित बैंकों या राज्य महावारी बैंक में रखे। एइ विसेप मन्त्रित निधि वा निर्माण किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा धारित अगो पर देव यारे लाभादा उस समय तक जमा होने रहेंगे जब तक यह राशि ५० लाख रुपये में अधिक न हो जाए।

**प्रबन्ध**—निगम के कार्य व व्यवसाय के भीमान्य अधीक्षण तथा निर्देशन का भार सचालक मडल को भीप दिया गया है जो एक कार्यकारिणी समिति तथा प्रबन्ध सचालक की सहायता में उन सारे अधिकारों का प्रयाग तथा कार्यों का सम्पादन कर सकती है, जिन्हे निगम वर सकता है। अपने कृत्यों (functions) का पालन करने समय सचालक मडल व्यावसायिक मिद्दान्त के अनुसार आचरण करेगा तथा

व्यापार, उद्योग एवं सर्वसामाजिक के हितों का उचित स्थाल रखेगा। किन्तु वृत्त्य पालन में नीति के प्रस्तो पर मडल उन हितों पर चलेगा जो इने केन्द्रीय सरकार में प्राप्त हों। यदि मडल इन हितों का पालन करने में असमर्थ रहा तो यह जधिकार (Superseded) हो सकता है (धारा ६)। मडल के ४ सचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा मनानीति किये गये हैं, २ मचालक रिजर्व बैंक के केन्द्रीय मडल द्वारा मनानीति है, तथा २ मचालक अनुमूलिक बैंकों द्वारा, २ सचालक बीमा कम्पनियों आदि द्वारा और दो मचालक सहकारी बैंकों द्वारा चुने गये हैं। मडल तथा उप-प्रबन्ध मचालक की नियमिति पर विचार करने के बाद प्रबन्ध मचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।

**नियम का क्षेत्र**—नियम सामाजिक लोक मीमित कम्पनियों या सहकारी ममितियों द्वारा, न कि निर्जी नीमित कम्पनियों या साक्षेत्रीय या व्यापियों द्वारा, बड़े पैमाने के निर्जी उपशम को वित्तीय महायता प्रदान करता है। इसमें यह भी अपेक्षा नहीं की जाती कि यह राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों को वित्तीय महायता प्रदान करेगा। लघुभारत उद्योगों की महायता प्रदान करने के लिए कई राज्यों ने समक्ष राज्य नियमों की स्थापना की है। ऐसी भी व्यवस्था है कि सहायता प्राप्त करने के लिए व्यवसाय अनिवार्यत भारतवर्ष में पर्याप्ति हो तथा नियमित या मालों के निर्माण या स्थान या विद्युत के उत्पादन या विनरण या शक्ति के किसी अन्य रूप या जहाजरानी में महान हो। लेकिन १९५३ में इसने लोक कम्पनियों द्वारा मचालित लघु औद्योगिक व्यवसायियों में रुग्णार्थ प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार किया, उत्तरणार्थ, इसने एक लघु रमद्रव्य कारखाने (कैमिकल बक्स) को ५०,००० रुपये रुग्ण प्रदान किया।

नियम को निम्नलिखित प्रकार के व्यवसायों के सचालन तथा सम्पादन करने का अधिकार प्राप्त है—

(१) औद्योगिक व्यवसायों द्वारा लिये गये उन रुग्णों को प्रथानुसृत करना जो ऐसी अवधि के अन्तर्गत थोक्य हैं जो १५ वर्ष से अधिक नहीं हो, तथा जो सुलै बाजार में किये गये हैं।

(२) औद्योगिक कम्पनियों द्वारा नियमित स्वचंद्रों, अगो, बन्ध पत्रों, या रुग्ण पत्रों को अनियोन्दित करना, लेकिन ऐसी प्रतिमूलियों को ६ वर्षों के अन्तर्गत यापित कर देना अनिवार्य है। पर यदि केन्द्रीय सरकार ने समझ बढ़ा दिया हो तो यह अनिवार्य नहीं।

(३) रुग्ण व अद्यिनों को प्रत्यानुसृत करना या औद्योगिक कम्पनियों के उन रुग्ण पत्रों में जमिदान करना जो ३५ वर्षों के अन्तर्गत थोक्य हों।

(४) केन्द्रीय भरकार के नियमित और उसके अनुमोदन में विकास तथा पुनर्निर्माण के अन्तर्गत ट्रस्ट बैंक (International Bank of Development and Reconstruction) के नियमित कम्पनियों को उनके द्वारा

स्वीकृत ऋण के विषय में अभिकर्ता का काम करना।

(५) बेन्द्रीय सरकार में धन उपार लेना।

(६) अपन पास जाहित (Pledged) या वक्तित (Mortgaged) सम्पति पट्ट पर देना।

(१) तथा (३) के अन्तर्गत वह ऋण तब तक नहीं द सकता जब तक वह ऋण पर्याप्त आवान, व बड़, उपाधान या सरकारा प्रतिभूतियों, स्टाक, या अशो के अभिहस्ताकन द्वारा प्रत्याभूत न हो या ऋण पत्र, माना चारी, चल या अचल सम्पत्ति या जन्य मूर्त आस्तिया द्वारा प्रत्याभूत न हो। दूसरे शब्दों में, मूर्त आस्तियों द्वारा प्रत्याभूत किये जाने पर ही निगम ऋण द नक्ता है या उसे प्रत्याभूत कर सकता है। यह भी व्यवस्था की गयी है कि हिमा एक ओद्यागिक व्यवसाय से निगम एसा अनुबन्ध नहीं कर सकता जिसक द्वारा वह अपनी प्रदत्त पूँजी क १० प्रतिशत से अधिक ऋण दे, ऐसा विसी भी हालत भ १ बरोड में अधिक का ऋण यह नहीं द सकता। सहायता प्राप्त व्यवसाय पर निगम विसी भी प्रबार की शर्त, जिस वह आवश्यक समझता हो, टाल सकता है। ऐसी शर्त में सहायता-प्राप्त व्यवसाय के भवालक मटल में सचालक की नियुक्ति भी शामिल है। वह सहायता-प्राप्त व्यवसाय को अपने हाथ में ले सकता है यदि वह ऋण शोधन म चूक करता है। यह ऐसे व्यवसाय में अपना भवालक भी नियुक्त कर सकता है। १९५३ में एक कम्पनी की व्यवस्था निगम ने अपने हाथ म ली। १९५३ और १९५५ म निगम ने चार और कम्पनियों को, जिन्होंने ऋण लिया था और जिनका कार्य अमिगोप-जनक सिद्ध हुआ था, अपने बच्चे में लिया। इस यह भी अधिकार प्राप्त है कि यह ऋण का शाध करन वाल ऋणी क विहृद काररवाई कर तथा नियत तिथि के पहले ऋण शोधन की मांग करे। जहां तक प्रतिभूतियों को अभिगोपित करने का प्रदर्श है, निगम ने अभी तक यह कार्य नहीं किया है। इसका कारण घन बाजार तथा स्टाक एवमचेज की वर्तमान अवस्था है। किन्तु परिस्थिति के मुद्दरने पर तथा उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हो तो यह अभिगोपन कार्य भी करने की अभिलाप्त रखता है। निगम वे लिए (१) अधिनियम की व्यवस्था व अतिरिक्त नियम प्राप्त करना, तथा (२) लोकसीमित कम्पनियों के अशा में भी अभिदान करना नियिद्ध है।

उपर्युक्त वर्णन में यह निष्पर्य निकलता है कि निगम वधु ऋणदान (Mortgage Lending) को अभिगोपन व्यवसाय से मुक्त करता है। इस प्रकार, यह निर्गमन गृह के हन में कार्य करता है और सीमित दायित्व वाली कम्पनियों की प्रतिभूतियों के निर्गमा को अभिगोपित करता है, तथा ऋणदाता स्थान की हृतियत में भी कार्य करता है और दौर्बल्यालन ऋण प्रदान तथा प्रत्याभूत करता है। किन्तु यह धारण व्यवसाय नहीं कर सकता। आपकर अधिनियम वो दृष्टि में निगम कम्पनी ममझा जाना है, जिस अपने आप, लाभ तर्फ़ प्राप्ति (Gains) पर आपकर तथा अतिकर (Supertax) चुकाना पड़ता है। यदे यह देखना अभीष्ट हो कि राउद्र-नियन्त्रित तथा सहायता-प्राप्त मगढ़न विसी हूँ तक

निजी उपत्रम से तुलनीय हो मरता है, तब तो वान दसरी है, जन्यथा यह साक्षात् नहीं दिनाई दता कि यह व्यवस्था क्या की गई है। बर लगान की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्याकि सरकार न न्यूनतम लाभादा का प्रयामृत किया है और न्यूनतम लाभादा चुकान तथा नचिनि की व्यवस्था बरन के उपरान्त जा कुछ भी बच रहता है वह केवल सरकार को दे दिया जाता है। क्या यह वान है कि आधिक्य सर (Surplus clause) के बारें जिनका योग्यता समझ है, सरकार नुगनान के सम्बन्ध में उसके अधिक योग्यता चाहती है ?

निगम इस प्रकार कार्य करता है—उन प्रार्थी का जा भारतवर्ष में पर्याप्ति व सीमित कम्ती या सट्कारी समिति के अतिरिक्त अन्य न हो तथा जो निमित्ति या विधायन (Processing), सदाना (Mining) या विद्युत या अन्य शक्ति के उत्पादन तथा विनाश अथवा जटाजरानी के कार्य में मत्तम हो, निम्नलिखित के विषय में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होती है—प्रार्थी की कार्य परिवर्ति, प्रारंभ या प्रारम्भ की जान वाली परियोजनाएँ (Projects) उत्पादन माल को विर्ति, या विनाश की गुजाइश प्रार्थित छूट की राशि, दी गई प्रतिनूति की प्रकृति । इस स्वीकृत बरन में निगम निम्नलिखित कमीटी प्रस्तुत करता है—

१ उद्योग की राष्ट्रीय महत्ता ।

२ प्रदन्व का अनुभव तथा क्षमता ।

३ योजना की साध्यता ।

४ गुण या कार्यालयों की दृष्टि ने कम्ती के उत्पादन को प्राप्त स्थानि ।

५ कम्ती के समाजनों की तुलना में योजना की द्वात ।

६ प्रस्तुत प्रतिनूति तथा अंग के माय इमवा अनुमान ।

७ क्या स्वीकृत सहायता कम्ती के दमता तथा मुक्तिधा में कार्य समादन में सहायता प्रदान करेगी ?

८ क्या उद्योग वैमाता नहीं है जिसका उत्पादन देश की आवश्यकताओं से अतिरिक्त है ?

९ क्या कम्ती के पास पर्याप्त प्राविधिक वर्भवारी है ?

१० क्या वर्ती तक कच्ची सामग्री कम्ती को पर्याप्त मिलनी रहेगी ।

निगम अपने अक्षमता द्वारा फैक्टरियों के कार्य का निरोग्यन करवाता है, और उनमें यह अरेशा को जानी है कि वे कम्ती, जो पुनर्ज्वल देखना, आस्तिन के मूल्याकृत, इनके उत्पादन के लिए चाजार, आदि, पर रिपोर्ट दा । यदि चाहता औद्योगिक व्यवसाय प्रबन्ध मन्त्रालय को उपस्थिति में निगम के परामरणदानामा के साथ अपनी योजनाओं के विवेचन के लिए अपने विशेषज्ञों को भेज सकत है । इस बात का पता लगाने के लिए कि जो योजना प्राविधिक स्पष्ट से साध्य है, वह वित्तीय दृष्टि से भी दृढ़ है या नहीं, कम्ती की भूमि, भवन, मर्गीन, तथा कार्यशाल प्रज्ञों सम्बन्धी । आवश्यकता की आयोग पालन परीक्षा को जानो है । बहुत ऐसा होना है कि लगान में कमी करने तथा योजना को उपन बरन के लिए रद्दावदल वा मुद्राव दिया जाता है ।

फरवरी १९५२ तक, निगम द्वारा लिये जाने वाले व्याज की दर ५%। प्रतिशत थी जिसमें आधा प्रतिशत उस हालत में छूट दी जाती थी जब व्याज और मूल की किशने निर्धारित तिथियों पर चुका दी जाय। इस प्रकार वास्तविक व्याज दर ५ प्रतिशत ही थी लेकिन अहं प्राप्त बरने के व्यय में कृदि के कारण निगम को बाध्य होकर १९५२ में व्याज दर ६ प्रतिशत तथा १९५३ में ६%। प्रतिशत कर देनी पड़ी लेकिन निर्धारित समय पर भुगतान के लिए छूट आधा प्रतिशत ही रही। अहो व्याज दर और छूट की दर आज भी है। ये दर व्यापारिक दरों में पर्याप्त बंध हैं तथा अन्य अहंदायकों की दरों से और भी बंध हैं। यह पद्धति अहं-प्रति निर्गमन से भी बंध रही रही है, क्योंकि उसमें अहं-प्रति निर्गमन कर्मान्वयन, दलाली तथा अहं-प्रति प्रन्यास के अन्तर्गत प्रन्यामी व्यय पड़ते हैं। निगम प्राप्त कर्मनी के स्थिर आस्तियों के प्रथम वधन पर अग्रिम देता है जिसका प्रावधिक उद्देश्य स्थिर आस्तियों की प्राप्ति होता है। नियमत यह स्टार, कच्ची सामग्री तथा निर्मित माल के उपाधान (Hypotheccation) पर कार्यशील पूँजी के लिए अग्रिम नहीं देता। निगम के रूपाल में कार्यशील पूँजी के लिए अग्रिम देना व्यापारिक बैंकों वा कार्यशील पूँजी की व्यवस्था बरने के प्रश्न पर उन बैंकों से प्रतिद्वंद्विता नहीं बरना चाहता। लेकिन धन बाजार की रुकाई और परिणामत बैंकों से कार्यशील पूँजी के लिए अहं प्राप्ति की दृष्टि से बम्पनियों की अयोग्यता बींदखने हुए निगम न अपनी बठोर नीति का उल्लंघन किया थे और १९५०-५१ में इसने उन औद्योगिक व्यवसायों को भी, जो अहं प्राप्त बर चुके थे, तथा नये प्राप्तियों को, कार्यशील पूँजी के निमित्त वित्तीय सहायता दी। सचालन व्यय के लिये अहं नहीं देने के सम्बन्ध में निगम की भाग्यन्य नीति की बड़ी आलोचना की गई थी। सामान्य नीति में की गई यह दिलाई आलोचकों की मांग को बहुत कुछ पूरा करती है।

यह सुनिश्चित करने के निमित्त कि जिन औद्योगिक कर्मनियों को सहायता प्रदान की गयी है, उनकी व्यवस्था उचित रोत्या होती है, तिगम ने इस बात को आवश्यक बना दिया है कि गचालवया अभिकर्त्ता फर्म के साझेदार दिये गये अहं को नियों तौर स प्रत्याभूत कर, प्रत्याभूत गमुक्त तथा पुर्यक होगी। निगम यह अविकार अपने लिए सुरक्षित रखता है कि यह इस आशाम में दा सचालक नियुक्त बरे कि सचालन दुद्धिमानी में हो तथा निगम के हित की रखा हो। अहं योधन की अवधि किमी गपुकन कर्मनी की भवित्व की भाग्यनाओं तथा व्यवसाय की प्रदृष्टि पर निर्भर करती है। साचारणतया यह अवधि १२ वर्ष से अधिक नहीं होती, और अब तक यह अवधि १५ वर्ष तक अनुज्ञान हुई है। अधिकाद बम्पनिया इसी अवधि में अहं वा भुगतान बर देने को आशा रखती है। यह भुगतान किसी में होता है, जो वार्षिक या विमी अप क्रमिक विधि में हो सकती है। निगम के नाम बदल रखी जाने वाली सम्पत्तियों का पूर्ण मूल्य पर अग्नि, दग, जानदार सक्षोभ (Civil Commotion) आदि जोगिमों के लिए स्थान बीमा कर्मनियों द्वारा आगोंपित किया जाना आवश्यक है। अहं की स्वीकृति के पश्चात् निगम समय-मूल्य पर यह पता लगाने के लिए निरीक्षण की व्यवस्था बरता है कि अहं उनी उद्देश्य के लिए खर्च किया जा रहा है, जिसके लिए

यह दिया गया था।

ओद्योगिक वित्त निगम (मशोधन) विधेयक १९५२, पर वाइ-विवाद के समय निगम पर पश्चात तथा अनुचिन भेदभाव (Undue Discrimination) का दोष भी मढ़ा गया था। एक जात समिति भी नियुक्त की गयी, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जिसने मई १९५३ में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पर भारत सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, जो दिसम्बर में संसद में प्रस्तुत किया गया था, जात समिति ने निगम को लगभग सब दोषों से मुक्त कर दिया। इस समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ यह भी सिफारिश की थी कि निगम का अध्यक्ष इसका सारे समय का पदस्थ होना चाहिए। इसके अनुसार, सर श्रीराम ने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने श्री पी० मो० भट्टाचार्य को, जो रेलवे के वित्तीय आयुक्त थे, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया और वही भी इसके अध्यक्ष है।

### - प्रार्थना-पत्रों का यापन दिखाने वाली तालिका

१ जुलाई, १९४८ से ३० जून, १९५५ तक

	१ जुलाई १९५४ से ३० जून १९५५	१ जुलाई १९५३ से ३० जून १९४४	१ जुलाई १९४८ से ३० जून १९५३
	संख्या परे हजारों में	संख्या परे हजारों में	संख्या परे हजार
प्रार्थना पत्र प्राप्त	४६। ११,२७,००	४३ ९,००,७०	३३३ ३०,१२,०३
„ स्वीकृत	२७ ७,३४,००	२९ ५,२७,०५	१०८ १५,४६,७०
„ अस्वीकृत	१८ २,९३,२५	२७ २,२१,००	१४८ १२,२२,४६
„ वर्ष के अत में विचाराधीन	७ ३४,००	१७ ५,११,२५	१३६ १५,७३,२९
„ जो व्यपकत या वापिस लिये गये माने गये	११ ८,५०,००	११ १,२२,११	२७ ५,१४,४०

इस निगम ने ३० जून १९५५ को भारतीय उद्योग को अपिन की जाने वाली सेवाओं के सात वर्ष पूरे किये। इस काल में देश की जो योद्धिक स्थिति रही, उसमें व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के द्वारा वित्तीय माप अधिक रही और धन कम रहा और विशेषकर दोवार्षिक विनियोग में ऐसे बात रही। जहाँ तक ऋण प्रदान का प्रश्न है, वाणिज्यिक वेत्तों ने सावधानों की नीति का अनुसरण जारी रखा। स्वन्द वाजार में कुछ भी सुधार नहीं हुआ, तथा ओद्योगिक फर्मों, दीर्घकालीन और लघुकालीन आवश्यकताओं के लिए रुपये मच्च बरना कठिन हो गया; और पूँजी निर्माण की

गति बहुत ही थी, नी रही और बचतों का मूल्य इतना अपर्याप्त रहा कि यह तत्वम्बन्धी माला की पूति नहीं बर मिका। इस परिस्थिति की पृष्ठभूमि में, निगम ने जपनी जिन्दगी के सात दर्शनों में विभिन्न उद्घोगों को जो वित्तीय सहायता प्रदान की, वह सब मिलावर, जैमा कि पिछले पृष्ठ पर दी गयी तालिका में प्रकट होता है, पर्याप्त ही वही जा सकते हैं।

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि पिछले सात वर्षों में प्राप्त प्रार्थना-पता का किस प्रकार यापन (Disposal) हुआ।

### स्वीकृत ऋण और अग्रिम दिखाने वाली तालिकाएं

क—उद्घोगवार

क्रम संख्या	उद्घोग का प्ररूप	३० जून १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में स्वीकृत	३० जून १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष तक स्वीकृत	रोग
		रुपये हजारों में	रुपये हजारों में	
१	टैक्सटाइल भवीने	—	६४,००	६४,००
२	यात्रिक इंजीनियरिंग	—	७३,००	७३,००
३	विद्युत "	७५०	१,२९,२०	१,३६,७०
४	सूती वस्त्र	१,०४,५०	३,०७,२५	४,११,७५
५	झौनी वस्त्र	—	३५,००	३५००
६	रेयन उद्घोग	६०,००	५०,००	१,१०,००
७	रसद्रव्य	३७,५०	२,४३,७५	२,८१,२५
८	सीमेट	८०,००	२,३५,००	३,१५,००
९	चीनी मिट्टी तथा बाच	१०,५०	१,३५,००	१,४५,५०
१०	तेल मिलें	—	६५०	६,५०
११	विद्युत शक्ति	—	४२,७५	४२,७५
१२	अलोह घातुएं	—	३५००	३५००
१३	लोहा व इस्पात	११,००	१,१२,५०	१,२३,५०
१४	जलमीनियम	—	५०,००	५०,००
१५	चीनी	२,३८,००	२,०५,५०	४,४३,५०
१६	खनिज उद्घोग	—	३७,००	३७,००
१७	कामज उद्घोग	१,०७,५०	२०४,००	३,११,५०
१८	आँटोमोबाइल, आदि	६२,५०	५०,००	१,१२,१०
१९	अवर्गीकृत	१५,००	५८,३०	७३,३०

रोग

७,३४,००

२०,७३,७५

२८,०७,७५

## ख—राज्य-तथा-उद्योगवार

राज्य	उद्योग कम स्थान के अनुमारयमा तालिका 'क' में	कुल राशि ,००० ह०	नियमित संपत्ति	
			प्रति हजार	प्रति लाख
आमाम				
बन्दरवाड़ी	१, २, ३, ४, ६, ७, ९, १०, १२, १३, १५, १७, १८, १९	८, ९७, ९०	३८	
बिहार	३, ८, ९, ११, १३, १५, १७	२, ९०, ००	१०	
मध्य प्रदेश	४, ९	३९,७५	३	
पश्चाद	४, ६, ७, १३, १५	१, १०, ५०	७	
मद्रास	४, ७, ८, १३, १५, १९	२, ३२, ५०	८	
आद्य	४	४,००	१	
चडोना	४, ८, ११,	१,०४,००	३	
उत्तर प्रदेश	४, ७, १०, १५, १७, १९	१,३०,६०	११	
परिचार्या बगलूल	६, २, ३, ४, ७, ९, ११, १२, १३, १४	३, ८८, ५०	२०	
राजस्थान	३, ४, ६	७५,५०	३	
मीरापुर	५, ७, ८	१,४०,००	३	
मध्यभारत	१९	३५०	१	
ट्रावनकोर-कोचीन	३, ४, ७, ९, १७	१,१२,५०	६	
मैसूर	२, ३, ४, ९, १७, १९	१,२०,५०	८	
हैदराबाद	९, १६	६०००	२	
दिल्ली	४	२०,२०	१	
		योग	२८,०७,७५	१२५

यह मनोरजन और उच्चेष्ठनीय बात है कि १९५५ में प्रार्थित कर्णों की कुल राशि सब वर्षों में अधिक थी और प्रार्थितापत्रों की कुल सम्भापिते साल की स्थान के लगभग बराबर थी। निगम ने अपने जीवन में के मान वर्षों में जो महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, उसकी कुल राशि २८,०८ करोड़ रुपये है, जिसमें से १४,५३ करोड़ रुपये की राशि ३० जून, १९५५ तक दी जा चुकी थी। इस महापत्र के दिन बहुतेरे उद्योग जीवन न रह पाते, अब तो विनार तथा आवृन्तिकरण की योजनाएँ शुरू नहीं कर पाते।

दोष १३,५५ करोड़ का हिसाब इन प्रकार है : (१) ३,७८ करोड़ रुपये की राशि के क्षण स्वीकृत कर दिये गये थे, पर बाद में प्रार्थियों ने लेने में इनकार कर दिया; (२) १,१५ करोड़ रुपये की राशि के क्षण स्वीकृत कर दिये गये थे, पर बाद में गोक लिये गये; (३) ८,६२ करोड़ रुपये की राशि के क्षण स्वीकृत हो चुके हैं, पर अभी दिये नहीं गये। इस अनियम राशि में २,३ करोड़ रुपये की राशि वह है जिसके क्षण १९५५ के बारेल, मई और जून में स्वीकृत किये गये।

अधिकारी कर्णों (Borrowers) व्याज तथा किस्त नियमित रूप से

चुकाने रहे हैं। इस वर्ष म स्वीकृत प्रार्थनापत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से सम्बद्ध म जो विभिन्न राज्यों में स्थित थे, जैसा कि पीछे दी गयी तालिकाओं में प्रकट होता है।

### ३० जन १९५५ तक स्वीकृत अर्णों का वर्गीकरण दिखानेप्राप्ता विवरण

	क्रम संख्या	क्रम संख्या	राशि ,००० रुपये
अर्ण १० लाख पर से अधिक	८५	४७	२,६९,५५
,, १० लाख र. मे अधिक पर २० लाख से अनधिक	३८	३५	५,२८,४५
,, २० लाख र. से अधिक पर ३० लाख से अनधिक	१४	१४	३,६८,२५
,, ३० लाख र. मे अधिक पर ४० लाख से अनधिक	१०	९	३,३४,००
,, ४० लाख . मे अधिक पर ५० लाख से अनधिक	१३	९	४,३१,००
,, ५० लाख मे अधिक पर ६० लाख से अनधिक	१	२	१,१३,५०
,, ६० लाख र. मे अधिक पर ७० लाख से अनधिक	—	४	२,६३,००
,, ७० लाख र. मे अधिक पर ८० लाख से अनधिक	—	—	—
,, ८० लाख र. से अधिक पर ९० लाख से अनधिक	१	१	९,००,००
,, ९० लाख मे अधिक पर १ करोड़ मे अनधिक	२	३	३,००,००
,, १ करोड़ . अधिक पर १ करोड़ १० लाख से अनधिक	—	१	१,१०,००
योग	१६४	१२५	२८,०७,८५

निगम ने सहवारी समितियों का भी छूट दिये हैं, उदाहरण के लिए, १९५५ मे दक्षिण की दो ऐसी समितियों को चारों निर्माण के कारबाने बनाने के लिए छूट दिय गये। इनमे से प्रत्येक की पेराई क्षमता ( Crushing Capacity )  $800/1000$  टन गम्भा प्रतिदिन थी। उन्हे देने के लिए स्वीकृत छूट की राशि ८३ लाख रुपये था। इसन दक्षिण की एक और सहवारी समिति थी,  $800/850$  टन गम्भा प्रतिदिन की पेराई क्षमता वाले मोदुला ल्लाट के स्थान पर  $1000/1200$  टन क्षमता वाला नए ल्लाट लगाने के लिए ३६ लाख रुपये का एक और क्षुण दिया।

### राज्य वित्तीय निगम

#### ( State Financial Corporations )

चूंकि एक निगम मे पह अपक्षा नहीं की जा सकती कि वह भारतीय उद्योग की समूर्ध वित्तीय आवश्यकता पा वित्तीय बहन कर सके और चूंकि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उन्हीं वडे पेसाने के व्यवसायों को क्षुण देता है जिनका स्वामित्व लोकमीमित

कम्पनियाँ या महकारी मनियाँ करती हैं, अतः वह अवश्यक समझा गया है कि विभिन्न राज्यों में भी वैरे नियमों की स्थापना हो। राज्य वित्तीय नियम अधिनियम, १९५१ मनदू द्वारा सिनेम्बर में स्वीकृत हुआ और जब यह लागू हुआ तब इसने विभिन्न राज्य मरकारों को वह अधिकार दे दिया कि वे अपने राज्यों के लिए वित्तीय नियमों की स्थापना कर। जैसे यह आशा की जाती है कि ये राज्य नियम केन्द्रीय नियम के परिपुरक होंगे, तब उन्हें सर्वी प्रकार के बड़े व छोटे उद्योगों को जूला देने की अनुमति है, और विशेषता वे लघु, मध्यम तथा कुटीर उद्योगों को अप्रिय प्रदान करेंगे। राज्य तथा केन्द्रीय नियमों के कार्यभंगों को जलग-जलग करने के लिए महायनाप्राप्त उद्योगों के आकार बाट दिय गये हैं, और विन एव उद्योगों के मामलों में इन नियमों के बीच महजों भी उपरोक्तों मिल हुआ है। राज्य वित्तीय नियम अधिनियम का व्यवस्थाएँ औद्योगिक विन नियम की व्यवस्थाओं के सदृश हैं। स्थारह राज्यों, अयंत् मद्रास, उनर प्रदेश, आनाह, विहार, राजस्थान, पंजाब, मध्यभारत, मध्य प्रदेश और बम्बई में ऐसे

शुरू से ३० जून १९५५ तक नये और पुराने उपक्रमों के लिए

### स्वीकृत ऋण

को समाप्त होने वाले में सभ्या	नये उपक्रम १		पुराने उपक्रम		योग	
	प्रार्थना पत्रों की संख्या	राशि	प्रार्थना पत्रों की संख्या	राशि	प्रार्थना पत्रों की संख्या	राशि
	,००० रु.	मौजा	,००० रुपये	मौजा	,००० रु.	मौजा
३०-६-१९५७	१४	२,१५,७५	७	१,२६,५०	२१	३,४२,२५
३०-६-१९५०	८	१,६४,५०	१५	२,१२,५०	२३	३,७६,००
३०-६-१९५१	११	१,६५,४५	६	७३,५०	१३	२,३८,९५
३०-६-१९५२	१७	१,९३,५०	१६	२,५१,७५	३३	४,४५,२५
३०-६-१९५३	६	४३,५०	८	१,०१,३१	१४	१,४३,२५
३०-६-१९५४	१२	१,८९,३०	१७	३,३७,३५	२१	५,२३,०५
३०-६-१९५५	१८	५,५२,६०	९	१,८१,१०	२८	७,३४,००
योग	XX	१५,२५,५०	XX	१२,८५,२५	१६४	२८,०३,३५
	८८		३८			

१. नये उपक्रम : वे फैसलियाँ जिन्होंने १५ अगस्त १९५३ के बाद काम शुरू किया। XX में प्रार्थनात्व उत कूणों के बारे में है जो ६० कम्पनियों को दिये गये। XXX " " " " " " " " जो ६५ कम्पनियों को दिये गये। यिन्हें मात्र वर्गों में विन कम्पनियों को कूण दिये गये उनको कुल मौजा १२१।

निगमों की स्थापना हो चुकी है जिनका उद्देश्य है लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों की महायता प्रदात बरता। अगस्त १९५४ में रिजर्व बैंक के तत्कालीन में राज्य वित्तीय निगमों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में यह निश्चय किया गया था कि उन प्रारंभिक पक्षों को, जिनमें १० लाख रुपये, या राज्य वित्तीय निगम की प्रदृष्टि पूर्जी के १९ प्रतिशत, दोनों में जो कम हा उम, तक ऋण मांगा गया है, राज्य वित्तीय निगम द्वारा निपटाया जाए।

राज्य निगम की अधिकृत पूर्जी राज्य मरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसकी घूलतम तथा अधिकतम मीमांसा प्रमम ५० लाख रुपये ५ करोड़ रुपये होगी और जो राज्य सरकार के द्वारा नियन्त्रण, समान मूल्य के अंशों में विभाजित होगी। राज्य निगम के अंश (१) सम्बन्धित राज्य मरकार, (२) रिजर्व बैंक, (३) अनुमूलिक बैंक, दीप्ति कम्पनियां, विनियोग प्रबन्धाल, महकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय मस्थाएं तथा (४) अन्य पक्ष, अर्द्धपूर्ण समान अंशों के २५ प्रतिशत ले सकते हैं। राज्य मरकार अंशों को प्रत्याभत बरेगी।

बोई भी राज्य वित्तीय निगम रिजर्व बैंक में परामर्शदारों के उपरान्त अपनी कार्यशील पूर्जी बढ़ि के निमित्त वध पक्षों तथा ऋण पक्षों का निर्गमन तथा वित्तीय वर मनवता है, वहाँ कि इमका कुल दायित्व उच्च निर्गमन के पश्चात् प्रदत्त अंश पूर्जी तथा सचिवित में पात्र गुणों में अधिक न हो। इन ऋण पक्षों तथा वध पक्षों को राज्य मरकार प्रत्याभूत करेगी। ५ वर्षों में प्रतिदैय लोक निक्षेप, जो विभीं भी समय निगम की प्रदत्त पूर्जी में अधिक न हो, प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य वित्तीय निगम का प्रबन्ध उसी प्रकार होगा जिस प्रकार औद्योगिक वित्त निगम का। एक सचालक मडल, एक प्रबन्ध सचालक तथा एक कार्यपालक समिति (Executive Committee) होंगी। यदि चाहे तो निगम राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यालयों की स्थापना कर सकता है।

राज्य वित्तीय निगम का अभिधेन औद्योगिक वित्त निगम के अभिधेन में अधिक विस्तृत है क्योंकि यह विभीं भी औद्योगिक व्यवसाय को ऋण द सकता है। इसे निम्नलिखित में भी विभीं भी प्रकार का व्यवसाय या व्यवहार (Transaction) कर सकते का अधिकार है—

(क) औद्योगिक व्यवसायों द्वारा लिये गये ऋण को एमे निवधनों और अन्यों पर प्रत्याभूत करना जैसे तथा हो जाए, यदि वह ऋण २० वर्षों की अवधि के भीतर प्रतिदैय हो तथा कुछ वाजार में लिया गया हो ;

(ख) औद्योगिक व्यवसायों के स्वन्ध, अग, वध पक्ष या ऋण-पक्ष के निर्गमन को अभिधापित करना,

(ग) (क) व (ख) म वर्णन सेवाओं के लिए पहुँच तथा किया हुआ प्रतिक्रिया पाना,

(घ) अभियोगन दायित्व की पूर्ति के लिए इसे जो स्वन्ध, अग, वधपक्ष या ऋण-पक्ष लने पड़, उनकी आस्तिया अपने पाम रखना बड़े वि यह इन स्वन्धों, अंशों,

आदि, को जितना शीघ्र मम्बत हो, बैच डाले, परन्तु हर हालत म इन्ह प्राप्त करने के सात नाल के भीतर बच डाले।

(इ) औद्योगिक व्यवसाय को ऋण या जयिम प्रदान करना, या उनके ऋण पत्रों को अभिदान करना। यह धन जिम तिथि का दिया गया हा उम्त तिथि से २० साल क भीतर प्रतिदूष हांगा तथा

(च) जो कार्य इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्तव्य के पालन या अधिकार के प्रयोग के आनुपायिक या प्रामणिक हो, उनका सामान्य सम्पादन।

(ब) तथा (ख) के अन्तर्गत उस अवस्था मे ऋण नहीं दिया जा सकेगा, यदि वह ऋण बन्धव, आधान या उपाधान या सरकारी अयवा अन्य प्रतिभूतियों, स्वन्धों या अद्वा के अभिहस्ताक्षन या प्रत्याभूत ऋण पत्र, सोना-चांदी, चल या अचल सम्पत्ति या अन्य मूर्त आस्तियों द्वारा प्रत्याभूत न हो।

पर निगम परिमित दायित्व वाली विसी कम्पनी के अश या स्वध में सीधे धन नहीं लगा मज़ाक पर अभिगोपन के प्रयोजनों के लिए वह धन दे सकता है उसको अपने ही अद्वा वी प्रतिभूति पर ऋण या पेशागी देने की भी इजाजत नहीं है अन्य दृष्टियों से राज्य वित्तीय निगम और औद्योगिक वित्त निगम बहुत कुछ एक जैसे हैं।

उद्योगों को यह परोक्ष वित्तीय सहायता देने के अलावा, सरकार स्वामित्व में हिस्सा लेकर, जैसा कि जहाजरानी निगमों में है, और औद्योगिक मस्थाओं को ऋण देकर प्रत्यक्ष सहायता भी देनी है। १९५० में सरकार ने स्टील कारपोरेशन आफ बगाल को ३॥ करोड रुपये और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और भैंसूर आयरन एण्ड स्टील बड़े सं लिमिटेड को विस्तार और सुधार के लिये सहायता दी थी। १९५४ तक सरकार भारत में भारी उद्योगों को वित्तपोषित करने के लिए प्रचुर धन दे चुकी थी, उदाहरण के लिए, मैदानीनरी मैन्यूफैक्चरेस वारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, में ४॥ प्रतिशत अधिमान अद्वा के हप में २५ लाख रुपये, नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड में ४० लाख रुपये की समस्त पूजी तथा ७॥ लाख रुपये ऋण, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को २॥ करोड रुपये और भैंसूर आयरन एण्ड स्टील कर्म को १॥ करोड रुपये की राशिया ऋण के हप में दी गई है। वेन्ट्रीय सरकार ने मैदान टूल फैक्ट्री जलहन्ती को १ करोड ८० लाख रुपये अग्र पूजी के हप में दिए हैं और हिन्दुस्तान शिपियाँड की पूजी में २०८५ लाख रुपये दिए हैं और उसे ६० लाख रुपये ऋण भी दिये हैं। सरकार ने टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड में २ करोड रुपये के मूल्य के ५ प्रतिशत सचिवी अधिमान अग्र सरीदे हैं और सिल्वरी फॉटिलाइजन एण्ड कैमिकल लिमिटेड में सरकार ने २३ करोड रुपये लगाए हैं, जिसमें ६ करोड रुपये का ऋण भी शामिल है। विद्यालय-पठनम शिपिंग याँड सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है। देहानी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में और सस्ता वर्ज उपलब्ध कराने की दृष्टि से वायु यानायात के राष्ट्रीयकरण के बाद इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया वा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। जनवरी १९५६

में जीवन वीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिससे इसके धन वा उपयोग दूसरी पञ्चपर्याय योजना की कुछ आवश्यकताएं पूरी करने में किया जा सके।

### ओद्योगिक विकास निगम

मुख्यतः छोटे पंमाने और बड़े पंमाने के निजी उद्योगों के विकास के लिए विश्व बैंक के प्रतिनिधि-मडल द्वारा निर्धारित रूप में एक और ओद्योगिक प्रत्यय और नियोजन निगम (Industrial Credit and Investment Corporation of India "Limited") जनवरी १९५५ म २५ करोड़ रुपये की पूँजी से पंजीयित हुआ। निगम का लक्ष्य नए उद्योगों के प्रबन्धन को बढ़ावा देना भी जूद उद्योगों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा टैक्निकल और प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता देना है जिससे उत्पादन बढ़े और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है —

निगम ने शुरू में १०० रुपये वाले ५ लाख पूर्णतः शोधित साधारण अक्ष निर्गमित किये हैं जो निम्नलिखित प्रकार से लिये गये हैं

(१) वई भारतीय बैंक और दीमा कम्पनिया और कुछ सचालक तथा उनके मित्र ३२ लाख शेयर,

(२) अमरीका के कुछ नागरिक और निगम ५० हजार अक्ष,

(३) ब्रिटिश ईस्टिन एक्सचेंज बैंक और ब्रिटेन की तथा कामनवेल्ट के कुछ और देशों की वीमा कम्पनिया और अन्य ब्रिटिश कम्पनिया १ लाख अक्ष।

(४) दोष १॥ लाख अक्ष ओर जनता को प्रस्तुत किये गये हैं।

भारत सरकार ने कम्पनी को ७॥ करोड़ रुपये की राशि देना स्वीकार कर लिया है, जिस पर कोई व्याज नहीं होगा। यह राशि कम्पनी को धन मिलने की तिथि से १५ वर्ष बीत जाने के बाद से शुरू होने वाली १५ वर्षिक किस्तों में चुकाई जाएंगी। सरकार को एक सचालक नामजद करने वा अधिकार है जिस पर नम्बरवार निवृत्त होने की शर्त नहीं लागू होगी। विश्व बैंक ने कम्पनी को समय समय पर विभिन्न मुद्राओं में एक करोड़ डालर (५ करोड़ रुपये) की राशि उधार देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार निगम को १७॥ करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी मिल गई है। यह भी आसा है कि इस निगम के माध्यम से विदेशी पूँजी को ऊपरों के रूप में आने में मदद मिलेगी और कुछ ही समय में निगम के पास ५० करोड़ रुपये हो जाएंगे।

निगम के स्वामी दूर दूर तक फैले हुए हैं और इसके कार्यों और पूँजी नियोजन के अन्तर्गत छोटे बड़े सब तरह के बहुत सारे ओद्योगिक उपकरण आ जाएंगे। निगम दीर्घ-कालिक और मध्यकालिक क्रृष्ण देगा, अक्ष पूँजी महिला लेगा अशो और प्रतिभूतियों के नए निर्गम को अभिगोपित करेगा, अन्य निजी पूँजी लोता से लिए जाने वाले क्रृष्णों को प्रत्याभूत करेगा, धूमते हुए नियोजन द्वारा पुनर्नियोजन के लिए धन उपलब्ध कराएगा, प्रबन्धकीय टैक्नीकल और प्रशासनीय सलाह देगा तथा भारतीय उद्योग को प्रबन्धकीय टैक्नीकल तथा प्रशासनीय सहायता प्राप्त वरने में मदद करेगा।

निगम का आरम्भिक धन और वह धन जो उसके पास अवश्य आना है मामर्द्यं

और दूरदृष्टि से बाम में लगाया जाए तो वह देश म निजी पूजी बाजार के साधनों को भी बड़ा सकता है और भविष्य में उपलब्ध सरकारी तथा अर्थसरकारी सुविधाओं को भी बड़ा सकता है। इस निगम के कार्यों, बेन्द्रीय तथा राज्य औद्योगिक वित निगमों, निजी बाजार की स्थाप्ता, और औद्योगिक विकास निगम, जो भारत सरकार ने हाल में ही स्थापित किया है, के उचित समन्वय, द्वारा घरेलू पूजी को पहले से अधिक बड़े पैमाने पर इकट्ठा करना और भारतीय उदाग भ विदेशी पूजी के आगमन को बढ़ावा देना सम्भव होना चाहिए।

### अन्य वित्तीय संस्थाएं

कुछ अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं जो औद्योगिक व्यवसायों की वित्तीय आवश्यकताओं की परोक्षत पूर्ति करती हैं। वे हैं स्टाक एक्सचेंज या स्कन्ध विनियोग विनियोग प्रभ्यास, (जो प्रबन्ध प्रभ्यास, इकाई प्रभ्यास, अथवा स्थायी प्रभ्यास हो सकते हैं), विनियोग वर्मनिया तथा विनियोग मत्रण (Investment Counsel)।

**स्कन्ध विनियोग**—स्कन्ध विनियोग वह बाजार है जिसमें स्कंधा, अशो तथा अन्य दस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। परोक्षरूप से यह संस्था उद्योग वाणिज्य की नाड़ी, बम से बम एक बड़ी नाड़ी, पूजी, की व्यवस्था करती है। यह परिवर्तन या स्ट्रेटेजी तथा विनियोग के लिए पूजी का साधन है। बाजार उन प्रनिभूतियों के लिए, जिन पर धन लगाया जाता है, सुलै बाजार की व्यवस्था करने के सिलसिल में स्वध विनियोग या स्टाक एक्सचेंज धन का आइप्ट करता है तथा उसे ऐसे स्थान पर लाता है जहा अन्यथा वह नहीं आता। अधिकांश लोग सर्वोत्कृष्ट प्रतिभूतियों के विनियोग भ भी अपने धन का त्याग नहीं करते, यदि उन्हें यह विद्वास नहीं होना कि जावद्यवता पड़ने पर प्रनिभूति को खुले बाजार में बेचकर रूपये बापस आ जायगे। जिस प्रकार की व्यवस्था स्वध विनियोग करता है। अत स्कन्ध विनियोग पूजी को गतिशील बनाता है। यदि यह स्वध विनियोग न होना तो सरकार के लिए कृष्ण प्राप्त करना न ठिन हो जाता, और बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय व्यापारिक तथा औद्योगिक योजनाएं, पूजी का मुलभ प्रवाह न होने के कारण, मृतप्राप्त हो जाती। स्कन्ध विनियोग का मुख्य काम है विनियोग के निमित तरलता ( Liquidity ) प्रदान करना तथा इसके जरिये विनियोग-योग्य कोष में बचत के स्रोत को प्रेरित करना और इस प्रकार पूजी-निमोन में सहायता प्रदान करना। यह कार्य तो दर्शता से सम्पादित किया जा सकता है, यदि कीमत के उत्तार-चढ़ाव का पराम (Range) आर्द्धिक घटक से निर्धारित होना हो। जुए के कारण और का कम्पन (कीमत का उत्तार-चढ़ाव) सच्चे विनियोक्ताओं को रोकना है और इन प्रकार बचत की धारा को विनियोग कोष में जाने से रोकना है। भारतीय स्टाक मार्केट पर जुए का चलन है जो पूजी निर्माण तथा विनियोग को अवहृद करता है। यह बात भी है कि हर विनियोक्ता के पास इतना ममय तथा जानकारी नहीं होनी कि वह उस प्रनिभूति की मफलना या दृढ़ना का, जिसमें वह अपना धन विनियुक्त करता है निर्णय कर सके। अन वह प्रनिभूतियों के नहत चुनाव की जोखिम में रहता है।

कम्पनियों के प्रबिवरणों में चाहे जिती भी सूचनाएँ दी हों, पर अविशेषज्ञ आदमी के निर्णय में गलिया रहेंगी ही। हो सकता है कि व्यवसाय से परिचित तथा अनुभवी दलाल भी निष्पक्ष निर्णय करने में समर्थ न हो। चूंकि वह स्वयं भी विनियोक्ता है, अत यह ही सकता है कि वह आशावाद तथा निराशावाद की लहरों से बचने सके और अपने ग्राहकों को दीर्घकालीन आधार पर निष्पक्ष राय न दें सके। एकाकी विनियोक्ता को न सिर्फ वैईमान शोपको से रक्षित करना अनिवार्य है, बल्कि उसे स्वयं अपने से भी बचाने के लिये कुछ करना चाहिए। इस उद्देश्य से विनियोग की दी विधिया बताई जाती है—(क) विनियोग मन्त्रणा, (Investment Counsel) तथा (ख) विनियोग प्रन्यास।

**विनियोग मन्त्रणा (Investment Counsels)**—विनियोग मन्त्रणा उन विशेषज्ञ तथा निष्पक्ष व्यक्तियों का फर्म होता है जो अपने विनियोग परामर्श उसी प्रकार देते हैं जिस प्रकार अपने-अपने थेट्रो में कालील, टावटर, लाग्न लेखपाल (Cost-accountants) और भवन निर्माता (Architect)। चूंकि ये स्वतन्त्र विनियोग परामर्शदाता विशेषज्ञ होते हैं, अन मे विनिदिष्ट प्रतिभूतिया तथा विनियोग प्रत्याय को प्रभावित करने वाली विभिन्न वाह्य दशाओं—दोनों का विस्तृत अध्ययन वर सकते हैं। वे व्यष्टि की विशेष वैयक्तिक परिस्थिति के आधार पर भी परामर्श दे सकते हैं। ऐसा कार्य इसलिए सम्भव होता है कि इसका व्यय तथा प्राप्त हीन वाले लाभ बहुत से विनियोग स्रातों में वितरित कर दिये जाते हैं। कोई गई सेवाओं के लिए तत्सम्बन्धी प्रकार का व्यय प्रारम्भिक शुल्क, स्थायी शुल्क (Retainer) तथा उस अवधि के, जिसके लिए यह प्रबन्ध किया गया है, वार्षिक कमीशन का रूप लेता है। विनियोक्ता प्राय अपनी प्रतिभूतियों को अपन पास रखता है और वह इस बात का अन्तिम निष्पत्ति होता है कि परामर्शदाता के हारा दिये गये परामर्श को कार्यान्वित करें या नहीं। यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत व्यवहार में लाई जानी है तथा भारतवर्ष में भी इसके प्रयोग का समर्थन किया जाता है। इस प्रकार की सेवा वा महत्व स्पष्ट है। पर इस योजना के समर्थक यह भानते हैं कि देश में वर्तमान स्थिति बनी रहेंगी तथा इस पेशे में लगे लोगों, जैसे स्वन्ध दलाल, जश विवेता, तथा इस प्रकार के लोगों ने प्रतिष्ठित तथा ऊंचे नाम रख कर अपना धन्धा कर रखा है। योग्य दलाल प्रतिभूतियों के प्रारम्भिक चुनाव में पर्याप्त सहायता वर सहते हैं, जैसा कि वास्तव में वे अपने धनी ग्राहकों के लिए करते हैं, लेकिन छोटे विनियोक्ताओं के लिए, जिनके सासाधन वैविध्यकरण की दृष्टि से बहुत अल्प होते हैं, ये दलाल मुद्रिकल से उपयागी मिठ रहते हैं। अमेरिका में भी, जहाँ प्रेषवर विनियोग परामर्श कार्य करते पर्याप्त समय बीत चुका है, ये छोटे खानों को स्वीकार करने में लापरवाही दिखती है। छोटे विनियोक्ता को, जिसके साक्षण तथा सहायता की वास्तविक आवश्यकता है, अपने दोषपूर्ण निर्णय पर ही निर्भर रहता होगा या ऐसे लोगों के पास जाना होगा जो विसी दायित्व के मानदण्ड या पेशे की नैतिकता के खूटे में बवे

नहीं होते। हो सकता है कि ऐसा कथन अपने देशवासिरों के चरित्र बल पर आधेप-सा हो लेकिन यह कहना पड़ना है कि अभी इस प्रकार विनियोग मन्त्रणा की स्थापना के लिए लोगों को अनुमति देने के लिए उत्तरवृत्त समय नहीं आया है। ऐसी मन्त्रणा की स्थापना को प्रो-माहन देने या उने अनुमति देने का अर्थ होगा कि हम लोग असावध न विनियोजना को बटाही में निकाल कर चूल्हे में झोक रहे हैं। कम से कम अभी तो हमें दूसरे सुझाव, विनियोग प्रन्यास, की ओर ध्यान देना चाहिए।

### विनियोग प्रन्यास

#### ( Investment Trusts )

विनियोग प्रन्यास एक व्यापक शब्द है जिसके अन्तर्गत विनियोग कम्पनियां जो अक्सर प्रबन्ध प्रन्यास कहलाती हैं, और सास प्रन्यास, जो इकाई प्रन्यास (Unit Trust) या निवन (Fixed Trusts) प्रन्यास के नाम से विस्थान हैं, आते हैं। किन्तु इस अन्तर की ओर ध्यान न देते हुए विनियोग प्रन्यासों की परिभाषा हम इस प्रकार कर मानते हैं कि ये वे वित्तीय सम्पाद हैं जो वैयक्तिक विनियोजना को, चाहे उसके साथन कितने भी कम बरो न हो, इस योग्य बनाने के उद्देश्य से गठित की जाती हैं कि वह एक ही विनियोग में वैविध्यकरण (Diversification) के लाभ प्राप्त कर सके। प्रन्यास का प्रबन्ध व्यवसाय है विभिन्न कोटि के स्कन्दों, जशों, तथा कर्गपत्रों में कोष का विनियोग। अन्य विनियोग प्रन्यास या या कम्पनी के पूँजी दायित्व, जो धृत आस्तियों में हिस्सेदारी को निरूपित करते हैं, छोटे विनियोजना को यह अवसर दते हैं कि उसका विनियोग जोखिम कई जगह बट जाए जो और अवस्थाओं में असम्भव होता। विनियोग प्रन्यास भवारी कम्पनियों (Holding Companies) से भिन्न है, क्योंकि सधारी कम्पनिया माधारणत एक या एक में अधिक चालू कम्पनियों पर प्रबन्ध सम्बन्धी नियन्त्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है लेकिन विनियोग प्रन्यास मिर्क विनियोग के रूप में प्रतिभूतिया खरीदने हैं। विनियोग प्रन्यास जोखिम को विभिन्न बगों की प्रतिभूतियों तथा विभिन्न उद्योगों व व्यापारों के बीच वितरित करते हैं और इस प्रकार अधिकोषण (वैक्सिंग) तथा बीमे के कुछ पहलुओं को अपनाते हैं। मुख्य रूप से विनियोग प्रन्यास, सगठन में यह विवरता होती है कि यह अशों या कर्ग पत्रों को सम्भावित विनियोजनाओं के हाथ बेचने के लिए निर्णीत करता है। जो कोष इस प्रकार एकत्रित होता है, उस कोष से प्रन्यास के सगठनकर्ता कम्पनियों को सास-सास प्रतिभूतिया खरीदने हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे इन प्रतिभूतियों को नियन्त्रण वे उद्देश्य से नहीं खरीदने बल्कि केवल विनियोग के उद्देश्य से खरीदते हैं। प्राप्त व्याज तथा लाभाश में से वे अपनी प्रतिभूति पर व्याज तथा लानाश चुकाते हैं। प्रन्यास की सकलता प्रबन्ध की योग्यता तथा आर्थिक जगत में सचालनों (डायरेक्टरों) की स्थाति व हैमियन पर निर्भर करती है। इसकी सकलता उन अक्सरों के, जो प्रतिभूतियों के चुनाव से भीवे सम्बद्ध होते हैं, चरित्रबल तथा बुद्धिमानी तथा विनियोगों के वैविध्यकरण की समस्या का सकल है।

तत्सम्बन्धी प्रतिभूतिया अनिवार्यत उसी समय खरीदनी पड़नी है जब बाजार अधिकतम तेजी पर हा।

विनियोग कम्पनी या प्रबन्ध प्रन्यास—नियत प्रन्यास के विपरीत यह वह प्रन्यास अब्रा कम्पनी होती है जो मचालकों को प्रतिभूतियों के मोलिक चुनाव तथा बाद मे उनम विनियाग के समय रहोवदल बरन की पर्याइ छूट देती है। इसमे प्रबन्ध एमी स्थिति म हाता है कि वह अपनो विनियोग सूची में ऐसी प्रतिभूतिया मौजूद रने जा आय तथा पूर्जी-वृद्धि (कैपिटल एप्रसियशन) दोनों की दृष्टि से उत्कृष्ट हो। प्रन्यास विविध गम्भीर म विभाजित अशा मे वित्तपोषित किया जाता है। इस प्रकार समुच्चयित वाय विभिन्न प्रतिभूतिया म विनियुक्त किया जाना है और विनियोग के रामय यह पुरानी भीख याद रखनी चाहिए कि सभ अडे एक ही टोकरों में हरगिज न रखो। चूंकि समय-समय पर प्रतिभूतियों का चुनाव बरना प्रबन्धरा वा काम है, इसलिए प्रबन्ध प्रन्यास को विवेकाधीन प्रन्यास (Discretionary Trust) भी कहा जाता है।

भारतीय विनियाग प्रन्यास या विनियोग कम्पनी (कस्तुत यह विनियोग कम्पनी ही होता है) प्रबन्धक या विवेकाधीन प्रकार की होती है तथा अन्य कम्पनिया की तरह, कम्पनी अनियम के अन्तर्गत नियमित की जाती है। इसे उम सवुक स्वयं कम्पनी के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है जा अपने अश व कठन पव गर्वमापारण के हाय बचती है और प्राप्त रकम को जन्य कम्पनियों के अशो व कठन पत्रों अथवा सरकारी प्रतिभूतियों, प्रन्यासी प्रतिभूतियों, विदेशी बन्ध-पत्रों तथा इसी प्रकार की प्रतिभूतियों मे विनियुक्त करती है। विनियोग तथा गोअरिंग (Gearing) मन्वन्धी निर्णय मचालक मडल द्वारा किये जाने हैं, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रचलित रीति से होता है तथा जिनकी स्थिति व दायित्व अन्य कम्पनिया क मचालकों के समान होन है। कम्पनी का पार्वद अन्तर्नियम (Articles of Association) सचालकों व प्रबन्धकों के अधिकारों य कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। काय का वास्तविक प्रशागन, मडल की एक दोषी मियति प्रबन्ध मचालक या प्रबन्धक या मचिव (Secretary) के हाय मे होता है, लेकिन इमर्जी अन्तिम रास पूरे मचालक-मडल के हाय मे होती है। प्रबलित रीति से लाभाश विनियन किया जाता है तथा चालू लाभ से नियमित की रखना होता है। विनियोग कम्पनी का उम कम्पनी के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण से काई तान्त्रुक नहीं रहना जिस कम्पनी मे इसने अपना कांव विनियुक्त किया है। कोण के विनियाग तथा पुनविनियोग का आशय के इन मदल विनियाग स्थिति का नियमित करना तथा बनाये रखना है। इसका दृष्टिकोण सिफ यह होता है कि विनियोग मूल्य यथार्थत कहा सदमे अधिक है। यह तो स्पष्ट ही है कि "प्रन्यास" एक घामक शब्द है जिसका यह अर्थ कभी नहीं लगाना चाहिए कि विनियोग प्रन्यास कम्पनी तथा इसके अश्वारियों के बीच प्रन्यासी माम्बन्ध है। यह केवल एक वित्तीय मस्ता है, चाहे इसे विनियोग प्रन्यास कहो, या विनियोग कम्पनी या प्रबन्ध प्रन्यास या विनियोग प्रन्यास कम्पनी, जिसके

सचालन का एकमात्र उद्देश्य अशधारियों का हित है।

चूंकि प्रतिभूतियों के चुनाव का अधिकार प्रबन्ध को दे दिया जाता है, अतः यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को यह कार्य सौंपा जाय, वे सदा चौकने तथा सावधान रहें। उन्हें न केवल अपने विशेष क्षेत्र में व्यापारी होना चाहिए, बल्कि उन्हें उमाही भी होना चाहिए, यद्यपि उनमें दृष्टिकोण की कट्टरता, उद्देश्य की सत्यता, चरित्र की भइता तथा धास्तविकता का स्वस्य परिज्ञान भी चाहनीय है। उन्हें अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि अशधारी उन्हें सदेह की दृष्टि से न देख, इसके विपरीत, उनके प्रति दृढ़ विश्वास की उत्पत्ति हो।

सर्वप्रथम, विनियोग कम्पनी को इकाई प्रन्यास के सामान्य लाभ—जैसे वैविध्यकरण, विशिष्ट ज्ञान, तथा सतत निरीक्षण प्राप्त होते हैं। द्विनीय, यह विनियोगता को अपनी पूँजी पर अधिक लाभ अर्जन करने में समर्थ करता है। यह लाभ अर्जन वैविध्य करके (या वहुविषय विनियोग), जो लाभों के अस्तियोगिता की पूर्ति करा देता है, तथा पूँजी योजन (Gearing) के योग्यतावान और अनुशारता से लाभादा वितरण की नीति के द्वारा निर्मित भवित्व के पुनर्विनियोग द्वारा सम्भव होता है। तृतीय, यह सभी प्रकार के लोगों को अपनी बचत निरापद तथा लाभप्रद सरणि में विनियुक्त करने की योग्यता प्रदान करता है और इस प्रकार ये विनियोग राष्ट्रोन्नति के कार्य में योग दे सकते हैं। यह मितव्ययिता तथा पूँजी की बचत (Conservation) को भी प्रोत्साहित करता है। चतुर्थ, विनियोग प्रन्यास का प्रबन्ध व्यय विष्वसित पूँजी के प्रबन्ध व्यय की अपेक्षा बही कम होता है क्योंकि हजारों व्यक्तियों के विनियोग का योड़े विशेषज्ञ लोग प्रबन्ध कर सकते हैं। पाचवा लाभ है यहाँ की बचत (Conservation) तथा लाभ के पुनर्विनियोग के कारण लाभादा की ऊंची दर। एवं और बहुत महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विनियोग प्रन्यास प्रजीवाद के इस स्वर्णिम नियम को लागू करती है, 'जो जोखिम उठाता है, वही नियत्रण करेगा,' क्योंकि अशधारियों की स्थिति उस कम्पनी में, जिसमें उनके अग्र होने हैं, बड़ी प्रबल होती है और इस तरह उनका नियत्रण भी होना है। इस सूचि में यह लाभ और जोड़ा जा सकता है कि विनियोग प्रन्यास साधारण विनियोगता को सट्टवाजी से दूर रखता है और दृढ़ कम्पनियों के अनुपात को बढ़ाता है।

विनियोग कम्पनी की सबसे बड़ी बुटि हो सकती है प्रबन्ध के निमित्त अनुपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव। यदि प्रबन्ध एसे व्यक्तियों के हाथ में है जिन में सच्चाई, सरक्षणशीलता (लाभादा वितरण के सुझाले से) (Conservation) प्रबोध ज्ञान, तथा कम्पनी के कल्पाग में सच्ची दिलचस्पी के गुणों को कमी हैं तो कम्पनी का मकाटप्रस्त होना निश्चित है। चूंकि प्रबन्ध को प्रतिभूतियों के चयन का मोलहो आने अधिकार दे दिया जाना है, इसलिए नियंत्रण सम्बन्धी भूलों का जालिम भी विद्यमान है।

सीमित प्रबन्ध प्रन्यास—नियत या इकाई प्रन्यास तथा प्रबन्ध प्रन्यास या

विनियोग कम्पनी एक दूसरे के ठीक विपरीत मार्ग का अनुसरण करते हैं। पहली अवस्था में तो प्रबन्ध को विविधिकार (Discretion) विलकुल नहीं होता और दूसरी अवस्था में प्रिनिभूतियों के चयन का पूरा निर्णयाधिकार होता है। इन परस्पर प्रतिकूल अवस्थाओं की टुर्बलेंटों को दूर करने के उद्देश्य से सीमित प्रबन्ध प्रन्यास के स्वभाव मार्ग निवाला गया है। इस प्रकार का प्रन्यास एक ओर तो नियत प्रन्यास की अनम्यता (Inflexibility) को दूर करता है और दूसरी ओर प्रबन्ध प्रन्यास के प्रबन्धाधिकारियों के विवेकाधीन अधिकार में बढ़ी बढ़ी बढ़ता है। दूसरे शब्दों में, अन्तर्नियमों के अनुसार या निरीक्षण पर आधित यह सीमित विवेकाधिकार (Discretion) देता है। इस विशेषता (या लक्षण) के कारण मीमित प्रबन्ध प्रन्यास को "नम्य" या "लोचदार" (Flexible) या पवर्तित (Supervised) प्रन्यास भी कहा जाता है।

### अवक्षयण (Depreciation) का वित्तपोषण

मीड महादय कहते हैं "मुप्रबन्धित व्यावसायिक उपकरण अपनी आय में से भीतिक आस्तिया के मूल्य में छोड़न या अवक्षयण के लिए व्यवस्था करते हैं।" अवक्षयण या छोड़न के लिए व्यवस्था करना व्यवसाय की निरापदता के लिए बड़ा महत्व को बताता है। लग्नि भारतवर्ष में, कम्पनी वित्त को बात चलने पर, इस पर बहुत बहुत ध्यान दिया जाना है। बन्स्टर अवक्षयण की परिभाषा इस प्रकार करता है, "घटते हुए मूल्य की छिया या अवस्था"। इस परिभाषा के अनुसार मूल्यों की सभी प्रकार की हृत्याकालिता को, चाहे वह समय के कारण है, या धिनार्द के कारण, उचित रखाव (Maintenance) की कमी के कारण है या असनर्थता, अपर्याप्तता, अप्रचलन (Obsolescence) के कारण, अवक्षयण, कहा जा सकता है, हालांकि रखावन की दृष्टि से किसी वस्तु का वही हास अवक्षयण है, जिसकी पूर्ति मरम्मत द्वारा नहीं की जा सकती और जिसने लिये पूर्ण नवकरण की आवश्यकता है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी कम्पनी के अधीन प्रत्येक औजार, भवन, मशीन या ढाँचे (जिनमें स्थायी ढाँचा अपवाद है) की जिन्दगी मीमित है और सभी जवायण के शिवार होते हैं, हालांकि अवक्षयण की गति पर सतत निगरानी तथा सख्तानी के जरिये रोक-थाम की जा सकती है। किसी मशीन के कार्यशील जीवन का अवभाव दूसरी मशीन के, जो उसी कार्य को सही तथा तेज रीति से कर सके, आविष्कार में भी हो सकता है। नवा आविष्कार या कला भवित्वरूप, एक या इसकी किसी सामग्री को अवक्षयण की दृष्टि से उग समव अभितव्ययी बना दे सकता है जब उसकी तुलना नहीं कोटि की मशीन से होती है जो विक्री तेज और सहज रूप से होती है। और, प्रतिवेदित, दूसरा कारण यह है कि एक प्रकार मशीनों का बेकाम हो जाना अप्रचलन (Obsolescence) के कारण अवक्षयण होता है क्योंकि तब बहुत तेजी के साथ नये नये मुदार होते हैं।

अतः अवक्षयण दो प्रवान बारकों के मिलने से बनता है—हास

( Deterioration ) तथा अप्रचलन ( Obsolescence ), और वे दोनों एक साथ नहीं चलने क्योंकि इनमें जो कार्यशील ( Operating ) घटक होता है, उसी के अनुमान इस पर विचार किया जाता है। एक प्रमाण ( Standard ) मर्यादित उपयोग की सामान्य गति 'से काम में लायी जाने पर ५० साल तक चल सकती है और इसके बाद उसकी मरम्मत लाभदायक नहीं सिद्ध होती। इसका अर्थ यह हुआ कि २ प्रतिशत वार्षिक की दर से अवक्षयण हुआ। किन्तु हो मतता है कि दो ही वर्षों के उपयोग के बाद यह अप्रचलित पड़ जाय यानी पुरानी हो जाय और तब अवक्षयण ५० प्रतिशत कार्यिक होगा। यह जावदशक्त ही है कि प्रतिस्थापन (रिप्लासमेंट) की व्यवस्था बीच-बीच में बरते जाना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो व्यवसाय पर एकाएक बड़ा बोझ पड़ जायगा और व्यवसाय इस बोझ से दबने वैठ जायगा। जब प्लाट नये होने हैं तब मरम्मत मामूली हल्की होती है और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती ही नहीं। ऐसे समय में प्रबन्धकों को भविष्य के लिये प्रतिस्थापन के निमित्त पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। लाभाश्वितरण में अनुदार होना तथा चालू अर्जन से सवित्रि निर्माण करने में उदार होना सुस्थित नीति है। यह मत्तिनि सुकरता में प्राप्त विनियोग में लगाकर अलग रखी जा सकती है और जहा उसका सर्वाधिक लाभप्रद उपयोग हो सके, वहाँ सामान्य आस्तियों में मिलाकर रखी जा सकती है। अवक्षयण प्रभार को चालू खाने में इस तरह विभाजित करना कि जब आस्ति को बेचा जाय तो उसका मौलिक मूल्य मिल जाय, एक सुस्थित नीति है, और इस बात का कोई महत्व नहीं कि प्रभाव का निवारण क्रजुरेखीय पद्धति ( Straightline Method ) में होता है या कमिक्स हास शेप पद्धति ( Reducing Balance Method ) या निङ्गेपनिधि पद्धति ( Sinking Fund Method ) या अन्य किसी पद्धति से, वशाने कि प्रभार को मात्रा लगभग ठीक हो और मूल्य की घटवड तथा अप्रचलन सम्बन्धी घटकों का, अतिरिक्त राशि के प्रयोग ( Appropriation ) द्वारा या बीमे के किसी रूप द्वारा स्थान रखा गया हो।

### लाभाश्व नीति

विनियोक्ताओं को विभों कमनी के अशो में अधिक में अधिक लाभ पाने में विशेष दिलचस्पी होती है, लेकिन वह से कम उतना तो उन्हें मिलता ही चाहिए जितना वे धन बाजार (मनी मार्केट) में अन्यत्र प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, एक सफल कमनी को अपने शुद्धलाभ का एक हिस्मा लाभाश्व के रूप में विनाशित करने की आवश्यकता समझने हुए भी स्थिर प्रभारों (Fixed charges) या वर, माड़, प्रर्गतित दायित्वों (Funded Obligations) पर व्याज चुकाने तथा आविष्य (Surplus) को बढ़ाने की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। यदि यह मान लिया जाय कि स्थार्या प्रभारों के चुकना हो जाने के बाद लाभाश्व तथा आधिक्षण के लिए लाभ की दोष मात्रा पर्याप्त है, तो इस दोष का लाभाश्व व आधिक्षण के बीच अभिभावन करना सचालू मड़ल

का काम है। लाभाश की दर तथा अधिक्षय में देव राशि को निर्धारित करना सचालको के विवेकाधीन है। कम्पनी के अफसर (Officers) वा अशाखारी लाभाश की दर को न तो बढ़ा सकते हैं और न घटा सकते हैं, और वे लाभाश कोधन की मांग भी नहीं कर सकते। यदि सचालको ने लाभाश वितरित करने का नियंत्रण किया हो तो इस बातों प्रतिबन्ध के बाद कि लाभाश पूजी से नहीं चुकाया जा सकता, तथा वह लाभ में ही चुकाया जा सकता है, सचालको को यह नियंत्रण करने का पूरान्मूरा अधिकार है कि लाभाश दिया जाना चाहिए या नहीं, यद्यपि यदि दिया जाए तो किस दर में। इस विवेकाधिकार के पश्चात् सचालको का यह कर्तव्य हो जाता है कि लाभाश की दर के नियांरण के समय वे अनुदारता से काम करें। लाभाश नीति के सम्बन्ध में निगम वित (Corporation Finance) के क्षतिपूर्ण मौलिक नियम हैं जिनका अनुसरण करना सचालको के लिए अनिवार्य है, यदि वे अपने व्यवसाय को बिनाश में बचाना चाहते हैं।

दर नियांरण के प्रारम्भ में, सचालक कम्पनी की नगदी या तरल आस्तियों पर ध्यान दें जिनमें से लाभाश लिया जा सकता है। फिर वे इन बातों की जाव बरेंगे कि निकट अविष्य में व्यवसाय की क्या सभावनाएँ हैं तथा अन्यों व कृष्ण पत्रों के विक्रय में कम्पनी नवीं रखना के नियमित किस हृद तक घन प्राप्त कर सकती हैं। इन बातों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि कम्पनी बहुत अधिक समृद्ध हो परन्तु व्यवसाय के द्वुत विकास की बजह से, जिसके कारण इसकी नवद आस्तिया (Cash Assets) प्राप्तव्य खानी तथा सामान आदि में फस गयी है, लाभ का योषा भी हिस्मा लाभाश के स्थैतिक में वितरित करने की स्थिति में न हो। इन परिस्थितियों में अन्यों व कृष्णपत्रों के विक्रय से घन-सचय के उपरान्त लाभाश घोषित किया जा सकता है। लेकिन यह उचित नहीं है और इसमें बचना चाहिए।

दूसरी चीज, जिस पर लाभाश दर नियांरण करने से पहले सच्चा तथा अनुदार सचालक भट्टल विचार करता है, ऐसी दर जो नियांरण है, जो अजन्म की मध्ये परिस्थितियों में कायम रखी जा सके। लाभाश की नियमितता अशाखारियों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें में कम से कम कुछ तो ऐसे जवाय हैं जो लाभाश को अपने अधिकों के जीवन-निर्वाह की दृष्टि से अपनी आय का स्थायी अन्य समझने हैं। सचालको को यह यत्न करना चाहिए कि इस प्रकार के अशाखारियों की आवश्यकताएँ स्थायी दर के लाभाश के जरिये, जिसमें कम से कम परिवर्तन हो, पूरी हो जाए। यह नियम होना चाहिए कि वृद्धि के अतिरिक्त, लाभाश की दर बदले नहीं और लाभाश की दर तभी बढ़ानी चाहिए जब सचालको को यह विकास हो जाए कि मानवीय सम्भाव्यता की परियि वे अन्तर्गत, युन इमे घटाना आवश्यक नहीं होगा। लाभाश अशाखारियों के लिए आय का स्थायी घोत तो है ही, मात्र-साथ यह उनके अशा के मूल्य में भी बढ़िया कर देता है। उदाहरणतः, उन अन्यों के मूल्य कम होंगे जिनके लाभाश ६, ६, २, २ और ४ के कम में हों, जिनका पाच चर्प का औसत ४ प्रतिशत हुआ, और उन अन्यों के मूल्य अधिक होंगे जिन पर प्रति अर्प ४ प्रतिशत की

दर में लाभाश मिलता हो। नियमित लाभाश वाले अपनी के विरुद्ध मूल्य अधिक होते हैं तथा सामारिंस्ट्रिक प्रतिमूलि (Collateral Security) के रूप में उनका मूल्य अधिक होता है। कम्पनी को भी लाभाश की स्थायी दर से लाभ होता है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी का मूल्य कच्चा और स्थायी हो जाता है। बैंक की दृष्टि में ऐसी कम्पनी की स्थायी बहुत कम्ही होती है तथा क्षणप्राप्ति अधिक सुलभ तथा सन्ती हो जाती है। जब लाभाश की दर स्थिर हो तथा चालू प्रतिमूलिता के मूल्य अधिक हों, तब नये अश व रुद्धि पर बैंक आसानी से निर्भयित किय जा सकते हैं। अतःइव, एक सफल कम्पनी सर्वदा न्यून दर से लिविन नियमित ढंग से लाभाश घोषित करेगी, ताकि निम्न अर्जन के समय लाभाश की दर कायम रखी जा सके। असाधारण समृद्धि के बर्पों में सचिति में ज्यादा रकम स्थानान्तरित की जानी चाहिए ताकि मदी के बर्पों में निर्वारित दर से लाभाश देन के लिए रकम प्राप्त हो सके। इम बान पर फिर बल देना उचित होगा कि कि लाभाश की दर अधिकतम समृद्धि के समय भी कम्पनी की न्यूनतम अर्जन शक्ति के अनुरूप निर्वारित दर से ऊपर नहीं उठने देनी चाहिए।

ऊपर लाभाश की नियमितता को बनाये रखने की बाढ़नीयता के सम्बन्ध में जो भी कुछ कहा गया है उमे थी मोड़<sup>१</sup> महोदय के शब्दों में सक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है: “स्वर्व पर वितरण दर की समता को बनाये रखने के लिए मन्तुलित कम्पनियों के मचालकों को निम्नलिखित नियमों पर चलना चाहिए।—

प्रथम, कार्यारम्भ करने के उपरान्त कार्यी अर्पें तक लाभाश विलकुल न देना।

द्वितीय, कम्पनी के व्यय खातों की ऐसी व्यवस्था बरना कि अनिश्चित लान में घटबढ़ कम मे कम हो।

तृतीय, किसी एक वर्ष में लाभाश के रूप में लाम का केवल कुछ हिस्सा ही देना।”

इस विवेचन की ममाप्ति में पहले यह कह देना उचित होगा कि जिस माल कम्पनी ने अमन्यवर्तन नहीं किया है, उन नाल लाभाश देना तथा उने पहले से एकत्रित जाविक्षण मे मे निकालना उचित नहीं है। यह आविक्षण ईमी अर्ये मे कम्पनी की स्थायी पूँजी है जिस अर्ये में स्वय पूँजी-स्वर्व्य। क्षणदाना भी सामान्यतः यह भमज्जने हैं कि यह (आविक्षण) स्थायी विनियोग को निष्पत्ति करता है। लाभाश देना न केवल कम्पनी के लाभ पर निर्भर होना चाहिए, प्रत्युत उमे कम्पनी की रोकड़ स्थिति पर भी निर्भर होना चाहिए। तभी वह सरकट मे बच्ची रह यस्ती है। क्योंकि थोड़ी भी कार्य-शोल पूँजी के बल पर बड़ी मात्रा में व्यवसाय करने की चेष्टा बरना वित्तीय आत्म-हृदया का द्रुतनम और निश्चिन मार्ग है। फिर भी, वे कम्पनिया, जो लाभ दीमने भाग ने लाभाश की धोपणा कर दीहों हैं, उनी मार्ग का अनुमरण बर्ली है और धोपित लाभाश देने पर उनकी कार्यशोल पूँजी बहुत कम रह जाती है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत दुदिमानों का राम्ना यही है कि लाभाश उन समय तक रोक रखा जाय,

जब तब इतनी नमश्री एकत्र न हो जाए जा व्यवसाय की जावश्यकता से अधिक हो। एक उदाहरण में यह बात साफ हो जाएगी। एक कम्पनी, जिसकी अशा पूँजी १०,००,००० रुपये की है, मूचित बरती है कि लाभाश के लिए प्राप्त शुद्ध लाभ ११,४६२ रुपये है और ३०,००० रुपये अर्थात् ३ प्रतिशत लाभाश घोषित बरती है और ६१,४६२ रुपये आविष्यक में डालने के लिए छाड़ दी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कम्पनी ने अनुदार लाभाश नीति का अनुसरण किया है। लेकिन चिट्ठे (Balance Sheet) का दखल में पता लगता है कि कम्पनी न बैंक में १,११,००० रुपये का प्रतिमूर्त अधिविकर्प (Secured overdraft) लिया है। हाथ में नगदी ६,००० रुपये से भी कम है तथा प्राप्त नगद और विपदो की राशि चालू दायित्वों में कम है। चिट्ठे पर दृष्टि डालने से ही यह बात भाव नाक हो जाती है कि लाभाश देना न ऐवल बुद्धिमानी से परे था, प्रत्युत यह शतप्रतिशत विचारहीन तथा मनव्यपूर्ण बार्य था। मचालकों के ऐसा मार्ग अनुसरण करने के कारण ये हा सकते हैं—अज्ञान (Ignorance), तत्वाल ममृदि का मिथ्या विश्वास कम्पना को स्कॉल बाजार में या कृषदाताओं की आड़ों में हैसियत प्रदान करने की इच्छा।

लाभाश देने के सम्बन्ध में काननी नियम—कम्पनी अधिनियम लाभाश देने के सम्बन्ध में कठिपय गोलिक मिदान्त प्रकृत बरता है और लाभाश घोषणा के समय इन नियमों को व्यान में रखना अनिवार्य है। कम्पनी अधिनियम तथा निर्णीत मुकदमों में नि भारित ये नियम या मिदान्त इम प्रकार है—

१ यदि बोई कम्पनी अपने अन्तनियमों द्वारा बैंका बरते के लिए अधिकृत हो तो, जहा कुछ अशों पर और अनों बी अरेका अधिक राशि प्रदत्त (Paid-up) हो वहा, प्रत्येक अश पर प्रदत्त राशि के अनुपात में लाभाश दे सकती है।

२ लाभाश अनिवार्यत लाभ में, न कि पूँजी से, होना चाहिए। पूँजी से लाभाश देना नेरनानी है क्योंकि इसका वर्त प्रदत्त पूँजी में बढ़तीरी बरता हुआ। यदि पार्वद मीमानियम (मेमोरेंडम) में भी तत्सम्बन्धी अधिकार दिने गये हों, तो भी वह नेरनानी है क्योंकि ऐसा करना कम्पनी अधिनियम ने अभिव्यक्तत निपिढ़ बर दिया है। पर लाभाश उस नियम में से दिया जा सकता है जो बेन्द्रीय या राज्य सरकारों ने लाभाश की प्रत्याभूति के अनपालन में इस प्रयोजन के लिए दी हो।

३ जो मचालक पूँजी से लाभाश देने के जिम्मेदार है उन पर प्रथमदृष्ट्या (Prima Facie) सामूहिक दद्या वैष्विक रूप में वह रकम खोलने का दायित्व है।

४ लाभाश सिर्फ पर्जीयत धारक नहीं, या उसके आदेशानुसार, या उसके बैंकों की, या (वाहक अगों की अवस्था में) अश अधिष्ठ के वाहक को या उसके बैंकों की शावित दिया जा सकता है। जो मचालक कम्पनी के अशों की मूल्यनृदि वे उद्देश्य से मिथ्या (Fictitious) लाभाश की घोषणा के जिम्मेदार हैं, उन पर पद्धन

वा दृढ़तीरुप जमिनाग चल सकता है।

५. जट्टों कम्पनी ने लाभाग शोभित कर दिया है पर घोमणा की तिथि से बीते लाभ के भीतर शोभित नहीं किया है या लाभाग अधिरक्त डाइरेक्टर में नहीं डाला है वहाँ मंचालक प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव और को-प्राप्तकर्ता, प्रबन्ध अभिकरण कर्म के या सचिवों और को-प्राप्तकर्तों की पर्याम के साम्राजी, प्रबन्ध अभिकरण परिमित कम्पनी के संचालक या सचिवों और को-प्राप्तकर्तों की परिमित कम्पनी के मंचालक जो जानते हैं इस चूक (default) में हिस्तेशार हानि जुमनी के अविरक्त सात दिन तक के मात्र कारबाह में दृढ़तीरुप हो सकते हैं। इसके अनुवाद मिक्के ये हैं (i) जहाँ किसी कानून के बारें में लाभाग शोभित नहा किया जा सकता, (ii) जहाँ शोभन के बारे में अग्रारी को हिस्तेशार पालन के अद्योग्य है, (iii) जहाँ लाभाग पर अधिकार के बारे में विवाद है, (iv) जहाँ मह कम्पनी को किसी आवश्यकता (claim) को चुकाने में लक्ष्य हो जाता है, (v) जहाँ कम्पनी का दोष नहीं या।

इन नियमों से वह नियंत्रण के लिये किसी न किसी प्रकार का लाभ उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन यह नियन्त्रण करने में कि किस प्रकार का लाभ विनरण योग्य है, मंचालकों को जनिवार्दन यह स्वाल रखना चाहिए कि पूर्जी में या उपार लोगों रक्तने लाभ नहीं दिया जाता है। स्पिर आमिनियों की हानि या अवश्यगता, लाभाग के हित प्राप्त लाभ पर कोई असर नहीं पड़ता पौर न यह जावद है कि स्पिर पूर्जी की हानि या अवश्यगत की पूर्ति जामदारी में मैं हो। पर किसी अवश्यित विदेश में लाभ का नियन्त्रण करने में चक्रमाला पूर्जी (सर्केलेटिंग कंपिटल) का हिसाब लगाना चाहिए। यदि पूर्जी में कार्ड वृद्धि हो और वह नगद के हृष में मिल गयी हो तो उसे लाभ-हानि काने में साझा जा सकता है तथा तदनुसार उनका प्रयोग किया जा सकता है। अग्रों के नियंत्रण पर प्राप्त होने वाली प्रव्याप्ति (Premium) को भी लाभ माना जा सकता है और निठले लान में मैं जो रक्तमें अवश्यगत की मद में नियंत्रणी जाचुरी है उनको भी लाभ की तरह प्रयुक्त किया जानकार है बगते कि स्पिर आमिनियों के वाल्यादिक मूल्य में बहुत अवश्यगता है। व्यापति के साने में लान की जो रक्तम विकलित (Debited) जा नहीं है उसे भी लाभ की तरह अवश्यक है नियंत्रण आमिनियों में नियन्त्रित नहीं होती, वह कम्पनियों अपनी पूर्जी पठा लेती है और न्यायालय यह हट नहीं करता कि घटाना व्यर्थ है।

एस व्यवहार में होता यह है कि कम्पनियों मानवताग मुस्तिन व्यावसायिक मिलानों के जनुसार जाने लाभ का नियन्त्रण करती है, तथा पूर्जीकृत हानियों के लिए अवश्यगत किये जाने जाने उन सम्पूर्ण लाभ को, जिसे कानूनन वे बाट मक्कती है, लाभाग के बारे में विनियित नहीं करती। मानवताग, जहाँ पूर्जी की हानि हो चुकी है या कह विद्यमान आमिनियों में नियन्त्रित नहीं होती, वह कम्पनियों अपनी पूर्जी पठा लेती है और न्यायालय यह हट नहीं करता कि घटाना व्यर्थ है।

लाभों की पूर्जीकरण (Capitalisation of Profits) —जाने

अतिनियमों द्वारा अधिकृत होने पर कोई भी कम्पनी अपने लाभों का लाभाश के रूप में वितरण करने के बजाय पूँजीकरण कर सकती है। ऐसी अवस्था में, कम्पनी अपने अवितरित लाभों में लाभाश या "अधिलाभाश" ( Bonus ) की घोषणा करती है, और उसी समय उतनी ही स्थिति में नये अश निर्गमित करती है और तब उक्त घोषित लाभाश या अधिलाभाश को, जिनके अधिवारी अशधारी हैं, निर्गमित अशों पर देश पूर्ण राशि के शोधन में प्रदूक्त बरती है। पूँजीकरण का परिणाम यह होता है कि कम्पनी अपनी किसी भी आस्ति का त्याग नहीं करती तथा अपनी पूँजी बढ़ाने में समर्थ होती है और अशधारी अपना लाभाश अतिरिक्त अशों के रूप में, जिन्हे "अधिलाभाश अश" कहा जाता है, पाने हैं। अवितरित लाभों का पूँजीकरण सदस्यों के नाम पूर्णत प्रदत्त अशों का निर्गमन होता है और इम प्रकार पूँजीकृत राशि को लाभ-हानि खाने तथा सचिति लाने से, अधिलाभाश के जरिये, अश पूँजी में स्थानान्तरित वर दिया जाता है। बोनस ( या अधिलाभाश ) पहले सचिति में से दिया जाता है और किर नये निर्गमित किये गये अशों की कीमत के रूप में ले लिया जाता है, इसका कारण यह है कि सचिति में से, पूर्णत प्रदत्त अशों की कीमत मध्ये पूँजी में स्थानान्तरित वरने का अर्थ यह होगा कि कम्पनी अपने आपको ही घन दे रही है और यह कार्य अवैध है। ये अधिलाभाश अश आय नहीं हैं, बल्कि पूँजी हैं, अत इन पर अतिकर ( Surtax ) नहीं लग सकता।

### पुनर्गठन (Reorganisation)

### पुनर्निर्माण (Reconstruction) और समामेलन (Amalgamation)

पुनर्गठन, चाहे वह पुनर्निर्माण के रूप म हो और चाहे समामेलन के रूप में, उम मध्य सामान्यत आवश्यक हो जाता है, जब कोई कम्पनी अपने को परेशान अवस्था म पानी है, यथवा उमके गठन में कोई ऐसी बान है जो उमके सफल व्यवसाय-सम्पादन के प्रतिकूल है। हो सकता है कि इसका उद्देश्य खड़ इतना प्रतिबन्धित हो कि इसका अभीष्टित विस्तार मम्भद न हो, या वित्तीय मम्भावनों के समाप्त हो जाने के बारण, कम्पनी के सचालन के लिये अतिरिक्त पूँजी की व्यवस्था आवश्यक हो गयी हो। इन परिस्थितियों म भी पुनर्गठन आवश्यक हो सकता है ( १ ) पूर्णत प्रदत्त अशों के जरिये कम्पनी बाये की परिधि का विस्तार करने के लिये, बहुमस्वक अशधारी नयी पूँजी की अभिलाप्ता वर लेकिन जल्मस्वयक अशधारी और कुछ भी विनियोग करने को इच्छुक न हों। पुरानी कम्पनी की आस्तियों को खटीद लेने के लिए एक नयी कम्पनी की रक्तना होनी है और इसके अशधारी वे ही लोग होते हैं जो व्यवसाय में और अधिक बहने की इच्छा रखते हैं। ( २ ) कभी कभी कम्पनी वा अर्जन इतना अधिक होता है कि उनमें अश पूँजी पर अतिशय ऊंची दर में लाभाश मिलता प्रतीत होता है, और चूंकि सम्पूर्ण अधिकृत पूँजी निर्गमित की जा चुकी है, अत अर्जन की अतिशयता की इस प्रतीति को दूर करने के लिए, पूँजी को बढ़ाने के निषित पार्श्व अन्तर्नियमों को बदलने अवश्य नयी कम्पनी निर्मित करने के मिवाय और कीर्द चारा नहीं रह जाता।

कम्पनी के शुद्ध अर्जन की दृष्टि से, इस रास्ते के अवलम्बन का वास्तविक परिणाम कम्पनी वा न्यून प्रजीकरण होता है, अथवा इमका वास्तविक परिणाम अतिपूजीकरण के जरिये एकाधिकारीय अर्जन (Monopoly Earning) को चिरस्थायी बरना हो सकता है। सक्षप म, पुनर्गठन पूजी की नाममात्र वृद्धि की योजना का एक अग्र हो सकता है। सगठन अथवा पूजी साने के समायोजन (Adjustment) के लिए पुनर्गठन के इन कारणों के अतिरिक्त ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जो कम्पनी को पुनर्गठित होने को वाध्य करें। यह तब हो सकता है जब (३) कम्पनी “वाणिज्यिक दृष्टि से दिवालिया” हो, अर्थात्, इमकी चालू आस्तिया इतनी पर्याप्त न हो कि चालू दायित्व चुक्ता किये जा सक, हालांकि जैमें व्यवसाय विलकूल मुस्थित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होन पर प्रदायका (Creditors) से समझौते या किसी प्रकार की व्यवस्था (Arrangement) की आवश्यकता होनी है, तथा धारा ३१४ के अनुसार, कपनी का स्वच्छग्रहण समाप्त (Voluntary liquidation) न करने पुनर्गठन किया जा सकता है। प्रदायकों तथा अशाखारियों के हिनों के समायोजन से होने वाला पुनर्गठन कम्पनी को आखिर म दिवालिया होने से बचा सकता है। (५) कभी कभी अगाधारण व्यावसायिक दशाओं के कारण भी पुनर्गठन आवश्यक हो जाता है। हो सकता है कि व्यवसाय को अपना स्थायी प्रभार, जैमें कृष्ण पत्रों पर व्याज, कम बरना पड़े, जो नियत समय पर चुकाना पड़ता है, चाहे किये गये व्यवसाय की मात्रा कुछ भी हो। अतिशय व्यवसाय प्रभारों का सामान्य कारण कुव्यवस्था है, और इस बात की गमावना रहनी है कि औद्योगिक मर्दी क समय नकट आ जाए और तब, ऐसी स्थिति में या तो अशाखारियों को ऋणपत्रधारियों के हाथ में कम्पनी का स्वामिन्व देना पड़ता है, और या ऋणपत्रधारियों को ही कुछ रियायत कर देने को प्रेरित हाना पड़ता है, यथा कम व्याज वाली प्रतिभतियों को स्वीकृत बरना पड़ता है या दोनों हों कार्य घरने पड़ते हैं।

कम्पनी के पुनर्गठन का चहे जो कारण हो, पुनर्गठन समामेलन या पुनर्रचना के जरिये सम्पादिन होना है। समामेलन तत्वत दा या दो से अधिक कम्पनियों (Undertakings) का मिश्रण (Blending) है, तथा प्रत्येक मिलने वाली कम्पनी के अशाखारी उम कम्पनी के प्रमुख अशाखारी हो जाने हैं जो समामेलित कम्पनियों के अश धारण करती है। पुनर्रचना का अर्थ होता है इम उद्देश्य में पुरानी कम्पनी की आस्तियों का स्थानिता कि उन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्राय उभी प्रवार का व्यवसाय किया जाएगा। दोनों के बीच सारभूत अन्तर यह है कि समामेलन में दो या अधिक कम्पनियों के मिलकर एक हो जाने का सङ्केत मिलता है ऐसिन पुनर्रचना का अर्थ होता है वस्तुत उन्हीं लोगों के जरिये परिवर्तित स्वर में व्यवसाय का सम्पादिन किया जाना। अत, जहा 'क' तथा 'ख' व्यवसाय एक नयी कम्पनी 'ग' को हस्तान्तरित कर दिया जाता है, अथवा 'क' तथा 'ख' इस दर्जे पर संविलीन हो जाती है कि 'क' कम्पनी वे अशाखारी 'ख' कम्पनी के अशाखारी हों।

जायेगे, वहाँ समामेलन होता है। लेकिन जब किसी पुरानी कम्पनी 'स' की अस्तियों को खरीद लेने के उद्देश्य से 'ब' कम्पनी निर्मित होती है और पुरानी कम्पनी के सभी या लगभग सभी अशाधारी नयी कम्पनी के अशाधारी हो जाते हैं जो वही व्यवसाय करती है जो पुरानी कम्पनी करती थी, वहाँ पुनर्रचना होती है। पुनर्रचना या समामेलन के पाच रास्ते हैं, यथा

१ कम्पनी अधिनियम की धारा ४९३ (सदस्या द्वारा स्वेच्छया समाप्त) तथा ५०६ (प्रदायको द्वारा स्वेच्छया समाप्त) के अधीन आस्तियों के विनाय तथा हस्तातरण द्वारा।

२ पार्षद सीमानियम के अधीन विनाय, जिसके उपरान्त समाप्त हो जाता है।

३ विना समाप्त विय कम्पनी अधिनियम की धारा ३९१ के अधीन पार्यावाही (Proceedings) द्वारा।

४ धारा ३९४ तथा ३९५ के अधीन, दूसरी कम्पनी के हाय, सब या लगभग सब जगा की विनी।

५ केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रोय हित की दृष्टि से धारा ३९६ के अन्तेन।

धारा ४९३ या ५०६ के अधीन पुनर्रचना या समामेलन—जब सदस्यों या प्रदायकों के स्वेच्छया समाप्त के अनुसार, धारा ४९३ या धारा ५०६ के अधीन कम्पनी पुनर्रचना या समामेलन होता है, तब इस बास्य का एक विशेष प्रस्ताव स्वीकृत होता है कि कम्पनी की पुनर्रचना वाढ़नीय है, तथा कम्पनी का स्वेच्छया समाप्त कर दिया जाय। उसी प्रस्ताव के द्वारा अवसायक (Liquidator) की नियुक्ति हो जाती है तथा उसे यह अधिकार दिया जाता है कि वह एक विशिष्ट वरारक भर्ती दे मदी यदी शर्त के अनुसार पुरानी कम्पनी नयी कम्पनी को हस्तात-रित दे दे और बदल म, उदाहरण के लिए, नयी कम्पनी के पूर्णतः प्रदत्त या अशत प्रदत्त अदा पुरानी कम्पनी के अशाधारियों मे या जो उन्हें लेना चाहे उनमें वितरित कर दिये जायें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वित्री, कम्पनी के हाय या प्रस्तावित कम्पनी के अभिकर्ता के हाय होनी है, किसी व्यक्ति के हाय नहीं। वास्तविक वितरण का कार्य तो तदुपरान्त समाप्त के समय होता है। जब दो या दो से अधिक कम्पनियों अपने व्यवसाय को मधुकृत करना चाहती है, तब तत्सम्बन्धी कार्य अधिनियम की इन धाराओं के अधीन मिलकर विय जात है। कभी तो एमा होता है कि समामेलन एक नयी कम्पनी के पश्चायन द्वारा होता है जो चालू कम्पनियों के बनक व्यवसायों को खरीद लेती है, और कभी चालू कम्पनियों म स एक, अन्य कम्पनियों के व्यवसाय या व्यवसायों को खरीद लेनी है, लेकिन इसम पहले कि कम्पनी ऐमा करे, उसे अपने सुविधान द्वारा तत्सम्बन्धी अधिकार ज्यकत रूप मे होना चाहिए, क्योंकि अन्य कम्पनी की स्थाप्ति का क्षय करना कम्पनी के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता।

कठिपय अपवादों को छोड़कर, कम्पनी का कोई भी सदस्य विश्रप्तनक समामेलन तथा पुनर्रचना सम्बन्धी वियेप प्रस्ताव से असहमति प्रकट कर सकता है तथा अपने स्वहित का नकद मूल्य मांग सकता है। असहमति सदस्य को अनिवार्यत-

विसेश प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद मात्र दिनों के अन्दर, अपने विराप की लिखित मूचना अवमायक के नाम भेज देनी चाहिए जिसमें अवमायक म विशय प्रस्ताव को कार्यान्वित न करने परथा अमहमत सदस्य के स्वाहित का समझाते या दबायन द्वारा नियंत्रित मूल्य पर स्थरीद लेने की मांग की गयी हा। यदि अवमायक अमहमत सदस्य के अक्ष का स्थरीद लन वा निश्चय करता है तो कम्पनी के विषट्टन के पूर्व ही व्रय घन चुकता हो जाना चाहिए, तथा तत्पर्यवर्धी रूपम वा सचय अवमायक को विशय प्रस्ताव म नियंत्रित रीति म करना चाहिए ।

सीमानियम द्वारा प्रदत्त शक्तिके अधीन विकल्प द्वारा पुनर्रचना या गमानेलन सम्पादित करने की दूसरी विधि, जो एक जमान म बहुत लाक्षण्य थी, मह है कि पारंपरिक सीमानियम म दिये गये अधिकार के अनुसार कम्पनी के व्यवसाय का नयी कम्पनी म प्राप्त उन पूर्ण प्रदत्त अक्षों के बदल उनक हाथ वच ढाला जाए, जो विक्रेता कम्पनी या उमड़ नामजद ( Nominee ) व्यक्ति को दिये गये हैं। इसक बाद इच्छुको समाइन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत बर लिया जाए तथा अन्तनियम में दिये गये अधिकार के अनुमार अवमायक का यह अधिकार दे दिया जाए कि कम्पनी के ऋण या दायित्वा वा चुकना बरने या तत्पर्यवर्धी व्यवस्था उनके बाद, अतिरिक्त विकल्प राखिए जो (जो अक्षों के हैं) अधिकारों और स्वाहितों के अनुमार मदहसा में विनियित कर दिया जाए ।

धारा ३९१ के अधीन पुनर्गठन—धारा ३९१ के अधीन किये गये समझाते या व्यवस्था का कार्यान्वित करने के लिये पुनर्रचना या गमानेलन किया जा सकता है। जब कम्पनी सदायकता हा तथा दायित्वों को चुकना बरने म वसमर्य हो, तब प्रशायका को आदेति ( Decree ) पाने तथा कम्पनी की आस्तिया पर बन्जा कर लेने वा अधिकार है। लक्षित कम्पनी की आस्तियों का इस प्रकार अनिच्छित विक्री ( Forced Sale ) प्रशायकों तथा योगदानात्रा ( Contributors ) दाना के लिए वितायारग है। धारा ३९४ बहुमत्यव प्रशायकों वा यह अधिकार देंती है कि वे कार्ड उपभूत व्यवस्था बर ल जो मर्मी सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए न्यायदायक मिट्ट हा। ऐसा, कम्पनी का नमायन बरक या धारा १५३ के अधीन बिना नमायन किये, दोनों तरह किया जा सकता है। दोनों अवस्थाओं म न्यायालय में प्रायंतान्यव देना पड़ता है जिसमें प्रस्तावित याजना पर विचार बरने के लिये प्रशायका के विभिन्न वर्गों की तथा मदस्यों या मदस्यों के वर्गों की समाए, बरने का आदेश देने की मांग की जाती है। ममा में स्वीकार्य प्रस्ताव सचय या प्रनिपत्री ( Proxy ) द्वारा उपस्थित नदस्यों के तीन-चौथार्द बहुमत में स्वीकृत होना चाहिए। जब प्रस्ताव आवश्यक बहुमत में स्वीकृत हो जाता है, तब याजना की स्वीकृति के लिए न्यायालय में एक प्रायंतान्यव दिया जाता है जो जब न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तब, यदि पुनर्रचना या गमानेलन बरना है तो धारा ३९४ के अधीन आदेश जारी कर दिया जाता है। यामनीर म अन्यायी जाने वाली याजना दह होनी है कि एक नयी कम्पनी निर्मित की जाएगी, चाहू कम्पनी के ऋणपत्रवारी अपनी पुरानी

प्रतिभूतियों के विनियम में नयी कम्पनी के क्रण पत्र या अधिकान अशा (Preference Share) लें, चालू कम्पनी के जप्रतिभूत (Unsecured) प्रदायक पर्य में इतन आने स्वीकार करेंगे, जो अशत नगदी व अशत अशो या अशत क्रणपत्रो में शाष्य होने, और कि अशधारी नयो कम्पनी के अश प्राप्त करेंगे लेकिन इन अशो के साथ दायित्व जुड़ा होगा। क्रणपत्रधारी अपने पुरानो क्रण की चुकाई म पूर्णत प्रदत्त अशो को स्वीकार करते हैं। कोई भी योजना, जा उचित तथा न्यायमगत हो तथा सदृश्वास के साथ बनायी गयी हो, स्वीकृत हो जायगी, यदि समझदार व्यवसायी यह मान ले कि उन योजना सभी वर्ग के अशधारियो तथा प्रदायकों के हित के लिए है, और इस प्रकार की योजना के अधीन न्यायालय असहमत अशधारियो या क्रणपत्रधारियो को बाध्य करेगा कि वे अपन अश बेच द या अपनी प्रतिभूतिया समर्पित कर द ।

अशों के विकल्प द्वारा पुनर्गठन —किसी एक कम्पनी के व्यवसाय वा नियन्त्रण दूसरी कम्पनी के हाथ हस्तान्तरित करने की एक मुख्याजनक विधि है उक्त कम्पनी के अशधारियो द्वारा ऐसा कम्पनी के हाथ अपने अशो का विकल्प। जैमा कि पहले कहा जा चुका है, भी अशधारियो के लिए अपने अशो का हस्तान्तरण आवश्यक नही है, प्रत्युत घारा ३९५ क अधोन यदि प्रभावित अशो के  $\frac{3}{4}$  धारियो ने हस्तान्तरण को योजना स्वीकृत बताया है तो वाको  $\frac{3}{4}$  अशधारियो के अश, जो अल्पमूल्यक है, केरा कम्पनी बलान् अवात (Acquire) कर सकती है वरन् कि न्यायालय अन्यथा आदेश न द दे। जब न्यायालय योजना के ओचित्य की बात से गतुष्ट हो, तब वह कम्पनी अधिनियम का घारा ३९४ ए के अंतर्न इस स्वीकृत बत दा।

केन्द्रीय सरकार के आदेश से समामेलन—जहा केन्द्रीय सरकार वो यह सतोप हो जाए कि राष्ट्रीय हित साधन के लिए यह परमावश्यक है कि दो या अधिक कम्पनियों का समामेलन हो जाए, वहा यह सरकारी राजपत्र मे वधिसूचित आदेश द्वारा उन कम्पनियों को, ऐसे सविगत; ऐसी सम्पत्ति, शक्तियों, अधिकारों, स्वत्तितो (Interests) अधिकारों, और विशेषाधिकारो (Privileges); और ऐसे दायित्वा, कर्तव्या तथा बधनी (Obligations) के साथ, जैसे आदेश मे विनिश्चित हो, एक कम्पनी के रूप मे समामेलित करने का उत्तरध बर सकती है। नयी कम्पनी मे भी मदस्या और प्रदायकों या उनमणों (Creditors) के बही अधिकार रहेंगे जो समामेलन से पहुँचे उनको अपनी-अपनी कम्पनी मे उनके थ ।

घारा ४०२ न्यायालय को यह शक्ति प्रदान बरली है कि यदि उमे यह विश्वास हो जाय कि कम्पनी के कार्य कम्पनो के हिनो के प्रतिकूल सम्पादित किये जा रहे हैं, या करिय अशधारों ऐसे कार्य स पीड़ित हों, तो वह अल्पमूल्यक अशधारियो के सरकार के हित आदेश जारी कर सकता है। दिरे गय आदेश मे, अन्य हितायनों के साथ कम्पना के भविष्यत कार्यो के विनियमन की, तथा कम्पनो और इसके प्रबन्धक, मैनेजिंग एजट, प्रबन्ध सचालक या किसी अन्य सचालक के बीच की गयी सविकारी, चाहे वह किसी भी तरह का गयी है, गमाप्ति का उपवर्ग हो सकता है। उपर्युक्त घारा ४०२ के अनान होन वाले सविका समाप्ति का कोई क्षतिपूर्ति नही द। जाएगा ।

## अध्याय ६

### कम्पनी का प्रवंध

जैसा कि भक्तेन किया जा चुका है, कम्पनिया अताना कार्य अभिकर्ताओं द्वारा हीं कर सकती है और कम्पनी के व्यवसाय मचालन के लिए कम्पनी के कार्यों का सचालन मचालकों के हाथा म छाड़ दिया जाना है। जो अतामारी पश्चय न हो, वे कर्णीव-कर्णीव निपित्य हीं रहते हैं, और केवल सामाजण सभाओं में सामाजण नीति पर अपने विवार प्रकट कर लेते हैं। व्यक्तिगत हैं तित में, किसी भी अशामारी का उम उद्योग को व्यवस्था में कुछ भी प्रभाव नहीं हाना, जिसम वह अग पूजी के आधिक स्वामी होने के नामे दिल्लीस्ती रखता है, लेकिन नामूहिक स्वप से अशामारी अपने दीव में कुछ व्यक्तियों को मचालक चुनत है। ये मचालक मिलकर मचालक मण्डल का निर्माण करते हैं जो सचालन तथा व्यवस्था के कर्ताओं का दायित्व वहन करता है। मचालक मण्डल के सदस्य प्राप्त अपने में मे एक को मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त कर लेने हैं, तथा एक या दो को प्रबन्ध मचालक के पद पर नियुक्त कर लेने हैं। हमारे देश में यह दिवाज है कि मचालक मण्डल के अधिकार सीढ़े 'प्रबन्ध अभिकर्ताओं' को दे दिये जाते हैं और जहा प्रबन्ध अभिकर्ण निपिद्ध है, यथा अधिकोपण और बीना उद्योग में, वहां वह अधिकार प्रबन्ध मचालक को दे दिये जाते हैं। अनेक, मिदान्ततः कम्पनी के कार्यों का नियन्त्रण उम या अधिक मात्रा में, अशामारियों, सचालकों तथा प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथों में, तथा बड़े-बड़े व्यवसायों की अवस्था में, वैतनिक मुख्याधिकारियों के हाथों में, जो किसी कार्य के विशेषज्ञ होते हैं, हैं ताह है।

#### नियन्त्रण व प्रबन्ध अल्पतरीय

इनी कम्पनी के अशामारियों की स्थिति उन उपर्यामी तथा स्वामित्वारी की होती है जो जोनिम उठाना और पूजी की व्यवस्था करता है लेकिन व्यवसाय का मचालन तथा प्रबन्ध मचालकों और प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथों में छोड़ देता है। सिद्धान्त में तो वह स्वामी है, लेकिन व्यवहार में प्राप्त मुश्तक साक्षी है, जो हाटके विश्वें महोदय के द्वारा में, "कभी-कभी नीद में बरबरे बदलता है तथा अधिकरियों में प्राप्त प्रानगिक-प्रानगिक भाषा दे देता है।" जातिम को विनाशित कर देने के मुद्दे मिदान्त का अनुसरा करते हुए वह अपने सभे भिन्न-भिन्न व्यवसायों (कम्पनियों) में लगता है। न तो वह इन स्थिति में है और न इस बात दी अभिन्नता हो बरता है कि वह इन विभिन्न व्यवसायों की विनृत कार्यविधि को समझ या कुछ अपवाद स्वरित्यनियों के अनिरिक्त, किसी तरह उन व्यक्तियों की नीति या प्रशान्ति पर

नियन्त्रण रखे। जब व्यवसाय में भयकर गडवडी नजर आती है तब प्रारूपिक अशाधारी सचालकों की नीति के सम्बन्ध में अपनी निर्णियता का परिणाम बरके सामने आता है।

ये सचालक सिद्धान्तत अशाधारियों द्वारा नियुक्त किये गये होते हैं। लेकिन यह बात सिद्धान्त में ही सही है, व्यवहार में नहीं। सचालक मण्डल के चुनाव में शायद ही वभी प्रतिद्वंद्विता होती है, और व्यवहार में सचालक अपन को स्वयं छाटते हैं, या सहयोगित (Coopted) किये जाते हैं, अबवा वभी-वभी के अभिकर्ताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण हितयारियों द्वारा नामजद होते हैं। जैसे कि रुमल ने लिखा है, "वास्तविकता यह है कि अशाधारी सचालकों का निर्वाचित तो बरते हैं, पर उन्हें वभी छाटने नहीं।" अशाधारी मानो रवर स्टाम्प के जरिये सचालकों के निर्वाचित की पुष्टि कर देते हैं। फिर एक बात और है। एक बार नियुक्त होने पर के वभी ही सचालक पद छोड़ते हैं। क्योंकि यद्यपि यह बात सही है कि अधिनियम उनकी प्रमिक निवृति की व्यवस्था बरता है, परन्तु उन्हें पुनर्निर्वाचित के लिए उम्मीदवार होने की स्वीकृति भी देता है। निवृत्त होने वाले सचालक सदा पुनर्निर्वाचित हो जाते हैं और इस प्रवार एक ही बर्ग के लोगों के हाथ में नियन्त्रण चिरस्थायी हो जाता है। इतना ही क्यों, भारतवर्ष में अधिकतर कम्पनियां ऐसी हैं, जिनमें सचालकों का प्रभाव अशाधारियों में अधिक नहीं होता, तथा व्यावहारिक नियन्त्रण व्यवहारत प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथ में हुआ बरता है। वे प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथों में कठिनताएँ होते हैं, और वहीं बरने हैं जो मानारण नीति के सम्बन्ध में उन्हें बरने की आशा होती है। अतएव, आधुनिक व्यवसाय समृद्धि के सिद्धान्त तथा व्यवहार में पर्याप्त बन्तर है। मिद्दान्त म समृद्धि स्वन्ध कम्पनी एक लोकतन्त्र है, लेकिन व्यवहार म वह ऐसी हरणिज नहीं है, क्योंकि अधिकतर अशाधारी दूर-दूर विवरे होते हैं। उनम हमेशा रद्दावदल होती रहती है। अशाधारी अपनी कम्पनी की वायन-प्रणाली से विलुप्त अनभिज्ञ होत है। अत वे अपने सामान्य मताधिकार का शायद ही कोई प्रभावात्पादक उपयोग कर सकते। एक और आवृन्दि उद्योग का स्वामित्व तो पर्याप्त कंठ गया है, पर दूसरी ओर इसका नियन्त्रण विलुप्त केन्द्रित हो गया है। अतएव, जैसा कि मार्शल का कथन है, व्यवसाय स्वामित्व में लोकतन्त्र वीकरण हुआ है, व्यवसाय नियन्त्रण म नहीं। नियन्त्रण तो भारत अल्पतन्त्रीय होता है क्योंकि अशाधारियों को जल्द मार बर सचालक मण्डल के उन सदस्यों को स्वीकार करना ही पड़ता है जिनके नाम उनके समय प्रस्तुत किये जाते हैं। सचालकों के मुकाबले में स्वतन्त्र या बाहरी अशाधारी को एक दूसरी कठिनाई आती है। इतना ही नहीं, हिं के अपनी पमन्द के सचालक नहीं निर्वाचित बर मक्ते, बरन् यदि वे उनमें से किसी को, जो भीतरी गुट में शामिल है, हटाना भी चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते। पायंद अन्तनियम इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं को निरकुश शक्तिया प्रदान करते हैं। इस सम्बन्ध के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए बहुमत चाहिए और ये अशाधारी इतना बहु-

मत हरागिज प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात से अधिक विचित्र, लेकिन साय-साय स्वामानिक तथा उपदेशप्रद, अन्य और कोई घटना नहीं है कि यूरोपीय तथा सयुक्त-राज्य अमेरिका जैसे प्रगतिशील देशों में तथा अब भारत में आर्थिक तथा राजनीतिक सम्प्रयाएँ एवं सी हैं—वे 'रूप' में तो लोकतान्त्रिक हैं, लेकिन सारत अल्पतन्त्रीय हैं। सरकार में भी तथा बड़े-बड़े व्यवसायों में भी शासन तो मुद्दी भर लोग ही करते हैं लेकिन ये लोगों में ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देने में सकल हो जाने हैं कि मानो वे (लोग) स्वयं शासन कर रहे हैं। राजनीतिक जगत में शासन शक्ति पेशेवर राजनीतिज्ञों के हाथ में होती है। आर्थिक जगत में कम्पनी में शक्ति वा उपयोग मचालक तथा प्रबन्ध अभिकारी करते हैं, और कम्पनी सबमें अधिक प्रमुख व्यवसाय सगठन है। अतः 'हावसन' वहां है, "सयुक्त स्वन्ध कम्पनी, जो स्वहप में आर्थिक लोकतन्त्र है तथा जिसकी सरकार निर्वाचित एवं उत्तरदायी होती है, व्यावहारिक जगत में नियन्त्रण अल्पतन्त्र है। सर्वसाधारण से सिफं घन की अपेक्षा की जाती है, उसके सचालन की नहीं।" सयुक्त स्वन्ध सगठन से प्रमूल होने वाले स्वामित्व के विस्तृत प्रसार का अनिवार्य परिणाम होगा व्यवसाय के स्वामित्व तथा नियन्त्रण के बीच प्रायः पूर्ण विलगाव।

यह तर्क उत्पन्न किया जा सकता है कि चूंकि मचालक तथा प्रबन्ध अभिकर्ता भी उस कम्पनी के अशाधारी हैं, जिसका वे प्रबन्ध करते हैं, अतः उनके द्वारा नियन्त्रण अशाधारियों द्वारा ही नियन्त्रण हुआ। यह सत्य है कि वे कम्पनी के अशाधारी हैं, लेकिन वे कम्पनी के पूजी ढांचे का सदा ऐसा रूप स्थिर करते हैं कि वहुत थोड़े अशो वे स्वामी होते ही वे कम्पनी को सर्वेश अपन नियन्त्रण के अधीन रखने हैं। एक उदाहरण से यह बात साफ हो जायगी। कें० ओ० ०६० लिमिटेड ने २५ लाख रुपये की अश पूँजी निर्गमित की, जो १० रुपये वाले 'ए' थेणी के, ५०,००० अशो तथा १०० रुपये वाले 'बी' थेणी के २०,००० अशो में विभाजित है। अशो की कुल सम्प्या में से प्रबन्धी, मचालकों तथा प्रबन्ध अभिकर्ताओं न अपन पास 'ए' थेणी के ४५,००० अश तथा 'बी' थेणी के ४००० अश रख लिये हैं। 'ए' थेणी के अशो को वे ही मताधिकार हैं, जो 'बी' थेणी के अशो को, अर्थात् प्रत्येक अश को एक। इस प्रकार केवल ४,५०,००० रुपये की द्वन्द्वात्मा के अशादान के जरिये ही प्रबन्ध अभिकर्ताओं और उनके मित्रों ने अपने लिए ४५,००० मनों का टोम पक निर्मित कर लिया है, जबकि सम्पूर्ण मनों का मध्या केवल ७०,००० है और सम्पूर्ण निर्गमित पूजी की राशि का कुल योग २५,००,००० रुपये है। अश प्रबन्ध तथा वहुल मताधिकार की यह प्रणाली नई दृष्टिकोणों में आपत्तिजनक है। प्रथम तो यह कि इस प्रणाली में नियन्त्रण को कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ म चिरस्थायी बनाने की प्रवृत्ति है जिनका व्यवसाय में अपेक्षत बन जोखिम होता है। द्वितीय, यह सच्चे विनियोगना के इस विश्वास को हिला देती है कि उसके प्रति अधिकार बरना जायगा, और इस प्रकार विनियोग के बहाव

मेरा वाक दालने लगती है। तृतीय, इसकी परिणति ग्राम्यानार तथा वेईमान प्रबन्ध में होती है।<sup>1</sup>

इसके बाद यह प्रस्तुत उठता है कि क्या वर्तमान व्यवसायिक ढाँचे के युग में अशाधारियों के हाथ में वर्तमान से अधिक नियन्त्रण होना सम्भव या बाछतीय है? जहां तक सम्भवता का प्रदर्शन है, यह जामानी से देखा जा सकता है कि अशाधारी अपने व्यवसाय पर न्यावहारिक नियन्त्रण नहीं रख सकते, क्योंकि वे इधर-उधर विकरे हुए होते हैं तथा जोखिम का वितरित कर देने की नीति का अनुमरण करने के परिणाम-स्वरूप खतरा भी बहुत होता है। जहां तक उनके द्वारा नियन्त्रण की बालकीयता का प्रदर्शन है, इतना सम्भव नहीं है कि थोड़े से अशाधारियों को छोड़कर, औरंगे के पास न तो समय है, न ज्ञान और न अधिकृत अशाधारियों में यह अभिलापा ही होती है कि जब तक उन्हें लाभार्थी मिलता रह तथा जब तक बम्पनी का प्रबन्ध योग्य व ईमानदार सचालकों व प्रबन्ध अधिकृतों के हाथ में है, तब तक वे बम्पनी के प्रबन्ध की चिन्ता में पड़। प्राफिर नारायण पटारन्म न अपना सब्रमें नयी पुस्तक में अशाधारियों की निविधता या मध्येक स्वन्द बम्पनी में शीर्षस्थ शामल सचालन की अधिक्षमता के बारें का विवेचन किया है। मण्ड विचार-विमर्श (Deliberations) की दृष्टि से अशाधारियों की महत्वा अधिक होती है वह प्रभावोत्पादक साधारण बैठक का होना अत्यन्त बहुत है। यदि मध्ये या पर्याप्त मध्या में अशाधारी बैठक में सम्मिलित होने पहुँच जाय तो वह बैठक विचार-प्रधान नीति नियारण मध्या वे दजाय एक राजनीतिक आम सभा (Mass Rally) के समान हा जायेगी, जिसम जनता को प्रभावित करने वाले प्रचार नया भावना का बारबाला रहता है। वस्तुत, बात यह है कि अशाधारियों की सम्पूर्ण मध्या या एक छादा हिस्सा ही, शायद ५० या १००, अधिकेशन में सम्मिलित होता है। यह छोटी मध्या प्रतिनिधि नहीं होती, और मम्मिलित हाल बाले सबकी तथा वेपरवाह लाग होते हैं। मध्या भी न्यूनता के अतिरिक्त अशाधारियों की सामान्य प्रभावहीनता का बारण उनका गुण भी है। अशाधारियों की बहुत बड़ी मध्या में अनभिन्नता, या व्यवसायिक अपूर्ण या अनिवार्यता, इनम से दो या तीन शुण होते हैं। यह तक कि ज्ञान-भूमिका व्यवसाय-नियुण विनियोक्ता—वे जो अन्य व्यवसाय या वृत्ति में लगे हैं, चूस्त सदृश्वाज है या निगमित मध्याएँ, (Corporate Institutions) हैं—जपने अंदों का एक उपक्रम में भले विनियोग के बजाय एक पृष्ठ बस्तु (Commodity) समझते हैं। वे अंदों का स्वामित्व लाभ के उद्देश्य में बरते हैं, न कि व्यवस्था पर नियन्त्रण के उद्देश्य से। यदि वे अमन्तुष्ट हैं तो अशाधारियों दे जामानी अधिकेशन में जाकर अंदों की ही बेच देने। और वे शायद तब भी अंदों का बेच दे जब उन्हें पूरा सन्तोष प्राप्त हुआ हो—पूर्ण ये बृद्धि होने पर तभा कुछ लान प्राप्त होने पर। किंर एक बात और है, बम्पनी से उनका मध्यन्द दीला हासा है। क्योंकि उन्हें जानकारी प्राप्त है और वे व्यवसाय में नियुण हैं, अतः उन्हें

जोसिम वां वितरित बर देने की कला का ज्ञान है। उनसी प्रवृत्ति होगी जि अपनी वचत के दुखड़े-दुखड़े बर दे तथा उम किभिन्न कम्पनियों में वितरें। इस अशोकरण के परिणामस्वरूप अधिकतर अशारी सम्झौते मताविकार पूजा में बहुत ही थोड़े अश घारण बरते हैं। चूंकि अदों के अनुपान म मताविकार होता है, अतः अंगत अशधारी कम्पनी के निर्गंयों पर अपना प्रभाव ढालने म अमर्यथ होते हैं। दर्लिल का निष्पर्य निशाने हुए प्राक्केवर पढ़ोरेन्म कहते हैं, 'अशधारियों का अधिवेशन विवानत कम्पनी की मर्जनमुक्तममात्र ममा है, ऐकिन विनी एक कम्पनी म अधिकनर अशधारियों का गुग और मस्ता, उनकी जन्मी-जल्दी अद्वैतवद्वल, उनकी विभाजित दिव्यसी, जोसिम का विनरण तथा अदों की न्यून मस्ता इम परिणाम पर पहुंचते हैं जि अशधारियों की गमा म वास्तव में न तो उपस्थिति अधिक होगी और न प्रभावोपादनत। अनुपस्थिति प्राय ९९ प्रतिशत गे अधिक होगी है और जो स्वय या प्रतिपत्ती (Proxy) हारा उपस्थित होते हैं, (इन प्रतिपत्तियों में ममाव्यन बहुतेरे बड़े-बड़े अशधारी होते हैं) वे चिक्के(Balance Sheet), नीति तथा मण्डन विषयक निर्णयों तथा सचालकों की रित जगह पर सकारांत हारा वी गयी भरती पर स्वीकृति मात्र देने हैं।" जो कुछ वहा गया है, उमका माराया यह है कि स्वामित्व तथा नियन्त्रण में विलगाव के बारण—और मह विलगाव उनना हीं जविक होता है जिनना बड़ा व्यवमाय होता है—व्यवस्था में कम दउता तथा अधिक वैर्मानी आती है। यदि विनी उपायों हारा अशधारियों के हित की दृष्टि से नियन्त्रकों वे कार्य पर नियन्त्रण रखा जा सके तो कुछ प्रत्यक्तनीय लोगों वे हाय म अधिकार या शक्ति के रहने में कोई सतरा नहीं हो सकता, जैसा कि राजनीतिक्षेत्र में भी इम स्थिति में हो सकता है, जहा शासन मच्चे हों और मतदानाओं एवं गमाज के हित का स्थाल रखने हों। व्यवमाय के स्वामित्व तथा नियन्त्रण में विलगाव नो जर रहना ही है। हमारे देश में व्यवमाय के जाहार के विराम के गाय-गाय यह विर्गाव, बोनावारी कार्यपालों के जागमन के माध्यमाय और अधिक बटता जाएगा, जैसा कि अन्य देशों में हुआ है। इम "उनरदायी प्रबन्ध तथा नियन्त्रण" के गिए बायंगोल होता चाहिए, न कि "लोकतन्त्रीय नियन्त्रण" के रूप में जानमान के तारे तोड़ने वा प्रयत्न करना चाहिए।

### सचालक

प्रद्येश लोक सीमित कम्पनी तथा उम निवी कम्पनी के लिए, जो विनी लोक गीमित कम्पनी की गोग कम्पनी है, यह अनिवार्य है कि इसमें कम में तीन नवाचार हों और गचालहों की दो-तिहाई मस्ता प्रतिपर्यंत्रमया नियुक्त हों, ऐक्सिन, नियुक्तिमेह, अस्तराय, आपरलाइन, पुस्तिर्क्षितिम वे खोल्य हैं, और प्रायः ऐपुनिर्वाचित हो जाते हैं। इसमें यह निष्पर्य नियन्त्रण है कि बेदल एक-तिहाई मदस्य म्यादी रूप में जगते पद पर बने रह गवते हैं, और यह उपर्यगनीय है कि ये मचाल्क प्रबन्ध अभिकर्ताओं हारा नामजद होते हैं। निवी कम्पनी में दो सचालक अवश्य होने चाहिए। मचाल्कों वी न्यूनतम मस्ता वी व्यवस्था दर्मालिए वी गयी है कि कोई कम्पनी अपने व्यक्तिव वे रूप में कार्य नहीं कर मक्की क्योंकि इमका कोई भीतिप-

व्यक्तित्व नहीं है और अनिवार्यता, यह अभिवर्त्ताओं को मार्फत कार्य करती है। ये व्यक्ति, जिनके द्वारा कम्पनी कार्य करती है, जिनके द्वारा इसका व्यवसाय सचालित होता है तथा जिनके जरिये इसकी नीति के निर्माण तथा सामान्य अधीक्षण का कार्य सम्पादित होता है, सचालक कहे जाते हैं। सामूहिक रूप से सचालकों को सचालक मठल कहते हैं, तथा यह आवश्यक है कि वे अनिवार्यता मण्डल की बैठक में ही कार्य करें, बशर्ते कि अन्तनियमा में अन्यथा व्यवस्था न हो : ये लोग (सचालक) कभी-कभी "परिषद" (Council), अधिकारी सम्पादित (Governing Body), "प्रबन्ध समिति" (Managing Committee) या "प्रबन्धक साझेदार" (Managing Partners) भी कहलाते हैं। खुँकि कम्पनी अधिनियम सचालक की परिभाषा नहीं करता, इमलिए हम एम आर जैमेल को उद्धृत कर सकते हैं, जो कहते हैं, 'नाम चाहे जो हो, पर उन व्यक्तियों को, जो सचालक पद पर आसीन हैं, वास्तविक स्थिति यह है कि वे वाणिज्यिक व्यक्ति हैं, जो अपने तथा सब अशाखारिया के लाभ के लिए एक व्यापारिक कम्पनी का प्रबन्ध करते हैं,'<sup>१</sup> अपनी शक्तियों तथा कम्पनी की पूँजी की दृष्टि से उनकी स्थिति विद्वासाधित (Fiduciary) होती है, लेकिन वे कम्पनी के बर्मचारी नहीं हैं—उसकी बात दूसरी है, जो प्रबन्ध सचालक के स्थान पर है या विर्मी सविदा वे अधीन विसी अन्य प्रकार से बायंपालक (Executive) की स्थिति में है। विधि की दृष्टि में सचालक कम्पनी के अभिवर्त्ता तथा प्रन्यामी है—अभिवर्त्ता उन व्यवहारों में जो वे कम्पनी के निमित्त करते हैं, तथा प्रन्यासी कम्पनी के घन तथा सम्पत्ति वे।

कम्पनी वे जी एप्यैन्सेसे उनके हाथ में आते हैं, तथा जिन पर उनका नियन्त्रण होता है, प्रन्यास निवि (Trust Fund) वे रूप में होते हैं और अतएव इनके दुष्प्रयोग का अर्थ होगा विद्वास भग, जिसके लिए वे वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से दायी होंगे। अभिवर्त्ता को हैसियत से सचालक कम्पनी वे निमित्त वार्ष करते हैं और यदि उन्होंने वैयक्तिक दायित्व प्रटृण न कर लिया हा, तो वे वैयक्तिक दायित्व वे भागी नहीं हो सकते। चूँकि कम्पनी का प्रशासन वार्ष उनके हाथों में छोड़ दिया जाता है, अतः उनम चरित्र वर्ण, व्यावसायिक मेधा, प्रबन्ध सम्बन्धी चानुप्रय, सच्चाई तथा स्वाति का होना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति जो अनुमोदित दिवालिया (Undischarged Ius solvent) न हो, तथा जिसने अन्तनियमों में उपवधित न्यूनतम योग्यता वे अद्य लिये हैं, सचालक हो सकता है। इन व्यापक योग्यताओं के अतिरिक्त, जिनका सब सचालकों में होना आवश्यक है, कुछ सचालकों में विशिष्ट वार्यों, जैसे प्राविधिक शाखा या विक्रय विभाग की विशिष्ट योग्यता हो सकती है, तथा वे कम्पनी वे पूर्णकालिक अफमर हो सकते हैं। भारतवर्ष में सचालक का का पद पूर्णकालिक कार्य नहीं होता, तथा सचालक किसी नियमित मध्यान्तर पर सचालक मण्डल की बैठकों में सम्मिलित होने हैं, और कभी-कभी बीच में आपातिक कार्य वे लिए असाधारण अधिवेशन में उपस्थित होने हैं। वे अपने में से विर्मी सदस्य वो मठल का

सभापति नियुक्त कर लेते हैं, जिसका कार्य होता है सामारण वार्षिक बैठक तथा मडल की बैठकों की अव्यक्तता करना।

नियुक्ति, निवृत्ति, अपनयन और स्थागपत्र—पहले सचालक या तो प्रबन्धकों द्वारा नियुक्त किए जाने हैं और या उनका नाम अतनियमों में लिखा होता है और इस अवस्था में यह आवश्यक है कि उनकी सचालकों के रूप में काम करने की और अहंता अदा करने की या लेन के लिए सहमत होने की सम्मति पर्याकार के यहां न की बराई जाए। यदि यह प्रतिक्रिया नहीं अपनाई जाती तो सीमानियम के हस्ताक्षरकर्ता (जो व्यष्टि होने हैं) तब तक सचालक माने जाते हैं जब तक वृहद् सभा में पहले सचालकों की नियुक्ति हो। सचालकों की जो महावृण्ड स्थिति होती है, उन देखने हुए नए अधिनियम ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर सचालकों के प्रभावी नियन्त्रण का उपबन्ध किया है, विशेष रूप से इस कारण कि रोजमरा का प्रबन्ध प्राप्त प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथों में छोड़ दिया जाता है। इनलिए १ अप्रैल १९५६ के बाद कोई व्यष्टि ही (कम्पनी, साहचर्य या फर्म नहीं) किसी लोक कम्पनी या निजी कम्पनी का सचालक नियुक्त किया जा सकता है। प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर इस विषय में रोक लगाने के लिए विवर में सचालक मडल में अपने ही आदमी न भरदें, अधिनियम यह उपबन्ध करता है कि कुछ प्रवारक के व्यक्ति, जो प्रबन्ध अभिकर्ताओं से सम्बन्धित या उनके प्रभावाधीन माने जा सकते हैं ऐसे सचालकों के रूप में नियुक्त न किए जा सकेंगे जिनकी पदावधि निवृत्ति द्वारा या चक्रानुक्रम ( Rotation ) द्वारा समाप्त हो सकती है। पर ये लोग कम्पनी द्वारा पास किए गए विशेष सबन्ध द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। यदि अतनियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो तो अन्य सचालक भी, उदाहरण के लिए, प्रबन्ध अभिकर्ताओं के मतोनीति व्यक्ति भी, विशेष सबल्प द्वारा नियुक्त किए जाने चाहिए। सचालकों के सब चुनावों में प्रत्येक सचालक के बारे में एक अलग सबल्प पास होना चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, लोक कम्पनियों और उनकी सहायक कम्पनियों की अवस्था में सचालकों की स्थिता वा कम से कम दो-तिहाई चक्रानुक्रम से निवृत्त होने जाना चाहिए और प्रत्येक वार्षिक वृहद् सभा में, चक्रानुक्रम से निवृत्त होने वाले सचालकों में मेरे एक-निहाई निवृत्त हो जाने चाहिए पर के पुनः चुने जा सकेंगे और कुछ परिस्थितियों में पुनः निर्वाचित माने जाएंगे। नए सचालक को अर्थात् उस सचालक को, जो निवृत्त होने वाला सचालक नहीं है, चुनाव के लिए अपने आपको प्रस्तुत करने से पहले कम्पनी को १४ दिन का नोटिस देना होगा और सचालक के रूप में काम करने पर अपनी सम्मति पर्याकार के यहां न की जानी होगी। सचालकों की अतनियमों द्वारा निश्चारित विवरित मस्तिष्क वृद्धि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना नहीं की जा सकती। पर अधिकृतम् मस्तिष्क के अन्दर रहने हुए कोई वृद्धि या वर्गी माधारण मकल्प द्वारा की जा सकती है। यीच में होने वाले रिक्तकालों की पूर्ति मडल द्वारा की जा सकती है और नियुक्त व्यक्ति तब तक सचालक बना रहेगा जब तक पहले बाला व्यक्ति बना रहता है। लोक कम्पनियों या उनकी सहायक कम्पनियों के अतनियमों में यह उपबन्ध हो सकता है कि दो-निहाई सचालकों की नियुक्ति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रगती

ने हो। जो सचालक चरित्रमुद्रा में निवृत्त होने वाला नहीं है, उसकी नियुक्ति या पुनःनियुक्ति में सम्बन्धित किसी उपचार में कोई गशोथन, वैनियोग सरकार के अनुमोदन के बिना प्रभावकारी न होगा।

यदि कोई अधिकारी अहंता रखी गई है तो सचालकों को वह अपनी नियुक्ति के बाद दो भागों के भीतर प्राप्त कर लेनी चाहिए। अहंता अशोका मूल्य ५ हजार रुपये से अधिक न होना चाहिए और जटा वह ५ हजार रुपये में अधिक है वहाँ एक अधिकारी के नामांकितमूल्य में अधिक न होना चाहिए। अहंता अशोका के प्रयोगनों के लिए बाहक अशोका की मगना की जागरूकी। ये उपचार एमी निझी कम्पनियों पर लागू नहीं होते जो लोक कम्पनियों की उपसहायक नहीं हैं। निम्नलिखित को सचालक नियुक्त नहीं बिधा जा सकता—(१) विहृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति, (२) अनुमाचित शोधाक्षम (३) वे व्यक्ति जिन्होंने शोधाक्षम अभिनियोगीति बिधे जान के लिए प्रार्थना पत्र दिये हैं और जिनके प्रार्थना पत्र लम्बित हैं (४) वे व्यक्ति जिनको नंतिक घट्टता वाले किसी अपराध में मिछड़ोण पाया गया है और ६ महीने की कैद की मजा हुई है (यह इकावट सजा सरम हाल से ५ साल की अवधि तक रहेगी), (५) वे व्यक्ति जिन्होंने याचना धन पूरा नहीं चुकाया है, (६) वे व्यक्ति जिन्होंने याचना धन के आदाय द्वारा अनहित कर दिया गया है। वैनियोग सरकार उपचार (४) और (५) के विषय में उचित अवस्थाओं में उन्मोचन प्रदान कर सकती है निझी कम्पनी जनहंता के बीच आधार भी निश्चित कर सकती है।

कपर्नी ला कमटी (Company Law Committee) की सिफारिश पर यह सीमा बाध दी गई है जिएक सचालक २० सचालकत्व ही धारण कर सकता है, अधिक नहीं दृष्टिलिए एक अप्रैल १९५६ के बाद कोई व्यक्ति २० से अधिक कम्पनियों का सचालक नहीं रह सकता। २० वीं यह सम्भव गिनते हुए, (उपसहायक कम्पनियों की साइडवर जन्य) निझी कम्पनिया, अपरिभित कम्पनिया, बिना-लाभ (Non-Profit) साहचर्यों के सचालकत्वा और वैकल्पिक सचालकत्वों को छोड़ दिया जाएगा। यदि १ अप्रैल १९५६ को कोई व्यक्ति २० में अधिक कम्पनियों का सचालक है, तो उसे २ मास के भीतर वे २० कम्पनिया चुन लेनी चाहिए जिनमें वह सचालक बना रहता है और अन्य सचालक दो या त्याग-पत्र दे देना चाहिए और उसने जो कम्पनी चुनी है, उन्ह, पर्सिकार को तथा वैनियोग सरकार को अपने चुनाव की मूलना द देनी चाहिए। यदि काई व्यक्ति, जो पहले २० कम्पनियों का सचालक है, विसी जन्य कम्पनी में सचालक नियुक्त बिधा जाता है तो यदि वह उसने बाद १५ दिन के भीतर किसी जन्य कम्पनी या कपनियों में जाना पद नहीं छोड़ दता जिसमें उसके सचालकत्वों की अभिकृतम सह्या २० रहे तो उसकी नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी। यदि वह २० से अधिक कम्पनियों के सचालक के स्थाने बायं करता है तो पहली २० कम्पनियों के बाद प्रत्येक कम्पनी के विषय में वह ५ हजार रुपये तक के जुर्माने से दृढ़नीय होगा।

एक और बहुत महत्वपूर्ण उपचार में सचालकों की उम्र के बारे में है। सचालकों के पद जितनी जिम्मेवारी का है, उसे देना चाहिए है यह आवश्यक है कि सचालक शरीर

से स्वस्य और मन से सचेत हो, और जिस कम्पनी से उनका सम्बन्ध हो, उसके बारबार में समय और मस्तिष्क लगा सके। कुछ मचालक जो प्रबन्ध में सत्रिय भाग लेने में असमर्थ होते हैं, मचालक मडल में अपने स्थानों पर बने रहकर अधिक सत्रिय व्यवितयों के चुने जाने में बाहर होते हैं। इन तथा अन्य बारणों से अब यह उपबन्ध विद्या गया है कि एमा बोई व्यक्ति जो ६५ वर्ष की आयु पूरी बर चुका है, किमी लोक कम्पनी या इसकी उपस्थायक कम्पनियों का सचालक नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ऐसा व्यक्ति इतनी आयु हो जाने के बाद सचालक बना रह सकेगा। तो भी कम्पनी बृहत् सभा में साधारण सबल्य द्वारा ६५ वर्ष या इसमें अधिक व्यक्ति को नियुक्त बर सकती है या बनाए रख सकती है। प्रत्यक्ष सचालक को सम्बन्धित कम्पनी से अपनी आयु प्रकट करनी होगी और मदि वह अपनी आयु प्रकट नहीं करता या ६५ वर्ष की आयु के बाद मचालक के रूप में कार्य करता है तो उस प्रत्यक्ष दिन के लिये जिसमें बहु यह चून बरता है या सचालक के रूप में कार्य करता है, ५० रुपये जुर्माने से दृढ़नीय होगा।

सचालक वा पद निम्नलिखित अवस्थाओं में स्वतंत्र रिक्त हो जाएगा मदि वह (व) अपनी नियुक्ति के बाद दो मास के भीतर अपने अहंता अशाधारण करना छोड़ देता है, (स) विट्ठन मस्तिष्क के हो जाता है, (ग) शोधाधारण अभिनिर्णीत विए जाने के लिए प्रायंना पत्र देता है, (घ) शोधाधारण अभिनिर्णीत हो जाता है, (ङ) किमी अपराध पर ६ महीने के कारावास की सजा पाता है, (च) याचना की तिथि से ६ मास के भीतर याचना धन चुकाने में असमर्थ रहता है; (छ) सचालक मडल की लगातार ३ बैठकों से या लगातार ३ महीने तक मग बैठकों गे, मचालक मडल से अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना, अनुपस्थित रहता है, (ज) कम्पनी से बैन्ड्रीय मरवार वे सम्मोदिन के बिना बोई झूण या झूण के लिए बोई प्रत्याभूति या प्रतिभूति स्वीकार करता है, (झ) कम्पनी की रिमी मविदा या व्यवस्था में अपना स्वहित मचालक मडल वो नहीं बताता है, (झा) किमी न्यायालय द्वारा मचालक होने में रोक दिया गया है, (ट) कम्पनी वे साधारण सबल्य द्वारा मचालकत्व में हटा दिया गया है। ऐसी नियती कम्पनी, जो किमी लोक कम्पनी की उपस्थायक नहीं है, पद रिक्त बरने के लिए और बारण भी निर्भरित बर सकती है।

बोई कम्पनी विद्यालय मूलना के बाद पास विए गए साधारण मखल्य द्वारा किमी मचालक को उमड़ी पदावधि पूरी होने गे पहले इटा भवनी है और दोष अवधि के लिए दूसरे को नियुक्त बर सकती है, पर यह बात किमी नियती कम्पनी के उन सचालकों पर लगती नहीं होगी जो १ अप्रैल १९५२ को आजीवन पदधारण करते थे। बोई मचालक अन्तनियमों द्वारा उपस्थिति रीति में अपने पद गे त्यागपत्र दे सकता है पर यदि अन्तनियमों में बोई उपबन्ध नहीं है तो वह तरंगगत मध्य पहले मूलना देवर बैसा बर सकता है और कम्पनी इसे स्वीकार बरे या न बरे, इसने कुछ अन्तर नहीं पड़ता। यह उल्लेखनीय है कि बोई सचालक अपना त्यागपत्र खापिम नहीं ले सकता, चाहे कम्पनी ने इसे स्वीकार न किया हो।

शक्तियां और अधिकार—अधिनियम मचालकों को विभेद रूप में और मचालक-

मडल को साधारण रूप से, कम्पनी की उन शक्तियों के अलावा, जो कम्पनी की बहुत सभा के लिए सुरक्षित हैं, और सब शक्तिया प्रयोग करने की शक्ति देता है, पर कम्पनी की बहुत सभा मडल की शक्तियों पर पावन्दी लगा सकती है। सचालकों की कुछ शक्तिया ये हैं— अंश निर्गमित और आवृत्ति करना, हस्तातरों को पर्जीयित करना या पर्जीयित करने से इनकार करना, लाभाश वी सिफारिश करना, कम्पनी की ओर से सविक्षा करना और उसे कम्पनी की तथा अपनी शक्ति के अन्तर्गत आने वाले कार्यों द्वारा बद्ध करना, अश याचित करना घन पश्चाय पाठनाएँ स्वीकार करना, अश जट्ठ करना अशों का समर्णण स्वीकार करना, लाभ वा कुछ हिस्सा रक्षित घन के रूप में अलग कर देना और कम्पनी की साधारण नीति का निर्माण करना निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग सिर्फ मचालव मडल द्वारा और सचालव मडल वी बैठकों में ही किया जा सकता है— (१) याचना करने की शक्ति, (२) ऋण पत्र निर्गमित करने की शक्ति, (३) ऋण पत्रों से इतर प्रकार से उपार लेने की शक्ति, (४) घन नियोजित करने की शक्ति, (५) ऋण देने की शक्ति। पर मचालव मडल बैठक में सकल्य द्वारा सम्प्य (३) (४) और (५) म बताई गई शक्तिया किसी कमेटी, प्रबन्ध सचालव, प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिवों और कोपान्धभी या प्रबन्धक को, और यदि कम्पनी बैठिंग कम्पनी है तो इसक प्रबन्धक या दावा कर्त्ता को प्रत्यायोजित कर सकती है, पर सचालव मडल को ऐसे प्रत्यायोजन की परिमितिएँ दिनिरिप्ट कर देनी चाहिए।

सचालव वी शक्तियों पर लगायी गई पावदियों की धारा २९३ द्वारा अधिक स्पष्ट कर दिया गया है और कुछ नई पावन्दिया भी लगा दी गई हैं। लोक कम्पनियों और उनकी उपसहायक कम्पनियों की अवस्था में मचालव मडल निम्नलिखित कार्यों में बोई भी कार्य करनी की बहुत सभा की सम्मति के दिना नहीं कर सकता— (१) कम्पनी के सारे या सारल सारे उपक्रम को बेचना, पट्टै (Lease) पर देना या अन्यथा याचित करना, (२) किसी मचालव द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण में कमी या नुकसान के लिए समय-विस्तार, (३) कम्पनी की सम्मति के दिना कम्पनी की किसी सम्पत्ति या उपक्रम के अधिकार होने वाले विशी आगमा का प्रव्याप्त प्रतिभितियों के अलावा अन्यत्र लगाना, (४) कम्पनी की कुल अदत् पूजो और इसक स्वतन्त्र रक्षित घन के कुल योग से अधिक राशि उपार लेना (कम्पनी के बैठकों से बाहरवार के गामोन्य तथा में लिए गए अस्थायी ऋण इस प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लगाए जाने)। (५) किसी वित्तीय वर्ष में हुए औसत नुद लाभ के ५ प्रतिशत या २५ हजार रुपये से अधिक राशि दान आदि में देना। पर बैठिंग कम्पनियों द्वारा निक्षेप स्वीकार करना उनका उपार लेना नहीं माना जाएगा। सचालव मडल द्वारा एकल (Sole) किसी अभिकर्ता की नियुक्ति का नियुक्ति के ६ मास के भीतर कम्पनी को बहुत सभा क द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए; अन्यथा नियुक्ति की मान्यता सख्त हो जाएगी।

समितियों को शक्तिप्रेरण (Delegation of Powers to Commi-

tees) — यह सूत्र कि 'जिसको दाखिल प्रेपित की गयी है वह अन्य को अपनी दाखिल प्रेपित नहीं कर सकता' सचालकों पर लागू होता है और वे प्रथम दृष्ट्या (Prima-Facie) अपनी दाखिल प्रेपित नहीं कर सकते। लेकिन अन्तर्नियमों में दाखिल-प्रेपित के सम्बन्ध में व्यक्त (Express) व्यवस्था वे द्वारा उन्हें नियम को शियिल किया जा सकता है। अन्तर्नियमों में प्रायः यह व्यवस्था हानी है और अधिनियम वब यह विधान करता है कि मचालक मडल सामारणत भूत्या व अभिकर्ताओं की नियुक्ति तथा उनके वर्तन्या व अधिकारा का निर्वाचन वर सकता है। अन्तर्नियमों में इस आशय की भी व्यवस्था हानी है कि मचालक अपने बीच में से एक या दो को अपनी दाखिल प्रेपित कर सकता है। जो कम्पनिया वृहत् व्यवसाय का नियन्त्रण वर्ती है, वे प्रबलन के अनुमार, अपने मचालक मडल को विफिष्ट कर्त्ता (Functions), यथा वित्त, उत्पादन, विनरण, नियुक्ति, स्थानान्तरण (Transfers) आदि की देवरेत के लिए समितियों में विभाजित कर देती है। विफिष्ट कार्य प्रायः उन सचालकों के जिम्मे किया जाता है जो उस कार्य के लिए विशेष योग्य हो और इस प्रकार विशेषज्ञ (Expert) विचार व परामर्श वा लाभ प्राप्त किया जाता है। कार्यविभाजन के परिणामस्वरूप समय, धन, तथा प्रधन में फिल्डिंगिता होती है। पर १ अप्रैल के बाद कोई सचालक अपना पद अभिहृत्वान्ति नहीं कर सकता।

**कर्तन्य और दावित्व—**दाखिलयों की भाँति मचालकों के कर्तन्य भी अन्तर्नियमों द्वारा नियमित होते हैं, तथा वे कम्पनी के व्यवसाय के आकार तथा प्रवृत्ति पर नियंत्र वर्तते हैं। मचालकों के कर्तन्य अनेक तथा विभिन्न प्रकार होते हैं, तथा सामान्य दश्वा में उनकी व्याख्या करना बहिन है। अन जे रोमर वे शब्दों में हम उनकी गिनती कर सकते हैं, जिनका बहना है कि अपने कर्तन्यों का सम्पादन करने में मचालक को अनिवार्य ईमानदारी से बाहर बरना चाहिए, तथा उमे उम मात्रा में चाहुंचे तथा श्रम से कार्य बरना चाहिए जिनकी एक साधारण व्यक्ति से, जो समान परिस्थितियों में अपने निमित्त काम करता है अपेक्षा की जाती है लेकिन इसमें अमित उमसे अरेक्षित नहीं है। यह बात महीं है कि मचालक को जिसी भी प्रकार लापत्तवाह नहीं हाना चाहिए, लेकिन नियंत्र सम्बन्धी भूल के लिए वह दायी नहीं हो सकता। वह कम्पनी के बाहों पर सतत ध्यान रखने के लिए बाल्य नहीं है, उसके कर्तन्य सविराम प्रवृत्ति के हैं, जिनका सम्पादन समय-समय पर मण्डल की बैठकों तथा उस समिति की बैठकों में उपस्थिति में हाना है, जिनका वह सदस्य नियुक्त किया गया है और यद्यपि वह इस प्रकार की मद बैठकों में उपस्थित होते हो बाल्य नहीं है, सर्वांगी यदि उमका उपस्थित होना तर्कमगत रूप में ममव हो तो उमे उपस्थित हाना चाहिए। व्यवसाय की परिस्थिति तथा अन्तर्नियमों को ध्यान में रखने हूए उन सारे कर्तन्यों के सम्बन्ध में, जो अन्य पदस्थों के जिम्मे उचित रीता छोड़े जा सकते हैं, उमका ऐसा विश्वाय करना कि वे पदस्थ उनका सम्पादन ईमानदारी में करेंगे, युक्तिमगत है। प्रयोग मचालक का समय-समय पर यह निरीयत बरता कर्तन्य है कि कम्पनी का बन जिनियों की उचित अवस्था में है। हाँ, यदि अन्तर्नियम ऐसी व्यवस्था बरते हैं कि

उक्त कर्तव्य दूसरा को प्रवित किया जा सकता है ताकि वात दूसरी है। कार्ड भी सचार्क बलनियम के अनुसार अपने कर्तव्य दूसरा का प्रवित कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष वाये दूसरा के जिम्मेदारी के उत्तरदायित्व में भाग नहीं सकता। भास्त्र या मण्डल की समिति में अधिकार प्राप्ति के बिना कार्ड भी सचार्क चंडे पर हस्ताभार नहीं कर सकता। उसी भी सचार्क के लिए बन्द्राय सरकार का मम्मनि वे बिना, पूजी में लाभाश दाना तथा कम्पनी भी क्रृष्ण नहीं नियिद्ध है। जिन मविदाओं में सचालवा के रिदेदारों के हित वध हा उनके लिए महार भी स्वाहृति रेना जावध्यवा है। कम्पनी द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं या व्यवस्थाओं में सचार्क का जा सकता है, वे महार भी बैठका में अवश्य प्रकट कर दते चाहिए।

अभ्यन्त (यायर मनी) के शास्त्र के मम्माप्र में सचार्क का दायित्व भी आधारणत उसी प्रकार सीमित है जिस प्रकार कम्पनी की जल्द मदस्या का। लेकिन कम्पनी अधिनियम की धारा ३२२ तथा ३२३ के अनुसार, सीमानियम उनके दायित्व को असीमित भी कर सकता है। जहाँ तक उनके पद (Office) का सम्बंध है, वे कम्पनी अधिकता का हैमियन में वाय मम्मादन वरत हुए व्यक्तिगत स्वयं में दायी नहीं होते, लेकिन निम्नलिखित व्यवस्थाओं में वे व्यक्तिगत स्वयं में दायर हो सकते हैं—

१ इक्स्ट्रा वाय (Ultra vires) वाय के लिए, (२) कम्पनी की घटित में दायर मविदा में प्रतिष्ठान वायर जपन लघिकार की घटित (Implied) वाय का उत्तर्यन वरत पर, (३) घटित में दायर जपन अधिकार का उपयोग वरत पर यथा (१) अभ्य के समर्णन की गत्त म्मीरुति, (२) पूजी में लाभाश आयन, (३) चक्रमाण दजी की क्षतिगूति किये बिना लाभाश की मिसारिंग, (४) कम्पनी की नियि वाय दुष्प्रयाग (५) कम्पनी के व्यवसाय का विनय या हम्मान्तरण, अयथा कम्पनी द्वारा सचार्क में प्राप्त क्रृष्ण की भाषा,

२ न्यास भग (Breach of trust) के लिए यथा गुप्त शाम, कम्पनी का रक्ति धन (Reserve) का दुष्प्रयाग अयथा अपने देवकिनक उपयोग के लिए अग्रिम याचिन रायि प्राप्त वरता,

३ वैद्यमानी में याय मम्मादन के लिए,

४ कम्पनी के प्रति अन्य वाय के मम्मादन में लापत्तवाही के लिए,

५ जानवृद्धवाय का गया गल्ला (Wrong) या चूड़ (Default) अयथा जानवरवाय विय गय जम्मदाचरण या अपवरण (Misfeasance) के लिए

६ उम स्विति में अपने मह-सचार्क का वायों के लिए जह वह आदतन मचालव का बैठका में जनप्रम्यन रहता है,

७ प्रविवरण (प्रामाण्यम) में अन्य-क्यन (Misstatement) या नापासा (Concealment) के लिए।

८ कम्पनी अधिनियम के जत्तगत वाय (Fraud), अपचार (Delinquency), न्यास भग (Breach of Trust) तथा अन्य दाया, यथा व्यास्तविक लाभाश (Fictitious dividend) वाय के लिए फोड़दारी दायित्व।

### प्रबन्ध सचालक और प्रबन्धक

१९१३ के अधिनियम में एक मुख्य त्रुटि यह थी कि उसमें प्रबन्ध सचालकों और प्रबन्धकों की नियुक्ति के निवन्धनों और शर्तों के सम्बन्ध में कोई साविधिक उपबन्ध नहीं था। प्रायः अन्तर्नियमों में सचालकों को अपने में से एक या अधिक व्यक्ति को प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धक नियुक्त करने का और उम कुछ विशेष पारिश्रमिक देने का और आवश्यक शक्तिया प्रत्यायाजित करने का अधिकार होता था। इसके अलावा, प्रबन्ध सचालकों के बारे में कोई विनिर्दिष्ट उपबन्ध न होने का लाभ प्रबन्ध अभिकर्त्ता उठा रहते थे। वे उन पर कानून द्वारा विशेष स्पष्ट से लगाई गई पारिनियमों से बचने के लिए अपने आपको प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धक कहा करते थे। इस त्रुटि का दूर करने के लिए अधिनियम में 'प्रबन्ध सचालक' और 'प्रबन्धक' की परिभाषा बदली गई है, और उनकी नियुक्ति की शर्तें दो गई हैं। प्रबन्ध सचालक की परिभाषा यह दो गई है—“वह सचालक (और इसलिए एक व्यक्ति) जिस कम्पनी के साथ कारबोर होने से या कम्पनी की बूहूत् समझ द्वारा या इसके सचालक मठल द्वारा पास किये गये सबल्प के बारण या इसके पापेद मीमा नियम या अन्तर्नियमों के बारण कुछ ऐसी प्रबन्ध सम्बन्धी शक्तिया सौंपी गई है जिनका वह अन्यथा प्रदान नहीं कर सकता था, और इस में वह सचालक भी शामिल है, जो प्रबन्ध सचालक के पद पर हो, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।” प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धक की नियुक्ति वे समय सचालक लोग प्रायः उन शक्तियों को विनिर्दिष्ट कर देते हैं जिनका प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धक ने प्रयोग करना है। वशर्ते कि इस प्रकार प्रत्यायाजित शक्तियों में वे शक्तियां न हो जिनका प्रयोग सचालक मठल बैठक में ही कर सकता है, पर कम्पनी के साथ घबराहर करने वाले वाहरी व्यक्ति को यह धारणा बनाने का अधिकार है कि कारबार चलाने के लिए प्रायिक और उचित शक्तिया उसे प्रत्यायाजित की गई है और उन वे सब शक्तिया प्राप्त हैं जिन्हे प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धक होने के नाते उसे प्राप्त करने का अधिकार है।

'प्रबन्धक' की यह परिभाषा की गई है—“वह व्यक्ति (पर प्रबन्ध अभिकर्त्ता नहीं) जो सचालक मठल के अधीक्षण, नियन्त्रण और निदेशन के अधीन, कम्पनी के सारे या सारात सारे मामलों वा प्रबन्ध करता है, और इसमें प्रबन्धक के पद पर काम करने वाला सचालक या कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो और उमने मेहा की सविदा की हो या न की हो।” अब प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धक कम्पनी के मामलों के प्रबन्ध में केन्द्रीय स्थान रखता है, इसलिए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण उपबन्ध किये गए हैं। अब यह उपबन्धित किया गया है कि—

(व) कोई पर्म या नियमित निकाय प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धक नहीं नियुक्त किया जाएगा (मिर्फ़ व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा)।

(स) पहले बार प्रबन्ध सचालक की कोई नियुक्ति या उसकी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी किसी उपबन्ध का सशोधन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना मान्य या प्रभावी न होगा।

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुमोदित शोधाकाम है या विसी समय शोधाकाम अभिनिर्णीत हुआ है या जो अपने उत्तमणों को भुगतान बन्द कर देता है या जिसने कभी भुगतान बन्द किया है या जो नेतृत्व ग्राहक वाले विसी अपराध का दोषी पाया गया है या विसी समय दोषी रहा है, विसी लोक वर्गनी या उसकी उपसहायक वर्गनी का प्रबन्ध सचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता।

(घ) कोई लोक वर्गनी या उसकी उपसहायक वर्गनी विसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रबन्धक नियुक्त नहीं कर सकती या अपनी नौकरी में नहीं रख सकती या उसकी नियुक्ति या नौकरी जारी नहीं रख सकती जो अनुमोदित शोधाकाम है या पूर्ववर्ती ५ वर्षों में कभी शोधाकाम अभिनिर्णीत हुआ है, या अपने उत्तमणों को भुगतान बन्द कर देता है या जिसने पूर्ववर्ती ५ वर्षों के भीतर विसी समय भुगतान बन्द किया है, या उनके साथ पूर्ववर्ती ५ वर्षों में विसी समय सधान किया है या जो भारत में विसी न्यायालय द्वारा नेतृत्व ग्राहक वाले विसी अपराध का दोषी पाया जाता है या पूर्ववर्ती ५ वर्षों में विसी समय ऐसा अपराधी पाया गया है।

(इ) कोई व्यक्ति २ स अधिक वर्गनियों का प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धक नियुक्त नहा हो सकेगा और दूसरी वर्गनी में ऐसी नियुक्ति सचालक मडल की बैठक में जिसकी सद सचालकों को विशेष मूलना दी गई है, मडल के सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा ही की जाएगी।

(च) कोई प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धक एक साथ ५ वर्ष से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा पर वह प्रत्येक भोड़े भर पुनर्नियुक्त हो सकेगा या उसका समय और ५ वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा बश्ते कि ऐसी पुनर्नियुक्ति या समय विस्तार का भीजूदा पदावधि के पिछे २ वर्षों में ही वर्गनी द्वारा समीकरण कर दिया जाए।

(छ) शुद्ध लाभ का ११% सारे प्रबन्ध सम्बन्धी परिश्रमिक के न्यू म देने की धारा के अधीन रहत हुए प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धक का पारिश्रमिक शुद्ध लाभ का कुछ प्रतिशत रखा जा सकता है पर यह ५% म अधिक नहीं हो सकता। जहा वह शुद्ध लाभ का कुछ प्रतिशत पाना है, वहा वह दिसी उपसहायक वर्गनी से कोई पारिश्रमिक नहीं हो सकता। पारिश्रमिक सम्बन्धी उपबन्ध में कोई परिवर्तन बेन्ड्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगा।

### प्रबन्ध अभिकर्ता

दानून की दृष्टि में सचालक मडल ही व्यवसाय के सब महत्वपूर्ण विभागी, जैसे वित्त, उत्पादन, व्यय, वित्तीय विस्तार आदि के सम्बन्ध में व्यापक नीति का निर्माण करता है। यह अपना की जाती है कि वह प्रबन्ध कथा अधाधारिया के मध्य कड़ी का काम करेगा और बीच-बीच में साधारण नियीकण का काम करेगा। पर क्षमता में “भारत के मौजूदा बीदीगिक दाचे में सचालक मडल व्यर्थ होता है और प्रबन्ध अभिकर्ताओं को छोड़कर उसके अन्य सदस्यों को कोई निश्चिह्न

वाम नहीं करना होता। यदि वे बहुत उत्साह प्रदर्शित करते हैं तो अगली बार उन्हें सदस्य नहीं बनाया जाता।”<sup>१</sup> दूसरी ओर, प्रबन्ध अभिकर्ता विभिन्न तथा अनेक विविधों द्वारा जिनका विवेचन आगे के अध्याय में किया गया है, व्यवसाय पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं, यहाँ तक कि भारतीय कम्पनी अधिनियम भी उन्हें एकछत्र राजा मानता है। व्यवहारत, वे सभी सचालकों को नामजद करते हैं, और यदि संशोग से बाहरी अधिकारियों ने अपने हिनों का प्रतिनियान करने के लिए किसी सचालक को चुना और वह सचालक प्रबन्ध अभिकर्ता की इटिट में ज्यादा सक्रिय रहा तो प्रबन्ध अभिकर्ता उसे निकाल कर ही दम लेते हैं। १९१३ का कम्पनी अधिनियम प्रबन्ध अभिकर्ता की यह परिभाषा करता था कि ‘वह व्यक्ति फर्म या कम्पनी जिसे कम्पनी के साथ हुई सविदा के अनसार, कम्पनी के सम्पूर्ण कार्यों का प्रबन्ध करने का अधिकार प्राप्त है, और जो सविदा में वर्णित धोन के अतिरिक्त और सब बारों में सचालकों के नियन्त्रण व निर्देशन के अन्तर्गत है।’ परिभाषा के आखिरी हिस्से के कारण, जिसका सर्वदा फायदा उठाया जाता था, प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथमें पूरा नियन्त्रण तथा निर्देशन आ जाता था और इस प्रकार सचालक बेबल कागजी औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं रह जाते थे। इस प्रकार मण्डल (Board) के प्रारम्भण कार्य को अपेक्षा अनुमोदन कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाता था। लेकिन अनुमोदन (Approval) के प्रश्न पर बहुत से मण्डल पूर्णहेण निश्चिय रहे हैं। मण्डल का सभापति, जो करीबन्तरीव हमेशा प्रबन्ध अभिकर्ता का प्रतिनिधि तथा सचालक होता है, नीति का वास्तविक आरम्भकर्ता तथा प्रबन्ध अधिकारियों के द्वारा उनका निष्पादक भी होता है। १९५६ के अधिनियम ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं की अनियन्त्रित सत्ता पर रोक लगाने की दृष्टि से यह परिभाषा बदल दी है। अब प्रबन्ध अभिकर्ता की परिभाषा यह की गयी है कि “वह व्यक्ति फर्म या नियमित निकाय, जिसे, इस अधिनियम के उपर्यों के अधीन रहते हैं, किसी कम्पनी के साथ के, गयी सविदा के द्वारा, या इसके नीमानियम या अन्तिनियमों के द्वारा, किसी कम्पनी के सारे, या सारतः सारे मामलों के प्रबन्ध का अधिकार हो, और इसमें वह व्यष्टि, फर्म या नियमित निकाय भी आता है, जो प्रबन्ध अभिकर्ता के पद पर हो, ताहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।” भविष्य में, सचालक मण्डल को अधिक शक्ति होगी।

इस अध्याय में भारतवर्ष में विद्यमान प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के कार्य वा पूर्ण विवेचन अभीष्ट नहीं है। अगले अध्याय में इसका पूरा विवेचन उपस्थित विद्या जायगा। यहाँ बेबल इतना कहना पर्याप्त है कि तीन अभिकर्ताओं में से, जिन्हें कम्पनी प्रबन्ध का कार्य भार सांपा भया है, तथा जो इस सम्बन्ध में दिलचस्पी रखते हैं, प्रबन्ध अभिकर्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नीतियों का वास्तविक कार्यान्वयन तथा कम्पनी के कार्यों का दिन-प्रति-दिन का सचालन आवश्यकतावश बेतनभोगी कार्यपालों, प्रधान प्रबन्धक तथा व्यवसाय के विभिन्न विभागीय अध्यक्षों को सौंपा जाता है। अतएव,

१. लोहनाथन, उपर्युक्त, पृ० ३३०।

व्यवसाय का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध मुख्यतः प्रबन्ध अभिकर्ता तथा वैदेनिक कार्यपालों के हाथों में होता है, न कि कम्पनी के स्वतंत्रारियों के हाथों में। स्वामित्व तथा नियन्त्रण के बीच यह विलगाव व्यवसाय की आवारवृद्धि के साथ-साथ और अधिक हो जाता है। जो व्यवसाय इकाई जितनी ही बड़ी होगी, स्वामित्व तथा नियन्त्रण के बीच की खाई उननी ही चौड़ी होगी।

### सचिव और कोपाध्यक्ष

१९३६ के सशोधन अधिनियम द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर बहुत सी कानूनी रकावट लगा दिये जाने के बाद "सचिवों और कोपाध्यक्षों" की एक प्रणाली पैदा हुई। सयुक्त प्रधार समिति की सिफारिश पर १९५६ के अधिनियम द्वारा सचिवों और कोपाध्यक्षों को सावित्रिक स्वीकृति (Statutory Recognition) दे दी गई है। सचिव और कोपाध्यक्ष साधारणतया वही नाम बरतते हैं जो प्रबन्ध अभिकर्ता, पर एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि सचिवों और कोपाध्यक्षों को सचालक मण्डल म अपने मनोनीत व्यक्ति नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं। इस प्रणाली म वे बहुत सी वुराइया नहीं हैं जो प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली में थीं पर सावित्रिक स्वीकृति उन्हें प्रबन्ध अभिकर्ताओं का अनुकरण करने से बचाएगी। सचिवों और कोपाध्यक्षों की परिभाषा की गई है कि 'कोई फर्म या निगमित निकाय' (पर प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं) जो सचालक मण्डल वे अधीक्षण, नियन्त्रण और निदेशन के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति के सारे या सारत सारे वामा का प्रबन्ध बरता है, और इसमें सचिवों और कोपाध्यक्षों की स्थिति म काम करने वाली हर एक फर्म या निगमित निकाय आ जाना है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाना है और चाहे उसने ऐवर की संविदा की हुई हो या नहीं।" यह ध्यान देने की बात है कि परिभाषा म यह स्पष्ट कर दिया गया है कि "सचिवों और कोपाध्यक्षों" का पद कोई फर्म या निगमित निकाय ही धारण कर सकता है, एक आदमी नहीं। पर अन्य दृष्टिया से उन्हें "प्रबन्धक" की परिभाषा की सब अपेक्षाएँ पूरी करनी चाहिए। यह भी ध्यान देना चाहिए कि प्रबन्ध अभिकर्ता ही नै हुए सचिवों और कोपाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकती और नीचे दिये गये उपभेदों को छोड़कर अभिकर्ताओं और उनके सब सायिया से सम्बन्धित इस नियम के और सब उपबन्ध उन पर तथा उनके साथियों पर लागू होते हैं।

वेन्द्रीय सरकार अधियूक्तों द्वारा उचाग या व्यवसाय के किन्हीं विनिदिष्ट वर्गों में प्रबन्ध अभिकरणों का प्रतिपिछ़ बर सकता है। इस समय मौजूद सब प्रबन्ध अभिकरण मविदार्द अधिक से अधिक १५ अगस्त १९६० तक सत्तम हो जाती है। इसके बाद कोई न्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं बन सकता। इनम से कोई भी उपबन्ध सचिवों और कोपाध्यक्षों पर लागू नहीं होता। सचिवों और कोपाध्यक्षों को शुद्ध लाभ की प्रतिगतता के आधार पर ही पारिथमित दिया जा सकता है और यह प्रतिशक्ति साझे में अधिक नहीं होनी चाहिए, पर जब लाभ अपूर्ण प्राप्ति का विलुप्त नहीं होते तब उन्हें धारा १९८ के अधीन रहते हुए न्यूनतम परिथमित दिया जा सकता है।

यह धारा न्यूनतम ५०,००० रुपये प्रदर्शकीय पारिश्रमिक के रूप में उपबन्धित करती है। सचिवों और बोधाव्यक्तों को अपने प्रबन्ध के अधीन कम्पनियों में सचालक नियुक्त करने का अधिकार भी नहीं है। उन्हें कम्पनी द्वारा बनाई गई कोई वस्तु बेचने का या कम्पनी के प्रयोजन के लिए कोई मसीनरी, वस्तुएँ या कच्चा माल सहीदें का या उभयी आवश्यकता न होने पर उमे देख देने का भी अधिकार नहीं है, पर यदि सचालकों ने उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया हो तो जिस सौमा तक उन्हें यह अधिकार दिया गया है, उम सौमा तक वे उभका उपयोग कर सकेंगे।

### राज्य

यह यह बनाना अप्रामणिक नहीं होगा कि उन अभिकर्ताओं के अनिरिक्त, जो कम्पनी से प्रबन्धन नमूद हैं राज्य व अन्य पक्ष, यथा क्राणपत्रयारी, बीमा-प्रबन्धारी, विनियोग वैकं तथा अनिगामद, भी विभिन्न मामा में कम्पनी के कार्यों पर नियन्त्रण रखते हैं। राज्य अपने लिए कठिनय आपात शक्तिया (Emergency Powers) सुरक्षित रखता है जिनका उपयोग उन ममय होता है जब कम्पनी में दुर्घटनाएँ होती हैं। हाल का कम्पनी अविनियम, १९५६ वेन्ड्रीय सरकार का कम्पनी की दुर्घटनाएँ को जबस्था में प्रबन्ध परिवर्तन के प्रशस्त अधिकार प्रदान करता है। उदाहरणान् अविनियम निम्नलिखित व्यवस्थाएँ करता है (क) चालू कम्पनी के नियन्त्रक स्वतंत्रों द्वारा बनेमान या जागामी प्रबन्ध द्वारा इस पर वोकिड शर्तें लाइ जाने के पूर्व वेन्ड्रीय सरकार की स्वै.इति, और (ख) कम्पनी के भासलों में सलाहकों या प्रबन्ध अनिकर्ताओं द्वारा घोर दुर्घटनाएँ या कम्पनी के क्षमियतों के शोषण की अवस्था में न्यायालय दैमी उपचारात्मक (Remedial) कार्यवाही कर सकता है जैसों वह (न्यायालय) उचित ममज्ञे। वेन्ड्रीय सरकार की पूर्व स्वै.इति के दिना कम्पनी के नियन्त्रक स्वतंत्रों में परिवर्तन करना, इसे आरम्भ में ही शून्य (Void) बना देता है।

कम्पनी अविनियम १९५६ वेन्ड्रीय सरकार को इसके बारे में कुछ मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार आयोग बनाने की सक्ति देता है। आयोग में एक सभापति और चार में अनधिक भूमिका होते जो सब सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे जिसी विनियिक्षण उद्दोग या व्यवसाय में प्रबन्ध अभिकरणों का प्रतियोग अधिमूचित करने की सरकार की शक्ति का प्रयोग करने के विषय में सरकार के लिए सलाहकार आयोग से सलाह लेना अनिवार्य होगा। इमी प्रकार निम्नलिखित मामलों के बारे में सरकार को आयोग में जरूर मलाह लेनी होगी :

(क) सचालकों की मर्यादा में वृद्धिया (जो धारा २५९ में निश्चित है)।

(ख) प्रबन्ध सचालक या सारे ममय के सचालकों को नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति (पारा एं २६८ और २६९);

(ग) प्रबन्ध सचालकों का पारिश्रमिक बढ़ाना (धारा एं ३१० और ३११);

(प) प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति आदि का अनुमोदन करना (धारा ३२६),

(इ) प्रबन्ध अभिकर्ता की, उसका पद खत्म होने से दो साल से अधिक पहले, पुनर्नियुक्ति (धारा ३२८),

(च) प्रबन्ध अभिकरण वरारो में परिवर्तन (धारा ३२९),

(छ) प्रबन्ध अभिकर्ता को १० से अधिक वर्षपनियों में यह पद धारण करने की अनुमति देना (धारा ३३२),

(ज) प्रबन्ध अभिकर्ता के पद के हस्तान्तर, उत्तराधिकार द्वारा प्रबन्ध अभिकरण की प्राप्ति या प्रबन्ध अभिकरण कर्मों और वर्षपनियों के गठन में परिवर्तनों का अनुमोदन करना (धाराएँ ३४३, ३४५ और ३४६),

(झ) प्रबन्ध अभिकर्ताओं को शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत के बाद अतिरिक्त पारिश्रमिक के लिए अनुमोदन करना (धारा ३५२)

(ञ) अत्याचार या कुप्रबन्ध को रोकने की पुष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा सचालकों की नियुक्ति या सचालक मडल में परिवर्तना का प्रतिपेध (धाराएँ ४०८ और ४०९),

सलाहकार आयोग सरकार को उन अन्य मामलों पर भी सलाह देगा, जो सरकार उसके पास भेजे। आयोग को अपने कार्यों के निर्वाह के सिलसिले में वर्षपनियों से जानकारी, स्पष्टीकरण और वहीखाते आदि पश्च बरने के लिए बहुने की शक्ति है और जो व्यक्ति इस विषय में आयोग की अपकाऊ की पूर्ति नहीं करेगा उसे दो वर्ष तक की कैद और असीमित जुमानि से दण्डित किया जा सकेगा।

वर्षपनी विधेयक सम्बन्धी सयुक्त प्रबल समिति ने अपने प्रतिवेदन में सहसद से सिफारिश की थी कि सरकार को सयुक्त स्वन्ध वर्षपनियों और अन्य सम्बन्धित विषयों के प्रबन्ध के लिए वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करने वाला एक पूथक सचिवालय विभाग बनाना चाहिए, क्योंकि वर्षपनियों के प्रशासन में सम्बन्धित वाम बहुत अधिक होने की आशा है। इसलिए सरकार ने प्रबल समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है, और एक अगस्त १९५५ से वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत एक नया विभाग बना दिया है जो वर्षपनी विधि प्रशासन विभाग वहलाता है, इस नवे विभाग की जिम्मेदारिया निम्नलिखित है—

(१) सयुक्त स्वन्ध वर्षपनिया जिनमें ये विषय शामिल है—

(क) वर्षपनी विधि और पूजी विनियोग का प्रशासन।

(ख) पूजी निर्गम नियन्त्रण,

(ग) चाट्टड़ एवाड्नैण्ट,

(२) स्टाक एकमचेज।

(३) वित्त निगम जिनके अन्तर्गत ये विषय होगे—

- (व) औद्योगिक वित्त निगम,
- (ख) औद्योगिक उधार और विनियोग निगम,
- (ग) पुनर्वास वित्त प्रशासन।

इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के कार्य और प्रशासन के बारे में एक साधारण वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कराना होगा और प्रतिवेदन जिस वर्ष के बारे में है उसकी समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों में रखना होगा।

अध्याय :: १०

## प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली (MANAGING AGENCY SYSTEM)

यह सभी मानते हैं कि भारतवर्ष में आधुनिक उद्योग के उद्भव तथा विकास का थर्य प्रथमत दा प्रकार के लागा का मिलना चाहिए (१) अप्रेज सौदागरों को, जो अप्रेजी फर्मों का प्रतिनिधित्व करते भारतवर्ष आये थे, तथा (२) बम्बई और बाद म जहमदाराद तथा जन्य केन्द्रों के रहे के व्यापारियों को। चूंकि वे अभिकर्ता थे, जो दूसरे के विभिन्न व्यवसाय की व्यवस्था करते थे, अत वे प्रबन्ध अभिकर्ता वहाँते रहे। मार्गनिमाना (Pioneer) के न्य मे उन्हान अपने को अपरिहार्य बना लिया, तथा भारतीय श्रीधोगिक बढ़ि की विभिन्न प्रबन्धाओं म उन्होंने प्रवर्तन वित्तपायण तथा प्रबन्ध इन तीन वार्यों का सम्पादन किया है। समय-नमय पर इन लागा के बन्ध पर पर्यादा विस्त्र की जार्दिक समस्याओं का दायित्व आ गिरा है, जिन्हे इन लागा न वैयक्तिक योग्यता तथा चरित्रवर्ण के जनुमार, न्यनाप्रिक सफलता के साथ हड़ किया है। लेकिन एक चीज सभी म समान मात्रा मे उल्लेखनीय है। चूंकि मच्चे जय मे वे प्रविधिक या उद्योगपति नहीं हैं, और केवल नियुक्त व्यवसायी (Keen Businessmen) या व्यापारी हैं, अत उन्होंने प्राप्त वित्त तथा वित्तीय मोटेवाजों का अधिक भहना दी है। सच्ची बान ना यह है कि बन्ध बारणा से अविक विनापायक की हैमियत मे ही इनके दुष्टत्वों (Malpractices) के वाक्कूद के अव तक प्रबन्ध अभिकर्ता बने हुए हैं। भारतीय प्रबन्ध अभिकर्ताओं के मामल मे जिनीय पट्टर जधिक महत्वांग है। इन अभिकर्ताओं मे मे अधिकार आरम्भ म ही अपने-प्रथम तर्गते मे कमान को बाल्य थ। थोड़ी गी शिक्षा पा लेने के बाद ही उन लागा ने मामान्य तथा व्यापारिक शिक्षा के प्राप्तमिक मिलान भी द लिये। उन्होंने अपनी छोटी-छोटी बचतों का और इमके बाद मोटे लाभों को एकत्रित किया, जिनमे उनके घन का ग्रन्तीवरण हुआ और इम प्रशार उन्होंने व्यवसायमाही की हैमियत मे आनी वार्दिक शनिं प्राप्त की। वे उद्योग के कासान ही गये तथा योग्यता के अविकार द्वारा उन्हान ने नृत्व पर बाजा किया। लेकिन प्राविधिक दृष्टि मे वृहन घनराशि के स्वामित्व से उपन्ह हाने वारे विनेपारिकार (Privileges) के न्य म उन्होंने उनके नृत्व प्राप्त किया। चूंकि व्यवसाय तथा वित्त के मिवाय अन्य किमी चीज मे वे मरम्मन नहीं थे, अत उन्होंने व्यवसाय प्रशासन के अन्य मामाजिक वार्यों के प्रशासन के धीरे बोई समना देखी ही नहीं। इसमे सन्देह नहीं कि उद्योग

के इन बड़े-बड़े क्षमानों ने देश की उन्यादक क्षमता को अधिक दढ़ाया है। लेकिन वैयक्तिक लाभ कमाने में जुटे रहने तथा मामाजिक विचार की कमी के कारण उन्होंने अपनी उम्मीद का दुर्घटनाग्रस्त किया जिसे उन्होंने विभिन्न विविधों से हानिल किया था और जिसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ है कि हाल के बर्षों में जनता के बहुतेरे लोगों ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के विरुद्ध आवाजें बुलन्द की हैं। इन लोगों द्वा कहना है कि इम प्रणाली की उपयोगिता अर्थात् वे गर्भ में समा चुकी हैं और अब इनका गंभीर अल्पेष्ट मम्मार हो जाना चाहिए। वर्तमान मम्मय में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को लेकर बहुत बड़ा वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ है। जिसनो आज यह प्रकाश में आयी है, उन्हीं पहले कभी नहीं आयी थी। अब हमारा यह कर्तव्य ही जाता है कि हम इम प्रणाली की समाप्ति अथवा अममालि के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं की छानबीन करें। ऐसा करने के लिए यह उचित होगा कि हम सज्जेप में इसके विवरण के आरम्भ को दें, औद्योगिक ढांचे के प्रति इसके दृत्य तथा उस दर इसके प्रभाव की परीक्षा करें तथा इसके मतान्त्र (Working) को उत्तर करने के निमित्त उपाय सुझाएं।

प्रबन्ध अभिकर्ता तथा प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का आरम्भ—प्रबन्ध अभिकर्ता वे व्यक्ति या व्यक्ति-समूह होने हैं, जिनके पास पर्याप्त वित्तीय प्रभावरूप होने हैं तथा वे नवीन व्यवसायों का शीर्षणग्रहण होने के पहले छानबीन के प्रारम्भिक कार्य का सम्बद्धन करते हैं, तभी समुक्त स्कन्द कम्पनियों का प्रदर्शन करते हैं, उन कम्पनियों के वित्त-पोषक तथा प्रायामूलिकताओं (Guarantor) होने हैं, और सानान्यत अपने व्यवसाय का प्रबन्ध करते हैं। अक्सर वे अपने द्वारा प्रबन्धित कम्पनी के लिए छच्ची सामग्री के ऋण तथा निर्मित मालों के विनाय या विनरण के सम्बन्ध में अभिकर्ता वा काम करते हैं। भारतवर्ष में प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा व्यवसाय का प्रबन्ध किया जाना सामाजिक नारीय औद्योगिक समर्थन की जरूरत विदेशी माली जानी है। लेकिन सभ मह है कि “प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली, चीन, मलाया तथा ईस्ट इन्डिया में भी प्रचलित है”। मानूहिक प्रशासन प्रणाली, जो प्रबन्ध अभिकर्ताओं के ढंग की चीज है, दक्षिण अमेरिका के स्वर्ग उत्कृष्ण उद्योग (Gold Mining Industry) में भी पायी जाती है। इनके अनिवार्य, यह प्रणाली देशी नहीं, बरन् नारतवर्ष में जगेजो द्वारा लायी गयी है। नारतीय व्यापारियों ने नो बेवल अप्रेजों के उदाहरण का अनुसरा किया है।

अप्रेज प्रबन्ध अभिकर्ता—भारतवर्ष में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का आरम्भ आशिक रूप ने उस कठिनाई के कारण हुआ जो अप्रेजों द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों को हिन्दुस्तान म उद्दलन्द जरूरत दोडे वाँ में, ऐसे सचालन और विदेशी प्रबन्ध क्षमाता के प्राप्त करने में हुई जो बासी असे तर इन देश में रह कर कम्पनियों के सुखुम भवान्त्र के लिए आवश्यक मन्त्र पर्यवेक्षण दो सारणी दे सकते। प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के उद्दमत का दूसरा कारण यह था कि ये बहुत व्यवसाय-नूह इस योग्य थे कि वे नया व्यवसाय शुरू करते वालों को वित्तीय नहायता प्रदान कर सकें। त्रिटिय व्यापारी बौद्धियों के अधिकार प्रनिनिधि जब हिन्दुस्तान आये तो उन्होंने मह

देखा कि वे जिस कार्य से हिन्दुस्तान आये, उस कार्य के अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहा वे अपनी योग्यताओं का उपयोग करने के अतिरिक्त अवसर पा सकते हैं। इस देश में बड़ी मात्रा में साधन अद्यूत पड़े थे। सस्ता अम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, तथा उपभोक्ताओं की बड़ी साफ्या विद्यमान थी। व्यापार-प्रधान व्यवसाय में उन्होंने पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था। अतएव वे चुस्त व्यापारी तथा सफल संगठनकर्ता प्रमाणित हुए। चूंकि उनमें प्राविधिक ज्ञान का अभाव था, अत उन्होंने प्राविधिक विशेषज्ञों को नीकर रखा। कालान्तर म एकाकी प्रबन्ध अभिकर्ता साझेदारी कर्मों म परिणत हो गये, जिसम प्रथम तो एक ही परिवार के सदस्य साझेदार ये परन्तु आगे चलकर कुछ वाहरी व्यक्ति भी, जो प्राय प्राविधिक विशेषज्ञ थे, उनकी नौकरी में साझेदार हो गये। इवर के कुछ वर्षों में य साझेदारिया निजी व्यापकियों में परिणत हो गयी है, जिसका मूल्य कारण यह रहा है कि व्यावसायिक परिवारों के लड़के हिन्दुस्तान आने को बनिच्छुक रहे हैं। अत उन्होंने सर्वदा प्रशिक्षित सहायकों की सेवाओं का लाभ उठाने की तत्परता दिलाई है। इससे स्वामित्व वी निरन्तरता तथा प्रबन्ध की दक्षता निर्दिष्ट हा जानी है।

अप्रेज प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने अनुकूल घटकों का लाभ उठाया है और उद्योग के शांतिज (Horizontal) व शीर्षीय (Vertical) विकास की दोनों दिशाओं में व्यक्ती प्रबन्धन की जोरदार नीति का अनुसरण किया है। अपनी कार्यशीलता के प्रारम्भिक बाल में उन्होंन अपनी शक्ति को बाहर, विहार तथा आभास तक ही भीमित रखा, जहा उन्होंन पाट, कायला तथा खाय वागान को विकसित किया। उनके कार्य का थीरणेता किसी एक व्यवसाय, मात्र लोजिए पाट मिल, मे हुआ, तब उनके बाद कई पाट मिले खुली, फिर कोयले की बारी आयी और फिर नौपरिवहन और अन्त में लाइट रेलवे। आगे चलकर उन्होंने अपने कार्य का विस्तार मद्रास तथा उत्तरी भारत और सासकर कानपुर तथा दिल्ली में किया। जैसा कि पहले बहा जा चुका है, ये लोग न बैठक प्रबन्धक थ वरन् वितरेपक तथा प्रबन्धक भी थे। बरीब-बरीब हमेशा ही उन्होंन प्रारम्भिक पूँजी की स्थित ही पूर्ति की है तथा अपने जरिये अप्रेजी पूँजी को भारत-वर्ष म प्रबाहित किया है। जब प्रबन्ध अभिभावण विकास के अम में था, तब भारत-वर्ष म शायद ही काई विनियोगना बर्ग रहा हो। भारतीय जनता से बिमी भी मूल्य पर पूँजी आकृष्ट नहीं की जा सकती थी, जिसका परिणाम मह हुआ कि प्रदन्य अभिकर्ताओं ने बड़ी मात्रा में अपनी तथा अपने देश की पूँजी को विनियुक्त किया। इस प्रकार वे इम स्थिति में थे वि वे बहुन सारे उपक्रमों को उनके शैशव बाल में पोषण प्रदान कर सके, उनके बूढ़िकाल तथा जीवन-मग्राम के समय उन्हे पोषणत दे, सके, तथा पाल पोस्कर बड़ा बना सके। इसके पश्चात् ही उन्होंन पूँजी के लिए जनता का दरवाजा खटखटाया और पूँजी प्राप्त की। अवसर पाइर उन्होंने व्यवसायों को लोक सीमित व्यक्तियों में परिवर्तित किया तथा अपने हिनों का बड़ा भाग भारतीय जनता के हाथ बेच डाला जिसे अब उपक्रमों (Enterprise) की दृढ़ता में विश्वास

उत्तम हो गया। अपनी पूजी का पर्याप्त अंश वापिस पा जाने के पश्चात्, प्रबन्ध अभिकर्ता पुनः अपना ध्यान अन्य उपकरणों की ओर लगाने को तत्पर थे। लेकिन वे इस बात में हमेशा मादधान थे कि लगभग स्थानों अवधि वाले पद की प्राप्ति द्वारा या अपने मम्बन्डियों तथा मित्रों की मचालद्वय पद पर नियुक्ति द्वारा, कम्पनी पर अधिकार तथा नियन्त्रण उन्हीं के हाथों में बना रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में अप्रेजों की पूजी थोड़े भे यात्र नेताओं के हाथों में, जो बड़ी-बड़ी कम्पनियों की व्यवस्था कर सकत थे आ टिकी और इन थोड़े स नेताओं ने ही सब कार्यभार सम्भाला। उनका जर्य हुआ पूजीपतियों के लिए कम प्रशासन व्यय, लेकिन अच्छा लाभ, और यह प्रणाली कई दृष्टिया से मित्रप्रणितार्थी प्रमाणित हुई। अप्रेजों पूजी का दोनों चालू ही रहा तथा नियन्त्रण अप्रेजों के हाथों में था। परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड दोनों देशों को लाभ हुआ। मरि प्रबन्ध अभिकर्ता न होने तो भारतवर्ष का औद्योगिक विकास बहुत धीरों गति से होना तथा भारतवर्ष में अप्रेजों भाट्टम और अप्रेजों पूजी के विनियोग के अवमर बहुत कम होने। भारत में उनकी अनीम सफलता के कारण इस प्रणाली का भारत के अन्य हिस्सों में भी विस्तार हुआ।

**भारतीय प्रबन्ध अभिकर्ता—प्रोटोटाइप लोगों के द्वारा जो ननूट दिया गया,** उने भारतीय व्यापारियों तथा व्यवसायियों ने प्रहृष्ट कर लिया और उन्होंने प्रमुखतः भारत के परिचयी हिस्से, बम्बई, अट्टमदाबाद तथा इंड-गिर्द के ज़िलों में, एकाधिकार स्थापित कर लिया। इन्हें भी उन्हीं परिम्पतियों में काम करना पड़ा, जिनका भारतीय प्रणाली के प्रारम्भिक विकास काल में अप्रेज व्यवसायियों को करना पड़ा था। पूजी अति मीठिन थीं और जो भी पूजी थीं वह उन्होंने जैसे मुद्री भर धीरी व्यवसायियों के हाथों में थीं और खानकर उन लोगों के हाथ में थीं जिन्होंने १८६०-६५ के अमेरिकी गृहयुद के समय हई के व्यापार में मोटा लान बमाया था, जो मोते और चाढ़ी के घड़ों के हृष में था और जिनकी कीमत ५१ करोड़ हृष्ये थी। सूरी वर्ष कम्पनियों के बम्बई में स्थापित होने के कई कारणों में एक यह भी है, और बम्बई के हई के व्यापारी सूरी वस्त के निर्माण हो गये। परिचयी भारत में सबसे अधिक प्रमुख पथनिर्माता (Pioneer) पारसी और भाटिये थे। उनके पथ का अनुमरण दौर्घट ही अन्य जातियों व व्यवसायियों ने किया। सूरी फिलो के लिए आवश्यक द्रव्य वा अशदान प्रबन्धकों तथा उनके मित्रों ने चिन्ता तथा उन लोगों ने, जिनका इन मिलों में वृत्त हित का, जिन्हें को प्रबन्ध अभिकर्ताओं करा लिया। बनाल के व्यवसायियों को सरकारी मिल का प्रारम्भ, प्रबन्धन, वित्तोदाता तथा प्रबन्ध इन व्यवसायियों हैं ही कर्ते पड़ा, जिन्हें इस बात की चिन्ता हमेशा रहती थी कि नियन्त्रण उनके हाथों में रहे। एक इन प्रबन्ध के उद्भव का समझन हुआ, जो समृद्ध स्वन्ध बम्पनी तथा एकल स्वानिव (Proprietorship) को प्रहृति का था, जिसमें बम्पनी को वृहृ पूजी तथा मीठिन दायिन्द्र का लाभ तथा एकल स्वानिव के प्रबन्ध एक्य का लाभ विद्युतान

थे। ऐसा योगठन विदेषतया अहमदाबाद में उद्भूत हुआ जहाँ की बहुतेरी तथाकथित लोक यमुना स्वन्ध कम्पनिया बस्तुत निर्गी चोटी की हैं, चूंकि पूजी का अधिकार आपे दर्जन अविकल्पी के ही हाथों में है।

**प्रबन्ध अभिकर्त्ता तथा प्रबन्धन—**उपर तथा अन्यत्र के विवेचन में यह निष्ठ्यं निकलता है कि तीन चौथाई शताब्दी तक प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने प्रबन्धकों के कृत्यों का प्रशस्तरूप रीति में सम्पादन किया। जब विनियोगता थोड़े तथा लज्जित था, तर उनकी साक्ष तथा साधन परम आवश्यक थे। यह उन्होंना अनियोगित नहीं है कि यदि अपेक्ष तथा भारतीय दानों प्रकार के पक्षनिर्माता (Pioneer) अपनी शक्ति तथा साधनों को उम रीति में नहीं लगाने जिम्मे दिए उन्होंने लगाया तो भारतीय उद्योग विचित्र मान भी प्रगति नहीं करता। अभी इधर कुछ बाधों में उपनियोगों (Entrepreneurs) का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया है, विदेषतया चीनी, सीमेंट, वागज, रासायनिक द्रव्यों तथा दियामलाई जैम नये उद्योगों के क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, चीनी उद्योग म १९३३-३४ में भारतवर्ष में जो १४५ चीनी थीं मिले छालू थीं, उनमें में ७१ मिल ऐसी थीं जो किसी भी प्रबन्ध अभिकर्ता फर्म के नियन्त्रण में नहीं थीं। सौमेण्ट उद्योग म आवा दर्जन मूल्य कम्पनिया कार्य-सळान हैं, जिनमें से तीन किसी भी प्रबन्ध अभिकर्ता फर्म के अन्तर्गत नहीं हैं। दियासुलाई उद्योग में आवा दर्जन बड़ी कम्पनियों को छोड़कर १२५ छोटे-छाटे संस्थान (Establishment) स्वामित्व के बाहर पर चल रहे हैं। अतएव नये उद्योगों में तो इस नये क्षेत्र के उपनियोगा के जागे प्रबन्ध अभिकर्ता भेदान छोड़कर भागने नजर आते हैं, हालांकि युरोप उद्योगों में के इन्हें मुख्यित है कि उन पर से उनका नियन्त्रण हट नहीं सकता।

**प्रबन्ध अभिकर्त्ता तथा वित्त—**वित्तपोषक के स्पष्ट में प्रबन्ध अभिकर्त्ता के कार्यों का अन्यत्र विवेचन किया जा सकता है। पाठ्य विभूत सूचना के लिए उमे देखें। परन्तु इमरे पहले कि वित्तपोषक की इस प्रणाली द्वारा लागत का अनुमान लगाया जाय, उनके सम्बन्ध में प्रमुख बातों का यहा सम्पेत उल्लेख बर दिया जाता है। विनियोगकर्ता जनना तथा भगठित पूजी बाजार की जब कमी थी, तब प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं तथा उनके मिलों बावश्यक वित्त को पूर्ति करनी पड़ी थी। वेन केबल अपनी ओर में पड़ी की व्यवस्था बरने थे वरन् उद्योगों के लिए अग्रिम उपराज्य कराने के लिए हर तरह में व्यवस्था बरने थे। कम्पनी के द्वारा प्राप्त ऊर्ध्व का उनके द्वारा प्रत्यामूल किया जाना एक आम चर्चन हो गया था, यहा तक कि जनता द्वारा लोक-निपोप (Public Deposit) भी प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की वाम्यता तथा चरित्र थल सम्बन्धी ल्याति के अनुमार कम या अधिक होता था। उन उद्योग की प्रारम्भिक अवस्थाओं में और प्राय विस्तार कार्य के लिए, प्रबन्ध अभिकर्ता धन की पूर्ति बरते थे और प्राय मन्दी के समय बपने द्वारा प्रबन्धिन उद्योग की रक्षा को दोड़ पड़ते थे। इस प्रकार उन्ह पूर्ण विनाश से बचाते थे। ऐसिन, जैसा कि डा० लोकनाथन ने बताया है, प्रबन्ध अभिकर्ण वित्त प्रणाली में, कठिप्रथम

लक्षणिक (Characteristic) दोष अभिलक्षित होते हैं। उनका बहुत है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली वित्त के विद्यमान रहने से (व) उद्योग में वित्तीय विचारों की अतिशय प्रवानता हो गयी है, और औद्योगिक घटक सम्बन्धी विचार बहुत ही गोल हो गये हैं, (य) कोई भी मिल कम्पनी प्रबन्ध अभिकर्ताओं से स्वतन्त्र अपनी वित्त प्रणाली विवरित नहीं कर पायी है; तथा (ग) इस प्रणाली ने रई मिल कम्पनियों के अशो में परिवर्त्पन (Speculation) को जन्म दिया है।

लेकिन इसके विपरीत, डा० नवगोपालदास<sup>1</sup> वा विश्वास है कि प्रबन्ध-अभिकर्ताओं को पोषण नीति उनकी सबसे कम आपत्तिजनक विवेषता है। उनके मतानुमार, विभी भी प्रबार की प्रबन्ध प्रणाली में दोषों वा होना अनिवार्य है। अपने विश्वास के प्रमाणस्वरूप वे ग्रेट रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका वा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहा, जैसा कि वे कहते हैं, संबड़ी वी सूखा भे बृहदाकार निजी मीमित कम्पनिया एवं प्रबार के स्वामित्व-धारियो या प्रबन्धकों के हाथ से दूसरे प्रबार के स्वामित्वधारियो या प्रबन्धकों वे हाथों में इसलिए चली जानी है कि पहलो से वित्त वा प्रबन्ध नहीं हो सका। उनका निष्पर्य मह है कि वित्त वी प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली औद्योगिक घटकों वे मूल्य पर वित्तीय विचारों को अतिशय प्रधानता नहीं देनी। लेकिन यह तर्वं कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं की वित्तीय नीति जरा भी आपत्तिजनक नहीं है, यह प्रमाणित नहीं करता कि यह प्रणाली त्रुटिपूर्ण नहीं है। अन्य हृत्यो वा सम्पादन अधिक त्रुटिपूर्ण हो सकता है। लेकिन वहा तो किंचित् साध त्रुटि भी बुरी है, यदि उसके बारण खर्च ऊदा पड़ता हो। इम्बे अतिरिक्त, रिटेन या सयुक्त राज्य अमेरिका में कम्पनियों का स्वत्वान्तरण ठीक जैसा नहीं होता जैसा इस देश में। उन देशों में स्वत्वान्तरणों वा एवं मात्र उद्देश्य होता है पजों की प्राप्ति, लेकिन यहा तो इसका इसका मूल्य उद्देश्य होता है अनन्त धन राशि बटोरना। यदि इम्बे लिए प्रमाण वी आवश्यकता हो तो भारतीय कम्पनी (मशोधन) अधिनियम, १९५१, जो अगस्त, १९५१, में ही स्वीकृत हुआ है, मोजूद है। प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकारों की सरोदर्येच तथा वित्तीय गोटेवाजिया इनमें अधिक बड़ गयी थी कि मरवार ने ज्लार्ड में अध्यादेश (Ordinance) जारी करने के लिए अविलम्ब वदम उठाना आवश्यक समझा, और बाद में इसकी जगह उक्त अधिनियम लाग रिया। यह निःसन्देह सत्य है कि अपने जीवन के प्रथम ५० वर्षों में यह प्रणाली मितव्ययमितापूर्ण थी, लेकिन उसके बाद दुष्कृत्यों (Malpractices) का प्रवेश हो गया है, जिनके जरिये प्रबन्ध अभिकर्ता पूले की तरह वित्तरोपण के दबाव वित्तीय सोडेक्सको में अधिक सहे रहते हैं। डा० दास द्वारा गिनायी गयी दूसरी और तीसरी त्रुटिया प्रबन्ध अभिकर्ताओं के दोष के ही बारण है, यह आवश्यक नहीं, लेकिन वे त्रुटिया वित्तीय प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के बारण ही हैं। १९५६ के कम्पनी अधिनियम ने, प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा वित्तीय गोटेवाजी विषे जाने वा अस्तित्व मानते हुए, १९५१ के

(मशावरन) अधिनियम के उपर्योगों को वायम रखा है और प्रबन्ध अभिकर्ताओं की वित्तीय जादूगरी पर कई रकावटों की व्यवस्था की है।

उपर्युक्त तौल चुटिया में इसकी कतिपय दुर्बलताएँ भी जोड़ी जा सकती हैं। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि कम्पनी पर अपना नियन्त्रण बनाये रखने के लिए प्रबन्ध अभिकरणों ने अशो के निर्गमन को सीमित ही रखा है, हालांकि अधिक अशो का निर्गमन आवश्यक था। धारा ६९ ने, जो न्यूनतम आवेदन की व्यवस्था बताती है उस दुराई को दूर कर दिया है। फिर, १९३७ के पूर्व वैधानिक प्रतिवचन न होने के कारण अल्पजूदीकरण की उत्पत्ति होती थी। इसके अतिरिक्त, प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा बहुत किया जाने वाला भार इतना भारी था कि वे इसके नीने दब कर रहे जाते और अपने साथ-साथ अपनी कम्पनी का भी सबनाश कर देते। यह घटना तब अधिक पटती थी जब एक ही प्रबन्ध अभिकर्ता अनक कम्पनियों का प्रबन्ध करता था। और प्राय बोझ से दबन और कम्पनी के विनष्ट होने का धरका इतना जबरदस्त होता कि दुर्बल कम्पनियों के साथ-साथ सबल कम्पनियां भी मर्दनाश के मुंह म चली जातीं। अब यह उपबंध किया गया है कि १५ अगस्त १९६० के बाद कोई व्यक्ति १० मे अधिक कम्पनियों का प्रबंध अभिकर्ता नहीं हो सकता। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का यह परिचय इससिए नहीं दिया गया है कि भारतीय उद्योगों के कित पोपण की दिशा म प्रबन्ध अधिकर्ताओं द्वारा वो गयी सेवाओं की महत्ता कम की जाय। चुटियों तथा दुर्बलताओं के कावजूद उन्होंने अतिशय वित्तीय भार बहुत किया है तथा भारतीय उद्योग की बुद्धि तथा विकास का थेप उन्हीं को है। यदि वे बेवल इतना ही कर पाते कि अपनी कालबाजियों से अपने को मुक्त कर लें, तो यह प्रणाली भारतीय दशाओं के लिए आदर्श रूप से अनुकूल बनी रहती।

प्रबन्ध अभिकर्ता तथा प्रबन्ध—प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृत्य, अर्थात् प्रबन्ध, पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसका आशिक कारण तो यह है कि चूंकि उनके कार्यों को दृश्याला में यह सबसे दुर्बल बड़ी है, अत प्रबन्ध अभिकर्ताओं न इसके विवेचन को प्राय उत्साहित नहीं किया है। प्रबन्ध के सम्बन्ध में इस प्रणाली की दुर्बलता का कारण यह है कि आतंरिक संगठन, कम से कम भारतीय प्रबन्ध अभिकर्ता फर्मों का संगठन, एसा अनुकूल नहीं है कि वह प्रबन्ध तथा प्रशासन की विभिन्न समस्याओं का कुशलता से नियन्त्रण कर सके। अभिकरण संगठन के अन्तर्गत शमशिराजन नहीं होता तथा कम्पनी की आतंरिक तथा वास्तु मित्रशयिताओं को भूक्षणतात्रा पर उनके द्वारा किया जाने वाला नियन्त्रण निस्सन्देह असन्तोषजनक होता है। अभिकर्ता बेवल कितपोपण करने वाला अभिकर्ता होता है वह नियन्त्रित उद्योग का वास्तविक प्रबन्धक नहीं होता। उसका ध्यान विभिन्न कम्पनियों के आर्थिक क्षमेत्र में इस तरह उलझा रहता है कि वह किसी एक पर अपना ध्यान जमा नहीं सकता। यह बहुत अतिशयोक्ति नहीं है कि वे अपने 'विद्वस्त' मात्रहोने के गिर्म्य इनना काम छोड़ देते हैं कि उससे पक्षपात तथा चारों ओर मरणाचार की उत्पत्ति

होती है।

इन ब्यासर इष्टव्यों को दृष्टि में रखने हुए कहा जा सकता है कि सब मिलाकर मामारगन अद्वीतीय कर्मों और विदेशी कल्पता क्षत्र वालों कर्मों ने अपनी कम्पनियों का मनोप्रबन्ध रौनि में प्रबन्ध किया है। इसके विपरीत, बम्बई क्षेत्र वाली तथा जन्यव्यं नियन्त्र अभिकर्ता कोठियान अपने का चालवाजियों (Manoeuverings) में ज्यादा और 'प्रबन्ध' में कम मत्तुन किया है। कलिनिय प्रबन्ध अभिकर्ता कोठियों के कध्यपन में निष्कर्ष निकलता है कि कल्पत्र और आम-पान वाले कर्मों में प्रबन्ध अभिकर्ता अब भी, जैसा कि उनके नाम से ध्वनित होता है कम्पनियों का प्रबन्ध बरते हैं। ये काठिया विस्त का अद्वा प्रबन्ध को अद्वित महत्वपूर्ण समझते हैं, तथा कम्पनियों का अपनी प्रबन्ध योग्यता प्रदान करती है। दुर्भाग्यवश, परिचर्मी तथा उत्तरी भारत के मर्मी प्रबन्ध अभिकर्ताओं के मध्यन्य में यही बात नहीं कही जा सकती। और इसमें भी बद्वार मह बात है कि जो अद्वीतीय अभिवरण काठियों या वैद्यकिय भारतीय अभिकरण डरकर्मियों द्वारा सरोदलों गई हैं, उनमें इस दिशा में गिरावट का भारी घतना है।

सगड़न ढाके पर प्रबन्ध अभिकर्ताओं का प्रभाव—इन्द्रियान के ओद्योगिक ढाके पर अभिकर्ताओं का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। हमने पिछले अध्यायों में यह देखा कि दृढ़न् मार मचान तथा नियुक्ता की प्राप्ति के दृढ़ेश्वर में परिचर्मी देशों में विभिन्न कोठि के एकीकरण, यथा क्षनिज, शीर्प, शुजूर्य तथा दिक्षार्थी (Diagonal) का महार निया गया है। वह रौनि है विभिन्न कम्पनियों का नियन्त्रण एक व्यक्ति-प्रबन्ध अभिकर्ता-में केन्द्रीयता बनाना। कुछ प्रबन्ध अभिवरण कर्मों के उदाहरणों के जरिये इन क्षयन की यायता को जाना जा सकता है। मेसमं एम्बुद्यूल एण्ड को० १० जूट मिला, १८ चाय कम्पनियों, १४ कायना कम्पनियों, ३ ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों, १ चोनी मिल, ३ सोहा, इस्थान तथा इन्सेनियरिंग कम्पनियों, २० विविध कम्पनियों, सब मिलाकर, ५४ कम्पनियों का नियन्त्रण करती है। उन्हन द्वारा की फर्म २८ चाय कम्पनियों तथा १ जूट मिल का, बड़े एण्ड को० लिमिटेड, और हेन्ड्रेस कम्पनी नियमिते ४६ कम्पनियों का प्रबन्ध करती है, इत्यादि। इसी प्रकार भारतीय प्रबन्ध अभिवरण कर्मों भी, जिसमें ताना, विरला, डालमिया, वालचन्द, करमचार थापर, तथा जै० के० उद्योग प्रमुख हैं, मूलाधिक सम्बद्ध में कम्पनियों का नियन्त्रण करते हैं। कलिनिय जन्यव्याकरण में नियन्त्रण कम्पनियों की सहाया ४५ तक दहुंच जाती है। इसने यह मार्फ है कि जहा एक और प्राप्तक कम्पनी का अन्ना स्वनाम अस्तित्र है, यहा दूसरों ओर, प्रबन्ध अभिकर्ता के केन्द्रीय कार्यालय में मर्मी कम्पनियों के कार्यों पर पूर्ण नियन्त्रण होता है। किन्तु इसर हाल में बहुत-मर्मी कम्पनियों के और प्राप्त परम्पर विरोद्योग प्रहृति वाली कम्पनियों के प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा नियन्त्रण किये जाने के योग्य पर सन्देह प्रकट किया गया है। यह कहा जाता है कि जो फर्म प्रबन्ध का

कार्य करती है, उम पर अनुचित भार पड़ता है और परिणामत प्रत्येक प्रबन्धित कम्पनी कम दक्ष तथा कम मितव्यर्थी हो जाती है। एक प्रबन्ध के अन्तर्गत सभी कम्पनियों के हिस्सों का मैल रखना भी कठिन है। १५ अगस्त १९६० के बाद कोई व्यक्ति १० मे अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध अभिव्यक्ति नहीं रह सकेगा। यहां पर उचित हांगा कि हम इस बहुगत प्रबन्ध प्रणाली का उन रूप म मूल्यावृत्त कर जिस रूप मे यह भारतवर्ष में विद्यमान है।

जैसा कि हाँ लोकतावन ने बताया है, निरे प्राविधिक प्रबन्ध के विपरीत, भौतिक उपयोगों के बहुगत प्रबन्ध मे प्रशासनिय समेवन हुआ है। ऐसा इन्हालए सम्बद्ध हुआ है कि कार्य के आधार पर विभिन्न विभागों का संगठन हुआ है जिसमें वृत्तमाप तंय-विक्रय तथा निरोक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली ने एक ही व्यवस्था के अन्तर्गत सब इवाइयों के कार्यों मे एक प्रकार के समन्वय को अवश्यम्भावी कर दिया है, और वस्तुत एक ही प्रबन्ध अभिव्यक्ति के नियन्त्रण के अन्तर्गत विभिन्न भागों द्वारा इवाइयों के बीच प्रतिवृद्धिना का मूलोच्छिद कर दिया है। प्रबन्ध अभिव्यक्ति प्रणाली के सर्वोत्तम गुणों मे प्रशस्तीय गुण समेवन भी है। विना विनो ओपचारिक (Formal) संघीजन के तथा विना अपन स्वतन्त्र वैधानिक तथा वृत्त्य सम्बन्धी (Functional) व्यक्तित्व को खाये, विभिन्न इवाइया वृत्तमाप संगठन की मितव्यविताएँ दान मे समर्थ होती हैं। एक ही प्रबन्ध अभिव्यक्ति के अन्तर्गत व्यक्तियों के बीच धन के अन्वितियोग वा परिणाम विनीय समन्वय हुआ है। यह प्रथा चम्प्वर्दी, तथा अहमदाबाद वे इद मित्र उद्योग म बहुत अधिक प्रचलित है, हालांकि प्रबन्ध अभिव्यक्ति प्रणाली भी यह विशेषता अन्य उद्योगों म भी पायी जाती है। धन का यह अन्वितिमय (Inter-change) दो प्रकार मे सम्बद्ध हुआ है एक ही प्रबन्ध अभिव्यक्ति के अन्तर्गत एक कम्पनी की माल पर एकत्रित अतिरिक्त धन का दूसरों कम्पनी मे विनिपूक्न किया गया है, अयवा एक ही समूह (Group) के अन्तर्गत एक कम्पनी द्वारा निर्गमित अद्य या क्रणपत्र की हृषरी कम्पनी ने अक्षत या पूर्णत अभिदत्त (Subscribe) किया है। मामान्य कार मे यह योजना सम्भापजनक रीति से काम करती है और यच्ची बाल तो यह है कि एक समूह की दुर्वल कम्पनियों अनीम लाभ प्राप्त करती है और मत्र व्यक्ति कम्पनियों का यह मनोरप प्राप्त होता है कि उनके धन (Fund) का मुक्तियोग हुआ है। लेकिन एक नीमा के पार जान और दीर्घावधि तक कार्यान्वित किय जान पर, इस योजना का सम्भावित परिणाम होगा दिवालिया कम्पनी का बना रहता, या उम्हे चिरस्थायित्व तथा दृढ़ कम्पनियों के अशवारियों को भनत धृति। इस प्रथा के बारण प्रायः अतिशय हानिया हुई, और विवद होकर हम निष्कर्ष पर पहुँचना ही पड़ता है कि अन्वितिमय की प्रथा को यदि उन्मूलित नहीं किया जाए, तो कम मे कम ओत्पादित तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमे विनाशकारी सम्भावनाएँ निहित हैं तथा इसके बारण भयकर दुर्भागी की उत्पत्ति होती है।

प्रबन्ध अभिकरण प्रगाली की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि प्रबन्ध अभिकर्ता स्थाननिष्ठता (Location), प्राविधिक अवस्था आदि के कारण अनिवार्य अन्तर की मोमा को दृष्टि में रखने हुए अपने अन्तर्गत भिन्न-भिन्न कम्पनियों की लाभार्थी दर में समर्पका (Uniformity) प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह इसलिए होता है कि प्रबन्ध अभिकर्ता सभी कम्पनियों को एक ऐसी इकाई समझने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो समान परिणाम प्रदर्शित करे, और इस प्रकार जब भी सम्भव होता है तब, व्यय तथा लाभ का स्तर एक-सा रखते हैं।

योंडे में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथों में व्यवसायों के बेन्फ़िट होने से सावारण यह अपेक्षा की जाती है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बीच सहयोग अधिक आमान होगा, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी होती है कि उनके 'निहित' अधिकार एक दूरे में भिन्न होते हैं। अन् यह आपा कि उनके बीच मह्योग अधिक मुगम होगा, प्रगाली के प्रारम्भिक विकास की अवस्था में ही पूरी हुई है, उमरे बाद नहीं। किर भी पाट उद्योग में मह्योग के विनियन उदाहरण मिलते हैं जिन्हें कम घटेकार्य करने के मध्यन्द में मिला के बीच हुआ करार (Agreement) जो १८८६ में हुआ था और जिसका अनुमरण उस समय से होता रहा है। इसके विपरीत, अभी हाल तर भूती मिल उद्योग के बीच सहयोगामक कार्य की बड़ी कमी रही है। लेकिन भारतवर्ष में श्रमिक मजो के उत्तरोत्तर विकास ने नियोक्ताओं को इकट्ठे मिलकर कार्य करने का तथा अपिक मह्योग का अर्थ अच्छे तरह समझा दिया है।

जैसा कि उन विवेचन में कहा जा चुका है, प्रबन्ध अभिकरण प्रगाली अपूर्ण है। प्रगाली की दूसरी लालिङ्क विनेपता है प्रबन्ध अभिकर्ताओं तथा अशास्त्रियों के बीच सम्भव अनामजस्य (Disharmony) तथा हित सघर्ष (Conflict of interests)। यह सम्भावना दुनिया में सब जगह बहुत औद्योगिक व्यवसायों में विद्यमान है, लेकिन भारतवर्ष में स्थिति कुछ और है। अन्यत्र तो न्यून लाभार्थी का अर्थ हो सकता है सचिति निर्माण और यह सभी पक्षों, सचालकों तथा अशास्त्रियों, को गमन रूप में प्रभावित करेगा। बिन्दु भारतवर्ष में प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा बाहरी अशास्त्रियों की अपेक्षा अधिक यैसा बनाने के लिए अपनाया गया तरीका अनुकूल है। वे अपने अशास्त्र रूप में इस प्रकार गोटेवाजी करते हैं कि जब सब ठीक-आँख चल रहा है तब वे अधिक लान का अवंत करे, बिन्दु गडवडों होने पर उन्हें कम में कम क्षति हो। उनकी समझ में जब यह आता है कि कम्पनी का हानि होती हो तो वे अपने अपने को बेच डालते हैं, बिन्दु जब वे स्थिति उन्हीं पाने हैं तो अपिक अश खरोद लेते हैं। हृषियाने (Cornering) की इस प्रवा पर पहुँच योगदन अधिनियम १९५१ द्वारा प्रतिवन्ध लगाया गया था। दूररों बात यह है कि प्रबन्ध अभिकर्ता यह समझते हैं कि अशास्त्र में जो आय होती है, वह उनकी अश क्षेत्रों और वार्षि में होने वाली आमदनी से गोला या उमने निम्न कोटि की है। अन् उनके इस बाबो या महाद्वार सेवाओं के सम्बन्ध में दो शब्द यह देना अदासग्रह नहीं होगा।

प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा सहायक सेवाएँ—प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की यह अपरिवर्ती विशेषता रही है कि अन्तनियमों या अभिकरण सविदा द्वारा स्थिरत दाविनयों के बल पर, प्रबन्ध अभिकर्ता को अपने द्वारा प्रबन्धित कम्पनी के निमित्त क्रय तथा विक्रय अभिकर्ता, दलाल, मुकद्दम, आदि की हैं सियत से कार्य करने की स्वतन्त्रता है। ऐसे कार्य करने के लिए उमे, उसके तथा कम्पनी के बीच निश्चित किया गया प्रतिफल पाने का, तथा प्रतिनियोजना (प्रिसिपल) की हैं सियत में कम्पनी के साथ सविदा करने का अधिकार है, उमक लिए यह आवश्यक नहीं कि वह इस प्रकार के व्यवहार से होने वाले राम का हिसाब दे। प्रबन्ध अभिकर्ताओं का यह आर्थिक हित निश्चय ही उनके कर्तव्यों में टकराना है और आर्थिक हित तथा कर्तव्यों के बीच यह विराग प्रतिनियोजना तथा अभिकर्ता सम्बन्धी कानून के नियमों के प्रतिकूल है। लेकिन ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा की जाने वाली इन सहायक सेवाओं का परिणाम प्राप्त उत्पादन, विक्रय तथा दैनिक प्रबन्ध में मितव्यमिता तथा सम्बन्ध नहीं हुआ है। लेकिन, जैमा कि १९४९ के बाम्बे शेयरहोल्डर्स मेमोरेंटम में, और लोक सभा में १९५६ के अधिनियम पर विचार के समय हुए, विवाद म बताया गया था, जब प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पनी के सम्बन्ध में प्रतिनियोजना की हैं सियत से कार्य करते हैं तब कम्पनी को दिये जाने वाले माल के मूल्य या कवालिटी की दृष्टि से स्वतन्त्र जान या निरीकण नहीं होता और जब प्रबन्ध अभिकर्ता केना की हैं सियत से कार्य करता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं रखती कि वह खरीद गये माल के लिये कम्पनी का अच्छी से अच्छी विक्री की मितव्यमिता देता है तथा कम्पनी में वे शर्तें नहीं प्राप्त करता जा वह स्वयं दूसरों को देने से इन्कार करेगा। इसके अनिवार्य, जब प्रबन्ध अभिकर्ता को नेता या विदेशी की हैं सियत में कार्य करने की अनुमति होती है, तब अब और विक्रय के भागले में कम्पनी को प्रबन्ध अभिकर्ता के खट में बाय देन की प्रवत्ति होती है, जो सिद्धान्त दक्षता और मितव्यमिता की दृष्टि में विलकूल अवाक्षणीय है। इस प्रकार वे अधिकार वो प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने हमेशा अपना विशेषाधिकार समझा है और इसमें तनिक भी कमी का इन लोगोंने जमकर विरोध किया है। तब इसमें क्या आशय है कि प्रबन्ध अभिकर्ता इन कार्यों में होने वाली आय को अद्य-धारण से होने वाली आय को अवेदा अविकर महत्वपूर्ण समझत है। प्रबन्ध अभिकरण की घटने वाली वुराइयों की जड़ में यह विशेषाधिकार ही है। ये वुराइया इतनी बड़ी है कि मूर्ती वस्त जाच पर टैरिफ वोइ, १९३२ की रिपोर्ट में इस बात की विशेष चर्चा की गयी है और यहा तक कि फेडरेशन थाफ इण्डियन चैम्बर थाफ कामर्स ने भी, जो प्रबन्ध अभिकर्ता के हितों की पक्षरोपन है, इस विशेषाधिकार की समाप्ति का प्रतिपादन किया है। टैरिफ वार्ड की रिपोर्ट वा पेरा ७५ इस प्रकार है: “विन्तु मह एक उचित निष्पत्ति है कि उस स्थिति का, जिसमें प्रबन्ध अभिकर्ता अपने और या अपनी कम्पनी द्वारा की गयी सेवाओं में वित्तीय दिलचस्पी रखता है, परिणाम गम्भीर वुराइयों के स्पष्ट में हो सकता सकता है।” केडरेशन ने एक साधिक उपबंध की माग की है जिसमें “प्रबन्ध अभिकर्ता पर, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से या विषी के साथ साझेदार के स्पष्ट में कम्पनी

के साथ बच्चे माल या भडार मर निर्माण माल के निर्माण के सम्बन्ध में सविदा करने वी पावर्नी हो । कम्पनी तथा प्रबन्ध अभिकर्ता के बीच सभी प्रकार की सविदाओं या व्यवस्थाओं पर कठोर प्रतिवन्ध लगा कर सही दिशा में बदल उठाया गया है । अब प्रबन्ध अभिकर्ता या उसका साथी किसी संपति की स्तरीय, विक्री या समरण के लिए, या कोई मेवा करने के लिए या कपनी के किन्हीं अशों या अण्गपत्रों को अभिगोपित करने के लिए कपनी के विशेष सकल द्वारा दी गयी सम्मति से हो प्रबंधित कपनी के साथ सविदा कर सकेगा । पर किसी पचास वर्ष (Calender year) में, उस सम्पत्ति या सेवा के विषय में जिमका कपनी या प्रबन्ध अभिकर्ता नियमित रूप से व्यापार या व्यवसाय करता है, ५००० रुपये तक की सविदा इस पावरी से मुक्त है ।

**प्रबन्ध अभिकरण करार (Agreement)**—१९३६ के सशोष्व लानून के पूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं तथा उनके साथ होने वाले वरारों को लानून ने कम्पनी की मर्जी पर छोड़ दिया था, तथा प्रबन्ध अभिकर्ता प्राय सर्वदा अपने करारों में ऐसे लड़ शामिल बर देने थे जिनके परिणामस्वरूप उनके हाथ में कम्पनी का पूर्ण नियन्त्रण आ जाता था और जो नियन्त्रण हमेशा उनके लिए लाभदायक तथा कम्पनी के लिए हानिप्रद प्रमाणित होता था । १९१३ के अधिनियम प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा को परिभाषित करते हुए ये शब्द जोड़कर कि "यदि बारार में अन्य रीति में उपबन्ध किया गया हो तो जिस हद तक वह हो, उस तक छोड़कर" (Except to the extent, if any, otherwise provided in the agreement) बहुत बड़ी गृटि छोड़ दो थी तथा प्रबन्ध अभिकर्ता अपने सम्बन्ध में सचालकों के अधिकारों पर सब प्रकार के प्रतिवन्ध डालकर अधिनियम की इम व्यवस्था का पूरा फायदा उठाने थे । चूंकि यह परिभाषा ब्रुटिपूर्ण थी तथा तालिका "ए" के विनियम ७१ से, जो अनिवार्य है, अमरण भी थी, अन प्रबन्ध अभिकर्ता प्रबन्ध अभिकरण करार में कुछ असामान्य तथा मनचाहे उपबन्ध, यथा मचालकों के अधिकारों पर प्रतिवन्ध, उनके पारिथमिक का आगणन, पदहानि की अवस्था में क्षतिपूर्ति देना, अशो के भविष्यत निर्णयन पर प्रहणामिकार (lien), लाभजनक पदों पर अभिकर्ता कर्मी के सदस्यों को निवृत्ति, प्रतिद्वन्द्वी व्यवसाय का सचालन आदि, प्रविष्ट करने में जरा भी सक्रीय नहीं करते थे । मोजूदा अविनियम में दी गयी परिभाषा वा लक्ष्य यह है कि उक्त ग्रुटिया हट जाय ।

**प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पारिथमिक**—प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पारिथमिक की बड़ी आलोचना की गयी है और इसकी, तथा उन विधियों की, जिनमें उन्होंने यह पारिथमिक प्राप्त किया है, अच्छी तरह जाच करना आवश्यक है । प्रचलित विधियां ये हैं: १. कार्यालय भत्ते, २. सभी परिस्थितियों में मिलने वाला एक निश्चित कमीशन; ३. उत्पादन या निर्माण पर कमीशन, ४. कृषि-विकास पर कमीशन, ५. लाभ पर कमीशन, ६. प्रकोण कमीशन । यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि पारिथमिक की ये

विधिया बैबलिंग नहीं, वरन् वे एक साथ अपनायी जा सकती हैं, और प्राय अपनायी जानी रही हैं। मनोवेत्त अधिनियम १९३६ के प्रवर्तन में आने के पूर्व उक्त सभी विधिया सभी उद्योगों में व्यवहृत की जानी थीं, तथा १५ जनवरी १९३७ के पूर्व नियमित कम्पनियों में व्यवहृत की भी जानी रही। बिन्तु इस तिथि के बाद नियमित की गयी कम्पनियों पर १९३६ के संशोधन अधिनियम द्वारा वित्तिपय प्रतिवन्ध लगा दिये गये थे, और १९५६ के अधिनियम द्वारा और प्रतिवन्ध लगा दिये गये हैं। उपर्युक्त विधिया पर विचार के बाद इन प्रतिवन्धों का वर्णन किया जाएगा।

**कार्यालय भत्ता** —पारिश्रमिक की जो भी अन्य विधि या विधिया अपनायी जाय पर प्रबन्ध अभिवर्ताओं द्वारा कार्यालय भत्ते के स्पष्ट में मासिक या धार्षिक एवं निश्चिन घन राशि ली ही जानी थी। इस राशि के अन्तर्गत निम्न चीज़ जानी हैं—प्रधान कार्यालय का स्थान, उमड़ा किराया और बर, विजली, पथ, प्रबन्ध अभिवर्ताओं के लिए लिपिक व्यय, प्रेषण, पूछनाड़, रोकड़ विभाग (कई जवस्याओं में) विदेशपकर मुख्य लेखापाल (Chief Accountant) व साचिविक कर्मचारी वर्ग की सवालों पर विव गये व्यय का एक बश तथा वहुनेरी अवस्थाओं में डाक, स्टेशनरी, तार व लघु भूत्य वर्ग (Menials) पर विव गये व्यय। बत वार्यालय भत्ता, प्रबन्ध अभिवर्ताओं द्वारा कम्पनी के नियमित जब में विव गये व्यय की वसूली है।<sup>१</sup> जहा तक प्रबन्ध अभिवर्ताओं द्वारा अपनी जेव में खर्च की गयी राशि का प्रदर्शन है, उमड़ा शोधन युक्तिमयत है। ऐसिन कार्यालय भत्ता उस समय आपत्तिजनन हो जाता है जद वह छिने रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक का नियमित स्पष्ट धारण कर देता था, जैसाकि युद्ध के समय तथा पश्चात् नियमित सभी कम्पनियों की हालत में हुआ था। उन प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने भी, जिन्ह युद्ध में पहले कार्यालय भत्ते नहीं मिलते थे, अभिकरण बरार में बाबददक मशायन के जरिये भत्ते की व्यवस्था कर ली थी। भत्ता ५०० रुपये से लेकर, ७,००० रुपये मासिक तक होता था तथा यदि कम्पनी कार्यालय सम्बन्धी मध्य बद्याका बहन बर तब भी भत्ता देना हो एड़ना है। वित्तिपय अवस्थाओं में तो करघों (Looms) तथा तकुओं (Spindles) की मस्त्या तथा पूजी के परिमाण में वृद्धि होन पर भत्ते की रकम में वृद्धि हो जाती थी। उदाहरणत, काइ-म्यूनर के बसन्त मिल्स लिमिटेड में यह व्यवस्था थी कि १ जनवरी, १९४४, को तकुओं की जो मस्त्या थी उम्म ५००० तकुओं की प्रत्येक वृद्धि पर प्रबन्ध अभिवर्ता को दिये जान बाले १५०० रुपये मासिक भत्ते में ५०० रुपये की वृद्धि हो जाती थी। अन्य मिलों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। उडीसा काटन मिल्स में ऐसी व्यवस्था थी कि पूर्जी यदि २०,००,००० रुपये में अधिक हो जाए तो प्रबन्ध अभिवर्ताओं को शोध्य १५०० रुपये का मासिक भत्ता बढ़ाकर २५०० रुपये हो जायगा। मध्येष में यहीं कहा जा भवता है कि अधीचित्यपूर्ण व्यय के स्पष्ट में कार्यालय भत्ते का महत्व जाता रहा था चूंकि लगभग प्रत्येक उद्याग की जवस्था में इसने अतिरिक्त पारिश्रमिक का हृष्ट धारण कर लिया था तथा

<sup>१</sup> Indian Tariff Board Report, 1932, para 177.

उद्योग पर यह अवाञ्छीय बोझ है। अब प्रबन्ध अभिकर्ता को कार्यालय भत्ता देने पर रोक लगादी जाये हैं, पर मदि उसने करनों के निमित्त कोई तर्जु़ किया हो और मण्डल ने या कम्पनी ने वृद्धमना में उम्मी भद्रों दे दी हो तो वह घन उसे लौटाया जा सकता है।

जहाँ तक कुछ न्यूनतम राशि देने का प्रश्न है, जो भी व्यक्तियों में दी जानी है तथा जो भी परिस्थितियों में, जोहे कम्पनी को लाभ हो या घाटा, देय हैं, इसमें निटिन मिल्डान के औचित्य में कोई इन्कार नहीं कर सकता। करार में एक व्यवस्था की जानी है कि यदि लाभ नहीं हो या लाभ अपर्याप्त हो तो प्रबन्ध अभिकर्ता को एक न्यूनतम राशि दी जायगी। लेकिन बचेंडा उस समय पैदा होता है कि जब प्रबन्ध अभिकर्ता इसे भी अनिरिक्त पारिश्रमिक भमझते हैं। पर अब अभिनियम ने न्यूनतम राशि ५००००० ० अभिन्नतत्त्व नियन कर दी है।

**उत्पादन पर कमीशन (Commission)**—उत्पादन पर कमीशन का प्रभार जापत्तिजनक तो ही ही, माय-माय यह अपन्नकारक (Uneconomical) भी है तथा इसमें कार्य-न्यायालय की दफ्तरा नष्ट होती है। इसमें परिमाण को सहनिर गुण के त्वाग की प्रवृत्ति विद्यमान है, और उन स्थिति में जब उत्पादन पर नियन्त्रण कम्पनी के हिन में है, अन्यत्यादन को प्रोत्तोनाहन मिलता है। धूकि अधिक उत्पादन का अर्थ अभिकर्ताओं के लिए अधिक कमीशन होता है, अन उन्होंने अलाभकर व्यवसाय पर बहुत लाभ कमाया है। यह दक्ष प्रबन्ध तथा विपणन (Marketing) के भी विपरीत है। किन्तु इस प्रणाली का परित्याग कर दिया गया है तथा मर जै। एन० ताना ने इसका त्वाग कर पय-प्रदानन किया है तथा इसके स्थान पर लाभ पर १० प्रतिशत कमीशन को घबम्या की है।

**कढ़-दिव्य पर कमीशन**—बहुतेरी अवस्थाओं में प्रबन्ध अभिकर्ता मशीन, कल्चे माल, नियार व पूजी व्यव पर कमीशन लेने थे और लाभ व विक्रय पर तो कमीशन लेने ही थे। यह प्रथा कोश्वदूर में बहुत अधिक प्रचलित थी, जहा कमास, रुद्द तथा नियार की सरीद पर मायान्दत १ प्रतिशत तथा पूजीगत व्यव (Capital Expenditure) पर, जिसमें मशीन की लागत, निर्माण, भवन-निर्माण आदि भी शामिल हैं, दाइ प्रतिशत कमीशन दिया जाता था। इस कमीशन को यन्ति-मान नहीं कहा जा सकता या क्योंकि इसमें मिनव्यपिना का विनाश निश्चित था। हो सकता है कि कमीशन अर्बन के निमित्त प्रबन्ध अभिकर्ता बड़िया मे बड़िया सौदा न कर सके और ढल्टे अतिक्षणी (Extravagant) हो जाए।

विक्रय पर कमीशन बाटन निकू उद्योग में सर्वत्र पाया जाना था। दर प्राप्त विक्रय की मूल रकम पर माडे नीन प्रतिशत थी। सह ठीक है कि यह प्राप्ताकी प्रबन्ध अभिकर्ताओं को अधिक विक्री के लिए कार्यालय होने को प्रेरित करनी थी परन्तु दूसरी ओर, उत्पादन, वित व प्रणाली में दशना तथा एजेन्टों के हिस्सों में कमी आदि वरके विक्रय की लागत में कमी करने के लिए अभिकर्ताओं को प्रेरणा नहीं प्रदान करनी थी। यह वहीं

युक्तिसंगत हो सकता था जहां प्रबन्ध अभिकर्ताओं का ध्यानसाधन में ज्यादा जोखिम था, जैसे अहमदाबाद में, और यह प्रणाली वहां बहुत सफल रही।

\* पारिथमिक वी उन प्रणालियों में जिन्होंने भी अधिकारी की मात्रा बहुत बड़ी थी वही क्षम थी क्योंकि उनमें से सबमें नुटिया थी। उत्पादन पर कमीशन की बड़ी नुटिया वही कि यह गुण के बजाय उत्पादन पर ध्यान कन्द्रित बरता है, लेकिन इसने भी बड़ी आपत्ति पहर है कि उत्पादन को सर्वोच्च मूल्य पर विक्रय बरतने की प्रणाली को समर्पण कर देता देता है। वह आपत्ति थोड़ी बड़ी मात्रा में विनष्ट पर कमीशन के समवन्ध में जो आमतौर पर होती है। उन मिलों को जो इस प्रणाली की अपेक्षातांत्री है (यदि वे उन प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा अवस्थित होती हैं जो बहसहयक अग्री के स्वामी हैं तो बात दूसरी है।) यही जिन्हांनी हैं कि उनका उत्पादन शीघ्रातिशीघ्र विक जाय, यह नहीं कि वह जिस कीमतम विक।<sup>५५</sup> जब प्रबन्ध अभिकर्ता को उत्पादन या विक्रय पर कमीशन दिया जाता था, तब भी उसका हित असमाखियों से भिन्न हो जाता था और वह, उस हालत में भी, जब उद्योग के हित में बड़ा घटे काम करना ही ठीक था, बड़ा उत्पादन की बात स्वीकार नहीं बरता था क्यां उसका प्रायमिक हित अपने उद्योग के अधिक उत्पादन में ही था। वह सारे उद्योगों की लाभार्जन क्षमता पर अत्यधिक उत्पादन के द्वारा सामाजिक परिणामों की परवाह नहीं बरता था। जब प्रबन्ध अभिकर्ता या उनके साथी द्वारा भारत में जी गयी खरीद या जिन्होंने पर कमीशन देना भना है। धारा ३५६ और ३५८ में यह उपबन्ध है कि कोई प्रबन्ध अभिकर्ता या उसका साथी भारत के भीतर कपनों की बस्तुओं के लिए जिन्हीं अभिकर्ता नहीं नियुक्त दिया जा सकता और न वह उन बस्तुओं खरीद के विषय में जो कपना के नियमित भारत के भीतर जी गयी है, (सर्व का छोड़ बर और) कोई धन के नहीं है। पर प्रबन्ध अभिकर्ता या उसका साथी कपनों का बस्तुएँ भारत से बाहर थेच नहीं हैं, या भारत न बाहर के जिनी स्थान से कपना के लिए बस्तुएँ खरीद सकता है, और वृद्धि विनिर्दिष्ट यन्होंने पर कमीशन प्राप्त बर सहता है।

लाभ पर कमीशन—सभी प्रणालियों की अवैधा लाभ पर कमीशन लेता नि स्मदेह सर्वोत्तम है। जैसा कि सबकृत दिया जा चुका है, प्रचलित दर १० प्रतिशत है। लेकिन यह बान ठोक है कि प्रबन्ध अभिकर्ता नुकसान में हिस्सा नहीं बटाने, इनके विपरीत, लाभ न हानि या अपवर्गित होने की वजस्ता में उन्हें एक न्यूनतम राशि दिये जाने की गारंटी है। इस प्रणाली के गुण प्रत्यक्ष हैं। इसका परिणाम अनिवार्यता, मित्रव्यवहिता, दक्षता तथा थष्टन्तर ध्यवस्था और दिग्नेन होगा। इन सबके परिणामस्वरूप लाभ अधिक होगा और प्रबन्ध अभिकर्ताओं का अधिक रकम मिलेगा। लेकिन यहा प्रदर्शन यह है कि लाभ तथा कमीशन जागरूक करने का आधार बना होगा। कमीशन सहज लाभ पर होना चाहिए या खुद लाभ पर? उत्तर यहां है—खुद लाभ को ही इस जागरूक का आधार होना चाहिए तथा १९१३ के कम्पनी अधिनियम की धारा ८७—मी भी ऐसा उपबन्ध करनी थी। बम्बई में अवक्षयण काटने से पहले लाभ पर १० प्रतिशत

कमीशन की प्रथा थी। इस आवार पर आगणन करने पर भी प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कमीशन की मात्रा अपेक्षत ऊची थी। उदाहरणतः, बम्बई की ३९ सूनी वस्त्र मिलों में कमीशन सबल लाभ का ९.१४ प्रतिशत होता था और अवक्षयण के बाद यह १०.०८ प्रतिशत होता। अवक्षयण के बाद लाभाश लाभ का ११.१५ प्रतिशत होता था। बिन्तु कमीशन शुद्ध लाभ का ३८.८ प्रतिशत होता था तथा लाभाश शुद्ध लाभ का ४६.२७ प्रतिशन होता था। इसमें यह पता चलता है कि लाभाश की दृष्टि से प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कमीशन की दर ऊची है, और विशेष कर उस समय जब यह मोचा जाता है कि उन प्रतिशत में अधिमान लाभाश भी सम्मिलित था। साधारण अशास्त्रियों की क्षति इसमें भी अधिक थी। बहमदावाद की मिली की स्थिति और भी दिलचस्प थी। वहाँ लाभ की दृष्टि से कमीशन का बोझ बहुत हो अधिक था, और जब अवक्षयण बाट दिया जाता था तब लाभ की दृष्टि से यह बोझ और बढ़ जाता था और अशास्त्रियों ने लाभाश से कमीशन लगभग १२५ प्रतिशत अधिक हो जाता था। कलकत्ते के पाट उद्योग में भी ऐसी ही स्थिति थी।

वह पुनः कहा जा सकता है कि सब मिलाकर, लाभ पर कमीशन देना विकीया उत्पादन पर कमीशन देने से वही ज्यादा दृढ़ नीति है। टैरिक बोडं ने, जिसने १९४८ में वस्त्र तथा मूत्र वीं कोमनों को जाच बीं थी, यह तत्त्व स्वीकार किया था और यह मिकारिया बीं थी कि कमीशन अवक्षयण घटाने के उपरान्त सबल लाभ के साड़े सात प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वहाँ यह भी स्मरणीय है कि कई कम्पनियाँ प्रबन्ध अभिकर्ताओं को विकार और लाभ दोनों पर कमीशन देनी थी। यह बोय मारत अकारण था। मौजूदा बानून ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पारिथमिक की क्षितिया (Quauntum) निश्चित कर दी है। धारा ३४८ यह उपबंध करती है कि कोई कम्पनी, विसी वित्तीय वर्ष के विषय में, प्रबन्ध अभिकर्ता को उस द्वारा इस रूप में या विसी अन्य रूप में कोई गयी सेवाओं के लिए पारिथमिक के तौर पर कम्पनी के शुद्ध लाभों के १०. प्रतिशत से अधिक राशि नहीं देगी, पर शर्त यह है कि यदि कम्पनी के किशेप सबल द्वारा अतिरिक्त पारिथमिक स्वीकृत किया गया हो और ऐनीय सरकार द्वारा यह सावंजनिक हित में होने के रूप में अनुमोदित किया गया हो तो यह अतिरिक्त पारिथमिक दिया जा सकेगा।

**प्रश्नोर्ज कमीशन (Miscellaneous Commission)**—इन भीष्मे कमीशनों के अतिरिक्त वृत्तेने प्रबन्ध अभिकर्ता कई और कमीशन लेने हैं। मेसर्स बैंड एण्ड कम्पनी को १९४४ में निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय के अनुसार यह अधिकार था कि वे अपने द्वारा प्रत्याभूत अदिम पर अतिरिक्त कमीशन ले। मेसर्स विरलोस्कर मन्स एण्ड को० को उम स्थिति में, जब लाभाश ९ प्रतिशत घायित है, लाभ का एक-नितिहाई लेने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार १९४६-४७ में उनको दिया जाने वाला पारिथमिक ४,२३,५०० रुपये या जबकि अशास्त्रियों के लाभाश बीं राशि ३,४५,२०० रुपये ही थी। प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने उन राशि में अधिक पाया जो अशास्त्रियों को मिली।

अतिरिक्त आय प्राप्त करने की दूसरी विधि यो प्रबन्ध अभिकर्ता फर्म के एक या अधिक सदस्यों को मोटी तनखाह पर, जो २००० रुपये से ७००० रुपये मासिक तक होती थी, प्रधान प्रबन्धक, सचिव या प्रबन्धक के पद पर नियुक्त करना। इदु फार्म-स्युटिकल बैंक में लिमिटेड में प्रबन्ध अभिकर्ताओं को, अशाधारियों के बीच लाभाश चितरण के अनुसार, लाभ पर १२॥ प्रतिशत से लेकर २५ प्रतिशत तक लेने का अधिकार था। पैरीज एन्ड को० लिं० में मेसमं पैरीज होल्डिंग्स लिं० सचिव (Secretaries) (प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं, स्पष्टतः वैधानिक प्रतिवन्धों से बचने के उद्देश्य से) नियुक्त विये गये थे और वे शुद्ध लाभ पर १० प्रतिशत कमीशन के हक्कदार थे। फिर भी कम्पनी के प्रबन्ध सचालक, जो पैरीज होल्डिंग्स लिं० के सचालक तथा अशाधारी थे, अलगम पारिश्रमिक पाने थे जो लगभग २,५०,००० रुपये सालाना होता है।<sup>1</sup> मौजूदा अधिनियम ने इनमें से कुछ प्रथाओं को बम कर दिया है और कुछ को बिल्कुल रोक दिया है। प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की उच्चतम सीमा निश्चित करदी गयी, और इस प्रकार अब प्रबन्ध अभिकर्ता, सचालक, सचिव और वोपाध्यक्ष, और प्रबन्ध वित्तीय वर्ष के भीतर शुद्ध लाभ का ११ प्रतिशत से अधिक नहीं ले सकते। अब प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रत्येक मामले में सचालक मंडल के बिनिदिष्ट अनुमोदन के बिना, बोई प्रबन्धक नियुक्त नहीं कर सकता, विसी रिस्तेदार वो प्रदत्त बम्पनी में अफसर या स्टाफ का सदस्य नियुक्त नहीं कर सकता, विसी अफसर या स्टाफ के सदस्य को सचालक मंडल द्वारा तद वो हुई सीमा से अधिक पारिश्रमिक पर नियुक्त नहीं कर सकता।

ऊपर के विवेचन से प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ, इसके गृणों व दोषों और सधाओं और दुर्घट्योगों का पता लगता है। अब इम प्रणाली के सामने और हानियों की चर्चा करना अप्रामगिक नहीं होगा।

#### प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के लाभ—

१ प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने प्रबन्धक का नार्य विद्या है। इन्होंने अधिकतर उद्योगों की विदेषिया वस्त्र, पाट, लोहा, इस्पात, चीनी तथा कोयले की नियन्त्रित सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना तथा नियन्त्रण किया है।

२ प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा प्रबन्ध के परिणामस्वरूप, पराश्रयी कम्पनियों के अवाधु नियम पर, जिसकी सभावना पेंगेवर प्रबन्धकों के होने से बढ़ जाती है, रोक लग जाती है। अपने द्वारा व्यवस्थित कम्पनियों में, माधारण प्रबन्धकों की अपेक्षा प्रबन्ध अभिकर्ताओं का हित अधिक गहरा होता है, वयोंकि प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक आलोच्य कम्पनी की सफलता से सम्बद्ध होता है।

३ प्रबन्ध अभिकर्ता परिचय के अभियोपकों तथा निर्गमन गृहों के बायों का सम्पादन करते हैं। अपने वित्तीय संसाधनों एवं मुख्याति के बारण वे इस स्थिति में होते

1 See Memorandum of Bombay Shareholders' Association, 1949.

है कि विनियोदक जनता को औद्योगिक व्यवसायों में जगती बचतें लगाने को प्रेरित कर मर्हे और इस प्रकार वे नने उदाहरणों को पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने में मद्दत करने हैं।

४ लेकिन इस प्रगाढ़ी की सबने बड़ी मेवा व कार्य है पुर्जी में अशदान व क्रष्ण पदों के कड़तया दीर्घावधि व जल्दावधि के लिए क्रमशः तथा वैकाशों द्वाग व कम्पनियों को दिये जान वाले क्रष्ण को प्रचान्त्र करने मित्रों, कुटुम्बियों तथा जनमानारण में नियोग के स्थान में क्रष्ण प्राप्त करने की अप्राप्ति मेवा प्रदान करना।

५ प्रबन्ध अभिकरणों द्वारा प्रबन्ध अधिक दश तथा मिनेम्पिनापूर्ण होता है। मचालक भट्टल द्वारा प्रबन्ध में यह सम्बन्ध नहीं हापा और विशेषकर वैये आदमियों की कमी होती है जो व्यवसाय के हिस्से अपनी शक्ति व समय दे सके। यह बात विभेद स्तर स अप्रेजी प्रबन्ध अभिकरणीय कर्मों पर लाग होती है जिन्होंने लागतार प्रशिक्षित तथा दश प्रबन्धक दिये हैं। अधिकाय नार्तीय प्रबन्ध अभिकरणीय कर्मों के बारे में ऐसी बात नहीं कही जा सकती।

६ इस प्रगाढ़ी का एक और बड़ा लाभ, जिसकी ओर १९३५ में पहले-पहल दश लोकनायक ने ध्यान दिलाया, प्रगाढ़न सम्बन्धी समेक्तन है। इस लोग यह देख चुके हैं कि विन प्रहार प्रबन्ध अभिकरणीय कर्म प्रत्येक उद्योग में तथा विभिन्न उद्योगों में बहुत सारों कम्पनियों पर विद्यन्वग करती है। यह समेक्तन (Integration) : एक अनुठाई पद्धति है क्योंकि इसमें क्षेत्रिक समेक्तन उन्नत होता है जिसके परिणाम-स्वरूप प्रदिनभी जगत में प्रवर्चित औपचारिक संशोधन के दिन होता उदाग का वैज्ञानिकी-करण हो गया है और बहुतमात्र परिचालन की बहुतेरी मिनेम्पिनापूर्ण प्राप्त होती है। उदाहरणात्, समूह की कार्य सबन्धी व विभागीय (Functional-cum Departmental) योजना को अपना कर सभी कम्पनियों के क्रय को केंद्रीयता दिया जा सकता है और उभया दायित्व एक ऐसे विशेषज्ञ (Expert) का मोता जा सकता है जिसकी मोर्शी तनस्वाह लानान्वित कम्पनियों के बोत विनियन कर दो जा सके। योइ घरीद तथा सयुक्त विनयन (Joint Marketing) की सभी मिनेम्पिनापूर्ण को प्राप्त किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रगाढ़न मिनेम्पिनाए भी है, यदा सर्वनिष्ठ (Common) कार्यालय, सर्वनिष्ठ कम्पनारी वर्ग, सर्वनिष्ठ मट्टर वय (Common Board Room), सर्वनिष्ठ स्वामन वय (Common Reception Room) तथा बैंक, बीमे (Insurance) और साल प्रेस्स में सम्बद्ध सर्वनिष्ठ सुविधाएँ। प्रगाढ़नानक समेक्तन का दूसरा लाभ है थेल्तर विनीय सुविधाएँ। बड़ी कम्पनियों के मुकाबले में छोटी कम्पनियों को हानिया नहीं उठानी पड़ती क्योंकि प्रबन्ध अभिकरणीय की प्रत्यानुरूपि (Guaranteee) देने प्रहार की कम्पनियों के लिए सनात स्थ में उत्तम्य है।

७ चूंकि व्यवसाय प्रशासन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में होता है, अतः इस प्रणाली में व्यवसाय प्रशासन के वीच सहयोग की बहुत सम्भावना होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश विभाग व आसाम की अग्रेज अभिकर्ता कोठियों को छोड़कर और जगह इस सुविधा से बहुत कम लाभ उठाया गया है। सहयोग एक वाढ़नीय कार्य है, क्योंकि यह विषयन, वैज्ञानिकीकरण (Rationalisation), अपव्यय के उन्मूलन, तथा विषयन तथा निर्धारित व्यवसाय के निमित्त संयोजन का प्रेरक है। चाय तथा पटसन उद्योग इस प्रकार के सहयोग के थ्रेष्टम उदाहरण हैं।

८ इस प्रणाली का एक और लाभ, जो हमेशा प्रत्यक्ष दिखायी नहीं पड़ता है, एक ही व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के वीच प्रतिद्वंद्विता को निटा देने की प्रवृत्ति का हाना, और इस प्रकार सम्बन्धित व्यवस्था व प्रशासन से प्राप्त होने वाले लाभों में वृद्धि है। भारतवर्ष में एकाधिकारिक कोटि के संयोजनों की इन्हीं कम सूख्या होने का एक कारण सभाव्यत यह भी है।

**हानिया (Disadvantages)**—इन्हें लाभों के बावजूद, प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के बल वरदान साधित नहीं हुई। इन प्रणाली का उद्भव १९वीं सदी म कार्यशील आधिक शक्तियों के कारण हुआ, और अब एक और तो आधिक परिस्थितिया म सुधार हुआ है, लेकिन दूसरी आर इस प्रणाली में बुराइया बढ़ती ही गयी और विभान वीं गति इन्हीं घोषी रही कि वह इन प्रणाली की पुरातनता में उत्तर होने वाली बुराइयों को पकड़ और दबा नहीं सका। इसकी बुराइया, हानिया, प्रुटिया, तथा कमियों संक्षेप में इस प्रकार हैं—

१ प्रबन्ध अभिकर्ता सर्वदा अपने द्वारा व्यवस्थित कम्पनी पर सम्पूर्ण तथा तानाशाही नियन्त्रण रखते हैं। उन्होंने हमेशा ही १९३६ के सशीघर अधिनियम में की गयी व्यवस्था में उपबन्धित अधिकाद वाक्यों का लाभ उठाया है। इन व्यवस्थाओं में उनके अधिकारों पर वित्तीय नियन्त्रण रखने का प्रयत्न किया गया है। प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के व्यावहारिक प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनियों के प्रबन्ध में न तो अशास्त्रियों का कोई प्रभावशाली हाथ रहता है और न सचाल्कों का। वस्तुत प्रबन्ध अभिकर्ता ही कम्पनी पर तानाशाही शामन रखते हैं। अशास्त्री विवरण रहे हैं तथा सचालक मटल व्यर्थ या।

२ उद्योग में औद्योगिक घटकों के बजाय वित्तीय विचारों की प्रधानता रहनी आवश्यक हो गयी है। वित्त ने सेपक का स्थान छोड़कर स्वामी का स्थान ग्रहण कर लिया है और इसके माय स्वामित्व बुराइया उत्पन्न हुई है।

३ रूपरेखा की अर्थात् प्राप्ति, औत्योगिक निकास की जाहू व्यापरिकता की प्रधानता का मूल कारण प्रबन्ध अभिकर्ता है, जो उद्योगपति न होकर व्यापारी ये।

४ प्रबन्ध अभिकरण की अवधि घटाकर २० वर्ष बर दिये जाने के बाद भी अधिकांश भारतीय अभिकर्तयों को स्वामित्व वशानुब्रम से मिलने के कारण बहुधा कम्पनिया अपोग्य हाया में आ गयी है। 'वेटो' की अयोग्यता प्रमिल ही है लेकिन

प्रबन्ध अभिवर्त्ती को हटाना असम्भव है चाहे वह किनाही अयोग्य क्यों न हो। वे सर्वदा इस स्थिति में रहे हैं कि सविदा की अधिकता २० साल की सीमा से अधिक कर दें और अदक्षता, कुव्यवस्था तथा नाजापज लाभ (Graft) को चिरस्थायी बनाए।

५ औद्योगिक उपकरणों के बहु-प्रबन्ध (Multi-management) का परिणाम होता है आलस्य, विचारहीनता तथा उदासीनता और उसके फ़ालस्वरूप प्रबन्ध अभिवर्त्ती अपने अन्तर्गत बहुत सी कम्पनियों पर कम ध्यान दे सकते हैं। यह एक स्वयं-सिद्धि है कि व्यक्तिगत तथा गहरा ध्यान देने से जो परिणाम होना है वह बहुतमाप व्यवस्था से अच्छा ही होना है। बहुत माप की सफलता के लिए प्रबन्ध ढाँचे के उच्चतम पद्धि पर आमोन व्यक्तियों में ऊचे दरजे को सगड़न-योग्यता तथा प्रेरक शक्ति जाहिए तथा सामान्य कार्यकर्त्ताओं में उमों प्रकार की विवरणीयता तथा बुराग्र बुद्धि का होना आवश्यक है। यह बहना कि भारतीय व्यवसाय प्रशासन में ये चीजें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जानी हैं, परले दरजे की अतिशयोक्ति होगी।

६ अभी कुछ दिनों से प्रबन्ध अभिवर्त्तीओं में यह प्रवृत्ति हो गयी है कि वे अंशधारण न करें, और इस प्रकार अपने द्वारा व्यवस्थित कम्पनी की स्थिर पूँजी से उनका प्रत्यक्ष हित जाता रहता है। अतः वे अंशधारियों तथा कम्पनियों के हितवर्धन के बजाय रक्तशोषक वा कार्य करते रहे हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्टाक एक्सचेंज में अपनी कम्पनियों के अशों में सट्टेवार्जी करते हैं। उनकी इस सट्टेवार्जी का कम्पनियों को आधिक स्थिति पर प्रणिकूल प्रभाव होता है और इस कारण वे किये गया नगद उदार वापिस ले लेने हैं, चाहे आलोच्य कम्पनी की स्थिति दृढ़ ही क्यों न हो।

७ अभिवर्त्तीओं द्वारा प्रबन्ध प्राप्त अद्यता तथा सर्वोल्लासा होता है, जिसका कारण है महावृष्णु पश्च पर सम्बन्धियों, मित्रों तथा "विश्वस्तों" का नियुक्ति किया जाना। इस प्रकार व्यु-नस्यात (Nepotism) की वेदी पर प्रतिभा तथा दक्षता की बलि होती है। कच्चे माल, भड़ार तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद प्राप्त उन कमों से की जानी है जो सम्बन्धियों तथा मित्रों की होती है और खरीद किये गये सामान के लिये बाजार भूल्य में अधिक मूल्य चुकाया जाता है और इस प्रकार उत्पादन लागत अनुचित रूप से अधिक हो जाती है।

८ इस प्रशाली ने अधिकोपण तथा उद्योग के बीच एक विश्वावर्पदा कर दिया है, तथा मर्जनाधारण से प्राप्त कुल बचत तथा देश में औद्योगिक योजना व सगड़न योग्यता के बीच एक उचित समन्वय स्थापित करने में यह विकल रही है। इस प्रणाली तथा वेको के द्वारा अस्तित्व ने औद्योगिक प्रगति को अवश्य दिया है। अभिवर्त्ती एक लीक पकड़वर वार्म बर्से की प्रवृत्ति रखते हैं, और उद्योग के प्रति उनका दृष्टिकोण रुद्ध हो जाना है तथा नये उद्योगों की योजनाओं पर वे पर्याप्त ध्यान नहीं देते।

९. बहुतेरी प्रबन्ध अभिवर्त्ती कमों द्वारा विद्या जाने वाला दूसरा आरतिदनर कार्य है एक ही अभिवर्त्ती के अधोनस्य कम्पनियोंही बीच धन का अन्तर्विनियोग

( Inter-investment ) । यद्यपि प्रवन्ध अभिकर्ता के अर्थान्तर्थ दो या दो से अधिक कम्पनियों के बीच क्रृत अब निपिढ़ है, तो भी उनका कम्पनी के यज्ञात्मा की मर्वममति के द्वारा, एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी के अशोया क्रृतपत्र का खरीदा जाना अनुमति है । इसका परिणाम यह होता है कि वे पूर्णतः दिवालिया कम्पनिया, जिन्हें समाप्त हो जाना चाहिए, चिरम्यायी हो जाती है और उन कशायारियों को क्षणित हो जाती है, जिनका उन दुर्बल कम्पनियों के यहाँ हस्तातरित हो जाना है ।

१० पारिश्रमिक की किसिया तथा राशि की दृष्टि से देख तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की प्रवन्ध अभिकरण प्रणाली मरम्य बीतने पर उत्तरोत्तर मर्त्ता तथा मितव्यवितापूर्ण होने के बजाए महगी और बोग्निल हो जाती है । कम से कम प्रारम्भ के १० या १५ वर्ष बाद तो बवद्य ही ऐसा होता है । शुद्ध लाभ पर कमीशन के स्वयं में उनके उचित तथा युक्तिसम्पत्ति पारिश्रमिक पर किसी को आपत्ति नहीं है जैसिन अतिरिक्त कमीशन के प्रभार, और दिग्नेपकर तब जब हम उनकी अपोष्टता तथा उदार्मीनता का स्मरण करते हैं, निश्चय ही आपत्तिजनक है ।

११ प्रवन्ध अभिकर्ताओं द्वारा पद का अभिहृत्तावन (Assignment) शक्ति तथा स्थिति के दृष्टियोग का दूसरा उदाहरण है । प्रवन्धाधिकारी का पश्चात ( Trafficking ) बड़े पैमाने पर हुआ है और क्रेनाओं की हैसियत व स्पाति तथा अद्यारियों व वर्षंचारी दर्ये के बत्त्याण का स्थाल किये दिना इन शक्तियों की विरोधी गयी है । बाये दोषरहोल्डर्स एमोसियेशन के १९१९ के स्मरण पत्र के अनुभार, लगभग ५० औद्योगिक कम्पनियों का, जिनमें बरोड़ी रसये की पूर्जी व मचिनी की बात थी, हस्तान्तरण हुआ और अशायारियों को क्रेनाओं की मर्जी पर छाड़ दिया गया । इन क्रेनाओं में से अधिकास ने साझे (Common) पत्र का वर्तन दाम में रखाया । प्रवन्ध अभिकर्ताओं द्वारा अशायारण वी प्रधानता वरदान वी जगत् अभिदार सिद्ध हुई है ।

१२ प्रवन्ध अभिकर्ताओं के वर्गीय हित के लिये कम्पनियों तथा उनके अद्यारियों का निम्नलिखित रूप में प्रणालीवद शोधण होता रहा है —

क प्रवन्ध अभिकर्ता या सम्बन्धित इकाइया विषय अभिकर्ता, दलाल, और मुकदम के पद पर नियुक्त विषय जाते थे तथा प्रवन्ध अभिकर्ता एवं उनकी कपनी के बीच बहुतेरे अनुभन्ध विषये जाते थे जिनमें प्रवन्ध अभिकर्ता प्रतिनियोक्ताओं (Principals) का वार्ष बरते थे ।

ख अलाइट सूचनाओं का, जो प्रवन्ध अभिकर्ताओं को मालूम रहती हैं, अशों की कीकता की गोटेवाजी द्वारा उन्हें लिए अशों की विक्री व खरीद वरके वे बहुधा दृष्टियोग बरतते थे ।

ग बम्पनी के धन का निम्नलिखित रूपनि में अनुचिन प्रयोग या दृष्टियोग दिया जाता था । १ मिश्रों व अवदाय-मुद्रा की अव्यायारिक प्रवृत्ति का क्रृत-

व अधिम देवर, २ चालू खान में बड़ी-बड़ी राशिया पेशगी लेवर, ३ अवंध उद्देश्य, यथा अपने वास्ते मताधिकार-नियन्त्रण की प्राप्ति, के लिए सम्बन्धित कम्पनियों में विनियोग करके या उमे अधिम देवर, ४ अपनी कर्मों बो लोक मांसित कम्पनियों में परिवर्तित करक और फिर कम्पनियों से कठण प्राप्त करके, और इस प्रकार कम्पनियों को वित्तपोषित करन के बजाय स्वय को वित्तपोषित करके, ५ सम्बन्धित कम्पनियों से प्राप्त कठण का चुकता न होने देना, तथा ६ अपने अनुद्रव्या की परिसमाप्ति पर बड़ी राशिया, जो कभी-कभी लासो तब पहुच जानी थी, क्षतिपूर्ति के रूप में तब भी लेना जबकि अनुबन्ध की समाप्ति उन्होंने स्वय अपन पद को बेचकर की हो।

प अठ प्राप्ति, विनियोग तथा पूजी वृद्धि सम्बन्धी अधिकारों का अवसर दुरुपयोग किया गया है।

इ डंफडं अश निर्गमित किये जाने थे, जिनके साथ अत्यधिक मताधिकार तथा अन्य अधिकार जुड़े होने थे और वे अश प्रबन्ध अभिकर्ताओं बो आवटित किये जाते थे ताकि उनकी शोषण सम्बन्धी कमता में और वृद्धि हो।

च प्रबन्ध अभिकरण करारो मे अनपेक्षित शने रखी जानी थी।

छ कम्पनिया प्राप्त अपवाप्ति पूजी मे प्रारम्भ की गयी थी।

ज प्रबन्ध अभिकर्ता के वास्ते लाभदायक प्रबन्ध अभिकरण अनुबन्धों की प्राप्ति वे लिए प्राप्त सहायक कम्पनियों की प्रणाली को व्यवहृत किया जाता था।

उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures) —कुछ कमियों को भारतीय कम्पनी (सशोधन) अधिनियम १९३६ और एक या दो को भारतीय कम्पनी (सशोधन) अधिनियम १९५१ द्वारा हटाने का यत्न किया गया था। कम्पनी अधिनियम १९५६ ने इसकी नमियों को बहुत दूर तब हटा दिया है। नये उपबन्धों का प्रभाव इतना दूरगामी होने की सम्भावना है कि यहा उन्हें सधोप में लिख देना मुनामिव होगा। उन ५४ घाराओं का (घाराएँ ३२४ से ३७३, तक) जो प्रत्यक्ष रूप से प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बारे में है, और कुछ अन्य घाराओं का, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनमे सम्बन्ध रखती हैं, सारांश नीचे दिया जाता है।

बहुत सारे अभिकरण गृहो द्वारा किये जाने वाले दुर्घायों के कारण जनता वा बहुत बड़ा भाग प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को घातम करने वी लगानार माग कर रहा था। दूसरी ओर, प्रबन्ध अभिकर्ता और उनके प्रतिनिधि इस प्रणालों की पिछली सेवाओं, मोजूदा उपयोगिना और यदि धूतं वर्ग को हटा दिया जाए तो इसकी भविष्य वी सम्भावनाओं के कारण इसे अनिश्चित काल तब जारी रखने पर जोर देने थे, पर वित्तमत्री थी चिन्तामणि देशमूख ने एक बीच का रास्ता निश्चाला और घारा ३२४ यह उपबन्ध बरती है कि बेन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिमूचना द्वारा यह प्रोप्रणा कर सकती है कि उस तिथि से जो अधिमूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, उन कम्पनियों में, जो अधिमूचना में विनिर्दिष्ट उद्योग और व्यवसाय में लगी है, प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होंगे।

तब उस उद्योग या व्यवसाय में प्रबन्ध अभिकरण ऐ वर्ष बीतने या १५ अगस्त १९६०, जो भी बाद में हो, उसके बाद प्रबन्ध अभिकरण अमाप्त हो जायेगे। इसके अलावा, उस उद्योग या व्यवसाय में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि के बाद कोई प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार जहाँ प्रबन्ध अभिकर्ता अपना ढग नहीं सुधारेंगे वहाँ वे सत्तम हो जायेंगे।

धारा ३२५ यह उपबन्ध करती है कि जो कम्पनी विभी दूसरी कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता के हृष में नाम ले रही है वह स्वयं विभी प्रबन्ध अभिकर्ता के प्रबन्ध में नहीं होगी। यदि ऐभी कोई कम्पनी इस समय है, तो प्रबन्ध अभिकरण कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता अधिक से अधिक १५ अगस्त १९५६ तक अपना पद खाली ले देंगे।

१९३६ के मराठोद्धन अधिनियम से पहले प्रबन्ध अधिकरण उत्तराधिकार में मिलते थे, क्योंकि इन्हे पितागम्य (Heritable) सम्पत्ति माना जाता था, इसमें बहुत सी अवस्थाओं में प्रबन्ध में अदक्षता आ जाती थी। १९१३ के अधिनियम की धारा ८७-ए विभी प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति का अधिकतम समय एक बार में २० साल तक बरती थी। पर यह अवधि बीतने पर या बीतने से पहले इसे बढ़ाया जा सकता था। यह प्रबन्ध प्रयोगहीन सिद्ध हुआ, और जिस शास्त्रित ढग के नियन्त्रण की यह रोकना चाहना था वह कायम रहा, क्योंकि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पद की अवधि मौजूदा संविदाओं के सत्तम होने से बहुत पहले उस धारा के अनुसार अनुग्रात पूर्ण अवधि के लिए बड़ा दी जानी थी। अदाधारी दुउ नहीं बर सकते थे, क्योंकि अवधि बढ़ाने के सबल्य के लिए सिफं मामूली बहुमत चाहिए था, जो प्रबन्ध अभिकर्ता आमानी से जुटा सकते थे। उम चलन की रोकने के लिए १९५१ में अधिनियम सशोधित किया गया और यह उपबन्ध किया गया कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पद की अवधि बढ़ाने का कोई बारार बेन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित न होने पर धून्य माना जाएगा। इसी तरह का उपबन्ध मौजूदा अधिनियम में भी किया गया। धारा ३२६ मह उपबन्ध करती है कि विभी प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कम्पनी द्वारा बहुत समा में ही की जा सकती है और वह भी बेन्द्रीय सरकार के अनुमोदित से ही की जा सकती है। बेन्द्रीय सरकार उम अवस्था में अनुमोदित न कर सकती थी दि उम यह सन्तोष न हो पाए कि कम्पनी में प्रबन्ध अभिकर्ता का नियुक्त होना सावंजनिक हित के विरुद्ध नहीं है, कि प्रबन्ध अभिकरण करार की शर्तें उचित और तर्क संगत हैं, कि प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकर्ता इस नियुक्ति के लिए उपयुक्त और योग्य है और कि प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकर्ता ने बेन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई गई काई और शर्त पूरी कर दी है। यह उपबन्ध किया गया है कि इस अधिनियम के आरम्भ के बाद कोई कम्पनी पहली बार में १५ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकती। बाद की नियुक्तिया एक बार में १० साल में अवधियों की अवधियों के लिए होनी चाहिए। पुनर्नियुक्ति अवधि सत्तम होने में ठीक पहले के दो वर्ष के भीतर ही की जा सकती है और बेन्द्रीय सरकार उपयुक्त मामलों में इस शर्त को दीला कर सकती है (धारा ३२८)।

विसी प्रबन्ध अभिकरण वरार की दर्ते अदायारियों के साथारण सबल्य द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सम्मति लेवर बदली जा सकती है (धारा ३२९)।

प्रबन्ध अभिकरण वरार का कोई ऐसा उपबन्ध जो प्रबन्ध अभिकरण को विरामत योग्य बनाना है शून्य होगा (धारा ३४४), पर मौजूदा मामलों में केन्द्रीय सरकार प्रबन्ध अभिकरण का उत्तराधिकार प्राप्त करने वाली अनुज्ञा दे सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि उत्तराधिकार पाने वाला व्यक्ति प्रबन्ध अभिकर्ता होने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति है (धारा ३४५)।

सब मौजूदा प्रबन्ध अभिकरण वरार अधिक से अधिक १५ अगस्त १९६० तक खत्म हो जायगे बताने कि इस नियम से पहले प्रबन्ध अभिकर्ता इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुन नियुक्त न कर दिया गया हा, और प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्ध नए अधिनियम के सब उपबन्ध इस अधिनियम के आरम्भ में लागू होंगे (धाराएँ ३३० और ३३१)।

१५ अगस्त १९६० के बाद कोई व्यक्ति एक ही समय में १० से अधिक कम्पनियों का अभिकर्ता नहीं हो सकता, पर यह मह्या गितन में नियन्त्रित कम्पनियों के प्रबन्ध अभिकरणों के छाड दिया जाएगा—

(१) ऐसी व्यक्तिक या निवी कम्पनिया जो न तो विनो लोड कम्पनी की सहायत कम्पनी है और न भवारी कम्पनी, (२) कोई यिन लाभ बाना माहूर्य; और (३) कोई असरिमिन कम्पनी। यदि १५ अगस्त १९६० तक कोई प्रबन्ध अभिकर्ता, जो १० से अधिक कम्पनियों में इस पदमर है, जपनी १० कम्पनिया नहीं छाट लेना है, तो केन्द्रीय सरकार यह नियन्त्रक करेगी कि विन १० कम्पनियों में उसे प्रबन्ध अभिकर्ता बना रहने दिया जाए (धारा ३३२)।

वह प्रबन्ध अभिकर्ता, जिसका पद ऊरर बनाई गई धारा ३२४ या ३३२ के अर्थात् खत्म हो जाना है, ऐसे सातमे की नियम पर कम्पनी से प्राप्तव्य मत्र भाग्यों के लिए या जो उस तियमे पहले कम्पनी के नियम उम द्वारा उचित रूपति भे लिए गए किम्ब; दायित बन्धन के विषय में अदा करने हो, उनके लिए कम्पनी की आमियों से प्राप्त करने का हकदार होगा (धारा ३३३)।

यदि नोई प्रबन्ध अभिकर्ता शोभायम या दिवालिया हो जाए या दिवालिया अभिनिर्णय किये जाने के लिए प्रार्थनापत्र दे, या प्रबन्ध अभिकरण कर्म विवित दर दी जाए या प्रबन्ध अभिकरण कम्पनी को समात कर दिया जाए तो यह समझा जाएगा कि प्रबन्ध अभिकर्ता ने अपना पद सालों कर दिया है (धारा ३४)।

यदि विनी प्रबन्ध अभिकर्ता की सम्मति के लिए न्यायालय ने धारण (Receiver) नियुक्त कर दिया है, तो यह समझा जाएगा कि प्रबन्ध अभिकर्ता अपने पद से नियन्त्रित (Suspended) कर दिया गया है, पर उन्युक्त माननों में

न्यायालय इस प्रबन्ध को शिथिल कर सकता है (धारा २३५)

यदि प्रबन्ध अभिकर्ता या जहा प्रबन्ध अभिवरण कोई कर्म है, वहा उसका कोई साझी, या जहा प्रबन्ध अभिकर्ता कोई कम्पनी है, वहा काई सचालव या अफसर किसी अपराध का अपराधी सिद्ध हो जाए और ६ महीने वे कारावास से दण्डित हो जाए, तो भी यह समझा जाएगा कि प्रबन्ध अभिकर्ता ने अपना पद खाली कर दिया है (धारा २३६) पर यदि सिद्धशील साझी सचालव या अफसर जपन सजा पाने वे ३० दिन के भीतर निवाल दिया जाना है तो ये अनहृताएँ लागू नहीं होगी (धारा ३४१)।

कोई कम्पनी अपने अशाखारियों के साधारण भवल्य द्वारा अत्यधिक असाधानी या कम्पनी के या उसकी सहायक कम्पनियों के अत्यधिक कुप्रबन्ध के अपराध पर अपने प्रबन्ध अभिकर्ता को पद से हटा सकती है (धारा ३३८)

बोई प्रबन्ध अभिकर्ता सचालव मडल को सूचना दक्षर त्यागपत्र दे सकता है, पर वह त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तब मडल ने कम्पनी के मामलों का एक विवरण लेयार नहीं कर लिया, और वह अवेक्षित (Audited) नहीं हो गया है और कम्पनी की वृद्धि सभा के सामने नहीं रखा गया है। कम्पनी की वृद्धि सभा सबल्य द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर सकती है या वैमी धन्य कार्यवाही कर सकती है जैमी वह ठीक समझ (धारा ३४२)।

जहा किमी लाक कम्पनी का या एमी निझी कम्पनी का, जा किमी लोक कम्पनी की भवायक है, प्रबन्ध अभिकर्ता कोई कर्म या परिमित कम्पनी है वहा, यदि उस पर्म या परिमित कम्पनी के गठन म कोई परिवर्तन होता है, तो जिस तिथि को वह परिवर्तन हुआ है उससे ६ मास बीत जान पर प्रबन्ध अभिकर्ता वा इस रूप में वार्य करना खत्म हो जाएगा। पर यह तो ही हाला यदि उस समय वे भीतर या एम बढ़ाए हुए समय के भीतर जिसकी केन्द्रीय सरकार इजाजत दे दे, उन गठन के परिवर्तन पर केन्द्रीय सरकार वा अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हा। धारा ३४६ के स्पष्टीकरण म यह उपविष्ट किया गया है कि किमी निझी कम्पनी का लोक कम्पनी म या लाक कम्पनी का निझी कम्पनी में सम्परिवर्तन, या कम्पनी के सचालव का प्रबन्धका म कोई परिवर्तन, या कम्पनी के अशा के स्वामित्व म काई परिवर्तन या (उन प्रबन्ध अभिकर्ताओं को छोड़ वर जो लाक कम्पनिया है और जिनक अशो की विमित किमी अभिजान स्टाक एकमचज पर धतायी जाती है अन्य) कम्पनिया के अशो के स्वामित्व म कोई परिवर्तन, सबवे सब, प्रबन्ध अभिकर्ता के गठन में परिवर्तन मान जावग (धारा ३४६)। जा पर्म या निझी कम्पनी किमी कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में वार्य करता है, उस प्रत्यक्ष कम्पनी का प्रबन्धित कम्पनी के यहा एक घोषणा-नश नत्यी करना होगा जिसमें कर्म के मालियो के नाम और कर्म के प्रत्येक साझी का अश या स्वीकृत या अशाखारियो के नाम और प्रत्यक्ष आरा घारित अश तथा प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप म वाय करन वाली कम्पनी के सचालवों और प्रबन्ध सचालव जे नाम चिनिदिष्ट होते। (धारा ३३६)

कुछ अधिकतम पारिवर्मित, जिसे प्रबन्धकीय पारिवर्मित वा नाम दिया गया है,

और जो सचालकों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोपाध्यक्षों और प्रबन्धकों का दय है, कम्पनी के शुद्ध लाभ का ११% तय किया गया है। पर यदि विभी वित्तीय वर्ष में बहुत थोड़ा लाभ हो, या विक्कुल लाभ न हो तो न्यूनतम पारिथमिक ५०,००० रुपये होगा। उन सब लोगों को जो ऊपर गिनाए गए हैं, विषय जाने वाले इस कुल भुगतान के अर्जीन रखने हुए कोई कम्पनी अपने प्रबन्ध अभिकर्ता का विभी वित्तीय वर्ष के विषय में पारिथमिक के रूप में, चाहे वह प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में उसकी सेवाग्रा के लिए हों, या विभी और रूप में, ऐसी धन राशि दे मरनी है जो कम्पनी के उस वर्ष के शुद्ध लाभ के १०% से अधिक न हो। (धारा १९८ और ३४८) पर यदि कम्पनी के विभी प्रबन्ध द्वारा विभी प्रबन्ध अभिकर्ता को शुद्ध लाभ के १०% से अधिक अतिरिक्त पारिथमिक देना स्वीकृत कर लिया जाए और बैन्ड्रीय सरकार द्वारा इसका दना लोकहित में मान लिया जाए, तो उसे वह दिया जा सकता है और प्रबन्धकीय पारिथमिक के लिए निर्धारित ११% अधिकतम की राने का इस अनिवार्य पारिथमिक की मात्रा तक उन्नत्यन किया जा सकता है (धारा ३५२)।

विभी प्रबन्ध अभिकर्ता का पारिथमिक उसे तब तक न चुकाया जाएगा जब तक कम्पनी के अवैधित लेखे बहुत सभा के सामने न रखे जाएं। पर यदि प्रबन्ध अभिकर्ता को लिए 'न्यूनतम पारिथमिक' तय किया गया है, तो वह न्यूनतम पारिथमिक कम्पनी द्वारा तय की जाने वाली उपयुक्त विश्वासी में उसे चुकाया जा सकता है (धारा ३५८)।

विभी प्रबन्ध अभिकर्ता को कोई कार्यालय भत्ता पाने का हक्क नहीं है, पर यदि उसने कम्पनी के निमित्त कोई सचें किये हो तो वे उसे दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि वे सचालक महल द्वारा या कम्पनी की बहुत सभा द्वारा स्वीकृत हो (धारा ३५४)।

३४८ से ३५४ तक की धाराओं के उपबन्ध जा प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पारिथमिक के बारे में हैं, उन कम्पनियों पर लागू नहीं होगे जो निजी कम्पनियां हैं (और लोक कम्पनियों की महायज्ञ नहीं हैं। धारा ३५५)

कोई प्रबन्ध अभिकर्ता या उसका साथी (Associate) भारत में उस कम्पनी की बस्तुओं के लिए विभी एजेंट नियुक्त नहीं किया नहीं किया जा सकता। वह भारत में बाहर के स्थानों के लिए विभी एजेंट नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जायें।

(क) जिस स्थान के लिए वे विभी अभिकर्ता नियुक्त किये जाने हैं, उसमें उनका पहले ने कारबाह वा स्थान हा। (ख) ऐसी नियुक्ति वा पारिथमिक कम्पनी द्वारा विभीर प्रबन्ध में भजूर किया गया हो। (ग) इस प्रयोगन के लिए सचें के रूप में या अन्य विभी रूप में कोई और धनराशि देय नहीं होनी चाहिए। (घ) नियुक्ति एक बार में सिर्फ ५ माह के लिए हो सकती है। (च) नियुक्ति को सारभून दर्ते भवल्य में लिखी होनी चाहिए। (ए) नियुक्ति वा विवरण एक पूर्यक रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। (धारा ३५६)

किसी प्रबन्ध अभिकर्ता या उसके साथी को भारत में कम्पनी के निमित्त की गई वस्तुओं की स्वरीद के विषय में (खर्च के अलावा अन्य) कोई धन नहीं मिलना चाहिए। भारत से बाहर की गई स्वरीद के लिए भुगतान किया जा सकता है, यदि वित्री के बारे में बताई गई दातों का पालन हाता हो, और भुगतान को मजूरी देने वाला विदेशी अद्य एक बार में सिफ़ ३ साल के लिए मान्य रहता है (धारा ३५८)। यदि चाई प्रबन्ध अभिकर्ता या उसका साथी किसी अन्य कम्पनी का प्रतिनिधि है और वह कम्पनी प्रबन्धित कम्पनी को वस्तुएँ या सेवा मध्यरित करती है तो ऐसी कम्पनी द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता या उसके साथी को दिया गया कोई कमीशन अपने पास रखने के लिए प्रबन्धित कम्पनी के विदेशी सकल्प द्वारा दी गई मजूरी आवश्यक है। इस मामूल में कोई सविदाओं के विवरण एक बल्ग रजिस्टर में लिखने होंगे (धारा ३५९)।

कोई प्रदन्व अभिकर्ता या उसका साथी प्रबन्धित कम्पनी के साथ किसी सम्पत्ति की स्वरीद वित्री या सेवा के लिए या काई सेवा करने के लिए या कम्पनी के किन्हीं अद्या या अन्य पक्ष को अभिगांपित करने के लिए कम्पनी के विदेशी मध्यरप्त द्वारा दी गई सम्पत्ति में ही सविदा में प्रविष्ट हो सकता है। यदि इस विषय में कम्पनी ने प्रबन्ध अभिकर्ता या उसके साथी से कार्ड धन लेना है, तो वह धन वस्तुओं के सम्बरण या सेवा के विषये जाने की नियम, जैसी भी स्थिति हो, एक मास के भीतर चुका दिया जाना चाहिए। इस धारा द्वारा निर्दिष्ट मध्य सविदाओं के विवरण एवं पूर्यक रजिस्टर में लिखे जायेंगे। यहां उपबन्धित पादन्दिया एवं सौर वर्ष में ५००० रुपये तक की उन सविदाओं पर लागू नहीं होनी जो उम सम्पत्ति या भवा के बारे में है, जिसका कम्पनी या प्रबन्ध अभिकर्ता नियमित रूप में व्यापार या कारबाह करता है। विक्रम अभिकरणों क्रम अभिकरणों, आदि सम्बन्धी मध्य मोजूदा सविदाएँ अधिक से अधिक पहली मार्च १९५८ तक स्वतं रही जायेगी (धाराएँ ३६० और ३६१)

यदि कोई प्रबन्ध अभिकर्ता या उसका साथी इस अधिनियम के उपर्यन्तों के उल्लंघन में कोई पारिथमित प्राप्त करता है तो यह माना जाएगा कि वह उसे कम्पनी की ओर से न्याय में धारण करता है (धारा ३६३) प्रबन्ध अभिकरण पारिथमित या कोई अभिहस्तावन, अन्यका लादि कम्पनी को बद नहीं बरेगा। (धारा ३६४)

कोई कम्पनी अपने प्रबन्ध अभिकर्ता को निम्नलिखित अवस्थाओं में उसकी पदहानि के लिए कोई मुआवजा न दे सकेगी या देने के लिए दायी न होगी —

(१) जहां प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पनी की पुनरंचना या किसी अन्य निगमित निकाय या निगमित निकायों के साथ इसके समामेलन को देखते हूए अपने पद में त्याग पत्र दे देना है और पुनरंचित कम्पनी का समामेलन के परिणामस्वरूप बनने वाले निगमित निकाय का प्रबन्ध अभिकर्ता सचिव और कोयाध्यया, प्रबन्धक या अन्य अफमर नयुक्त हो जाता है।

(क) जहाँ प्रबन्ध अभिवृत्ति उपर्युक्त रीति से पुनर्चना या समानेलन से इतर विभी बारण से अपने पद से त्यागपत्र दे देना है;

(ग) जहाँ कोई प्रबन्ध अभिवृत्ति अपना पद केन्द्रीय सरकार की इस अधिसूचना के अनुपान में कुछ उद्योगों या व्यवसायों में प्रबन्ध अभिवृत्ति नहीं रहेगी या इस बारण वि उसकी अवधि १५ अगस्त १९६० की सत्तम हो गई है या १५ वर्ष की अवधि पूरी हो गई है और प्रबन्ध अभिवृत्ति पुन नियुक्त नहीं किया गया है, अपना पद साली बरता है।

(घ) जहाँ यह माना जाता है कि प्रबन्ध अभिवृत्ति ने अपना पद साली बर दिया है, क्योंकि वह शोधाक्षम अभिनिर्णीत हो गया है या उसने शोधाक्षम अभिनिर्णीत विये जाने के लिए प्राप्तना की है, या यदि प्रबन्ध अभिवृत्ति कोई फर्म है, तो वह फर्म विषयित बर दी गई है, या यदि प्रबन्ध अभिवृत्ति कोई नियमित निवाप है तो इसके ममापन पर, या क्योंकि वह मिद्दोप पाया गया है और ६ महीने से अन्यून की अवधि के लिए बारावास से दण्डित दिया गया है,

(इ) जहाँ यह माना जाता है कि प्रबन्ध अभिवृत्ति ने अपना पद साली बर दिया है, क्योंकि प्रबन्धित कम्पनी अवसायित हो गई है (Has gone into Liquidation),

(ज) जहाँ प्रबन्ध अभिवृत्ति अपने पद में इन बारण निलम्बित हैं या निलम्बित माना जाता है, क्योंकि उसकी सम्पत्ति के लिए धारक नियुक्त बर दिया गया है या जहाँ वह अपने पद से हटा दिया गया है या जहाँ उसने अपने पद का जल करने के लिए उत्तमाया है या उन्त कराने में हिम्मा लिया है।

प्रबन्ध अभिवृत्ति वे पद की हानि के लिए अधिकारम मुआवजा ३ वर्षों के पारियमित का औसत तय किया गया है पर शन यह है कि यदि कम्पनी इम पद की समाप्ति के एवं वर्ष के भीतर अवगायित हो जाए तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

प्रबन्ध अभिवृत्ति करनी शक्तियों का प्रयोग बचालडों के अर्थशाख, नियन्त्रण और नियेशन के अधीन ही वरेगा और सामकर उम सचालड मडल के विनियिट बनु-मोइन के बिना अधिनियम में परिभायित विभी प्रबन्धव की नियुक्ति नहीं बरनी चाहिए, विभी रिस्तेदार का प्रबन्धित कम्पनी का अफ्फर मा बर्मंचारी नियुक्त न बरना चाहिए, सचालड मडल द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पारियमित पर कोई गदस्य या बर्मंचारी नियुक्त न बरना चाहिए, स्वयं द्वारा या अनने मायियो द्वारा प्रबन्धित कम्पनी को देय राशि दोडनी न चाहिए, या उमके भुगतान का भमय न बदाना चाहिए, प्रबन्ध अभिवृत्ति या उमके साथी द्वारा कम्पनी के विशद भी गई विभी अध्यर्थना (Claims) का अभियान (Compound) न बरना चाहिए। यह बात विशेष रूप में उल्लेखनीय है कि पंजीयन आस्तिया खोदने या पूंजीयन आस्तिया बेचने वी शक्ति वा प्रयोग तब हो दिया जा सकेगा जब पहले सचालड मडल ने कोइन की सीमावे नियिट बर दी हो। यह सीमा नियिट है दिना उम उम शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

कोई कम्पनी अपने प्रबन्ध अभिकर्ता या उसके साथी को कोई क्रण या वित्तीय सहायता नहीं दे सकती। प्रबन्धित कम्पनी और प्रबन्ध अभिकर्ता के बीच चालू खाते २०००० रुपये या सचालक मडल द्वारा निर्धारित किसी न्यूनतर राशि से अधिक न होने चाहिए। एक ही प्रबन्धक के अधीन कपनिया को क्रण या वित्तीय सहायता, उपार देनेवाली कपनी के अशायात्रियों की विदेश सबल्प द्वारा दीर्घ सम्मति के बिना, नहीं दी जासकती।

एक ही प्रबन्ध के अधीन अन्य कम्पनियों के अशो और क्रणपत्रों में विनियोग मडल द्वारा किया जा सकता है, प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा नहीं, और वह भी कुछ सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है, जिनका पहले भचालकों की शक्तियों के प्रसरण में उल्लेख किया गया है। उन सीमाओं से परे ऐसे विनियोग अशायात्रियों की सीमा में पास किये गये माधारण सबल्प द्वारा ही और बेन्द्रीय सरकार की सम्मति से भी किया जा सकते हैं। पर जोई सधारी कम्पनी अपनी सहायता कम्पनी में अपना धन लगा सकती है इनी प्रवार प्रबन्ध अभिकर्ता अपने प्रबन्ध के अधीन किसी कपनी में धन लगा सकता है यदि प्रबन्ध कमिकर्ता या उसके साथी को कोई क्रण दिया जाता है या उपर बताए गए उपबन्धा वा उल्लंघन करके काई विनियोग किया जाता है तो वह प्रत्येक शक्ति जो क्रण दल या ऐने में या उपबन्धा वा उल्लंघन करके विनियोग बरने में एक पक्ष है ५००० रुपये तक जुर्माने में या ६ मास से अनधिक अवधि के साधारण कारबास से दण्डनीय होगा। इसके अलावा वे सब शक्ति जो क्रण के देने में या उल्लंघन म पक्ष हैं, सदृक्षत और पृथक्षत उधार देने या विनियोग बरने वाली कम्पनी के प्रति दायी होंगे।

प्रबन्ध अभिकर्ता को अपने नाम में विसी ऐसे बारबार म नहीं लगाना चाहिए जो प्रबन्धित कम्पनी के कारबार जैसा या उसका सीधा प्रतिलिप्य है। वह ऐसा बारबार प्रबन्धित कम्पनी के विदेश सबल्प द्वारा दी गई सम्मति में ही कर सकता है। कोई प्रबन्धकर्ता निम्नलिखित अवस्थाओं म अपने नाम से बारबार करता हुआ माना जाएगा अर्यान् जहा कारबार करने वाली कम्पनी (क) काई ऐसी कर्म है जिसमें वह साझी है, (ख) कोई ऐसी निजी कम्पनी है, जिसकी कुल मतदान शक्ति का २०% या उसमें अधिक उमके प्रबन्ध अभिकरण कर्म के साझियों के या प्रबन्ध अभिकरण के अफमरा के नियन्त्रण म है, (ग) कोई ऐसी कम्पनी है जिसकी कुल मतदान शक्ति का ३०% या उसमें अधिक प्रबन्ध अभिकर्ता आदि द्वारा, जैसा कि ऊपर बताया गया है। नियन्त्रित हो यदि काई प्रबन्ध अभिकर्ता इस उपबन्ध का उल्लंघन करके अपने नाम से बारबार करता है तो उसमें प्राप्ति की गई सब आय उसके पास कम्पनी की ओर से न्याय म धारित मानी जाएगी (धारा ३७५)

धारा ३७६ यह उपबन्ध करती है कि यदि कम्पनी के सीमानियम या अन्तिनियम में, या कम्पनी द्वारा या कम्पनी के मचालव मडल द्वारा बृहत् भासा में पास किये गये विसी नकल म या कम्पनी या इसके प्रबन्ध अभिकर्ता के मध्य हुई किसी गविदा में, जाहे वह इस अधिनियम के पट्टे हुई हो या पीठे, कोई ऐसा उपबन्ध है, जो कम्पनी की पुनर्देवना का या विसी अन्य निगमित निकाय या निकायों से इसके निरपालि या

विना इम शर्त के समानेलन का प्रतिवेद बरता है कि वस्त्रनी के प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्ध मचालक, मचिंद्रा और कोपाध्ययों या प्रबन्धक को पुनर्रचित् वस्त्रनी या समानेलन के परिणामस्वरूप बनने वाले निकाय का सचिव और कोपाध्यय प्रबन्ध मचालक, प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रबन्धक नियुक्त किया जाए तो वह उपबन्ध सइ अधिनियम के लागू होने के बाद शून्य होगा।

धारा ३३ द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता की शक्तियों और अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण पारदर्शी लगा दी गई है। अब यह उपबन्ध किया गया है कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रबन्धित वस्त्रनी के सचालक मण्डल में, जहाँ मण्डल के मदस्या की सख्त्या ५ में अधिक है वहा एक सचालक, और जहाँ वह सख्त्या ५ म अधिक है वहा मिर्क दा मचालक नियुक्त बर मरेगा। इम अधिनियम वे आरम्भ के एक मास के भीतर सब मौजूदा प्रबन्ध अभिकर्ताओं का यह चुनाव कर लेना है कि जहा प्रबन्धित वस्त्रनी के सचालक मण्डल में उनके मनोनीन व्यक्तियों की सख्त्या ऊपर बनाई गई सीमाओं से अधिक है वहा उनमें से कौन में मनोनीन व्यक्ति बने रहे। यदि कोई चुनाव न किया गया तो यह माना जाएगा कि इम अधिनियम वे आरम्भ में एक मास बीन जाने पर उसके सब मनोनीन व्यक्तियों ने अपना पढ़ खाली बर दिया है।

उन दुप्तवायों को रोकने के लिए जो कम से कम कुछ प्रबन्ध अभिकरण कोठिया बरती ही थी, बुराइयों को सत्तम बरने के लिए और भारतीय व्यवसाय के स्वर को ऊंचा बरने के लिए प्रबन्ध अभिकर्ताओं की शक्तियों पर बहुत मी पारदर्शिया लगा दी गई है। इन पारदर्शियों को अपने-अपने मात्रने के तरीके के अनुसार “उपरोगी न्याय-युक्त और व्यावहारिक” अयवा “विचारहीन, भर्ता आदर्शवादी और राजनीतिक मिद्दानों में लड़ा हुई” आदि अल्प-अल्प हप में बनाया गया है। नि मन्देह अधिनियम लम्बा और कुछ बोझिल हो गया है पर इन अनिविस्तृत उपबन्धों को रखने के बारण ऐनिहामिक हैं। एक बारण है बहुत में सचालकों द्वारा अपनी जिम्मेदारी का त्याग—इमका मीषा मा तरीका यह था कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को अन्तिनियमों में तथा प्रबन्ध अभिकरण करारों में अत्यधिक शक्तिया दे दी जानी थी, और सचालक इनने ही में मतुष्ट रहने हैं कि वे मण्डल की बैठकों में आए, वहा प्रबन्ध अधिकर्ता महाशय को हा में हा मिलाए मिलाए और उन लिफाफों को जेव में रखकर चल दे जिनमें बैठक की पीस के नोट रहे हुए हैं। दूसरा बारण अजीव भा है। यह भी मरकार द्वारा जिम्मेवारी का त्याग ही था अर्थात् वयों तक वस्त्रनी कानून का प्रभासन न बरना। इमका बारण भी मीषा था—इसके लिए भरतीय अद्यत्यन्त रही, जटी, चेपी, कम्फी, अधिनियम एवं बेन्ट्रीय अधिनियम था, प्रान्त इम अधिनियम के प्रशासन के लिए बेन्ट्रे के अभिकर्ता थे। अधिकरण प्रान्तों ने इम समस्या का यह हल निशाला कि यह काम अपने उद्योगों के प्रजाकर्ताओं (Registers of Industries) आदि को उनके बाकी काम के नाय-नाय मौर दिया। प्रजाकर्ता वस्त्रनी के प्रजाकरण में आगे और किसी परेशानी में नहीं पड़ना था। वित्त और वाणिज्य मचालक और स्वनन्वता में पहले बेन्ट्रे के विभाग

कम्पनी कानून प्रबन्धन के बारे में शिक्षायत प्रान्ता को भेजते थे और प्रान्ता के सम्बंधित सचिव अनावश्यक कागजों को पक्के का आयाजन करते समय उन सबको लेटेकर पज़ीयन के महानिरीक्षक (Inspector general of Registration) को भज देते थे जिस कानून के अधीन स्वयं कायवही बरने की कोई विवाप शक्ति न थी। कम्पनी अधिनियम १०५६ की प्रमुख विशेषता यही कि पहुँच गया है। इसके प्रशासन के लिए एक जीवित वेन्ट्रीय तंत्र की स्थापना है। वे पुराने पापी जो प्रशासन के अभाव की मुख्यायक अवस्था का पना हाने के बारण कम्पनी कानून का अपनी आरम्भिक जिम्मदारिया भा पूरी नहीं करते थे और जो अभावारिया को अपन उगाची के इसारे में छान थ। अब मजे में वफ़िकरी में बैठ नहीं रह सकते। नय अधिनियम द्वारा अगाधारिया का दिया गया यह सबस बड़ा सरमाण है। थी चित्तामणि देगमुख न यह वहा था कि भारत में स्टाक बाजार की तज़ी कम्पनी कानून संशोधन और मणिङ्डन का मुस्तिष्ठता का उचित पैमाना है और कुछ लगा द्वारा कुछ नय उपवाहा के विरुद्ध मचाय जा रह शार का जवाब है। गायद इनका सारा धर्य नय अधिनियम का देन में थी दगमुख के साथ महमत न हुआ जा सक और यह वहा जा सके कि इस तज़ी का लान में मुद्रा सम्बंधी आविक और अत्यस्य (Intrinsic) वारसा का भी हिस्सा है पर इसम काई संदेह नहा है कि इसक स्टाक बाजार में बड़ा विश्वास पढ़ा किया ह और पूजा र्यान वाया जा भारत में प्राय माय वग का बादमी हाना है यह टीक ही बनुभव करता है कि उम्म लिपर पर एन नई लगा हा गई है।

इस बात पर एक बार किर जार दना हागा कि बनया अधिनियम नई प्ररणा का नज़र बरत वाया हान के बजाय पूजा र्यान वाया में विद्यास पैदा बरक और इस प्रकार पूजा निमांग के लिए सदम वना महारा बनवर वैयक्तिक उद्याग क्षम व लिए एक वरदान मिद्द हागा। क्याकि यह कम्पनिया पर मामालाय अधिकार का राखने के लिए और युरेनियन का दगान के लिए अभिप्रत है इसलिए प्रबाधव वग का इसका स्वागत बरना चाहिए और यह मिद्द कर देना चाहिए कि उह नये कानून में भय की काई बात नहा। अमरिंगा को मुक्त उपक्रम का धर बनाया जाना है। भारत की तो बात हा क्या और लिमा भा जगह स्वतन्त्र उपक्रम पर एमा नियम नहा है जैसा अमरीका म और वयमिन्स उद्याग क्षम न इस नियमन का सूनी म स्वीकार कर लिया है और प्रसिद्ध राष्ट्रपनि फरगिन न्यूज़वल्ट की नयी याजना (New deal) के बाद क दम वर्षों म अपना वाम अच्छी तरह चाराया है उम दूष्ट म आज भारत म जा कुछ ही रहा है वह एन चुनीना और एक अवमर है। कहा एमा नहा कि बाद म यह वहा जाए, कि वैयक्तिक उद्याग न दम मोक्ष का मर्दानीय म लाभ नहा उगाया।<sup>1</sup>

वित मत्री थी चित्तामणि दगमुख ने प्रबाध अभिवत्ताया का और कुछ दिन जीने का मोक्ष दिया है और उह अपन दृग मुद्यान और अपना वमिया दूर करन का

अवसर दिया है, क्योंकि वे यह अनुभव करते थे कि वैधानिक कार्य के समान ही हृदय परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। इससे भी आगे बढ़कर यह कहा जा सकता है कि बानूनी कार्यवाही रोग को कुछ देर के लिए हटा ही कर सकती है। वह रोगी मनोवृत्तियों का इलाज नहीं।

धारा ८३—आई के अवसार प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्त विषय यथा सचालकों की महत्वा कुल सचालकों की महत्वा के तिट्ठाई में अधिक नहीं हानी चाहिए। इस उपबन्ध के विपरीत काई भी शक्ति यदि अन्तर्नियमों में हैं तो वह सून्य तथा प्रभावहीन है। इस सत्या को एक-तिट्ठाई से घटाकर देवल एक कर देना चाहिए।

१९५१ के अविनियम के द्वारा जोड़ी, मर्मी धारा १५३—मी के उपबन्ध के अनुसार किसी भी तदन्त के आवेदनन्तर पर न्यायालय, अन्य आदेशों के अतिरिक्त, यह आदेश भी जारी कर सकता है कि चाहे जो भी भापार हों, प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्ध सचालक या अन्य किसी सचालक तथा वस्तु, के दोनों दोनों गरी भविद्वा को समाप्ति हो, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि कम्पनों कुव्यवस्था का गिराव हो रही है। नर्मी धारा १५३—डों के अनुमार अपनी भविद्वा न्यायालय के आदेश में समाप्त होने पर प्रबन्ध अभिकर्ता क्षतिपूर्ति का दाता नहीं कर सकता और न वह न्यायालय की आज्ञा के बिना किस अन्य कम्पना का प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। इस उपबन्धक क उल्लंघन करके यदि कोई प्रबन्ध अभिकर्ता वनता है तो वह अपने को बैदवा, जिसकी अवधि एक साल में अधिक नहीं हो सकती। तथा अयता जर्येदार का, जो ५०००० पर में अधिक नहीं हो सकता, भागों बनाना है, धारा १८९ के न्याय सरकार को उपर्युक्त विविध विभाग पर मरकार को परामर्श देने के लिए, जावशक्ति शक्तियों न सम्भव एवं आवाग नियुक्त करने का अविद्वार देनी है।

प्रबन्ध अभिकर्ताओं की विनाश पर उत्तरों नियन्त्रण लगाये गये हैं, और उसका कारण यह है कि उत्तराधिकारी नहीं जड़ प्रबन्ध अभिकरण प्राप्त कीया जाना चाहिए जिसकी प्रत्य प्रगतिशील, मनहा है, वहना उन व्यक्तियों में है जो उन प्रगतियों को आयोगित करते हैं। वे लोग, जो प्रबन्ध अभिकर्ताओं की जगह सचालक मठल को प्रतिस्थापित करते वे पर्याप्त में हैं इन वाल पर विकल्प ध्यान नहीं देते। विश्वासित्वा तथा प्रबन्ध के बोनस सम्बन्ध वहाँ ही महत्वपूर्ण नहीं हाता जहा प्रबन्ध अभिकरण प्रयोगी है, बल्कि वहाँ भी उतना ही महत्वपूर्ण हाता है जहा न्यायालय मठल कम्पनियों का नियन्त्रण करते हैं और वैकल्पिक कार्यसाल (Executive) कम्पनियों के दैनिक वार्ता का सम्पादन करते हैं। दोनों प्राप्तिलियों के जन्मों ऐसे वहन जो अधिक उदाहरण मिलते हैं जिनमें प्रबन्ध अयत्ताधिकारी के प्रति उत्तरों द्वारा विश्वासित्वा उत्तरदायिक की ओर से प्रभारी या ईनान-गहित रहे या मात्रे बाट भले रहे। वहनों द्वाहरा, जैसे हेट्रो का मुकदमा, जिसने इन्हाँ उद्योग के एवं हिस्से के वैकल्पिकीयरण की योजना के विकल्प होने पर शृंखलादार जारी दस्तवाजों का रहस्योदारान किया, अद्यता वह मुकदमा जिसमें रोपल मेल दूर की कम्पनियों यों, जिनके नेता लाई किल्मेट ये तथा जो न्यायालय की

अलाभदायकता को छिपाने के लिए मुफ्त सचिति में से लाभाश देती रही, अयवा मंड-कंसन एंड राविन्स का मुकदमा, जिसमें गोदाम तथा स्टार्ट की सूचि आपराधिक मस्तिष्क की कल्पना मान थी, अयवा इवार नूगर वा मुकदमा, जिसमें प्रतिभूति घास्तों को सपल आस्तियों की जगह कोडी के मोल बाली आस्तिया दी गयी और उन्हें ठगा गया, अयवा बथलहम स्टील कम्पनी तथा अमेरिकन ट्रैक्चरों कम्पनी के प्रबन्धों के विरुद्ध अतिशय पारिश्रमिक व क्षतिपूर्ति लत पर हुए मुकदमे, यह सर्वेत करते हैं, हालांकि सिद्ध नहीं करते, कि मडल द्वारा प्रशासन प्रबन्ध अभिकर्ताओं के प्रशासन से अच्छा हो, यह जावश्यक नहीं। मचाल्व क मडलों द्वारा होने वाले प्रशासन में कई स्थारे समाव्यत इसलिए विद्यमान हैं कि मचालकों को मडल के जटिवेशन में समिलित होने के लिए मूल्क के रूप में जो प्रत्यक्ष तथा दृश्य धनरूप क्षतिपूर्ति दी जाती है, वह उत्तर-दायित्व, समय तथा प्रयत्न की दृष्टि से बहुत कम होती है। प्रबन्ध अभिकर्ताओं की जगह सचालक मडल खेना देने या 'मुख्यार' मवेही उपायों के लागू कर देने मात्र से यात नहीं बनेगी। यदि दृष्टि, चाहे वह प्रबन्ध अभिकर्ताओं हीं या मचाल्व, व्यवसाय सम्बन्धी अपनी नैतिकता को सामान्यत उन्नत करल तो सारी विगड़ी बाँचे बन जाय। प्रबन्ध अभिकर्ताओं को अपने प्रतिमा का विनान की दृवंलनाथा से लाभ उठाने या अपने दुपृष्ठत्या वो छिपान के लिए उपयोग करने में मलगन रहने के बजाय, यह स्मरण रखना चाहिए कि हेनरी फोर्ड ने जारी महीं जीवन के मौलिक नियम "जाप केवल पैसे के बारे में सोचने रहने से ही धनी नहीं हो। जापा" का गोलिक लिया था, जन वह एक समय दुनिया का सबसे धनी आइमी बन गया। उन्हें यह जानना चाहिए कि स्वार्थ के कारण किसी भी व्यक्ति का समाज को सिवाय धृगा के और कुछ हाथ नहीं आया है। भभी प्रबन्ध की येवाओं के लिये जावश्यक इस में 'प्रतिष्ठा' तथा "लग्न" के कुछ नियम हीन हैं जिन्हें व्यक्ति को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए तथा जिनका उसे अनिवार्यत पालन करना चाहिए, और जिनके जागे उन अपन बहुतेरे आवेगों (Impulses) को दबा लना चाहिए। जब प्रबन्ध अभिकर्ताओं का चाहिए कि वे अपन को समयानुकूल बनावं, अन्यथा कहीं एसा न हो कि लोक्मत के लगातार बढ़ते हुए फ्रोध के बारण, उन्हें सिर के ऊपर कच्चे धांओं से लटकते हुई तलवार गिर पड़े और प्रबन्ध अभिकर्ण प्रणाली सदा के लिए खत्म हो जाए।

## अध्याय ११

# सचिवीय कार्य

### कार्य (Secretarial Work)

कम्पनी का सचिव कम्पनी का सर्वोधिक महत्वपूर्ण कार्यपाल (Executive) है जिसके उत्तरदायिन्व तथा अवमर बहुत ही अधिक, तथा उसक दायित्वों के अनुरूप ही होने हैं। यदि सच वहाँ जाय तो वह कम्पनी निर्माण में सर्वप्रथम रगमच पर उपस्थित होता है। कई दृष्टियों में वह कम्पनी की भूमा और मस्तिष्क है, और उन्हें ईमानदार, विश्वासपात्र, आत्मनिर्भर, व्यवहारकुशल तथा बुद्धिमान होना चाहिए। उम्मको कम्पनी अधिनियम तथा सचिव के कार्यों का अच्छा ज्ञान अनिवार्य है। यद्यपि उम्मकी स्थिति सचालक मडल द्वारा अनुमत अधिकारों तथा विवेक पर निर्भर करती है, फिर भी कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सारी कार्यवाहियों के विषय में वह मडल का मस्तिष्क है। अन्, उन्हें सचालकों के कर्तव्यों के बारे में ज्ञान होना चाहिए तथा उन्हें प्राविधिक विषयों पर सहायता देने में समर्प होना चाहिए। वह एक वैत्तिक अफमर है, तथा कम्पनी का भूत्य माना जाना है। वह अधिकारी-वर्ग के लोगों में से नहीं है, तथा मडल के निरेशों व आदेशों को कार्यान्वित करना, उम्मके लिए अनिवार्य है। यदि अन्तर्नियमों में तद्-विधयक व्यवस्था हो तो वह कम्पनी का प्रबन्धक भी हो सकता है। वास्तविकता तो यह है कि इम देश में साधारणता अभिकर्ता या उसके एक या अधिक सदस्य सचिव के कार्यों का सम्पादन करते हैं। चूंकि वह मडल का प्रबन्धक है तथा उम्मका प्रयोग कर्तव्य है प्राप्त निरेशों को कार्यान्वित करना, अन् सचिव को मावगान रखना चाहिए कि दिये गये निरेश नपेतुले शब्दों में तथा मुनिरिच्छत हो, निरेश तथा तन्मन्दन्धी उम्लें दब्यर्थन न हो, तथा वे अवैधानिक न हो और न शक्ति से बाहर या छलपूर्ण हो। उन्हें मडल के निरेशों का पालन करना है, न कि मडल के बिना सदस्य के। पर यदि उम्म सदस्य को मडल के प्रस्ताव द्वारा कार्यभार सौंपा गया है तो वाल दूसरी है।

सचिव के अधिकार व शक्तिया—सचिवीय विभाग के प्रधान होने वी हैं नियन से उन्हें इम विभाग का अधीक्षण (Superintendence), नियन तथा नियन्त्रण का हक प्राप्त है। कम्पनी का भूत्य होने वी हैं सिद्धत से, उन्हें कम्पनी समापन के ठोक दो महीने पूर्व के बैगन वी मास, जो १००० रुपये में अधिक नहीं हो सकती, करने का हक है, क्योंकि इम दृष्टि में वह कम्पनी का अधिमान्य उत्तर्मन्य ( Preferential Creditor ) है। वह कम्पनी के उन लेख्यों व कार्य-

विवरण। पर हस्ताखर कर सकता है जिन पर कम्पना का प्रमाणान्वरण आवश्यक है। नयी गठित कम्पना में जो अभी निगमित नहीं हुई उम्मी नियकित जल्दीकालिक होता है और निगमने के पश्चात् यहि कम्पना इसके बावजूद कि उम्मी नियकित के लिए जरूरी नियमों में उपलब्ध कर दिया गया है उम्मी नियकित नहीं बरता है तो वह कम्पना का नाम हरजान का मकान नहीं बरता है। जब उम्मी सावधान होता चाहिए कि निगमन का नाम पश्चात् उसका नियकित मन्त्र वा प्रस्ताव द्वारा घोषित हो जाए। वह कम्पनी का अनिस्तना नहीं है और वह कम्पना का वाल्य नहीं बरता। उम्मी कम्पनी का प्रतिनिधित्व वरत का व्यापक प्रविकार प्राप्त नहीं है। मन्त्रालय के मन्त्र में अधिकृत हुए विना उम्मी हस्तान्तरण का प्रजापित वरत का अधिकार नहीं है और न वह प्रत्यन बढ़वा है। प्रगति मकना है।

**दत्तचय व दायित्व** ——कम्पनी के मध्य काफियत वा हृमियत में मतिव सचालका तथा कम्पचारा वा कात्र का क्या है। कम्पनी के मतिव प्रम्भ (Confidential) भाव हैं तथा सचालका कात्र का तथा भाउ उम्मी नानागम रखता है। नियक अस्तर (Routine Office) का है सबसे उम्मी य दत्तचय (?) मन्त्र के लिए वा कात्र करना तथा कावतन (Minute) वा मन्त्र में इसके तथा कम्पनी के कार्यालय नियमों का लिपिबद्ध करना (१) कम्पनी के गो मूलदाएं तथा काफियत (Agenda) नियमित कम्पनी (२) कम्पनी का आरम्भ सूचनाएं (नाटिय) प्राप्त वरता (३) प्रजा तथा कम्पनी के मध्य नियमना के दगरख वरता (४) जा प्रमाणपत्र का सम्पूर्णता के लिए नवार रखना (५) गम्भार नवार तथा नियमित वरता आरक्षना (६) मात्र अस्तान्तरण का प्रमाणित वरता (७) अविनियम के द्वारा जावयव ठहराय गये स्तर में विभिन्न पंजिया (Registers) का रखना (८) कम्पनी का विभिन्न नामिक तथा जाम पूस्तकों में सार ऐनन्तरा का लिपिबद्ध करना (९) कम्पनी के जावयव प्रविदरण (Returns) कम्पनी प्रजाकृता के द्वारा भरता।

इसमें मन्त्र है जिसके सचिव सचालक मन्त्र वा सबक है — जिन वह विधि का भी नम्बक है क्याहि कम्पनी का जप्तपर हैन का। हृमियत में वह वर्तिपद्धति वाया तथा विचारा (Omissions) के लिए विकल्प व्यवस्था में दाया है। इस प्रकार कम्पनी जप्तपर हैन का हृमियत में वह जातवज्ञकर अस्तान्तरण अथवा गारवार्थ के लिए दाय है। वर्तन्तरा अवस्थाओं में कम्पनी के सर्वाधिक जावयवनाओं की पूर्ति वरत में विकल्प रहने के लिए वह मन्त्रालय के मात्र सहन्तया है। अपने मन्त्रवूषण वाया का मम्पान्ति वरत के यग्य ओपचारित दायित्वा में वरत का वचान के लिए सचिव के मतिविक कार्यों तथा कम्पनी के विभिन्न पूर्णतया अपगल हैन के अनिस्तन उम्मी कम्पनी का मामानियमा तथा जरूरी नियमों का भा पूरा पूरा जानकार होना चाहिए।

तथा अ ग्रन्तयम सचाला के पर और वह जिम्मानिया जाना है क्याहि जब सचालका आर कम्पनी के वट्ट सभा वे अविवतर कार्यों के लिए वे जिम्मानियमा जानकार होना चाहिए।

पूरा नाम  
पूरा पता  
वर्गन  
हस्ताक्षर

निधि

वक का रमाद जा द्वार अग्र प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

महिला

तिथि	१९५	वा श्री
में	रुपय पाय जो उक्त वस्तु के	
अगा पर प्रति अग	रुपय दी दर म जमा की गई राशि ह।	

वास्ते वक लिमिटेड

टिकट

आवेदनआवेदन पत्रा को अश्वरातुक्रम म एकत्रित कर दिया जाता है ताकि ताम्चाभा निर्देश म सरलता हा और तब आवेदन व आवटन पुस्तिका में उह प्रविष्ट कर दिया जाता ह। इय पुस्तक वा निरव रुप इस प्रवार है —

## आवेदन व आवटन पुस्तक

(Application &amp; Allotment Book)

आवेदन सम्बंधी प्रविष्टिया

आवदन पत्र अम मस्त्या	आवदन पत्र की तिथि	क्र म सं ख्या	प्रका र जिल्हा (District)	जिल्हा (Occupation)	आवदित अगा की सस्त्या	आवदन के समय दस्ताविजि का	रोकड साता पट्ठ मस्त्या	दिग्गेव विवरण (Remarks)
						५०		

आवटन सम्बन्धी प्रविद्युता

अद्यों के आवटन के उपरान्त आवदक के पास मूचना के लिए आवटन पत्र भेजा जाना है जिन पर दो आने वा टिकट लगा हाता है।

आवटन पत्र का प्रपञ्च

कम्पनी लिमिटेड

दिल्ली.....

३५

प्रिय महाराज ! महाराजा,

मुझे आपको यह सूचित करने का निरेश दिया गया है कि आपके आवदन को स्वीकार करते हुए सचाल्को ने उसके कम्पनों में प्रति अशा..... शपथों की दर से ..... अशा आपको आदित दिये हैं,

यह आवटन तिथि  
शर्तों के आधार पर किया गया है।

मुझ आपम् यह प्राधना वरत का आदेश भी मिला है कि आप कृपया तिथि  
को या इसम् पहले कम्पनी के अधिकोष्ठ  
वक्त लिमिटेड के पास रख जमा कर दें  
जिसना हिसाब इस प्रकार है

आवटन के समय प्राप्य राशि जिसम् आवदन के साथ जमा वराधी गयी  
राशि भी शामिल है ४०  
घटाओ जमा की गयी राशि ५०

प्राप्य धन

भुगतान के समय यह आवटन पत्र उपस्थित वरत की कृपा करें।

आपका विश्वसनीय

मर्चिव

अशा के आवटन धन का रमाद जा दवर अशा प्रमाण पत्र लिय जाएग ।  
मेरे प्रति अप्राप्तव्य कुर राशि है।

वास्त

वक्त लिमिटेड



जिन जावदवा का अद्य नहीं आवटित किय जान उनके नाम सदृश भजा  
जाता है जिसका रूप निम्नरिखित है —

खेद पत्र

कम्पनी लिमिटेड

दिल्ली

प्रिय भट्टाचार्य ! भट्टीचार्या

निदेशानुसार म आपका मूलित वरता हूँ कि सचावका को रद्द है विध आपके  
द्वारा तिथि १०५ वार आवदन पत्र में आवटित काई भी अशा  
आएक नाम आवटित वरत म समय नहीं हुा सक। रुपय वार चक्र  
इस पत्र के साथ भजा जा रहा है जो आपके आवदन पत्र के साथ आपकी राशि का  
वापिसी है।

साथ म चैक

आपका विश्वसनीय,  
मर्चिव

आवटन तिथि के एक महीने के भीतर नियत प्रपत्र (Prescribed Form) में आवटन का विवरण पर्याकृता के पास अवृद्ध भज दना चाहिए।

आवटनों का विवरण  
बम्बनी अनियन्त्रित, १९५६  
(दिवाल घारा ७१)

बम्बनी का नाम . . . . . लिमिटेड।

नियमित तिथि। नियमा म व्रश्च क आवटनों का विवरण जा घारा ७५ के अनुसार पर्याकृता क दहरा भजा गया।

..... " द्वारा नस्तीकरण (filling) क लिए प्रस्तुत किया गया।

१. नाइ ईमेंट आवटित

अम	जनित राशि	प्रथम याचित अम पर देय तथा वाच्य राशि (जिसमें अवृ द्ध आवटित गणि मी सम्मिलित हैं)	चुक्ता राशि (अमा पर प्रत्याजिया तथा अप्रिम याचना द्यावकर)
सम्प्या	Nominal Amount		प्रति अम   योग

२. नाइ से इतर प्रतिफल के बदले के आवटित अम

मरमा - - - - -

जनित राशि - - - - - राशि

प्रति अम वह राशि तिथि चुक्ता माना जाना है - - - - - राशि।

जिस प्रति एक बदल न करा आवटित किये गए हैं, वह यह है - -

प्राप्त अमति तथा वाचना - - - - - राशि।

(दोनों)

मरमा राशि

मेवा (मवात्रा का स्वतंत्र गिरिजा) - - - - - राशि।

बच्चों (उनका उच्चाव करना चाहिए) - - - - - राशि।

१. दस्ते (Discount) पर नियमित किये गए अद्यों की सम्प्या (देविए घारा ७१ ए)

इस प्रकार नियमित किये गए अद्यों की अवित राशि - - - - -

प्रति अम दस्ते का राशि - - - - - " "

प्रति अम चुक्ता राशि - - - - - "

### सदस्य पंजी (Register of Members)

अरो का आवान वाय समाए हो जात पर सदस्य पंजी तैयार की जाती है जिसम निम्नलिखित सूचनाओ का होना अनिवार्य है— सदस्यो का पूरे नाम, पत और जीविका का पूरा विवरण, अरो की राशि व सहया तथा उनकी प्राप्ति तिथि उन पर चुक्ता राशि तथा सदस्यों द्वारा सदस्यता-देया की तिथि। जब प्रत्यक सदस्य के लिए एक अलग गुण प्रयुक्त किया जाता है तब पंजी का निम्नांकित प्रपत लिख होना चाहिए।

### सदस्य पंजी प्रपत (Form)

पता

नाम  
जीविका

### पारित अ शो के लिए

### हस्तांतरित अ शो के लिए

क्रम विवरण	अशो की सहया	सूचक सहया		प्रतिअशा		कुल देय राशि	भुगतान देय राशि	कुल चुक्ता राशि	कितको हस्तांतरित को किया गया महया	अशो की सहया	सूचक सहया	हस्तांतरिती को के लिए की पृष्ठ सहया	कुल हस्तांतरित राशि	
		तो	तक	तो	तक									
		५०		८०		८०		८०						८०

## जावटिनियों (Allotees) के नाम, पते तथा जीविकाएँ

आवटन की नियि	पूरा नाम	पता	जीविका	आवटित अशो की सम्पदा
				अधिमान साधारण

नियि — १३०

हम्माघर .....  
पदनाम .....

(यहाँ यह बताओ कि मचाल्क, ब्रह्मण्ड, प्रबन्ध अभिनव या मनिव में से कौन है)

## अंग प्रमाणपत्र (Share Certificate)

जग्हों के आवटन तथा कम्ती के सम्पद के लिये यह जावटिनियों के पर्जीयत के उत्तरान्त, उन आवटन के तीन महीने के मीनार एक अंग प्रमाणपत्र तैयार किया जाता है जिसमें प्रशंसार्थी का नाम, पता, तथा जीविका एवं अशों की सम्पदा तथा उनकी मूल्वत्व सम्पदा व चुकना राशि दी रखती है। अंग प्रमाण पत्र को मुकुर्सी के लिये प्रमुख रखा जाता है। इन प्रमाण पत्र में कम्ती का मार्वनुदा का होना तथा इसका मुद्रांकित होना अनिवार्य है। इनमें एक या एक से अधिक मचाल्कों का हम्माघर भी होना अनिवार्य है। अंग प्रमाणपत्र कम्ती द्वारा इन जागत की धोक्षणा है कि वह व्यक्ति, जिसके नाम यह निर्मित जिया जाता है, कम्ती का प्रशंसार्थी है और वह इच्छित रूप से अंग का उत्तरांग कर सकता है। प्रशंसार्थी के पास निम्नलिखित जागत की एक मूलना प्रेसिट की जाती है ताकि वह उनकी मुकुर्सी लेने की व्यवस्था कर सके।

प्रमाणपत्र के तैयार हो जाने की मूल्वता

कम्ती लिमिटेड

में से में

नियि

---



---



---

प्रिय महायज्ञ ! महायज्ञ,

महिनद मूल्वित किया जाता है कि कम्ती के अधिमान। साधारण जग्हों का प्रमाणपत्र जड़ तैयार है तभी वह काम्बार के घटों में जानकों द्वारा द्वारा यथाविधि प्राप्तिकृत अधिकारी को, गोप्तव्य तथा जावटन पत्र पाने के पश्चात् मुकुर्से कर दिया जाएगा। यदि अपने नाम तथा मुझे मूल्वित करे और अधिकार देतो मुझे आतके पते पर डाढ़

द्वारा प्रमाण पत्र भेज देने में सुनी होगी, लेकिन जोखिम आपका होगा।

जापका विश्वसनीय  
सचिव

प्रमाण पत्र हमशा जिल्ड में पुस्तक के स्पष्ट म बब हाने हैं जिसम छिद्ररक्षा पृष्ठ को दो भागो म विभाजित करती है। किमी मदस्य को उन के लिए छिद्र रेखा पर उसे प्रतिपर्ण ( Counterfoil ) म जल्ग कर लिया जाता है। विभिन्न कोटि के असाके लिए विभिन्न रण व्यवहृत किये जाते हैं।

### प्रमाणपत्र का प्रबन्ध

#### प्रतिपर्ण (Counterfoil)

अशा प्रमाणपत्र

उम सहमा

अशी के लिए  
सूचक उम म या से  
तक को नियमित  
जो के निवासी है  
तिथि १९५५

मदस्य पजा म प्रविष्ट  
पृष्ठ सहमा

उक्त प्रमाणपत्र तिथि  
का पाया।

सदस्य

अशा प्रमाणपत्र

उम सहमा

लिमिनेड

यह प्रमाणित किया जाता है कि  
श्री जो के निवासी है उम नाम वाली कम्पनी के मीमा-  
नियम तथा अतिनियमों के मात्रात्मक प्रति अशा  
रप्ति के पूर्णत प्रदत्त  
अग्रा के पंजीयित बदशाही है जिनकी उम  
सम्मान में तर (दोता)  
बक मिलानर है।

उम कम्पनी के सार्वमंडा के जरूरी  
अवित। तिथि १९५५

सार्वमंडा

दिन

मचालन

सचिव

इष्टव्य यहा अवित किमी भी अशा का  
हस्तान्तर यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत हुए किना नहीं  
किया जाएगा।

प्रथम ऐसा होना है कि आवटिनी अपनी रपीद तथा अशाही अपने प्रमाण-  
पत्र स्था देत है। मौखिक या प्रतिशिख नियमित करने के पूर्व मचालन चाहते हैं कि  
मदस्य एवं तारण पत्र (Letter of Indemnity) पर हस्तान्तर करे जिसके द्वारा

वह (मद्दन्य) इस निर्मान में हो सकते वाली कम्पनी को क्षति की पूर्ति करने का दायित्व अपने ऊपर लगा है। जक्सन बिसी अच्छी पार्टी द्वारा लिखित प्रामाण्यता पत्र (Letter of Guarantee) को जावधारी हानी है। तारण पत्र को मुद्राकृत हाना जावस्यक हाना है और कम्पनी इस क्षति का विज्ञापन करती है, विज्ञापन व्यव अशारीरी या आवटिना का दंडना है।

### तारण पत्र का प्रपत्र

लिमिटेड

मेवा म,  
मचिव,

प्रिय महाशय,

चूकि उक्त कम्पनी म

“ म

— — — तब क अग्रा के लिए (दानों नस्याएँ मिलाकर) मरा आवटन पत्र।  
अग्र प्रमाण पत्र जिसी इममल्ला है खा गया या नष्ट हो गया, अन मे आप द्वारा उक्त अग्र क लिए प्रमाण पत्र दिय जान क प्रतिफल के स्वर्व मे कम्पनी द्वारा उठाई जान वारी क्षति या नुक्तनान की पूर्ति वरन का दायित्व लेना है और यह धारित वरता है कि मैंन जानगूनकर जालाच्य जावटन पत्र।  
अग्रप्रमाण पत्र को रान म जग्य नहीं किया है और भविष्य मे यदि वह मेरे अविकार मे आ गया तो उने आइ सुपुर्द कर दन का दायित्व लेता है।

आपका विश्वासपात्र,

मान्यी

हम्नाथर

पता “  
जीविका ”

### प्रतिम (Surety)

सत्रा मे,  
मचाल्लव,

“ कम्पनी लिमिटेड,

आपके द्वारा “ ” अग्रों के लिय नये प्रमाणपत्र निर्गमित किये जान के प्रतिकूल स्वरूप मे आपके इस निर्गमन के बारण कम्पनी को हान वाली क्षति या नुक्तनान म वचाने का दायित्व अपने ऊपर लेता है।

मान्यी

हम्नाथर

“ ” “ ”

### अग्र अधिकार ( Share warrants)

लोक मीमित कम्पनी के अन्तर्नियमा मे पूर्णत शोधित अग्रों को अग्र अधिकारों के हन मे जो बाहर का दोष्य हो, परिवर्तित वरने की व्यवस्था प्राय रहती है।

इस प्रकार का अधिपत्र परदाम्य सल्लख (Negotiable Instrument) होता है तथा स्वामित्व का हस्तातरण मुपुदगी मात्र में होता है। यह बक्क नाट की तरह स ही निगमित किया जान पर जो अप्रबन्धीय सरकार के पूर्व अनुमोदन है क्याकि अग अधिपत्र के धारक का स्थिति मदस्य का ही हासी है चाहे उसका नाम पजा में दज हो या नहीं। चूंकि कम्पना का तो यह मार्ग रहता नहीं कि अगवारा कौन है या कौन लाभारा है जब प्रत्यक्ष अगअधिपत्र के साथ एक कूपन जुड़ा होता है जिस पर लाभारा भुगतान का नियम अवित होता है तथा लाभारा उम्मेकित का मिश्या जो अधिपत्र उपस्थित बरगा। निगमित किया जाने के पूर्व अग अधिपत्र का नमूना दिया गया है।

### वाहक शोध अगअधिपत्र का स्पष्ट

प्रतिलिपि (Counterfoil)		कम्पनी लिमिटेड।
अग अधिपत्र		
अम मस्त्या		अग अधिपत्र अममस्या स्पष्ट
के अग सम्मा	स	यह प्रमाणित किया जाना है कि उबत कम्पना में
तक (मिश्या)		कम्पना के पापद अत्तिनियमा तबा उस पर पूर्ण
प्रमाणपत्र तम सहस्रा		विन गतों के अनुमार और अधान हा इस अधिपत्र
व विनिमय म	को	का वाहक प्रति अग की दर पर म तक
निगमित		मस्त्याकित पूर्ण प्रदल अगा का अधिकारी है।
हस्ताक्षर		कम्पनी की मावमुदा क अपीन १९५ क
पजा		वैं दिवम अपित।
तिथि		मचिव
		" मचाक्क
		याचना (Calls)

माप्रारणतया अग्न प्रदत्त अग निगमित किय जान है जिनम यह व्यवस्था होना है कि ग्रास्पर्टम म निश्चित तया अत्तिनियमा म लिखित गतों क अनुसार सचारक गत रागि याचित वर मकन ह। मर्क क प्रस्ताव द्वारा तया अत्तिनियमा म नियारिन विधि के अनुमार तया व्यवसाय आरम्भ करन का प्रमाण पत्र प्राप्त करन क उपरान याचना का जाना है। याचना क नमय यदि अत्तिनियमा में उल्लिखित मारा औपचारिकतात्रा (Formalities) का पूर्ति नहा वर दा गया है तो वह याचना अमाय (Invalid) होगा। याचना प्रस्ताव द्वन शब्दा में गिर्वा नायगा

महत्वित हुआ कि अग्न प्रदत्त अममस्या

म	तक क अगा पर प्रति अग	स्पष्ट
याचित किय जाय जा कम्पना क अधिकारपत्र	व लिमिट वा -	

दिन, १९५, को शोध्य होंगे और कि पर्जायित अशास्त्रियों को याचना मूचनाएँ १९५ के ..... वे दिवस या इसमें पहले निर्मित कर दी जाए।

याचना की जाने के बाद अशा का हस्तान्तरण उस समय तक स्वीकृत नहीं होता चाहिए जब तक याचित राशि चुकता न हो जाए। याचना नियि में ३ वर्ष तक याचना राशि की बसूली हो सकती है। इसके बाद सचिव याचना मूचनाएँ प्रेपित करेगा जो प्रत्येक प्रतिपादों के माय मुद्रित और जिन्दों में बघी होती है जिनमें त्रिम संस्था होती है। याचना प्रपत्र नीचे दिया जाना है :

अम

लिमिटेड

याचना की मूचना

अशो की मस्त्या

याचना तिथि

राशि प्रति अशा

कुल राशि

बव प्राप्त

सदस्त का नाम

पता

मूचनाएँ डाक में हालने की

• तिथि

कहाँ डाक में डाली गयी

याचना की मूचना

इस प्रपत्र की मम्पूर्णत बैकर या सचिव के पाय शोध्य राशि के माय, भेज देना चाहिए।

प्रति अशा \_\_\_\_\_ रूपये की याचना मूचना प्रति अशा को पूर्ण प्रदत्त बरने के लिये प्रति अशा \_\_\_\_\_ रूपये

अशा की मस्त्या

कम्पनी लिमिटेड।

प्रिय महाशय,

मुझे यह मूचित बरना है कम्पनी के संचालन के अधिकारियों में जो \_\_\_\_\_ को हुआ था, यह मवन्नित हुआ कि कम्पनी के सदस्तों से उनके द्वारा लिये गये अशो की अवदत्त राशि में से प्रति अशा \_\_\_\_\_ पते की माय को जाय, तथा मुझे आपमें निवदन करना है कि आप उन तिथियों को या पहले उन राशि (यह राशि कम्पनी की पुस्तक में आपके नाम पञ्चीयित अशा के सम्बन्ध में हैं)

बैक लिमिटेड में जमा करा देंगे।

सेवा में,

आपका विद्वामपात्र,  
सचिव

टिकट

प्राप्त \_\_\_\_\_ रूपये जो \_\_\_\_\_ कम्पनी  
लिमिटेड में प्रति अशा \_\_\_\_\_ रूपये की  
दर से \_\_\_\_\_ अशो की याचना राशि है।  
पर्ये \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर

प्रत्येक याचना के लिए एक याचना पुस्तक या याचना मूची तैयार की जाती है। यह मूची (आग देखिए) सदस्य पंजी से तैयार की जाती है।

### याचना सची

‘अशा पर प्रति अशा । . . . पद की दर से की गयी  
पहली याचना जो । . . को बा गयी और . . . . . को देय है।

क्र. सं.	नाम   पता	किं विभि	अशा की सख्ति	पृष्ठ	देय राशि	भगतान तिथि	चुकता राशि	अन्य कोई बात
.	.	.	.	.	दप्ते	.	दप्ते	.

याचना एक प्रकार का व्यवास है तथा क्षेत्र कम्पनी के लाभ के लिए की जाती चाहिए सचालको के निजी लाभ के लिए नहीं। याचना उस बग के सब अदायारियों पर लागू होनी चाहिए।

### अगों का अपहरण (Forfeiture)

कम्पनी अधिनियम अशा की अपहृति के सम्बन्ध में कार्ड व्यवस्था नहीं करता। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था प्रायः अन्तर्नियमा म हानी है। यदि अन्तर्नियमा म तम्भवाधा अधिकार मुरीदिया गया है तो याचना राशि के अदायन पर अशा का अपहरण अन्तर्नियमा म उल्लिखित मूद्दना कायदिधि, ( Procedure ) और राति विधक विनियम के अनुसार ही होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जरामी भी अनियमितता या जशूदता होने पर अपहरण गम्य (Void) हो जाएगा। सामान्य विवि यह है कि अशारी को इस आशय की एक मूद्दना दा जाती है कि चक्र निर्धारित तिथि तक याचना राशि का आधन बरन में वह असकल रहा है और यदि वह एक निश्चित तिथि (१४ दिनों से बहुत नहीं) तक उक्त राशि का भुगतान नहीं करता तो मचार्क उक्त याचना में सम्बद्ध अशा का अपहरण कर द्या। यदि इनमें पर भा अशारी याचना राशि का भुगतान करने में असफल रहा तो मचार्क का द्वारा वैद्युत में उम आशय के मूल्य के जरिये अशा अपहृत किया जा सकता है। अपहरण के पाचान मदस्य पंजी म सदस्य के खाने म एक प्रविधिटि का जानी है जिसमें यह उल्लेख हाना है कि मडर के मूल्य के जर्दीने अशा अपहृत किये गये हैं। मूल्य की नियि तथा नमस्या भी दी जानी है। उम सदस्य का आधा बात कर दिया जाता है तबा अशा अपहृत अशा खाने में स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं।

बारों का हस्तातर—ग्राव कम्पनी के प्रत्येक अशारी को बस्तुआ का दरह अशा हस्तातरित करने का अधिकार है, पर अगा का हस्तातर अन्तर्नियमा में

दिने गर्ने प्रतिबन्धों तथा रीति मे और उनके मात्रहृत ही हो सकता है। यदि अन्तनियम हस्तान्तर पर प्रतिबन्ध लगाने हों तो सचालकों के लिने यह अनिवार्य है कि वे मनापित किन्तु गर्ने सभी हस्तान्तरों को पंजीयन दें करें, चाहे वे हस्तान्तर किसी भिक्षमंग या दिवालिया के ही पश्च में भी न हों, शर्त के बल मह है कि वह स्वाधीन (Sui juris) हो। कम्ती अधिनियम के अनुसार हस्तान्तर के लिए आवेदन-पत्र हस्तान्तरकर्ता (Transferor) या हस्तान्तर प्राप्ती (Transferee) द्वारा भेजा जाना चाहिए। यदि आवेदन पत्र हस्तान्तरकर्ता द्वारा प्रेपित किया गया है और अंशतः प्रदत्त अशों की बावत है तो कम्ती के लिए हस्तान्तरप्राप्ती को सूचित करना अनिवार्य है। सूचना तिथि मे दो मन्त्रालय के अन्दर यदि हस्तान्तरप्राप्ती आपत्ति नहीं करता है तब उसका नाम सदस्य पंजीय में प्रविष्ट किया जाना चाहिए। यदि आवेदन पूर्ण प्रदत्त अशों के सम्बन्ध में हस्तान्तरकर्ता या हस्तान्तरप्राप्ती द्वारा किया जाता है तो सूचना की आवश्यकता नहीं है। यदि कम्ती अन्तनियमों मे मुरक्खित अधिकारों के आधार पर हस्तान्तर अर्वाकार करती है तो उसे अनिवार्यतः हस्तान्तर-पत्र की प्राप्ति के दो महीने के अन्दर हस्तान्तरकर्ता तथा हस्तान्तरप्राप्ती को अस्वीकृति की सूचना भेजनी चाहिए। मह सूचना न भेजने पर, कम्ती तथा प्रत्येक अफसर ५० रुपये प्रति दिन का दर मे अर्यदम्प का भागी होगा।

हस्तान्तर का पंजीयन तब अवैध होता है जब उसने पहले कम्ती को, विधि-वत् मुद्राकृत और हस्तान्तरकर्ता तथा हस्तान्तरप्राप्ती द्वारा नियाकृत हस्तान्तर विलेख (Transfer deed) नामक लेख (Script) न भोगा गया हो। यदि हस्तान्तर को लिखने को गयो हैं तो हस्तान्तरप्राप्ती द्वारा लिखित आवेदन पत्र, जिसमें आवश्यक टिकट लगा हो, प्राप्त होने पर नचालक हस्तान्तर को कम्ती के तारण सम्बन्धी उचित अर्थों पर पंजीयित कर सकते हैं।

नीचे हस्तान्तर मंडेख का एक नमूना दिया जाता है :

### हस्तान्तर विलेख (Transfer Deed)

मे ..... जो..... को  
निवासी हू ..... के निवासी..... द्वारा  
(जिसे आगे उक्त 'हस्तान्तरप्राप्ती' कहा गया है) मृते अथा किये गये.....  
..... उक्ते के बदले मे, इस द्वारा उक्त हस्तान्तरप्राप्ती को.....  
..... का लिनिडे नामक दस्तकाम के.....  
..... तक मृत्युकृत अंश, हस्तान्तरित करता हूं जिन्हे उक्त  
हस्तान्तरप्राप्ती, उक्ते का निवासक, प्रभालक और अनिहस्तान्ती, उन्हों शर्तों पर  
धारण करते हुए जिन पर इनके निष्पादन के समय मे इन्हे धारण करता या, और मे,  
उक्त हस्तान्तरप्राप्ती, इस द्वारा उक्त अंश उपर्युक्त शर्तों पर लेना स्वीकार करता हूं।

माली के हाथ मे हमने १०५.... के.....  
..... दिन, हस्तान्तर किये।

साथी.....  
साथी..... ... हस्तांतरकर्ता.....  
हस्तांतरद्वार्हीता.....

**हस्तान्तर को प्रमाणपत्रित करना (Certification of Transfer)—** जब कोई अवधारी अंश प्रमाणपत्र में उल्लिखित अंशों का एक हिस्सा ही बेचता है तब वह हस्तान्तर-विलेख के माय हस्तान्तर-द्वार्हीता को अंश प्रमाण-पत्र नहीं मुद्रुद करता, वल्कि वह प्रमाण पत्र और हस्तान्तर विलेख कम्पनी के अफमर, प्रायः सचिव, के मामने प्रस्तुत करता है जो हस्तान्तर विलेख के हाशिये में "Certificate Lodged" या "प्रमाण-पत्र प्रस्तुत" लिखकर या मूद्रित करके हस्तान्तर को "प्रमाणपत्रित" करता है तथा जितने अंशों के लिए यह प्रस्तुत किया गया है उनकी संख्या का उल्लेख करता है। प्रमाणित हस्तान्तर विक्रेता को, एक शेष पत्रक (Balance Ticket) के साथ, लोटा दिया जाता है। इनके प्रत्येक नंबरे दिये जाते हैं :—

क्रमांक.....

प्रमाण पत्र मंख्या..... इसमें उल्लिखित अंशों के लिये आज ..... १९५  
के..... के..... वें दिन कम्पनी को प्रस्तुत किया  
गया।

क्रमांक	दारा पारित	वास्ते..... कं० लिमिटेड	सचिव
कम्पनी लिमिटेड	शेष पत्रक का प्रपत्र	कम्पनी लिमिटेड।	
शेष पत्रक		शेषपत्रक	
क्रमांक		क्रमांक	
१९५		१९५	
प्रमाण पत्र मंख्या		यह प्रमाणित किया जाना है कि	
अंशों की संख्या		कम्पनी लिमिटेड में	अंशों का,
योग		जिसको अमरण्डवा	में
प्रमाणित		(दोनों मंख्याएं मिला कर)	तक
शेष		के नाम में कम्पनी की युस्तकों में प्रविष्ट है।	
शेष पत्रक पर मूलक मंख्याएं		शेष प्रमाण-पत्र तिथि	१९५ को प्रस्तुत
में तक		होगा।	
को निर्दिष्ट		इष्टव्य—यह पत्रक कम्पनी के पास जमा किये	
शेष प्रमाणपत्र		विना न तो दो शेष प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट किया	
कीपार		जायगा। और हस्तान्तरप्रमाणित किया जायगा।	

उचित नम्य पर कम्पनी हस्तान्तरद्वार्हीता को बेचे गये अंशों के धारक के ह्य में उने पंजीयित कर लेगी। तब कम्पनी पुराने अंश प्रमाणपत्र को रद् कर देगी और उसकी जगह दो प्रमाण-पत्र तैयार करेगी, एक बेचे गये अंशों के लिये, जो ब्रेंड को

प्रमाण-पत्र का दोष	प्रमाण-पत्र की तिथि	रुद्र विधे जाने वाले प्रमाण-पत्र का नाम	जिन भगों में हस्तान्तर चा प्रमाण-पत्र है उनमें सहयोग
.	.	.	.

हस्तान्तर प्रमाणोदयण पुरातन

हस्तान्तर क्रमाक्रम	हस्तान्तर विलक्षण का तिथि	पर्जीयन की तिथि	हस्तान्तर चार्य
नाम	पता	जीविका	हस्तान्तर चा
पता	सदस्य पत्र का प० स०	सदस्य	नामित चाल्या
जीविका	सदस्य पत्र का प० स०	से	पुरान प्रमाण-पत्र को नमस्करण
सदस्य	सदस्य	सब	प्रतिष्ठल
सदस्य पत्र का प० स०	पता	पता	हस्तान्तरप्रहीता चा
पुरान प्रमाण-पत्र को नमस्करण	जीविका	नाम	हस्तान्तरप्रहीता चा
प्रतिष्ठल	सदस्य पत्र का प० स०	पता	नामित चाल्या
प्रतिष्ठल	नाम	जीविका	नामित चाल्या
प्रतिष्ठल	पता	सदस्य	नव प्रमाण-पत्र का ऋग सहयोग
प्रतिष्ठल	जीविका	सदस्य पत्र का प० स०	विवरण
प्रतिष्ठल	सदस्य	नव प्रमाण-पत्र का ऋग सहयोग	.

दिया जायगा और दूसरा न बेचे गये अशो के लिए जो विक्रेता को दे दिया जायगा। कम्पनी के लिए एक हस्तातर पंजी (Transfer Register) और एक प्रमाणीकरण पंजी (Certification Register) रखता बाढ़ रहा है, और विशेषकर तब जब अश बहुत हस्तातरित होते हैं। हस्तातर पंजी तथा हस्तातर प्रमाणीकरण पंजी म पृष्ठ २७३ पर अक्षित विविध में लार्ड लीची जा सकती है।

**निरव हस्तान्तर (Blank Transfer)**—जब कोई अशायारी हस्तान्तर ग्रही ग का नाम तथा निषादन की तिथि इसके बिना हस्त तर विलेख पर अपना हस्ताक्षर कर दता है, तब अश प्रमाण पत्र महिने इसे हस्तान्तररथरहीता के मुपुर्दं बर देता है और हस्तान्तर ग्रहीना इन अशो का व्यग्रहार करने में समर्थ हा जाता है, तब यह वहा जाता है कि उपरे निरव हस्तान्तर किया है। मावारणत अश का निरव हस्तान्तर उम स्थिति में होता है, जब वाई अशायारी इमर्जी जमानत पर गमने उत्तर देता है। निरव हस्तान्तर का आशय यह है कि यदि निर्वाहित अवधि म व्याज महिने न ग का भुगतान न हा तब इसपरे उत्तर देने वाला उनम हस्तान्तररथरहीता के शुभ में अपना नाम भर दे तथा हस्तान्तर को पंजीयन दें या उचित सूचना के बाद जश को वेच दो। निरक हस्तान्तर का प्रमाव यह होता है कि हस्तान्तररथरहीता को अशो का व्यवहार करन का पूरा अधिकार हो जाता है, और यदि हस्तान्तरकर्ता पंजीयन का गतन के लिए कुछ कार्यवाही बरता है तो वह अशो का मूल्य गिर जान पर अतिपूर्ति का दार्या होता है।

**जाली हस्तान्तर (Forged Transfer)**—यदि हस्तान्तर जाली है तथा कम्पनी ऐने हस्तान्तर के लिए प्रमाणन निर्गमित बरती है तो ऐनी स्थिति में अशो के वास्तविक स्थायी को यह हव प्राप्त है कि उनका नाम सदृश पंजी में पुन लिखा जाय, चाहे हस्तान्तर की सूचना उमे दी भी जा चुकी हा। ऐसा इसलिए होता है कि जाली हस्तान्तर पंजीयन अशायारी की दृष्टि में शुभ में ही शुभ है (Void) है। यद्यपि हस्तान्तररथरहीता का नाम सदृश पंजी में पुन प्रविष्ट कर कम्पनी अतिपूर्ति बरते की दार्यी नही हानी, किर भी यदि कम्पनी प्रमाणपत्र निर्गमित बरती है तथा कोई व्यक्ति इस पर विश्वास करते रहति उठाता है तो कम्पनी अतिपूर्ति के लिए दायी होती। कम्पनी मनिव को पर्यायन की पूर्ति के पक्षे यह सावधानी से देख लेना चाहिए कि हस्तान्तर पर लिया गया हस्ताक्षर असली है।

### ऋण-पत्र (Debentures)

वह कम्पनी जिसे उत्तर लेने की अभिभवत (Express) या घृतित ( Implied ) शक्ति है, अपनी शक्ति का किसी भी भीना तक उपयोग कर सकती है शर्त के बाहर यह है कि यह शक्ति का उपयोग पार्षद गीमानियम या अन्तर्नियमो में निर्धारित भीना के अन्तर्गत ही हो। उत्तर लेने की एक सामान्य विविध है विभिन प्रकार के ऋणपत्रो को निर्गमित करना। ऋण पत्र निर्गमन, व्यवसायारम्भ प्रमाणन त्र प्राप्त होने के बाद ही लिया जा सकता है। ऋणपत्र विशिष्ट राशि के लिए बन्ध पत्र है जिस पर कम्पनी की मुद्रा होती है जिसका अर्थ है ऋण का स्वीकरण।

क्रण पत्र पर स्थिर (fixed) या चल (Floating) प्रभार हो सकते हैं। स्थिर प्रभार कतिपय विशिष्ट आस्तियों, जैसे भूमि या भवनों पर, कानूनी अधिकार देता है, तथा कम्पनी इस प्रभार की मात्रा तब, ऐसी आस्तिया हस्तान्तरित कर सकती है। अस्थिर प्रभार चालू व्यवसाय (Going Concern) की तात्कालिक चल आस्तियों (Movable Assets) पर एक प्रभार वा साम्यपूर्ण (Equitable) प्रभार है। यह कम्पनी की प्रभारित वस्तुओं पर लागू होता है, जो समय-समय पर विभिन्न हालतों में हो सकती है। चल प्रतिभूति (Floating security) का प्रधान आरण है किसी भी चालू कम्पनी को व्यवसाय करने देना जिसके परिणामस्वरूप आस्तियों का मूल्य निरन्तर घटता-बढ़ता रहेगा। प्रतिभूति उस समय तब मुपुर्ता (Dormant) रहती है जब तब यह स्थिर या ठास (Crystallised) न हो जाय, और यह ठोस तब होती है, जब कम्पनी चालू कम्पनी न रह जाय या क्रणपत्रधारकों के हस्तक्षेप के उपरान्त धारक (Receiver) नियुक्त कर दिया गया हो। क्रणपत्र का रूप नीचे दिया जाता है।

### क्रण पत्र का नम्ना

#### लिमिटड

(रजिस्टर्ड ऑफिस का पता)

क्रणपत्र पूँजी—रूपये के ————— क्रणपत्र जिनमें से प्रत्येक पर व्याज को दर ————— प्रतिशत वार्षिक है।

#### क्रणपत्र

सहमा—रूपये

१. लिमिटेड (जिसे आगे कम्पनी कहा गया है) स्वीकार करती है कि वह ————— रूपये का क्रण पारण करती है, जो ————— १९५ के ————— महीने के ————— वें दिन शोध होगा अथवा ऐसी तिथि या पूर्व की तिथि पर शोध होगा जब इसके द्वारा प्राप्त किया गया मूलधन देम हो जाएगा, तथा इस द्वारा घोषित करती है कि वह उक्त धारक का या अन्य प्रतीक्षित धारक वा व्याज सहित, जिसकी दर ————— प्रतिशत होती, उक्त मूलधन, उक्त वर्षित समय पर ऐसी अवधि में, जो इस पर उल्लिखित तथा पृष्ठाक्रित शर्तों के अनुसार ही होगी, अदा करेगी।

२. इस प्रतिभूति के जीवन काल में, कम्पनी उक्त धारक को या तत्समय अन्य प्रतीक्षित धारक को ————— रूपये के मूलधन पर ————— प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज प्रतिवर्ष १९५ के महीने के ————— वें दिन वार्षिक/अर्धवार्षिक चुकायेगी। पहला वार्षिक/अर्धवार्षिक भुगतान १९५ के ————— महीने के ————— वें दिन होगा।

३. यह कम्पनी हितप्राही स्वामी (Beneficial Owner) के रूप में इन भुगतानों से सारी वर्तमान तथा भविष्य सम्पत्तियों को, चाहे वे जो हो और जहा

हो, (जिनमें अयाचित पजी भी शामिल है) प्रभारित करती है।

४ यह अणपत्र पृष्ठाकृत शर्तों के मात्रात्मक निर्गमित किया जाता है।

आज १९५ के \_\_\_\_\_ महीने के \_\_\_\_\_ वे दिन कम्पनी की सार्वमुद्दा के अधीन प्रदत्त ।

### सार्वमुद्दा

#### संचित

के सामन मार्वमुद्दा लगायी गयी ।

उक्त विधित शर्त (Conditions) अणपत्र का हिस्सा होगी और वे निम्नलिखित हैं —

(अ) निवन्धन अणपत्र की पीठ पर छपे होते हैं ।)

(ब) यह अणपत्र अणपत्र की उम शृखला वा हिस्सा हैं जो कम्पनी ने एवं नाय (Pari Passu) निर्गमित की हैं ।

(स) (यह उल्लेख कीजिए कि प्रभार किसी खास संपत्ति पर स्थिर प्रभार होगा या घट्ट (Floating) होगा । अणपत्रों की पूर्वता वे बारे में भी उल्लेख कीजिए ।)

(ग) पजीयित धारक या उसका हस्तान्तरण्यहीता, जिसका नाम अणपत्र धारक पजी या पजीयित हो जूका है, अथवा उसकी मृत्यु हो जाने की अवस्था में उसका विधिगत प्रतिनिधि कम्पनी द्वारा उन ही लाभा वा हकदार माना जाएगा जो इस अणपत्र का प्राप्त होग ।

(घ) यह अणपत्र पजीयित धारक या उसके निष्पादक (Executor) या प्रशासक (Administrator) द्वारा ही सामान्य रीति (Usual form) में लिखकर हस्तान्तरित किया जा सकता है । हस्तान्तर का कार्यान्वयन वरने वाली लिखनें (Instruments) यथाविधि मुद्राकृत होनी चाहिए, तथा ————— स्थप शुल्क सहित कम्पनी के पजीयित कार्यान्वय में सुपुर्दं की जानी चाहिए । सुपुर्दं के साथ कम्पनी स्वतंत्र वा वैसा साध्य भी होना चाहिए जैसा युक्तियुक्त रीति से कम्पनी द्वारा माना जाए ।

(इ) (यदि कोई हस्तान्तरण्यहीता, प्रथम या किसी अन्य मध्यवर्ती (Intermediate) हस्तान्तर कर्ता तथा कम्पनी के बीच विद्यमान साम्यों (Equities) के अधीन हस्तान्तर प्राप्त करना है तो इस तथ्य का उल्लेख बरना चाहिए । यदि कम्पनी अपने तथा प्रथम या किसी मध्यवर्ती हस्तान्तरकर्ता के बीच विद्यमान साम्या (Equities) से रहित पक्ष का स्वतंत्र हस्तान्तरित करती है तो उस शर्त का भी जिश अणपत्र में अवश्य करना चाहिए ।)

(ज) यदि इस अणपत्र के धारक प्रथमत या हस्तान्तर के उपरान्त पजीयित धारक के हृप में दो यादा से अधिक व्यक्ति हैं, तो उस स्थिति में इससे होने वाला

लाभ उन दोना का समुक्त हन मे समुक्त स्थाने में उपलब्ध होगा।

(८) (चल प्रभार की अवस्था में उन अवस्थाओं का उल्लेख करो जिनमें चल प्रभार ठोस हो जाएगा, यथा छह महीने मे अधिक समय तक व्याज न दना, या धारक (Receiver) की नियुक्ति दा समाप्तन (Winding up)।

(९) इस क्रमपत्र के (तत्त्वमय) पंजीयित धारक को किसी भी समय, दिये मूलधन तथा व्याज का पूरा भुगतान कर दना कम्पनी की इच्छा पर निर्भर होगा। कम्पनी उक्त राशि का शामन मूचना देवर कर सकती है। ऐसी मूचना दन के एक महीना पश्चात् बालोच्य राशि दय हाती है। ऐसी मूचना पंजीयित धारक या उसके निष्पादक या प्रशासक को दी जायगी।

(३) यदि कम्पनी इस शृङ्खला के अणपत्राद्वारा प्राप्तव्य मूलधन वापिस करने में असमर्थ हो गयी है तो इस शृङ्खला के अणपत्राद्वारा पंजीयित धारक के बहुमत को इस प्रकार के क्रमपत्र के लिए प्रभारित सम्पत्ति व जास्तिया के लिए धारक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार नियुक्त किया गया धारक इस शृङ्खला के क्रमपत्र धारकों का अभिक्षता होगा, तथा वह उक्त धारक के बहुमत के निर्णयानुसार आचरण करेगा। तथा वह बहुमत उसे पदमूक्त भी कर सकता है, और इन क्रमपत्र-धारकों को उम अवस्था में उसको जगह अन्य धारक नियुक्त करने का हक होगा।

(३) (अन्य तथा उपयुक्त निवन्यन का उल्लेख कीजिए जो मान्य (Valid) हा तथा व्यर्थ (Redundant) नहा।)

### कम्पनी की पुस्तकें (Books)

#### साधिक पुस्तकें तथा लेखे

प्रयेक कम्पनी वो अपने पंजीयित वार्यालय में उपयुक्त पुस्तकें रखनी पड़ती है, जिन्हें साधिक पुस्तकें (Statutory Books) कहते हैं। उन पुस्तकों में से कुछ 'कम्पनी वर्ग' (Company set) तथा कुछ 'वित्तीय वर्ग' (Financial set) कहलाती है। कम्पनी के सचिव के प्रायमिक कर्तव्यों में एक वर्तव्य है इन बात की सावधानी रखना कि ये पुस्तकें तथा अन्य पुस्तकें (वैवर्णिक) उचित रोचा रखती जाए। कम्पनी कां की साधिक पुस्तकें य है — (१) सदस्य पंजी, (२) वार्यिक सूची तथा मक्षम (Summary) पुस्तक, (३) सचालक पंजी, (४) मविदा पंजी, (५) बवक (Mortgage) तथा प्रभार पंजी, और (६) बायं विवरण पंजी (Minute Book)। वित्तीय वर्ग की पुस्तकें ये है — (१) रिस्ट्रेटिव विएटर बी लेस्ट पुस्तकें (Books of Accounts), (२) पूरे विवरण सहित आगम (Receipts) व व्यय (Expenditure), (३) कम्पनी द्वारा किया गया माला का समूहां क्रम व वित्त, (४) कम्पनी की सम्पूर्ण आस्तिया व दायित्व, तथा (५) निम्नलिखित हृष मे प्रवाशित लेखे — (क) स्थिति विवरण या चिट्ठा (Balance Sheet) तथा (ख) लान-हानि स्थाता। इनका मक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

**सदस्य पंजी (Register of Members)**—इस पंजी में सदस्यों के नाम, जीविका व पते, उनके अंशों का परिमाण व मत्त्या, उनकी प्राप्ति की तिथि, उन पर चुक्ता की गयी राशि तथा मदस्यता द्वारा मत्त्यता त्वाग की तिथि का रहना आवश्यक है। यह पंजी कम्पनी द्वारा की गयी संविदाओं की प्रथम दृष्ट्या (Prima Facie) साक्षी है तथा यह कम्पनीआ का प्रत्यामूल करती है कि उनके मम्पूण ऋण अंश हो जायें। जिस कम्पनी में सदस्यों की मत्त्या पचाम से अधिक हो, उनके लिए कम्पनी वे मदस्या के नामों की अनुक्रमणिका रखना अनिवार्य है तथा पंजी में मदस्यता परिवर्तन होने के १४ दिन के अन्दर तन्मम्बन्धी परिवर्तन अनुक्रमणिका में वर देना अनिवार्य है। यह पंजी वही रखनी होगी जहा मदस्यों की पंजी रखी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि बाई प्रत्याम पंजी में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। कम्पनी पंजी एक लोअर डोक्य (Public Document) है तथा इसे काई भी कतिपय दानों की पूर्ति के पञ्चान् दण सकता है। कोई भी मदस्य कारबार के घटों में (Business hours) में दो घट तक नियुक्त इसे देन सकता है, तथा अमदस्य व्यक्ति एक छपाया या इसमें दफ्तर दफ्तर सकता है। मदस्य या अमदस्य व्यक्ति इस पंजी की नकल कर सकता है। जब पंजी बदल हा, तब निरीक्षण वस्तीबार विया जा सकता है। पंजी सात दिन की सूचना दबर बदल की जा सकती है, और बदल बरने की अवधि एक बार म ३० दिन से अधिक और एक बार म ४५ दिन से अधिक नहीं हो सकती।

पंजी म शुद्ध प्रविष्टिया ही रहनी चाहिए, परन्तु यदि मवाक्ता की भूल-चूल में किसी का क्षति पहुँची है तो वह अदुष्टि के मधोंपत्र के लिए न्यायालय में जावेदन कर सकता है। न्यायालय या तो आवेदन पत्र रद्द कर सकता है और या निम्न हास्तों में अदुष्टि मापदण्ड का आदेश द सकता है — (१) जब किसी व्यक्ति का नाम कपडपूर्वक (Fraudulently) या पर्याप्त बारण के बिना मदस्य पंजी म प्रविष्ट किया गया हा या प्रविष्ट हानि में रह गया हा, (२) जब किसी व्यक्ति की मदस्यता-नप्राप्ति सम्बन्धी प्रविष्टि न की गयी हो या अनावश्यक विराम से की गयी हो।

**वार्षिक विवरण और सारांश**—गारा १५९ यह उपबन्ध करती है कि अध पूजी वार्षी प्रत्येक कम्पनी को, जिस दिन कम्पनी की वार्षिक बूहू सभा होगी है उसमें ४२ दिन के भीतर एवं विवरण तथ्यार बरना होगा और पंजीकर्ता के यहा नत्यों बरना होगा जिसमें निम्नलिखित बातों का व्योरा होना चाहिए : (व) इसका पंजीयन वार्षिक, (व) इसके मदस्यों का रजिस्टर, (ग) इसके ऋणपत्रधारियों का रजिस्टर; (घ) इसके अल और ऋणपत्र, (इ) इसकी ऋणप्रस्तना; (च) इसके अतीत और वर्तमान के सदस्य और ऋणपत्र-धारी और (छ) इसके पिछों और वर्तमान सचाय, प्रबन्ध अभिकर्ता, मचित्र और बोगायद्धक तथा प्रबन्धक। विवरण और उम्मा व्योरा अनुमती ५ के भाग २ म दिये गये प्रपत्र में या उसके अधिक से अधिक नजदीकी रूप में दिया जाएगा।

विवरण में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए —

१. कम्पनी के पंजीयित वार्षिक वार्षिक का पता।

२. यदि कम्पनी के मर्दन्यों और ऋणपत्रधारियों के रजिस्टर का कोई भाग इस अविनियम के उपरबन्धों के अन्तर्गत किसी राज्य में या भारत से बाहर किसी देश में रखा जाता है तो उस राज्य या देश का नाम और उस स्थान का पना चित्रमें रजिस्टर का वह हिस्सा रखा है।

३. एक भारतीय चित्रमें निम्नलिखित व्योरा दिया गया हो और जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक नक्कड़ धन लेकर निर्गमित किये गये जशों और बोनम अशा में भिन्न उन अशों में जो पूर्णतया शावित किये गये हैं या अशन, नक्कड़ के अन्नावा किसी दूसरे रूप में शोषित किये गये हैं, भेद किया गया हो और अशों के प्रयोग वर्ग के विषय में निम्नलिखित व्योरा दिया गया हो —

(क) कम्पनी की जबिहुत अश पूजी की राशि और जिनने अशों में यह विनावित है उनकी सम्भा,

(ख) कम्पनी के बारम्ब ने लेकर कम्पनी को निछो वार्षिक बृहत सभा की नियितक निये गये अशों की सम्भा

(ग) उपर्युक्त नियितक प्रयोग अश पर याचिन राशि;

(घ) उस नियितक प्राप्त याचनाओं की कुल राशि;

(ङ) उस नियितक पर अशोवित याचनाओं की कुल राशि;

(च) यदि उस नियितक तक किन्हीं अशों या ऋणपत्रों के विषय में कोई धन चमोजन के रूप में दिया गया हो तो उनकी कुल राशि;

(छ) उपर्युक्त नियितक यदि कोई अश डिम्बाउट मा बटे पर निर्गमित किये गए हैं तो उस नियितक दिया गया बटा मा उस बटे का उनका भाग जिनका उस नियितक को अपलिखित (write off) नहीं किया गया है।

(ज) जिन वार्षिक बृहतसभा के मन्वन्व में पिठला विवरण पेश किया गया या उनकी नियितमें किन्हीं ऋणपत्रों के विषय में डिम्बाउट के रूप में कोई धन दिया गया हो तो उनकी कुल राशि,

(झ) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित नियितक जल्द किये गये कुल अशों की सम्भा

(ञ) उन अशों की कुल राशि जिनके लिए उपलब्ध (ख) में उल्लिखित नियितक पर अश अधिष्ठव जारी नहीं किये गये और उपर्युक्त (ज) में निर्दिष्ट नियितक से श्रमश; निर्गमित और समर्पित अश अविष्टपत्रों की कुलराशि और प्रत्येक अविष्टपत्र में आपे हुए अशों की सम्भा।

(४) संगठ ३ के उपर्युक्त (च) में निर्दिष्ट नियितकों उन सब बन्धकों और अभारों के विषय में जिनका इस अविनियम के अन्तर्गत पर्जीकरण के यहाँ पर्जीकृत कराना अपेक्षित है, (या यदि वे बन्धक और प्रभार पहली अप्रैल १९१४ वो या के बाद बनाये गये हों तो जिनका इस प्रकार पर्जीकृत कराना अपेक्षित होगा) कम्पनी को अट्टणपत्रका को कुल राशि का व्योरा।

५. एक मूर्ची चित्रमें :

(क) उन सब व्यक्तियों के, जो कम्पनी की पिछली वार्षिक वृहत्सभा के दिन कम्पनी के सदस्य थे और उन व्यक्तियों के जो उस तिथि को या उससे पहले और खण्ड ३ के उपखण्ड (ज) में निर्दिष्ट तिथि के बाद या पहले विवरण की अवस्था में कम्पनी के निर्गमन के बाद सदस्यता से बळग हो चुके थे, नाम, पते और पेशे दिये हों;

(ख) खण्ड ३ के उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट तिथि पर मौजूदा सदस्यों में से प्रत्येक द्वारा धारित अशो की संस्था दी गई हो और खण्ड ३ के उपखण्ड में निर्दिष्ट तिथि के बाद से (या पहले विवरण की अवस्था में कम्पनी के निर्गमन के बाद) कम्पनी उन व्यक्तियों द्वारा जो अब भी सदस्य हैं और उन व्यक्तियों द्वारा जो सदस्यता से बळग हो गये हैं, हस्तातरित अशो का और हस्तातरो के प्रतीयित को तिथियों का उल्लेख हो,

(ग) यदि उपर्युक्त नाम अक्षरत्रम से नहीं दिये गये हैं तो उसके साथ वैसी अनन्त्रमणी होनी चाहिए जिससे उनमें से किसी व्यक्ति का नाम बासानी से हूँडा जा सके,

६ उन व्यक्तियों के बारे में जो कम्पनी की पिछली वार्षिक वृहत् सभा की तिथि को कम्पनी के सचालक थे और किसी भी व्यक्ति के बारे में जो उस तिथि की कम्पनी का प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव और कोपाध्यक्ष, प्रबन्धक या सचिव या, वह सब घोरा जो सचालकों प्रबन्ध अभिकर्ता सचिवों और कोपाध्यक्षों, प्रबन्धक और सचिव के विषय में ब्रमण कम्पनी के सचालकों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोपाध्यक्षों, प्रबन्धकों और सचिवों के रजिस्टर में होना इस अधितियम द्वारा अपेक्षित है।

सचालकों प्रबन्ध अभिकर्ताओं और प्रबन्धक आदि का रजिस्टर—घारा ३०३ यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक कम्पनी अपने प्रतीयित कार्यालय में अपने सचालकों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, प्रबन्ध सचालकों सचिवों और कोपाध्यक्षों, प्रबन्धक और सचिव वा एक रजिस्टर रखेगी, जिसम प्रत्येक के विषय में निम्नलिखित घोरा होगा—

(क) व्यक्तियों की अवस्था में उसका वर्तमान पूरा नाम और अल्ल (Surname), कोई पहले बाला पूरा नाम या अल्ल, आम निगम का पता (वर्तमान तथा मूल), राष्ट्रीयता वारंवार पेगा और यदि वह किसी और कम्पनी में सचालक, प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक या सचिव है तो उसका विवर घोरा,

(ख) निगम की अवस्था में इसका निगमित नाम, प्रतीयित कार्यालय और इसके सचालकों के पूरे नाम, पते और राष्ट्रीयता।

(ग) फर्म होन पर, प्रत्येक साझी का पूरा नाम, पता तथा राष्ट्रीयता तथा साझी होने की तिथि।

प्रतीकर्ता के पास उका विवरण प्रयम नियुक्ति के २८ दिनों के अन्दर, तथा यदि उमरे कोई परिवर्तन हो तो उमरे २८ दिनों के अन्दर भज देना चाहिए। यदि उपर्युक्त उपबन्धों में संक्षिप्ति के पालन में चूँके जाएँगी तो चूँके बरने वाले कम्पनी के प्रत्येक अफसर वो चूँके के प्रत्येक दिन के लिए ५० रु० तक जुर्माने का दण्ड दिया जासकेगा। रजिस्टर सदस्या के निरीक्षण के लिए नि गुल तथा अमदस्यों के निरीक्षण के लिए एक पदा शुल्क पर उपरच्छ होना चाहिए। इन अपेक्षाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में चूँके होन पर कम्पनी तथा इसका प्रत्येक अफसर चूँके के प्रत्येक दिन के लिए ५० रुपये अर्थ-दण्ड का भागी होगा।

**अनुबंध पंजी ( Register of Contracts )**—सामाजिक सचालक को उस कम्पनी के साथ अनुबंध नहीं करना चाहिए जिसका वह सचालक है। धारा २९९ सचालक तथा कम्पनी के बीच अनुबंधों की अनुमति देनी है वशने कि सभी वार्ते प्रकट कर दी गयी हों। धारा म पह उम्बन्ड है कि कम्पनी को अपने पंजीयित कार्यालय में एक पंजी रखनी चाहिए, जिसम अनुबंधों का पूरा विवरण हो, तथा जो सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुली हों। यह पंजी रखने के सम्बन्ध में की गयी चूक के कारण कम्पनी का प्रत्यक अफमर ५०० रुपये तक के अर्थात् इकाई का भाग हो सकता है।

**बचकों और प्रभारों की पंजी ( Register of Mortgages and Charges )**—धारा १४३ के अनुसार, प्रायेक कम्पनी के लिए अपने पंजीयित कार्यालय में सब बचकों और प्रभारों को एक पंजी रखना और उम्बन्ड उनका नव व्योरा लिखना ज़हरी है। व्यारे में बचक और प्रभार में सम्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन, बचक या प्रभार की राशि, और वाहक को शाद्द प्रतिभूति को अवस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाओं में, बचक-ग्रहीता के या उन पर हक रखने वाले व्यक्तियों के नाम जबश्य होने चाहिए। यह कार्य न बरने पर अफमर ५०० रु ० तक जुर्माने के भाग होते हैं। पंजी सदस्यों के लिए बिना कीस के, और अन्यों के लिए १ रुपया या बम देने पर, निरीक्षणार्थ खुलो होतों चाहिए। पंजी सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए नि शुल्क और जसदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए एक रुपया या बम शुल्क उपलब्ध होनी चाहिए।

**कार्यविवरणिका (Minute Book)**—गारा १९३ के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को सारे अधिकेशनों को कार्यवाहियों का विवरण ठीक तरह जिल्दबद्द पुस्तकों में रखना चाहिए जो कम्पनी वे रजिस्टर्ड अमिस्म में इस उद्देश्य से रखी हो। जब कार्य विवरण पर अधिकेशन का अध्यक्ष हम्ताकर कर देना है तब वह अमिलिखित कार्यों का प्रयोग दृष्ट्या साध्य (Evidence) होता है, तथा व्यवसायप्रहर में सदस्यों वे निरीक्षण के लिए खुला होता है। कोई भी सदस्य अधिकेशन होने के पश्चात् शुल्क चुकाने पर कार्यविवरण की प्रति की मांग कर सकता है, जिसकी सुपुर्दी निवेशन वे ३ दिनों के अन्दर हो जानी चाहिए। वृहत् अधिकेशनों तथा सचालक मण्डल के अधिकेशनों के लिए अलग विवरण पुस्तिकाएँ रखी जानी हैं। मण्डल की विवरण पुस्तिका निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती।

**लेखा-पुस्तक (Books of Account)**—गारा २०९ उम्बन्ड करती है कि प्रत्येक कम्पनी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में जपने रजिस्टर्ड अमिस्म में उचित लेखा पुस्तके रखनी चाहिए : (१) कम्पनी द्वारा प्राप्त तथा व्यय की गयी सम्पूर्ण राशिया तथा उन विषयों का विवरण जिनके सम्बन्ध में उच्च प्राप्तिया तथा व्यय हुए हैं, (२) कम्पनी द्वारा वस्तुओं का सम्पूर्ण ऋणविशय, (३) कम्पनी की सारे आस्तिया व दायित्व। जहा कम्पनी के शास्त्रा कार्यालय हो, वहा शास्त्रा कार्यालयों में विषय गये लेन-देन के सम्बन्ध में लेखा पुस्तक शास्त्रा कार्यालय में ही रखनी चाहिए। दो महीने के मध्यान्तर पर संक्षिप्त विवरण प्रधान कार्यालय को मेजना अनिवार्य है।

साथ वापिक विवरण तथा मक्षेप भी होना चाहिए ।

स्थिति विवरण में उत्लेखनीय बातें (Contents of Balance Sheet) —

स्थिति विवरण कम्पनी की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण (statement) है, जो कम्पनी की स्थिति के सम्बन्ध में पूर्ण तथा मन्त्री सूचनाएँ देता है । स्थिति विवरण की मुख्य बात है, "सूचनाएँ" न कि "गोपन" यह सूचि मात्र नहीं होना चाहिए बरत् इसे कम्पनी अधिनियम १९५६ की छठी अनुसूची ( Schedule ) में दिये गये रूप में कम्पनी की व्यापारिक तथा वित्तीय स्थिति का चिन होना चाहिए या जहां तक सम्भव हो, उसके करीब होना चाहिए । इसमें सम्पत्ति तथा आस्तियों और पूँजी व दायित्वों का इस प्रकार सक्षेप होना चाहिए जिससे उनके साधारण स्वरूप का सही-सही पता लगे । जब अब दूट पर निर्गमित किये गये हैं, तब इसमें की गयी दूट का पूरा विवरण होना चाहिए अब वा दूट के उस हिस्से का विवरण होना चाहिए जो स्थिति विवरण के तैयार किये जाने के दिन तक साते में अपलिखित (written off) कर दिया गया हो । उम कम्पनी के प्रत्येक स्थिति विवरण में जिसने विमोचनशील (redeemable) अधिमान अब निर्गमित किये हैं, अनिवार्यतः एक विवरण होना चाहिए जिसमें विमोचन यह लिखित हो कि निर्गमित पूँजी का कोन मा हिस्सा विमोचनशील अधिमान अशो का है तथा उमके विमोचन की तिथि कोन सी है । यदि अशो व पत्रों के निर्गमन पर दिये गये कमीशन वी सम्पूर्ण राशि अपलिखित न कर दी गयी हो तो इस प्रकार के कमीशन की राशि का विवरण भी स्थिति विवरण में होना चाहिए । धारा २१२ उपबन्ध वरती है कि विनियोग कम्पनी को ढोड़कर, यदि कोई अन्य कम्पनी प्रत्येक रूप से या विभी नामजद ( Nominee ) द्वारा सहायक कम्पनी के अब धारण वरती है तो स्थिति विवरण के साथ मलग्न एक विवरण होगा, जो स्थिति विवरण की ही तरह विधिवत् हस्ताक्षरित होगा जिसमें इस बात का विवरण होगा कि सदारी कम्पनी के लेते को इस्टि से महायज्ञ कम्पनी का लाभ व हानि किस प्रकार डाला गया है ।

लाभ और हानि खाता (Profit and Loss Account) — लाभ और हानि खाने में उल्लेख्य विषयों (Contents) के बारे में जो कानून है वह धारा २११ और अनुसूची ६ के भाग दो में निहित है । धारा २११ (२) यह उपबन्ध वरती है कि विसी कम्पनी का प्रत्येक लाभ और हानि लेखा उस वित्तीय वर्ष में कम्पनी के लाभ और हानि का सच्चा और उचित चित्र पेश करेगा और अनुसूची ६ के भाग २ की अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा; और वे अपेक्षाएँ निम्नलिखित हैं :—

१. लाभ और हानि लेखा इस तरह बनाया जायगा कि वह उसके अन्तर्गत अवधि में कम्पनी के कार्य को साफ-साफ प्रकट करे और प्रत्येक सारभूत विशेषता भी प्रकट करे जिसके अन्तर्गत अनान्तरी व्यवहारों के विषय में या आपवादिक प्रकार के आकलन या प्राप्तिया और विकलन या स्वचे सभी हो ।

२. यह कम्पनी के आय और व्यय से सम्बन्धित विभिन्न मदे अधिक से अधिक

सुविधाजनक शीर्षकों के नीचे रखेगा और लास तौर से निम्नलिखित जानकारी देगा :

(क) टन ओवर या बापसी (यानी कुल विक्री) और विक्री अभिवर्तनों के कमीशन दलाली और व्यापार के प्रचलित डिस्काउन्ट के अलावा विक्री पर डिस्काउन्ट।

(ख) (१) निर्माता कम्पनियों की अवस्था में, कच्चे सामान की खरीद और उत्पादित उत्पादों का शुल्क में और अन्त मौजूद माल, (२) व्यापारकर्ता कम्पनी की अवस्था में की गई खरीद और शुल्क में और अन्त मौजूद माल, (३) सेवा करने या समरित करने वाली कम्पनियों की अवस्था में की गई या समरित सेवाओं से हुई सबल आय, (४) अन्य कम्पनियों की अवस्था में विभिन्न शीर्षकों के अधीन हुई सबल आय।

(ग) जिन कम्पनियों के धारकाने अभी बन रहे हैं, उनकी अवस्था में के राशिया जिनका बास लेखावन अवधि के शुल्क में और अन्त में सम्पादित होना चाही था।

(घ) स्थिर आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण पुनर्नवन या ह्रास के लिये रखी गई राशि।

(ङ.) कम्पनी के क्रृष्ण पत्रों और अन्य स्थिर व्यष्टियों पर ब्याज की राशि। यदि प्रबन्ध नचालक, प्रबन्ध अभिवर्ता, सचिवों कोपाध्यक्षों और प्रबन्धक की काई ब्याज की राशि शोध्य हो तो उसका उल्लेख अलग होना चाहिए।

(च) भारतीय आपकर या लाभी पर लगने वाले अन्य भारतीय वारों के प्रभार की राशि।

(छ) अदा पूजी और क्रृष्ण लौटाने के लिये रखी गई "राशिया, सचिति (Reserves) के लिये अलग रखी गई या अलग रखने के लिये प्रस्थापित राशियों का कुल योग और इन सचितियों में से ली गई राशिया।

(ज) विनिदिष्ट दायित्वों या आवस्मिकताओं के लिये रखी गई ऐसी ही राशिया।

(झ) निम्नलिखित मदों में से प्रत्येक पर किया गया लंब—प्रत्येक मद का अलग-अलग (१) भडार (Stores) और अलग पुजों (Spare Parts) का लंब, (ii) विजली और ईषन, (iii) भाडा, (iv) मकान की मरम्मत, (v) मशीनों की मरम्मत, (vi) वेतन मजदूरिया और वानस, भविष्य-निधि तथा अन्य निधियों में अवशान कल्याण और कम्चारी कल्याण व्यष्टि, (vii) बीमा (viii) स्थानीयवर (Rates), वर जिनमें आपकर शामिल नहीं, (ix) प्रक्रीण लंब।

(झ) विनियोगों से होने वाली आय की राशि—व्यापार विनियोगों और अन्य विनियोगों की आय अलग-अलग दिखानी चाहिए—और ब्याज से होने वाली अन्य आमदनों तथा आपकर की घटाई गई राशि।

(ट) विनियोगों पर और आम या आपवादिक व्यवहारों के विपर्य में होने

वाले लाभ या हानिया तथा प्रकीर्ण आय ।

(३) सहायक कम्पनियों से मिलने वाले लाभाश और सहायक कम्पनियों की हानियों के लिए की गई व्यवस्था ।

(४) दिए गए और प्रस्थापित लाभाशों की कुल राशि । यह भी बताना चाहिए कि इन राशियों में से आयकर घटाया जाना है या नहीं ।

(५) लाभ और हानि खाने में निम्नलिखित जानकारी भी होनी चाहिए ।—

(क) यदि प्रबन्ध अभिकर्ता को प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य रूप में की गई सेवा के लिए फीस, प्रतिशतकता या अन्य किसी आधार पर कोई राशिया शोध्य है तो उनका कुल योग ।

(ख) कमश नचालकों, प्रबन्ध सचालक या प्रबन्धकों को उनके इस रूप में या किसी अन्य रूप में की गई नेत्राओं के पारिश्रमिक के तौर पर फीस, प्रतिशतकता या किसी अन्य आधार पर शोध्य राशियों का कुल योग ।

(ग) यदि कोई सचिव और कोपाध्यक्ष हो तो उन्हे इस रूप में या किसी अन्य रूप में की गई नेत्राओं के लिए फीस, प्रतिशतकता या अन्य किसी आधार पर शोध्य राशियों का कुल योग ।

(घ) उपर्युक्त में से किसी को पद की हानि के लिये शोधित किसी मुआवजे की कुल राशि ।

### ऐचिठक पुस्तके (Optional Tools)

सावित्रिय या अनिवार्य पुस्तकों के अतिरिक्त, कम्पनिया व्यवहारत व्यवसाय की प्रकृति तथा जाकार के अनुसार बहुतेरी पुस्तके रखनी हैं, यथा (१) आवेदन और आवटन पुस्तक, (२) अश प्रमाण पत्र पुस्तक, (३) याचना पुस्तक, (४) हस्तान्तर पत्र, (५) लाभाश पुस्तक, (६) ऋणपत्र धारक पत्र, (७) क्रणपत्र व्याज पुस्तक, (८) सावं मुद्रा पुस्तक, (९) कार्य सूची (Agenda) पुस्तक, (१०) अधिप्रमाण (Probate) पुस्तक, (११) सचालक उपस्थिति पुस्तक ।

### सभाएँ (Meetings)

सभा बुठ व्यक्तियों के उम समिलन को कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य मतल्प पारित करके कुछ कार्य करना या नहीं करना है । हर कम्पनी का कार्य सचालक मण्डल द्वारा समालित तथा नियन्त्रित किया जाना है तथा कम्पनी का अन्तिम नियन्त्रण सदस्यों के हाथों में होता है जो बहुत् सभा के रूप में कार्य करते हैं । अतः सचालक मण्डल तथा अशायारियों की ममाओं पर अलग-अलग विचार करना आवश्यक है ।

संचालक मण्डल की सभाएँ—जब तक अन्तिमियमों म व्यवस्था न हो, सचालकों को अनिवार्यता उम सभा में कार्य करना चाहिए जिसे मण्डल की सभा कहते हैं । प्रत्येक कम्पनी के सचालक मण्डल की सभा तीन बैलेंडर महीनों में एक बार अवश्य होनी चाहिए । सभा देश में उपस्थित प्रत्येक सचालक के पास भेजी गयी सूचना द्वारा बुलायी जानी चाहिए । अन्यथा सभा का अधिवेशन अमान्य होगा, और उसमें को गयी कार्यवाही

दूषित (Vitiated) होगी, चाहे वह सत्यक सदस्य सभा में उपस्थित भी हो। इससे पहले वि सचालक सभा की कार्यवाही शुरू करे, पूर्णत अहंता-प्राप्त सचालकों की गणपूर्ति (Quorum) होनी चाहिए। अन्तनियम मण्डल के अधिवेशन तथा अध्यक्ष के विषय में पूरी व्यवस्था बरते हैं। सभा के अधिवेशन को कार्यविधि है प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में सबल्प पारित करना और ये सबल्प कार्य-विवरण पुस्तिका में लिखे जाते हैं, जिस पर सभा के अध्यक्ष वा हस्ताक्षर होता है। नियम विधि (कारपोरेशन लों) वा वहु सत्यक सम्बन्धी नियम यहा लागू नहीं होता और यह अनिवार्य है कि सभी सचालकों का एक मत हो, पर इसके विपरीत यदि वहुसत्यक नियम को ही लागू होना है तो उस सम्बन्ध में लिखित व्यवस्था अन्तनियमों में होनी चाहिए। सूचना निर्णयित बरना सचिव का कर्तव्य है तथा सूचना का प्रपत्र (Form) निम्नलिखित है:

मण्डल के अधिवेशन की सूचना का प्रपत्र

——————  
कम्पनी लिमिटेड।

प्रिय महाशय,

मैं आपको सविनय सूचित करता हूँ कि तिथि —————— १९५  
को —————— वज (मानव समय) कम्पनी के पंजीयित कार्यालय में  
वस्पनी के सचालकों की सभा है, जहा आपकी उपस्थिति प्राप्तित है।

आपका विश्वसनीय

सचिव

निम्नलिखित कार्य समादित होते —

- १ विगत सभा के कार्यविवरण (Minutes) की पुष्टि (Confirmation)।
- २ भुगतान के लिए प्रस्तुत लेखा-मूर्ची पर विचार।
- ३ अश प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर तथा मुहर (Sealing)।
- ४ प्रत्यापित विस्तार के लिए, विशेषज्ञ समिति (Committee of Experts) के प्रतिवेदन पर विचार।
- ५ आगामी गभा।

सचिव सभापति ने मिलकर कार्यसूची (Agenda) तैयार करना है जिसम भभा में आलोच्य विषयों वा उल्लेख रहता है। कार्य सूची तैयार करते समय सचिव वा सभापति से मिलना आवश्यक है, क्योंकि कार्यसूची में विषयों के नम की प्राय-मिलता भट्टव की चेज है। कार्य सूची सूचना के साथ, जैसा वि डिपर बताया जा चुका है, या उसके बाद भेजी जा सकती है। जब कार्य सूची सूचना के बाद भेजी जाएगी, तब उसका रूप युछ इसी प्रकार होगा।

### कार्यसूची

जिस पर कम्पनी के पंजीयित कार्यालय गुरुवार, २१ मई, १९५६ को सद्या के ४ बजे (मानव समय) होने वाली मण्डल की सभा में विचार होगा।

१. विगत समा का कार्य विवरण ।
२. भुगतान के लिए प्रस्तुत लेखा-मूच्ची पर विचार ।
३. साधारण अथ प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर तथा मृहर लगाना (Signing & Sealing) ।
४. हस्ताक्षर समिति का प्रतिवेदन ।
५. आगामी समा की तिथि ।

कार्य मूच्ची पत्रों पर वार्षीय तरफ पर्याप्त साली स्थान होना चाहिए, ताकि मण्डल के समाप्ति, सचिव तथा सदस्य वहाँ स्मरणीय बातें लिख सकें। जब सचालक समा-स्थल पर पट्टौचि तब सचिव को यह घ्यान रखना चाहए कि वे उपस्थिति पुस्तक पर हस्ताक्षर कर दें। भर जाने पर उपस्थिति पुस्तक के पृष्ठ का रूप इस प्रकार होगा ।

### मण्डल को बैठक

जो कम्पनी के पर्याप्ति कार्यालय में शुक्रवार २१ मई, १९५६ को सध्या के ४ बजे (माना समय) हुई ।

#### उपस्थिति

१. \_\_\_\_\_ (समाप्ति)
२. \_\_\_\_\_
३. \_\_\_\_\_

#### सचालक

मेदार्य उपस्थित : श्री \_\_\_\_\_ सचिव

(In attendance) श्री \_\_\_\_\_ लेखासाल (Accountant)

ममा समाप्ति के पश्चात् जितना शीघ्र हो सके, सचिव का समा का कार्य-विवरण तैयार करना चाहिए। कार्यविवरण को अनिवार्यतः कार्यवाही का स्थार्थ अभिलेख (Record) होना चाहिए। कार्यविवरण पुस्तक में प्रविष्ट किया जाने वाला प्र-नेक कार्य विवरण रूपरा संख्याक्रित (Consecutively Numbered) तथा शून्ये पर संक्षेपित (Abbreviated) तथा अनुक्रमित (Indexed) होना चाहिए। उन्ह उनी रूप में लिखा जाना चाहिए जिस रूप में समा में कार्य का सम्पादन हुआ है। कार्यविवरण घटनारूप (Narration) या निष्पर्य दोनों हीं में लिखा जा सकता है। जब कार्यविवरण घटनारूप वा रूप लेता है तब समा में घटित घटना वा पूरा पर मनिष्ट कर्त्ता होता है, और उसके दाद मतल्य लिखे जाते हैं, लेकिन जब यह निष्पर्य का एक धारण करता है तब मतल्य रूप मेवें निष्पर्य लिखे जाते हैं। एक चाहे जाहो, कार्यविवरण नाक, चुम्त या मनिष्ट (Compact) अनदिगम तथा मुनिष्टित (Definite) होना चाहिए। प्रयोक समा का कार्यविवरण नये पृष्ठ पर शुरू होना चाहिए तथा शीर्षक में श्रमस्थल, निधि और समा की प्रकृति का उल्लेख होना चाहिए ।

कार्यविवरण का नमूना  
(Specimen of Minutes)

सचालक मण्डल का खोदहवा अधिकेशन कम्पनी के पंजीयित कार्यालय में शुक्रवार २१ मई, १९५६ को सव्या के ४ बजे (मानक समय) हुआ।  
तिम्मलिलित उपस्थित थे —

सभापति

सचालक

सेवार्थ उपस्थित

मंचिव

लेखापाल प्रबन्धक ।

५ अप्रैल १९५६ का हुए विगत अधिकेशन का कार्यविवरण पढ़ा गया और दोपरहित वे स्पष्ट म स्वीकृत तथा हस्ताक्षरित हुआ।

३१. मुग्धतान	मुग्धतान यात्रा लख तथा उनक प्रमाणक (बाउचर), जिनका यात्रा १२ ०५ १ स्पष्ट १२ आने हुआ, प्रस्तुत किये गये। लेखापाल की पुष्टि हुई तथा उनके निमित्त चैकों के हस्ताक्षरित किये जाने का आदेश हुआ।
३२. अशा प्रमाण पत्रों का हस्ताक्षरण तथा मुक्त्र लगाना	मावारण प्रमाण पत्र जिनकी मस्त्या —— मे —— तक (दोनों मस्त्याएँ मिलाकर) हैं और जो आवेदन मूँची में दिलाय गये आवटितियों के नाम हैं, प्रस्तुत किये गये तथा उनकी पुष्टि हुई। यह निश्चित हुआ कि उन पर कम्पनी की मुद्रा अकित की जाय तथा यथाविधि उन पर हस्ताक्षर किये जाय।
३३. हस्तान्तर समिति का प्रतिवेदन	हस्तान्तर समिति के प्रतिवेदन पर जिसका उल्लेख समिति वे कार्यविवरण में किया गया है, विचार किया गया। यह निश्चिन हुआ कि ५ अशापारियों द्वारा १०० अशों के हस्तान्तरण को छोड़कर शेष प्रतिवेदन पूर्णत अपीकृत किया जाए।
३४. आगामी अधिकेशन	मण्डल का आगामी अधिकेशन कम्पनी के पंजीयित कार्यालय में १० जून, १९५६ को किया जाना तय हुआ।

सम्पादित

अशापारियों की सभाए (Shareholders' Meetings)

अशापारियों की सभाए, जिन्हे बृहत् सभाए कहते हैं, तीन प्रकार की होती हैं —  
(१) सावित्रि सभा (Statutory Meeting), (२) सामारण या वार्षिक बृहत्

समा (Ordinary or annual General meeting) और (३) असामारप वृहत् समा (Extraordinary General meeting)। कम्पनी अधिनियम को १६५ से लेकर १७४ तक धाराएँ इन समाओं के बार में व्यवस्था बरती हैं। उन पर नीचे विचार किया जाना है।

### सावित्रिक समा (Statutory meeting)

यह वह समा है जो नियों कम्पनी को छोड़कर प्रत्येक कम्पनी को कम्पनी अधिनियम की धारा १६५ के अनुमार व्यवसाय आरम्भ करने की तिथि से एक महीने बाद तथा ६ महीने के अन्दर करती होती है। यह समा व्यवहारत कम्पनी की प्रथम समा है, जिनके दुलाये जाने का उद्देश्य है अशासिया का शीक्षातिरीक्षण कम्पनी की स्थिति में अवातर करना। सचालका के लिए यह आवश्यक है कि समा के अधिकारित के २१ दिन पूर्व प्रत्येक अशासिया के पास अधिकारित की सूचना के साथ एक प्रतिवेदन भेजे जिने सावित्रिक प्रतिवेदन (Statutory Report) कहते हैं। सचिव को मावजारी में यह प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए, और कम से कम दो माहालको द्वारा या समाप्ति द्वारा, वरन्ते कि वह सचालको द्वारा इस आसान में दत्तात्रिकार हा तथा जैकेड़ के द्वारा इसको शुद्धता को प्रमाणित करवा लेना चाहिए। सचिव को मावित्रिक प्रतिवेदन की एक प्रति अनिवार्यता प्रतीकरणी के पास भजनी चाहिए। सावित्रिक प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातें हानी चाहिए — (१) आवटित अग्रा की पूरी सूचना तथा उसके सम्बन्धित प्राप्त राशि, (२) स्टॉट राईंका के नीचे का प्रतिवेदन के ठीक सात दिन पहले तक आप-ब्यव द्वारा विवरण तथा प्रारम्भिक व्यव (Preliminary expenses) का एक जनुनाम, (३) सचालका, अकेलक, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोपाल्या द्वारा प्रबन्ध तथा सचिव के नाम, पते तथा जीविका (४) उन अनुबन्धों का विवरण जिनमें किये गये परिवर्तन अधिकारित के सम्मुख पुष्टि के लिए प्रमुख किये जाने वाले हैं, (५) किस हृद तक अभिगमन (Underwriting) जनुबन्धा वा सम्पादन किया जा चुका है, (६) सचालको, प्रबन्ध अभिकर्ताओं तथा प्रबन्धकों से याचना की मद में प्राप्त बकादा तथा (७) किसी भी सचालक, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोपाल्या द्वारा प्रबन्ध को दिये गये या दिये जाने वाले कमीशन (Commission) का या दलाली की राशि, जो अग्री के निर्देशन या विनी से सम्बन्धित हो। सावित्रिक समा का अधिकारित या सावित्रिक प्रतिवेदन का ननीकरा (Filing) न करन पर कोई भी सदम्य कम्पनी के समाजन के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। न्यायालय कम्पनी समाजन को आज्ञा दे सकता है या सावित्रिक समा का अधिकारित करने तथा सावित्रिक प्रतिवेदन के ननीकरण का निर्देश दे सकता है। सचालक या अन्य दोगों व्यक्ति पर ५०० पये तक जुर्माना किया जा सकता है।

### साविधिक प्रतिवेदन

कम्पनी अधिनियम, १९५६  
(देखिए धारा १६५)

नस्तीवरण शुल्क ३ रुपये

कम्पनी का नाम—

लिमिटेड का साविधिक प्रतिवेदन, धारा १६५ (५)

के अनुसरण में ।

श्री— द्वारा नस्तीवरण के लिए प्रस्तुत ।

साविधिक सभा की तिथि तथा स्थान—

सचालव सदस्यों को निम्नलिखित प्रतिवेदन देते हैं —

१ विगत— के द्वारा दिवस तक ( अर्थात् प्रतिवेदन के सात दिन के बताए गये तिथि तक ) आवटित अशा तथा उन्हें तिथि तक प्राप्त राकड़ इस प्रकार थी —

विवरण	अग्र की सहाया	प्रत्येक अशा का अनित मल्य	प्राप्त राकड़
(क) नगद भूगतान की दर्दन पर आवटित	अधिमान*		
(ख) नगदी के अग्रवा अर्थ रौप्य से पूर्णत शोधित अशा के रूप में आवटित । जिस प्रतिफल पर आवटित विषय गय है वे निम्नलिखित हैं	अधिमान*	साधारण	
(ग) प्रतिअशा—रूपये के लिए अशात शामित अशा जिस प्रतिफल पर वे उन्हें रूप में आवटित विषय गय वह निम्नलिखित हैं —	अधिमान*	साधारण	
(घ) प्रतिअशा—रूपये की छूट पर आवटित	अधिमान*	साधारण	
	दोग		

२ उन्हें तिथि तक कम्पनी की प्राप्तिया तथा भूगतान इस प्रकार है —

\* विमोचन योग्य अधिमान अशों का, प्रत्येक अवस्था में, विशेष उल्लेख होना चाहिए ।

प्राप्तिया (Receipts)	रुपये	अनुतान (Payments)	रुपये
बंदा		प्रारम्भिक व्यय	
वित्तीयान		अदाएँ की विक्री पर कमीशन	
सामारण		अदाएँ पर छूट (Discount)	
अदा निवेद		पूर्वीगत व्यय (Capital Expenditure)	
क्रषपत्र		भूमि	
कहन		भवन	
-निर्देश		प्लाट	
अन्य स्रोत		मर्शील	
		अविकेप स्टॉक (Dead stock)	
		अन्य मद (उनका उन्नेश बरो)	
		देव	
		हाथ में	
		बैंक में	
योग	—	दोग	—

३. प्रदिवरण परिवा या उसके बदले के विवरण में अनुमानित

प्रारम्भिक व्यय ————— रुपये

उन तिथि तत्व विषे गये प्रारम्भिक व्यय —————

विधि प्रभार (Law Charges) —————

मुद्रण —————

पंजीयन (Registration) —————

विज्ञापन —————

अदा विक्रय पर कमीशन —————

अदा विक्रय पर छूट —————

अन्य आरम्भिक व्यय —————

—  
योग —————

४. कम्पनी के संचालकों, अधोङ्कों (यदि हों) प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोपाध्यक्षों, प्रबन्धकों (यदि हों) तथा सचिव के नाम, पते तथा जीविता और निवास की तिथि के पदचान् यदि उनमें कोई परिवर्तन हुए हों तो, इस प्रकार हैं —

## संचालक

नाम	पता	जीविता	यदि कोई परिवर्तन हुए हो तो उनका विवरण

## अवेक्षक

नाम	पता	जीविता	यदि कोई परिवर्तन हुए हो तो उनका विवरण

## प्रबन्ध अभिभृता तथा प्रबन्धक

नाम	पता	जीविता	यदि कोई परिवर्तन हुए हो तो उनका विवरण।

## सचिव

नाम	पता	जीविता	यदि कोई परिवर्तन हुए हो तो उनका विवरण।

५ उन अनुबन्धों के विवरण जिनमें विये गये परिवर्तन समाके सम्मुख पुस्ति के लिए प्रस्तुत विये जाने वाले हैं, और रिये गये परिवर्तन या परिवर्तनों का विवरण।

६ अभिगोपन अनुबन्ध विष्ट हृद तक वार्यान्वित विये गये हैं।

७ इन विवरणों में परिवर्तन की तिथियाँ अवश्य होनी चाहिए।

७. सचालक, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोपाध्यक्षों तथा प्रबन्धक से याचना (Call) के मद में यदि कोई बकाया हो तो उसकी रकम।

८. अर्जों के निर्गमन या विनाप के सम्बन्ध में किसी सचालक, प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रबन्धक का दिये गये या दिये जाने वाले कमीशन या दलाली की रकम का विवरण। यदि प्रबन्ध अभिकर्ता कर्म है तो इसके किसी साझी को दी गयी उक्त रकम अवयवा यदि प्रबन्ध अभिकर्ता निजी कम्पनी है तो इसके किसी सचालक को दी गयी रकम।

तिथि आज १९५ \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ वें दिवस।

हम प्रतिवेदन को प्रमाणित करते हैं।

दो या अधिक सचालक

सचालक मण्डल का सभापति

(यदि वह सचालक मण्डल द्वारा प्राधिकृत है तो)

हम प्रमाणित करते हैं कि प्रतिवेदन का वह असा, जिसका सम्बन्ध कम्पनी द्वारा आवृत्त अर्जी तथा उसके प्रगति में प्राप्त नगदी से है तथा कम्पनी के द्वारा प्राप्ति तथा भुगतान (Receipts and Payments) से है, सही है।

आज १९५ \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ वें \_\_\_\_\_ वें दिवस

अवेदन

साविधिक सभा का अधिवेदन दूल्हने के लिए जो मूचना दी जाती है उसका स्वप्न हम प्रकार होगा —

साविधिक सभा की सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम की धारा १७१ के अर्धीन आवश्यक साविधिक सभा का अधिवेदन कम्पनी के पर्यायित कार्यालय में १९५ \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ वें \_\_\_\_\_ वें दिवस सध्या के \_\_\_\_\_ वर्ष (मा म) होगा।

मण्डल की आज्ञानुसार  
सचिव

कार्यमूली :

१. अधिवेदन किये जाने के सम्बन्ध में मूचना को पड़ना—मदस्यों का भेजा गया साविधिक प्रतिवेदन परिन भाना जा मक्ता है।

२. सभापति द्वारा हम उद्देश्य की व्याख्या जिसके निमित्त अधिनियम की धारा १७१ के अर्धीन सभा दूल्हायी गयी है।

३. कम्पनी की साधारण स्थिति के सम्बन्ध में सभापति का वक्तव्य (Statement)।

कम्पनी के जो सदस्य सभा में उपस्थित होते हैं, उन्हें कम्पनी निर्माण के सम्बन्ध में या प्रतिवेदन में निमृत किसी भी विषय का विवेचन करने की स्वतन्त्रता है। सभा की समाप्ति पर सचिव सभा का कार्यविवरण लिखेगा।

### सावित्रि का कार्य विवरण

कम्पनी लिमिटेड की सावित्रि का कार्य विवरण जो

— १९५ — वे ————— ते ————— वें दिस सन्ध्या के

वजे हुई ।

#### उपस्थित

१	श्री	समाप्ति ।
२	श्री	स्वप। प्रतिपुरुष (Proxy) द्वारा
३	श्री	स्वप। प्रतिपुरुष (Proxy) द्वारा
४	श्री	
५	श्री	

सचिव ने सभा आयोजन सम्बन्धी मूचना पढ़ी, तथा कम्पनी अधिनियम की धारा १६५ द्वारा अर्भास्मिन सावित्रि प्रतिवेदन, जो सदस्यों को यथाविधि वितरित किया जा चुका था, पठित मान लिया गया ।

समाप्ति ने उपस्थित सदस्यों को मूचित किया कि एक मूर्ची, जिसमें कम्पनी के सदस्यों के नाम, जीविता तथा पते और उनके द्वारा गृहीत अस्तीकी सदस्यों का उल्लेख है, निरोक्षण के लिए प्रस्तुत है, तथा वह अविवेदन काल में किसी भी समय किसी भी सदस्य के लिए उपलब्ध हो सके गो । उन्होंने सदस्यों को कम्पनी की साधारण स्थिति भी, जैसी कि सावित्रि प्रतिवेदन से प्रकट होनी है, सप्ट की ओर सदस्यों को बनाया कि उन्हें उन प्रतिवेदन से नि मूत कम्पनी निर्माण से सम्बद्ध किसी भी विषयवाक विवेचन, चाहे तम्भन्वी पूर्व-मूचना दी गयी हो अथवा नहीं, वरन् की स्वतन्त्रता है और उन्होंने सदस्यों को विवेचन के लिए अमनित बिषय, इस पर क्षतिगम सदस्यों ने उनके बिषयों पर कुछ प्रक्षय किये जिनके उत्तर मध्यिक ने सन्तोषजनक रीति से दिये । तत्पश्चात् सक्षिप्त विवेचन के उपरान्त सावित्रि प्रतिवेदन अग्रिमत बर लिया गया ।

समाप्ति को धन्यवाद देने के पश्चात् अधिवेशन की समाप्ति हुई ।

साधारण या वार्षिक बृहत् सभा—एह कम्पनी के सदस्यों की बृहत् सभा है जो नियमन तिथि से १८ महीने के बन्दर वर्षी अनियाय है । दाद में वार्षिक बृहत्सभाएँ पहले बाली वार्षिक बृहत्सभा से १५ मास के भीतर अवश्य होनी चाहिए, पर पहले कम्पनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ९ मास के भीतर भी होनी चाहिए साधारण बृहत् सभा म अन्तर्नियमों म उल्लिखित वधे-वधाये वायों का ही सम्मादन किया जाता है । इन वायों की प्रकृति इस प्रकार है—मचालकी तथा अवेक्षकों के प्रनिवेदनों की प्राप्ति, लेखाओं तथा स्थितिविवरण ( Balance Sheet ) पर विचार, लाभाश की अनुमति ( Sanction ), सचालका तपा अवेक्षकों की नियुक्ति तथा अवेक्षकों के पारिथमिक का निर्यात । अधिवेशन के लिए २१ पुरे दिनों की मूचना अनियाय है और सूचना के साथ कम्पनी की उम वर्ष की स्थिति पर मचालकों का प्रतिवेदन तथा लेखाओं ( Accounts ) की अकेलित प्रति

भेजना भी अनिवार्य है। प्रथा यह है कि सूचना के अनुसार प्रतिपूर्ण (Proxy) का एक प्रपत्र (Form) भेज दिया जाता है, ताकि जो सदस्य-स्वयं उपस्थित होने में अमर्मर्य है, वे अपन प्रतिपूर्ण नियुक्त वर सके। ऐसा तभी हो सकता है जब अन्तिम प्रतिपूर्ण के व्यवहृत किये जाने की अनुमति देन हा।

### वार्षिक बूहू सभा की सूचना

— अमनी लिमिटेड

मूचिन किया जाता है कि ————— अमनी लिमिटेड के अधिगारियों की सत्रही वार्षिक बूहू सभा का अविवेदन अमनी के प्रजीविन वार्सालिय में दृष्टवार १८ अप्रैल, १९५६ को सम्पाद्य के ५ बजे (मा स) होगा जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

द्रष्टव्य अमनी की हस्तान्तर पुस्तकों ————— ने ————— तक (दोनों दिन मिलाहर) बन्द रहेंगी।

१. मचाल्को का प्रतिवेदन ————— नियंत्रण के अवेक्षित स्थिति-विवरण तथा लाभहानि लेखे की प्राप्ति और अगीकार करना।

२. लाभांश घोषित करना।

३. जा मचाल्क अनुमार निवृत्त होने हैं, लेकिन पुनर्निर्वाचन के योग्य हैं, उनके स्थान पर मचाल्का का चुनाव।

४. अग्रें वर्ष के लिए अवेक्षक नियुक्त करना और उनका प्रतिफल निश्चित करना।

५. अन्य कार्य, जो समाप्ति की अनुमति में सभा के समक्ष उपस्थित किया जाए, सम्पादित करना।

मण्डल की आवाजानुभार  
सचिव

सचिव आमनौर में समाप्ति से मिलकर मचाल्का का प्रतिवेदन तैयार करता है, जिसमें धारा २१७ में अवेक्षित विषयों की चर्चा होती है। जब इस प्रतिवेदन की पुस्ति हो जाती है, तब सचिव मूचना, स्थिति-विवरण तथा लाभ-हानि लेखे के साथ ही इसे मुद्रित करवा देगा। मचाल्क सभा की तिथि तथा हस्तान्तरण पुस्तिका के बन्द रहने की अवधि निर्धारित करेंगे। मचाल्कों के प्रतिवेदन का नमना नीचे दिया जाना है।

### मचाल्कों का प्रतिवेदन

मटामाय,

अपनी कमनी के मचाल्कों को ————— की समाप्त होने वाले वर्ष का अवेक्षित लेखा विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करने हुए हैं हर्य होता है। मनी उपरिव्ययों (Overhead charges) तथा व्याज-जनन व्यय चुकता कर देने के परचार् आगम (Revenue) लाभ की राशि ————— रुपये है। अवश्यक (Depreciation) के नियमित राशि निकाल देने के बाद ————— रुपये बच रहते हैं, जिसमें विगत वर्ष का शेयर जो ————— रुपये है, जोड़ने के परचार्

कुल योग ————— रूपये हो जाता है, जिसके सम्बन्ध में आपके सचालक निम्नलिखित सिफारिश बरते हैं —

इस वर्ष अन्तिम लाभाश का शोधन				
प्रति अश ————— रूपये वाले	पूर्णत			
शोधित अधिमान अशो पर	रूपये			
अश की दर से		रूपये ।		

रूपये वाले	अशह शोधित		
अधिमान अशो पर, जिन पर	रूपये प्रति		
अश शोधित है,	रूपये वार्षिक देवर यानी		
प्रति अश	रूपये की दर से	रूपये	
पूर्णत शोधित	माधारण		
अशो पर प्रति अश	की दर से		
प्रति अश	रूपये	रूपये	
अशह शोधित माधारण अशो पर जिन पर प्रति अश	रूपये शोधित है,		
प्रति अश	रूपये की दर से	रूपये	

इस सब रामाश की तथा उस रामाश की जिसकी सिफारिश  
अशह शोधित अशो पर ————— वो समाप्त होने वाले वर्ष के लिए  
सचालकों ने ————— वो समाप्त होने वाले वर्ष के अवैधित लेतो के विवरणों  
के साथ सलग

सचालक प्रतिवेदन म की है,			
कुल रकम	रूपये प्रति अशह शोधित अधिमान		
अश तथा	रूपये प्रति अशह शोधित		
साधारण अश की दर से	० होनी है ।		
मह राशि रामाश उन लोगों को नियि	जा तथा उसके		
उपरान्त चूर्चायी जापर्गी, जिनके नाम कम्पनी की पुस्तकों मे दियि	की प्रदिष्ट थे ।		
करामान के लिए मचिति मे स्थानान्तरित	रूपये		
साधारण मचिति म स्थानान्तरित	रूपये		
		रूपये	
			—

रोप ————— रूपये वरेनोत ( Carried forward )  
कैपटरियों का अपवित्र विस्तार विस्त्रित हो गया है, इनका कारण है विनियम कठिनाइयों  
के हारण कम्पनी को विदेशों से मशीन प्राप्त न हो सकता ।

निमिति को लागत बढ़ाने मयी है और सरकार को कोमत मनोविजय के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है।

### मचालक भण्टल की आज्ञा से सभापति

**तिथि** —————

सभापति का भाषण—सभी सदस्यों के पास सूचना तथा वार्षिक लेखाओं के भेज दिये जाने के बाद सचिव के जिम्मे सभापति के भाषण का प्राप्त तैयार करने का काम आ पड़ता है। यह भाषण वार्षिक सभा में वह उस समय देता है जब वह अकेलियत लेखे तथा सचालन का प्रनिवेदन अग्रीकरण के लिए प्रस्तुत करता है। बहुधा यह भाषण इम्बा होता है, जिसमें कम्पनी के कार्य के लगभग सभी पहलुओं भी चर्चा होती है। सभापति जपना भाषण प्राय देश तथा विदेश की राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति के सामारण मिहावलोकन में शूष्ट करता है तथा देश के मम्बन्ध में सरकार की आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में मम्बन्धित नीति से भी अपने श्रोताओं को अवगत कराता है, वह यह भी बताता है कि सरकार की नीति का कम्पनी के कार्य पर बया प्रभाव पड़ा। इसके बाद सभापति के भाषण में उन विषयों की चर्चा होती है जिनका कम्पनी, इसकी सफलताओं तथा कठिनाइयों से सम्बन्ध रहता है तथा वह इन कठिनाइयों पर विषय पाने के लिए मुद्राव उपस्थित करता है तथा कम्पनी के भविष्यत कार्य के विषय में शुभाशा प्रहृष्ट करता है। वह वार्षिक लेखाओं की व्याख्या भी कर सकता है। सभा से पहले सचिव सचालन में सभापति की सहायता दरने के लिए विस्तृत कार्य-मूलों तैयार करता है।

यदि अन्तर्नियम प्रतिपुरुष ( Proxies ) के व्यवहृत किये जाने की अनुमति देने हैं तो यथाविधि भरे जाने पर सचिव के पास वे भेजे जायेंगे। सचिव यह देखने के लिए उनकी परीक्षा करेगा कि उनमें कुछ गोलमाल तो नहीं है। मतदान ( Polling ) का प्रबन्ध किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य के पास सूचना के माथ प्राय वह मतपत्र (voting card) भेजा जाता है। सभा में जाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के पूर्व सदस्यों द्वारा इसका हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है। मतपत्र तथा प्रतिपुरुष के प्रपत्र नीचे शिये जाने हैं।

### मत पत्र (Voting Card) का प्रपत्र

कम सख्त्या —————

अमर्त्य लिमिटेड

महीना १९५ \_\_\_\_\_ वे \_\_\_\_\_ वे दिवस  
प्रानामध्या ————— वर्ष (मा स) सम्पन्न होने वाली अशास्त्रियों की वार्षिक सभा।

सदस्य

### प्रतिपुरुष (Proxy) का प्रयोग

कम्पनी लिमिटेड।

मेरा निवासी उक्त कम्पनी का सदस्य हूँ  
और इस धारा के निवासी थे वो और यदि वे न  
आत तो वे निवासी थे वो अपनी ओर से  
वार्षिक साधारण। वपनी की विसी अन्य साधारण बृहत् सभा में मत देने के लिए  
प्रतिपुरुष नियुक्त करता है।

साक्षी

नाम \_\_\_\_\_

तिथि \_\_\_\_\_ को होने वाली कम्पनी की सभा तथा उसके  
विसी स्थगन (Adjournment) में होने वाली सभा।

हस्ताक्षर विद्या आज \_\_\_\_\_ महीने १९५ \_\_\_\_\_ वे  
व दिवस

हस्ताक्षर

पता \_\_\_\_\_

मह्या \_\_\_\_\_ मे \_\_\_\_\_ तक

बशी वा घारव (अधिमानाभारण)

सभा में सचिव सभा आयोजन मम्बन्धी मूल्यना तथा अवेशक प्रतिवेदन पढ़ता  
है। अधिवेशन कार्य में वह सभापति की सहायता करता है तथा उन सब की सेवा  
करता है जिन्ह उसकी आवश्यकता होती है। अधिवेशन में वह बायंचाही की विस्तृत  
वान लिख लता है ताकि सभा की समाप्ति पर बायं विवरण प्रस्तुत कर सके।

बायिक बृहत्सभा का विवरण

कम्पनी की सरहदी बृहत् सभा \_\_\_\_\_ हो \_\_\_\_\_ वर्जे समझ  
हुई।

निम्न व्यक्ति उपस्थित थे।

१ श्री \_\_\_\_\_ सभापति

२ श्री \_\_\_\_\_

३ श्री \_\_\_\_\_

४ श्री \_\_\_\_\_

श्री \_\_\_\_\_ जो सचालक मण्डल के सभापति है, और  
अन्तर्नियम मह्या \_\_\_\_\_ वे अवीन सभापति वे गए अधिकारी थे, सभापति  
हुए (अयं श्री \_\_\_\_\_ अध्यक्ष चून गय।)

१ सभा आयोजन मम्बन्धी मूल्यना सचिव द्वारा पड़ी गयी।

२ विगत सभा के बायं विवरण पठिन, पुष्ट तथा हस्ताक्षित हुए।

३ सचालक के प्रतिवेदन तथा अवेशकों द्वारा यथाविधि प्रमाणित होना और  
वो पठित माना गया।

४. अवेक्षक का प्रतिवेदन पड़ा गया ।

५. समाप्ति द्वारा प्रस्तावित तथा श्री— द्वारा सम्पर्क में होने पर यह सर्व सम्मति से निश्चिन हुआ कि “प्रतिवेदन तथा लेख, जो कम्पनी के अवेक्षकों द्वारा अंकेशित तथा प्रमाणित हो चुके हैं, तथा जो — तिथि में कम्पनी की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, और सभा के समझ हैं, पुष्ट तथा अग्रीहित किये जाएं ।

६. श्री— द्वारा प्रस्तावित तथा श्री— द्वारा अनुमोदित होने पर यह निश्चय हुआ कि श्री— पुनः कम्पनी के सचालक निर्वाचित हो ।

७. समाप्ति ने प्रस्तावित किया तथा श्री— ने अनुमोदित किया और यह निश्चिन हुआ कि अवेक्षकों द्वारा सिफारिश किया गया लाभांश, अर्धांश सावारण अवौं पर — % लाभांश इस वर्ष के लिए स्वीकृत हों । लाभांश उन्हीं को दिये जायें जिनके नाम — को वही बन्दी के दिन सदस्य पंजी में प्रविष्ट थे ।

८. श्री— द्वारा प्रस्तावित तथा श्री— द्वारा अनुमोदित होने पर यह निश्चिन हुआ कि मेसर्स — चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स कम्पनी के अवेक्षक पुनः निर्वाचित हो तथा उन्हें — रख्ये पारिथमिक दिया जाय ।

९. श्री— द्वारा प्रस्तावित तथा श्री— द्वारा अनुमोदित होने पर मण्डल को धन्यवाद देने के उपरान्त सभा विसर्जित हुई । समाप्ति ने धन्यवाद का उचित उत्तर दिया ।

### समाप्ति

जब कार्य विवरण का प्रारूप समाप्ति द्वारा पुष्ट तथा हस्ताक्षरित हो जाता है तब सचिव को सभा में अग्रीहित विभिन्न मकल्पों को बार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं । एवं मुख्य बाये हैं लाभांश सूचि ( Divident list ) तथा लाभांश अधिपत ( Warrants ) तैयार करना तथा संश्यों के पास पर मेजना । लाभांश सूची सदस्य वर्जों ने तैयार की जाती है, तथा सावधानी से उसकी जाव की जाती है । इन प्रकार की सूची का प्राप्त नीचे दिया जाता है ।

लाभाश सूचि

प्रति अशा—लघु की दर से—अशा के लिए साधारण लाभाश

प्रपञ्ची (Le- dger) पू० स०	अधिपत्र महेश	अदावारी का नाम	लाभाश किसका पता चुकाया जायगा	भश पूजी	बुल लाभाश	वर्कर कोड	विशेष विवरण
				इ०	इ०	इ०	

जब कई वगां क अशा पर एक ही बार लाभाश का भुगतान करना है तब प्रयत्न वग के अशा के गिए जरुर लाभाश मूल्यी बनानी होगी। अधिपत्र (Warrant) का प्रयत्न नीच दिया जाता है—

દ્વારા અધિકાર

—कम्पना लिमिटेड ।

मनिदा माधवण

जधिपत्र मस्तिष्का-

दिल्ली

—हरप के लिए अधिपत्र जा तिथि— से १९५ तक  
प्रति अवश्य — % की दर से साधारण अवश्य पर आयकरा से  
मुक्त लाभांश है। यह लाभांश इस कम्पनी में १९५ में पंजीयित  
अंशों के लिए है जो अवश्य श्री— के नाम में है।

यह लाभाद्य तिथि १९५ वा सम्पन्न हुई वार्षिक बृहत् सभा में प्रपित किया गया था।

हम प्रमाणित बतते हैं —

१ विकल्पनी ने जनुमान में जनुसार उच्च अविभिन्न के लाभ म स भारत म १०० % और पायिस्तान म दर्य, आयकर का भागी है और

२ भारत में कम्पनी के विगत पूर्ण निर्धारण (Last completed Assessment) ने अनुसार भारत तथा पाकिस्तान में दामों के बे प्रतिशत जिन पर जाय वर लगाय जा सकते हैं, कम्पनी १००% तथा शृंखला (nil) है, और

३ मध्यर्जन (Profit) तथा नक्ष (Gains) पर जिस पर आयकर लगाया जा सकता है तथा जिस लाभ का यह लाभादा एवं हिस्सा है, हम कला द्वारा भारत सरकार को आयकर चुका दिया गया है या चुका दिया जायगा।

वास्ते वस्त्रनो लिमिटड  
वास्ते कम्पनी लिमिटड  
सचालक, प्रबन्ध अभिवर्ती

(हक्कदार द्वारा हस्ताक्षरित होने के लिए)

मेरे प्रभागित करना है कि उपर्युक्त लाभान् उन अशों से सम्बद्ध है जो—

१९५ वो, जब लाभान् घासित किया गया था, मेरी अपनी सम्पत्ति थी तथा—  
के कन्त म थे।

तियि—

हस्ताक्षर

टिप्पणी—इनना हिस्मा अशारों द्वारा फाड़कर रख लिया जायगा और आप कर के विवरण पत्र ने लगाने के लिए और आयकर वापिस मांगने के लिए रख लिया जायगा।

कम्पनी लिमिटेड

लाभान् अधिपत्र सद्वा—

उक्त नाम की कम्पनी से—रहने (पारे जो वर्ष १९५—)  
के लिए उन अशों पर लाभान् है जिनका लाभान् अधिपत्र अमाक—में  
उल्लेख है।

तियि—

अशारों का हस्ताक्षर

असामारण बूहत समा (Extra-Ordinary General Meeting)—

यह कम्पनी के नदस्यों वी वह बृहत् समा है जो सचालकों द्वारा कोई ऐसा विशेष या आवश्यक कार्य करने के लिए बुलायी जानी है जो आगामी मासारण समा के अविवेशन के पहले कराना आवश्यक है। यदि सोमित्र पूर्जी के, १० अशारों अधियाचन (Requisition) करे, तब भी मचालकों द्वारा यह समा बुलायी जा सकती है। यदि अधियाचन पत्र के दिये जाने के २१ दिनों के अन्दर सचालक उक्त समा नहीं बुलाने हैं, तो अधियाचक (Requisitionists) या उनमें से बहुमत्यक अधियाचक अविवेशन पत्र देने के तीन महीने के अन्दर यह समा बुला सकते हैं। अधियाचकों द्वारा व्यष्ट किया गया उचित स्वर्ण कम्पनी द्वारा चुक्र दिया जाएगा और करनी। यह स्वर्ण मचालकों से बमूल भवनी है। समा के अविवेशन के कम से कम २१ दिन पहले प्रत्येक सदस्य को अधियाचन की सूचना मिल जानी चाहिए। यदि अविवेशन में विशेष मत्त्य (Special Resolution) प्रस्तुत किये जाने हैं तो यह सूचना २८ दिन की होगी। सूचना में समा के बुन्याये जाने का उद्देश्य उत्तिलिखित होना चाहिए, और यदि विशेष सम्बल्प रखा जायगा तो सूचना के साथ इस सम्बल्प का होना भी अनिवार्य है। विभिन्न परिस्थितियों में असामारण समा के आयोजन के लिए सूचनाओं के वित्तिपय प्रपत्र नं.वे दिये जाते हैं।

असामारण समा आयोजन की सूचना का प्रपत्र

पूर्जी घटाने के लिए विशेष सम्बल्प

अर्ग. बृहत् करने के बास्ते बृहत् अविवेशन।

कम्पनी लिमिटेड।

इस द्वारा सूचित किया जाता है कि तिथि—————को अपराह्ण में इम कम्पनी के सदस्यों की एक असाधारण वृहत् सभा होगी, जिसमें सलाने विशेष सबल्प स्वीकृत विषय जाने के लिए प्रस्तुत किया जायगा।

'तिथि—————वा सम्पत्त असाधारण सभा में नियुक्त वीर्यी जाने गमिति (Investigation Committee) द्वारा की गयी भिन्नताओं के अनुमार कम्पनी की साधारण अथवा पूँजी घटाकर—इष्टवे स—इष्टवे की जाय। तथा १० हजार के प्रत्यक्ष पूण्य शाखित माधारण अथवा को ५ हजार के पूण्य शाखित अथवा मध्यनित बर दिया जाए तथा न्यायालय का न्यूनतम की पुष्टि प्राप्त बरते के लिए निवेदन किया जाए।'

मण्डल वे आदेशानुसार  
तिथि—————  
सचिव

कम्पनी अविनियम १९५६ की घारा ४८८ (१) (वी) के अन्तर्गत कम्पनी का स्वेच्छया समाप्ति बरते के निमित्त विशेष सबल्प अग्रीकृत बरते के लिए असाधारण वृहत् सभा की सूचना।

इस द्वारा सूचित किया जाता है कि तिथि—————का कम्पनी के पर्यायित वार्षिकीय में कम्पनी की एक असाधारण वृहत् सभा होगी जिसमें विशेष सबल्प के स्वयं में निम्नलिखित सबल्प प्रस्तावित किया जायगा, और यदि उचित जैंचा तो अग्रीकृत किया जाएगा।

१ निश्चिन हुआ कि इम सभा के पूण्य तुष्टि पर्यंत यह प्रमाणित हो चुका है कि जागत दायित्वा (Liabilities) के कारण कम्पनी अपना व्यवसाय जारी नहीं रख सकती अन इसका स्वच्छत समाप्ति बाढ़नीय है।

२ जागत यह निश्चिन हुआ कि थी—————कम्पनी के समाप्ति बार म—————वे पारिश्रमिक पर कम्पनी निस्तारक (Liquidator) नियुक्त किय जाय।

मण्डल वे आदेशानुसार

कम्पनी की असाधारण वृहत् सभा के लिए अधियाचन  
सेवा म,  
भवार्य  
—————कम्पनी लिमिटेड।

अंतमान्

हम यह हमनाशकता, जो कम्पनी की निर्गमित पूँजी के दमव हिस्म अथवा अवस्थानुसार १८ म अविक के धारक हैं तथा जिस पर प्राप्त याचना तथा अन्य रागि चुका दी गयी है, चाहते हैं कि वाप अविक्षय निम्नगितिव वार्य (Agenda) के विचारात्म कम्पनी की माधारण सभा वृग्याये।

(यहा प्रस्तावित सभा की वार्य मूर्ची या जिन उद्देश्यों में सभा वृग्यायी जा

रही है, वे दोजिए) ।

---

तिथि—अधियाचकों के हस्ताक्षर

अधियाचना के अनुसार सचालकों द्वारा बाहूत असाधारण बहुत समा की मूचना ।

कम्पनी लिमिटेड ।

मूचना दी जानी है कि अधियाचक सर्वं श्री—नथा—अदि द्वारा दिनांक—वे अभियाचन, जो इस कार्यालय में १९५ के—के—वे दिवस प्रस्तुत किया गया, की पूर्ति के लिए कम्पनी के पर्जीयित कार्यालय में १९५ के—वे दिवस एक असाधारण बहुत समा होगी, जिसमें निम्नलिखित विषय पर विचार किया जाएगा —

(यह कार्य मूर्छों द्वारा)

दिनांकित

मण्डल की आजानुसार सचिव

(द्रष्टव्य) —यदि मचालक मण्डल अधियाचन के विषय में कुछ टिप्पणी देना चाहता है तो वह न्याय मूर्छों के नोचे लियों जा सकती है)

स्वयं अधियाचकों द्वारा आयोजित अमाधारण बहुत समा की मूचना ।

मूर्चित किया जाता है कि कम्पनी की असाधारण समा का अधिकेशन में १९५ के—वे—वे दियम सम्भासुवह—वजे होगा, जिसमें निम्नलिखित अमाधारण मकल्प प्रस्तावित किया जायगा और उचित जचा तो अनुकृत किया जायगा ।

बर हस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह समा कम्पनी अधिनियम की धारा १६९ (६) के प्रयोग आयोजित की जा रही है, क्योंकि सचालक—(तिथि) से जित निवि वो, अब हस्ताक्षर कर्त्ताओं ने जो निर्गमित पूजी के दशभाश से अन्यून के धारक हैं और जिन्होंने दय सभी याचना राशि आदि चुका दी है, २१ दिन के अन्दर कम्पनी के पर्जीयित कार्यालय में अधिग्राचन, जिसमें मचालकों से अविलम्ब कम्पनी की साधारण समा बुलने की प्रारंभना की गयी थी, जमा वर दिया था ।

---

आयोजना के हस्ताक्षर

दिनांकित

सचिव को विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जो सभापति द्वारा समा मचालन के समय अनुग्रणीत होगा । अधिकेशन के होने मय सचिव को समा के बाद-विवाद को मावजानी से नोट करना चाहिए और बाद में इन्हीं की सहायता

से काय विवरण तैयार करना चाहिए जिमका रूप इस प्रकार हो सकता है—

दिनाव—को—दत पर्जीयित बायरिय म सम्पत हुई कम्पनी की सावारण सभा का काय विवरण।

(यहा उपस्थित उपस्थिति के जा स्वय या प्रतिपुर्षत उपस्थित हो, नाम दीजिए।)

सचायक मट्ट वे सभापति—————जो कम्पनी के अन्तर्नियम नया—————वे जनुमार समानति हाने वे हृदार थ, सभापति हुए।

१ विगत सभा वा काय विवरण पठित और पुष्ट हुआ।

२ सभा आयाजन की सूचना पठित मानी गयी।

३ निम्नलिखित मकल्य विशय मकल्य के रूप म प्रस्तावित तथा स्वीकृत हुए।

(१) निदिचन हुजा कि (यहा सम्पादित कार्य का उल्लेख कीजिए)।

(२) निदिचत हुजा कि (यहा सम्पादित कार्य का उल्लेख कीजिए)।

सभापति का घन्यवाद दत के उपरान्त सभा विस्त्रित हुई।

तिथि—————

सभापति

सभाओं की कार्यविधि (Procedure) तथा सचालन (Conduct)—  
सभाओं म अनुमतियाँ कार्यविधि का उल्लेख मापारणत कम्पनी के अन्तर्नियमों म रहता है। ऐविन बवाउनीय कृत्या को लत्तम करन या कम करन में निमित्त कम्पनी अधिनियम तथा धाराए १३१—१४५ सभाओं तथा मना में मन्ददृ विषया की विस्तृत व्यवस्था करती है। धारा १३१ विभी भी अधिकेशन के लिए (उम अधिकेशन का छोड़कर जिसमें प्रिय मकल्य स्वीकृत हान का है और जिसके लिए २८ दिनों की सूचना अनिवार्य है) पूर २१ दिनों की सूचना अनिवार्य ठहरानी है। हा, यदि सूचना पान के अधिकारी सभी सदस्य एक मन में सूचना का अविक कम करना चाहता बान दूसरों है। आकस्मिक घटनाओं को छान्कर, सूचना देन के सम्बन्ध म की गयी भूर या चूक के कारण अधिकेशन अवैध हो जाता है। यदि अधिकेशन में काई विशय कार्य सम्पादित हाने का है, तो सूचना म उन विशय कार्य का उल्लेख हाना चाहिए अन्यथा स्वीकृत प्रस्ताव अवैध हो जायगा। यदि एक बार उचित रात्या अधिकेशन लायाजित किया जा चुका हा ता सचालन उम विश्विन नहीं कर सकत।

गणपूर्ति (Quorum)—किसी सदस्यों की वह संख्या है जो किसी अधिकेशन म काय सम्पादित के लिए अनिवार्य है। अधिकारिया की रकमात्रा, क. गणपूर्ति, अप्रत्यक्ष, अल्टर्नेटिव, डॉलर, लिप्स्टिक, की, चार्टर, है, तथा गणपूर्ति कार्य मकल्य का अधिकेशन कर म उपस्थित हाना अनिवार्य है। यदि तालिका ए प्रमुख नहीं होता हा, तो जीर अन्तर्नियम इस सम्बन्ध म चर्च है तो वैसी म्यति म गणपूर्ति के लिए तोक कम्पनी का अवसरा म पाच तथा तीनी कम्पनी की व्यवस्था में दो सदस्यों का अधिकेशन रूप स उपस्थित हाना अनिवार्य है। विना गणपूर्ति के स्वीकृत

किया हुआ प्रस्ताव अवैध है, क्योंकि सभा ही वैमी हालत में अवैध है हा, मरि सभा के सभी मदस्य उपस्थित हो नो बात दूसरी है।

**मत तथा मतदान (Votes and Poll)—**यदि अन्तर्नियम अन्यथा व्यवस्था न करते हों तो अशाश्वारों को एक अज्ञ के लिए या साँ स्पर्धे के स्वन्धे के लिए एक मत प्राप्त है। जब कम्पनी की कोई अशा पूँजी न हा तब प्रत्येक मदस्य का एक मत हाता है। वहाँ व्यक्ति, जिसका नाम सदस्य पर्जी में सदस्य रूप में दर्ज है, मत देने का अधिकारी है। मतदान हाय दिवाकर अयवा मत पर द्वारा किया जा सकता है। व्यवहारक समाप्ति हाय प्रदर्शन करता है और प्रत्येक उपस्थित सदस्य एक मत का धारक नमका जाता है, चाहे उनके पास प्रति पुरुष (Proxy) ही क्यों न हो। लेकिन स्वयं या प्रति पुरुष के जरिए दाव उपस्थित व्यक्तिया द्वारा या सभा के समाप्ति द्वारा या किसी सदस्य द्वारा सदस्य समूह द्वारा, जो मताधिकारी निर्गमित पर्जी के दर्शवें हिस्से में कम का धारक न हो मतदान (Poll) को माग की जा सकता है। निजी-कम्पनी हो तो वैमी स्थिति में जटा जात में अधिक मदस्य उपस्थित न हो एक सदस्य और जटा मान से अधिक सदस्य उपस्थित हो, वहाँ दो सदस्य मतदान की माग कर सकते हैं। जब मतदान होता है, तब प्रत्येक सदस्य एक मत पर में सकल्प के पश्च या विषय में हस्ताक्षर करता है तथा प्रतिपुरुष गिना जाना है।

**प्रतिपुरुष द्वारा मतदान (Polling by Proxy)—**प्रतिपुरुष नियुक्ति-कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित प्रलेख है जिसमें दो जाने का टिकट लगा होता है, जिन पर हस्ताक्षर करके नियुक्ति-कर्ता कम्पनी की किसी सभा में किसी को अद्दने लिए मत देने का अधिकार प्रदान करता है। प्रति-पुरुष द्वारा मत देने का अधिकार कम्पनी अधिनियम की धारा १७६ द्वारा प्रदत्त है लेकिन अन्तर्नियमों में इस सम्बन्ध की प्रत्यक्ष व्यवस्था के जरिए मह अधिकार छोना जानकरा है। निजी कंपनी का सदस्य केवल एक प्रति-पुरुष नियुक्त कर सकता है। प्रति-पुरुष के हिस्सा नहीं ले सकता, केवल मत दे सकता है और वह भी तब ही जब मतदान हो। प्रति-पुरुष के मतदान करने में पहले उनमें प्रतिपुरुष अधिकार दानन लिया जा सकता है। जिस मदस्य ने प्रतिपुरुष नियुक्त किया है वह सभा में उपस्थित हो सकता है और मतदान कर सकता है। उनके द्वारा मतदान किये जाने पर प्रतिपुरुष द्वारा दिया हुआ मत रद्द कर दिया जायगा। प्रतिपुरुष जमा किये जाने के लिए नियोरित जबवि बीतने के पहले यदि उनी व्यक्ति ने दो प्रतिपुरुष जमा किये हैं, तो दूसरा प्रतिपुरुष माना जायगा और जब एक प्रतिपुरुष अवधि बीतने के पहले और दूसरा जबवि बीत जाने के पश्चात् जमा किया गया है तो पहला माना जायगा।

सचिव द्वारा प्राप्त सभी प्रतिपुरुषों की नचिव द्वारा सावधानी में जाव की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि सभी ममप रहने जमा किये गये हैं, सभी चर्चित रूपों द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुद्राकृत हैं तथा सभी प्रतिपुरुषों के नाम सदस्य पर्जी के नामों ने मिलते हैं। जो प्रतिपुरुष नियमानुसार नहीं है, उनका रद्द हो जाना अनि-

बायं है। अतएव प्रतिपुरुष की सूची निम्नलिखित रूप से तेशार वी जानी चाहिए।

प्राप्त प्रतिपुरुषों को सूची

प्रतिपुरुष धारकों के नाम के शीर्षक के नीचे अक्षरानुनम से व्यवस्थित

प्रतिपुरुष सद्व्या प्रतिपुरुष-	प्रतिपुरुष	सद्व्य पजी में पृष्ठ सद्व्या	मतों की विशेषविवरण	
धारी का नाम	नियुक्ति कर्ता सदस्य का नाम	धारक	नियुक्तिकर्ता	सद्व्या

अधिनियम उम बम्पनों को, जो अन्य बम्पनी की सदस्य है, यह शक्ति देना है कि वह विभी व्यक्ति को सभा म उपस्थित हाते का अधिकार दे और वह व्यक्ति बम्पनी की ओर से उन्ही अधिकारों का प्रयोग करे जिनका एक अशाधी बरता है। इस आशय का प्रस्ताव सचालको द्वारा स्वाकृत किया जा सकता है।

**सभापति (Chairman)** —सभापति बम्पनी की सभाओं का एक आवश्यक अवयव है और प्राय अन्तनियमों द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऐसिन यदि अन्तनियमों द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति हा तो प्रत्यक्ष सभा बपना सभापति चुननी है। सभापति सबैदा बम्पनों का एक सदस्य ही होता है। चूंकि सभापति सदस्यों द्वारा नियुक्ति किया जाता है, अत उसका यह अर्थ लगाया जाता है कि वे सदस्य, उसे उन्हे तथा अधिकेना को सचालित बरत के लिए कुछ शक्तिया देते हैं। सभापति को सावधान हाता चाहिए कि उम्ही नियुक्ति नियमावल हो तथा कि आयोजित सभा बैठ हा। उसे यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि सभा की बायेवाही बायं सूची के अनुसार हाती है, हा यदि सभा की बनुमति स बायं सूची परिवर्तित बर दी गई हो तो वात दूसरी है। उसे शान्ति कायन रखनों चाहिए तथा बायेवाही नियमित स्प से सचालित बरनी चाहिए और इस बात की निगरानी रखनी चाहिए कि सभा के सम्मुख उपस्थित प्रत्यक्ष ग्रन्थ पर सभा का अभियत नियित रीत से हो। उसे विभी भी निर्णय की अनुमति तब तब नही देनी चाहिए जब सब प्रत्येक प्रस्ताव (Motion) जयवा उपाति बयाविवि प्रस्तावित तथा अनुमोदित न हो जाए और न उसे अप्रासारित विवेचन की ही अनुमति देनी चाहिए।

अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हुए सभापति विभी भी अशाधारों को बोलने से मना कर सकता है और सभा को स्थगित भी बर सकता है। बिन्तु यदि सभापति सचाई नही बरता और उम समय मे सभा को समाप्ति बर देता है, यानी बायं सम्पादित हुए बिना सभा छोड जाता है तो उम स्थिति मे सभा दूसरा अध्यक्ष नियुक्त बर सकती है और कायं की आगे बढ़ा सकती है। पर्याप्त बादविवाद के उपरात

अध्येता को सभा के सम्मुख प्रस्तुत मर्क्षण या सशोषनो पर मत लेने का अधिकार है। यदि अन्तनियमां में तदनुकूल व्यवस्था हो तो सभापति को 'विवेचनात्मक मत' (Deliberative vote) के अतिरिक्त निर्णयात्मक मत (Casting Vote) भी प्राप्त होना है। निर्णयात्मक मत तभी दिया जा सकता है जब सभा के मत दो वरावर हिस्सों में विभाजित हो। विगत सभा का कार्य विवरण पठिन तथा पुष्ट होने पर अप्यभ कार्य सूची के अनुसार सङ्कल्प या उपपति करने वाले व्यक्ति का नाम पुकारता है। युआव वा स्वीकारात्मक (Affirmative) होना तथा विवेचन के दूर्व अनुमोदित होना अनिवार्य है। जब किनी प्रस्ताव (Motion) पर विवेचन हो जाता है तथा यह सङ्कल्प बन जाता है। सभी निर्णय मङ्कल्प के रूप में अभिव्यक्त किये जाते हैं।

**सङ्कल्प**—कम्पनी अधिनियम १९५६ में 'असाधारण सङ्कल्प' नाम के सङ्कल्पो को, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम १९१३ के अधीन होने ये, स्वत्म कर दिया गया है। जिन मामलों में पुराने अधिनियम के अनुसार असाधारण सङ्कल्प आवश्यक था उनमें से कुछ में नये अधिनियम के अनुसार विशेष सङ्कल्प आवश्यक है। नये अधिनियम ने एक नये प्रकार के सङ्कल्प जारी किये हैं जो विशेष सूचना अपेक्षित करने वाले सङ्कल्प कहलाते हैं। इस प्रकार, जब बृहत् सभा में जो सङ्कल्प पास विये जा सकते हैं वे हैं (क) सामारण सङ्कल्प, (ख) विशेष सङ्कल्प, और (ग) विशेष सूचना अपेक्षित करने वाले सङ्कल्प।

**सामारण सङ्कल्प (Ordinary Resolution)** उन मतदानाओं के सामारण बहुमत से अर्गीहृत होना है जो बृहत् सभा में स्वयं या प्रतिपुस्त के जरिए उभयनियन हो और जिन सभा की लिखित सूचना सदस्यों को २१ दिन पहले दी गयी हो। सामारा मङ्कल्प प्राप्त हाय उठाकर अर्गीहृत होना है, और यदि मतदान की मान की गई हो तो अधिवेशन में दिरे गये मनों की सामारण बहुमतस्था द्वारा यह अर्गीहृत होना है। लेन्वालों, लाभार्थी स्वीकृति आदि कार्यों से सम्बद्ध सामारण वार्ता के लिए सामारण सङ्कल्प वी आवश्यकता होती है। उन सभी अवस्थाओं में सामारण सङ्कल्प पर्याप्त होने हैं, जिनमें विविह के द्वारा अभिव्यक्त विशेष सङ्कल्प या विशेष सूचना अपेक्षित करने वाला सङ्कल्प अभेक्षित नहीं है।

वे अवस्थाएं जिनमें विशेष सङ्कल्प आवश्यक हैं—निम्नलिखित अवस्थाओं में विशेष सङ्कल्प आवश्यक है—

(१) कम्पनी के पर्यायिन कार्यालय को एक से दूसरे राज्य में परिवर्तित करना या उद्देश्य खण्ड को परिवर्तित करना। न्यायालय द्वारा पुष्ट भी आवश्यक है (धारा १७)।

(२) कम्पनी के नाम में परिवर्तन : बेन्द्रीय सरकार से अनुमोदन आवश्यक (धारा २१)।

(३) कम्पनी के अन्तनियमां में परिवर्तन (धारा ३१)।

(४) यह निश्चय कि पूजी का बोई हिस्सा, जो अब तक याचित नहीं हुआ है, याचिन नहीं किया जा सकता (धारा ११)।

(५) अब पूजी का घटाना वशते कि न्यायालय पुष्टि बरदे (धारा १००)।

(६) पंजीयित बार्याल्य एवं स्थान से दूसरे स्थान पर उ जाना (धारा १४६) में।

(७) धारा २०८ के अधीन सचित अब पूजी पर पूजी म में व्याज की अदायगी।

(८) कम्पनी द्वारा यह घोषणा कि इमर्झे मासला की जांच की जाए (धारा १३०)।

(९) विमी सचाल्क को देख पारिथमिक वा निर्वारण (धारा ३०९)।

(१०) सीमानियम म ऐसा परिवर्तन जा इसके सचालका, प्रबन्ध अभिकर्ताओं अचिवा और कायाव्याया या प्रबन्धक वा दायित्व अभीमित बरता हा (धारा ३१३)।

(११) पार प्रमाद या कुप्रबन्ध के लिए प्रबन्ध अभिकर्ताया को हटाना (धारा ३३१)।

(१२) प्रबन्ध अभिकर्ताया को बेन्डीय भरवार द्वारा अनुमोदित हाने पर शुद्ध राम के १० प्रतिशत स अतिरिक्त पारिथमिक।

(१३) प्रबन्ध अभिकर्ताया उसके साथी की भारत से बाहर विक्रय या क्रय अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति (धाराएँ ३५६-३५८)।

(१४) कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ताया उसके साथी के साथ, कम्पनी के लिये भारत से बाहर के स्थाना से काम लाने और विमी सम्पत्ति या सेवाओं की वित्री और सरीद के लिये या अदाया या क्रदण पत्रा के अभिगापन के लिये सविदा बरने के बास्ते (धाराएँ ३५७-३६०)।

(१५) उमी प्रबन्ध अभिकर्ता वे प्रबन्ध के अधीन एक कम्पनी द्वारा दूसरी का ऋण (धारा ३७०)।

(१६) प्रबन्ध अभिकर्ता को ऐसे बारवार में भाग लेने की अनुमति जो प्रबन्धित कम्पनी के बारवार वा प्रतिसंघर्षी है (धारा ३७५)।

(१७) विमी कम्पनी का स्वेच्छया समापन (धारा ८४)।

(१८) विमी कम्पनी का स्वेच्छया समापन पूरा हाने के बाद पुस्तकी और कागजा का दापत (disposal)।

विशेष मूच्चना अपेक्षित बरने वाला सबल्प—यह सबल्प तत्त्व पास किया जा सकता है जब कम्पनी का ऐसा सकल प्रस्तावित बरने के आधार की मूच्चना २८ दिन पहले दो दो गयी हा और कम्पनी ने अपने सदस्यों को सबल्प की २१ दिन की मूच्चना दे दी हा।

विमी मवल्प के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में विरोप मूच्चना अपेक्षित होगी— वार्षिक बृहत् सभा में निवृत्त हाने वारे बड़ेकाश के अतिरिक्त विमी व्यक्ति का अवेक्षक नियुक्त करने के लिये या यह उपबन्ध बरने के लिये कि निवृत्त होने वाला अवेक्षक तुरन्तियुक्त नहीं किया जाएगा (धारा २२५)।

(२) कुछ व्यक्तिमों को धारा २६१ में लिखित रीति से सचालक नियुक्त करने के लिये ।

(३) यह घोषणा करने के लिये कि ६५ वर्ष की आयु सीमा किसी विशिष्ट सचालक पर लागू नहीं होगी, (धारा २८१)

(४) किसी सचालक को उसके पद की अवधि व्यतीत होने से पहले हटाने के लिए (धारा २८४) ।

(५) कपनी द्वारा हटाये गये सचालक के स्थान पर बोई और सचालक नियुक्त करने के लिए (धारा २८४) ।

**विशेष मबल (Special Resolution )** वह मबल है जो मनाविकारी सदमों के तीन-बीयाई बहुमत से अंगीहत हो और ऐसे सदस्य स्वयं या प्रतिपुरुष के जरिए उम बूहत् समा में उपस्थित हैं जिसको सूचना विधिवत् २१ दिन पहले मदम्या को दो दो गवां हो और सूचना के साथ मबल्प वा विशेष मबल के रूप म प्रस्थापित करने का इरादा भी सूचित कर दिया गया हो । यदि १५ से १०० प्रतिशत तक मदस्य सहमत हों तो २१ दिनों से वर्ष की सूचना पर विशेष मबल स्वीकृत किया जा सकता है ।

इन तीन बोटि के मबलों के अनिरिक्त ऐसे भी मबल हैं जिनके लिए विशेष बोटि के बहुमतों की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, जब कम्पनी तथा उसके उत्तमों या उसके सदम्या के बीच समझौता या किसी प्रकार का प्रबन्ध प्रस्थापित हो तब । ऐसी स्थिति में व्यायालय उत्तमों या सदस्यों की (जैसी भी स्थिति हो) समा वरने की आज्ञा देगा । ऐसी समा में उनमों ( Creditors ) या मदस्यों वा, जो स्वयं उपस्थित हों या प्रतिपुरुष रूप में हों, मूल्य की दृष्टि से तीन-बीयाई बहुमत समझौते या प्रबन्ध से सहमत होना चाहिए और तब वह सभी पक्षों के लिए बाध्य होगा ।

विशेष मबल के विधिवत् अंगीहत होने के बाद १५ दिनों के भीतर इसकी एक प्रति पञ्चवार्ता के पहा जमा कर देना जनिवार्य है ।

**विशेष मबल के नस्तीकरण के प्रपत्र का नमूना**  
\_\_\_\_\_ कम्पनी क्रिमिटेड का  
विशेष मबल

कम्पनी अधिनियम १९५६

(दिनिए धारा १९२ (४)) ।

सहमत को विशेष मबल के रूप में प्रस्थापित होने के इरादे का उल्लेख  
वरने वाली सूचना भेजने की तिथि

अंगीहत ————— १९५ —————

नस्तीकरण मुल्क ३ रुपये ।

कपनी का नाम

नस्तीकरण के लिए प्रस्तुत वरने वाले का नाम —————

सेवा में,

पंजीकर्ता, सुधृक्त स्वत्व कम्पनी,—————

उन्न कम्पनी की एक बृहत् समा में जो—सोहेर के—

(स्थान में) १९५ ————— के————— महीने के—————वे

दिवस सम्पन्न हुई। निम्नलिखित विशेष संबल्प विधिवन् अंगोहृत हुआ।

निर्दिचत हुआ कि—————

हस्ताक्षर—

पद

(सचालक या प्रबन्धक या सचिव या अन्य जो भी हो वह लिखिए)

दिनांकित १९५ ————— के————— महीने के—————वा दिवस

**संशोधन (Amendments)**—संशोधन मूल प्रस्ताव में जो विचाराधीन है, सुधार है, जो नये शब्द जोड़ने, कुछ शब्द हटाने, अथवा किसी अन्य रूप से रूपमेंद के द्वारा किया जाता है। संशोधन मूल उपपत्ति से सम्बद्ध होना चाहिए। वह मूल सकलन के लिए भत की माग किये जाने से पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, वेवल नकारात्मक ही न होना चाहिए तथा मूलना के क्षेत्र के अन्तर्गत होना चाहिए। संशोधन वा संशोधन भी प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन साधारणतया व्यक्ति एक से विविक संशोधन नहीं प्रस्तुत कर सकता। संविधान अनुमति के बिना इसे वापिस नहीं लिया जा सकता। जब संशोधन अनेक हा तब ऐसो हालत में सभापति बताओ के क्रम का निर्णय वरेगा। जब संभापति वाद-विवाद के लिए उचित समय दे चुका है, तब वह प्रस्तुत किये गये संशोधन पर भत वी माग वरेगा। यदि इस पर बहुमत प्राप्त हुआ तो मूल प्रस्ताव में तदनुसार परिवर्तित किया जाएगा, और संशोधित प्रस्ताव तब (Revised Motion) मूल प्रस्ताव (Substantive Motion) हो जाता है।

**समाप्ति (Closure)**—वंश रूप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य को प्रस्ताव या संशोधन पर बोलने का अधिकार है लेकिन प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार है। जब सुझाव या संशोधन पर वाद-विवाद अनावश्यक रूप से लम्बा हो जाए तो कोई भी सदस्य इन शब्दों में समाप्ति की माग वर सकता है “अब प्रस्तुत पर भत लीजिए।” यदि यह प्रस्ताव अनुमोदित हो जाए तो सभापति प्रस्तुत पर भत वी माग वरता है और बहुमत प्राप्त हो जाने पर उन विवाद पर रोक लग जाती है। जब को उपपत्ति प्रस्तावित तथा अनुमोदित की जाती है लेकिन व्यापक हित की दृष्टि से इस पर विवेचना चाहनीय नहीं है, तब ऐसी स्थिति में कोई भी सदस्य इन शब्दों में “रोक प्रस्ताव” (Pre-EMPTION MOTION) प्रस्तुत कर सकता है: “जमीं यह प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत किया जाय।” जब यह अनुमोदित हो जाय तब अध्यक्ष इसे सभा में प्रस्तुत करता है, और तब इस पर वाद-विवाद हो सकता है। लेकिन इस पर कोई संशोधन नहीं आ सकता। इसे सब कार्यों से पहले निवारिया जाता है, या स्वीकृत हो जाए तो मूल प्रस्ताव सदा के लिए रह जाता है।

**अगला काम (Next Business)**—कभी कभी किसी प्रस्ताव पर निर्णय न होने देने के लिए चलन वाइ-विवाद को बीच मे ही छोड़ देना आवश्यक हो जा सकता है। वैमी हालत में इम असाध का एक सबस्त प्रस्तुत किया जा सकता है कि “सभा अब अगले प्रश्न पर विचार करती है।” यदि यह अनुमोदित हो गया तो यह विना किसी विवाद के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाना है, यदि स्वीकृत हो गया तो मूल प्रस्ताव पर विचार स्थान दिया जाता है और यदि अस्वीकृत हो गया तो वाइ-विवाद आगे आरम्भ हो जाता है।

**विलम्बन (Postponement)**—यदि चर्चा के दरम्यान यह प्रतीत हुआ कि प्रस्ताव पर उचित निर्णय के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो इन सभ्रों में विलम्बन प्रस्तुत किया जाना है “जब तक ————— न हो तब तब के लिए इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा विलम्बित की जाए।” यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो वाइ-विवाद विलम्बित कर दिया जाता है। यह ध्यान रहना चाहिए कि विलम्बन और स्थगन (Postponement and Adjournment) एक चीज़ नहीं हैं।

**स्थगन (Adjournment)**—सभा का स्थगन करने के लिए स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव का रूप यह हो सकता है कि “यह सभा अब स्थगित की जाए।” स्थगन मानवन्य प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि सभा वित्ती अवधि के लिए स्थगित की जानी है और किस नियम को स्थगित सभा पुनः बुलाया जावाना। साविविक सभा (Statutory Meeting) तो उपस्थित मदस्यों के बहुमत से स्थगित की जा सकती है, लेकिन अन्य सभाएं अन्तर्नियमी में तदनुकूल ध्यवस्था होने पर सभापति द्वारा स्थगित की जा सकती है।

कभी-कभी विनियम सदस्यों के अवश्यायुक्त आवरण के कारण चर्चा में अवरोध उपस्थित हो जाता है। सभापति ऐसे सदस्यों को चेतावनी दे सकता है, परन्तु यदि ऐसे सदस्य अपनी जिद पर कायम रहते तो सभापति उन्हें सभा छोड़ देने की आज्ञा दे सकता है और यदि कोई सदस्य बाहर जाने ने इनकार करते तो उसे बाहर निकला जा दे सकता है। अन्यवस्था दूर करने के लिए भी, सभापति कुछ समय के लिए सभा को स्थगित कर सकता है।

## अध्याय १२

### कार्यालय संगठन तथा प्रबंध

(Office Organisation and Management)

विसी भी व्यवसाय के जीवन में कार्यालय एवं महत्वपूर्ण विभाग हैं, और इसके उचित संगठन तथा प्रबंध के अव्ययन का शुभ परिणाम उनको मिलेगा जिनका व्यवसाय के दक्ष तथा मितव्ययी सचालन से सम्बन्ध है। यह वह केन्द्र है, जिसके इदं-गिरं व्यवसाय के प्रत्येक भाग से मूचनाएँ एवं वित्र होती हैं और इसके बाहर से भी उपयोगी जानकारिया उपलब्ध होती है। सभरण तथा ग्राहण, व्रय तथा विक्रय, आमद व संचय, तथा अन्य विषयों की, जिनमें व्यवसाय को दिलचस्पी है, मूचनाएँ कार्यालय में उत्पादन के निमित्त उपलब्ध होती हैं और जब आवश्यकता होती है, तब उनका उपयोग किया जाता है। तथ्यों तथा आवडों के दस बोधारार में वे मूचनाएँ निमृत होती हैं जिनके थल पर व्यवसाय नियन्त्रण के क्षेत्र में मुख्याधिकारी (Executives) कार्य वरते हैं। अत इस बात की निगरानी रखना कार्यालय प्रबन्धन का अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि कार्यालय पर्याप्त मूचनाओं में भरा हो, और वे मूचनाएँ सहमत्वदृढ़ तथा व्यवस्थित हों, ताकि मुख्याधिकारी को आवश्यक मूचनाएँ अविलम्ब उपलब्ध हों तथा उनकी परिशुद्धता (Accuracy) पर जरा भी सन्देह किये विना उन्हें दूसरी को दिया जा सके। अनिर्भरतोग्र व्यवसाय प्रबन्धन से प्राप्त किये गये परिणाम मदियम मूल्य के होने हैं, पर अच्छे कार्यालय प्रबन्ध में यह निश्चिन होता है कि प्रतिकेदत निर्भरतोग्र हैं और उनके बल पर निश्चिन होकर कार्य किया जा सकता है और ऐसा कार्यालय सही मार्ग-निर्देशन के लिए वह महत्वपूर्ण मिठ दृजा है।

आधुनिक कार्यालय व्यवसाय सम्बन्धन में अनुकूलकरण (Functionalisation) के सिद्धान्त के प्रयोग का परिणाम है, ताकि लोगों के बीच कार्य-विभाजन कार्यवर्ती (Worker) की विशेष क्षमता के अनुकूल कार्य के आधार पर हो। चूंकि संगठन उस समय तक कार्यशील नहीं होता, जब तक इसके लगभग सभी सदस्य कार्यरत न होए हों, अत कार्यालय का विभागीकरण उस प्रकार होता चाहिए कि व्यवसाय में प्रत्येक पहुँच को देखने के लिए लगभग स्वयं-चालित विभाग हो। लेकिन कर्तव्यों के अनुकूलता विभाजन (Functional Division) से पूरा लाभ उठाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि गव कार्य अपनी पूरी मात्रा में एक विन्दु पर विनियत वर दिये जायें ताकि उनका पर्याप्त उप-विभाजन तथा उत्पादन हो सके। लिपिक मेवाओं (Clerical Services) के अलग करने तथा उन्हें

एक केन्द्रिक विभाग में रखने का तात्पर्य यह है कि जब कोई अधिकारी कोई पत्र लिखना चाहता है, या सास्थिरीय रिपोर्ट (Statistical report) बनवाना चाहता है, अथवा कोई जन्य कार्य सम्पादित बरचाना चाहता है, तब वह कार्यालय से कहना और उने एक विसेपज मिल जाता है, जैसे टाइपिस्ट (काम्प्टोमीटर ऑपरेटर), (Comptometre operator), या वह डिक्टाफोन का व्यवहार करता है और अपनी चिट्ठियों को प्रतिलेखन विभाग (Transcribe department) में प्रनिलिखित (Transcribe) करवा लेता है। अभिलेखों (Records) के नस्ती बराने में भी केन्द्र का उपयोग होता है। इसका लायं पहुँच है कि कुछ अपानों को छोड़कर सारे लेख्य (Document) जिसी नियमी विभागीय नस्ती में नस्ती नहीं किये जाने, प्रायः उन केन्द्रीय नस्ती में किये जाते हैं। इस प्रणाली से अभिलेख बनाने, चिट्ठिया लिखने आदि भ सब कर्मचारियों की तथा बन्नुहत्यकरण तथा चलन की समरूपना निश्चिन्न रहती है। सम्भव विलम्ब के जोखिम ने बावजूद केन्द्रीकृत कार्यालय ने अपनी मित्रव्यविधिना प्रमाणित कर दी है तथा बड़े-बड़े व्यवसायों में इसका बहुत अधिक उपयोग होता है।

जिस कार्यक्षेत्र पर आपि स प्रबन्धक का निरीक्षण रहता है, वह विभिन्न कम्पनियों में बहुत कुछ अलग-अलग होता है, लेकिन सामान्य हप से उस पर कई परस्पर सबद्ध कामों को देखने का दायित्व होता है, जैसे कार्यालय का स्थान (Accommodation) तथा अभिन्यान, प्रकाश तथा बायु सचार कर्मचारी समुदाय (Staff) तथा उमड़ा चुनाव, कार्यालय अभिलेख तथा नैतिकी (Routine), शीघ्रलेखन (Stenography) तथा टाइप (Typing), डाक प्रेपण तथा नस्तीकरण (Mailing and filing) तथा कार्यालय उपकरण (Appliances)।

### कार्यालय में स्थान तथा उसका अभिन्यास

#### (Office accommodation and lay-out)

इसमें सन्देह करने को गुजारात नहीं कि लिपिक वर्ग (Clerical force) के कार्य पर अधिकतम नियन्त्रण तथा उसका अधिकतम उपयोग उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कार्यालय इस प्रकार स्थित, निर्मित तथा अभिन्यस्त न हो कि उससे अधिकतम दक्षता प्राप्त हो सके, और जब तक कर्मचारी वर्ग उचित रीति से सम्य न हो। पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के समय सर्वप्रथम इस बात पर विचार किया जाना है कि प्रत्येक लिपिक को पर्याप्त स्थान मिलना ही चाहिए ताकि वह जाराम से, विना इसी बाहरी या भीनरी बाधा के, काम कर सके। विभिन्न विभागों के बीच सम्बन्ध बनाये रखने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाना चाहिए। कार्यालय का सावारण अभिन्यास (General lay-out) ऐसा होना चाहिए कि वह, यदि भारताने (Works) हों तो, उनके साथ में लाए। इस प्रकार यह विभाग स्टोर के निकट होना चाहिए और वित्रय-विभाग निर्मित माल के गोदाम तथा प्रेपण विभाग के पास होना चाहिए; इसी

प्रकार अन्य विभागों के बीच भी सम्बन्ध होना चाहिए। भविष्य में विस्तार के लिए भी गुजाइश रख छोड़नी चाहिए। यह गुजाइश उपलब्ध स्थान के अनुसार होगी और विस्तार धैतिज (Horizontal) या शीर्ष (Vertical!) हो सकता है।

जब व्यवसाय छोटा हो तब सादारण कार्यालय के लिए एक बड़ा कमरा टीक होगा, चूंकि इससे निरीक्षण, प्रकाश तथा हवा सम्बन्धी व्यय में बचत होगी, लेकिन यदि व्यवसाय का आकार बड़ा होने के कारण विभिन्न विभागों के लिए अलग बमरों की आवश्यकता होती हो, तो वहाँ इनका प्रबन्ध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि एक दूसरे से सम्बद्ध विभाग एक दूसरे से सटे हों। सामान्यतः लिपिकों को कार्ये के अनुसार वर्गीकृत करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि बम में कम दूरी में वाम की धारा अवाघ रूप में प्रवाहित हो सके। आजकल विभिन्न विभागों वो अन्वे शीशे या लकड़ी की दीवार के जरिए एक दूसरे से अलग किया जाता है, ताकि निरीक्षण में सुविधा हो, तथा बर्म-चारी विभाग के विभिन्न सदस्यों की उपस्थिति का पना रहे। इन सामान्य नियमों के अलावा, व्यवसाय की अपनी विशेषताओं के अनुसार अभिन्यास का निर्णय किया जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यवसाय में, चाहे वह छोटा या बड़ा हो, रोकड़ विभाग चाहे, वह बाहर से खुला ही क्यों न हो, अन्य विभागों ने अलग होना चाहिए। लेखा-विभाग, डारेखन, (Drawing Department) कार्यालय, स्पाइल बक्स (Designing Room), कलाकार विभाग, ये सब प्रधान कार्यालय से अलग होने चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो सके, वे सब विभाग जितभ यानिक उपकरणों जैसे टाइपराइटर, हिसाब लगाने तथा नक्कल बरने की मशीन, का वाम होता है, एक साथ होने चाहिए तथा जहाँ तक सुविधाजनक हो, महत्वपूर्ण अधिकारियों के बक्स से ये दूर ही होने चाहिए। अधिकारियों को नियमित रूप से मुलाकातियों से मिलना पड़ता है। उनके बमरे जहाँ तक सम्भव हो सके, मुख्य द्वार से निकटतम होने चाहिए।

कार्यालय में हवा का उचित प्रबन्ध होना चाहिए और प्रत्येक लिपिक को उचित रोदनी मिलनी चाहिए, जो यदि उसके द्वारा तरफ में आकर उसके काम पर गिरे तो अच्छा हो। कृतिम प्रकाश का लगातार व्यवहार, जहाँ तक हो सके, न होना चाहिए, चूंकि थान्टि (Fatigue) का यह एक बहुत बड़ा कारण है। दिलिङ्ग ऊँची होनी चाहिए और दीवालों पर हल्के रंग का चूना या फिल्टर पुता होना चाहिए। वाय का सचार लिडकियों में अग्राह हृषि से होना चाहिए और इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि उचित ताप तथा नमी की मात्रा सब स्थानों पर पर्याप्त पहुँच सके। जहाँ कृतिम प्रकाश जावश्यक हो वहाँ पर्याप्त रोशनी के निम्नलिखित नियमों का पालन होना चाहिए —

(क) पर्याप्त मात्रा, (ख) उचित वितरण तथा प्रसार (Diffusion),  
 (ग) चक्रांतीध का न होना, (घ) घट-बढ़ का न होना, (च) हानिप्रद अदृश्य विकिरण (Radiation) का अभाव।

## कार्यालय उपस्कर तथा सज्जा

### (Office Furniture and Equipment)

जिन प्रकार अभिन्नात (Lay-out) हवा और रोशनी लिपिच वर्ग के स्वास्थ्य और क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रकाश ढालते हैं, उनी प्रकार कार्यालय के उपस्कर तथा कर्मचारी-वर्ग के कल्याण के बीच गहरा मन्दन्व है। मुख्यत इम कारण से तथा कार्यालय के बाह्य स्पष्ट के सातिर तथा लागत पर नियन्त्रण रखने को दृष्टि से भी कार्यालय उपस्कर मावगानों से विकार करके चुनने को चौज है। मोटे तौर से किनी भी कार्यालय के लिए नीन प्रकार के उपस्कर की आवश्यकता हानी है —

(१) कार्यपाल उपस्कर (Executive Furniture)

(२) विशेष प्रयोगन उपस्कर (Special purpose Furniture)

(३) लिपिकीय उपस्कर (Clerical Furniture)

इनमें लिपिकीय उपस्कर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका सम्बन्ध बहुत व्यक्तियों में रहता है, तथा ये नियमित तथा खनन रूप से काम में आते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में इन पर कम ध्यान दिया जाता है।

कार्यालय फर्नीचर (उपस्कर) के नूनाव में नियमिति बातों पर ध्यान देना चाहिए —

(१) कार्यपाल फर्नीचर, जो अनिवार्यत अच्छे किस्म के होते हैं, अच्छे महत्वपूर्ण नियंत्री कार्यालयों में व्यवहृत किये जाने चाहिए। एकता (Unity) तथा मेल (Harmony) बनाये रखने के लिए कार्यपाल फर्नीचर का क्य एक केन्द्रीय अभिन्नात द्वारा करना चाहए। इम प्रकार के फर्नीचर के क्य में व्यापक स्वीकृत मारकार तथा सगड़न की प्रक्रिया नियंत्रित होगी और अन्त में इसकी अनियम स्वीकृति दे कार्यपाल करेंगे जिन्हें वह फर्नीचर इस्तमाल करना है।

(२) विशेष प्रयोगन फर्नीचर—जैसे, स्वागत कक्ष के लिए, मोजन कक्ष के लिए, विश्राम तथा बनांखन कक्ष के लिए, पुस्तकालय तथा ओपेंवाल्य कक्ष के लिए—पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(३) कार्यालय तथा दिशेप प्रयोगन फर्नीचर के विपरीत, जिसके चुनाव में बाह्य-स्पष्ट का अधिक महत्व है, लिपिकीय फर्नीचर का नियंत्रण मुख्यत इसके उपयोगिता सम्बन्धी गुणों में होना चाहिए, लेकिन बाह्य स्पष्ट का ध्यान विस्कूल छोड़ नहीं देना चाहिए।

(४) लिपिकीय फर्नीचर मापान, स्पाला (Finish), ऊंचाई, लाकर और बाह्य स्पष्ट की दृष्टि से प्रमाणित (Standardised) होना चाहिए। लिपिकीय फर्नीचर के अनियंत्रित मुख्यत ईस्ट, मेज, स्थायी फेंटिकार्न (Filing Cabinets) जनमारिस (Cupboards), स्ट्रह फेंटिकार्न (Storage Cabinets) नियंत्रिया (Safes) तथा तिबारदार फेंटिकार्न, दराव (Shelving) तथा

लॉकर (Lockers) होते हैं।

(५) लिपिको के लिए आमने-सामने के (Face-to face) डैस्ट चित्र नहीं। इसके दो बारण हैं—एक तो स्वास्थ्य, और दूसरे इससे बातचीत को बढ़ावा मिलता है।

(६) जहाँ तक सम्भव हो, मेज और डैस्ट में कागज या लेस्य रखने के लिए दराज नहीं होनी चाहिए।

(७) बड़ी-बड़ी लेख वहिया के लिए छलावदार डैस्ट सबसे अधिक सुविधा-जनक होते हैं। छलावदार डैस्ट वहाँ भी बहुत सुविधाजनक होनी है जहाँ बहुत अधिक पठन होता है और चौड़े सिरे वाले डैस्ट में टेबुल साधारण लिपिकीय प्रयोजनों के लिए जिनमें मशीनों का उपयोग न होता हो, व्यवहृत किये जा सकते हैं।

(८) शीघ्रप्रेतन (Stenographic) डैस्ट इन तीनों में किसी भी प्रकार के ही सबने हैं, ठोस सिरा, अथवा सचिवीय (Secretariat) या गिरा फीप (Drophead) पहला प्रकार टाइप कार्य में, जिसमें लिपिकीय कार्य हो, उपयोगी है, दूसरा सचिवीय कार्य में जिसमें टाइप भी आता हो, उपयोगी है और तीसरा निरन्तर कार्य के लिए उपयोगी है।

(९) मितव्ययिता के साथ-साथ कर्नीचर के चुनाव में चार तत्वों का हमेशा व्यान रखना चाहिए वनुकूलनीयता (Adaptability) साइर्पी (Simplicity), दिक्षाङ्कन (Durability) तथा मुश्कि (Good taste)। लेखन सामग्री तथा प्रपत्र (Stationery and Forms)—

लेखन सामग्री तथा प्रपत्र भारत में अभी तक आवश्यक वुराई (Necessary evil) समझे जाते हैं हालांकि पश्चिमी देशों में प्रवन्धवती उत्तरोत्तर अनुभव करने स्थग्न हैं कि ये सरलीकरण, द्रुतवरण (Speed), ग्राहकों पर अच्छा प्रभाव डालने तथा कार्य नियन्त्रण करने और उसके द्वारा लागत कम करने का एक सफल जीजार है। जिस लेखन सामग्री को व्यवसाय गृह से बाहर जाना है उसे अवश्य ही लच्छी विस्म तथा सर्वोत्कृष्ट छपाई का होना चाहिए। यदि प्रपत्रों को साफ़ औदार के रूप में व्यवहृत करना है तो वे स्थापित उद्द्यय की पूर्ति के दृष्टिकोण में उचित रीत्या व्यापकित होने चाहिए, जिसमें उनमें कम से कम मैहनत पड़े, तथा सर्वाधिक मितव्ययितागूर्ण (सस्ती नहीं) सामग्री लगानी चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो, उनमें स्लिप या लकीर तथा प्रपत्र का प्रस्तुत प्रमाणित होने चाहिए। प्रपत्रों के अकार कागज के स्टार्क साइज के अनुकूल होने चाहिए। प्रपत्रों के लिए साधारण तथा मैनिला वड, लेजर, इडैक्स, टिशू और विशेष प्रबार के कागज जैसे मिमियोग्राफ, व्यवहृत किये जाते हैं। किस प्रबार का कागज व्यवहृत होगा, यह उसके उपयोग पर निर्भर है, उदाहरणतया, पसिल रिवाडिंग के लिए मैनिला कागज पर्याप्त है। एक तरफ रिकार्डिंग के लिए बौड कागज व्यवहृत किये जा सकते हैं, दो तरफ इस्तेमाल के लिए तथा लिसावट मिटाने के गुणों के लिए तथा लेजर कागज आवश्यक है। आकार की

समस्तों के मिदान का अनुमरण मैंनी पत्रों, कीमत सूचियों तथा गश्ती पत्रों आदि के लिए आदेश देने मम प्रकार करना चाहिए, जोकि इसमें न केवल प्रेषण में सुविधा होनी है, बर्ताकि उनीं प्रकार के लियाके सभी कामों के लिए व्यवहृत किये जा सकते हैं, बल्कि नयी करने में भी आमानी होनी है। 'विन्टो एन्वेलाप्स' के बढ़ते हुए व्यवहार के बारें इस बात की महता और भी बढ़ जाती है।

### कर्मचारी दर्गा तथा उम्मत चुनाव (Staff and its Selection)

कार्यालय के कर्मचारों को दो सामान्य थेगियों में विभाजित किया जा सकता है—  
(ए) जिनके लिए कुछ कामों की प्रवीणता की आवश्यकता होती है, जैसे टाइपलेस्टर, टाइपिंग (Typewriting), बहु लेखन, बाड़ि, और (दो) वे कार्य जिनके लिए शीघ्रतागूचं सीखने की योग्यता की आवश्यकता होती है, तथा उनके कामों के अनुकूल अपने को बनाने की आवश्यकता होती है, जिनमें परिमुद्रन, चाल, निर्णय या कुछ विशेष अभियोग्यता (Aptitude) की जरूरत होती है। जनाएँ कर्मचारी वर्ग के विभिन्न मदस्या के लिए आवश्यक योग्यताएँ उनके कार्य की प्रकृति पर निर्भर हैं। ऐसे चुनाव के लिए व्यवहृत विभिन्न प्रकार की परम्परा (Test)—प्रवीणता (Proficiency) परम्परा और टाइपिंग परम्परा, अप्रलेसन या वही लेखन परम्परा तथा क्षमता परम्परा, जिसमें सामान्य अनुकूल्यनायता परम्परा विशेष परम्परा मिलती है—होती है। परीक्षागत दोषताओं (Examination qualifications) पर हमेशा विचार किया जाता है। लेकिन व्यवहार में कार्यालय कर्मचारी वर्ग के लिए भरती हमेशा सर्वोन्म सामग्री में नहीं की जाती। फिर उचित पद-नियन्त्रण या पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नये लिपियों को ही नियुक्त करना तो दूर की बात है, कार्यालय लोग प्राप्त यह नहीं सोचते विद्युत कल्पना विकास में भी इसी विशेष क्षमियों की कार्य की आदतों के विकास की कुछ आवश्यकता है या उम्मते कुछ फायदा है।

सामान्यतः इसी भी अन्य विभाग में कार्यकर्ता के प्रति इतनी उपेक्षा नहीं बर्ताई जाती, या काम इतना एकरमा (Stereotyped) नहीं होता, जिनका विभाग मामारण कार्यालय में। प्राप्त वर्षों तक एक ही पिटी-पिटाई लीक पर कार्यालय का नियन्त्रण होता है। जैसे-जैसे कामों के परिमाण में बढ़ जाती है, वैसे-वैसे कार्यालय का व्यापार बढ़ता जाता है। विक्री बढ़ने का परिणाम यह होता है कि एक और लिपियों रूप लिया जाए और स्कूल या कॉलेज में नियुक्त हुए नये लड़के आफिस में भर्ती किये जाते हैं और इस प्रकार आफिस का कलेक्टर बढ़ता जाता है। इस प्रकार आफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में जिसनी बढ़ जाती जाती है, दामता में उन्होंनी ही गिरावट होती जाती है। इसमें भी बुरी बात यह होती है कि आगनुक को काम या अपने-अपने महत्वपूर्णों में परिचय कराये दिया जाये कार्य पर लगा दिया जाता है,

और जब वह देनिक कार्यों को सीखता हुआ गलतिया करता है तब शिक्षा प्रणाली को दोष दिया जाता है। एक आफिस में जो कुछ होता है, उसकी तस्वीर इस प्रकार है— (बशर्ते कि आगन्तुक किसी सास आदमी का काई सास आदमी न हो) एक लिपिक एक नये और विचित्र बातावरण में लाया जाता है, और उसे एक डैस्क पर एक जगह मिलती है, और एक विलुप्त अपरिचित व्यक्ति द्वारा उसे थाने प्रकार के बाद बरने को दिये जाते हैं। स्वभावत उसका विभ्रम (Confusion) वह जानी है। वह बुरी तरह से आत्मचेत (Self-conscious) हो जाता है और सास तौर से उम समय जब वह अपने पथ-प्रदर्शन में ज्यादा शिक्षित होता है और ऐसी बान प्राय हाती भी है।

उमे कभी कोई काम समझा दिया जाता है, क्योंकि उसके पथ-प्रदर्शन ने स्वयं भी जो काम सीखा है वह किसी प्रगतिशील के जरिए नहीं, बल्कि लिखते-काटते ही सीखा है, और न पथ-प्रदर्शन की कोई शैक्षिक पृष्ठभूमि है जो वह काम की विधिवत् व्याख्या कर सके। और तब होता यह है कि बैचारे लिपिक पर सारे काम का दायित्व अंकित जाता है, और वह कहीं गयी बातों को याद करने की चेष्टा करता है, लेकिन उमे सफलता नहीं मिलती और कुछ समय तक मानसिक अन्धेर-टटोल के बाद वह काम को पुरा करने का साहम बटोरता है। स्वभावत वह गलतिया करता है, और वहुतेरी गलतिया करता है, और उमकी पहली गलतिया पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी गलतिया देख ली जाती है और तब उमे वरखास्तरी की घमकी दी जाती है, जो घमकी और अधिकाधिक विभ्रान्त कर देती है। यदि वह उतनी ही गलतिया करता है जितनी प्रत्येक बारम्भ-वर्ती के लिए अनिवार्य है तो उमे प्रशिक्षित धरार दिया जाता है, लेकिन यदि उमकी गलतियों की मस्त्या वड जाती है तो उमे अबोग्य धरार दिया जाता और काम से हटा दिया जाता है।

यह विल्कुल निश्चित बात है कि यदि लिपिक वर्ग के लोग अपने काम का तथा कार्यप्रणाली को समझ ले, तो वे ज्यादा अच्छा काम करने में समर्थ हो सकेंगे। यह याद रखना चाहिए कि औपन तरीके से काम करने तथा सर्वोऽनुष्टुप्त तरीके से काम करने के परिणामों के बीच जा अन्तर होता है, वह आश्चर्यजनक होता है। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि अनुभवी लिपिक भी स्वभावत सर्वोऽनुष्टुप्त विधि का नहीं अपनाते, बरना वे पर्यवेक्षण में ही सर्वोऽनुष्टुप्त विधि के बारे में भीख भवते हैं। अत यह आवश्यक है कि लिपिकों को प्रशिक्षित करने में निम्नलिखित बाने पर ध्यान दिया जाए—

१. जिस कार्य का वस्तुत सम्पादन होता है, उसके सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह समझा देना चाहिए, ताकि उन्हें निम्नांकित बानों की अच्छी जानकारी हो जाय।

(क) कार्य का प्रयोजन।

(ख) उमके कार्य का बन्ध कार्यों में सम्बन्ध,

- (ग) कार्य सम्बन्धी विभिन्न विवरणों का आपेक्षिक महत्व, तथा
- (घ) कार्य करने की विधि ।

२. कार्य तथा कार्यस्थान की सर्वोत्तम व्यवस्था के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि प्रत्येक कार्य का सावधानी से अध्ययन किया जाय तो यह एता लगेगा कि कार्य तथा कार्यस्थान की व्यवस्था बरने को एक ही सर्वोत्तम विधि है और वह विधि अन्य विधियों से कही ज्यादा अच्छी है।

३. इसके बाद सर्वथेष्ठ गतियों का स्थान आता है, जिनका पता सम्पादित होने वाले काम का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने, आवश्यक गति की प्रकृति तथा यक्षावट की प्रकृति आदि बातों से लगेगा।

४. इसके बाद चाल (Speed) की प्रमाप दर पर गति की ठीक नियमितता के बारे में बताया जाना चाहिए।

५. जब चौथी बात के बारे में शिक्षा दी जा रही हो, तब चाल की आदत पेंदा करनी चाहिए, क्योंकि चाल आदत ही है।

६. उपर्युक्त ४ और ६ की शिक्षा के माय शुद्धता का स्थाल रखना जरूरी है, लेकिन इसका पूरा विकास उस समय होगा जब चाल की प्रमाप दर पर ठीक अनुक्रम से ठीक गतियों की आदत डाली गयी हो।

यह नहीं माना जा सकता और न मानना ही चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आकिम में, जिसमें प्रारम्भिक अध्ययन तथा कार्य विधियों का विश्लेषण नहीं हुआ, अपना प्रशिक्षण हठात् आरम्भ कर सकता है, क्योंकि इसके अभाव में प्रशिक्षण एक ठोम खोज हो जायगा और उस थार्फिस म जो स्थिति है उसको बनाये रखेगा, अथवा दूसरे शब्दों में उन्नयन का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। गेट के शब्दों म, प्रायिक विधिया प्राय गलत होती है ("The usual methods are-usually wrong") लेकिन वह कार्यालय प्रबन्धक बहुत न्यून बचत कर सकता है जो सबसे पहले गलत विधियों को ठीक कर देता है।

नियमिति का कार्य करने वाली किसी भी पर्याप्त बड़ी कम्पनी में कर्मचारी वर्ग में निम्नलिखित में से कुछ या सभी पदस्थ हो सकते हैं—

प्रबन्ध अभिकर्ता, अथवा प्रबन्ध सचालन तथा अथवा महाप्रबन्धक जो व्यवसाय का सक्रिय प्रधान है।

सचिव के बारे में जो व्यवसाय सचालन के लिए सभी अवश्यक हैं ताकि जोपनारिकताओं की पूर्ति करना है, तथा मन्त्रिमय कर्तव्यों का समाप्ति करता है, विवेचन किया जा चुका है। दोनों व्यवसाय में मन्त्रिमय साधारणत आफिम प्रबन्धक का भी कार्य करता है और वह कर्मचारी वर्ग के बीच अनुशासन तथा निपिक्षीय कार्य के नियन्त्रण के लिये भी दायी होना है। वह व्यवसाय में उसके कार्यालय के जनरल बहुतेरे महायक विभाग हो सकते हैं, प्राचार विभाग (Correspondence Department),

दाक विभाग (Mailing Department) तथा पंजीकर्ता का विभाग सम्मिलित है।

**लेखापाल (Accountant)**—लेखा बहियों के तैयार किये जाने तथा प्रबन्ध सचालक के सचिव हारा अपेक्षित वित्तीय विवरण के तैयार किये जाने के लिए जिम्मेवार है।

**रोबकाल या रोबडिया (Cashier)** रोबड बटी रखता है तथा शुद्धेन्द्रिय का भुगतान करता और देता है। वह बैंक लेखे परिचालित किये जाने के लिए भी दायी है।

वित्रय प्रबन्धक को यह देखना पड़ता है कि कार्म के मालों की विक्री शुद्ध हो जाए तथा उसके लिए उचित कीमत मिले। उसे ग्राहकों की ईमानदारी तथा उनकी भुगतान क्षमता के बारे में निर्णय करने समय प्रत्यय लिपिक (Credit Clerk) से प्राप्त काम पड़ता है, तथा आवश्यकतावाद उसे अनिवार्य आदेश (आर्टर) तथा प्रेषण लिपिक तथा पर्यटक विवेताओं पर नियन्त्रण रखना पड़ता है। लेविन विज्ञापन विभाग रिल्युल अलग से सचालित विधा जाता है।

परिवहन प्रबन्धक का कार्य है सर्वाधिक लाभप्रद रीति से थल, जल या नभ द्वारा मालों के परिवहन की व्यवस्था बरता।

प्रचार प्रबन्धक या विज्ञापन प्रबन्धक कर्म की प्रचार प्रणाली के सब पहलुओं की देख-रेख बरता है। कर्मचारी-वर्ग प्रबन्धक (Staff Manager) कर्मचारी-वर्ग में सम्बद्ध सभी विषयों, यथा नियुक्ति, भजदूरी, अनुशासन, काम की अवस्थाओं, कार्य विभाजन, तथा बरकास्तगी से सम्बद्ध होता है।

**प्रपञ्ची लिपिक (Ledger Clerk)** तथा रोजनामचा लिपिक (Day Book Clerk) प्रपञ्ची (साता) तथा रोजनामचा तैयार करने हैं तथा बीज़-लिपिक बीज़ तथा विवरण तैयार करने तथा उन्हें बाहर भेजने के लिए दायी हैं। प्रत्यय लिपिकों को श्यवसाय के ग्राहकों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, तथा उनकी भुगतान सम्बन्धी क्षमता तथा तत्परता की भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है।

प्रधान लिपिक शार्यालय प्रबन्धक का मुख्य सहायक होता है और वह सभूज पत्राचार, नस्तीकरण तथा अभिलेख (Record) पर नियन्त्रण रखता है और प्राप्त वह टाइपिस्टो (Typist) तथा शिप्रलेखरों (Stenographer) के कार्यों का निरीक्षण भी करता है। पत्राचार कर्ता, जो कभी कभी शिप्रलेखका में में चुने जाते हैं, अच्छे-अच्छे पत्र लिखने अथवा लिखाने की योग्यता के कारण चुने जाते हैं।

प्रेषण लिपिक कर्मचारी वर्ग के वे सदस्य होते हैं, जो उर्ध्वक्ष श्रेष्ठ विभाग के कार्यों का समादान करते हैं। नस्ती लिपिक, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, पत्रों तथा अन्य लेखों के नस्तीकरण का कार्य करते हैं। वे कभी कभी अभिलेख रक्क (Record Keepers) कहलाते हैं। आदेश लिपिक (Order Clerk) कर्म की भेजे गये आदेश प्राप्त करते हैं, उनका वर्गीकरण करते, सम्बन्धित विभागों

को जटिल की पूति के लिए उचित हिदायतें देने हैं और प्रेषण अधिक (Despatch Clerk) माल प्रेषण के सम्बन्ध में भी दफ्तरी कार्य निपटाने हैं। वे इस बात की निगरानी रखते हैं कि माल बदाइ तथा प्रेषण के सम्बन्ध में गोदाम को उचित निवेश प्रेषिन विया जाय, आवश्यक प्रेषण पत्र (Despatch Note) भेजा जाय तथा दौड़वाल विभाग का माल प्रेषण सम्बन्धी मूचना भेजी जाए।

**कार्यालय अभिलेख तथा नैतिकी—कार्यालय प्रबन्धक के लिए दिन के कार्यों की योजना दनाना आवश्यक है। बहुत से लाग अपने कार्यों की लिखित मूची बना लेना सामाजिक समझते हैं। नामांकन ऐसी मूची में तीन चीजों का समावेश आवश्यक है नैतिकी (Routine), नियन भट्ट, तथा व्याधान (Interruption) हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति के गिए दैनिक मूची का पूर्ण पालन सम्भव न हो, फिर भी कायफ़ कर वह विधि है, जो लाल लाना चाहिए। नियमन, प्रबन्धक का दैनिक कार्य पिछले दिन के दार्ढी कार्यों की पूति से शुरू होता। इसके पश्चात् बाहर से आने वाली रोजाना दार पर वह व्याधान देगा। प्रथेक पत्र पर वह उम विभाग (Section) अथवा उस व्यक्ति का नाम लिख देगा जो उसमें सम्बद्ध है ताकि प्राप्तान्वित (Received) किये जाने पर यह उसके पास भेजा जा सके। जिन पत्रों के जरिये रूपये आने हैं उनमें 'रानि प्राप्त' ('Account Received') लिख दिया जाता है। बाहरी दुनिया में पत्राचार होने के अतिरिक्त बड़े कार्यालयों में आन्तरिक डाइ (Internal Mail) की भी एक प्रणाली होती है। इस उद्देश के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हैंस्ट पर एक भीतरी टोकरी (Inward Tray) तथा एक बाहरी टोकरी (Outward Tray) होती है। चपराई बाहर से लेखा को प्रतिक्रिया करना है और उन्हें सम्बन्धित भीतरी टाइप में रख देना है।**

बाहरी पत्राचार के गिए बड़ी सावधानी दी आवश्यकता होती है, क्योंकि पत्रों में चुनूराद (Tact) तथा स्वर (Tone) जैसे आवश्यक तत्व का समावेश आवश्यक है, ताकि प्रत्येक पत्र विकल्प पत्र की सफलता प्राप्त कर सके। कभी-कभी पुराने डग (Stereotyped) के उत्तर में समय तथा पैमाने की बचत होती है, बहुत ही बहुत भी बाहर न हो जाय। ऐसा भी होता है कि नैतिकी विषय प्रबन्ध सदन में किये जाने हैं और बाहर से जाने वाले पत्रों के जवाब में प्रामाणिक सदर्भ पर चिन्ह लगा दिया जाता है। जो पत्राचार अभी समाप्त नहीं हुए हैं, उन्हें 'स्पेशल फाइल' में रखा जाना चाहिए। इस बार्फ के लिए एक छोटा शीघ्र पाठ्य पदार्थ योग्य है। जब पत्राचार पूर्ण हो जाता है तब उसकी प्रक्रिया और प्राप्त उत्तर की मिसाल से भेज देता चाहिए। बाहर जाने वाले पत्र की सम्बन्धित विभाग डाइ डाइ में भेजे जाने के गिए प्रेषण अधिक के पास भेज देना चाहिए। सभी जन्म में सम्बन्ध डाइ भेजी जानी चाहिए। इसमें अफारा तथा डिक्टा की बचत होती है और डाइ पर या डाइ बाक्स तक बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब पत्रों के माध्य अच्छी भेजी जाएं, तब पत्र के नीचे कार्यों और तद्रिप्रदर्श टिप्पणी दे देनी चाहिए। पारदर्शक (Transparent)

कथा सिंडकीटार लिफाफे (Window Envelop) इन दिनों बहुत अधिक चलन में आ गये हैं, यदोंकि उनसे समय की बचत होती और चिट्ठी गलत लिफाफे में न पड़ जाय इस बात की निगरानी भी हो जाती है।

**नस्तीकरण (Filing)** — नस्तीकरण को प्राय जितनी महत्ता दी जानी चाहिए, उतनी नहीं दी जाती। ऐसा शायद इमलिए होता है कि प्रत्येक कार्यालय में किसी न किसी प्रकार की नस्ती प्रणाली व्यवहार में है और कार्यालय सतत न्यवहार के कारण इसकी चुटियों से इतना अधिक परिचित हो जाता है कि उसका शायद ही खयाल आता हो। प्राय यह देखा जाता है कि अधिकार कार्यालय फाइलिंग की अवैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हैं, और उस विधि में कभी-भी इतनी गडबड़ी होती है कि गडी सूचनाओं को दूढ़ने में बापी समय की बरबादी होती है। बत इस समस्या के निराकरण के लिए भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग उतना ही आवश्यक है जितना कि और समस्याओं के लिए। लेकिन इसमें पहले कि फाइलिंग की कोई विधि अपनाई जाय, तोति विषयक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न वा उत्तर दूढ़ निकालना होगा। यह निश्चित बरना होगा कि वैन्ड्रीय फाइलिंग विधि अपनाई जानी चाहिए कि नहीं और चाहिए तो दिस हृद तक।

फाइलिंग का वैन्ड्रीवरण दो प्रकार में हो सकता है— (१) फाइलिंग विधियों तथा सामग्रियों पर नियन्त्रण व प्राधिकार का वैन्ड्रीभूत कर दिया जाता है। ऐसिन फाइल प्रत्येक विभाग में ही रखे जाने हैं और उनका नस्तीकरण फाइलिंग विभाग में किया जाता है, अथवा (२) फाइलों का नियन्त्रण, प्राधिकार तथा स्थान तीनों एवं जगह पर वैन्ड्रीभूत कर दिये जाते हैं। सभी फाइलिंग सामग्रियों को वैन्ड्रीय फाइलिंग विभाग को भेज दिया जाता है। फाइलिंग का मतलब है प्रत्रों, बागांजों तथा लेह्यों को सरक्षित रखना ताकि जब उनकी आवश्यकता हो तब से आमानी से दूड़ निकाले जाएं, अतएव किसी सामग्री के नत्यों किये जाने के पहले दो चीजों वा निर्धारण होना चाहिए। (क) क्या अमुक सामग्री को नत्यों किया जाय, और यदि हा (क) तो किन दिनों तक? जो सामग्री नत्यों की जाने वाली है उसको विश्लेषित करने की अपेक्षा नत्यों की गयी सामग्री को एक दूसरे से अलग तथा विश्लेषित करना चाहिए। नत्यों की अवधि विभिन्न घटकों पर निभंर करती है। प्रथम घटक है वैज्ञानिक आवश्यकता, यथा सीमावरण अधिनियम (Limitation Act) तथा वही व लेख संक्षणी कम्पनी विधि विनियम (Company Law Regulation)। इनमें फाइलिंग आवश्यकता वा न्यूनतम आवार निर्धारित करने में सहायता मिलती। दूसरा घटक है दूसरी नकल की सुलभता। यदि एक से अधिक नकल उपलब्ध है, तो कार्य हो जाने के बाद ऑटोरिक्ट नक्लों हटा दी जायेगी। तीसरी बान यह है कि नत्यों की जाने वाली सामग्री की दो कोटियां की जानी चाहिए; (क) वे सामग्रिया जिनका वैबल कम्पनी में सम्बन्ध है, और (ख) वे सामग्रिया जिनका वाट्री व्यक्तियों से सम्बन्ध है। रोज़-मर्झ का अन्तविभागीय तथा अन्त-प्रणिलीय (Inter-company) पत्राचार

भविष्यत् प्रसग की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखना। कुछ कमनिमा ९० दिवम दराज़ प्राप्ति का अनुसरण करती है जिसके लिए फाइलिंग अलमारी में एक दराज अलग कर दी जाती है, जिसमें नैतिक (हिटीन) महत्वहीन पत्र, रखे जाने हैं। समय-समय पर इन दराजों को साफ करते जाने से समय की बचत होती है। जो सामग्री पुरानी पड़ रही है, उसके लिए सबन ध्यान तथा पुनरोक्तण की आवश्यकता होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि नयोकरण (Filing) तथा संग्रहण (Storage) दो विन्दुओं में बिन्दूल भिन्न चौज हैं। इनको एक समझन वो गली नहीं करनी चाहिए। सदृश्य में प्राप्त काम जाने वाली काइल से चौजे हटाकर निशापद रूप से अलग रख दी जानी है और काम पड़ने पर उनमें निशाला जाता है। एक पर एक चौजे रखने के तिष्ठान्त पर फाइलिंग करने से बचन के लिए आवश्यकता के अनुकूल सुस्थिति सिद्धान्त बना रहे थे और जब तक उनमें परिवर्तन न हो, उनका अनुसरण करना चाहिए जो अभिलेखा को स्थायी रूप में सुरक्षित रख सके। और यह समूह (Uniform), मानक बंदर परस्पर परिवर्तनीय होना चाहिए, क्योंकि फाइलिंग की कोई भी अच्छी प्रणाली बिना अच्छे समारा के बेहार है जिनकी स्परेता नीचे प्रस्तुत की जानी है।

### संक्षेपाक्तन (Docketing)

यह पुरानी पद्धति है, फिर भी यह पेशेवर तथा छोटी-छोटी व्यापारिक कोठियों में अबी भी व्यवहृत की जानी है। इस पद्धति में छोटे-छोटे स्थान, जिन्हें अपेक्षी में पिजन होल (Pigeon Hole) कह सकते हैं, होते हैं जिनमें अक्षरानुक्रम से सकेन पत (Labels) लगे होते हैं। कुछ स्थाने पत्रों के लिए और कुछ बोजक के लिए, इस प्रकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग स्थाने बने होते हैं। जिन पत्रों को नत्यों करना होता है वे एक से आकार में जोड़ दिये जाते हैं, और बाहर उन पर पत्रों के विषय का संक्षिप्त वर्णन होता है। इस संक्षेपाक्तन को डाकेट कहते हैं। जब एक दिन वा डाकेटिंग समाप्त हो जाता है तब ऐस्य अपने स्थानों में विभाजित कर दिये जाते हैं। और उनके पत्र अक्षरानुक्रम से ढाट लिये जाते हैं और बड़लों में बाध दिये जाते हैं और कुल बड़लों पर लेबल लिपका दिया जाता है। ये बड़ल पेटियों या मुराखों में रख दिये जाते हैं। यह प्रणाली किसी भी कार्यालय के लिए, जहाँ पत्राचार की मात्रा पर्याप्त है, बोझिल प्रभावित होगी।

### प्रेस नक्त पुस्तक (Press Copy Book)

यह पुस्तक उन कार्यालयों में व्यवहृत होती है जहाँ आधुनिक प्रणाली का प्रयोग होता है। इसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि इस पुस्तक से इस बात का लाभ-दायक प्रभाव मिलता है कि अमुक पत्र अमुक दिन व्यवसाय के प्रसग में लिखा रखा जाय। जब फैसले बड़ी होती है तब प्रेस नक्त (Press Copy) अक्षरानुक्रम में भोगोलिक आधार पर विभाजित कर दी जा सकती है। इस प्रकार किसी प्रेस नक्त पुस्तक में उन व्यक्तियों के पास लिखे गये पत्रों का घोरा हो सकता है,

जिनके अल्ल (Surnames) अंग्रेजी के 'ए' 'ई' 'ट' तक हैं तथा दूसरे में 'एफ' से जे' तक हैं। जब अक्षरार्थी सत्या वही न होनवर और पश्चात्तारी (Correspondent) देश के विभिन्न विभागों में पहुँचे हो तो वैमी हालत में प्रत नक्ल भोगालिक जाधार पर हा सकती है। प्रत्यक्ष प्रम नक्ल में एक अनुव्रमणिका होनी चाहिए, और जब अक्षरानुप्रम से अनुभवित किय जान वाले नामा वी सत्या अधिक हो, तब प्रत्येक अक्षर पुन श्वरा (Vowels) के अनुमार पाच भागों में विभक्त कर दिये जाते हैं। इस प्रकार Ba Be Bi Bo Bu श्वर अनुप्रम के उदाहरण हैं। इससे दोहरा निर्देश (Cross Reference) भी गुरुभ हो जाता है।

### चपटी या लंतिज नस्ती (Flat or Horizontal Filing)

इस प्रकार की नस्ती प्रणाली में अधिक आपूर्तिवता है जिसके लिए दस्ती का बबर अथवा विशेषत निमित अलमारी (Cabinet) की दराज फाइल के स्प में व्यवहृत की जाती है। दस्ती की जिद (Cover) या साधारण फाइल में दो ताहें के हूँड होते हैं, जो नस्ती किये जाने वाले पत्रों के छेद में प्रविष्ट कर दिये जाते हैं। यह एक दोपुरन प्रणाली है, क्योंकि किसी पत्र को निवालने के लिए पहरे तो ढाना हाना है और तब उपर के थन्य पत्रों का इटाना होता है। बासम फाइल अथवा खुली परत प्रणाली वा मौलिक स्प यह है कि एक बक्सनुमा पेटी होती है जिसमें एक दक्षिण होता है और उसका एक पाइवें कांचे से जुड़ा होता है। मोटे तथा बड़े कागज की परतों के बीच पर अनुव्रमणिका वनी होती जो एक कम से बाक्समें रखी होती है, जो अपनी सत्या अथवा अक्षर की परतों के बीच होते हैं। ये बासम फाइल खड़ी भी दृढ़तरे कार्बोर्लयों में व्यवहृत की जाती है। विशेषत इन फाइलों का व्यवहार उन लेखा का रखने के लिये किया जाता है जिनका बास अक्षर पड़ता है, यथा मूर्चीपत्र तथा बहन पत्र यानी जहाजी किट्टी (Catalogue and Bills of Lading)। बक्सा की जगह, उन्नतरूप में दराजे व्यवहृत की जाने लगी हैं, और अब स्प्रिंग व्यवहृत की जाती है ताकि चिट्ठियाँ में से काई बाहर न गिर जाय।

### फाइल फाइल अथवा लिवर-आर्क प्रणाली (The Pilot Files or the Lever Arch System)

इस प्रणाली के लिए दक्षिणा (Card Board) या पाइरिल्स सन्डूक वा अन्नहार होता है। दक्षिणा दाली में 'ईस्ट', तथा सन्डूक या कैमिनेट दाली में 'डिन फाइल' मण्डूर है। फाइल में एक लिप्प मटा या घुमाया हृथा होता है जिसमें अनुप्रम तथा अथवा भोगालिक निभाजन का उत्तरेख होता है। जब पत्रों की सत्या वडी होता है अक्षर की जगह दो कर दिये जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए जो बग्रेजों का बग्र अक्षर है उसका छाटा अक्षर जोह दिया जा सकता है। इस प्रणाली का सिद्धान्त यह है कि नस्ती किये जाने वाले कागज में विशेष प्रकार की पंचिंग यशीन से दो छेद कर दिये जाते हैं, ताकि उन्हें फाइल में निकली दो लोहे की कौलों में ढाल दिया जा सके।

इन दो बीलों के पीछे दो महरावनुमा हुक होने हैं जिनकी ओक इन दो कीलों पर कस थांव और जम जाती है और जो बायें दायें हटायी जा सकती है ताकि और पत्र को नत्यी किया जा सके। यदि नत्यी किये जा चुके कागजों के बीच म होई कागज नत्यी करना हो तो न यो किये गये कागज का मेहरावनुमा हुक में प्रविष्ट करके हुक को हटाकर पीछे दी ओर कर दिया जा सकता है। फिर सामने की बीलों में कागज को नत्यी करके हुक को पूर्व स्थिति में कर दिया जाता है। नत्यी किये गये कागज को इसी प्रकार हटाया भी जा सकता है पहली प्रणाली के मुकाबले में इन प्रणाली के कठिनम लाभ है। (क) पन अपने स्थान से हट नहीं सकते क्योंकि भेहराव उन्ह अपनी जगह पर बनाये रखते हैं। (ख) पत्रों को बिना हटाये देखा जा सकता है। इस से पत्रों को गलत स्थान पर रखे जाने की सम्भावना दूर हो जाती है, (ग) यदि दराज उल्ट जाव या गिर जाव तब भी पत्रों के मिल जाने का भय नहीं है, क्योंकि भेहराव उन्ह अपने स्थान पर रखते हैं। चपटी प्रणाली के दोष ये हैं (क) पत्रों के निकालने तथा उन तक पहुँचने में अपेक्षत अधिक समय लगता है, (ख) यदि पत्राचार के परिमाण में बढ़ि होने से दराज भर जाव तो उन्हे फिर से संगठित करने में परेशानी का सामना बरना पड़ता है।

### खड़ी या शीर्ष नत्यी (Vertical Filing)

चपटी नत्यों की इन सीमितताओं को दूर करने के लिए खड़ी नत्यों का व्यवहार किया जाता है, जिसमें जिन्द या फोन्डर का व्यवहार किया जाता है, जिसम कागजों का अधरनुक्रम या सस्थानुक्रम से सीधे खड़ी अवस्था में उपयोगितानुसार बने दराजों में रखा जाता है। प्रत्येक दराज (Drawer) में एक एक्स्पैन्डर (Expander) लगा होता है, जिसमें पीछे क आगे हटने वाले स्लाइड लगे होते हैं जो जिल्डों को खड़ी अवस्था में रखने हैं चाहे उनकी सस्था धोड़ी हो, या बहुत। भारी मैनिला कागज की बनी अनुभविता या पथदर्शक पत्र (Guide Card) होता है जिसके सिरे का एक हिस्मा बाहर निकला होता है, जो जिल्डों को कई हिस्मों में विभाजित करता है, जिल्डों के सिरों का भी एक भाग बाहर निकला होता है जिसमें नाम, अधर या सस्था लिखा होता है। प्रत्येक ग्राहक से सम्बन्धित पत्राचार जला जिल्डों में रखा जाना है।

### फाइलों का धर्तीकरण (Classification of Files)

फाइलों के वर्गीकरण के कई तरीके हैं। जब कागजात नियि के त्रम से बिनो अच्छे बच्चे में रखे जाने हैं तब समयानुसन (Chronological order) या अनुमरण किया जाना है। ऐसे कागजात के उदाहरण हैं ममाचारपत्र, सूचि, चालू कीमतों की सूचि (Current Price list), बाजार मूलनामे। जब प्रायः जनरानु-पत्र या अनुमरण किया जाना है तब मर्वंप्रथम अन्डों (Surname) के आद्य अधरों के अनुमार पत्र ढाई जाने हैं और तब साइक्लोप के त्रम से अद्यता स्वर-पत्र से लाये जाने हैं। इसके पदचात् प्रत्येक विषय अद्यता पत्राचारी की जिन्द (Folder) उन गाइड कार्ड के पीछे रख दी जानी है जिसके निचले मिरे पर रखे जाने वाली जिन्द के विषय पर पत्राचारी वा आद्यकार लिखा रहता है। उन फर्मों के

लिए जिनमें पत्राचारी की सत्या अधिक होती है, सात्यकीय प्रणाली उपयोगी होती है, क्योंकि इससे पत्राचारियों के एक ही नाम या लगभग एक नाम होने से होने वाली गड़बड़ी नहीं होती। इस प्रणाली में प्रत्येक पत्राचारी को एक सत्या दी जाती है और वह सत्या उसके फोल्डर या फोल्डरों पर दी हुई होती है। ये फोल्डर रगीन गाइड काडों द्वारा जिनम् १०, २०, ३० अयवा २०, ४०, ६०, आदि सत्याएँ लिखी हुई होती सत्याएँ लिखी हुई होती हैं, विभाजित होते हैं। इस विभाजन का उद्देश्य है भविष्यत प्रसग को सुलभ करना। इसमें सन्देह नहीं कि जब तक अलग अनुक्रमणिका न हो, तब तक सात्यकीय फाइल बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी लिपिक के लिए यह सम्भव नहीं कि वह प्रत्येक पत्राचारी की सत्या को याद रखे। अतएव, अनेक प्रकार की अनुक्रमणिका म से एक का व्यवहार होना है, हालांकि पत्र अनुक्रमणिका (Card Index) सर्वाधिक व्यवहृत होती है।

**सत्याकारनुक्रम (Alphabetical Numerical Order),** जैसा कि इसके नाम से विद्यित होता है दो पद्धतियों का सामजस्य है; इस पद्धति का विशेष लाभ यह है कि इसमें सात्यकीय पद्धति की यथार्थता (Exactness) होती है और उसके लिए अलग पत्र अनुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं होती। मान लो कि हम एम० पटेल नामक पत्राचारी के फोल्डर का पता लगाना चाहते, है हम PA विभाग की दराज खोलते हैं, इसका पता हम सामने लगे देवल से मिलता है। इसके बाद हम शीघ्र बधार गाइड PA-PL को देखते हैं और इसमें उल्लिखित सारे नामों को देख जाते हैं। हम जब १४ को देखते हैं तब एम० पटेल का नाम पाते हैं, १४ का अर्थ है PA-PL का अमुक विभाग जिसमें फोल्डर के बदले में आसानी होती है और ५ नम्बर बताता है कि अधार गाइड के पीछे इस विभाग में एम० पटेल का पाचवा फोल्डर है। हम इसे शोध देख रहे हैं। इस प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ओर तो इसके अन्तर्गत नये फोल्डर उतनी ही आसानी से जोड़े जा सकते हैं, जितनी आसानी से सात्यकीय प्रणाली के अन्तर्गत और दूसरी ओर बहुत शीघ्रता से इसका पता लगाया जा सकता है। भौगोलिक क्रम (Geographical Order) आधरित मा सात्यकीय प्रणाली में की गयी घोड़ी तवींली मात्र है, जो अमुक व्यवसाय की आवश्यकतओं की पूर्ति के लिए भौगोलिक आधार पर बनाये गये हैं। उदाहरणत किसी बहुस्थानीय दूकान व्यवसाय की देश के विभिन्न शहरों में, ५०० शाखाएँ हैं और प्रत्येक शाखा का प्रबन्धक प्रधान कार्यालय से पत्राचार करता है। प्रधान कार्यालय में फर्डिलिंग नी प्रमुख विभागों में विभक्त किया जा सकता है। ये विभाग आसाम, विहार, बम्बई, भग्नप्रदेश, मद्रास, उडीसा, पजाव, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल हो सकते हैं। यह दराज में सटे देवल के द्वारा हो सकता है और प्रत्येक दराज मा दराजों का समूह रगीन पयन-ग्रदर्श (guides) पत्रों द्वारा डिवीजन या जिले में विभाजित हो सकता है जो अक्षरानुक्रम से व्यवस्थित हो सकते हैं। ये गाइड फोल्डरों के निकले सिरे में हो सकते हैं, जो विकुल दाइं तरफ होंगे और जिन पर डिवीजन मा जिले

के नाम लिखे हाँगे। इनके पीछे हर एक दूकान के लिए एक फोन्डर रखा जा सकता है जिस पर मस्त्या बाला निरा लगा हुआ हाँगा। जहाँ पर पत्राचारी के नाम की अपेक्षा विषय अधिक महत्वपूर्ण है, वहाँ विषयानुक्रम ही अपनाया जाता है। वैसी हालत में सब बागज अक्षरानुक्रम से व्यवस्थित विषयों के पीछे नत्यों किये जाने हैं कि पत्राचारियों के अलग अलग नाम के पीछे।

**देशना या अनुक्रमणिका रखना (Indexing)**—प्रमुख कोटि की अनुक्रमणिकाएँ ये हैं—माधारण अनुक्रमणिका, स्वर अनुक्रमणिका तथा पत्रक अनुक्रमणिका। साधारण अनुक्रमणिका में कुछ पृष्ठ होने हैं और प्रत्येक पृष्ठ का शीर्षक बगमाला का एक अक्षर होता है। जिन नामों को अनुक्रमित करना है वे नाम उन पृष्ठों पर लिखे जाते हैं जिन पृष्ठों का शीर्षक उन नामों का प्रारम्भिक अक्षर होता है। नामों के ठीक सामने पृष्ठ मस्त्या दी रहती है। साधारण अनुक्रमणिका निम्न प्रकार की हो सकती है—(क) वधी हूई, जैसे पत्र पुस्तिका या साने के स्पष्ट में, वधी हूई पुस्तक के स्पष्ट में, (ख) स्थली, जैसे अन्य विताव के स्पष्ट में वधी हूई, अथवा जब सुले पृष्ठ साने के स्पष्ट में व्यवहृत हो तब प्रत्येक आक्षरिक विभाग के सामने साने में प्रविष्ट किए हुए, (ग) विस्तारित, जैसे विताव के स्पष्ट में वधी हूई लेखिन इस प्रकार व्यवस्थित को हूई कि वह पुस्तक के क्षेत्र के बाहर लुप्त, (घ) स्वयं अनुक्रमक (Self Indexing) यानी पुस्तक के प्रभे इस प्रकार काट डाले गय हा कि उसमें मकेन अक्षर लिख दिये जाएँ। स्वर अनुक्रमणिका साधारण अनुक्रमणिका का विस्तारन्ता है, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ छ स्तम्भों (Columns) में विभाजित होता है जिनके शीर्षक क्षेत्र अथवा में लगे होते हैं। नाम उसी पृष्ठ पर प्रविष्ट किये जाने हैं, जिनके स्तम्भ में ठीक प्रारम्भिक अक्षर होता है, जिनका सकेन अन्न (Surname) प्रथम अक्षर के बाद प्रथम स्वर से मिलता है। यह अनुक्रमणिका मुख्यतः वहा व्यवहृत होती है जहाँ बहुत से नाम लिखने होते हैं और जहाँ प्रत्यक्ष नाम के लिए एक ही निर्देश आनंदपक्ष है।

**पत्रक अनुक्रमणिका (Card Index)**—यह प्रणाली इतने वैज्ञानिक ढंग में निर्मित की गई है कि यह पत्राचार, लेख्य (Documents), पुस्तकें, बाटेशन, स्टार्क अथवा स्टोर या भूतिभासियों का उल्लेख करने के लिए व्यवहृत की जानी है। सच्ची बात तो यह है कि इसका व्यवहार किसी भी कार्य के लिए हो सकता है। पत्र अनुक्रमणिकाओं के रखने के कई तरीके हैं, लेकिन सर्वोत्तम तरीका विषय स्पष्ट में बनायी गई सन्दूकचों में पत्र को रखना है। प्रत्यक्ष सन्दूकचों में एक छड़ होती है जो बाड़ों को ठीक स्थान पर बनाये रखती है। प्रत्येक पत्राचारी वे लिए एक बाड़ व्यवहृत होता है, और जैसा कि ऊपर वहा जा चुका है, मदि अनुक्रमणिका सन्दूक फाइलिंग के एक हिस्से के स्पष्ट में व्यवहृत होती है, तो प्रत्येक बाड़ पर फोन्डर का नाम, पता तथा मस्त्या लिखी जानी है। प्रदिविषय अनुक्रमणिका बनायी गय हो तो फोन्डर का विषय और मस्त्या बाड़ पर लिख दी जानी है। नाम बाड़ को टूट निकालने की मुश्किल के लिए बांगमाला के अक्षर महित गाइड बाड़ को व्यस्था कर दी जानी है।

पत्रक अनुमयिका प्रणाली के बहुत में लाभ है। कार्ड को हम किसी तरह में छाट सकते हैं। यदि एक कार्ड भर जाए तो दूसरे कार्ड घुमाए जा सकते हैं। यदि किसी व्यापारी ने व्यापार बद्द कर दिया हा तो उनका कार्ड निकालकर अलग कर दिया जा सकता है। दूसरे कार्ड के वर्णानुक्रम को जरा भी विगड़े वर्गेर, दूसरा कार्ड ठीक अपनी जगह पर रखा जा सकता है। उमी प्रवार जिम कार्ड की आवश्यकता हो, उसे दूसरे कार्डों पर मूचनाओं का उल्लेख करने के बासी में जरा भी व्यवधान ढाले बिना, बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि कार्ड अपनी जगह पर छोड़े जा सकते हैं। यह मत्य है कि ये सुले पूँछ पुस्तक (Loose Leaf) में भी सम्भव है। लेस्ट्रिंग यदि पृष्ठा से बहुत काम लिया जाए तो जिन्दगी बहुत लम्बी नहीं हो सकती। इस प्रणाली में बढ़ाये जाने की अभीम क्षमता है।

**दृश्य अनुमयिका (Visible Index)**—पिछले कुछ दसवाँ में दृश्य अनुमयिका का व्यवहार होने लगा है जो स्टाक, उत्तादन, वित्रय, नक्श तथा ऐक्याओं के लिए व्यवहृत की जानी है। इस प्रणाली में एक बैंकिंग होता है जिसमें रगभग चपटे दें होते हैं। जब दें बो बाहर सीधा जाता है तब यह मुद्रिधाजनक बोज पर लटवा जाता है। रगभग पचास कार्ड के पर इस प्रवार लगा दिये जाते हैं कि जब दें सीधा जाना है तब बाज़ों के तिचले बिनारे का हिस्सा दिखाई पड़ता है। इस प्रवार किसी पताचारी का नाम या विषय का नाम इस हिस्से में माफ दिखायी पड़ता है। दृश्य अनुमयिका के बनेह लाभ है निर्देश दीक्षिता, लगाने (Posting) म दीक्षिता तथा अभिलेखों का नियन्त्रण उनकी निरापद्धता।

### मशीने तथा वार्यालिय उपकरण

### (Machines and Office Appliances)

आधुनिक कार्यालयों के दश सचालन के लिए यान्त्रिक उपकरण उनरोतर अधिक वा इक्के मिथ दृढ़ है। कार्यालया म और विदेषनया बड़ कार्यालयों अम बचाव (Labour Saving) मशीना तथा उपकरणा के व्यवहार करने की प्रवृत्ति इमलिए जोर पड़ रही है कि लाग यह अनुभव करने लगे हैं कि जब वह कार्यालय जो निर्दित मान दण्ड से नीचा है, व्यवसाय का माम अधिक हानिप्राप्ति दिभाग है। जहा कुछ वर्ष पूर्व बैंकल टाइपराइटर थे, वहा न बैंकल लेखन के लिए बहुत ही उन्नत दण की तथा जावाजर्ट्टन मशीन पायी जाती है, बल्कि प्रत्येक नेत्रियर रोति के कामे के लिए एक न एक विस्म बी मशीन का व्यवहार होता है। इन मशीनों तथा उपकरणों का इस प्रवार वर्गीकरण किया जा सकता है (क) टाइपराइटर; (ख) इक्सें-धन देने की मशीन, (ग) प्रतिलिपि या नक्श करने की मशीन, (घ) पता लियने की मशीन, (इ) सालिका बनाने तथा जोड़ने (Calculating) की मशीन, (च) बिल बनाने की मशीन ( Billing Machine ); (झ) वही लियने की मशीन; (ज) रोक पड़ी तथा सिक्का देखने की मशीन।

(Cash Register and Coin-handling Machine); (अ) समय लिखने की मशीन (Timerecording Machine) अन्य मशीन तथा विविध उपकरण।

टाइपराइटर इनना अविक्ष मशहूर है जिस बारे में विवेचन करना भी व्यर्थ प्रतीत होता है। हन सभी जानते हैं कि यह क्या है तथा यह क्या कर सकता है। स्टैण्डर्ड, घनिरहित तथा पोर्टेबल टाइपराइटरों के बारे में सभी जानते हैं। पर यदि इसे सावधानी तथा बुद्धिमानी से व्यवहून किया जाए, तो इसने जापे परिणाम की आशा भी नहीं की जा सकती। दूसर कुछ वर्ते से टाइपराइटर के साथ अन्य कार्यालयिक मशीनों जैसे विड बनाने की मशीन, प्रतिलिपि या नकल करने की मशीन तथा टेलीफोन जाड़ दी गयी है। यह अन्य सभी कार्यालयिक मशीनों की अद्वज है तथा आगामी कई वर्षों तक इसका नेतृत्व बना रहेगा।

डिक्टेशन लिखने की मशीन (Dictating Machine)—डिक्टेशन मशीन प्रणाली, जिसके द्वारा घनि मोम के बेलन पर लिखी जाती है, और बाद में टाइपराइटर के द्वारा लिपिबद्ध की जाती है, तीन प्रकार की मशीनों से निम्निन होती है। ये तीन प्रकार की मशीनें हैं डिक्टटर या घनिलेखक (Dictaphone), प्रतिलिपि (Transcriber) तथा शवर (Shaver) या छीलने वाला। डिक्टेशन देने वाला केबल घनिलेखक का व्यवहार करता है, टाइपिस्ट प्रति लेखक का व्यवहार करता है और चपरासी शेविंग का काम करता है। डिक्टेशन मशीन के जरिए घनि एक मोम के बने बेलन पर लिखी जाती है, जो एक स्थिर लोहे के बेलन पर रखा रहता है। यह लोहे का बेलन एक छोटी विजली के मोटर के जरिए घूमता है। जब लिवर 'To Dictate' (बोलो) के स्थान पर कर दिया जाता है, तब बच्चा की जावाज का व्य्वन बेलन की मोमदार सनह पर खुद जाता है। यदि बच्चा को अपने बच्चनम् को सुनने की इच्छा होती है तो वह लिवर को "Listen" (सुनो) के स्थान पर कर कर देगा और वह फोन को अपने कान पर रख लेगा। यदि बच्चनम् में कुछ सुगार करना हो तो वह घनिलेखक या डिक्टाफोन के मिल पर कर दिया जाता है, जिसमें वही मास्टिक माप होता है जो डिक्टाफोन में होता है। इस प्रकार टाइपिस्ट को शुद्धि के बारे में चेतावनी मिल जाती है। टाइपिस्ट को लेखबद्ध बेलन मिल जाता है जिसे वह प्रतिलेखन मशीन पर रख देता है और एप्परसोन तथा नियन्त्रा प्रणाली के जरिए वह अपनी चाल तथा ममत के मुताबिक डिक्टेशन ले लेता है। यदि वह कोई शब्द या वाक्यांश नहीं समझता तो मन चाहे रूप में कई बार दुहरा भी सकता है। शेविंग मशीन को ट्राई मिडाल्प पर सचालिन किया जाता है, जिस मिडाल्प पर लाराइ या लेय (Lathe) मशीन को। काम में लाया गया बेलन दूसरे बेलन या मैग्निल पर रख दिया जाता है और सुनी हुई मनह को साक करने के लिए छुरी टीक कर दी जाती है। घूमने हूए बेलन पर जैसे-जैसे छुरी घूमती है, वह मोन की एक पत्रियी मनह को छोल देती है और इस प्रकार बेलन की मनह को साक कर देती है, ताकि वह दुवारा डिक्टेशन के लिए काम में लाया जा सके।

प्रत्येक बेलन को लगभग सौ दफे इस्नेमाल किया जा सकता है। डिकटाफोन या घटनि-लेखक के ल भ ये हैं—

(क) वक्ता और टाइपिस्ट दोनों अपनी चाल और समय पर काम करते हैं। (ख) द्विप्रलेखन की आवश्यकता नहीं होती, (ग) वाम को केन्द्रीभूत किया जा सकता है और ज्यादा उचित रीति से विभाजित किया जा सकता है, (घ) कम टाइपिस्टों को आवश्यकता होती है, (छ) टेलीफोन वार्ता को वार्ता होने के समय ही लिपिबद्ध किया जा सकता है, (छ) निरीक्षण या अन्य रिपोर्ट उस समय भी तैयार की जा सकती है, जब निरीक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा हो।

प्रतिलिपि या नकल करने की मशीन (Duplicating Machine)—प्रतिलिपि कार्य का मतलब बहिर्गमी पत्रों की एक या कई नकलें या बहुत सारी नकलें करना है। टाइपराइटर, प्रेस नकल तथा रोनियो पत्र नकल, ये तीन साधन हैं, जिनके द्वारा पत्रों की धोड़ी सूख्या में नकल बीं जा सकती है। बहु-सूख्यक प्रतिलिपि के लिए प्राय छ प्रतियाएं व्यवहृत होती हैं, जिलेटिन, स्टेन्सिल, टाइपसेटिंग (Typesetting), रोटा प्रिट (Rota Print), नियन्त्रित टाइप-राइटर और फोटोग्राफिक अवधार फोटोस्टेट।

टाइपराइटर भी नकल करने वीं एक मशीन है। बाहर जेजी जाने वाली चिट्ठी की नकल करने के लिए एक सादे कागज के पीछे एक कारबन पत्र रखकर ठीक स्थान पर जमा दिया जाता है, और जब कागज पर टाइप किया जाता है, तब उसकी ठीक प्रतिलिपि सारे कागज पर छप जाती है। इस प्रकार ५ या ६ पट्टीय प्रतियां ली जा सकती हैं, हालांकि जब चार से अधिक प्रतियों की आवश्यकता होती है, तब विशेष हृष से बड़े रोलर या बेलन की आवश्यकता होती है। कारबन के जरिये नकलों को उतारना कारबोटाइप कहलाता है। कारबोटाइप एक तरीका है, जिसमें टाइपिंग के लिये बड़ी ताव होते हैं, और धधाई के करीब आध इन नीचे एक छेददार लाइन होती है, ताकि जब एक बार के टाइपिंग में एक ताव या एक सेट टाइप हो जाय तो उन टाइपों को आसानी से अलग किया जा सके। यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक है और इससे समय तथा धम की बचत होती है और दक्षता में वृद्धि होती है।

प्रेस नकल—यह पद्धति पुरानी पड़ती जा रही है हालांकि छोटे-छोटे कार्यालयों में अब भी व्यवहृत की जाती है। नकल करने का काम एक पत्र पुस्तक (Letter Book) में होता है, जिसमें टिशू कागज के कई सौ ताव होते हैं जिन तावों पर शूखलाबद्ध रीति से त्रमस्त्वा भी रहती है। जिस पत्र बीं नकल करनी होती है, उसे या तो कंपिंग स्पाही से टायप से लिख दिया जाता है या कंपिंग रिवर के जरिए टाइप कर दिया जाता है जिससे हाथ का लिखा हुआ या टाइप किया हुआ रेख टिशू कागज की जगह दिखाई दे। उसके ऊपर खास तोर से तैयार किया हुआ एक भूगता हुआ कपड़ा रख दिया जाता है, और इसके ऊपर तथा मौलिक पत्र के नीचे तेलही कागज रख दिया जाता है, ताकि विताव के दूसरे पने में गीले कपड़े की नमी न चली जाय।

तब वह किताब बन्द कर दी जानी है और जब उस पर हैंड प्रैम के जरिये दाव दो जानी है, तब चिट्ठी से स्थाही का कुछ अस टिगू पर चला जाता है और नवल हो जानी है। जब यह किया पूरी हो जाती है तब चिट्ठी बहा से निकाल ली जानी है, लेकिन तेलही कागज उस समय तक किताब में छोड़ दिया जाता है, जब तक कि पने सूख न जाए। यह पढ़ति धीमी है, और मौलिक पत्र की लिखावट को करोब-करीब पोत सा देनी है; पर भी इस पढ़ति में एक लाभ यह है कि मौलिक पत्र की हृष्टहृ नकल हो जानी है, और हस्ताक्षर तब वी नवल हो जाती है। निर्देश की सुविधा के लिए पत्र पुस्तक के प्रारम्भ में एक सूची बना ली जाती है और उन पृष्ठों की स्थाया, जिनपर प्रन्येक पत्र-चारों के नामांक्षण होते हैं, पत्राचारी के नाम वे सामने लिख दी जाती हैं।

### रोनियो (Roneo) प्रतिलिपित्र (Letter copier)

यह एक स्वयंचल (Automatic) प्रतिलिपित्र है, जिसे कागजों को निमोने की किया से बचाने के लिए बनाया गया है। मरीन हाथ से मा विजली से चलाई जा सकती है। मरीन-चालक रोलरों या बेलनों के बीच चिट्ठियों को डालना जाता है, और उनकी नकल कागज के एक गोल लपट पुल्ने (Roll) में हो जानी है, जिसे मरीन के जरिए अन्दर डाला जाता है और नकल वी चिट्ठिया मरीन की दूसरी तरफ सश्त्र टोकरी (Collecting Tray) में जमा हो जाती है। कार्पिंग कागज स्वास तीर में तैयार किया जाता है। उन्हे कार्पिंग रिवन से टाइप किया जाना है या कार्पिंग स्थाही में लिखा जाता है। इस प्रबार किसी पत्र को बहुत-सी प्रतियाँ वी जा सकती हैं।

व्यवसाय कोटियों को कभी-नभी कारबन में नकल किये गये पत्र अधिक मर्द्या में बाहर भेजने होते हैं। पर भी उनकी स्थाया इतनी नहीं हो सकती कि उनका मुद्रित किया जाना ठीक हो, या हो सकता है कि चिट्ठियों की नकल वी आवश्यकता अनि शोध हो। बूसहस्यक प्रतिलिपि करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन नीचे किया जाता है।

जिलेटिन प्रक्रियाएँ (Gelatine Processes) नकल करने के सबमें पुराने तरीकों में हैं। जिलेटिन प्रतिलिपित्र या डिलिपित्र टाइपलिलिन या हस्तलिपित्र या मौलिक लिखावट को स्थाही के एक डूप्लिकेटिंग कम्पोजीशन में हस्तान्तरित बर देता है, जो गल जाता है और स्थाही को उम समय तक सह पर बनाये रखता है जब तक सारे प्रतियों वी नकल न हो जाए। मौलिक प्रति कार्पिंग रिवन से टाइप की जानी है वा कार्पिंग स्थाही से लिखी जानी है। इस तरह के डूप्लिकेटर में एक चौड़ा छापने वाला ट्रे होता है जिसके ऊपर जिलेटिन में ढका एक बैलन ढका होता है। बैलन वी सतह जब एक बार धूम चुकी होती है, तब हैंडल को धूमाकर बैलन वी सतह दूसरी बार स्थान पर लायी जानी है। मूल प्रति की लिखावट नीचे करके कार्पिंग किया है और हैंडल से या उम काम वे लिए दिये गये बैलन से उसे चिकना कर दिया जाता है। तब उम उठा लिया जाना है, और और तब उसकी लाप जिलेटिन पर पड़ती है। मात्रा बागज एक-एक करके जिलेटिन की सतह पर कुछ सेकेन्ड के लिए छोड़ दिया जाता है और तब उम पर छाप पड़ जानी है।

### स्टेन्सिल प्रतिलिपि (Stencil Duplicator)

टाइपलिखित विषय, नकशा और तालिकाओं की हूबहू नकल स्टेन्सिल हूप्ली-केटर के जरिए की जा सकती है। स्टेन्सिल, एक मोमदार परत होती है जिस पर नकल की जाने वाली चोज टाइप कर दी जाती है या लिख दी जाती है। स्टेन्सिल को टाइप-राइटर पर रख दिया जाता है और रिवन को बहु से हटा दिया जाता है या एक बील के जरिए ऐसे स्थान पर हटा दिया जाता है जहाँ टाइप करने वाले अक्षर उस छू न सक। जब टाइप किया जाता है तब अक्षर मुद्रित होने के बजाय कट जाते हैं और इस प्रकार जब स्टेन्सिल मशीन पर रखी जाती है, तब स्पाही उन स्टेन्सिल कटे अक्षरों से पार गुजर जाती है। नकल करने के लिए स्टेन्सिल को एक बलन से आध दिया जाता है जिसके नीचे स्थाही की गही होती है। हैंडला को पुमाने से बेलन धूम जाता है और इस प्रकार दबाव पड़न पर स्टेन्सिल उस बागज के सम्पर्क में आता है जो मशीन म डारा गया है। इस प्रकार स्थाही स्टेन्सिल म कटे अक्षर या डिजाइन से गुजर कर छपने वाले कागज पर चली जाती है और कागज पर आवश्यक छाप पड़ जाती है। 'रोनियो' और 'जेस्ट-टनर' इस प्रकार की प्रसिद्ध मशीन हैं और यदि इसमें कागज डालने के लिए स्वचालित थ्रू लगा दिये जाए तो एक मिनट में एक सौ प्रतियाँ नकल की जा सकती हैं।

**टाइपसेटिंग डूप्लीकेटर (Typ-setting Duplicator)**—वे हूप्लीकेटिंग मशीन जो टाइप बैठाने के सिद्धान्त का पालन करती है, दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार टाइपराइटर किसम से छापता है और दूसरा स्टेन्डर्ड प्रिन्टर से टाइप, इलेक्ट्रोटाइप या प्लेट से छापता है। कुछ मशीनों इस प्रकार की होती हैं जिनमें दोनों विस्म की मशीन मिली होती है। पत्र या जिसकी भी प्रतिलिपि करनी हो उस टाइप-सेटिंग डबाई में ला दिया जाता है जिसमें तीन तरह के बैंक होते हैं, जो धातु के बने प्रेम पर चढ़ होते हैं। तीन बैंक टाइपराइटर की बोर्ड विजली से देशनायुक्त (Indexed) डाई-करियर (Die-carrier) को नियन्त्रित करता है जो एक पतले से एल्युमीनियम के रिवन पर अक्षर को ऊपर की तरफ उठा देता है। प्रत्येक रचित लाइन के अन्त में यह रिवन कट जाता है और फीता धक्के खाकर चक्के (Disc) म अपने स्थान पर आ जाता है और यह चक्का हूप्लीकेटर के ढोल के ऊपर जा बैठता है। जब पूरी चिट्ठी लम्बोज कर ली जाती है तब वह चक्का हूप्लीकेटिंग मशीन के ढोल पर रिथित हो जाता है और चिट्ठी आगे बढ़ती है। उसके बाद फीते हटा दिये जाते हैं। जब टाइप लगा दिया जाता है तब छाई की जगह मशीन म यथास्थान बन्द हो जाती है और उस पर एक बोडा टाइपराइटर रिवन ढूक जाता है। प्रिटिंग इम जैसे-जैस धूमता है, वैसे-वैसे टाइप की प्रत्येक लाइन उस समय कागज के सम्पर्क में आनी है जब वह रवर के बलन स होकर गुजरती है और इस प्रकार प्रत्येक चक्कर के साथ टाइपलिखित पत्र की हूबहू प्रतिलिपि छप जाती है। हस्ताक्षर करने की बनी एक विधि (Device) के हारा प्रत्येक चिट्ठी पर छाने ही हस्ताक्षर हो जाता है। जब चिट्ठा छप चुकी होती है तब कारेसपौन्डेन्स टाइप-

राइटर से नाम और पते भर दिये जाते हैं। ऐसे टाइपराइटर पर वही रिप्रेंजेशन इस्तेमाल किया जाता है जो रा. में उम स्क्रिप्ट पर पड़े, जो ड्स्क्रीप्टर पर इस्तेमाल किया जाता है।

### स्वचालित टाइपराइटर (Automatic Typewriter)

इस प्रकार के डूलीकेटर के निर्माण का उद्देश्य है बस्तुतः टाइप-लिखित पत्रों को शृंखला से छापना। इस मर्गीन में स्टेंडर्ड टाइपराइटर मर्गीन होती है जो विज्ञली ने मचालिन होती है। इसमें मर्गीन की यान्त्रिक गति पर रेकार्ड पेपर के छेदार (Perforated) पौरे में नियन्त्रण रखा जाता है। यह फीना टीक उभी प्रकार दा होता है, जिन प्रकार का पियानो का रोल होता है। यह ट्रिकार्ड विशेषतया निमित मर्गीन पर बनाया जाता है जो इस प्रकार की मर्गीन की सज्जा में ने एक है। परफोरेटर में स्टेंडर्ड टाइपराइटर का बीचोड़ होता है। जिस पत्र को नकल करनी होती है उसे पहले हाथ से लिख लिया जाता है और तब टाइपिस्ट इस नकल से परफोरेटर पर रेकार्ड काट लेता है। प्रत्येक छेद (Perforation) टाइपराइटर बीचोड़ में बने बक्सर का प्रतिनिधित्व करता है और वह परफोरेटर की चावियों को दबाने ही उप जाता है। जब परफोरेशन की कटाई पूरी हो जाती है तब छेदार कागज काट लिया जाता है और इसके दोनों तिनारों को जोड़ दिया जाता है और तब इनकी शब्द एक बेलन की तरह हो जाती है। तब यह बेलन ड्रम पर रख दिया जाता है जो मर्गीन के मामने होता है। ड्रम पर लम्बाई की ओर को कई सूटियां होती हैं जिनके सहारे छेदार कागज लगा होता है। जब मर्गीन चला दी जाती है तब ड्रम घूमने लगता है और रेकार्ड कागज मामने आ जाता है और पिन के नीचे होकर गुजरता है। जब परफोरेशन (या छेदार कागज) पिन के नीचे होकर गुजरता है तब पिन ड्रम के एक छेद (Perforation) में गिर जाता है। एक प्रकार के यान्त्रिक (Mechanical) जोड़ के जरिए इस प्रक्रिया के नीचे टाइपराइटर की चावियां ऐसी गविष्ठोल हो उठती हैं, मानो उन्हें हाथ से लाया गया हो, और जब सारे परफोरेशन एक ड्रम में होकर गुजर चुकते हैं, तब चालक ममाल दबो को बहा में हटा लेता है और फिर इसी प्रकार नये पत्रों की नकल करने की क्रिया को दृढ़ताता है।

फोटोग्राफिक डूलोकेटर याकोटोस्टैट (Photographic Duplicator or the Photostat) — यह एक प्रकार की मर्गीन है जिसके द्वारा पत्रों, मानविकी, आर्ट्स (Drawing), मर्गियों, अनुदानों, बग्रम पत्रों (Mortgages), आदि, दोउक्से, प्रस्तावनाएँ आदि की फोटोग्राफ के जरिए, प्रतिरिंगि द्वारा जाती है। यह स्फीत बड़े बैमरे (Camera) के ममान होती है जिसका निर्माण इस प्रकार होता है हि किसी भी सवेद्ध (Sensitive) कागज पर सीधे फोटो आ जाय और तपदान् मर्गीन में ही हेवर्सिंग प्रक्रिया के बाद सेपार प्रतिरिंगि मिल जाती है। बैमरे के हेन्ड के टीर नीचे ही तथा मर्गीन के द्वारे में सदून एक गैरों का निरा (Glass Top Copy) या बन्नु धारा (Subjectholder) होता है।

जिस चीज की तस्वीर लेनी होती है, उसे शीरे के नीचे रख दिया जाता है। चूंकि उसमें स्वचालित फोर्सिंग (Automatic Focussing) का प्रबन्ध रहता है, अतः पन्नचालक के लिए विसी लात कुशलता की आवश्यकता नहीं होती। डेवलर्पिंग भी धाप से आप हो जाता है। सवेइनशील बागड (Sensitised Paper) मधीन के अन्दर लम्बी लोट (Continuous Roll) के रूप में लगा होता है और उसमें प्रकाश बोर्ड (Exposing Chamber) के जरिये डाला जाता है। साथ ही डेवलर्पिंग तथा फिर्किंग विलयन भी उसमें डाल दिया जाता है। इसके बाद थ्रीप्ट लम्बाई के बराबर इसे बाट लिया जाता है।

पता लिखने की मशीन (Addressing Machine) —ये मशीन प्रस्तुत छेदों तथा स्टेन्सिल के लिफालों, लेपेट कागजों (Wrappers) या लेबलों पर पता लिखने के लिए वही उपयोगी होती है। इन मशीनों के उपयोग से, उस अवस्था में जब एक ही प्रवार के लोगों को धार वार पद भेजना हो और वही तादाद में भेजना हो, समय की बही बचत होती है। इन मशीनों का उपयोग सूची, अभिलेख (Record), साना पृष्ठ, लाभाद अधिपत्र, वेतन सूची (Pay Roll) अवारी सूची या नामों की कोई तालिका, यथा ग्राहकों की सूची, तैयार करने में किया जाता है। पता लिखने की मशीनों में 'रोनियो' तथा 'एड्रेसोग्राफ' सर्वोत्तम हैं। एड्रेसो-ग्राफ में धातु के उण्डे प्लेट (Metal Embossed Plate) तथा रोनियो में रेशेदार स्टेन्सिल (Fibre Stencil) का उपयोग किया जाता है। इस विभिन्नता के अतिरिक्त सचालन सम्बन्धी व्यापक मिदान्त के मम्बन्ध में दोनों एक हैं। रोनियो किसेपतया वही-वही कम्पनियों में एड्रेसोग्राफ में ज्यादा लोनप्रिय है।

तालिका बनाने की तथा आगणन की मशीन ('Tabulating & Calculating Machine) — समय व्यव तथा ध्रम की दृष्टि स, दफतर के कार्यों में तालिका बनाने, हिसाब लगाने (Calculating) तथा लेखाचन (Accounting) की मशीना वे द्वारा सबसे अधिक व्यवहृत हैं। तालिका मशीन दो प्रकार की होती हैं। पहली तथा सर्वोत्तम मशीन वह है जिसम पच कार्ड (Punch Card) या तालिका कार्ड (Tabulating Card) आवार हाना है। दूसरे प्रकार वी मशीन में चारिया होती हैं, जो इन में दैन रजिस्टर वी तरह होती है और जिन्हे दगाने पर मुद्रित चीज तैयार हो जाती है। दोनो तरह वी मशीनें हो अलग-अलग कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, यथा सास्थिक तथा विदेशीप्राप्तव वायं तथा सामान्य एव लागत हिमाद्र वार्ष, विक्री के क्षेत्र में विक्रेताओं के द्वारा मूल्य सारणियों के अनुरूप, विक्रय-क्षेत्र के अनुरूप, विक्रय माल के वगों के अनुरूप, लाभ सारणी के अनुरूप तथा वी गयी नियम, के, यन्त्रण, नियम, न्या, नियमेण्य, न्याय, वर्गीकृत्य, अदिक्षत्याप्यक्षणं, न्या, नियम, न्याय, इस मशीन का उपयोग होता है। जीवन वीभा कम्पनिया इस प्रकार की मशीन का उपयोग शुद्ध रूप से सास्थिक कार्यों में विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है। इधर रालो से टेब्लेटिंग मशीन का उपयोग सामान्यतया लागत हिमाद्र के क्षेत्र में प्रयोग्यतः वर्त गया है।

**आगमन मशीनें (Calculating Machines)**—विभिन्न प्रकार की आगमन मशीनें मिलती हैं, जिनके द्वारा विवेयता प्रविधित कोई भी मनुष्य कही शोधना में जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भ्रग करने का बायं कर सकता है। जोड़ने की मशीनें दो वर्गों में विभाजित ही जा सकती हैं। (क) अमूचोकरण कोटि (Non-listing Type) अथवा मूचोकरण कोटि (Listing Type), (ख) पूर्ण अद्वा स्टेंडर्ड की बोर्ड कोटि (Full or Standard Key Board Type); (ग) इन कुंजी कोटि (Ten Key Type), (घ) हाथ लिवर कोटि (Hand Lever Type), (च) स्वचालित विद्युत कोटि (Automatic Electric Type)। बाजार में दृढ़तम् भी ऐसी मशीनें मिलती हैं, जिनमें इन कोटियों का मिश्रण होता है। उनका कीचे बर्गन किया जाता है —

अमूचोकरण कोटि की मशीनें मर्केमिक मरल, सीवी, जोड़ने की मशीन हैं। सात के लेवर सत्तर तक कालन वाली मशीन मिल सकती है। मूचोकरण कोटि की मशीन का मचालन मिलान्ता वही है, जो उपर खालि मशीनों का मचालन मिलान्ता है। अन्नर बेबल इनना है कि प्रदेव मन्त्रा फिले (Tape) पर लिखी पूर्ण बीचोड़ काटि की होती है और उन मन्त्राओं का जोड़ भी लिखा होता है। प्रयेक जोड़ने की मशीन या बीचोड़ कोटि ही होती है। पुनः प्रदेव जोड़ की मशीन या तो हाथ लिवर इस्स की होती है अथवा स्वचालित विद्युत इस्स ही। रेमिंगटन (Remington) तथा बरोज (Burroughs) दो सर्वोत्तम इस्स की मशीनें हैं।

**कॉम्पटोमोटर (Comptometer)** दृढ़न प्रकार के आगमन करता है। यह प्रांगों की, दशमलवों, मिलों, सनी प्रकार की बरेम्बियों, भागों तथा मात्रों (Weights & Measures) आदि को जोड़ता है, घटाता है, गुणा करता है तथा विनाजित करता है। यह जोड़ने का काम तो मन्त्रिय की ओरेजा दुगनी तेजी से तथा गुणा, भाग करने का काम दस गुनी देजी से करता है और घटाने का काम तो प्रायः तेजा करता है।

**बिल बनाने की मशीन (Billing Machine)**—जानुनिक विलिंग मशीन या बिल बनाने की मशीन टाइपराइटर तथा आगमन मशीन का मिश्रण है। विलिंग मशीन के अनेकानेक लाभ तथा उपयोग है। प्रदत्तों (Forms) को उचित त्रैम से रख दिया जाए तो एक बार लिखने पर १८ प्रतिलिपिया लेयार की जा सकती है और इस प्रकार टाइपराइटर के प्रदूक्ति दिये जाने पर किसी दिल की बार-बार प्रतिलिपि करने की परेशानी ने छूटी मिल जाती है। आगमन विन्कुल ट्रैक होता है, क्योंकि वह दस्त द्वारा किया जाता है। बिल मशीनों में कुछ ऐसा दस्त होता है कि वह प्रविष्टि मन्त्रव्यापी मन्त्रियों के होने पर मशीन को आर में आर बन्द कर देता है। इस प्रकार की मशीनों की जो विभिन्न प्रकार की बोटियां होती हैं, उनमें वह कोटि, जो लिखने का काम करती है, चारों प्रकार के आगमन कर लेती है तथा इस प्रकार की मशीन के ऊरिये एक ही बार में कई प्रतिलिपि निकाली जा सकती है।

इसके जरिए विद्युतेषणात्मक तथा वर्गीकरण कार्य भी किया जा सकता है तथा इस प्रकार की मशीन सर्वोत्तम होनी है ।

यही लेखन मशीन ( Book-keeping Machine )—ये मशीनें बिल मशीनों की तरह होनी हैं, क्योंकि ये भी टाइपराइटर और वाणिज्य मशीन का मिथ्यण हैं । वस्तुतः दोनों एक मशीन में ही सम्युक्त घर दी जानी हैं । जिन अभिलेखों के लिए प्रायः अभिलेखन मशीन व्यवहार की जाती है, वे ये हैं । क्य रोजनामचा (Purchase Journal), वितरण रोजनामचा (Distribution Journal), विक्रय रोजनामचा (Sales Journal), विक्रय व लागत रोजनामचा (Cost & Sales Journal), प्राप्त नगदी रोजनामचा (Cash Received Journal), सामान्य रोजनामचा (General Journal), प्राप्त खाता रोजनामचा (Accounts Receivable Journal) ग्राहक निवरण (Customers Statement), विप्रेषण पत्र (Remittance Advice), प्रैफ रोजनामचा (Proof Journal), लागत पत्र (Costs Sheets), भाटार अभिलेख (Stores Record), माल सूची अभिलेख (Inventory Record), वेतन सूची अभिलेख (Pay Roll Record) । इन मशीनों के कई प्रकार मिलते हैं, जिनमें बरोज, रेमिंगटन, नेशनल, इलियट पीशर, स्मिथ प्रीमियर, मॉस्ट्रॉड विस्थान हैं । ये मशीन विभिन्न विस्मों में बलम-बलम दृग की होनी है । साधारण स्वचालित वही लेखन मशीन हो सकती है जिनके जरिये खतियान (Ledger Posting) तथा विवरण लेखन (Statement) दोनों कार्य किय जा सकते हैं । यद्यपि ये विद्युत् स्वचालित टाइपराइटर लेखास्तन मशीन (Typewriter Accounting Machine) हो सकती हैं, जो उस जगत्का में सभी लेखाक्षन (Accounting) कार्य के लिए व्यवहृत की जा सकती है, जहाँ टाइपलिखन व्होरे (Detail) की आवश्यकता है । यह मशीन एक मचालन में कई प्रपत्रों को प्रविष्ट करती है और स्वचालित रीति में पूर्ण विराम बाद लगा देती है, उन्हें तालिकावद्ध कर देती है, तथा नियि भी डाल देती है । ज्या-ज्या मद (Item) की प्रविष्टि होती है, त्योंस्थों अलग प्रैफ या अवेद्धण पत्र (Sheet) पर उसका चलनेल होना जाता है । इसमें जल दण्डिका (Cross Check) की सुविधा प्राप्त होनी है और इसे दीनिन तथा विभागीय मन्त्रालय (Sectional Balancing) के लिए व्यवहृत किया जाना है ।

उचित कार्यालय यन्त्रा के उपर ये म होने वाले लाभ के अनिवार्य वही लेखन उद्याम न आधुनिक वही लेखन तथा कार्यालय व्यवस्था का प्रमुख गहायाग प्रदान की है और वह सहायता है महीन तथा वर्ष के अन्त म वही लेखन तथा नियिकों द्वारा जनिरिक धड़िया म वाम करने की मनौमियत का लगभग जन्त हो जाना । इन मशीनों द्वारा यह समझ हो सका है कि वही लेखन की प्रविष्टिया जबतन रखी जाय

इन प्रकार यह भी सम्भव हो सकता है कि जब जावेस्कोला हो तब विवरण तैयार कर दिया जाए। शुद्धता, चालू तथा बाह्य इष्ट की छोड़ भी दें तो इस प्रकार दैनिक नियन्त्रण की सुविग्रहीय बहुत संख्या मध्येन के छत्तरोत्तर बदले उपयोग को उचित ठहरानी है।

**रोक पट्टी तथा मिक्सा समाल यन्त्र (Cash Register and Coin-handling Devices)**—रोक पट्टी मुद्रित तथा जमुद्रित दोनों प्रकार की होती है, तथा यानिक्षण मचान की दृष्टि में चाढ़ी बार्म तथा लौंबर वाली दोनों प्रकार की होती है। मुद्रित किसी वाली नियन्त्रित चार में मॉडलों किसी एक मॉडल की हो सकती है।

योग मुद्रक में (Total Printer) में योग अभिन्नेन (Total Record) की व्यवस्था होती है जो रिसीव भी समय कागज के ट्रूकें पर छाता जा सकता है। तुल विक्री (Total Sales) के अन्तरिक्ष कागज के ट्रूकें पर नियमित अन्तर की सम्भाया, 'No sale' चाढ़ी जितनी बार व्यवहृत की गई, उनकी सम्भाया, जोड़, तथा जागमन यन्त्र किसी बार शब्द पर लगाया गया इष्टकी सम्भाया तथा मध्येन की सम्भाया भी मुद्रित हो जाती है। शाम को मुद्रित कागज को दैनिक व्यवस्था के स्थायी अभिन्नेन के स्थ में फार्डल किया जा सकता है। विनार मुद्रक (Detail Printer) में फॉले (Strip) पर प्रयेक मद की विक्री, नीद की प्रहृति, विक्रेता के हस्ताक्षर जयका विभागीय चिह्न होता है। विनार तथा रसीद मुद्रक (The Detail and Receipt Printer) में रसीद मुद्रक यन्त्र लगा होता है जो ग्राहक के लिए दिक्कट तथा रसीद निर्गमित करता है। विनार योग-मुद्रक विक्री को मदों को मुद्रित करता है, नया उन्हें जोड़ना है और योग का उल्लेख करता है। इम पट्टी में विन्यून अभिन्नेन होता है तथा यह रसीद निर्गमित करती है, जिसमें मदबार विक्री तथा विक्री का योग दिया रखता है।

**मिक्सा समाल यन्त्र (Coin-handling machine)** में तीन भाग होते हैं। मध्येन वे मिशे पर रेजगारी परान मा है, जयका देटिका त्रिमें मध्यी प्रकार की रेजगारी रसीद जाती है, जो बोई विनमें चाहिया होती है, रेजगारी की प्रयेक इकाई के लिए एक बतार, जिने दबाने पर इन्टिल मध्या में रेजगारी निकल आती है, और मिक्सा भराग, जिसमें हाईर निश्चे गिरते हैं, होते हैं। मिक्सा समाल यन्त्र (Coin handling Machine) तीन प्रकार के होते हैं, यथा मिक्सा दिक्काजर (Coin Seperator), जो मिशेखुरी रेजगारी को जग्ग-जग्ग करता है, मिक्सा गार्ड-तथा-बराई भगान (Coin counting & Packing Machine), जो मिशेहों की तिनों बगानी है और उन्हें लोटानी है। यह एक बार में एक तरह के मिशेहों जिनकी और लोटनी है—मिक्सा दिक्काजर व गार्ड, जो मिशेहों की एक ही बार में जिनकी भी करती है, उन्हें अच्छा-जग्ग सी करती है तथा लोटनी भी है।

**टायम मुद्रक मर्गेने (Time Recording Machine)**—समय मुद्रक मर्गेने समान्तर दो प्रकार की होती है। एक वे जिसमें काँड़े मा बागर बार

कार्ड की तरह घुसा दिया जाता है और दूसरी बैंजनमें अन्दर के ड्रम के चारों ओर लैपटे कागज पर समय अवित्त वर दिया जाता है, जैसा कि प्रवेश तथा प्रस्थान अभिलेख करने वाले ड्रम किस्म के रेकॉर्ड पर होता है। समय भुद्रक यत्र के प्रमुख उपयोग ये हैं। प्रवेश व प्रस्थान या उपस्थिति अभिलेख, कार्य अभिलेख तथा समय सुद्रग (Time-recording)। पहले प्रबार की मशीन की व्यवस्था में कर्मचारी (Employee) दिन में प्रायः चार बार अपने समय का अक्षण करता है—जब वह प्रातः बाल पहुँचता है, जब वह भोजन के लिए दोपहर का प्रस्थान करता है, जब भोजन से लौटकर बापस आता है और जब वह सध्या को प्रस्थान करता है। कार्यालय (जाव) भुद्रक का प्रबान उपयोग फैक्ट्री में होता है जहाँ यह जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक मजदूर ने प्रत्येक नाम के सम्बादन में कितना समय लिया। जाने वाली डाक तथा अन्य कागजात पर विभागों द्वारा सम्पूर्ण कम्पनी की ओर से भुद्रा लगाने भी समय भुद्रा का उपयोग विद्या जाता है।

अन्य कार्यालय मशीनें तथा विविध साबन (Other Office Machines & Sundry Devices)—उपर्युक्त प्रबान मशीनों तथा उपकरणों के अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यालय में विभिन्न यत्रों का उपयोग विद्या जाता है, विशेषतया बचत तथा बाल के लिए। डाक विभ.ग में इन मशीनों में इनके नाम लिए जा सकते हैं—गाढ़ रमान की मशीन (Gumming Machine) जिससे थाथ इन चौड़ाई तथा किसी भी लम्बाई का कड़ा गोद लगा द्वागज सफाई से फाढ़ तथा भिंगो दिया जाता है विसमें उसे पलंग तथा पासल में लगाया जा सके। छपड़ा लगाने की मशीन (Sealing Machine) परा तथा पासलों पर सफाई तथा तेजी से छपड़ा लगाती है। टिकट लगाने की मशीन (Stamp Fixing Machine) टिकटों की गिनती करती है तथा उन्हें चिपकाती है। ये टिकटों गोल ल्पेट (Roll) के रूप में खरीदकर मशीन में डाल दी जाती है। टिकट छापने की मशीन (Franking Machine) एक उपयोगी मशीन है, जो समय की बचत करती है। यह मशीन लिफाको तथा अन्य डाक के पासलों पर टिकट छाप देती है। मोड़ने की मशीन (Folding Machine) गर्ती पत्रों तथा अन्य कागजों को बड़ी सर्व्या में समान आकार में मोड़ने के काम आती है। स्टेपलिंग मशीने पत्रों और अन्य कागजों को एक जगह जोड़ने के काम आती है। स्वचालित सर्व्यक्तन मशीन (Automatic Numbering Machine) पत्रों व बीजकों, लाभाश अविनां आदि पर सर्व्या देने वे लिए व्यवहृत नीं जाती हैं। इस मशीन को लगातार एक ही सर्व्या को, अथवा अमिन्स सर्व्या (Consecutive Numbers) को, अथवा एक सर्व्या को नई बार छापने के लिए समाप्ताजित किया जा सकता है। इस कार्य के लाद इसे पुनः शून्य पर लगा दिया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त बहुनेरो अन्य यन्त्र हैं, जिनका स्थानाभाव के कारण उनके नाम ही जिना दिये जाते हैं। Cheque Protectors, Writers Certifiers, Calculation Rulers, Coupon Printing Machine,

## Eylet Fasteners, Paper-cutting Machine आदि ।

इनमें भीतरी सम्पर्क की विधियाँ की चर्चा की जा सकती है । इन विधियों की आवश्यकता प्रत्येक बड़े कार्पोलिप में होती है । घटी सो सबसे छोटा पन्थ है, जिसमें बटन दबाने का अर्थ है कि अपेक्षित व्यनित की आवश्यकता है । परामर्श अद्यवा विचार-विनियम के लिए टेलीफोन प्रणाली का प्रत्येक कार्पोलिप में उपयोग किया जाता है, ताकि कार्यपाला के समय की बचत हो । भवन के विभिन्न भागों में लेख्यों (Documents) के यानायान के लिए न्युमेटिक नली (Pneumatic) का अक्सर उपयोग किया जाता है । सम्बाद बहन की दूसरी विधि है, त्रीड टेलीराइटर (Tube Telewriter) अद्यवा टेलीप्रिटर, जिसके जरिए लिखित या मुद्रित संवादों को टेलीफोन या टेलीशाफ्ट लाइन के जरिए, जो भी उपलब्ध हो, लगभग उसी कार्य स्थानालंबित किया जा सकता है ।

## अध्याय १३

# व्यवसाय संयोजन

(Business Combination)

पिछले ५० सालों में व्यवसाय-क्षेत्र में दो ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिन्होंने नियन्त्रण की तथा नियन्त्रणकर्ता की शक्ति को दृष्टि से इसे बहुत भावानाय रूप दे दिया है। पहली घटना है नियमित प्रबार के कारबार की प्रधानता। दूसरी मुख्य घटना, जिसने धन के अत्यधिक बैंकीकरण को (जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी एकान्विकार स्थापित ही गया है), बढ़ावा दिया है, पहली घटना पर निभंग है। यह है एक सारे उद्योग के लिए या राष्ट्रव्यापी आवार पर नीति वा नियमित और शक्ति का प्रयोग। यह पूजीपति के उपच्रम वा, अपनी आवाक्षाओं पर लगने वाली प्रतियोगितामूलक रुक्कटों को विद्वस्त बरने का। सबसे शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि इससे 'लाभ' की माना में कभी बरनेके लिए पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है और 'हानियों' के भीते घट जाते हैं। असल में यह व्यवसायियों वे पारस्परिक सहृदयता वाही आगे बढ़ाहुआ रूप है जिसकी परिणति संयोजनों (Combinations) में होती है—ये संयोजन संयुक्त स्कृप्त कम्पनी से अगला बदम है। इसलिए व्यवसाय संगठन के विकासोन्मुख प्रक्रम में भागीदारी और समुक्त स्वयं कम्पनी के बाद संयोजनों को रखना चाहिए। संयोजनों के अनेक रूप हैं—ये इस रूप में भी हो सकते हैं कि घोड़े से स्थानीय दूकानदारों ने विना लिखा यह समझौता बर लिया हो कि एक दूसरे से विना सलाह दिये कीमतें कम न बरेंगे और यह विसी उत्पादन-वार्ष वे सारे धन में काम बरने वाली व्यवसाय कोठियों वे अत्यधिक समानोलन या सायुभ्यन के रूप में भी हो सकता है।

आजकल उत्पादन क्षेत्र का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा हो जिसमें वार्ष बरने वाली फर्मों में इनमें से विसी न दिसी प्रबार वा समझौता न पाया जाता हो, पर इन समझौतों का सीमाविस्तार और प्राधिकार बहुत भिन्न-भिन्न होने हैं। निसदेह, ओद्योगिक इकाई वा आवार वा बहुत प्रभाव पड़ता है—योडी सी बड़ी कर्म अधिक आसानी में संयोजित हो सकती है, बहुत सारी छोटी-छोटी देश भर में विलरी हुई फर्में उतनी आसानी स संयोजित नहीं हो सकती। विभिन्न प्रबार के संयोजनों वा वर्णन बरने न पहले, उनके नियमित वे प्रेरक कारण और परिस्थिरियों वा वर्णन बरने में धात अधिक अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी।

संयोजक आन्दोलन के बारण, अवस्थाएँ या अवसर—जिन बड़ों के परिणाम-स्वरूप मनाज्ञन जान्दोलन वा प्रादुर्भाव हुआ था, वे बड़े जटिल हैं और उन्ह मींवे

एनदायक रीति से नहीं चला सकते थे, और कायंदाक इस भारण द्वि वे अपनी वस्तुओं के लिए गहरा तलाश नहीं कर सकते थे। मगम वयतनीय मरीना का उपयाग करके और उनमें सुधार करके, प्रत्येक नदी कर्म, जो आकार में पुरानी कर्मों से बड़ी होती थी, पुराने कर्मों उन्हें मिल होती थी और इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक गहरयते करता था कि ऐसे कीमत मरीना रख कर उगानार माल बेच सके। पुराने उत्पादक दिछडे वर्षों के लाभ में और नई मरीने लगाने थे, और इस प्रकार हर बार अपने उपयोग का आकार बढ़ा कर लेते थे और प्रतियोगिता का अधिक घार बना देते थे। “प्रतियोगिता के इन तरह धोर हो जाने से, जो जागुनिक यथा प्रदर्शन की एक मार्गिक घटना है, मरीजों के निर्माण की नीति पड़ी।”

प्रतिरिठिया क्लासिकल (Classical) यथाकालीन भी व्याय प्रतियोगिता में आस्था रखते थे और इसे बढ़ावा देते थे। किसी भी प्रशार का मरीजन दुरा समझा जाता था। उनकी दृष्टि में प्रतियोगिता वह नैर्तिय नियम था जो मानव जाति के लाभ के लिए परिवालिन होता था। पर उनकी यह मिल होते थे अभिलाषा ने कि “व्याय प्रतियोगिता से ही अविक्तम उपयोगिता प्राप्त होती है”, उनमें यह गृहन विद्वान् पैदा कर दिया कि बाजार की स्थिति म गति तकनीकी व्यक्तियों के कार्य में जाती है और ये लाग प्रतियोगिता के नैर्तिय नियम का “नैर्सिक” रीति से अनुसरण करते। यमल में जो हुआ वह यह था कि औद्योगिक उपकरण और वाणिजिक कौशिया गाहवा का आकृष्ट करने के लिए बार-बार कीमतों में कमी, और गला-काट प्रतियोगिता करने लगी, और यह तब तक चलता रहा जब तक सबके सब दितीय विनाश के टट पर न था गये। इस प्रकार, प्रतियोगिता, जो व्यापार का जीवन बतायी जाती है, बहुत अधिक दूर तक जाकर मरीजों के आरम्भ और बृद्धि का एक बहुत प्रबल मारन बन गयी, व्यावरि इसका एकमात्र इतन यही था कि उत्पादकों और व्यापारियों में किसी ऐसे रूप में सहयोग होना चाहिए जिसमें कीमतें एक मीं कायम रखी जा सके। यदि सबका जीवन बचाना है तो प्रध्येक का कुछ अग्र साम्रै के खाने में डालना चाहिए।

प्रार्थनिक दृष्टि से (Subjectively), जैसा कि लैफरन ने बताया है, मरीजन का विकास पूर्जी-जीविय और लाभ के दोनों बहुत विवरण होने जाने के बारण हुआ। बारण, कि धार प्रतियोगिता के दो प्रशार होने थे। एक ओर तीन पूर्जी जीविय बढ़ती जानी थीं और दूसरी ओर लाभ कम होता जाता था। परवृहतार्थ माप उत्पन्न का विश्वास संरोजनों के निर्माण की एक सहायक परिस्थिति बन गयी। सस्या में कम, पर आकार में बड़ी फर्म, जिसे स्पष्ट से रेलवे मुक्तियाएं, बहुत विस्तृत हो जाने पर, बहुत सी छोटी-छोटी पर्म की अपेक्षा अधिक जानवारी रख सकती थी। प्रतियोगी कर्मों की सस्या में कमी के साथ यह तथ्य भी मिल गया कि प्रतियोगी एक दूसरे में व्यक्तिगत स्पष्ट से मुश्यरचित थे, और वे अपनी व्यापार सम्बन्धी समस्याओं की परम्पर चर्चा किया करते थे, जिसमें सामृद्धिक वार्षिकारी के लिए व्यवसर बन गया। इसलिए, संयोजन आन्दोलन उन परिस्थितियों का परिणाम है जो उनीसकी शरीर के बन्ति

चरण में और उमरे बाद विद्यमान रही है। मयोजन के लिए उद्दीपन तो सदा मौजूद था। इमत्रा अवभर प्रतियोगी फर्मों की मस्त्य में कमी, परिवहन मुविधाओं में वृद्धि और समाजम में बढ़ोतारी का परिणाम था। हेतु इन बलों को "वैकर्निग अवस्थाएं" या सर्वेन-कारी अवस्थाएं कहता है।

एक और सकृतकारी बवन्या यह समवता थी कि अतिमूजीकरण से लाभ होगा। पूजों को "सीधकर" और "जहा पहले एक अंत (शयर) उठाना या, वहा दो उठाकर, बहुत अधिक लाभ उठाना समझ था।" परिष्कल्पन (Speculation) की और कीमतों की सहमा वृद्धि की अवधियों में, मयोजन निर्माण के लिए उत्तेजन मिलता है, परंतु कमी-कमी उच्च गमति प्रतियोगिता को कम करने और अपनी विक्री कीमत कच्चे सामान की चट्ठी हड्डी कीमत और भजदूरियों के साथ यथासमझ शीघ्र समजिन करने के लिए भरमक यन्त्र करते हैं।

तटकरों (Tariff) का प्रभाव—विभिन्न देशों की तटकरनीनिया ने मयोजन के निर्माण की मुविधाएं पैदा कर दी। तटकरों के प्रचलित हो जान से सरक्षित उद्योगों का कीमत सघ (काटल) आदि बनाने का सामर्थ्य बहुत बढ़ गया क्योंकि उनके लिए बाजार को एकलिन करना (Isolate) करना और उम पर एकाधिकार करना समझ हो गया। एकाधिकार बनाने के लिए वहा प्रबलतम उद्दीपन होता है जहा उद्योग की कोई शाक्ता सार बाजार का अद्देले सनरित कर सकती हो, पर तटकर सरदार का पूरा लाभ कीमत सघ बनाकर ही उठा सकती हो। भारत का चीनी उद्योग और जर्मनी का लोहा उद्योग इसके उदाहरण हैं। कुछ लोग तो यहा तक कहते हैं कि सब मयोजनों का जनक सरकारात्मक तटकर ही है। पर यह कहता अतिमयोक्ति है कि तटकर ही सयोजन का मुख्य कारण है क्योंकि अनेक प्रकार के सयोजन बिना तटकरों के पैदा हुए और बढ़े हैं, जैसे ड्रिटन में। सरदार सयोजन के जन्म और वृद्धि में उन जगह मुविधा कर सकता है जहा व्यवसायों को प्रभावित सयोजित करने के लिए परमावश्यक बारव और बदल स्वतन्त्र हप में विद्यमान हा।

बृहत्परिमाण समझन के लाभ—हम पहले ही यह विचार कर चुके हैं कि बृहत्-परिमाण समझन किस प्रकार उत्पादन, प्रबन्ध, वित्तीय प्रशासन और विषयन या बाजार-दारों में बहुत बचत करता है।<sup>3</sup> समेकन या इकट्ठे करने की विधि का आधय बृहत्-परिमाण परिचालन के लाभ उठाने के लिए ही लिया गया था। न बेवल चालू लागतों—“कारबार करने के चालू परिव्यय—जो कम करने के लिए, बन्क भविष्यत् लागतों—“हरहरह से इसे इत्तेके लाइब्ररी—हरे भरे लूलतस इत्तेके, लिए ही उदारतात्मकतों ने समाजन का आधय लिया। धनिज समेकन और दीपं समेकन के हप में बृहत्परिमाण परिचालन भविष्य की अनिश्चितता और जोसिन का सामना करने का एक प्रभावी साधन हो गया। आम तौर में सयोजन का प्रेरणा दल “लाभ” (Profit)—अन में कुछ बचा हेने—को समझा जाता है पर असल म “हानि से बच जाने”—अन में पूजो नाम

को रोकने—वे लिए सयोजन किये जाते हैं। और इमी प्रकार सयोजन सफल उपत्रमों के रूप में, न केवल अपनी भविष्य वी लागतों की व्यवस्था करते हैं, वलिक वे कम सफल उपत्रमों वी जोखिम कम करने में भी मदद देते हैं। दूसरे शब्दों में, वे समिट (सयोजन) (Combine) के एक अवयव के रूप में अन्य उपत्रमों द्वारा भविष्य म उठायी जाने वाली हानि का कुछ हिस्मा भी उठाते हैं।

**व्यापार-चक्र**—साग की घटबढ से, जो आर्थिक अवस्थाओं की परिवर्तिता (Variability) या व्यापार-चक्र की निपत आवृत्ति के कारण होती है, वेदीवरण की दिशा में गति वह जाती है। व्यापार-चक्र का प्रभाव दो तरह का होता है। प्रथम तो, “मशी (Depression) के दिनों में कमज़ोरों की समाप्ति का प्रत्रम अधिक तीव्र हो जाना है और अदक्ष फर्मों को दक्ष फर्मों अधिक तेजी से खात्मान् करती है, अदक्ष फर्मों सारा कुछ खो बैठती है। इसने विपरीत, समृद्धि के दिनों म किसी विशेष क्षेत्र के द्वर्वल सदस्य भी जीवित रह सकते हैं। यदि आर्थिक अवस्थाएं सदा अच्छी पा चुगी रहेती हों फर्मों का सारमा कम हो और वटी फर्मों की विशेष स्थिति जानी रहे तथा काम अधिक अच्छी तरह चले, पर मह हाना नहीं। धुरे वक्त आने ही है और कमज़ोर कारखाने ताकतवर कारखानों की आड में थाथ्रय लेने ह। दूसरा प्रभाव मनो-वैज्ञानिक है। कारवार की जोखिम अभी उग्र रूप धारण भी नहीं थरती कि उसका सामना करने के उपाय किये जाने लगते हैं।”<sup>1</sup> ऐसा करने का तर्क्यगत मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि एक तो चक्र की आवृत्ति दीर्घावधि (Long-period) जोखिम है जो अपने विश्व सगठन के लिए मैदान तैयार कर देती है और उत्पादकों की स्वतन्त्रता में कमी होने के एतराज को व्यर्थ कर देती है, और दूसरे, बाजार की खराब हालत का अल्लावधि (Short-period) दबाव इस दिना म एक सहायक तथ्य हो जाता है। जोखिम नियारण एक प्रतिरक्षात्मक गस्त है, इसलिए सयोजन वादीलन समृद्धि के दिना से सबमें अधिक जोरदार प्रनीत होता है, और मशी के दिनों में इसम बहुत मिथिलता दिखायी देती है। इसने बलाग, सयोजन एक प्रकार का उपनम (Enterprise) है और उपनम, आने सब पहुँचा की दृष्टि से, अच्छे व्यापार के दिनों म सबमें जबित मुम्य होता है।

**परीक्षणात्मक आर्थिक नीति**—परीक्षणात्मक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता- (Instability) पैदा होती है। यह चलार्य या करेसी, व्यापार, राजकोपीय (Fiscal) और मजदूरी सम्बन्धी नीतियों जादि के लगातार परिवर्तनों से प्रभावित होती है, और चलार्य जादि की अस्थिरता ने व्यष्टि फर्म के योजनानिर्माण में अनिश्चितता का लक्ष बहुत बढ़ा दिया है। जोखिम पहरे में बहुत बढ़ गयी है। आर्थिक नीतियों इन अस्थिरता ने भी जार्थिक स्केंड्रेट (Concurrent) की बढ़ावा दिया है। जोखिम जितनी अधिक हुई, वटी व्यापार-मस्तिष्ठाएं (Concerns) दिशेपक्कर के व्यापार मस्तिष्ठाएं जिनम अनेक उद्योग या उनी उद्योग या व्यापार के विभिन-

1 Macgregor, Introduction to Lieberman's Cartels etc., p. XXV

हिस्मे समाविष्ट हो, बनाने के लिए उद्दीपन भी उतना ही अधिक मिला। अधिक नोति के द्वारा परिवर्तनों के कारण उत्पन्न अनिश्चितता फर्मों को उत्पादन के अन्य क्षेत्रों की फर्मों में हिस्थेदारी करने या उन्हें खरोदने के लिए प्रोन्नाहित करनी है। वार्षिक नोति ने जिन अनेक रीतियों से औद्योगिक सबोन्डेन्स को बढ़ाया है, यह उनमें से एक है।

**पेटेंट या एक्स्ट्र विधियों** ( Patent Laws ) —एक्स्ट्र विधियों में मर्केंट्रेंग को बहुत बढ़ावा दिया है। एक्स्ट्रों ने व्यष्टि फर्म की स्थिति तो दे ही दी है, पर इसमें भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने कीमत सधों या व्यापार-स्थाओं के निर्माण को स्थायित्वा प्रदान कर दी है। असली एक्स्ट्र कीमत सधों या एक्स्ट्र न्यामों के जलावा, अनुमतियों ( Licence ) के विनियम ने साधारणतया कीमत सधों के निर्माण म मुद्रित्वा कर दी है, अर बहुत से कीमत सध, इसी तथ्य के कारण बने हुए हैं जि सध छोड़ने वाले सदस्यों का कुछ एक्स्ट्रा पर अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसके अनिरिक्त, उन व्यापार-स्थाओं के निर्माण पर एक्स्ट्रों का निर्णयित्व प्रभाव पड़ा है जिनका उद्देश्य एक्स्ट्र अधिकारों का प्रयोग करना और बाहरी जादमियों को रोकना है।

**व्यष्टिगत योग्यता**—शील्ड<sup>1</sup> ने यह मुझाव पश किया है कि एक या कई जादमियों की सगठन-योग्यता, कुमल प्रतिभा या वैयक्तिक महत्वाकांक्षा भी कुछ व्यवसाय-स्थायोंजनों के निर्माण का आधिक कारण रही है। व्यवसाय बुद्धि की दुर्लभता के कारण भी शक्ति उन घोटे से हाथों में केन्द्रित हो गयी जिनमें व्यावसायिक अनुदृष्टि, व्यवसाय बुद्धि, और व्यावसायिक साहम मौजूद था।” इम प्रकार उद्योग के टैक्निकल या प्राविधिक और प्रशासनीय विभास में जो अन्तर रहा वह भी योजन आदेलन को बढ़ावा देने वाला एक कारण बना।

**महाकाय की पूजा**—उत्तीसवीं शती के मध्यभाग के साथ महाकाय की पूजा (Cult of the Colossal) का प्रादुर्भाव हुआ। इसने अग्राहकी शताब्दी के प्रबल प्रभाव को जितना अधिक दूर दिया, उतना ही आकार की, शक्ति की और अविराम व्यस्तता, निष्पल उत्तेजन तथा विशाल आपामों की मादकता रहने कर ली। इसने मात्रा के बड़पन को काफी पानपोर्ट समझ लिया, यात्रिक सगठन और बैन्ड्रीवरण आम चीज हो गए, महाकाय, अनि-अल्लवारमय और विपुलाकार का फैसल चल पड़ा था। महाकाय की पूजा का अर्थ या सिफ़ “बड़पन” के आगे झुकना; इसका मतलब यह था कि जो बाहर में छोटा दीमता है उसमें नफरत; यह शक्ति और एकत्व की पूजा थी। मुक्तिय जीवन के सब क्षेत्रों में अक्षियर (Superlative) की इच्छा पैदा हो गयी थी। इसी बाल में, “शाड आर्मी, ” “शाड इंधूकू”, “प्रेट पावर्स” आदि शब्दों में बढ़े के बाचक विशेषणों का जारी हुआ, और ये शब्दों के सम्मान की आवाहन दरने लगे। उम जमाने को इस दैलों के अनुमार ही इसी मात्रा में आजादी की अपूर्व बृद्धि, महाकाय उद्योग, एक्स्ट्रारिट्र और प्राविधिक गतिमत्ता (Technical dynamism) पैदा हुई। सर्वानि धर्मिय ममझी

जाने लगी, इससे दोभा और मान भिजने लगा और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। इससे अन्य मनुष्यों पर सपरिवार को अधिकार भिजने लगा, मनुष्य के पास जितनी अधिक सम्मति होती थी, वह उतनी ही आदरयोग्य या बड़ा हो जाता था। समेकन या सयोजन की विभिन्न रीतियों से अनेक व्यवसायों के नियन्त्रण के बेद्रेण से शक्ति में वृद्धि हो गयी और इसलिए सयोजन को हाड़ होने लगी।<sup>1</sup>

सयोजनों के प्रहृष्ट—हेनी लिखता है कि 'सयोजित होने का अर्थ है समिट का एक अधिकार बन जाना, और सयोजन का अर्थ सिर्फ़ यह है कि किसी साझे प्रयोजन की पूर्ति के लिए एक समिट या समूह बनाने के बाते व्यक्तियों वा ऐव्हय।' इसलिए, यथार्थतः दो या अधिक व्यक्तियों के साहचर्य या इवट्टे होने को सयोजन कहते हैं। इस दृष्टि से देखने पर, एक भागीदारी भी, जो साझा व्यवसाय करने के लिए की जाती है, सयोजन का एक प्रतीक है। पर यहा हमारा प्रयोजन औद्योगिक इकाइयों से है, जो एक साझे प्रयोजन—अर्थात् "महाकाय व्यवसाय" द्वारा प्रतिपोषिता में कभी—की सिद्धि के लिए साथारण साहचर्य द्वारा या समेकन द्वारा एक साथ मिल जाती है। जैसी इकाइयों को एकत्र करना हो, उनके अनुसार सयोजना के चार मुख्य प्रतीक हैं, अर्थात् क्षेत्रिज, शीर्ष, वृत्तीय या भुजीय और विभर्णीय।

क्षेत्रिज, समातर, इकाई, या व्यापार सयोजन बहा होना है जहा वही व्यापार या उत्पादन कार्य बरने वाली इकाइयों को एक प्रबन्ध के अधीन कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कई सीमेंट फैक्ट्रियों को एक प्रबन्ध के अधीन सयोजित कर दिया जाए तो क्षेत्रिज सयोजन होता है। उसी प्रकार की कई इकाइयों का ऐव्हय उसी धरातल, अवस्था या प्रक्रम पर होता है। क्षेत्रिज नयोजना में प्रतियोगिता, की समाप्ति और वृहत्परिभाण समेकन के लाभों की बास्तविक मिलिं होने म सुविधा होती है। शीर्ष, प्रक्रम, अनुक्रम (Sequence) या उद्योग (उद्योग का समेकन) सयोजन तब होता है जब विभी एक उद्योग की उत्पादन की विभिन्न उत्तरोत्तर व्यवस्थाओं को एक प्रबन्ध के अधीन समाप्त कर दिया जाता है। तमवन उसी उद्योग की विलक्षुल पहली अर्थात् कच्चे सामान की स्थिति से लेकर विनरण व्यवस्था तक हो सकता है। दृष्टा आवरण बर्म, जो लोहे की कच्ची धात वी खानो, व्लास्ट भट्टियो, इसपान कारखानो, किनिशिं कारखानो, कोक मट्टियो, व बोयलासानो का मालिङ है, शीर्ष सयोजन या समेकन का अच्छा उदाहरण है। शीर्ष समेकन से कोप्टागारण या सप्त्रह, वित्रय, नय और परिवहन में बचत होती है। भुजीय, वृत्तीय, मिश्रित या पूरक (Complementary) सयोजन वे हैं जिनमें सम्बन्धित या कभी-कभी संबंध भिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइया इकट्ठी हो जाती है। विभर्णीय सयोजन बहु होता है जहा सहायक सेवाएं, जैसे भरमन के कारखाने, व वितरक सेवाएं, भी उत्पादन के मुख्य कार्य के साथ-साथ की जाती हैं। इन प्रकार इन सेवाओं के लिए द्वारा पर निर्भर नहीं होना पड़ता और चाल तथा नियंत्रण मुनिदिच्चत हो जाती है।

## सम्योजनों के रूप

प्रतियोगिता भम करने और या वृहत्यरिमान सम्गठन के लाभ प्राप्त करने के लिए जा अनेक तरीके निश्चाले गये हैं, वे अपन विकास के त्रम से निम्नलिखित हैं—

१. अनौपचारिक समझौते
२. औपचारिक समुच्चयन (Pooling) समझौते,
३. कौमन मध (Cartels),
४. न्यामी विधि,
५. हिनो के स्वामित्व की विधि,
६. धारक (Holding) कम्पनी विधि,
७. नांपडन (Consolidation),

### ८. व्यापार-सम्पद,

पर इन शब्दों के प्रयोग में वृद्धा विभ्रम पाना जाना है और यदि हम हेतु द्वारा दिये हुए एक वर्गीकरण को ही अपना ले तो बच्चा रहे। उसने सब रूपों को दो मूल्य वर्गों में समूहित किया। सरल सम्योजन, और सम्युक्त सम्योजन। सरल सम्योजन निर्माणिक व्यक्तिया (Natural Persons) का सोधा सम्योजन या साहचर्य है, जैसा कि भागीदारी में होना है, और इस पर पहले पूर्णतया विचार किया जा चुका है। हमरे समूह, अर्थात् सम्युक्त सम्योजना, में कमर दिये हुए आठों वर्गों वा समावेश हो जाना है। इसलिए इम योजना वे अनुमार सम्योजनों का वर्गीकरण कुछ-कुछ इस प्रकार होगा—

### १. सरल साहचर्य (Simple Association)

क व्यापार सम्पद

ख वार्मिक सम्पद या ट्रैड यूनियनें

ग वाणिज्य महाल या चैम्बर आर कामसं

घ अनौपचारिक समझौते।

### २. सम्पादन या फंडरेशन

क विश्व सम्पद या पूल

ख कौमत सम्पद या काटेल।

### ३. समिडन (Consolidation)

क वासिक समिडन।

(१) न्यामी

(२) हिनो वा स्वामित्व : (१) अवाधारण या शेषरहोस्टिङ (२) अतर्वद्द

निदेशना (Interlocked Directorate), (३) समूह हित, अर्थात् प्रबन्ध कमिट्टी या मैनेजिंग एंट्रोट।

(३) धारक कम्पनी : (१) नुइ, (२) परिचालन (आपरेटिंग), (३) जनक,

(४) सत्रिति, (५) प्रायमिक, (६) यम्बवर्ती।

स. पूर्ण मणिन

- (१) समासेलन (Amalgamation)
- (२) संविलयन (Merger)

### सरल साहचर्य

व्यापार संघ—उद्योगपति, व्यापारी या बागान-मालिक (Planter) माले हिनों की सिद्धि के लिए बहुआम मिलकर अपने व्यापार मध्य बना लेने हैं। व्यापार मध्य विभीति विवेष व्यापार या उद्याग के हिनों की देव-रेख के लिए बनाये जाने हैं, और स्थानीय या वर्ग के आधार पर होने हैं। इनमें उदाहरण है बम्बई मिल मालिक मध्य, अहमदाबाद टैक्सटाइल मिल मालिक मध्य, ईस्ट इंडिया काटन अमोरियेशन, बगाड मिल एंड आर्ट मिल बोनर्स अमसियशन, यूनाइटेड प्लाटमें अमोरियेशन, कैलकाटा ट्रेड अमोरियेशन, भद्राम ट्रैडम अमोरियेशन आदि। इनमें संघों की बनेक बार घैट्के होनी हैं, और ये उनमें माले हिन वी वानों, पश्चा वज्ज्ञा सामान, मजदूरों की कमी, परिवहन की समस्याओं, राज्य की नीति, आदि पर विचार करते हैं। उनका सदृश यह हाना है कि सदस्या भ परम्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा मिले और प्रतिनिधित्व आदि द्वारा उनके हिनों की रक्षा हो।

कार्मिक संघ या ट्रेड यूनियन—कार्मिक मध्य या ट्रेड यूनियन शब्द वाम तौर पर मजदूरों के एक या गष का बाचक है जो उनकी भेषणन शक्ति (Bargaining Power) को दृढ़ करके उनके हिनों की देखभाल के लिए बनाया जाता है। पर भारतीय कार्मिक मध्य अधिनियम के अनुसार, कार्मिक संघ या ट्रेड यूनियन “वह मध्योजन है जो मजदूरों और मालिकों के, मजदूर-मजदूर के, या मालिक मालिक के मम्बन्धों को विनियमित करने के प्रयोजन से, या विभीति व्यापार व्यवहा व्यवसाय पर नियंत्रक शर्तें लगाने के लिए बनाया जाता है।” इडियन जूट मिलम एमोरियेशन मालिकों की “ट्रेड यूनियन” का उदाहरण है। व्यापारियों के संघ, मिश-मडल, और इर्षी तरह के वन्य मध्योजन भी अपने आपको ट्रेड यूनियनों के स्पष्ट मर्जिन्स्टर करा मजते हैं। थीक-थीक देखें तो ट्रेड यूनियन या कार्मिक मध्य कर्मचारियों का एक नगदन है, जो उनकी समस्याओं को हल करने का एक प्रबल मापदंश है। यूनियन उनकी आय बढ़ाने के निमित्त उच्ची मजदूरियाँ के लिए तथा उम आय को मुनिश्चन करने के लिए, कार्य करने के नियम बनाती है। यह जगता (Seniority), नवीकरण के विनियमन (Regulation of Innovation), बेवार मदस्या की सहायता, वार्षिक मजदूरी, वाम पर नियंत्रण, वाम के मम्बन के विनियमन आदि द्वारा उनकी रक्षा करने का यन करती है। इन सब कार्यों में यूनियन कुछ मफ़्तना के साथ यह आपह बरती है कि मजदूरग का आय वा अविकार है, ति उनकी मजदूरी उनकी आपदेवता की पूर्ण करत वारी हानी चाहिए, और कि मजदूरी की दर मिर्च वाम की बीमत या गांत का हिंगाव लगान की नीति में कुछ विभिन्न चीज है।

**अनर्टर्ट्रीय अम सगडन**—यह सगडन १९१९ में बर्माई की सभि के भाग १३ द्वारा उनके "अम" शोपिंग के प्रयोग बनाया गया था। इन सगडन को जन्म देने वाले मिट्टान में थे। (१) सार्वजिक शानि तभी कापम रह सकती है जब वह न्यायोचित अनिक अवस्थाओं की व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय पर आधारित हो, (२) अभिक अवस्थाओं का अनर्टर्ट्रीय विनियमन, (३) काम करने के अनियन्त्रित व साप्ता-हिक घटों की स्थापना, बेकागी का निवारण, पर्याप्त जोखन-न्याय मजदूरों की व्यवस्था तथा जरने रोबगार के कारण होने वाली चोट में मजदूर की रक्षा, बच्चा, किनारों, स्त्रियों आदि की रक्षा। इन सगडन में दो अंग हैं (१) सदस्यों के प्रतिनिधियों का वृहन्मेलन, (२) एक शासन-निकाय द्वारा नियन्त्रित एक अनर्टर्ट्रीय अम कार्यालय। सम्मेलन की बैठक समवयमय पर होती है, पर प्रतिवर्ष कम में कम एक बार ता होती ही है। इनमें प्रत्येक सदस्य राज्य के चार प्रतिनिधि होते हैं—दो सरकारी प्रतिनिधि तथा एक-एक मार्गिकों और मजदूरों का प्रतिनिधि। सम्मेलन की मिशनरियों और अभियमय सदस्य राष्ट्रों का अधिकार करने होते हैं। यदि कोई सदस्य इन अभियमयों को अगोदार तथा अनुमर्थित न करे तो अनर्टर्ट्रीय कार्यालय का शासन निकाय उस मामल को समालोचा है। पृष्ठा आयोग (Commission of Inquiries) बैठाया जा सकता है, या अनर्टर्ट्रीय न्यायालय से राय लो जा सकती है। यह प्रमाणना की बात है कि, अनर्टर्ट्रीय वाणिज्य मडल के अन्दर, इम सगडन को सम्भालना और पारस्परिक विद्वाय तथा न्याय को बढ़ाने के अपने उद्देश्य में बड़ी सफलना मिलो है।

**वाणिज्य मडल**—ये व्यवसायियों के मध्य है जो अपने सदस्यों के लाभ के लिए तथा अपने नगर या जिले के व्यवसायी-वर्ग के लाभ के लिये कार्य करते हैं। अन्य वाणिज्य मडलों के माय सहयोग करते वे देश के मारे वाणिज्यिक समाज की इच्छाओं और आवश्यकानाओं के विषय में भी आवाज उठात हैं। भारत और इगलैण्ड में वाणिज्य मडल व्यवसायियों का स्वेच्छया निर्मित मध्य होता है और इसका राज्य में कोई सम्बन्ध नहीं होता। पर कुछ देशों में, उदाहरण के लिए श्राम में, वाणिज्य मडल अवं-सरकारी निकाय होते हैं जिनमें वाणिज्यिक समाज के बोर सरकार के प्रतिनिधियों की कुछ-कुछ निश्चिय मस्था होती है। इन वाणिज्य मडलों का वाणिज्य मत्रालय से प्राप्त निकट सम्बन्ध होता है, और इन्हें वाणिज्यिक महत्व के सरकारी उपकरण, यथा पोनगाहो, जहाजों घाटों, बेंजर हाड़ों आदि का परिचालन सीप दिया जाना है और इन्हें अपने सेवाधिकार में वाणिज्यिक समाज पर कर लगाने की शक्ति होती है।

लदन चैम्बर आफ कामर्स इम प्रकार के मध्य का अच्छा उदाहरण है और किसी वाणिज्य मडल के कामों को भवित्वने के लिए इमके उद्देश्यों पर विचार करना अच्छा रहेगा। इसके कार्य ये हैं :

१. लदन के व्यापार, वाणिज्य, नौवहन (Shipping) और निर्मितियों को बढ़ावा देना तथा ब्रिटेन के स्वदेशी, औरनिवेशिक तथा विदेशी व्यापारों को

आगे बढ़ाना।

२. व्यापार वाणिज्य नीचहन तथा जन्य निर्मितियों से सम्बन्धित सांस्थिकीय तथा अन्य जानकारी एकत्र करना और अन्य-अलग छाटना (Dissimilation)।

३. उपर्युक्त हितों को प्रभावित बरने वाले विधानात्मक या अन्य उपायों (Measures) को प्रोत्साहित या समर्घित बरना या उनका विरोध बरना।

४. व्यापार, वाणिज्य या निर्मिति में पैदा होने वाले विवादों को मध्यस्थ-निर्णय द्वारा निपटाना।

५. व्यापार, वाणिज्य या निर्मितियों के विस्तार में सहायक या उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में प्रासादिक अन्य कार्य करना।

**भारत में वाणिज्य मडल—**भारत में आधुनिक वाणिज्य का निर्माण पदिचम व्यापारियों ने विद्या और यह बहुत समय उत ही वे हाथों में रहा। उन्होंने इसकी रक्षा के लिए वाणिज्य मडल तथा अन्य अनेक ऐसी समस्याएँ बनायी। पर हाल के वर्षों में भारतीयों ने इस वाणिज्यिक जीवन में बहुत भाग लिया है और वह प्रतिदिन बढ़ रहा है। उनके भाग लेने की मात्रा देश के विभिन्न भागों में विभिन्न मूल-दशों की प्रवृत्तियों और प्रतिभाके अनुसार बहुत भिन्न-भिन्न है। उदाहरण के लिए, बम्बई भारत के बौद्धोगिक और वाणिज्यिक पुनरर्जीवन में अग्रणी रहा है। बम्बई, बलक्ता, मद्रास और अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में वाणिज्य मडलों की स्थापना हुई है। वाणिज्य मडल समय-समय पर सरकार को भारत की वाणिज्यिक व औद्योगिक उन्नति को प्रभावित बरने वाली समस्याओं का जान बरतते रहते हैं, और गैर-सरकारी मत को समीक्षित बरने तथा वाणिज्यिक भावना को निरूपित बरने महत्वपूर्ण कार्य बरतते हैं, जिसका महत्व उस अभिज्ञान से प्रकट होता है, जो उन्हे राज्य से, उनकी प्रतिष्ठा और परम्परा के अनुसार भिन्न-भिन्न मात्रा में, प्राप्त होता है। वे विभिन्न केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय निवायों में वपने प्रतिनिधि चुनव बोर्ड भेज सकते हैं। ये प्रतिनिधि गैर-सरकारी होने के बारें, विधान मडल के समक्ष प्रस्तुत विसी विधान या विषय पर कोई भी रख अपना सकते हैं। मडलों का प्रतिनिधित्व पोर्ट ट्रस्ट, इप्रूवमेंट ट्रस्ट आदि कल्प-सरकारी (Quasi-Government) सम्बन्धों में भी होता है। केन्द्रीय और राज्य सरकार व्यापार, वाणिज्य और उदाग को प्रभावित करने वाले कदम उठाने से पहले प्रभुत्व वाणिज्य मडलों और संघों की राय पूछती है, और उनकी सलाह पर आदर वे साथ विचार किया जाता है।

ये वाणिज्य मडल प्रान्तीय या स्थानीय हैं और या वे व्यापक या अधिल भारतीय हैं। राज्यवर्ती मडलों और संघों का मुख्य सम्बन्ध राज्य के वाणिज्य और उद्योग की बहुतरी और बहुतरी से होता है। राज्यवर्ती वाणिज्य मडलों में बगाल चैम्बर आफ बामसं, बगाल नेशनल चैम्बर आफ बामसं, भारतवाडी चैम्बर आफ बामसं, बबई चैम्बर आफ बामसं हैं। अखिल भारतीय वाणिज्य मडलों की संख्या १५ है। एसोसिए-टेड चैम्बर आफ बामसं, जिसमें देश के विविध भागों के १५ वाणिज्य-मडल हैं, सारे

भारत में योरोपीय वाणिज्यिक हिन्दों की रक्षा और मुष्मगठन की दृष्टि से १९२० में बनायी गयी थी। फेडरेशन आफ इन्डियन चैम्बर आफ कामसं एण्ड इण्डस्ट्री, जो १९२६ में स्थापित हुआ था, भारत के वाणिज्यिक और औद्योगिक हिन्दों का प्रतिनिधित्व करने वाला केन्द्रीय संगठन है। फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य अन्दरौशीय और अन्यदेशीय व्यापार, परिवहन, उद्योग और निर्मितियों तथा वित्त में भारतीय व्यवस्थाय की अभिवृद्धि करना है। इसका मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली में है, और ५० से अधिक मडल और सघ इनके सदस्य हैं। बाल-इडिया आगनाइजेशन आफ इडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट की स्थापना १९३२ में हुई थी आर यह उपर्युक्त फेडरेशन से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य उद्योग को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्रोत्साहित या नियन्त्रित करके औद्योगिक उन्नति को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त वाणिज्य मडलों और सघों के अलगबाहु और भी महत्वपूर्ण मस्तिष्ठान अर्थात् इडियन चैम्बर आफ कामसं, कलकत्ता, इडियन कौलियरी ओनसं असोसियेशन, कलकत्ता, इण्डियन टी अनोमियेशन, इडियन मेन्डल काटन कमिटी, इडियन माइनिंग अनोमियेशन, इण्डियन माइनिंग फेडरेशन, माइनिंग एण्ड जियोलोजिकल इस्टीट्यूट आफ इडिया, वाइन, स्पिरिट एण्ड बीजर अमोमियेशन आफ इण्डिया, बाल-इडिया नैन्यपर्कचर्टम अमोसियेशन।

इटरनेशनल चैम्बर आफ कामसं या अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मडल—इन मडल की स्थापना बेल्जियम, फ्रान्स, ब्रिटेन, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स के मुख्य व्यावसायिक हिन्दों की एक बैठक में १९२० में हुई थी और बाद में ४० अन्य देश इसमें शामिल हो गये। इसकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति करने, तथा व्यापार निवन्धों के प्रभावों को कम करने या हटाने के लिये की गयी थी। इस वाणिज्य मडल का प्रबन्ध एक परिषद् बर्ली है जिसके महसूस देशों की राष्ट्रीय समितियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होने हैं। महामंचित्र एक अवधारणा और एक छोटी-नी कार्यवारिणी समिति के अधीन रहवार परिषद के नियमों को कार्यान्वित करता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यह प्रति दूसरे दर्जे के नियमों में एक मम्मेलन बर्ली है जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिन्मा लेते हैं। जो देश मद्यस्य बनना चाहे, उसमें एक राष्ट्रीय समिति बनायी जाती है जिसमें देश के औद्योगिक, वाणिज्यिक, वित्तीय और परिवहन हिन्दों के प्रतिनिधि होने हैं। राष्ट्रीय समितियां एक ओर परिषद् के, तथा दूसरी ओर, उम्म देश के वान्नदिव सदस्यों के, दोनों जोड़ने वाली कड़ी का काम करती है। अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मडल ने विभिन्न देशों के व्यापारियों के आपनी विवादों को निपटाने में सुविधा करने के लिए एक मध्यस्थ न्यायालय स्थापित किया है। अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मडल की भारतीय राष्ट्रीय समिति १९२८ में उन्हीं उद्देशों की सिद्धि के लिए स्थापित की गयी थी जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मडल बनाया गया था। इसका मुख्य कार्यालय नयो दिल्ली में है।


अनौरवारिक समझौते ( Informal Agreements )—मरल साहचर्य के एक और प्रकार ने यह स्वरधारा किया कि प्रतियोगी उपकरणों ने निर्मित

पदार्थों पर की गयी सेवाओं की कीमतों को प्रत्यक्षत नियत्रित करने के प्रयोजन से आपस में समझौते कर लिये। सरल समझौतों में दोनों पक्ष एक-दूसरे से बचन-बद्ध हो जाते हैं। उन्हें कभी-कभी “कार्यवाहक समझौते”, “भद्र पुरुषों के समझौते”, “कीमत संयोजन”, “युला कीमत संधि” आदि कहते हैं। इस समझौते में हिस्मा लेने वाले सब व्यक्ति या इकाइया, अपना पृथक् अस्तित्व कायम रखते हुए अपने वापदों का पालन करने के लिए पावन्द होते हैं। यहा को हुई जवान लिखित समझौते से अधिक महत्वपूर्ण है। ये समझौते मुख्यतः चार रूपों में होते हैं—विद्रोही की दर्ता, कीमत विनियमन, बाजार का विभाजन, और उत्पाद (Out-put) का विनियमन। इनमें से पहली चीज ग्राहकों को दिये जाने वाले उधार (प्रत्यय-Credit) की दर्ता, सविदा (Contract) के रूप या डिस्काउन्ट के बारे में होती है।] कीमत विनियमन में एक कीमत या कीमत को निम्नतम सतह निश्चित कर दी जाती है जिससे नीचे प्रतियोगियों को नहीं बेचना चाहिए। इनमें डिस्काउन्ट देने का प्रतिवध करने एक-दूसरे से नीचे दाम में बेचने पर भी रोक लगायी जाती है। इसमें न तो निर्माण में और न विपणन में ही कोई वास्तविक बचत होती है, क्योंकि यह तो एक निश्चित कीमत से नीचे न बेचने का समझौता मान है। समझौते में तथा कीमत स्वभावत उस कीमत से ऊची होती है जो प्रतियोगिता होने पर आती। परिणामतः इससे अदक्ष फर्मों का सरक्षण होने लगता है, और अधिक दक्ष फर्मों अपनी दक्षता वा फल नहीं प्राप्त कर पाती। तो भी, जहाँ तक समझौते का सावधानी से पालन किया जाए वहाँ तक, कुछ अवस्थाओं में इसके परिणामस्वरूप प्रतियोगिता कीमत से हटकर ब्वालिटी में होने लगती है। पर, ग्राय, प्रतिकूल परिस्थितियों में यह समझौता टिक नहीं पाता। जब माग या उत्पादन क्षमता कम होती है तब समझौता करने वाले अधिक डिस्काउन्ट देकर, या समझौते में न बाने वाली वस्तुएँ सस्ती बेचकर, या दर्जन में से वन्नुएँ देने आदि की नयी गणित प्रचलित करके समझौता भग बरते हैं। समझौते को सब सदस्यों पर लागू करने की कठिनाई इस रूप की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि इस तरह का समझौता व्यापार का निरोधक होने के बारण न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।

समझौते का तीसरा रूप—बह स्प, जिम्म बाजार उत्पादकों में बाट लिया जाता है, भी मिनव्ययिना की दृष्टि में कुछ प्रभावी नहीं होता। प्रत्येक सदस्य अपने साथी के बाजार में भूमने की प्रतिज्ञा बरता है। शुरू में यह प्रतीत हो सकता है कि बाजार के इस प्रकार के बाबटन से विपणन की दागत कम हो जानी होगी, पर वास्तव में यह कम नहीं होती, क्योंकि दक्ष फर्म अदक्ष फर्म में बाजार में बेच सकती है और इस प्रकार उसे खतम कर सकती है। बाजार का क्षेत्रोंय विभाजन निर्माण उद्योग में पगन्द नहीं किया जाता। क्योंकि उत्पाद कर बाजार स्थान-सीमित रही होता। समझौते के चौथे रूप में उत्पाद के विनियमन की व्यवस्था होती है। इसका मतलब यह है कि उत्पाद पर निर्वन्धन लाकर कीमतें ऊची रखी जाए और इस प्रकार बामदनी बढ़ायी जाए। उत्पाद को, माग के अनुसार उत्पादन करने या बाम के घटे कम करने, निवन्धित किया जा सकता है।

## नंदान (Federation)

**समुच्चयन समझौते—( Pooling Agreements )** — शिखिल और उपरोक्त होने में, सरल समझौते के निष्पत्त हो जाने पर समुच्चयन समझौते किये दिये जिनमें कुछ सफलता हुई। समुच्चय, अर्थात् विक्रय मध्य, में कीमत निर्धारित करने वाले कुछ घटक समुच्चयित किये जाने हैं पर विभिन्न सगठनों का अपना अस्तित्व बना रहता है। हेतु ने बौद्धिगिक समुच्चय या विक्रय मध्य की परिभाषा यह बोहे है, “व्यवसाय इकाइयों द्वारा स्थापित वह व्यवसाय मण्डन, जिसके सदस्य कीमत बनाने वाले प्रक्रम के लिये घटक को एक सामै पुज में समुच्चयित करके और उस पुज को इकाइयों में बाट कर कीमत पर कुछ नियन्त्रण रखने का यत्न करते हैं।” इसमें सभरण पर कुछ न कुछ नियन्त्रण किया जाता है, और समुच्चय के प्रक्रम के अनुभार थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह कीमत-निर्धारक घटकों, यथा माल के सभरण या बाजार धर्म, को मिर्के छलमाधिन ( Manipulate ) करके अनुकूल कीमतें कायम रखने का यन्त्र किया जाता है।। सरल समझौते में कीमत सिर्फ निश्चित कर दी जाती है, और वह इन, कम में न बेचने का समझौता करके कायम रखना चाहता है; पर समुच्चय या विक्रय सभ कीमत नियन्त्रित करने के तत्र बी व्यवस्था नी करता है। समुच्चयन समझौता मदा एकमी ही वस्तु बनाने और बेचने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित रेखाचित्र विक्रय मध्य समझौता करने वाले सदस्यों का पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित करता है।



समुच्चयों या विक्रय मध्यों को विभिन्न प्रक्रमों में बाटा जा सकता है, जैसे उत्पाद या यानायान समुच्चय, बाजार या धर्म, समुच्चय, आय या लाभ समुच्चय, आदि।

**उत्पाद समुच्चय—**उत्पाद समुच्चय उमी उद्योग के सब या प्रमुख निर्माताओं द्वारा किया जाता है जो अपने उत्पादों को एक कान्पनिक पुज या समुच्चय के रूप में संयोजित करने का समझौता करते हैं और इस समुच्चय को लिये स्वीकृत आधार पर

आपस में बाट लेते हैं। यह मुख्यतः "अति-उत्पादन" (Over-production) से वचने के लिये अपनाया जाता है। प्रत्येक सदस्य को उत्पादन का एक मामिक प्रतिवेदन देने पड़ता है, जिसका बटन के साथ मिलान किया जाता है; जो सदस्य बटित मात्रा में अधिक उत्पादन करता पाया जाता है, उस पर जुर्माना दिया जाता है। इस समुच्चय का नियम यह है कि सदस्य सब बात गोपनीय रखते हैं। इस समुच्चयन का लाभ यह है कि इससे अधिक दिवारी के लिए कम कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। इसकी हानि यह है कि यह अदक्षता पैदा करता है, और प्रत्येक को पुरानी फर्मों के स्तर पर लाने की बची-बचायी विधि को प्रभापित करके प्रगति को रोकता है।

**यातायात समुच्चय—**यातायात समुच्चय का सबसे अच्छा उदाहरण "शिपिंग कान्फ्रेस है।" जिन विशिष्ट परिस्थितियों में समुद्री दाहनों को काम करना पड़ता है उनके परिणामस्वरूप उनमें प्राय बड़ी तोत्र और विनाशकारी प्रतियोगिता पैदा हो जाती है। इस तरह की प्रतियोगिता के दृष्टिरिक्षामों से वचने के लिए जहाज चलाने वालों, विशेषवर लाइनरों में समझीने करके ऊची दर बायम रखने का यत्न किया जाता है। शिपिंग कान्फ्रेस शिपिंग कम्पनियों का एक संयोजन है, जो न्यूतावित वद या स्कूट (Closed) होता है। यह संयोजन किसी भार्गविशेष पर व्यापार करने में प्रतियोगिता को रोकने या विनियमित करने के प्रयोजन से बनाया जाता है, अर्थात् विविध कम्पनियों आपस में जो समझौता करती हैं, वह कुछ निश्चित धोनों के भीतर या विशिष्ट वदरगाहों के बीच में होने वाले व्यापार पर लागू होता है। एक स्टॉकिंग कम्पनी कई कान्फ्रेस की सदस्य हो सकती है, पर एक कान्फ्रेस में यह जो वचन देती है वह दूसरी में दिये हुए वचन से सर्वर्थ स्वतंत्र होता है। इस प्रकार मेल शिपिंग कम्पनियों का सब कामों के लिये मेल नहीं होता, बल्कि उनके एक निशिष्ट धोन में काम करने के बारे में समझौता होता है। ये एक सी भादा-दरे तय कर देते हैं, और या तो गतव्य वदरगाहों (Ports of Call) को बाटवार, या याना पर निर्वन्धन लगाकर, या कुछ जहाजों द्वारा ले जाये जाने वाले माल की मात्रा तय करके यातायात का बटवारा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, उसी वन्दरगाह से चलने वाली दो या अधिक जहाजी कम्पनियों यात्रा पर रखाना होने की अलग-अलग तारीख बाटवार खुली प्रतियोगिता को समाप्त, या कम से कम, तो कर ही सकती है। इस प्रकार दो कम्पनियों एक ही दिन याना के लिए एक-दूसरे से होड नहीं लगाती। कुछ अवस्थाओं में भाड़े की कुल कमाई, या उसका एक हिस्सा समुच्चयित कर लिया जाता है और उसे किसी पूर्व-निर्धारित आधार पर बाट लिया जाता है। इस प्रकार, दर कम करने का प्रबल-तम उद्दीपन हट जाता है। इस तरह की व्यवस्था को कभी-नभी मनीपूल या धन-सचय समुच्चय कहते हैं। नये प्रतियोगियों को व्यापार से बाहर रखने का एक सबसे प्रभावी तरीका स्थोरित अवहार पद्धति (Deferred Rebate System) कहलाता है। इस पद्धति से, शिपिंग कान्फ्रेसे प्राय एकाधिकारी और बहुधा भ्राज-विरोधी सगठन बन जाती है। ये इस तरह काम करती हैं—कम्पनियों प्रपत्रों (Shippers) को सूचना या सुन्दर भेजने उन्ह सूचित करती हैं कि

यदि कुछ निश्चिन अवधि ( प्राय छह माह ) के अन्त में वे कानूनों के जहाजों के प्रलावा और विभी जहाज से माल नहीं भेजेंगे तो उन्हे उनके उस अवधि में अदा किये हुए कुल भाडे वा कुछ हिस्मा ( प्राय १० प्रतिशत ) ट्रेडिंग कर दिया जाएगा, और यदि वे इनके बाद भी कुछ निश्चिन समय ( प्राय छह मास ) कानूनरम से बाहर के विभी जहाज से माल न भेजेंगे तो वह धन उन्हें अदा कर दिया जाएगा । रेलों का यातायात समुच्चय इन तरह दिया जा सकता है कि प्रतियोगिता बासे दो या अधिक स्थानों के बीच में होने वाले यातायात को प्राप्तियों को समुच्चयित कर लिया जाए और जहा प्रतियोगिता नहीं है, वहा उन्हें अपनी-अपनी गाड़िया स्वतंत्र हृष से चलने की छठ हो । प्राप्तियों दो विभाजित करने मे पहले, प्रयेक सदस्य को सर्व चलने के लिए कुछ न्यूनतम राशि ले लेने दो जाती है । मुख्य उद्देश्य यह है कि दोहरी गाड़िया न चले और व्यर्य को प्रतियोगिता न हो ।

**बाजार समुच्चय या क्षेत्रीय बटन**—कीमतें कायम रखने का एक और तरीका यह है कि बाजार को समुच्चयित कर लिया जाए और उमे संयोजन के सदस्यों मे विभाजित कर लिया जाए । एक दृष्टि मे, इम तरह प्रन्येक मदद्य पर कुछ माम पहुचनी निश्चित हो जाती है और इसलिए इन तरह के समुच्चय वो कीमत नियरण के माम वाले पहलू को प्रभावित करने का यान माना जा सकता है । पर इन उद्देश्य का एक हिस्मा यह है कि दूसरे विभागों के सदस्यों वो उनके क्षेत्रों मे भीमित करके कुछ विभागों में माल के समरण को निर्बन्धित कर दिया जाए । क्षेत्र या बाजार का समुच्चयन प्रत्यक्ष नामोन्नेस द्वारा अथवा अप्रयक्ष तरीको मे किया जाता है । तय की गयी कीमतें प्रतियोगिता को कीमतों से ऊपर होती हैं, जिममे बटिनी ( Allottee ) दो मिले हुए क्षेत्र मे बहुत अधिक माल बेचकर उनके लिए अधिकतम शुद्ध प्रतिफल पाना सभव हो जाता है । इम तरह के समुच्चय अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक फैल सकते हैं और विभिन्न देश पारस्परिक प्रतियोगिता को नियन्त्रित करने के लिये ऐसे ही तरीके अपना मन्त्र हैं । बाजार वो इन तीन रीतियों मे बाटा जा सकता है—(क) प्राहको द्वारा, (ख) माल द्वारा, या (ग) क्षेत्र द्वारा । क्षेत्र के फिर दो उपविभाग किये जा सकते हैं । “पे ट्रेटिटरो” अर्थात् वह क्षेत्र जिस पर समझौता लानू होता है और “फ्री ट्रेटिटरो” अर्थात् वह क्षेत्र जिसे पर समझौता लानू नहीं होता । समुच्चय के अन्तर्गत क्षेत्र में लो जाने वाली कीमत वा स्नर “बुनियादी बोमन” के स्प मे तय कर दिया जाता है, और इसके लिए एक स्थान वो ‘बुनियादविन्दु’ ( Basing Point ) बना दिया जाता है । इस लग्न तय की गयी बीमत का जड़ेद्ध अधित्र लास-प्रार्टिं होता है । जल्द किसी बिन्दु पर बीमत उन्होंनो तय की जाती है जो बुनियादी बिन्दु बोमन तथा इन बिन्दु ने उन बिन्दु की माझ दर के जोड़ के बराबर होती है ।

**आय तथा तान समुच्चय**—उन्नाद समुच्चय तथा बाजार समुच्चय दोनों ही दो दिशाओं मे निप्रभाव सिद्ध हुए । अनि-उन्नाद हो रहा था, और इनलिए समुच्चयन समझौतों की अवहेलना के लिए बड़ा प्रबोधन था; दूसरी ओर, गाहूँ इसे नामन्द


वरते थे क्योंकि इसमें उनकी यथेच्छा सरीदने की स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती थी। तब आय समुच्चय बनाये गये जिनका आशय यह था कि आहको को माल चुनने का भीका मिले और प्रत्येक को कुछ लाभ हो जाये। इस समुच्चय में, गाहकों को माल देने के सभरण के टेका पर ली जाने वाली कीमत एक बन्द्रीय बोर्ड हारा तय कर दी जाती है, जिसमें वस्तु बनाने वाले सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं। मविदा या टेका प्राप्त करने के लिए वार्ड हारा तय की हुई कीमत से वही राशि के लिए बोलिया जाती है। टेका मवमें ऊची बोली वाले को मिलता है। बोर्ड हारा तय की गयी कीमत और टेका रेने वाले सदस्य हारा बोली गयी ऊची कीमत म जो अतर होता है, वह समुच्चय में जाता है। यह बाद म समुच्चय के हिस्मेदारों को, उनकी उत्पादक क्षमता के अनुपात में बाठ दिया जाता है। सदस्य उत्पादन के संचय पूरे करने के लिए काफी बुनियादी कीमत अपने पास रख रहे हैं और इस तथा विक्रय कीमत के बीच का अन्तर समुच्चय म ढाल दिया जाता है। कुछ अवस्थाओं में, कीमतें और उत्पाद पहले ही तय कर दिये जाते हैं, विभिन्न सदस्यों को निश्चित कोटि दे दिये जाते हैं, और संचय के लिए स्वीकृत एवं निश्चित राशि से अधिक सारी आय समुच्चय म दे दी जाती है। इस प्रकार आय समुच्चयों में नियन्त्रण का अन्तिम बाधार उत्पाद या सभरण है।

समुच्चय समझौतों के लाभ ये हैं—(क) निर्माण की सुविधा, (ख) अतिमूली-वरण (Over capitalisation) का भय नहीं रहता, क्याकि संयोजन शिक्षिल होता है, और यह स्थायी एकाधिकारी संगठन के बिना ही कीमत-नावधी जोड़ताह करने मात्र के लिये किया जाता है, और (ग) प्राप्त यानी दोहरे भावे नहीं पड़ते, विशेषकर क्षेत्र समुच्चय में। इसकी हानिया ये हैं—(क) लाभ में वृद्धि के लिए दक्ष प्रबन्ध का स्थान उत्पाद में बर्मी और कीमतों सबधी जोड़ताह के लिए है, और इस प्रकार स्वयक्तृत्व (Initiative) कम हो जाता है और (ख) समुच्चय क्षमताएँ समझौतों की अप्रवर्तनीयता (Unenforceability)—मदस्यों के लिए ही जानें या सहमान करने भ उनकी अनिच्छा के बारण स्थापिता का अभाव रहता है।

कोमलतापथ (कार्टल) या विक्री संघ—वहुत सी अवस्थाओं में समुच्चयन समझौते वर्गी अप्रवर्तनीयता के बारण निपक्ष रहे। सदस्य बद्धा अपनी वित्त राशि से अधिक उत्पादन कर रहे थे। इस बढ़िताई को दूर करने के लिए बुनोव तरह के विनी संघ या सुनिश्चित ढग के समुच्चय शूल किये गये। ये संघ जर्मनी म कार्टलों या कीमत मध्या के नाम से शुल हुए, यद्यपि समुच्चय के ढग के शिक्षिल प्रवार के समझौते भी कार्टल कहलाते थे। इस किम्बद्ध के बारण ही उपर्युक्त प्रवार के समुच्चय समझौता को जर्मन लेखक भया बीन बेकेरेय, राबर्ट लीफर्मन और एच० मुलेनसीफन, आम तौर पर कार्टल के नाम म लिख देते हैं। इस प्रकार जब ये लेखक कार्टल को "वाजार पर एकाधिकार करने के लिए एक ही प्रष्ठप के स्वतन्त्र उपक्रमा या उनके सबधा के बीच अचिक्षक भमझौता" बनात हैं तब वे वर्गी परिभाषा में कार्टल लात या मिटीबेट

(अभियद) और विधिल समझौते, दोनों को समाविष्ट कर लेते हैं। स्पष्ट है कि परिसामा मे सारमूल बात बाजार पर एकाधिकार करना या प्रभुत्व प्राप्त करना है। उनके अनुसार दोनों कार्टल प्रदेशिक या थेब्रीय नियमण, कीमत स्थिरण, उन्नादन और कोटे तथ कर देना, टंडरिंग या कोटेशन या लाभ वितरण आदि का रूप से मनते हैं। चित्रम मे बचने के लिए, यहाँ कार्टल दबद का प्रयोग तिक्क घनिष्ठ प्रकार के संयोजन के लिए बिया गया है जिसमे फर्म मे एक आनिक परिवर्तन हो जाता है, और इने प्राप्त मिडीकेट (अभियद) कार्टल कहा जाता है।

### कार्टल या सिडीकेट



इम प्रकार का कार्टल या सिडीकेट भारत एक विक्य अभिकरण है जो अपनी सदस्य निर्माता फर्मों की ओर से काम करता है। कुछ उत पादक इकट्ठे हो जते हैं और प्राप्त सुनुन स्वन्य कम्पनी के रूप मे एक सम बना लेते हैं जिसके द्वारा वे अपनी बन्नुए बेच सकते। यही सम कार्टल है। सब सदस्य उम कार्टल (याही कम्पनी) से यह समझौता करते हैं जिसे कुछ समय तक अपना मारा माल इमी कम्पनी को बेचते। इसके बाद कार्टल भाल बाजार मे बेचता है। अपित उत्पादकों को उन्नाद की कवालिटी के अनुमान अलग-अलग कीमतें दी जाती है, पर उन कीमतों का प्रमाण कवालिटी के लिए निरिचन छुनियादो कीमत के साथ पहले से सम्मत अनुपात होता है। कार्टल वह कीमत लेना है जो बाजार महन कर सकते और विभिन थेब्रों मे विभिन्न कीमतें लेना है। जब बाजार उत्पाद सारा माल पहा लेता है तिना सदस्य का रिकर सकते हैं, तब आंदो वा, सदस्यों की उन्नाद दायनाओं के अनुगार उनमे रक्षण कर दिया जाता है। यह ध्यान देने मोम्प थान है कि कार्टल विनरा वा मिर्क बायं पूरा करता है, पर अलग-अलग निर्माता के भीतरी ध्रवन्ध मे दखल नहीं देता। कार्टल आशिक या पूर्ण एकाधिकार की स्थिति मे विभगन के सब बायं करता है, जिसमे जोखिम भो शामिल है, पर इसका लक्ष्य असने लिए कोई नफा कमाना नहीं है। जो कुछ लाभ होता है वह भदस्यों मे बाट दिया जाता है और यदि हानि हो तो उममे भी वे हिस्पेशर होते हैं। हमारे देश मे

इस प्रकार वे कार्टल या सिडीबेट का सबसे अच्छा उदाहरण इडियन शूगर सिडीबेट लिमिटेड है जो अब विधित कर दी गयी है। सीमेट मार्केटिंग कम्पनी आफ इडियन लिमिटेड इसका एक और उदाहरण है।

सगठन के हृप में कार्टल सहस्रों के लिए वाफी लाभदायक और बचत कराने वाला है। इस पद्धति में उत्पादन की लागत निकालने के लिए न्यूनतम राशि मिलने की गारंटी ही जाती है। यह अलग-अलग फर्म के लाभों पर बोई प्रश्नकथ सीमा या रोक नहीं लगाती। यदि बाजार कची बीमत "सहन बर ले" तो उच्ची बीमत ली जाएगी और इसके परिणामस्वरूप या तो वितरण के लिए बहुत लाभ प्राप्त होगा और या बुनियादी बीमत ऊची ली जाएगी। इसके अलावा, निर्माण लागत कम करने के लिए विया गया प्रत्येक सफल प्रयत्न उस फर्म के लाभ में उतनी ही बुद्धि करने वाला मिल होगा। इस प्रकार कार्टल पद्धति में, बनाने और बेचने के बार्य पूछक-पूछक कर दिये जाने हैं और निर्माता को बनाने पर अपना स्वायान केन्द्रित करना का मौका मिलता है। इस तरह कार्टल सारे व्यापार बेलिए एक सीधी बाजार अवस्थाएं बना देते हैं, इसके अलावा, निर्माण अर्थ प्रतियोगिता की अवस्था में विया जाता है, और विक्री करने पर कार्टल का एकाधिकार होता है। वस्तु बेचने में बहुत वाफी भितव्यिता हो जाती है क्योंकि अब प्रतियोगिता-परक विज्ञापन को आवश्यकता नहीं रहती और इतने बढ़े पैमाने पर रचनात्मक विज्ञापन करना सम्भव होता है। जितने तथा एक-दूसरी से प्रतियोगिता करने वाली फर्में नहीं पहुंच सकती। सबधित वस्तुएं एक ही अभिकरण द्वारा बेचने में भी उन वस्तुओं को प्रत्येक फर्म द्वारा अलग-अलग बेचने की अपेक्षा कम लागत आती है। उद्योग और उसके वास्तविक तथा सभावित बाजारी से सम्बन्धित आवडों के सम्बन्ध और वितरण का दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। इन वास्तविक बचतों के अलावा, एकाधिकार के बारें होने वाले वित्री के लाभ भी होते हैं। दूसरी ओर, कार्टल पद्धति कम दक्ष फर्में को बनाये रखकर और इसे अधिक दक्ष फर्म से, जो अपना कोटा बड़ा चाहती है, पेशन पाने का अवसर देकर उद्योग को प्रगतिहीन बनाने लगती है। यह अनुशूल व्यापार के दिनों में अस्थास्थ्यकर प्रसार को उद्दीपित करता है क्योंकि इसके घटकों को यह निश्चय होता है कि प्रतिकूल व्यापार के दिनों में यह उन्हें काम दे सकता है। इसके अलावा, कार्टल मार्ग को स्थिर ( Stabilise ) नहीं कर सके। तथ्य तो मह है कि हमारी सारी आर्थिक प्रणाली में, जिसमें अत्यधिक विशेषीकरण और प्रत्यय की प्रत्यास्थिता ( Extrelic specialisation and elasticity of credit ) होती है, व्यापारिक घटवड़ों जड़ इतनी गहरी गयी होती है कि थोड़े से कार्टल उसे खत्म नहीं कर सकते। समझाने के द्वारा का कार्टल, समुच्चय की तरह, प्रभावहीन होता है, पर अपने उपर्युक्त हृप—सिडीबेट—में भी यह इतना दुर्बल होता है कि प्रभावी नियन्त्रण नहीं कर सकता, विशेषपर तब जब बोटे बेचन न-वरीदने योग्य अस्तित्वा हो, इस बटिनाई को हट करने के लिए एक और तरह का संयोजन बनाया गया जो उत्पादन के मूलक्षणों पर नियन्त्रित कर सकता था—मह दूसरे या न्यास कहलाता

है। पर न्यासों का वर्णन वर्तने में पहले एक और तरह के मध्योजन पर विचार कर लेना जच्छा होता जिनका काटल से फँक वर्तने में भूल हो जाती है अर्थात् कोनर और रिंग ( Corner and Ring ) ।


कोनर और रिंग या हस्तेकरण और गुड़—कोनर या रिंग कोई मध्योजन नहीं है, बन्कि अवाइलोन कावों द्वारा बहुत अभिक लाभ हासिल करने का एक तरीका है। कोनर तब होता है जब किनी बाजार की सब बम्पुए, उन पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से खरीद ली जाती है। यह कोई सभ नहीं है बन्कि एक व्यापारिक चाल है जो एक अकेला व्यापारी भी चल सकता है। परना चलता है कि कोनर प्राचीन चाल तथा मध्य-युग में भी होने थे और के जावकल भी जान होता है। रिंग या गुड़ मिलकर कोनर या हस्तेकरण करने के उद्देश्य से बनाया गया कुछ व्यक्तियों का सप्त है यद्यपि आम बोलचाल में इन शब्दों का प्रयोग बाटल के अर्थ में किया जाता है। इन प्रकार गुड़ या रिंग स्वतन्त्र उपक्रमियों के बीच कोई ममताना नहीं है जैसा कि काटल होता है बन्कि मिलकर व्यवनाय करने वाला एक मदुक्त उपकरण है। इनका लक्ष्य यह होता है कि सब वस्तुओं को रोक कर दुलंभता पैदा कर दी जाए जिनमें जीमन चढ़े, जिनमें ऊची जीमन पर मह बचे सके और लाभ उठा सके। गुड़ अद्यतिक परिकल्पनामूल्क ( Speculatice ) उपक्रम है और इसका कीमत, उत्पादन और समरण के विनियमन से कोई सम्बन्ध नहीं, जो काटल का कार्य है। किनी पश्चायं या सारा या बहुत सारा स्टोर एक या दोड़े में व्यक्तियों के नमूद़ के हाथ में जमा हो जाता और उन बाजार में हटा देना व्यापार के उद्देश्य के मर्दया विषय है—व्यापार वा उद्देश्य है वस्तुओं का वितरण। इसके अनिरिक्त, क्योंकि गुड़ मार्गी बम्पुओं पर नियमण, अन्य सब प्राकृतों में ऊची बोलकर अ.र उत्तादिकों द्वारा उनकी मुहनातों कीमत चुकाकर, प्राप्ति करता है, और क्योंकि यह जिनकी बड़ी जोखिम उठाना है उनकी क्षतिग्रन्थि के लिए इन ऊची कीमतों पर बहुत ज्ञेले लाभ उन्हें प्राप्त करने हैं, इसलिए यह बम्पुओं को उपभोक्ता के लिए अवश्य-मेव बहुत महगा बना देता है। दुर्भेतना के दिनों में, उड़ा मुद्राकाल में, स्वार्पी व्यापारी बहुत ऊचे लाभ उठाने के लिए हस्तेकरण या कार्नरिंग करते हैं। इन सब कारणों से नौनंरो और गुड़ों को बहुत दुरा नमस्ना चाहिए।

### आगिक मिश्निं

न्यास या ट्रूस्ट-नगठन के एक प्रकार के हृषि में, मध्यान या एडेशन में घनिष्ठ संयोजन की अपेक्षा कुछ लाभ तो थे, पर इसमें मचालक और प्रबन्ध की अस्थिरता तथा अनुपम सर्वेन्द्रिय की बड़ी भारी कमजोरी थी। इसका इलाज या मिश्निं—सहृदय आगिक मिश्निं और बादमें पूर्ण मिश्निं—जिनमें मायूजन ( Fusion ) हो गया। इस प्रकार वा पहला उपाय न्यास या ट्रूस्ट या जो भूमि में यूनाइटेड स्टेट्स में बना (यद्यपि अन्य देशों में भी इसके उदाहरण मिलते हैं)। यह कह देना इचिन है गा कि “ट्रूस्ट” शब्द का प्रयोग साधारण व्यवहार में सब प्रकार के विभिन्न बड़े एकाधिकारी संयोजनों के लिए होने लगा है; पर एक विशिष्ट व्यावसायिक स्तर में इनका एक

मुनिदिचन अर्थ है, और यहां उसका प्रयोग उम विशेष रूप के लिये ही किया गया है। इसलिए अपने मूल और वास्तविक अर्थ में एक संयोजन न्यास की परिभाषा यह की गयी है कि “व्यवसाय संगठन का वह रूप जो अस्यामी मणिडन के जरिये स्थापित किया जाता है, जिसमें घटक संगठन के स्टाक-होल्डर (या शेयर होल्डर), एक न्यास समझौते के अधीन, अपने निधिपत्रों की नियशक मात्रा (या शेयर संख्या) एक न्यासी महल की हस्तातरित कर देते हैं और इमके बदले में उन्हें न्यास-प्रमाणपत्र (Trust Certificates) मिलते हैं। मे प्रमाणपत्र मयोजन की आय मे उनका साम्यपूर्ण (Equitable) हित प्रदर्शित करते हैं।” इस परिभाषा को निम्न चित्र द्वारा निहित किया गया है।

न्यास



इस चित्र से प्रकट होता है कि न्यामी विविसे कोई न्यास तथा न्यासी महल किम तरह बनाया जाता है और न्यास मे शामिल होने वाले सब व्यावसायिक उपक्रम, यदि वे पहले कारपोरेशन या निगम (मधुकन सम्बन्ध कम्पनी) नहीं हैं, निर्गमित हो जाने हैं। A, B, C, आदि वास्तविकों वे शेयरहोल्डरों वे शेयर न्यास म न्यासी महल का मीष दिये गये और जिसने उनके बदले म ट्रस्ट स्ट्रिक्वेट या न्यास प्रमाण पत्र निर्गमित कर दिये। इस पर न्यासी महल को स्टाक वे स्वामित्व वे वारण मिलने वाले मतदान-अधिकार प्राप्त हा गये और उन्ह असली स्वामियो के हिन की दृष्टि से सदस्य कम्पनियो वा व्यवसाय चलाना पड़ा—असली स्वामियो वो पहले की तरह लाभादा के रूप मे लाभ बढ़ता रहा। मतदान शक्ति के स्वामित्व द्वारा घटक कम्पनियो की नीतियो के नियशक का उपयोग करके, और स्टाक के स्वामित्व ('Title') के स्थानान्तरण के कारण, मधुन्य बंधनकारी (Binding) हो गया और इस प्रगार नाममात्र का स्वामित्व और प्रभावी नियन्त्रण थोड़े स शक्तिशाली न्यामियो व हाथी म आने से अभीष्ट ध्येय की सिद्धि हो गयी। स्टैन्डर्ड लायल ने न्यास का परीक्षणात्मक उपयोग सबसे पहले किया और स्टैन्डर्ड लायल ट्रस्ट जौन बी० राकफैलर ने १८७९ म बनाया जिमवा यूनाइटेड स्टेट्स की शोधन ( Refining ) क्षमता के ९५ प्रतिशत पर नियन्त्रण

हो गया। इन तथा चीनी व हिस्को न्यामों की इतनी अधिक सफलता मिली कि बहुत में न्याम बन गये और न्याम पद्धति पिछली शर्तों के आठवें दशक में यूनाइटेड स्टेट्स में व्यावसायिक फर्मों को समोजित करने की एक महत्वपूर्ण विधि हो गयी।

मतदाना न्यास ( Voting Trust ) सामान्य न्याम के एक स्पष्ट-भद्र के स्पष्ट भौ पूनाइटेड स्टेट्स में प्रचलित हुआ। इस प्रकार के न्याम म स्टार्क न्यासियों को सौंप देने हैं, और उन्हें स्वतंत्रों को बेचने तथा लानाश प्राप्त करने के अधिकार अपने पास रखते हैं। इन तरह वा न्याम पर मुनिषित करने के लिए बनाया गया था कि इसी स्टार्क होन्डर के स्टार्क बेच डालन से स्वीकृत नीति में कोई वाचा न पड़े। प्योर आयन कम्पनी ( Pure Oil Company ), जो यूनाइटेड स्टेट्स में १८९५ में बनी थी, मतदाना न्याम का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस कम्पनी की उपनिधियों के एक स्पष्ट भौ में मतदाना न्याम के स्पष्ट किये गये हैं। यह उपबन्ध इस प्रकार है—  
कम्पनी के नव शेयरों का अधिकारा एक स्वादी न्यास के स्पष्ट में घारित होगा—  
यह न्याम में शेयर-होन्डरों द्वारा घारित होगा—जिसमें कम्पनी पर व्यापार नियन्त्रण हो सके तथा यह सम्बन्धित व्यक्तियों के हितों और रक्षा को दृष्टि से कम्पनी वा व्यवसाय चलाने के लिए, स्वीकृत नीति को ईमानदारी में रखते रखा जा सके। इन प्रकार घारित शेयर न्याम अस या ट्रस्ट शेयर कहलायेंगे।” शह में ये न्याम भी शेरमन एटिन्स्ट एस्ट, १८९०, के अधीन अवैध भाने जाने थे, पर Alderman V Alderman, 1935 के फैसले के बाद, वे वैध घोषित कर दिये गये हैं, वहाँ कि वे निम्न के लाभ के लिए ईमानदारी में बनाये गये हो। उनमें प्रबन्ध और नियन्त्रण एकीकृत हो जाना है जो कम्पनी के आरम्भिक दिनों में इनका आवश्यक होता है।

व्यवसाय भगठन के स्पष्ट में न्याम से स्थिरता और स्थायिता प्राप्त होनी थी और नचालन तथा प्रबन्ध वा केन्द्रीकरण हो जाना था, जिसने बृहत्यरिमाण परिचालन के लाभ प्राप्त होने थे। उत्पाद और विपणन पर पूर्ण नियन्त्रण होने के बारण पर, कार्टल की अपेक्षा अविवृत अच्छी तरह कोम्पनी और उत्पाद वो विनियमित कर सकता था। उन्हें एक केन्द्रीय मस्त्यान में स्थगित करके दोहरे भाड़ों में भी बचा जा सकता था और प्रबन्धकोम तथा लिपिक स्वतंत्रों में भी बचन की जा सकती थी। प्रमाणीकरण वा लाभ उठाया जा सकता था और विभिन्न इकाइयों को दबाना देखने की तुलनात्मक लागत को पद्धति लागू करके लाभ उठाया जा सकता था। अन्ततः, वे “पूजी के अधुनत्रुट्वे परिमाण वो नदोजन के प्रयोजनों के लिए प्रभावी स्पष्ट में लाभ सकते थे।”

न्याम की अनुमर्याए और उन पर आधेप बहुत सारे थे। न्याम बनाना अधिक कठिन था, और व्यवहार में, सदम्यों को इनके बारखानों (लाटो) के भूम्याइन के बारे में मनुष्ट करना कठिन मिल होता था। एक बार बन जाने पर न्याम आमानी में बदला नहीं जा सकता था। बहुत बार प्रारम्भकर्ता (Promoters) महत्वपूर्ण दृष्टों को गलत स्पष्ट में पेश करके या छिपाकर अपने लिये बहुत साम प्राप्त कर लेते थे।

एक और सतरा अतिप्रीवरण का था। वे कुछ बाजारों में प्रतिस्पर्धियों की प्रतियोगिता समाप्त करने के लिए अधिमान्य ( Preferential ) कीमतों के आधिक हथियार का उपयोग करके समाज-विरोधी हो जाते थे, और प्रतियोगिता-रहित स्थानों में कीमत बहुत उच्चे स्तरों पर बायम रखते थे। न्यायालय उन्हें कैष नहीं मानते थे और अन्त में १८९० में वे अवैध घोषित कर दिये गये। परिणामत बहुत से न्याय संघरक वर्षभिन्नों में इसप्रतिरित कर दिये गये, कुछ अवस्थाओं में, स्वतन्त्र इकाइयों का नियन्त्रण अन्तर्बंध निदेशनालय ( Interlocked Directorates ) की पढ़ति या हितों के संस्थानित्व ( Community of Interests ) द्वारा किया जाना था।

हितों का संस्थानित्व ( Community of Interests )—जब न्याय संघरक घोषित कर दिये गये और उन्हें विषयित कर देना पड़ा, तब उन विशाल व्यवसायों को, जो इस तरह बनाये गये थे, नप्ट होने से बचाने के लिए उनके स्थान पर किसी नये प्रकार का संगठन बनाना आवश्यक हो गया। तब न्यायोजन का बहुप्राप्त बनाया गया जिसे हितों वा संस्थानित्व कहते हैं। इसकी परिभाषा यह की जा सकती है कि यह धैर्यर होउडरों द्वारा सचालकों द्वारा दोनों की वैयक्तिक वचनदद्धता पर जाधारित होता है, और इसमें अनेक उपक्रमों की सीतियाँ, सबके लाभ के लिए, किसी औपचारिक-नियन्त्रण तथा द्वितीय विना, निर्धारित की जाती हैं। हितों के संस्थानित्व दो प्रकार के हैं—एक में तो सिर्फ संस्थानित्व सम्मुक्त होता है और दूसरे में संस्थानित्व तथा सचालन दोनों सम्पक्त होने हैं। दूसरा प्रकार अधिक स्थिर और अभावी होता है।

पहले प्रकार का हित-संस्थानित्व ( जर्मनी मयूक्त संस्थानित्व ) तब बनता है जब कई कम्पनियों के स्टार्क या शयर कुछ ऐसे व्यक्तिमयमूहा के पास होने हैं जिनके हितों में घनिष्ठ मग्नित होता है। इस प्रकार, इस समूह के सदस्यों के कुछ हित साझे होते हैं जिनके कारण वे कई कम्पनियों के सचालकों के बारे में परामर्श बरतते हैं और एक बात पर सहमत हो जाते हैं—ये सचालक नियन्त्रण हों, मिल-जुलकर काम करेंगे। अहमदावाद मिल उद्याग इस प्रकार वे हित-संस्थानित्व का बहुत अच्छा उदाहरण है। हित-संस्थानित्व और सचालन की सम्युक्ता डाटरलॉर्किंग डाइरेक्टरेट या अन्तर्बंधक सचालनालय से बनती है। इस प्रकार का हित-संस्थानित्व उस उद्याग में होता है जिसमें समन्वय का और काई चिह्न नहीं होता और विनाय रूप से यह उम्मीद निर्माण व्यवसाय में आम तौर से होता है जिसके घटक अनेक प्लाट्रों के स्वामी अलग-अलग होते हैं—ये प्लाट प्राय एक ही जगह होते हैं, उदाहरण के लिये, वहां जहां एक दर्जन या अधिक प्लाट एक ही वस्तु बनाते हों। ऐसी अवस्था में, कुछ थोड़े से प्रभुत्व निर्माता, जो उद्योग के नेता माने जाने वाले लोग होते हैं, कई प्रतियोगी प्रैक्टरियों के सचालक होते हैं। इन प्रतियोगी मण्डलों में उनका अक्ष थोड़ा ही होता और इसलिए वे सारे उद्योग के कल्पणा की बात सोचते हैं, सिर्फ एक पैक्टरी के नहीं। इन लोगों के प्रभाव के जरिये नगर या बस्ती के सब उत्पादकों में किसी प्रकार का मामजस्य पैदा हो जाता है। किसी


भी अर्थ में यह नहीं कहा जा सकता कि परिचालन प्लाटो का मपिडन हो जाता है, पर उनमें एक वास्तविक सहकारिता-मुक्त एकता होती है। तो भी प्रायेक इकाई का प्रबन्ध स्वतन्त्र और चेम्कावट होता है। पर भारत में, जैसा कि अनोदिया जाएगा, जनवंदनक मचालनालय मण्डन के लिए अन्य स्थानों को अपेक्षा भवने अनिवार्य है, क्योंकि इसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न उद्योगों का समावेश होता है। मुख्यतः प्रबन्ध अनिवार्य प्राप्ति के कारण अन्वंदनक मचालनालय योजना का व्यापक उपयोग होता है।

**सतारो वा धारक कम्पनी( Holding Company )**—इसी विधि द्वारा इन व्यापी दो हिन्दूस्वामित्व के उपायों में से कोई भी प्रबली अर्थ में संयोजन वाली जावशक्तियाँ भी पूर्ण नहीं कर सकती, इनलिए एक और हृषि, अर्थात् धारक कम्पनी का प्रादुर्भाव होता। इन प्रकार, व्यवसाय मण्डन के हृषि में धारक कम्पनी “अन्य कम्पनियों के स्टार्ट वो नियन्त्रक भागों का स्वामित्व प्राप्त करने उन्हें संयोजित करने के प्रयोजन में” बनावी जाती है। कानून की दृष्टि से, धारक कम्पनी वह है जो उपमहायक ( Subsidiary ) कम्पनियों के अधिकार मन्त्र्युक्त शेषर मीथे या अपने नामजद व्यक्ति द्वारा धारण करती है, या सचालकों के अनिकाम को नियुक्त करने वो शक्ति रखती है। इन प्रकार यदि कम्पनी की आस्तिया नारी या असात कम्पनी से के शेषरों के ऋण में है, तिनमें ( १ ) कम्पनी के द्वारा धारित शब्दों की रायि कम्पनी से की निर्मित शेषर पूँजी के ५० प्रतिशत से अधिक है, या ( २ ) वह रायि इन्हीं अधिक है तिं इसके बारें कम्पनी के कम्पनी से ५० प्रतिशत से अधिक भनवान शक्ति प्राप्त है, यद्यपि ( ३ ) कम्पनी के कम्पनी से के अधिकतर मचालक नियुक्त करने का अधिकार है, तो कम्पनी के धारक कम्पनी है और कम्पनी से उपमहायक कम्पनी है। इनी धारक कम्पनी की उपमहायक कम्पनियों कितनी भी हो सकती है, और कोई उपमहायक कम्पनी इनी द्वारा वापसी या कम्पनियों की धारक कम्पनी हो सकती है। धारक कम्पनी अन्य कम्पनियों के शेषर धारण करने के लिए नवी बनायी गयी हो सकती है। कम्पनी अपने शेषरों के बदले में या अन्य रूपों में भरोड़ हो सकती है, तिन अन्य कम्पनियों के शेषर धारण करने की शक्ति वही बनायी गयी हो सकती है। उपमहायक कम्पनिया अपने ही नामों से बाये बरती रहते अपनी स्वतन्त्रता और कानूनी अस्तित्व बनाये रखती है, पर धारक कम्पनी के अफसर उमड़ा प्रभावी हृषि से प्रबन्ध करते हैं। धारक कम्पनी के मचालक उनके स्टार्टों मा शेषरों अद्यवा उनके एक नियन्त्रणवारी भाग पर बोट देने हैं और इस प्रकार उनके मचालक निर्वाचित करते हैं। इन प्रकार संयोजक प्लाट धारक कम्पनी है, तिनके मचालक महल में प्राप्त वही लोग होते हैं जो इनकी प्रायेक उपमहायक कम्पनी के मचालक महल में होते हैं, नियन्त्रण में दृढ़ता से वधे रहते हैं। धारक कम्पनी और इसकी उपमहायक कम्पनिया एक मा या अलग-अलग तरह वा व्यवसाय करती हो सकती हैं अद्यवा वह भी समव है कि वे और कुछ भी न बरती हों, तिनके इसको उपमहायक कम्प-

नियोजन में शेयर धारण करती हो।

स्पष्ट है कि भारत कम्पनिया, जिन अवस्थाओं में वे बनाई जाती हैं उन अवस्थाओं के अनुसार, विभिन्न प्रकार की होती हैं। जहाँ वोई कम्पनी पहले से मौजूद हो और उसके बाद उपमहायक कम्पनियाँ संगठित करे और नियन्त्रणकारी शेयर धारक करे और वहाँ वह जनक धारक कम्पनी (पेरेन्ट होल्डिंग कम्पनी) बहलती है। जब वोई कम्पनिया इकट्ठी मिलवर एक ऐसी नई कम्पनी युह करती है जो इन मिलने वाली कम्पनियों में बहुमत धारण करती है तब वह सेप्टिंडिट (कॉन्सोलीडेटेड) या सतति संघारक कम्पनी (आफस्ट्रिंग होल्डिंग कम्पनी) बहलती है। धारक कम्पनिया शुद्ध (प्लॉट) या परिचालन (ओपरेशन) या मिश्रित होती है। शुद्ध धारक कम्पनी वह होती है जो स्वयं उत्पादन के किसी प्राकिधिक प्रक्रम में नहीं लगती और सिर्फ परिचालक कम्पनियों के शेयर धारण करती है। परिचालक या मिश्रित धारक कम्पनी वह है जो उपसंहायक कम्पनियों के शेयर भी धारण करती है और एक प्लॉट भी परिचालित करती है। प्राथमिक धारक कम्पनी या प्राइमरी होल्डिंग कम्पनी वह होती है जो संयोजन संगठन के प्रधान के रूप में या इसमें पहले या उसके ऊपर मौजूद होती है। मध्यवर्ती धारक कम्पनी या इन्टरमीडियर होल्डिंग कम्पनी उपसंहायक कम्पनी की धारक कम्पनी होती है। पर यह स्वयं किसी अन्य धारक कम्पनी द्वारा नियन्त्रित होती है। ये सब धारक कम्पनियाँ उपमहापन या सम्बन्धित कम्पनियों को नियन्त्रित करने के प्रयोजन से बनाई जाती हैं। और इसलिए इन्हे "नियन्त्रण-धारक कम्पनिया" (कंट्रोल होल्डिंग कम्पनीज) कहा जा सकता है। असली धारक कम्पनिया ये ही हैं यद्यपि कुछ अन्य ऐसे ही संगठनों वीं, जिनका उद्देश्य नियन्त्रण विकुल नहीं होता वल्कि जो अन्य कम्पनियों को वित्तपोषित करके लाभ उठाना चाहती हैं, कभी-कभी धारक कम्पनिया वह दिया जाता है। उदाहरण के लिये, वह कम्पनी जिसका मुख्य कार्य प्रवर्तन, अभिगोपन या पुनर्संगठन द्वारा अन्य कम्पनियों के परिचालन को वित्तपोषित करके लाभ बर्दाना है। कभी-कभी वित्तधारक कम्पनी (फिनान्स होल्डिंग कम्पनी) बहलती है। इसके अलावा वह, कम्पनी, जिसका प्रयोजन आप तथा रासायनिक एप्रेसिपेशन (Long pull appreciation) के सातीर अन्य कम्पनियों की प्रतिभूतिया धारण करना होता है, उसे नियोजन धारक कम्पनी (Investment Holding Company) कहा जाता है, यद्यपि यह एक नियोजन कम्पनी ही सकती है जिसका एकमात्र उद्देश्य शेयर धारण करना है, नियन्त्रण करना नहीं। तथ्य तो यह है कि यह हानि की जैसीम से वचने के लिये घृतियों का वैविद्यकरण करता चाहती है। कम्पनी विनियोग में भी यही उपदन्त्य किया गया है कि जब वित्तीय अवधार विनियोग कम्पनी, अर्थात् जिस कम्पनी का प्रधान व्यवसाय रथ्ये उधार देना, तथा अक्ष, स्वन्ध, क्रणपत्र अवधार अन्य प्रतिभूतियों को अवाप्ति और धारण है, वह केवल इस कारण संघारी कम्पनी नहीं हो सकती कि इसकी आस्तियों का एक अश्व विसी अन्य कम्पनी

५१ प्रतिवान या इसमें अधिक अंशों के हैं। निम्नलिखित चित्र में उपर्युक्त विभिन्न प्रकार की व्यवसायी कम्पनियां समझ हो जाती हैं।



जहाँ एक कम्पनी H, जो पहले म चालू है, यह नियन्त्रण करती है कि वही या दूसरा व्यवसाय करने वाली पात्र कम्पनियां पर नियन्त्रा रखा जाय, तब वह A, B, C तथा D कम्पनियों में से प्रधानके बहुमत्वक अग्र नियोद लेनी है, और ये कम्पनियां इस कम्पनी को उपनियोग (Subsidiaries) हो जाती हैं। इस प्रकार H कम्पनी वाले कम्पनियों की अधिकारी हो जाती हैं और इनके नचालक प्रधानक उपनियोग कम्पनी के नचालक स्वयं नियुक्त करेंगे। इस तरह हालांकि मत्राधर अपना नियन्त्रित कम्पनिया नाम के लिए स्वतन्त्र हैं तथा अपने नाम से व्यवसाय का नचालन करती हैं, पर उनकी अपनी बगड़ी अधिकारी कम्पनी के नचालकों अपना अनुसरे के हाथों में रहती हैं। H कम्पनी जनक (Parent) कम्पनी है, क्योंकि यह कम्पनी पहले में विद्यमान है, यह प्राथमिक कम्पनी है, क्याकि इसके ऊपर कोई अन्य कम्पनी नहीं है, यह शुद्ध अधिकारी कम्पनी है क्योंकि यह जनकी उपनियोग कम्पनिया का नचालन नहीं करती। मात्र लींगिक रूप से तीन कम्पनियां हैं जो एक दूसरे के माध्यमिकाना करती हैं और वे एक अधिकारी कम्पनी E मात्रित करने का नियन्त्रण करती हैं, जो स्वयं को अंगीकृत होती है। ऐसा करने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया का ही अनुमता रिक्वाइरमेंट जागता, और E कम्पनी X Y Z उपनियोग कम्पनियों को स्वतंत्र परिवालक नियोग कम्पनी (Offspring operating Holding Company) होती है। इनमें प्रत्यक्षतः H कम्पनी E कम्पनी में नियन्त्रण अद्य पारग करती है, और प्रत्यक्ष E कम्पनी जब H कम्पनी की

उपसहायक कम्पनी हो जाती है और इस प्रकार एक मध्यवर्ती सधारी कम्पनी हो जाती है। परिणामतः A, B, C, D, E, X, Y और Z कम्पनिया H कम्पनी की उपसहायक कम्पनिया हो जाती है। इस प्रकार, सधारी कम्पनिया इसी तरह के पिरामीटीवरण (Pyramidizing) की प्रक्रिया द्वारा अनेक कम्पनियों पर नियन्त्रण कर सकती है।

सधारी कम्पनी अन्य स्थों के मुखाविले में अनेक दृष्टियों से लाभदायक है। सपिटन प्रहृष्ट के जितने भी सयोजन है, उनमें सधारी कम्पनी का सगठन सबमें अधिक सहज है। इस प्रकार के सयोजन का निर्माण इस कारण सहज हो जाता है कि सधारित होने वाले प्रत्येक कम्पनी के कुल स्वान्धी की बाड़ी मी मात्रा खरीदने से बहुत अधिक परिमाण में नियन्त्रण प्राप्त हो जाता है। इसके निर्माण के लिये उपसहायक कम्पनियों के अशारियों की सम्मति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके प्रवर्तनक उपसहायक कम्पनियों के बड़ा खुले बाजार में खरीद सकते हैं और इस प्रकार के अशों की नियन्त्रक (Controlling) सक्ष्या प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के सयोजन की अवस्था में, प्रतियोगिता वो उन्मूलित बरने के उद्देश्य से विक्रम क्षेत्रों वा बटवारा ज्यादा आसानी से दिया जा सकता है। एक और तो बीमत सम्बन्धी प्रतियोगिता वा मूलोच्छेदन बिल्डुल निश्चित है, और दूसरी ओर, अबेले तथा अ प्रतियोगी प्लाटो के सचालन में मितव्यप्रियता प्राप्त की जा सकती है। तीसरी बात यह है कि उसमें केन्द्रीभूत नियन्त्रण सम्भव होता है और साथ ही, इसके सदस्य व्यवसाय अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रखते हैं, जिसमें अशों के पुनर्विनियम मात्र से विस्तरण (De organisation) किया जा सकता है। इस प्रकार, सयोजन तथा वडे पैमाने के सगठन के सारे लाभ, और विशेषकर वे लाभ, जो जीर्ण समेकन में उपलब्ध हैं, सधारी कम्पनी सगठन द्वारा, न्यूनतम पूँजी लगाकर तथा न्यूनतम सगठन सम्बन्धी प्रक्रिया के जरिये प्राप्त हो जाते हैं।

इस दृष्टि से, सधारी कम्पनी सगठन पूर्ण संयुक्ति (Complete Consolidation) से उत्कृष्ट कोटि का है वयाकि भयुण्ण संयुक्ति की अवस्था में पृथक्-पृथक् कम्पनियों तथा उनके अशों का परिस्थिति कर दिया जाना है, जिसमें व्यवसाय नीति का स्थानीय परिस्थितियों से समायोजित करना तथा उन नताओं की, जिन्होंने सगठन को मूलत निर्मित किया था, सत्रिय सधारा वा बाहुप्ल करना तथा अपीनस्य बरजा बनिन हो जाता है। घटक कम्पनिया द्वारा अजित स्थाति थनी रह जाती है, क्योंकि सधारी कम्पनी वो इस रथाति में बाधा नहीं ढालनी पड़ती। सधारी कम्पनी वो एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह एकाधिकार के प्रति जनता के विरोध से बचती है क्याकि एकाधिकार जाहिर नहीं होता। सधारी कम्पनी का, एक और, बड़ा लाभ, यह है कि नियन्त्रण के केन्द्रीकरण के साथ-साथ पूँजी के उपयोग में बहुत बड़ी मितव्यप्रियता प्राप्त की जा सकती है क्योंकि थोड़े ने छाट-छोटे बड़ा अपेक्षया बहुत बड़ी पूँजी का नियन्त्रण करेंगे।

साहसिक या उदयमी (Entrepreneur) की दृष्टि में, सधारी कम्पनी

में नयुक्त स्वन्ध कम्पनी के सारे दोप विद्यमान रहते हैं। सबसे बड़ी आपत्ति तो यह है कि यह बिना उत्तरदायित्व दिये शक्ति प्रदान बरती है, और सधारित कम्पनियों की स्थिति जिनकी अधिक होती है और नियन्त्रण जिनका ही अधिक केन्द्रीभूत होता है, शक्ति उनकी ही अधिक होती है और उत्तरदायित्व बहुत कम होता है। परिणामत पिरामीडीय प्रत्रम के बारण दायित्व (Liability) तथा उत्तरदायित्व के बहुत कम हो जाने से क्षट्ट तथा निगम वित्ती (Incorporate finances) व नोनियों की भीतरी गोटवाजों का भय पैदा हो जाता है। अनिपत्तीवरण का सतरा भी होता है जिसम क्षट्ट को शह मिलती है। वित्तीय गोटवाजी (Financial Manipulation) तथा क्षट्टपूर्ण कार्य, जो उपसहायक कम्पनियों के लिये धानक हैं प्राय पाय गये हैं। १५ जनवरी १९३३ के पूर्व, सधारी कम्पनियां आम तौर से उपसहायक कम्पनियों के लाभ हड्ड जानी थीं तथा अपनी हानिया उनके सत्य मढ़ देनी थीं।

उपयुक्त तथा एम ही आपत्ति-नोग्य कार्यों की रोकथाम करने के लिए सन् १९३६ ई० में कम्पनी अधिनियम में एक नयी धारा १३२ जोड़ी गयी, जिसके अनुमार उपसहायक कम्पनियों के सामलों को अधिक स्वोलकर बनाना आवश्यक था। इसमें ऐसी व्यवस्था दी गई कि महायक कम्पनियों वा विगत अव्वेभिन चिट्ठा (Balance Sheet) तथा लाभालाभ साता और अवेशक दो टिपोड मधारी कम्पनी के चिट्ठे के साथ अनिवार्यत सयुक्त होनी चाहिए—इसके माय, उन व्यक्तिया द्वारा दिया गया एवं बकनम्ब भी होना चाहिए जिन्होंने चिट्ठे दो हम्माजित तथा प्रमाणित किया है। इस बकनम्ब में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मधारी कम्पनी के सानों के प्रयोजन के लिए महायक कम्पनियों के लाभ व हानि के साते दिम प्रकार ढाले गये हैं और, साम बर बैंने तथा दिम परिमाण में (१) उपसहायक कम्पनियों के साना अयवा सधारी कम्पनी के साने में या तो दोनों सानों में इसी एवं उपसहायक कम्पनी की हानियों के लिये व्यवस्था की गयी है तथा (२) मधारी कम्पनी के सचालकों द्वारा, मधारी कम्पनी के प्रकाशित हिमात्र में लाभ-हानि के हिमाव लगाने के बास्ते उपसहायक कम्पनी दो हानिया दिम तरह ढाली गयी हैं। इन्हु यह आवश्यक नहीं कि इसी भी विवरण (Statement) में विवेष्यप में इसी स्थानक कम्पनी की लाभ-हानि की वास्तविक राति का उल्लेख किया जाय, या यह बनाया जाए कि लाभ अयवा हानि के लिये भाग की वास्तविक रकम दिम विवेष रीति में ढाली गयी है। जो नित्री कम्पनिया इनी लाभ कम्पनी की उपसहायक कम्पनी है, वे उन उन्मुक्तियों (Exceptions) में छुत्रित होते हैं जो इन्होंने इम्प्रेंट्रो ग्राहक हैं। कस्तुर, वे लोहे कम्पनियों की तरह सधारी जाती हैं।

व्यापक तथा सधारी कम्पनी के बोध अतर—दावे दो दृष्टि में सधारी कम्पनी न्याम के समान होती है तथा बायं की दृष्टि में भी यह वही उद्देश्य निर्द बरती है। इन्हु दोनों रूप में बुछ उल्लेखनीय अन्वर हैं। वे अन्वर हैं—

१. न्यामी महल के स्थान पर, सधारी कम्पनी में सयुक्त स्वन्ध कम्पनी को

तरह सचालक होते हैं जो उस व्यवसाय के प्रबन्ध में सीधी दिलचस्पी रखते हैं।

२ न्यास म व्यवसाय वा निवन्नन न्यासी करते हैं क्योंकि अशो का अभिहित स्वामित्व सम्बन्ध कम्पनियों के अशाधारियों द्वारा न्यासियों के हाथ हस्तातरित कर दिया जाता है, लेकिन सधारी कम्पनी के अशाधारी सयोजित कम्पनी के प्रबन्ध के लिए सचालक स्वयं चुनने हैं।

३ न्यास म अशाधारी अपने अशो को न्यासी के हाथ समर्पित कर देते हैं जो अमानत के रूप म उनके निमित्त उन्हे अपन पास रखते हैं, और इस प्रकार अशाधारी न्यास करार के हितग्राही (Beneficiaries) होते हैं। सधारी कम्पनी की अवस्था में, अश विवित प्राधिकृत परिमित कम्पनी द्वारा प्रत्याभूत होते हैं, उस कम्पनी की परिमित कम्पनी हाने के कारण ऐमा करन वी शक्ति होती है।

४ न्यास समझौते म, एक सधानीय सम्बन्ध (Federate Relationship) वा निकास हुआ या जिममे मम्मिलित होने वाले पक्ष नाममात्र को अपनी पृथक् स्थिति बनाये रखते थे, लेकिन नवारी कम्पनी नामत एक उत्तरदायी कम्पनी है जो खुले बाजार म अश खरीदती है तथा राज्य के द्वारा विधिकृत कार्य करती ह।

५ वैवना की दृष्टि से, न्यास सम्बन्धी कम्पनीता व्यक्तिगत न्यासियों के साहचर्य (Association) तथा एक कम्पनी-ममूह के बीच होता है, जो कम्पनिया ध्वनिताथत अपनी स्वायत्तता दोष दती है और इस प्रकार शक्ति-न्यास (Ultra vires) कार्य करती ह। सधारी कम्पनी, जो स्वन्ध खरीदती और वेचती है, अपने अधिकार-पत्र (Charter) की परिधि के अन्तर्गत है, क्योंकि वह पृथक् पृथक् अशाधारी से व्यवहार करती है। इसलिए जहाँ तक रूप का सचाल है, न्यास अवैध (Illegal) है और सधारी कम्पनी वैध है।

**पूर्ण समिडन (Complete Consolidation)**—जब मिलने वाली कम्पनिया की कम्पनियों की पूर्णत खरीदवार एवं इवाई रूप में पूर्णतया सायुज्यित (Fused) कर दिया जाता है, तब पूर्ण समिडन (Complete Consolidation) होता है। यह एक एमा एक्य है जिमम जम सायुज्यत हो जाते हैं और अपना पृथक् अस्तित्व, कम में कम सचालन काय के लिए, खो देते हैं, और यह वित्ती द्वारा अस्तित्व म जाता है। समिडन ममामलन (Amalgamation) अथवा मविल्यन (Merger) वा रूप ग्रहण कर सकता है।

समामलन तब होता है जब दो या दो मे अधिक कम्पनिया एक हीमरी नयो कम्पनी ममामित बरती है, जिमके भाय वे समामेलित होना चाहती है। य कम्पनिया अपना पृथक् अस्तित्व खा दती है, जर्यान् दो कम्पनिया, व तथा ख, ग कम्पनी क नाम ने सद्यकृत हो जानी ह तथा व तथा ख कम्पनिया के रूप म अपना अस्तित्व खा दती है। ये दो कम्पनिया चाहूँ तो पुरानी दो कम्पनियो क नाम जपना सकती है, जर्यान् क जीर ख कम्पनिया नयी कम्पनी का ग नाम देन के बजाय इसे व एण्ड ख कम्पनी वे नाम

से पुकार सकती है, जिसका साफ़ यह अर्थ हूआ कि वे एण्ड से कमनी नयो कम्पनी हुई। बृहत व्यवसाय को बृहतर तथा माधारण फर्म को बृहतर एकीभूत फर्म बनाने के लिये साधन के रूप में समारेलन का प्रभाव बड़ा असाधारण होता है। मिल्यन (Merger) मिल्डन का वह रूप है जिसमें पहले से मौजूद एक कम्पनी अन्य सब कम्पनियों को जारमनात बर लेती है और प्रत्यक्ष मिल्यन कम्पनी व्यवसाय इकाई के रूप में बनाया पृथक् अस्तित्व से देती है, चाहे कम्पनियों द्वारा मचान्न विये जाने वाले प्लाटों का जलग-अलग मचालन जारी रह। उदाहरणतः, किसी एक रेलवे प्रणाली की मुख्य लाइन शाखाओं तथा बिस्तारा (Branches and Extensions) को आत्मनात् कर ल नहीं है, जिसका परिणाम यह होगा कि शाखा कम्पनियां पृथक् मग्नन के रूप में समाप्त हो जाएंगी तथा मुख्य लाइन पहले की भाँति चाल् रह सकती है। सविल्यन का प्राप्त कर्त्तव्य (Concern) कहा जाता है कि सास्तनविक्ता तो यह है कि कर्त्तव्य की परिभाषा इस प्रकार की गयी है— कर्त्तव्य फर्मों का किसी एक इकाई भ उत्पादन, प्रविधि (Technique), प्रशासन (Administration), व्यापार (Trading) (क्रियेपनका) वित के प्रयोजन के लिए सविल्यन।" जैसा कि पहले बनाया जा चुका है, इन रूपों का निर्माण कम्पनी अधिनियम के जरूरी, विशेष सकृदंश तथा न्यायालय के सम्मोदन द्वारा विया जा सकता है। मिल्डन की योजना न्यायालय के सामने प्रस्तुत हो जाती है और जब या विस रूप में न्यायालय द्वारा सम्मोदिन हो जाय, उस रूप में अपनायी जाती है। इसके बाद घटक कम्पनियों के अशारी एक सहमत आधार पर नयी कम्पनी के असाधारी बन जाने हैं, और इनो प्रकार उनके उत्तरां नयी कम्पनी के उत्तरां बन जाने हैं।

सधारी कम्पनी तथा पूर्ण संपिडन में अन्तर—अधारी कम्पनी मदुक्त कम्पनियों का पृथक् अस्तित्व बनाये रखनी है तथा उनके अशों को सरीदर उनपर नियंत्रा रखनी है। यह आपचारिक रूप में तथा भीषे रूप म उनकी (मदुक्त कम्पनियों की) ओर से बायं नहीं बर भवनी, बन्क उन कम्पनियों के मचालकों के जरिये ही बायं बर मक्ती है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, यह केवल एक आशिर् अथवा अम्भायी मिल्डन है। सामुज्यन अथवा पूर्ण संपिडन भ विभिन्न इकाईया पृथक् तथा स्वतन्त्र नहीं रह जाती; वे मायुम्यन हो जाती हैं और एक बन जाती है। उनको नियंत्रित करने का प्रस्तुत नहीं रहता, क्योंकि वे सब व्य एक बन गयी हैं।

मधारी कम्पनी की अवस्था में, योजन में जो सम्बन्ध स्थापित होता है, वह उपमहायक कम्पनियों के एक-एक अशारी तथा सधारी कम्पनी के बीच होता है। सच्चों दात तो यह है कि सधारी कम्पनी तथा उपमहायक कम्पनी सापेक्ष जात्र हैं, और ये उन कम्पनियों के बीच का सम्बन्ध प्रदर्शित करने के लिये व्यवहृत विये जाने हैं, जिसमें एक कम्पनी दूसरी कम्पनी में बहुमध्यक मनदाता अशो का स्नामित्व रखती है। पूर्ण संपिडन में सम्बन्ध कम्पनियों के बीच होता है, और इसलिए मिलने वाली कम्प-

नियों के सब अधिकारियों के, जिनमें वे मनमेद रखते थाले अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें अल्पमस्तक होने के नामे अपन वश हम्मानरित करने के लिये मजबूर होना पड़ता है, हित इन्हें और एक मे हो जाने हैं। जिन्हु भवारी कम्पनी संगठन की जबस्था में, दो वर्गों के अधिकारियों में हिन्मध्यवर्ण का खतरा हीना है—एक वर्ग में वे लोग हैं जो सर्वोजन में सम्मिलित होने हैं, और दूसरे भ वे हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं होने। पूर्ण संपिडन में एमा नहीं होना।

भवारी कम्पनी के मुकाबले में पूर्ण संपिडन के लाभ ये हैं—भवारी कम्पनी में होने वाले उत्तरदायिन्व तथा दायिन्व की कमी वा स्वान पूर्ण संपिडन में एकाहुत तथा वैन्दीभूत प्रबन्ध ए लेना है, जिसमें जनावदयक अफसर नहीं रखने पड़ते, तथा अन्य व्यय, जो अनेक कार्यालयों तथा स्वतन्त्र प्रार्थी की व्यवस्था के लिए आवदयक होने हैं, समाप्त हो जाने हैं (२) हिनो का ऐक्य, जिसका परिणाम होना है वृहत्तर विश्वाम, भवारी कम्पनी को गठित करने वारी घटक कम्पनियों के मामल में अनुचित गाठरणी की भभवता स्वतन्त्र दर देना है। (३) यदि पूर्ण संपिडन उचित न्य भ निमित किया गया हो तो इमरी कानूनी स्थिति भवारी कम्पनी की कानूनी स्थिति भ विवक्षित होनी है, (४) जहा तक जनता के प्रति अद्यता अधिकारियों के प्रति भी उत्तरदायित्व का प्रमाण है, पूर्ण संपिडन भवारी कम्पनी भ निर्दिचन न्य में उत्तृष्ठ है, इमका कारण यह है कि भवारी कम्पनी में नमूर्ण विक्षित घोटे मे लोगों के हाथा म आ जानी है पर ममूर्ण उत्तरदायित्व वहून में व्यक्तियों में दट जाना है; (५) भाग्यवत्त की व्येक्षा भवारी कम्पनी में अत्यन्त तीनीय नियन्त्रण का भय अविकर होता है; (६) चूकि पूर्ण संपिडन का निर्माण उन्ही आमानी से नहीं होना जिन्ही आमानी में भवारी कम्पनी का, अत इसम एकाविकार ( Monopoly ) होने का, जो नमूर्ण उद्योग को आवृत्त कर दे, बंगा मेवा अविकर नहीं है। “सुस्थित लाकनीति प्रत्यानूति संधारण की व्येजा भमामलन या मविलयन द्वारा पूर्ण संपिडन का प्रोन्माटित करेगी और अन्ततोग वा विधिमगन वंयपिडन हिन इसी दिशा में है।”

पूर्ण संपिडन से, भवारी कम्पनी म नहम्मन्य मे विद्यमान कुछ सुविधाए़ बत्तम हो जाती है, अर्थात् (१) अन्य कम्पनियों के अद्या वो विलकुल लरीद लेने के लिए अविक पूर्वी की आवदयकता है; (२) घटक कम्पनियों के अधिकारियों की वहून वर्ती मस्त्या (तीन-चौथाई) की सम्मति आवदयक है; (३) पूर्ण संपिडन को हास्त मे, स्तरुचित्वन सर्वों के द्वारा अर्जित स्वार्थत तथा वहून ही अविक व्यय पर प्राप्त एकाविकार (Patents) का परिस्थाग बनिवार्य है, जरकि भवारी कम्पनी में वे सुरक्षित रखे जा नक्ते थे, (४) भवारी कम्पनी में व्यवमाय वै की तीनीय विमानन खों भभवता रहनी है, पूर्ण संपिडन मे वह सर्वेया नष्ट हो जाती है, (५) यदि आवदयक हो तो संपिडन का तोड़ना कठिन है क्योंकि स्वामित्व पूर्णनया हम्मानरित हो जाता है, एक स्वयं क धन का दूसरे मे विनिमय सात्र नहीं होता, (६) भवारी कम्पनी के अमदृग, जिनमें पुर

समन्वयन ( Readjustment ) सरल होता है, मानुषन का प्रथम परिणाम, स्कन्द तथा बन्धपत्रों ( Bonds ) के लिये अनियथ भुगतान के कारण, अनियूजीकरण हो सकता है और तब इमर्ज़ा दूसरा परिणाम पूजीकरण की सारहीनता हो सकती है, क्योंकि समिडन में उन बहुतेहि संपत्तियों ( Properties ) का, जिनके ऊपर पूजी नियंत्रित की गयी थी, अब तो पूर्यक अभिन्नत्व संतुष्ट हो जाता है।

**समिडन बनान कार्टल ( Consolidation Vs Cartel )**— प्रारन्न में ही यह जान लेना जावश्यक है कि यह समिडन शब्द आशिक समिडन तथा पूर्ण समिडन दोनों के जर्ये म व्यवहृत दिया गया है, अर्थात् न्याम, सवारी कम्पनी, सामुद्रन तथा समाजेलन, जौनी समिडन शब्द के अन्तर्गत आत है। उन्नाइक मध्य या कार्टल तथा समिडन दोनों का उद्देश्य है एकाधिकार। सगठन विधि को दृष्टि से नीचोंना में समानता है क्योंकि दोनों या जापार हैं सदस्यों की पारम्परिक महसूनि। लेकिन दोनों के बीच समानता की यही इनियों हो जाती है। समिडन में आशिक अथवा शारीरक ( Organic ) परिवर्तन की उन्नति होती है, लेकिन इसके विपरीत उन्नाइक सघ में, जो एक नयान ( Federation ) है, हिनों का सामुद्रन होता है। उन्नाइक सब व्यक्तिगत नियंत्रिता को आन्तरिक व्यवस्था से छोड़नानी नहीं करता। यह व्यक्तुन् एक विक्रिय अभिन्नरण है, जो निलगील फ्लों के नियंत्रित बायें करता है। विभिन्न इकाइयों के स्कन्द तथा प्रबन्ध सचाइन का स्वामित्र साझे रूप से थोड़े ने व्यक्तियों के हाथ में होता है, जो उन इकाइयों पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं, तथा उनको नीति का नियारण करते हैं। माल बनाने तथा माल बेचने का कार्य एक द्वारे ने नियन्त्रित कर दिये जाते हैं तथा बूहन् माल उन्नाइक व सगठन के लाभों को प्राप्त करता सम्भव है। कार्टल या उन्नाइक सब आनुबन्धिक ( Contracting ) सघ है, लेकिन न्याम, सवारी कम्पनिया, सामुद्रन अथवा समाजेलन वित्तीय पूजीकरण सघ है, जिसका आधार है स्वाक्षित्र। न्यामी ( Trustees ) करीब करीब अन्तर्द्वारा घारण किये गये अगों के स्वामी ही हैं और वे प्रनिनियोजना की हैनियन से कार्य करते हैं, अभिकर्ता या सेवक की हैसियत से नहीं।

इसके विपरीत, तीन कारणों से कार्टल समिडन से अच्छा समझा जाता है। प्रथम कारण तो यह है कि कार्टल अतियूजीकरण जोखिम से आक्रान्त नहीं हो सकता, लेकिन उन स्थिति में जब पूजी तरलीहृत हो जाती है, समिडन का परिणाम अतियूजीकरण हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि चूकि कार्टल के सदस्य फर्म अपना पूर्यक अभिन्नत्व बनाये रखते हैं, अन उनकी वित्तीय तथा प्रबन्धीय स्वतन्त्रता भी अनुप्राप्त होती है। लेकिन इसके विपरीत, समिडन का नियन्त्रण प्रधान कार्यालय में होता है; फैक्ट्रियों के प्रबन्धकर्ता अपीलस्य ( Subordinate ) होते हैं, जिनके लिये अपने स्वामियों का आजापालन अनिवार्य है। तीसरा कारण यह है कि समिडन की तरह कार्टल का माम्यदूत विनी एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के हाथ म नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि समिडन की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है। इस विषय में अन्वयित्वात्

का प्रतिपादन करना शर्त होता, लेकिन यह कहा जा सकता है कि संपिडन का प्रबन्धन करना आसान है, पर इसके जीवन-क्रम पर नियन्त्रण रखना कठिन है। वहें-दृष्टे व्यवसायी न्याय की स्थापना कर सकते हैं, तथा इमर्गों भलीभांति व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, और जैसा कि सामाजिक न्याय होना भी है, कि उनके स्थान पर वैमे अधिकार वा जाय जिनसी दीक्षा जीवन के भिन्न क्षेत्रों में ही हो और सम्भवत उनमें उन प्रखर गुणा की बर्मी हो जिनके कारण वे अपने धेर में अद्वितीय प्रमाणित हुए हैं। यह उकिन मर्मी प्रशार के संपिडनों में प्रयुक्त होती है। अधिकार के केन्द्रीकरण की मार जिनमी ही अधिक होगी, गलतियों की मात्रा भी उनमी ही अधिक होगी। प्रत्यास म, या अन्य किसी केन्द्रीकृत संगठन में, चोटी पर की गयी गलती समस्त संगठन में व्याप्त हो सकती है, भयकर भूल का परिणाम वर्णनानीन हानि व क्लेश हो सकता है।

भारतदर्श में संयोजन—भारतदर्श में संयोजन आन्दोलन परिचयी देशों के मरावदों में कून पिछड़ी अवस्था में है। संयोजनाता तो यह है कि इस दिनों में शायद ही कोई आन्दोलन हुआ है, इमका कारण यह है कि हमारे देश में उच्चोगीकृत देशों की भाँति परिस्थितियों के बनुमार इक्के-दुक्के भमामेलन या संविलयन के जरूरितन कार्ड विकासीय उद्घयन (Evolutionary Development) हुआ हो नहीं। प्रथम निश्चय युद्ध से पहले संयोजन आन्दोलन नहीं के बराबर था। यह बवम्या होने के थे कारण थे। त्रिटिया शासकों ने भारत में त्रिटिया हिनों के लिए अनुसूल परिस्थितियों पैदा करने उन्हें वे मुक्तिधाएं प्राप्त करा दी थीं जो संयोजन से हुआ बरती हैं। इन विद्युती कमनियों को अपने-अपने व्यवसाय में प्राप्त एकाधिकार प्राप्त था। कोई प्रतियोगिता नहीं थी और इमर्गिए संयोजन भी नहीं थे। पर प्रथम विश्वयुद्ध के बाद वस्त्रयोग आन्दोलन के परिणामस्वरूप भारतीय पूजी उद्यानों में बढ़ी मात्रा में आने लगी, और प्रतियोगिता काफी तीव्र हो गयी। पर उसमें परिचयी दृग के संयोजन नहीं पैदा हुए, और संयोजन के विभिन्न रूपों में वित्तीय एकीकरण या ऐक्य करने वाले रूप सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रबाद के न्योग का उद्देश्य रहा है आर्थिक इकाई के बजाय किसी ऐसी वित्तीय इकाई की स्थापना, जो समान वित्तीय नीति का अनुकरण करे, जिसका तात्पर्य है एक व्यवसाय। उन कमनियों में, जो हित-मूल के रूप में समन्वित (Coordinated) हो गयी हैं, जैसे सर्वनिष्ठ (Common) प्रबन्ध-अभिकर्ता, अन्यंद सचावक्तव (Interlocked Directorate) जयवा कमनियों का भवारण, उपर में ऐसा प्रतीत होता है कि कभी वा बाना भचारक मृद्ग होना है, जो प्राविधिक तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नीति का निर्माण करता है, लेकिन व्यवहारत एकीडूत नियन्त्रण का सम्बन्ध वित्तीय प्रबन्ध में होना है। इस दृष्टि में, यिन्हा किसी टर के यह कहा जा सकता है कि भारतीय उद्योग म एकीकरण का प्रायमित उद्देश्य गलाकाट प्रतियोगिता को उन्मूलित करने के बजाय एकाधिकारित नियन्त्रण (Monopolistic Control) की स्थापना रहा है; ऐसा होने का अनियत बारण है सरकारी शुक्रों (Protective Duties)

वा अस्तित्व ।

इम देश में संयोजन आन्दोलन की धीमी प्रगति तथा इमको बनेमान दिशा के कई कारण हैं । इमका मौलिक कारण है प्रबन्ध अभिनरण प्रणाली वा होना । जैसा कि अन्यन कहा भी जा चुका है, प्रबन्ध अभिनरण प्रणाली वा परिणाम हुआ है समान क्षेत्र (Same Line) में वित्तीय समेतन (Financial Integration), जैसा कि बम्बई तथा अट्टमदापाद के मूलो मिला के क्षेत्र में है, और एक प्रबन्ध अभिनर्ता के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में, उदाहरण के लिये, ऐन्ड्रियू यूल एण्ड को०, ११ पाट मिलो, १४ चाय बागो, १० कोदला कम्पनियों, १ धीनी मिल तथा ९ विविध कम्पनियों का प्रबन्ध करत है, ताता सम्स लिमिटेड, ४ मूलो मिलो, १ लाहौर व इम्पान फैक्टरी, १ इजीनियारिंग रसायन तथा २ विविध कम्पनियों का प्रबन्ध करते हैं, इनी प्रकार अनेक उदाहरण हैं । प्रथम कोटि का समेतन कुछ हद तक धैनिज मयोग के समान है, तथा द्वितीय कोटि का समेतन सम्ह-हित वी कोटि वा है । चूंकि अधिकारा अवस्थाओं में मयोग वी मिन्यूपिनियों वा आधिक लाभ प्रबन्ध अभिनरण प्रणाली के जरिये समूह व्यवस्था तथा वित्तीय समेतन के द्वारा प्राप्त हो गया है, अब, बाजारों संयोजन की आशमत्ता का अनुभव ही नहीं हुआ है । संयोजन आन्दोलन की धीमी प्रगति वा इसरा कारण यह है कि भारतीय स्वभाव से ही व्यष्टिवादी होने हैं, और यही कारण है कि जहा केवल सहयोग बहुत अधिक सहायन प्रमाणित होता, वहा निहित स्वार्थवारियों ने बहुतेरे प्रस्ताविन संयोजनों को निष्पल कर दिया है । तृतीय कारण यह है कि हम लोगों का औद्योगिक विकास अब भी सत्रमण वी अवस्था में है, जिसका परिणाम यह है कि संयोजन आन्दोलन को और बड़ने के लिए शायद ही कोई प्रेरणा मिली हो । इसके बलाना, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सन् १९२१ ईस्टी के पूर्व तक उन्मुक्त विदेशी प्रतियोगिता ने इस आन्दोलन की प्रगति के पथ में भारी रखाकर का कार्य किया है । अन्न में, संयोजन आन्दोलन की मुख्यादाक क समियों में एक हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो रही है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी मिलों तथा फैक्टरियों की सत्त्वा इतनी अधिक रही है कि उनमें किसी भी प्रकार वा संयोजन सम्भव हो ही नहीं सका है ।

उपर्युक्त कारणों के बावजूद, जिहोने भारतवर्ष में किसी भी प्रकार के संयोजन आन्दोलन में बहुत बड़ी रोप का कार्य किया है, गन शानाद्वी के आखिरी चरण में निरन्नर औद्योगिक विट्नाद्यों ने हमारे देश के उद्योगपत्तियों को महयोग वी उपादेयना का सबक पटा दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक प्रकार के संयोजना का उद्भव हुआ है । हमारे देश में सामान्य साहचर्यों वा मध्यों के अनेकानेक उदाहरण मिलने हैं । ये सभ, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इतने हीले होने हैं कि अधिक उपयोगी नहीं हो सकते । हमारे देश में काठलों के भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे शूगर मिडीकेट जो अब समाप्त हो गयी है, पर हिनो के रसवामित्व (Community of Interests मध्यादी कम्पनी तथा कुछ हद तक समामेलन तथा मविलयन के उदाहरण अधिक हैं । इनका सक्षिप्त वर्णन अप्रामगिक नहीं होगा ।

विक्रय संघ या पूल तथा उत्पादक संघ या कार्टल (Pools and Cartels) — वैसे विक्रय संघों तथा उत्पादक संघों के उदाहरण कम हैं, जो प्रभावोत्पादक प्रमाणित हुए हैं। इनमें में पहला इडियन जूट मिल्स एमासियेशन, जिमज़ा निर्माणकाल सन् १८०६ ई० है, सामान्य संघ (Simple Association), उत्पादन पूल (Out-put Pool) तथा उत्पादक संघ (Cartel) की विचित्र मिलावट है। यह पाट मिल स्वामियों का एक संघ है जो ९५ प्रतिशत व्यापार का प्रतिनिवित करता है, तथा जो पाट मिलों की सम्पूर्ण सत्त्वा के ८८ प्रतिशत को आद्रूत करता है। इसका पश्चीमन ट्रेड यूनियन (या थ्रिप्पर संघ) के हैं म हुआ था, यह बाम के घण्टे मीमित करते तथा कनिपय प्रतिशत करधे बन्द बारे उत्पादन मप्रट के हैं म कार्य करता है। कभी-कभी यह ७५ सदस्य मिलों के माला का केन्द्रीय है में विन-रण करते बार्टल या उत्पादक संघ का भी बार्थ करता है। मीमेट उद्योग में स्याजन-सम्बन्धी सर्वप्रथम प्रयास उद्दीप्ती शनी के हूमरी दशव के प्रारम्भ में हुआ, जिनके प्रस्तुत्युप इण्डियन सीमेट मैन्युफैक्चर्स एमोसियेशन की स्थापना हुई। सन् १९३० में मीमट मार्केटिंग बाफ इण्डिया का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य या सभी कम्पनियां के माल के विनरण का नियन्त्रित करता। किन्तु यह कार्टल अथवा अपने लक्ष्य की प्राप्ति म सफल नहीं हुआ। और मन् १९३३ म एमोसियेटेड मीमट कम्पनीज लिमिटेड के हैं म पूर्ण संपिडन अथवा मायुज्यन की स्थापना हुई। ए सी मी में ११ सीमट कम्पनियां एक हो गयीं जिनके नाम ये हैं—इण्डियन, कटनी, दुर्दी पोर्टलैण्ड, मी पी, बाल्वा, ब्लारियर, पजाव पोर्टलैण्ड, यूनाइटेड, बाहावाद, कोयम्बटूर तथा देवार खण्ड। सायुज्यन के ओडे दिनों बाद डालिया न दृढ़ प्रतियोगिता के हैं में क्षेत्र में प्रवेश किया तथा डम्पे जिस गलाकाट प्रतियोगिता का श्रीगणेश हुआ, उमका अन्त करने के लिए एक समझौता निया गया, जिसके अनुमार ए भी मी तथा डालिया के विक्रय क्षेत्र का बटवारा कर दिया गया। युद्ध के कारण मीमेट की बड़ी बमी हीं गयी और उसके बाद देश का विभाजन हुआ जिसमें लाखों व्यक्ति विस्थापित हो गये। विस्थापित लोगों का पुनर्वास मीमट उपयोग भी जतिप्रथा उत्पादन-भमता (Excess Production Capacity) पर, जिसके सम्बन्ध म ए भी मी के अव्यक्त हारा भय प्रशंसित किया गया था, वहूं बड़ी रोक का बाम बर रहा है।

भारतवर्ष के चीनी उद्योग म एक प्रवार के समेवन, विशेषकर शीर्ष समेवन भी प्रवृत्ति विशेष है में पाई जाती है। बुद्ध कम्पनिया, या रामपुर की बुलन्द तथा रजा चीनी की मिल, चीनी निर्माण के अनिरिक्त इति के फार्म तथा लाट रेलवेका भी स्वामित्व करती है। कनिपय चीनी की मिलें भग्नीवाना तथा बनक्षेत्रानिया—मिटाई निर्माणशाला—भी मचालित करती है। इस मम्बन्ध में कानपुर गुगर मिल्स लिमिटेड, डेव्वन एण्ड मूगर अस्वर्गी कम्पनी लिमिटेड उल्लेखनीय उदाहरण है। यह उद्योग मुख्यतः उत्तरप्रदेश तथा बिहार में बनक्षेत्र है, तथा मन् १९३१ ई० में सात वर्षों के लिए सरक्षण मिलने के बाद इन जगहों म चीनी मिलों की सत्त्वा में पर्याप्त वृद्धि हो गयी।

चीनी मिलो की सह्या में आशानीत वृद्धि की झलक साफ़-त्साफ़ मिल जाती है, यह सह्या १९२९-३० म ३० थी और बट्टर सन् १९३४-३५ ई० में १३० हो गयी। मुख्यतः अन्तर्रिक प्रतिस्पर्धा के कारण, लेकिन अशन जावा से प्रतिस्पर्धा के कारण सूगर मिल ओनरें एसोसियेशन ने केन्द्रीकृत विक्रय की एक योजना बनायी, और सन् १९३७ ई० में सूगर सिन्डीकेट वा निर्माण हुआ जिसम ९२ चीनी की मिल सम्मिलित हुई। मिन्डीकेट ने लगभग एक वर्ष तक मताप्रजनन रोति से बाहर बिया और परिणामस्वरूप कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई, लेकिन चाहि मिन्डीकेट न चीनी की बुनियादी कीमत पर्याप्तत ऊची सीमा पर रही, जब चीनी का उत्पादन अमाधारण रूप से अधिक हुआ। सिन्डीकेट सन् १९४० ई० में कीमत कम करने के लिए बाध्य हुआ। सन् १९४३ ई० में जब चीनी की कीमत पर नियन्त्रण जारी हुआ तब मिन्डीकेट का कार्य स्थगित हो गया लेकिन जब सन् १९४३ ई० के नवम्बर में चीनी की कीमत पर से नियन्त्रण हट गया, तब सिन्डीकेट न अपना वार्ष धून आरम्भ कर दिया। इन्तु मन् १९४९ ई० में चीनी के लिए भव्य वाद्य वाद्यादा मची और कुछ लोगों के मतानुसार तो वह एक चीनी काढ था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिन्डीकेट तथा चीनी सम्पन्नी सरकारी नीति भी बड़ी बड़ी भाँतें की गयी। इन घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि सन् १९५० ई० में सिन्डीकेट का भग कर दिया गया और चीनी पर आधिक नियन्त्रण जारी हुआ। कागज मिल उद्याग में हम स्वच्छित विक्रय समझौते का दूसरा उदाहरण मिलता है, जिसका उद्देश्य है कीमत निर्धारण तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों के साथ, जो सम्पूर्ण कागज उत्पादन का २५ प्रतिशत खरीद लेती है, बावटन सम्बन्धी अनुबन्ध करता। यद्यपि ये समझौते स्वच्छित ( Voluntary ) हैं, फिर भी के पर्याप्त सरल रह है क्योंकि कागज मिला की सह्या बहुत ही कम है। सत्य तो यह है कि अभी हाल तक बेल तीन मिल—टोटागढ़ पेपर मिस्स कम्पनी लिमिटेड, इडियन पेपर मिस्स कम्पनी तथा बगाल पेपर मिस्स कम्पनी, ही भैंदान म थीं और लगभग एकाधिपत्य था। इन तीन मिलों ने मिलकर इडियन पेपर मेवर्न एमोनियेशन का निर्माण बिया और एक दूसरे के साथ मिलकर बाम करने लगी। नयो मिलें, जो इधर हाल में बनी हैं, एसोसियेशन में सम्मिलित हो गयी हैं, जबकि इसके साथ मिलकर बाम करती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कागज की कीमत का स्तर आपात बिये गये कागज की कीमत में योग्य कम रहा है तथा कीमत निर्धारित स्तर से कम करने पर रोक लग गयी है।

किरासिन ( Kerosene ) विक्रय सप, जिसका नियन्त्रण बर्मा आयल कम्पनी करती है, बर्मा आयल कम्पनी, रायल डच शेल ग्रूप, ब्रिटिश बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी तथा आसाम आयल कम्पनी के द्वारा बनाया गया है। समझौते के अनुमान प्रयोक्ता सदम्य कम्पनी के उत्पादन का एक नियिकन जनुपान एक निर्धारित कीमत पर बेचेगा, और यह कीमत छापटीने की विधि पर निर्धारित की जायगी। इस कीमत का आधार अन्तर्रिकी गण्डपोइंट की F O B चालू कीमत है, जिसमें यानवाहन व्यय, आयान कर, १० प्रतिशत लाभ तथा नडार व्यय जोड़ दिये जाने हैं। यह सप सम्पूर्ण देल बाजार पर नियन्त्रण रखता है जिसका परिणाम यह है स्टेंडिं आयल कम्पनी

भी सब की बीमन का जनुकरण करती है।

ट्रिटिंग स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड तथा गिविया स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड वे बीच जो समझौता हुआ है, वह नौवट्टन चक जयवा समामेलन वा उदाहरण है।

**सधारी कम्पनियाँ** —जब तक हम अवधारण जयवा प्रबन्ध अभिकर्ता के जरिये समूह नियन्त्रण को इसी श्रेणी में नहीं समिस्त कर लेते, तब तक सधारी कम्पनी सगठन भी हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त करती। जिन्तु सधारी कम्पनी सगठन के कठिपय उदाहरण मिलते हैं, जिनमें कुछ नीचे उद्धृत किये जाते हैं। कोयला खदान कम्पनियों के बीच इधर हाल में अवधारण प्रबन्ध के बड़े उदाहरण मिलते हैं, जैसे, वैरक्षुर कोल कम्पनी लिमिटेड, लोयावाद कोल सेन्यफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के समस्त अवश्य वा तथा मिनुआ—जरिया—डलेस्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड के अधिकार अवश्य वा तथा वा स्वामित्व धारण करती है। इसी भागि, इकिवेटेल कोल कम्पनी लिमिटेड अलदीप कोल कम्पनी के बड़मस्त्र्यक अवश्य वा स्वामित्व करती है। सीमेट द्वयोग वो लिया जाय तो १० भी १० भी १० पटियाला सीमेट कम्पनी लिमिटेड के अधिकार अवश्य वा तथा वा स्वामित्व धारण करती है। पैरी एण्ड कम्पनी मोफस्तिल वैअरहाडम एड ट्रेडिंग कम्पनी लिं० में मारी अदापूजी की स्वामी है। शो वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड के कुठ चाय, सूनी मिल, आटा मिल और कोयला खान कम्पनियों में १९ प्रतिशत स्वत्तित (intesest) है, और उनमें एटलम फटिलाइजर्स लिमिटेड, इटो एप्रीकल्चर लिमिटेड और ट्रिटिंग फटिलाइजर्स लिमिटेड में प्राय सारी अदापूजी दी है। टी एस्टैट्म लिमिटेड त्रुस्ट्रॉड इडिया लिमिटेड की उपस्थापन है और यह नुड वॉड एस्ट्रट्म इडिया लिमिटेड की प्रबन्ध अभिकर्ता है। यद्यपि विनियाग प्रन्यास, बावद्यक स्प भ मवारी कम्पनी नहीं होने क्योंकि वे इस उद्देश्य में निर्मित किये गये हैं तिवे वे उनमें काप विभिन्न कम्पनियों में विनियुक्त वर, लेविन वे उन कम्पनियों पर नियन्त्रण रखन भ मफ़ नहीं हो सके हैं, क्योंकि अधिकार औद्योगिक कम्पनियों पर, और विशेषतया सूनी, पाट तथा इजी-नियरिंग उद्यगों पर प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पूर्ण तथा बास्तिक नियन्त्रण होता है।

**समामेलन तथा सदिल्यन** —हमारे देश में पूर्ण मरिन वे वहां स उदाहरण नहीं मिलत, और एकाध जो उल्लेखनीय है, उनकी उत्पत्ति प्रबन्ध अभिकर्ताओं वे द्वारा, जो समामेलित कम्पनियों की व्यवस्था करन थ, लाय गये दबाव वे द्वारा हुई है। उदाहरण, सपिटन की उत्पत्ति धैनिज जयगा शीर्ष समेजन वे द्वारा हाती है, भारतवर्ष भ कठिपय समामेलन पूर्णत रिभिन ध्यवमायों वे बीच हुआ है, वे बल प्रबन्ध अभिकर्ता ही उनकी जोड़न वाले थे। उदाहरण के लिये, ट्रिटिंग इडिया बारपोरेंटन का निर्माण मन् १९३० ई० म हुआ जिमका उद्देश्य था ६ भिन्न-भिन्न कम्पनियों वो, जो विभिन्न मालों का निर्माण करती थी, ग्रहण करना थे ६ कम्पनियों है कानपुर बुलन मिन्स लिमिटेड, कानपुर बाटन मिल्स लिमिटेड, न्यू इगरटन बुलन मिन्स लिमिटेड,

नौर्य बेस्ट ट्रेनरी कम्पनी लिमिटेड, क्षपर एलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, तथा इम्पायर मैट्टीनिंगरिंग कम्पनी लिमिटेड। कारपोरेशन ४ सहायक कम्पनियों को भी नियन्त्रित करता था, चूंकि इसने बेग सदरलैंप्ड कम्पनी में भी नियन्त्रक हितों को खरीद लिया। सन् १९४६ ई० म देवदाकार ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट बेग सदरलैंप्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड को जनीनस्ट कर लिया जो स्वयं १० बड़ी-बड़ी कम्पनियों को नियन्त्रित करती थी। एक बड़े ट्रस्ट के द्वारा छोटे-ट्रस्ट को सविक्षीत करने का दूसरा बड़ा उदाहरण है सन् १९४७ ई० में मैक्स्मोड कम्पनी के द्वारा बेग डनलैंप्ड कम्पनी के विम्नन हित का खरीद लिया जाना। दूसरी ओर शायद मध्यमे बड़ा उदाहरण जो हमारे देश में नर्मितन का मिलना है वह है एमोमियेटेड सीमेट कम्पनी, जो, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, ११ सीमेट कम्पनियों के संविलयन के उपरान्त निर्मित हुई थी। सीमट एजेन्सीज लिमिटेड इसके प्रबन्ध अभियन्ता है। कोपला उद्योग की ओर दृष्टिगत करने पर हम पाने हैं कि इस क्षेत्र में नर्मितन का सर्वाधिक अवनर मिलना है क्योंकि उत्पादन पर स्वेच्छित प्रतिक्रिया तथा महसूति की प्राप्ति न्यूनतम कीमत के लिए भक्ति प्रसाधित नहीं हो मर्दी है क्योंकि कोपले के व्यवसायी सुनिश्चित पारस्परिक राम के लिये भी सयुक्त नहीं हो सकते। सन् १९४३ ई० में कोपला कम्पनिया वराकर कोल कम्पनी के साथ सम्मिलित हो गयी तथा १ इमन द्वारा खरीद ली गयी। न्यू बोर्डम कोल कम्पनी लिमिटेड ने सन् १९४० ई० में दाम्दा कोल कम्पनी लिमिटेड को तथा सन् १९४२ ई० में न्यू कन्दा कोल कम्पनी लिमिटेड को खरीद लिया। मूरी बहन उद्योग में कोई उन्नेशनीय संयोग नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि मिलों की सह्या बहुत अधिक है—४०० से भी नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि मिलों की सह्या बहुत अधिक है। जब अट्मदावाद अस्तिक मिले हैं। दक्षिण कर्नाटक मिल तीन मिलों का समानेलन है। जब अट्मदावाद मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड कैलिंग प्रिण्टिंग कम्पनी लिमिटेड ने अट्मदावाद जुडिली मिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को खरीद लिया, तब एक सामुद्रजन (Fusion) की उत्पत्ति हुई। दूसरे नर्मितन की उत्पत्ति उन समय हुई, जब कारारल मिल, टिनावेली मिल तथा पाइयन मिल्स विभिन्न नियियों में मडुरा मिल्स कम्पनी लिमिटेड के साथ मिल गयी। शीघ्र समेकन के अनेक ऐसे उदाहरण मिलने हैं, जब उपर्युक्त अट्मदावाद मिलों की मात्रा कतार्हि तथा बुनाई मिलों ने एक नियन्त्रण तथा स्वामित्व के अन्तर्गत अपने बायों को सयुक्त कर दिया है। इन कनिपय उदाहरणों के अनिक्रिय मूरी मिल उद्योग ने संयोजन आन्दोलन को और कोई प्रवृत्ति नहीं दिखायी है। लक्षात्तर बाटन कारपोरेशन की मात्रा सन् १९४० ई० में ३४ मिलों ने एक महत्वाकांक्षी घोषना का निर्माण किया था लेकिन यह घोषना विफल रही। दियामलाई उद्योग में वैस्टर्न इण्डियन मैच कम्पनी, जो विम्बों के नाम से प्रख्यात है, एक शक्ति-शाली संयोजन है, जो एक दबंग पैकेटरियों का स्वामित्व करती है और साथ-साथ अनेक भारतीय पैकेटरियों पर प्रभावात्मक नियन्त्रण रखती है। १९५३ में इडियन कोआपरेटिव नैविगेशन एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड और रत्नागर स्टीम नैविगेशन कम्पनी लिमि-

टेड वावे स्टीम नैविगेशन कम्पनी में बिलीन हो गयी। १९५३ में, इस्पात कम्पनियों का सुविधित सविलयन हुआ। जिन तब्दों के परिणामस्वरूप यह सविलयन हुआ, वे ये हैं : इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी १९१८ में रजिस्टर हुई थी और १९३६ में इसके बगाल आयरन कम्पनी लिमिटेड को अपने में मिला लिया। १९३७ में इसने अपना लोहा स्टील बारपोरेशन आफ बगाल को बेचकर थीर्प मेक्न विधि वा सहारा लिया। इसका मतलब यह हुआ कि स्टील कारपोरेशन इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा दिये गये लोहे और गेस, पानी, भाष और विजली आदि अम्य सेवाओं से इस्पात बताए। इंडियन आयरन ने स्टील बारपोरेशन के बहुत में साधारण अदा भी ले लिये। १ जनवरी १९५३ से स्टील बारपोरेशन इंडियन आयरन में भविलीन हो गया है।

**अधिकोषण (Banking) तथा अभिगोपन (Insurance) कम्पनिया —**

अधिकोषण तथा अभिगोपन के क्षेत्र में भी बहुत अधिक सायुज्यन या समामेलन नहीं हुए हैं। अधिकोषण में इश्लैण्ड की भाति यहा पात्र बड़े बैंक सेटल बैंक आफ इंडिया, दि बैंक आफ इंडिया, पजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक तथा बैंक आफ बड़ीदा है, लेकिन इश्लैण्ड के विपरीत, यहा सायुज्यनों के परिणामस्वरूप आवार-वृद्धि हुई है, भारतवर्ष में ये बैंक के बाल इसलिए बड़े हैं तकि सासाधनों का केंद्रीय भवन इनमें हायों में हुआ है। इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य बैंक हैं, जिनकी सल्ला में १९३८-४५ के युद्ध में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इश्लैण्ड में तो सायुज्यन आदोलन ने अक्षम इवाद्यों को बाहर फेंक दिया, लेकिन भारतवर्ष में यूद्धोत्तरकाल में सवर्धन-क्रिया देश-विभाजन तक जारी रही। पर विभाजन ने वृद्धि पर रोक लगा दी। किन्तु पिर भी सायुज्यन के उदाहरण विल्कुल मिले ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। बतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। सन् १९२३ ई० में सेन्ट्रल बैंक ने ताता इण्डस्ट्रियल बैंक को सविलीन कर लिया तथा लायड्स बैंक ने इस्टर्न बिजनेस आफ काल्स एण्ड कम्पनी हफा हेरी एन विंग एण्ड कम्पनी को सविलीन कर लिया। पी० एण्ड ओ० बैंकिंग कारपोरेशन ने, जो चार्ट्ड बैंक आर इंडिया, आस्ट्रेलिया एण्ड चाइना द्वारा ली गई है, इलाहाबाद बैंक का वरीद लिया। सन् १९५१ ई० में भारत बैंक पजाब नेशनल बैंक में समामेलित हो गया।

अभिगोपन व्यवसाय में सापिङ्ग की दृष्टि में स्थिति बच्छा है। बहुत सी बीमा कम्पनिया मिलकर एक हो गयी है, ताकि उनकी स्थिति दृढ़ हा जाय। ऐसो हाना अभिगोपन अधितियम १९३८ के स्वीकृत हो जाने के बाद आवश्यक हो गया। अधितियम की व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक बीमा कम्पनी के लिए रिजर्व बैंक के यहा पर्याप्त राशि जमा करना अनिवार्य हो गया है, उदाहरण के लिये, जो कम्पनी जीवन बीमा का व्यवसाय करती है, उसके लिये २,००,००० रुपये जमा रखना अनिवार्य है। इसके बनाने के उत्तरे लिये बर्गमेटिल एंड को द्वीप व्यवस्था करता हो जिक्राय है। बहुत सी कम्पनिया, जो सन् १९३० के वर्षों में पजायित हुई थीं, दस मियनि में नहीं थीं कि अपेक्षे उपर्युक्त राशि जमा कर सकें अत वे या तो अन्य कम्पनियों के साथ समामेलित अथवा सायुज्यन हो गयी। सायुज्यन के बैंक थोड़े से उदाहरण यहा दिये जाते हैं। जातीय इश्लैण्ट, क्लोसाइटी लिमिटेड, कं बत्ता, थेट औरियन्ट, लाहौर, प्राविडेन्शियल इन्डियोरेम, अलीगढ़,

प्रवत्त अभिवर्ती या समृद्ध वा नाम	जुड़	शोफला	चाप काणी खड़	परिवहा	बिजली	लाहा इच्छा इराता	धीरी	छई	प्रश्नी	कुन्द मोग
एउँ युल पूँड बो । लिं० बर्दू पूँड क० लिं० और पाक उत्त० हिरण्यं पूँड क० लिं० येग इनकाला पूँड क० लिं० और भैरिपाउड पूँड क० लिं० येग सदौ लोड पूँड क० लिं० इकान बदरी पूँड क० लिं० गिलेडम एर्चनगाट पूँड क० लिं० जारडी हैटसे । लिं० पैक फी रु पूँड क०	२० ८ २० १० १०	२० १२ ११ १२ १२	१८ १२ १२ १२ १२	२ २ २ २ २	१ १ १ १ १	२० २० २० २० २०	१० १० १० १० १०	१० १० १० १० १०	१० १० १० १० १०	५३ ५४ ५५ ५५ ५५
आ टेकिया श्येल पूँड क० लिं० यार्न न बने लिं० दिरला बदरी लिं० और का न एर्जेंटस लिं०										५५
डालिया ज॑ एउड क० लिं० प्रभचन्द थापर एउड बदमं लिं० ज॑ न॑ प॒०										५६
वरोता मोराली पूँड क० और वा. चाल एउड क० लिं० दाटा गारा लिं० दापस प॑ वी॑ पूँड क॑ लिं०										५७
योग	५१	११७	४१२	२०	२०	१११	४६६	२०	२०	४६६

यूनिटी इश्योरेस, लाहौर, ग्लोरी आफ इडिया, लाहौर, ग्रेट इडिया, कलकत्ता, हिन्दुस्तान बीमा, लाहौर, नागपुर इश्योरेस कम्पनी नागपुर, फारवर्ट इश्योरेस कम्पनी लिमिटेड बम्बई, केउरल इश्योरेस कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली के साथ सायुज्यित हो गयी, तथा विक्री इन्स्योरेस लाहौर, प्रटियर इश्योरेस पेशावर, मीनाक्षी इश्योरेस, मद्रास, सनशादन इन्स्योरेस लाहौर के साथ सायुज्यित हो गयी।

हितो का स्वामित्व (Community of Interest)—इस प्रकार का संयोजन हमारे देश में सबसे अधिक प्रचलित है जिसके मुख्य दो रूप हैं : (क) प्रबन्ध अभिकर्ताओं के जरिये हितो का अन्तर्वर्धन (Interlocking) विधा वित्तीय तथा प्रबन्धकीय समेकन (Financial and Managerial Integration) तथा (ख) सचालकों के जरिये अन्तर्वर्धन। प्रथम कोटि के हितो का स्वामित्व का विवेचन पीछे किया जा चुका है। लेकिन वित्तीय तथा प्रबन्धकीय समेकन के अतिपप चर्चाविक उत्तरवाचीय उदाहरणों का विवरण पिछले पृष्ठ पर दी गयी तालिका में दिया जाता है। इस तालिका वा उद्देश्य इस कथन की पुष्टि करता है कि भारतवर्ष में प्रबन्ध अभिकर्ता के जरिये हितो का अन्तर्वर्धन संयोजन का एक सबसे अधिक प्रचलित रूप है।

तालिका में यह स्पष्ट हो जाता है कि वित्तीय तथा प्रबन्धकीय समेकन उस स्थिति में हो सकता है, जब एक प्रबन्ध अभिकर्ता पर्म या तो एक ही प्रकार वी व्यवसाय इकाइया का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण करती है, अथवा विभिन्न क्षेत्रीय व्यवसायों का। इस प्रकार की प्रणाली के गुण-दोषों पर हम पीछे उस समय विचार कर चुके हैं जब प्रबन्ध अभिकर्ताओं के प्रभाव पर विचार कर रहे थे। वित्तीय तथा प्रबन्धकीय समन्वय की प्रवृत्ति वर्ती पर है, तथा प्रबन्ध अभिकर्ता सम्पूर्ण देश में ऐसे भारी प्रकार के उद्योगों में अपना जाल बढ़ा रहे हैं। यूरोपीय प्रबन्ध अभिकर्ता पर्मों के अतिरिक्त भारतीय बोर्डिया भी ऐसे ताता, विरला, टालमिया, सिहानिया, यापरवन्धु, बालचन्द तथा जन्य, पंजाब देशवालर स्पष्ट घारज करती जा रही हैं तथा राष्ट्र की उपादन घटना के दृढ़ अस की नियन्त्रित तथा नियंत्रित कर रही है।

व्यवसाय संगठन के विद्यार्थियों के लिए दूसरी दिलचस्प घटना इधर कुछेक ख्यों में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशी पर्मों तथा हितो का खरीद लिया जाना है। कुछ हालतों में तो ऐसा हुआ है कि विदेशी पर्म विलकुल खरीद लिय गये हैं, जैसा गोवन श्रद्धमें लिमिटेड का डालमिया जैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के द्वारा खरीद लिया जाना, और हर हालत में निवेशनालय (Directorate) न विदेशी पर्मों के बहुत बड़े अश को खरीद लिया है। उदाहरण के लिए, सन् १९३९ ई० में जहा १० बो, १३ पाट, ५ इज़ज़ीनिमिस्टिक तथा १४ विदिव कम्पनियां भ उम्मा ३८, ४९, ६ तथा ५३ यूरोपीय नचालक अंग भारतीय सचालक एक भी नहीं था, लेकिन तन् १९४९ ई० में इन कम्पनियों में भारतीय तथा यूरोपीय सचालकों का अनुपात उम्मा इस प्रकार हो गया, १० तथा ४८, ३ तथा ११ और ३० तथा ३७।

**संमिलित (Alliances)**—एक और घटना जो इस प्रवृत्ति के

बन्धुता प्रतिकूल पड़ती है, समेंगी या कार्बंगील साझेदारी (Working Partnership) का निर्माण है जो मार्टीय तथा विभिन्नी उद्योगस्थियों द्वारा हुआ है और जिसका रूप "इडियन लिमिटेड" है। नफील्डन-विरला मोटर डील जो एक वित्तीय संविलयन है, मन् १९४५ ई० में कार्बन्निन द्वारा, जिसका उद्देश्य या भारत में मोटर गाड़ियों का निर्माण। इस डील का अनुभवण अनेक मोटर वाहनों ने किया है जैसे जशोर माटर लिमिटेड का आप्टिन मोटर म म्यान्म हो चाना जिसका उद्देश्य है मोटर गाड़ियों तथा ट्रकों का निर्माण। सिरसिल्क (Sirsilk) लिमिटेड अन्दरौं फर्म हेन्सिल्स में समृद्ध कर दी गयी है। सन् १९५१ ई० में हिन्दुस्तान मिलिंगटन लाइन वर्सन लिमिटेड के रूप म भारतीय तथा अंद्रेजी जीवा निर्माताओं द्वारा एक दूरी दैरेव संयुक्त हो गया। भारतीय अमेरिकी सौदे (Deal) के विषय उदाहरण है। प्रीमियर आटोमोवाइल चउडे बालचन्द हीराचन्द तथा जिस्लर कारपोरेशन के बीच हुए समझौते का परिणाम है। नेशनल रेन कारपोरेशन लिमिटेड का स्कॉट्टा रेन कारपोरेशन तथा लॉक-बुड ग्रीन एण्ड कम्पनी में घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्ट्रॉबेरकर-विरला डील भारतीय-अमेरिकी सम्बन्ध का दूनरा उदाहरण है। १९५३ में इडा-जापानी बैकुजम बैटर्स्य कम्पनी लिमिटेड, भारत में वैकुजम कुमिया (Vacuum flash) बनाने के लिए निर्मित हुई, जिसमें भारतीय साझी मेमर्स लक्ष्मीनारायण एण्ड कम्पनी, जोपपुर, थे। १९५४ में कुठ महत्वपूर्ण ममतिया हुई। बौद्याल लिमिटेड का निर्माण हुआ जिसमें ५५ प्रतिशत पूर्वी टाटाओं ने और ४५ प्रतिशत पूर्वी बौन्कार्ट ब्रदर्स ने लगाकर बौन्कार्ट ब्रदर्स के महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्बों को समाल लिया, जर्मन कार-निर्माता मेमर्स डेवरनेंच ट्रक निर्माण के लिए टाटा लोकोमोटिव एड इंजीनियरिंग कम्पनी में ८० लाख रुपये लगाने को तैयार हो गये। अनुल प्राइस्ट्रम लिमिटेड और आई० मो० आई० लिमिटेड बरावर के माझों होकर जेंड ग्रीन और इसके मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण के लिए एक कम्पनी बनाने पर सहमत ह गये। हाल में ही, केन्द्रीय सरकार ने भारत में इम्पान के उत्पादन के लिए दो जर्मन कम्पों डेमाग और रूस के सोवेत के साथ समझौता किया है।

**अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण (Interlocking directorate)**—नियंत्रकों के जरिये अन्तर्राष्ट्रीय अन्य देशों की अरेका भारतवर्ष में यत्रिक प्रचलित है। अभी हाल में प्रो० मारजेन्ट फ्लोरेम ने अमेरिका में अनेकों कम्पनियों के २१५७ नियंत्रणालयों का एक सर्वे किया है। इन्हें पता चला है कि केवल १३८ नियंत्रकों के हाथ में (कुल का ६० प्रतिशत) १० से अधिक नियंत्रकत्व थे, २५८ नियंत्रकों के हाथ में ६ से १० नियंत्रकत्व थे, ३०३ नियंत्रकों के हाथ में २ से ३ नियंत्रकत्व तथा ९१० नियंत्रकों के हाथ (कुल का ४५ प्रतिशत) ८ के नियंत्रकत्व था। समृद्ध राज्य अमेरिका में यह पाना गया कि २०० बूहनम प्रतिलोप तथा ५० बूहत्तम वित्तीय कारपोरेशनों में केवल १ नियंत्रक के हाथ में ९ नियंत्रकत्व थे, १२ के हाथ में ६ से ८ नियंत्रकत्व थे,

१९ के हाथ में ५ निदेशकत्व थे, ४८ के हाथ में ४, १०२ के हाथ में ३ तक ३० के हाथ में २ निदेशकत्व थे। भारत में १५ से २० निदेशकत्व का होना सामान्य नहीं है और ३० या उससे अधिक, क्षतिपय हालनों में ५०, निदेशकत्वों का होना नहीं असाधारण बात नहीं है।

इनी अधिक कम्पनियों के लिए एक ही प्रबन्ध अभिकर्ता होने के बाद नामांकित निदेशक का होना प्रायः सबसे अधिक प्रचलन में है। उस स्थिति में इस सबका एक प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होता, या प्रबन्ध अभिकर्ता विलकुल नहीं होता तब निदेशक प्रायः सर्वनिष्ठ होते हैं, जैसा कि हम अधिकोपण तथा अभिगोपन कम्पनियों में पाते हैं। सन् १९५०-५१ से सम्बद्ध क्षतिपय आवडों से, बहुसंख्यक (Multiple) तथा अल्टर्नेट निदेशकत्व के जरिये विभिन्न कम्पनियों की अनुबंधता की प्रवृत्ति तथा परिमाण के बारे में पता लग जायगा। नीचे प्रमुख परिस्थिरों के हाथों में भारतीय उद्योगों के १०० निदेशकत्व अथवा साक्षात्कारिया थीं। निहानिया इदर्वं के हाथा में १०७ निदेशकत्व थे, डालमिया जैन के हाथा में १०५ रहण इदर्वं के हाथा में ८०, विरला बदसं के हाथा में ६०७, गोट्टेनका तथा पोदार इदर्वं में प्रवृत्ति के हाथा में ५५, तथा बागर, जातिया तथा थापर इदर्वं के हाथा में सब मिलाकर १४ निदेशकत्व थे।

**बहुसंख्यक सचालकत्व (Multiple Directorship)** भारतीय बौद्धोगिक प्रणाली की कई प्रमुख विशेषताओं में से एक है, यह बात निम्नलिखित बाब्दों के जरिये जो व्यवितरण उद्योग के बारे में है, साफ़ प्रकट होती है। पाट बिल उद्योग में २२० व्यक्तियों के हाथा में १६४ निदेशकत्व हैं। इनमें १० व्यक्तियों के पास १०९ निदेशकत्व हैं, और बैंकर एवं १० मी० नाटमें यहोदय के हाथ में २३ निदेशकत्व हैं। मूली मिल उद्योग में १५० निदेशकत्वों का वितरण इस प्रकार है, १ व्यक्ति ११ कम्पनियों का निदेशक वा ६ में से प्रत्येक ९ कम्पनियों का, ३ में से प्रत्येक ७ कम्पनियों का, ३ में से प्रत्येक ६ में से प्रत्येक ५ का, ८ में से प्रत्येक ४ का। सर पुरपोत्तम टाकुरदाम इन निदेशकों - में प्रथम है जिनके हाथ में १२ कम्पनियों का निदेशन है। चीनी उद्योग में यह प्रवृत्ति उतनी प्रमुख नहीं है। एक व्यक्ति के हाथ में ६ निदेशकत्व हैं, ५ में से प्रत्येक के हाथ में ४ तथा ७ में से प्रत्येक के हाथ में ३ निदेशकत्व हैं। बहुसंख्यक निदेशकत्व बोयला उद्योग विलकुल सामान्य है। १९ व्यक्तियों के हाथ में २८० निदेशकत्व हैं जिनमें ५० व्यक्तियों के अधीन ४० निदेशकत्व हैं। विद्युत तथा इलौ-नियरिंग कम्पनियों में एक व्यक्ति के हाथ में निदेशकत्व तथा ७ में से प्रत्येक के हाथ में ६, १३ में से प्रत्येक के हाथ में ३, ३५ में से प्रत्येक के हाथ में २ निदेशकत्व थे। यी अमोंक मेहना के क्षयनानुभार, चाय उद्योग में ३ व्यक्तियों के हाथ में ७० निदेशकत्व थे इनका लेवर १२० व्यक्तियों के हाथ में १८५ निदेशकत्व थे। यदि हम उपर्युक्त को जोड़ देते हों तो ६६ व्यक्तियों के हाथ में ३८९ निदेशकत्व थे।

भारतीय उद्योग में इसी प्रकार का एक बहुसंख्यक विकास हुआ है। वह विकास

है अनर्वद्वना-प्रयान ( Interlocking ) निर्देशकत्व । इसके अनिरिक्त, बहुतेरे स्वनन्द एवं नामगारी ट्रस्ट, सर्वनिष्ठ या सामान्य निर्देशकों के द्वारा एक हूँसरे से आवद्ध कर दिये गये हैं । अनर्वद्वना प्रयान निर्देशकत्व से न केवल थोड़े से लोगों के हाथों में स्वामित्व तथा नियन्त्रण केन्द्रीभूत हा जाता है, बल्कि इसने समन्वित इकाईों के बीच मल तथा सहयोग की बृद्धि होती है । एक ही उदाहरण में यह बात माफ हो जायगी । श्री एच० मी० वाटमं महोदय के जिस्म प्रबुल अग्रेजी प्रबन्ध अभिकर्ता पर्सों के द्वारा प्रबन्धित बहुनेशी कम्पनियों का निर्देशन है, जैसे ऐन्ड्रूसूर में १, मैक्सिमोडम में २, मार्टिनस में २, बड़े में ११, मैलेन्टमें ३, हेन्कर्में में ३, जाराइन हेन्टसें में ८, शावालिस में २, मैक्नोल्म में ४ तथा जम्य में १३ । यापद ही ऐमा कोई अग्रेजी ट्रस्ट होगा जिसमें वाटमं महोदय के स्पष्ट नहीं लगे हों । थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में शक्ति का केन्द्रीभूत होता इस बात से भी प्रमाणित हो जाता है कि हमारे देश के ६९० महत्वपूर्ण औद्योगिक व्यवसायों का प्रबन्ध १३०० निर्देशकत्वों के द्वारा होता है । में निर्देशकत्व १०५ व्यक्तियों के हाथों में है । लक्ष्मि इन निर्देशकत्वों में ८६० केवल ३० व्यक्तियों के हाथों में हैं, तथा शेष ८४० बाकी ७५ निर्देशकों के बीच वितरित हैं । इम पिरामिड की चोटी पर १० व्यक्ति हैं, जिनके अधीन ४०० निर्देशकत्व हैं— ये हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के माध्यनियन्त्रक हैं । सर पुस्पोलमदाम टाकुरदाम तथा एच० मी० वाटमं दोनों पचास-पचास कम्पनियों के निर्देशक मण्डल में हैं । फिर हम यह पाने हैं कि प्रबन्ध अभिकर्ता के लगभग ४०० फर्म २५० करोड़ की पूँजी तथा ४०० करोड़ रुपये की जास्तियों पर नियन्त्रण करते हैं । केवल ताता ५७ करोड़ की पूँजी तथा ८० करोड़ रुपये की आस्ति पर नियन्त्रण करते हैं । इसी कारण इन औद्योगिक नेताओं से राज्य के प्रभावित होने का और फलत राज्य के द्वारा प्रजातन्त्र के मिदानत के विरुद्ध कदम उठाये जाने का खतरा है ।

कम्पनी अधिनियम १९५६ ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा अनर्वद्वना स्वाहितों की बहनी ही प्रवृत्ति को रोकने का यत्न किया है । भविष्य में व्यक्ति को ही सचालक बनने दिया जाएगा और उसे २० से अधिक लोक कम्पनियों का सचालक भी बनने दिया जाएगा । इसी प्रकार, कोई प्रबन्ध अभिकर्ता १० से अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं हो सकेगा । इसके अनिरिक्त, प्रबन्ध अभिकर्ता, सचालकों की कुल संख्या ५ से अनधिक होने पर रुक्ष, और अधिक होने पर दो, ही सचालक नियुक्त कर सकेगा ।

संरेंजन संगठन की मित्रव्यविताए ( Economies of Combination Organisations) —संयोजन से जो मित्रव्यविताए उपलब्ध हैं, वे दो प्रकार की हैं, वे मित्रव्यविताए जो व्यवसाय के आकार के कारण प्राप्त होनी हैं, तथा वे मित्रव्यविताए जो एकाविकार के कारण प्राप्त होनी हैं । पहली तो मूल्यता आनंदिक तथा बाह्य मित्रव्यविताए हैं, अद्वा बृहत् मात्र संगठन से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभ हैं, जिन पर हमने अव्याय ३ में पूरे तौर से विचार किया

है। वाह्य बचत या आर्थिक लाभ तो उद्योग की सभी फर्मों को उपलब्ध है लेकिन आन्तरिक बचत विलकुल वैयक्तिक प्रकृति की होती है। ये बचतें विद्योपीकरण (Specialisation) तथा प्रमाणीकरण से प्राप्त होती हैं; दोहरे भाड़े के कारण बचत, प्रबन्ध लागत मध्यमी, अक्षम इकाइयों तथा अलाभकर विकास योजना बो समाप्त कर देने, एकस्वों (Patents) तथा सगड़न के गुप्त रहस्यों को संगृहीत करने तथा तुलनात्मक लेखावन प्रणाली (Comparative Accounting System) को प्रारम्भ करने के कारण बचते होती हैं। ये बचतें या मितव्यविताएं व्यवसाय के आकार के कारण प्राप्त होती हैं, न कि एकाधिपत्य के कारण, और हो सकता है कि ये बचत एकाधिपत्य की अवस्था पहुँचने के पहले चरण बिन्दु पर पहुँच जाय। बाजारदारी (या मालविक्रय) के क्षेत्र में जो बचते होती हैं, वे अद्यत व्यवसाय के आकार और अद्यत एकाधिपत्य के कारण होती हैं, एकाधिपत्य के कारण इसलिए होती है कि प्रतियोगितात्मक विज्ञापन का उन्मूलन हो जाता है। एक दूसरे प्रकार का आर्थिक लाभ और होता है। उसे न तो व्यावसायिक आकार के कारण हुआ कहा जा सकता और न एकाधिपत्य के कारण, लेकिन तब भी उसका सम्बन्ध एकाधिकारिक नियन्त्रण से है। एक एकाधिपति फर्म इस स्थिति में है कि वह प्रतिदृढ़ी फर्मों से अधिक सफलता से पूर्ति को मांग से समायोजित बर सके। तेजी तथा ऊँची बीमानों के समय इस बात की मध्यावना रहती है कि प्रतिदृढ़ी फर्मों का कुल उत्पादन समाज की वास्तविक मांग से अधिक हो जाय, जिसका परिणाम होगा सामयिक अत्युत्पादन, मूल्यों का निम्नस्तर तथा बेकारी। इस प्रकार उस उद्योग को, जिसका सगड़न प्रतियोगिता मूल्क रीति से हुआ है, स्थायी स्थापन व्यवहार का आवश्यकता से अधिक भारी बोझ बहन करना पड़ता है, और परिणामतः पूर्जीगत व्यवहार सांख्यिक हिस्सा बरवाद हो जाता है। एकाधिकारिक फर्म ट्रम्पट की समस्या इससे आसान है। उसे बाजार की सम्पूर्ण मांग का केवल अनुमान लगाना पड़ता है और इस प्रकार प्रतियोगितात्मक उद्योग की पृथक्-पृथक् फर्मों की अपेक्षा, जिन्हें अपनी मांगों का अन्दाज़ करना पड़ता है, उसके द्वारा गलनी विये जाने वाली समायोजित करना कम है। सम्पूर्ण प्रणाली से सम्पूर्ण मांग बोकारीक ढंग से समायोजित करना पर्याप्त महत्वपूर्ण लाभिक वार्ष्य है। लेकिन इन लाभों के अतिरिक्त जो समान आकार वाली सभी फर्मों को समान नीति से प्राप्त हैं, कुछ ऐसे आर्थिक लाभ हैं जो नियान्त रूप से केवल एकाधिकार को ही प्राप्त होते हैं।

जब कोई आदर्शकार फर्म (optimum firm) सम्पूर्ण मौंग से भी अधिक उत्पादन कर सकती है तब वह एकाधिकार उत्पादन का मर्केट स्वरूप है। यही कारण है कि सबसे अधिक लोगोंपर्याप्त उपलब्ध (Public Utilities) एकाधिकार की प्रकृति रखता है। जो एकाधिकार अच्छी रोनि से समन्वित है, वह अपने प्लाटो को अधिक क्षमता के साथ मध्यालिंग कर सकता है, तथा वही ही मांग की पूर्ति करने के लिये नयी मशीनों को अधिक तचरता के साथ चालू कर सकता है। अपूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में प्लाटो का पूरी क्षमता के साथ राचा-

क्रेता है। वह अपनी मोल करने की शक्ति वो बहुत बड़ा सकता है। लेकिन एकाधिकारी को प्राप्त होने वाला यह लाभ न केवल उपभोक्ताओं के लिए, बल्कि प्रायमिक माल या सामग्री के उत्पादन-कर्त्ता के लिये भी हानिप्रद प्रमाणित हो सकता है। हमारे प्रकृति, जो साधारणतः लघुमाना में उत्पादन करते हैं, अपने अज्ञान तथा मोल भाव सम्बन्धी निम्न शक्ति के कारण बहुत हानि उठाने हैं। जहाँ तब बाजार सम्बन्धी आर्थिक लाभ वा प्रदन है, इस क्षयन की पुनरावृत्ति की जा सकती है कि फर्मों के समूह वो यह सर्वदा प्राप्त होंगा। एकाधिकार के लिए, बाजार में माल को प्रत्यक्ष बेचना तथा मध्यस्थ व्यापारियों को उन्मूलित करना सम्भव है। इस प्रबार वी विनी वा परिणाम न केवल सस्तो विनी होता है, बरन अधिक कुशल विनी भी होता है। इसका कारण यह है कि माल ऐसे विनेताओं द्वारा खुदरा व्यापारियों के हाथ बेचा जाता है, जिनके पास विनी के लिये अन्य कोटि का माल नहीं है। बत उन्हें जो भी लाभ अर्जित करना है, वह एक ही प्रबार के माल की विनी से सम्भव है। माल-निर्माताओं तथा खुदरा विनेताओं वे दोनों जो घना सम्पर्क होता है, उससे एक समन्वित विक्रयनीति का विवास होता है जिसके अनुमार खुदरिया प्रदर्शन पेटिको के द्वारा निर्माता की सहायता करता है और निर्माता विशिष्ट तथा स्थानीय विज्ञापन के जरिये खुदरिय की सहायता करता है। लेकिन, जैसा कि हम उपर देख चुके हैं, एकाधिकार वा लाभ बाजार व्यवहार को कम करते महीने, वर्षोंकि इससे उसी प्रबार के बढ़ते में मालों की प्रतियोगिता में एक अमुक प्रबार के माल की विनी सम्बन्धी बटिनाई दूर हो जाती है।

इन आर्थिक लाभों के विपरीत वे हानिया हैं जो उस समय उत्पन्न होती हैं जब व्यवसाय का आकार प्रवन्धाधिकारियों के कुशल प्रवन्ध सामर्थ्य की सीमा को पार कर जाता है अथवा जब कृहृदाकार समग्रन मध्योत्तर तथा लोचद्वीपना प्रविष्ट कर जाती है। जिस के कारण वदलती परिस्थिति वे अनुमार निरन्तर तथा सफल अनुदूलन (Adaptation) पर रोक लग जाती हैं, नौकरसाही प्रशासन की प्रवृत्ति वह जाती है। दुबंल उत्पादकों के उन्मूलन का परिणाम सम्भवन निरकुश धोषण होगा, जो उपभोक्ताओं तथा श्रमिकों वी कठिनाइयों वा कारण होगा। विस्तार की भूल से "सचय की प्रवृत्ति", (Tendency to accumulate) विकार की कामना तथा अवैदिक नूजीवाद (Impersonal Capitalism) की उत्पत्ति होती है। समोजन वा प्रमाव उपभोक्ताओं पर कुरा होगा या भला, यह समोजन के उद्देश्य पर निर्भर करता है।

समोजन वा उद्देश्य लाभ में बढ़ि हो सकता है जो प्रत्यक्षत उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत होगा, अथवा इसका उद्देश्य पूजी सम्बन्धी जोखिम वो कम करना हा सकता है, जो उत्पादकों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वे उत्पादक तथा बाजार-दारी के स्रोतों को एक सा बनाये रख, और इस प्रबार उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के लिए लाभप्रद होगा। लेकिन उत्पादकों का एकाधिकार समग्रन सब मिलाकर उत्पादकों के लिए हानिप्रद ही है। स्वार्थी व्यवित, जिन्हें एकाधिकार प्राप्त होना है, समाज

नियुक्ति की है। कर बमूली तथा राज्य व्यव की प्रणाली भी देशदासियों पर आर्थिक प्रभाव डालती है। सरकारी भड़कारी की खरीद भरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा राष्ट्रीय उद्योग को विकसित किया जा सकता है। राज्यवाद को स्पष्ट घोषणा के बिना ही कनिष्ठ देशों में राज्य के हस्तक्षेप का विचार वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों में इन्हें परिव्याप्त हो गया है, और इसके विपरीत कुछ देश ऐसे हैं जिनमें प्रत्यक्ष राज्य-स्वामित्व तथा नियन्त्रण है। आदर्श चाहे जो हो, पर इस बात में कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राज्यों का हस्तक्षेप एक बास्तुविकृति हो गया है। कुछ ऐसे उद्योग हैं जो एकाधिकार में परिणत हो जाने की प्रवत्ति रखते हैं तथा सर्वाधिक समान (Homogeneous) अद्यता प्रमापित (Standardised) बस्तुओं का उत्पादन करते हैं। वेंगे उद्योगों का सर्वोन्कृष्ट सचालन लोक प्राधिकरण (Public Authorities) कर सकते हैं, या कम से कम उनका सचालन राज्य नियन्त्रण के अन्तर्गत हो सकता है। वस्तुतः इन दिनों ऐसे उद्योगों पर नगरपालिका स्वामित्व या राष्ट्रीयकरण की प्रवत्ति जोरों पर है। सन् १९३४ ई० में स्थापित लन्दन ट्रान्सपोर्ट बोर्ड, सन् १९४८ ई० में स्थापित देहली ट्रान्सपोर्ट अधिकारी, देहली बाटर एंड सीवेज बोर्ड तथा देहली एलेक्ट्रिक पावर बोर्ड इसके उदाहरण हैं।

**बह्याण पर बल (Stress on Welfare)**—१९१३ की राज्य नान्ति ने हस्त में निजी उद्योग का अन्त कर दिया। ऐस्किन अन्य देशों में भी घन के अधिक न्यायोचित वितरण पर विचार किया जाने लगा। अधिकारी पश्चिमी देशों में आयकर, विलास सामग्रियों पर कर तथा मृदू कर लगाये गये। फलतः अमीर व्यक्तियों की आय राज्य द्वारा ली जाने लगी तथा राज्य द्वारा वह प्राप्त घन सामान्य लोगों के कल्याण पर सर्व विचा जाने लगा। लाई बीन्स ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्ण रोजगार (Full Employment) बनाये रखने के लिए घन का साम्यपूर्ण (Equitable) वितरण आवश्यक है, क्योंकि तभी उपभोग की समर्थना (Propensity to consume) इतनी पर्याप्त होती है कि विनियोग की आवश्यकता होगी। इसके उपरान्त आर्थिक मामले में सरकारी हस्तक्षेप अधिक प्रभुत्व हो गया और आज जो देश लोगों के लाभ की ओर अपनी आर्थिक प्रणाली को मोड़ने का प्रयत्न करते हैं, है कल्याणकारी राज्य (Welfare State)। कल्याणकारी राज्य का सबसे प्रमुख उदाहरण श्रेट ब्रिटेन है, और विशेषतया सन् १९४५ ई० के बाद से, जब चिकित्सा सेवाओं (Medical Services) तथा बीमारी, लोहा व इसात उद्योग को भी राष्ट्रीयकृत कर लिया। इसके अतिरिक्त, सर्वांगीण सामाजिक कल्याण की योजना दूसरी भाई, जिसका आशय यह था कि प्रयोक्ता इंग्लैण्ड-निवासी को सर्वकाल के लिये उचित चिकित्सा, बेकारी भत्ता, बृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) आदि के सम्बन्ध में आवश्यकता कार्य पर नियन्त्रण तथा

निरीक्षण रखा जाता है ताकि सामान्य बलयाण का अभिवर्द्धन हो। अनुदार दल (Conservative Party) के सत्ताहृष्ट होने के उपरान्त भी नियमित योजना-निष्ठ अर्थप्रणाली देश की प्रमुखता है। केवल समुक्त राज्य अमेरिका खानगी उद्योग का गढ़ बना हुआ है, हालांकि वहां भी अब यह सोचा जाने लगा है कि खानगी उद्योग (Private Enterprise) आखिरी मजिल नहीं है, बल्कि वह सामाजिक वर्त्याण का एक साधन है। चब्बा पूरा धूम लुका है। आधिक उदारतावाद भर चुका है। राज्य पुन आर्थिक कार्यों का नियंत्रक तथा नियंत्रक है।

### राज्य तथा व्यापार

बहुत असें से सरकार ने व्यापार-अभिवर्द्धन की दिशा में त्रियात्मक रूचि दिखाई है। बिन्तु प्रारम्भ में व्यापार तथा उद्योग के सम्बन्ध में सरकार की नीति अ-हस्तक्षेप की नीति थी। मोटे तौर पर उद्योग और व्यापार दोनों की ओर सरकार का दृष्टिकोण लगभग समान रहा है, और वह भी हाल में इन दिनों में नियमन की मात्रा में बढ़ि हुई है। व्यापार-वर्द्धन के प्रारम्भिक रूप में हम यह पाते हैं कि विदेष कास्पोरेसनो, तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य था विदेशों से व्यापार करना। सभी देशों की सरकार ने व्यापार के द्वारा विवास के लिए अनुकूल परिस्थितियों की सृष्टि का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से स्थायी मुद्रा प्रणाली का महत्व बहुत अधिक है। स्वर्णगान (Gold Standard) के विफल हो जाने के उपरान्त “प्रबन्धित चलार्थ प्रणाली” (Managed Currency System) प्रयुक्त होने लगा। मुद्रा अधिकारियों ने सबक सीख लिया है और अब इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि मुद्रा की आन्तरिक नियंत्रित तथा इसका वाहू-मूल्य दोनों स्थायम रहे। परकार्य सलेक्ट (Negotiable Instruments), साक्षेदारी, समुक्त स्वन्य कम्पनी सम्बन्धी विधिया (Laws) को अधिनियमित करना, इसका एक और उपाय रहा है। व्यापार सम्बन्धी अधिकारा का वैधानिक भरक्षण व्यापार वर्द्धन की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। कुछ देशों ने निर्मिति-विधियों को सरकार प्रदान किया है और कुछ देशों ने निर्मित भाल को ही सरकार द्वारा दिया है। एकस्वी (Patents) के सरकार ने, विदेशी वन्तरीट्रीय क्षेत्रों में, व्यापार तथा उद्योग के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। निर्मिति-वर्ताओं की सफलताओं के अनुचित शोषण को रोकने, प्राविधिक पूर्णता का अभिवर्द्धन करने, रुचि को उन्नति करने, तथा व्यापार-चिह्नों के अनुकरण द्वारा प्रतिद्वन्द्वियों की रूपाति का अनुचित लाभ उठाने को रोकने के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कर्तव्य के अतिरिक्त यह आधुनिक सातगी व्यापार-वर्द्धन के लिए सबल सहायता भी है।<sup>1</sup>

सरकार की यातापात नीति को भी व्यापार-वर्द्धन के कार्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कोयले के नियांत पर विदेष प्रवार और छूट दिया करती थीं। सन् १९१४ ई० के पहले भारतीय

रेले बन्दरगाहो पर पहुँचने और उनमें चलने वाले माल तथा अन्य स्थानों पर पहुँचने दा उनमें चलने वाले मालों के बीच अन्तर माननी थी, जिसका उद्देश्य वा कच्चे मालों के निर्धारित तथा अद्वेजी निर्मित बस्तुओं के जायान को प्रोलाइट प्रदान करना। सचार के नाथनों में विकास का तथा व्यापारिक भूचनाओं के सम्बन्ध का उत्तरके विनरप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बहुतेरे देशों में स्टाक एजेंसियों, जिन विनियमों(Produce Exchanges), विनियम विपक्षों व मृदा बाजार के विभाग के सम्बन्ध में सरकारी प्रोलाइट भी व्यापार-व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कारक रहा है। सरकार ने निर्मित मालों एवं उपज का प्रमापोकरण तथा वर्गीकरण करने के लिए कई उठाया है। विनियम देशों में व्यापार दूतों ( Trade Consuls ) तथा व्यापार आयुक्तों ( Trade Commissioners ) की नियन्त्रित विदेशी व्यापारों को जनिवृद्धि को दिशा में दूनरा कर्त्तव्य है। बहुतेरी अवस्था में सरकार ने मालों के प्रकार तथा विनरप नार-नियमों में विद्यमान अनुपयुक्तताओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिकीकरण आनंदोलन को प्रोत्तालित दिया है। युद्ध-नियम परिस्थितियों के दबाव में, जिनके परिणामस्वरूप बहुत-नी आवश्यक बस्तुओं का अभाव हो गया, सरकार उनके विनरप को नियन्त्रित रूप से नियंत्रित करने को बाध्य हो गई थी। व्यापार के कार्यकलाप पर महत्वकर आधार या। स्वतन्त्रता तथा बहुत की तरह न केवल मालों का पारिमाणिक विनरप नियन्त्रित या, बल्कि उनकी वीमत, परिमाण तथा प्रकार, नव नियन्त्रित थे। इन दिशा में प्राय-पिछ़ा (Priorities) तथा राजनीति की प्रणाली अपनाई गई है।

कन्यामकारी राज्य को यह देखना पड़ा है कि लोगों को नाल तथा नेत्रां द्वारा देख तथा उचित मूल्य पर प्राप्त हो जायें, तथा दुलेन बस्तुएँ समाज के सभी वर्गों के लोगों के बीच न्यायोचित रूपी में वितरित हो। इन नियन्त्रण "कोमत अर्थ-नोनि," नहीं चलने दी जा सकती और आवश्यक बस्तुएँ नियन्त्रित हो जाती हैं। उद्योग के राष्ट्रीयकरण की तरह अधिक मात्रा व तुलों के राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन किया गया है। व्यावहारिक बठिनाल्यों के कारण भारत में राष्ट्रीय व्यापार का विचार इन दिशा में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। यत्रि युद्ध के दिनों में और उनके बाद सरकार ने अनाज और अन्य आवश्यक बस्तुएँ खरीदी, और राशनिंग टूकानों द्वारा जनता को खाटी।

### भारतरूप में तंत्रज्ञानी नियन्त्रित

प्रथम विद्वयुद्ध के पूर्व मुक्त व्यापार ( Free Trade ) तथा राष्ट्रस्वतन्त्र की नीति के दर्शन का आवश्यक लेने हुए भारत सरकार ने मुख्य इस उद्देश्य से हमेंजेप किया कि कि देश ड्रेट ब्रिटेन के लिए कच्चे मालों का पूर्ति-नी तथा नस्ते मरीन-नियमित मालों के लिए उपयोग बाजार हो जाए। किन्तु ऐनी नीति के बावजूद भारत में मुख्य अद्वेजी व्यापारी कोडियों, तथा तदुपरान्त बम्बई के पारनियों तबह भाडियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप, औद्योगिक हूलचल की जड़ जमने लगी। लेकिन

प्राविधिक शिक्षा के लिए मुश्किल से ही बोई सुविद्या उपलब्ध थी। अत इस देश के बाहर से आयात किये गये प्राविधिक विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता था और कालान्तर में इन विशेषज्ञों का स्थान भारतीय विशेषज्ञ नहीं ले पाते। सच्ची बात तो यह है कि भारत के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में राज्य की बोई निश्चित नीति नहीं थी। सन् १९०५ ई० में उद्योगों को संगठित करने और सहायता प्रदान करने के लिए जिस इम्पीरियल डिपार्टमेण्ट आफ इण्डस्ट्रीज एण्ड कार्मसं की स्थापना की गयी थी, वह सन् १९१० ई० में लांड मालें द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस दिशा में राज्य का कार्य ठप पड़ गया। भारतवर्ष में प्रथम फैब्री कानून मूल्यता लक्षातार तथा डॉकों के दबाव के कारण स्वीकृत हुआ।

युद्धों के बीच का काल—भारत में विचारालील लोगों ने औद्योगिक विकास के प्रति सरकारी उदाहीनता के सिद्धान्त को बमी भी नहीं माना और विशेषकर उस स्थिति में जबकि उन्होंने देखा कि जर्मनी, जापान तथा अमेरिका बी सरकारे वे सारे कार्य कर रही हैं जो इस सम्बन्ध में कर्णीय हैं। औद्योगिक आयोग ने सन् १९१८ ई० के अपने प्रतिवेदन में सरकार से मह आप्रह किया कि प्राविधिक शिक्षा, सोज आदि की व्यवस्था द्वारा सरकार को भारतवर्ष में उद्योगों के विकास के लिए कदम उठाना चाहिए।

भारतवर्ष को राजकोपीय स्वायत्तता वा दिया जाना एक आगे का कदम था, तथा राजकोप आयोग ने, जिसकी निर्युक्ति सन् १९२१ में हुई, औद्योगिक विकास की जर्मनीतता को दृष्टिगत किया तथा एक नीति की सिफारिश की, जिसे विभेदक सरकारण (Discriminating Protection) कहते हैं। वई उद्योगों को सरकारित किया गया। मूर्ती, लोटा व इस्पात, कागज, दियासलाई, तथा चीनी उद्योग इसके उदाहरण हैं। सन् १९४९ ई० के राजकोप आयोग का मन था कि सरकारण में मुख्य लाभ ये हैं—(१) सन् १९३० ई० की मन्दी में सरकारित उद्योग अपेक्षित अप्रभावित रहे, (२) उत्पादन में स्थायित्व तथा वैविध्यकरण (Diversification), (३) कुल औद्योगिक जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि।

सरकारित उद्योग काफी सफल रहे तथा देशी बाजार के अधिकास पर कद्दा कर सके तथा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त उन्हें और सरकारण की आवश्यकता नहीं हुई। किंतु प्रथम लाभप्रद प्रभावा को छोड़कर, अब भी हम लोगों के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी बमी है, जिसका जयिकाम दोष सरकार को ही देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इस समय में इकावट प्रधान तथा ट्रुंफल नीति का अनुसरण किया है।" हम लोगों के विकास में यदि विश्व घटक और जधिक अनुकूल होते तथा सरकारण की नीति अधिक व्यापक जाधार पर होती और यदि यह राष्ट्रीय भावनाओं के अनुकूल सार्वधानिक बातावरण म अधिक उश्शरता के साथ कार्यान्वित की जाती तो हम लोगों के औद्योगिक विकास में जो साइडा रह गई हैं, उनकी सत्त्वा और योगी होनी"।

भण्डार नप्र आवोग कमेटी (Stores Purchase Committee) की सिफारिसों पर भारतीय भण्डार विभाग (Indian Stores Department) की स्थापना हुई जिनका उद्देश्य या सरकारी विभाग तथा रेलों वे द्वारा भण्डार की स्थापना को नियन्त्रित करना। सन् १९२७ ई० में सरकार ने घोषणा की : "भारतीय सरकार की नीति है लोक सेवाओं के लिए भण्डार वा नय इस प्रकार करना कि मितव्ययिता तथा दशता के अधीन रहते हुए यह देश के उद्योग को प्रोग्राम हन देसके"। औद्योगिक भण्डार विभाग मानदण्ड (Standard) को लागू करने तथा उसे बनाये रखने में भी समर्थ हो सका। पर अन्य विषयों में भण्डार क्रम नीति उद्देश्य की प्रसिद्धि में बहुत अधिक सफल न हो सकी। अच्छा तो यह हाना कि इमारा उपयोग प्रत्यामूल प्रणाली के अन्तर्गत नये उद्योग प्रारम्भ करने में किया जाना।

औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सन् १९३३ ई० में चलाये तथा उधार को नियमित बरने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को स्थापित करने के अलावा सरकार मुश्किल से ही कुछ और कर सकी। हमारे उद्योग का दोषकालीन तथा मध्यकालीन वित्त के अनाव में बहुत क्षति उठानी पड़ी है। मंत्रल वर्किंग इन्कावारी कमेटी के प्रतिवेदन पर सरकार ने जो कार्य किया, वह प्रभावहीन रहा। यदि प्रबन्ध अभिकर्ता न होते तो हमारे उद्योग विलीन हो जाने। अन्तर्दुर्द्ध काल में मालिकों तथा भजदारों के बीच मौहार्दृगं सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में भी सरकार के कार्य प्रशसनीय नहीं रहे। पक्षेन में, इन क्षेत्र में भारत की नरकार अन्य सरकारों में बहुत पीछे रही। किन्तु एक दूषित से भारत की सरकार इर्लंड की सरकार से जागे बढ़ गई। बहुत ही प्रारम्भ में रेलों का राष्ट्रीय-करण कर दिया गया। आल-इण्डिया रेडिया शुह में ही एक राष्ट्रीय उद्योग रहा है। डाक, तार तथा टेलीफोन को सरकार ने मचालिन किया है। बन्दरगाहों का प्रशासन बन्दरगाहन्यास (Port Trust) के द्वारा होता है। विद्युत उत्पादन तथा वितरण मुख्यतः निजी उद्योगियों के हाथ में ढोड़ दिया गया जिस पर मर्दा की भाँति सरकारी नियवण रहता है। जल का नगरपालिकाकरण कर दिया गया है। बस्तुतः लोक उपयोगिता उद्योग (Public utilities) के क्षेत्र में भारतीय सरकार अन्य देशों की सरकारों से पीछे नहीं रही है।

द्वितीय मुद्द तथा उत्तरकाल—द्वितीय मुद्द में प्रथम मुद्द की अपेक्षा औद्योगिक मालों की मान बहुत हुई। जैसे ही यह प्रतीत हुआ कि मुद्द अनेक तक होगा, सरकार भारतीय अर्थ-व्यवस्था को नियन्त्रित करने लगी। आवश्यक कच्चे माल तथा नियमित मालों की कीमतें तथा उनका वितरण नियन्त्रित किया गया। सरकार ने मालों को सरीद के सम्बन्ध में जो अनुबन्ध किया, उसके फलस्वरूप बहुत से छोटे-छोटे कारखानों की स्थापना को प्रोग्राम हिला। सरकार ने उनको वित्तीय सहायता दी तथा उन्हें बाहर से मरीन नियाति करने में महायता दी। किर भी दी जाने वाली सहायता संगठित हूप में न थी, क्योंकि हिन्दुस्तान को उसमें स्थायी लाभ नहीं प्राप्त हुए हैं, और युद्ध की समाप्ति पर उन उद्योगों वो वरवाद होने के लिए ढोड़ दिया गया। पूजी निर्गमन नियवण का प्रभाव हानिकारक हुआ क्योंकि इसने शान्तिकालीन उद्योगों

में पूजी के प्रबाह को रोका है। जब यह स्मरण किया जाता है कि लैंड-लोज या 'उधार-पट्टा' प्रोग्राम का इजिन निर्माण, बुनियादी रसायन उद्योग को नई फँकटरियों के निर्माण या पोत निर्माण क्षेत्र के सृजन के लिए उपयोग नहीं किया गया तब यह नतीजा निवालने के लिए बाब्य होना पड़ता है कि सरकार ने भारत के उद्योग को विकसित करने का इरादा कभी किया ही नहीं। यह याद करना उचित होगा कि जब भारत सरकार ने सन् १९२४ ई० में भारतीय रेलों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया, तब इसने अजमेर तथा जमालपुर में दो रेल इजिन फँकटरियों को बन्द कर दिया, जिसका साफ उद्देश्य या भारतीय रेलों को पूर्णतया ब्रिटेन की पूर्ति पर निर्भर बनाना। इसका जनिवार्य परिणाम यह हुआ कि युद्ध काल में कार्यादिक्ष द्वारा रेल मुद्रोतर बालम बनाडा, इन्हैं तथा नयुक्त राज्य अमेरिका में इजिन आयात द्वारा ही पूर्ण विनाश से बचाई जा सकी। सन्तोष का विषय है कि राष्ट्रीय सरकार ने अब एक लोकोमोटिव फँकटरी की स्थापना की है जो इजिन बना रही है और यह आशा की जाती है कि एक या दो वर्षों में यह १५० या २०० इजिनों का निर्माण कर लेगी। ३०० इजिनों का लक्ष्य रखा गया है।

युद्ध में सरकार की नीति जारी रखी गयी, और उन उद्योगों को भी सरकार मिलता रहा, जिनको इसको आवश्यकता नहीं थी, तथा नये उद्योग को इस दाता पर, कि यदि वे दृढ़ता के साथ समर्थित किये गये तो सरकार दिया जाएगा, सरकार का बचन दिया गया। सन् १९४५ ई० में सरकार ने दीर्घवालीन नीति के निमित्त होने तक एक आन्तरिक टैरिफ़ वोइंग की नियुक्ति की घोषणा की जिसका उद्देश्य या सरकार की सहायता चाहने वाले विभिन्न उद्योग के विधिकारी की छानबीन करना। सरकारी सहायता चाहने वाले विभिन्न उद्योग के विधिकारी की छानबीन करना। सरकार की दाता पहले की अपेक्षा अधिक औदायपूर्ण तथा युक्तिसंगत थी और पांच वर्षों में १० जाच (Enquiry) की गई, जबकि भूर्बदर्ती वोइंग द्वारा सन् १९२३ तथा १९३९ में बीच ५० जाच की गई थी। युद्धोतर बाल में योजनावरण तथा विभाग (Department of Planning & Development) की स्थापना हुई, जो विभिन्न पहलुओं के विषय में सूचनाएं भण्डीत करने तथा समिति प्रतिवेदन (Panel Report) निमित्त करने के बाद समाप्त हो गया।

स्वतन्त्र भारत की नोनि—“एक दिनांक में अधिक समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व तनाव पड़ता रहा। युद्ध के बारण जनता से प्राप्त धन बहुत कमीजा गया और उसके स्पीतिकारक परिणामों को कठूल या नियन्त्रण द्वारा कुछ ही दूर तक बहुत किया जा सकता था। युद्ध की समाप्ति और स्वाधीनता की प्राप्ति के बीच के दो वर्षों में जो असामान्य राजनीतिक घटनाएं रही, और विभाजन के परिणामस्वरूप अर्द्धव्यवस्था, मेरी विशेषज्ञता, बैंक, बूर्ड, लैन्स, वर्क्स्प्लॉयल्म, मेरी और भी अग्रुलन पैदा हो गया, और आधिक स्थिति और भी बराबर हा गई।”<sup>1</sup> एवं अत्यधिक गरीब मुक्त में आर्थिक स्थिति इस तरह खराब ही जाने से बड़ा खतरा था। वस्तुओं की दृष्टि से (In real terms), १९४८ में भारत की राष्ट्रीय आप-

१. योजना आयोग, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, पृष्ठ, ११-१२।

प्राय दूरी थी जो मदी के दिनों में थी। यदि आर्थिक अवस्था को सुधारना चाहा तो स्वभावन सरकार को चुस्ती से काम करने की जरूरत थी। सरकार इण्डियन नेशनल कांग्रेस की पुरानी धोपपाखों से भी दूरी हुई थी। राज्य की जिम्मेदारिया भारत के संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में गिनाई गई है। प्रामाणिक अनुच्छेद ये हैं—

“३८ राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सानाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी स्थाओं को अनुप्राप्ति करे, भरतक वार्य-साधक रूप में, स्थापना और संरक्षण करके लोक-न्यायण को उन्नति का प्रयास करेगा।

“३९ राज्य अपनी नीति का विशेषता ऐसा सचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) सामान्य रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामिन्व और नियन्त्रण इस प्रकार बढ़ा हो कि जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो,

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिसमें धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितवारी केन्द्रण न हो,

(घ) पुरुषों और स्त्रियों, दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो,

(ग) धर्मिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा वालकों की मुकुमार अवस्था का दुर्घटयोग न हो तथा आर्थिक व्यवस्था से विवर होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनको आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

(च) दैशव और किसोरावस्था का धोपण तथा नैनिक और आर्थिक परिस्थापन से सरक्षण हो।”

योजना क्षमीशन के शब्दों में निदेशक तत्वों में एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक अवस्था की तस्वीर खीची गई है जो सब नागरिकों के लिए अवमर की समता, सामाजिक न्याय, काम करने के अधिकार, पर्याप्त मनदूरी के अधिकार और कुछ सामाजिक मुरक्का पर आधारित होगी। राज्य ने अपनी जिम्मेवारी का अर्थ देश की भौतिक सम्पत्ति को बढ़ाने की जिम्मेवारी समझा है। इन्हें यह नमूना लिया है कि सिर्फ मोज्ज्ञा सम्पत्ति के पुनर्वितरण से जनता की अवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता। उत्पादनों में बढ़ि न होने पर भारत में गरीबी टमेशा को तरह बनी रहेगी। कुछ लोग बड़े पैमाने पर उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का पश्च लेते हैं। उदाहरण के लिए, प्राक्तन के ० टो० शाह<sup>१</sup> इस आधार पर राष्ट्रीयकरण को उचित समझने हैं :

(क) स्वामित्व और प्रबन्ध का राष्ट्रीयकरण होने पर उद्योगों को चलाने में अधिक समन्वय और अधिक मिनव्यविता हो सकेगी;

(ख) सब उद्योगों का देश भर में वितरण या फैल जाना जिससे प्रयोक्ता

प्रदेश के स्थानीय मजदूर को अधिक से जवित रोजगार मिलने में और स्थानीय भौतिक साधनों के उपयोग में भुविधा हो जाए, वहाँ जवित थामान और अधिक वास्तविक हो जाएगा,

(ग) ऐसे राष्ट्रीयकृत कारखानों के लाभ से हाने वाली बचत सरकारी कोषों में जाएगी और इस प्रकार वित्तीय साधनों में ऐसी वृद्धि करेगी जो कर के जरिये नहीं हो सकती।

(घ) राष्ट्रीयकृत उद्योग, सेवाओं (Services) या उपयोगिताओं (utilities) का सचालन मुख्यतः सारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सहायता और सेवा वरन् के लिए हांगा, मालिक वे लिए नफा कमाने को नहीं, जैसा कि निजी उद्योगों की अवस्था में अनिवार्यत होता है, और

(ङ) समाजीकृत उत्पादन के अधीन ही सब वयस्त मजदूरों को उस-उस की अभिरक्षा और प्रशिक्षण के टीक-टीक जनुमार भरमक अधिकार रोजगार मिल सकता है।

विटिश मजदूर दल ने निम्नलिखित रूप में राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया:

“लोक स्वामित्व यह निश्चित बरने का एक माध्यन है जि एकाधिकार व्यवमाय जनता का शोपण न कर सके। निजी एकाधिकारियों के हाथों में वरन् अन्य सभी मनुष्यों के सुख और भाग्य के विषय में वहाँ जवित दक्षिण होनी है। जहा एकाधिकार अनिवार्य है, वहा लोक स्वामित्व होना चाहिए।

“लोक स्वामित्व उन बुनियादी उद्योगों और सेवाओं को नियन्त्रित बरने का साधन है, जिन पर समुदाय का जारीक जीवन और व्यवाय निर्भर है। इनका नियन्त्रण निजी मालिकों वे समूह के हाथों में होना निरापद नहीं जो समुदाय के प्रति उत्तरदायी नहीं।

“लोक स्वामित्व उन उद्योगों को चारने का एक तरीका है जिनम अदक्षता, रहती है और जिनमे सुधार बरने के लिए निजी मालिकों म इच्छा या सामर्थ्य का अभाव होता है।”

उपर्युक्त मिद्दान्तों की रोकनी में भारत में हाफ म दिय गये राष्ट्रीयकरण के उदाहरणों की विवेचना बरना उचित होगा। वायु मार्गों या एयरवेज का राष्ट्रीयकरण उनके मचालन के वैज्ञानिकीकरण के बान्धे रिया गया है। वहाँ मारी निजी व्यवस्था थी, जिनका बहुत-सा सामर्थ्य काम म नहीं आ सकता था जिसम हानिया होती थी। जीवन-वीभा व्यवमाय का राष्ट्रीयकरण मुख्यतः इन कारण किया गया है जि धन का गलत प्रयोग किया जा रहा था जीर जीवन दीमा व्यवस्था के भारनों का याजना-बढ़ विकास की दिशा में ले जाना था। इमोरियल देक वा राष्ट्रीयकरण देहान्तों क्षमों में वैकिंग और उपार की मुविधाएँ पहुँचाने की दृष्टि में रिया गया था। यह काम किसी निजी बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता, व्याकि हानियों की जातिम है। स्टेट बैंक वाक इण्टिया को पात्र वर्षे के भीतर ४०० शालने का कार्य भारमीगा

मना है और यह अब तक ऐसी १८४ शाखाएँ बोल मी चुका है।

राष्ट्रीयकरण के दिक्षा की युक्तियों का सशर्त में इस प्रकार रना जा सकता है (१) इसमें जनपिक निदन्वण हो जाता है, (२) इसमें अद्यता पैदा होती है, (३) इनी बैठकात उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए अपशिष्ट मामलों का अधिक जच्छा उद्योग नये उद्योग शुरू करके किस जा सकता है। पहली युक्ति में कुछ सवाल हैं। लाइनरों दश अपने मव कावों में अनिवार्य व्यवस्था पर्यन्त नहीं करते पर इसमें और यह मी इच्छा है कि मनुष्यके निर्भय वगा को शास्त्र जारी आराम प्राप्त कराया जाए और तब राष्ट्रीयकरण लोकलन्त्रीय प्रक्रियाओं के साथ मिलकर जबरदस्ती काम के बजाय स्वेच्छाया मन्दिराग्रह प्राप्त करता है। जहा तक पूर्ण युक्ति का सम्बन्ध है यह सत्य है कि राष्ट्रीयकरण उपकरण ऐसे वेनमभागों अफसर द्वारा चलाय जाते हैं जिनमें लाभ की प्रेरणा का जभाव सम्भव है, परन्तु जानुनिक स्वन्द व्यवस्था में भी वैय ही वेनमभागों अफसरों द्वारा चलाई जाती है। सवालक वीच-वीच में अपनी बैठके करके उस पर देवर्णन रखते हैं। इसलिए इस युक्ति में विषय बल नहीं है कि राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम निर्जीवानि वाले कारब्लाने की जरूरा अधिक अद्यता में चलाये जान की इच्छा है, क्योंकि उसमें लाभ की प्रेरणा नहीं। इनी मनुष्यक स्वन्द व्यवस्था के स्वामिन्द्र में चलाने वाले बड़ा बारबार अनिवार्य वैमा ही नोकरणाही होंगा, जैसा कोई राष्ट्रीयकरण उपकरण, और इसलिए इस प्राप्त कर राष्ट्रीयकरण निर्जीवानि में घटिया नहीं।

जब हम दशता की बात करते हैं, तब प्राप्त हमारा मतभव उन्नादन की लागत की दृष्टि से होने वाली दशता में ही होता है, परन्तु मनुष्यकी दृष्टि से वास्तविक दशता का यह प्रोफेसर फ्लोरेन्स के शब्दों में निम्नलिखित है

(१) मनुष्य की जावद्यक्ताओं, जनता और स्वामाविह मामों की नमग़ तूनी—उनकी कृतिम स्प से बनाई हुई मामों की नदी (केव और धराव से पहुँच रोटी और मक्कन)।

(२) मामों एवं कौमत पर पूर्ण की जाए ति लाभ की न्यनतम मात्रा रखते हुए उपर्योगिताओं को अधिक से अधिक मनोरंग हो जाय। कौमत लागत के अधिक से अधिक निष्ठ होनी चाहिए।

(३) जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, सधोर में कहा जाय तो लोकलन्त्र का, इमेशार्ग और सलुष्टि में अधिकतर प्रभार होना चाहिए।

(४) और दशता प्रति दिन उन्नादन पर न्यनतम लागत के न्य में मात्री जाए।

इसमें मन्दह नहीं कि उपर्युक्त कौमियों के आवार पर लोक स्वामिन्द्र का पर्याय निर्जीवानि की अपेक्षा मानी है तो भी यह निशन्त बरते वै लिए कि राष्ट्रीयकरण उद्योग प्रक्रिया में अधिक दशता में चलाये जायेंगे, प्रोफेसर मार्जेट फ्लोरेन्स ने निशार्ग की है कि निम्नलिखित विवेताओं वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना, चाहिए—

- (क) रोजाना के छग का प्रशासन।
- (ख) पूजी सभार और विशेषतों के लिए बहुत धन लगाने की आवश्यकता।
- (ग) बड़ा आवार, और
- (घ) उद्योगों के मौजूदा पूजीवादी प्रबन्ध की अवधता।

यह यद्द रखना चाहिए कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मात्र से समृद्धि हो जाने की सभावना नहीं है। उद्योगों का उचित प्रबन्ध परमावश्यक है। अब तक प्राप्त अनुभव से यह निष्कर्ष निकलता प्रतीत होता है कि सरकारी कारखाने का प्रबन्ध इतनी दक्षता से नहीं होता जितनी निजी कारखाना का होता है। ऊपर बताए गए 'ग' और 'घ' कारण दोनों परस्पर-विरोधी हैं, और पूर्ण रोजगार तथा उद्योगों का उचित प्राइवेगिक वितरण ही सबना समुचित योजना निर्माण पर निर्भर है। तो भी स्वाधीनता के बाद कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश, मद्रास और दिल्ली आदि बहुत से राज्यों में राज्य सरकारी ने मोटर परिवहन का राष्ट्रीयकरण चर दिया है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया या भारत के रक्षित बैंक का राष्ट्रीयकरण भी हो चुका है। रेलवे-ट्रॉक और तार तथा आकाशवाहनी या आल इण्डिया रेडियो पहले ही भारत सरकार वे स्वामित्व और सचालन में हैं पर भारत सरकार ने यह समझ लिया है कि भारत के जो थोड़े से वित्तीय समाधान हैं, उन्हे मौजूदा और्योगिक वारखानों को अवाप्त करने में वर्खाद करना बुद्धिमत्ता नहीं। इसका लक्ष्य सरकारी समाधानों का उपयोग मम्पति उत्पादन के नए साधन पैदा करने में करना है। यदि हम स्वामित्व-हरण की नीति (policy of expropriation) ही न अपना के तो यह युक्ति मात्र है। राष्ट्रीयकरण के बारे में अपना अभिग्राह्य और उद्योगों के सम्बन्ध में अन्य मापदण्ड पर अपना श्वेत स्पष्ट करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल १९४८ में एक बक्तव्य दिया दिया था। उसका जो सारांश राजकोप आयोग (Fiscal Commission) (१९४९) के प्रतिवेदन में दिया गया है, वह नीचे उद्धृत किया जाता है —

प्रथम, यह बक्तव्य राष्ट्र के "एमी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना" के सबल्प से आरम्भ होता है "जिसम सब लोगों को न्याय और अवसर को समता सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगा।" दूसरे, यह कहता है कि सारा प्रयत्न कम से कम समय में हन्महन का स्तर कामी ऊँचा करने की दिशा में होना चाहिए। तीसरे, इस सबल्प में मिली-जुली अर्थव्यवस्था को तस्वीर रखी गई है। एक क्षेत्र निजी उद्योगों के लिए रख दिया गया है और दूसरा लोक स्वामित्व के लिए सुरक्षित है। भारत सरकार "अनुभव करती है कि भविष्य में कुछ समय तक राज्य जिन क्षेत्रों में वह पहले में कार्य कर रहा है उनमें ही अपने मौजूदा विद्याकलाप को बढ़ावा और अन्य क्षेत्रों में उत्पादन के नए वारखानों पर ध्यान देकर राष्ट्रीय धन की बृद्धि में अधिक शोध हिस्सा के सकता है, मौजूदा वारखानों को अवाप्त और सचालित करने नहीं। इस बीच निजी उद्योगों को जो उचित रीनि से गच्छालित और विनियमित होंगे, वह महत्वपूर्ण कार्य करना है ... विसी भी मौजूदा वारखाने को अवाप्त करने का राज्य का सहज अधिकार

तो सदा बना रहेगा, और जब वभी लोक-हित को दृष्टि से अपेक्षित होगा, तब उससा प्रयोग भी किया जाएगा। पर सरकार ने इन क्षेत्रों में दम बर्प के लिए मौजूदा वारखानों को उन्नति वरने का अवसर देने का निश्चय किया है। इस अवधि में उह दश सचालन और युवित-युवत प्रसार के लिए सब मुक्तियाएँ दी जायेगी। इस अवधि के अन्त में सारे मामले पर फिर विचार होगा और उस समय मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार निश्चय किया जाएगा। यदि यह फैसला किया गया कि बौद्ध कारखाना राज्य को अपने स्वामि व माले लेना चाहिए तो सविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों का पालन किया जाएगा, और प्रतिकर या मुआवजा न्यायसंगत और सम्पूर्ण ( Equitable ) आधार पर दिया जाएगा। साधारण राज्य के कारखानों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के सांवित्र नियंत्रण के अंतर्न लोक निगमों ( Public corporations ) के द्वारा होगा—वेन्ड्रीय सरकार इसके लिए आवश्यक शक्तिया प्रहण कर लेगी। कोयला लोहा, और इस्पात, विमान निर्माण, जहाज बनाना, टैलीफोन, टैलीग्राफ और बतार के तार के उपकरणों ( मुनन के रेडियो को छोड़कर ) का निर्माण और स्थिति तेलो से सम्बन्धित क्षेत्र के अलावा यात्रा औद्योगिक क्षेत्र नियोगों के लिए, चाहे वे एक व्यक्ति के ही या सहकारी, सामान्यत खुला होगा। राज्य इस क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर अधिक हिस्सा लेगा और जहाँ-जहाँ नियोगों का उद्योग को प्रगति सन्मोर्जनक नहीं होगा, वहा हस्तक्षण वरने में भी सक्रीय न करेगा।”

इसके अलावा १८ उद्योगों की एक सूची दी गई है। वे इस कारण “केन्द्रीय विनियमन और नियन्त्रण” के अधीन होते कि “उनके स्थान का निश्चय अखिल भारतीय महत्व के कारखानों के आधार पर होना चाहिए, “या उन में बहुत अधिक धन लगान वी, और बहुत ऊंचे दरजे के प्राविधिक बौद्धल वी आवश्यकता है।” चौथे सकल में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर बल दिया गया है, “वयोंकि वे अकेले आदमी के, गाव के या सहकारी उपकरण के लिए क्षेत्र प्रस्तुत वरने हैं और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक रास्ता बताते हैं। सबल में, जहाँ अवस्थाओं के अनुसार समव हो वहा, वह उद्योगों दो विकेन्द्रित करने वी वालोंवाला पर भी बल दिया गया है। पांचवें सकल में प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच अच्छे सम्बन्धों के लिए सामाजिक न्याय और अच्छी धर्मिता दराओं की नीति की एक परमावश्यक आधार बताया गया है। छठे, सरकार की तटकर ( Tariff ) नीति को चर्चा की गई है। यह “ऐमी बनायो जाएगो कि अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्द्धा न हो सके और उपभोक्ता पर अनुचित बोझ डाले बिना भारत के समाधनों का उपयोग बढ़ सके। सातवें, विदेशी पूजी के बारे में नीति इन शब्दों में स्पष्ट की गई है कि “भारत सरकार उद्योग सम्मेलन के इस विचार से सहमत है कि यह तो ठीक है कि विदेशी पूजी और कारखानेदारों का विशेष रूप से औद्योगिक टैक्सों और जात वी दृष्टि से शामिल होना देश के द्रुत उद्योगकरण के लिए मूल्यवान होगा, पर यह आवश्यक है कि वे जिन शब्दों पर भारतीय उद्योगों में हिस्सा ले सकते हैं, वे राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सावधानी से विनियमित होनी चाहिए। इस

प्रयोजन के लिए उचित बानून बनाया जाएगा। इम बानून में विदेशी पूजी और प्रगन्ध के उद्योग में शामिल होने के हर मामले की केन्द्रीय सरकार द्वारा जान और अनुमोदन की व्यवस्था होगी। सामान्यतया यह उपर्युक्त होगा कि स्वामित्व में मुख्य स्वतंत्र और प्रभावी नियन्त्रण हमेशा भारतीय हाथों में रहे। पर जापवादिव मामलों में ऐसी रीति से काय करने की शक्ति सरकार ग्रहण करेगी जिसमें राष्ट्रीय हित का सम्पादन होता है। पर सब जगह जन्ततोगत्वा विदेशी विदेशी का स्वान लेने के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा।”

प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी पूजी के बारे में इस वक्तव्य का स्पष्टीकरण करते हुए ६ अप्रैल १९४९ को ममद में कहा—“पहली बात यह है कि मैं यह बता देना चाहता हूँ कि सरकार सब भारतानों में, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी यह आदा करेंगी कि वे सरकारी औद्योगिक नीति की साधारण अपेक्षाओं के अनुरूप हों। जहाँ तक मौजूदा विदेशी हितों का सम्बन्ध है, उन पर सरकार कोई ऐसी प्रबन्धिया या शर्तें लगाना नहीं चाहती जो बैसे ही भारतीय भारतानों पर नहीं लगायी जा सकती। सरकार अपनी नीति भी ऐसी बनाएगी कि और अविक विदेशी पूजी दाना के लिए राष्ट्रद्रव्यक शर्तों पर भारत में आई जा सके। दूसरे, विदेशी हितों को मिर्ज उन विनियमों के जरूर रखने हुए, जो सब पर लागू हाँगे, लाभ कमाने दिया जाएगा। लाभ का स्वयं अपने देश भजने वे लिए जो मुविधाएँ जाज मौजूद हैं, उनके जारी रहने में हम कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती, और जो विदेशी पूजी लगी हुई है, उन नियमालन पर कोई पावन्दी लगाने का सरकार का इरादा नहीं है। पर इन स्वदेश भेजने की मुरिधा स्वभावत विदेशी विनियम की स्थिति पर निर्भर होती। पर यदि नरकार न किंग विदेशी कम्पनी पर अनिवार्यत अधिकार विद्या ता उनके आगम का स्वदेश भेजने के लिए वह तकमगत मुविधाएँ देगी। तीसरे, यदि और जब विदेशी कम्पनियों पर अनिवार्यत अविनार किया जाएगा, तो और तब न्यायमगत और साम्यपूर्ण आधार पर प्रतिवर दिया जाएगा, जैसा कि सरकार की नीति के बचताय म पढ़े हैं एलान दिया जा चुका है। भारत सरकार भारत म मौजूद त्रिटिया या अन्य अभालीय हितों का किमी भी तरह हाति नहीं पहुँचाना चाहती और भारत की अर्थन्यवस्था के विकास में रखनामक और महत्वार्थी है म उनके हिस्मा देन का खुदी में स्वानन बरेंगी।”

नीति के बहन्दाय से यह बात स्पष्ट है कि सरकार का एकमात्र अद्यत भारत में उत्पादन साधना की वृद्धि करना है। राष्ट्रीयकरण या निजी उद्योगों के चलत रहने के बारे में फैसला देश म सम्पत्ति की वृद्धि के मानार के आधार पर ही किया जाएगा। जहाँ तक हो मदेगा सरकार के मानवीय और विनीय दोनों प्रकार के गमाधनों का उदाधार भी तो रास्तानामे तो सरकार के कजाक, न्यो करकाने के रूप में किया जाएगा। इन प्रकार हम देखने हैं कि सरकार ने मिदी म साद फैक्टरी, चित्तरजन में इन फैक्टरी और वग्गोर म टेलीफोन निर्माण फैक्टरी और एक मर्मीनी औजार कारपोरेशन बनाया है। सरकार अपने साधनों का मुख्य शिस्मा अनुव नदी धारी

योजनाओं में लगा रही है जिसमें सिचाई और प्रिजली दोनों उपलब्ध हो सके।

प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ३० जून १९५६ को लोकसभा में भारत सरकार की नयी उद्योग नीति की घोषणा की। आपने बताया कि उद्योगों को तीन भागों में विभाजित किया जाएगा (१) वे उद्योग जिनका भविष्य में सरकार ही विकास करेगी। वस्त्राय की अनुमति 'क' में ऐसे सबह उद्योग गिनाये गये हैं, जिनमें शस्त्राम तथा मुख्या, परमाणु शक्ति, सोहा व इस्पात, मशीनों और जार, मशीन बनाने के बारबाने, प्रिजली का सामान, कोयला, खनिज तेल, वच्चा सोहा, ताका ] आदि निकालना, और योगन, परमाणु शक्ति खनिज हवाई जहाज का सामान, वायु यानायान, रेल यातायान, जहाजरानी टेलीफोन, बेनार का तार, और विजली है। (२) वे उद्योग जो धीरे-धीरे सरकार के अधीन होंगे। ये अनुमति 'ख' में गिनाये गये हैं। (३) योग उद्योग।

भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो कार्य किये हैं उनमें मालिरो और मजदूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए किये गए सरकार के प्रयत्नों का जिक्र किया जा सकता है। सरकार ने मध्यस्थीता (Mediation) या विवाचन यानी पर्चनियंत्रण (Arbitration) द्वारा विवादों के निपटारे की व्यवस्था की है, और हड्डाले या तालेबन्दिया रोकने के लिए स विधिक उपबन्ध किये हैं। मजदूरों को सुनिश्चित रूप में उंचित लाभ प्राप्त कराने के लिए सरकार ने श्रम वन्द्याण वर्ग कार्यक्रम आरम्भ किया है। कोयला सानों में सरकार के तत्त्वावधान में मजदूरों को भविष्य निधि (Provident Fund) की सुविधाएँ दे दी गयी हैं। १९५२ के कानून ने इस योजना को ६ और उद्योगों पर लागू कर दिया है। एट न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पाय किया जा चुका है और वह लागू है, जिसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय कर नहींता है। लाभ में हिस्सा बाटने के महत्वपूर्ण सवाल पर मार्गिकों और मजदूरों में कोई नभौता नहीं हो रहा है। यह सवाल अभी सरकार द्वे विवादादीन है। उन मजदूरों को गहायना देने के लिए, जो रोगी हो जाते हैं या दुष्टेनाओं से घायल हो जाते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा नियम (Employees State Insurance Corporation) स्थापित किया गया है। यह नियम मालिकों और मजदूरों, दोनों से समृद्धि निधि के द्वारा काम करेगा। कानून बनाने के बाद पिछले तीन बर्षों में बास्तवार मुन्हती किये जाने के पश्चात् दिल्ली और कानपुर में पथदर्शक योजना शुरू की गई है। आजाहै ति येद मह राज्य में यह योजना शीघ्र लागू हो जाएगी। कानपुर कानून भी चति बढ़ोर वर दिया गया है, पर इस मन्त्र के बावजूद यह यार रखना चाहिए कि अम-कल्याण मुनिदिव्वन रूप में प्राप्त कराने के लिए अभी बहुत कुछ करना चाही है। तो भी सरकार को औद्योगिक विवादों से होने वाली हानि को कम करने में कुछ दूर तर नकलता निली है। १९४३ में नष्ट हुए मनुष्य दिनों की संख्या ३,६५,६२,६६६ थी, १९४९ में यह संख्या ६६,००,५९५ और १९५० में १,२८,९६०७०४ थी और १९५१

में सिर्फ ३८,१८,९८२ तथा १९५२ में ३३,३६,९६१ मनुष्य-दिन नष्ट हुए थे। १९५३ और १९५४ के लिए ये अक नमूद ३३,८२,००० और ३७,७२,६३० थे। यहा औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) बनाने का उल्लेख भी करना उचित होगा, जिसके बारे में विस्तार से अन्यत्र विचार किया जा चुका है।

सरकार ने उद्योगों को तब्दियत कीमतों पर कच्चे सामान का पर्याप्त सभरण और समुचित वितरण करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। विभाजन और रपये के अव-मूल्यन (Devaluation) के बाद देश के दो प्रमुख उद्योगों, अर्थात् सूनी वस्त्र और जूट, को कच्चे माल की प्राप्ति के बारे में बड़ी बढ़िनाई हो गई है। इन दोनों सामानों का भीतरी उत्पादन कुछ समय तक नियन्त्रित था, पर अब सिर्फ रई नियन्त्रित है। राज्य ने इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है। हाल वही खबरों के अनुमार, भारत को, जिसे कुल ५०,००,००० गाढ़ जूट की आवश्यकता रहती है, पाकिस्तान से बहुत थोड़ी मात्रा लेनी होगी। रई का उत्पादन, जो १९४८ में २२,००,००० गाढ़ था, १९५३-५४ में दट्टर लगभग ४०,००,००० गाढ़ हो गया है। भारत की लगभग ५०,००,००० गाढ़ की आवश्यकता होती है। अन्य उद्योगों में भी कच्चे सामान की कमी को दूर करने के लिए ऐसा ही प्रयत्न किया गया है।

घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने का एक बहुत अच्छा तरीका सरकार और अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा स्टोर की सरीद का उचित भगठन है। भारतीय स्टोर सरीद विभाग, जो अब भभरणों और यापनों का महानिवेशनालय (Directorate-general of Supplies and Disposals) कहलाता है, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। स्टोर सरीद कमटों ने जिसने १९५५ में अपना प्रतिवेदन दिया था, वह सिफारिश की थी कि १५% और कई जगह २५% कीमत अधिक होने पर भारतीय माल सरीदा जाए और कुछ अवस्थाओं में कवालिटी का बन्धन हीला कर दिया जाए, और विदेशों से मगाये जान बाले इडेटों की अच्छी तरह जाच होनी चाहिए।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवहन की स्थिति सुधारने वा भी यन्ह विया गया है। युद्ध और विभाजन के परिणामस्वरूप भारतीय रेलों की आवश्यकता बहुत गिर गई थी। हर आदमी परिवहन को कठिनाई को बात करता था। मुख्यत विश्व बैंक में प्राप्त हुई वित्तीय महायता के द्वारा भारतीय रेल काफी मरम्मा में हजन द्यायात बरने में सफल हुई है। मालगाड़ी के डिव्वे भी अधिक नस्या में आये हैं, प्रशासनीय द्वाचे की ओर माल गाड़ी के डिव्वों के द्यायात की स्थिति को सुधारने से परिवहन की स्कावट करीब-करीब खत्म हो गई है। सरकार ने रेल विकास का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है। दृष्टिलों में रेल के पुनः वर्गीकरण से और भी अधिक दक्षता आने की आसा है।

कुटीर उद्योगों की ओर सरकार का जो ध्यन है, उसका मतलब भी अधिकतम उत्पादवता के लक्ष्य पर पहुँचना ही है। सरकार ने उद्योग और वाणिज्य मन्त्रालय में

कुटीर उद्योगों का भागनिदेशनालय (Directorate-general) स्थापित किया है। हमारे कुटीर उद्योगों के माल की मांग बढ़ाने के लिए हमारे विदेशस्य दूतावासों में सो हम रखे जाते हैं। इन्हीं में स्थित कुटीर उद्योग प्रशासनिया सो हम और वितरण केन्द्र के हृप में काम करते हैं। सरकार ने हाय करधा उद्योग को सहायता देने के लिए मिल निभित कपड़े पर ३ पाई प्रति गज उपकर (Cess) लगाया है। अब भारत में बनाई जाने वाली घोटियों में से ५०% हुय करधा उद्योग के लिए सुरक्षित है। अब कवौं कमेटी ने सिफारिश की है कि मिलों का वस्त्र उत्पादन मौजूद स्तर पर ही रोक दिया जाए और कपड़े का और अधिक उत्पादन हायकरधा तथा विजली करधा उद्योग के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। सरकार दस्तकार के प्रशिक्षण के लिए और नदी तथा साढ़ी मशीनें प्रचलित बराने के लिए सुविधाएँ देने की दृष्टि में कुछ यत्न कर रही है। इस काम के लिए जापानी टैक्नीशियन बुलाए गये हैं, पर योजना कमीशन के अनुसार, पहला बाम यह है कि कुटीर उद्योगों के विकास में दिलचस्पी रखने वाले गैर-सरकारी अभिकरणों और ग्राम भवठनों से सहयोग करते हुए औद्योगिक सहकारी सोसाइटिया समर्पित करने और उन्हें सहायता देने के लिए सरकार के प्रशासनीय तत्व को मजबूत किया जाए। आयोग ने प्रथम पचवर्षीय योजना में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों पर २७ करोड़ रुपये खर्च करने की अवस्था की थी। दूसरी योजना में इसके लिए २०० करोड़ रुपये रखे गये हैं। प्रधान मंत्री ने घोषित किया है कि यदि उद्योग ने अच्छी प्रगति को तो धन के कारण कोई रकावट न पड़ने वी जाएगी। नदी बहु-प्रयोजन परियोजनाएँ कुटीर उद्योगों के लिए बड़ी उन्नतिकारक होने की ममावना है, क्योंकि विजली का बहुन मात्रा में प्राप्त होना उनके विकास में बड़ा सहायक हो सकता है।

सरकार की सरकार नीति भी देश में द्वन औद्योगिक विकास करने की दृष्टि में बनाई गई है और विभेदक सरकार (Discriminating Protection) की पुरानी नीति त्याग दी गई है। १९४९ के राजकोषीय आयोग ने कहा था: “आजवल तटकर मरकाण को मुस्कूराने एक साध्य का साधन समझा जाता है—इसे नीति का एक ऐसा उपकरण माना जाता है, जिसका प्रयोग सरकार को देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में अवश्य करना चाहिए। उद्योगों का सरकार आर्थिक विकास की किसी मर्कारीय योजना ने सम्बन्धित होना चाहिए; अन्यथा भारतों का असमान वितरण और उद्योगों की अमर्निन वृद्धि हो जाएगी”。 आयोग ने सिफारिश की है कि प्रतिरक्षा और मामरिक महत्व के अन्य उद्योग उन मरकाणों और मर्हायता से, जिनकी आवश्यकता हो, “राष्ट्रीय दृष्टि से स्थापित किये जाने चाहिए और चलाए जाने चाहिए, चाहे वितनी भी लाग्न आए”。 दुनियादी उद्योगों के मरकाण पर तटकर प्राधिकरण (Tariff authority) विचार करें। वह (१) मरकाण या सहायता देने के लिए जाने निर्धारित करेंगा और (३) समय-समय पर यह विचार करेंगा कि इन जातों का उद्योगों द्वारा कहा तक पालन किया गया है या कहा तक पालन किया जा रहा है। अन्य उद्योगों के लिए मरकाण या सहायता की बोटी यह है—“उद्योग को जो आर्थिक

सुविधाएँ हैं, या उपलब्ध हैं, और तर्फ़मगत ममय के भीतर उसके इतना अधिक प्रक्रिया होने में, जिसमें वह बिना सरकार या सहायता के सफलतापूर्वक चल सके, जो वास्तविक या सभाव्य लागत होने की समावना है, उमका ध्यान बरने हुए, और या यदि वह कोई ऐसा उद्योग है, जिसे राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सरकार या सहायता देना चाहती है तो इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभों का ध्यान रखते हुए कि देश को ऐसे सरकार या सहायता की सम्भाव्य लागत बहुत जटिल न हो जाय।" सरकार ने यह विभारिया स्वीकार कर ली है और एक स्थायी तटकर आयोग बना दिया है।

**सरकारी नियंत्रण—मरवार निर्जी उद्योगों को** एक ऐसे नमूने के इस प्रकार में ढालने के लिए जो बहुत धीरे-धीरे बन रहा है, जर्वानि मगलशारी राज्य के नमूने में ढालने के लिए उन्हे नियमित और विनियमित बरन की बोशित कर रही है। इस नीति को अमल में लाने में चाहे जो दोष हों, पर वह नीति महज है कि निजी उद्योग तब ही रहेगा जब वह रामाज को लाभ पहुँचाए। यह दृष्टिकोण योजना आयोग की स्थापना से और उद्योग (विकास और नियंत्रण) विभिन्नम के बनने से स्पष्ट है। अब भारत में मुक्त व्यापार (Laissez Faire) यानी यथेष्ठवारिया का कोई रथान नहीं है। निजी वारसाना के लिए जगह है, पर वह उनी अवम्या में है, जब वे राज्य की आर्थिक नीति के पनुमासी बनार चले। जैसा कि योजना आयोग ने कहा है, निजी उद्योगों को प्रणाली को, जैसी वह अब है, उसमें बहुत मिस होना पड़ा, उद्योग को न बैठक रामाजित नीति के उद्देश्य स्वीकार बरने हाए, वित्त मजदूर, ग्राम्य लगाने वाले और उपभोक्ता के प्रति अपने बर्नेव्य भी उठाने हाए। "यह परमावश्यक है कि निजी उद्योग राज्य की मामाजित और आर्थिक नीति के पनुम्प रद्द बर चले, अपनी पूरी जिम्मेवारिया पहचाने और नियंत्रण और विभिन्नम का उन कार्यों में, जो आवश्यक नमझे जाए, लाग बरने में महायाग करें।" अब योजना निर्माण थाम बात है, और उचित हो है कि इस विषय पर एक अलग अध्याय रखा जाए।

यह मुनिसिक्त बरने के लिए कि निजी कम्पनिया राष्ट्रीय योजना के जनुमार चले और वे "बल्याण-राज्य" के अवधारण के बारण उन पर जो नयी जिम्मेदारिया बा गयी है, उनके जनुमार ही बायं कर, मरवार ने १९४९ में उद्योग (विकास और नियंत्रण) विधेयक देश किया था। इस पर बटा विवाद हुआ और उद्योगपतियां ने इस्वा जोरकीर से विरोध किया, पर योजना आयोग ने विधेयक का समर्थन किया और सरकार से इसे तुरन्त पास बरन का अनुरोध किया। यह विधेयक अनुमूल १९५१ में पास हुआ। मई १९५३ में अधिनियम भौतिक रिया गया। अधिनियम में नई औद्योगिक दक्षायों के लिए और सौम्यदा यत्रों में बहुत विविध विस्तार बरने के लिये लाइसेन मानी अनुमति की व्यवस्था की गयी है। अनुजनिया देने हुए मरवार आदेशक समझे तो वह कारखाना लगाने की जगह उमके ग्रूप्टम बाकार आदि के बारे में शर्तें लगा सकती हैं। अधिनियम म उमर्ह अन्तर्गत थाने वाले ४३ उद्योगों में से प्रयोग के लिए विकास परिपदों की स्थापना बा भी उपलब्ध किया गया है, जिसमें उद्योग, अम और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि और टेक्नोक्ल प्रबन्ध की देसभाल बर सकने वाले

लोग होंगे। योजना जारी के अवधीं में, विकास परियोगों को निष्पत्तिवित कार्य करना है: (१) मौजूदा सामर्थ्य का अधिकतम उत्तमता करने के लिए उन्मादन के लकड़े तथा करना, (२) बवादी रोकने, अधिकतम उन्मादन करने, क्वालिटी मुकाबला और लागत कम करने की दृष्टि से दशना के बारे में मुकाबला देना, (३) उद्योग के स्वामकर अद्यत कारखानों के, सचालन में मुकाबला के लिए उद्योग मुकाबला, और (४) विवरण और विज्ञी की ऐसी प्रशासनी निष्कालना जिसने उपभोक्ता की सतुष्टि हो सके। उद्योग और कागित भवी के इन्होंने म विकास परियोग निजी उद्योगों की परिचारिकाएँ होगी। इनमें समन्वय लाने के लिए एक केन्द्रीय नियंत्रक अधिकार परियोग बनाये जाएगे। यह परियोग एक ऐसे व्यावराजिक रण का कार्य भी करेगा जो सरकार के कार्य की जाति कर सके। केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ वित्तिशक्ति उद्योगों की या उन उद्योगों के कारखानों की जाति करने वाली भी अधिकार है (५) जिनके उन्मादन म वही हो जाए, माल की क्वालिटी निर जाए, माल की कीमत बढ़ जाए, या जिनमें इन दिग्गजों की ओर झुकाव दिलाई दी हो, (६) जो राष्ट्रीय सहायता के समावनों का उपयोग कर रहे हैं और (७) जिनका प्रबन्ध ऐसी रीति से दिया जाना है, जिसमें व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की हानि होने की नममिता है। ऐसी जाति का परिणाम प्राप्त होने पर त्रुटियों को दूर करने के लिए उद्योगों द्वारा कारखानों को विशेष दी जा सकती है, सरकार द्वारा दी दे करताने अर्थात् प्रबन्ध में लेने की आवश्यकता है जो प्रबन्ध और नीतियों में मुकाबला सरकारी दिवालियों का पालन न करें। यानिनियाल में सरकार बिना मुकाबला दिये कार्यवाही कर सकती है और इनी कारखानों को जरूरते अधिकार में ले सकती है। कुछ जनमन्दाओं में निम्न वन्दुओं के मूल्य का दो आठा प्रतिशत में अनियन्त्रित उपकरण लगाया जा सकता है। मौजूदा कारखानों को भी सरकार के द्वारा प्रतिवित करना होगा। मारन में बर्बादी, स्टैम्पिंग वैन्युअल और कालेंस ड्रारा स्पार्टिंग किये जाने वाले तीन शोभनालय (Refineries) उन कानून के जरूरत नहीं होंगे। योजना जारी और उद्योग (विकास और नियन्त्रण) अधिकार बनाकर मारन एक भनोरज्जु प्रयोग नुस्ख कर रहा है। सरकारी और निजी दोनों प्रभार के कारखाने सरकार के जरूरत एक मुक्तिशक्ति दोनों में कार्य करने हुए नेपुडन के अधिकतम लाभ के लिए मायनाय रहेंगे। राष्ट्रीयकरण या निजी उद्योगों के अन्तिव दो जरूरतें आ हैं कोई उद्देश्य न माना जाएगा, वन्कि मनोजन-व्यापार के मायनमान समझा जाएगा। इनके सरकारी कारखाने बढ़ रहे हैं और इन सचाल पर विचार हो रहा है कि सार्वजनिक कारखानों की जैसे, अच्छे में अच्छे दृग से चलाया जा सकता है।

### लोक नियम (Public Corporation)

सरकारी कारखानों के प्रबन्ध के तीन तरीके हैं, नामगत: (१) विकासांग प्रबन्ध, (२) संयुक्त स्वामकर वन्दों का प्रबन्ध, या (३) स्वाधत लोक नियम। श्री ए. डॉ. गोरखाला, जिन्हें सरकार ने इस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था,

राजकीय वारखात्मो के प्रबन्ध के लिए स्वायत्त लोक निगम को सबसे अधिक सन्तोष-वारक चिंहि समझते हैं, क्योंकि इसके मुख्य लाभ ये हैं कि (क) इसमें सरकारी प्रशासन में स्वभावत होने वाली अनभ्यता और देवदार नहीं होती और निजी उद्योग की नभ्यता और कार्य-साधकता बनी रहती है। (ख) सरकारी अफमरा का वारखाने के भीतरी प्रबन्ध में इखल नहीं होता, (ग) यह सखदीय नियन्त्रण के और मनिषण्डलीय उत्तरदायित्व के द्वाचे के भीतर काम करता है और इस प्रकार इसमें राष्ट्रीय नीति का चलना सुनिश्चित हो जाता है। अधिकतर देशों में राजकीय वारखानों के लिए लोक निगम सर्वोत्तम प्रशासनीय तंत्र माना जाने लगा है और भारत सरखार ने भी वह दिया है कि—“राजकीय वारखात्मा का प्रबन्ध—आम सौर से लोक निगमा द्वारा होगा।”

राजकीय वारखानों के प्रबन्ध के रूप में लोक निगम का स्वरूप भाषण-नाश समझ लेने के लिए शुह म ही यह जाच कर लेना बच्छा होगा कि क्या राष्ट्रीयपरण, जिसमें राज्य का स्वामित्व और राज्य का प्रबन्ध, ये दोनों शामिल हैं, निजी उपयन्त्रम की अपेक्षा आवश्यक रूप से अधिक अच्छा है। निजी सम्पत्ति का इनिहास द्वारा समर्थित औचित्य यही रहा है कि यह उत्तरदायित्व डालती है और अत्याचार के विरुद्ध रक्खा करती है, पर जादमी इसका उपयोग जिम्मेदारी से छूटने और निरकुश शक्तियां प्राप्त करने में वरन लगा है। क्योंकि लोगों ने अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है इसलिए यह कहा जाने लगा है कि इसे सर्वथा खत्म कर देना चाहिए। पूजीबादी उत्पादन के कुवितरण और अमानवीय दशाओं में पैदा हुई प्रतिक्रिया के रूप में यह पुरानी मांग किर दोहराई जा रही है कि उत्पादन उपयोग के लिए होना चाहिए, नके के लिए नहीं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह कहा जा रहा है कि निजी सम्पत्ति व्यष्टि से समुदाय के पास पहुँच जाए और इसका नियन्त्रण पूजीपति सचालों के हाथ से निकलकर राज्य की नींवरदाही के हाथ में पहुँच जाए। यह आशा को जाती है कि राज्य पूजीपति का कार्य अपने ऊपर लेकर समाज को व्यष्टिवाद के दुरुपयोग से बचाएगा।

पर यह प्रश्न उचित होगा कि क्या राज्य सिर्फ एक अमूर्त विचार ही नहीं है? यदा इनकी सर्वोच्चता का प्रयोग व्यक्तिया द्वारा ही नहीं होता? यदि राज्य सर्वशक्तिमान् होगा तो जो व्यष्टि इसके प्राविकार का प्रयोग करता है, उसे भी सर्वशक्तिमान घनाना होगा। यह तर्वं किया जा सकता है कि राज्य पर जनता के निर्वाचित प्रनिनिधियों का नियन्त्रण होगा और इसलिए वह उनके लाभ के लिए कार्य करेगा। पर अनियन्त्रित शक्ति उन व्यक्तियों के हाथ में पहुँच भवती है, जो ऐसी स्थितिया में हो, कि निर्वाचिकों को प्रेरणा दे कर या धोखा देकर इस तात्त्व को अपने हाथ म ल ले। “यह कोई दलीय गुट (Party Caucus) हो सकता है या वह कोई लालश्रिय डिकेटर हो सकता है?” यह वही पूजीपति भी हो सकता है जिसे राज्य की नयी शक्ति दबाना चाहती थी। अन्तनोगत्वा, राज्य का अफमर ही सब मामला वे ऊपर होगा। जन-साधारण की दृष्टि में सरकारी अफमर इसी बारण कम अत्याचारी नहीं हो जाता, क्योंकि उसे ‘जनता द्वारा दिया गया प्राधिकार’ प्राप्त है पर इन बातों

का यह मनन नहीं समझना चाहिए कि हम राष्ट्रीयवरण या उद्योगों पर राजकीय स्वामित्व के दिरोधी हैं। हम पूरी तरह मानते हैं कि आधुनिक नमाज बहुत दूर नव नियन्त्रण के युग में पढ़ूच गया है, और इनमें योजना निर्माण है भी और रहेगा भी। जो बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, वह यह है कि हमारे और वाध्यना (Constraint) के नये उपरणों का स्वरूप और दिलाया जाया होगी। "पूर्जीवाद" की बाजार अर्थ-व्यवस्था (Market Economy) के मुदावले में योजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था लाने वी आज सब लोग आधुनिक अर्थप्रणाली में अपरिहार्य मानते हैं। जिस बात पर आपत्ति है, वह है योजना निर्माण की विधि और प्रयोजन। बाजार अर्थ-व्यवस्था के स्थान पर एकाधिपत्य (Monopolism) की स्थापित बरते हैं लिए योजना निर्माण निश्चिन्त हृप में अवालुभीय है। 'विदेशीधिकार', दोहन बाजार वी अन्यथा, आधिक प्रश्न की विहृति, पूर्जी का एक जाना, शक्ति का बेन्द्रन, औद्योगिक नामनवाद, सभरण और उत्पादन का अवरोध, गहरी वेरोडगारी हो जाना, रहन-गहन की लागत ऊँची हो जाना और मामाक्रिय विपक्षताओं का बड़ा जाना, आधिक अनुग्रामन का अभाव, राज्य और सोक्रमन पर अनियन्त्रित दबाव, उद्योग का एक ऐसे गोमित बलव में रहान्तर जो नए मदम्य लेने में इन्वार बरता है, ये सब चीजें तथा और बहुत सी बातें एकाधिपत्य की बुराई हैं। नगठन का व्यूरो बाला हर भी, जिसमें अफभरदाही और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन-शामना स्थिर हो जानी है, इन बुराईयों का पर्याप्त इलाज नहीं। यह योजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था के बजाए नौकरगाहीया फौजी अर्थ-व्यवस्था, लोकनीय योजना निर्माण की बजाए मर्वाधिकारवादी योजना निर्माण हो जाएगा। हमारे सामने मुक्त व्यापार यानी यर्पेच्छकारिता और फौजी अर्थ-व्यवस्था, ये दो ही भाग नहीं हैं, पर हमारे सामने तीसरा रास्ता भी है और वह है मुक्त राजकीय हस्तक्षेप, जिसमें राज्य का स्वामित्व होगा पर राज्य का प्रबन्ध न होगा। दोनों भाग उनमें पैदा होने वाली बुराईयों के बारण अस्वीकरण है और तीसरा रास्ता जो मध्य भाग है, अनेक देशों के अनुभव पर आधारित है, जिन्होंने हाल के वर्षों में आधिक और माल्हनिक बुराईयों के भयुचिन इलाज के लिए इमका अवलम्बन किया है।

तीसरे भाग का लक्ष्य यह है कि आधिक प्रश्न के "राजनीतिक व्यवरण" (Politicalisation) या राजदबाद (Statism) की सब की सरगुजाहों को रोक दिया जाए। मर्वाधिकारवादी अर्थ-व्यवस्था या राजदबाद के अधीन, वे नव चीजें जो अब तक निजी साइट और निजी विधि (Private law) के आधिक क्षेत्र में जानी थीं, अब राजनीतिक क्षेत्र में चली जानी हैं—बाजार एवं सरकारी अनिवारण बन जाता है, प्रत्येक खरीद एक राजकीय व्यवहार हो जाता है, निजी विधि सोमविधि (Public law) बन जानी है। 'भेवा' का स्थान सरकारी वर्मचारियों वा बाय ले लेता है। कीमत के क्षेत्र को आजपियों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। प्रतिस्पर्द्धा के स्थान पर छोटे-छोटे पड़ों और सरकारी नौकरियों के लिए राज्य में प्रभाव और शक्ति प्राप्त बरते वा मध्ये आ जाता है। वच्चे सामान वा सभरण अब राज्य की सर्वोच्चता वा एक अवधारण बन जाता है। व्यवसाय

सम्बन्धी विनियन्त्रण जब सखारी कानों का स्पष्ट ले लेते हैं, जिनके पीछे दण्ड विभि (Penal Law) की शक्ति होती है। विदेशी चलार्य सम्बन्धी लेन-देन मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध बन जाता है। लोकतारीय शासक "बाजार" के स्थान पर नियुक्त शासक "राज्य" आ जाता है।

दूसरी ओर, सफलता का पूजीयादी मानदण्ड लाभकारकता है। और यदि व्यवहार के बाहर ही न रह सके, तो अन्त में पूजीर नष्ट हो जाएगी और दिवालियापन आखड़ा होगा। निजी उद्योग में लाभ की इच्छा प्रभान, बन्क एवं मान, इच्छा होती है। राजनीय उद्योगों में लाभ का पैमाना स्थिर हो जाता है और राष्ट्रीयहृत उद्योग में यह जाता की जाती है कि वह सोकहित के बार्य करेगा और व्यक्ति जो अपने मूल यजिरारों का उपभोग करन देगा। तो भी इस अर्थ में राष्ट्रीयवरण कि हसामिन्द्र का निजी मालिकों ने राज्य का हस्तान्तर मान हो जाए, वाकी नहीं है और शायद इसमें भी बुरा है। इसमें निजी लाभ में उत्पादन को मिलाने वाला उटीपन जाता रहता है और यह उसके स्थान पर आवश्यक स्पष्ट से या स्वतं बोर्ड व्यवस्था नहीं करता। लाभ की भावना के स्थान पर अन्त में "जनभवा" की भावना लाने से समस्या का समाप्तान होता, पर इसे राज्य के स्वामित्व भ चल रहे उद्योगों में लगे हुए सब आदमियों में यन्त्र-पूर्वक प्रबिट बरता होता। राज्य स्वामिन्द्र को मफल होता है, तो इसे निजी उद्योगों की न्यूनता पूरी भरनी होगी। इसके न केवल वस्तुआ का उत्पादन बरता होगा, बल्कि वह दक्षता और मिन्यायिता से बरता होगा, इमलिए हम जिस चीज़ की आवश्यकता है, वह है राष्ट्रीय या राष्ट्रीयकृत उद्योग के लिए प्रशासनीय सब, जो इस प्रचलित दलील का उचित मानागत वर मध्ये कि लाभ की भावना और प्रतिसद्दौं की भावना का अभाव सखारी विभाग में होने वाली लापत्ताही पैदा बरता है। वह तत्र लोक निगम के स्पष्ट में प्राप्त हो नहींता है। लोक निगम में एक और भावना होती है, और वह है जन सेवा की भावना। लाउं रीथ ने लिखा है—“लोक-सेवा वार्षिक बैठकों में अशाधारियों के प्रति तो उत्तरदायी न होंगी, पर उम पर ससद में और अन्य स्थानों पर प्रकट किये जाने वाले लोकमन का लगानार और प्रगाढ़ प्रभाव पड़ेगा।” लाउं रीथ को लोक निगमों में, जटीत वाली यथेच्छारिता में होने वाली उदासता के स्थान पर किभी प्रकार के योजना निर्माण को स्पष्टित बरने का साधन दियार्ह होना है, और उन्हे १९२७ में १९३८ तक त्रिटिश लाइव्स्टिंग कारपोरेशन के महानिदेशक के स्पष्ट में, तथा इम्पीरियल एयरवेज जित दिनों लोक निगम के स्पष्ट में बाया उन दिनों इसके समाप्ति के स्पष्ट में अपने अनुभव में इस बात का जान हुआ होता। निजी उद्योग में आम्या रखने हुए भी जो उन सेवायों के राजनीय स्वामित्व या नियन्त्रण की व्यवस्था करने के लिए, जिसमें निजी उद्योग के गार्डिनिक एवं स्ट्रेसर में अपनी विफलता प्रदर्शित की, लोक निगम की आवश्यकता मानने लगे थे। निजी उद्योग ने, जिसमें “नाकासी एवीनरण” होता है, नामाजिक कुपोषण को जन्म दिया है। सर्वांगीचारवादी दल के राज्यवाद का, जिसमें “अन्यविव एवीनरण” होता है, नामाजिक अनिमोदन (Social overfeeding) के स्पष्ट में परिणत हो जाना जर्हरी हो जाता

है। इनसिए दोनों चरमप्राणों से बचने के लिए राष्ट्रीय या राष्ट्रीयत्व उद्योगों विनेश्वर सोबोधयोगी उद्योगों या गवाहन एवं अद्यतन्त्र व्यवसायों विवाय—जो निम्न—को तोन दिया जाना चाहिए।

प्रशासनीय तन्य के ऐसे महार निम्न उद्योगों के लानों से युक्त हैं, पर इसमें राज्य की जिम्मेदारी नहीं रहती और वाणिज्य वायों में नम्मना का जलावाह यह नीचरणात्मी के मनम न देना रहता है, इसमें प्रशासन मन्त्रालय रहती है, प्रश्नमें राष्ट्रीयलालन रहता है, जिन की व्यायनना रहती है और सरकारी उद्योगों में यह मुक्त रहता है। मध्यम में इन निम्नों व्यवसायों (Corporate freedom) रहती हैं और इस प्रकार गुणवत्ति न्यूनतम् उद्योगों, यह गरावर रीडिंग में, गन्दूः धीर निम्नों उद्योगों की व्यवसाय रहता है। लाव निम्न व्यापारियों (Collectivism) के ऊपर ने जान दोनों जादेजों के स्थान पर जारी दृष्टि की स्वायत्तता दो लाना है। यह एवं उद्योगी और अमानवक व्यवसायीय उभाव है, जिसका विटेन और अमेरिका में यह एवं गमन तरह सहजान्वृद्धि उद्योग किया गया है। राजनीय उपकरण में सरकारी व्यापक वीं कुछ प्रतिक्रिये जिम्मेदारों ने बारा कुछ शुद्धियां जानी जानी हैं। ऐन जाना है कि उसे व्यवसायीन लोर नेवा अमेरिका द्वारा राजनीतिज्ञों द्वारा छाट दूः तर्मचारिया में जाम बदलने की परेशानी उठानों पड़ी है। एवं यह उपकरण में लाव फौता नग बरता है। सरकारी लेगा परोड़ा ग्राम्ड डाक्टा है। विनियोग (Apropritions) बनाने हो, तो गन्दूः लोन की आवश्यकता रहती है और राजनीतिक इन्स्पेक्टर री भानासना तो हमेशा ही रहती है। लोक निम्न लोक-नेवा जामांग और वाम-गिरावू वाइमियों ने बवाहर जनता प्रशासनीय पिरामिड खड़ा कर मरता है। यह प्रशासनीय या प्रारंभिक जिम्मेदारण और स्थानीय स्वायत्तता के लिए बहुत अवभर प्रश्न बरता है। न्यारिचित जिम्मानीय दावे न प्रयोग आदेश के लिए नई इन्जी न जारी महादेव के बादांद्र वा मुह देवना पड़ता है। पर नियमित विकाय जरना मुद्र वार्दिय अरने कार्यशेष में रख न रना है।

पर यह वह देना उचित हामा कि "लाव निम्न" शब्द प्रशासनीय अविकरण के एवं प्रश्न का नाम है और इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे मध्य निम्नों में ऊपर वर्गीत विशेषताएँ होती हैं। प्रयोग लाव-निम्न वीं प्रहृति दा नियांग वियान-मन्डल द्वारा किया जाना है, जो इसे वायें के लिए उपयुक्त जिम्मेदारों ने युक्त करता है। जैसा कि उपर बता गया है, लोक निम्नों वा उपरोक्त अमेरिकन सरकार ने और प्रिटिय सरकार ने दिछें ४० वर्षों में किया है, और भारत सरकार ने बला-जलग प्रयोजनों के लिए एवं दुमरे से बहुत भिन्न अविकरण पत्र देवर पिछें पाव वर्षों में उनकी स्पायना वीं है, और अविकारियों ने उनके नाम एवं ही-ना व्यवहार नहीं किया है। यद्यपि लोक निम्नों वीं गरनना और विशेषताएँ उम औद्योगिक वायु मडल के अनुभाव अठग-जलग रहते हैं, जिनमें के बनाये गये, पर उन में निश्चित अविकरण गुण लोक निम्नों के लाक्षणिक गुण हो सकते थे, और प्रायः हुए हैं,

उन सब में सामान्य चीज वह लक्ष्य था, जिसे रखकर सरकारी कार्य के प्रशासनीय साधन के रूप में लोक निगम बनाए गए और उनका कार्य सरकारी विभागों को नहीं सौंप दिया गया। नि स्सन्डेह वह लक्ष्य प्रबन्ध की नम्यता और स्वतन्त्रता है।

इसलिए घोटे तीर से लोक निगम उस निगमित निकाय को वह संतुष्ट है, जिसे विधान मण्डल बनाना है और जिसकी शक्तियां और कार्य सुनिर्दिष्ट होने हैं और जो वित्तीय दृष्टि से स्वतन्त्र होता है—उमे विनी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या औद्योगिक या वाणिज्य कार्य के विसी विशिष्ट प्रक्रम पर सुस्पष्ट एकाधिकार होता है। इसका प्रभासन एक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसे लोक प्राधिकरण (Public Authority) नियुक्त करता है और यह उसके प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसकी पूजी सरकारी और वित्तीय परिचालन वैसे ही होते हैं, जैसे विसी लोक वर्मनी के, पर इसके अशाधारियों के स्थ म कोई दृष्टि नहीं रहते और वे मताधिकार तथा मण्डल की नियुक्तिया बरने की शक्ति से वचित होते हैं। अमेरिका में टैनेमी बैली अधारिटी या टी ए और भारत म हाल में बनाया गया दामोदर धाटी कारपोरेशन विशिष्ट प्रदेश के लिए स्थापित किये गये निगमों के उदाहरण हैं। ब्रिटेन के पी एल ए, बी बी सी, सी ई थी, एल पी टी डी और भारत का औद्योगिक वित्त निगम विशिष्ट औद्योगिक कार्यों के लिए स्थापित किये गये निगमों के उदाहरण हैं। इस बात को दोहरा देने में भी कोई हज़र नहीं कि लोक निगम सिफ एक माध्यन और तन्न है, यह सर्वाधिकारकारवादी या कम्युनिस्ट राज्यों में उपयोगी ही सवता है, जैसा कि रूस के द्रृस्टा, हम्बन गोएरिग वर्क और दक्षिण मचूरियन वर्मनी में प्रमाणित होता है, पर जो देश लैक्टन्स को अच्छी तरह चलाने पर तुला हो, जैसा बरना भारत का लक्ष्य है, उमे उम क्षय को नीतिमत बरने पर आग्रह बरना पड़ेगा, जिसके भीतर मरकार एक मात्र पूजी लगाने वाली बन जाती है। टी बी ए में जो स्वायत्तता है, और जो दामोदर धाटी कारपोरेशन में भी रखी गयी है, वह ब्रिटिश निगमों म बहुत अधिक मात्रा म है। उदाहरण के लिए, युद्धन्वाल में ब्रिटिश सरकार ने बी बी सी को उसकी नीतियों के नियवण म बहुत बाही स्वतन्त्रता दे रखी थी। इस तरह हाल निगम ने वह काम किया है, जो और कोई सम्भा नहीं बरन सकती। इसने न केवल मरकार के बायों में परिवर्तन कर दिया है, बल्कि सरकारी प्रशासन की भीतरी रचना भी बदल दी है।

**सचालक मण्डल—**लोक निगम की मफलना म इम बान का बड़ा महत्व है कि मण्डल के सदस्य कौन हैं। मण्डल कार्य के आधार पर या दिना कार्य के आधार पर बना हो सकता है। इसमे सारा समय देने वाले मदस्य या आशिक समय दन वाले सदस्य हो सकते हैं, या कुछ सारा समय देने वाले और कुछ जारीक समय देने वाले मदस्य हो सकते हैं। चाहे जो स्थ हो, पर चुनाव और नियुक्ति का तरीका बहुत महत्व वी चीज है। मण्डल की नियुक्तिया योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। हर एक काम के लिए सर्वोत्तम भादमी प्राप्त बरने का लक्ष्य रखना चाहिए। प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्ति या चुनाव का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उद्योग वा लोक दृष्टि से अक्षतापूर्वक सचालन बरने की क्षमता और योग्यता ही बमौटी हानी चाहिए। लोक-हित

का अर्थ जनता का हिन है, और जनता का अर्थ सब मनुष्य, नरनारी और बच्चे है— जनता का अर्थ उनके मजबूरी कानूने वाले, रुपये लगाने वाले, मनदाना या उन-मोस्ता आदि सम्बन्धित स्पौं में नहीं है। महानवनामूलं व्यक्तियों को, जो महाप्रोगियों के माय निकलकर चल नके और विनम्र पर्याप्त महानुभूति के माय न्याय को भावना हो, कायं-भार नीता जाना चाहिए, पर मण्डल के महस्यों का चुनाव, नानवर तब जब यह कायं के आधार पर दना हुआ मण्डल (Functional Board) होता है, एक कठिन मनस्या है, बड़ाहि तुलने मुग्गों में युक्त व्यक्तियों का चुनाव करना है। इन मनस्या के दो पहच़ हैं। यदि इन नमानति एक बड़ा ऊंचे व्यक्तिगत के आइनी वो चुन ले, विनम्रे नमानता के लिए आवश्यक बहुत में गुण मौजूद हो, और अन्य व्यक्ति मन्त्रम दर्जे के रखें, तो हने जी-इवर नो निल शादन पर महानारो नहीं मिलेंगे। हुनरी ओर, यदि इन एक नीतान्ति और मृत्ति वाले आइनी चुन ले पर उनमें मनमोरे और मनापोवत की भावना न हो, तो यदि उनके मनमेदों को निरानने के लिए कोई प्रयान व्यक्ति नहीं होगा, तो उनके आइनी ईर्ष्याएँ और मनमेद मदा बन रहे।

आन तौर पर नियंत्र उद्योगों में नमानता पाए हुए व्यक्ति को लोक-नियंत्रों के मनान्त्र के लिए चुनने की आम प्रवृत्ति है। पर मदा यह अनुभव नहीं किया जाना दिया जाना के मनान्त्र के लिए व्यक्तिगत के जोर ने और अपनो एकाई सना के जोर पर मन्त्र हुआ है, और इस प्रकार आन्यनिरीक्षण का अन्यानी है, वह ऐसो मिति में मण्डल हुआ है, और इस प्रकार आन्यनिरीक्षण का अन्यानी है, वह ऐसो मिति में मण्डल न हो मर्हेगा, विनम्रे नममोरे, मेन्टन-नियाम, मनापोवत, अनुकूलनोदना और दूसरे की बात मान लेने के लिए तेहार रहना आवश्यक है। बनो-बनो उमड़ा नियंत्र गवर्नर भी हो सकता है। उनके अलावा, मण्डल का प्रबन्ध सदस्य प्रबन्ध मानापित्र चेतना में युक्त होना चाहिए और उनका स्वभाव विभाविन प्राप्तिकार का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

यदि यह पैनला किया जाए तो मण्डल कायं के आधार पर नहीं होगा, तो इसके एकदम नीचे निगम को बैने ही विभागों में मण्डित करना होगा, जिन पर पूर्णतः विनेवार प्रबन्धापिकारियों का नियन्त्रण रहेगा। यी वो ए के अनुभव ने हने पह मिला निलनी है कि मनालक मण्डल को निकं नोनि-नियाम बनावा चाहिए और यद्यपि उने प्रबन्ध के ऊपर पूर्ण देव-भाल और अनिम नियन्त्रण रखना चाहिए, पर उने रोजाना के प्रशासनीय कायों में दमनदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्या में महाप्रबन्धक या प्रबन्ध मनालक को मण्डल के सब कामों पर पूर्ण प्रशासनीय नियन्त्रण दे देना चाहिए। वह मुख्य प्रबन्धापिकारी होगा, जिने सब विभाग और उमके प्रशासनीय अनन्तर जनने कायं की रिपोर्ट देंगे। वह मनालक मण्डल की बैठकों की कायं-नूचों तेहार करके, मण्डल-कार्यवाही के लिए विषय प्रस्तुत करके, निगम के किया-कलानों के बारे में मण्डल को जानकारी देकर, मण्डल द्वारा मागो गई विषेश रिपोर्ट तेहार करके और निगम के कामों के बारे में मिशारियों करके मण्डल की सहायता करेगा। मण्डल के नियन्त्रण कर लेने और नोनिया बना लेने के बाद महा-प्रबन्धक का काम है कि वह उनकी सूचना प्रशासनीय समाज को दे।

**प्रबन्ध**—इसमें हम प्रबन्ध के बुनियादी भवाल पर आ जाने हैं। यदि यह भव है कि मूल्य वाल प्रबन्ध वा जागर और मन्त्रभावना है तो राष्ट्रीय तथा राजकीय-कृत उद्योग उनी नीमा तक मन्त्रियोग प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जहाँ तक वे निजी उद्योग वी लबन्धाओं में जाम भगालने वाले लोगों वी अपेक्षा अधिक महानुभूति और कान्यनापूर्ण अन्तर्दृष्टि के व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त पर नियुक्त करें। यदि यह मान दिया जाए कि निजी भालिकों पर हृदयरहनना का मद्देह किया जाना है, तो निरे स्वामित्र के परिवर्तन से मन्देह का निराकरण नहीं हो सकता। यदि नया राजकीय प्रबन्ध यह मिठ नहीं कर देता कि उसे नव प्रकार के मजदूरों के प्रति बस्तुत महानुभूति है, तो वह शोध ही कठिनाई में पड़ जाएगा। यज्य के स्वामित्र का मामला आदमी को और भी अधिक वारियों ने यह मोक्षने के लिए मजदूर करना है कि वास्तव शान्त का क्या अर्थ है। निम्नदेह लोग नियम जैसा निकाय जरने के मन्त्रालयों को लान ही पहुँचाना चाहना है। इसकी घोषित नीति उनके माय न्यायमन्त्र व्यवहार करने की है, और निम्नदेह इमके अनेक प्रबन्ध अधिकारी इस नीति को प्रमल म लाने का यन करते हुए प्रतोत होते हैं। पर इनका ही काफी नहीं। उन्हे अपनी ओर से मामाजिक कान्याण के लिए सक्रिय दिलचस्पी होती चाहिए। मजदूर यह जननव नरना चाहते हैं कि वे इस वाल पर ध्यान दे और गहराई में ध्यान दे कि मजदूरों के माय कैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह वाल राजकीय आरक्षाओं में और भी अधिक भव है।

प्रमुख राजपदों पर वाम धरते वाले व्यक्तियों को बहुत बड़ी-बड़ी तनखाहें देने का फैशन हो गया है, जिसका यह परिणाम हूँजा है कि ये लोग बेतन पाने वाले लोग अपने महान्योगियों और मजदूरों के तुलना म बड़ुन अधिक छाड़ियाँ और शान पा जाने हैं (राज्यन)। बहुपाद निरुत्तुग हो जाने हैं और इस प्रकार मजदूरों और अन्य लोगों को निरलतर कष्ट पहुँचाने हैं। प्राप्त वे जानकार उनका कष्ट नहीं पहुँचाने जिनका धारनी उपेक्षा और उद्यमीतता से पहुँचाने हैं जिसमें मजदूरों मे 'मूँझ गुस्तामी' पैशा हो जानी है। इसलिए लोगों को निजी उद्योगों ने हटाकर लोक नियमों मे नियुक्त कर देना और प्राप्त मीठी-मोटी तनावाहों पर नियुक्त कर देना मुश्किल मोड होता है। ये लोग ऐसो म्हणिया वर दे भक्ते हैं जिनमें मजदूर—भट्टी या गलन—यह मानने लगे, कि उन्हें मजदूरों म कोई दिलचस्पी नहीं है। वे इस बारा ऐसा व्यवहार नरने लगते हैं, क्योंकि राज्य की नीरगी उन्हें बगदासिया के प्रति, जा लाभारा मानते हैं, सर्वोच्च जिम्मेदारी मे मुक्त कर देती है, और यह स्वतं पड़ सारटी नहीं करती ति वे यनुयों के प्रति पहले वी अपेक्षा अधिक अन्तर्दृष्टि और महानुभूति स व्यवहार करते। भव वाल तो यह है कि राज्य की मेना मे उन्हें गिरिलना और जाऊन का शास्त्रेन मिल गया मालूम होता है। इसलिए राजकीय प्रबन्ध का वाम ऐसे व्यक्तियों को मौजना चाहिए जो इंजीनियर या किलपोदक या बड़ी या भुरायी अफमर वी वजाय मामाजिक कैंजानित हों।

इवाई के उचिन प्रशानन के लिए मन्था बना देता ही चाही नहीं। जि भेदारी उचिन डग मे बटी हुई होनी चाहिए और गूत्तरूप और उत्तरशिखा जा परिणामो मे देखो जाएगी, व्यापक होनी चाहिए, अर्थात् विकेन्द्रीकरण भी होना चाहिए। यिन्हें न्द्रीकरण इन्द्र का प्रयोग प्राय भौगोलिक विकिरण के लिए किया जाता है। पर ये दोनों चीजें एक नहीं हैं। जिन गणठनों मे अनन्त प्रवाह के काय नहीं हैं और वरापर एक ही काय की आवृत्ति नहीं होनी उनमें भौगोलिक विकिरण परमावश्यक है, व्योगित इनमे विकेन्द्रीकरण म सुविधा होनी है। उदाहरण के लिए, दामोदर घाटी यारपान्शन या टंडेमो बैंकी असारिटी जैसो नेमठन म भौगोलिक विकिरण के अर्थ म विकेन्द्रीकरण परमावश्यक है। इसम स्थानीय प्रबन्धनराजा का काम बरने की पर्याप्त स्वनन्दनना दी जानी चाहिए। उचिन रीति म समतापा हुआ प्रवन्धर दूरस्थ प्रधान अधिकारी की अपेक्षा बहुत अच्छा रहेगा। ऐसो जबम्या म वेन्द्रीपहुन प्रायिकरण का विकेन्द्रीहुन प्रशासन न बेवल लक्ष्य है वन्हि घार जारदमबना है। जिन गणठनो मे पुनरावर्ती विस्तार (Repetitive extension) होना है जैसे औद्योगिक वित निगम या टाक्काना या रेलव बांड या निजबं बैंक भी, उनम वेन्द्रीयररण की ओर झुकाव रहना चाहिए। मुक्त-वज और जिम्मेवारी को व्यापक बरने के अर्थ मे विकेन्द्रीकरण भगोल मे नहीं पैदा होता, बल्कि मन की एर प्रवृत्ति मे पैदा होता है, और यह सब प्रधार के क्रियावलापो म अवश्य रहना चाहिए। इसमे मरीनी दृष्टिकाण के बजाय मानवीय दृष्टिकोण पैदा होता है। उन अर्थ मे बहुत अदिक वेन्द्रीकरण का परिणाम यह होगा कि उच्च पदाधिकारिया की मत्त्या बहुत हा जाएगी। मचार मानो म रखावट जा जानी है, और फैसले करन म दूर लगती है। इसमे भी दुरी बात यह है कि इसके परिणामस्वरूप कागजों के अधार पर फैसले किय जाने लगते हैं, जिसमे मानवीयता कम हा जानी है। मनुष्य की मनुष्य के प्रति अमानवीयता की यहुन कुछ व्याख्या इस बात से होनी है। निमन्देह वेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति इस व्याल के बारण है कि प्रवन्ध के लिए मस्तिष्क उपाय-नमूनता और प्रवन्ध की क्षमता भारत म बटी मौनित वस्तुएं हैं। निजी उद्योगों मे जिनमे “पुशी” या दिव्वन्न व्यनियो जो हो प्राय दुक्कि वा भण्डार समझा जाता है, यह असाधी जासकनी है, पर राजवीय उद्योगों की अपन्त्या मे इस कल्पना का कोई स्पान नहीं है। अगर जादमो जरा हूर भी देंगे, तो योग्यता की कोई कमी नहीं होगी। लोक-निगम एवं कारनायुक्त परोक्षण है। यह प्रेम-सम्बन्ध पैदा बरन मे सफल हो सकता है, यदि इसमी जिम्मेवारी उन लोगों को मौरो जाए, जिन मे हर तरह के मजहूर के मध्यम मानवीय अभ वा महयोग रेने की तीव्र जनिलापा हो, जिनका मस्तिष्क उपाय-नमूनत हा, हृदय सत्त्व-न्युन हा और तात्त्व काम बरने म मर्याद हो। औद्योगिक न्यूप म कहे ता सबके मपुक्त प्रबल से मपना लाभ होगा, और हमें अजादी का नवने अधिक आदचय-जनन उपहार प्राप्त होगा—भारत औद्योगिक, वांदिक और शारीरिक नव दृष्टियो से सर्वोत्तम बोटि वा राष्ट्र होगा।

बात समाप्त बरने से पहले उन कुछ प्रमुख योजनाओं का उल्लेख कर देना

उचित होगा, जिन पर इस समय काम हो रहा है। १९५१ में भारत के विभिन्न भागों में १३५ परियोजनाएँ चल रही थीं, जिनमें से १२ मुख्य परियोजनाएँ हैं। इन प्रमुख परियोजनाओं में से ८ बहुप्रयोजन योजनाएँ हैं, तीन विजली योजनाएँ हैं और १ मिचाई योजना है। प्रमुख योजनाओं में से विश्वर की दामोदर धाटी योजना, पजाव की भालडा-नागल योजना, उडीमा की हीराकुण्ड योजना, मद्रास की तुगमद्वा योजना और मद्रास तथा उडीसा के नीचे की सीमा पर मच्चुण्ड जल-विद्युत योजना तथा पश्चिमी बगाल की मधूरादी योजना का उल्लेख वरना उचित होगा। दामोदर धाटी परियोजना भारत में ऐसा एक ही उदाहरण है, जिसमें विभी अधिनियम द्वारा लोक निगम के रूप में राज्य का बोई उपत्रम स्थापित किया गया है, और इस पर जन्य परियोजनाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत विचार करने को आवश्यकता है। अतः इसपरी चर्चा सबसे अन्त में की जाएगी।

**भालडा-नागल परियोजना**—पजाव की इस परियोजना में भालडा के पाग अम्बाला जिले में रोपड से लगभग ५० मील पर सतलुज नदी के आर-पार ६८० फुट ऊंचा बाध बनाया जा रहा है। इसकी नीचे अग्रेल १९५१ में रखी गई थी, और राज्य सरकार इने जलदी से जल्दी पूरा करना चाहती है और १९६० से पहले ही पूरा कर लेना चाहती है, बशर्ते कि बेन्द्र से आवश्यक सामान और धन आता रहे। परियोजना का नागल बाला भाग पूरा हो गया है और उससे लाभ उठाया जाने लगा है। अब भालडा बाध अपने निर्माण की अनितम अवस्था में आ गया है। यह बाध नीचे में ६८० फुट ऊंचा जाएगा, जिसमें ५६ मील लम्बी और लगभग ३ मील चौड़ी एक झोल बन जाएगी। भालडा बाध से लगभग ८ मील नीचे नागल बाध बनाया गया है। गारी परियोजना प्रतिवर्ष ३६ लाख एकड़ क्षेत्र की सिचाई करेगी जिसमें १३ लाख टन अतिरिक्त अनाज और ८ लाख गाठ रई का उत्पादन होगा। यह परियोजना ४० हजार विलोबाट विजली भी पैदा करेगी, जो पजाव, पैमू, राजस्थान, दिल्ली और उत्तरप्रदेश में काम आएगी। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर पजाव किर हमारा अनाज भण्डार बन जाने की आशा है। इसमें राज्य के उद्योगोंकरण को भी उद्दीपन मिलेगा। इस परियोजना पर १३० करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

**हीराकुण्ड परियोजना**—उडीसा की यह परियोजना महानदी पर बनाये जाने वाले बाधों में से पहली है। क्रमशः इसके पूरा होने पर इस परियोजना से ३२१००० विलोबाट विजली पैदा होने की और १० लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिचाई होने की आदा है। इस परियोजना के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम १९५० में नदी पर बनाया गया रेल-रोड पुल था, और बाध निर्माण १९५१ में भी अच्छी तरह होता रहा। इस पर कुल ५५ करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

**तुगलकांपरियोजना**—यह "पर्टिप्रेस्टन, महाराष्ट्र, और हैदराबाद" द्वारा द्वाम पहुंचाएगी। बेलारी जिले में मलयुरम के निकट तुगमद्वा नदी पर बाध बनाया जाएगा। महा से दो नहरें निलेगी। एक मद्रास की तरफ होगी, जो २५५ मील लम्बी होगी और ३ लाख एकड़ की मिचाई करेगी। हैदराबाद की तरफ की नहर ४११००० एकड़

की मिचाई करेगी। इस परियोजना से १,५५,५००० किलोवाट विजली पैदा होगी और इसके परिणामस्वरूप २१,०००० टन अतिरिक्त अनाज का उत्पादन होगा। इस परियोजना पर ८ करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

**मध्यकुण्ड योजना—** योजना में मध्यकुण्ड नदी के पानी को नियन्त्रित करने की योजना है। यह नदी मद्रास और उडीपा की मीमा बतानी है। विजली पैदा करने की जगह डडमा जलप्रयात पर है जो मड्ड द्वारा विभाग्या-पट्टम में लगभग १८५ मील है। इस परियोजना को मद्रास और डडमा मिलकर पूरा कर रहे हैं और पश्चीम उद्यम तथा उत्पादन विजली में उनका हिता ३ और ३ के अनुमान में होगा।

**मुराश जल-भूमि परियोजना—** योजना की इस परियोजना पर मार्टे पन्द्रह करोड़ रुपया खर्च आने का अनुशासन या। इसमें १२० हजार एकड़ जर्मनी को मार्टे माल निचाई हो सकेगी और ३६ लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा होगा। यह इनी जल-विद्युत भी पैदा करेगी, जिनकी आनंदामान के देशकी धंतों को प्रकाश घटाया के लिए कारी होगी और बाढ़ को नियन्त्रित करने ६ लाख एकड़ भूमि का हर माल जलमन होने में बचाएगी।

**दामोदर धारी कारपोरेशन की चर्चा करने के पहले कुठ अन्य योजनाओं का उल्लेख कर देना उचित होगा, नाममग उत्तर प्रदेश की शारदा विद्युत योजना, मध्य भारत और राजस्थान की चम्पल निचाई व शक्ति योजना, मध्य प्रदेश की सख्तावली निचाई विजली योजना। ११३ करोड़ रुपये की कोमो योजना, जो ६ भागों में विभाजित की गई है, की पहली विश्व १९५१ में मजर की गई थी। पहली अवस्था में ११ करोड़ रुपय खर्च होने का तहमीना है, जिसमें से २ करोड़ रुपय नैसाल सरकार देगी। इस परियोजना में विहार और नैसाल में कुल ४० लाख एकड़ भूमि की निचाई हो सकेगी और १० लाख किलोवाट जल विद्युत शक्ति पैदा होगी।**

### दामोदर धारी कारपोरेशन

दामोदर धारी एक बहुत बड़ा नदीक्षेत्र है। इसमें विहार और बगाल के कुठ-कुठ हिस्से शामिल हैं और इसका क्षेत्रफल ८१००० वर्गमील है। दामोदर नदी के आकार में छोटी है, तो भी इसका जल मात्र ३२६ मील है। यह विनाश करने में दैर्घ्य के समान है और इसी कारण इस पश्चिमी बगाल में “दुख नदी” कहते हैं। दामोदर धारी परियोजना, जो अमेरिका की टैनेमी बैली अयारिटी के नमूने पर बनाई गई है, दामोदर नदी को नाम में जोनकर धारी को घन और समृद्धि वाले क्षेत्र के नाम में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखती है। यह परियोजना जुलाई १९४८ से, जबकि दामोदर धारी कारपोरेशन समाज के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, चल रही है। उन योजनाएँ हैं, जिनके माध्यम जल-विद्युत संचयन है, दो भवायक कारचाने हैं, जिनकी कार्य क्षमता २४० हजार किलोवाट है, और एक और यम्बल पाइर संचयन है,

जिसने क्षमता २ लाख किलोवाट है। राष्ट्रीय और राष्ट्रीयहत उद्योग चलाने के लिए बनाये गए एक अधिकरण के स्पष्ट म लोक निगम पर विचार करते हुए यह दाया गया था कि इस विशेष अधिकरण की विस्तृत धर्मिया अधिभाजिन जिमेशारी और साथ ही लाड फीने तथा जनभूति से मुक्त होनी चाहिए। इसमें साहम और मूझ-बूझ की भावना होनी चाहिए और इसके तरीके लोकनीय होने चाहिए। दामोदर घाटी कापोरेशन अधिनियम ने ऐसे ही नियन्त्रण का उपचार दिया है। इस निगम वा प्रबन्ध तीन सदस्यों के एक मठल के हाथ म है, जिनमें से दो राज्य सरकारों से परामर्श दररेख नियुक्त किये जाते हैं। विद्युत भवी ने विशेष पर विचार के समय समृद्ध को यह नियाम दिलाया था कि "नियुक्तिया मिके दोषना के जाशार पर दो जाएँ, जिसमें सिर्फ वे लोग निगम में नियुक्त हों, जो मध्ये और ईमानदार, स्वतन्त्र निर्णय की दक्षिण वाले, आधुनिक वैज्ञानिक वावारो पर भारत में आधिक विकास की स्पष्ट व्यवधारणा रखने वाले और मनुष्यों तथा घटनाचक्र का काफी विस्तृत जनुभव रखने ह गे। निगम की सहायता के लिए एक सचिव और एक वित्तीय सलाहकार है। अधिनियम में नियन्त्रण स्वायत्तता की व्यवस्था की गई है। वस वैन्द्रीय सरकार को नीति-मध्यवन्धी भागला म नियायों देने का अधिकार है। पर व्यवहार में निगम की स्वायत्तता कुछ नरकारी धारों की आख की किरविरी बन गई प्रतीत होती है।" यसल में सरकार ने हिंदूपते इन की असीमित शक्ति हासिल करली है, जिसमें स्वायत्तता खाम हो जानी है। निगम के वार्ष-मन्दालन के इस पहलू पर धो गोरवाला ने इनका अच्छा विचार दिया है कि उनका विस्तृत उद्धरण देना उचित होगा। अपने लिखा है "निगम वा इतिहास कुछ ऐमी अशोभाजनक घटनाओं वी शृखला बन गया प्रतीत होगा है, जिसमें निगम को अपनी बहुत सी शक्ति जनकी स्वायत्तता काम रखने का प्रयत्न करने म लगानी पड़ी है। और सरकार के कुछ क्षेत्रों वो अपनी शक्ति निगम को सचिवालय के अधीनस्थ विभाग की स्थिति म लगने का प्रयत्न करने म लगानी पड़ी है। वजट जनुदान, विदेशी विनियम का बोट, इन सब बातों पर विवाद का वचन दाया है। मालूम हुआ है कि हाड में ही यह नियन्त्रण दिया गया है कि इसके मुख्य द्विनियर द्वारा तैयार की गयी और इसके मलाहवार इजीनियर द्वारा जनुमोदित जा तीन विशेष योग्यता वाले व्यक्ति हैं, योजनाएं तीनों हिम्बदार गरकारों के द्विनियरिग विभाग द्वारा पिर जावी जाएंगी। अगर इस बात का उदाहरण देखना हो, तो किमी लोक निगम से कैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए तो यह थान उसे पेटा करती है। अगर सरकार का यह विचार है कि उसने निगम बनाकर भूल की है, और वह विभागों द्वारा बाम करना पर्यन्द भरेगी, तो गवर्नर अच्छा यह है कि वह उस अधिनियम का निरसन (Repeal) कर दे। अगर उसका यह विचार है कि निगम ने जो बाम करना है, उसके लिए इसके मौजूदा बमंचारी टौक नहीं, तो इसे उनकी जगह दूसरे आदमी रख देने चाहिए। मनलब यह है कि निगम बनाने, और पिर उसे मविवाक्य के अधीन प्रभास्तीय विभाग की तरह भगवने म बोई तुक नहीं है।

## अध्याय :: १६

# लोकोपयोगी उद्योग

अर्थ और सेप्र—लोकोपयोगी उद्योग गेस, पानी, विजली, नगरीय यात्री परिवहन आदि उन उद्योगों या सेवाओं के लिए एक व्यापक नाम है, जिनमे “जनना की दिलचस्पी” इस बारण बहुत होती है कि के ऐसे आवश्यक जारिटार्म एकाविकार या जर्ब-एकाविकार है, जिन पर लोक-हित के लिए राजकीय विनियमन अधिक मात्रा में होता है, और उनको उचित गिनि से बार्य करने में सुविधा देने के लिए त्रिशेष अधिकार दिये जाने हैं। बानूनी इंटिं में लोकोपयोगी उद्योग का एक विशिष्ट बर्ग है, जो इह विधि के “लोकहित के मिदान्त” पर जावारित है। इह विधि के विकास के जारीभन्न दितों में कुछ ऐसों को जग्ना बख्ते उन पर त्रिशेष अविकार और वर्त्तन्य ढाल दिये गये थे। त्रिशेष इस में कर्तव्य पर धब्ल दिया गया था, जो मुकुन व्यापार या यथेच्छारिता का विकार प्रचलित होने के बाद भी और व्यापार के सरकार द्वारा अनियन्त्रण पर इसके दब्ल देने के बाद भी जारी रहा। लोकहित का मिदान्त लोकोपयोगिता ने इनना अनिष्ट मम्बन्व रखता है कि दोनों पदावलियों को प्राय एकार्बक माना जाता है। लोकोपयोगिता फर्म उन भीमाओं के कारण जो नेताओं के साथ व्यवहार की स्वतन्त्रता पर गरकार लगा देती है, जन्य कारवार से आगानों से अलग पहचाना जाता है। पर इन पावलियों में उन्हें कुछ लाभ भी होता है, क्योंकि उपयोगिता कम्पनिया जननी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अन्य व्यापनियों की जपेश्वा अविक जामानी में प्रतियोगिताहीन बाजार प्राप्त कर सकती है। एकाविकार होने के कारण ये कम्पनिया अपने लेखावनों, वित्ती, उपार्जनों, बीमतों और सेवानीनियों पर राजकीय नियन्त्रण के जरूर छान्ते हैं। जधिक्कर विनियमन तर्कमग्न उपर्जनों और बीमतों के विषय में दिया जाता है। विशेषा या क्रेता कोई भी के बीमते नहीं पा सकते, जो के चाहते हैं। विशेषाओं के एकाविकार के कारण बहुत ऊँची बीमतें नहीं मिल सकतीं और तत्त्व उननीं कम कीमतें करने का आपूर्त नहीं कर सकते। जितनी पर विशेषा न छिक सके। बीमत के नियन्त्रण के मायनाय उनादन पर नियन्त्रण भी किया जाता है उदाहरण के लिए, उपयोगिता कम्पनी में यह जपेश्वा की जाती है कि वह निर्धारित बीमतों पर विना भेद-भाव के मद्द ग्राहकों को सेवा करे। उपयोगिता कम्पनी को जननी एकाविकार की भवित्तियों का मुग प्रधोग नहीं करने दिया जाता, और उसमें यह आशा की जाती है कि वह अपने बारवानों की दमनापर्यन्त सेवा करे, जो ग्राहक जाये उनकी सेवा करे, और सेवा को विश्र, तर्कमग्न बीमत पर करे।

लोकोपयोगिता कन्वेनियों की आर्थिक विशेषताएँ—लोकोपयोगिता कन्वेनियों में कुछ विशेष लाभार्थिक बातें होती हैं, जो उनमें अन्य उद्योगों में भेद करती हैं पर यह स्मरण रखना चाहिए कि बहुत अधिक पर्याप्त भेद करता सम्बन्ध नहीं है, और तदेका समझना किस जगता है क्योंकि कभी-कभी गैर-उद्योगिता उद्योगों में लोकोपयोगिता उद्योगों की स्वयं स्वयं सब आर्थिक विशेषताएँ दिखाई दीती हैं। यहाँ यह बताने की आवश्यकता है कि लोकोपयोगिता उद्योग में अन्यतर पर ये विशेषताएँ होती हैं और इन उद्योगों में य ही भी महती है और नहीं भी हो सकती है। इनमें लोकोपयोगिताओं की दो आवारणी आर्थिक विशेषताएँ हैं नाममा (१) आवश्यकता और (२) एकाधिकार या एकाधिकार की या अन्यान्य प्रतिनिधि की की ओर झुकाव। इनमें उनकी स्थितियों का स्पष्टीकरण, स्थितिजनन और विशेष विधान के तथा वाधारण लाभ और भाग की विशेषताएँ और जेतें जा नहींती हैं।

आवश्यकता—प्रथम तो लोकोपयोगिताएँ आवश्यक या अपरिहार्य बन्तुओं या मेवाओं की व्यवस्था करती हैं, जिनका बाजार में अवासित प्रवाह होना आवश्यक है। कोई मेवा का बन्तु इसलिए, आवश्यक या अपरिहार्य है, क्योंकि इसकी नियन्त्रित आवश्यकता है और नमुदाय का बहुत बड़ा भाग उसे कान में लाना है। उदाहरण के लिए, जानी, रेख, विवाही, नगरीय दण्डिवन।

एकाधिकार या अपरिहार्य प्रतिनिधि—लोकोपयोगों द्वारा जानकौर में एकाधिकार या नाममात्र के लिए प्रतिनिधिता वाली अवस्थाओं में अपनी वस्तुओं और मेवाएँ उत्पादित करने और बेचने हैं। एकाधिकार के कई प्रकार हैं। पहला है स्वाक्षरित एकाधिकार जो उपयोगिता उद्योगों वा सामाजिक लक्ष्य है। इस शब्द में पहले व्यक्ति होता है कि बाजार में लोकोपयोगिता मेवा का नियन्त्रण इसी प्रकार “स्वाक्षरित व्यक्ति ने या सहजत एकाधिकारी होता है, और अविनियन्त्रित कन्वेनियों की प्रतिनिधि समोक्त द्वाग अनिवार्य नाम हो जाती है और जिन बाजार में कभी कई कन्वेनिया थीं, उन पर अन्त में एक कन्वेनी छा जाती है। इसलिए एकाधिकार लोक-हित के सिद्धान्त के अनुसार विशेष विधान देने और विनियन्त्रण लाने के पैशा होता है। मेवा के सहरण या अवस्थाओं में स्वाक्षरित प्रतिनिधि के आधार पर भी एकाधिकार होता है, उदाहरण के लिए, जिसी नमुदाय के पानी द्वारा करने के एकमात्र घोल को नियन्त्रित करने वाली वस्तु या नमर-पालिका को सहरण का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ अधिकार विजयी प्राप्तिकरण या नगरीय दण्डिवन नियन्त्रण को भी प्राप्त होता है। इनकी विजेता यह है कि इनका कारबाह स्थानीय कारबाहों में और क्षेत्रों दृष्टि से सोनित बाजार में होता है, और दर्नी नहर के दूसरे कान्धाने या समरण-व्यवस्था अवश्यकूण और जन्मन, उत्तमोत्तमाओं के लिए दोज शोगी। कुछ उपयोगिताएँ ऐसी मेवाएँ करती हैं, जिनमें स्मरण का बन्धन होता है, जैसे टेलीरोन। चतुर के समाज और समय के अभाव तथा प्रतिनिधि नचार मेवाओं वे बारण देता हो जिनके बाले जन के स्वरे में उनमें ने प्रदेश को अन्यों एकाधिकार नियन्त्रित जाना है। एकाधिकार के इन सब बारगों से

अधिक महत्वपूर्ण जार्थिव एकाधिकार की जरूरत है। निर्माण की लागत, लगाई गई पूजी के मुकाबले में दोगी आमदनी, आदर्श लोड घटना की अवश्यकता और आवश्यकता ने पहले निर्माण करने की बातनी आवश्यकता, इन सब दृढ़ी बातों के कारण उपयोगिता की मवालन की लागत लगावार कम होने लगती है। ऐसी स्थिति अनिवार्य प्रनियोगिता को विन्दुल जस्तायी बना दती है, और जन्त में भरतारी हस्तक्षेप न होने पर भी मधोत्तर और एकाधिकार हो जाता है।

**विनियमन और रियायत—** क्योंकि लोकोपयोगिता उद्योग को लोक हित की स्थिति प्राप्त होती है और परिणामत इम का अधिकतम सामाजिक लाभ की दृष्टि से कार्य बरना अपेक्षित होता है, इमार्गिता इम पर गैर-उपयोगिता एकाधिकार उद्योग की अपेक्षा अधिक छोटे विनियमन किया जाता है। एक ओर तो राजनीति विनियमन तर्कसंगत बीमत पर अच्छी कानूनियाँ बनायी जाती हैं, और दूसरी ओर सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा डालने के उनके अधिकार को विनियमित करने में और सार्वजनिक जीवन और सम्पत्ति की रक्खा करने में इमका उद्योग किया जाता है।

लोकोपयोगिता की एक और विशेषता यह है कि उसके बाहरार आरम्भ करने में पहले गरकार को उसे विशेष रियायत देनी होती, क्याति जन्ते दायों की उचित पूर्ति के लिए उसे सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा डालनी होती, यद्या द्राम की लाइन टालने के लिए या पानी के लिए नह या गन्दगी के लिए बड़ नल डालने के लिए सड़कों को खोदना और ढोड़ना होगा, तथा व्याप्तियन समस्ति के अवाक उभयोग में बाधा डालनी होती। बीमत का नियन्त्रण इमार्गिता किया जाता है कि समदाय के सब लोग लोड डाला जा उपयोग कर सके और भद्र-भाव तथा अनुचित-तरखोंह न हो सके, जो तब हो सकती है, जब कोई लोकहीन माल वाली उपयोगिता द्वारा अविनियमित हो। लोकोपयोगिता उद्योगों के लाभ इस तरह विनियमित किए जाते हैं, कि उसमें कुछ पूजी पर एक विनियोग तर्कसंगत लाभ मिल जाए। और यदि कुछ यव रहे तो वह बाद की बीमतों में कमी करके उभयोक्ताओं को लोटा दिया जाए। जब तब उपयोगिता उद्योग का स्थानित्य और प्रबन्ध नियंत्रित होता है, तब तब समुदाय के हिन की दृष्टि में इस का विनियमन और नियन्त्रण बाबश्यक है। राष्ट्रीयकरण हो जाने पर यह अपन मवालन और प्रभाव की दृष्टि में लोकतनीय होना चाहिए।

**लागत और माल—** लोकोपयोगिता उद्योगों में मधीनों और साज-पञ्जा में स्थायी पूजी तो बहुत लगानी पड़ती है, और पूजी का टर्न-ओवर बहुत कम होता है। परिणामत प्लाट में बहुत शेषा लगाने वाली अन्य कमों की तरह उपयोगिता कम्पनियों में भी पूजी प्रतिस्थापन ( Capital substitution ) की दर इन्ही होती है। इमलिए वेसमझी में घन वा लगाना उनके लिए मिलामरारी है। उनके पास प्लाट क्षमता ज्ञानी होती है—जो यों बताएँ कि होने की जागा वीं जानी है—कि वे उन गव उभयोक्ताओं की मेना कर सकें, जो मौजूदा कीमतों पर खरोदने के दब्लुक

है। पर इसमें भी वहाँ बात यह है कि उनके पास कुछ अप्रयुक्त क्षमता भी जरूरी रहनी चाहिए, जिनमें वे किसी-किसी समय होने वाली बहुत अधिक मात्रा (Peak demand) पूरी कर सके, क्योंकि उपयोगिता मेवा सम्प्रह-प्रोप्र नहीं होती। क्योंकि उपभोक्ताओं की मात्रे किसी सामय समय के लिए होती है, इसलिए आवश्यक रूप से उनके पास अधिकतम मात्रा के समयों के अन्दर और समय कुछ अप्रयुक्त क्षमता रहती होती। उपयोगिता मेवा की मात्रा की प्रहृति ही ऐसी है कि वह प्रत्यक्ष और व्युत्पादित (Derived) दोनों प्रकार की होती है और इसी तरह यह प्रत्यास्थ (Elastic) और अप्रत्यास्थ (Inelastic) दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रब्लेम मात्रा का अर्थ है, की प्रत्यक्ष मात्रा के लिए सेवा लेना। उदाहरण के लिए, रोटीनी के लिए विजली और दैनिक उपयोग के लिए पानी। परोदा मात्रा का सम्बन्ध सेवा के उस उपयोग से है जो आग उत्पादन के लिए किया जाता है। व्युत्पादित मात्रा प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों तरह की होने लगती है। यदि विजली का कोई स्थानापन सुलभ होगा, तो—और विजली की लगत कुल लगत का मुक्त मात्रा है—वहाँ वह प्रत्यक्ष होती है। उपयोगिता उद्योग की प्रत्यक्ष मात्रा मेवा की कीमत और खेताओं को आप इन दोनों दृष्टिया ने प्रत्यास्थ होने लगती है। केवल जिन उपयोगिता मेवाओं वा उपयोग करने के अन्दर ही जाते हैं, उनके उपयोग को वे तभी नहीं छोड़ता चाहते, जब उनको कोनते बढ़ जाएं, या आमदनिया घट जाएं और अन्य कम जरूरी चीजों पर अपना धन कम करने को रुकार हो जाते हैं।

लोकोपशीलोगिताओं के अधिकार और कर्तव्य—लोकोपशीलोगिताओं के कुछ विशेष कानूनी कर्तव्य और विधेयाभिकार होते हैं, जो अविनियमित उद्योगों को नहीं होते। मविरीय बच्चनों को पूर्ण करना और उमड़ी पूर्ण की मात्रा करने का अधिकार व्यापारी का मापारणकार्य कर्तव्य और अधिकार है। जब तर वह धोखा नहीं देता या प्रतिपोगिता को रोकने का पड़ीयन्त्र नहीं करता, तब तर जिनका कम या अधिक वह ले मद्द, उनकी कीमत ले मद्दना है, और ममाज की सामान्यता इस बात से कोई मतलब नहीं कि वह कमाता है या खोता है, पर मद्द कारबाहों पर लगाई गई इन नियेशालम्ब पावल्डियों के अनिवित, उपयोगिताओं ने अपने ऊपर कुछ विशिष्ट कर्तव्य और अधिकार डाल रखे हैं।

कर्तव्य—एहला कर्तव्य यह है कि जो लोग सेवा पाने के लिए प्रार्थना-पत्र दें, उन सबकी मूलविद्या, जायिक और मामाजिक स्थिति या अन्य भेदभाव का दिना स्थान किए रखा की जाए। दूसरी बात यह है कि उपयोगिता या लोह हिन में युक्त उद्योग को, यदि मात्रा की दृष्टि से उचित हो, तो उत्पादन और सेवा का अन्ना सारा सामर्थ्य प्रयोग में लाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लोकोपशीलोगिता उद्योगों को तुरन्त सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उन्हें सुरक्षायुक्त और पर्याप्त सेवा करनी चाहिए। यदि उपयोगिताओं की पर्याप्त सेवा करने दो जाएं तो उनकी स्थानापन सेवा सन्नायनन्तर हर में पौर अविलम्बित मिल मद्दने के बारग उपभोक्ता वही लान्चार स्थिति में हो जायेंगे। इसी कारण विजली की बोन्डेज,

नगरीय परिवहन के लिए बमों के समय, विभाग और टैलीफान सम्बन्धों के लिए चाड़ सम्बन्धी अपेक्षाएँ विनियमा द्वारा निश्चित हैं। और इनमें से प्रत्येक संक्षेप में जनियम सुरक्षित सामान के द्वारा समरित की जानी चाहिए। और यह यह है कि अनुचित भेद-भाव या अनुचित तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। इसमें यह वर्णन नहीं है कि विवरण के लिए ग्राहकों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इसका अधिकार ताकि यह है कि वर्गीकरण तरमगत होना चाहिए। जनियम वाले यह है कि वह अपनी मेवा के लिए तरमगत वीमत से अधिक नहीं मांग सकती।

**अधिकार—** यह सबथा उचित है कि यदि उपयोगिताओं का ये वर्तन पूरे नहीं है, तो उन्हें कुछ ऐसे विशेष अधिकार होने चाहिए जो अन्य व्यवसायों को नहीं होता। उनका एहता अधिकार है “तर्फ मगत दर” होना। तर्फ मगत दर वह है जिसमें राज्य और मिनियमी प्रबन्ध के अधीन सब सचालन व्यव वा जाने हैं, और लगाई गई पूँजी पर उचित दर पर कुछ लाभ भी मिल जाना है। नैतिक तथा वाधिक वायागे पर भी यह उचित है क्योंकि यदि उपयोगिताएँ एक अधिकार में होने वाले लाभ नहीं हो सकती, तो उन्हें यह न्यूनतम उचित लाभ प्राप्त करने में विवित नहीं किया जाना चाहिए। अन्ततः उन्हें तरमगत नियमों और विनियमों के अधीन मेवा करने का विशेषाधिकार होता है। इनमें मामान्यत इस तरह भी चीज़ नापिल है, जैसे दानर के घण्टे, शीघ्र अदायगी की ऊर, मीटर पढ़ना और जात्य बरना, सेवा निषेप (Service deposits) ‘मर्वोपरि अधिकार’ (Eminent domain) द्वारा जिसमें उपकरण आदि लगाने के लिए मड़का और मकानों का उपयोग करने की शक्ति मिल जाती है। इन विनियमों का मतभज्ज उपयोगिता सेवा का सुरक्षण करना और इस प्रवार इसके अधिकार ग्राहकों की रक्षा करना है।

### सगठन की समस्याएँ

मोटे तौर पर यह जाएं तो किसी कारबार का भगठन परम्परागत रीनियों में में ही ही एक से किया जा सकता है। यह एक आदमा के स्वामित्व में हो सकता है, मातृदारी हो सकता है, समुक्त स्वन्ध कामनी हो सकता है, या राजकीय कारबार हो सकता है। विभिन्न आशार के कारबारों के लिए विभिन्न प्रकृति की उपयुक्तता पर हम पहुँच विचार कर चुके हैं, पर लोकायागिता की वरस्था में लाकार सम्बन्धी चुनाव का छोड़ सीमित है। मर्मीता और साज़-सज्जा में बामाधारण हृष से भारी आरम्भक नियान्त के कारण, और इस कारण कि मारे क्षत्र का एक ही इवार्ड न सेवा देनी है उपयोगिता उपत्रम का आसार बड़ा होना जरूरी है। भारतवाले के स्वान निश्चय की समस्या अन्य उद्यगों वी जरूरा इसमें नीची है, क्योंकि इसका निश्चय भूद्यन संक्षेप वाले क्षत्र और विनियम के अनुमार किया जाएगा। अधिकार कारबार के विपरीत उपयोगितामा को नई पूँजी की बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त करनी होगी। पर नित्य-सचय की समस्या इन्हीं आपसमें होते हुए भी अत्यधिक कठिन है। इसका कारण यह है कि कार्ड कारबार चलन से बहुत पहले मर्मीतों और साज़-सज्जा पूरी तरह में

लगा देने होंगे, जिनका परिणाम यह है कि बहुत बड़ी राशिया सर्वं करनो होंगी और किर भी कारबाह के आरम्भिक वर्षों में इसी तरंगन लाभ की भाग्या नहीं की जा सकती।

उपरोगिता सेवाओं की विशेष में मन्दिरियन मनस्याए बहुत अधिक नहीं है, बरोंगि माधारणनया पह मान लिया जाता है कि इन सेवाओं की आवश्यकता सुदृ जानो विश्री कर लेंगे। यद्यपि विषयन या भार्तीय यम्बन्दो माधारण मिदान लोको-पर्योगिताओं पर भी लाग् होते हैं, तो भी उपरोगिता विषयन के ध्येय में कुछ विशेष समस्याए भी हैं, जो इस सेवा की विशेष प्रकृति का परिणाम है। यहाँ इन विशेष मनस्याओं पर ही विचार किया गया है। इस पहले देव चुके हैं कि उपरोगिता सेवा या सेवा-वस्तु कुछ भी मास्त्रों में आगे मष्ट-भौम्य नहीं होती और एक इकाई मन्द अन्य इकाईयों में भिन्न होती है। दूसरी बात यह है कि सेवा या सेवा-वस्तु उपरोग करने वाले के परिमर (Premises) पर या के निवास अस्तित्व की जाती है। वस और टैलीदाक वस्तियों के अलावा और शब उपरोगिताए अपनी सेवाओं को अपने उपरकरणों द्वारा उपरोग कर्त्ता के परिमर तक पहुँचा देती है। इस प्रकार, उपरोगिताए आवश्यक रूप में सौधे और धर-धर जाकर विश्री करती है, और धार्तों को इन विशेष गम्बन्द की स्वीकार करना होता, चाहे वे इसे परम्पर करें या न करें। ग्राहक के माय इस बार-बार होते वाले मन्दर्भ में अधिक सौजन्य और अस्तित्व दश सेवा की जरूरत होती है। वस सत्रिय के मास्त्रे में यह सम्पर्क दिन में कई बार हो सकता है। ग्राहक-कर्मचारी सम्पर्क विषय कालियों का है, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है, तो भी यह उपरोगिता इन मास्त्र के भट्टरव को समझने में सहाय पीछे है। इन विशेषनाओं के अलावा, लोकोपर्योगिताए विशेष में अधिक मुदियाए पेश करती हैं। एकानिशार होते के बारण उन्हें अपनी विशेष की विधि और कोमल नियोग वो बीमतों में मजबूरन परिवर्तन करने का कोई सहारा नहीं होता। माय ही, उनका बीमन-नियोग लागत में अधिक घनिष्ठ मन्दर्भ रखता है। यदि लागत कम हो जाती है तो ल्लाट भास्त्र का अधिक उपयोग हो सकता है, प्रति इकाई लागत में बमी हो जाती है, और इस तरह लागत की बमी वा कुछ नाग बीमतों के रूप में उपभोक्ता को दे दिया जाता है। एक बात यह है कि विशेष अन्यथा और प्रमाणित तथा नवद होते के बारण विशेष का प्रश्न एक बग्रा हुआ स्तर ले लेता है। माय ही उपयोग और उपभोक्ता के बीच में कोई विचारित्य नहीं होते। विज्ञान और विशेष कला द्वारा माय पैदा करने वाले आवश्यकता मन्दने कम होती हैं।

### स्वामित्व और प्रबन्ध

पूर्ववर्ती अन्याय में निजी और लोक उपकरणों का विस्तेपण करने वा यन विया गया था और इस नियन्त्रण पर पहुँचे थे कि योंगि उद्योगों के राष्ट्रीयपरिवर्तन ने निजी लाभ के स्थान पर लोक-सेवा वा जाती है, इसलिए निजी स्वामित्व के स्थान पर लोक स्वामित्व आ जाना चाहिए। लोकोपर्योगिताओं को, जो लोक हिन के लिए होती है, लोक स्वामित्व में लेने का पृथक अन्य उद्योगों की ओरका अधिक प्रबल है। वे समुदाय की

बुनियादी और जनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, और उनका इनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कामयाप पर गहरा प्रभाव होता है। जहाँ तक सेवा की दक्षता वा मध्यम है, जितनी कठिनाइया निजी कारणों के दक्षतापूर्वक चलाने में है, उन्हीं ही लाभ उपर्युक्त का चलाने में भी है। पर मामाजिक और नैतिक आधार पर जीवन की आवश्यकताएँ एक निजी कम्पनी के हाथ में छाड़ देना बास्तव नीय नहीं। यहाँ इमरा सचालन कितनी भी सामयिकी में किया जाना हा। निजी-उपर्युक्त के स्वामित्व में चलने वाली उगायोगिनाओं का विनियमन निष्पत्ति मिल हुआ है। बहुत अधिक लाभ बढ़ावे गए हैं, और बहुतों के मिर पर बहुत थोड़े आदिमियों ने लाभ उठाया है। इस प्रकार, लोकायतिकों के इस जवाबदारण की नीति ही हिंदू जाति है कि वह लोक हिन्दू में परिव्याप्त है और उसे अप्रिकृतम् सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। इन कारण और पहुँच अव्याय में वर्णित लन्य बहुत से कारणों में यह विशुल पावरपक्ष है कि उगायोगिनाओं पर राज्य का स्वामित्व हो।

लोकस्वामित्व कीन प्रभिकरणा द्वारा या उनके किसी सदोजन द्वारा किया जा सकता है (१) केन्द्रीय सरकार, (२) राज्य सरकार, (३) नगरपालिकाएँ। लोक-पर्यायिनों पर लाकम्बामित्व के द्वारा में सब मरम्भन है, पर इस द्वारा में मनमेद है कि इसका प्रबन्ध और सचाई एक सरकारी विभाग के द्वारा हो, या म्युनिसिपल कॉमिल द्वारा उगममिनिया के जरिये हा। इस पहुँचे विकाय के खतरों पर विचार करनुको है, और म्युनिसिपल सचालन की दुर्बलताओं का उन्नेश यहाँ बताये।

पिछों पक्षाय वर्ण्यों या इनसे अप्रिकृत वारद में सब अगह म्युनिसिपलिटियों ने पार्नी, विजली, गैम और कार्गीय परिवहन सम्बन्धी लोकोपयोगिनाएँ दूर की या बनी-बनाई लोकोपयोगिनाओं का अपने अधिकार में ले लिया। म्युनिसिपलिटियों के स्वामित्व वाली मेवाएँ आम हीर में समिनियों के जरिये स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चशाई जाती हैं और स्थानीय वर्षगर उपर्युक्त का वाप के लिए इन ममिनियों के सामने उत्तरदायी होते हैं। इन सवालों में प्राप्त राजन्य म्युनिसिपल हिमाव म जाना है। अप्रिकृत वस्त्रों वाली राशि स्थानीय वर्षगर के सामने वाप के लिए इन ममिनियों के सामने उत्तरदायी होती है। इन सवालों में प्राप्त राजन्य म्युनिसिपल हिमाव म जाना है। अप्रिकृत वस्त्रों वाली राशि स्थानीय वर्षगर के सामने वाप के लिए इन ममिनियों के सामने उत्तरदायी होती है। पूजी व्यय के लिए क्रष्ण ऐकर प्रियी प्राप्ति की जा मक्की है पर मामान्य नीति यह रहनी चाहिए कि क्रष्ण जितनी जल्दी मम्भव होगा चुका दिया जाएगा, और इसके लिए उपर्युक्त पर ग्रामायं निषेध निविया वर्ताई जायगी। बहुत भी म्युनिसिपलिटियों पर कोई क्रष्ण नहीं है, और इसमें वरदाना वा लाभ होता है। म्युनिसिपल सचालन भी मुम्ह त्रुटि यह है कि यह म्युनिसिपल पमेटी के क्षेत्र तक ही सीमित रहना है। बासुनिक समीनी उत्तरति को देखने हुए लोकोपयोगिनाओं का स्थानीय प्राधिकरण तक सीमित रहना प्राय परन्यायी होता है, और यथामम्भव सर्वोन्म सेवा किये जाने को गोकर्ता है। माय ही उम्म विषय को भ मम्भजने थार्नी समिनिया उसके सचालन और दबमार का वा वाम ठीक तरह में नहीं वर मक्की। कभी-भी भौगोलिक या किसी कार्य विशेष

अध्याय :: १७

## योजना-निर्माण और भारतीय योजनाएं

इम सदी की चौथी दशाव्दी में यह आग प्रश्न था कि योजना होनी चाहिए या नहीं। आज सब लोग यह मानते हैं कि योजना होनी ही चाहिए। आज आम आदमी योजनाहीन कार्य को नापसन्द बरता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि यदि आर्थिक प्रकार के हर काम म गडवड को रोकना है तो योजना निर्माण जानश्य है। सचाई तो यह है कि योजना निर्माण हमारे सबके जीवन का दिस्मा है। गृहिणी अपने खर्च की योजना बनाती है, और अपना समय अलग-अलग काम के लिए निश्चिन्<sup>१</sup> करती है। इसी प्रकार व्यापारी अपने समय और साधनों की योजना बनाता है। अन्य क्षेत्रों में भी योजना निर्माण से बेट्टे परेजानी बच जाती है। उदाहरण के लिए, अनियन्त्रित यानायात से यातायात का अवरोध और दुष्टनाएँ ही होगी। “योजना हीन” पूजीबाद के बड़े से बड़े समर्थक भी अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। क्योंकि आधुनिक उत्पादन और विपणन या बाजारदारी म वास्तविक काम से पहले बहुत सा स्टाफ-कार्य और विचार बरना पड़ता है।

योजना-निर्माण का अर्थ और प्रयोजन—जो डी एच कोल<sup>२</sup> के अनुसार, “आर्थिक योजना सारान् उत्पादन के ग्रामाधनों का टीक वितरण सुनिश्चित बरने की योजना होती है।” लियोनल राविन्स<sup>३</sup> का विचार है कि “योजना बनाते वा भत्तल्व है, प्रयोजन में कार्य करना, चुनना, यह चुनाव ही आर्थिक कार्य का मार-भाग है। बाग्नोमा बूठन<sup>४</sup> योजना निर्माण वी यह परिभाषा करता है कि “किसी लोक प्राधिकार, अर्थात् सरकारी मण्डन द्वारा जानगूँजकर और समझने हुए आर्थिक पूर्वता का चुनाव बरना” काल लंडेवर कहता है कि “योजना निर्माण वी यह परिभाषा की जा सकती है कि किसी सामुदायिक अग द्वारा आर्थिक विकास का ऐसी योजना द्वारा पर्याप्त विवरण जो मात्रा के रूप म और क्षात्रियों के सुन में उस उत्पादन कार्य का बरंग बरती है, जो निर्दिष्ट भवित्वन काल में दिया जाता है।” लैण्डेवर इमारा अर्थ और जपित स्पष्ट करने हुए कहता है कि “योजना निर्माण का अर्थ

१. प्रिमिपत्स आफ इकनामिक प्लानिंग, पृष्ठ ३३।

२. इकनामिक प्लैनिंग एंड इण्टरनेशनल जार्डर, पृष्ठ ४।

३. श्रीडम अहर प्लैनिंग, पृष्ठ १३।

४. व्योरो आफ नक्काश इकनामिक प्लैनिंग।

है, स्वतः होने वाले समन्वय के स्थान पर, जो बाजार में होता है, सबैन प्रधान द्वारा समन्वय और उसके साथीकरण में सबैन प्रधान पर बन दिया गया है, वरोंकि मानवीय क्रियाएँ अचेन अवचेन या सबैन होनी हैं और सामाजिक हमारे अधिकार काम सबैन नहीं होते। उदाहरण के लिए, माम लेना मामान्वन एक अचेन कार्यदाती है। पर दमे के योगी या बहुरोपी गैम के निवार लोगों को पता चलता है कि प्रथेक साम तकनीक के माध्यमाना हआ अनुभव हो रहा है पर योगी को अन्ने प्राणी पर अधिकार होता है। योगी को तरह हो दोजना के अनुमार यम लेता है और उसके परिणाम प्राप्त करता है आदिक योजना बनान वाले को भी उन्नाइन कार्य इस तरह चुनते चाहिए कि उन्हें उपनिषद् नामना का प्राण्युरा लान मिले और परस्परविरोधी आवश्यकताएँ न हों जिनमें तरक्की की स्थिरता हो सके।

राष्ट्रीय योजना निर्माण समिति ने, जो नेशनल कार्डेस ने १९३७ में श्री जवाहरलाल नेहरू के भारतीय में बनाई थी यह बात बही थी “लोकतांत्रीय प्रणाली में योजना निर्माण को यह परिभाषा दी जा सकती है कि राष्ट्र को प्रतिनिधि सम्यांगों द्वारा नियोजित विभेद उद्देश्यों के ठीक-ठीक अनुमार, नियायं विगेयत्रों द्वारा उपनिषद्, उपनिषद्, पूजी नियोजन, व्यापार और जात विनान का टैक्सोफ्ल यमन्वय। इस योजना निर्माण पर मिर्क अर्थशास्त्र को और रक्त-नहन का स्तर ऊँचा करने को दृष्टि ने विचार नहीं करता है, बल्कि उनमें सास्त्रिति और आव्याप्तिक मूल्यों और जीवन के मानवों पहलुओं का मामान्वन भी होना चाहिए। योजना जापों की दृष्टि से और भारत में मण्डारो राज्य के स्वीकृत जाइर्न के अनुमार लोकतांत्रीय राज्य में योजना निर्माण एक ऐसी मामान्वित और विकास की प्रतिक्रिया है, जिसमें असन् प्रथेक नागरिक को जीवन-स्तर ऊँचा करने और अधिक ममता और विकासनावृत्त जीवन के नये अवधार लाने में हिम्मा लेने का भीता मिलता चाहिए। राष्ट्रीय योजना भारत में जिन रूप में ममती जाती है, उस रूप में यह समुदाय के प्रयोजन की दुनियादी एकता की अभिन्नति होनी चाहिए। मझे में, योजना-निर्माण एक सामूहिक कार्य है (पर यह आवश्यक नहीं कि यह सामूहिकतादी प्रकार का हो) और समुदाय द्वारा जनता के मानक की बृद्धि के लिए देश के भौतिक मात्रों के व्यापारित और नियन्त्रण का ऐसे दृग में विनान करते कि वह जनता के लिए क्षयानकारी हो, और आदिक प्रणाली को इन प्रकार दिया देवर कि उनमें ममता और आदिक शक्ति थोड़े में लोगों के हाथ में जमा न हो जाए, व्यक्तियों के क्रियाकलाप को नियमित करता है।<sup>१</sup>

योजना निर्माण का लक्ष्य समुदाय की उन्नादन की दक्षिणों का स्थिर,

१. भारत के मूलिकान् के अन्तर्गत ३६ से ५१ में राज्य की नीति के नियन्त्रक तत्व देखिए।

तिरतर और पूरा उपयोग करना आर इम प्रबार दरोजगारी को दूर करना और भविष्य म दूर रखना (जो स्वनन्न उपराम की दृष्टि है) निम्नपक्के जार्थिक यातावरण को अपन अधीन करना जार्थिक गम्भीराओं को अध्यास्थित दाजना निर्माण द्वारा वैद्वानिक ढंग से चलाना सब लोगों को अधिक भौतिक भुविधाएँ देना और अतन भानमिक शांति पैदा करना अधिक वापरशानि करन वाल आर्थिक उतार चढाव से बचाना और विपामता के स्थूल स्पा वा कम करना है। जल्प विविसित अथ व्यवस्था म जैसी कि हमारी है एक आर तो वाम म न लायी गयी प्राकृतिक सम्पदाएँ होती हैं और दूसरी ओर उपयोग म न लाया गयी या कम उपयोग म लायी गयी निम्नपक्क शब्दिन होती हैं। यह साधारणतया प्रविधि या टैक्नीक की परिवर्तन होनता है जो अर्थव्यवस्था के गतिशील बला वा अपन रूप म आन म राखते हैं। उचित विकास वे नियंत्रणाजिक संस्थाओं और सामाजिक सम्बंधों का नया दृच्छा आवश्यक है। अधिक अच्छी आर्थिक व्यवस्था के लिए योजना बनात हां विकास काय के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का धनिष्ठ आपसी सम्बंध हमेशा ध्यान म रखना पड़ता है। तात्कार्तिक समस्याओं पर तो जमकर प्रयत्न की आवश्यकता होती ही है पर योजना निर्माण म आवश्यकता यह है कि ममुदाय सामाजिक प्रतिया को एक अखण्ड समर्पित ममज्ञ और खुछ निश्चित बार तक इस प्रतिया को टीक रूप म अभीष्ट माम पर चलन के लिए लावदयक बाय बरे। योजना निर्माण में वे उद्देश्य स्पष्ट रूप म स्वीकार करन पन्त हैं जिनका दिप्ति से अनिम नीतिया बनाया जाती है। इसम निश्चित लंया नी प्राप्ति के लिए माम भी तय बरना पन्ता है। योजना निर्माण सारत समस्याओं वा बुद्धिमगत हूँ निकारन वा मापना और साध्या म समन्वय करन वा एक प्रयत्न है। इस प्रबार यह प्रचलित नियिया से भिन्न है जिनम बाय दर्श कर दिया जाता है और फिर उसके गलन हान यर उमम चुवार निया जाता है। योजना निर्माण के इस प्रयोजन वा दायते हए हमन नाना द्वारा स्वास्थ द्वारा १९७५ म अपनी जावडी जिविवान म दिय गय नन्तत का जनुमरण करते हुए निश्चय किया है कि सरकार वा विकास बाय लम्हत आय प्रक्रम द्वारा समाज के समाजवादी रूप की स्थापना की दिना म होगा।

योजना निर्माण में प्रगति—कुछ भमय पन्त तक योजना निर्माण के साम समाजवाद वा कम्यनिज्म यानी साम्यवाद की व्याप्ति रहती थी। समाजनारी और और कम्युनिस्ट हो इस शब्द और इम विचार के एकाधिकारी समग्र जान थ पर दो विस्त्र घड़ों के द्वीप के प्रचार वाल म पूजीवाद न भी योजना निर्माण के विचार म स्वाभाविक रूप स निहित युक्तियुक्त लाभा का अपना लिया। फैनिष्ट दरो ने (उदाहरण के लिए, जग री और इट्टी) जो पूजीवादी व समाजनारी या साम्यवादी समूहा (मावियत संघ) के प्रचार को निष्पत्त कर दिया वयाकि इहान स्पष्ट एक आर्थिक योजना बनायी। इस जातादी के चौय दशार म प्रैजिडेंट रजिस्टर का न्यूजील अर्थात् नयो अध्यवस्था आर्थिक योजना वा प्रतिपादन करन वाल नारा था। पात्तवी दशावदी

में भारत के पूजीपनियों ने बहुवर्षीय योजना के नाम से एक योजना बनायी और उनके बाद जन्मी-जन्मी भुजावले में दो योजनाएँ, अर्थात् जनना की योजना और गावोदादी योजनाएँ, पेश हुईं। १९४५ में दुह समाज होने के बाद से प्रत्येक देश में कोई न कोई योजना बनाई, जिसका यह परिणाम हुआ है कि जब योजना निर्माण शब्द बड़े-उद्धार समय पक्षियों की ही सम्पत्ति नहीं रहा है। यह विचार नया होने हुए भी दूर-दूर तक पहुँच चुका है। हर कोई या लगभग हर कोई इसके पक्ष में है।

यह पृथा जा सकता है, कि योजना निर्माण इतने आदर और फ़ैशन की चीज़ बनो दन गया। निर्दित स्पष्ट में उम्मा एक कारण यह है कि सोशियल सघ को १९३८ के बाद बनायी गयी उम्मी पञ्चवर्षीय योजनाओं में भारी मफ़लना मिली “हमी उन्नादन बहुत थोड़े समय में बहुत अधिक बढ़ गया, जबकि अमेरिकन अर्थ-यन्त्र जमी मरना-पड़ता ही चल रहा था, और प्रिटिश तथा फ़ैच प्रणालिया ठप हो रही थी। उम्मी समय जिनामु लोग पर्सिन की ओर देखने के बजाए, जैसा कि वे तीमरे दग्क में बरते थे, अब पूर्व की ओर देखने लगे। कोई अन्य देश एक पिछड़े हुए कृपि प्रधान राज्य में इतने शीघ्र एवं आधुनिक औचोगिक नक्ति में स्पान्तरित नहीं हुआ था।<sup>१</sup> पूजीबाद की, विदेश स्पष्ट से बौखे दग्क में, जनकर्त्ता ने योजना निर्माण में और दिलबसी की। एकाधिकार और उन्नादन पर रोक, तटकरो, मज़दूरों और उपनोक्ताओं के शोषण ने अच्छी तरह सात्रिन कर दिया कि एटम स्निध का ‘अद्वृद्ध हाथ’ उपनमो और समाज के हितों में ममन्वय नहीं कर सका था। दुह के दिनों में जब समाजों को सभाल बर रखने और उन्ह अलग अलग बातों के लिए बाटने को आवश्यकता मिर पर आ गई, तब प्लानिंग और भी अधिक लोडप्रिप हो गया। अनिम बात यह है कि विनष्ट की गयी पूजीन बन्नुओं के स्थान पर और बस्तुएँ लाने के लिए, मर्दीनों के मधारण में अपडेट होने वे लिए, विदेशी विनियन की बमी के कारण उन्हां रामान बरने के लिए और उपनमोग के लिए उपलब्ध मी-त मात्रा के उचिन विनरण के लिए युद्धोत्तर बाल में योजना बनाना आवश्यक हो गया। भारत में योजना निर्माण देश में सासाधनों वा अच्छी तरह उपयोग करके, उन्नादन बजाकर, और सब लोगों को समुदाय की सेवा में रोजगार पाने का अवमर देकर जनता के रहन-नहन के स्तर में द्वात् वृद्धि करने के लिए सविधान के निदेशक तत्वों की पूर्ति का मद्देन अधिक प्रभावी उपाय भालूम हुआ।<sup>२</sup>

### योजना निर्माण के अद्वेचक

कुछ लोग योजना निर्माण की दृढ़ि पर चिन्ना प्रवृट बर रहे हैं, और कुछ लोग इसे “हमारे दूग की महान् सर्वरोगहरजोपिष्ठ” या आधुनिक आर्थिक संगठन का अपरिहर्य भाग मान रहे हैं। प्रोफेसर ह्यक के विचार के अनुसार, योजना निर्माण

१. हैरिस—इवनामिक प्लानिंग, पृष्ठ १

२ First five year plan, p. 1

गुलामी का रास्ता है, जैसा कि जर्मन और डेशलियन अनुभव में प्रमाणित होता है। उनकी दृष्टि में योजना निर्माण और स्वाधीनता दोनों मायथ नहीं हो सकते और वे यह अनुभव करते हैं कि पूरी तरह नियन्त्रित समाज में पहले कही हवा नहीं जा सकता।<sup>१</sup> बर्गसुन<sup>२</sup>, जिम्मन, भाषणिज, हैल्म और बर्न<sup>३</sup> को पूरी तरह योजनावद अर्थव्यवस्था में (उदाहरण के लिए सोवियत मध्य) स्वतन्त्रता की बड़ी हानि, प्रयाम के उद्दीपन का असाध, उपभोक्ता की खर्चोच्चता का त्याग और सारे मुद्रायांकों नियन्त्रित करने में किसी भी केन्द्रीय अभिकरण को सहज असमर्पिता दिखाई देती है। प्रोफेसर जूडेस<sup>४</sup> का विचार है कि मनुष्य को इयनीतियां की गहराई और केन्द्रत वायोवित अर्थव्यवस्था मुद्रा मायथ रखती है। आपका मुकाबला है कि योजना-निर्माण अनु में प्रयोग आदमी को शून्य बना देता है, जैसा कि हम में है, जहा आजादी और स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था विसंचार है, यह जान ही पूरी तरह साक कर दिया गया। लोकनय देशों में भी उनकी हानियों पर विना विचार किय इमका जाल फैलाया जा रहा है। ये सब लेखक और उनके जैसे और वहन्मांकों को योजना निर्माण और योजना नियन्त्रिता पर मनह है, उनकी दृष्टि में योजनावद अर्थव्यवस्था में न्याय का अभिन्नत्व नहीं रहता। योजना-नियन्त्रिता को आज की बोक्ता नुहर कर वा घायल होता है, और वे हमसे भी त्याग के लिए सज्जवर बर देते हैं। वे कह को 'मिट्टी' का बायदा बरते हैं, और आज की रोटी भी परवाह नहीं करते, रोटी और मक्कवन की तो जान ही दोहिये रान्द्र्य हृष्णोंने तो अपने निराटे टग में कहा है, "वह कोर बच्छे भविष्य में दिवान आज की आजाशी का गद्यम प्रबल रुद्धम है, किंतु कामक लोग अपनी प्रजा पर नर्वया आन्ध्रनिक फर्गो के लिए सज्जवर अन्याचार बरता उचित अनुभव बरते हैं वजोकि उनमें मुहर भविष्य में किसी ममय वे कार्यनिक फड़ प्राप्त हुए साप्त है कि ये दशीद योजना निर्माण के मंडानिक मृत पर आधारित हैं। यहा नीं मुहर भविष्य बर्तमान बन मथा है और अब फड़ कार्यनिक नहीं रहे, बन्हि वास्तविक ही यहे हैं, जैसा कि मैं जीवन की उपत्ति में प्रवक्त हो गया है।

प्रोफेसर हेपेक और अन्य योजना-विरोधियों ने योजनावद अर्थव्यवस्था में आदमी की स्वतन्त्रता नए दो जाने की बात बहते हुए तर्क बीं एक आरम्भिक नुहर की है, जोकि दो जानों की स्वतन्त्रता, अर्थात् जर्मनी में योजना निर्माण और पारिषद वा एक मन्य होता यह मिल नहीं बरता कि योजना निर्माण से कार्यक्रम पैदा हुआ। सामान्य आदमी को अपनी स्थिति के बार में निश्चलता की जो आवश्यकता थी, उसी बा नारी नानाधारी न एमी चुराई में लाम रहता। आविक और आरम्भ

१ The road to serfdom

२ Socialist Economics

३ Collectivist Economic planning

४ Ordeal of Planning.

५ Science, Liberty and Peace, p 27.

अनिवार्यता के बाद जर्नों के लिए यह विचार कुछ आराम देने वाला था कि उन्हें मालूम है कि वे कहा सके हैं, चाहे के, जैसा कि घटनाओं ने मिल किया, बन्नों में ही पड़ गये। निवन्देह सभ में, जहाँ योजना निर्माण का पूरा विकास हुआ है, 'आजादी' अधिकतर नष्ट हो गयी, तो भी यह बात स्पष्ट नहीं है कि विहृत आजादी को गरीबों का परिषाम माना जाए का योजना निर्माण का, जिसे गरीबी और विनाश ने अनिवार्य बना दिया। इसमें बड़ा मन्देह है कि मदि सोवियत सघ में प्रति व्यक्ति उन्नीस आप होनी, जिन्होंने अपेरिक्स में है, तो वह आजादी पर इन्होंने अधिक रोक लगाना इसके अलावा, सभ में व्यक्ति की आजादी को कभी भी महत्व नहीं दिया गया और इस लिए रानिन ने इस बात में कोई कमी नहीं की प्रमाणना को बात है कि कुछ समय से सोवियत सघ ने अपने कठोर रखें में परिवर्तन कर लिया है।

लाइं बैबरिज,<sup>१</sup> 'दारवरा बटन'<sup>२</sup> कार्ल लैट्ट्वर,<sup>३</sup> बेब्रम<sup>४</sup> आर एच डानी,<sup>५</sup> स्टैशन शिप,<sup>६</sup> और अन्य समाजवादी तथा हमारा योजना आयोग एक ऐसी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को बात सोचते हैं जिसमें मनुष्य की आवश्यक आवादों बढ़नी रहेगी। उदाहरण के लिए, पुरुषोंने श्रिंगेर में योजना निर्माण कामी अपनी सीढ़ी तक पहुँच गया था, पर जावश्यक आजादी का यम रही। उम देश में व्यक्ति के मनचाहे जीवन में कुछ नीति से आगे दखनदादी नहीं हो सकती, यद्यपि लोग मनुष्याय के लिए अपने अन्य साधिकों के लिए, बहुत कुछ त्याग करने को भदा तैयार रहते हैं। भारत की अवलोकन सोवियत सघ और श्रिंगेर के बीच में है। हमारे यहाँ व्यक्ति को स्वतन्त्रता और नाय ही व्यक्ति की सरकार पर निर्भरता की परम्परा रही है। यहाँ व्यक्ति को दोषने और काम करने की आजादी देने हुए भी नान व्यक्तिवाद को नियन्त्रित करने की आवश्यकता है जिसने जनसाधारण का कल्याण हो। भारत का लक्ष्य यह बनादा गया है (और आशा है कि मह अन्तिम और अपरिवर्तनीय होगा) कि सोवियतीय प्रशिक्षा द्वारा समाज के समाजवादी हावे का विकास।

जहाँ लोकनन्दीय योजना निर्माण होता है, जैसा कि भारत और श्रिंगेर में यह कोई कारण नहीं कि उपमोक्षना की तथाकथित सर्वोच्चता और व्यक्ति की आजादी में कमी की जाए, सच तो यह है कि योजनाहीन समाज में औपन नागरिक उपमोक्षना की सर्वोच्चता से कोई नाता नहीं रखता, क्योंकि उसे यह पता नहीं चलता कि वह यह अधिकार मोग रहा है। इसके अलावा, स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में उपमोक्षना की सर्वोच्चता क्षमतामात्र है और यह दलील देना बेकार है कि योजना-

1. Full Employment in Free Society.

2. Freedom under Planning

3. Theory of economic planning

4. The decay of Capitalist civilization.

5. The sickness of an acquisitive society.

6. Towards Christian democracy.

दृढ़ अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की आजादी ख़ाल हो जाएगी। स्वतन्त्र उपकरण में उपभोग की सारी प्रवृत्ति और स्वतंत्र उपभोक्ताओं द्वारा निश्चिन विषये जाते हैं, उन लोगों द्वारा नहीं, जो बास्तव वे में वस्तुएँ उपयोग म लाने हैं, जो आदुनिक उद्योग प्रस्तुत बरता है। ट्रेड मार्क, विज्ञापन और उत्पादन में कमी और इस बजे बद्धतर उत्पादकों और व्यापारियों के सीधे संपर्क उपभोक्ता की सर्वोच्चता छोन लेते हैं। गईन-वाट प्रतियोगिता से बचने का नाम लेकर कीमतें उच्ची रखने के लिए बाजार बाट लिये जाते हैं। सीधी भाषा म कहे को समरण और माग की खीचतान में बाजार ढाल दी जाती है। आज के आधिक जीवन म स्वतन्त्र प्रतियोगिता, जो उपभोक्ताओं की रक्षण है, अपवाद है, नियम नहीं, मन तो यह है कि यह ख़ाल हो चुकी है। जाज की स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था नहीं है। कोई आदचये की बात नहीं कि समाजवादी यह मानते हैं कि बाजार की अर्थव्यवस्था बुनियादी तोर में अनेकिक है। वे बहते हैं कि लाभ का प्रेरक भाव, स्वार्थ, मग्निति और धन की अन्धी पूजा वे जन्म देता है। आप की विप्रमता समुदायों को एक दूसरे में सहानुभूति न बरने वाले सम्प्रदायों में बाट देनी है, और दोषपण को जन्म देती है। प्रतियोगिता में बेहमानी और धोखेवाजिया होती है, और उन्पादनों को मजबूरन रही और मिलावटी वस्तुएँ रखनी पड़ती हैं, और इसके बाद इसके स्थान पर एकाधिकार आ बैठता है। वहे व्यवसायी बाजार का शोषण बरते हैं। पर वहे व्यवसायी भावेजनिक जीवन की और सविधान मढ़ों को ग्राप्त बर देते हैं। धनियों द्वारा धन-दोषन वा आइम्बर और तहव-भटक बला में नुराचि और निनेक नप्ट बर देते हैं। धनी लोग शामल बग बन जाने हैं। दोप लोग आधिक आवश्यकता वे बारण उनके गुलाम रहते हैं। मनुष्य अपने लिए जिन अत्यायों की नापि बरते हैं, उन्हें राज्य द्वारा ही लोक-तोय योजना निर्माण द्वारा हटाया जा सकता है।

बाजाना-निर्माण की आवश्यकता—आज की दृनिया इतनी तेजी में बदल रही है कि छोटे-माटे परिवर्तनों की बात सोचना ही काढ़ी नहीं है। एक अन्य-विभिन्नित देश, जिसन बहुत दिन तक अत्यधिकाम के ट्रायरिणाम भोगे हैं, अनिवार्यत तेजी से और बहुत सी दियायों म प्रगति बरता चाहता है। ऐसा योजना निर्माण में ही होता सम्भव है। विस्तृत सामाजिक उद्योगों की मिल्डि के लिए स्वतन्त्र उपकरण पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। भरकार की और स कार्यपरता ही आवश्यक है। मालिक और मजदूर अपना-जपना लाभ विक बरते वो बोकिश में बही उत्पादन बरने हैं, जिसमें लाभ की समावना हो। पर यदि वे गलत हिमाव लगा बैठे या माग के अनुमार चलने से इन्कार करते, या यदि वे अद्यत हा ता अवश्य हाथ (visible hand) उन्हें तुरन्त ख़ाल बर देना है। इसी प्रकार गत्य द्वाग या मजदूरों के मध्येजनों द्वारा अधिक मजदूरी पाने के लिए दस्तावेज़ी भी निष्क्रिय है। आधिक नियम इन कार्मों का बदला देने वाली और पूजी के मूल्य म कमी द्वारा रेते हैं। इमलिए स्वतन्त्र आधिक प्रणाली में देयकिनक आदमी को उठ भारी लाभ की सम्भावना दिखाकर ही उसने पूजी लगवायों जा सकती है। काफी बचत की प्रेरणा

देने के लिए आमदनी की विषमता आवश्यक है। योजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था स्वनन्द उपभ्रम में न केवल इस कारण बढ़ता है कि इसमें सबका रोजगार मिलन का निष्ठव्य होता है, बल्कि इस कारण भी कि इसमें मामहिक रूप से बचाने और पूँजी लाने का काम हो सकता है और उनके लिए धनिक वर्गों को प्रलयनन देने की जावशक्ति नहीं। जानवृत्तकर योजनावद्ध और नियन्त्रित प्रणाली में, जैसा कि युद्ध म होता है, आमदनी की विषमता वास्तविक कार्यक्रम के ज़माली अन्तर तक हो जाती है। और वह मध्यनि के जारीमिक वितरण की विषमता के कारण उनकी नहीं होगी। जब एक बार लाभ का प्रत्यक्ष भाव दूर करके उनके स्थान पर राज्य वित्त और राज्य नियन्त्रण के लाया जाएगा, तब जायका अधिक अच्छा वितरण विद्या जा सकता है।

महकों रोजगार, या इस दिमां में स्थिर प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी प्रणाली के परिचारन में वर्षया जमान है। जीवोगिक दृष्टि में बहुत आग बढ़े हुए दशों में भी मारे याल वे रोजगारी की सद्वी-सम्बी बतारे रहती हैं। मौसमी बरोजगारी और थोटा रोजगार बरने वालों की तो बात ही क्या, जिनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे राज्य में योजना निर्माण जरूरी है। लोकनन्दीय योजना निर्माण में सबको रोजगार देने के लिए विशेष रूप में मनुष्य, जल्दि पर बैगा नियन्त्रण नहीं करता होता। जैसा स्थ या जमनी में किया गया था। व्यक्तिगत प्रजावादी प्रणाली भी योजना अनिवार्यता के काम नहीं करती। कीमत और लागत के सम्बन्ध, जो बाजार के तन्त्र में होते हैं, मालिकों को दिखाले द्वारा और मजदूरों को बेरोजगारों द्वारा वे परिवर्तन बदलने को मजबूर करते हैं, जिन्हे वे अन्यथा न जपनाने। विलकुल गगड़ी वा भय हीं माम के अनुसार उत्पादन की दिशा बनानी है। स्वनन्द भयं व्यवस्था के विचार प्राप्त औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना देन है। योजना निर्माण इन समस्या को अभिय मध्यना में सभाल मक्ता है। पिर, उभावनाओं की अलग-अलग इच्छाओं का तृप्ति योजनाओं का एक मात्र बुनियानी तत्त्व नहीं है। लोकतंत्र में गिया वे लक्ष्य सास्त्रिक मूल्यों पर आधारित होने हैं जिन्हे अधिकार नागरिक वैयक्तिक रूप की अपेक्षा भमुदाय के सदस्यों के रूप में अधिक महत्व देने हैं। उचित आचार शास्त्र की दृष्टि से योजना बद्ध अर्थ-व्यवस्था प्रणिन्दाओं वाली प्रणाली की जपना अधिक सुनोपननक होती है। इसमें यह ममादना पैदा होती है, कि आर्थिक सम्बन्ध मनुष्य मात्र को बन्धुता के विचार में अधिक मेल खाने हैं, और कि वहुपा हानिया और लाल वैयक्तिक गुण या दोष पर निर्भर होते हैं। केन्द्रीय योजना निर्माण के बारा लोग जपनी इच्छा में अमदात, भूमिकान और सम्पत्तिदात करते हैं।

योजना निर्माण से इनी तरह वे विशेष सुधार करने में भी मुश्किल हो जाती है, जो योजना निर्माना करना चाहता है। भारत में ममाजवादी दण के ममाज का विचार केन्द्रीय योजना निर्माण द्वारा ही हो सकता है। योजना निर्माण से आर्थिक विषमताओं के कम करने का रास्ता खुल जाता है। योजना जापों ने किया है, "मोरुरा अवस्थाओं में आर्थिक और मामाजिक परिवर्तन की प्रणा गतीयों के

कारण और आमदनी ममतनि और लड़के को विषयताओं के कारण पैदा होते हैं। स्मृष्ट है जि मौजूद इन जीनेवे निरन्तर बाटवर गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। और यिह उपायदन दृष्टाने का लक्ष्य रखने वाला बायंकम भी मौजूदा विषयताओं का नहीं होता मत्ता। इन दोनों विषयों में एक साथ प्रगति ने दे लवस्याएँ पैदा हो मौजूदी है, जिनमें मौजूदाव अपनी उनति के लिए अधिक प्रत्यन करे मौजूदा नामांकित अर्थात् टाच में अधिक जिक्रलाल के मांग-परिदृश्यत मात्र बासी नहीं। टाच का दुकान बनाना हुआ, जिसमें यह इन दुनियादी आवश्यकताओं का उन्नयनर लिखित पूरा कर सके, जो आदम बरतने के लिकार, पर्वान आमदनी के अधिकार, धिक्कार के अधिकार और दृष्टाये, शोभाये और अन्य असमर्थताओं के विस्तृद दोनों वालिकार की मार्गों के नए में प्रवर्ट होती है। योजनावद अर्थ-व्यवस्था ही लोकलियों को द्वारा इन लक्ष्यों को सिद्ध करने में महायक हो सकती है। इस प्रकार योजना नियां धनियों के अधिक जीवन और राजनीतिक लोकनव में पैदा होने आर्थिक विषयताओं का दूर करने की समस्या हड्ड तरन में महायका देता है। भास्तु के द्वारा नन्द वा वदा महत्व है। हमारा इन और जीवनन्तर यथासम्बन्ध कम भव्य सम्बन्ध में बासी अधिक दृढ़ जाना चाहिए। उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जिसमें हाड़ इनाम की दाता भोजन में पहुँचे हमें विद्यालय और वोपचार्य दबाना है। जिसाई भास्तु पूर्ये न पहुँचे हमें रोटी-दाढ़ की व्यवस्था बरनी है। स्वनन्त्र उपकरण इन विषयों के लिए देता है। यह विभीतियों द्वारा एकाधिकार का बदाना देता है। कार्ड केन्द्रीय प्राधिकरण ही समाजन वा प्रवाह उपर्युक्त मार्ग में कर सकता है।

योजनावद अर्थ-व्यवस्था की दूर की बनजोरियों में, नियन्त्रण करने के लिए दबाने जाने वाले लोकनव की लागत, और मंगटन के 'बृहत्' होने के कारण अद्यता पैश हो जाने का नहीं है। योजनावद अर्थ-व्यवस्था में दृढ़ दृढ़ नौकरानी चाहिए, जैसों कि हर दृढ़ मंगटन में होना आवश्यक है, चाहे यह स्वनन्त्र उपकरण के सफ में चाहाया जाए। और इसकी मन्त्रिय शक्ति की मात्र पर राज लकान की समाव-नाम दृढ़ बन है। इस अवधि योजना के भीतर वाम करने वाला प्राप्ति सखारी विकास यह देखता है कि इस योजना के अन्तर्गत पर मन्त्री आवश्यकता होती है। इनमें दुनिया की हर दाता के 'विनापन दबाउ' होने लाने हैं। यह मुविदित है कि नियो व्यवहार में बारदोरियन जिसमा वदा होता। प्रयासनीय अस्फरों व मर्दूरों का अनुसार भी उत्ता ही वदा होता। योजनावद अर्थ-व्यवस्था इस प्रकर की और आगे दबा देती है। विनापन दबाउ वर्षकाग्र रखना चाहता है। प्राप्ति सचावाह एक उपचारात्र आहता है, इत्यादि। योग जो समाजनाओं और दुहियों भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिरिक्त वर्षभारिरा की मात्र को जाएगी। ठार में देखने जे यह मात्र डबित है, जिसका विरोध करना कठिन है। इधर दरकारों की नियुक्ति जो नियन्त्रण करने वाला राजकीय विनापन मित्र-व्यविता रायु बरना चाहता, जो भास्तु जैसे बढ़ देणे में असम्भव बाये है। उद-

बड़े नौकर तन्त्र होने के आर्थिक परिणाम स्पष्ट हो हैं। उपरिव्यवस्था बहुत बड़े हो जाने हैं, और उन्हें उत्पादन को उन वस्तुओं पर नहीं डाला जा सकता, जिनमें वे हुए हैं। परिणाम होगा व्यास का कुविनण्ठ और अन्त में अद्वितीय। कोशिश यह होनी चाहिए कि नीकरतन्त्र छोटे से छोटा रहे, और वफ़मरों की मन्द्या अनावश्यक रूप से न बढ़े यह बात समझ में आने वाली है, कि जागृतिक सरकार, जिन्हे मूँद काल में और उसके बाद बड़े-बड़े सरगठनों का प्रबन्ध करने का बहुत अनुभव हो गया है, योजना बड़े अर्थ व्यवस्था को बदलने के प्रयत्नों में मफ़ल होगो। फिर देश के साधनों के व्यवस्थित प्रयोग में होने वाले लाभ उम्म अद्वितीय की तुलना में बहुत अधिक होंगे जो देन्द्रीय नियन्त्रण और सचालन होने के मामण्य अन्यायी रूप से पैदा होगी।

पर आजकल कुछ भूम्यों की बड़ी ज़रूरत समझी जा रही है, और उनके बारे में बड़ी चेतना और आप्रह है। आर्थिक उन्नति का अर्थ मौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक साधन सूझा कर देने से कुछ अधिक है—इसमें सामाजिक नेतृत्वों की व्यवस्था होनी चाहिए। जन-सामान्य को अधिक अवमर मिलने चाहिए और सबको समाज सम्मता और न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए। मुक्त या बाराहीन व्यापारकों प्राप्ति होनी चाहिए व्यापार को प्रगती में यह कार्य मिल होना अनुभव है। सारे समुदाय के आर्थिक क्रियाकलारों का लगातार और सचेत सामूहिक निर्वाण करने के अर्थ में योजना निर्माण परमावश्यक है, जो व्यक्तियों के प्रयत्नों को दिखा, उद्दीपन और सहायता दे।

सफल योजना-निर्माण के लिए आवश्यक बाबें—विभलना से बचने के लिए कुछ दुनियादी और आवश्यक शर्तों का होना चाहीरो है। इनलिए योजना आयोग ने सफल योजना निर्माण के लिए आवश्यक राजनीतिक और प्रशासनीय शर्तों पर बहु दिया है। ये निम्नलिखित हैं—

(क) समुदाय में भौतिक के लक्ष्यों के बारे में बहुत कुछ जरूरी ज्ञान।

(ख) राज्य के हाथों में कार्यसाकृत शक्ति, जो नागरिकों के सक्षिय सह्योग पर आधारित हो, और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उम्म शक्ति का सचाई और दृढ़ महत्व के माय प्रीति, और

(ग) दश प्रशासनीय व्यवस्था, जिनमें आवश्यक सामर्थ्य और योग्यता वाले वर्मचारी हों।

मर्वापिक्कारवादी देशों में यह ममला जासान है। लक्ष्य का निश्चय शामको ढारा किया जाना है और जनता को उम्म लक्ष्य के लिए काम करने को मजबूर किया जा सकता है। लोकतन्त्र में जहां मरक्कार को जनता के मस्फूर प्रान्तिर होता पड़ता है, उद्देश्य का निश्चय समुदाय ढारा किया जाना है। साथ्यों और सामनों के बारे में समुदाय की एकता ही योजना और उम्म के निष्पादन के पीछे अन्तीम बहु होनी है। उत्पादन के लिए प्राप्त मनवानाओं ने किसी एक पार्टी के कार्यक्रम को स्पष्ट रूप में पमन्द नहीं किया है। इसका परिणाम अन्धिरता इसलिए लोकतन्त्र में सफल योजना निर्माण के लिए एक पार्टी को जनता का प्रचुर समर्थन प्राप्त होता चाहिए।

कारण कि उद्देश्य बना लेना आसान है, और उन उद्देश्यों से जनता के सहमत न होने पर उससे उनके लिए काम कराना कठिन है। किसी योजना की सफलता बहुत हद तक सखारी मन वी दशता और ईमानदारी पर निर्भर होती है। स्वयं लड़प पर नहीं। इसलिए अन्त में हम यह कह सकते हैं कि उद्देश्य जनता के बड़े बहुमत को स्वीकार होना चाहिए। सरकार जनता के गमर्थन के जाऊर पर अकिञ्चित और उद्देश्य सिद्धि के लिए काम करने में समर्थ होती चाहिए। सीभार्य से भारत में यविधान में ही उद्देश्य लिख दिया गया है, और उस सबने स्वीकार घर लिया है। इसे सरकार की १९५५ में की गई समाजवादी फ्रेके समाज बनाने की नीति में और प्रमुखता मिल गई। समाजवाद शब्द से बचने हुए, क्योंकि इसका अर्थ होगा वितावों में लिखे हुए सिद्धांतों के अनुसार चलना, प्रधान मनी श्री नेहरू ने यह प्रस्ताव किया था कि हमारा लक्ष्य किसी सास राजनीतिक विचार या वाद से बिना बधे समाज को ऊँचा उठाना होना चाहिए।

योजना निर्माण की सफलता के लिए एक विस्तृत और अन्तिम उद्देश्य के अलावा अधिक सुनिश्चित और तात्कालिक लक्ष्य भी होने चाहिए। जैसे युद्ध के दिनों से युद्ध जीतना उद्देश्य होता है, वैसे ही शान्तिकाल में किसी योजना का उद्देश्य बहुत से उद्देश्यों में से एक या दो हा सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर ऊँचा करना। ये सब प्रश्नमनोय और उचित उद्देश्य हैं। पर ये सब एवं साथ पूरे करना सम्भव नहीं। सामान्यतया हृषि और उद्योग का विकास करने के आपेक्षिक महत्व के बारे में मतभेद है। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग खोले जायें, या बुनियादी उद्योग अधिक कुटीर और छोटे उद्योग खोले जाएं या मिल उद्योग, अधिक और अच्छी शिक्षा या सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता का उद्योग स्थापित करने या फौज खड़ी करने की आवश्यकता में विरोध होता है। यदि ससाधन अभीमित हों तो एक साथ सब उद्देश्यों की ओर बढ़ा जा सकता है। पर यदि ससाधन योग्य नहीं तो योजना निर्माण की आवश्यकता ही नहीं। जब तक ससाधन पर्याप्त हैं, तब तक पहले-पीछे का निश्चय करना ही होगा। उदाहरण के लिए, इस में यह की मद्द योजनाओं का उद्देश्य भागी उद्योग खड़े करना था, जिसका यह परिणाम हुआ कि उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी बढ़ी रही। पर उस उद्देश्य की वृद्धिमत्ता दूसरे विश्व युद्ध में सामने आ गई। मुस्यन इस के सहनाहों के उत्पादन और युद्ध ने अन्य साधनों ने ही हिटलर को, युरोप में खूब सफलताएं होने के बाद, इस से लदें दिया।

इसलिए अल्प ससाधनों का साधारणी से क्रियाव लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध और साधीनता के तुरन्त बाद बनाई गई बड़ी-बड़ी योजनाएं छोड़ दी गईं, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उन पर अमल करने के लिए धन नहीं है। यह नहीं है कि कुछ हृद तक धन की बड़ी को 'हीनार्थ वित्तपोषण' (Deficit Financing) द्वारा, अर्थात् देश के बेन्द्रीय बैंकों में सरकार के क्रप लेने के द्वारा पूरा किया जा सकता है। पर अभीमित और लगानार हीनार्थ प्रित्तपोषण से

कीनों चढ़ती ही जातेहों और इनका प्रबोचन नहीं हो जाता। हीनांप्रे विश्व पाठ्यक्रम तो ही बाढ़नीहै वर्दि सर्वस्मृत लूप में यह निश्चय ही कि कोई नहीं चढ़ते। कीनों का चढ़ना या ना उत्थान में या समरण में बृद्धि करके, अपना कीमती और विवरण पर दृश्य सरकारी निष्पत्रण द्वारा नक्का जा सकता है। हीनांप्रे विनाशन का माना में रखने का व्यवहार है कि योजना पूरी करते हें तिए आवश्यक इन अधिकारण अनुका की चालू जानकारी में ये प्राप्ति बहिर्भूत चाहूं यह सरकार द्वारा जिये रखे करों के परिणाम छोड़ दें, यथका किसी रूप से बचत द्वारा याए। इन बात में योजना पर धनता के नियमित तेज की अप्रभवता पाया जान्ती है। योग्य छोटी कार्य-के तिए बन विवाह और लगाव करने जा उठे स्वीकार हुए। इन्हीं ही (धारण इन भी प्रतिक) मन्त्रक की बात मानवीय और भौतिक समाज में है। किसी नये और नोयिक या उत्थान नामधर्म को दमुखा और स्थान, सीमेंट और कोमला आदि नीतिहृदयनुसार द्वारा ही नक्का जा सकता है। यात्रिक मण्डन इन्होंना लाइक है कि दोनों दमुखा की कमी सभी लकड़ी तक सकती है। समाजना और बन की बदलावी में बचत के लिए प्रगतिशील कुमाल और अनुमदी कर्मचारी जानानी में नियम बदलने चाहिए। कुछ हड्ड तक विदेशी नहीं परन्तु इन कर्मियों को दूरा कर यानी है, पर यदि विदेशी देश को दिना दिना के और पर्याप्त उत्पन्न करनी है तो यहाँ उन्हें जाने ही सहाय्यी पर नियंत्रण दर्जा होना चाहिए।

विदेशी देशों को गणनावृद्धि कूप करने में इस तर्फ का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के विभीं नमूने का और भारत मदाज का भवित्व का अध्यार पृष्ठे भे नहीं जाना जा सकता। योजना उच्चीलों हीनी काटिए और उन्हें ऐनेन्हर फेर दिये जा सकते चाहिए जो पहले न योग्य गई दौरीयतियों के काला अवसर हो जाए। यो यजदाहरण के नेतृत्व में मात्र १२५६ में दृष्टिरेखा जाह इण्डियन चेम्बर्स जाह कान्दे एड्ड इण्डियन के मानने वाले दृष्टि इन बात पर बन दिया था कि ऐने युव में जो “मुण्डनक दृष्टि” (Qualitativeely) जीवन काढ में लानार अप्रिक नियंत्रण जाना है, हने वाले नीतियों में लकड़ रखनी चाहिए। पर इनक नियंत्रण न बन जाना चाहिए, और “लचीले दिवार” पदार्थों का उपयोग नीति स्वयंसी यात्रिक परिवर्तनों का बहाना न बन जाना चाहिए। जैसा कि बाहर नियंत्रण दिया गया है, स्वयं दौर्घटना के नियोजन का वर्षे यह है कि आपकि प्रणाली ने कम्भी परिवर्तन दो जानें। योजना को पहले से उन परिवर्तनों का जनन करके उनके लिए अत्यधिक अवसरा करनी चाहिए। उत्थानण के लिए अविह और बच्चों योजना का जर्वे यह है कि दिन रोबार के यजमत्तों में इन्होंने ही बृद्धि न हुई तो योजना बेशेषणों की स्थिति बढ़ पायेगी। परिणाम नहीं होना है तो भारत की योजना निर्माण का जागर ही कम्भी न होगा, योग्य विभिन्न वेशारा ही स्थिति एक नियंत्रण दर्ज है। इनके लिए नियंत्रण (Integrated) कार्यक्रम की जागरण करा है। बच्चों का उत्थान बदले के बाद उनीं युवाओं में परिवर्तन की नुवियार दर्जी

चाहिए, जिसे वस्तुएँ उपभोग के स्थान पर अवश्य पहुँच सके। परिवहन की स्वाक्षरता किसी योजना को आमानी में तहम-नहम कर सकती है।

मम्भाव्यन मन्त्री महत्वपूर्ण योजनावाला यह है कि एवं केन्द्रीय प्रायिकरण हैं, जो योजना बनाए और जिसे इसे कार्यान्वयन करने के लिए काफी शक्ति है। प्रायिकरण को योजना और इसके वायों के लिए मन्त्री उत्तमात्मक महत्वोग्य प्राप्त होना चाहिए। लोगों को यह विचार स्वीकार कर लेना चाहिए कि योजना में उन्हें भी कुछ त्याग करना होगा, और यह त्याग इसके पड़ की दृष्टि ने करना भवित्व उत्पन्न होगा। तब जनना की शक्ति को अनीष्ट कार्यशील म लाना होगा। और दूसरे दोनों को जो आवश्यक समझा जाना है, छोड़ना होगा। ऐसा हो सकता है कि हम योजना को स्वीकार कर ले, पर बाद में मिलीजु़ुगी और केन्द्रीयकृत कार्यवाही के बनुमार अपने आपको ददर्शने के लिए तथ्यार नहीं। इस तरह का खतरा भारत में भी हूँदा है, अन्य-जगत् राज्यों की स्वायत्तता प्राप्त है, और वे साधिधारिक दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के द्वारा में निर्देशों का पालन करने में इनकार कर सकते हैं। भीमाय से सब राज्य सरकार उसी दल के हाथ में है, जिसका केन्द्र में शासन है और मिलकर परामर्शों द्वारा मतभेदों को दूर कर लिया जाता है।

### भारतीय योजनाएँ

यह कहा जा सकता है कि भारत के आर्थिक योजना निर्माण के बीज १९३१ में नियन्त्र काले के बराची अधिवेशन ने थोड़े थे। काशीम ने "महत्वपूर्ण और बुनियादी इच्छाओं" के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में विचार प्रकट किया था। १९३८ में श्री जवाहरलाल नेहरू की अव्यवहारा में राष्ट्रीय योजना भवित्व बनाई गई, जिसने कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें तथ्यार कीं। युद्धकाल में योजना निर्माण की ओर सरकार और जनता दोनों का ध्यान गया। युद्ध समाप्त होने से पहले भारत सरकार ने एवं योजना विभाग बनाया। प्रग्निद्वारा इंडियन चार्टर ने बभाव और यत्य मुक्ति को भी युद्धन राष्ट्र सम्बन्ध एवं लक्ष्य घोषित किया। भारत सरकार ने भी यह घोषणा की कि इस पृष्ठ भूमि में "भारत को प्रथमी युद्धभूर्व की नीतियों पर फिर ने विचार करना होगा और पिछों कुछ दिनों में भी गर्द प्रगति का नम्बोद्धा लगाना होगा। और इन पुनर्विद्वान्त के प्रकाम में ऐसी नीतियों की न्यू-रेन्वा बनानी होगी, जिनका लक्ष्य आर्थिक दौर सामाजिक वायों के सब क्षेत्र में यगदित विकास होगा।" विकास अभ्यर्ता की नियुक्ति और देनड रिपोर्टें निशाने के अलावा कोई तत्त्व की बात नहीं हुई। १९४३ में स्वादीन होने के बाद योजना निर्माण एवं ज्वरन प्रकल दब गया। मविदान के अनुच्छेद ३८ और ३९ के अनुमार सरकार का कर्तव्य कि थह नवायों आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए कान करे। हम पहले यह देख चुके हैं कि निर्देशक मिटानों में ऐसे आर्थिक और सामाजिक दावे की गई हैं, जो सब नामाखियों के लिए अवमर की मुस्ता, नामानिक न्याय, बाम करने के अधिकार, पर्सनल मजदूरी के नियंत्रक और कुछ

सामाजिक सुरक्षा परेजापारित हो। नेशनल कांग्रेस के जवाहेर अधिवेशन के बाद मेरोजना निर्माण का उद्देश्य सब ने यह मान लिया है कि "लोकतनीय समाजनों से समाज के सभाजवादी ढाँचे को स्थापना।"

मार्च १९५० में योजना आयोग स्थापित करके एक महत्वपूर्ण बदल उठाया गया। अधिवेशन में विहित भिद्दानों की पूति की दृष्टि से योजना आयोग से कहा गया कि वह—

१. देश के भौतिक, पर्यावरणीय और मानवीय समाजनों का, जिसमें दैनिक लोग भी शामिल हैं, निर्माण करे और इनमें से उन समाजनों को डाढ़ाने की मनावनाओं पर विचार कर, जो राष्ट्र की जावस्यकताओं की दृष्टि ने न्यून है।

२. देश के सभाजनों के सबसे जटिक प्रभावी और सन्तुलित उपयोग की योजना बनाए।

३. पहले-पीछे का निश्चय करके यह निर्देश करे कि किस कम से योजना को कार्यान्वित किया जाए और प्रयोक्ता की उचित पूति के लिए धन देने का प्रस्ताव करे।

४. वे बाने बनाए जिनमें आधिक विकास में बाधा पड़ती है, और वे अवस्थाएँ बनाएं, जो चालू सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखने हुए योजना के मुक्त निष्पादन के लिए स्थापित करनी आवश्यक हैं।

५. योजना के प्रयोक्ता अवस्था के मुक्त पूति के लिए जावस्यक व्यवस्था वा स्वरूप निर्दिष्ट करे।

६. ममद-ममद पर योजना की प्रयोक्ता अवस्था को कार्यान्वित करने में होने वाली प्रगति की मूलता दे, और मर्दि कोड नीति या कार्य सम्बन्धी प्रयत्न करते आवश्यक प्रतीत हो तो उनकी मिशनरिश करे।

७. ऐसी बलरिम या सहायक मिशनरिश करे, जो उसे अपने को सोंगे रखे कर्तव्यों के निर्वाह में सुविधा करने के लिए उचित प्रतीत हो, या सौबूद्धा जार्यित व्यवस्थाओं में प्रबलित नीतिया, वावों और दिक्षात कार्य-क्रमों पर विचार करते पर जयवा दन भवन्याओं की जाव करने पर, जो केन्द्रीय या राज्य भरकारे द्वारा मालाह के लिए उनके पास भेजे जाएँ, उचित प्रतीत हों।

योजना आयोग की स्थिति बहुत ऊची है—वह इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के बाद आता है। इनके अन्तर्गत प्रभाव मर्दी है। यद्यपि वास्तविक अधिकार योजना आयोग के उपसभापति और दो दो दूरी दूरीमात्राओं के द्वारा मैं है। शोचिनामन देशभूत और श्री गुलजारीगढ़ नन्दा दोनों मर्दी भी उमर्दे भविष्य हैं। इस ढाँचे ने योजना के निर्माण में सरकार के दृष्टिकोण पर विचार होना मूलिक नहीं जाता है। इनके अनिवार्य राज्यीय विकास परियोग है, जिसमें केन्द्रीय मर्दी और राज्यों के मुक्त मर्दी है। योजनाओं पर यह परियोग और अवश्यान्वितों की एक समिति विचार करती है। योजना का प्रारूप लोकमन जानने के लिए प्रशाशन किया जाता है। इनके बाद प्रारूप भवित में जाता है, और इनके बाद योजना अनिवार्य हो ले जाती है। राज्यों

पर असर ढालने वाले सब मामलों में राज्यों ने नियमित दृष्टि से परामर्श किया जाता है। योजना अन्तिम रूप से तयार हो जाने के बाद योजना आयोग इसे वार्षिकता करने के लिए सखार के पास भेज देता है। योजना आयोग योजना की प्रगति पर सदा दृष्टि रखता है और उसमें हुई प्रगति पर प्रति छ भास में रिपोर्ट देता है।

पहली पचवर्षीय योजना वा भारतम् १ अप्रैल १९५१ में हुआ था और इसका समय ३१ मार्च १९५६ तक पूरा हा गया। दूसरी पचवर्षीय योजना १ अप्रैल १९५६ से खुर हुई। दोनों योजनाएँ इस दीर्घकालिक उद्देश्य के अपण भाग हैं कि १९५१ से आरम्भ वरके २७ वर्षों में जनना का मीझदा जीवन स्तर उगता हो जाना चाहिए इससे पता चलता है कि देश के सामने जनेक योजनाएँ आयेगी।

### पहली पचवर्षीय योजना

पहली पचवर्षीय योजना उम समय सोची गई थी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी कठिनाइयों में से गुजर रही थी। युद्धकालीन कमिया और युद्धोत्तर काल की बढ़िनाइया विभाजन से और बड़ी थी जिसने हमारे दो महत्वपूर्ण इस्तेगो—कपड़ा और जूट—को बच्चे सामान से जमिनाशन वचिनहर दिया। अनाज की गम्भीर कमी थी, अरबों रुपये का विदेशी विनियम जनाज मण्डाने में प्रयुक्त हो रहा था। भयकर दुष्प्रिय घटनेयत्ते वारचाल बन गया था। कपड़े वीं दड़ी कमी थी और इसी तरह सीमट और इस्तान दुर्भाग्य थे। रेल नद्य डिव्वा के न आने से परेशान थी, और परिवहन का अभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के मार्ग म गम्भीर रुकावट था। बीमते चढ़ रही थी और थोक कीमत का निवेशाक १९३९ की अपेक्षा ४०० प्रतिशत था और्दोगिक उत्पादन गिर रहा था। परिणाम यह था कि आवादों में वृद्धि के साथ जीवन स्तर तेजी से गिर रहा था। बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गई थी और चारों ओर असन्नोपछाया हुआ था। इस पृष्ठभूमि में पहली पचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ। इसका एक मुख्य उद्देश्य रहन-नहन के स्तर की गिरावट को रोकना था। इन गम्भीर समस्याओं को हल बनाने के लिए योजना की जावशक्ता थी। पर धन सीमित मात्रा में ही था और कर या बचत द्वारा भी सीमित मात्रा में ही धन इवट्ठा किया जा सकता था। इसलिए एक छोटी योजना बनाने के सिदाय और बोई चारा न था।

पहला स्थान हृषि को दिया गया था जिसमें सिंचाई और शक्ति भी शामिल थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जनाज और बच्चे सामान का अधिक उन्नादन हमारे उद्योग का चलता रहने के लिए बहुत आवश्यक था। हृषि भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। और यदि यह पर्याप्त सत्रह न हो तो जोई भी प्रगति गम्भ नहीं हो सकती। यदि जनाज बहुत सम्भान हो, और यदि आवश्यक बच्चा सामान बहुत मात्रा में प्राप्त न हो तो भारत के लिए जन्मी ही उद्योग का विस्तार बरका असम्भव है। उद्योग खेनी के बिना बहुत दूर नहीं चल सकते, और खेनी उद्योग के बिना। योजना आयोग ने बहुत या कि जनाज और उद्योग के लिए जावशक्त बच्चे

मानन के उन्नादन में सर्वात बृहि हुए बिना जीवीभिक विकास की जैवी भवि कार्यक्रम असम्भव है। इन्हिं उद्दोग के विकास में राज्य वा कार्य, विज्ञी और परिवहन के विकास को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भी दिया ही था। परिवहन में भी मुख्य लड़न कर था कि परिवहन प्रगार्ह को फिर से समर्थ बना दिया जाए और वह नहीं था कि दूसरे दृष्टि जगत्क विनाशक किया जाए। इसी प्रकार मामाकिक सेवाओं में भी भीड़िन पैदा लगाया गया। नियंत्रित अक्ष में यह प्रकट होगा कि विकास के विविध क्षेत्रों में कुल परियावर्त उद्देश्य (Total projected outlay) किया गया—

	करोड़ रुपये	कुल का प्रतिशत
भौती और सामुदायिक विकास	३६७	१३५
सिवाय	१६८	५१
दृष्टि परियोजन नियार्थ और		
शक्ति परियोजनाएँ	२६६	१२९
शक्ति (विवरण)	१२७	?
	————	————
	९२२	८८६
परिवहन और नवाचार	५१३	२६०
उद्योग	१३३	८४
नामांजिक नियार्थ	३६०	१४
पुनर्वासन	८१	४१
बन्ध	५२	२९
	————	————
कुल योग	२०६९	१०००

कुल २०६९ करोड़ रुपये का उद्देश्य भरकारी क्षेत्र का था। नियंत्रित उद्योगों के लिए भी कुछ उच्च उद्यम योग्य थे जिनकी पूर्ण नियंत्रित क्षेत्र को यथाता पैदा लगाकर करनी थी। नियंत्रित क्षेत्र में थोड़ोगित विनाशक क्षेत्र के लिए जावेश्वर कुड़ पूर्वों नियोजन २३३ करोड़ रुपया आका गया। इन क्षेत्र में मुख्य चौड़े थे यी—लोहा और इसान ४३ करोड़; देशोन्नियन थोड़े वारसाने, ६४ करोड़; नीमेल, १५४ करोड़; लुम्पिनियन, ९ करोड़, खाड़ भारी रम्पाल्य और पावर जलवोल्ट, १३ करोड़; और नियंत्रित क्षेत्र में अनियंत्रित यिवर्णी १६ करोड़। भरकारी सेवा में छोटा पर १३ करोड़ रुपये का व्यय, कई जमुरी योजनाओं को पूरा करने के लिए एवा रहा था। जैसे विनाशक इंजन फैक्टरी, भारतीय जीजार फैक्टरी नवागे गडी के लिए डिजे वी फैक्टरी, मिट्टी के साइके के वारसाने का विनाशक और इसान का एक नया कारखाना।

कुल २०६९ करोड़ रुपये का उद्देश्य अन्य-अन्य राज्यों में इस तरह बाढ़ रहा था—

	करोड रुपये
केन्द्रीय सरकार	१२४० ५४
आसाम	१७ ४९
विहार	५७ २९
दम्बिंदी	१४ ४४
मध्य प्रदेश	४३ ०८
भद्रास	१४० ८४
उडीसा	१७ ८४
पंजाब	२० २१
उत्तर प्रदेश	१७ ८३
पश्चिमी बंगाल	६९ १०
हैदराबाद	४१ ५५
मध्य भारत	२२ ४२
मैसूर	३ ६०
पैसू	८ १४
राजस्थान	१५ ८१
सौराष्ट्र	२० ४१
त्रिवाकुर-कोचीन	२७ ३२
जम्मू और कश्मीर	१३ ००
भाग 'ग' के राज्य	३१ ८७

योजना का वित्तीय आधार निम्न प्रवारथा—

	राज्य		
केन्द्रीय सरकार (जम्मू कश्मीर सहित)	कुल योग		
वायोजित उद्द्यय	१२४१	८२८	२०६९
दजटीय सासाधन	३३०	४०८	७३८
(१) खालू राजस्वों में बचत	३९६	१२४	५२०
(२) पूँजी प्राप्तिया (सचितिया में से लिए गए धन को छोड़कर	२२९	२२९	..
(३) भीतरी अन्त सरकारी व्यवस्थान्तर (अर्थात् केन्द्रीय सहायता)			
विदेशी सासाधन जो प्राप्त हो चुके हैं।	१५६		१५६
कुल योग	६५३	७६१	१४१४

योजना आयोग ने लिखा था, "जैसा कि योजना के वित्तीय समाधनों के अन्दाजे में दिखाया गया है, सरकारी विकास कार्यक्रमों के लिए शेष ६५५ करोड़ रुपये या तो और अधिक बाहरी सासाधनों से, जबकि भीतरी वरों द्वारा और उधार लेकर तथा हीनार्थ वित्तपोषण (Deficit Financing) द्वारा प्राप्त करने होंगे।" ३०० करोड़ रुपये के लगभग हीनार्थ वित्तपोषण सोचा गया था।

वाद में परवरी १९५४ में वित्त मंत्री ने घोषित किया था कि पहली पच-

वर्षोंमें योजना पर २२३ करोड़ रुपये की अविविक्त राशि खर्च की जाएगी। इनका उद्देश्य मुख्यतः बट्टी हुई बेकारी को दूर करना वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत्य सेवन का।

लक्ष्य और सहजनाएँ—निम्नलिखित तालिका में ३१ दिसंबर १९५४ तक मुख्य दायरे और उनकी संख्या दिलाई गई है। (इनी नियि नक्श आवृत्ति निलेते हैं)

### पहली पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और संकलनाएँ

		१९५०-५१	१९५३-५४	संकलना
		आवार वर्ष (योजना लक्ष्य)	में अविविक्तता	योजना लक्ष्य की हितने प्रतिशत
१.	इष्टि उन्नादन			
	अनाव (दमलाल टनों में)	५४०%	३६	११४
	हुई (लाल गाढ़)	२१३	१२६	९६.२
	जूट (लाल गाढ़)	३२८	२०९	६१.५
	गुड़ (लाल टन)	५६२	३०	५००
२.	विद्युतीय (इन लाल किलोवाट)	२३	१२	०५
३.	सिक्काई (लाल एक्ट)	५००	११३	५१
४.	ओद्योगिक उन्नादन			
	सिनिरड इन्सार			
	(लाल टन)	९८	६३	१४.९
	मीटेंट (लाल टन)	२६९	२११	८३.५
	अन्तर्राष्ट्रीय घटकेंट			
	(हवार टन)	४६	४०४	८५.६
	इवत	७	१५३	७९
	जट वन्नुए (हवार टन)	८९२	३०८	३८
	मिल वन्न			
	(१० लाल गव)	३३८	१८२	११८
	नाइकिल (हवार)	१०१	४२९	४३.८
	तटीय नीकहन			
	(हवार G R T)	२१३	१६५	७१.८
५.	शास्त्रीय राजस्व			
	(हवार मौल)	११९	०६	०.३
६.	जिला और स्वास्थ्य			
	प्राथमिक विद्यालय			
	(हवार)	१७३	३८	१६
	जूलियर वेनिश स्कूल			
	(हवार)	३१०	१६	२२
	विविधालय			
	(हवार विवर)	१०६५	१०३	४८

\* आवार वर्ष १९४९-५० है। + १९५७-५८ तक प्रातंश्य लक्ष्य

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि पहली पचवर्षीय योजना सन्तोषजनक रिति से पूरी हो रही है। कुल व्यय में कुछ बमी रह जाना शायद अनिवार्य था, यद्यपि कुछ मदों में व्यय लक्ष्य को अनेक अधिक हुआ है। उदाहरण के लिए, रेलों ने पाच वर्षों में ४३२ बरोड रूपये खर्च किये हैं जबकि उनवा लक्ष्य लगभग ४०० बरोड रुपये था।

पहली पचवर्षीय योजना के परिणामों का मूल्यांकन करने समय योजना आयोग ने दूसरी पचवर्षीय योजना के प्रारूप में इस प्रकार कहा है।

“प्रथम योजना के उद्दीपन की अर्थन्यवस्था पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। कृपि और औद्योगिक उत्पादन में प्रचुर बढ़ि हुई है। कोमों एक युक्तिमय मतहृ पर आ गई है। देश की विदेश साने लगभग सनुलिन हैं प्रथम योजना में रखे गये महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे हो गये हैं। उन में से कुछ में तो अधिक उत्पादन हुआ। इन पाच वर्षों में लगभग १ करोड ७० लाख जमीन में मिर्चाई होने लगी है, और विजलो पैदा करने के लिए कारखानों का सामर्थ्य २३ लाख किलोवाट में बढ़कर ३४ लाख किलोवाट हो गया। रेलों के पुनर्वास में बहुत प्रगति हुई है, और मिजी क्षेत्रों में बहुत से औद्योगिक कारखानों ने उत्पादन धूँधू बढ़ा दिया है। दूसरी ओर, योजना में लोहे और इस्पात का एक नया कारखाना खोलने की जी व्यवस्था भी वह बहुत थोड़ा दूर तक चल सकती है। और सामुदायिक परियोजनाओं, जिज्ञा, ग्रामोद्योगों और छोटे उद्योगों जादि के व्यय में बमी रही है। कुल मिलाकर, इसमें कोई मन्देह नहीं कि अर्थन्यवस्था को बड़ा बल मिला है। योजना ने दीर्घकाल से गतिशील चली जाती हुई स्थिति में एक नया गतिशील तत्व प्रविष्ट कर दिया है। इसलिए ५ वर्ष में राष्ट्रीय आय अनुमानत लगभग १८ प्रतिशत बढ़ी है। यद्यपि शुरू में लगभग ११ प्रतिशत भी आशा थी। सरकारी क्षेत्र में १९५५-५६ में विकास व्यय १९५१-५२ की सनह में डार्इ गुना ऊपर था। निजी क्षेत्र में प्रायः आशा के अनुमार पूँजी लगी है। यह सब निकाम अर्थ व्यवस्था में दिना अत्यधिक दबाव पड़े या असनुल्लन पैदा हुआ है। योजना में जनना से बहुत सह्योग और सहायता मिली।”

### दूसरी पचवर्षीय योजना

पहली पचवर्षीय योजना पूरी हो जाने पर खेती को सबसे पहला स्थान देने की आवश्यकता नहीं रही। यद्यपि अभी बहुत समय तक खेतों के विकास पर बहुत ध्यय बरना होगा। दूसरी पचवर्षीय योजना में मुख्य बल उद्याग और परिवहन के विकास पर है। “योजना का मुख्य उद्देश्य जारीक वृद्धि (Economic growth) है, जिसका अर्थ है उत्पादन करने के सामर्थ्य में बढ़ोनारी, न कि उत्पादन में इस प्रदम में मानवीय योग्यता और वीशल का विकास भीनिह नमायनों को सनाक में कम महत्व का नहीं। विकास के लिए तई विविधों को अपनाना और समाज के सत्यापक ढांचे को नया स्प देना और शक्तिशाली बनाना भी आवश्यक है। दूसरी पचवर्षीय योजना को उपलब्ध बस्तुओं और सेवाओं के प्रदान को बढ़ाना है, और मस्थात्मक परिवर्तन

के प्रबन्ध से जाये चालगा है।

इनी पचवर्षीय पोजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं—

(१) राष्ट्रीय आदमे भेदी वृद्धि, दिनांक देश में रहने-सहित वा स्तर हेतु हों। यह जाना है कि पोजना के अलंकार राष्ट्रीय भाषा १९५५-५६ में १०८०० करोड़ रुपये है बजार १९६०-६१ में रुपया १३,४८० करोड़ रुपये हो जाने का जाना है। इसका जर्म यह होमाकि प्रति व्यक्ति आदमे में १८ प्रतिशत की वृद्धि (१९५५-५६ के ८८३ में १९६०-६१

पिकास के मुख्य ग्रीष्मको के अनुसार पोजना उद्घार

	प्रथम पचवर्षीय पोजना		द्वितीय पचवर्षीय पोजना		
	कुल योग करोड़ रु.	प्रतिशत	कुल योग करोड़ रु.	प्रतिशत	
१ वेदी और भास्त्रादिक विचार	६०३	१६	५२५	१२	
२ निकाई और शक्ति	६६१	२८	८९८	१८	
३ उद्योग और स्थानिक :					
वडे-पौनाने के उद्योग, वैज्ञानिक					
संवेदना और नविन	१४९	५	६११	११	
आन उद्योग और शोधेयमाने					
के उद्योग	५०	१	२००	४	
४ परिवहन और संचार :					
रेलवे	२६८	१२	१००	११	
महान और छोट परिवहन	१४६	६	२६५	६	
पोजनाएँ					
नीमटन, कन्दरणाह आदि	५८	२	१००	२	
ट्रैक, तार और					
शाइर्स्ट्रिंग, नासिक					
उद्योग आदि	८८	४	११९	२	
५ नामादिक सेवाएँ					
गिरा	१६१	—	३८०	—	
स्वास्थ्य	१४०	—	२६३	—	
पर्यावरण आदि	३१	—	१५९	—	
भवान निर्माण	६३	—	१२०	—	
कुल योग	१३६	—	७०	—	
६ प्रशिक्षण	४१	—	८१६	—	
	कुल योग	८३५६	१००	४८००	१००

में ३३०), जबकि पहली योजना की अवधि में बढ़ोतरी १० प्रतिशत (२२५ रुपये से २८० रुपये) हुई है।

(ख) दूसरे उद्योगोंके विकास पर बढ़ दिया जाएगा।

(ग) रोजगार के अवमरो वा बड़ा विस्तार। हृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में ८० लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की सम्भावना है, जबकि हृषि सम्बन्धी विकास कम रोजी पाने वालों की अवस्था में काफी मुश्कार करेगा।

(घ) आर और धन सम्पत्ति में विप्रमत्ताओं को बहु व्यरता और आधिक नियन्त्रण का सम वितरण। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये सब लक्ष्य परस्पर सम्बन्धित हैं। पृष्ठ ६६३ पर दी गई तालिका में विभिन्न शीर्षकों के नीचे व्यय दिखाए गये हैं। तुलना के लिए पहली योजना सम्बन्धी तालिका भी दी गई है।

उपर्युक्त तालिका से यह प्रबल होगा कि यद्यपि पहली योजना की तुलना में पूर्वतार्थ (Priorities) बदल गई है, तो भी खेती और मिचाई तथा विजली पर अधिक धन खर्च किया जाएगा। इन दो शीर्षकों का योग दूसरी योजना में १४६३ करोड़ रुपये है, जबकि यह पहली योजना में १०४३ करोड़ रुपये थे। ऊर योजना की जो न्यू रेला दी गई है, वह मिक्क सरकारी धेन की है। निजी धेन में दूसरी योजना में २३०० करोड़ रुपये लगाने की जाता की जाती है। ७१०० करोड़ रुपए के इम पूजी नियोजन वा अर्थ मह होगा कि इम मम्प धूजी नियोजन का जो स्तर राष्ट्रीय जाय वा ७ प्रतिशत है, वह १९६० -६१ तक १२ प्रतिशत हो जाएगा।

दूसरी पचनर्पीय योजना के लिए वित्तीय समाप्तियों का मोटा तस्मीना इस प्रकार है —

चलू राजस्वों से वचत	करोड़ रुपये
(व) बारों के मौजूदा स्तर पर	३५०
(ख) अनिरिक्त कर	४५०
	—
	८००
जनता से उदार	
(व) दाजार नह्न	७००
(ख) छोटी वचन	५००
	—
	१२००
अन्य वज्रटीय योन	
(व) विकास कार्यनम	
में रेलवे वा अगदान	१५०
(ख) भविष्य निवि और अन्य नियोप	२५०
	—
	४००

विदेशी सहायता	८००
हीनार्थ वित्तस्रोपण	१२००
सेप कमी	४००
	—
	४८००

इसमें कोई सन्देह नहीं कि दूसरी योजना पटली योजना की अनेक अधिक बड़ा लक्ष्य लेकर चली है। कुछ लोगों को इन कारण इसकी व्यवहार्यता में सन्देह है कि वासी योजना ऐसी बाजों पर निर्भर है जैसे विदेशी सहायता, हीनार्थ वित्तस्रोपण और 'ईए कमी'। यह तर्क पेता जाना है कि योजना म जिनसे बड़े हीनार्थ वित्तस्रोपण वीं बात सोची गई है, उसने कीमते चटना और गुदान्फोटि होना जबरदस्तभावी है। अनीन बाल में हीनार्थ वित्त पोषण के कोई गम्भीर परिपालन नहीं होते थे। पर कुछ समय से थोड़ और अनाज वीं कीमत चढ़ रही है। निजी क्षेत्र ने भी इस बाजार पर योजना वीं आलोचना वीं है जिनकी क्षेत्र का अधिक कार्य नहीं दिखा गया। दूसरी ओर, योजना-निर्माणाओं को विकास है जिनका जनना का सहयोग मिलने पर योजना वीं सफलता के माध्य परा किया जा सकता है। उनकी दृष्टि में अनाज की कीमतों में हाल म हुई बढ़ि १९५५ में कृषि पदार्थों की कीमतों में, हुई गम्भीर गिरावट में सुधार मात्र है। योड़ कीमतों के निम्नलिखित निरूपणाका में यह बात स्पष्ट हो जाएगी।

१९५२=१००

वर्ष	सब वस्तुएं	खेती की वस्तुएं	निमित्तिया
१९५२-५३	३८० ६	४४८	३३१ २
१९५३-५४	३९७ ५	४०९	३६३ ४
१९५४-५५	३३३ ४	४४२	३३३ २
अप्रैल	३४५ ४	३६३	३३३ १
मई	३४५ ५	३५७	३७४ ६
जून	३४२ ५	३६०	३३० ०
जुलाई	३५५ ६	३९२	३३० ९
अगस्त	३५७ २	३९८	३३१ २
नितम्बर	३५४ २	३९६	३६८ ८
अक्टूबर	३५७ २	३९६	३३१ २
नवम्बर	३६५ ०	४०५	३३३ ३
दिसम्बर	३६८ ४	४२१	३३३ ०

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि १९५२-५३ के मध्य कृषि वस्तुओं की कीमत तो ५ प्रतिशत घटी, और निमित्त वस्तुओं की कीमत बढ़ी। १९५३-५४ और १९५४-५५ में किसानों के लिए स्थिति और विगड़ी। मई १९५५ तक

खेती की वस्तुओं की कीमते तेजी से गिर रही थी, पर निर्मित वस्तुओं की घोक कीमते स्थिर थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस अवधि में खेती-पेशा लोगों की कीमतों में गिरावट से बड़ा नुकसान हुआ। पिछले कुछ महीनों में स्थिति कुछ दूर तरफ सुधरती है। पहली योजना में हीनार्थ वित्तपोषण से कीमतों का फुलाव हुआ नहीं वहाँ जा सकता। तथ्य तो यह है कि निर्मित वस्तुओं की कीमत भ योड़ी गिरावट हुई। अनाज की कीमतों में सितम्बर १९५५ के बाद कुछ बढ़ोतरी हुई, पर धू-बाढ़ के कारण हुई बतायी जा सकती है, जो देश भर में सितम्बर-अक्टूबर के महीने में आई थी। यह निष्कर्ष निश्चिन्त होकर निकाला जा सकता है कि अभी तक ऐसा कोई सवैत नहीं मिला है कि वर्धन्यवस्था वा हीनार्थ वित्तपोषण को सहने वा सामर्थ्य पूर्ण हो गया। साधानी और देखरेख ढारा मुद्रास्पीति से पूरी तरह बचा जा रहता है। दूसरी योजना के बड़े परिणाम के पश्च में एक युक्ति यह है कि आर्थिक विकास के मामले में हम बहुत पूर्व-पूर्व बदम नहीं रख सकते। हिम्मत और मनवंता भे आग बढ़ना अच्छा है, डर के मारे रहे रहना अच्छा नहीं।

दूसरी पचासीय योजना में प्रस्थापित मुख्य लक्ष्य इस प्रकार है—

वस्तु	इकाई	उत्पादन			१९५५-५६ वी अरेका प्रतिशत वृद्धि
		१९५०-५१ में	१९५५-५६ में	१९६०-६१ में	
अनाज	१० लाख टन	५४०	६५०	७५०	१५
मई	१० " गाढ़	२९	४२	५५	३१
तिलहन	१० " टन	८१	५५	७०	२७
जूट	१० " गाढ़	३३	४०	५०	२५
सिलाई बाग क्षेत्र	१० ' एकड़	५००	६७०	८८०	३१
विजली	१० ' किला	३३	३४	६८	१००
लोह वी खनिज	१० लाख टन	३०	४३	१२५	१११
कामला	१० लाख टन	३२३	३६८	६००	६३
निर्मित इस्पात	१० लाख टन	११	१३	४३	२३१
एलमिनियम	१० लाख टन	३३	७५	२५०	२३३
मशीनी थोजार	लाख रुपये	३१८	७५०	३०००	३००
सीमट चीनी मूती					
वहन और बागज					
की मरीनीरी	लाख रुपये	—	५३५०	२८०००	४२३
अटोमोबाइल	अदद	१६५००	२३०००	५७०००	१४७
इजन	अदद	३	१३०	३००	७६
टवटर	अदद	—	—	१६०००	—
सीमेण्ट	१० लाख टन	२३	४८	१००	१०८

वाइ	हजार टन	१०	४८०	२२००	३५८
समावित एमिड	हजार टन	९९	१६०	४५०	१७१
या गढ़क या तेजाव्र					
मोड़ाएन	हजार टन	५९	८०	२५०	२१३
कार्पिक मोड़ा	हजार टन	११	३५	१२०	२४३
द्रव पेट्रोलिन	दम लाल्ह र्मैल्न				
की बन्दुरे		—	७५०	८९९	२०
विज्ञों के					
ट्रान्सफरमर	'०००KVA	१३३	५२०	८८०	६९
विज्ञों के केवल					
(ACSR कम्पक्टर)	टन	१४८०	९०००	१५०००	६९
कारब और गना	हजार टन	११४	१८०	३५०	९४
माइक्रो	हजार	१०१	५००	१०००	१००
मिल्ड मधीने	हजार	३३	९०	२२०	१४४
विज्ञों के पर्ये	हजार	११४	२७९	४५०	६४
रेल्वे बोझा	१० लाल्ह टन	—	१२०	१६२	३५
मड़े	हजार मील	१०८९	११५०	१२४६	९
नीचहन या जहाजरानी	लाल्ह GRT	३९	६०	९०	३३

इसमें पचवर्गीय योजना की ऊपर दी गई स्परेन्स लॉक्सन जानने के लिए प्रमुख बीं गई है। कुछ ही दिनों में यह अनिम रूप में आ जाएगी और इसकी विस्तार में प्रशासित किया जायगा। हमारे प्रयावर के लिए इसमें अग्रे ५ मालों के बाइ विम आकार और नमने की मरम्मत की आगा की जाती है, उमशा कारों स्पष्ट चिप मानने जा जाता है। वहाँ योजना की मरम्मत परिस्थि में यह बात निष्ठ हो गई है कि 'मरम्मत की विज्ञ' के नियम की जगह महोरों के नियम न लेली है। लिए कुछ बरों में जहा कही जनता ने नहीं काशा गया, वहा उसने उन्मुक्ता के माध्यम प्रोतों दिखा है। यह मनोरोप की बात है कि राजनीय विस्तार नेवा और मानवाधिक योजना भरों में सरकारी बच्चे को ल्यभार ३१ केंगोड रायों की राणी के मुद्रादारों में स्वेच्छा में इद गदे महोरों की ओजन १९ करोड रुपये में अभिक आकी गई है। अमरदान में और मानविक कल्याण योजनाओं तथा अन्य स्वेच्छावाहन

समझनों में जनता ने उनकी सफल परियोगिता में हिस्सा लेने की इच्छा और उत्साह प्रदर्शित किया है। आशा है कि और वडे लक्षणों की प्राप्ति के लिए जनता दूसरों योजना को पहली बारे क्षेत्र अधिक सफल बनाने के लिए और अधिक उत्साह और प्रबलता में बाम बरेगी। भारत कठोर परियोग द्वारा ही आधिक पिठटेपत की दखदल से निवाल सतता है। जड़ता के स्थान पर स्फूर्ति, परवरता के स्थान पर आत्म विद्वान्, भावा के उपान के स्थान पर आत्म नियन्त्रण, स्वार्थ के स्थान पर सामाजिक जिम्मे-वारी और वेंडमानी के स्थान पर ईमानदारी लानी जरूरी है। अधिक वडे सामाजिक कार्याण का यही बड़ा और मन्त्रा रहना है। इसी तरह हम मव स्वस्थ और जदम्य जीवन शुभित वाले सामाजिक संगठन को मजबूत बुनियाद पर बड़ा कर सकेंगे।

## अध्याय :: १८

# वैज्ञानिक प्रबन्ध

**थर्य और क्षेत्र—**वैज्ञानिक प्रबन्ध का अब यह है कि व्यवसाय समग्रों में दशताविदियों का प्रयोग किया जाये। इसके लिए सारे नियावलीप को ध्यान में रखा जाना है और प्रत्येक अवस्था में 'मर्वन्टम' आ ग्रेव बनाकर दण्डियां बोंदेखा और लिखा जाना है, इसके बाद उन परिणामों को अधिक से अधिक लोगों द्वारा जाना है, ताकि हरेक लोग वह पता चल जाए कि क्या लिखा गया है, और ताकि प्रत्येक कर्मकार के कीड़ा, अनुभव और प्रेक्षण उसके महत्वमियों तथा सारे व्यवसाय के लिए मुल्लन हो जाए, और शिक्षात्मक विभिन्नों और आदर्शों में अपनाये जाने हैं। परमन के अनुसार, 'वैज्ञानिक प्रबन्ध' शब्द, मन्त्रभोजन सामृद्धिक प्रयास में, समग्र और प्रतिग्राम के द्वय स्वयं का बाबू है जो वैज्ञानिक अनुसाधान और विद्येयण के प्रबन्ध से दोनों दिशाओं पर धारारित है, न तिरुहड़ि पर, या धानुभवित रौति से अपवा आवभिद्ध स्वयं में निर्यातिरित नंतियों पर।" इनलिए यह "नियमों की एक श्रेणी है—विद्यमें भौतिक और प्रशान्तनीय तरों और विशिष्ट प्रबन्ध व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली। उपर्युक्त पदावली भी प्रयुक्त होती है—जिन्हें उपादान के निपत्रण-प्रबन्धों में एक नवीं इड़ना लाने के लिए, एक पद्धति के द्वय में दद्दु वर्त्ते चार्यान्वित निया जाना है।" (जोन्स)। मध्येत्र में, वैज्ञानिक प्रबन्ध इस बात को दर्यार्थ स्वयं से जानने की बला है कि क्या वरना है और उने वरने का नवोत्तम तरीका क्या है। इस पद्धति में कार्य-विधि को वैज्ञानिक ढग में सोचा जाना है, कर्मकार वैज्ञानिक टग ने छाटा जाता है और उन कार्यों को पूरा बरने के लिये उसे प्रशिक्षित किया जाना है, और अभिवत्तम दशता को चार वैज्ञानिक ढग में तय की जाती है। नव तो यह है कि यह एक ऐसा प्रबन्ध है जिसमें कोशल, प्रबन्धकर्त्ताओं ने कर्मकार को प्राप्ति कराया जाता है, इस तरह के परिवर्तन के लिए अदेखित अक्षर यह है जो स्वयं काम बरके दिया सके।

शब्द में इस विधि का विस्तार इन्हींनियरी डिपोर्टमेंटों के लिए हुआ था, क्योंकि इनके जन्मदाना फ्रेटरिक टेलर का सम्बन्ध उन उद्योगों न था, परन्तु शीघ्र ही इसे प्राप्त मव निर्माणशालाओं ने अपना किया था। जब यह मव प्रकार के व्यवसायकारों पर लागू की जानी है। तथ्य तो यह है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध के नाम में प्रधिद्वनियम-नहिना मव आविद्ध और मन्त्रान्विक नियावलाओं पर लागू की जा रखनी है। टेलर ने किया है; "इसे हमारे पर के प्रबन्ध में, छोटे-बड़े व्यापारियों के व्यवसाय में, चर्चों, सोसोसियारों मध्यांत्रों, विद्यविद्यालयों और मन्त्रालयी विभागों के प्रबन्ध में लागू किया जा सकता है।" तथ्य तो यह है कि नियर्स, नॉन दग्गालिङ्गों में व्यवसायों द्वा वैज्ञानिक

दुष्टि में औसत ५० प्रतिशत दम्भना नहीं है। इनको के एक बड़े भारी कारखाने में आई की व्यवस्थित प्रभावी और स्थिति प्रगति के लिए ७५ प्रतिशत मशीनों का स्थान बदलना पड़ा। इस तथा अन्य स्थानों (Wastage) के रूप जाने में उन्हाँन दम्भना हो गया और मजदूरी की लागत कम हो गई। १८८८ टेलर ने देखा कि वैद्यन्त्रिक स्ट्रील कम्पनी के याँ में निमुक्त अनुग्रह अधिक की घट्ट दम्भना २५ प्रतिशत थी और इमरेशन न एक नीति की सुदृढ़ी करने वाले मजदूरों की टोली के काम का जायजन करके दम्भना के बढ़ १८ प्रतिशत थी।

इस जोन<sup>x</sup> न दिना है पद्धति-कारकों ने देखा कि (क) घबे और स्ट्रिडो द्वारा निर्दिष्ट विविध और उनको करने के प्रचलित तरीके स्फूर्त और अपव्याप्ती थे, (ख) कि अधिकतर औजार और उपकरण बड़ी लापरवाही में काम में लाप जाने थे (ग) कि मव बगह कारीगर वे काम कर रहे थे जिनके लिए व उपमुक्त नहीं थे और व अधिकांशन न तो यह बात जानने थे और न यह जानने थे कि व जिन काम के लिए उपमुक्त हैं, (घ) न तो कारीगर और न प्रबन्धक (मैनेजर) ही यह जानना था कि किनी काम को करने में किनना समझ लगता चाहिए और किसी प्रथम कोटि के आइनों को एक दिन में किनना काम कर सकना चाहिए, (ङ) जिन अवस्थाओं में काम होता था, उन्हें कभी भी इनका नियन्त्रित नहीं किया गया कि यह पना चलना रह सके कि कोई काम अनुकूल हुआ तो वह कारीगर के कारण हुआ था किसी ऐसी अवस्था के कारण, जिस पर उनका काढ़ नहीं था, (च) अधिकांशन प्रबन्धक काम में हैं वाली देरी और काम करने वालों को प्रतिदिन होने वाली परेशानियों की, जो अनुमुक्त अवस्थाओं के कारण पैदा होती थी, जिसमें अनुभव नहीं करने थे। तीन बर्फ तक इन पद्धति-कारकों ने इन समस्याओं का जध्यन किया और उन सबने यह नियन्त्रित निकाला कि वैज्ञानिक नियंत्रण द्वारा जो दम्भना प्राप्त हो सकती है, उनकी तुलना में देश के उद्योगों की तकाँन दम्भना लगभग ५० प्रतिशत थी।

इस टेलर ने कारखाने के प्रबन्ध म वर्क जम्ह अपने मिछानों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। उनकी दो प्रमिड सहचनाएँ वैयक्तिक स्ट्रील कम्पनी में कच्चे लोहे को नमालने और उठाने के तरोंके के सम्बन्ध में थी। अपने अनुभवानों में टेलर ने देखा कि एक प्रथम कोटि के आइनों को प्रतिदिन ४८ टन लोहा नमाल सकना चाहिए परन्तु औनन मिले १८। टन दैनिक था। समस्या यह थी कि मजदूरों से बिना क्षणडा किये, बन्किंग और उन्हें भतुरा करने, अधिक काम कैमे निकलवाया जाय। एक ऐसा मजदूर द्याया गया जो दिन के बन्त में भी बैसा ही तरहाना दिखाइ देता था, जैसा दिन के शुरू में और जो मिन्नेवी हथा घन कमाने को उन्हुँ करता था। वह यह नहीं जानता था कि ये प्रथम कोटि का आइनी, अर्थात् ४८ टन लाइ कर १८५ डालर कमा नहीं बाज़ा हूँ। टेलर ने उन्हें कहा कि जब तुमने विश्वास के लिये कहा जाए, तब विश्वास करो, और जब काम के लिये कहा जाए, तब काम करो। उस प्रथम कोटि के आइनों को

<sup>x</sup> एडमिनिस्ट्रेशन आर्क इंडस्ट्रीजल एट्लाइवर, पृ० २८०।

मजदूरी करने में सकृता हुई । पर यदि वह अग्राधन्य काम करता जाता तो वह दोपहर स पहिले ही बक्कर चकनाचूर हो जाता । उस मनुष्य की सार दिन की गतिविधिया का समय तक तक के लिये निश्चित हो जाने से, जब तक उस ठीक समय पर काम करने की आदत न पड़ जाय, वह दबहो गया और वह मजदूर प्रतिदिन कुल ४८ टन काम करते रहा । एक और मनारजवा तर्ज पर मालूम हुआ कि ८ मिस ७ मजदूर अनुप्रयुक्त थे । व अपने लिये गलत काम पर नियुक्त थे । उनमें से प्राय सबका दसी वारकान म वैज्ञानिक उपयोग काम पर लगाया गया । फावड बालों के उदाहरण श वैज्ञानिक प्रबन्ध का एक और पहलू मामा जाता है और वह है अवस्थाओं वा समजन (Adjustment) । यह देखा गया कि एक प्रबन्ध काटि के फावड बाले के लिये सभी उपयोग का भार २१ पौँड था । फावड काम के अनुसार अलग अलग तरह कहा थे । हर एक जादमी के अपना फावड रखने के लिये वाला खत्म कर दिया गया और प्रत्यक्ष जादमी को पहले से तैयार किया हुआ ठीक बौजार दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि थोड़ा बोल उठाने का मामला खत्म हो गया ।

**आवश्यक विशेषताएँ और घारणाएँ—** इसलिए टेलर की सम्मति में प्रबन्ध-वर्ती के तीन मुख्य अवधिय हैं (१) प्रत्येक मनुष्य के काम के लिए जैसे चाहे वैसे काम करने के लिए एक 'वैज्ञानिक आवार' का विकास करना, (२) वजाय इसके कि मजदूर स्वयं अपना काम चुने या उसे बिना सोचे किसी काम में लगा दिया जाये, चाहे वह इसके लिए उपयुक्त हो या न हो, मजदूरों को छाटना और प्रशिक्षित करना, (३) मजदूरों के साथ सच्चे नेतृत्व वी भावना से सहयोग करना, वयाकि उद्योग एक मिलजुल कर किया जाने वाला काम है, किसी से जबरदस्ती कराया जाने वाला काम नहीं । टेलर का विचार है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध म सबसे मुख्य बात यह है कि काम याजनावद्व रीति से किया जाये । प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की याजना एक दिन पहिले स बना ली जाये । इसका अर्थ है कि एक नया कार्यालय बनाया जाए और इसके अपने बर्मचारी हो । पर इससे दक्षता प्राप्त होती है । प्रत्येक व्यक्ति को उसका काम निर्दिष्ट करने वाली एक पर्ची मिल जाती है, जिस पर उसके काम का समय और निश्चित विधि लिखी रहती है । यदि वह इसे पूरा कर ले तो उसे अपनी समय मजदूरी पर दक्षता बोनस मिलता है । फोरमैन और सुपरवाइजर सहयोग करने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर पथ प्रदर्शन करने के लिये होते हैं, पर के मजदूरों को हावने के लिए नहीं होते । इस प्रकार, वैज्ञानिक प्रबन्ध का लक्ष्य विवेकहीन विधिया के स्थान पर वैज्ञानिक विधिया का सम्प्रयोग है । असामजस्य के स्थान पर सामजस्य का वायुमण्डल बनाना, उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना, व्यटिवाद के स्थान पर सहयोग को प्रतिष्ठित करना और प्रत्येक जादमी को उसकी अधिकतम व्यक्तिगत दक्षता और लक्ष्यों के विन्दु तक उत्तर बरना है । टेलर ने आगे लिखा है कि इसका परिणाम यह होता है कि मालिक और मजदूर, दोनों को अधिकतम समृद्धि प्राप्त होती है, योगिता उत्पादन बढ़ जाना है और लागत कम हो जाती है, और पारस्परिक प्रेम पैदा होता है जिसे वह

शायद सबमें बड़ा लाभ समझता है। विस्तृत दृष्टि से देखें तो इससे सारे ससार को पहिले से अधिक लाभ होता है।

इसलिए वैज्ञानिक प्रबन्ध के लक्ष्य और धारणाएँ अनेक और विविध हैं और टा० जोन्म के शब्दों में उन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है (१) विदेषज्ञों के दल विद्यमान होने से कारखाने के प्रबन्ध की सब शाखाओं में, अधिक उच्चकोटि की थेट्टना की प्राप्ति के लिए, प्रशिक्षित मस्तिष्क मिल जाने हैं। (२) यह उपस्थर (Equipment), जीजारो, बस्तुओं, कार्य की दशाओं और कार्य की विधियां में सुधार करता है, और उनका प्रमाप (Standard) कायम रखता है, (३) यह अभिन्यास (ले-आउट), मार्ग निश्चय (हॉटिंग), ममद-क्रम (शैड्यूलिंग), नामपद्धति, खरोद, मश्रूह, और लेखे में प्राप्त पूरी तरह परिवर्तन कर देता है, और उन्हें सुधारता है, (४) नियन्त्रण वरने वाले अभिवरणों में अधिक सह-प्रबन्ध होने से कार्य अधिक सुचारू हृष्प से चलता है और किसी कार्य में देरी, गलती, दुर्घटना या उपेक्षा नहीं होती, (५) इसके सत्वर कार्य करने से समयपर हिदायत मिल जाती है, निरन्तर पथ-प्रदर्शन होता रहता है, तात्पालिक लक्ष्य बनते रहते हैं और तुरन्त पुरस्कार मिलता रहता है, (६) यह तथ्य और सिद्धान्त की सोज करता है, जिससे विवेकहीन शासन सत्त्वम होने की प्रवृत्ति रहती है, (७) इनमें विदेषज्ञ कार्यकर्ताओं के पारस्परिक निकट सम्बन्ध के द्वारा वैयक्तिक आदेशों का क्षेत्र कम हो जाता है (८) तत्त्वालंत्यार और पूरे अभिलेखों से प्रकाशन और प्रचार हो पाना है, और वे एक प्रकार की युक्ति-सम्भा बन जाते हैं, (९) प्रया, बनुमान, और विवेकहीन आदेश का स्थान परिस्थुद जान ले लेता है और इस तरह मजदूर काम से बचने, या काम ठालने, अथवा बहुत तेज काम करने, और यक्षान से सुरक्षित रहना है, (१०) जब दर्जे के प्रमाणों से, जो इसकी साथ विशेषता है, छटकर मजदूर अपने लिये सबौत्तम काम पर पहुंच जाने हैं और सबके सब शिक्षित और ऊर्जामय हो जाते हैं, (११) सारे कार्य में ऊचा प्रमाप कायम रखकर प्रबन्ध और आदिमियों के लिये मजदूरी बढ़ाने, काम के घटे कम करने, लान में वृद्धि करने और उपभोक्ता के लिये भजदूरी बढ़ाने, काम पर हर एक सम्भव साधन बन जाता है। (१२) अन्ततः, अंतर्राष्ट्रीय विचारणा की एक शाखा के रूप में, वैज्ञानिक प्रबन्ध, उत्पादन के कारकों पर विश्लेषण की वैज्ञानिक विधि का सम्प्रयोग करने पर नया बल देता है, और उस पर भरोसा करता है। मह भरोसा इस विश्वास के कारण कायम रहता है कि उत्पादन की वृद्धि के हारा ही सब वर्गों को अधिक समृद्धि प्राप्त हो सकती है, जिससे इस वृद्धि के जरिये धर्म और पूजी के द्वितीय सामग्रस्य हो सके।

### वैज्ञानिक प्रबन्ध के कुछ पहलू

अच्छी तरह व्याख्या के लिए वैज्ञानिक प्रबन्ध के सिद्धान्तों को, कुछ पहलुओं या नामों में समूहबद्ध किया जा सकता है। नदमें पहले तो संगठित जीवन का पहलू है जो प्रबन्ध और कर्मचार दोनों जीवनसिद्धि शान्ति के परिणामस्वरूप पैदा होता है।

दूसरा पहलू कार्य की दशाओं के प्रमापन, साधारण प्रदातानीय संगठन के मुधारतथा उपभोद, जीजारो और उपस्वर के प्रमापन, कार्य-सञ्चालन के प्रमापन, और मजदूरों के चानाव से सम्बन्ध रखता है।

(१) माननिक नान्ति—वैज्ञानिक प्रबन्ध का एक पहलू संगठित जीवन और इस आदर्श का परिज्ञान है कि मनुष्य का जीवन कुछ ऊचा कार्य करने और उत्पादन करने के लिए है। एक व्यवसाय एकाकी संगठन है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो और इस बान को जच्छी तरह समझ लिया जाए कि संगठन का अर्थ यह है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारबाने के सारे जीवन में सोहादंपूर्ण सामजिक और एकात्मता हो, तब एक आदर्श विद्यमान है। यदि हम इस आदर्श की गहराई में प्रवेद कर, तो हम यह अनुभव हो जायेगा कि उद्योग में प्राय वस्तुत विरोधी तत्व, न तो धर्म और पूज्यी है, और न कर्मकार और प्रबन्ध, वल्कि एक थार कुछ स्वेच्छाचार, और दूसरी थोर, इससे बनी धारणाओं से उत्पन्न असताप है। संदिग्न विचार, सक्षेप म, यह है कि एक आदमी के पास कुछ रघ्या है, जो वह ऐसी खीज बनाने के लिए, जिसे बेचकर वह अपनी व्यक्तिगत धन-दौलत बढ़ा सके, दूसरे को मजदूरी के रूप म देता है, (मजदूरी प्राप्ति सिफ़े उतनी देता है जिननी उसे लाचार हाकर देनी पड़ती है)। इस परम्परागत विचार ने पूजी और धर्म को पारस्परिक विरोधी हितों वाले पक्षों म लाकर लड़ा कर दिया है। प्रबन्ध और कर्मकार दोनों को इस आवारभूत सत्य को ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए कि उनम कई जीवन का विरोध नहीं और उनके जीवन-सम्बन्धी हितों का सामजिक हो जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबन्ध का, भावना और शब्द, दोनों से लागू करना चाहिए, जिसमें प्रत्येक पक्ष के कार्य करने से दोनों वो और सारे समाज को लाभ हो। प्रबन्ध को उचित व्यवहार करना चाहिए जिसम मानवीय अद्य भी है, अर्थात् मजदूरों की वास्तविक परवाह करना, उनकी कार्य-दशाओं का विचार करते हुए कुछ कल्पना-शक्ति का उपयोग करना, न्याय-संगत हानि की इच्छा रखना और यह अनुभव करना कि औद्योगिक उपकरणों म मूल्य वस्तु आदमी है, धन नहीं। दूसरी ओर, कर्मकारों को इस भावना से काम करना चाहिए कि वे उद्योग म पूरे हिस्सेदार हैं, इस भावना से नहीं कि वे विसी मालिन के इतने घटे के नीतर हैं। सक्षेप म, वैज्ञानिक प्रबन्ध का प्रभाव-पूर्ण टर्ग से प्रयोग करने के लिए, दोनों वो ईमानदारी से अपना अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए।

प्रमारीकरण ( Standardisation ) —जो प्रबन्धक वैज्ञानिक प्रबन्ध को सफल बनाने का सकल किये हुए है, उसे उस सब उपलब्ध और सेवाओं को, जिनका उपयोग कर्मकार अपने काम की पूर्ति में करता है, मुधारना और प्रमापित करना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि प्रबन्ध अपना प्रमाप कायम न रखे तो कर्मकार भी अपना प्रमाप कायम नहीं रख सकता। इसलिए कारबाने का आरम्भिक प्रमापीकरण अवश्य करना चाहिए जिससे क्रिया और उत्पादन की एक सुनिश्चित हो जाये। मशीनरी के प्रमापित हो जाने के बाद, उस प्रमापन

को कायम रखने की मनुचित पढ़ति सोचनी चाहिए। फिर कायं करने वाले विभागों का भीतिक अभिन्यास और उनके उत्पादन-सामर्थ्य की उचित दशा पर इचार बरना चाहिए। इसके बाद योजना-कानून में निर्माण के पथ-प्रदर्शन के लिए आवश्यक सब आलेख, विस्तृत विवरण और नमूने इकट्ठे बरने की दृष्टि से, कम्पनी के उत्पादों का अध्ययन बरना चाहिए। इसके बाद मार्ग-निश्चय (रटिंग), कायं के ऋग, चाल, समजन और और जिनना काम किया जा सकता है उसकी मात्रा, का निश्चय किया जाना है, ताकि कायं तमल्लो से सौंपा जा सके। इसके लिये पटो (वेल्ट) के प्रमाणन और निरीक्षण तथा मरम्मत की पढ़ति का विकास बरना आवश्यक है, जिससे उपर्युक्त तनाव का निश्चय रहे और ब्रेकडाउन न हो सके। साधारण प्रशासनीय संगठन इसके अनेक उपविभागों और अफमरो के कायं-विभाजन का निश्चय करके उन्हे लिख सेना चाहिए।

ओजार और उपस्कर—पूरानी कहावत है कि नाच न जाने आगन टेटा, अर्थात् काम न जानने वाला आदमी ओजारो का दोष निकालता है। परन्तु कोई भी वर्नकार तब तक अपना काम दक्षता से नहीं कर सकता, जब तक उसके अ जार अ र उपस्कर कायं के लिए उपयुक्त न हो और न तब तक उत्पादन में एक रूपता जा सकती है और न उन परिणामों को कायम रखा जा सकता है, जब तक उन्हें प्रमापित न किया गया हो। कायं में दक्षता लाने के लिए आवश्यक है कि विविध मशीनों का उत्पादन-सामर्थ्य सतुर्लित हो अ र उनका कायं एक समान हो। इस प्रयोजन को पूति के लिए टेलर ने एक ओजार वक्ष (टूल रूम) बनाने का प्रतिज्ञान किया है जिसमें सब मजदूरों को अपने काम के लिए सर्वोत्तम उच्चकोटि के ओजार दिये जायें। उचित ओजार थाटने की दुविधा के लिए उन पर स्मृति-पट्टायक चिन्ह होने चाहिए। इसी प्रकार मशीनों के हिस्मो, कच्चों सामग्री, प्रदायो आदि पर भी निशान होने चाहिए। इसलिए अंजारो का स्पाक्ष, उनकी पद्धाति प्राप्ति का प्रश्न, उनकी मरम्मत और नैज बरना और उनकी उपगम्यता विशेषज्ञों के हाथ में होनी चाहिए, जो इन कायं में व्यवस्था और विज्ञान बो लाए कर सकें।

मशीनों को चाल—मशीनों में परस्पर पर्याप्त सतुर्लन कायम रखने के लिए, जिसने अधिकतम कायं हो सके, यह आवश्यक है कि सब दाक्षिण-चालित यत्रों की उचित चाल निश्चित हो जाये। यह कोई आमान काम नहीं परन्तु विशेषज्ञ इनीशियर एवं संपिका नियम (स्लाइड रूल) की सहायता से, जो अब पूर्ण हो गया है, परिशुद्ध रूप से किमो मशीन को चाल निश्चित कर सकते हैं। इसके लिये लम्बे परीक्षण और गणित का अच्छा ज्ञान आवश्यक है, पर एवं बार निश्चित हो जाने पर इस चाल को एक ऐसी अधिकतम लाभदायक चाल के रूप में प्रमाप बनाया जा सकता है जिसे भवित्य में सूत्र को तरह लागू किया जा सके। जो ओजार काम आने हैं, उनकी सह्या के आधार पर एवं ऐसा संपिका नियम बनाया जा सकता है जो प्रत्येक तरह की मशीन के लिए उपयुक्त हो।

**परिच्छालन (आपरेशन)** और मार्ग का प्रमाणन—इसमें उत्पादन का प्राय सारा धोका आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति विधि और कार्यक्रम के अनुसार काम करता है, जिससे दक्षता बढ़ जाती है, समय-हानि और खरान कम हो जाती है, और गडबड़ी नहीं होती। मार्ग निश्चय का अर्थ है सामग्री के, एक प्रत्यक्ष से दूसरे प्रत्यक्ष में, या एक हाथ से दूसरे हाथ में, व्यवस्थित रूप से पहुँचने की योजना बनाना, और यह योजना, वक्ष में उत्पादन समय-सारणिया (टाइम टेबिलर) के रूप में किया जाता है, जिससे कच्चे सामान स लेवर तैयार मार्ग तक बनेक बारतानों में से गुजरने वाला सामान, विना बनावश्यक देर के या विसी विशेष मशीन पर इना भीड़-भाड़ किये, पार हो जाये। मार्ग-निश्चय बनने वाले अफगर या बर्क्स को, जितने कार्य होते हैं, उनकी सम्म्या, चिम्म और नम का निश्चय बनना पड़ता है। वह एक चार्ट या मार्ग-यत्र तैयार करता है जिस पर वह सामग्री का अतिम स्थान तक पहुँचते का सारा मार्ग रेखाचित्र ढारा निर्दिष्ट करता है, और समय, अध्ययन तथा अनुदेश पत्र बाटे कर्क की सहायता से विभिन्न स्थानों पर मझदूर नियुक्त कर देता है। जब ये सब कागजात तैयार हो जाते हैं तब काम मुश्किल बनने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद विभी और स्टाक वी दृष्टि से समझन किये जाते हैं, जिसमें यह निश्चित हो जाये कि सब भवीने और कारखाने लगातार कार्य में लगे रहें। इसके लिये काम का एक समय-नम बनाया जाता है, जिसमें आर्डर यथासम्भव सर्वतिम नम में समजित किये जाते हैं। उत्पादन-प्रदर्शन या कर्क समय-नम के अनुसार कार्य करता है। मार्ग निश्चय और कार्य के बीच वाले नियन्त्रण फार्मों की सहायता से, जा पहिले ही बहुत सावधानी से तैयार किये जाते हैं, ठीक सामग्री, ओजार, उपस्कर और अनुदेश, नियमित रूप से ठीक समय पर ठीक आदमी के पास पहुँचाये जा सकते हैं। दम प्रकार प्रमाणीकरण में लगाया हुआ धन और बनेक सेवा विभागों का कार्य लगातार ऊने दर्जे का उत्पादन प्राप्त करता है और इस तरह लाभदायक सिद्ध होता है।

**इर्मचारी का चुनाव—प्रबन्ध का प्रायगिक वर्तन्य है कि मजदूरी की लागत कम से कम रखें और साथ ही उत्पादन कार्य बरने के लिए पर्याप्त और नक्षम मनुष्य यक्ति प्राप्त रखें। कर्मचारी चुनने का प्रमाण यह है कि यह निश्चय किया जाय कि जीन प्रार्थी उस बार्य के लिये सबसे अधिक उपयुक्त है। पुराने दृग के कारखानों में यह बच भी कोरमेन और मुपरवाइजर का काम है, परन्तु वैज्ञानिक प्रबन्ध म, वर्मचारी छाटने वाले विभाग चुनाव करते हैं, जिसमें पर्योग्य व्यक्ति भरती न हो सके। व चुनाव पद और पथ-प्रदर्शन या समझन के मिलमिले में कई तरह की व्यापारिक और मनविज्ञानिक परीक्षाएँ लेते हैं। इनमें मही टग के लादमी का चुनाव निश्चिन हो जाता है, जो अन्दर के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त बन जायगा। उसे 'जारी' करे। उन्हें की आवश्यकता नहीं होगी। कार्य के प्रमाणन के परिणामस्वरूप, काम सरलतम और मुन्दरतम रीति में किया जाना है। कारीगरा का ठीक चुनाव होने पर एक के बाद दूसरा कार्य के ही लोग करते हैं जो बौद्धिक और शारीरिक दृष्टि से इसके लिए उपयुक्त**

होते हैं। जमर कम्कारों का चुनाव सावधानी से न किया गया हो तो काम का समय-  
ऋग्नि निश्चिन बरना बिन्दुल निरर्थक है। “समय-कम मनुष्य के अनुकूल होना चाहिए  
और मनुष्य समय-कम के जनुकूल।” यदि कम्कारों के चुनाव में काफी सावधानी बरती  
जाए तो उन्नाइन बहुत बड़ा जाए और कामों सस्ता हो जाए।

जाव तो उत्पादन बहुत बड़ा जाए जारी। इसका हाल यह है कि प्रमाणीकरण, अर्थात् एक निश्चित समय में किये जाने वाले काम को मात्रा प्रदर्शनक द्वारा, निर्धारित समय-क्रम के अनुसार उत्पादन की जाने वाली मात्रा के समान, पहले ही सप्ताह के उत्पादन की याजना बनाने समय निश्चित कर दी जाती है। उदाहरण के लिए किनी मूत रगाई के कार्य में यह पहले निश्चित कर दिया जायगा कि प्रत्येक पाली में कितना मूत रगना है—यह मात्रा रगे जाने वाले मूत की किसी और रग के अनुमार मिन-मिन ही सकती है। प्रत्येक पाली एक निश्चित उत्पादन के लिए जिम्मेवार होती है और पाली में कार्य-विभाजन पाली का फोरमैन प्रति सप्ताह कर देता है। प्रत्येक पाली पर यह जिम्मेवारी होती है कि वह सारी मरींगों तथा चालू काम को ऐसी घटन्या में छोड़े जिसमें जगली पाली को उत्पादन पूरा करने में महारगा मिले। पहली और मिठ्ठी पालियों के इस सहयोग में कारखाने और मजदूरों, दोनों को लाभ होता है, क्योंकि मारे उत्पादन और मजदूरी का समुच्चय (पूलिंग) किया जाता है। इन परिस्थितियों में प्रबन्धक का, लोगों को काम करने के लिए बहते ही जरा भी आवश्यकता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति काम का बोझ अधिक होने पर दूसरे की सहायता करता। अन्य आरम्भिक अनुभवान के परिणामस्वरूप थम की वचन करने वाली नई मरींगों लगाना आवश्यक हो जाय तो इसका कार्य-मञ्चालन मजदूरों को स्पष्ट करदेना चाहिए और तदनुसार नई शर्तें कर लेनी चाहिए। साधारणतया, नये प्रबन्ध कर तब तक समय दर के आगार पर चलाने चाहिए, जब तक उनमें पूर्णता न आ जाये और कार्य के उचित आगार का निष्पत्त करने के लिए लागत के बारे में मजदूरों के प्रतिनिधियों में बात कर लेनी चाहिए। कार्यमारों के प्रमाणीकरण को पूरी तरह लागू करने के लिए अनत जान की आवश्यकता है। यदि लक्ष्य दर्शता है तो प्रमाणों पर साधारणी में विचार करके उनका निष्पत्त कर लेना चाहिए।

**प्रमय जप्यदत्**—जब कारखाने का और इसके लिए काम करने वाले सब मंत्रा अभिकरणों का प्रमाणीकरण इस तरह हो जाय, कि मंत्रों की चाड़ और काम का जनुक्रम पता चल जाय, तब समय अव्यवहारों के द्वारा मानवीय मत्तार्य पा परिचालन (Operation) की उचित चाल निश्चित कर सकेंगे जाहिए। समय अन्वयन मह मानकर होता है कि प्रथेक काम बहुत में जगहों (elements) पा जगह-भूमिों का बना हुआ है और कि एक कर्मजार उस कार्यालय (job) को करने में भूमियों (movements) के अशब्दों का उपयोग करता है। इसलिए समय जप्यदत् काम के प्रथेक अभिक का समय निश्चित करके किये जाते हैं। अशब्दों के सम्बन्धितरां के निः एक विरास घड़ी (स्टोप

वाच ) प्रयुक्त की जाती है और अटक-खटका ( स्नैप बैंड ) विधि सुविधा-जनक होती है। जब प्रत्येक अशक पूरा होता है, तब घड़ी देख ली जाती है और समय एक कागज पर नोट कर लिया जाता है, और फिर घड़ी की मुई शून्य पर ले आयी जाती है। प्रत्येक अशक का समय अनेक बार नापना चाहिए, जिससे उपयुक्त समय के बारे में ठोस राय बनाई जा सके। समय अध्ययन के एक विशेषज्ञ, मैरिक, के अनुसार, यदि अशक-संकार्य में काफी लम्बा समय लगता हो, और काम एक समान गति से हो रहा हो, तो ओडे से पूर्ण परीक्षण ही काफी होगे। दूसरी ओर, यदि अशक-संकार्य बहुत छोटे हो और यदि विसी कारण उत्तरोत्तर अशक-संकार्य एक समान दर पर न हो रहे हो, तो बहुत से परीक्षण बरना आवश्यक होगा।" सकर्ता (आपरेटर) ने जो यत्न किया है, उसका मूल्यांकन भी अध्ययन के समय ही बरना चाहिए। प्रयास दर देखते से प्रकट होगा वि प्रयास प्रतिदिन, और मुद्रह से रात तक भी, बदलता रहता है। कुछ अशक नियत (कॉस्टेंट) होंगे, अर्थात् उन्हें पूरा बरने में प्रत्येक बार उतना ही समय लगेगा और कुछ परिवर्ती (Variable) होंगे जिनमें अलग-अलग समय लगेंगे। जब विसी कार्य-भार के अशकों का अध्ययन किया जाता है, और उनका समय अलग-अलग देखा जाता है, तब गणना द्वारा प्राप्त प्रमाणों को अशक प्रमाण (element Standard) बहते हैं और प्रत्येक अशक के लिए अभिलिखित समय को बास्तविक (Actual) कहते हैं। सकर्ता की दक्षता निवाली जाती है, और इसके बाद निम्नलिखित रीति से अशक प्रमाणों की गणना की जाती है।

बास्तविक  $\times$  निर्धारण गुणक + छूट = अशक प्रमाण।

सकर्ता का निर्धारण, कार्यभार को पूरा करने में उसकी प्रेक्षित दक्षता की दृष्टि से किया जाता है। निर्धारण में चाल को निरन्तरता, प्रत्यावर्त (effort) और सचलनों की सुमित्रित देखी जायेगी। इस जानकारी के आधार पर निर्धारण गुणक निश्चित किया जायगा। इसे औसत या प्रतिनिधि सकर्ता की दक्षता की प्रतिशतकता के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जिसमें पता चलता है कि कोई भी सकर्ता अपने साथी मजदूरों की तुलना में क्रितना अच्छा है। उदाहरण के लिए, ७० प्रतिशत दक्षता का अर्थ यह है कि एक औसत या प्रतिनिधि (सर्वोत्तम नहीं) सकर्ता को एक दूसरे सकर्ता द्वारा किये जा रहे काम को पूरा करने में सिर्फ ७० प्रतिशत समय लगेगा। ११० वे निर्धारण का यह अर्थ होगा वि विसी दिये हुए काम के करने में एक प्रतिनिधि कार्यकर्ता को प्रेक्षित कार्यकर्ता में १० प्रतिशत अधिक समय लगेगा। समय प्रमाणों की गणना में अपवाद रूप में तेज या सुस्त मजदूर की अपेक्षा प्रतिनिधि (भूयिष्ठ —modal) कार्यकर्ता का उपयाग नरना ही उचित है। जो छूट जोड़ी जानी है, वह यकान, मजदूरों की निजी आवश्यकताओं, सामग्रियों की शेषी की विभिन्नता और उपस्कर की दक्षा के भेद, तथा इस क्षम्य के कारण जोड़ी जाती है कि गर आदमी सर्वोत्तम अदमी के तुल्य नहीं होने। इस प्रकार, छूट का मतलब यह है कि इसके अन्तर्गत उन सब न नापे जा सकने योग्य और अप्रमाण्य अशकों को ले लिया जाय, जो समय पर प्रभाव डालते हैं।

छूट की मात्रा कार्य की प्रहृति, बीच में थावश्यक जबड़ाश, और शक्ति, उपस्थर, औजागो आदि पर प्राप्त चिये गये नियमण की मात्रा के साथ वदलती रहेगी। डॉ टेलर ने, जिनका लक्ष्य उच्चरोटि की कार्यपूर्ति था और जो कार्यभार समयों (task times) का निर्धारण सावधानी से करते थे, २० प्रतिदिन से २७ प्रतिदिन छूट की सनोपजनक पाया।

अब हम प्रमाण समय की गणना करने के लिए तैयार हैं, जो बेतन और बोनस की दरों का आधार होगा। प्रत्येक कार्यालय के लिए परीक्षणों की कई श्रेणियां होती हैं, और इनमें से निम्नतम या उच्चतम या मध्यम समय, या श्रेणी, का भूषिष्ठ या मध्यमान निया जा सकता है। कुछ लोग निम्नतम समय की मिफारिश करते हैं, क्योंकि इससे जानवृत्त कर काम से बचने को कोशिश की गुजारण नहीं रहती। समझ वह है कि यह बात ठीक हो परन्तु न्यूनतम समय को हमेशा नियमित प्रयत्न का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। यह अधिक बच्चा है कि प्रत्येक कार्यालय में उच्चतम और निम्नतम समयों को छोड़ दिया जाये और शेष समयों का मध्यमान ले लिया जाय। इसमें दोनों अनियों के दुष्प्रभाव में बचा जा सकेगा, और हम औमन समय मिल जायेगा। समजित (adjusted) समय जिसमें कार्यकर्ता को मामान्य परिस्थितियों में कार्य पूरा कर लेना चाहिए, निकालने के लिए इस प्रकार प्राप्त औमन को निर्धारण गुणवत्ता से गुणा कर देना चाहिए।

उदाहरण वे लिए, यदि कोई कार्य करने में, एक कार्यकर्ता को औमन समय ४० मिनट लगता है, और वह ७० प्रतिदिन दक्ष मिल होता है, तो जितने समय में उसे यह काम करना चाहिए वह  $0.70 \times 40$  या २८ मिनट होगा। ये २८ मिनट समजित समय या उम समय को निर्धारित करने हैं जो एक प्रतिनिधि कार्यकर्ता को लगेगा। छूटें इस समजित समय में जोड़ दो जानी हैं और हम प्रमाण समय मिल जाना है। जो काम किया जा रहा है, उम तरह वे काम को प्रचलित दर और प्रमाण समय को मिलाकर उनमें अभीष्ट काम को मजदूरी की दर निकाली जानी है। एक उदाहरण में यह बात स्पष्ट हो जावेगी।<sup>१</sup>

बलना करा दि चिमी कार्य के तीन पृथक् जगहों के लिए निम्नरूपित समय अध्ययन दिये गये—

अग्रक	१	३०	<u>२२</u>	२४	२५	<u>३७</u>	२९	३०	<u>३५</u>	<u>३८</u>	३१
अग्रक	२	३१	<u>२८</u>	२३	२४	<u>२५</u>	३१	३०	<u>३३</u>	२९	३२
अग्रक	३	२८	<u>२३</u>	<u>२१</u>	३०	<u>४१</u>	३३	३९	<u>३१</u>	३२	२८

इनमें से अपारेंसित समयों को छोड़ दिया जाना है क्योंकि औमन निरालने की दूरी में वे अधिक ऊचे या अत्यधिक नीचे हैं।

<sup>१</sup> नोन्य अ. र. टॉ. मन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, पृष्ठ ३८४।

## इनके औसत निम्नलिखित होंगे —

अध्यक्ष १	२९१४	मिनट
अध्यक्ष २	२८५५	मिनट
अध्यक्ष ३	२९८६	मिनट
कुल समय	८७५५	मिनट

प्रत्यना करो कि निधारण गुणक ११० प्रतिशत है।

ममजित समय  $8755 \times 110 = 9631$  मिनट

जो छूट जाड़नी है, उनका अभिलेख और हिसाब जल्द कर लिया जाना है।

छूट का नाम	समजित	कुल समय	अतिरिक्त
समय का प्रतिशत	चक्र	समय	
अन्निगत	२	९६३१ =	१९२
हैपारी	५	९६३१ =	४८२
श्रान्ति	५	९६३१ =	४८२
			—
		कुल ११५६	

प्रमाण समय =  $9631 + 1156 = 10787$  या १०८ मिनट।

यह कहा जा सकता है कि दिन का काम निर्धारित करने के साथन के एप्म समय अव्ययन बहुत परिमुद्र नहीं होता पर इसमें परम्परा और बफवाह की अनिवार्यता के स्थान पर एक विवातक और वैज्ञानिक विविध प्राप्त हो जाती है। मजदूर भी समय अव्ययन पर आधारित मजदूरी की दरा का हमेशा पमन्द नहीं करते, क्याकि वे उन्हें मच्चा नहीं समझते। वे 'विराम घड़ी टैक्सीशिफ्ट' को और तशाक्षित विशेषज्ञ को सदेह की दृष्टि से देखते हैं—ये लाग ऐसी दर निवालते हैं जो मजदूरों के लिए व्याय होते के बचाय प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा प्रसरत करने वाली होते हैं। गिलबंधर ने अपना एक प्रमाण, अधिक परिमुद्र विधियों के आधार पर निकाला था। उन्होंने परिमुद्र समय न्यास (Time data) निकालने के लिए मूदमकालमार्गी (माइक्रो ऑफीटर) का उपयोग किया था। पर अधिकतर कारबाना लिए यह बहुत अधिक व्यवसाय है। विराम घड़ी, सावधानी से उपयोग करने पर, बहुत बच्ची तरह कार्य सिद्ध कर सकती है।

गति अध्ययन (Motion Studies)—मानवीय गतिया शरीर के भाग द्वारा की जाती है। ये भाग विशेष कार्यभार का तब ही समर्थन अविक दक्षता से करते हैं, जब वे कौशल प्राप्त कर चुके हैं। और न्यूनतम श्रान्ति में कार्य करना मील चुके हो। मानवान् गतिया के अध्ययन म, प्रयमन कौशल की प्राप्ति और शारीरिक व मानसिक श्रान्ति के विश्लेषण, इन दाना का मिश्रक, विचार किया जाता है। गति अध्ययन के प्रमुख प्रतिशादक प्रैंक गिलबंध ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभ्रामित किया है।

"गति अध्ययन अनावश्यक, कु-निदिष्ट और अदक्ष गतियों के उपयोग से पैदा होने वाली हानियों को लुप्त करने का विज्ञान है। गति अध्ययन का घ्येय थम जी व्यवन्त है हानि वाली रोकियों को योजना सोचना और उसका उपयोग करना है।" इसलिए गति अध्ययन का घ्येय है अनुपयोगी गतियों को रोकना और समय तथा कर्जी की दबन करना। यह गतियों को अधिक से अधिक मिलव्यवर्ती त्रैम से जोड़ने वा मल बरता है, जिसमें एक भवान का अन्त, जहा तब हो सके, अगले का आरम्भ-विन्दु बन जाय, और तात्पृष्ठ पैदा हो जाय। उब राज से, एक-एक ईट दीवार पर रखने के बदाय एक नाय २५ ईट उठाने के लिए कहा जाना है, तब बहुत से प्रभावहीन सचलनों के स्थान पर पाड़े मे प्रभावी सचलन रख दिये जाने हैं। परन्तु यह अध्ययन उसने वापरमें कार्यमात्र नहीं, यह तो उच्चादन बूँदि, यत्र सगड़न म पहले से अधिक दबना, मानवीय शाति में कमी पौर उच्चादन की लागत म कमी का सामना है।

**थानि अध्ययन (Fatigue study)**—३० सेनले केट न थानि की परिमापा यह की है—'जोविहि वी दबना मे कमी हो जाना, जो थम के बाद होना है और अज्ञात इस पर निर्भर करता है।' आग्नन ने इनकी परिमापा यह को है—'कार्य वी दमना का घट जाना जो कार्य वी अधिकता या विधायक की कमी से होना है और जिने कार्यकर्ता मनदण्ड की लाभापिक अनुभूति से पहचानता है।' यह सनियना ने उन परियामा का कुल योग है, जो कार्य करने की क्षमता मे कमी के रूप म दिवार्दि देने हैं। यह ध्यान देने की बात है कि थानि अधिक कार्य करने को नहीं कहते, दक्षि यह एक ऐसा मुख्या का उपाय है जो अत्यधिक कार्य को रोकता है, अर्थात् जब थानि के चिन्ह दिसार्दि पट, तब मजबूर वा अत्यधिक ननोब से दबान के लिए काम रोक देना चाहिए। यदि काम न रोका जायगा तो वह मजबूर के लिए, मालिङ्के के लिए, और सभाजे के लिए अत्यधिक महगा मिल होगा। थानि के बारप है काम का लम्बा समय, गलत ढग के पर्यवेक्षण मे काम करने का निरन्तर बोझ और शारीरिक स्वास्थ्य लान के लिए प्रतिकूल अवस्थाओं मे कार्य करने का तनाव।

थानि के, जो शक्तिहीनता की पूर्वज, एक मुख्या उत्ताप या एक बनरे का सकैत है, और हज्जी थानि के चिन्ह या लक्षण ये हैं कि काम मे, मानसेभिन्नों को अपने बादेशानुभाव बनाने का सामर्थ्य कम हो जाता है, सर्व अनुभूतिमीलना घट जानी है, केंगिवाए शिविर पड़ जानी है, और इसलिए चेहरा जुन्न हो जाता है और वाहनी त्वचा प्रतिशिखा की (रियन की परीक्षा) गति बड़ जानी है। विचार प्रतिशिखा लियिल हो जाता है, उच्चादन व्यवहार और उत्तिमशित हो जाता है, और उत्तर के माधारण सचलनों मे नमन्दय का अभाव और भद्रापन तथा अपदांजना दिवार्दि देनी है। थानि के परियामव्यवस्थ उच्चादन लिट डाक्ट है, काम को निस्म छठिया हो जानी है, दुर्घटनाए बढ़ जानी है, मिजाज विष्ट जाना है और काम खराब हो जाता है।

थानि के उपचार और नियशय—इसके उपचार दो प्रकार के हैं—या तो कम-

कार उन्हें स्वयं अपने उपर लाग करता है और या प्रबन्ध शान्ति राखने के लिए व उपचार सोचता है। कारखाने का प्रबन्धक या समय अध्ययन करने वाला थम के कार्य की मात्रा, अनुपस्थिति, विंगड़े हुए काम के अभिभैखा, और कमचारिया द्वारा इजाजत में या विना इजाजत के किये गये विश्वाम के कारण (जो स्नानधरा म जाने या काम से बचने के रूप म होते हैं), उत्पादन के अभिभैखो (विशेषवार दिन के अतिम भाग और सप्ताह के अन्तिम दिनों म), और कायम भारा के प्रति तथा प्रबन्ध अधिकारियों के प्रति कमवारा के साधारण रूप से नाम सकना है। दिन के घटा तथा सप्ताह के दिनों के टिसाव में वर्णित दुष्टना अभिभैख विशेष अर्थपूर्ण होते हैं। शान्ति के बाद पुनः स्वस्थता कई कारबो पर निर्भर है। मध्यम शान्ति शीघ्र और पूर्ण रूप से उत्तर जानी है, परन्तु अधिक शान्ति धीरे धीरे उत्तरणी है और ज्या ज्या उमर बढ़ती है, त्या त्यो अधिकाधिक अधूरी उत्तरती है। इस प्रकार ऊर्जा की पुनः प्राप्ति, कमवार के शरीर और समर्थता, उसके भोजन और पाचन शक्ति, उमर के विश्वाम काला की सत्त्या, लम्बाई और स्वरूप तथा उसके काय की निरन्तरता पर निर्भर है। इनम से तीसरी चीज अर्थात् उपयुक्त विश्वाम कलों की व्यवस्थाय र प्रबन्धक का सीधा नियन्त्रण होता है। अन्य तीन पर इसका अप्रत्यक्ष नियन्त्रण होता है। उत्तम काय-दशाए होने में, कमवार के द्वारा और समर्थता पर नियन्त्रण ही बहुत प्रभाव पड़ता है। काफी और अच्छी तरह फैला हुआ प्रकाश और बायु सचरण की ऐमी व्यवस्था, जिसम वातावरण तरोताजा और शक्तिदायक बनी रहे, मानव धन्व का अच्छी तरह काय समर्थ बनाये रखने के लिए आवश्यक है। काम से ध्यान हटाने वाले यार और कम्पन, स्नायु तन्त्र को परिव्यालन कर देते हैं, क्योंकि शान्ति के लक्षण स्नायविक लक्षण हैं, जिनमे शान्ति शीघ्र जाती है। दुष्टना का भय कमवार के जीवन म चिना का एवं मन्त्र कारण है और परेशानी दूदा करता है। बपटा मुविधाजनक, और रक्त-मचार की दृष्टि से काफी दीला परन्तु इतना मुथरा होना चाहिए वि यन्त्रों के बलते हुए भागों म फसने की गुजारश न रह।

कारखाने म भोजन बताने और सान की व्यवस्था का पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। प्राय जब कोई आदमी परिश्रान्त होने की शिकायत करता है। तब उसकी परिश्रान्ति का कारण जसल म काम नहीं होता। शायद वह अपन समय क विभाजन म उचित मनुष्यन न रख रहा हो, या स्वास्थ्य क नियमों के प्रतिरक्त जीवन विता रहा हो। शक्ति उचित आहार, और जानि भाजन, जटी-जलदी भोजन या अनुप्रयत्न भाजन में बदल पर निर्भर है, तथा आसानी भोजन की प्राप्ति, यहरे माम, उचित जासन और माने के बमरे पर निर्भर है। यह म रहने की अपस्थिति का कारखाने म होने वाली शान्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दस म से नो बार शान्ति के पांछे घर की अनुप्रयत्न अवस्थाओं, चिन्ता, धन-जाग, राम विशेष, अनियमित समय तक काय करने या बाहरे कारों के अनुचित बोय वा चिन्मा होना है। कमवार क स्वास्थ्य और साधारण दक्षता पर प्रभाव द्वालने वाली एवं और चीज काम की घटवढ होनी है—कभी काम बहुत अधिक होता

है और दमी निष्ठमे बैठना पड़ता है। कार्य की चाल, ओमन् या कोई उचित चाल होनी चाहिए। जहाँ तर सभव हो, ओवरट्राइम में बचना चाहिए, क्योंकि दिन मर के काम में कार्य परिथान्त शरीर को इसमें हानि पहुँचेगो। परोक्षणों से यह पना चढ़ा है कि ज्यात्यो आनि बहुनी है, त्यात्यो प्रयास भी बटना जाता है। देर-देर तक ओवरट्राइम करने वाला कमंचार प्रतिदिन बिना तरोनाजा हुए अपने काम पर आता है। “पूरी तरह न उत्तरी हूँ भग्नि एक ऐसा कृष्ण है जो चक्रद्विद्व्याज से चुकाना पड़ता है।”

एक और तथ्य, जिसे प्रबन्धव और फोरमेन भुला देने हैं, वह है कि उसके मानवीय शक्ति, रक्त-स्वर कर बढ़ती है। जब लगातार बोल पड़ता है और विश्वाम के लिए कारखाने को बोर से बोई व्यक्तिया नहीं की जाती, तब कमंचारा को एक न-एक बहाना बनाकर एक-न-एक घोसे से विश्वाम करना पड़ता है। स्वयं प्रयुक्त इलाज, प्रतिरक्षामक गियिलीकरण का अधिकार मजदूरों द्वारा अपने काम को दृष्टि से दिया हुआ स्वाभाविक भूमजन है। उदाहरण के लिए, भारी शारीरिक धम के काम में विश्वामकाल जावन्यव है, और जो समय वो हानि प्रनीत होती है, वह बहुधा आवश्यक विद्याम बाल होता है। सब पक्षों के लिए अधिक मुखद और अच्छी बात यह है कि विश्वाम का बाल निश्चित कर दिया जाए जिसने ऐसा मौका न आये कि बोई फोरमेन, जिसे ग्राहकोंमें कमंकारों को हानने का काम दीप दिया गया है, अत्रिय कहानुनी करे। विश्वाम बाल कारखाने की ओर से निश्चित दिया जाना चाहिए, जैसा कि ट्लर ने कच्चा लोहा उठाने वाला के लिए दिया था। विश्वाम बाल के उपयोग के बारे में ब्रिटिश औद्योगिक आनि गवेषणा मडल ने लिखा है “जब विश्वाम के लिए इका जाय तो यह मह व्यूण बात है कि आसन बदल दिया जाए, चाहे विश्वाम बाल एक ही पिनट बा हा। वहने का अभिप्राय यह है कि जा लोग खड़े होकर काम करने हैं, उन्हें अधिक बारामदेह जगह बैठ जाना चाहिए और जा लोग बैठकर काम करने हैं उन्हें खड़े हो जाना चाहिए और अगर बिना विनी विनेप अमृतिया के, वे धम सकते हैं और भी अच्छा है। इसमें आनि भास्मपेशियों में रक्तनमचार बढ़ जाता है, और आनि धृत जाती है।” जैसा उपर कहा जा चुका है, दिन के दिल्ले भाग मू और युद्धाह के अस्तित्वमें उत्पादन घट जाना है। अगर काम का समय कम कर दिया जाए तो अल म काम की गति उन्नी बढ़ जायेगी कि समय वो कमी की पूर्ण हो जाए और ममाव्यन इसमें उत्पादन बढ़ जाएगा।

**एकरता (Monotony)**—आनि के प्रस्तुत के नाय विलक्षण जुदा हुआ प्रस्तुत एकरमता का है जिसे ‘एक यक्षाने वाली एकरमता’ कहकर परिभासित दिया गया है। इसमें भी मनोवैज्ञानिक कारक अधिक मह व्यूण है। कारण यह कि कुछ लोगों का शरीर ही ऐसा होता है कि वे अइल-बदल बाले की कोशा निश्चित काम अधिक पसन्द करते हैं। मरीनो का उपयोग करते हुए एकरमता में बचा नहीं जा सकता। स्नप्मित बरने वाली दून गति में चलती हूँ भी मरीनो की देख-

ऐव निश्चित ही नीरम होंगी। कुछ कार्यभार की वारबार करके आदमी उत्र या उत्रता जाता है, या अन्य रीतियां में, उम कार्य के प्रति उमकी दृष्टि घटती हुई दिखायी देती है, अथवा आदमी की यत्कान मी बनुभव होती है और उमने साध-साय वह "परिवर्तन के यात्रिर" कुछ और करना चाहता है। यह उत्रताहृष्ट की अनुभूति के अर्थ में भास्ति है। कुछ कुछ समय बाद कार्यभार म परिवर्तन करने के अच्छे परिणाम निकले हैं। यह उत्रभार न बदल कर्मवार के दृष्टिकोण का विस्तृत कर देता है, बल्कि उसे एक कार्यभार मे न्वरे कार्यभार का उठाने योग्य भी बना देता है, और उमकी औद्योगिक दत्तना बढ़ा देता है। दूसरे, यदि उसे पहले उचित जिज्ञासिली हो और काम के स्थान पर ही उमे उचित दान समझा दी गयी हो, तो वह अपने काम में योद्धिक (या वुद्धिपूर्वक) दिग्धम्पी लेते लगता है। इसमे काम में व्यक्तिगत का प्रभाव पहने याप्य परिस्थिति हो जाती है और कर्मवार काम के अपने हिस्मे को सम्पूर्ण काम से सम्बंधित बत्ता मीध गवता है और यह माचकर आनन्द बनुभव कर सकता है वि भने कोई उत्पादी बस्तु बनाता है। कर्मभार म सामूहिक कार्य की भावना पैदा की जाती चाहिए जिसमे एक आदमी, जो आजवर की एक पैक्टरी म, वर्पनिवर्प, गिक एक परिवावनाना है वह, यदि उसकी जिज्ञासने उमटीकरतर है तो विद्याहृता, पुराने जमाने के उम बड़ी-माज की जपेक्षा, जो एक घड़ी का न्वर मे आखीर तक बनाता था, अधिक पूर्ण जीवन अनुभव कर सके। घड़ी के एक पहिये का मनारजक बनाने के लिए, इसका सारे उत्पाद व माय नम्बन्ध बनाया जाना चाहिए। नीरमता तब भी घट जायेगी ज़र कर्मवार यह अनुभव करे कि विचारपूर्वक काम करना है, न कि स्वयचालित यत्रों की तरह। एक और प्राकृतिक उपचार है काम के घटा म कमी करना। इसे पहले ही लागू किया जा रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय, जो अमल म उपचारात्मक की अपेक्षा निवारणात्मक अधिक है, यह है कि कर्मचारी को उमके कार्यभार के लिए, उनके दार्हारिक और मानसिक सामग्र्य मे अनुसार अधिक सामग्री से छाटा जाय। सूधम प्रेक्षणों मे प्रमाणित होता है कि एकरमना कुछ लागा के लिए बहुत नीरम होती है, पर अन्या के लिए उनकी नहीं होती। मनावन्नानिक अनुभवाना गे यह पता चला है कि जा लाग पुतरावृत्ति का दृश्य है, व इसमे अपने अधिक नफरत करते हैं और जा लोग एक जैसे अनुभवा का बहुत लविक देखते हैं ये देह हैं जो कुछ मिलारर पुतरावृत्ति का पमन्द करते हैं। मिस्टर आगड़न ने मुझाया है कि शा धाना से मजदूर का बचाना चाहिए, एज, नीत्र लावृत्ति और बहुत नियमित रूप मे हाने धार्ली आवृत्ति के स्थान मे विश्वास की भावना म आना, और दूसरे "काम का वुद्धिपूर्वक या लगन के साथ न करने के कारण दिलचस्पी का बनाव।"

**अनुकृत्यकारिता (Functionalisation)**—वेजानिक प्रबन्ध जिस प्रभार के नियन्त्रण को लागू करने की क्षमता करता है, उमम बृत्ता का बहुदायना विनार हा जाता है। मत अवस्थाओं का प्रमाणों के अनुगार रखने और विस्तृत मूलनाए इक्ट्री बरने और मजदूरों को बनाने के लिए कर्मचारियों मे बहुत

वृद्धि करना आवश्यक है। इसलिए टेलर ने वैभागिक ढग के समान के वजाय बनु-कृत्यकारी ढग के समान वा सुदात रखा। इसमे भैनेजर और फोरमैन के क्षेत्र से बड़ा भारी बोझ हट गया। कारखाने के एकमात्र प्रशासनीय अभिकरण के रूप म सिर्फ़ एक फोरमैन के बजाय कृत्यकारी फोरमैन नियुक्त दिये जाते हैं। इसमे फोरमैन अपनी कुछ जिम्मेवारियां से मुक्त हो जाता है और वह भार योजनाकाल के कर्मचारियों पर जा पड़ता है परन्तु उस पर बहुत से ऐसे कृत्य, जिन्हे पहले कर्मकार उदासीन भाव से करते थे, जो पड़ते हैं और नये कृत्य बढ़ जाते हैं। अन्तिम परिणाम यह होता है कि अब वह पहले वी अपेक्षा अधिक फ्लारमैन बन जाता है। उसके काम की दूर्ति के लिए कृत्यकारी आधार पर नये कर्मचारी रखे जाते हैं। साधारणतया कारखाना नियन्त्रण के कृत्यों का इस तरह वर्गीकरण दिया जा सकता है कार्यालय के लिए सुविधाएँ इकट्ठी बरना, उपादान के लिए मजदूरों और मशीनों के वास्तविक सचालन की देख-रेख करना, थेट्टना (कार्यालयी) बनाये रखना, उपस्कर की मरम्मत कराने रहना और अनुशासन हूँ यम रखना।

**योजना कक्ष**—नये कृत्यों और कर्तव्यों को समालने के लिए जो केन्द्रीय अभिकरण बनाया जाता है, उसे योजना कक्ष कहते हैं। यह ऐसा स्थान है जिसमें ऊपर से मुख्य अधिकारियों के और नीचे से फोरमैन तथा मजदूरों के कृत्य आ जाते हैं। यह कार्यालय कारखाने के प्रश्नों के लिए वही वायं करता है जो स्पावण के लिए मस्तिष्क विभाग ( drafting department ) या इंजीनियरी विभाग करता है। वहाँ योग्य है कि “मस्तिष्क विभाग स्पावण का योजनाकाल है, और योजनाकाल उत्पादन का मस्तिष्क विभाग है।” योजनाकाल में मान्य निश्चय, काम का त्रैम, अनुदेश पत्रों का तैयार करना, मस्तिष्क अध्ययन अभिलेखा और मशीन चाल अभिलेखों के मञ्चन, स्टोर अभिलेखों के हिमाव के भधारण, और लागत लेखा अभिलेखों के मधारण, वे कृत्यों को मस्तिष्क दिया जा सकता है। टेलर ने लिखा है “एक योजना विभाग स्थापित कर देने में मिर्क यह होता है जि योजना बनाने वा कायं और कायं बहुत सा विभागीय काम थोड़े ने आदियों म, जो इस कायंभार के लिए मस्तिष्क होने हैं, और अपने विशेष कायों म प्रगतिशित होने हैं, केन्द्रित हो जाता है और अब यह कायं पहले वी तरह ऊचे बेतन पाने वाले मिश्नी, जो अपने धर्ये क योग्य होने हैं पर पड़ने लियने के इस काम के योग्य नहीं होने, नहीं करते।”

मव जगहा पर वोई प्रमाण कर्मचारी रखने की निपारिश नहीं की जा सकती। टेलर, अन्तुष्टप्रतिहत, की, एक योजना, बजुध, भुमाला, या, नियम, निम्नतिहत, कर्मचारी थे —

एक प्रारूपिक योजना कक्ष के लिए

१. काम का त्रैम और मान्य समालने वाला वर्क, जो अनुदेशों के आधार पर मजदूरों और वारमाने के अफमरों के लिए दिन में दिये जाने वाले काम का त्रैम निर्दिष्ट बरने वाली नूचिया तैयार करता है और कारखाने में काम के मायं का निश्चय करता है।

२ एक अनुदेश पत्र कर्कं, जो मार्ग म दी हुई जानकारी का अध्ययन करके प्रत्येक कार्यालय के लिए विस्तृत लाइग, एक अनुदेश पत्र पर लिख देता है, जिस पर काम करने की रिति और समय पूरी तरह लिखा रहता है।

३ एक समय और लागत कर्कं, जो मजदूरों से समय अभिन्नता प्राप्त करना है, अंजिन मजदूरी और प्रीमियम का हिसाब करता है और लागत-मम्बन्धी विविध हिसाब लागत लेखा विभाग का भेजता है।

४ वारखाने का अनुशासन अधिकारी, जो अवज्ञा और अनुपस्थिति के मामले देखता है और पर्यवेक्षण तथा वरखान्नी की धनिन का उपयाग करता है। वह छाटे स्प में वारखाने के मैनेजर जैसा ही है।

#### वारखाने के गिरा

१ एक टाली नायन् जा तप तक का बाम देखता है जप नक्क मामान मर्दीन में नहीं टाला जाता और मजदूरों का यह भी बताता है कि आवश्यक महाया का अच्छे ये अच्छा और इम में बम समय म बैम किया जाय।

२ एक चाट अधिकारी, जो यह देखता है कि दृचित औजार और उपचार पहुँच जाए और अनुदेश पत्र के अनुदेशों के अनुसार, सबसे ठीक चाल बार प्रदाय (फीट) कायम रह।

३ एक निरीक्षक, जिस पर वस्तु की धष्टना की जिम्मेदारी है।

४ एक मरम्मत अधिकारी जिसका काम यह देखता है कि मर्दीन की मरम्मत होनी रह और प्रत्येक मजदूर अपना मशान का जग आदि म मुक्त रखते और इसे नियमित स्प से तेल देना रह।

**वैज्ञानिक प्रबन्ध में मजदूरी—मजदूरी समझा पर एक बाद के अध्याय म विचार किया जायगा।** यहां पर वैज्ञानिक प्रबन्ध के मिश्मिले म प्रमुक्त होने वाला मजदूरी भूगतान की तीन प्रमिठ याज्ञवाक्या वा उत्तरव वरता वर्णी होगा। व म है (१) टेलर का डिफरेन्शियल या भिन्नक थाल्नि दर, (२) गेन्ट की बानम महिन कायमार की पढ़नि, (३) डमरम्मत की दशना मजदूरों। मजदूरी अदायगी की बनेव गीनिया पर पूरा विचार करते समय, इनम म प्रयत्न पर बर्ग-बर्ग विचार किया जाएगा।

#### वैज्ञानिक प्रबन्ध का विशेष

उद्योग में वैज्ञानिक प्रबन्ध ज्ञान करने के स्पष्ट लाभ होने हुए भी टमकी, जिसे किमी समय टेक्स्ट-गाम्प (टेक्स्टिल) कहते थे, बद आपारा पर आन्तरिक की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य मनाविज्ञान का उपयाग करना बनाया जाना है ताकि न्यूनतम मानव कल्जी व्यवहार करते लक्षिततम उत्पादन प्राप्त किया जे सके। पर मनाविज्ञानिक देखता है कि यह मनाविज्ञानिक प्रतिक्रिया पैदा करने में अनुम है— कार्यवानेश्वर, जिसके लिए यह उत्पादन बनाना चाहता है, इमत्र प्रति उत्पादन है और मजदूर, जिन्हें इसम दृढ़त तरह का लाभ बनाया जाना है, टमका विराग करते हैं। इस पढ़नि का

इधर-उधर को उक्ततों में अलग करना और इनके पक्ष और विद्यक का पर्याप्त हृप से मूल्य-नियोगण करना तथा नक्की और अमुलों में विमेद करना आसान काम नहीं है। यहाँ द्वारे लागू करने में दिलचस्पी रखने वाले तीनों पक्षों —कारखानेदार, मजदूर और औद्योगिक मनाविज्ञान विशास्त्र—के विचारों की सक्षेप में समाप्ता की जायेगी।

**कारखानेदारों की आपत्तियाँ—**अदित्तर कारखानेदार अत्यधिक व्यय के खातार पर इन्हे लागू करने में जापति करते हैं। प्रारम्भिक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक पुनर्गणक बहुत अधिक खर्चों का है, और इसी तरह समय और मनि अध्ययन भी। जिन की मर्दीनों पर काम निरन्तर बढ़ाना है और छाटे कार्यालय होने हैं उन पर तो महसूस हिया ही नहीं जा सकता, पर कारखाने दारों की उदासीनता इन भावना पर आपस्ति है कि धन में मद समस्या है हृष्ट हो जानी है और कि खर्च बचाने का अर्थ है लागत कम करना। ऐसे कारखानेदारों में दूरदृष्टि का अभाव हाता है और वे बड़ा भागी लंबे करके अपनी लागत कम रखते हैं। वे जीवन के इस मूल नियम का नहीं समझ पाते कि निर्झर धन की बात मोचने रहकर आप धनी नहीं हो सकते। उनको एक और आपत्ति यह है कि दूसरे का मुख करने के लिए आवश्यक आवस्तिक परिवर्तन काम की बतौर मान जवास्या का नष्ट कर दिये और इस प्रकार उनका अपना ध्येय ही नष्ट हो जायगा। यह परिवर्तन क्रमशः और थोड़ा-थोड़ा करके किया जा सकता है। आपत्ति का जावारम्भ कारण यह है कि सारे ही कारखानेदार परिवर्तन की नापनद करते हैं। तीसरी आपत्ति योजना कभी और इनके साथ होने वाले कन्य आडम्बर के विषय में है। वहाँ जाना है कि इसमें लागत बढ़ जानी है, विशेषकर इस कारण कि इसमें अनुवादक लागू नियुक्त किये जाते हैं, जिनके बेनत ऊपरी व्यय में बढ़िया कर देने हैं। यह तर्फ दिया जाता है कि मर्दी के जमाने में मजदूरों की सह्या घटाना तो सम्भव है परन्तु दूसरे तरफ़ और अधिकारियों को हड्डाने में दमनता पर अवश्य दूरा प्रभाव पड़ेगा। इस बात में सचाई है। परन्तु वैज्ञानिक प्रबन्ध के लागू करने में होने वाली बचत में इसकी आमानी से पूर्ण हो सकती है और मर्दी के समय में भी कारखाना अपने प्रतिस्पवियों के साथ सफलता के साथ मुकाबला कर सकता है।

**मजदूरों का विग्रेष—**अपितृष्ठ थमिकों के नेताओं ने वैज्ञानिक प्रबन्ध के दिक्षुद्ध सबसे अपितृष्ठ शोर मचाया है। थमिकों की मुख्य आपत्तिया निम्नलिखित है —

(१) मुख्य आपत्ति मह है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध प्रक्रमों के उपयोगादान और प्रनालीकरण द्वारा मजदूर के स्वयंकृत्य ( Initiative ) को नष्ट कर देता है, उसके हमारीमाल को समाज कर देता है, नीरसता पैदा करता है, जान का एकाधिकार कारण करता है और सनदूर को एक यात्रिक आटोमेटन बना देता है। पहले है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध एवं औपनि मजदूर के बहुत से काम जो पहले वह स्वयं करता था, पूरे करके उसके विद्यालय की मीमांसा को कम कर देता है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि औपनि मजदूर की पहचान अवस्या उन्नादक स्वयंकृत्य की अवस्या थी। सापारण कारखाने में आम तौर से मजदूरों को उनकी योग्यता से छोटे

कामों में लगाया जाता है। इसका यह परिणाम होता है कि यह विचार उनके मन में घूमता रहता है और उत्पादन कम होता है। दक्षता वाले बारतीने में लक्ष्य यह नहीं है कि वे जिस काम के योग्य हैं, उन्हें उस ऊचे से ऊचे काम पर रखा जाय। इसके अलावा, कार्यकर्ताओं का दिक्षकों के एक समूह से घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है, जो उन्हें प्रशिक्षण विद्यालय भी तरह सर्वोत्तम विधि समझाते और करके दिखाते हैं। यह कहना गलत न होगा कि उत्पादन की अन्य पद्धतियों की जपेक्षा वैज्ञानिक प्रबन्ध के तिलमिले मध्यिक सौचता आवश्यक है और अधिक ही सौचा जाता है। मजदूर वा ध्यान अपने कार्यभार की ओर अधिक तेजी से लिखता है। उसके मन में इमके लिए एक नया सम्मान पैदा हो जाता है और यह निश्चित हो जाता है कि उसकी दिलचस्पी बढ़ती जायगी क्योंकि वैज्ञानिक प्रबन्ध में प्रमाण स्थिर नहीं, बल्कि प्रगामी होते हैं।

२ थ्रिमिक नेताओं वा वैज्ञानिक प्रबन्ध पर दूसरा ऐतराज यह है कि यह अंतर्कालीनीय है, क्योंकि इसमें वृत्त्यवारी अफसरों वा निरेकुश नियन्त्रण होता है और मजदूर की द्वितीय और जिम्मेदारी कम हो जाती है। वहा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध मजदूर वो औचित्य के सम्बन्ध में मालिक की धारणा स्वीकार करने के लिए वाधित करता है और मजदूरी पर लगाने, धार्य भार वो जमाने, मजदूरी की दर निर्धारित करन, या नीकरी की साधारण दशाएं निश्चित करने में मजदूर की कोई आवाज नहीं रहने देता। यह मानना पड़ेगा कि इस मामले में टेलर की विधि सचमुच आशेष-योग्य थी। इसमें जीवोगिक निर्देशन और पर्यवेक्षण की ऐसी पद्धति कायम हो जानी भी जो मजदूरी पर सख्त नियन्त्रण लागू कर देती थी, जिसमें उन्हें विचार या सवाल जबाब दिये जाएं और केंद्रों वा पालन करना होता था। परन्तु टेलर पद्धति की मोर्यान-तम्मीय योजना के स्थान पर वृत्त्यवारी प्रबन्ध लागू कर दत स विभिन्न दृष्टि करने वाले विभागों मध्यिक समन्वय पैदा करने में सफलता हुई। प्रबन्ध सम्बन्धीय या प्राविधिक (टैक्नीकल) दक्षता के केंद्रे प्रमाणा में स किमी पर लापत्ति उठाने की गुजाइश नहीं, परन्तु उसकी यह माग मरी है कि अपने कायाकार, कार्यवालों का उमस मलाह ली जानी चाहिए। तो भी प्रत्येक मालिक का, जा सब शर्नों को, चाहे के थुकियुक हो या थम्बूक है, विना नुननच के स्वीकार नहीं कर रेता, जलोक्तनीय, निरेकुश, हृदयवीन, सनमानी करने वाला और मजदूर के उचित भविकार वा अपहर्ता दता दिया जाना है। जमर में विरोध वा जारिक वारण यानिक दिनव्रम (routine) के परिदृ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया और अग्रन्त इस तथ्य के बारण है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध पर्जी-पति द्वारा प्रस्तावित सुधार है। हाल के क्षणों में मनदूर वा सहयोग प्राप्त करने के लिए और उस यह अनुभव करने के लिए कि वह बारतीने में हिम्नेदार है कुछ प्रयत्न हुए हैं।

३ इस पर अन्यथा विद्या के अन्तर पर भी लापत्ति की गई है, क्योंकि इसमें लाग होने के परिणामस्वरूप होने वाली लाभ-वृद्धि का मुख्य बहु पर्जी को जाएगा। चाहे मजदूरी किनी भी बड़ जाए और प्रावित्रम बोनम देने के विभिन्न रूपों के साथ

मजदूरी करने वो चालाकिया भी चलनी रहती है। सखेष में मजदूरों को यह भव है कि यह अन्वायुन्व, मजदूर की हानि की दृष्टि में प्रयुक्त विद्या जा सकता है और इसमें इनके उद्योगिन मिदान्तों और जात्यारों के दुरुपयोग के विहृद कोई गारण्डी नहीं। इस पढ़नि में चाल बड़ाई जानी है और मजदूरों को हाका जाता है कि इसने मजदूरों पर स्नायविद्व दबाव पड़ा है। इस दबोल म सचाई है, क्योंकि दश अभिकरण उपयोग की तरह दुरुपयोग म भी दश हो सकते हैं। पर यह मानना पड़गा कि दुरुपयोग का भय वैज्ञानिक प्रबन्ध के विहृद तक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक प्रबन्ध को लागू करने म प्रबन्ध आवश्यक है और क्षुद्र स्थाये के घोष से अपनायी गयी काई भी पढ़ति वर्ती है।

४ एक और आपत्ति इन तथ्य के आधार पर है कि इसमें मजदूरी की वचन बलने वाले उपाय अपनाने के परिणामस्वरूप मजदूर बकार हो जाते हैं। नि सन्देह इसने कुछ बेकारी ही जानी है पर वह अस्थायी डग की होनी है। मजदूर की माग कोई स्थिर नहीं है, क्योंकि आधिक भक्तियां सदा प्रगामी और गतिशील हीने के कारण मजदूर की माग पैदा करनी रहती है।

५ विरोध का अन्तिम और सम्भाव्यत असच्ची कारण यह है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध वारताने में मजदूरों के लिए सन्तोषजनक अवस्थाएँ पैदा करके उस सीमा तक इन मजदूरों पर श्रमिक नेताओं वा प्रभाव बम कर देना है। मजदूरों के दल में नगठन और हिन्दों की एकता की भावना कम हो जानी है क्योंकि सन्तुष्ट मजदूरों को सामूहिक सौदेवाजों के द्वारा अपने नेताओं से किसी सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। जब एक बार यह अनुभव वर लिया जाएगा कि ट्रेट यूनियन वा जो लक्ष्य है वह बिना मध्यम या विद्वीह के प्राप्त किया जा सकता है, तब ये ऐनराज समाप्त हो जायेंगे।

**मनोवैज्ञानिकों वा दृष्टिकोण—** वैज्ञानिक प्रबन्ध का मुख्य घोष यह रहा है कि मनोवैज्ञानिक का ऐसा “व्यावहारिक प्रयोग किया जाय जिसमें मानव ऊर्जा के विनाश व्यय से अधिकतम उन्नादन प्राप्त किया जा सके।” यह सच है कि “इसता विद्यों ने शारीरिक श्रान्ति को समाप्त कर दिया और उस सीमा तक मजदूर वो अवस्था को सुझारा है, परन्तु प्राप्त उन्हें ऐसे डग से लान् दिया गया कि उससे मजदूर पर और अभिक स्नायविष्य तनाव पड़ा है। इसने अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक परिचयों को महीने से लान् करना भी ठीक नहीं, क्योंकि व्यक्तिन्यविकास में भेद होता है और भेद पर ध्यान न देने से गहन परिणाम निवाप्त है। प्रात्तरण के किए, गिरन्धर्यों ने अनुभव में देखा कि विराम घड़ी द्वारा सभी अव्ययन के जो अक प्राप्त होते हैं, वे पूर्णतया परिगुद्ध नहीं होते, क्योंकि घड़ी इन्होंने तेज चलती है कि उसमें पूर्णतया परिगुद्ध परिणाम नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी देखा कि इन्होंने न्याय (डंडा) का अभिज्ञ जरने में पुष्ट हो भड़ो है और यह निरचय करना कि बौन ने नमस्त चुरे जाएं, अधिकतर अपने अन्ने विवेक वा प्रश्न है। इनलिए उन्होंने अपने प्रभाव, “क्षाम करने की एक मात्र सबोत्तम रीति,” वो रागू करने वा प्रतिशादन किया। पर प्रभाव के लिवेय द्वारा बनाये गये एक कोनोनाइक्योग्राम यानी वालवय-लिंगित के उपयोग पर आधारित

या। पहले मूळभ-कालमारी, याना माद्रास-कोटोमोटर और चलचित्रों के उपयोग द्वारा परिशुद्ध मध्यम याम जिभिन्नित बरते के लिए मूद्दमगति (माइक्रो-मोशन) का इस विदि का निर्देश किया जा चुका है। मनोविज्ञान-वेत्ताओं के वाक्षात् के अन्यावा, यह विदि आपुनिक उद्योग में भरत प्रक्रिया की अपेक्षा करने वाले वहाँ वहूं बड़ कार्य के लिए बहुत सर्वोत्तम रौनि<sup>१</sup> है। “एकमात्र सर्वोत्तम रौनि” के विषय में यह कह दता ठीक हांगा कि यह न मान लेना चाहिए कि कार्ड एक ऐसी आदर्श विदि है जो एक प्रभाप चार और एक प्रभाप गति में निश्चिन हो सकती है, क्योंकि यह स्मरण रखना रखना चाहिए कि मजदूर मजदूर म विदि और ताल को दृष्टिस, जो या तो उनके लिए “स्वाभाविक” होने हैं और या उन्हें जादन पढ़ जानी है, वह व्यक्तिगत भेद होने हैं। ‘एक मात्र सर्वोत्तम रौनि’ के मिट्टान्त की सबसे अधिक विकार-नूर्ज जलाना एक अचन्त प्रभुत्व ओवागिक भनोविज्ञान-वेत्ता दा० मी० एम० मात्रमें के या या म पेश कर जा सकती है। यापन लिखा है —“मुख्यत ओवागिक मनोविज्ञान वेत्ता के बढ़ते हुए प्रभाव वार उम द्वारा का गई गवेषणाओं में वह यह स्पष्ट हो गया है कि काम करने का कार्ड एक मात्र सर्वोत्तम रौनि नहीं, कि विभिन्न मजदूरों के लिए विभिन्न वैलिया उपयुक्त होता है और कि प्रतिक्रिया के मिट्टाना का आधार यह होता चाहिए कि मजदूर का निश्चिन न न दुर्ग जादन प्रह्ल करन म रात्रा जाय, यह नहीं कि उन एक समान विदि, जो शायद उनके लिए जनुयक्त हो, आपनान के लिए बाहित विदि जाए।” “जगत् मच्छन जप्तवत् वे परिणामस्वरूप वाम का यन्त्रित रण और मजदूर का प्रभापावरण हो जाता हो, तो दूसरी अवस्था पहुंचे में बुरी है और उन विद्याविद्या में, जो मानवाय अधि की इनकी बुरी तरह उपक्षा करती है, दरता म कार्ड बूढ़ि नहीं होता।

वैज्ञानिक प्रबन्ध और इमरत विदिया की, विश्ववकर मजदूरा है मिर्गिमे भ, प्रा० सारजट पर्सोरेस ने जो जागाचना का है, वह मनोरजक भी है, और शिक्षा-प्रद भा। आपन लिखा है कि शुद्ध म वैज्ञानिक प्रबन्ध का रक्ष्य और विदिया दक्षता बृद्धि के लिए बनाय गय थ पर उनके लाएँ किय जान पर इस जान्दालन के व्याख्याना यह दावा कर रह है कि इस ओवागिक मजदूर की हालत सुपर गई। पर “विश्वपत्र” मजदूर ममस्ता का मध्यवत् भ जममय है और जरन ज्ञान के कारण उन ममस्ताओं का हूल करने का दावा करते हैं जिन्हें जान काट भी मापांत्रिक विज्ञान ममवत् हुए नहीं कर सकता, और दूसरा बात यह है कि जहा कहीं वैज्ञानिक परिणाम सम्भव है, वहा वैज्ञानिक प्रबन्ध स्वतन वैज्ञानिक नहा रहा। इसलिए आपका बहना है कि (१) जहा वैज्ञानिक ममांदान अममनव है वहा वैज्ञानिक प्रबन्ध घड़े-घड़ जनिरजित दावे करता है ग्राम वैज्ञानिक प्रबन्ध के परिणामस्वरूप मजदूरिया निदचन स्प म बड़ी है, पर इमका यह अव नहीं है कि यह बूढ़ि विद्यों स्वत्र प्रवर्त्तमान वैज्ञानिक नियम के

<sup>१</sup> विनेम रेशन ट्राइनिशन, पृष्ठ ३८।

<sup>२</sup> ए वो ज्ञान, दिव्यज्ञान एण्ट दि वर्कर पृष्ठ १३९।

कारण हुई। प्रबन्ध दोनों नैयार करता है और प्राव बृहुठ ऐसी वारणा के जामार पर करता है कि किसी विशेष ध्रेगों के मजदूर को क्या मिलना चाहिए। टा० टेलर के मिडानों में प्रत्येक मजदूर म यह बात स्पष्ट को भई है। एक जगह यह बताया गया है कि यह निश्चय करने के लिए कि मव बातों पर विचार करने के बाद बास्तव में किनता धनियूर्ति मन्त्र्य के मन्त्रे आर लड़ोच्च हिन के लिए है भावधारी से, निष्पत्ति भाव में, बहुत मे पराक्रम किय गय थ। विचार ता जच्छा है पर इन विज्ञान नहीं कह महत। (२) उह वैज्ञानिक मनामान मन्मव है, उह वैज्ञानिक प्रबन्ध मजदूरों को अन्यथिक चाल तथा स्नामविक तथा शारारिक परिस्थानि म दबाता है परन्तु निम्नलिखित तथ्यों मे निष्पत्ति निष्पत्ता है कि मानवाद यश का वैज्ञानिक दिटि म जरा भी जन्मपन नहीं किया गया। (३) ममद अव्यवस्था महगामी गनि अव्यवस्था के विना ही कर लियागया, (४) अनिचाल का सन्तरा इन विचित्र टग के बारण बट जाना है कि मजदूरों के एक समूह का दायें-भार मदमे अविक जन्मकल परिस्थितिया मे सबसे अविक तज अभिन्नत्व के जामार पर किया जाना है। (५) कमचारियों वो छाटन, प्रशिक्षित करने और उद्दीप्त बरन की ओर वैज्ञानिक ध्यान नहीं दिया गया, जिनका टेलर न शूल में ग्रनितादन किया। अव्यवहार मे यह स्ट्रज्ज है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध, उद्योग म भानवीय कार्य की दबाना को आर उतना ध्यान नहीं देना जिनना कि उमने भौतिक कारक की दबाना पर दिया है। जहा तक इजीनिरिंग उपभोगिता का प्रदन है, वैज्ञानिक प्रबन्ध की नक्काना का प्रदन ही पैदा नहीं होता। इमन भौतिक दबाना को बहुत बड़ा दिया और यह बृद्धि उन बातों की ओर नवेन रहकर ध्यान देने मे हुई है, जिनम मानवीय कारक अधिकारिक जन्मरूप है। परन्तु इमने आ इमके दावे विज्ञान के क्षेत्र म वाहर है जयवा नावाई आमार पर यह है। जायिक जगत ओर मानवीय कारक वैज्ञानिक प्रबन्ध के दर्शन की कल्पना की उडान म र्न, अविक जटिल है। अन्त में, प्रोफेसर पडोरेन्स न लिया है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध एक मुमार अवस्था है, पर जिस हर म इस पर दम्भुत-अमल हो रहा है, उस स्प म यह कोई नयी चीज नहीं है, बल्कि “हाथ की बुद्धिमता” के नये ध्रेय मे विकोरियन दबाना की लात् करता है। यह उद्योग के भारत निरक्षण निम्नता मे कोई परिवर्तन नहीं भर महता, जोर न यह उद्योग की मजदूर सम्पत्तियों पर वैज्ञानिक गवेषणा की बस्तुत लात् करता है।

विभिन्न जातियों की जाति करने के यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध पर उनना जासोप नहीं किया जा सकता जिनना उमे प्रमल मे लात के नरोंनो पर। सुनी की बात है कि हाल के बर्यों मे टेलर-शास्त्र की रोनियों नो अविक बुद्धिमता मे लागू करके “वैज्ञानिक प्रबन्ध मे ओदायिक मनोविज्ञान और कायिकी (किजिओनीती) को मनाविष्ट करके और ध्रम तथा प्रबन्ध के वृत्तों और पारम्परिक मन्दनों मे दोनों पक्षों मे अविक योहाई के द्वारा इन मे मे यहुत मे आजोप दर कर दिये गये। दोनों पक्षों मे सामवन्य और पारम्परिक सद्भाव की लात्ता है और यह जन्मव किया गया है

कि नामूहित्य मोदेवाजो, जो वैज्ञानिक प्रबन्ध का एक हिस्सा है, मन्त्रालय को नवे अप में जल्दी काम बराने को विधि द्वारा दोषित करने की इच्छा के विरुद्ध नवसे विधिव नुनिश्चित गारंटी है। चिदानन्द के रूप में वैज्ञानिक प्रबन्ध अन्धी छाँत है पर यदि इने उद्दोग में वरचतापूर्वक लाभ बरता है तो इसमें नव व्यवस्थाएँ वा पूरा संस्कारण होना चाहिए।

## अध्याय :: १६

### वैज्ञानिकीकरण

( Rationalesation )

**अर्थ और क्षेत्र—** वैज्ञानिकावरण या रेशनलाइजेशन एक वेडोल शब्द है, जो पहले महायुद्ध के बाद जर्मनी में प्रयुक्त होता था। यह शब्द अर्थशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य में चारा तरफ गूज रहा है। यह शब्द 'समाजेलन (एमलगेशन) और कीमत चक (प्राइमरिंग) आदि बहुत पुराने औद्योगिक तरीकों का दिया हुआ एक सुन्दर नाम," "एकाधिकार का छिपाने के लिए एक जाड़स्वरपूर्ण शब्द" बताता जाता है।

इस जान्दालन के बारे में औरन आदमी का यह विचार है कि यह उन कई सारी सम्बन्धित प्रवृत्तियों को परिष्कृति को निश्चित करना प्रतीत होता है जो प्रथम महायुद्ध के दौरान बाद औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र हो गई थी। इन प्रवृत्तियों में से कुछ ये थी—अध्यवस्थित प्रतियोगिता के स्थान पर औद्योगिक सम्मिलन के अन्तर्क रूपों में प्रश्नोक्तरण को बढ़ा और वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा दबाता विधियों के बढ़ि। योडे से शब्दों में यह बता देना कि रेशनलाइजेशन या वैज्ञानिकावरण का यह अर्थ है, कोई हमी-खेल नहीं। इस तरह के जटिल प्रक्रम में ऐसे विविध बारक हैं जो प्रत्येक उद्योग में और उस उद्योग की होरेक शाखा में एक दूसरे में इतने नित हैं कि उन्हें सबको किसी एक सिद्धान्त के नीचे ले जाना बड़िन है। इसके अलावा, इस शब्द का अर्थ अपने शुरू के अर्थ को अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक हो गया प्रतीत होता है।

रेशनलाइजेशन शब्द जर्मन भाषा के रेशनलीनियरेशन शब्द से निकला है। जिसका जर्मनी में सबसे पहले प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद प्रयोग हुआ था।

शुरू में यह शब्द एक अधिक सुनिश्चित और संरक्षित लक्ष्य का बोलने के लिए प्रयुक्त हुआ था और यह लक्ष्य पुढ़ोतर-जालीन परिस्थितियों, विशेषज्ञ दृष्टि स्तर की परिस्थितियों के कारण बना था। वह लक्ष्य यह था कि कुछ औद्योगिक बारकानों के उच्चालन का राशन वर दिया जाय, अर्थात् उनकी सीमा निश्चित बर दी जाय, और मात्र ही लागत में वर्षों बर दी जाय, पर अब यह शब्द उम बहुत अधिक व्यापक नामिक बाबत हो गया है जिसे समार भर के उद्योगपति अपना रहे हैं। जिनीवा म १९२६-१९२३ में हुए विश्व आर्थिक सम्मेलन में रेशनलाइजेशन या वैज्ञानिकावरण की घटनाक्रियाएँ की गई थीं कि प्रयाम या मानविकी की हानि को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से अपनाई गई प्रविधि और नामित थे। विकास वैज्ञानिकावरण के अन्तर्गत आते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक सम्मेलन प्रयोगों के सर्वावरण और परिवहन तथा प्रियगन (मार-

केंद्रिग) के व्यवस्था में सुझार भी। इसमें शामिल हैं। वैज्ञानिकीकरण जिस व्यापारभूत दाता का प्रणाल बरता है वह यह है कि यह ज्ञानिका वा विद्यालय, उत्पादन पर रोब और उत्पादन नथा उत्पादकों को अधिकता को पठाना मान है, अर्थात् जान-ज्ञानवर याजना हारा डम या उम एवं या वारखाना की नहीं, वर्षिक प्रत्येक उद्योग और उद्योग समूह की, या औद्योगिक उत्पादन के मार धोन में उगत को व्यवस्थित रखने में घटाना और कुछ उत्पादन की वहाना तथा जो कुछ उत्पादन हा, उसका बुद्धिपूर्वक वितरण। इस प्रवारप्रकल्प-उद्योगमें बहुत है कि वैज्ञानिकीकरण का लम्हा एवं उद्योग के सब कारखाना में किया नरहै कि यह वायवाही के द्वारा वैज्ञानिक और युक्तिवृत्त रैसिम वरचारी और अदेखना वा दूर बरना है। इसमें विज्ञान वह है जिसका वैज्ञानिक प्रवन्ध में उत्पादन किया जाता है और युक्तिवा सम्बन्ध इस दाता में है कि वहाँ से भार और नेतार बन्नु के बाँके सिमित प्रत्येकों ने सम्बन्धित जनक वारखानों को शीर्षता (वर्डिक्ट) एवं वर दिया जाता है जबकि उभी प्रत्येक में लग हुए कई वारखानों द्वारा थैतिनित एवं वर दिया जाता है। इसलिए वैज्ञानिकीकरण के दो पहलू हैं, एक भौतिकी और एक वाह्यरी। जब इसे बाहर से लागू किया जाता है तब इसका लम्हा यह होना है कि कमज़ार और बदल एकका वा खत्म करने की दृष्टि में कम मन्यों पर योजनावद्ध चिनरण बरत और बच्चे सामान नथा प्रोद्यागिक गवेषणा के मम्चत्य को दृष्टि से बहुत मार स्वनन्द और विविध प्रवार के वारखाना को नज़ीब एकता में वापर देना। भौतिक वा बाहर में लाग बरन में इसका लम्हा है एकीकृत एवं का वे अन्दर वैज्ञानिक प्रवन्ध का विभार। आप वैज्ञानिकीकरण का रैशनगर्इजेशन का लम्हा मिर्झ रैशनिंग या मात्रानिश्चय ही नहीं है, वल्कि उद्योगों के प्रति रैशनगर्ट्जेशन या युक्तिवृत्त होना, अवान्दन सब प्रवस्थाओं में युक्ति को लाग बरना है।

तो “उद्योग का वैज्ञानिकीकरण उत्पादन के माध्यमा और उपयोग के सम्भाल्य माद्यना वा भास्यमाला बरने का प्रयत्न है जोर मूल्या को ऐसे डग में विनियमित बरने का एक धन्य है जिसमें छोड़े पहाड़ की बढ़ूर गेखाओं के समान जड़ों और गिरत जड़ों के बजाय मूल्यों का एक वास्ती समतल माग बन जाए जिस पर व्यापार और वाणिज्य चढ़ सके”<sup>१</sup> रैशनगर्इजेशन का जो मवमें अधिक व्यापक और मवमें अधिक स्वीकृत अवयं है, उसमें इसे इस तरह परिभासित किया जा सकता है कि उत्पादन की और उत्पादन के वितरण के विधिया वा ऐसी गति ने जान-ज्ञानवर पुनर्वनस्थापन बहुता हि इसमें अधिकतम आर्थिक और नामाजिक गाम प्राप्त है। इसके माय-साय अधिक और नामाजिक याजना निर्माण, व्यापकस्थ और आर्थिक नियुक्ति की सम्भावनाओं में वसो और आर्थिक तथा मामाजिक व्यवस्था को पुनर्वनस्थापन भी होनी है। उम लान्दोलन की मूल अवधारणा पुह है कि मर्यान, मामरी, व्यापक-प्रान्तिक प्रक्रम, उन सब में बनावध्यक अधिकता को खत्म बर दिया जाय। इसलिए सबको

मिदाकर दिचार वरे तो यह प्रत्येक उद्योग को सबमें अधिक जाधारभूत और मन्दमें अधिक पक्षप्रद जार्यिक उपाय, अर्थात् थम के विभाजन का अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। बजाय इसके कि अपने-अपने पृथक् भगठन बाढ़ी बीमा स्वतन्त्र फैब्रिरिया हो, जो बहुत तरह को बस्तुएँ बनाती है, वैज्ञानिकोक्त उद्योग का आदर्श यह है कि एक केन्द्र में नियन्त्रित थाड़े न बड़े-बड़े बारताने हो, जिसमें प्रत्येक बारताना अपनी पूरी अमता में बाम करता हुआ यथामन्मव व यांग मी बस्तुएँ बनाता रहे जिनके लिए यह मन्दम उपयुक्त है। इस प्रकार के भगठन में जो बचत होगी, वह अलग-अलग उद्योग में बहुत भिन्न-भिन्न होगी। उन उत्पादनों में सबमें अधिक बचत होगी जिनमें बहुत भागी स्थिर पूँजी काम आती है और जो एक मी बस्तुएँ बनात हैं, जिन्हें आमानों में प्रमाणित किया जा सकता है। पर बचत की बात कम या अधिक दूर तक औद्योगिक बार्य के प्राप्त प्रयोक्त धोत्र में लागू हो सकती है।

**वैज्ञानिकोक्तरण और वैज्ञानिक प्रबन्ध—**एक समय वैज्ञानिकोक्तरण शब्द वैज्ञानिक प्रबन्ध के मिलानों के प्रयोग का मूल्यन बनने के लिए ही प्रयोग किया जाता था, परन्तु जब दोनों शब्दों में भेद समझा जाने लगा है। वैज्ञानिकोक्तरण बहुत अधिक व्यापक शब्द है जिसमें वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा और बहुत मी बातों का समावेश होता है। डॉ मी० एम० मायर्म<sup>१</sup> ने इस भेद को बड़े प्रभावनीय ढंग में प्रस्तुत किया है। यापने किया है—“इस प्रकार वैज्ञानिकोक्तरण के अन्तर्गत वह चीज़ भी है, जिसे एक व्यवसाय में वैज्ञानिक प्रबन्ध, अर्थात् थम और प्रबन्ध का वैज्ञानिक मगठन कहते हैं। पर इसका दौर और अधिक विस्तृत है—इसमें न बेदल एक बारताने के अलग-अलग वर्मचारियों या विभागों में, बल्कि निकट-सम्बन्धित या नमिलित बारतानों में भी, निकटतर मन्त्योंग होता है। दूसरे, वैज्ञानिक प्रबन्ध बनाना उत्पादन की दशना बढ़ाने म ही व्यग्न रहता है, जबकि वैज्ञानिकोक्तरण किसी एक उत्पाद की बहुत मी आवश्यक किसी के मरणोक्तरण और इनी प्रकार गुट (कम्बाइन) के मौतर सामान, यथा, उत्पादों और उनके पैकिंग के प्रभावीकरण की आर भी विभेद स्पष्ट में प्यान देना है।” तो मरी बात यह है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध मुख्यत थमिकों के प्रबन्ध और दक्षता में सम्बन्ध रखता है, जबकि वैज्ञानिकोक्तरण के अन्तर्गत वित्तपायन, उत्पादन और वितरण तथा परिवहन, विज्ञान और विज्ञान के सर्व आदि मध्य बार्य आ जाने हैं। चौथे, वैज्ञानिकोक्तरण में विनियम एकत्र का एकीकरण आवश्यक है पर वैज्ञानिक प्रबन्ध का इसमें हुठ बास्ता नहा। पाचवी बात, जो ऊपर बाढ़ी बात ने ही निरूपी है, यह है कि वैज्ञानिकोक्तरण का मध्यम महत्वपूर्ण उद्देश्य, जिसमें एक स्वतन्त्र बारताने में होने वाले वैज्ञानिक प्रबन्ध का कुछ सम्बन्ध नहीं, यह है कि हनिमन्त्र प्रतियोगिता को सम्भ विया जाय और इसके लिए वह कमज़ोर बारतानों को घरीदकर बाद में बन्द बारते स्वन बरहता है। किसी वस्तु किमोप के उत्पादन को मात्रा गुट के प्रयोक्त सदस्य वे लिए

निश्चित कर देना है। वस्तु-विगेष के लिए प्रत्येक सदस्य कारखाने का कोई निश्चित कर देता है, और इम प्रकार मुकाबले की विशेषता से हीने वाली हानि को रोक देता है, गुट्ट के किसी मात्रे उत्पाद को बेचने के लिए वीमत निश्चित करता है और इसके लिए लागत लगाने की समिलित पढ़ति, कच्चा सामान खरीदने की साझी व्यवस्था और गुट्ट का माल बेचने का इकट्ठा प्रबन्ध करता है। यदि कोई हानि हो तो उसे सारे गुट्ट पर फैलता है और प्राविधिक, वाणिज्यिक तथा आर्थिक गवेषणा के परिणाम से बिल्कुर लाभ उठाने की व्यवस्था करता है। “अनिम वान यह है कि वैज्ञानिक प्रयोग एक ही एक के भीतर हृत्या के एकीकरण, भेद और मूलवृद्धता में वास्तव रखता है पर वैज्ञानिकीकरण एक गुट्ट के भीतर ये सब चीजें भी करता है और इसने थांगे, यह सब तरह के मजदूरा की सन्तुष्टि, राजमार की स्थिरता, उपभोक्ता की आवश्यकताओं और अन्त म सारे समाज की असुविधाओं पर विचार करता है—उपभोक्ता का भी यह नीची वीमत पर उसकी आवश्यकता के लिए उपयुक्त बन्दुरे प्राप्त करता है और समाज की अधिक जार्यिक स्थिरता तथा जीवन की दशाओं का अधिक जँचा स्तर प्रदान करता है।

इसके प्रयोग की ऋमिक अवस्थाएँ—वैज्ञानिकीकरण के वास्तविक प्रयाग में विन ऋमिक अवस्थाएँ हैं—१ योजना-निर्माण, २ पुनर्विन्यास, ३ विकास। योजना-निर्माण का पहला कदम बाजार का टोक-टोक सर्वेक्षण करना है, जिसके अन्तर्गत बनेमान बाजार का सिटाइलेक्ट, सम्भावित बाजारों, और वितरण के मार्गों का तथाभीता लगाना पड़ता है। इस सर्वेक्षण से यह निश्चय करना सम्भव है जापना कि क्या उत्पादन किया जाय और गुट्ट के विभिन्न एककों में से कौन उत्पादन करे, क्या मूल्य रखते जाएं, और विन मार्गों का उपयाग किया जाय। एक बार विनी का वापरनम तय हो जाने के बाद वैज्ञानिकीकृत एकक में उत्पादन की याजना तंयार करने में काई बहिराई न हानी चाहिए। सारत इसमें वही बात हानी है, जो एक वैयक्तिक व्यवसाय में, अन्तर सिर्फ इतना है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बास होता है। उत्पादन, धन्य, धम, कच्चा सामान, शक्ति, पर्यवेक्षण और निरीक्षण, इन सबकी मात्रा निर्धारित करके उनकी शुद्धता की जांच करने के लिए और तुङ्गा की दृष्टि से, वित्त की एक सामान्य इकाई के न्यू में ले आना चाहिए। इसके लिए एक व्यापार कार्यक्रम बनाया जाना है जो विनी कार्यक्रम और उत्पादन कार्यक्रम अमृत में लाने पर सम्भावित दिनीय परिणाम पहुँच ही बना देता है।

दूसरी अवस्था है पुनर्विन्यास जिसमें प्रमाणीकरण और सरलीकरण होता है। पुनर्विन्यास उपलब्ध (एक्विपमेंट) और धन्यों तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उनके प्रसारीकरण न मन्यव्य रखता है। यह बस्तुआ की किसी के सरलीकरण और धटाने में भी मन्यव्य रखता है। नोपम, यह अनिरेक का समान बरने में मादव्य रखता है। निर्माण के लिए इनका वर्ष है अधिक उत्पादकता और कौशल, धम वरवादी और कार्यकर्त्ताओं की जगही में प्रदीपना की प्राप्ति, सामान और बाली

पुत्रों में कम पूजी वधनी है, लागत लगाने की पद्धति सरल हो जाती है और मौसमों परिवर्तन के प्रभाव बहुत हो जाते हैं। तो भी वैज्ञानिकीकरण में यह आवश्यक है कि किनी एक्स को एक उत्पादक एक्स के रूप में सौचने से पहले विषयन एक्स के रूप में उनकी पोजना बनायी जाए। इसने विपरीत क्रम तभी उचित हा नहीं है जब या तो राज्य पूरी तरह नमाजीहूँ हो और या पुढ़ की अवस्था हा—पहली अवस्था में तो उन्यादन राज्य के लिए हाना है, और इसी अवस्था में यह राज्य के एक विभाग द्वारा दिये हुए एक टेक्स के जाहीन किया जाता है।

तीसरी अवस्था में विशेषीकरण या उपविभागीकरण (मैक्सिनलाईजेशन), जो वस्तुत प्रभावीकरण का तर्फ़ भगत परिणाम है, के विस्तार द्वारा पोजना का विषयम होता है। इसमें पहले में अधिक यथोक्तरण करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप अब उन्यादन के छोटे ऐ टोटे प्रक्रम के लिए भी मशोना का उपयोग किया जा नहीं है। के बहुत अधिक चाल और दक्षता से काम कर सकती है। साथन बास्तव में उत्पादक हो जाने हैं। यही हुई उन्यादन का उन्यादन साधना का मुक्त कर देनी है। यह—“पूजी प्रूनिफ्ल” के रूप में नहीं, बल्कि “पूजी के प्रूनिफ्ल” के रूप में कार्य करती है। यह असली बचत है। यह चार प्रकार में आर्थिक दृष्टि में प्रभावकारी हो सकती है। कारखाना इस प्रकार मुक्त पूजी को, उसी तरह की अन्य वस्तुएँ बनाने में लगा नहीं है, कारखाना उन्यादन में वृद्धि करके या विना वृद्धि किये, कीमत में कमों कर सकता है, पर बास्तविक मजदूरी बढ़ा सकता है, अन्न में, यह मुक्त साधनों को साम के रूप में दिखा सकता है और उनका वितरण कर सकता है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि वैज्ञानिकीकरण का अब उत्तरोन्तर अधिक यथोक्तरण नहीं है, और न प्रगाढ़ीकरण (इंडिपिलिकेशन) है। उनीं मर्दीनों के स्थान पर बहुत आदमी लगाकर वैज्ञानिकीकरण करना भी सम्भव है। प्रगाढ़ीकरण तावन वैज्ञानिकीकरण में भिन्न चीज़ है। वैज्ञानिकीकरण का अर्थ है आनुविक्तीकरण और मर्दीनों तथा मजदूरों का तर्फ़ भगत मार्ग-प्रदान, दूमरी और प्रगाढ़ीकरण में पुरानी भौतिकीयों को नया किया जाना है, और इसके बाद मजदूरों की क्षति पहुँचा कर भी सर्पाइंग जप के द्वारा तेज़ चाल करने का यन्न किया जाना है जिसमें मजदूर का और अन्नोंगत्वा ममाज को हानि होती है।

इसलिए मन्त्रे अयों में वैज्ञानिकीकरण अपने शुद्ध स्वार्थपूर्ण प्रोद्यागिक और वार्षिकिय पट्टनुओं में व्यवसाय पर विचार करने के बाय, इस पर व्यापक आधिक, सामाजिक और साधारणता मानवीय पट्टनुओं में भी विचार करता है। इन मन्त्र पट्टनुओं के विना यह व्यवसायिक मामला का कूट वैज्ञानिकीकरण (स्पूटा-रेगनलाईजेशन)<sup>1</sup> है।

वैज्ञानिकीकरण के सफल प्रयोग के लिए बड़े पैमाने के उन्यादन का बड़े पैमाने के उपयोग में मनुषित करना चाहिए। जब तो यह है कि वैज्ञानिकीकरण का मुख्य

१. मादर्म, पूर्वोत्त पुस्तक में पृष्ठ २३।

प्रयोजन वरदादी को खत्म करना है, जिससे उत्पादन सस्ता हो जाय और साथ ही सम्भरण और माग को लगातार सतुरित रखा जाए।

**वैज्ञानिकीकरण और राष्ट्रीयकरण**—इन दोनों शब्दों का अर्थ और क्षेत्र एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। राष्ट्रीयकरण एक नीति है, जबकि वैज्ञानिकीकरण एक प्रक्रम है, यद्यपि दोनों को, विभिन्न सिद्धान्तों वाले लाग, हमारी सब जार्थियों द्वारा इसके को दूर करने वाले जानुर्वै इलाज के रूप में पेश करते हैं। ऐनिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो वैज्ञानिकीकरण का प्रयोग अनेक देशों में हानिकारक प्रतियोगिता का खत्म करके और उद्योग को तर्कभगत आधारों पर संगठित करके निजी बारखाना का नष्ट हाने से बचाने के लिए किया गया है। उधर निजी उद्योग द्वारा किये जा रहे अपनी शक्ति के दुरुपयोग के कारण, दूसरों ने उसके इलाज के रूप में राष्ट्रीयकरण का मुजाव रखा। इस प्रकार वैज्ञानिकीकरण का कथ्य निजी उद्योग की शुराइयों को हटाना है, जबकि राष्ट्रीयकरण इसे सर्वथा समाप्त कर देता है। अगर राष्ट्रीयकरण अनावश्यक अतिरेक को हटाकर दक्षता बढ़ाना है तो यह वैज्ञानिकीकरण का एक साधन बन जाता है क्योंकि वैज्ञानिकीकरण राजकीय बारखानों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि निजी बारखानों के लिए। निजी और राजकीय, दोनों क्षेत्रों में, दोनों पैमाने के प्रबन्ध में, प्रमाणीकरण, प्रबन्ध सम्बन्धी विज्ञान, मजदूरों वा समटन और प्रोत्योगिक प्रगति में मजदूरों वा जानेयुक्त सहयोग आवश्यक है। सिर्फ राष्ट्रीयकरण में वैज्ञानिकीकरण नहीं हो जायगा। राष्ट्रीयकृत उद्योगों को भी वैज्ञानिक रीति से चलाना आवश्यक है।

**लाभ—वैज्ञानिकीकरण के पक्षपाती इसके बहुत से लाभ बढ़ाते हैं।** वैज्ञानिकीकरण से दिखाई देने वाले लाभ निम्नलिखित दत्ताये जा सकते हैं

**समामेलना द्वारा वैज्ञानिकीकरण अलाभकर प्रतियोगिता को समाप्त कर देता है और इस प्रकार उद्योग में स्थिरता लाता है।** यह व्यापार-चत्र के अनिवार्य प्रतीत हाने वाले उनारो-चक्रों के बारण बार बार हाने वाले सकटों के प्रभाव का घम बरने के लिए सम्भरण को माग के अनुकूल बरने का अवसर प्रदान करता है।

इसके द्वारा उत्पादन यथासम्भव अधिक दक्ष एवं का मैन्ड्रित हो जाता है, जो निरन्तर बाम बरत रह सकते हैं और इस प्रकार वह पैमाने के काय में होने वाली सुवृच्छत हो पाती है। टीक द्वारा से वैज्ञानिकीकृत गुदू में उसके घटक बारखानों का, जब जो चाहे, जितना चाहे, उत्पादन बरने और बेचने की इजाजत नहीं होनी। योजनाकदम उत्पादन में अति-उत्पादन और उसके परिणामस्वरूप उससे होने वाली हानि नहीं होती।

निर्माण कार्य के उपविभागीकरण का भी ऐसा ही परिणाम हाना है। उदाहरण के लिए मिठोड़ सिफ फोर्ड बार ही नहीं बनाने, वल्व विलास-न्यूर्ज लिंकन बार और मामूली ट्रैक्टर भी धनाते हैं। परन्तु वह उन्ह अलग-अलग बारखानों में बनाते हैं। उनका हाईलेवल पार्क (टिनोइट) वा बारखाना सिर्फ फोर्ड मोटर ही बनाता है। इसी प्रकार जनरल मोटर्स वहन तरह के माडल बनाते हैं। परन्तु प्रत्येक माडल अलग बारखाने में

बनते हैं। दूसरे जनरल मोटर्स ग्राहक को बहुत मी चीजें पेश कर सकते हैं। पर मात्र ही उनका प्रत्येक कारखाना, जो जनरल मोटर्स के गुदू में है, एक या दो-एक माइलों पर अपना व्यापार केन्द्रित कर सकता है। उन्नादन में डम्पिंगोऽवरण और प्रमाणोऽवरण, और विषय में मिलकर काम करना ही दहा मूल्य लक्ष्य होता है।

एक और लाभ मामान के सरलीकरण और प्रमाणोऽवरण में होता है। जिन्हें योडे में प्रत्येक का उन्नादन किया जाता है। निम्नोंगों में अनावश्यक प्रत्येक को छोड़ दिया जाता है। उन्नादन का जटिल रासायन कम हो जाता है। प्रविधि में, पर्याप्त मानोंको के निर्माण और मार्गदर्शन में, दूसरे गुदार करना सम्भव हो जाता है, और एक बार फिर उन्नादन विधियों में मुशार होता है और लागत कम हो जाती है। निर्माना के लिए इन मुशारों का अर्थ है उन्नादवाना और बीजड में बृद्धि, दरवादी में कमी, और कार्बनर्सीओं की दक्षता में बृद्धि। मुशारफायद को भी लाभ होता है क्यार्बिं अब वह थोड़ा माल ले जा सकता है। उसके लिए माल के नष्ट हो जाने या पुराना पड़ जाने का स्वतरा कम हो जाता है। बेचने का काम आमतः हो जाता है और पूँजी का सर्वे पटाना सम्भव हो जाता है। उपभोक्ता के लिए विचारणादृढ़ बिधि है। सरलीकरण में चीज़ की श्रेणी में मुशार और विश्वकीयों में कमी और इनलिए क्य शर्दियां में बृद्धि हो जानी है।

जब एक ही गुदू के अनेक कारखाने, जो अनुप्रस्थित एकीकृत होते हैं, एक सी बम्बुड़े बनाते हैं, तब वैज्ञानिकोऽवरण उन्हें अलग-अलग विक्री क्षेत्र बाट देता है, और इस प्रकार दोहरी-निहरी विक्री में होने वाली अनावश्यक वरवादी को कम्यूनिकेशन में बचाता है। विश्वविनायक और विज्ञान की व्यवस्था मानी होती है, जिसमें विनरण की स्थिति बहुत ही जानी है।

वैज्ञानिकोऽवरण विनियन विनरण तथा नाग में होने वाले नियन्त्रित की पूर्वमूल्यना द्वारा बाजार की स्थिर भी रखता है।

वैन्डोइल और विनियमित विक्री के माध्यम सम्बद्ध हैं वैन्डोइल नगोइ। मामान, इंगन, स्टोर और फार्म की सरीद एक ही जनिकरण में वेन्डिन करके बहुत जारी बचत कर जा सकती है। वैन्डोइल सरीद की उत्पन्ना में हर कारखाने का अलग अलग सरीदने वाला बनवायी बत्ते नहीं रखता पटना और वैन्डोइल विक्री में अनावश्यक दानाल नहीं होते। इन सब कार्यों में होने वाली बचत बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।

वित्त के वैन्डोइलकरण में, जो वैज्ञानिकोऽवरण के कारण होना सम्भव हो जाता है, कार्यों लाने होते हैं। स्वभावतः एक वडे एक की माल बहुत अधिक होती है और अन्य बातें मामान होने पर नीं बहुत सारे प्रतिस्पर्धी विक्रीर्षी एककों की माल उठनी नहीं हो सकती।

वैज्ञानिकोऽवरण का एक और लाभ यह है जिसके हाने पर ऐसी रीति ने वैन्डोइल और मामान-सम्बन्ध गवेषणा हो सकती है जैसी लघु एक फढ़नि में व्यवहार्य नहीं। गवेषणा न केवल याति के, रामायनिक और भौतिक समस्याओं के विषय में होती

हैं, बल्कि भनोवैज्ञानिक प्रश्ना के बारे में भी हानी है, जो वैज्ञानिक प्रबन्ध में सारी प्रगति का आधार है। मूचनाओं के केन्द्रीयकरण से विपणन गवेषणा (मार्केट रिसर्च) में भी बहुत सुविधा हो जाती है।

थम के दृष्टिकोण से भी वैज्ञानिकीकरण के अनेक लाभ होते हैं। इसके अन्तर्गत औमत दृष्टि से वार्ष की अधिक अच्छी दशाएँ और सब प्रकार के मगल कार्यों के और अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, जिनका आर्थिक मूल्य बहुत ज्यादा होता है। वैज्ञानिक प्रबन्ध के सिद्धान्तों के लागू होने से ये अवस्थाएँ मुनिश्चित हो जाती हैं, जिनमें थम की अधिकतम दक्षता पैदा होनी है। वैज्ञानिक प्रबन्ध प्रगतिशील थम नीति अपनाने की भी प्रेरणा देता है।

इन रामों के अलावा, वैज्ञानिकीकरण प्रत्येक उद्योग के लिए एक नीति निर्धारित बस्ता सम्भव बना देता है। यह उद्योग का सैकड़ों प्रतियोगिताओं के विभिन्न पारस्परिक विरोधी विचारों के अनुसार अधेर में इधर-उधर भटकने के बजाय उद्योग को बुद्धियुक्त और तक्षण रीति से संयुक्त होने का मौका देता है।

स्वर्गीय लाइंग मेल्लेट का कहना या कि इसके चार लाभ हैं—(१) यह पूजीव्यय का वैज्ञानिक बटवारा करा देता है और नये यत्रा तथा आधुनिकतम उपस्वर के वित्तपाण में सहायता होता है। (२) इसमें विशेषीकरण का प्रात्साहन मिलता है, अद्यता भारताने बन्द हो जाते हैं, प्रबन्ध का और वाणिज्यिक प्रचार, विक्री तथा अन्य खर्चों का संबंधन हो जाता है। (३) इसने बरवादी और एक ही काम का दो बार होना, उदाहरण के लिए, स्टार्क का द्विगुण, वस्त्रों के आकार और स्पष्ट में अनावश्यक विविधताएँ या ऐसे ही चीज के बारे में बहुत जगह गवेषणा, रक्क जाना है। (४) बाजार और मूल्यों की घट-इद के द्विपरिणामों में बनाता है और कच्चा सामान खरीदने तथा तेहार माल बाजार में ले ने की व्यवस्थित पद्धति दो बदावा देकर यह आर्थिक आवश्यकताओं और सम्भरणों के, सप्ताह भर की दृष्टि से, समालोचन की सुविधा प्रस्तुत करता है।

वैज्ञानिकीकरण के खतरे—वैज्ञानिकीकरण कीमतों और विक्री के नियशास, या बड़े पैमाने के उत्पादन ढारा प्रतियोगिता की समाप्ति करके, उत्पादन के गरली-करण और प्रमापीकरण ढारा तथा सगठन में समेकन और विशेषीकरण लावर गावारण रूप से निर्माताओं और व्यवसाय-कर्त्ताओं को अनेक लाभ पूँजाना है, परन्तु जब यह समझ लिया जाता है कि रहु के मात्रका की वित्तीय सफलता ही सफल वैज्ञानिकी-करण की एक मात्र कमीटी नहीं है, वही कर्मचारी, उपभाक्ता और सारे समझ के हितों और मगल को भी मुस्यना दो जानी चाहिए, तब हमारे सामने वैज्ञानिकीकरण के जटिलियत प्रयोग का खतरा जा जाता है।

पहली बात तो यह कि व्यवसाय एक के बदा हा जाने से ऐसे ढाटे क्षेत्र में ता बहुत हुद तक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है पर इसमें जलर्गाइम्स-प्रतियोगिता—तीव्र भी हो सकती है। तेल (पेट्रोल) उद्योग इसका एक मुख्यरिचित उदाहरण है,

ढग की हो। वैज्ञानिकीकरण तीन तरह से रोजगार को कम करता है—(१) अनुस्थानद्वारा कारखाना को बदल कर दें और उनका उत्पादन अन्य बेन्डों को सौप कर; (२) उत्पादन के नियन्त्रण और कारखानों के आधुनिकीकरण द्वारा और (३) उन कर्मचारियों और आदमियों को हटाने के द्वारा, जिनकी आवश्यकता सिफ़ आनंदिक प्रतियोगिता के कारण हुई थी, परन्तु कर्मचारियों के हटाने का प्रस्तुत इसलिए भी पंदा हो सकता है कि या को मजदूरों की कुल सम्पत्ति में कमी करनी हो और या अकुशल के स्थान पर कुशल मजदूर अवधारक्षणी मजदूरों के स्थान पर पुरुष मजदूर रखने हों। वेम से बम कुछ समय के लिए तो वेकारी की समस्या बढ़ेगी ही, यद्यपि वेकार हाने और दूसरे कामों में खप जाने की दरों में अन्तर हा जाने के कारण बहुत समय तक स्थिति अस्थिर रहेगी। इसके अलावा, अगर मजदूर को अन्त में दूसरी जगह काम में लगा लिया जाय तो भी वहुधा बाद वाले काम में मजदूरी कम होती है और वह पहले वाले काम से कम सन्तोषवाल होता है। यह वैज्ञानिकीकरण का एक गम्भीर परिणाम है, चाहे मजदूर के लिए नई मार्ग पंदा हा रही हा, यद्यपि यह हीक है कि शक्ति-निर्माण और उपस्कर उद्योगों के इसमें स्पष्ट प्रान्तान्त मिलता है। इसलिए “थोंजनावड वेकारी” से हानि उठाने वालों के साथ परिस्थितिया के अनुमार, उदारता में व्यवहार करना चाहिए। रोजगार दण्डन (एम्प्लायमेंट एक्मेंज) इस दिना में उपयोगी बार्यं बर रहे हैं और सबके बास्ते अधिक्षितम जीवन स्तर की व्यवस्था करने के लिए वेकारी कीमें वी वैज्ञानिकीकरण बार्यंकम बा अग बताया जा सकता है। अन्य दा आपत्तियों के बारे में वही बात यहा लागू होती है, जो वैज्ञानिक प्रबन्ध पर उठाई गई आपत्तियों के जवाब में कही गई है। देलर यह मदा आग्रह करता था कि सच्चा वैज्ञानिक प्रबन्ध न तो मजदूर का हाहता है, और न उसमें अत्यधिक काम लेता है, लेकिन बठिनाई यह है कि कारखानेदार मानवीय कारक की उपथा करने लगते हैं।

निष्पर्य यह निकलता है कि वैज्ञानिकीकरण या वैज्ञानिक प्रबन्ध पर कोई आपत्ति नहीं है, वलिं उनके अयुक्त और जैवज्ञानिक प्रमाण पर आपत्ति है। अन्तर्राष्ट्रीय धर्मिक सघ में वैज्ञानिकीकरण का नहीं, बल्कि पूजीवादी पढ़नि में इसमें पैदा होने वाले दुर्घटयोगों का विरोध विद्या, और इन्टरनेशनल फैडरेशन आफ ट्रैड यूनियन्स (ट्रैड यूनियनों के जन्तरराष्ट्रीय सघ) तथा लेवर एण्ड सोशलिस्ट इन्टरनेशनल (धर्मिक और समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय सघ) के एक सद्यवन आयाग ने सर्वमम्मति में एक सकल्प स्वीकृत किया था, जिसमें व बात बताई गई थी जिनक हाने पर वैज्ञानिकीकरण वा वेकारी और अनिवार्य के जनक स कल्पण के बान म बदला जा सकता है। यबन्ध में निम्न बातें कही गई हैं—

(१) “वैज्ञानिकीकरण निम्ने कारखानेदारों वा ही मामला नहीं है, बयावि इसके लागू होने पर किसा भी समय मजदूरों का हटाने का प्रश्न पंदा हा सकता है। इसलिए रोजगार की विधियों या अवस्थाओं या मजदूरों के विनाश में प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बन्ध भ सलाह देने का ट्रैड यूनियनों का अधिकार माना जाना चाहिए।

और इसकी व्यवस्था को जानी चाहिए, जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके, और वैज्ञानिकीकरण की किसी ऐसी योजना को रोका जा सके जो मजदूरों के शोषण को बढ़ाती हो। (२) रोजगार पर वैज्ञानिकीकरण के दुष्प्रभाव को यथासम्भव कम करने के लिए और परिवर्तनों का मुविधा के साथ लागू करने के लिए सुधरी हुई टेक्नीक और समझ से होने वाले फायदे तत्काल उपलब्ध होने चाहिए, और काम के घट्टे कम कर देने चाहिए तथा मजदूरों की वास्तविक मजदूरी बढ़ा देनी चाहिए। बीमा पद्धति से या अन्य रीतियों से, समय की दर्दनाकता लगाये उन लोगों को पर्याप्त बेकारी सहायता मिलनी चाहिए जिन्हे राजगार से हटा दिया गया है। (४) उद्योग अपने यत्रों और उपस्वर के परिवालन तथा परिवर्तन को आवश्यक समझता है। इसलिए बहुत सी फर्में न बेबल घिसाई (डिप्रेसिएशन) के लिए, बल्कि पुराने यन्त्रों के घिसने के पहले ही, इनके स्थान पर जधिक आधुनिक ढंग के यन्त्र लगाने के लिए भी धन जमा करती है। यह आवश्यक है कि उद्योग के मानवीय असर की ओर भी उनना ही व्याप दिया जाए जिन्हांना वह यन्त्र और उपस्वर की ओर देता है और प्राविधिक प्रगति से मजदूरों पर मूमीकरण नहीं आनी चाहिए। मानव श्रम के स्थान पर मशीनरी लगाने से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए उद्योग को यथानुभव सारी वित्तीय जिम्मेदारी उठानी चाहिए। (५) अन्तिम बात यह है कि सखारारों को बेरोजगार हुए मजदूरों को कम से कम ऐसा काम दिलाने के लिए, जैसा वे पहले कर रहे थे मा दूसरे रोजगार में उन्हें जमा देने के लिए, अपने सब साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए।<sup>१</sup>

**वैज्ञानिकीकरण और भारतीय उद्योग—**यह आनंदोलन प्राय सब पर्दितमी देशों में फैल गया, यद्यपि हर जगह इसका क्षेत्र और आकृति अलग-अलग है। हमारे देश में वैज्ञानिकीकरण की नीति, जिसमें अधिकृतम् आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए उत्पादन और वितरण की विधियों का पुनर्गठन करना होता है, वही-वही कोइ मौका है, यद्यपि यहां की अवस्था वही है जो जर्मनी में पहले विद्व के बाद बाले मुद्रास्फीति के काल में थी, और हमारी वर्य व्यवस्था को पुन बसाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है।

हमारे सब उद्योगों—कोयला, सूनी चर्ट, चीनी, जूट—में कम-अधिक मात्रा में एक ही बीमारी दिखाई दे रही है, अर्दान् परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनने में असमर्थता और इसका मूल कारण है सह्योग का अभाव। मैनेजिंग एजेण्टों के प्रबल व्यक्तिवाद और उनको उपाय-मम्पनना ने भूलबाल में उन्हें असाधारण तीर से “मफल” बनाया है। परन्तु युद्ध के कारण और इसके अक्षस्मान् बन्द होने से प्रचण्ड विक्रीमों और विभाजन के सम्बन्ध में अमृतपूर्व उद्योग युद्ध ने कुछ निर्मानाभ्यां को

<sup>१</sup> लेवर एंड सोशलिस्ट इन्टरनेशनल की चौथी वारेस की रिपोर्ट और व्यापंवाही (वियेना, १९३२)

संगठित होने की आवश्यकता महसूस कराई। परन्तु दर्मांग से हमारे देश में वैज्ञानिकीय वरण का अब ऊँची कीमते कायम रखने और मजदूरों का शोषण जारी रखने के लिए गढ़ बनाना ही समझा गया। इसलिए हमारे देश में इस "कूट-वैज्ञानिकीय वरण" को लागू रखने पर भूम्य आपत्ति एकाधिकार शक्ति के आधार पर की गई है। यह सच है कि १० सी० सी०, उपमोक्षा को विना विशेष हानि पहुँचाये, समुक्त सकल कायंवाही का उच्चवल उदाहरण है, परन्तु इण्डियन लगर मिल्डीवेट के दृष्टमें जीभाद वामी इतनी ताजी है कि भारतीय ध्येयसाध्य पर विचार करते हुए उसे नजरन्दाज या आमानी में विस्मृत नहीं बिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर खपत तब तब नहीं बो जा सकती जब तर नियन्त्रित खपत लागू न कर दी जाय और एक लोकतन्त्रीय तथा भगलकारी राज्य में यह बात सोची भी नहीं जा सकती। वैज्ञानिकीय वरण सिफे बहा आवश्यक हाता है, जहा अधिक उत्पादन-श्रमता और बम माग का सामजस्य बरने के लिए अतिरेक बो हटाना हो। भारत में अनिउत्पादन की अवस्था बभी भी रुदा नहीं हुई, फिर आज को तो बात ही बदा। तथ्य यह है कि मार्ग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन कमफोर्जही और जो कुछ उत्पादन होता है, वह बहुत की अधिकता का विचार किये बिना, सब सम जाता है। सीमेण्ट और लोहा तथा इस्पात उद्योग पहले ही "वैज्ञानिकीय वरण" है, क्योंकि १० सी० सी० बोर टिस्को ( TISCO ) उत्पादन के तमम ८० और ७० प्रतिशत की मरम को नियन्त्रित करते हैं। बपटा, जूट, चीनी, और बोयला खानों में भी उत्पादन की पुरानी विधिया अभी चालू है, और इनमें नई टैक्नोवल विधियों को लागू बिया जा सकता है। हमारी बोयला खानों को विस्तृत यक्षीकरण और शोप उद्योग को शीघ्र आधुनिकीय वरण की आवश्यकता है।

वैज्ञानिकीय वरण के लिए विशेष रूप से बस्त्र उद्योग में जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका परिणाम यह हुआ है कि मजदूरों की मस्त्या घट गई है और बाम अधिक प्रगाढ़ हो गया है। उदाहरण के लिए, बमही की मिलों में बताई खाते में एक आदमी के जिम्मे रिंग के दो पाल्ट्यां जर दिये गए हैं, और बुनाई खाते में एक आदमी से दो, तीन, चार या इससे भी अधिक बरपाएं को देखने के लिए बहा गया। १९४६ की रिपोर्ट में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, जिनमें मजदूरों का बाम बढ़ाया गया। परन्तु मजदूरी उभी अनुपात से जही बदाई गई। इसी प्रकार, अट्मशावाद में मजदूर वा बाम दुगना हो गया पर इस प्रगाढ़ीकरण की क्षतिपूर्ति सिफे इमें आधी मिली। इस तरह के उदाहरणों को देखते हुए यह क्षिप्तपूर्ति निकालना पड़ता है कि वैज्ञानिकीय वरण की मार्ग प्रवृत्ति की अदकता को छिपाने के लिए और उपमोक्षा से मुहमामा दाम बमूल बरने के लिए की जानी है, क्याकि अपनी बत्तमान मनोवृत्ति हात हुए हमारे उद्योगपति की भी वैज्ञानिकीय वरण का तांसंगत उपयाग नहीं बरें। इसलिए राज्य का इस्तमक्षेत्र होना आवश्यक है। औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक (इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स विल) में यह उपयोग बिया गया है कि वैज्ञानिकीय वरण के परिणामस्वरूप हाने वाली छट्टनी की प्रस्तावनाओं पर औद्योगिक ध्यानाधिकरण विचार कर सकें।

भारत में वैज्ञानिकीय वरण लागू करने के मार्ग में एक बाधा यह है कि टैक्नोवल

सुधार, वैज्ञानिक प्रबन्ध और अम को बचत करने वाले उपयोगों को लागू करने वाले क्षेत्र सीमित हैं। हमारी समस्या यह नहीं है कि कम मनुष्यों से कैसे बाम चलाया जाए, बल्कि यह है कि लाखों मनुष्यों को रोजगार कैसे दिया जाय। दूसरी बात यह है कि नवीनतम मशीनों का उपयोग, जो इस कार्यक्रम का एक आवश्यक भाग है, हम अधिक दूर तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यन्त्रों के लिए विदेशा पर निर्भर रहना पड़ता है। सत्ता और अकुनाल मजदूर वैज्ञानिकीकरण के मार्ग में एक और बाधा है। इस अन्तिम बाधा को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि हृदय-परिवर्तन हो, और वैज्ञानिकीकरण को लाभदायक रीति से लागू किया जाए। इससे यह प्रतीत होगा कि पुनर्गठन या तो राष्ट्रीयकरण द्वारा और या योजनापूर्वक समूहों का विकास करने को राष्ट्रीय-नीति से ही पुराने यन्त्रों को हटाने, और उत्पादन की कला तथा वितरण की विधियों के लिए अपेक्षित पूजी प्राप्त हो सकती है। रिजर्व बैंक और जाएन्ट स्टाफ बंडों को इस काम में सहायता करनी चाहिए। यह कार्य इतना भारी है कि शहर में प्रयत्न अवश्य मन्द होगी, पर यह पहला ही तो कदम है, और एक बार उपयोग के पावर तर्कसंगत मार्ग पर अच्छी तरह जम जाने पर अन्तिम घ्येय की प्राप्ति में कोई सन्देह नहीं रहेगा।

इसी

## अध्याय :: २०

# प्रवन्ध और नियंत्रण

प्लाट की स्थापना और आदर्श साज-मामान की व्यवस्था से औद्योगिक प्रबन्ध की उगभग आधी समस्या हर हो जाती है। पर प्लाट का अच्छा प्रबन्ध तभी हो सकता है, जब उसमें मन्तोपजनक सगठन बना दिया जाए, या दूसरे शन्दो में एक ढाचा बना दिया जाए, जो इंटो और मसाले का, रकड़ी और लोहे का नहीं, बल्कि मनुष्यों का होगा। लोग इम निर्माण कार्य की इंटे हैं, उनकी निष्ठा नीच है और उनकी सहयोग पूर्ण भावना यह गारा है, जो इस-सत्चना-को दृढ़ता और प्राण देता है—इस प्रसंग मे सगठन शाद एक प्रत्रम और परिणाम दोनों को सूचित करता है। सगठन का प्रत्रम एक सगठन को जन्म देता है अर्थात् एक प्रशासनीय सरचना पैदा करता है। और जो व्यक्ति इस प्रत्रम को करता है, वह “सगठनकर्ता” या “प्रशासक” कहलाता है। मुख्य प्रबन्धाधिकारी का मुख्य काम यह है कि वह मनुष्यों को काम के कुछ हिस्से के साथ इस तरह जोड़ दे कि सारा काम परस्पर जनुकूल रहता हुआ चले, क्योंकि कोई बारबार, चाहे वह पहले से चला हुआ भी हो, अपने आप चलता हुआ नहीं रह सकता। जैसे रक्ते हुए लोहे के चक्कर को चलता रखने के लिए बार-बार चोट लगानी पड़ती है, और ठीक दिशा म रखना पड़ता है, उसी प्रकार बारबार बुरी तरह से दिग्ड गया है, उसे बहुत अधिक ध्यान और उद्दीपन की आवश्यकता होती है। प्राय विमी अच्छे बने हुए बारबार को उसकी ओर उचित ध्यान देकर ठीक तरह चलने रखना सारल होता है। और निर्देशन वे जगत म जब वह इवर-उधर गिरने लगता है, तब उसे उद्दीपन देना कठिन होता है। इसलिए कारबार को समावस्था म रखने के लिए यह आवश्यक है कि ‘उपर के प्रबन्धकर्ता’ उसे पर्याप्त उद्दीपन और निर्देशन दे और सम्बद्ध जबगरों तथा खतरे के सबेतों को दूर से ही दख ले। प्राय जपर्याप्त पूजी बाली, निर्माण की बहुत कम मुविधाओं वाली, नाकापी कर्मचारियों वाली कम्पनियों उपर से सुविधाओं से युक्त दिक्षार्द देने वाली कम्पनियों की जपक्षा व्यक्तिक जच्छी सिद्ध हुई है। यह बाल याम्य प्रबन्ध-धाविकारियों की दूरदृष्टि के कारण हो गे सकी है।

कोई सगठन या प्रशासनीय टाचा अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। जपरो दाचा तो काम में गुविधा पैदा करने के लिए है। यह तो कार्य भा एक औजार है, या बल के प्रवाह को नियन्त्रित करने के लिए नियन्त्रित किया हुआ मार्ग है, और यह कार्य उप-भोक्ताओं की आवश्यकता-नूत्नि के लिए बस्तुएं तथा सेवाएं बनाने का एक साधन है।

संगठन के मध्य अभिकरण और प्रशान्तीय कार्ड की मध्य रोनिया अन्न ने इसी कल्पना पर कही जावेगी कि वे उच्चादित में कहा नहीं समझते हैं। इसलिए संगठन प्रारम्भ करने से पहले नीनिया स्पष्ट रूप से बना लेता जावेगा है। क्योंकि संगठन किसी योजना की निष्ठि के लिए नवाचारों का एक माइक्रो है, इसलिए उस समर्पित का दखना-पूर्वक कार्ड करता इस बात पर निर्भर है कि इनका छोटे-में ठोटा हिस्सा और काम समन्वित हों। इसलिए संगठन में जरूरी और जन्म वर्षदारियों को मानवस्वभाव की दृष्टि से नावानी ने उचित ब्रेक पर लगाना चाहिए। उनके लिए जधिक सौन्दर्य के लिए जो और इन्होंना में तब ही पूछे होते हैं जब प्रोटोकॉल के लिए नवाचारों का विवरण हो जाए तो उसके लिए जधिक सौन्दर्य का विवरण हो जाएगा। जैसे मन मनोरको चाहता है, वैसे ही प्रबन्ध वह जैसेप्रबन्धी बढ़ता है जो संगठन को शक्ति देता है भवानिकरता है, जोर नियन्त्रण में रखता है। यह एक नवीनीय और नई स्थिरों का विवरण है जो बहुत नो इकाईों को समर्पित में बापती है और जेनेक मानवीय योग्यताओं वो मिलाकर एक शक्तिगतियों उपकरण बना देती है। यह एक विष्य का हूमरे हिन्में से, एक विभाग का हूमरे विनाश से, उस तरह ऐसा विद्या देता है कि सारा जटिल तन्त्र खड़ा हो जाए। और वह इनका जैसेप्रबन्ध बना जाए यन्म बन जाए।

संगठन और विभाग के क्रियाकार्द—जान तौर पर संगठन घटक से बहुत छोटे होते हैं और प्रोटोकॉल द्वारा विभाग के उनी समूत्रे पर चढ़ता है। यद्यमें पहले कुछ लोगों का साहृदार होता है। जिन लोगों के लिए साझे होते हैं, वे साझे उद्देश्यों को निष्ठि के लिए जापन में इकट्ठे होते हैं। वे साझे इति माझी समझ और कार्यों में समुक्त हिस्तेशारी के सुन से परस्पर बोलते होते हैं। अगला कदम है बाज का दिनाजत। मध्य समूह यह देखते हैं कि यदि विभिन्न विभागों में काम बाट लिया जाए तो हम जपन ध्येय को और तेजी में दइ सकते हैं और दूसरे कट्टे जाइना आर ही बाज में नहीं लगे रहते, और वे गलत दिग्गज में काम करने में बचे रहते हैं। अब नाम संगठन में यह चीज विभाग नियन्त्रण का और विभिन्न क्रमांक और विभेदशास्त्र विभिन्न लोगों को मौज सोचे जाने का रूप ले लेती है। तीसरे नम्बर पर प्राप्तिकार का प्रत्यादोषन (Delegation of Authority) आता है, जो उपर्युक्त बाज का स्वामानिक दर्शाता है। सहकारी समूह के कार्यों को खलन-खलन करने पर यह जावेदार हो जाता है कि उनको कार्द करने के लिए प्राप्तिकार हो। प्राप्तिकार कुछ बाज अक्षियों में निश्चित होता है, और उन्हें उनका प्रयोग संघ सम्बन्धित व्यक्तियों के यथिक्तम लाभ के लिए करता है। इस प्रकार्या में उन लोगों में विनेद किया जाता है जो समूह के कार्यों को नियंत्रण करते हैं और जो उनका बहुमानत करते हैं। प्राप्तिकार और विभेदशास्त्र की परिणया इस प्रकार बताई जाती है कि उस कार्द की परिवर्ति हो सके, या समूह के लम्ब को पूरा करने के लिए एक-एक विभाग को करता है। विभिन्न लाभ या विभागों प्रकार बताए जाते हैं। इसके बाद नेता या एसे अविल टूट विभागों का प्रधन आता है जो समूह को आवश्यकताओं को पहले में समझ सके, और उन्हें पूरा करने की धमता प्रदानित करे। विभिन्न प्रकार के कार्यों में विभिन्न प्रकार के नेता पैदा होते हैं। इसलिए प्रयोक समूह काम के लिए

कोई न कोई नेता होना चाहिए और भुल्यत उमे ही संगठन को समस्याएँ सोची जानी है। व्यवसाय के उपक्रम मे वह नेता औपचारिक संगठन मुहूर बरता है। जैसे-जैसे संगठन का आकार और संकुलता (Complexity) बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे यह जाहिर हो जाता है, कि कुछ कार्य ऐसे हैं, जो सारे समूह पर या उसके नेताओं पर नहीं छोड़े जा सकते और उनके लिए विशेष व्याय और अनुभवान आवश्यक है। परिणाम यह होता है कि कुछ सोग सलाहकार या विशेषज्ञ नियन्त्रण किये जाने हैं, ताकि सारी सभी जानकारी सब सम्बन्धित लोगों को मिल सके, और उनके लिए उपयोगी हो सके।

**लाइन तथा रेट्रॉफ संगठन**—इसी मिडिल्स के आधार पर कुछ व्यक्तियों को स्टाफ के रूप मे विशेष समस्याओं के बारे मे सलाह देने का काम भौप देने से विशेषज्ञ का विकास होता है। समृद्ध-नेताओं को सलाह के लिए उन पर अधिकाधिक नियंत्रण होना पड़ता है। विशेषीकरण (Specialization) मे प्राविकार का विभाजन हो जाता है, जिसके जैसे जैसे संगठन बढ़ता है, और विशेष समस्याएँ बढ़ती जानी हैं, वैसे-वैसे नेताओं को विशेष समस्याओं का मुख्याने का काम अनेक विशेषज्ञों को सौंपना पड़ता है। समर्थित कारबार में समूह माहूर्य वार्षिकीनुसार विभाजन (Functional division) का रूप ले रहा है—उनके जच्छियों को अपने-अपने क्षेत्र की सब समस्याओं पर विना यह सोचे कि के संगठन में विभ जगह पैदा होनी है, प्राविकार संघर्ष दिया जाता है। बहुत से व्यक्तियों म प्राविकार के विभाजन और विशेषीकृत कार्यों का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि समजन की आवश्यकता पैदा हो जाती है। समजन इसलिए आवश्यक है कि संगठन के भव भाग लक्ष्य भी ओर, विना एक दूसरे से टकराये, बढ़ते रहे और यह निश्चिन्त हो जाए कि नेता संगठन के प्रयोगोंनो वो ही न भूल जाएँ। सबसे अच्छी तरह समजित संगठन वह है जिसमे प्रबन्ध की दस्तावेज़ी हो।

**संगठन के तिड्डान्त**—जब कोई संगठन अस्तित्व में जाता है, तब इसकी एक ही क्षमता यह है कि यह अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति मे वितनी अच्छी तरह सहायता करता है। पर संगठन की विसी प्रणाली की सुस्थितता या कार्यसाधकता का तम्भोना किन उपायों से लगाया जा सकता है? कोई संगठन मुस्थित है या असुस्थित, यह इन बातों पर नियंत्रण है कि वह लक्ष्य विनानी दक्षता मे प्राप्त कर सकता है और ये लक्ष्य सारे उपक्रम के अन्तिम उद्देश्य से सम्बन्धित होने हैं।

दक्ष संगठन के निष्ठलिखित मिडिल्स मुस्थित संगठन पैदा करने हैं

**१. सुनिश्चितता** (Definiteness)—प्रत्येक आवश्यक किया कारबार के मुख्य उद्देश्य की मिडिल्स मे सहायता होनी चाहिए और उसमे मजदूर को वह मे कम प्रयाप्त और अधिक से अधिक वार्षिकीयां संगठनी चाहिए। वार्षिकीया निष्पादन अनावश्यक रूप से जटिल, घुमावदार या विशुलित नहीं होना चाहिए।

**२. सतुलन**—पर इस क्षमता को विसी एक ही किया पर लागू करना बापी नहीं वही संगठन मुस्थित होता है, जिसमे उपक्रम को भव भिन्नाएँ एक साथ इन्हीं अव-

स्थाओं में को जानी है। अगर किसी सगठन का प्रत्येक भाग सुस्थित नहीं है तो वह सगठन भी सुस्थित नहीं हो सकता। और बिलोमत, यदि सारा सगठन सुस्थित न हो तो उसका प्रत्येक अल-अनलग भाग भी सुस्थित नहीं हो सकता। इसलिए कारबार को प्रत्येक शाखा समान रूप से कार्यभावक होनी चाहिए और समर्पित की योजना के अनुरूप रहनी चाहिए। इसे सगठन का मनुष्यन कहते हैं।

**३ सम्बन्ध (Co-ordination)**—सगठन में उसके काम की प्रत्येक शाखा का पूर्ण सम्बन्ध हो सकना चाहिए। प्रत्येक इकाई के, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, काम की परिपूर्ति आर्थिक दृष्टि से सदा सम्बन्धित इकाइयों से जुड़ी हुई होनी चाहिए और नमर्पित मुख्य नीतियों के अनुकार चलनी चाहिए। इस लक्ष्य को पूर्नि के लिए सगठन का नियन्त्रण केन्द्रीय नियन्त्रण होना चाहिए और इसके लिए सब इकाइयों को परस्पर विधा होना चाहिए।

**४ नम्बन्ध (Flexibility)**—सगठन में कर्मचारी-विशेष या विभिन्नों में चाहे जो परिवर्तन होते रहे, पर उनके बावजूद, सगठन में विना अस्त-व्यवस्था पैदा किये बृद्धि और प्रसार हो सकना चाहिए। सगठन-निर्माण निर्क आज या बदल के लिए निर्माण नहीं कर सकता। उसे ऐसी रचना करनी है, जो वर्षों टिक सके। उसे कार्यपूर्ति के लिए निर्माण करना होगा।

**५ दक्षता**—मारी उपलब्ध “मानव शक्ति” का ऐसा योग्यतम और अधिक-तम उपयोग होना चाहिए कि यथायमभव अधिकतम परिचलन-दक्षता कायम रहे। सगठन के परिचालक घटक मनुष्य हैं। सगठन करने की कला यह है कि उन मनुष्यों को हाथे में ऐसे स्थान पर रखा जाए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उस सारे काम में उमसे जो कुछ अपेक्षित है, वह स्थिरतापूर्वक करता रहे। सक्षेष में सगठन में दक्षता यह है कि अधिकतम प्रबुद्ध नीति अपनायों जाए, जिसमें लोग, जो सगठन के घटक हैं, पूरे दिल से, कागड़े या ईर्ष्या या दशाये जाने की भावना के द्विना, काम करे।

**कारबार को नीति (Business policy)**—तो, इस लक्ष्य को रखकर हमें सगठन का निर्माण करना है। पर इसका सफलनावृक्षक रूपाकाण कर सकने से पहले हमें उद्देश्य तथ और सुनिश्चित कर लेने चाहिए। कारबार की कोई नीति अवश्य होनी चाहिए, अर्थात् वैज्ञानिक रूप से, निर्धारित की हुई एक योजना होनी चाहिए, जिसमें उद्देश्य निर्दिष्ट हो और जिसमें अपनी योजना वाली विविधों के बारे में निर्देश हो। वैबस्टर रोड्नन ने नीति की परिमापा इन शब्दों में की है—“नीति परिशुद्धन निर्धारित निर्देशक नियन्त्रण है, जो सुनिश्चित और पर्याप्त ज्ञान पर आवारित है, और जो कार-बार लक्ष्य और उनकी निर्दिष्ट के लिए अपनाये जाने वाले उपायों का निर्देश करता है, नीतियों से ही वह आपार बनता है, जिस पर कारबार का भवन स्तूपा हिया जाता है, और नीतिया ही वह आपार होनी है, जिस पर इनकी कार्यरूपि का निर्देशन और नियन्त्रण दिक्कना है—“इसलिए नीतिया गम्भीर गवेषणा के परिणामों पर रक्तान्तक विचार का परिणाम होनी चाहिए, और किर यह भी महत्वपूर्ण बान है कि यह ठीक-ठीक निश्चय कर दिया जा सके कि नीति बनाने के लिए कौन विमेवार है, जिन विषया

के दारे में नीतिया बनाना आवश्यक है, उनका चयाचारन रूप में निष्ट कर दिया जाए, थोट बान जिन रूप में प्रकट की जाएँगी, वह नए प्रकट कर दिया जाए, जिससे यह स्पष्ट मुंबाय और पूर्ण हो सके, और इच्छा के अनुसार जापानिवन को जा सके।

स्पष्टन नीतिनिर्माण की जिम्मेदारी उन लोगों पर है, जो किसी कारबार का निदेशन या मचाड़न करने हैं। नीतिया के निष्ट हैं, जो प्रदन्न अभिकाग्नियों को अमोट्ट लड्डू वीं जोर जने का निर्देश बरते हैं। इसिया बहरी है कि वे उन्हरे ने जावें। ये नीचे न नहीं जा सकती। यह जिम्मेदारी निष्टे अभिकाग्नियों दो नहीं मात्र जा सकती। बानूनी दृष्टि में मचालक भजन "नीति नमवन्यो मामदो" में नमवन्य रखता है, और जिन, उन्नादन, विद्वा, विज्ञान, गणेशण, अम प्रांग नगरन के ममवन्द में भोनिया निर्माणित करने वीं जिम्मेदारी मचालका पर ही है। मचालका ने यह बागा की जानी है कि उन्ह मिलवर कारबार के मचाड़न को प्रदेक शाया के दारे में माटी जानकारी है, और वे प्रवन्न वर्मचारियों का पृथ-प्रदर्शन करने के लिया ममवदारी में नीतियों की दोजना बनाने की आशीचना करने और नीतियों का निर्माण करने में समर्थ है। मचालक को यह भी दिखता चाहिए कि इस प्रदार बनाई गई नीतिया पर्यान रूप में अमर में लाई जा शक्त, और कि अपनी में श्रमिकित, दश और प्रगतिर्वाणित प्रवन्नक हो। उन्ह बीच में यह देखन बा बन भी करता चाहिए कि तद दी गई नीति को बहा तक अमर में लाया जा रहा है, और वह बहा तक भजन ही रही है।

पर विभिन्न कम्पनियों में एक दूसरे से बहूप नित चढ़त है। कुछ में मचालक सोग कुछ उपरी बाम करन और बैठका में जान के जाग्रावा कुछ भी नहीं करते, कुछ कम्पनियों में वे विरोध और मापारण नीति के निर्माण में बरता बहून कुछ प्रमाव दाकर अपन अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करते हैं। पर प्राप मचालक अपने काम के लिया नी श्रवन्यका पर ही भगोमा करते हैं, जा करना उचित नहीं। मान्द अपने निदम्यों में ने एक या अधिक निदम्य को प्रवन्न मचालक नियुक्त बर मदना है, या एक मदा-प्रवन्नक यानी उनरुद मैनजर नियुक्त बर भदना है, जो मचालक। ही न भारत में प्रवन्न अभिकर्ता यानी मैनेजिंग एडेंट हान के बाला मदाप्रवन्नक इस दिया में अपनी बहून कुछ शक्ति द्यो देना है, जोकि प्रवन्न अनियन्त्री पड़ बार तो प्रशासन और नियोगन के बार्य करता है, और दूसरी जार प्रवन्न के बाम जर्दा है। प्रवन्न अभिकर्ता नीति बनाने हैं और मचालक उम पर उन्मति दें हैं, और उसके बाद प्रवन्नकर्ता ये उन नीति पर जमर करते हैं। मच तो यह है कि वे नीचने दा जाम भी करते हैं, और बरते दा बाम भी। जहा दे एक म अग्नि उपरम को नियोगित बरते हैं, यहा मदाप्रवन्नक प्रवन्नक-धिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना है, जो प्रशासन और प्रवन्न इन दोनों के बीचोंबीच है। यह विमर्शनक और जापानिक जानों के बीच में एक महावूर्ते कड़ी है, और एक की बात दूनरे की ममनाना है। उनका मुख बाम यह है कि अपने पान मोदूद द्वारा दा इस तरह नमरित और निष्टिष्ट बरे कि नचालको या प्रवन्न अभिकर्ताओं ने खो देन्य निश्चिन त्रिये हैं, वे अवहारत पूरे हो जावें। किसी भी ममन के उमका पद

सबमें अधिक महत्व का है, इसलिए उसमें बहुत अधिक योग्यता होनी चाहिए। उने अपने को बताई गई नोति का काम के वास्तविक कार्यक्रम में अर्थ लगा सकना चाहिए। इसके लिए उसमें अच्छे व्यवसायों के बे सब गुण होने चाहिए, जिनसी पहले चर्चा की जा चुकी है।

**प्रशासनीय पिरामिड**—किसी प्रशासनीय संगठन का लक्ष्य यह है कि किसी उपक्रम में जन्तव्यस्त व्यष्टिया के मध्य सम्बन्धों की ऐसी भृत्यला स्थापित कर दी जाए, जिएक साझा कार्य को पूरा करने में बिना किसी नियंत्रण के गिलकर कार्य करना सम्भव हो। उसमें विचार का संगठन हो जाना चाहिए ताकि संकाय का संगठन हो सके। किसी भी ओद्योगिक उपक्रम के लिए ऐसे बहुत से कार्य हैं जो विशेष ज्ञान से सम्पन्न प्रबन्धकों और उपप्रबन्धकों को, आपस में हितों का, प्राधिकार का और काम का कोई संघर्ष हुए बिना, पूरा करना है, और किसी जगह अधिकार का वह पर्याप्त लोन है जो इन कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकार दे सकता है। इस प्राधिकार के ऊपर पर आदेश दिय जाने हैं और आदेश पाने वालों को जिम्मेदारी मिल जाती है। इसलिए प्राधिकार और जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। मुख्य प्रबन्धाधिकारी या जनरल मैनेजर का प्राधिकार “व्यापक” होता है, क्योंकि उसका सम्बन्ध व्यापक परियोजनाएँ बनाने और व्यापक परिणामों का मूल्य निर्धारण करने से होता है। ज्याज्या प्रबन्धक, उपप्रबन्धक और फीरमें आदि अधीनस्थ अधिकारी आने हैं, त्वार्थों अधिकार व्यापक से विशेष होता जाता है, और इसलिए वह अधिक नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार, यदि हम चाहते हैं कि प्राधिकार का उत्पादन के अन्तिम कार्यों के नियन्त्रण में काफी वारीको से प्रयोग है तो यह आवश्यक है कि एक के नीचे दूसरा करके बहुत सारे पद बनाए जाएँ और प्रबन्ध से सम्बन्धित कार्यों का अनुविभाजन और विशेषीकर कर दिया जाए। सामान्य भै विशेष की ओर आते हुए प्रत्येक पग पर, निचले पद पर ऊपर के पद की अपेक्षा अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है।

दडे और छोटे कर्मचारियों के मध्य अनुपान उच्च प्रबन्ध सम्बन्धों परों पर १०५ में १४ तक, और सबने नीचे पढ़ो पर १२५ या १२० तक हो मिलता है। इस प्रवार फोरमैन के नीचे २० से २५ तक जादमो हो सकते हैं। और एक प्रबन्धक के नीचे ४ से ५ तक उपप्रबन्धक हो मिलते हैं। इस तरह अच्छे जाकार के कारबार में १ जनरल मैनेजर होगा और ५ मैनेजर होंगे, जिनम से प्रत्येक उत्पादन, वित्री, वित्त, साधारण प्रशासन कार्य, और कर्मचारी बग का अध्यक्ष होगा। इस प्रवार जनरल मैनेजर के कार्यालय से सम्बन्ध रखने वाले ५ अफमर कारबार की सब शालाओं का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, और उनमें से प्रत्येक को अपने नियन्त्रण के अधीन कार्यों की दिशा में पूर्ण प्राधिकार दिया जाता है, और वे वित्तीय परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराये जा हैं। इसलिए प्रशासनीय कर्मचारों बगों की मध्या ऊपर के पद वालों की सह्या से नीचे को अलग-अलग अनुपान में बड़ती है। इस प्रशासनीय छाचे को एक पिरामिड के सदृश समझा जा सकता है, जिसमें मनुष्या की निचली सतह सह्या में

में उपर वाली मनह अधिक फैली हुई है, यह एक ऐसा सोचान-नन्द है, जिसमें प्रयोग व्यक्ति अपने मे उच्चे और नीचे के प्रति बरंच्य के बन्धनों द्वारा आने स्थान में स्थिर है। ये सम्बन्ध चित्र स्पष्ट में दिखाये जा सकते हैं, जिन उद्योगपति जनता संगठन चार्ट या प्रशासन चार्ट बने हैं।

**संगठन चार्ट और पदनाम—विभिन्न व्यक्तियों के, जिन्हे अलग अलग काम नीचे जाने हैं, पदनामों को मानवानी ने समझना चाहिए।** ऐसे पदनाम, जैसे उत्तराधिकार प्रबन्धक, वाराधाना प्रबन्धक, फैक्टरी प्रबन्धक, इंटर अधीक्षक, जनरल फोरमेन, फोरमेन, भुपरवाइजर और विभागाध्यक्ष स्पष्ट कर देने चाहिए, और सारे संगठन के माय उनके उचित सम्बन्ध वाले निश्चित कर देना चाहिए। इनके जड़तावा, विभिन्न स्थानों पर मजदूरों द्वारा किये जाने वाले वार्मों का अन्यथा बरसा चाहिए, और उनके पदनाम मानवानी से छाटने चाहिए। संगठन के अच्छी तरह चर्चा में जिनके दापत मदा बदलने वाले पदनाम हैं, उनकी ओर कार्ड बन्ना नहीं। पदनाम यह सूचित करते हैं कि उनका कौन स वाम में सम्बन्ध है। व संगठन ये बाहर के लोगों के लिए सहायक होने चाहिए और उनमें प्रक्रिया की प्रणाली बन जानी चाहिए। इनमें स्वभावत यह अर्थ निहित है, कि विभीं संगठन में कोई व्यक्ति जो पदनाम धारण करता है, वह उसकी योग्यता का मंत्रक बरता है। पदनाम देकर प्रबन्ध अधिकारी एक व्यक्ति पर एक लेवल लगा देना है, जिसने यह सूचित हाता है कि वह व्यक्ति कुछ जिम्मेवारिया उठाने में समर्थ है। और इसका उभयं एक विमेष प्रवार की योग्यता है। जिम्मेवारी और योग्यता माय नाय रहनी है और अपीलस्य लोगों को यह आगा बरते का अधिकार है कि उनके उपर के व्यक्तियों के पदनाम यह प्रबल बरते हैं कि ये व्यक्ति उन्हें दिये गये मानके पात्र हैं। उन लोगों का पदनाम देता, जो उनके पात्र नहीं, उनके माय बेरहमी करता है, और जिन्हाने उनके नीचे वाम बरता है, उनके माय अन्याय है। संगठन के आयोजनों को विपक्ष बरते का यह निश्चित मार्ग है। **पृष्ठ ५१३ पर एक प्रारंभिक निमित्त व्यवसाय के स्टाप का सौपानीय प्रणाली का संगठन चार्ट दिया गया है।**

**संगठन चार्ट के सिद्धान्त पा प्राविकार के मार्ग—संगठन के कुछ मिलान हैं, जो साम तीर में चार म दिखाई गई नियन्त्रण की प्रक्रियाओं के बारे में हैं। संगठन के सम्बन्ध में उन मिलानों का प्रामाणिक प्रयोग बना रहा चाहिए। मिलान यह है—**

**१. उच्च प्रबन्ध अधिकारियों को अधीनस्थ बर्मचारियों से ध्यवहार करने में प्राधिकार के मार्ग का पालन करना चाहिए। नुङ्गपूर्वक बनाए गए संगठन में उच्च प्रबन्धाधिकारिया में ऐसर हम व्यक्ति तक, जो प्रायक बार्य के लिए अन्यान्यवा जिम्मेवार है, अन्य मार्ग हाता चाहिए और उसी तरह का अन्य मार्ग निम्मवारी का होना चाहिए, जो नीचे म उपर का चर्चा। मूल्य अधिकारिया का, और उन लोगों को जो पिर-मिट के शीर्ष पर है आदेश या हिदायतें दिन के लिए या जानवारी प्राप्त करने के लिए अन्य निकटनम अपीलस्य की उपजा करने न चर्चा चाहिए। उन्हें चार में दिखाए गये वेग में स्थापित मचार मार्गों पर ही चर्चा चाहिए। जिन व्यक्तियों की उंडेका की**

समानत चाहुं का नमनी

अशपारी

सचालन मडार

प्रवृत्त अभिवत्ती

जनरात भेतेजर

यारखाना प्रवधान

समिन

विता

तेया

लगर आफ्पार

उत्पादन  
अध्यक्ष

पोरमेन  
पोरमेन

म०

मजहुर

ओचांचिम दजिनिपर

गवेणा अ र डिजाइन स्टार्ट  
योजना ओर परिव्यय स्टाफ, जादि

गवेणा

योजना

समय अ र  
गति अध्ययन

समचारी प्रव भव

मजहुरी

समय अ र  
गति अध्ययन

प्रांगशण  
रिभाग

म०

जादि

जाती है, वे अपने को अपमानित अनुभव करते हैं। जो मुख्य अधिकारी ऐसा करते हैं वे अधीनस्थ अधिकारियों को उनके नीचे दाम करने वाले लोगों के बाम के लिए जिम्मेवार नहीं छहरा सकते।

२ अधीनस्थ वर्सचारियों को अपने से ऊपर वाले अधिकारियों से व्यवहार करते हुए प्राधिकार के मार्गों का पालन करना चाहिए। सामान्य जवस्थाओं में आदेश निर्दिष्ट मार्गों पर एक-एक बदम चलना हूँगा ऊपर में नीचे पहुँचना चाहिए, और इसी प्रवार रिपोर्ट एक एक बदम चलनी हुई नीचे से ऊपर पहुँचनी चाहिए। इस नियम का पालन न करने से सन्देह और ईर्ष्या पैदा होनी है, और जनिष्ठा का जन्म होता है।

३ सगठन चार्ट को पढ़ों के नारं निर्दिष्ट कर देने चाहिए। सगठन चार्ट में एक ही स्तर पर ऐसे पदों को न रखना चाहिए, जिनमें जिम्मेवारिया या प्राधिकार समान हो। इससे विवाद और झगड़ेदारी पैदा होनी है। उदाहरणार्थ, सहायक कारखाना मैनेजर को, चाहे वह प्रबन्ध सचालक या प्रबन्ध अभिकर्ता का पुत्र हो, कारखाना प्रबन्धक या विनी प्रबन्धक के सिर पर बैठने से जहर गड़बड़ी पैदा होगी।

४ एक ही प्राधिकार या जिम्मेवारी हो या अधिक व्यक्तियों पर नहीं होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि वही वर्तन्य दो बार नहीं सौंपा जाना चाहिए और विभीषि व्यक्ति को दो अफमरों के प्रति एक-मा जिम्मेवार होने का बाम करने वो मज़बूर न करना चाहिए।

५ किसी एक सुआन पर कर्तव्य का अनुचित केन्द्रण न होने देना चाहिए। सारे सगठन की क्षमता के जनुसार कार्यभार टालन का पूरा यत्न करना चाहिए। सब आदिमियों को उत्तरा बाम बता दिया जाना चाहिए, और जिनके साथ उ है मम्पर्व म आना है, उनके साथ उनके प्रशासनीय सम्बन्ध भी सम्भवा दिय जाना चाहिए।

६ सगठन का समुलन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सगठन चार्ट या योजना म व्यक्तितत्व की परवाह न करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आशा के अनुच्छ बाम नहीं कर सकता, चाहे वह मुख्य प्रबन्ध अधिकारी का पुत्र या सम्बन्धी ही हो, तो उसे बदल ही देना चाहिए, और सगठन के टाचे का मतुलन न त्रिगाड़ना चाहिए।

७ सगठन सरल और नम्य होना चाहिए। सगठन का दाचा ऐसा बनाना चाहिए कि उद्योग के घटन-बद्धने या स्पन्नरिवतन बद्ध पर जावन्यकता के जनुसार इसम परिवर्तन दिया जा सके।

### सगठन के प्रम्प

सगठन की रूगमग उत्तीर्णी है। विस्म है, जिन्हीं जिप्रैदेशिक फम है। यह बादमी के बारबार म सबके सब बाम मालिक बला है और उसमे सगठन चार्ट की कोई जावददता नहीं रहती। साझेदारी म धरिष्ठ माझेदार बकेला अयवा एर या अधिक व्यक्ष साक्षियों की सहायता से सब बाम करना है। बारबार के इन दो प्रस्पा में

कोई प्रशासनोप समस्या ए नहीं आती। ज्यो-ज्यो वारदार फैलता है, ल्यो-ल्यो प्रधानन निजी भामले की सोनाओं से बाहर निउँ जाना है और विभिन्न वार्य विशेषीकृत हो जाने हैं, जो विशेष रूप से योग्यता-प्राप्त व्यक्तिया वो नारे जाने हैं। यहा आकर निसी न विचो तरह का टाचा भोचना पड़ना है। जो प्रस्तुप प्रचलित है, वे निम्नलिखित तीन प्रम्पो म से एक या उनके विभी संयोगन म वा जान हैं -

१ विभागीय रूप ।

२ लाइन और स्टाफ प्रणाली ।

३ वार्त्तिक योजना (Functional Plan) ।


**विभागीय रूप**—मगठन के इस प्रस्तुप को प्राय “सैनिक” या “परन्परागत”, या “सोयानोय” कहा जाता है, क्योंकि इसम प्राधिकार या जिम्मेदारी का मार्ग उस मार्ग के मदृश होता है, जो सेना में या चर्च म अपनाया जाता है। यह सबसे पुराना और सबसे सुरक्ष रूप है। इसका सारनत्व यह है कि वारदार का प्रत्येक भाग या इकाई आत्म-निर्भर होती है। वारदार के सब कार्य तीन प्रमुख तमूहों —वित्त, उन्पादन, विद्रो —में विभाजित किय जाने हैं। पर इनम से प्रत्येक को कुछ आत्म-निर्भर विभागी में व्यापे विभाजित कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, उन्पादन विभाग को पुर्जे बनाने, जोड़ने आदि परिचालन विभागों में बाट देना चाहिए। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अपने काम पर अपर ढालने वाली प्रत्येक बात के लिए जिम्मेदार है। काम का क्षेत्र सीमित है—पर क्षेत्र के भीतर जिम्मेदारी अमीमित है। जोई वार्दंकर्ता अफ्फरा के अधीन नहीं है। प्रत्येक विभाग अपना माल खुद खरोदता है, अपनी वस्तुआ का रूपावत खुद करता है, अपने मजदूर खुद लगाना है, अपनी मजदूरिया खुद बाटता है, अपने अभियोग खुद रखना है। उत्पादन और लागत के अपने प्रमाप खुद तथ बरना है, और अपना लाभ खुद बराता है। इसी प्रकार, एक भट्टी पर फोरमैन भजदरी को दर नियत कर सकता है, नये आदिशियो को प्रशिक्षित कर सकता है, काम की क्रालिडो को देख-माल कर सकता है, योजना का चलता रख सकता है, और मधीना की चाल और कार्य की मात्रा निर्धारित कर सकता है। इनमे एक मनोप देने वालो प्राप्त होती है—पर ह प्रयेक विभागीय अध्यक्ष को अपने विभाग का सर्वेमर्ग देना देती है। और यह एक अच्छी प्रणाली है, वशत कि सर्वेमर्ग अच्छा हो। सूफलता एक ही व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर है, जो सब दृष्टियो से दश हीना चाहिए। पर इन शर्तों को पूरा करने वाले लोग हुल्ले हैं।

प्राधिकार का मार्ग या लाइन सीधी गणित के हिसाब से चलनी जाती है। लाइन या द सैनिक प्रशासन मे से दिया गया है और उसके उल्लेख द्वारा ही इसे स्पष्ट किया जा सकता है। मुख्य सेनापति की सुलना सर्वोच्च प्रबन्धक से की जाएगी। इसको देश की सारी सेना पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त है। देश लेफ्टीनेंट-जनरलो के अधीन बहुत सी क्षेत्रीय कमाना में विभाजित है। प्रत्येक क्षेत्र मे क्रिंगेडर-जनरल के अधीन क्रिंगेड है। प्रत्येक क्रिंगेड रेजीमेण्टो में विभाजित है, जिनके अध्यक्ष कर्वल हैं।

प्रत्येक रेजीस्टर्ड वटालियनों में बटो हूँदे हैं, जिनके अन्तर में जरूर है। प्रत्येक वटालियन कम्पनियों में बटो हूँदे हैं, जिनके अध्यक्ष बैंटिन हैं। प्रत्येक कम्पनी आगे फिर बटो हूँदे हैं, और इस तरह, बल में एक वारदार के अपीन एक दम्भा है। पटोनति उपर की ओर एक-एक दम्भा होनी है। प्राट्वट वारदारल बनने की आगा वर मुख्ता है, चार्जेट लेपट्रीनेट बनने की, एंट्रेन मेजर बनने की ओर वर्तन्त जनरल बनने की आगा वर नक्ता है। वारदार में भी कही ढाका अपनाया जाता है। पहुँच जनरल मेजर हाला है जिसके नीचे चार या पाँच मेजर रहते हैं। प्रत्येक मेजर के नीचे चार-चार सर्वमैनजर होते हैं। और इसी तरह बल में फोरमैन होते हैं, जिनमें में प्रत्येक के नीचे २०-२५-८० या ६० आदमी काम करते हैं। छोटे वारदार में, जिसके लिए विभागीय याजना नवमे अनिवार्य है मुख्य प्राधिकारी मार्गिन हो मुख्ता है, जो प्राय हर कर्म बरता है। याया प्रापिकार सीधे उमी में चढ़ता है, जिसे एने की पिराए दून में एकत्र होती है, और दून से पर्यवृत्त उपग्राहा में, और दून से उपग्राहा तथा शाकाए तन में इकट्ठी होती है। यह प्राप्र वही काम बरती है, जो इस प्रणाली के अपीन विभी कम्पनी में काम बरने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाते हैं। इस प्रणाली को “ब्रौन प्रणाली” भी कहते हैं। इस प्रणालीमें मुख्या पर दून दी जिम्मेदारी था जाती है, जो प्राप्र इनकी द्वितीय होती है, जिसकी वह उड़ा नहीं मिलता। यह योजना आम तौर से नरकारी दिनांकों में अपनाई जाती है।

### विभागीय और लादन ढाका

#### जनरल मेजर



यह प्रणाली निम्नलिखित घटकों पर सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है—


- (१) जहाँ वारदार अपश्या थोड़ा हो और फारमैन कर्मचारी तथा मजदूर दून अनिवार्य हों। (२) मन्त्रन-प्रबन्ध उद्योगों में—चौला, तेज़ रिकार्डनिंग आदि विदेशी उद्योगों में भी और उन्हाँ जैसे मन्त्रन-प्रबन्ध उद्योग में भी। (३) जहाँ दून ने

उपक्रम आपनी में या सरलता में नियंत्रित किये जाने हैं, अर्थात् कुम प्रायः रोज़ाना के ढम का हो । (४) जहाँ प्रगतिशील पूर्ण उच्चावधि (automatic) हो जिसके कारण कोर्मेन को बूढ़ि लगाने की गुजाइश नहीं, और (५) जहाँ अम् और प्रबन्ध को आपनी समस्याएँ हल करना कठिन नहीं । इन प्रगतिशील के मुख्य लाभ में हैं—  
 (१) यह चेतने में भरत है । (२) यह प्रियों और कार्यमात्रक है, क्योंकि इसमें जननीय नियन्त्रण और कारंसाक्षर ममजन हो पाता है क्योंकि विभाग मन्त्रियों में भव कार्य एवं आदमी के हाथ मह है । (३) यह कामों की पूर्ति की जिम्मेवारी सुनिश्चित रूप से कुठ व्यक्तियों पर डालती है ।

जो उद्योग मजदूरों की हायागी और दोषना पर निर्भर होता है, वह इस प्रगतिशील को नहीं जरूरा भक्ता उद्याहरणाय वह उद्योग जिसमें रक्षक कर काम होता है, जैसे मोटर नियंत्रण व्यक्तिकि इस प्रगतिशील का मरल हूँ और काम का एक आदमी के हाथ में इकट्ठा कर देने की इसकी प्रवृत्ति उसे इन शाम के लिए उपयुक्त नहीं रहने देती । अन्यको उद्योग के विभिन्न कार्य जैसे स्थगिता संवारण (maintenance), और परिव्यवस्था नियन्त्रण, इनसे जटिल और ऐक्सेसिल हो गये हैं, कि एक आदमी सबसे विनेपज नहीं हो सकता । इसलिए इस प्रगतिशील के दोष में है—(१) यह प्रबन्ध की एक नीय प्रगतिशील पर आधारित है और इसलिए कारबाहर एक आदमी के मनमाने फैसलों के अपील हो जाता है । (२) काम किसी वैज्ञानिक योजना के अनुसार बाटने के दबाव मैनेजर की मनक के अनुसार बाट दिया जाएगा । (३) यह प्रगति को और कारबाहने के अच्छी तरह काम करने को गोकरी है । (४) फोरमेनों को इतना काम करना होता है, कि वे मुश्किल की ओर उनकी जननीय व्याप नहीं दे सकते, जिनकी जननीय देना चाहिए । (५) इसमें अच्छे कर्मचारियों को इनाम देने और नियन्त्रण की सज्जा देने का कोई उपाय नहीं है । (६) इसमें योजना के पश्चात को बढ़ावा दिलने की सम्भावना है । हर नियन्त्रण अधिकारी के चारों ओर बहुत में सुझामदी और नीकरी तत्त्वाद्वारा बहुत बाले इकट्ठे हो जाते हैं । तरख्ती सुनानद के अनुसार पर होने लगती है । और नीकरी की मुरझी तभी हो पाती है जब जी-हड्डी की जाप, और मैत्रें बड़ी बात यह है कि (७) बड़ी कम्पनियों में इसे लालू करने में प्रबन्ध में बहुत गडबड़ हुए विना नहीं रह सकती, और अब बड़ा अधिकतर उत्पादन बढ़े पैमाने पर होता है । प्रोफेसर भगवन्न—प्रलारेम ने इस प्रगतिशील की सहज “अद्वितीयों” को तीन जीर्घियों के नीचे इकट्ठा किया है—(क) नहीं जानकारी प्राप्त कर नहीं कर और उनके अनुसार कार्य कर नहीं कर विनाना, (ख) लालूघीड़ी और नीकरनाही, (ग) विनेपजों के विभिन्नीहृत क्रीड़े—का अभाव जारी तो नीतीय प्रगतिशील में नीचे को चढ़ने हैं, और जानकारी नीचे से ऊपर को आनी ही भमझी जाती है । पर वास्तविक व्यवहार में अनेक तो दिये जाते हैं, पर कार्य धन से नीता मम्पर रखने वाले छोटे कर्मचारियों द्वारा दी गई जानकारी की “इस बारा उपभोग कर दो जानी है कि वह एक छोटे कर्मचारी ने दी है” लालू पैना और नीकरनाही के परिणामस्वरूप औपचारिक बातों को इनी कठोरता में लागू किया जाता है कि नियम नीकर के दबाव मालिक बन जाने हैं, और

गवेषणा और स्पाकण्डों का विशेषज्ञ और कानूनी तथा वित्तीय सलाहकार स्टाफ हैं, जो उत्पादन और विश्वी के काम करने में कोई प्रत्यक्ष या कायंपालक हिस्सा नहीं रहते। यह प्रणाली मानव प्रणियों में वर्गांकरण करने वाले प्रमुख कारकों में से हैं। एक ओर तो काम करने वाले आइमो, अर्थात् नेता प्रबन्धाविकारी, यानी लाइन हैं, और दूसरी ओर विचारक हैं, जो “क्यों” और “कैसे” से अधिक चास्ता रखते हैं, और करने से कम, जैसे वैज्ञानिक योजना निर्माण सम्बन्धित, इजीनियर, स्पाकण्डकार, बकील, परिव्यवन्नागक, अर्थात् स्टाफ। इस मात्रा तक यह प्रणाली पूर्णतः सुस्थित है।

### लाइन और स्टाफ चार्ट



अनटी रेखाएं सीधी “लाइन” को सूचक हैं और दूटी रेखाएं स्टाफ की।

**फांक्शनल प्लान (Functional plan)**—अनुकूलकरण (Functionalisation) लाइन और स्टाफ का परिवर्णन है। इसकी धुनियादी अवधारणा यह है कि सम्बन्ध के कुछ भाग बुल्यों और टैक्सोडो के आधार पर होने चाहिए। इसलिए यह विभागों विचार का उल्टा है, क्योंकि यह उत्पादनों और क्षेत्रों का विचार नहीं करता। देहर तथा अन्य लेखकों ने इसका वैज्ञानिक प्रबन्ध की योजना के एक भाग के रूप में प्रतिपादन किया था। इस योजना में सब या कई विभागों के साथे विनिर्दिष्ट कृत्य ऐसे व्यक्ति के मुपुर्द किये जाने हैं, जो अपने विशिष्ट कृत्य के लिए विशेष योग्यता रखता है, और एक विभाग में सब वानों की ओर ध्यान देने के बजाय वह एक बात पर

ध्यान देता है। यह योजना अम-विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है, यह वर्मचारियों को सास तौर से प्रबन्धात्मक कृत्यों के अनुसार अलग-अलग कर देनी है, अर्थात् लेखाकृत, परिव्यय नियन्त्रण, बजट नियाण, स्कैटर, गवेषणा, निपिलि कार्य, उत्पादन नियन्त्रण, संधारण और परिवहन में बाट देती है। लाइन और स्टाफ संगठन के अधीन स्टाफ का कार्य विनियोजित प्रबन्धकीय कृत्य नहीं समझा जाना। पर कार्यात्मक योजना में विशेषज्ञ निरे सलाहकार ही नहीं रहते—वे एक टेक्नीक हैं, जो कारखाने के कई विभागों में एक सी होती है, अध्यक्ष हो जाते हैं। अब वर्मचारी किसी एक बौम के नीचे नहीं रहता, बल्कि अपने काम की आवश्यकता के अनुसार बहुत-से बौमों के नीचे रहता है। प्रत्येक फोरमेन अपनी लाइन में एक प्राधिकारी समझा जाता है। पर जिस काम में वह विशेषज्ञ है, उससे आगे उसे वोई अधिकार नहीं। टेलर के अनुसार इस कार्यात्मक संगठन का यह मतलब है कि प्रबन्ध का काम ऐसे तरीके से बाट दिया जाए, कि सहायक सुपरिस्ट्रिक्टर्स और उससे नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को अथासम्भव बौम से काम कृत्य करने पड़े। इसलिए यह योजना आधुनिक उद्योग की आवश्यकता पूरी कर देती है, और इस आधेप का परिहार करती है कि उत्पादन सुपरवाइजर आदमी छाटने, प्रशिक्षण, परिव्यय-नियन्त्रण और प्रबन्धकीय कृत्यों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। यह प्रणाली थोड़े में पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री के लिए, और उस फैक्ट्री के लिए जिसमें विशेषीकरण बहुत जटिल नहीं होता, उदाहरणार्थ, जूता निर्माण में, सबसे अधिक सफल सिद्ध हुई है।

लाभ—कार्यात्मक संगठन के बहुत से लाभ है। (१) आदमी अपना सारा समय एक काम करने में लगाता है, इसके परिणामस्वरूप विशेषीकरण और दक्षता पैदा होती है। (२) प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिक से अधिक कोशिश करता है क्योंकि वह अपनी अधिकतम योग्यताओं के अनुसार चलता है। (३) इसमें भजदूर वो अपने काम के बारे में सब तरफ से अध्ययन करने का और सुधार सुझाने का मौका मिलता है। (४) यह संगठन की बृद्धि में तकावट नहीं ढालता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष क्षेत्र में उत्तमता करता है। उदाहरण के लिए, त्रेता ४० चौज स्तरीदे या ४०,०००, उसे इससे कुछ मतलब नहीं। उसे तो एक काम करना है और एक ही काम पर नियन्त्रण रखना है। (५) और विशेषीकरण ढारा बहुत बड़े उत्पादन में सहायता करता है।

इसके दोष ये हैं—(१) नियन्त्रण की प्रक्रियाओं की दृष्टि से यह गम में ढालने वाली है। यदि इस योजना को बहुत आगे तक बढ़ाया जाए, तो सब गडवड हो जाए। (२) इससे एक ही काम पर कई प्राधिकारी हो जाने हैं और सुनिश्चितता और जिम्मेवारी के निश्चित मार्गवा अभाव होने लगता है। यह इसकी सबसे बड़ी हानियों में है क्योंकि इसमें जिम्मेवारी एवं दूसरे पर हटने लगती और विभाजित होने लगती है, हालांकि अभिशाय इसके प्रतिकूल था। (३) इसमें अनुदेशपत्र (Instruction card) भरने और सब आदेशों तथा विस्तृत बातों को लिखने में लिखाई का काम बहुत हो जाता है। यह बोझीली है और अमल में लाने में कठिन है, क्योंकि मह नियन्त्रण का

अधिक विभाजन कर देती है। (५) यह बाम का भरण्टा से समजन नहीं होने देती और इसकी सफलता मुख्यतः प्रतिभाजाली नेतृत्व पर निर्भर है जो आधुनिक व्यवसाय में होना नहीं मिल पाता।

**भानव साइट्स**—व्यवसाय इकाई को मानवीय प्रदान के एक सकूल समझन के रूप में देख, तो स्पष्टतः उपर व्योगन ममठन प्रणालियों में सर्वोत्तम लाइन और स्टाफ प्रणाली है। विभागीय योजना में नियन्त्रण जल्दीकरण के लिये ही जाता है। कार्यालय प्रणाली नियन्त्रण को इतना अधिक विभाजित कर देती है कि बड़े पैमाले पर अच्छा काम नहीं हो सकता। काम और नियन्त्रण के विभाजन और केन्द्रण में दृष्टि भलुन के मध्यमे अधिक निकट पहुँचने वाली लाइन और स्टाफ प्रणाली ही है। विद्व के महान् निर्माण ने भी अपनी कला के सर्वोत्कृष्ट नमने—भानव शरीर का निर्माण लाइन और स्टाफ योजना के आधार पर ही किया है। भानव शरीर का समग्र अवधारणा वो दृष्टि से इतना आदर्श है, और इनितम अवस्थाओं में काम करने में इतना निर्दोष है, कि जब से इनका समझन हुआ है, तब से इनमें जरा भी परिवर्तन नहीं किया गया। शरीर का प्रत्येक अग्र कुशल कार्यकर्ता है, जो वह काम करता है, जिसे करने के लिए वह रखा गया है। मस्तिष्क सोचना है और स्नायु-मण्डल रोजाना के काम की देख-भाल करता है। मध्यस पहुँचे प्रमस्तिष्क (Cerebrum) या जनरल मैनेजर का दफ्तर है, जिसकी दिमागमें सबसे ऊपर स्थिति है। यह प्रज्ञा (Intelligence), विचार, तर्क, नियंत्रण का केन्द्र है। इसके ठीक नीचे निमस्तिष्क (Cerebellum) या दबर्म मैनेजर का दफ्तर है। इसे भी कभी छोटा दिमाग कहने हैं। यह शरीर की इच्छायत्त पैदियों (Voluntary muscles) को नियन्त्रित करता है और हमारे गतीय के सब सचलनों का जिम्मेदार है। इसके ठीक नीचे मस्तिष्क-मुच्छ प्रमस्तिष्क (Medulla oblongata or Bulb) या मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा है, जिसमें नित्य के कार्यों का अध्यक्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण अविकारी है, क्योंकि वह दिमाग को मेररज्जु (Spinal chord) से जोड़ता है। ये तीनों कम्पनी के मुख्य स्टाफ जफर हैं, पर इनमें से प्रत्येक के नीचे बहुत में कार्यकर्ता रहते हैं। मेररज्जु इन अनेक अधीनस्थ अफमरों के मध्य प्राधिकार की स्थोरक शृङ्खला है। इनके जरिए स्मृति, वाणी, दागों, नितान्त्रणों और पाइ मचलनों, मिर के सचलनों, केमरा चित्र (आस), जादि के प्रतिक्षेप केन्द्र (Reflex Centres) या विभागीय प्रबन्धक अपने निकटतम अध्यक्ष, मस्तिष्क, के सम्पर्क में रहते हैं। इसी के जरिये नेतृत्व विभागों के प्रबन्धक (शरीर के विभिन्न भाग) अपने ऊपर के अधिकारी, मस्तिष्क-मुच्छ, के आदेशों का पालन करते हैं। प्रत्येक कार्य के प्रबन्धक के दो अधीनस्थ अफमर होते हैं, जो उनके आदेशानुसार काम करते हैं। इनमें एक जानकारी प्राप्त करने में कुशल होता है, और वह सचलनों (Sensations) के स्पष्ट में जानकारी अभिलिखित और समृद्धीत करता है और दूसरा टोली का नेता या कार्यवाही विभाग का फोरमैन होता है, जो अपने विभाग

प्रबन्धक के आदेश का— ये आदेश जानकारी विशेषज्ञ द्वारा ग्राप्त की गई जानकारी के आधार पर होते हैं—जान्न करता है। इस प्रकार, यह पूरी तरह लाठन और स्टाफ मगठन है, जो इनमें दूर तक उस स्पष्ट भले जाया गया है, जिनमें हम थोंग बही नहीं देखते। विशेषज्ञ की जहाँ आवश्यकता है, वहाँ उनमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, और प्रत्येक का अपना पूरा काम नमालने के लिए वाधित विद्या जाना है, और इस प्रकार जनरल मैनेजर (प्रमस्तिप्ल) वर्डी वर्लें मोचते के लिए स्वतन्त्र हो जाता है। उस तरह लाठन और स्टाफ, जो दो स्तरों का मगठन है, और जिसमें भाग वाले दो स्तरों— मृजनात्मक स्तर और नैतिक स्तर—में विभाजित हो जाता है, विभागीय और विद्यात्मक प्रणाली की अद्वितीयों को ग्राहना है, मृजनात्मक स्तर पर भौलिक विचार करता है, और नैतिक या कार्य स्तर पर काम करता है। यह कहा गया है कि “नैतिक कार्य उद्योग स्तरी जहाँ वों तेरती रखता है, पर मृजनात्मक विचार वह प्रेरक शक्ति है, जो इसे आगे बढ़ाती है।” इन दोनों एक दूसरे में भिन्न कार्यों का विवाम अधिकतम सफलता प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है।

**समितियों द्वारा समझा (Co-ordination through Committees)**—स्टाफ प्रणाली जब लाठन प्रणाली के साथ काम में लाई जाती है, तब वह निरें लाठन मगठन की अद्वितीयों को दूर करती है। यह कार्यालय प्रणाली में स्वाभाविक स्पष्ट में होने वाली ममजन की कमी को दूर करती है। पर इनकी बात काफी नहीं। किमी भी मगठन में उद्देश्य यह होता है कि विक्रीकरण और केन्द्रीकरण हो, तथा विशेषांकरण और ममजन हो। ममजन की वेयरियल ममजनकारी ममिनिया के द्वारा ही मनवाता है। मीथा ममजन विभिन्न कार्यकारिया (Functionaries) और स्टाफ मठाहकारा के मध्य मीथे वेयरियल ममजन द्वारा ही मनवा है, जिसमें वे परस्पर एक दूसरे को प्रभावित कर सकते। ममिनि प्रणाली, जिसमें जनरल मैनेजर ममजन करने वाली कमी के स्पष्ट में काम करता है, उसी स्तर के कई प्रबन्धकतात्री (उदाहरण के लिए, विशेष प्रबन्धक थोंग और उन्नादन प्रबन्धकों) तथा मुद्राहकार स्टाफ और प्रबन्धक अफसरों के प्रयत्नों का एक दूसरे के अनुकूल बनाने के लिए उपयोगी माध्यन है। यह इमरिए आवश्यक है क्योंकि स्टाफ प्रणाली में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि व “दफनर में बैठे हुए लाठन अफसरों और कार्यकर्ताओं को, जो अमरी मात्रे पर काम कर रहे हैं, प्रशान बरने के लिए तुरह-तुरह के कामकाजी आयोजन बरते रहे।”

किसी कार्यालय कर्म में यह बात नहीं किए गए प्रबन्ध अधिकारी स्टाफ योजनाओं की विनाय गमये, और उनके माथ काका मना अनुभव कर, तथा स्टाफ अफसर प्रबन्ध अधिकारीयों के काम का ममज, और एकामना अनुभव करें। ममिनिया जिस तरह काम कर सकती है, यह ममजन के लिए मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी पर गशोप में विचार करना उचित होगा। हम इन दोनों चुने हैं कि वे दो प्रमाणों के लिए ममजन में कोई अवैध मैनेजर विशेष मैनेजर, वामवाना मैनेजर, मैचिव, इन्जीनियर या इंजीनियरों की सारी निर्माण ममजनीयों नीति के द्वारे में मानाह नहीं देखता, पर यदि पाचों बादमी एक मैनु-

वचारिंग कमेटी में इकट्ठे कर दिये जायें, तो पांचों महत्वपूर्ण विभागों की ओर से एक एक प्रतिनिधि हो जाएगा। वे लोग बराबरी के तौर पर योजनाओं में और उन्हें कार्योन्निवार करने में जानेवाली बढ़िनाइया पर विचार कर सकेंगे। ऐसे विचार-विमर्श का आवश्यक परिणाम यह होगा कि कमेटी जनरल मैनेजर के जरिये, जो इसका समाप्ति होगा, कारखाने की निर्माण नीति वडी जच्छी तरह में निर्धारित इर सक्ती है और उस पर अमल किया जा सकेगा। ऐसी कमेटी द्वारा जाम स्वभावत कारखाने के निर्माण कार्य, बस्तुओं वे स्वरूप और अवधार, प्रक्रमा या बस्तुओं की स्थिता, स्टाक के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए दिए गये आदेश। वे अनुमोदित मारे निर्माण सम्बन्धी व्यय के अनुमोदन और मित्रव्ययिता की सिफारिसों पर विचार करना होगा। इसके सामने जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसमें लाभ-हानि का हिसाब, स्टाक और विक्री की रिपोर्ट और ऐसे ही साधारण बकाव्य लामिल होगे।

अच्छी कमेटी में कई स्वाभाविक गुण हैं (१) यह अमर्त रूप से कार्य करती है, और पांच तौर पर इसका पैमला पेश किए गए तथ्यों पर निर्भर होता है।

(२) इसकी बैठकों से उनी तथा बलग-बलग स्तरों के लोगों में आपसी समझ-बूझ बढ़ती है। कमेटी का बालावरण ही एसा होता है कि सब लोग छोटी-छोटी बातों को भूलते और मामले के गुण और दोष के अनुमान ही कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

(३) काम और योजनाओं में दिलचस्पी पैदा हो जाती है, और सब सदस्यों का अधिकतम प्रयत्न इकट्ठा हो जाता है, जिससे सामूहिक भावना में बृद्धि होती है। पारस्परिक अविश्वास और ईर्ष्या हट जाती है, क्योंकि लोग एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह जान जाते हैं, और एक दूसरे के स्वभाव की अच्छाइया पहचानने लगते हैं।

(४) किनी सदस्य के गलनबनानों करने पर उस पर स्वभावत जारी रखा जाएगी।

इसने लाभों के बाबजूद कमेटियों में नई समस्याएं पैदा होने की सम्भावना रखती है। लम्बी-कम्बी चर्चाओं में, जो कमी-कमी जनावरणक होती है, बहुत समय नष्ट होने का डर रहता है। फँसले बहुन थोरे-थोरे किय जाने की सम्भावना रहती है, और यदि समिनि के सदस्यों की स्थिता बहुत हो, तब तो विचार-विमर्श बहुन घटिया दरवे का होता है। कमी-कमी चतुराई के अभाव के कारण योग्यतामा को हानि पहुँचती है। इसीलिए यह उचित जान पड़ता है कि कमेटी वो नस्या उन्हीं जन रखती है जिन्हीं से दक्ष विचार विमर्श हो सके। ५ आदर्शियों की कमेटी काफी बड़ी या अनुकूलनम भानो जाती है, और इसने अधिक सहज होन पर दरना को हानि पहुँचती है।

निष्कर्ष—मगाड़न की कोई भी प्राप्ति हो, पर अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि उच्चर वाला और नीचे वालों में तहों डग का समर्थ हो सके, ऊपर बढ़े और नीचे बढ़े में सबमें महत्वपूर्ण समर्थ आदेश देने से स्वापित होता है—

—यह आदेश “मुख्य अधिकारी की इच्छा की अभिव्यक्ति होता है, जो नीचे बालों को बताई जानी है।” इस आदेश में वह अपने मन और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है। वह प्रदर्शन के लिए सामने आता है। लोग उसे देखकर अपनी धारणाएँ बनाएँगे। किसी संगठन में सब दार्ये आदेशों पर ही हो सकते हैं और होने चाहिए। आदेशों की प्रतिक्रिया वैसी ही होने लगती है। यह आदेश वो प्रतिविम्बित बरती है क्योंकि आदेश की बुद्धि सम्बन्धी और स्वभाव सम्बन्धी विशेषताएँ बस्तुओं के रूप में प्रबल प्रतिनिधि पैदा करने रुपती हैं। आदेश देने में तत्परता, स्पष्टता और पूर्णता का यह प्रभाव होता है जिसे कार्य-पूर्ति भ तत्परता, परिशुद्धता और पूर्णता वा नमूना बन जाती है। इसलिए जादेश महत्व में कम, स्पष्ट, सक्षिप्त, परन्तु तत्परतापूर्ण प्रचलित रूप म, उचित स्वर म, उचित क्षंत्र क भीतर और पर्याप्त स्पष्ट से संप्रभाषण हाने चाहिए। यदि प्रबन्ध विभाग इन नियमों का पालन करते हैं तो मुख्यालय और कार्यकर्ताओं के मध्य संघर्ष के जबर बाम हो जाते हैं, और अच्छे वर्तव्यानुराग (Morale) की अवस्था पैदा हो जाती है। बुत्तव्यानुराग वह जाता है जो किसी संगठन के द्वाचे को प्राणवान बनाती है। यह विश्वास, निष्ठा और संहयोग से बनती है। ‘जब कोई समूह अपने नेनाभा को समर्थ और विचारशील, जपनी विविधों को देख, अपनी नीति को शोभन और अपने अन्तिम रुप को सही तथा उपादप मानता है तब वे वर्तव्यानुराग वा जन्म होता है।’ इसम हर चीज़—प्रशासन, आदेश, पुरस्कार कार्यभार, नेता और कार्यकर्ता—ग जाती है। यह अन्तिम निर्णय मव रचनात्मक बातों वा जोड़ और उसमें से ज्ञानात्मक बाम घटा देने के बाद आने वाला परिणाम है। सब कर्म-चारी मेधावी नेतृत्व चाहते हैं, और उसका सम्मान करने हैं। पुराने द्वाचे के मुगरवाड़जर की जगह ऐसा नेता देता जा रहा है जो अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा देकर उनके बाम बरा भवता है। सब आदमी अपने लिए महत्व प्राप्त करना चाहत है। लोग उन आदमियों के माथ परिवर्तन में जरिक दक्षता से और प्रभनना में बाम करते हैं, जिनके स्वभाव प्रमान, रवैया सहृदयिता-पूर्ण और दूसरों के प्रति सहिष्णुता तथा सम्मान वा भाव होता है। प्राय यह देखा जाता है कि अधीनस्थ कमचारिया म जपन ऊर के अफगरा की प्रवृत्तियां प्रतिविम्बित होती हैं। इसलिए मुख्य प्रबन्धाधिकारिया को इस पुरानी कहावत को सदा स्मरण रखना चाहिए। कि कमेले पानी के एक घडे की अपेक्षा शहद की एक बूद पर परिवर्तन मविक्षया जमा होती है। जल म यह फिर वह देता उचित हागा कि ऊचे अधिकारिया वा बाम यह है कि नीचे की विभिन्न इकाइया म मतुलन कायम रखें। इनका बाम यह नहीं है कि वे हर इकाई के प्रशासन की कोशिश कर। जब तब मशीन टीक तरह बाम बरती रह तब तक आपनो उमम काई छेटछाह न करनी चाहिए। कुछ भूख्य अधिकारी सारा यश स्वय ले लेना] चाहत है और वे नीचे के कर्मचारिया वा इनके निकट नहीं जाने देते कि जपना कुछ बाम उन्ह करन देत। वे जनाबद्धक स्पष्ट म नीचे बालों के बाम म दखल देते हैं, और इस तरह उनके दिल म जलत पैदा करते हैं। कुछ लाग अपन नीचे बाला पर अनुचित व्योरे का बाम भी ढाल देत है, जिसका परिणाम यह होता है कि व न तो खुद अपना बाम कर भवत है, और न नीचे बाला विश्वास के साथ

आना काम कर मतना है। मफ्ल अधिकारी वह है, जो न केवल किसी काम को अच्छी तरह करता है, बल्कि यह भी जानना है कि इसे कैसे कराया जाए।<sup>1</sup>

### कठरी प्रबन्ध का नियन्त्रण

प्रबन्ध को कठिन समस्याओं में से एक समस्या यह है कि अधिकार उन्हें दिया जाए, जो इसका प्रयोग करने में समस्या हो, और किर भी नियन्त्रण उन्हें हाथों में काष्ठम रखा जाए, जो अनन्तोगत्वा उत्तरदायी है। नियन्त्रण की परिभाषा यह ही जा सकती है कि 'किसी सगड़न के परिचालन के बास्तविक परिणामों के उन परिणामों की तुलना में, जो उस भारे सगड़न के लिए या उसके जरूर भागों के लिए आयोजित है, मापने का और उसके अनुनार निर्देशन तथा कार्यवाही का सकान प्रक्रम (Continuous process)'<sup>2</sup>। प्रबन्ध का प्रयाजन किसी रूपय की प्राप्ति में सूखबद्धता है। नियन्त्रण का, जो स्वयं एक प्रक्रम है, सबसे जटिल सम्बन्ध पूर्वक्यन, उद्देश्य के निर्धारण, मोजना-निर्माण, उद्देश्य की मिल्दि के लिए जो कुछ आवश्यक है उसे स्थापित करने, परिचालन, मोजना को कार्यकृत देने और लेशाक्त, तथा मोजन के परिणामस्वरूप अलिंगों और दायित्वों में होने वाले परिवर्तनों को दर्ज करने में है। प्रबन्ध में अन्य भी प्रक्रम हैं, जो उद्देश्य की मिल्दि से सम्बन्ध रखते हैं। इसमें उदाहरण है नेतृत्व और सूखबद्धता। नियन्त्रण, जो प्रबन्ध का प्रक्रम है, प्रभावी रूप से किसी सगड़न दार्जे के द्वारा ही, अर्थात् व्यष्टियों द्वारा जिनमें में प्रत्येक पर आनी आनी जिम्मेवारिया है, प्रमुख किया जा सकता है, और लेशाक्त, परिचय निर्माण और अभिलेखन आदि का प्रयोग जानकारी देना है, जो विनियोग या कार्यवाही करने में पथप्रदर्शन करे। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रबन्ध की जानकारी प्रबन्ध की कार्यवाही नहीं है। इसलिए लेशाक्त, परिचय निर्माण, अभिलेखन, आदि, नियन्त्रण महीं हैं, बल्कि नियन्त्रण के साधन हैं।

प्रबन्ध के बनियादी प्रक्रम के रूप में नियन्त्रण या नियन्त्रण-कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित तत्व हैं—

१. उद्देश्य—जो करना अभीष्ट है, अभिलिखन अतिम परिणाम।

२. प्रक्रिया।

(अ) मोजना—यह कैसे और कैद किया जाना है।

(ब) सगड़न—कौन जिम्मेवार है।

(ग) प्रभाव—अच्छी कार्यकृति किस किम बात के होने पर होगी।

३. मूल्याक्तन (Appraisal)—यह किसी अच्छी तरह किया गया; यह नियन्त्रण करने के लिये कि प्रक्रिया, जैसे इस चाहते थे दैनं ही, कार्य कर रही है और अभीष्ट परिणाम पैदा कर रही है, जाव करना।

उपर के गुणों में इस प्रबन्ध और प्रशासन, अर्थात् मनोपरि प्रबन्ध के कार्यों पर विचार कर रहे हैं। वे कार्य करने के अलावा, भवोपरि प्रबन्ध को इन कार्यों पर नियन्त्रण भी करता पड़ता है। अच्छे नियन्त्रण के लिए नियन्त्रण की उचित प्रशिक्षा बना

देनी चाहिए, पर यह समझने के लिए वे दोनों वर्तमान के अच्छी तरह पूरे किये जा सकते हैं, यहाँ उन बातों को दुहरा देना उचित होगा कि सर्वोपरि प्रबन्ध में तीन कौन कार्य होते हैं और इसका क्या कार्य है। सर्वोपरि प्रबन्ध के तीन स्पष्ट और पृथक् किये जाने वाले क्षेत्र या स्तर होते हैं। वे कार्यों की दृष्टि से और दृष्टिकोण, अपेक्षित पृष्ठभूमि और उत्तरदायी कर्मचारियों के अनुभव की दृष्टि से, भिन्न भिन्न होते हैं। ये तीन क्षेत्र निम्नलिखित रीति से दिखाये जा सकते हैं।

### क्षेत्र १ निदेशन या सचाइत—न्यासि व दा विधायक कार्य

( Trusteeship or Legislative Function )

सचालक मड़व—प्रति पखाड़े, प्रति भास या तीन मास में एक बार थैठन होती है, अशधारियों के हित का प्रतिनिधान, रखा और जनिवद्वन बरता है,

- (क) युनियादी नीतिया और व्यवसाय वी मटी स्परेसा निश्चिन करता है।
- (ख) आखिरी परिणामा का समालोचन और भूल्यादन बरता है।
- (ग) कम्पनी वे विधिगत वयनों की प्रूति बरता है।
- (घ) अशधारियों वे वित्तीय हिता पर नजर रखता है।

### क्षेत्र २ साधारण प्रबन्ध—प्रशासनीय कार्य

मुहूर्य कार्यपाल—प्रबन्ध सचालक या महाप्रबन्ध सर्वोपरि पर्यंवक्षण की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग विभागीय कार्यपाला का साथ बनाए पचासि रूप से परामर्श बरता है। सारी जिम्मदारी उसकी होती है।

(क) योजना बनाना-मार कारबार का निदेशन सूनवद बरता और नियन्त्रित करना।

- (ख) उद्देश्यों का निर्धारण और परिचालन रीतिया निश्चिन करता।
- (ग) मडल द्वारा दिये गये प्राविकार के भीतर रहन हुए परिणाम प्राप्त करना।
- (घ) कम्पनी समिति वी एक मुदृढ़ और प्रभावी बाजना बनाए रखना, जिसमें बायं, जिम्मेवारिया और प्राधिकार की सीमाएँ स्पष्ट रूप में जलग-जलग हा और उचित रीति से बटी हुई हो।

(इ) प्रबन्ध के सब पदों पर पूरी तरह अंतो-प्राप्त कर्मचारी बनाए रखना।

(च) पूजी-व्यय, परिचालन-व्यय और परिणाम मनुष्य शक्ति, मजदूरी, बेतन, उत्पादन और बीमत आदि साधारण कार्यों पर नियन्त्रण की प्रभावी पद्धति बनाए रखना।

(छ) जिन मामलों पर मडल वी कार्यवाही बाकर्यक है, उन्हें उसके सामने रखना।

(ज) विभागीय परिपूर्ति और परिणामों का मूल्यांकन।

### क्षेत्र ३ कृत्यात्मक (Functional) प्रबन्ध—विभागीय प्रबन्ध त्रुत्य

विभागाध्यक्ष, जिनमें सब कार्यपाल शामिल हैं, चाहे उनका पद को भी हो, जो अपने-अपने विभागों या प्रविभाग या उपविभाग के लिए महाप्रबन्ध के प्रति

सीधे उत्तरदायी हैं; उद्धारण के लिए, कारखाना प्रबन्धक, विनो प्रबन्धक, कर्मचारी प्रबन्धक, लेखापाल, आदि। ये लोग अपने-अपने विभाग के महल कार्य के लिए महा-प्रबन्धक के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी होते हैं। उन्ह सारे कम्पनी के हित की बजाए विभागीय हित की भीधी चिन्ता होती है।

(३) कारखाना प्रबन्धक योजनाबद्ध लागत पर योजनाबद्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिसक साथ एक क्षय अधिकारी होता है जो कच्च सामान की योजनाबद्ध लागत पर, योजनाबद्ध उत्पादन हा सञ्च के लिए जरूरित मम्प पर काढ़ी मात्रा मे, कच्चा सामान और अन्य मरम्मन जादि का सामान प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होता है।

(४) विनो प्रबन्धक जो योजनाबद्ध उत्पादन को योजनाबद्ध विनी कीमत पर बेचने के लिए जिम्मेवार होता है।

(५) प्राविधिक गवर्णर और परिवर्द्धन प्रबन्धक, जो कारखाना प्रबन्धक और विनो प्रबन्धको को प्राविधिक सेवा देने और परिचालनो म सान्तत के लिए प्राविधिक आधार प्रभुत्व करने के लिए जिम्मेवार होता है।

(६) कर्मचारी प्रबन्धक उपनम म कमचारियो मन्वन्धी नीति लागू करने या लागू करने के लिए जिम्मेवार होता है।

(७) लेखापाल उपनम के कारबार और भीन्नरो परिचालन व्यवहारो के लिए जिम्मेवार होता है।

विभागाध्यक्षो के नीचे उनके सहायक होते हैं पर वे प्रबन्ध थेट मे नही आने। मर्डोपरि प्रदन्य मे सचालड मट्टल तथा प्रदन्य मचालक या महाप्रबन्धक तथा विविध विभागीय प्रबन्धक होते हैं। विभागाध्यक्ष के सहायक विभागीय परिचालन के विविध विभागो के लिए विभागीय कार्यपालो के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनमे नीचे थेट प्रबन्धक होता है जो दिए हुए काम को करने के लिए उत्तरदायी होता है।

इम माराठ म उस दम कार्यपाल के कर्त्तव्यो मे योजना निर्माण के जरा पर दल दिया गया है। नियन्त्रण का प्रयोजन सगठन कार्य की जाव रखना, और वह देखना है कि नियो-रित योजनाए और हिदायते सही तौर से समर्जी गई और ठीक तौर से कार्यान्वयन की गई। यह कार्य प्रबन्धक वर्ग मुचना के नियन्त्रण हाराकर नही है। नियन्त्रण तभी अपना प्रयोजन पूरा कर सकता है जब वह यथार्थ, प्रभावी और सामोजन (Thorough) हो। इम नियन्त्रण के न होने पर नियन्त्रण व्यर्थ और काम निष्पत्त हो जाएगा। सगठन मे बोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे यह ईसला करने का सक्त उपर अधिकार हो कि प्राधिकार की सीमाएं छोड़ दल लक्ष्य नही होता। यह इस लक्ष्य करने के लिए जरूरी तर्फ़ करते ही कि इसी भी नई परिस्थिति को सही तौर से हल करने की योग्यता मे सशब्द है, बन्ति इम कारण आवश्यक है कि कुल जिम्मेवारी मुख्य कार्यपाल को है और वह उसे दूसरो दो भी सीधे मकना। विभागाध्यक्षो को अपने-अपने विभाग चलने मे पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त होता है, पर प्रबन्ध सचालड को सर्वोपरि नियन्त्रण होता है। सगठन मे सर्वोपरि नियन्त्रण कार्यवाल (१) वित्त, (२) उत्पादन, (३) कारबार या थेट्जा और वितरण

पर होता है, जिसके अड्डे-अलग क्षेत्र और उपक्षेत्र है। दूसरे शब्दों में कहें तो नियन्त्रण निम्नलिखित पर आवश्यक है —

नीतिया, परिचालन की दर, संगठन, महत्वपूर्ण कर्मचारियों की बदालिटी, मज़दूरी, बेतन, परिव्यय, विविध और मनुष्यसत्रिति, पूजी व्यय, उत्पादन को विस्त (Line of product), गवेषणा और परिवर्द्धन तथा सर्वोपरि परिपूर्ति।

### नियन्त्रण का अर्थ

इसलिए नियन्त्रण का अर्थ और प्रयोगन मह है—

१ निम्नलिखित को दृष्टि में रखने हुए, जो काम किया जाना है उसका यथार्थ जान

(क) मात्रा, (ख) बदालिटी या श्रेष्ठता, (ग) उपलब्ध ममय।

२ उम कार्य को करने के लिए निम्नलिखित की दृष्टि में कौन-कौन में भाग उपलब्ध है

(क) वर्मचारी बंग (ख) बच्चा भासान (ग) जन्म मुविधाएँ

३ यह जानना कि कार्य

(क) उपलब्ध नमांधन में

(ख) उपलब्ध गमय के भीतर

(ग) दुकिनमय लागत पर

(घ) बदालिटी या श्रेष्ठता के अपेक्षित प्रभाग के ठीक-ठीक उन्मार किया गया है, या निया जा रहा है।

४ किसी विलम्ब, रक्कावट या परिवर्तन के विषय में निम्नलिखित बातों की दृष्टि में अविलम्ब जानना

(क) यथा हुआ, (ख) कारण, (ग) उपचार।

५ निम्नलिखित बातों की दृष्टि से यह जानना कि इन रक्कावटों को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है

(क) इसे कौन कर रहा है, (ख) यह कैसे किया जा रहा है, (ग) इस पर क्या लागत आ रही है, (घ) यह क्या पूरा होगा।

६ पूर्ण किये हुए काम के बारे में निम्नलिखित बातें जानना.

(क) यस करन का ममय,

(ख) बदालिटी या श्रेष्ठता,

(ग) अनिम लागत।

७ यह जानना कि इनकी पुनरावृत्त रोकने के लिए किये गये उपाय

(क) किं प्रकार, (ख) किस द्वारा, (ग) किस लागत पर, (घ) चीव-चीव में निरीदण छो क्या व्यवस्था करने किये गए हैं।<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Adapted from Davis and Stetson, Office Administration.

नियंत्रण के अवधार—प्रत्येक प्रबन्ध संवधी समस्या में अनेक तन्त्र और अवधार होती हैं जिनमें से कुछ बाठनीय होती है और कुछ ऐसी होती है जिन्हें प्रबन्धक दूर कर देना या दूर रखना चाहता है। इसलिए नियन्त्रण कुछ बारणों को इस दृष्टि से जानवृक्षकर निवेशित या प्रभावित करने का नाम है कि कुछ अभीष्ट परिणाम पैदा हो। नियन्त्रण के ६ बहुमत हैं, अर्थात् प्रार्थिकार और जान, परप्रदर्शन और निदेशन, मरोउ (Constraint) और जड़रोश (Restraint)। नियन्त्रण करने की स्थिति में होने के लिए प्रबन्धक को मह पता होना चाहिए कि

- (१) स्थिति क्या है,
- (२) यह क्या होनी चाहिए,
- (३) यह होने मही की जा सकती है, और
- (४) उने उपयुक्त बायं करने का अधिकार होना चाहिए।

इसलिए नियन्त्रण कर सकते के लिए प्रबन्धक को अनन्त मचार नाम (Lines of Communications) सुस्थापित, खुले, और काम पर्ले हुए रखने चाहिए। उमेर तथ्यों का सामना रखना चाहिए। उने अपने नियन्त्रणों को कार्यहृषि देने को योग्यता, इच्छा और साहस होना चाहिए। उनमें नियन्त्रणों को कार्यहृषि देने को योग्यता, इच्छा और साहस होना चाहिए। किनागाव्यवस्था को मह पता होना चाहिए कि उनके विभाग से विस काम की आदानी है, और उन काम को करने लिए उनमें कोई-सी नुक़ियाएँ प्राप्त हैं। इनके बाद उनमें मजदूरों को अनुचित करना चाहिए और काम उनमें उचित रोति से बाट देना चाहिए। उमेर उन्हें काम करने की सबोतन विभिन्न बनानी चाहिए, और मह देखना चाहिए कि काम उनकी हितामत के अनुमार हो किया जाए। उनमें काम की थेप्टना प्रभाव के स्तर पर रखनी चाहिए और उपादान सनद-तालिका के अनुमार रखना चाहिए।

नियन्त्रण कैने किया जाए :—

कोई प्रबन्धक या विभागाव्यवस्था निम्नलिखित रूप से स्थिति का विद्युलेपण बरके परिचालन, नैयिकी (Routine) या कृच्य पर नियन्त्रण कर सकता है :

- (१) काम की परिस्थिति में जो घटिले हैं, उनकी हररेखा देनाता।
- (२) योजनाओं को मार्ग से इवरन्टन्डर होने से रोकने के लिए जिस-जिस विन्दु पर नियन्त्रण की आवश्यकता है, उम उस विन्दु को अक्षित करना। मह गोबरु कि यदि नियन्त्रण न हो तो क्या होगा, जैसे अप्राप्यिक हो।
- (३) दिन किस विन्दु पर नियन्त्रण अपेक्षित है, उम उस विन्दु पर नियन्त्रण तन्त्र स्थापित करना। नियन्त्रण का तन्त्र यह उपाय साप्तन या प्रत्रिया है जो बार्यपालक को उम कायं के रियर में जानकारी देती रहती है, जिसके लिए वह बिमोचार है और उनमें उमेर यह नियन्त्रण हो जाता है कि उनकी योजनाएँ और नोडिया समझालिए हों अनुमार चल रही हैं।
- (४) किसी जादी को यह देखने की जिम्मेवारी सीधे देना कि नियंत्रण तत्र शही रूप से बायं करते हैं और यह नियन्त्रण करता है वह जपतो जिम्मेवारी मनज्जता है।

### प्रबन्धक कैसे नियन्त्रण करता है<sup>x</sup>

- १ नियन्त्रण तन्न का प्रयोजन, सब कार्यभारो की,  
 (क) योजना के अम से  
 (ख) समय तालिका के अनुसार  
 (ग) ठीक विनियोग रीति से  
 (घ) उस व्यक्ति या व्यक्तियो द्वारा, जिमे या जिन्हें वह सौंपा गया है,  
 पूर्ति को सुनिश्चित बनाना है।
- २ प्रबन्धक वो यह देखना चाहिए कि  
 (क) काम के प्रदाह मे दाधा न पड़े  
 (घ) प्रत्येक कर्तव्य उचित रम म पूरा किया जाए  
 (ग) काम समय तालिका के अनुसार नमाप्त कर दिया जाए
- ३ प्रबन्धक वो यह पता होना चाहिए कि  
 (क) प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व कैसे दिया जाना है।  
 (ख) प्रत्येक कार्य के लिए कौन उत्तरदायी है।  
 (ग) अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए कौन से साधन उपलब्ध हैं।  
 (घ) यदि कोई विभाग या काम ना हिस्सा समय तालिका से पीछे है तो स्थिति को ठीक समय पर कैसे सही कर दिया जाए।
- ४ काम समय तालिका से पीछे होने के ये कारण हो सकते हैं।  
 (क) काम के परिमाण मे आवस्मक और अप्रत्याशित वृद्धि  
 (ख) जिन कर्मचारियो को काम सौंपा गया था उनको अनुपस्थिति  
 (ग) फलहीन कार्य  
 (घ) निष्प्रभाव पर्यवेक्षण
- ५ प्रबन्धक को प्रत्येक विभाग के बारे मे प्रतिदिन ये बाँहें मालूम होनी चाहिए.  
 (क) प्राप्त काम का परिमाण  
 (ख) पूरा किये गये काम की मात्रा  
 (ग) यदि कुछ काम बच गया हो तो उसको मात्रा  
 (घ) काम बच जाने के कारण।
- नियन्त्रण के साधन—आधुनिक प्रबन्धकर्ता वो नियन्त्रण के ये साधन प्राप्त हैं—  
 (क) आयव्यवस्थीय या बजट सम्बन्धी नियन्त्रण  
 (ख) परिव्यय नियन्त्रण  
 (ग) वित्तीय नियन्त्रण  
 (घ) सास्त्रिकीय नियन्त्रण  
 (ड.) काम का माप और उत्पादन नियन्त्रण  
 (च) द्वालिटी या थ्रेट्टा का नियन्त्रण और लेस्यबन्धन (Document-

<sup>x</sup>See Robinson~Business Organisation and Practice pp 189-96

ation)।

इनमें से कुछ के बारे में हम अगले अध्यायों में विस्तृत से बताएंगे, पर सक्षिप्त टिप्पणिया यहाँ देना अनुचित होगा।

जायव्यवहकीय नियन्त्रण से विविध विभागों के बारे में आँखें मिल जाएंगे।

परिव्यय नियन्त्रण से आपको व्यय की भीमा नियंत्रित करने का और यह देखने का कि उसका उल्लंघन न हो भौका मिलेगा।

वित्तीय नियन्त्रण से धन मूद्दों में रहेगा।

साहित्यकीय नियन्त्रण से यह सुनिश्चित हो जाना है कि आँखें ठीक समय पर दिये जाने हैं।

काम का माप और उत्पादन नियन्त्रण आपको काम के मूल्यों की जाच करने का अवसर देता है।

व्यालिंटो या थ्रेप्ट्रो नियन्त्रण से यह निश्चित हो जाता है कि प्रभाव काथम रहें।

लेख्यवन्वन से यह निश्चित हो जाना है कि आपको जब और जैसे जानकारी चाहिए, वह उपयोगी रूप में मिल सके।

अन में पह दृहरा देना उचित होगा कि प्रभावी नियन्त्रण से सम्बन्ध दक्ष, उत्पादन-सामर्थ्य प्रभावशोल और परेशानियों से रहित, और वर्मंचारी मुख्ती और सतुष्ट होते हैं।

अध्याय :: २१

## उत्पादन का और लागत का नियंत्रण

**उत्पादन का नियंत्रण**—कारखाने के सगड़न और मजदूरों के प्रबन्ध में व्यवसाय सम्बन्ध और प्रबन्ध की केवल आधी समस्याएँ आती हैं। प्रबन्धकर्ता को विश्री की समस्या वा सामना करने से पहले उन समस्याओं को देखा जा पड़ता है, जो कारखाना लगाने, उसमें प्रशासन करने, कार्य कराने और उत्पादन के नियन्त्रण के सिलसिले में पैदा होती हैं। विभी भी चीज़ का प्रत्येक बारं—इसमें, कच्चा सामान, यद्र आदि उपस्वार और उत्पाद-पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उत्पादन नियंत्रण का। व्यवसाय की बहुत सी वरचादी, बहुत सी हाति और अस्फूटताओं का कारण इसकी बमी या प्रभावहीनता होती है। उत्पादन को ऐसे हाँ से नियंत्रित करने वाली समस्या, जिनसे अपेक्षित वस्तु सवालत और सवारे ज़छी विधि से बनाई जा सते, यह होगी जि उत्पादित वस्तु अपेक्षित थेट्टता की हो, और यह बत भी मै-यूफैक्चरिंग यानी निर्माण व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जि वह अभीष्ट समय में बना ली जाय।

**परिभाषा और क्षेत्र**—“उत्पादन नियंत्रण” शब्द की न कोई स्पष्ट परिभाषा है, और उसकी बोर्ड मुनिनिंदिप्ट या मुनिनिचित सीमा है। इसके क्षेत्र के विषय में बहुत अधिक विभ्रम है। ठीक-ठीक देखा जाय तो उत्पादन के अन्तर्गत वे सब प्रक्रम आ जाते हैं, जिनसे कच्चे सामान वो ग्राहक के हेते याय अवस्था में पहुँचाया जाता है। विस्तृत अर्थ में, यह और मै-यूफैक्चरिंग, यानी निर्माण, पर्याप्तवाचक है। इस अर्थ में नियंत्रण वा अर्थ है प्रबन्ध। नियंत्रण करने का अर्थ है सचालन या समर्पित करना। इस प्रकार इस अर्थ में प्रयोग करने पर उत्पादन नियंत्रण वा अर्थ निर्माण का प्रबन्ध हो। सबतों है, पर यह परिभाषा बहुत व्यापक होगी, क्योंकि इसके अन्तर्गत न बेबल थ्रेट्टन नियंत्रण, वल्व लागत और विधियों का नियंत्रण भी आ जाता है, जिस पर थलग विचार करने वी आवश्यकता है। उत्पादन नियंत्रण वा सम्बन्ध मुख्यतः निर्माण यानी मै-यूफैक्चर के समय पर से है, और इसके साथ स्थान पहलू तथा मात्रा या आदतन पहलू भी जुड़ जाता है। तो नी इसे उन कारबों पर ही दिये केन्द्रित करना चाहिए, जिनके निर्याग में समय अग्रव (element) वी आवश्यकता पड़ती है। रिटिल स्टैन्डार्ड्स इन्स्टीट्यूट ने उत्पादन नियंत्रण के घटक ये सिद्धान्त बताये हैं— (१) उत्पादन की याजना या योजना-निर्माण (प्लानिंग), (२) गम्भीर स्तर पर्याप्ति (सेहूलिंग), (३) समीन और धर्मित का उपयोग में लाता या कृत्यप्रयोग (डिस्ट्रिंग), (४) स्टाक का नियंत्रण, (५) निर्माण के नम का नियंत्रण या मात्रा नियंत्रण (हाटिंग), और (६) प्रगति (प्रोग्रेस)। इस मस्था व जनुगार, उपर्युक्त छह सिद्धान्त या कारब किलाकर उत्पादन नियंत्रण कहलाते हैं। इसमें उत्पादन नियंत्रण,

उम निवेदक दा सचालक अभिवृत्त को बहु स्कने हैं, जिसका प्रयोग उन कारखानों में, जिनमें उत्पादन पृथक्-भूतक् सकारात्मा (ऑरेग्न्स) में विभाजित होता है, उन सकारात्मा को, योजना, समयत्रय निर्वारण, निरीक्षण, मार्ग-निश्चय, कृत्यप्रेषण दा डिस्पैचिंग और प्रेक्षण के कार्य करते हुए, ठीक श्रेष्ठता की बस्तुए अभीष्ट मात्रा में ठीक समय और स्थान पर उत्पादन करने की दृष्टि में, अधिक ने उधिक प्रभावी हृष में समन्वित करता है।

उत्पादन नियंत्रण में दोमुखी समस्या जाती है। एक ओर नो इसमें योजना-निर्माण का अभी होना आवश्यक है, जो मकायों को उन्हीं शृखला के प्रत्येक कदम को पहले से देख सके और ऐसी व्यवस्था बना सके जिसने सब कार्य ठीक स्थान और ठीक समय पर न्यूनतम प्रकाम और अविकृतम दरकारा से सिद्ध हो सके। दूसरी ओर, नियंत्रण व्यवस्था पहुँचने के लिए जावश्यक है कि जो योजनाए बनाई जाय उनको बास्तव म कार्यान्वित किया जाय। योजना निर्माण का लक्ष्य यह है कि पहले ही से यह निश्चय बना लिया जाय कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कहा करना है और कब करना है। इन विरलेपण के परिणामस्वरूप जो निश्चय होते हैं, वे ऐसी रीति में निश्चित किये जाते हैं जिससे उन्हें ठीक स्थान और ठीक समय पर कराने के लिए नैतिक व्यवस्था ही काढ़ी हो। नियंत्रण का वास्तविक यह है कि योजना निर्माण द्वारा पहले में निश्चित की गई इन प्रतियोगिता की कार्यान्वित करे और प्रगति का प्रेक्षण, निरीक्षण और अभिलेखन (रिकाउटिंग) करे, ताकि मोजना द्वारा निर्धारित तथा वास्तविक परिणामों में लगानार तुलना होनी रह सके।

उत्पादन योजना या योजना निर्माण औद्योगिक प्रबन्ध का सबने महत्वपूर्ण साधन है। इसका बुनियादी विचार महत्व है कि सारी फैक्ट्री में किया जाने वाला कार्य पहले से तय बना दिया जाय। यह एक मुनिदिवन समय-मारणों है जिसमें अनुपार विभागों तथा व्यक्तियों को कार्य करना है। इने लिख लेना चाहिए और एक बादां व्यवस्था के रूप में चलाना चाहिए, और इसमें जातीगत उत्पादन चार्ट, लक्ष्य नियंत्रण चार्ट और समय चक्र चार्ट भी होत चाहिए। समयत्रय नियंत्रण उत्पादन नियंत्रण का एक और बहुत महत्व-पूर्ण पहलू है। ठीक-ठीक वहा जाय तो समवनन एक सूची है। भारा दरों की, सम्पूर्ण मात्रा की और इसी तरह जन्य चीजों की अवूचिति होनी है। जब यह शब्द मैन्यू-फॉर्मिंग के निश्चिले म बोला जाना है तब प्राय एक निश्चित किये हुए तम में और कभी-कभी नियंत्रित समय के अन्दर बनाये जाने वाले हिस्प्रो की सूची वा वाचक होता है। यह वह साधन है जिसमें द्वारा, उत्पादन योजना को शुरू कराने और लंबा अन्यायों में उपर्युक्त पूरा बराने दी दृष्टि से, वह मध्य भावनान्वयनव्यक्तियों के सामने प्रस्तुत की जाती है। इसमें द्वारा मध्य कार्यों एक तरफ मध्य समयनाराती में भरदिये जाने हैं ताकि मैन्यू-फॉर्मिंग के निश्चिले में होने वाले प्रयोग मकार्य या घटना का आयोग्यक समय पहले से तय हो जाय। मार्ग नियंत्रण योजनाबद्ध उत्पादन का एक अग्र है। इसमें कारखाने में उत्पादन के मरमने का रास्ता निश्चित हो जाता है। मार्ग का आग्रह वह रास्ता है जिस पर वस्तु को निर्माण के लिए गुजरना होता है। योजना विभाग एक मार्ग-प्रवाह तंत्रायार कर देता है जिसके अनुपार कार्य मार्ग पर चलता है। इसप्रेक्षण या उत्पादन नियंत्रण

का एक तन्त्र है। डिस्पैचिंग या प्रेषण का शब्दार्थ है कि सीधी चीज को चला देना और उसे विसी लक्ष्य की ओर भेजना। कारखाने की मापा में, यह प्रायः काम निश्चित स्थानों पर मोपने की विधि या प्रक्रम का, तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ, इसकी प्रगति को बढ़ाने या घटाने का वाचक है। यही इसकी गीता है। यह देखता है कि सामान काम की टीक जगह पर पहुँच जाय, सकारांच-विशेष के लिए मर्ही स्थान पर औजार तैयार हो, जमिलेख बना लिये जाय और काम भार्गनमन्दनी बादेमो के अनुमार चलता रहे। यह योजना-निर्माण और सकर्ता के बीच सम्पर्क है। डिस्पैचिंग या वृत्त्यप्रेषण उम भीतिक कार्य को करता है जो समयक्रम ढारा निश्चित किया गया है। प्रगति वह साधन है जिसमें उत्पादन योजना की पूर्ति को समन्वित किया जाता है, जिसमें यह पता चले कि योजना में इन किरनी दूर हैं, और जहाँ तक मम्भव हैं, इन दूरी को पठाया जाय। दूसरे गंदों में कहाँ तो प्रगति प्रदर्शन का काम है जिस पर यह जिम्मेवारी है कि काम, उत्पादन कार्यक्रम में निर्धारित स्पष्ट म, विविध प्रक्रमों में से गुजरता जाये।

उत्पादन नियन्त्रण का लक्ष्य यह है कि उपलब्ध क्षमता के अनुमार यथासम्भव कम में कम रहे। यह दृष्टि दो कारकों को ऐसों अच्छी तरह मनुष्यित करता है कि एक के लाभ में दूसरे की हानि नहीं होनी। परन्तु उत्पादन नियन्त्रण तभी सफल हो मतता है जब वह वहूँ व्यापक हो और अनिम परिणामों को प्रभावित करने वाला हर कारक उसके अन्तर्गत हो। उसमें (क) योजना निर्माण के लिए जावश्वर पर्याप्ति विस्तृत जानकारी जमा करने के लिए, (ख) काम मुक्त करने तथा कार्यपूर्ति के लिए आवश्यक पूर्ण, निरौप और विस्तृत जानकारी देने के लिए, तथा (ग) चालू और पिछलो कार्यपूर्ति के अभियंतों का प्रबन्ध करने के लिए टीक तरह की पढ़ति, प्रार्थ और बलवंत-कार्य भी पर्याप्ति मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए। अभियंत शोध, पर्याप्त और उपयोग-योग्य होन चाहिए। एक-एक काम दो-दो बार हा जाने में और दमनरगाही में बचना चाहिए। इसके बादवा पर्याप्त अधिकारा म समग्र समर्थ नोडर रखने चाहिए। जन्तिम बात यह है कि सारे मगजन में—मालिन में लेवर मजदूर तक—उचित भावना पैदा करनी चाहिए।

उत्पादन के प्रस्तुप—उत्पादन की परिभाषा इस स्पष्ट में की जा सकती है कि वच्चे सामान को निर्मित वस्तुओं का स्पष्ट देन का समाइन कार्य। इस वर्ष में वच्चे सामान के अन्तर्गत धार्य-फूम में लेवर विजली की माटर तक कोई भी चीज हो मतती है। एक उद्योग की निर्मित वस्तु वहूँ वहूँ दूसरे का वच्चा सामान होनी है। इसलिए उत्पादन के जनर्मन मव निर्माणीय और निस्मार्क (Extractive) उद्योग आन है। उत्पादन नियन्त्रण पर विचार करते हुए उत्पादन के सब प्रक्रियों पर लगू हाने वाले निदानों की चोरी की गई है। पर इन निदानों को उत्पादन के प्रवृक्ष प्रस्तुप की आवश्यकताजा के अनुमार परिवर्तित नहीं होता। इसलिए, यह उत्पादन के दूसरी प्रक्रियों पर चाहन इतना जावश्यक है जो साने और उभवनि (Mines and quarries), हपि और मछरी पालन, भवन-निर्माण और मिल इत्तीनिर्याग, परिवहन, गोदा और लाहास्यागिना तथा निर्माण थार्डि उद्योगों के विभिन्न समर्हों में प्रत्येक में पाये जाने हैं। वे तीन प्रत्येक हैं :

(१) कार्या उत्पादन (Job Production), जो प्राप्त होने पैमाने पर किया जाता है।

(२) बाट उत्पादन (Batch Production), जो प्राप्त मध्यम पैमाने पर किया जाता है।

(३) प्रबाह या पुज उत्पादन जो प्राप्त वडे पैमाने पर किया जाता है।

कार्या उत्पादन किसी शहरक की अपनी आवश्यकता के अनुनार अद्वैती-अद्वेली बस्तुए बनाने से सम्बन्ध रखता है। प्रयत्न कार्या श का आशा बिलकुल अलग होता है और उमक दो बार रहने की कोई सम्भावना नहीं रहती। कोई दो पदार्थ बिलकुल एक से नहीं होते और किसी एक ही बन्नु की दैर तत्त्व माम प्राप्त नहीं होती। कार्या उत्पादन उत्पन्नियों द्वारा बास्तुकून्न के विचार काम के लिये किया जाता है, भवन-निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग द्वारा पुनः और पृथक् पृथक् भवान पर किया जाता है तथा निर्मिति उद्योग द्वारा विशेष प्रयोजन वाली मशीनों और प्राटोटाइप के काम के लिए किया जाता है। सब परिचालकों में कुशलता का स्तर बहुत ऊचा होता चाहिए।

धान उत्पादन उन कम्पनियों में होता है जिनमें एक समय में बस्तुओं पा हिम्मो (Parts) का एक धान या मात्रा बनाई जाती है पर जहाँ किसी हिम्मे या बस्तु का उत्पादन बिना नके नहीं होता। यह तब होता है जब बहुत तरह की निर्मित बस्तुए रखनी पड़ती है और जब अदेश विविध होते हैं और काकी बड़ी मात्राओं के लिए होते हैं। धान उत्पादन के लिए सबमे अधिक जाम कारण विभिन्न बस्तुओं और नमूनों में मात्रक हिम्मों का उपयोग है। उत्पादन का यह प्रकृत्य उद्योग में होता है। इसके लिए सामारण प्रयोजन वाले माजन्मामान और मशीनी उपकरणों के समझन में नम्यता की और कोरमेन तथा कार्यपाल के स्तर पर ऊचे दर्जे की दस्तावा का आवश्यकता होती है। सभव है कि सब आपरेटरों की कुशलता उनकी ऊची न हो जिनको कार्या उत्पादन वालों फैक्ट्रियों में, और हो मरता है कि उपकरण व्यवस्था (Tooling) इतनी जटिल न हो जिनकी पुज उत्पादन में, पर उपकरण और कार्या दो को जमाने में और किसी कार्या दो को करने की सबमे अधिक प्रभावी विधि का दोष निश्चय करने में ऊचे दर्जे को कुशलताको आवश्यकता होती है। सब उद्योगों में उत्पादन के इस प्रकृत्य पर नियन्त्रण करना ही नवने अधिक कठिन होता है। सामान्य स्तरान (Rating), सरकारी भवनों की रक्खाल, मुर्गी पालन, सब तरह का परिवहन, और सब निर्मित बस्तुए और अधिकार इंजीनियरिंग और उपयोग माननी वनाने वाले उद्योग उत्पादन के इस प्रकृत्य का उपयोग करते हैं।

प्रबाह या पुज उत्पादन सामान्यतः वडे पैमाने की इकाइयों तक सीमित है। इस प्रकृत्य में बिलकुल उनी प्रकार की बस्तुओं पर हिम्मो का मना (बिना एक) उत्पादन होता है—इसमे सब परिचालन ठीक उमी जम से होते हैं और सब विचारण इकाइया (Processing units) (मशीन, प्लाट या परिचालन) मधा उसी परिचालन में लो रहते हैं। पुज उत्पादन के परिणामस्वरूप एक-प्रयोजनी मशीनों वा विकाम हुआ है और वह इन पर ही निर्भर है। बहुता केवल एक बस्तु या केवल एक या शामिल दो या तीन

नमूने या कोटिया बनाई जाती हैं और उत्पादन दर ऊची होती है। पुज उत्पादन बहुत प्रत्यक्ष उद्योगों में जैसे थाटा मिल, चीनी शोबन, तेल शोबन, और उन फैक्टरियों में, जो कार, वैकुण्ठ बलीनर, प्रशीनक या रेफिनरेटर, टेलीफोन, विजली के लट्ट आदि भारत के स्तर पर बनाती हैं, बहुत उनत अवस्था में पहुच चुका है। पुज उत्पादन पैमाने पर काम करने वाली फैक्टरिया प्राय बड़ी होती हैं और उनमें हजारा मजदूर काम करते हैं। नियन्त्रण वी बहुत सी समस्या इकाइयों के बाबार से, और उसके परिणामस्वरूप जैसे प्रबन्ध-कर्त्ताओं और आपरेटरों में सम्पर्क की कमी, वया कार्यालयों के बौद्धिकीय हो जाने से, जिसके परिणामस्वरूप उनमें दिलचस्पी नहीं होती, पैदा होती है।

किसी फैक्टरी का कार्यालय उत्पादन से धान उत्पादन में परिवर्द्धन स्वभावत होता है और इससे आम तौर पर कोई बड़ी समस्याएं नहीं पैदा होती। यह प्राय जब बारबार बढ़ जाता है और ग्राहकों की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, तब टन-ओवर के परिमाण में त्रिमिक बृद्धि का या पुर्जों के प्रमाणीकरण के उपयोग का सर्कसगत परिणाम है, परंतु उत्पादन की विधियों के प्रयोग का फैमला ही, खातकर उस अवस्था में जब इसका प्रयोग उचित समय से पहले कर दिया जाए, सतरनाक होता है। हो सकता है कि फैदान बदल जाए और सब योजनाएं धरी रह जाए। फैमला सोचा-विचारा हुआ और सचालक महल द्वारा उच्ची नीति के हृषि में किया गया होना चाहिए।

### काम की नाप और क्वालिटी पर नियन्त्रण

काम की नापने का प्रयोजन—मजदूरों को कम प्रयास से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरणा देने वाले उद्दीपकों (Incentives) को वैज्ञानिक प्रबन्ध के हृषि के हृषि में परखा गया है। उद्दीपक अपने ढागसे सब बहुत अच्छे हैं परंतु यदि उन्हें उद्दीपक भुगतान के लिए सुनितयुक्त आधार बनाना है और मालिङ्ग और मजदूर दोनों के लिए हितकारी सिद्ध होना है तो उन पर कठोर नियन्त्रण होना चाहिए। इस नियन्त्रण को कायम करने के लिए ही काम के अध्ययन और काम की भाषप के विज्ञान का विकास हुआ है। पुराने ढागवे समय अध्ययन, काम अध्ययन, गति अध्ययन और निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण—इन सबमें अपनी अच्छाइया और कमजोरिया थी। इन बमजोरियों को हटाने और अच्छाइया को कायम रखने के लिए ही प्रबन्ध के उस उपरान्त की, जो काम की नाप कहलाता है, इसकी उपयोगिता है। इसका प्रयोजन निर्मिति चर के प्रत्येक परिचालन के लिए स्थिर प्रमाप कायम करना है, जिसमें मुकाबला करने दक्षता नापने और अतिदक्ष मजदूर को पुरस्कार देने के प्रयोजन के लिए वास्तविक उत्पादन नापा जा सकता है। ऐसा करने में हमें समय और गति अध्ययन, काम अध्ययन, और किसी निश्चित वस्तु के लिए श्रेष्ठता (क्वालिटी) की निश्चित प्रमाप की प्रवृत्तियों पर भी विचार करना चाहिए।

काम अध्ययन और योजनाकरण विधियाँ—योकि यह दक्षता के नापने का अध्ययन है, इसलिए आपसा अपने अध्ययन में दक्ष होना भी जावश्यक है। निर्मित वी जाने वाली विधि वस्तुओं के अध्ययन में निम्नलिखित का व्योरा दिया जाना चाहिए।

- (क) निर्मिति के प्रनम (Processes),
- (ख) प्रनमों के नम,

(ग) विधायन (Processing) में सुधार,

(घ) उत्पादन प्रवाह

(१) भीतर जाना (Feeding-in)

(२) बाहर जाना (Feeding-out)

(ड) उत्पादन प्रवाह में सुधार

(च) बालिटी नियन्त्रण

(१) उत्पादन की क्रमिक अवस्थाओं में

(२) जनित्र मबद्दल में (Assembling)

निर्मिति का प्रक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। इनना का निर्धारण करने के लिए निर्मिति के प्रत्येक परिचालन पर विचार करना होगा, चाहे वह किसी भी तुच्छ प्रक्रीय होना हो।

प्रक्रमों के क्रम का सावधानी से अध्ययन करने पर कारबाहर की कुल दशता का पता लग सकता है। मनुष्य आदत से चलते हैं और आदत जब एक बार बन जाती है, तब उन्हे हटाना कठिन हो जाता है। जब उत्पादन शुरू होता है, तब कार्ड व्यक्ति परिचालना का एक क्रम निर्दिष्ट कर देता है, और प्रवृत्ति यह होती है कि अन्नात की सौजन्य करने के बजाए ज्ञात को जारी रखा जाए। सावधानी से परीक्षा करके यह निश्चय किया जा सकता है कि वह क्रम सचमुच ही सर्वोत्तम है या नहीं, और उन्हे बनाये रखने पा परिवर्तित करने का निश्चय हमेशा के लिए एक बार किया जा सकता है।

विधायन में सुधार चतुर व्यक्ति के लिए बहुत अधिक बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत जरूर है। उन्होंने में भविष्य की उन्नति की आसा निहित है।

उत्पादन प्रवाह दशता का सबसे बड़ा चौर है क्योंकि इसके प्रभाव मध्यमी (Cumulative) होते हैं, और उन्हें बहुत बार उपेक्षित कर दिया जाता है। वैदेव वार आपरेटर को पुर्जे नहीं मिल पाने और विधायित पुर्जे अगले प्रविभाग (section) में नहीं पहुंचाए जाने। कभी-कभी बिलबुल अनावश्यक प्रकार के संचलन (Movements) नित्यकार्यों में घुम आने हैं और मदि उन्हे न रोका जाए तो उत्पादन का समय बहुत बढ़ जाता है और कुशाश्रुद्धि प्रेक्षक को इन सब बानों का उपचार कर देना चाहिए।

उत्पादन प्रवाह में सुधार उपयोग जनेक अमजोरिया के पाना लाने पर स्वयं हो जाएगे। इसके अतिरिक्त, जब पुराने विचारों को साफ कर दिया जाएगा, तब नए विचार सामने आएंगे। बालिटी नियन्त्रण विशेष स्तर में वहा परम आवश्यक है जहाँ बोनन मा उत्पादन के उद्दीपक की ओर इन्साली प्रचलित है। आपरेटरों की प्रवृत्ति यह होती है कि नियन्त्रित वस्तु की अवस्था की बिना प्रवाह किए वं दिए हुए समय में अधिक से अधिक वास दूरा कर देते हैं। बालिटी नियन्त्रण इसको रोक महना है और रोकना है और इस तरह कारबाहर को बहुत लाभ होता है।

नापने की विधि—यह मुख्य उत्पादन की विधियों, और अपने प्रयोग के समय अपनी उपयुक्तता पर निर्भर है। विधि चाहे कोई भी अन्नादै जाए, पर यह याद रखना अच्छा होगा कि परिणामों का सबसे अच्छा प्रदोग प्रभायों के स्थिर करने के द्वारा

होगा। इसके लिए निम्नलिखित बातों से मार्ग का सर्वेत मिल सकता है ।

(क) माप वी इकाई का निर्धारण, अर्थात् एक इकाई, दर्जन या तोल। यह पहला आवश्यक तत्व है, जैसा कि निम्नलिखित बातों से पता चलेगा ।

(ख) माप वी निश्चित इकाई के लिए कच्चे सामान की ठीक मात्रा का निर्धारण। इस मात्रा म वर्खादी और वेकार जाने वाले अश की भी गुजाड़ा रखी जानी है। यह भी अच्छा होगा कि इन सम्भावी हानियों म से प्रत्येक के लिए आपकी गणना म ली गई ठीक राशिया आप स्पष्ट कर दे। इससे जापको प्रमाप परिवर्तनों (Standard Variations) के स्पष्ट करने म बदल मिलेगी ।

(ग) उत्पादन अम मे प्रत्येक परिचालन के लिये दिया गया ठीक-ठीक और स्पष्ट बताया गया समय। इस दिये हुए समय वी गणना करने के कई तरीके हैं। पर सबसे अधिक प्रचलित तरीका विराम घड़ी (Stop watch) द्वारा है ।

(घ) कार्या दा का स्पाट मूल्यांकन, और प्रमाप से आगे सुधार करने पर बोनस या उद्दीपक की दरें निश्चित कर देना ।

एक बार सारा व्योरा तय हो जाने के बाद हम समय, सामग्री और परिपूर्ति के ऐसे प्रमाप तय कर सकते हैं जिन्ह नापने के प्रयोजनों के लिए पैमाने के रूप मे इस्तेमाल किया जा सकता है। 'प्रमाप परिपूर्ति' क्या है, यह जरा टेढ़ा सवाल है। कुछ लोग प्रमाप उपे चताएंगे जो 'उत्पादन की औसत मात्रा इसी दिये हुए समय में किसी औसत मजदूर से करने की आदा की जाती है'। कुछ लोग इसे 'नायपूर्ति का वह प्रमाप बताने हैं जिसे प्राप्त करना अमभव है पर जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है'। दोनों विचार अव्याहारिक हैं। ठीक रास्ता इन दोनों के बही बीच म है। प्रमापों का समझदारी से उपयोग करने से उत्पादकता ('Productivity') को नापना सम्भव है ।

### क्वालिटी नियन्त्रण

~~क्वालिटी~~ नियन्त्रण प्रमाप क्वालिटी से विचलन को नापने वी साहियकीय विधि है, और इसमे नमूने की परख एक चार्ट पर अभिलिखित वी जाती है, जो तुरन्त यह बता देता है कि काम कव पहले से अनुमोदित सीमाओं से बाहर किया जा रहा है। यह उन सब अवस्थाओं में लागू हो सकता है जिनमे सीमाएं निकाली जा सकती हैं और सकृत निर्माता के लिए सबसे अविव उपयुक्त है। इसमे यह अच्छाई है कि इस पर लागत कम जाती है और यह क्वालिटी वी गिरावट वी सूचना जल्दी ही दे देता है। यह प्रक्रिया नमूनों की परीक्षा के परिणामों पर सम्भाव्यता का सिद्धान्त ( Theory of probability ) लागू करके पुज उत्पादित वस्तुओं के नियन्त्रण में प्रयुक्त की जाती है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि परीक्षा मरीन के निकट और वस्तुओं के उत्पादन के बाद यथानम्भव जल्दी से जल्दी वी जाती है जिसका नवीजा यह होता है कि परिणामों से उत्पादन प्रक्रम म विद्यमान प्रवृत्तियों का सीधा सर्वेत मिल जाता है और यत्यविक भूल होने से पहले सुधार किया जा सकता है और इस प्रकार अनावस्यक वर्खादी से बचा जा सकता है। नियन्त्रण या तो नमूना मे पायी जाने वाली त्रुटियों

की प्रतिशतकता पर, वथवा नमूनों के अलग-अलग भागों के अभिलेखिन माप पर आधारित किया जा सकता है। दोनों ही जदम्याओं में अभीष्ट आमाना (Gauges) की सह्या में बहुत बचत हो जाती है। यह दावा किया जाता है कि क्वालिटी नियन्त्रण के ठीक उपयोग से १०० प्रतिशत आमान (Gauging) के बराबर भी परिणाम प्राप्त हो सकता है इसतें कि आमान के नन्हे परिचालन में शान्ति व बारम होने वाली मानदीय भूल की सम्भावनाओं की आर उचित ध्यान दिया जाए।<sup>१</sup>

जो कुछ बहु जा चका है उम्म वह स्पष्ट हो जाएगा कि क्वालिटी की परिशुद्धता और फिनिश या परिस्परण (Finish) आपक्षिक होने हैं। क्रियामक निर्माण के अर्थों में कोई नियन्त्रण माप नहीं है। इजोनियर के लिए डेडसाइज़ (dead size) का अर्थ वह आवार है जो कह अपन माइक्रोसीटर या सूक्ष्म मापक से परिशुद्धता से माप मिलता है, उदाहरण के लिए, इन के दम हजारवें हिस्से तक (0001)। इसलिए कोई प्रमाप तय करने में इन्होंने काफी नहीं है कि लम्बाई, ताप आदि की एक इकाई बना दी जाए, बन्कि प्रमाप जारी और निचली सीमाओं के मत्र अनुदान परिप्रेक्ष (Permissible Variation) के स्पष्ट में प्रकट किया जाए। पर यदि सामान्यतया उपयोग में जान वाले उपकरण, यथा फूटा या तौल के लिए सामान्य तराजू, से प्राप्त परिशुद्धता काफी हो सो इसकी जावश्यकता नहीं। प्रमाप विशिष्टिया में या आलेखों पर (In specifications or on drawings) लिखित स्पष्ट में निर्दिष्ट किये जाने चाहिए। निरीक्षण मिर्क नकारात्मक (Negative) न होना चाहिए, बन्कि इसे उत्पादन की क्वालिटी का नियन्त्रण करना चाहिए। निरीक्षण अभिलेखन और मुथारने का काम वास्तविक यगड़न, स्पष्टता उन्यादित बस्तु, निर्माण के प्रकर और पैमाने के स्पष्ट के अनुमार बहुत अन्य-अलग होगा। शम्पास्त्रों के और विभान के निर्माण में सब जगह १०० प्रतिशत निरीक्षण किया जाता है। पटियेशर ठेक्स और कृषि की मणीनो आदि के निर्माण में इन कठोर निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। रामायनिक प्रक्रम उद्योग में सर्वथा भिन्न प्रकृत का निरीक्षण अवश्यिन होता है। जहाँ यथान्तर्य (Precision) जावश्यक होता है, वहाँ १०० प्रतिशत निरीक्षण अभीष्ट है। अन्य जवल्या में नमूना निरीक्षण ही पर्याप्त सिद्ध होगा। नमूने कुछ-कुछ समय बाद कई बार ऐसे चाहिए ताकि प्रतिशतकाना की जाव ठीक-ठीक हो सके। पर अनियमित जवधित्रा पर और बिनो-बिनो धान (Batch) पर बाब्मिक जाव भी हानी चाहिए।

निरीक्षण केन्द्रीकृत या निकटस्थ निरीक्षण (Floor inspection) हो सकता है। केन्द्रीकृत निरीक्षण में एह विभाग का सारा काम निरोक्ता विभाग को भव दिया जाता है, या उने अपने परिचालन में पहुँचने में पहुँचे एक निरीक्षण क्षम में से गुजारा जाता है। दूसरी विधि में निरोक्ता निरीक्षण के स्थान पर जाता है, जोर

मशीन या चेच पर निरीक्षण करते हैं। यह निश्चय करने में कौन सी विधि अपनाई जाए, दोनों के अपने-अपने लाभों का व्यान रखना चाहिए। बेन्ट्रीकृत निरीक्षण सरल होता है, और उसमें अधिक अच्छा पर्यावरण हो सकता है। इसमें वस्तु का विभाजन हो सकता है, जिसमें वस्तु का विभाजन हो सकती है। यह अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है, और इसमें वाधा कम पड़ती है। बारताने साप-मुयरे रहते हैं और इसलिए वाम के प्रवाह का नियन्त्रण करना आसान होता है। मद्रासी देने के लिए अधिक परिशुद्ध जाति सम्भव होती है और गलत परिणाम निकलने का मौका वस्तु होता है। इसमें प्रगति करना अधिक आसान होता है और नप्ट या चुराये गये काम और ठिपाई गई चर्कादी से होने वाली हानिया न्यूनतम होती है।

निकटस्थ निरीक्षण में उठा-घरी का वाम बहुत कम होता है, और निरीक्षण विभाग में समय लगने के कारण होने वाला विलम्ब कम होता है। मार्गस्थ वाम की मात्रा घट जाती है, और उत्पादन चन का समय छोटा हो जाता है। नुटिया तुरन्त दूर की जा सकती है, और इस वार्ष के लिए जिम्मेदार आपरेटर उन्हें सुदूर मुधार सकता है। निरीक्षक त्रिपुरां वाम रोकने के उद्देश से आपरेटर के सलाहकार के स्पष्ट माम बर सकता है।

### परिवद्य या लागत और लागत नियन्त्रण

**औसत लागत (Average Cost)**—ऋग्वार्तिक कारबार में, जिस में बस्तुएँ लगभग उभी स्पष्ट में वेची जाती हैं, जिस स्पष्ट में खरीदी गई थी, लागत का आमानी से पता रहता है। विनय मूल्य निश्चय बरना आसान रहता है, क्योंकि नया मूल्य में उतने प्रतिशत जोड़ दिया, जितने से उपरी खर्च, जो प्रायः पता होते हैं, और नियत होते हैं, और लाभ का उचित अंश निकल जाय। छोटे निर्माणीय कारबार में भी फर्म को सिर्फ़ अपने वार्षिक हिस्साव क्रिताव पर निर्भर रहता पड़ता है, जिसमें वह अपने सारे साल की कुल जाय और कुल व्यय को तुलना बरके तद वास्तविक वित्तीय स्थिति का अन्दाज़ा लगाती है। दूसरे शब्दों में, यह वर्ष भर के लाभ का पता लगाने के लिए लाभ और हानि लेखा (प्रीफिट एण्ड लैस एकाउन्ट) बनाकर मन्तुष्ट हो जाएगा। इसके बाद वह बैलेन्स शीट या स्थिति विवरण तंयार करेगी जिसमें कर्म को उम समय को पूजी तथा कुल व्यय, जो निर्मित वस्तु की कुट मात्रा वेचने में लाई लागत का मूल्य होगा, दिखाया जाएगा। कुल व्यय को कुल उत्पादन की मात्रा ऐ भाग देकर फर्म प्रति इकाई औसत लागत निकाल सकती है। एक वर्षी निर्माता फर्म भी इन्हें ही समन्वय हो सकती है, पर इस औसत लागत में फर्म को अपन प्रति दिन के नीति निर्धारण वाय गया अपने ग्राहकों के विशेष आदेशों के सम्बन्ध में वाई महायना जहाँ मिलती और पट्टी फर्मों को तो और भी वस्तु मिलती है। यह भन्त है कि जीमन लागत का बड़ा महत्व है। पर इसका ज्ञान बहुत देर से, खर्ची किए जाने वे बाद होता है। जिसी भी फर्म को यह जान्या पता होता चाहिए कि एक बस्तु बनाने पर कितना खर्च आया है परन्तु यह कार्य बड़ा जटिल है,। कुछ लागत उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप में बदलनी रहती है, जबकि कुछ और लागत लगभग निरिचित होती है, और इसलिए किसी विशेष वस्तु के तिम्मे उसे दारना बहिर्भूत होता है। विभिन्न लागतों को टीक-टीक विभाजित करने के लिए लागत लगाने

(परिव्यवयन) और परिव्यवय लेखाकरन की दक्ष पद्धति का निर्माण करना आवश्यक है। शुरू में ही यह बहु देना उचित होगा कि आम धारणा के विपरीत, परिव्यवयन का उपयोग केवल कीमत-स्थिरण (Price-fixing) और कीमत-क्यान (Quotatior) सह ही सीमित न रखना चाहिए, बल्कि उन धारों पर भी लाग करना चाहिए जो उन स्थानों की ओर ध्यान आवर्धित करें, जहाँ बदलता ही रहे हैं, जिसमें उन्हें सोध ही सुधार दिया जाय।

कीमत मूलत नभरण और माम की सीधानाने से निर्धारित होती है, और वह बाजार की अवस्थाओं की गवेषणा करके तथा करनी चाहिए। लागत लगाने, यानी परिव्यवयन, में यह पता चल सकता है, कि फर्म किस मीमा नक्क भावारण प्रतियोगिता-जनित ढाँचे में दृग है, और यह भी पता चल सकेगा कि यदि काई मुवार करने की आवश्यकता है तो वह किस दिशा में दिया जाए। इसके अलावा, फर्मों को लाभ कराने या हानि स बचने की चिना अधिक रहती है, कीमतों की कम। यद्यों लाभ किसी बस्तु की लागत और कीमत इन दोनों का बायं है, इसलिए लागत के लेखे से फर्म का अपनी लागत नियन्त्रित करने और दस्ताव नापने में मदद मिलेगी। बाजार की अवस्थाओं की पर्याप्त जानकारी के अभाव में, लागत या परिव्यवय का, कीमत निश्चित करने में, उत्पादन करना उचित है। लागत या परिव्यवय का हिसाब लगाने का लक्ष्य यह है कि वित्तीय अभिलेखों के विश्लेषण की एक ऐसी पद्धति बनाई जाय, जिसमें मध्य स्थानों की विभाजित करके उस-उस काया शब्द और प्रत्यय पर दाट दिया जाय, जिस पर वह हुआ है।

**परिव्यवयन के लक्ष्य (Aims of Costing)**—परिव्यवयन का अभिप्राय जल्द-अलग परिस्थितियों में बहुत अलग-अलग होना है। परिव्यवयन का हिसाब लगाने की ओर एवं पूर्व निष्पत्ति नहीं है और प्रत्येक के रखार को अपनी-अपनी अवस्थाएँ के अनुसार अपनी विशेष योजना तथा करनी चाहिए। इसलिए कारबार की आवश्यकताओं के अनुकूल परिव्यवय लेखा होना चाहिए, न कि परिव्यवय लेखे के अनुकूल कारबार। मोटे तौर से परिव्यवयन के लक्ष्य निम्न प्रकार बनाये जा सकते हैं—  
 (१) माम और नभरण की अवस्थाओं के अधीन विभव का नियमन, (२) अनुचित रूप स नीचों कीमत बनाकर हानि से बचने के लिए, और आवश्यक हूप में ऊचों कीमतों बनाकर कारबार खोने से बचने के लिए हिसाब लगाने में परिवृद्धता लायू बरता (३) यह पता लगाना कि इस समूह की दस्तुर लाभ करने वाली है, और किस की नहीं; (४) यह देखना कि क्या कोई बस्तु उत्पादित करने में जो लागत जानी है, उसने कम कितन में वह सर्वोदय जा सकती है, (५) प्रमाण निश्चित करना, जिनके साथ-जापानिज़ फर्सियाकानी-जुलज्जा-फर्से-फर्ज़े-ठापाज़-फर्ज़कानी-फर्ज़े-ज़इदा-कारी-गरी तथा प्रबन्ध का पता चल भवे, (६) लागत के प्रत्येक थश के महत्व को मात्रा का निर्धारा जरूर दियें स्वयं स्वयं में यह देखना कि बजत दिन जगह भी जासूनी है, और (७) रितोंय जीमेंद्रों को निश्चित तथा टाया-हात पड़ाइ वी व्यवस्था।

परिव्यवय के मात्र अपदब—दिसो निर्माण बख्ले बाहे वारसाने को उन्नादन के लिए उत्थार रखने और उसो भावार उत्पादन बायं बस्तुन करने में जो अनेक सर्वे

होते हैं, उनको तीन मुरद भागा में बाटा जा सकता है। उनमें से पहला उम सामान का खर्च जिसमें बहु वस्तु बनती है। दूसरा वह थम है, जो उम सामान पर प्रत्यक्ष प्रयुक्त होता है। तीसरे समूह में उद्द्यय (आउटट) की वे सब घोष रकम आ जाती हैं, जो किसी सीधी और मुनिश्चित रीति से उत्पादित वस्तु की किसी एक इकाई के उत्पादन पर नहीं लागू होती। पहले और दूसरे प्रकार के खर्चों की गणना आमतौर से की जा सकती है। ये मिलाकर मुख्य परिव्यय (प्राइम कौस्ट) बहाने हैं तीसरा समूह फँक्टरी भार या उपरिव्यय या पूरक परिव्यय या किंवद्ध 'व्यय' नहीं होता है। किसी वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे सामान और काम पर प्राय कारबाह चलाने के कुल खर्च के दोनों तिहाई से अधिक खर्च नहीं होता, और बहुत बार वह कुल खर्च का ५० प्रतिशत तक होता है। तो अब मुख्य समस्या यह है कि घोष परिव्ययों और व्ययों को एक-एक उत्पाद पर या एक-एक प्रक्रम पर बँड़में बाटा जाय कि कुल परिव्यय का परिगुद्ध जान हो सके।

दूसरे शब्दों में कह, तो व्यय का दो मुख्य बगो—प्रत्यक्ष और परोक्ष—में बाटा जा सकता है। प्रत्यक्ष व्ययों में (क) प्रत्यक्ष सामान, (ख) प्रत्यक्ष थम, और (ग) प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। अप्रत्यक्ष व्यय वे हैं, जिन के दारे में निश्चित स्थित में यह नहीं कहा जा सकता कि कैसे इस कार्यालय या प्रक्रम, विदेश के व्यय हैं। ऐसे व्ययों का लाभ, जो कुछ काम हो रहा है, उस सब को पहुँचना है। अप्रत्यक्ष व्ययों में (क) कारबाह या फँक्टरी के व्यय अथवा कारबाह या फँक्टरी के अधिव्यय (ओनकौस्ट), (ख) दफ्तर और प्रशासन सम्बन्धी व्यय, (ग) विक्रय और विनरण सम्बन्धी व्यय आते हैं। निम्न चार में परिव्यय दिखाया गया है।

### परिव्यय के जब्तनव

प्रत्यक्ष • सामान	}	मुख्य परिव्यय
थम		
व्यय •		
काम के व्यय	}	कारबाह या फँक्टरी के परिव्यय या निर्माण परिव्यय •
(Work expenses)		
अप्रत्यक्ष दफ्तर और प्रशासन के व्यय	}	उत्पादन का परिव्यय या कारबाह विव्यय
विक्रय और विनरण के व्यय	}	विक्री का परिव्यय
शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि		विवरण मूल्य
परिव्यय के जब्तनवों और विक्रय मूल्य का मम्बन्ध निम्नलिखित विवरणात्मक		

वित्र में भी समझा जा सकता है —

**दिक्षुद मूल्य का विश्लेषण**

प्रत्यक्ष दा उत्पादक सामाजि	+ प्रत्यक्ष दा प्रभाव दा = मूल्य + उत्पादक व्यय + प्रत्यक्ष व्यय = परिव्यय
मूल्य परिव्यय	+ कारखाने के व्यय या फैक्ट्री के = कारखाने का परिव्यय या व्यय या कारखाना जनिव्यय = फैक्ट्री परिव्यय
फैक्ट्री परिव्यय या कारखाने का परिव्यय	+ प्रशासनीय व्यय = उत्पादन का परिव्यय या स्थूल (ब्रौन) परिव्यय या दक्षता परिव्यय
उत्पादन का परिव्यय या स्थूल परिव्यय या दक्षता परिव्यय	+ विक्रय और विनरज के व्यय = कुल परिव्यय = या विक्रय परिव्यय
कुल परिव्यय या विक्रय परिव्यय	+ लाप = विक्रय मूल्य

उत्पादन के परिव्यय, जिसमें विक्रय मूल्य का निर्धारण होता है, के अगम्भीन निर्माण परिव्यय का गठन

मुद्रा व्यय	विक्रय मूल्य
प्रशासनीय व्यय	
सामाजि व्यय	
	कुल परिव्यय
फैक्ट्री व्यय	विक्रय मूल्य
प्रत्यक्ष व्यय	
प्रत्यक्ष सामाजि	
	मूल्य परिव्यय

विभिन्न परिव्ययों को उपर बाले चित्र में दिया है गई रीति से मुख्य परिव्यय से अलग परिव्यय तक एक एक बदल बढ़ते हुए प्रवट निम्ना जा सकता है।

**प्रत्यक्ष सामान परिव्यय—परिव्यय वा सबमें अधिक प्रत्यक्ष और विनिर्दित आरम्भ तब होता है, जब वह वच्चा सामान खरीदा जाता है जिसमें तैयार माल बनता है। जब सामान किमी एक ही कार्यालय में बांग जाता है, कार्यालय का अर्थ है उत्पादक कार्यालयी दृष्टिकोण जो एक इकाई या एक धान या प्रचय (tot) की पूर्णि पर समाप्त होती है—और जब प्रयोग कार्यालय के मिलसिंड में ग्राहक सामान को मात्रा नापना सरल होता है, तब इस सामान का परिव्यय प्रत्यक्ष सामान परिव्यय के स्पष्ट में भौवे दाला जा सकता है। आरम्भिक परिव्यय उमे माना जा सकता है, जो वास्तविक व्यक्ति भूम्य या जन्तुम मूल्य या भीमत मूल्य है। निर्वाचित परिव्यय में भाड़ा, लदाई और सभालन, रखन तथा निर्गम (इशु) के व्यय भी शामिल हो सकते हैं। इन व्ययों को कार्यालय वे लिए प्रत्येक बार लिये गए सामान पर बलग-बलग बाटना कहिन है और इनलिए इन पैकटरी व्यय का हिस्सा माना जाएगा। सामान वे परिव्यय की नियमित पटनाल रखन के लिए सरीदान और नग्न हवरन (स्टोर-जीपिंग) की उचित पढ़नि बना देता आवश्यक है। अधिकतर तेयार बस्तुओं में वच्चे सामान तथा अन्य बम्बुजा (अप्रत्यक्ष सामान) का मूल्य प्रचुर होता है और उन्हें खरीदने या सप्रह बरने म अद्यतना होने पर उत्पादन परिव्यय बहुत कुछ बढ़ जाएगा। इस दृष्टि स दक्षता इस बात म है, कि यिन बहुत अधिक माल जमा किये और यिन बहुत ऊँचा दाम दिये, पैकटरी को जावरपनामा को पूर्ति की जा सकी। उत्पाद और सामान सप्रह के समय खरात न होना चाहिए। आईर देने, बस्ताएँ लेने, उन्ह मनूरीत बरन और नियमित (ज्यु) बरन वीर उनके परिव्यय का हिसाब लगाने के लिए पर्याप्त नैन्यिक व्यवस्था आवश्यक है। मृद्गीत सामान को ठोड़ी लैजर या साता वही रखनी चाहिए, जिसम बढ़ा हुआ माल, जारी दिया हुआ माल, और रक्षित (रिजर्व) माल, उमकी बीमत और प्रानिया तथा निगमा के विवरण दिखाये जान चाहिए। प्राप्तियों की बीमत लगाने हुए बीजक्क बीमत म प्रभार (Charge) अथान् लाने जादि के खब्बे जोड़ देन चाहिए। विभिन्न कार्यालयों के लिए दिव गय मामान वा हिसाब बर्द्द तरह लगाया जाता है। पहली रीति के अनुमार, जिसम सबमें पहले प्राप्त हुआ सामान मध्यम पहले दिया जाता है, नियमित सामान की बीमत उन वास्तविक बीमत म रुगानी चाहिए जिस पर वह खरीदा गया है। सप्रह खात (स्टार एराउन) की चीज वाईम के अनुमार नियारी जानी है। जहा ५०० और ३०० इकाइया के दो समूह २) २० और २०० २ याना प्रति इकाई के हिसाब म प्राप्त हूण हा, जार ६०० इकाई का नियमित विषय जाए, वहा कार्यालय का २०० प्रति इकाई का ६०० इकाइया और २०० २ याना इकाई की १०० इकाईयों म वाई दिया जाना, और २०० २ याना प्रति इकाई की २०० इकाई स्ट व म रह जावायी। इस पढ़नि म परि प्रत वाईक टीक व्याप रखा जा सकता है। परन्तु प्राप्तक नियम पर जागणनार्ह स्तरों पड़ती हैं, उनके वारण गतिया की गुजारा धन जानी है।**

का हिस्सा बनता है।

यह जानने के लिए कि प्रत्येक मजदूर ने किसी विशेष कार्यालय पर कितना समय लगाया है, प्रत्येक मजदूर को एक कार्यालय पत्रक (जौब कार्ड) दिया जाना है, जिस पर उसके किये हुए कार्य का घोरा लिखा जाता है। पत्रक पर उल्लिखित कार्यालयों को विकलन यानी खर्च के खाते (डंकिट साइड) में रखा जाता है, और उस कार्यालय पर मजदूर हारा व्यय किये हुए समय की मजदूरी को आवलन खाते में, यानी जमा की तरफ रखा जाता है। यह बात सिर्फ़ 'समय मजदूरों' के द्वारे में लागू होती है। "अदद मजदूरा" के मामले में प्रत्येक कार्यालय या वस्तु का थ्रम या व्यय निर्दिशन बर दिया जाता है। समय मजदूरों की अवस्था में निकम्मेपन के समय का भी हिस्सा लगाना पड़ता है। प्रत्येक मजदूर को फैक्टरी के दरवाजे से अपने विभाग तक पहुँचने में कुछ समय लगता है। शाम को वह जरा पहले चलता है, ताकि गेट पर ठीक समय पर पहुँचे। अन्दर आने और बाहर जाने का समय लिखावान में भी कुछ समय लग जाता है। मजदूर एक काम खत्म करके अगला काम खत्म करने में भी कुछ समय लगाता है। समय को इस तरह की हानियों को सामान्य निकम्मा समय बढ़ाते हैं, और इस समय की मजदूरी उत्पादन परिव्यय में जोड़ दी जाती है। असामान्य निकम्मा समय और सामान का असामान्य अपव्यय परिव्यय का अश नहीं है, बल्कि उसे हानि और लाभ ऐसे में डालना पड़ता है। असामान्य निकम्मा समय मशीनों के खराब हो जाने, विजली विगड़ जाने या कच्चे सामान की कमी हो जाने, आदि, से होता है।

**प्रत्यक्ष व्यय—उपर्युक्त प्रत्यक्ष सम्बन्ध और प्रत्यक्ष थ्रम व्ययों के नियमित** कुछ और भी खर्च हैं, जिन्हे किसी कार्यालय या प्रवर्तम का अपना खर्च बताया जा सकता है। ये व्यय प्राय निम्नलिखित होते हैं—(क) विशेष भगीरतीया प्लाट विराये पर लेना, (ख) कार्यालय के सिलसिले में व्यापारिक व्यय, (ग) विशेष प्रतिकृतियों और रूपावणों का परिव्यय, (घ) वास्तुविद (आर्किटेक्ट) और इन्जीनियर की फीस, (इ) ड्राइग आफिस यानी आलेख कार्यालय का खर्च, अगर राशि बहुत अधिक हो, (च) किसी विशेष कार्यालय के लिए प्रयोगों का व्यय, और (छ) जहाँ उपयुक्त थेप्टता का माल बनने से पहले कई परीक्षण करने पड़ते हैं, वहाँ उस त्रुटिपूण काम का परिव्यय। अगर, जैसा कि प्राय होता है, पुनरावृति वार्ष (रैपेटीशन वर्क) की बहुत बड़ी मात्राएँ उत्पादित बरने वाला प्रबन्ध बहुत बार रूपावण (टिजाइन) बारन्बार बदलना आवश्यक समझता है, और ऐमा करके विद्यमान तैयार हिस्सों को भट्ट कर देता है, तो इन नष्ट विये हुए हिस्सों की कीमत नई वस्तुओं के उत्पादन परिव्यय का हिस्सा होगी।

**अप्रत्यक्ष व्यय—क्योंकि उत्पादन जारी रहने के समय भी उत्पादन का परिव्यय सकृलित करना परमावश्यक है, इसलिए अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुमान करना आवश्यक है। वास्तविक आकड़े बहुत देर में मिलने हैं, और वे परिव्यय का हिसाब लगाने की दृष्टि से विकुल व्यर्थ है। अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुमान हो जाने के बाद यह समस्या रहती है कि उन्हें सब कार्यालयों पर ठीक-ठीक ढण से बाट दिया जाए। स्पष्ट है कि यह वितरण तब ही हो सकता है, जब हम उस वितरण अवधि में फैक्टरी के कुल उत्पादन को जानते हैं।**

प्रथम दृष्ट्या उस अधिकारी के उत्पादन का हिमाव लगाना और उस उत्पादन पर कुछ अप्रत्यक्ष व्ययों को बाट देना ठीक प्रतीत होता है। इस प्रकार सारे व्यय उत्पादन परिव्यय के साने में ढाल दिये जायेंगे, परन्तु जब हम ऐसे प्लाटों का हिसाब करते हैं, जो किसी कारण से (उदाहरण के लिए, मन्दी के कारण) निकम्मे रहते हैं, तब यह पढ़ति दोषपूर्ण निष्ठा होती है। अर्थात् निकम्मे बालों से उत्पादन का परिव्यय बढ़ जायगा, क्योंकि मोट तौर से अप्रत्यक्ष व्यय की वही राशि थोड़े उत्पादन पर वितरित हो जाएगी। मवरण स्वन्ध (क्लाइंज स्लैक) का मूल्य (वैल्यू) बढ़ जायगा, परन्तु मन्दी के दिनों म या उसके कारण कीमत (प्राइस) से तदनुकूल वृद्धि नहीं होती। इसके बलावा, इस आधार पर बनाय गय हिमाव म कुल हानि तो दिलाई देगी पर उसका कारण नहीं मालम होगा। इसी ओर, यदि मामान्य उत्पादन का आधार अपनाया जाय, अर्थात् अप्रत्यक्ष व्ययों को यह मानकर बाट दिया जाय कि प्लाट अपनी सामान्य क्षमता के अनुरूप चलेगा, तो निकम्मेपन के दिनों में अप्रत्यक्ष व्ययों का कुछ अंश बिना बसूल हुए रह जाएगा। उदाहरण के लिए यदि अप्रत्यक्ष व्यय ५० हजार रु० हो और सामान्य उत्पादन २५ हजार बस्तुएँ हाँ, परन्तु वास्तविक उत्पादन केवल १० हजार बस्तुएँ हो तो, प्रत्येक बस्तु के परिव्यय म २ रुपये अप्रत्यक्ष व्यय के जोड़े जायेंगे। इसका अर्थ यह हूआ कि अप्रत्यक्ष व्यय के सिर्फ़ २० हजार रुपये (१० हजार  $\times$  २) उत्पादन के जिम्मे पड़ेंगे। शेष ३० हजार रुपये निकम्मी क्षमता के कारण हानि में चले जायेंगे। इस आधार पर उत्पादन परिव्यय सिर्फ़ उत्पादन में परिवर्तन होने के कारण सम्बन्ध पर बदलता नहीं है। अगर उत्पादन के परिव्यय म बोई ट्रेक्फ़ेर होगा तो यह फैक्टरी की क्षमता में परिवर्तन का मूल्य होगा।

कारखाना या फैक्टरी व्यय या अधिकारी—कारखाना व्यय (वर्स एक्स-फैक्ट्रिज), फैक्टरी अधिकारी, पूरक परिव्यय, स्थायी प्रभार, उपरि प्रभार आदि विभिन्न शब्द उन परिव्ययों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो उत्पादन की वृद्धि या कमी को दृष्टि से अपेक्षया 'स्थिर' होते हैं। उन्हें उत्पादन की किसी विशेष इकाई पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि यदि कोई इकाई न उत्पादन की जायें, तो भी व्यय बने रहेंगे, पर जब बस्तुएँ उत्पादित की जायेंगी तब कोई उत्पादन के परिव्यय का हिस्सा बन जायेंगे। उनमें कारखाने के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्ध व्यय भी शामिल हैं। कारखाने के परिव्यय या उपरि प्रभारों में जो व्यय प्रायः शामिल किये जाने हैं, को अप्रत्यक्ष सामान और अप्रत्यक्ष शब्द हैं, जिनका ऊपर बर्णन दिया गया है। अन्य चौंके हैं भार और विजली, फैक्टरी में ताप का प्रबन्ध, रोशनी, किराया, बीमा, पानी, मरम्मत तथा पुरानी की जगह नई बस्तुएँ लाना, स्टेनरी, कारखानों के भवनों का, प्लाट और औजारों का मूल्य हानि या अवक्षयण (डिप्रेमिशन), सामान का अपव्यय, कारखाने का प्रशासन, और प्रबन्ध आदि। अगर ऐसे मुनिदिप्त विभाग स्थापित हों तो सारी फैक्टरी के लिए विए गये पूरक परिव्ययों का हिस्सा विभिन्न विभागों पर डाला जा सके, तो अधिकारी निकालने का काम आसान हो जाता है। किराया और भर, फर्द वे क्षेत्र के आधार पर बाटने

चाहिए, विजली और शक्ति मोटर सरदा के अनुमार, तेल, अपव्यय, मशीनों की सख्ती वे अनुसार, बैन्टीन या चाय घर का व्यव किसी विभाग के मजदूरों की कुल सरदा के अनुसार और कारखाने के मैनेजर का देतन प्रत्येक विभाग में लगाने वाले समय के अनुसार बाटना चाहिए।

महीने का हिसाब, या तो उसमें पिछले महीने के काम के आधार पर, जबकि पिछले वर्ष के उसी महीने के आधार पर, या उम समय तक हृए औसत परिव्यय के आधार पर लगाया जा सकता है। हिसाब लगाने हुए उस महीने में वर्तमान नवे कारक का हिसाब भी लगा लेना चाहिए। यह भी व्यात देने की बात है कि सारे अप्रत्यक्ष व्यव पूर्णतः 'स्थिर' नहीं होते। उनमें से कुछ उत्पादन के साथ घटने-बढ़ने रहते हैं। बारमाने के मैनेजर और जबक्षण मरम्मत आदि के व्यव कुछ सीमा तक उत्पादन की बढ़ि के साथ-साथ चलते हैं, और इन्हें परिवर्ती व्यव दर्ते हैं। हिसाब, तथ्यात्मक भूचाना वे जलावा, मुक्ति-चारित निषंदेश के आधार पर लगाने चाहिए। खर्चों को विभागों के अनुमार विभाजित करने के जलावा, इन्हें विभिन्न मशीनों के अनुमार भी बाटना चाहिए। प्रत्येक मशीन की जबक्षण दर बलग होगी, मरम्मत वा हिसाब अलग होगा, और विजली के वर्चं वी दर भी अलग होगी। इन परिवर्ती व्यवों की गणना करके उसे मशीन के सारे जीवन के बार्थ बाल पर फैलाया जा सकता है, और हम यह जान सकते हैं, कि उम मशीन को चलाने पर प्रति घण्टा क्या परिव्यय पड़ता है। हम धर भी तिकाल सकते हैं, कि इसी निश्चिन अवधि, जैसे एक वर्ष, म नजीन पर स्थिर व्यव का नितना अन्न पड़ता है। इस रागि को मशीन के एक वर्ष के आगणित कार्य ते भाग करके हम मशीन के प्रति घण्टा चलाव पर पड़ने वाले 'कारखाना व्यव' (स्थिर) का पता लगा सकते हैं। दोनों घण्टा दरों (स्थिर और परिवर्ती) का जोड़ मशीन घण्टा दर है। यह हर मशीन के लिए जलग-जलग होगी। इसी कार्यालय म विभिन्न मशीनों पर लगाने वाले समय का अभिलेख रखकर हम उन कार्यालय के परिव्यय म, कारखाना व्यव में उम कार्यालय का परिव्यय हिस्सा जोड़ सकते हैं—इसी कार्यालय के खाते म डाला जाने वाला कारखाना व्यव का यह हिस्सा कारखाना अविव्यय कहलाता है।

कार्यालय पर कारखाना अविव्यय ढालन की नमीन घटा दर विवि भिंक उस विभाग म उपयोगी होती है, जिसम वाम का मुख्याग मशीन हारा होता है। जहा हस्तात्म प्रमुख होता है वहा हम मशीन घण्टा दर या थन घण्टा दर के मद्दत शक्ति से इमंडी गणना कर सकते हैं। यह दर प्रत्येक मजदूर के लिए उनके बौद्धल और शक्ति चालित औजारों या अन्य कारणों में महगे औजारों की आवश्यकता के अनुमार भिन्न भिन्न होती। जहा सामग्री का परिव्यय कुल परिव्यय का प्रधान अम होता है, और जहा मिर्झ एक वस्तु का उत्पादन होता है, वहा कारखाना अविव्यय ढालने के लिए सामग्री पर कोई सरल अनुपात रख लेना ही काफी होगा।

परन्तु कारखाना व्यय के ह्य में प्राप्त बुल राशि मामग्री के परिव्यय पर निर्भर होगी। यह विधि सिर्फ़ तब उपयोगी है, जब द्रव्यों की कीमत घटनी-बढ़नी न हो। अगर कुल परिव्यय में मूल्य नींग थम का हो, और सिर्फ़ एक वस्तु बनाई जानी हो, तो सीधे श्रम परिव्यय का कुछ प्रतिशत, उत्पादन परिव्यय पर बारखाना अधिव्यय का भार डालने के लिए काफ़ी होगा।

प्रति पट्टा उपरिव्यय दरे (मशीन घटा दरे या मनुष्य घटा दरे) वस्तुओं के निर्माण के समय उनपर आनुमानिक उपरिव्यय लगाने का एक सुविधाजनक तरीका है। किसी निर्माण विभाग के लिए प्रति घटा उपरिव्यय दर निकालने के लिए रोनि यह है :

### जिभाग पर कुल उपरिव्यय

शुद्ध परिचालन काल = प्रति घटा उपरिव्यय दर (प्र० उ० द०)

शुद्ध परिचालन काल = ८० मा० ५ घ० मा०—नि० म० छ०

शुद्ध परिचालन काल निकालने की रोति निम्नलिखित है —

कुल उन्नादक घट (मनुष्य या मशीन)

प्रबंधि में कार्य के दिन	३००
--------------------------	-----

प्रति दिन के बाम घट्टे

८

प्रबंधि इकाई (मनुष्य या मशीन) का

बाम का कुल समय, (घ० मा०)	२४००
--------------------------	------

उपादन केन्द्र में इकाईयों (मनुष्य या मशीन)

की सम्भा में समय, स० मा०	२००
--------------------------	-----

विभाग में कुल मशीन घट्टे या मनुष्य घट्टे

४,८०,०००

घटापा निकाल समय छूट, नि० स० छ०

४८,०००

शुद्ध परिचालन काल (या कुल उत्पादन समय)

४,३२,०००

अगर ४३,२००० मनुष्य घटा या मशीन घट्टे वाले विभाग का आलिंग उपरिव्यय १,५०,००० रुपये हो, तो प्रति घटा उपरिव्यय दर (प्र० उ० द०) १,५०,०००/४,३२,००० या ३४३२ रुपये होगी। इस महया का अर्थ यह है कि इस विभाग में बनाई गई वस्तु पर यम और सामग्री के परिव्यय के अनुचाल या जिनकी देव वह विभाग में रही, उनके प्रबंधि घट्टे पर ३४३ रुपये उपरिव्यय पड़ा। कुल कठटरी परिव्यय (विक्री और प्रशासनीय व्यय छोड़कर) यह होगा —

कच्चा नामान परिव्यय (कल्पन)

३ ० ०

थम परिव्यय (कल्पन)

३ ० ०

उपरिव्यय

८ घट्टे, दर ३४३२ रुपया

२ १२ २

विभाग का कुल व्यय

८ १२ २

इसका व्यय मामाराना निश्चित होता है, और वे नमम-नमद पर परि-

वर्तित नहीं होते। उत्पादन के परिव्यय पर दाता व्यय का भार ढालने के लिए कारखाना परिव्यय की कुछ प्रतिशतता कर देना काफी है।

प्रशासनीय और विक्री व्यय—न्याविधि प्रशासनीय उपरिव्यय, जो एकटरी उपरिव्ययों से भिन्न है, लाट के निर्माता विभाग के परिचालन व्यय का हिस्सा नहीं होते, पर कारबार को चलाने के लिए व जावद्यक हैं। उनमें पैकिंग, जहाज व्यय, शो-रूम का खर्च, कमीशन, मेल्समेन का बेतन विज्ञापन और भवोंपरि मावारण प्रबन्ध के खर्च समाविष्ट हैं। कमीशन विक्री मूल्य पर निभंग है और चीज़-चीज पर प्रलग-अलग होता है, पैकिंग भी चीज़-चीज पर जलग-प्रलग होती है, और पैकिंग का प्रति इकाई खर्च उसमें लगे व्यय और अम के खर्च का हिसाब बरके निकाला जा सकता है। बचे हुए माल को जितनी दूर सफर बरता पड़ता है, इसकी ओमत दूरी भी निकारी जा सकती है और प्रति इकाई महमूल का पता चल सकता है। स्पष्ट है कि प्रति इकाई पैकिंग, महमूल और कमीशन का हिसाब लगाया जा सकता है, और इन्हे उन अन्य व्ययों के साथ न मिलाना चाहिए, जो अम फर्म की मव बस्तुओं पर सामान्य हृप म पड़ते हैं। इन व्ययों म विज्ञापन, विक्री बर्मचारियों वी तनश्वाह और सफर के खर्च तथा शो-रूम के खर्च शामिल हैं। इन सामान्य व्ययों की कुछ राशि को उन्हें बेचने म हानि वाले प्रयोग के जनुसार, अर्थात् पूराने जनुभव वे जागरूपर, बाट देना चाहिए।

परिव्यय पत्र म विक्रय और वितरण क व्यय इस प्रकार रख जा सकते हैं —

२० आ० पा०

४ ८ ०

प्रति इकाई

### कारखाना परिव्यय

विक्रय व्यय (जो हिसाब इकाईया पर पड़ते हैं)

कुल ३०,००० रुपये, इस उपाद या इकाई का

१/२, अथवा १०००० निर्मित इकाईया में १०००० रुपये

को भाग देने पर

१ ० ०

प्रति इकाई

पैकिंग प्रति इकाई

०।४।-

महमूल प्रति इकाई

०।१।-

कमीशन विक्रय मूल्य का २५ प्रतिशत

०।४।-

० १३ ०

प्रति इकाई

परिव्यय

६ ५ ०

प्रति इकाई

सीमान्त परिव्यय (Marginal Costing)—जार बनाया जा चुका है कि कुछ परिव्यय स्थिर और कुछ परिवर्तित होते हैं, परन्तु हमने जपनी गणनाओं म परिवर्ती तथा स्थिर दोनों प्रकार के व्ययों को समाविष्ट किया है। हम बना चुके हैं कि परिवर्ती

परिव्ययों की कुल राशि उत्पादन की बृद्धि या कमी के साथ बढ़ती और घटती रहती है, और स्थिर परिव्यय पर उत्पादन की बृद्धि या कमी का कोई प्रभाव नहीं होता, अथवा बहुत कम होता है। स्थिर परिव्यय में अप्रत्यक्ष व्यय (विक्रय, दफतर और कारखाना व्ययों) का वह अस होता है, जो करना ही पड़ता है, चाहे उत्पादन हो रहा हो, या न हो रहा हो। इसके अनिरिक्त, स्थायी कर्मचारियों के बेतन, सशान, किराया, टैक्स, दफतर व्यय आदि आयेंगे। कुछ फर्म सिफ परिवर्ती व्ययों का परिव्यय पत्र बनाती है, अर्थात् वे परिव्यय में स्थिर व्ययों को शामिल नहीं करती। इस प्रकार व्यय-निर्धारण को सीमान्त परिव्ययन या मार्जिनल बौस्टिंग कहते हैं। इसमें यह पता चलता है कि यदि एक और इकाई का उत्पादन करना हो तो बितना धन और सर्व करना होगा। इस तरह जो परिव्यय आयेगा उसके और विक्रय मूल्य के अन्तर से, पहले तो स्थिर अप्रत्यक्ष व्ययों की पूर्ति होगी और फिर फर्म कुछ लाभ उठा सकेगी। उदाहरण के लिए, यदि परिवर्ती परिव्यय ७३८ रुपये प्रति इकाई और विक्रय मूल्य १० रुपये हैं और स्थिर व्यय २५००० रुपये हो तो फर्म को अपने मारे स्थिर व्ययों की पूर्ति के लिए १०,००० वस्तुएँ बनानी आवश्यक हैं,  $10,000 \times 238 = 25000 \text{ ₹}$ )। १०००० इकाईयों के बाद बेची जान वाली प्रत्येक इकाई पर २३८ रुपया शुद्ध लाभ होगा।

मह पद्धति भद्री के दिना भ, जब मूल्य परिव्यय से नीचे रखने पड़ते हैं, उपयोगी होती है। जब तब मूल्य परिवर्ती परिव्यय से ऊपर होगे, तब तक फर्म अपनी हानि को बर रखने में समय दूगा। इससे फर्म को निकम्मे समय का परिव्यय भी मालूम हो जाता है। उपर्युक्त उदाहरण में अगर फर्म की सामान्य कमता २०,००० वस्तुएँ हो तो इसे सामान्यतया २५००० रुपये शुद्ध लाभ होना चाहिए ( $10000 \times 238 \text{ ₹}$ , १०००० वस्तुएँ स्थिर अप्रत्यक्ष व्ययों की पूर्ति के लिए अपेक्षित होगी)। अगर किसी कारण उत्पादन सिर्फ ८००० इकाई हा तो फर्म का ५००० रुपये को हानि होगी।

[ $25000 - (8000 \times 238 \text{ ₹})$ ]

फर्म को ३०,०००० रुपये की हानि होती है, अर्थात् २५००० रुपये प्रत्यागति लाभ और ५००० रुपये वास्तविक हानि का जोड़, परन्तु मह पद्धति सामान्य अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होनी, जबकि कुल परिव्यय जानना अपेक्षित होता है।

**सामान्य दर (Normal Rate)**—कुल परिव्यय का हिसाब लगाने में मशीन या मनुष्य पट्टा या दानों की कुल मूल्याएँ देना भी अधिक अच्छा होगा जो कि कई निर्माण अवधियों के परिचालन पर आधारित हो। उत्पादक काम की मात्रा व्यवसाय दर और बेचने वाले नफलता वाले परिवर्तनों वाले अनुभार प्रति भास और प्रति वर्ष घटती-बढ़ती रहती है। इसलिए प्रभार वितरण के लिए किसी विशेष अवधि को सामान्य या औसत अवधि नहीं माना जा सकता। शुद्ध परिचालन या उत्पादन मरम्यों का उपयोग बरते, जो कई निर्माण अवधियों में पैले हुए परिचालनों को नियन्त्रित करते हैं, ऐसी प्रति घटा उपरिव्यय दरों पर पहुँचना सम्भव हो जाता है जो अच्छे और बुरे समयों में व्यवसाय के उनार और चढ़ाव में उपयोगी हों। क्योंकि ये दरें, व्यवसाय की

सामान्य सम्भावनाओं पर आधारित होती है, इसलिए इन्हे प्राय सामान्य दर बहा जाता है। उत्पादन व्ययों में परिवर्तन होने से सामान्य दरों में परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन पर जो प्रतिपट्टा उपरिव्यय ढाला जाता है, वह नई अवधियों में एक नियत अव दर पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अवधि में किसी निर्माण विभाग ने इस उत्पादक समय की सामान्य सम्भावना १०००० रुपये हो, और उपरिव्यय ५००० रुपये हो तो प्रति घण्टा उपरिव्यय दर (प्र० ३० द०) आठ आना प्रति मनुष्य घण्टा या मशीन घण्टा होगी। जब भविष्य में किसी समय विभाग बाहर हजार घण्टे बाम बरेगा, तब तर अत्येक उत्पादक घण्टे पर परिव्यय अब भी आठ आना की दर में ही निर्मित वस्तुओं पर पड़ेगा। इसी प्रकार, यदि किसी समय उत्पादक बाल जाठ घण्टे रह जाये तब भी प्रति घण्टा उपरी व्यय की दर बढ़ी, अर्थात् आठ आना रुगाई जाएगी। यह बाल नीचे के चित्र में प्रदर्शित की गई है।

वास्तविक मर्दीन घटे	वास्तविक <sup>१</sup> उपरिव्यय	सामान्य प्रति घटा उपरिव्यय दर	सामान्य उपरिव्यय लागत (१×३)	देप
१ १०,०००	५,००० रुपया	८ आना	५,००० रुपया,	सामान्य
२ १२,०००	५,५०० रुपया	८ आना	६,००० रुपया	+ रुपया ०००
३ ८,०००	४,२०० रुपया	८ आना	४,००० रुपया	- रुपया २००

इस चित्र में परिधालन बाल जिन अवधियों में सामान्य से ऊपर था, उनमें बनाई गई और बेची गई वस्तुएँ उपरिव्यय लेखे में घनात्मक देप (Positive Balance) प्रस्तुत करती हैं, और यह लेप उत्पादन के घण्टे बम हो जाने पर बचने वाले न्यूट्रालनक देप में काफी अधिक है। सामान्य दरों के ये लाभ हैं—(१) इसमें, जहां तक उपरिव्यय का मम्बन्ध है, निर्माण के परिव्यय में एक रुपना आ जाती है, (२) इसमें उपरिव्यय के बार-बार वितरण की आवश्यकता नहीं रहती। उपरिव्यय स्वभावतः निर्माण कार्मी के समान हो जाने के बाद निकाले जा सकते हैं, और वे मूल्य-निर्वारण में सहायता नहीं होते। (३) इसमें वर्ष-वर्ष में उपरिव्यय में बहुत जटिल विभेद के कारण होने वाली कीमतों की घट-घट कम हो जाती है।

परिव्यय लेखाकान याम साधारण लेखाकान—परिव्यय लेखाकान और बही लेखन, तथा लेखाकान (जिसे बर्मी-बर्मी स्वामित्व लेखाकान कहते हैं) दो पृथक् वार्ष हैं। लेखाकान थैलैन्स शीट या स्थिति विवरण द्वारा सम्पूर्ण और इस पर स्वामिया के स्वत्व को प्रगट करता है। व्यापार, लाभ और हानि तथा आगम लेखे, संक्षिप्त स्पष्ट एक काला-बंधि की प्राप्तियों और व्ययों, लाभ और हानि तथा लाभ की प्रवृत्ति को प्रगट करते हैं।

<sup>१</sup> वास्तविक खन्ने पर आधारित। देखो नोल्म और टामसन, पृष्ठ ७१०।

इसमें जन्य पक्षों वे ममक्ष होने वाले वित्तीय सम्बन्धों के अभिलेख रहते हैं। इससे भीतरी और बाहरी घोले पर निगाह रहती है, और वह जन्य प्रमाणों के अलावा एक और प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता है कि सम्पत्ति पर स्वामित्व विस्तार है। इससे पूजी निधि की चालू और स्थिर आस्तिया के विविध रूपों के बीच आनुपानिक वितरण पैदा होता है और यह बार-बार की नुस्खियाँ या अनुस्खियाँ की दृष्टि से उत्तरी अवस्था ज्ञान करता है। दूसरी ओर, परिव्यय लेखाकृत का लक्ष्य पह है कि निमी बन्नु या भेदा की एक इकाई के उत्पादन से सम्बन्धित उद्व्यय की छोटी बड़ी सब मदा का इकट्ठा कर दिया जाये। यह व्ययों की घटवड के कारण वा प्रगट करता है, और लाभ के असली क्षेत्र का निर्देश करता है। यह सगड़न की दुर्बलताओं का पकड़दर प्रशासनीय और उत्पादक व्ययों की दक्षता का ज्ञान करता है, और इस प्रकार उपादकों को परिचालन दक्षता की दिशा में प्रेरित करता है। लेखाकृत निर्झ शुरू के अंते वो लक्ष्य है, विवरण और आकृति (डेविट और क्रेटिट) के रूप में अपने न्याय (डैटा) का सन्तुष्टि करता है, और इसका आदर्श हप वह है जिसमें एक एक पाई तक ननुलन रहता है। इसके विपरीत, परिव्यय लेखाकृत तखमीनों और औसतों का अच्छी तरह उपयोग करता है, और जिनमा यह सम्भव करता है, उसे सभी कम और कभी अधिक वितरित करता रहता है। स्वामित्व लेखाकृत वहुत पुराने समय से चला आता है जबकि परिव्यय लेखा-कृत हाल में ही शुरू हुआ है। यह एक तो वितरण का विशेष उपकरण है और दूसरे उत्पादन इजोनियर या कारखाना मैनेजर के रोडमर्कों के काम का साधन है। लक्ष्य और रीतियों के इन अन्तरों के बावजूद, इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है, और दक्षता का लक्ष्य रखकर चलने वाले प्रयेक्ष सगड़न में उनमें पूर्ण समन्वय होता चाहिए। इस प्रकार समन्वित होने पर वे एक हूनरे के सहायता होते हैं। परिव्यय पहाड़ि से स्वामित्व लेखे की कुछ वस्तुओं का अधिक गहरा अध्ययन हो जाता है और स्वामित्व लेखे विन्दूं सर्वेक्षण का कार्य करते हैं, जिससे यह निश्चिन्त हो जाता है कि सब उचित तर्जे परिव्यय में शामिल कर लिये गये।

## अध्याय :: २२

# बजट और बजटीय नियन्त्रण

बजट (आयव्ययक) द्वारा वित्तीय नियन्त्रण का उपयोग सरकारी प्रबन्ध के क्षेत्र में तो बहुत समय से ही रहा है, परन्तु व्यवसाय प्रशासन में एक साधन के रूप में इस विचार का उपयोग अभी हाल में शुरू हुआ है। वैसे, आयव्ययक और अभिलेख प्राप्त प्रत्येक व्यवसाय संगठन में रखे जाने हैं। अभिलेखों से भूतकाल के बायं का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। आयव्ययक द्वारा भविष्य के कार्यों की योजना बनाई जानी है। अच्छे प्रबन्ध के लिए पिछले बायं और व्यावसायिक निर्णयशक्ति पर आधारित व्यवस्थित योजना-निर्माण ने बढ़कर महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं है।

**व्यवसाय का आयव्ययक—प्रबन्ध की माप** करने में सबमें अधिक बाम में आने वाला पैमाना लाभ है। अधिक लाभ का अर्थ है अधिक अच्छा प्रबन्ध। सारी कम्पनी में तथा प्रत्येक विभाग में लाभ का निर्धारण करने और प्रबन्ध की पटुता नापने वा एक उत्तम तरीका बजट द्वारा है। यह व्यान रखना चाहिए कि व्यवसायिक बजट एक एक वित्तीय उपकरण से कुछ अधिक है, वर्षोंकि यह उत्पादन की भावाओं और परिचालनों से भी सम्बन्ध रखता है। तथा इसलिए जिस अवधि के लिए यह बनाया जाता है, उसके व्यावसायिक जार्यकलाप वा एक पूरा कार्यक्रम होना है। एक बाक्य में कहे तो आयव्ययक बनाने वा अर्थ है कि भी व्यवसाय के बायं सचालन की योजना बनाना, जैसा कि प्रोफेसर सेटसन ने लिखा है “बजट वा सारांश यह है कि किमी निश्चित अवधि के लिए परिचालनों की विस्तृत योजना बनाई जाय, और उसके बाद अभिलेखों की व्यवस्था की जाय, जिसने योजना पर अकुश रखा जाय।”<sup>1</sup>

यह बात व्यवसाय के सर्वोपरि आयोजन और प्रत्येक विभाग में परिचालनों के विस्तृत आयोजन पर भी लागू होती है।

आयव्ययक का आयोजन अगली आयव्ययक अवधि, मान लीजिए कि बारह मास, में व्यवसाय द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक उद्देश्य निश्चित करने से होता है। यह उद्देश्य कोई लाभ की मात्रा या कोई दिनी की मात्रा या कोई निश्चित उत्पादन हो सकता है। अगला काम यह है, जिसे प्रबन्धायिकारी कर सकते हैं, कि मुख्य लक्ष्य को कुछ हिस्सों में बाट लिया जाए, और कार्यक्रम को प्रत्येक भाग के लिए कई हिस्सों में विभाजित कर

लिया जाए, और प्रत्येक विभाग को वार्षिक में उनका हिस्सा सौप दिया जाए। बगला कारं मह है, कि वे मासन जुटाये जाये, जिसमें उम उद्देश्य की मिल्दि हो सके, और और परिणामों को नाप लिया जाए। तुलना के प्रयोगन के लए इनका अभिन्न रूप जाता है।

आधव्ययक तंचार करना उचित नियन्त्रण के लिए। हेतु में योजना बनाने का प्रगट प्रक्रम (Intensive process) है। पिछले अनुभव में यह जाना जाता है, कि चूटि की सामान्य दरकार रहनी है और भविष्य का जन्मयन मापारण और विभेद व्यावसायिक क्षेत्रको द्वारा किया जाता है। किसी निश्चित भविष्य को लक्ष्य में रखकर काम करने का परिणाम यह होता है कि स्टोक या मृगूहीन वस्तुओं का नियन्त्रण अधिक अच्छा हो सकता है, क्योंकि आवश्यकताओं का पहुँच पका चढ़ जाता है और कम कीमत के समय वस्तुएँ सहीदी जा सकती हैं। कितोपयन भी अधिक आवान हो जाता है, क्योंकि उगार लेने के लिए परिणाम की जरूरि का अधिक अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है। समय-ममता पर होने वाली विभिन्नताओं के जन्मयन से उत्पादन को नियमित करना अनुभव हो जाता है, क्योंकि जब चाहूँ आवश्यकताएँ कम हो, तब उत्पादन सप्रदृष्टि के लिए कर लिया जाता है। मशीनरी को एक-ममता चलाने में बहुत में परिवर्तन कम हो जाते हैं। बंकारी घट जाती है, मबद्दर काम छोटकर नहीं भागते और अच्छी किस्म के कम-चारी काम के लिए मिलते हैं, तथा ग्राहकों को माल अधिक तन्दरता में मिलता सुनिश्चित हो जाता है। बजट को उनके अवश्यकताएँ विभाजित करने के साथ-साथ वह विशेषण प्रस्तावित योजना के पूरा करने की ममता को भी छोट-छोटे हिस्सों में विभाजित कर देता है, क्योंकि वार्षिक योड़ी-योड़ी अवश्यियों की एक शृखला में विभाजित हो जाता है। इमलिए प्रदान भी छोट-छोटे हिस्सों में खाटा जाता है और इस प्रकार एक तात्कालिक और निश्चित लक्ष्य निशात् में रहता है। प्रत्येक जक्षनर सन्तोष के माध्यमें अनुभव करता है जिसे जनने काम की प्रगति को ठोक-ठोक जानता है और शेष काम में भी परिचित है। इस प्रकार आधव्ययक के द्वारे और क्षेत्र के भीतर अधिक अधिकार अधिकारियों को दिये जा सकते हैं, और स्वयंकर्त्त्व तथा स्वनियंत्रण के उपरोक्त की अधिक स्वार्थीता रहती है।

**आधव्ययकों का वर्णन—अधिकार व्यावसायिक ममता** इनके बड़े होने हैं, कि उनमें मारे व्यवसाय का एक आधव्ययक में विस्तृत आयोजन नहीं हो सकता। यह जावद्यक हो जाता है कि एक मवारियों जावद्यक बनाया जाए, जिसमें भव योजनाएँ संजोए में सजाविष्ट हों, और जिसे यह प्रकट हो, कि वे योजनाएँ सारे व्यवसाय को किस तरह प्रभावित करती हैं, और व्योरं की बातें जनक विशिष्ट आधव्ययकों में डाल दी जाएं। इसे दबो में, मारे व्यवसाय का आधव्ययक उन तत्वमीनों को मिशाकर बन जाता है, जो कि नियन्त्रित विभागों द्वारा बनाये जाते हैं। वस्तुतः यह व्यवसाय के प्रयोक्त मुख्य विभाग के आधव्ययकों का कुछ योग होता है, और प्राप्त इसके माध्यमके आधव्ययकों का मुख्य वर्गीकरण निम्न है—

- (१) विनी आयव्ययक
- (२) उत्पादन आयव्ययक
- (३) वित्तीय आयव्ययक
- (४) निर्माण क्षमता आयव्ययक, जो निम्नरिक्षित आयव्ययकों से बना होता है —

- (अ) भौतिक सम्पत्ति आयव्ययक
- (ख) कच्चा माल आयव्ययक
- (ग) प्रदाय (Supply) आयव्ययक
- (घ) थम आयव्ययक
- (ङ) गवेषणा आयव्ययक

विभागीय आयव्ययकों म, जो उपर्युक्त मुख्य आयव्ययकों के अधीन होते हैं, वह विभिन्न आयव्ययकों के कुछ हिस्से मिले होते हैं, उदाहरण के लिए, उत्पादन विभागीय आयव्ययक म प्राय थम, कच्चा सामान, प्रदाय और गवेषणा समिलित होते हैं। प्रत्येक मुख्य अव्ययक पर नीचे विचार किया जाता है।

**विशी आयव्ययक**—उत्पादन की विसी भी योजना को शुरू करते हुए, पहले यह हिसाब लगाना आवश्यक है कि बाजार म वित्तीय योजना का आवश्यकता होगी और सामान का वित्तीय योजना का आवश्यकता होगी। इस धारा पर और सब बात निर्भर है, अर्थात् यह कि मधीन का आकार क्या हो, कितने थम की आवश्यकता होगी और सामान का वित्तीय योजना का आवश्यकता होगी। इसलिए विनी का यह तत्कालीन वित्तीय योजना-निर्माण की आधारशिला है। पर यह तभी प्रभावी हो सकता है, जब विनी का तत्कालीन कुछ विनियादी जर्ती को पूरा करे। यह ऐसा होना चाहिए कि कंपनियों के विभागों म यम खर्च से और सतुरित उत्पादन होना रहे, इमें उनकी काफी विनी होनी रहनी चाहिए, कि व्यवसाय की न्यूनतम वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हो सके, यह ऐसी होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं और बिनरका की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा मिल सके। विनी का हिसाब लगाने म दो प्रकार के लोगों से राय लेनी होगी। एक ता सेल्मार्ने से, जो वस्तुए बेचने का काम करत है, और दूसरे विनी-प्रबन्धकों तथा अन्य प्रमुख अधिकारियों से, जिन पर व्यवसाय की विवरण (Marketing) नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी होती है। तत्कालीन को जन्तरिम एवं दने में पिछले परिणामों की प्रवृत्ति वा, जो जमिल्का म पता चार्ती है, विश्लेषण करके भविष्य को सम्भावनाओं का निर्माण उसके लिए आधार पर करना चाहिए। इसके लिए बाजार गवेषणा (Market Research) का पूरा वार्षिक बनाने की आवश्यकता होगी।<sup>१</sup>

**उत्पादन आयव्ययक**—विनी तत्कालीन सा वह पता चल जाएगा कि समय-समय पर विभिन्न उत्पादों की वित्तीय मात्रा की आवश्यकता होगी। उत्पादन आयव्ययक का प्रयोजन यह है कि विशी विनाय की माग पूरी करने के लिए निर्मित माल

<sup>१</sup> इस पर जन्माय २३ म पूरी तरह विचार किया गया है।

बना सकता है। कच्चे सामान का आय-व्ययक वह साधन है, जिससे भ्रष्ट विभाग ऐसी योजनाएँ बना सकता है कि सामान उस समय तक प्राप्त हो सके, जिस समय उत्पादन के लिए उसकी आवश्यकता हो। वडे पेमाने के उत्पादन और सतत प्रक्रम उद्योगों में कच्चे माल के संग्रह की योजना पहले से बनाना आमान है। कच्चे सामान सुमन्धी ममस्था पर अगले अध्याय में विचार किया जायगा।


**प्रदाय (Supply)** आय-व्ययक—प्रदाय की आवश्यकता निर्माण को जारी रखने के लिए होती है, परन्तु वे निर्मित दस्तु वा हिस्मा नहीं बनते। प्रदाय फंकटरी में निर्माण वायों में सर्व होते हैं, और नये प्रदाय लगातार मिलते रहने चाहिए। इसका एक सामान्य उदाहरण तेल है, जो मरीनों का स्नेहित बरने के लिए आवश्यक होता है। प्रदाय आयव्ययक नियमित प्रदाय के लिए आवश्यक व्यवस्था बरता है।

**थ्रम आय व्ययक**—थ्रम वजट निर्मान के पास व्यपत्र व्यवसाय के लिए मजदूरों की पर्याप्त सहयोग होनी चाहिए। लोग आवश्यकता के ममय मुलभ दोने चाहते हैं। इन मनुष्यों में कार्यपूर्ति के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए और उनकी मेवाओं का दाम चुकाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सामूहिक स्वप से उन्ह पारम्पर तथा एक दूसरे के माध्य सहयोग बरना चाहिए। थ्रम वजट म इस वारण कुछ जटिलता होती है कि आदमियों को उनके लिए तत्काल बाम न होने पर खरखास्त कर देना हमेशा अच्छी नीति नहीं, और इसलिए भी कि उनके होने भाव के वारण प्रबन्धक, उनके नहाने धोने की जगह, तथा बैठीन आदि का प्रबन्ध बरना पड़ता है। जहा मजदूरा दा, किये जाने वाले बाम को बिना सोचे, नोकर रखे रहना पड़ता है, वहा उत्पादक और निकाम ममय का थ्रम आयव्ययक बनावर नियन्त्रण के लिए उनका उपयाग किया जा सकता है। आय-व्ययकों से थ्रम के उत्पादक और निकाम ममय के आपेक्षिक परिव्यय की तुलना बरना आसान हा जाता है।

**गवेषणा आय-व्ययक**—उत्पादन के स्पाक्सो और निर्माण प्रक्रम का अद्यतनीन रखने के लिए आवश्यक है कि आय का कुछ हिस्मा गवेषणा में खर्च किया जाए। गवेषणा और उच्चति पर होने वाला व्यय एक प्रकार का बोमा है। इस व्यय का सर्वों महत्वपूर्ण पहलू यह नहीं है कि कितनी राशि व्यय की जाती है, बल्कि यह है कि उस राशि का क्या उपयाग किया जाता है। एक ही समय में बहुत सी योजनाएँ हाथ म न लेनी चाहिए।

**आय-व्ययक समन्वय**—आय-व्ययक निर्माण एक सहकारी दाय है, जिसमें विभिन्न भागों के बीच उचित मतुलन रखना पड़ता है। बहुत से असमिक्त विभागीय आय-व्ययकों से, जो विभिन्न धारणाओं पर आधारित हैं, बाई लाभ नहीं है। जैसा कि ऊपर वह कहूँ है, विसी एक भाग का अवार या उम्मी कार्यपूर्ति सफलता या विपलता की जरा भी सूचक नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किनी व्यवसाय के पास बहुत सारे आडंग थाते हों, पर उन्हे पूरा बरने के लिए उनके पास बस्तुएँ न हो तो वे सफल नहीं कहलायें। इसी प्रवार, थ्रम सम्भरण और सामान सम्भरण में आवश्यक मतुलन रहना चाहिए। दानो चीजें एक ही समय में उचित अनुपात में रहनी चाहिए। इसलिए आय-

व्यवस्था निर्माण में एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि कारबार के विभिन्न विभागों में उचित सम्बन्ध बना रहा। यह सम्भव नहीं है कि कारबार के एवं हिस्से के लिए आय-व्ययक बना लिया जाय, और जोपके लिए बनाया जाए। उदाहरण दें लिए, उन्पाइन विभाग के कार्यों का आय-व्ययक बनाये दिना विक्री आय-व्ययक नहीं बनाया जा सकता। धन-नेप्रह और कार्य के विभागों की योजना जाने दिना रोकड़ बजट नहीं बनाया जा सकता। इन मध्य में सम्बन्ध होता चाहिए, जिसके लिए एक विशेष आय-व्ययक अधिकारी रखा जा सकता है, जो सीधे उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट द। यदि ऐसा न किया गया तो विभागों व्यापक आय-व्ययक के महत्व को नहीं समझने और इस काम में उत्तम समय और ध्यान नहीं देंगे, जिनके लिए देना चाहिए। बड़े कारबार में एक आय-व्ययक समिति बना देनी चाहिए और इसके मदस्य मुख्य प्रबन्धाधिकारी, जैसे विक्री उन्पाइन, लेखांकन, गवेषणा और वित्त आदि के प्रतिनिधि होंगे। इस प्रबार के गोलमेज सम्मेलन में प्रत्येक प्रबन्ध अधिकारी का, जो अपने विभाग का तत्वमोत्तु प्रस्तुत करता है, लालाचना का भासना करता हांगा, और तत्त्वमोत्तु दूसिं हारा अपने अकों का उचित मिठ्ठा करना होगा। नथ्य तो यह है कि आय-व्ययक निर्माण कारबार की जनेक शाखाओं की योजनाओं को समन्वित करता है, जैसे स्तरीय और विक्री, निर्माण और विक्री, विकास और पूँछी आवश्यकता, और यह सम्बन्ध वह व्यवसाय के मानं वो निर्देशित या दासी प्रभावित करने वाले जनेक व्यक्तियों के परामर्श द्वारा करता है। इसके अलावा, यह परामर्श निर्के अपने विवेच या धारणाओं के आधार पर नहीं होता, बन्क विश्लेषण द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर बनाए गए ठोस और स्पष्ट दराओं के आधार पर होता है। आय-व्ययकों का माध्यारम्भ सम्बन्ध निम्नलिखित रेखा-चित्र से प्रवर्ट होता है।



यह चित्र सरल रेखाओं के द्वायाय वृत्त के स्पष्ट में बनाया गया है, क्योंकि वित्ती एवं दिनुमें शुद्ध बरना और इस तरह योजनाएँ बनाना कि उनमें दूसरे विन्दुओं पर बनाई गई याजना एक घटक न हो, जसमें विभागीय आय-व्ययक दूसरों का प्रभासित करेगा भी और उनमें प्रभावित होगा भी, इसलिए आवश्यक है कि चित्र में दिव्याया गया प्रत्येक जाय-व्ययक अपने दानों और के हिस्मा के बीच में सन्तुलन कायम रखने का लक्ष्य रखे। उदाहरण के लिए, उत्पादन आय-व्ययक को जिसी के आईरो और निर्मित वस्तुआन सन्तुलन कायम रखना चाहिए। यदि मुख्य आय-व्ययकों में में कार्ड भी अपना सन्तुलन कायम न रख सक, तो व्यवसाय को उसी प्रवारक्ततरा रहना है जिस प्रवारक्त उम आइमी को, जिसके गरीब के पास जग, यथा आमग्राम अयवा पेटडे का उभरी आवश्यकता से बच या जधिक वस्तु मिले। जाय-व्ययक के मुख्य दर्गीवरण, जिन चीजों को उन्ह नियन्त्रित बरना चाहिए वे, और जिन चीजों का उन्ह सन्तुलित बरना चाहिए वे नीचे स्पष्ट की गई हैं। ज्ञान देने की बात यह है कि प्रत्येक जाय-व्ययक अपने में ज्ञान वाले जाय-व्ययक द्वारा नियन्त्रित वस्तु और अपने में नीचे वाले बाय-व्ययक द्वारा नियन्त्रित वस्तु के बीच एक भतुर्जन होना चाहिए।<sup>१</sup>

प्रित्तीय जाय-व्ययक रोपड का नियन्त्रित बरता है और जाय तथा व्यय का सन्तुलित बरना है।

नय जाय-व्ययक व्यय का नियन्त्रित बरता है वे र राजउत्तमता को भतुर्जित करता है।

निर्माण वस्तुता जाय-व्ययक निर्माण सामर्थ्य—वस्तु दर्गा सामान, प्रदाय, भौतिक सम्पत्ति—रा नियन्त्रित बरना है और उत्पादन तथा उत्पादन का सन्तुलित करता है।

उ पादन जाय-व्ययक नैवार माल का सग्रह का नियन्त्रित बरता है, और निर्माण तथा विनो का सन्तुलित बरना है।

जिसी जाय-व्ययक आय का नियन्त्रित बरता है और तथ्यार माल तथा रोपड का सन्तुलित करना है।

थाय व्ययकों को लगू बरना—जाय-व्ययक नियन्त्रण का जारी करना प्राय एक दीप्रकाशीन बाय है। जाय-व्ययक बनाने में मम्दनित अनेक समस्याओं के अलावा ऐकास्त म अनुरूप और स्पष्टेद बरने पड़त हैं। श्री मैडम ने इस दिशा में निम्न रूप गुनाया है—

(१) जाय-व्ययक का समग्र क स्थापित चार्ड न तथा चली आती हुई नीतिया से सम्बद्ध करना।

(२) उसी के जनुमार न्यय उत्तरदायित्व लेखा दर्गीवरण बरना।

(३) कार्यपूर्ण उत्तरदायित्व का समय वस्तु निश्चित करना।

<sup>१</sup> नाल्म और टामसन भ जनुक्लित, पुस्तक उपर्युक्त, पृष्ठ १६-१७

(४) आद्यन्त्रयक कार्यक्रम देखा करना ।

(५) आद्यन्त्रयक सम्बन्धी तुलनाओं के लिए आवश्यक लेखा प्रस्तुति का स्वानिवारीन करना ।

और वहुन ने मामलों की तरह अभिक कार्य सदा थेष्ट है। आद्यन्त्रयक नियन्त्रण के मफल सचालन के लिए पुन शिखण को कुठ समय तक आवश्यकता है। व्यय और कार्यपूर्ति के नियन्त्रण पर पहली प्रतिक्रिया उसाहवर्षक होने को सम्भावना नहीं। आद्यन्त्रयक नियन्त्रण धीरे-धारे जारी करने के लिए व्यय का और आप का “ब्लॉक” बरना पड़ेगा। अधिक अच्छा यह है कि धीरे धीर आगे बढ़ा जाय, और नियन्त्रण सम्बन्धी बहुन मारी जानकारी एक ही समय में लागू करने का बन्त न दिया जाय। काई ऐसे निरिचन नियम नहीं हैं, जो सब क्रमान्वयों पर लाग दिये जाय। परन्तु आद्यन्त्रयक को लचोला रखन बहुत कुछ नियन्त्रण बना लेना चाहिए। आद्यन्त्रयक इनमे सब्ल न हो कि आद्यन्त्रयकों की अवधिमें कोई समजनन न दिया जा सके। आद्यन्त्रयक को अवधि के आरम्भ म उस अवधि के लिए आद्यन्त्रयक दराये जाने हैं, और उस अवधि के समान्त होने पर काल्पनिक कार्यपूर्ति से उनकी तुलना, जो जारी है, और नये आद्यन्त्रयक बनाये जाने हैं, तथा यह चक्र चलना रहता है। यद्यपि आद्यन्त्रयकों में निरिचन सम्बन्ध हाना है पर तो भी अच्छा यह है कि एक समय में एक आद्यन्त्रयक बनाया जाए और इसलिए यह आवश्यक है कि इसी जमह रक्तर एक आद्यन्त्रयक, जिना यह जाने कि दूसरे आद्यन्त्रयकों म बदा होगा, आरम्भ किया जाय। बाद में जब और आद्यन्त्रयक भी पूरे हो जायें तब सम्भव है कि पहले आद्यन्त्रयक म कुठ सशोषन करना पડे। प्राय उनम रोनि यह है कि विक्रम आद्यन्त्रय का प्रारम्भिक तखमीना किया जाय और विशों को इस अनुभानित मात्रा के चारी आर शेष नगठन की योजना बनाई जाय।

ममान इरने मे पहले यह कह देना उचित होगा कि आद्यन्त्रयक स्पष्ट चिन्नन में सहायता होता चाहिए, न कि कठोर नियन्त्रण का साधन। यह व्यवसाय प्रबन्ध मे सहज ज्ञान (Intuition) के स्थान पर यथार्थ मायों को लाने का प्रयत्न है। इसमे प्रबन्ध की आवश्यकता कम नहीं हो जाती। आद्यन्त्रयक निर्माण एक प्रकार की भवित्ववाणी है और क्योंकि कोई भी पूर्ण परिसद्वता के साथ भवित्व की बात नहीं जान सकता, इसलिए इसमें कुछ न कुछ अनिच्छन आस्तर्य की बात हीनी अनिवार्य है। प्राय वहुन अधिक बारीकियों म जाना और आद्यन्त्रयकों का बहुत सल्ली से अनुसरण करना उचित नहीं होता और आद्यन्त्रय के निर्माण को अच्छ प्रबन्ध और नियन्त्रण का एक साधन बनाना चाहिए।

## अध्याय :: २३

# क्रयण और संग्रहण

**क्रयण और संग्रहण ( Purchasing and Storekeeping )**  
 क्रयण या संग्रहण रोजाना का काम है, और इसमें व्यवसाय कोठिया का तथा बनिम उपभोक्ता का बहुत-मा समय लग जाता है। बनिम उपभोक्ता, जैसी कि बहावत भी है, बोर्ड विशेषज्ञ संरीदार नहीं होता, परन्तु व्यावसायिक रेताओं में भी, यद्यपि वे कुशल और अनुभवी होते हैं, गतिवाहोनी रहती है। अटिपूर्ण खरीद से कच्चे मामान, स्टोर, मामलों और तैयार वस्तु का परिव्यय उत्ता हो जाता है। बहुत बार यह अनुभव नहीं बिया जाता कि कुछ परिव्यय में बदले वडा जड़े दा हिस्सा प्रायः उत्ता का होता है, और यह हिस्सा कुछ विक्रय मान दा और उनमें ३० भ ५० प्रतिशत होता है। इसलिए संग्रहण यह महत्वपूर्ण है कि संरीदन का काम ऐसे ठीक तरीके से हो, जैसे मण्डन का कार्ड और बायं।

रेताओं के चार प्रकार हैं—

(१) बौद्धोगिक रेता, जो कच्चा मामान, झार और निर्माताओं के लिए आवश्यक मानदी संरीदन है,

(२) योक्ता विक्री के लिए संग्रहण वाले,

(३) सुदूरा विक्री के लिए संरीदन वाले,

(४) कुशल उत्तानों से संग्रहण वाले बनिम उपभोक्ता।

टावटर बाल्टर न बौद्धोगिक क्रयण की परिमाणा यह बी है कि किसी वस्तु के निर्माण में काम आन वाल उचित मामान, मरीनरी, उपस्कर और प्रदाया का स्टोर की संरीदकर प्राप्त बरता—यह खरीद उचित ममव पर उचित माता में और उचित-शेषना को ध्यान में रखतर जमीष्ट श्रष्टना क लिए आवश्यक न्यूनतम मूल्य पर बी जाती है। आनुनिव त्रयण तथा के आमार पर यथार्थ संरीद है। बास्तव में यह भी विशेष नियुक्ता वा धार्य है, जिसके लिए प्रावित्रिक प्रधिक्षण और दृष्टिक्षण वी अपेक्षा दायिन्यिक दृष्टिक्षण वी अधिक आवश्यकता है।

देशानिव त्रयण के उद्देश्य इस प्रकार बनाये जा सकते हैं—

(१) निश्चित श्रष्टना के नामान की निश्चित मात्रा “मर्वोनम” मूल्य पर (आवश्यक नहीं कि यह न्यूनतम मूल्य हो) प्राप्त बरता।

(२) उत्पाद के लिए, और जिन प्रक्रोशनों के लिए उनकी आवश्यकता है उनके लिए सर्वोन्म सामान प्राप्त करना ।

(३) समय की उपलब्धियाँ का ध्यान रखने हुए उत्पादन विभाग की मांग ने काफी प्रभाव सहीद किया, जिसमें कानूनी सामान को कार्रा काम में विस्थित न हो ।

(४) न तो इनीं सामान स्वीकृति का ध्यान रखने हो जाये, पौर सूची स्वीकृति रहे और न इनीं कम कि उत्पादन के लिए नियमित सम्पर्क न हो सके ।

(५) प्रतिवर्ष कानूनी सामान के चुनाव द्वारा थेट्टा और वितरण की ट्रिप्टि से नियमित बदलूँ का सुझार ।

ऋण विभाग का विभागीय काम स्वीकृता है, जिनका अर्थ यह है कि स्वीकृत वातावर में जाना, यह देखना कि मानक बदलूँ किस न्यूनतम भूल्य पर मिल रही है, और ऐसे सम्पर्ककर्ता को छाड़ना जो इन भूल्य पर सामान देता हो । यह काम सामान्य साम्पत्ति के बल्कि आदि का है । वैज्ञानिक या प्रभावी ऋण नियम स्वीकृत में कुछ अधिक है । यह प्रबन्धकों का कार्य है, जिसमें उत्पाद, वितरण आदि अध्य कार्य करने वाला का सम्बन्धोंगत ज्ञान आवश्यक है । इमलिंग शता मिर्क स्वीकृति की ट्रिप्टि से नहीं सोचता । कुछ समस्त तो वह ऐसे सोचता है, जैसे उत्पादन कर रहा है, और अधिकार समर वह ऐसे सोचता है कि वह विक्री विभाग का प्रबन्धक है । यह विविध प्रकार के विनियोग में वह ऐसी गोलिया सोचता है, जिसमें ऋण व्यवसाय के प्रश्नों अथवा के लिए अधिक अधिक महादृष्टि हो । प्रभावी ऋण के लिए नियम कार्य करने चाहिए — (१) जिनमें सामान की आवश्यकता हो, उसके स्वरूप और सामान का यसकार्य निरचय करना, जो यसकार्य विवरणों (Specifications) पर वापरित हो तो अधिक अच्छा है ।

(२) वाड्डीय और भग्नीय घोषण सम्पर्क सार्वतंत्र को छाड़ना और उनके करना, उन लोटों में वास्तवीत करना, प्रभावी का विद्योग्यता करना, वचने वाले का चुनाव, आपैर यारी जांच देना ।

(३) जारण के बाद उसका नेतृत्वनंतर करना, मार्टिनिंग करना (ट्रिप्टि), बदलूँओं को प्राप्त करना, बौजकों को जाच करना, और बदलूँओं का निर्गोषण करना ।

(४) बदलूँआ को संग्रह हानि के बचाने के लिए सश्वत् करना और जब उनको आवश्यकता हो, तब उन्हें आमानी में सूची बनाना ।

(५) बदलूँबदलूँ के लिए नियमण की पढ़नि, और सरह बदलूँ (स्टोर) लेनदेन पढ़नि, जिसमें परिव्यय लेनदेन और भूल्य निर्वारण के लिए, नियमित बदलूँ की प्रश्नों द्वारा पर कानूनी सामान के परिव्यय का ठीक-ठीक भार डाला जा सके ।

(६) उत्पादन केन्द्रों में और उत्पादन केन्द्रों तक दूरों कर्तराज ने कानूनी सामान के आपै-जाने को विनियमित करने के लिए आन्वित यातानात व्यवस्था ।

(७) जहाज पर चाहाना, ट्रेडिंग और दैडिंग, ट्रॉलर्ड (काटिंग) तथा घाटों को मान भेजना ।

(८) उत्पादक सब कल्पों को पूरी तरह नियमित नियन्त्रण में रखना, जिसमें

ऊपर के अफसर सदृशियत से जाचन्यडताल बर सके ।

थेष्ठता या किस्म (Quality) का निर्वाण —बहुत हद तक निर्माता जो वस्तु बनाने हैं, उसी के आधार पर अपनी सरीदी हुई वस्तुओं की किस्म निर्धारित करते हैं । किस्म म वस्तु के द्रव्य, बारीगरी, श्रेणी (ग्रेड), आकार, रूपाकाण, रंग और नमूने आदि पर विचार किया जाता है । यद्यपि बहुत कलापर्ण वस्तुएँ मूल्यत उत्पादक दस्तकार के कौशल पर निभर होता है, तो भी कच्चे सामान पर न्यूनतम थेष्ठता अवश्य निश्चित बर रेनी चाहिए । इस दिशा म पहला कदम यह है कि अभोष्ट वस्तु के स्वरूप और मात्रा वा टीक-टीक विवरण तंयार किया जाय, जो उत्पादन नियन्त्रण विभाग म विद्या जा सकता है । सामान और निर्मित वस्तु की थेष्ठता निर्धारित बरन के लिए सामान का यथार्थ और सही विवरण बनाना चाहिए ।

यह आवश्यक है कि जो सामान निर्मिति के विनश्च की दृष्टि से निर्मिति वस्तु के लिए सबसे जच्छा हो, वह शुद्ध म ही प्राप्त बर लिया जाय । कच्चे सामान की थेष्ठता का दृष्टा स नियन्त्रण बरने से, कच्चे सामान के अपव्यय, श्रम और उपरिव्यय म कमी हो जाती है । विगड हुए काम के कारण एक समान और तीव्र गति ने नियन्त्रण कार्य हानि मे गुविधा हो जाती है । विनी प्रतिरोध और विनी परियम कम हो जाते हैं । नयण का दध प्रत्रम न्यूनतम बाजार मूल्य पर खरीद लेन मात्र मे कुछ ज्यादा चोज है । यह “मर्वोत्तम” मूल्य पर उपयुक्त कच्चे सामान को छाटना है ।

**मात्राओं का निर्वाण—खरीदी जाने वाली उचित मात्रा का निर्धारण योजना**  
विनी पढ़ति पर निर्भर है । जहा सारा या जविक्तर उत्पादन पहले स प्राप्त आदेशों पर ही दिया जाना है, और मप्रह के लिए उत्पादन की बोई आवश्यकता नहीं हाती, वहा कच्चे सामान की खरीद तब तक के लिए स्थगित बर देनी चाहिए । जब तक आदेश प्राप्त न हो जाय । परन्तु व्यवहार म निर्मित वस्तु देने मे निम्नलिखित रीतिया से सम्भरण के अभोष्ट स्रोतों का निश्चय विद्या जाए—

**सम्भरण स्रोतों का निर्धारण—थेष्ठता की जावश्यकता निश्चित हा जान पर और विवरणों (स्पेसिफिकेशन) का टीक-टीक पता चल जाने पर तथा उम मरल स्प म ले आने के धाइ अगला काम यह है कि निम्नलिखित रीतिया से सम्भरण के अभोष्ट स्रोतों का निश्चय विद्या जाए—**

(१) नयण जमिलेख, जा वस्तुआ और सम्भरणकर्त्ताओं के हिसात से बर्गीहृत हो, और मूल्य, थेष्ठता, विनी वी शर्तों, माल दन की तियि जादि के अनुसार उपविभाजित हो,

(२) मूलीपत्र, जा निर्मित वस्तुओं की दृष्टि ने बर्गीहृत और व्यति-देशित ( ब्राम-न्यूनेंगड ) तथा किसी और विभाग की दृष्टि म, जा अभोष्ट सामान के त्रय के लिए आवश्यक हा, व्यनिदित हो । सम्भव है कि नामान के सम्भरण के पुराने स्रोत प्राप्त हो, परन्तु सरीइने म नय माना के विकास पर

निरल्लर मोक्षना प्राप्त यजिव अच्छा भगवाना जाना है। जाच के आपार पर विश्वननोप मिठ होन वाले सम्मरण खोनी में ही मूल्य सूची मागनी चाहिए। इन प्रकार प्राप्त मूल्य सूचियों का विश्लेषण करके निर्मित वस्तु के लिए ठीक मूल्य का निर्गारण करता चाहिए। ठीक मूल्य वह है, जो मामान का "उचित" या "सर्वोत्तम" मूल्य हो (आवश्यक नहीं कि यह निम्नतम हो)।

माल मिलने की तारीख का सम्मरणकर्ता के चुनाव पर अपर पटना है। उदाहरण के लिए, यदि कारबार बहुत तेज है और बहुत से आईंर आप पड़े हैं, तो सरीदार जन्दी माल देन वाले को अविव मूल्य भी अशा कर सकता है। बहुत या टिक्काडन व पन चुनान की अवधि भी यह निश्चय करने में महामत होती है कि किस से सरीदा जाए। सम्मरणकर्ता की विश्वननोपना और विमेवारी उने अपनान में एक और महत्वपूर्ण कारण हाता है। मविदा की इनीं का पालन करने में विक्रेता को ईमानदारी तप्परतापूर्वक माल पढ़नाना और नमूना की प्रचलित कोटिया के ठोक-ठोक अनुसार माल देन की स्थिति उनके अपनाय जान में सबसे महत्वपूर्ण कारण होती है। सम्मरणकर्ताओं की वितरण-नोनिया केनाआ पर प्रबल प्रभाव डालती है। बहुत में निर्माता उन सम्मरण-कर्ताओं को सामान का आदेश देना पमन्द नहीं करते, जो केना को इच्छा हाने पर आईंर-का रद्द करना स्वीकार नहीं करते।

आईंर या आदेश—सर्वोत्तम मूल्य निरिचन हो जाने और अन्य शर्तें तय हो जाने पर आदेश दिया जाता है। आदेश एक बानूनो मविदा है और वह सावधानी में और सरल में मरल हप में लिखना चाहिए, जिसमें यह ठोक-ठोक पना चलना हो कि प्रेता तथा विक्रेता को क्या करना है। अविल्लर नविदाओं में एक क्यादेश और उसकी स्वीकृति होती है। क्यादेश के मुख्य भाग ये हैं—

- (१) क्रम स्थाप्ता।
- (२) भेजने की तारीख।
- (३) मविदा करने वाले पक्षों के नाम व पने।
- (४) आदेशित मामान की धेष्टना और वर्णन।
- (५) माल देने की तारीख।
- (६) जहाज सम्बन्धी हिशायरें।
- (७) मूल्य।
- (८) नुगनान की शर्तें।

यह ज्ञादेश विस्तृत स्पेसिकेशनों के आशार पर हो, बहु वे स्पेसिकेशन सविदा या क्यादेश में शामिल या विशेष रूप में निरिचन होते चाहिए।

जब प्रभादेश दिया जा चुके, तब केना को यह देनने रहना चाहिए कि वह तप्परता से पूरा रिया जाए, छोटे ने दोष या न्यूनतम व्यय वाले मार्ग में आये और निर्माता नियि तक नित जाय। आदेश की कारो प्रतिया तेजार करनी चाहिए—दो कारिया क्य विभाग दे लिए, एक कारी नमहू विभाग दे लिए, एक उन विभाग के लिए विने उन-

वस्तु की आवश्यकता थी, और एक प्राप्ति विभाग के लिए। प्राप्ति विभागीय प्रति में आदेश की मात्रा का उन्नेख होना अच्छा है, जिससे जब माल प्राप्त हो, तब टीक-ठीक राशियों और मात्राओं की जान हो सके, और आदेशित राशियों तथा मात्राओं को दिना देखे टीक-ठीक हिसाब हो सके। इसके बाद त्रेता प्राप्त राशि और आदेशित राशि का मिलान करता है और यदि दोना राशिया व्योरे की प्रत्येक बात में एक सी हा तो आदेश भुगतान के लिए मजूर कर दिया जाता है।

**क्षयनीतिया**—त्रेता ने जो महत्वपूर्ण नीतिया निश्चिन करनी है, उनमें से एक है आदेश के आकार के बारे में, अर्थात् विभी एक समय में बितना सामान खरीदा जाए। विसी समयावधि में खरीदी जाने वाली कुल मात्रा उस अवधि की अनुमानित विभी से निकाली जाती है। कुछ अवस्थाओं में कोई आदेश विकेता हारा तभी स्वीकार किया जाता है, जब माल की कुछ न्यूनतम मात्रा अवश्य ली जाए, जिसमें नीचे का आदेश स्वीकार नहीं किया जाता। परन्तु सापारणतया, अधिकतर निर्माण अपने आदेश का आकार निश्चिन करने के लिए स्वतन्त्र होते हैं, और उन्हें बड़े आदेश प्रपुज (Bulk) क्षयादेश के लाभ तथा हानियों और छोटे आदेशों (अन्य मात्रा के त्रय) के लाभ और हानियों में सनुलन करना चाहिए।

बड़े पैमाने की सरोद में कई स्पष्ट लाभ हैं। बहुत से विनेना बड़े आदेशों के लिए विशेष मूल्य रखते हैं। अन्य लाभ ये हैं—बहुत काफी माल सघर होने से यह चिन्ता नहीं रहती कि रेलवे हड्डतालों या अन्य साप्लाई सम्बन्धी रकावटों के बारण काम रोकना पड़ेगा, भाड़े, छुलाई और प्राप्ति व्ययों में बड़े आदेश में बचत रहती है। छोटे-छोटे आदेश धार-धार दिये जा सकते हैं, क्याकि उनका अर्थ है, माल में कम पूँजी का लगाना, भौतिक विगड़ तथा शैली के पुराने पट जाने का भौका कम हो जाता, अधिकतम मूल्य पर लदान करने और कम विनी बाल भौमम के शुरू में बहुत माल बचे रहने के जोखिम का कम हो जाना। बड़े पैमान पर खरीदन का अधिकतम लाभ, जो अधिकतम माल सप्रह और द्रुत विक्रय के साथ मुसग्न हो, तभी उदाया जा सकता है, जब कुछ थोड़ी-भी वस्तुओं पर उपभोग को प्रमापित कर दिया जाए।

नि सन्देश क्रय नीति उत्पादन नीति का दृग्मा है, अयदा इसी में पैदा होती है, और निर्धारित कार्यनम के अनुसार ही बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, कार्यनम के अनुसार, वर्ष में किसी समय क्रम और विभी समय अदिक्ष मात्रा की आवश्यकता होती है। परन्तु त्रय नीति यह हो सकती है कि सम्भरणकर्ता की सुविका की दृष्टि में मार साल नियमित माल लिया जाए और नीचे मूल्य का लाभ उठाकर क्रम माप के दिनों में माल जमा कर लिया जाय।

**क्रय सम्बन्धी चलन—भम्भरण** की निरननता उनकी महत्वपूर्ण है, जिनका परिव्यय। सब तो यह है कि बड़े पैमाने के उत्पादन में यह परमावश्यक है। विभाजन के बाद के दिनों में जो लोग निर्माण उद्योग से सम्बन्धित थे, उन्हें इनका अनेक बार और कई बार अनुभव हुआ। क्वचिं सामान का क्षेत्र का अर्थ या क्रम रक्त जाना, त्रिमन्त धनने

के लिए अधिक मूल्य देकर और मोतों से माल मानाया गया। सामान्य दिनों में तथा कठिनाई के दिनों में कच्चे सामान की उचित मूल्य पर नियमित प्राप्ति होना परमावश्यक है। नयनीनि या प्रक्रिया के दीन मोटे प्रवार नियमित है—

(१) बाजार की चालू अवध्या के बिहुद्व सरोदना—आम तौर पर चालू काम के लिए माल सरोदा जाना है। प्रति दिन, प्रति सप्ताह, या प्रतिमास जिनना सामान चाहिए, वह भारा या उनका कुछ हिन्मा सरोदना केनाओं की इच्छा पर होना है। साधारणतया जब आवश्यकना होनी है, तब खुले बाजार में माल सरोदा जाना है, अथवा निकट भविष्य में माल मिलने की सविदा करके माल सरोदा जाना है। इस नीति की नफलना केना के बाजार सम्बन्धी ज्ञान पर और सम्भरणकर्ताओं की सद्भावनाओं पर निर्भर है—जिन विकेना का अपने सम्भरणकर्ता—चाहे वह उनके हो, दलाल हो, आटनिया हो या व्यापारी हो—की सद्भावना प्राप्त रहती है और जो वहन जगह में थोड़ा-थोड़ा सरोदने के बजाय शेष सम्भरणकर्ताओं से माल सरोदना है, उन्में यह पता चलेगा कि कभी का सवारा होने पर उनके सम्भरणकर्ता अपनी सविदा पूरी करेंगे। वे उन्में मूल्य बढ़ने में पूर्व ही मूल्य वृद्धि की भूचना दे देंगे, जिसने वह माल जमा दर मत्ते, अथवा वास्तविक कभी के दिनों में यह यन्त्र करेंगे कि उन्में जावश्यक सामान मिलता रहे।

(२) सविदा करके सरोदना—प्राप्त कच्चे सामान की पर्याप्त उपलब्धि इनी अधिक महत्वपूर्ण होती है कि केना अपने बाजार सम्बन्धी ज्ञान पर सम्भरण सम्बन्धी कम्पनियों पर भरोना नहीं कर सकता। ऐसों अवस्थाओं में वह अनी साल भर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अथवा यह दर्शन लगाकर कि उचित अवधि से पहले भूचना देकर आदेत में परिवर्तन या उन्में रद्द किया जा सकता है, अनियन्त्रित अवधि के लिए या पर्याप्त सामान सरोदनर वह भविष्य बोंडीवरी के लिए सविदा कर सकता है। इसका यह लाभ है कि उपभोक्ता को साल जमा करने की आवश्यकता नहीं रहती, और सम्भरणकर्ता को कुछ स्थायिना प्राप्त हो जाती है। आठ मिने प्राप्त अवधि की डिलीवरी के लिए सरोदती है, या भीमन के शुरू में सरोदती है, जिसने गहरे के मूल्यमें बाद में होने वाली वृद्धि में बचो रहे। अद्य-नियन्त्रित उत्पादित बन्युए, जैसे मोटर कार सम्बन्धी बन्युए और पुर्वो भी सामान्यन पहने ही सविदा ढारा सरोदे जाने हैं। साधारण डिलीवरी के भीड़े भी आम तौर पर किये जाने हैं। कोयला एक वर्ष या इसमें अपितृ तत्त्व बलने वाली सविदा में सरोदा जा सकता है और समरावनी नियमित समानान्तर पर नियोगित मात्रा देने रहना स्वीकार करता है।

(३) सोरेवांगों के आगर पर सरोदना—इस नीति में बासी समय के लिए आवश्यक मात्रा एवं समय में सरोदली जाती है, और उन्में बड़े-में ले लिया जाना है। ऐसा प्राप्त रई, उन, आदि मूल्य (Staple) बन्युओं के बारे में और प्रमुख प्रक्रम उद्योगों (Major Process Industries) के बारे में किया जाता है, जैसे भूतों और इनी वप्ता मिले। इनमें बड़ी मात्रा की सरोद के कारण वहन लाम होता है, और कभी पहले

की चिन्ता नहीं रहती, परन्तु इसमें वित्तीय जोखिम बहुत है, विशेषकर वहाँ जहाँ वन्ननी उत्पादित माल की विक्री के लिए सरिदान वर चुकी हो। यह सविदा भारत सर्ट के टग की है। यह जोखिम "हैंजिङ" से कम हो जाती है, बशर्ते कि बामदे के सौदों का समर्थित बाजार हो।

जब सामान फैब्रिशी पर आ जाय, तब इसे उन स्थानों पर भेज दिया जाय, जहाँ यह बाम जाना है, या सप्रहागार में रख देना चाहिए। यदि सप्रहागार में रखा जाय तो एक स्थायी सझह पञ्जिया ने उसकी मात्रा लिक्क दी जाती है, और अब या उत्पादन विभाग इस पञ्जिका को जाच पट्टाल बरतता है। सझह सम्बन्धी अभिलेख हर समय यह बना सकत है जिस प्रहागार में वित्तना सामान है, और मात्र ही उत्पादन की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। जब सामान ठीक प्राप्त हो, स्पेसिफिकेशन के साथ उसका मिलान वर लिया जाए और उसके गुण की परख कर ली जाय, तब अभिलेख पूरे वर दिये जाते हैं, और खरीद के बड़े वा लाभ उठाने के लिए यथात्मम जल्दी से जल्दी सामान वा मूल्य चुका दिया जाता है। जब सामान वा मूल्य चुका दिया जाता है, तब त्रैता को यह देखने रहना होता है कि खरीदा हुआ माल उस प्रयोजन को पूरा करता है या नहीं, जिसके लिए वह खरीदा गया था और अपनी जाच वा परिणाम लिख लिया जाता है। इस प्रकार खरीदने की प्रतिक्या समाप्त हो जाती है।

योक खरीद का चलन—योक दूकानदार खुदरा दूकानदार के सम्बरणकर्ता होते हैं। उन्हें वे बस्तुएँ खरीदनी हैं, जिन्हें खुदराफरोश चाहता है, और ऐसे मूल्य पर खरीदनी है, जिस प्रहागरोश द्वारा वे ऐसे मूल्यों पर देनी जा सके जिन अपने को कुछ लाभ बच रहे। योक दूकानदार बहुत से निर्माताओं से खरीद सकते हैं। क्याकि उनका लाभ वा जदा सामान्यतया बहुत घोटा होता है, इसलिए खरीदने में होने वाली गलिया खनरताक सिद्ध होती है। औद्योगिक क्षय की तरह यहा भी खरीदने वाला कुशल होना चाहिए। इसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या नीज लेनी है और वित्त मूल्य पर लेनी है। उनकी समस्याओं का हल औद्योगिक क्रतान्त्री समस्याओं की अपेक्षा अधिक कठिन है। उसे निरन्तर उपभोक्ता मात्र वो अनिश्चितता की चिन्ना रहती है, जो खुदराफरोशों की क्षय नीनि से प्रकट होती है। योक वित्रेता को फैशन सम्बन्धी प्रवृत्तियों, खरीदने की आदतों, मूल्यों-स्तरों पर उपभोक्ता वो प्रतिक्रियाओं और विभिन्न प्रवार की वस्तुओं की लोकप्रियता में बढ़ि और छात वो देखने के लिए खुदरा इकाई की चालू खरीद की जाच करनी पड़ती है।

योक खरीदार की एक प्रमुख समस्या है, माल का नियन्त्रण यातालिका। अपने खुदरा घाहक वे लिए खम्भरणकर्ता वा कार्य करते हुए उसके पास बेचने वे लिए पर्याप्त सामान होना चाहिए, अन्यथा वह अपना कार्य सन्तोषजनक रीति से नहीं वर सकता। परन्तु यदि वह बहुत माल जमा वर ले तरी मूल्य परिवर्तन, झर्ली परिवर्तन और माल के खराब हो आमे का खतरा है जिसमे उमका सामान्य लाभ खतरे में पड़ जाना है। उचित मात्रा का नियंत्रण भविष्य की विक्री के बनुमानों पर अधारित योजनाबद्ध विक्री पर निर्भर है। विक्री का अनुमान भा तो बेचो जाने वाली वस्तु की स्थितियों के हृप में

जयांने दर्जन, मंडडे, मन, मेर, पौड आदि और या पहले धन के मूल्य के ह्य में किया जा सकता है। धन के ह्य में योजनावद्वि विक्री को प्रकट करना विविध वस्तुओं वाली दृक्षण की कुल सम्भावित विक्री का निर्देश दर्जने के लिए एक सुविधाजनक सामान्य रूप है। थोड़ा सरीशार को एक सुविधा है, जो सुदूरा और सरीशार को नहीं है। वह बहुत से सुदूरा सरीशारों को माल भेजता है। यदि उनमें सरीशने में गल्लों हो जाय तो उन्हें बाजी निर्देशन होता है कि मैं इने रिपायनी दाम पर बेच ले सकता हूँ।

सुदूरा सरीश का चलन—सुदूरा दूकानदार का मुख्य कार्य यह है कि वह अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं इकट्ठी करे। ठीक प्रकार ने सरीशने के लिए उने उपभोक्ता माम का विश्लेषण और निर्धारण दर्जा कराया चाहिए। मौजूदा माम पूरी करने के लिए वस्तुएं सरीशने में कोई बड़ी जोखिम नहीं है, परन्तु फैशन की वस्तुएं बेचने में सुदूरास्तरों को जोखिम उठानी पड़ती है। उने उपभोक्ता मामों का पहले से अन्दाजा लगा लेना चाहिए। लियों की साड़िया और कुत्तियों के टुकड़े सरीशने वाले के सामने इस तरह की परिस्थिति आती है। मिले, आने वाले मौमम के लिए कुछ शैलिया और डिजाइन या रूपाकण पेश करनी हैं। ये शैलिया और रूपाकण नये होते हैं। अब तक ये उमके नगर की दूकानों में नहीं आये थे। उसके प्राहृष्ट ये नये फैशन अभी नहीं पहन रहे, या निर्माण अपने नमूनों में उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं। केवल जानता है कि प्रस्तुत किये गये सब रूपाकण और सब शैलिया परमद नहीं की जायेगी। मिले थोड़े नहीं फैशन चलेंगे। अब वह इनमें से कौन-न्हीं शैलिया सरीशे। प्रत्येक शैली या रूपाकण की किनारी साड़िया ले, प्रत्येक रण की किनारी ले, काम की हुई ले या साढ़ी। उसके अभिलेख प्राहृष्ट के परमद के बारे में कुछ भी नहीं बना सकते। उने अपना चुनाव विनिमय शैलियों की सम्भावित लोकप्रियता के बारे में अपने अन्दाजे से ही बरना पड़ता है। यदि वह ठीक शैलिया ठीक मात्रा में और ठीक रण में अच्छी तरह सरोदे देता उसका मौमम सफल रहेगा। यदि वह रही दग से, गलत शैली, रण या मात्रा में सरीश बरना है तो वह नुकसान उठायेगा। उने अपनी साड़िया और मामान बेचने के लिए दाम बहुत कम बरने पड़ेगे। सुदूरा विक्री के लिए सरीशने वाले को यह जोखिम उठानी पड़ती है। उने निरन्तर अपने प्रतिस्पर्द्धियों पर आपस रखनी होती, और यह देखना होगा कि लोक-प्रियता की उच्चनम सीमा समाप्त होने से पहले ही उमका मारा माल बिक जाए। परन्तु उने यह नावधानी भी रखनी होगी कि जब लोकप्रिय बन्ने की साम हो, तब उमका मारा माल खत्म हो चुका हो।

सरीशने को कला—जो बाने औद्योगिक प्रयोग के मिलनिले में कही गयी है, ये सब की सब सुदूरा और योक की सरीश वो नीति के चलन में भी लागू होती है। वस्तुएं सरीशने की कला में व्यवनाय समस्या के सब प्रमुख अग आ जाते हैं। सरीशने को मनस्ता हो बेचने वो मनस्ता है। सरीशने में अनप्रबल रहने में नसा बनाना बसमन्त हो जाता है। एक पुरानी कहावत है कि ठीक तरह सरीशी गई वस्तुएं आयों तो उनी समय बिक जानी हैं, और यह कहावत बहुत हृद तक आज भी ठीक बैठती है। समलक्षणवृक्ष सरीशने

मेरे निम्नलिखित बाने सहायक हो सकती है। खुदरा दूकान या थोक दूकान के लिए होशियारी से खरीदने वाला क्यों, और वेची हुई इकाइयों के रूप में वित्री के अभिलेख रखता है। उदाहरण के लिए, जूते की दूकान के लिए खरीदने वाला ऐसे वित्री अभिलेख रखता है, जिससे उसे बीच-बीच में यह पता चलता रहे, कि वित्रने जोड़े, किनते मूल्य पर, किस शैली, रंग, द्रव्य और आकार के विके। ये अभिलेख निरन्तर रखे जाते हैं, जिसमें खरीदने वाला बहुत पुराने अभिलेखों से टुकड़ा के अभिलेखों से तुलना कर सके।

खरीदने में सहायता के लिए बाट स्लिप (नहीं-चर्चा) वा उपयोग भी किया जाता है। दूकान पर वित्री बरने वालों से वह दिया जाता है कि जो माल ग्राहक मागता है, यदि वह दूकान में नहीं है, तो वह नोट कर लिया जाए। इन भूचनाओं की जाच बरके नेता यह निश्चय कर सकता है कि ग्राहक कौन सी वस्तु मागता है। बाट स्लिप के साथ-साथ माल के सम्बन्ध में ठोक-ठोक खाकड़े भी हीने चाहिए, जिससे त्रेता को हर समय यह पता चल सकता है, कि उसके पास क्या माल है। इस तरह उमे न बैबल यह पता चल जाता है कि उपभोक्ता क्या चीज खरीद रहा है, बल्कि यह भी मालग्रह हो जाता है कि वह क्या चीज नहीं खरीद रहा। थोक दूकानदार को भी, जो हजारों विभिन्न वस्तुओं का क्रय-विक्रय करता है, द्रुत वित्री मुनिशिचन करने के लिए इसी प्रकार के विस्तर अभिलेख रखने चाहिए। पिछले अध्याय में जाव-अव्ययक निर्माण की जो चर्चा की गई है, वह भी कुशल खरीद में सहायक होनी है। आव-अव्ययका वा बुद्धिमत्ता से उपयोग किया जाय तो वे चेतावनी-नकेत का कार्य करने हैं। इन सब सहायक बातों के होते हुए भी खरीदना एक ऐसी समस्या है, जो मूल्यन व्यक्ति की निर्णय-शक्ति से हल होनी है। आविखार उपभोक्ता की मांग एक अनिश्चित चीज है—वह घटती-बदती रहती है। उपर्युक्त बातों से सहायता तो मिल सकती है, पर यदि विसो चनुर त्रेता का पथ प्रदर्शन न हो और सिफ़ उनका ही उपयोग किया जाए, तो सफल क्रम नहीं हो सकेगा।<sup>१</sup>

### सप्रहागारण (स्टोर-कीपिंग)

आवृन्दिक उद्योग में सप्रहागारण वा जो महत्व है, उसको यथोचित रीति से समझा नहीं गया। उत्पादक विभाग तो साजन-सामान से लैम होने है, और सप्रहृ-रक्षक कम गोदानी वाली छोटी-छोटी रही जगहों से छिपे हुए होने हैं, और उन्हें जाम तौर पर कम वेतन दिया जाता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कि माल की हानि, गलत निर्गमों, माल की अप्रत्याधित समाप्ति और गलत वाउचरों के कारण उत्पादन में मदा विलम्ब होना रहता है और उत्पादन क्रमसंचारी परेशान रहते हैं। पर्याप्त और दश बार्य के लिए यह जिम्मेदारी ऐसे योग्य व्यक्तियों को मौजूदी चाहिए जो गिनती में चाहे थोड़े हो, परन्तु स्वच्छना और सफाई प्रबन्ध करते हों, उनकी स्मरण-शक्ति जच्छी हो, और सामान्य रूप से समझदार हों। उन्हें अबों का भी अच्छा जम्माम हो। कुछ समय से प्रभावी सप्रहरण के लिए पनवदेशनामा, (वार्ड इंडेक्स माल नियन्त्रण प्रणालियों और वस्तु पिटका (गुड्स बिन्न) का उपयोग हो रहा है, परन्तु पवक देशनाम

<sup>१</sup> दबो माडन मार्केटिंग (वारकर और एनस्टीन)

जन्मे मध्य-रक्षा का स्थान नहीं हो सकती। वे स्वयं काम नहीं करते, वन्कि उनका उत्तरोग करना पड़ता है।

मध्य विभाग के बाबं निर्णयित्रि गति में बताये जा सकते हैं।

(१) मामान को प्राप्त करना, मध्य करना और उमरी द्वितीय करना,

(२) निर्माण और शिर्ता विभागों द्वारा अनेक भूमि वस्तुएँ टीक मात्रा में निर्गमित करना,

(३) मध्य के अभिलेख रखना जिसमें हर समय वह पक्ष चल सकते हैं जिसना माल हाथ में हो दा प्राप्तिनित है जिसना निर्गमित किया जा चका या सर्वित है, और वह जलकारी वस्तुओं द्वारा आदेश सम्भाओं के पासार पर वर्गीकृत होनी चाहिए।

(४) प्रदेश वस्तु को निर्मान मात्रा निर्दित करके जब और माल की आवश्यकता हो तब उमरी टीक समय पर सूचना देना और ऋद अर्दना (दर्वेशिन रिविडज़ीवन) निर्गमित करना,

जो वस्तुएँ औरार प्रदाय, और उपकर बाहर ने रेल, नाव, सोटर मा आदमी द्वारा जयवा और किसी गति में कारखाने में आते हैं, वे प्राप्ति विभाग की दिये जाने हैं और मदि उन वस्तुओं के दाम या महाकायता के कारण ऐसा करना सम्भव न होतो इस विभाग को उनके पहुँचने की सूचना द दी जानी है और वे इस विभाग की गिरावी में चढ़ा ली जानी है। सामारण्यनदा प्राप्ति विभाग को वस्तुओं की मात्रा गिरावी, जोल या अन्य तरह में न आती दृष्टी है, और पूर्व सूचना पत्र (ईडाइन नोट) द्वारा अर्द्ध पत्र (टिनीवरी नोट) में लिखित मात्रा और दर्गन में उसका मिलान करना पड़ता है। पूर्व सूचनापत्र और अर्द्ध पत्रों की पद्धति आज्ञान प्रायः सब जगह प्रचलित है। पूर्व सूचना पत्र सम्भरणकर्ता हाइ में भजता है, और ग्राहक को यह सूचित करता है कि भैंसे वस्तु भेज दी है। यह पत्र आम तौर पर वस्तुओं में बहुत पहुँच पहुँच जाता है। प्राप्ति की पूर्व सूचना पत्र प्राप्त होने ही उन जादेश की प्रति में इसका मिलान करना चाहिए कार्यालय जो ऋद विभाग ने आदेश देने समय प्राप्ति कर्ता कार्यालय में भेजी थी।

आदेश और पूर्व सूचना पत्र में कोई असमिति हो तो वास्तविक वस्तुओं की प्राप्ति को प्रभीक्षा किये विना ऋद विभाग की या और भी ज़दा हो कि भौति सम्भरा-कर्ता को ताकाल सूचना देनी चाहिए, और उनको एक प्रति ऋद विभाग को भेज देनी चाहिए। पूर्व सूचना पत्र का यह मिलान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मदि मात्र भेजने में कोई झूँट हुए है तो इस तरह बहुत सी परेशानी, स्वेच्छा और समय में बचा जा सकता है। अर्द्ध पत्र, जो वस्तुओं के साथ होना चाहिए आम तौर से जब सारनूत बातों के सूचना पत्र को काढ़ने प्रति होता है और इसका पूर्व सूचना पत्र में मिलान इसका चाहिए, तदा असमिति की सूचना ऋद विभाग को देनी चाहिए और सम्भरा कर्ता के साथ मिलाने का कान उनके ही विनें छोड़ देना चाहिए।<sup>25</sup>

आदर्श अवस्थाओं में सामान के प्राप्त होने ही उसे भीषे तैयार माल के हथ में ले आया जाएगा। परन्तु ये अवस्थाएँ लाना प्राय असम्भव है, यद्यपि कुछ सरल निरन्तर उद्योगों में इन अवस्थाओं के निकट पहुँचा जा सकता है। अधिकतर निर्माण उद्योगों में कच्चा सामान विभिन्न समयों पर विभिन्न मात्राओं में बाम आता है, और इसी प्रकार विभी भी एक एक करतया विभिन्न प्रकार से होती है। इन बारणों से कि अधिक मात्रा होने पर नय और परिवर्तन में सुविधा हाती है, इन बदलती हुई मागों की दृष्टि से व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ विभी बदलती रहती है, और माल विभी से पहले ही बनाना चाहता है, वहाँ भी ग्राहकों को ठीक समय पर माल प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार माल ले जानेकी चौमी ही व्यवस्था बरनी चाहिए। जो कारखाने सिफ आड़ पर माल तैयार करते हैं, जैसे जहाँ निर्माण कम्पनी, उनमें इस अनितम बात का विशेष महत्व नहीं। इस प्रकार प्राप्तकर्ता विभाग और उत्पादन के बीच समझौते के लिए वारण यह है कि अधिकतर अवस्थाओं में पर्याप्त समझौते के लिए वारण यह है कि अधिकतर अवस्थाओं में समय आवश्यकता हो, वह उमी समय मिल सके। सम्भवण का आदर्श यह है कि यथासम्भव कम से कम सामान रखा जाय, परन्तु यह इतना अवश्य हो कि उत्पादन वी आवश्यकता पूरी हो सके। जो वस्तु अनिमित्त सामान के बारे में है, वही निर्मित वस्तुओं में लागू होती है। निर्मित वस्तु का समझौता समय विभाग को कच्चे सामान की जिस समय आवश्यकता हो, वह उमी समय मिल सके। समझौता का आदर्श यह है कि यथासम्भव कम से कम सामान रखा जाय, परन्तु यह इतना अवश्य हो कि उत्पादन वी आवश्यकता चाहिए कि विभी की भाग पूरी हो जाय। समझौता का आदर्श यह है कि अधिक स्थानीय वापरा भूरा पुनर्विलोकन बरता और प्रभावी उत्पादन नियन्त्रण बरता सम्भव होता है। ये तीन चीजें—मात्रा, समय और परिवर्य—बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रबन्ध का यह व्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलिया न हो सके, जिससे सारी कम्पनी को हानि पहुँचे।

मग्नह और स्टॉक-रखण (Stock-keeping) की दृष्टि से चार चीजों का प्रबन्ध करना होता है—

(१) कच्चा सामान, जो निर्माण प्रक्रम हारा, भीषे वस्तुओं में हपानरित पर दिया गया और यह तैयार माल बनता है। (२) प्रदाय या अप्रत्यन्त सामान, जो उत्पादन में काम में लाया जाता है। (३) बीजार और उपकर, और (४) तैयार माल या विभी घोष्य वस्तु। यह भेद बरता परिवर्य की दृष्टि से बहुत आदर्श और महत्वपूर्ण है। आम तौर से कच्चे सामान बो स्टोर या जागार भाड़ बहत है। जहाँ पर यह रखा जाता है, उसे भगटागार या बोस्टोर बहत है। जहाँ प्रदाय रखे जान हैं, उस स्थान की भी इसी नाम में पुकारते हैं। यह बन अन्दर जान वाले सामान और प्रदायी तथा साम फैक्टरी के बीच भण्डार का बाम बरता है और बदलती हुई माग और सम्भरण का सम्बरण बरता है। बाहर भेजन के लिए तैयार निर्मित वस्तु स्वन्य

स्थिति का पर्यवेक्षण नहीं हो सकेगा। न व्यवस्थित रूप से कहीं-लेखन हो मरेगा और न लाभ-हानि का ऐसा बन मवना है। परन्तु जहा टैक्सीकल बारणों में बोट्टागार को मारे हुए में अधिक देना पड़ता है, वहा एक बापमी-जय द्वारा उम अधिक की धापिमी भी उननी ही महत्वपूर्ण है।

इन अभियाचनों पढ़ा में आगे उम सामग्रन का मूल्य निर्वाचन किया जाता है, जिसके लिए ये बाउचर हैं। ऐसा बरते की जनेक रीतिया प्रचलित है, और मेयेनटर्ग के अनुसार वे ये हैं — (क) यदि सामग्रन बहर में मगाया गया हो तो बाउचर के अनुसार उम मामान का बास्तविक मूल्य लेना चाहिए और यदि वह सामान बारबाने में बनाया या स्पाल्टरित बिया गया है, तो गणना द्वारा मूल्य निर्धारण करना चाहिए। (ख) बाजार मूल्य का निश्चय करना, (ग) एक ऐसा प्रमाण मान, जो कुछ ममय या शायद एक व्यावसायिक रूप से लिए अप्रशिद्धनीय है, निश्चिन बर देना चाहिए, या (घ) प्रत्यर्पण मूल्य (रिस्ट ग्राइम) का उपयोग करना चाहिए। तथापि कुछ अवस्थाओं में बन्य गीतिया का उपयोग लग्नदायक है। चाहे जो गीति हो, नहीं परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले तो अभियाचना और प्रत्यावर्त्तन (या धापिमी) पत्र टीक-टीक लिखे जाने चाहिए, और बाद म फार्म का टीक-टीक उपयोग करना चाहिए। स्वन्य मग्न थाड़ा, परन्तु आवश्यकता को पूर्ति की दृष्टि ने पर्याप्त रखने के लिए और मामान का विक्रय अविकृतम रखने के लिए प्रयत्न को दृष्टि म सूल्य वृनियादी अभिरेख घोष भाष्ट जभिरेख (धरेन्म जाप स्टोम रिकाँड़) है। यह अभिरेख आदेशित, प्राप्त, निर्गमित, घोष, अभिभाजित, और उपयोग्य राशि की मूल्य दना है, अर्थात् काप्तागार वी स्थिति का पूरा चिक्क उपस्थित करना है। बोट्टागार का एक और महत्वपूर्ण अभिरेप विनाशि है, जिसकी पहले चर्चा कर चुके हैं, जो बास्तविक सामान रखने ममय बिन या थोक पर लगाया जाता है।

**बोट्टागार का सगठन—**बारबाने के सगठन म बोट्टागार भी स्थिति के बारे में अनेक परम्पर विरोधी विचार हैं, और बोट्टागारिक के बत्तन्या के बार म और इस म वि वह किसके प्रति जिम्मेवार होना चाहिए, वून कुछ व्यवस्थित विचार प्रचलित है। कुछ लोगों की मान्यता है कि बोट्टागारिक को सामान को दबभाल के जलावा स्वन्य बम्बन्धी भव रख भी रखने चाहिए। सामान का जार या नादन देन की जिम्मेवारी भी उम परहीनी चाहिए। यह भी माना जाता है कि मह, काप्तागारिक के प्रति, सदेनरी के प्रति या लेखाव्यक्त के प्रति या उत्पादन नियन्त्र के प्रति व्यवाबाट्टागार के व्यग-व्यग विभाग विभागीय फोरमना के प्रति जिम्मेवार होने चाहिए और व्यवहार म य सब व्यवस्थाएँ जर्मी हैं। बोट्टागारिक वा बार्य म्बन्ध रा सभालता, उम प्राप्त बरना और निर्गमित बरना और थोक के यमय म उमे माप-मुधर तरीके म त्यूनतम स्थान में और न्यनतम परिश्रम में मग्नीत करना है। यह एक शारीरिक काम है। अभिरेख रखना उमका काम नहीं। वह स्वन्य अभिरेखन का हिस्मा है और स्वन्य अभिरेखन उत्पादन आयोजन का हिस्मा है। उत्पादन व्यावजन को अपन बार्य में मफरता के लिए स्वन्य

मध्य की नवीनतम जानकारी मिलनी चाहिए और उन्नादन कार्यशम बनाने में उसे स्वन्द अनिवार्य की महाप्रता तत्वाद मिलनी चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब अभिलेख उन्नादन कार्यालय में हो। कोष्ठागार का प्रबन्ध उन्नादन में सर्वथा स्वतंत्र रहना चाहिए, परन्तु मुख्य कोष्ठागारिक और उन्नादन या प्रबन्धक कारखाना प्रबन्धक के बीच निष्ट न्यूनत्व प्रसादरूप है।

कोष्ठागार सगड़न पौर उमरे प्रति दिन के कार्य मञ्चालन को अच्छो तरह समझने के लिए यह विचार करना आमदारक होता कि कोष्ठागार का कारखाने के अन्य विभागों में किस तरह स्वतंत्र होता है। मंत्रनवर्ण ने एक सामान के कोष्ठागार में आने और कोष्ठागार में जाने का और इसमें जो लेखन कार्य करना पड़ता है, उनका एक मनोरंजक उद्देश्य दिया है।

**सामान की प्राप्ति—**जिन समय सामान कारखाने में आना है उस समय प्राप्त करनी कार्यालय (डिपो) उपयोग द्वारा इसी पर प्राप्ति की मात्र प्रतिक्रिया बनाता है। ३ और ४ नम्बर की प्रतिक्रिया प्राप्तिक्रिया कहलाती है, और ५, ६ तथा ७ निश्चिन प्रतिक्रिया कहलाती है। प्रति १ शीघ्र सूचना के लिए यथा विभाग को भेजो जानी है। इनके बाद वह प्रति और सम्भरण कर्ता का बीजड़ लेकर विभाग को भेजा जाना है जो बीजक रख लेता है, और प्रति १ फाटल के लिए यथा विभाग को वारिम कर देता है। प्रति २ माड़नियन्दक को, जो देश देने वाले विभाग की शीघ्र जानकारी के लिए भेजो जानी है। प्रति ३ और ४ प्राविधिक निरीक्षण विभाग को भेजो जानी है, जो प्रति ३ अपनी फाटल के लिए रख लेता है, और आवश्यक परीक्षाएँ करके तथा उनका परिणाम प्रति ४ पर दर्ज करके वह प्रतिक्रिया विभाग की भेज देता है। यथा विभाग यह निश्चिन करता है कि वह माल स्वीकार किया जाए या नहीं और प्रति चार पर अपना निश्चिन लिप देता है, और उसे प्राप्त कर्ता विभाग को होटा देता है। यह प्रति ४ और ५ इकट्ठी करके सम्भरणकर्ता के बीजड़ के साथ उनकी तुलना करके यथा विभाग को भेज दी जाती है। इसके बाद प्रति १ और ५ तथा बीजक लेकर विभाग को भेज दिये जाते हैं जो १, ४ और ५ नम्बर की रसीदें यथा विभाग की फाटल में दाखिल कर देता है। प्रति ६ तथा बीजक की एक प्रति कोष्ठागार नियन्त्रक को, और प्रति ३ कोष्ठागार को भेज दी जाती है।

**कोष्ठ ग्रन्थावर्तन, अर्थात् धेता द्वारा औटाई दूर बम्हुएँ, ऐसे ही स्थानी जानी हैं, जैसे नदा सामान।** इन अवस्थाओं में प्राप्त कार्यालय में मध्य करना बड़ुन महाव्यूह है, और यदि सम्भव हो तो इस पदनि को जागी रखना चाहिए जिसमें वापिस आई बम्हुएँ कोष्ठागार में जाने से पहले, उनका अच्छी तरह निरीक्षण हो सके।

**कोष्ठागार से सामान का नियंत्रण—**कोष्ठागार से अनियाचित सामान दो तरह का हो सकता है—मुरशित स्वतंत्र और उपर यथा स्वतंत्र—और कोष्ठागार की बहियों में इसे पूर्वानुष्ठान रखने की आवश्यकता हो सकती है। मुरशित स्वतंत्र वह है जिसमें आंदर पहुँच हो जाता है और जिस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। यह हमेशा प्रबन्ध

कन्चा सामान होता है। उपयोग्य स्वन्ध, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मुरक्किन स्वन्ध नहीं है, और वह अभियाचन पर निर्गमित नहीं किया जा सकता। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सामान हो सकता है। दोनों प्रकार के सामान एक ही तरह से एक ही तरह के अलग-अलग रोपों के फारों के अभियाचना पत्रों द्वारा कोष्टागार में मराये जाते हैं। प्रत्यक्ष सामान के अभियाचना-पत्र योजना विभाग द्वारा और अप्रत्यक्ष सामान के उपभोक्ता विभाग (वन्ज्यमिग ट्रिपार्टमेण्ट) द्वारा बनाये जाते हैं। एक भूल और एक प्रति होनो है, जिन पर एक ही सह्या रहती है, जिसमें सब पत्रों को पहचाना और नियन्त्रित किया जा सके।

योजना विभाग अभियाचना पत्र बनाता है, और भूल तथा प्रति होनो का रखाने को भेज देता है, और वहाँ से वे दोनों कोष्टागार को भेज दिये जाते हैं। कोष्टागार में अभियाचना पत्र की प्रति और मार्ग गया भामान जात है, तथा मूल अभियाचना पत्र कोष्टागार नियन्त्रक को भेज दिया जाता है। उपादान नियन्त्रन विभाग में सब आवश्यक बातें एक पत्रक देगाना पढ़नि में दर्ज कर दी जाती हैं। यह पत्रक देगाना पढ़नि, काल्यागार से निर्गमित प्रायेक सामान के बार में मूचना की कुजी है, और इमण्डि इमें बहुत साक्षात्कारी से रखना चाहिए। निर्गमित भाल के मूल्य निर्मारण और अभियाचना पत्र तथा पत्र देगाना में मूल्य दर्ज करने के बाद सारांश तैयार किया जाना है, और उमड़ी दो प्रतिया बनाई जाती हैं। यह निर्गमित की गई वस्तुओं को मर्यादा के अनुमार दैनिक या साप्ताहिक मारांश हो नक्ता है और इमके बाद अभियाचना पत्र के मूल रूप और मारांश की दानों प्रतिया म परिवद निर्मारण विभाग में जाती है, जहा उनकी जाच की जाती है, गलितया मुझांगी जाती है और नुटियों की पूरति की जाती है। अभियाचना पत्रों की वर्तमान सह्या मे नुटिया का पता चल जाता है। जब मारांश की प्रति मही मान ली जाती है, सब यह रसीद के रूप म उपादान नियन्त्रक को भेज दी जाती है और एक ढाटे प्रमाणक या बाउचर ने लेखा विभाग को यह पता चढ़ा जाता है कि मारांश म बौन-बौन से अब लेने आवश्यक है। इम प्रकार लेखा विभाग को लेखों मे चढ़ाने के लिए दैनिक-माप्ताहिक अब मिलने रहते हैं।

ममात्त बरने मे पहले यह दोहरा दना उचित होगा कि स्टाव नये माल का आदेश देने ने पहले कभी भी पूरी तरह क्षम नहीं होने देना चाहिए। दूसरी ओर हाव मे और आगे जाने वाला माल भी इनका जरिवा नहीं होना चाहिए कि वह प्रयाग मे आने मे पहले भी जुदा स्टाव उस न्यूनतम मे नीचे न जाना चाहिए। स्टाव का ध्यान रखने का एक मनोपञ्जनक तरीका यह है कि कुछ निदिन भानाएँ न्यूनतम के रूप मे तब कर दी जाएँ और नये माल का आदेश देने मे पहले भी जुदा स्टाव उस न्यूनतम मे नीचे न जाना चाहिए। स्टाव क्षम न होने देने के रिए एक प्रभावी तरीका यह है कि यह निर्गमित मध्यानगे पर रिजर्व मे अलग रख दिया जाएँ और वह आदेश देने के बाद ही काम मे लाया जाएँ। दूसरा तरीका यह है कि स्टाव अभियाचना ऐमे बाटों पर रखे जाये जिनमे प्राप्त मानाओं और निर्गमित मानाओं का पता चलना रह। प्रति छ मास मे या प्रति दर्ब एक मूची बना

सो जानी है। शास्त्रत मूचो, जिमका सरलतम हप स्टाक अमिलेख कार्ड है, जिस पर प्राप्तिया, निर्णय और शेष दिखाये होते हैं, तभी कुछ मूल्य रखनी है जब उसे सब समय विलकुल जटितन यानी अप्टूडेट रखा जाए। यह अन्तिम विवि उचित स्टाक नियन्त्रण बरतने के लिए सारदृ. सर्वोत्तम है।

## अध्याय :: २४

### थ्रम प्रवन्ध

(Labour Management)

जब से उत्पादन की फक्टरी पद्धति प्रचलित हुई है, तभी से मैनेजरा ने अपना बहुत सा समय और प्रयास निर्माण करने वाले प्लाट के भीतिक गठन में लगाया। १९वीं शताब्दी में असत मालिक लागत कम करने के लिए अपना सारा ध्यान प्रवन्ध और यन्त्रों पर वेन्डित करता था, और मनुष्य शक्ति को अपेक्षाया सस्ती बस्तु समझा जाता था, जिसे मालिक ऐसी चीज बनाने के लिए सरीद और नियुक्त कर सकता है, जिसे वह बेच सके और इस प्रकार अपनी निजी दौलत बढ़ा सके। उत्पादन का असली प्रेरणा भाव ही यह प्रतीत हीता था कि योडे से विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ हो जाय। उस सारी व्यवस्था में जन साधारण का नोई स्थान नहीं रहा प्रतीत हाना। १९ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में कुछ अधिकारी साहसी मालिकों का ध्यान मानवीय अनु ओर गया, जो उत्पादन में सर्वसे महत्वपूर्ण बारक है। हाल के वर्षों में उच्च पदस्थ प्रवन्धकों और प्रबुद्ध कारखानेदारों को यह अधिकाधिक व्यष्ट हा गया कि पूर्णतया दक्ष निर्माणशाला में मनुष्य शक्ति के प्रवन्ध की ओर वहुत ध्यान दने की आवश्यकता है। जमाना बदल गया है। आज भी दुनिया में, जनसाधारण जनसाधारण के लिए उत्पादन करता है, यद्यपि हमारे देश में इस बात को, जिसे औद्योगिक शान्ति की दृष्टि से अनुभव करना परमानश्यक है, पूरी तरह अनुभव नहीं किया जाता। समझदार प्रवन्ध यह अनुभव करेगा कि थ्रम की स्थिति पूरी तरह समक्ष है, और समुदाय की समृद्धि की हमारी सब बादाएं उद्योग के तीना अगो—मनुष्य शक्ति, प्रवन्ध और मर्मीनों पर, जाधारित है।

यह देखबर प्रसन्नता होती है कि कुछ भारतीय कारखानेदार यह अनुभव करने लगे हैं कि थ्रम प्रवन्ध व्यावसायिक प्रवन्ध और प्रशासन का चौथा मुख्य विभाग बन गया है, और यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वित्त, निर्माण, और विश्री। इसलिए थ्रमिक प्रवन्धक या जिने भारत में लेवर आफिसर (थ्रम अधिकारी) कहते हैं, का पद अन्य उच्च अधिकारियों के धरावर हाना चाहिए जा सीधे जनरल मैनेजर के पंयंडेवेक्षण में बास करते हैं, और उसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। थ्रम अधिकारी उन सब नीतियों को निर्धारित करने और नियान्त्रित करने का मुख्य साधन हाना चाहिए, जो मजदूरों का ठीक प्रमाप पर रखने के लिए अपनायी जाय। वह मजदूर और मालिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध बाकम-स्थलों के लिए यत्न करने वाला बेन्द्रीय अधिकारी है। इसलिए थ्रम अधिकारी उन कारकों से परिचित हाना चाहिए जिन के होने पर बाग

मजदूर के लिए तुष्टिवारक होना है, और बाम की टैक्नीकल अवस्थाओं या मजदूर वो सामाजिक अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाली रक्कावटों और बाधाओं से भी उने परिचित होना चाहिए। हेतरीद मान ने अपनी पुस्तक डेर फाफ अम दो आरबोट्सफायड, जिमरा अप्रेजी में जाप इन दर्कं नाम में अनुवाद हुआ है), में इन बातों का विश्लेषण विया है, जो सधेष में यहा बताना उचित होगा। बाम में खुशी पैदा करने वाले प्राय-मिक्र वारकों में वह सत्तियता, खेल, रचनात्मक कौतूहल, आत्म-विद्वाम, अधिकारात्मकता और मध्यमं भावना से सम्बद्ध आवंगों का उल्लेख करता है। इनके साथ यूथचारिता (युथेरियमनेम), दूनरा पर प्रभुत्व और दूसरों की अधीनता, सौन्दर्य भावना की तृप्ति, स्वहित, सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्य की भावना को वह अनियन्त्रित बारक बताता है।

मन्त्रपिट के मार्ग की टैक्नीकल बाधाओं में वह वहूत लम्बे-चौड़े प्रवर्तम वाले कार्य, एक ही बात की बार-बार दुहराने के बाम, शान्ति, बारखानों की बुरी अवस्थाएं जैसे दायपूर्ण सवालन (वेन्टोलेशन) या स्वच्छना, खतरा, शोर, दोषपूर्ण प्रवाप, व्यवन्या, धूल और कुहपता, गिनाना है। इनके साथ वह अथम की असनोपजनक अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाली बाधाओं, जैसे बाम के समय की दीर्घना, अन्यायपूर्ण मजदूरी प्रणाली, जलदी-जल्दी बाम बरना और दमनात्मक अनुशासन, और बारखाने से बाहर को असनोप जनक अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाली बाधाएं, जैसे रोजगार की और इमलिए जीविका की अनिदिवनना, जो बन के रहन-भहन की अस्वास्थ्यकर अवस्थाएं, कुपोषण, समाज में नीची स्थिति और हाय ये बाम बरने वाले मजदूर की परम्परागत हीनता भी जोड़ देता है। इन विद्या के क्षेत्र में आम तौर से 'अम ममस्य' बहने हैं। बारखानेदार के लिए यह स्पष्ट स्पष्ट में प्रबन्ध की समस्या है। अम अधिकारी यानी लेवर आफिमर को मालिक के प्रतिनिधि के स्पष्ट में उन अनेक विधियों का उपयोग बरना चाहिए, जो इस समस्या को मुल्क्याने के लिए ओटोगिक भनोविज्ञान ने निकाली हैं। इस प्रकार निवाली गई विधिया निम्नलिखित हैं —

(१) व्यावसायिक चुनाव — और बाम के लिए टीक आदमी का चुनाव।

(२) व्यावसायिक पय-प्रदर्शन — मजदूर का उचित पय-प्रदर्शन और स्थान-निर्धारण।

(३) व्यावसायिक प्रगतिशाली।

(४) उपयुक्त बायं-दण्ड बनाना और बायम रखना।

(५) मजदूरों को रोश झोर दुष्टेन्द्रज्ञान से रक्षा।

(६) तर्बंगन मजदूरी नीति — पर्याप्त मजदूरी निरिचित बरना।

(७) अधिक अच्छे ओटोगिक ममवन्य — ऐसे उपाय बरना जिनमें मजदूरों की इच्छाओं का आदर हो सके।

(८) साधारणतया मजदूर को एक सबीर्ज और अपर्याप्त जीवन से बाहर निकालने में मदद बरना।

ओद्योगिक मनोविज्ञान—मालिक के उपर्युक्त कार्य में कोई नयी चीज़ नहीं। एकमात्र नयी बात यही है कि अब वे एक ऐसे व्यक्ति के अवीन एकत्र वर दिये जाते हैं, जिसका ओद्योगिक मनोविज्ञान की शाखाओं के हृष में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियाँ पर अच्छा अधिकार है। ओद्योगिक मनोविज्ञान का यर्थ है मनोविज्ञान को उच्चोग पर लागू करना। मनोविज्ञान का शब्दार्थ है मन का विज्ञान, अर्थात् मन और उसके कार्यों के बारे में परिचुद और व्यवस्थित ज्ञान। परन्तु व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए प्रतीति (परमेश्वर), ध्यान, स्मृति, इच्छा और सकल्य आदि मानसिक प्रक्रमों का ज्ञान जीवित शरीर के कार्यीकीय (फिजिआलीजिकल) अव्ययन के बिना अदूरा है। इसलिए हमारे अव्ययन के प्रयोजन के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर और मन के निकट सम्बन्ध को अनुभव किया जाए, क्योंकि सत्र औद्योगिक प्रक्रम शारीरिक सचलनों से ही किये जाने हैं। उद्योग सामाजिक जीवन का वह हिस्सा है जिसका कार्य सम्युक्तप के जीवन के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुएँ प्रदान करना है। सारे समाज की दृष्टि से देखें तो उद्योग का लक्ष्य है अधिक से अधिक मितव्यों तरीके से वस्तुएँ प्राप्त करना। मनोविज्ञान इस लक्ष्य की सिद्धि का प्रथल करता है और ओद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। साधारणतया यह नहा जा सकता है कि ओद्योगिक मनोविज्ञान का तात्कालिक लक्ष्य यह है कि प्राकृतिक योग्यता के आधार पर ठीक दार्ये के लिए ठीक आदमी प्राप्त करने में मनोविज्ञान का उपयोग किया जाय। इसी प्रकार वाम की अच्छी विधियों का निर्माण करने में मानसीय ऊजा या प्रयास के बिसी व्यय से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने में और इसके बाद वितरण पर न्यूनतम खर्च करके, विज्ञापन और विक्री करने में मनोविज्ञान के उपयोग द्वारा ठीक काम के लिए ठीक जादमी तलाश किया जा सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओद्योगिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसका लक्ष्य मालिक की दृष्टि में लागत को बिना बढ़ाये, बल्कि यदि सम्भव हो तो इसे कम करके, उत्पादन बढ़ाना, और मजदूर की दृष्टि से एक निश्चित मात्रा पैदा करने या उसे और बढ़ाने में होने वाले प्रयास में कमी करना है। इसका एक परिणाम यह हुआ है कि हाल के बर्पों में धृति ने बारतानी में पाच दिन का संप्ताह वर दिया गया है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रमाणों से यह निश्चय हो गया कि इसका अर्थ है उत्पादन में बृद्धि और साथ ही माय मजदूर के सुख और सुविधाओं में बढ़ाती ही।

यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उद्योग म, मनोविज्ञान शास्त्री वे प्रभाव म, तथा उस "दक्षता व्यापारी" के प्रभाव म, जो ओद्योगिक कार्यों का सिफ़ उत्पादन बढ़ाने और इस प्रकार देशर होल्डरों वा नफा बढ़ाने की दृष्टि से अव्ययन करता है, भेद किया जाय। नि सन्देह मनोविज्ञान शास्त्री भी दक्षता म बृद्धि करना चाहता है परन्तु मुख्यतः मजदूर दृष्टिकोण से। यह सब से अग्रिम सम्भापित मनोवैज्ञानिक उत्पादनाओं में से है, कि सच्ची दक्षता मजदूर की सुख-सुविधा और कल्याण पर ही आधारित है। इसलिए ओद्योगिक मनोविज्ञान का दार्यन्वयण (स्पीडिंग अप) के साथ नहीं मिलाना चाहिए। वे एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। इनमें से पहली चीज़ वाढ़नीय

है, और पिछली विशेषज्ञता मजदूर के लिए बुरी है। वार्यवर्तण में सबलप को दोहरे प्रलोभन देवर, वार्यवर्ताओं को, दिये हुए समय में ऊर्जा की अविकल्प तर्फ़-गमन मात्रा से अधिक व्यय बरने वेळिए प्रेरित किया जाता है। दूसरों ओर, औद्योगिक मनोविज्ञान वरचाली को पटाहर या मजदूरों के गलत चुनाव, वाम की दोष-मूर्ख विधियों, औद्योगिक शान्ति आदि अदृश्यता के वारण उत्पन्न हानियों को दूर करके दृश्यता वृद्धि में सहायता करता है। इन तथा अन्य कमियों को दूर करने के लिए और इस प्रतार औद्योगिक दशना के वारण होने वाली वरचाली को कम करने के लिए औद्योगिक मनोविज्ञान वा उपरोक्त निम्नलिखित रीतियों में किया जाना है।

**ध्यावसायिक चुनाव—** कर्मचारिया सम्बन्धी आपश्यवताओं की पूनि के लिए मजदूर का चुनाव बरन में दो व्युत्तियाँ हैं। वार्य बरन पड़ते हैं (१) ममरण घोनों में लाभ उठाना और (२) ममाविन उच्चीदामा भा में उठाई बरना। मनुष्य-शक्ति प्राप्त बरने के लिए गमरण घोन घनंगान और भूतपूर्व वर्वंचारे, तथा गरवारी और निर्वी रोजगार दिलान वाले वार्याण्य, दिजापन, स्कूल और कालेज तथा आवधिमिद प्राप्ती हैं। वर्षोंका भारत में मजदूरों की मात्रा मदा प्रवृत्त रही है, इसलिए प्रत्येक उद्योग ने वंजानिर चुनाव की विधियों की ओर चिना ध्यान दिया गीत ही अपने मजदूर भर्तों किये हैं। वारसानेदार की निगाह में इन्होंने ही कार्य रहा है कि उपयुक्तम आदर्शी ही रखा जाय। मित्र उद्योग में नवी भर्ती अव भर्ती जोवरों के हाथ में है। इस प्रतार नियुक्त मजदूरों को अपनी तरखरी, तथा नावरी वर्ती स्थापिता के लिए जापरों की मद्भावना पर निर्भर रहता पड़ता है। मिर्क व्यदरी मजदूरों की भर्ती में, दिनेव बर बवर्द्ध और अहमदाबाद में कुछ धम अविकारियों के प्रयत्न में घोड़ा मुभार हुआ है। रोप बतों (एनाटेशन), तानों और बड़े मरवारी वारसानों के लिए मजदूरों की भर्ती ठोकरों और ओपरेशनरों के ढारा होती है, जिसमें बहुत भी बुरादमा पैदा होती है। ठोके दर वाम बरने वाले मजदूरों की अवधा और भर्ती बुरी है।

परन्तु पिछले कुछ वर्षों में वार्य वरिवर्तन हुआ है। जुलाई १९४५ में श्रम-मवान्य के आर्यन राष्ट्रीय रोजगार मेंदा (नेशनल इस्टर्न्सेट मर्किन) की स्थापना मजदूरों की भर्ती की विधियों को गुप्तालन की दिशा में पहला महादूर्घात बदल रहा है। शुरू इसकी इवाना भत्तपूर्व मैनिंगों थीर पदमुक्त युद्ध-वर्वंचारियों को किर में घमाने के लिए वर्ती गई थी, पर अब यह सब प्रवार के रोजगार तलाश बरने वालों की महाद्यना बरनी है। इस प्रवार की मेंदा वर्ती उपर्योगिता वर्ती आमतौर पर गमग में आ मर्ती है, वर्षोंकी इसने उपलब्ध मजदूरों के बारे में जिन्होंने अधिक जानतारा। मित्र भर्ती है उत्तरी विर्ती अद्वे वारसानेदार को नहीं मित्र भर्ती। इस नेंदा में, किंग मनुष्य-शक्ति ने यारे में बढ़ा विस्तृत जान हाना है, बहुत भारी, लान पहुँच रहा है, और मरवार, विभाग और निर्वी वारसानेदार इमका मनुष्य शक्ति वंके ऐसे ऐसे अद्व म अविकार-धिक उद्योग कर रहे हैं। इसमें एसेंसेट एसेंसेंसेंसे के वार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती

निगलित लालिका से पता चलता है कि रोजगार व्यवस्था के बाद से कितनी उपयोगी सेवा कर रहे हैं।

### रोजगार सेवा के आंकड़े<sup>1</sup>

अधिक	अधिक के अत में रोजगार द्वारा की सहाया	अधिक में नाम लिखने वाले की सहाया	अधिक में प्रायियो वो रोजगार दिलाया गया	अधिक में वितने प्रायियो के नाम मालिकों ने चाल रजिस्टर में दी गयी	इन व्यवसाय के अत में वितने साली स्थानों की सूचना दी गयी	अधिक में कितने साली स्थानों में वितने वाली स्थानों के बारे में बातचीत चल रही थी
१५ अगस्त १९४७ रो ३२ दिसम्बर १९४७ तक	७५	२०७८३८	६१७२९	२८७९	१७८९२	६८७५६
१९४८	१७९	८७०९०४	२,६०,०८८	३४३०	३८०८८५	५५१३२
१९४९	१०८	१०६६३५८	२५६०९	४४८३	३६२०११	२९१२२
१९५०	१२३	१२१०३४८	२३१११३	५५६६	५१९३०७	२८१८९
१९५१	१२६	१३१५३५८	४२६८५८	६३६४३४	२१७६६	२१७६६
१९५२	१३१	१४७६६३९	३५७८२८	६०२३	४२९५५२	२२८७३
१९५३	१२६	१४०८८००	५२२३६०	४३७०	२५६७०३	२०९१४
१९५४	१२८	१४५६५४९७	१,६२,४५१	५७५१	२३६८७५	२९२८५
१९५५	१३०	११८४८८३	१२४६०१	४८६७	२०३०९५	२९९१६

1. Source Indian Labour Gazette, 1955.

है। केन्द्रीय नरकार का कोई विभाग इनमें सानों स्थान को मोबाइल बरसी द्वारा तब तक नहीं भर सकता जब तक इम्प्लायमेंट एक्सेज यह प्रमाणित न कर दे कि उनके पास उम्मीदवारों के लिए हिनों उपयुक्त व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है। (तालिका पृष्ठ ५८२ पर)

निजी उद्योगों में रोजगार दफ्तर का उपयोग कम से कम १९५१ तक बहुत बढ़ गया, पर १९५१ के बाद सूचिन विद्ये जाने वाले सालों स्थानों की संख्या घटने लगी, यह तक कि १९५४ में यह २,३९,८३५ रह गये और जनवरी सिनम्बर १९५५ में २०३०९५ रह गये, जबकि १९५१ में यह सबमें अधिक अर्पण ४,८६,५३४ थी। रोजगार के लिए लिखाए गये नामों की संख्या बढ़नी गयी है। जबकि नियुक्तिया कम होनी गये हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि रोजगार की स्थिति, साझाकर निजी क्षेत्र में, विगड़नी गई। चालूरजिस्टर (Live Register) के आजीविका सम्बन्धी विश्लेषण में पना चलना है कि मिनम्बर १९५४ के अन्त में रोजगार तलाश करने वालों की कुल संख्या में २१.०% कम कार्य करने वाले लोग थे, १०.१% टैक्सोइल आदमी थे, ३.३% अध्यापक थे और ५१.१% अकुशल मजदूर और ६.५% अन्य लोग थे। अलग-अलग बगों में प्रजीविन प्रायेक सौ प्रायिया में से सिर्फ ५७ टैक्सोइल कार्य करे, १३ कर्मकार्य करे, ३४ एम्से कार्य करे जिनमें कुशलता की आवश्यकता नहीं और ५.२ अन्य प्रकार के कार्य करे। मिनम्बर १९५५ के अन्त में काम के लिए प्रारंभित-पत्र देने वालों की कुल संख्या में से ०.८ प्रतिशत औद्योगिक पर्यवेक्षण सेवाओं के लिए थे। ८.२ प्रतिशत कुशल और अपै-कुशल मजदूर थे, २९.४ प्रतिशत लिमिक मजदूर थे, ३.५ प्रतिशत अध्यापक ४९.१ अकुशल मजदूर थे और ९ प्रतिशत अन्य लोग थे। सब राज्यों से मिली रिपोर्टों से प्रकट होता है, कि सामुदायिक परियोजनाओं (Community projects) और राष्ट्रीय विभाग सेवाओं (National Extension Services) के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में वेरोजगारी बढ़ी है। प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तरों पर मजदूरों को इधर से उधर जाने में मुश्किल करने के लिए जो अवस्था की गयी थी, उसमें काफी सफलता हुई है।

**भेट (Interviews)**—इनमें भावी उम्मीदवार के रोजगार के लिए उपस्थित होने के बाद, रोजगार विभाग दूसरा कदम यह उठाना है कि उम्मीदवार को देखकर और उसके पास जो प्रमाणादात्र आदि हों, उनकी जाव बरते प्राप्ती के मामले का अन्दाजा बरते चुनाव करे। प्रत्येक भेट सफ्ट और मीडी रॉनि में बीं जानी चाहिए। यह बात दोनों पक्षों पर लागू होती है। भेट बहुत जल्दी में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हें लम्बी होनी चाहिए कि उम्मीदवार अपनी स्वाभाविक अवस्था में ही जाए, जिनमें वह अपने तथा अपने पुराने रोजगार के बारे में बातचीत करते अपना स्वाभाविक सुन प्रकट कर सके। वही बार इनमें उम्मीदवार का ठीक अन्दाजा बरतने के लिए एक और भेट आवश्यक होती है। भेट में यह जानकारी भी दी जानी चाहिए कि प्राप्ती ने क्या और किस कामने में काम करना है। भेट के बाद कार्यकारी को मण्डन में स्थान देने के लिए उम्मीदवार कुछ

मानविक और व्यापारिक परीक्षाएँ होती हैं। इस कार्य के लिए जो परीक्षाएँ उपयोगी मिछुदुई हैं, वे ये हैं । बुद्धि परीक्षा—जिसमें दुद्धि या पठन-पाठन की अभियोग्यता मार्गी जाती है, उम्मीदवार की विभिन्न वार्ता में रचन-अरचन जाचने के लिए जिभिरचि परीक्षा, बुद्धि में असम्बन्धित कोई जन्मजात योग्यताएँ नापने के उद्देश्य में की जाने याद। जिभिषोप्यता परीक्षा और घटकिन के मामाजिङ जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध, भावना सम्बन्धी प्रविष्टि आदि में सम्बन्ध रखने वाली व्यक्तित्व परीक्षाएँ जारी। मानविक परीक्षाएँ हाजारों के वाइ उम्मीदवार की धंधा परीक्षणे करनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए प्रार्थिमा का वार्तों के अनुमार बर्गबद्ध किया जाना है, और प्रत्येक कार्य में उनकी विशेषता, खुशर, शिक्षार्थी, और नीमित्तुजी के रूप में जन्म-बलग कोटि म रखा जाना है। नीमित्तुजा वह होता है जिसे वह कार्य विकल्प नहीं जाता। शिक्षार्थी वह है जो उस कार्य के कुछ मूल तत्व जानता है पर इतना कुशल नहीं है कि उस कोई महत्वपूर्ण काम मांग दिया जाय। कुशल कार्यकर्ता उस घन्थे को करने वाले लागा द्वारा किया जाने वाला प्राप्त प्रत्येक काम पूरा करने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञ उम घन्थे के किसी भी काम को अधिक शीघ्रता और विविक कुशलता में पूरा कर सकता है। ये धंधा परीक्षाएँ मीकिक प्रश्नों के रूप में, या कार्य करने के रूप में, वयसा दाना के रूप में हो सकती हैं। पर यह कह देना उचित होगा कि चुनाव में मनावैज्ञानिक विधियों और परीक्षाओं पर, जिनकी सूख्या बड़ी तेजी भवत रही है, और जिनमें अधिकतर की उपयोगिता मिलती है, वहाँ अधिक भरोसा न करना चाहिए। हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि वे सब विधिया निरपेक्षी हैं, परन्तु उन्हें चुनाव की समस्या का सर्वांगपूर्ण ढाल न समझना चाहिए।

यदि भट्ट तथा विविव परीक्षाओं के परिणाम-स्वरूप उम्मीदवार स्वीकृत हो जाय, तो उसे रोजगार देने में अगला बदम हाता विं उसे पूरी डाकटरी जाने के लिए फैक्टरी के डाक्टर के पास भेजा जाय। डाकटरी जाच से वारखानेदार और उम्मीदवार दोनों का लाभ है। उम्मीदवार को अपने घरोंर की वास्तविक अवस्था का पता चल जाता है और डाक्टर की मलाह उसे अपनी कमियों को दूर करने का भौका देती है। उसे अपनी शारीरिक दशाएँ बनुकूल काम मिछु मूलता हैं, और इस प्रकार कुछ ही दिनों में स्वास्थ्य नष्ट कर लेने के कानून वह वह एवं स्वस्थ मनुष्य के रूप में अपनी जीविका कमा नहींता है। वारखानेदार का यह लाभ हाता है विं घरीर से समर्थ लाग अपने उपयुक्त काम पर नियुक्त होते हैं। इसमें श्रमिक काम छोड़कर कम भागता है, उसके लिए समर्थ और असमर्थ प्रायिका को अलग-अलग कर लिया जाता है, जिनके परिणामस्वरूप फैक्टरी में ऐसे अवस्था मजदूरों का जमाव हो जाता है जिनमें प्रबन्ध के प्रति भूमावना हो जाती है। प्रार्थी के मामारण घरीर की परीक्षा करना, चाहिए और द्रिष्टिनामें नाट कर ऐनो चाहिए। कमनी को बाल के महान में बचाने के लिए उनका इन्टिं उपयोगित का परीक्षा करनी चाहिए। यदि उम्मीदवार मुह में भास लेता है तो उसे गृहा जगह रखना चाहिए जहाँ थूल न हो। हृदय के रागों, और तपेदिक, पूरिसी

ब्रोन्काइटिम और दमे के लिए उमसीं छाती को जाच करनी चाहिए। निचले अगा की, विशेषकर मारी काम करने में पूरी तरह परीक्षा करनी चाहिए। चपट पांवों और मल्ट लाडों की विशेष स्वर में जाच करना चाहिए। चपटा पाव अवधिक शान्ति का एक कारा हाना है जार इसलिए चपटे पाव बांड व्यक्ति का एक काम देना चाहिए जो बैठकर किया जा सके। जाच के बाद उन्होंने परिणाम उम्मीदवार का बना देन चाहिए और उसे यह सलाह दें दिन: चाहिए कि कान-कान में काम उनके लिए सुरक्षित है, और उसे प्रत्यन स्वास्थ्य के लिए कदा-कदा कह मउडान चाहिए।

**व्यावसायिक पय-प्रदर्शन—** किनी कार्य के लिए टोक आइमियो का चुनाव देख कार्यकर्ताओं की प्राप्ति की दिग्गज म पहला कदम है। नौकरी म रख लेने के बाद नये आइमी का काम भोजने के मामले म नम्रता और समझदारी से काम लेना चाहिए। उसे यह निश्चय करने म सहायता और पयप्रदर्शन की आवश्यकता है कि उसके भाग्यने जितने काम है, उनमें से किसको वह अच्छी तरह कर मङ्गता है। इसके लिए आवश्यक है कि नये आइमियो को उनकी योग्यताओं और प्रवृत्तियों के अनुमार ऐसे टग से बाट दिया जाए, जिसमें प्रयोजन व्यक्ति अपनी सबमें अधिक दिल्लिस्पी के काम में पहुँच जाए। व्यावसायिक पयप्रदर्शन का आधारभूत विचार यह है कि नवयुवक कार्यकर्ता को उसके काम के चुनाव के बारे में विशेषज्ञ की मलाह मिल सके। यदि इन सफर्ता-पूर्वक लागू न किया गया तो उसके दुष्परिणाम बड़े महत्वपूर्ण होंगे। औद्योगिक असान्ति तभी पैदा होती है जब व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुमार पढ़ो पर नियुक्त नहीं किया जाता। अर्चिकर और अनुपयुक्त काम में अपना जीवन बिनाने में मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावसायिक पय-प्रदर्शन सामाजिक शान्ति कायम रखने में महत्वपूर्ण योग देना है। व्यावसायिक चुनाव और पय-प्रदर्शन को लागू करने से औद्योगिक शान्ति कम हो जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है, शक्तिका का पलायन (टन-ओवर) घट जाता है और औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या कम हो जाती है।

आधुनिक उद्योग इस बाने के महत्व को अधिकाधिक समझ रहा है कि प्रयोजन कार्य पर उम व्यक्ति को रखा जाय जो न बेबल उन कार्य को कर सकता हो, बन्क उसकी प्रहृति भी उन कार्य के अनुकूल हो। कार्यकर्ताओं के स्थान निश्चिन करने में तभी सफलता हो भवती है, जब प्रयोजन व्यक्ति को ऐसे काम पर रखा जाय जिसे करने की क्षमता उनमें विद्यमान है, और वह कार्य करने की दर्जन और विशिष्ट प्रणिति उने दी जाय। अगर वह कार्य उसकी क्षमता स अधिक बढ़िए है, या उसे पर्याप्त प्रणिति नहीं मिली, तो इसका परिणाम होता है विक्रम, कम उत्पादन और कार्यकर्ता या मरीन को हानि पहुँचाने की सम्भावना। अगर काम बहुत आनंद है तो उनमें आइमी उत्तम जाना है। उमड़ा मन इधर-उधर पूमजा है और वह दिकाम्बन देखता है और इसके साथ उसके हृदय में अनन्योप बना रहता है। मनुष्य का सबमें यदा जनू-कूलन और सन्तुष्टि तब होतो है, जब उने अपनी मारी शक्ति, उत्पाह और योग्यता के

निकलने का रास्ता मिल जाए। अगर उसके कार्य के लिए उन योग्यताओं की आवश्यकता हो जो उसमें नहीं है और जिनका वह विकास नहीं कर सकता तो वह सदा असफलता की निराशा अनुभव करता रहता है। इसके विपरीत, यदि उस कार्य से उसकी योग्यता का दोड़ा सा अश व्यय होता हो तो वह आत्माभिव्यक्ति के और साथन निवाल लेता है, जो अनुचित आलोचना या किसी मानसिक रोग का रूप ले लेते हैं। प्रत्येक पद पर ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो उस पद को चाहता हो और जो यह समझता हो कि मैं और जो पद पा सकता हूँ उसमें यहाँ अधिक अच्छी अवस्था मैं हूँ। वेमीज़ और असन्तुष्ट लोग बोझ होते हैं। प्रत्येक पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना अधिक अच्छा है, जो उस पद के लिए योग्य मात्र हो। ऐसे व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करना उचित नहीं जिसे अधिक अच्छे पद पर नियुक्त करना होगा। परन्तु रोजगार का प्रक्रम पद पर नियुक्त करने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। कार्यकर्ता के कार्य को देखते रहना और उसकी प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। विशेष रूप से नये कार्यकर्ता द्वारा किये गये कार्य की श्रेष्ठता, विगड़ी हुई चीज़ों की मात्रा और भूलों की, जिनके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ हो, जाच करना लाभदायक है। यह जाच लगभग एक महीने जारी रखनी चाहिए, और यदि इतने समय बाद कार्यकर्ता का काम सन्तोषजनक मालूम हो तो उसे पेक्षा कर देना चाहिए। इसके बाद उसकी सेवा का नियमित अभिलेख रखना चाहिए। इसमें विभिन्न परीक्षाओं का परिणाम, दैनिक प्रगति, उसकी मासिक उपस्थिति, और उसके वेतनक्रम, पदोन्तति आदि का उल्लेख होना चाहिए।

**व्यावसायिक प्रशिक्षण—प्रशिक्षण मुख्यबन्ध का मूलाधार यह है कि कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित किया जाय।** तभी वे अपना-अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। चाहे आपने कितनी ही सावधानी से आदमियों का चुनाव किया हो या उनमें अपने अपने काम के लिए कितनी ही योग्यता हो, पर यदि उन्हे सन्तोषजनक रीति से अपना कार्य पूरा करना है तो वाकायदा प्रशिक्षण आवश्यक है। नये कार्यकर्ताओं को शुरू से सही दृग से काम करने की शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा उपाय भी होना चाहिए कि नई विधियों का विकास होने पर वे पुराने कर्मचारियों को सिलाई जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रबन्ध को अपनी नीतियों को सावधानी और स्पष्टता से समझने का मौका मिलता है। कर्मचारियों की छोटी-छोटी शिकायतों के द्वारण पैदा हुई गलत धारणाओं के स्थान पर सीधी, सही, जानवारी प्राप्त होनी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि भजदूरों वे पलायन में जमी हो जानी है, काम कम खराब होता है, सामान और उपस्कर वो कम हानि पहुँचनी है और शेषटक्का तथा मालार, म. मुश्हर, ही जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सद्भावना, पैदा हो जाती है, और अन्तिम विश्लेषण किया जाय तो यह अनुभव होता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबन्ध के रूप का परिचायक होता है।

प्रशिक्षण की ये चार विधिया बहुत अधिक प्रचलित हुई हैं—(१) कार्य-

वरने समय प्रशिक्षण, (२) प्रशिक्षण बेन्द्र में प्रशिक्षण, (३) अनुभवी कार्यकर्ता द्वारा प्रशिक्षण और (४) पर्यंवक्षण द्वारा प्रशिक्षण। जब कर्मचारियों को कार्यकरने समय प्रशिक्षित किया जाना है, तब उन्हें वास्तविक उत्पादन की अवस्थाओं और आवश्यकताओं का अनुभव होता है। इनमें प्रशिक्षण काल के बाद के प्रशिक्षण विद्यालय या बेन्द्र को अवस्थाओं में वास्तविक अवस्थाओं के उत्पादन का सामजिक वरने से बच जाते हैं। इसके जलाशा, प्रशिक्षार्थी अपने प्रतिदिन के कार्य में लागू होने हुए नियम, कार्यविधिया आदि, आमानं न नीख लेता है। प्रबन्ध प्रशिक्षार्थी की योग्यता का अन्वज्ञा कर सकता है। प्रशिक्षण विद्यालय या बेन्द्र भरकार द्वारा या अन्य राजकीय सम्प्रभाओं द्वारा भावी कार्यकर्ताओं का विशिष्ट धन्यों के प्रशिक्षण देने के लिए खोले जाने हैं। प्रशिक्षण अनुभवी माध्यी कार्यकर्ताओं द्वारा भी दिया जा सकता है। इस तरह का प्रशिक्षण वहा विशेष स्पष्ट ने टीक रहता है जहा अनुभवी कार्यकर्ताओं को सहायकों की आवश्यकता है। यह उन विभागों में भी टीक रहता है, जिनमें कार्यों की एक थेणों को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को एक के बाद दूसरे कार्यालय (जौव) पर जाना पड़ता है। पर्यंवेशण द्वारा प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थीयों को अपने अफसरों में परिचिन होने का मीका मिल जाना है और पर्यंवेशकों को कार्यालय की पूर्णी की दृष्टि से प्रशिक्षार्थीयों की योग्यता की जांच वरने का अच्छा मौका मिलता है। एंट्रेटिम ट्रैनिंग या प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण का लक्ष्य मव कार्यों में कुशल कर्त्तव्यर बनाना है। प्रशिक्षार्थी-प्रशिक्षण का मुख्य भाग अपने स्थान पर उत्पादक कार्य करते हुए प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को पूर्व निर्धारित समयप्रम में अनुभार एक कार्यक्रम दे दिया जाता है। मतुक्रित कार्यक्रम से उमे धन्ये का दश प्रशिक्षण मिल जाता है और प्रशिक्षार्थीयों को एक दिनमेवार कार्यकर्ता और दूसरे बाद मुपरवाइजर (पर्यंवेशक) बनने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए काफी समय मिल जाता है।

आजकल शिलिंग तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्याओं को और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बासी ध्यान दिया जा रहा है। भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निरक्षरता प्राय मर्दन विद्यमान है, परन्तु हाल में कुछ भूमिकाएँ लियी और बारतीयों ने प्रायस्मक शिक्षा का प्रबन्ध किया और स्वतन्त्रता के बाद से प्रौढ़ शिक्षा की ओर साझरों का ध्यान खींचा है। यद्यपि कुछ बारतीयों द्वारा और राष्ट्रवेद बहुमात्रों में कुशल बासी के लिए प्रशिक्षार्थीयों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है परन्तु भारत-द्वारा पैमाने पर बनाई गई प्रशिक्षण की एकमात्र समन्वित योजना वह है जिसका मूलपात्र यम भवालय ने पुनर्जीवि और गोजगार के महानिदेशक के आधीन किया है। इसरे अन्यथा, देश में विशेष स्पष्ट में उद्योगों के लिए मजबूरों को प्रशिक्षित करने तथा पुराने मजबूरों को पुन शिक्षा (रिफ्रेशर कोर्स) देने के बास्ते शिलिंग विद्यालयों की यहून बही है।

शिक्षा मशालय द्वारा किये गये एक नवेंशण के जनमार १९५० में भारत में ११२ इंजीनियरिंग और प्रोटोगिक संस्थाएँ थीं, जिनमें विभिन्न स्तरों, अर्थात् डिग्री

डिलोमा और स्नातकोत्तर पढ़ाई के गिलिप्प प्रशिक्षण की मुविधा थी। इन संस्थाओं में इम सभी इंजीनियरिंग विषयों के लिए ७३०० तथा प्रौद्योगिक विषयों के लिए लगभग १७०० छान प्रति वर्ष भरती होते हैं, और करीब ३००० इंजीनियर और लगभग ७८० प्रौद्योगिक (टेक्नोलॉजिस्ट) पढ़कर निकलते हैं। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में कौनी-विद्यालयपुर मनिकाला वरे प्रशिक्षित बनने के उद्देश्य से एक पेन्ड्रीय संस्था स्थापित की गई थी जो अच्छी प्रगति बर रही है। इस संस्था में पेन्ड्रीय और राज्य सरकारा, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा कारखाना के भेजे हुए व्यक्तियों तथा सीधे प्रायंनापन देने वाले व्यक्तियों को प्रविष्ट किया जाता है। गिलिप्प शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद ने दश म चार प्रायंनिय जैसे दर्जे की प्रौद्योगिक संस्थाएँ स्थापित बनने की मिकोरिका की थी, जिनमें में प्रत्येक दो हजार पूर्व-स्नातकों (वन्डर-ग्रेजेट) और एक हजार स्नातकोत्तर विद्यायियों की इंजीनियरिंग और टेक्नोलोजी की विविध शाखाओं का प्रशिक्षण दे सके। इन चार संस्थानों में से एक, अर्थात् इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, खटगपुर में बनाई जा चुकी है। कारखाने अपने निजी प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं के अलावा एम्प्लायमेण्ट एक्मेचजों की मारफत भी बुशल कर्म-चारी और शिल्पी प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम (जॉब) की परिभाषा और मूल्यांकन—जब तक हमने कर्मचारी नियुक्त करने के प्रनम में उम्मीदवार को कार्यक्रम ठोक म जमाने के लिए उनके अध्ययन और प्रशिक्षण की ही आर घ्यान दिया है। परन्तु कार्यभार (टास्क) के लिए उपयुक्त व्यक्ति छाने हुए यह जानना परमावश्यक है कि जो पद भरना है, वह क्या है। प्रत्येक काम या उम्मेद उपविभाग का, प्रनार्हाइन 'ट्रेन सेसिन्हिंसना' के आधार पर कोई अमिक्ष नाम हाना चाहिए। इनमें गडवडी नहीं होगा। क्योंकि राजगार भेदा अधिकारिक लाक्रिय होता जा रही है, इन्हीं प्रमाप नामों का एक नियमित शब्द-काय तंदार किया जाना चाहिए। इसके बिना यह गुजाइन है कि मैनेजिंग ड्राप्टमेन्ट का मध्योन डिजाइनम के काम पर भर दिया जाय, या किटर दयवा एम्बेलर को एक अवृक्ष भर्मानिरट की चाह रख दिया जाए, इत्यादि। कार्यालयों का परिभाषाएँ नैदार बरने के बाद, वग्या ददम यह है कि कार्यालय का विकासय किया जाय और इष्ट बिटेन्या के जावार पर काम के म्ददर के विदरण का खाना, तथा करवार को जिन जवस्थानों में काम बरना होगा उनकी स्पष्टेवा, तैयार की जाय। इसके बाद कार्यालय के भू-पात्रन का नम्बर बाना है। प्रत्येक कार्यालय का आपेक्षित मूल्य निकालने के लिए विशिष्ट याजनाबद गणित के अनुमार कार्यालय के नियारण की कार्यालय मूल्यांकन बहुत है। कार्यालय के भू-पात्रन के गिदाल सब प्रदार के कर्मचारियों, कार्यवर्त्ती तथा प्रबन्ध विकासियों पर लागू रिय जा सकते हैं। बे छो-बड मध तरह के कारवारा पर लागू रिय जा सकते हैं। कार्यालय भू-पात्रन का एकमात्र प्रदानन यह है कि किं दुई नैदार गर्ने गर्ने एवं एक दोनों ने विनाशित रिय जा रहे कि सब करवारिया के गिए उनकी जापक्षिक बित्तना के अनुमार ज्ञर बेतन मिले। उदाहरण

के लिए, एक मशीनिस्ट और एक एलेस्ट्रोगेनियन के बार्यं नर्वया भिन्न प्रकार हो सकते हैं। अगर उनमें एक ही बठिनाइ हो और एक में ही कार्डाश, प्रदाता और बुद्धि की आवश्यकता हो तो दोनों को एक ही दर से अदायी की जायगी। बायोस मूल्याक्षरन में अनेक तरह से लाभ होता है और बायोस मूल्याक्षरन की योजना चलनी हीने पर दरों में बनागति कम हो जाती है, और मजदूरों का सारा डाचा एकीकृत हो जाता है। नाल्न और टोम्सन के अनुनार<sup>१</sup> 'बायोस मूल्याक्षरन वे बहुत वे बुशाइ दूर करने में उपयोगी होता है जो प्रथम गत मजदूर, और बनते की, पढ़नीया में पैदा हो जाती है। ये नियन्त्रित हैं—(१) उन व्यक्तियों को जोनी मजदूरिया और बेतन देना जो एक पश्च परहै जिन पर विद्युत कोशल, प्रबाल और जिम्मेदारी की आवश्यकता नहीं होती, (२) कम बार्यं कर्त्ता को उनके बास की तुलना में कम धन देना, (३) एक व्यक्तियों दा तरखरे देना जो उनके पात्र नहीं, (४) बेतन दर और बेतन बुद्धि योगदानों के दायाप वर्तित्वा (मॉनियार्ट्ट्वा) के आधार पर निश्चित करना, (५) एक जैने प्रथा निहाउ-नवदृ कार्यालयों या पश्च के लिए बहुत अवगत्यलग मजदूरी देना, (६) मूल्यवास लिम, धनं या राजनीतिक विभिन्नताओं के कारण जसमान मजदूरी और बेतन देना।

**गुग-नियर्वाण (मैट्रिट-रेट्टिंग)**—गुगनियर्वाण किनी कर्मचारी के सुपरवाइजर या अन्य अहंकार्यक व्यक्तिन द्वारा, जो कर्मचारी की कार्य-कूलि ने परिचित है, उसके अवश्यकता मूल्याक्षरन या करते हैं। दूसरे शब्द में यह पहली ही जिसमें कर्मचारियों की कार्यकारण डॉक्टर का यत्न दिया जाता है। वे जो कार्य करते हैं, उनकी दूसरी दूसरी ने उनके व्यक्तिनाव की आपेक्षित थेल्डन का पता लगाने की यह एक रीति है, जिसके कार्यालय मूल्याक्षरन स्वयं कार्यालय का विस्तैषण है, जिसमें यह पक्ष लगाया जाता है कि जो व्यक्तिन इस कार्य का दरे, उनके कोन-काल में, किसी रक्ताएं होती चाहिए, जिसके दरे कार्यकारण में अन्य कार्यालयों की तुलना में इनकी आपेक्षित अहंता बढ़ा है। गुग-नियर्वाण में, किस जात याते कार्यालयों तथा उन्हें करने में यत्न-धीर व्यक्तियों के पारे में अधिक जानकारी हो जाती है। जिन कर्मचारियों का गुग-नियर्वाण किया जाता है वे नियर्वाण कार्यक्रम की प्रतिमोरिगता की, भावना में स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार बच्छा कार्य करने के लिए एक और प्रेरणा हो जाती है। उन लोगों का भी, जिनके उत्तराद्वारा प्रभाप तक नहीं पहुँचते, यह जल जाना है और उन्हें बड़ल दिया जाना है। निश्चित प्रभाप के रूप में कर्मचारियों के मूल्याक्षरन और तुलना में विनोद योग्यता काले व्यक्तिन प्रवाल में आते हैं। इसमें प्रशासनी और तथावले के लिए चुनाव में मुद्रित होती है।

### पदोन्नति और स्थानान्तरण (Promotions and Transfers)

पदोन्नति और नियुक्ति का आवार्यमूल निदान, जिसे प्रयोग मालिक को घ्यन में रखा चाहिए यह है कि जितना धन दृष्ट यवं परना चाहता है, उन्ने में

बापस ले ले, इत्यादि। पर दूसरा मानवीय पहलू भी है और वह यह कि कर्मचारी प्रबन्धक या उसका सहायक उस कर्मचारी से सीधे मिले। बुछ ही समय पूर्व, कर्मचारियों को एक दिन के नोटिस पर या विना ही नोटिस दिये निवाल दिया जा सकता था, और मालिक उस व्यक्ति की सुरक्षा नष्ट हो जाने से, उसे होने वाली क्षति या फैक्टरी के अन्य कर्मचारियों के हीसले या समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की कोई परवाह न करता था। परन्तु आजकल कर्मचारियों सम्बन्धी नीति होने के कारण, प्राय अनुचित वरखास्तगी नहीं हो पाती। कर्मचारी प्रबन्धक यह देखता है कि कर्मचारी की अनुचित वरखास्तगी न हो सके, और उसे हटाने से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित भौत्का दिया जाए। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जाने वाला कर्मचारी यह अनुभव करे कि मेरे माथ न्याय हुआ है। वह यह अनुभव करे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, और उसके पुराने साधिया म कोई ऐसा असन्तोष न हो जिसे के अनुचित समझते हैं। दूसरी ओर सम्भव है कि कर्मचारी वाम की दशाओं या अनुचित व्यवहार के कारण असन्तुष्ट होकर अथवा विवाह करने के लिए उस जिले में दाहर छले जाने के कारण, या विनी अन्य उचित कारण से वाम छाड रहा हो। जहा किसी कार्यकर्ता के वाम छोड जाने से असन्तोष व्यनित होता है, वहा कर्मचारी अक्सर को यह देखना चाहिए कि सगटन या पर्यवेक्षण की कमी दूर हो जाए और अगर सम्भव हो तो अच्छा कर्मचारी वाम छोड़कर न जाए।

अनुबन्ध (कन्ट्रैक्ट) के पूरा हो जाने के कारण या अन्य वाहरी आर्थिक परिस्थितियों के कारण कायवत्ताओं का अतिरेक हो जाना सम्भव है, और उस समय प्राय सब से बाद म वाम पर लगे कर्मचारियों की छटनी आवश्यक हो जाती है। यदि यह छटनी बड़े पैमान पर होती है तो विस्तृत वार्षों की पहले ही साक्षात्कार से योजना बनाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष अवस्था म कर्मचारियों को पर्याप्त दिनों का नोटिस या नोटिस के बदले म बेतन दे दिया जाना चाहिए जिससे उन्ह दूसरा रोजगार तलाश करने का भौत्का मिल सके। कारखाने के प्रमुख कर्मचारियों (फोरमेनो या हेड औवरो) को बुलाकर शुरू में ही सेवामुक्ति के कारण समझा देने चाहिए। साधारणतया “पीछे आये पहले जाए” के मिठान्त पर अपल होना चाहिए।

अशिष्ट आचरण के कारण वरखास्तगी सदा विनी निश्चित साध्य के आधार पर होती चाहिए, जाहे यह नियमों का भग हो, या दो कर्मचारियों में झगड़ा हो। कर्मचारी प्रबन्धक को कार्यमुक्त करने का बादश देने से पहले मामले की जाच अवश्य करनी चाहिए। कर्मचारी का अपना पक्ष पेंज करने दा वाकी भौत्का मिलना चाहिए। बड़े भावना प्रधान-मामलों म, जिनमें शराद पीने की वस्त्वा भी है, घटना वाले दिन ही फैसला करने की अपेक्षा जाले दिन तक प्रतीक्षा करना आधिकारिक अच्छा है। जो लोग घटना दा दिवरण दर्गे, वे ठड़े, गान्त और स्वस्थ-चित्त होने पर जो विस्ता व्याप्त करेंगे, वह विश्वव्य चित्तना मे समय वाले विस्ते मे सर्वथा भिन्न होगा।

असन्तोषजनक वाम के कारण तब कर्मचारी को वरखास्त करना पड़ता है,

जब किसी विभाग में उमड़ी शिक्षायने प्राप्त हों। इस तरह के मामलों में बर्मचारी अस्मर प्राप्त उम आदमी को बुलावार उसपे यह कहता है कि तुम्हारा काम बहुत दिनों से अमनोपचार है और तुम्हें कई बार चेतावनी दी गई, फिर भी काम में कोई सुधार नहीं हुआ, और अन ज यह अनुभव किया गया है कि तुम्हें कार्यमुक्त कर दिया जाय। पर यदि बर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर और कुछ तथ्यों को गलत बताये तो जिस व्यक्ति ने आराम लगाये हैं, उमें बर्मचारी के सामने वे आगे दृढ़गते चाहिए। दोनों ओर के तथ्य सुनकर अनिम निर्णय करना बर्मचारी प्रबन्धक का काम है। परन्तु बर्मचारी में यह भवता लेना अधिक अच्छा है कि उपत्रा कार्य अमनोपचार कर हो और क्योंकि उमने काई सुधार नहीं किया, इमलिए उम कार्यमुक्त कर देना सर्वथा न्यायमगत है। जिस व्यक्ति का कार्यमुक्त करना हो उमें नाटिम बाल म कार्य करने के लिए कह कर अपने तथा और सबसे लिए परेशानी पैदा करने की जगह उमें नाटिम बाल का वेनन दे देना अधिक अच्छा है। परन्तु जब यह सम्बन्ध समाप्त होना होता है तो उमे मिश्रनागूण टग से कार्यमुक्त करने की कानिगत करनी चाहिए। उमने प्रति विद्वेष, स्वयंपन या कठारता दिखाने की आवश्यकता नहीं। यदि उमें एक कामकाज में समझा नहीं हुई तो इसका यह अर्थ नहीं कि उमें अगदी कष्टनी में खूब सफलता नहीं होती, बल्कि और जगह उपयुक्त काम प्राप्त करने में उमड़ी भद्र करनी चाहिए।

### श्रमदलता (Labour Efficiency)

जिस बम्पनी की कीमतें बहुत ऊँची होती हैं, उमें या तो कीमतें बम करने होती हैं और या यात्रावार न मिलने में कारबार छोड़ना होता है। कीमतें कम करने का अर्थ लागत में कमी करना है। इस 'उद्देश्य' की निर्दिश मजदूरों की दशना दशने के द्वारा प्राप्त सबसे अधिक प्रभावी रूपी में होती है। अभिप्राप्त यह है कि यदि किसी व्यक्ति को इस तरह काम करने में प्रशिक्षित किया जाए कि सभी या नहि का अपव्यय न हो, तो वह उनने ही या उमने बम समय में परिश्रान्ति में बूढ़ि होए रिता अधिक और अच्छा काम कर सकता है, वह अधिक दम है। पर यह विवार करने में पहुँच कि मजदूरों को दशना बूढ़ि में लागत में कमी करो और कमें हो मात्री, हम पहुँचे दशता का अर्थ और इसकी माप तय कर लें।

प्राप्त दशना या प्रयोग बस्तु की लागत का टिकाव दिना लगाए उमड़ी मात्रा या बदलावी बनाने के लिए किया जाता है। पूरा दशना का प्रयोग कमी-अभी मानवीय जीविति के किसी महत्व (Inherent) गुण को बनाने के लिए किया जाता है, पर कारबार में दशना उम सम्बन्ध को बहते हैं जो बस्तु का लागत में होता है। इसलिए इस अर्थ में दशना किसी निवित्त प्रभाव लागत पर खाने होने वाली बस्तु की मात्रा और बदलावी को बनाती है। "दिनकूल दयार्थ रूप में कहे", प्रोत्सर पर्याप्त बहते हैं, "तो दशना बस्तु उन्नादन की लागत के अधिक या कम होने के अनुमार अधिक या कम वही जानी है, और क्योंकि इस अनुमान म हर (denominator) भी उमना ही बदल दशना है, दशना अन (Numerator), इसलिए दशना दम लागत को भी प्रणाल बर मत्ती है, जिस पर कोई उन्नादन का दिया हुआ प्रनाल प्राप्त

हुआ पर दक्षता बढ़ाने की इस उल्टी विवि को हम मिन्यूयिना (Economy) कहते हैं। तो भी मूलत दोनों का एक ही जर्य है। दक्षता उसी लामन पर बस्तु को बढ़ा देनी है, और मित्र्ययिता उसी बस्तु के लिए लागत कम कर देनी है। यदि लागत ऊची हो गयी हो, और उत्पादन में उतनी ही वृद्धि न हुई हो तो यह अपव्यय (waste) और यदि बस्तु में कमी हो गयी है, और लागत में उसके अनुरूप कमी नहीं हुई तो यह हानि (loss) है। अपव्यय और हानिया दोनों ही अनुत्पादक परिव्यय और दक्षता का रूप हैं।

किसी व्यवसाय उपकरण में उत्पादन के किसी भी कारख पर आगत पट सकतो है। पर यह हमे उन लागतों में, जो मुख्यत सारे कारखार पर पड़ती हैं, जर्यान् जो प्राय धन के रूप में मापी जा सकती है, और उम लागत में, जो जबले मानवीय बारक पर पड़ती है,—वह कभी-कभी धन के स्पष्ट में मापी जा सकती है पर जब नहीं मापी जा सकती तब भी यह वास्तविक ही होती है—अन्वर करने की जावश्यकता है। मापे जा सकने वाले मानवीय परिव्ययों में धक्कान और उनके के सबेदन हैं, औद्योगिक और दुर्घटना, गोग या अधिपेट भोजन से होने वाले शारीरिक कष्ट, दुर्घटना के भय से परेशानी तथा हमारी आर्थिक अग्रुखा आदि के सबेदन हैं, जिनका पहल उल्लेख किया जा चुका है। धन के स्पष्ट में मापे जा सकने योग्य परिव्यय अनुपस्थिति के कारण, और जहा स्पष्ट मजदूरी (Wages) दी जाती है, वहा न्यून या त्रुटिपूर्ण उत्पादन से कमाई में होने वाली कमी, और टर्न लोकर यानी प्रतिस्थापन (काम छोटकर जाने वाले भजदूरा के स्थान पर नये भजदूर रखना), ले बाक यानी अस्थायी बरकास्तगी या छटनी के कारण होने वाली धेरोजगारी के दिनों वी कमाई की हानि और दुर्घटनाओं तथा रोग के इलाज में किया जान वाला वास्तविक व्यय होता है। मजदूरी के प्रतिस्थापन, गैरहाजिरी, न्यून और त्रुटिपूर्ण उत्पादन दुर्घटना और रोग के कारण, धन के स्पष्ट में दक्षता की लागत स्पष्ट होती है। पर सब थमिन द्वानिया में होने वाले इम परिव्ययों में दो तरहों का उल्लेख करना उचित हाना। इनमें एक तो उस 'मरम्मत' (Repair) के व्यय है, जो मनुष्य की जगह दूनर मनुष्य रखने या उनकी उत्पादकता पुन स्थापित करन म होता है, और दूसरे वे व्यय हैं जो प्रति दो हुई बस्तु पर अविक प्रभार (मुख्यत उपरिव्यय) होते हैं, जो तब तब जारी रहते, जब तब आदमी पूरी तरह बदल नहीं दिये जान या पुन स्थापित नहीं कर दिय जाते। परिव्यय के ये दो अवयव—मरम्मत और प्रतिस्थित प्रभार—एक चिह्नित तरीक म एक दूसरे में सम्बन्धित हैं। कुल परिव्यय, प्रत्यक्ष परिव्यय थम और मामान और पराम व्यय—उपरिव्यय—से बना होता है, और यदि मरम्मन वा अवयव म व्यय निश्चिन कर दिया जाए, तो अतिरिक्त उपरिव्यय का खर्च जनत म कुर परिव्यय म वृद्धि कर दगा। उदाहरण दे लिए, यदि उत्पादन का बहुत भा हिस्मा खराब हो जाए और मजदूर का अधिक अच्छे काम की शिक्षा देने के लिए कोई यत्न न किया जाए तो प्रगिक्षण और परवर्जन का परिव्यय तो अवश्य बच गया होगा, पर जो बस्तु नष्ट हो गई है, उसम लग हुए सामान और

थम वे अनिरिक्त प्रभार वा व्यय और नुस्खा बन्तु बताने में लो हृषि माज़-नामान वा अनिरिक्त उपरिव्यय तो सचें में जा ही गया हांग। पुन, यदि अनुरन्धि वा अनि-उन रखा जाए, और साली जगह को पूर्ण के लिए शाई नक्षि ( Reserve ) भरने पान न हा तो युट प्रभार व्यय दब जाने ह। पर बचार माज़-नामान ने उपरिव्यय की हानि दहून बढ़ जाएगी। दहून म उपरिव्यय मिर होत ह ताह बन्तु को मात्रा किन्ती भी हा जिसका मनलव यह हृषि कि जिन्हा कन उन्हाइन हांग उपरिव्यय वा बाज़ बन्तु पर उन्हा ही जधिक पड़गा। यदि अदझना परिव्यय का साम बर दिया जाए, और उनके कारण दूर बर दिय जाय तो थम की दाना बढ़ जाएगी जिसके परिणामस्वरूप परिव्यय कम हा जायग और लाभ बढ़ जायग। आइए इन पर छाठ स उद्घारणों की सहायता भ विचार किया जाए।

माटे तोर न कह नो परिव्यय म भामान थम और उपरिव्यय जाने हैं। मान लीजिए कि उपरिव्यय कुठ रप्पे प्रति घाटा है अर्थात् यदि ८ रप्पे प्रतिदिन प्रति मजदूर उपरिव्यय का ८ घण्टे में बाट दिया जाए तो प्रति घाटा उपरिव्यय १ रप्पा है यह सोमो बात है। मान लीजिए कि यह प्रति घाटा उपरिव्यय नियर है। मान लीजिए कि दिनी एवं मजदूर वा उन्हाइन ८ इकाई प्रति घाटा है उन एक रप्पा प्रति घण्टा दिया जाता है और भामान पर ४ जाना प्रति इकाई परिव्यय जाता है तो प्रति इकाई कुल परिव्यय यह है :

र० आ० पा०

भामान

०—४—०

थम (एव रप्पे पर ८ इकाई )

०—०—०

उपरिव्यय (एव रप्पे पर ८ इकाई)

०—०—०

प्रति इकाई परिव्यय

०—८—०

यदि मजदूर की दाना सो प्रतिघण्टा वा जाए, तो वह एव रप्पे में ८ के बजाए १६ इकाई निकालना है। उसने फर्म का परिव्यय एव जाना प्रति इकाई रह गया।

र० आ० पा०

भामान

०—४—०

थम (एव रप्पे १६ इकाई) ..

०—१—०

उपरिव्यय (एव रप्पे पर १६ इकाई) ...

०—१—०

प्रति इकाई परिव्यय

०—६—०

यदि मजदूर वा बेतन बदावर एव रप्पा आठ जाना प्रति घाटा बर दिया जाए, तो परिव्यय पर उनका यह प्रभाय होग।

र० आ० पा०

भामान ... ..

०—४—०

थम (हेठ रप्पे म १६ इकाई) ..

०—१—६

उपरिव्यय (१ रप्पे में १६ इकाई) ...

०—१—०

प्रति इकाई परिव्यय

०—६—६

यद्यपि मजदूर को उस समय से अधिक दैसा मिल रहा है 'जिस समय कुल लागत प्रति इकाई ८ आने थी, पर प्रति इकाई कुल परिव्यय अब सिर्फ़ साढ़े ७ आने हैं, जिससे बित्री कीमत में कमी करना और इस प्रकार अधिक ग्राहक खोचना सम्भव हो सकता है। इसका अर्थ है अधिक व्यवसाय और उसका अर्थ है अधिक नौकरिया।

यहाँ कोई विचारकील आदमी यह प्रश्न उठा सकता है "यदि मजदूर ने उत्पादन दुगना कर दिया है, तो क्या उसकी मजदूरी दुगनी नहीं होनी चाहिए ?" यह प्रश्न इस विश्वास पर आधारित है कि अब मजदूर पहले से दुगना तेज़ काम कर रहा है, यह बात सही नहीं है, व्योगिक दक्षता वृद्धि का अर्थ है, या तो उर्जा (Energy) से अधिक उत्पादन अथवा कम उर्जा से उतना ही उत्पादन। इस बात को ध्यान में रखने पर एक उचित प्रश्न यह होगा "दक्षता में वृद्धि किसके कारण हुई—मजदूर के या प्रबन्ध के" दूसरे शब्दों में, यदि प्रबन्ध ने मजदूर को अधिक दक्ष विधिया न बताई होती तो क्या उसे अधिक दक्ष विधियों का प्रयोग करना आ जाता, इसलिए दक्षता वृद्धि से होने वाले लाभ में क्या प्रबन्ध को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए।

अधिकतर उद्योगों में थम परिव्यय कुल व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और यह स्पष्ट है, जैसा कि पिछले दृष्टान्तों में बताया गया है कि थम परिव्यय म थोड़ी भी बचत से लाभ में बहुत वृद्धि हो जाएगी। प्रतिशतवता के हप म वृद्धि थम परिव्यय में होने वाली प्रतिशतवता की कमी की अपेक्षा बहुत अधिक होगी। निम्नलिखित दो उदाहरण पर विचार कीजिए—

	वार्षा १	वार्षा २
सामान	१०-०-०	१०-०-०
थम	१५-०-०	१४-०-०
उपरिव्यय	५-०-०	५-०-०
कुल परिव्यय	३०-०-०	२९-०-०
बित्री कीमत	३५-०-०	३५-०-०
लाभ	५-०-०	६-०-०

वार्षा २ में मजदूरी १ रुपया कम है, और परिणामत लाभ १ रुपया अधिक है। थम परिव्यय में मुधार मजदूरी पर ६६ प्रतिशत है, पर लाभ म वृद्धि २० प्रतिशत है। यदि रखना चाहिए कि यहा मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी की तुलना नहीं की जा सकी, वन्कि काम की प्रति इकाई पर मजदूरी की तुलना को जा सकी है।

इसलिए थम दक्षता म वृद्धि का अर्थ है समय की प्रति इकाई पर अधिक धन्तुओं का उत्पादन या उत्पादन की प्रति इकाई पर कम समय, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। थम दक्षता में वृद्धि से प्रति इकाई थम परिव्यय में कमी के अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बचत होती है। व्यवसायी कम्पनी के व्यय का बड़ा हिस्सा स्थिर होता है, जर्यान् यह उत्पादन के अधिक या कम होने से बदलता नहीं। अधिक उत्पादन होने पर उत्पादन भी प्रति इकाई पर ये स्थिर व्यय कम हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी

फैक्टरी में एक महीने में मजदूरों को रुपये १,००,००० रुपये हैं और स्पिर व्यापो या उत्तरायणी की रुपये ८०,००० रुपये हैं। यदि विनी महीने में उत्तरायणी इत्ताइयों की कुल मध्या १०,००० है तो मजदूरों प्रति इकाई १० रु. होगी और स्पिर व्याप प्रति इकाई ६ रु. होगा, जिसमें कुल राशि १६ रुपये होगी। यदि बाजे महीने उत्तरायण १२००० इकाई हो जाए, तो मजदूरों प्रति इकाई ८० रु. होगी और स्पिर व्याप ५ रु. होगे, कुल राशि २०१३।१८ होगी, अर्थात् निछले महीने में ८० रु. १३।१८ की बचत होगी।

दशाना कम्मालाना—जैसा कि इस प्रमाण के आरम्भ में स्पष्ट किया गया है, दशाना कम्मालाना में रोटीविंग में से विभिन्न प्रकारों में दशाना जा सकती है—

(१) उत्तरायण की प्रति इकाई पर थम परिव्यप। यह थम के लागत में जारी है। जारी किये गए उत्तरायण में, कार्यालय १ में लगे १५ रु. को तुलना में बार्यालय २ में १४ रु. का अध्य लगता है। पर इस विक्री को लाने करने में कुछ कठिनाइया है। यदि मजदूरों की दरे बढ़ते जाए तो वह परिवर्तन प्रति इकाई परिवर्तन परिव्यप में दिखाई देगा। पर यह एक बाहरी कारखाना होता, जो दशाना के स्तर में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिवेदित नहीं करेगा। साथ ही, यदि (ममझीं द्वारा या विक्री द्वारा) बाज के घटे परिवर्तन हो जाते हैं, तो कुल उत्तरायण नदनुभाव कम या अधिक हो जाएगा और इसलिए थम परिव्यप, दशाना वाले विना प्रभावित रिष्टु परिवर्तन हो जायेंगे। साड़ आधार पर काम करने वाले मजदूरों की अवस्था में प्रति इकाई थम परिव्यप सन्तुष्टीते द्वारा या विक्री द्वारा ही बढ़त सकता है, अन्य विनी तरह नहीं और इसलिए थम दशाना की तुलना करने के प्रयोगोंनो के लिए यह विक्री अधिक मूल्यवान नहीं होगी।

(२) प्रति मनुष्य-दिन या मनुष्य-घण्टे उत्तरायण। इस विधि में एक दिन या एक घण्टे बाज करने वाले प्रति मनुष्य के हिनाव में उत्तरायण नामा जाता है। मात्र नीदिए कि विनी फैक्टरी में १०० मजदूर काम करते हैं। वे एक महीने में २५ दिन ( २५०० मनुष्य दिन ) काम करते हैं। यदि कुल उत्तरायण ५००० इकाई हो तो इन कह मरते हैं कि उत्तरायण ५ इकाई प्रति मनुष्य-दिन है। इन प्रत्यार इन प्रति मनुष्य-घण्टे उत्तरायण नाम मरते हैं। यह विक्री विन्कुल टीका है क्योंकि यह उन परिवर्तनों में स्वतन्त्र है, जिनका थम दशाना में दूर का सम्बन्ध है। प्रति मनुष्य-दिन या मनुष्य-घण्टे उत्तरायण थम दशाना में परिवर्तन होने के बारे ही परिवर्तन नहीं। यह विक्री साड़ आधार (Piece basis) पर बाज करने वाले मजदूरों पर लाभदायक रूप में लागू की जा सकती है, पर अतेक तरह की वस्तुएँ पैदा करने वाली फैक्टरी पर इन लागू करने में कठिनाई पैदा होती है। उत्तरायण के लिए एक मासान्तर रैम्प शीट के प्रति मनुष्य-घण्टा उत्तरायण की तुलना विनी लैम्प शीटों के प्रति मनुष्य-घण्टा उत्तरायण में बरते पर टीका परिवर्तन नहीं किया जाता। लैम्प वस्तुओं की एक मासान्तर दैयाने पर लागत होता। उसके लिए प्रयोग वस्तु के बाजे प्रकार मनुष्य-घण्टे स्पिर व्याप किये गए हैं। मासान्तर लैम्प शीट के बनाने में दो घण्टे लग मरते हैं, और इनी थम तरह का फैली लैम्प शीट बनाने में १० घण्टे लग मरते हैं। (ये अब प्रेसन, अनु-

भव और परीक्षणों से निकाले जा सकते हैं)। यदि ५००० सामान्य लैम्प शेड बनाए जाने हैं, तो कुल प्रमाण श्रम घटे १०,००० हैं और यदि सिर्फ ५०० फैन्सी लैम्प शेड बनाए जाने हैं, तो प्रमाण श्रम घटे ५००० होंगे, और इनकी कुल सत्या १५००० हो जाएंगे। यदि वास्तव म १५००० घटे ही लगे हैं, तो दक्षता एवं है, यदि वास्तव में १०००० घटे लगे हैं, तो दक्षता १५ है, और यदि वास्तव में २०,००० घटे लगे हैं, तो दक्षता ७५ है। दक्षता पूरी १ या इससे ऊँची रखने का लक्ष्य होना चाहिए।

जब प्रनुद प्रबन्धक विज्ञान इतना परिवर्द्धित नहीं हुआ था, जिनका यह अब है, तब कुछ प्रबन्धकर्ता यह सोचते थे कि परिव्यय कम करने का उपाय मजदूरों में बमी कर देना है। यह सच है कि मजदूरी में बमी से परिव्यय में बमी हो जाएगी और बीमत कम करना सम्भव होगा। पर यह अस्यायी रूप से ही सम्भव होगा। उतना ही पैमाहामिल करने के लिए मजदूर वो अपना उत्पादन बढ़ाना होगा, और इसके लिए वह प्राय अधिक तेज बाम करेगा। पर यह आवश्यक नहीं कि वह अधिक दक्षता में भी बाम करेगा। समनदार मालिक मजदूरी कम करने की दजाए दक्षता बढ़ाएगा जिसमें उसके मजदूर सल्तुष्ट और निष्ठावान रहे।

अब हम दक्षता और दक्ष-मजदूर तथा दक्ष प्रबन्धक की परिभाषा अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। दक्ष मजदूर वह है, जो आवश्यक-गतियों में अपने अपने बाम करता रहता है, और पिर भी प्रेरित वाम निष्ठालता है। दक्ष प्रबन्धक वह है, जो स्थान, समय, ऊर्जा और सामान (Space, time energy, materials—S-T-E-M) का अपव्यय नहीं होने देता। वह जहा कहीं और जिम भी हूप में अपव्यय देखता है उसे दूर करता है। दक्षता अपव्यय वो स्थान करती है, और अपव्यय का अर्थ है किसी चीज का अनावश्यक व्यय। दक्षता वो स्थान, समय, ऊर्जा, सामान, धन और परिणाम को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु के अनुपात में प्राप्त परिणाम कहा जा सकता है। जो बुद्ध शूर महा गया था उसे दोहरायें तो किसी व्यय पर उत्पादन जितना अधिक है, सामान्यत वहा दक्षता उतनी ही अधिक है। इसमें हम उन बारकों पर विधार करना पड़ता है, जो अम दक्षता के सहायक हैं।

अम दक्षता के कारक—(१) मजदूरी अच्छी मजदूरी मजदूर को शिष्ट जीवन स्तर रखने के योग्य बनानी है। यह मजदूर को अच्छा बाम करने के योग्य बनाती है। जो आदमी आधे पेट सता है, गदी बमियों में रहता है, और जो अपने धन्वों को शिक्षा या चिकित्सा वी व्यवस्था बरने में असमर्थ है, वह दक्ष नहीं हो सकता। यारीय मजदूर और भारतीय मजदूर की दक्षता म बहुत बड़ा अन्तर होने का एवं भाधारभूत बारण यह है कि उन दोनों के रहन-महन के स्तरों में बड़ी विपर्यास है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति रहन-महन के ऊँचे स्तर पर रह चुका है, तो वह इस बनाए रखने का यत्न करेगा। पर उम व्यक्ति वी दक्षता म सुधार की काई बाजा नहीं है, जिसकी आकाशा विलुप्त हो चुकी है। मजदूरी चकि किये हुए बाम का पुरस्कार है, इस-लिए मिलने वाली मजदूरी वी राजि बाम के लिए प्रबल उद्दीपक या (कम मजदूरी की

अवन्याओं में) निर्दीक्षण के स्वरूप में विश्वित है जो काम करनी है। इस मजदूरी पाने वाला मजदूर सूखी में काम नहीं कर सकता। उनका स्वभाव के टट्टू के समान होगा। दूनरी और अच्छा पैना पाने वाला मात्रामें अपने काम में अवश्य उच्चाह दिलाएँगा।

(२) घन्योकरण की मात्रा (Degree of mechanisation)—  
मजदूरों के दो समूहों (Sets) की तुलना करने में उच्चतम पूँजी मज्जा पर भी विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, भारत में लोगों ने कोयला निशालने का काम अब भी अभिकर्तृतायां से हिला जाता है, बड़कि यनाटटेंड स्ट्रेट में प्राप्त सारा कोयला यथों द्वारा निशाला जाता है। उच्चरण और मज्जा वित्तने अच्छे होंगे, दशना उनकी ही ऊँची होंगी।

(३) काम की अवस्थाएँ—कोई आदमी जिन अवन्याओं में काम करता है, उनका उसकी दशना पर बड़ा प्रभाव देता है। मनुष्य, पर्याप्त वायु खाचार, अच्छी प्रवास-व्यवस्था और उचित नाम का महत्व कुछ समय ने अनुभव किया जा रहा है। काम का मूलनिश्चित स्वरूप में सुधारकर स्वस्य वायुग्रहण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ठंडी और सूखी हवा निश्चित स्वरूप ने आती रहे। फैसली में अच्छे प्रवास की व्यवस्था के दो लाभ होते हैं। याक दिग्गज देने ने उचाइन को लाभ होता है, और आदमी पर जो प्रभाव होता है, उनमें उम्मे व्यवस्थानुराग को लाभ पहुँचता है। दम रोगनी या गजन रोगनी में जितना चिड़चिड़ानन देता होता है उनका भीर किनी तरह नहीं होता। भाँड़-भाड़ को दूर रखना चाहिए। यायुग्रहण को धून और धुर्दे से मुक्त रखना चाहिए।

वैज्ञानिक इन में नियोगित वायु के और विभाग के पांच भी दशना बड़ाते हैं। वायु के कन घटने प्रति पश्चा उचाइन बड़ा देते हैं, क्योंकि अधिक अवकाश अधिक अच्छे स्वास्थ्य और कम बोझारी में सहायता का काम करते हैं। विभाग सम्बन्धी आवश्यकता का वैज्ञानिक अध्ययन करके मजदूर मारे दिन अपने काम दशना के ऊंचे स्तर पर कर सकता है। काम की गति बढ़ जाने में, जो असान दशना-विशेषज्ञों के काम के कारण बड़ा है, मजदूर पर अनिश्चित बोझ पड़ता है। उचाइन की यात्रिक प्रशाली के द्वारा मजदूरों की चाल बढ़ जाती है, और उन्हें जादा मेहनत पड़ती है। मजदूरों की शारीरिक परिप्रेक्षण और स्नायविक यज्ञान आवश्यक उद्योग की चाल और बोझ के कारण ही है। औद्योगिक परिप्रेक्षण के निशारण और मानव ऊर्जा और मानवर्धन की रसा में दशना बड़ी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि उचाइन अधिकतम करने के लिए अधिकतम चाल नहीं चाहिए, बन्कि अनुरूपन (Optimum) चाल—अधिकतम उचाइन वाली चाल—चाहिए।

(४) प्रबन्ध की दशना—एट स्टाट है कि सम्भरण में रक्षारूप या विवरों का जाने में उचाइन बहुत कम हो जाएगा। ये प्रबन्ध विभाग की प्रिम्मेश्वरिया है। इनके अलावा भी, प्रबन्ध के होते में हिसों कमजोरी, जैसे योजना कर अमाव या निशाय का अभाव, जो भी उचाइन कम हो जाएगा।

(५) मनोवैज्ञानिक इलाज—नव मानव प्रणितों की तरह मजदूर में भी जानी स्त्र॑ वृन्दा [प्रौढ़ भावनाएँ होती हैं। औरों की तरह मजदूर में भी मनोवैज्ञानिक

(Possession) वी महज बूँदि होती है। उम्मीद नौकरी ही उम्मीद सम्पत्ति है। उम्मीद यह ज्ञान होना कि यह बनी रहेगी, उमे बहुत दूर तक मनुष्ट रखेगा। इस भय के कारण कि उम्मीद नौकरी जानी रहेगी, वह अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए शोभन-अनोमन मब प्रकारके उपाय करेगा। मजदूर में भी नौकर मानव प्राणियों की गरिमा होती है। वह भी बराबरी के आधार पर व्यवहार प्रमद करता है। वह चाहता है कि विचार के ममत्य उनका दृष्टिकोण भी पूढ़ा जाए। वह अधीनता नापमन्द करता है, और इस बात से घृणा करता है कि कोई उम्मीद अपने माल-बमवाव जैसा व्यवहार करे। दृष्टिकोण से, आदृनिक पैचटरियों में मजदूरों को उत्तमाध्यम बरने वाली कोई खोज नहीं है—प्रावः कार्ड भी चोड़ ऐसी नहीं किसे मजदूर अपनी कह सके। इमलिए भजदूर की मनोवैज्ञानिक जावशमक्तियों की सनुष्ट और भी महत्वपूर्ण है। इस प्रणाले में यह कह देता रचित होगा कि यद्यपि थम दक्षता में मजदूरी सबने महत्वपूर्ण अवैला कारक है, तो भी अवैली मजदूरी जिसके साथ-न्याय अच्छा व्यवहार न हो, किसी कर्मचारी को खुशी से काम करने वाला मजदूर नहीं बना सकता।

(६) प्रकीर्ण (Miscellaneous)—उपर बताए गए कारणों और अन्य जलवायु आदि स्पष्ट कारणों के अनिरिक्त, हमें अमिक्ष मध्यों के नेतृत्व, भासान्य कर्त्तव्यानुराग और विद्यमान राजनीतिक स्थिति के महत्व पर भी ध्यान दना चाहिए। युद्ध के परिणामस्वरूप सर्वत्र जिम्मेदारी की भावना कम हो गई है। भारत में अमिक्ष मध्य या दुष्ट यूनियनें राजनीतियों के हाथों में रही हैं। इन कारणों ने कुछ दूर तक दक्षता में कमी कराई है। युद्ध काल के हुए अनुमति ने भी कि धनी और अधिक धनी हो गए तथा गरीब और गरीब हो गए, मजदूरों को विसृष्टि और इमलिए कम दक्ष बनाया।

#### भारत की मिथ्यति

यूद्ध काल में और उम्मीद अविलम्ब बाद भारतीय मजदूर की दक्षता में कमी हुई है। १९४९ में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की वार्पिक बहुत समा में भाषण बरने हुए इमके सभापति ने बहा था कि प्रति टन इम्प्रात पर थम परिव्यय, जो १९३९-४० में प्राय ३१५४ रुपये था, १९४८-४९ में ९२८ रुपये हो गया। स्तील का प्रति कर्मचारी दृग्यादन १९३९-४० में २४३६ टन था, १९४८-४९ में १६३० टन रह गया। इसी प्रकार की बातें, खदान कम्पनियां के गभापति ने भी कही थीं, पर दक्षता की इस गिरावट का भारा दोष मजदूर पर ढालना रचित नहीं। मवको पता है कि युद्ध काल में पुरानी मध्यीनों को दबाने में जो कमी रही, और मध्यीना की दक्षता में जो गिरावट हुई, उम्मीद कारण थम की इनता में गिरावट आनी ही थी। इसके अलावा, युद्धकाल में और उम्मीद कारण थम बाद, आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाएं अस्तव्यक्त थीं, और आम जनता के साथ-न्याय मजदूरों में भी कुछ जिम्मेदारी की भावनाओं में कमी होना जहरी थी। मालिक की बहुत हुई दौर्जन ने निर्दित स्पष्ट से उन्हें परेंगान किया। पर दक्षता में कमी होने का मूल्य कारण रहन-महन के स्तर में कमी होना था। भारत में युद्धकाल में मजदूरिया इतनी ऊँची कमी नहीं हुई, जिसमें रहन-महन के बहुत हुए परिव्ययों की

वहाँ पूरी हो जाए। रहन-महन के परिवद्य ने कुछ हद तक बाल्निक वित्र को उत्तमा, क्योंकि वह परिवद्य-नियन्त्रण की अवार पर नियाना जाना था। बल्नित्रण के एम्प्लायर्स एसोसिएशन ने यहाँ पूल्ह, इण्डियन सेवर इन इग्लिया में निम्नलिखित आइडे दिये हैं :

बाल्निक बनाई (१९३०—१००)

१९४४ ... ८१	१९४५ ... ८५	१९४६ ... ८७	१९४७ ... ८९	१९४८ ... ९५	१९४९ ... १०३	१९५० ... १००	१९५१ ... १०३	१९५२ ... ११४ (अन्यायी)
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

यह स्पष्ट है कि १९४८ तक मजदूरिया बल्नुओं और घन के रूप में १९३१ के रहन-महन के स्तर से भी नीची थी। इसमें इम उत्तरादेश होना अनिवार्य था।


यह देखकर प्रश्नप्राप्त होती है कि कुछ समय में भारत में मजदूरों की दशना बढ़ रही है। ऐसान आक मनुन्द्रित्वमें में ऐसे उत्तरादेश निम्नलिखित आइडों से इम बान बा पता चलता है—

	१९४०	१९४८	१९४९	१९५०	१९५१	१९५२
(१) उत्तरादेशों और उत्तरादेशों का मूल्य (क्रोट रख्ये)	३४३.६१	१५३.६६	१.३६०७	१०२८०१	१३०६.८६	११८३.९७
(२) नीमत वृद्धि ही दृष्टि में सहा १ की मही रखने पर	३४३.६१	३८१.२०	१०५.१५	८३१.२३	९३२.२३	९१३.४९
(३) काम में लगे हुए अस्तियों को मूल्य (३,०००)	१६,२३	१३,०४	१६,८५	१६,३२	१६,३३	१६,४८
(४) काम परत्ते हुए प्रतिविति पर उत्तरादेशों का मूल्य (१९४३ की अवंती पर) (२ ÷ ३)	४,५५५	४,६३१	४,३३८	५,००२	५,३१०	५,५४१
(५) १९४३ की तुलना में प्रतिविति वृद्धि	—	१०	४९	११८	३५४	२१३

भारत में पैकिटरी मजदूरों की उत्तरादेशों और उनके बाल्निक अवंतों की ओं देशनार्थ (Indices) अन मशाल्य के थम विभाग ने तैयार की है, उनमें उनके आवासों कम्बन्ध और थम दशानु वा अधिक अच्छा वित्र सामने आता है निम्नलिखित भारती और कार्ड में बाल्निक अवंतों और उत्तरादेशों की देशनार्थ में एक दूसरे की दृष्टि में, प्रवृत्ति वा पता चलता है।

## वास्तविक अर्जनों और उत्पादकता की देशनाएँ

वर्ष	वास्तविक अर्जनों की देशना	उत्पादकता की देशना
१९३९	१००.०	१००.०
१९४०	१०८.६	१०४.२
१९४१	१०३.७	९४.८
१९४२	८९.०	८५.३
१९४३	६७.०	८८.५
१९४४	७५.१	८६.३
१९४५	७४.९	८९.५
१९४६	७३.२	८४.७
१९४७	७८.४	७२.५
१९४८	८४.४	७९.४
१९४९	९१.७	७५.६
१९५०	९०.१	७८.८
१९५१	९२.२	८८.७
१९५२	१०१.८	९७.४
१९५३	९९.९	१०५.८
१९५४	१०२.७	११३.०



नीची लागत पर उत्पादन चाहता है, मजदूर अपने वार्ष से पर्याप्त लाभ चाहता है। मजदूरों की दक्षता बढ़ावर दोनों उद्देश्य सिद्ध किए जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें हाका जाए। इसका अर्थ यह है कि ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए कि मजदूर वस्त्र प्रयास और वस्त्र समय में अधिक काम कर सके, और काम करना उसके लिए आनन्ददायक हो जाए। ऐसा कैसे किया जा सकता है? अगले अध्यायमें इस प्रश्न का उत्तर देने का यत्न किया गया है।

## अध्याय :: २५

### ओद्योगिक सम्बन्ध

प्रबन्ध में, सब मानवीय सम्बन्धों में सबसे अधिक मानवीय कर्मचारियों को ओद्योगिक सम्बन्धों को समस्या है। यह इस कारण ऐसी है, क्योंकि यह हमारी अव्यवहन्या के मामने सबसे कठिन गुरुत्वी है। पिछले अव्याय महम देख चुके हैं कि मामाजिक और माप्तिक भ्रगति की बाधाओं के कारण ओद्योगिक मजदूर की आकाशा निरम्भूत होती है। इस निरस्कार में ओद्योगिक अवनोप देंदा होता है। इस असन्ताप को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि अच्छे ओद्योगिक सम्बन्ध बनाने—प्रबन्धको और [मजदूरों के मध्य भेट-मिलाप स्थापित करने—के लिए यह किया जाए।

“ओद्योगिक सम्बन्ध” सबमें अधिक व्यापक शब्द है। यह प्रबन्ध और अलग-अलग कर्मचारियों के सम्बन्धों का बर्णन करता है, और उस रूप में यह कर्मचारी प्रबन्ध या प्रशासन कहलाता है। इसके अन्दर प्रबन्ध और श्रमिक संघों के आपसी सम्बन्ध मीं आते हैं, और इसे श्रम सम्बन्ध कहा जाता है। अमल में ओद्योगिक सम्बन्ध कारबाहने के मद प्रकार के सम्बन्धों का सम्मिलित रूप है। ओद्योगिक सम्बन्ध और कर्मचारी प्रबन्ध का कर्तव्यानुराग (मोरेल) से निकट सम्बन्ध है, क्याकि कर्तव्यानुराग अधिक होने पर ओद्योगिक सम्बन्ध अच्छे होते हैं, और यह उत्तम कर्मचारी प्रबन्ध से देंदा होता है। इनका एक चक्र चलता है पर वह शुभ चक्र है। सम्मिलित परामर्श और अनुशासन वे नाम हैं, जिनके चारों ओर यह चक्र घूमता है। इसकिए उच्च कर्तव्यानुराग, अनुशासन और सम्मिलित परामर्श अच्छे ओद्योगिक सम्बन्ध बनाने हैं।

**कर्तव्यानुराग (मोरेल)**—कर्तव्यानुराग विभी समूह या मण्डन वे कार्यों और प्रयोजनों में उत्तम होने सहयोग करने की तत्परता को कह सकते हैं। यह एक मानविक प्रवर्णन है, जो आप वहन सूझते होता है, पर एक बार शुह हो जाने पर सारे नमूह में प्रविष्ट हो जाता है, जिसमें ऐसी मति पैदा हो जाती है कि सबका एक सामान्य भाव रहता है। उच्च कर्तव्यानुराग ने कार्य उत्तम और मिनव्ययितायुक्त होना है। प्रथेक कार्यकर्ताओं की यह स्पष्ट रूप में निश्चय होता है कि इस मण्डन में प्रथेक चीज ठीक होती, जिसमें एक ऐसा नैतिक बल पैदा हो जाता है कि मदलोग माझे लाभ के लिए काम करते हैं। वह कम्तु उनके मामर्य, विश्वनीयता, आत्मगौरव, विश्वास और अनुरक्षित का परिचायक होता है। कर्तव्यानुराग शब्द का मुद्दे के मिलसिले में बहुत प्रबोग होता है। हम कहा करते हैं कि उच्च कर्तव्यानुराग वाली एक टुकड़ी, जिसकी मृष्टा प्रतिमियों की मन्त्रा में कम थीं, हीरा कर्तव्यानुराग वाले शब्द को पीछे छोड़े दूकेल

कर आगे बढ़ गई। ऐमा होना मम्मव है, वयोऽिं प्रत्येक मैनिव और अपमर कप्ट सहने को तैयार है, निष्ठामान है और व्यस्तिगत स्वार्थ और अभिमान को गोण करने का तैयार है। उमम स्वतरे को देखकर भयं<sup>३</sup> बजाय और पक्का सकल पैदा हो जाता है। वह वास्तविक जापान को जनुभव करता है, और इमवा सामना बरने को खटा हो जाता है। तथा त्रिना जगर-मगर व, बरने या मरने को तैयार होता है। मन और चरित्र के गुण मिलाकर बत्तंव्यानुराग शब्द में अनिहित होते हैं। सगठन नामधारी विमी भी हावे में उच्च बत्तंव्यानुराग परमावश्यक है। इमी समूह म बत्तंव्यानुराग है या नहीं, यह बान व्यक्तियों के मनोभावों में अच्छी तरह जानी जा सकती है, उदाहरण के लिए, जब वायंकर्त्तानों का वार्द समूह बरने नेताजी का सक्षम और विचार-पूर्वक काम करने वाला, उनकी विदियों को देख, उनकी नीनि को उचित तथा उनके अनिम रक्ष्य का भर्ती और प्राप्तव्य मानना हो—उम्मे उम्मे मन में एक वरथराहट पैदा हो जाती है—नम इमम डेंचे दरजे पा बत्तंव्यानुराग प्रसर होता है।

बत्तंव्यानुराग की बृद्धि बरना प्रबन्ध का प्रायमित्र बत्तंव्य है, पर यह म्मरण रखना चाहिए कि बत्तंव्यानुराग की बृद्धि बरने का बाम उद्योग भ कार्ड नई घटना नहीं। मिफ़ इनी बात है कि दस्तकारी के जमाने की अपेक्षा अत्र क्षेत्र कहीं अधिक आक्रमण है। उन दिनों भी वायंकर्त्ता को प्रात्माहित्र त्रिया जाना था, जि वह वस्तु वे बनाने में, जिसे देवतार मार्तिर मजदूरी भदा बरेगा और नफा कमायेगा, वपन जान और कौशल वा प्रयोग बरवे अधिक में अधिक वडिया चोज तैयार करे, पर उम समय के और आजवल के मनोभावों म बड़ा भारी अन्नर है। उम समय दस्तकार जानता था कि मे इम के लिए बना रहा है, वया बना रहा है, मार्तिर इम पर बदा लेगा, सामान पर कितना खर्च आयेगा, यह नामान कहा ने आयगा और उम्मे गि, अपनी कर्गेगरी दिवाने का पूरा भौता था। यह उमकी बनार्ड हुर्ट चोज थी और उम पर उम अभिमान था। उम इससे पूरी तत्त्वादित होनी थी और उनक म एक अभिमान की भावना होनी थी। इम प्रवार उमका बत्तंव्यानुराग जेचा था। आजवल की फैक्टरियो म मजदूर किमी बस्तु वा मिफ़ गृह अग बनाना है। वह निर्माण के न पहरे बाटे अग दे ता है और न याद के। उत्पादित बस्तु उमकी नहीं। उम उत्पादित बस्तु का बाम मे आता है त्रा दम्पे। उम नहीं मार्गम ति बमनी के भालिक बौन है, और शायद मुख्य प्रबन्धापिकायियो में मे भी वह बहुत बम का जानता है। उम कमनी की नीनियो के बारे म शायद ही कभी बनाया जाना हा और इसकी वित्तीय जवस्था के बारे म तो उम कुछ भी नहीं बनाया जाता, यद्यपि कमनो के अस-पर होने की जवस्था भ थोयरहाउट की अपेक्षा उम पर कहा ज्यादा मुमोदत आयेगी। उमकी दृष्टि में आधुनिक प्रक्रम के दो मुख्य रूप हैं—निरुग अधिकार और मजदूरी। वायं की सफ़रना और उम्मे परिणामस्वरूप होने वारे सन्तोष म, जिसने उमे दृढ़ सख्त्य के माथ बाम करने की प्रेरणा मिरे, उमे कोई दिग्नचसी नहीं। मनुष्य प्रहृति ने सहयोग-ममन्द है, पर आधुनिक उद्योग ने ऐमी न्यिनि पैदा कर दी है जिसमें मध्यर्पण

स्थायी है। इसका आशिक कारण यह तथ्य है कि मौजूदा औद्योगिक समग्रने मजदूरों और मालिकों के बीच की वैयक्तिक बड़ी को तोड़ दिया है। प्रोकेमर सारजेन्ट फ्लोरेस ने लिखा है—“वार्ष का उद्दीपन, अर्थात् कम से कम लागत पर उत्पादन को बढ़ाने या कायम रखने की मजदूर की तत्परता, शुरू म ही अवश्य हो जाती है, जब वह पह देखता है कि मेरों गिरा नीकार है और अपने अम से उत्पन्न बस्तु मेरों मेरा कोई अधिकार नहीं।” साधारणतया यह सच है कि कोई कर्मचारी स्वामित्व से जितना अधिक दूर हो जायगा, औद्योगिक समग्रने की दक्षता के प्रति वह उतना ही डडासीन हो जायेगा और वह उतना ही आदती, प्रथाओं और रुद्धियों और परम्पराओं से चिपटेगा। कर्मनारी की मालिक वे साथ बन्धुता और सामाजिक समता की भावना और उसकी अपनी गरिमा तथा आत्म-सम्मान की भावना कर्म के बड़ा होने के साथ कम हो जाती है। वह कर्म के और अपने हितों को एक समझना छोड़ता जाता है। जिसी बड़ी कर्म में यह भावना नहीं रहती कि हम रब उसी नाव म हैं, और साधारण कर्मचारी उस बारबार में अपने हितों के अभाव को तथा भालिक के हित के अभाव को एक ही बात नहीं समझते। कर्म को और अपने-आपको एह समझने के लिए कोई कारण अनुभव नहीं होता। लालकीताधाही और दफनरशाही सामूहिक भावना को दुर्बल कर देती है। मनोवैज्ञानिक दुर्घटना या निम्न कर्तव्यानुराग द्या जाना है। उसे सदा स्मरण रखना चाहिए कि समग्रन लोग ही हैं, उसे इस सौधीर-मार्थी बात दो कभी न भूलना चाहिए, उसे समग्रन के प्राण, अर्थात् इसके मानव प्राणियों पर, जिनकी अनेक प्रकार की भावनाएँ और मार्गे हैं पर ‘काम के प्रवाह’ की अपेक्षा अधिक बढ़ देना चाहिए।

एक हजार या अधिक वार्षिकताओं वाले समग्रन में निर्व्विनक्तरण (डिप-सोर्नलाईजेशन) का प्रत्यम प्राय पूर्ण हो जाता है और मनोवैज्ञानिक दुर्घटना को दूर करने या वर्तन्यानुराग बढ़ाने की दिशा में प्रबन्ध नीं जिन्होंनारी बहुत अधिक बड़ जाती है। कर्मचारी अक्सर के सामने उन दातों को खोज निकालने की तमस्या रहती है, जिनसे समग्रन मुखी और सफल बना रहे। उसे मानव प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, जो मानवीय विषयों के प्रेरक भावों वा समुच्चय है। यह प्रतियोगिता और सहज क्रियाओं का, वशानुगत और अंग्रित स्वभावों का, वैयक्तिक और सामूहिक परम्पराओं का अजोव मिथ्या है। मनुष्य, जागर सम्बव हो तो, अपनी इच्छाओं की सीधे ही पूरा करना चाहता है, पर जब सीधे पूरा करना असम्भव हो या परोक्ष रोति अधिक आसान हो, तब वह प्राय परोक्ष रोति अपनाता है। इसी करण लोग दाम बरने हैं। वाम से लोगों को धन वामाने वा अवमर मिलता है, और विनियम द्वारा वे जो चाहे खरीद सकते हैं। इस तरह वे अपनी इच्छाओं और अभिलाप्तियों की पूर्ति कर सकते हैं। परन्तु धन सम्बन्धी या धन से प्राप्त होने वाले गुलों सम्बन्धी उद्दीपनों के अलावा एक दर्जन मनोवैज्ञानिक या धनेतर उद्दीपक या कारक हैं, जिन पर वह

१. आर० टी० लिविस्टन, दि इंजीनियरिंग आफ आर्सनाईजेशन एण्ड मैनेजमेण्ट, पृष्ठ २२।

विचार कर सकता है और जिनके आधार पर वह किसी फैक्टरी या दफ्तर में अपने कार्य का मूल्यांकन करता है।

### कार्य के उद्दीपन

उद्दीपक कार्य के प्रोत्तमाहन को कहने हैं इससे वह प्रेरणा प्राप्त होती है जो कोई लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास के धार्से अधिकतर लाभों को देने की आवश्यकता होती है। इसका मूल्य इस तथ्य में निहित है कि कोई आदमी बिना उद्दीपक के कभी कोई काम नहीं करता। लाग सामान्यतया वही तक काम करने हैं जहाँ तक वे करना ठीक समझते हैं, और उसके बाद यदि और उद्दीपक न हो तो वे एक जान है। धन या पुरस्कार की आशा एवं प्रश्न उद्दीपक है पर यह एकमात्र उद्दीपक नहीं है। कार्य मिथि का अभिमान, प्रशस्ता या पदोन्नति की आशा बोन-इडायर अवस्थाओं में काम करने का भनोप और बहुत से अन्य धनेतर उद्दीपक प्रायः जब्ते धन की वपक्षा अधिक प्रभावबाही होते हैं। तो भी ऐसा बहुत कम हाता है कि इसी व्यक्ति को अपने कार्य से पूरा सन्तोष हो। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मजदूर निम्न बातें चाहता है —

- (१) उचित मजदूरी और काम के घटे।
- (२) भय का अभाव।
- (३) कार्यकाल की निश्चिन्तता।
- (४) व्यक्ति के रूप में अपने अस्तित्व की स्वीकृति।
- (५) अपनी उन्नति का अवसर।
- (६) योग्य पर्यवेक्षण (नेतृत्व)।
- (७) न्याय या उचित व्यवहार।
- (८) व्यक्तिगत फ़र्गतादक्ता—सामाजिक प्रतिष्ठा।
- (९) जानना और समझना।
- (१०) काम का कर डालना (मृजनात्मक प्रवृत्ति)।
- (११) उत्साहित वस्तु आदि का अभिमान।
- (१२) पारस्परिक हिन के मामला में अपनी आवाज।

**मजदूरी**—उचित मजदूरी और काम के घटा की इच्छा इसी दृष्टि है कि मजदूरों को उचित दिन के काम के स्वरूप के बारे में बही तीक्ष्ण भावना हाती है। आज का मजदूर वह मजदूरी प्राप्त करना चाहता है जो (१) उम्मे मालिक और श्रमिक सघ के ग्रीष्म राष्ट्रीय आधार पर तय हो जाय, (२) और जो उम्मे के परिवार के उचित निवाह के लिए जिसके अन्तर्गत मनारजन और बचन भी हैं पर्याप्त हो। यह आवश्यक नहीं कि वह शून्य में सबम अधिक मजदूरी देने वाले मालिक के महा ही काम करे, बल्कि उम्मे अपने भविष्य की, और अपने निजी प्रथाम के परिणामस्वरूप अधिक मजदूरी कमाने का अवसर पाने की अधिक चिन्ता हाती है। अच्छे मालिक

बोलस को बपाई के अवसर को वहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। मजदूरी अच्छी मिलते पर फैक्ट्री में भी मुख रहता है।

परन्तु यह स्मरण रहना चाहिए कि काम के लिए धन ही एकमात्र उद्दीपन नहीं, यद्यपि कुछ मालिक जब भी इसे सबसे बड़ा उद्दीपक मानते हैं। उनके अनुभार, धन उद्दीपन या तो धनात्मक अर्थात् जिये हुए काम की मजदूरी के रूप में धन की प्राप्ति, यद्यवा कृपात्मक, जयन्ति काम न कर सकने पर दण्ड के रूप में बटोरी होता है। कृपात्मक या दंडात्मक उद्दीपन विभाग द्वारा नियन्त्रित वर दिया गया है। उद्धरण के लिए, मजदूरी जदायगी अधिनियम, १९३६, जुमानि आदि के रूप में मनमानी बटोरी को रोकता है। धनात्मक वित्तीय उद्दीपन का अर्थ यह है कि मानवीय व्यवहार सरल है, और "अधिक धन, तो अधिक उत्पादन" के सदृश अनुपातों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, तथापि ऐसा कोई सरल अनुपात नहीं है। धन एक दर्जन प्रेरक कारकों में से एक है। नव है कि धन बड़ा प्रबल उद्दीपक है और इसका कारण यह है कि मानवीय प्रेरक भावों और सन्तुष्टि का धन का रूप दे दिया गया है। कोई भी आदमी धन को धन की बजह में नहीं चाहता। लाग इसे इसलिए चाहते हैं, क्योंकि यह उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ये आवश्यकताएं घनेवर उद्दीपक हैं। धन एक माध्यन है, साध्य नहीं, इसलिए जड़ मालिक जैसी मजदूरी की माग के बट जाने का रोना रोने हैं, तब वे यह भूल जाने हैं कि ये मागें उन्होंने ही पैदा की हैं। वे परस्पर-विरोधी नीति पर चलते हैं, क्योंकि वे अपनी वस्तुएं बेचना चाहते हैं। इसलिए वे लोगों को धन के रूप में मतुष्टि प्राप्त करना निखाते हैं। इसने स्वभावत अधिक मजदूरों की माग पैदा होनी है, जिसका वे तब विरोध करते हैं। लोगों को यह मिसाया गया है कि धन ही मुख बा मूल है। इसलिए जब वे अपने जीवनों में कोई कमी अनुभव करते हैं, तब वे स्वभावत और धन मानते हैं। परन्तु यह नहीं पना चलता कि वे यह तो पना चलता है कि वे कुछ चाहते हैं, परन्तु यह नहीं पना चलता कि वे यह चाहते हैं। इसलिए जब कोई कारखानेदार यह कहता है कि सब लोग धन चाहते हैं, और इसलिए यदि मैं यह मिला कर दूँ कि अलग-अलग कार्य की दरों पा समय दरों से उन्हें अधिक मिलेगा, तो उन्हें सन्तुष्ट हो जाना चाहिए, तब उभड़ा व्यवहार तर्कनगत नहीं है। वह मनुष्यों वे सारे व्यवहार का कारण एक ही बात को बता रहा है, जबकि लोग अपना व्यवहार निश्चिन करने से पहले अपनी मारी परिस्थिति का अन्दाज़ा करते हैं।

यह बड़ी भनोरजन्त बात है कि भारतीय मजदूर में नवद धन का उद्दीपन उनना प्रबल नहीं, जिनना ब्रिटिश या अमेरिकन मजदूरों में। "भारतीय मजदूर को बहुधा औमत अमेरिकन मजदूर की अपेक्षा धन का ध्यान कम होता है। कम मजदूरी के बावजूद, वह लाली समय को और अपने गोरख की अधिक महत्व देता है!"<sup>१</sup> मिफ़ एक प्रेरक भाव, अर्थात् धन उद्दीपक को इनना अधिक महत्व देने की व्यर्यना

१. इन्वेस्टमेंट इन इण्डिया, अमेरिकन वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित (१९५३), पृष्ठ ८७३।

भारत में थम उत्पादकता की वर्तमान परम्परा से और भी स्पष्ट हो जाती है। पिछले लगभग दस वर्षों में मजदूरी तो चढ़ गई, लेकिन थम की उत्पादकता थम हो गई। कुछ प्रमुख उद्योगों में उत्पादकता में ४ से ३५ प्रतिशत तक घिरावट आ गई है। इससे प्रकट होता है कि घन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जो मनुष्य के शक्ति-व्यय को प्रभावित करती हैं।

**भय**—मध्ये पुराना और सब से सार्वत्रिक उद्दीपन भय है। यह भय जो प्रत्येक मानवीय शिशु में उसके हीन महोने का होने से पहले ही दृष्टिगोचर होने लगता है, तब अपना बायं करता है, जब बाम के समेकन, मगल या सातत्य को खतरा हो। खतरे के समय मनुष्य अस्थायी स्प से मेहनत करने लगता है। भय एक आदर्शवर्जनक रूप से प्रभावी उद्दीपन है, और उद्योग में पहले इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। भय से प्रभावित होकर मजदूर जोर-दोर से बाम करते हैं, पर उत्साह से नहीं। इसके उपयोग का अर्थ है विरोध और इससे शीघ्र ही विरोध पैदा हो जाता है। यह शत्रुता भावना (एनमिटी कौम्लैक्स) का आधार है। भय से प्रेरित सहयोग तब तक ही रहता है, जब तक दण्ड या वरकास्तगी का खतरा बना रहे। परन्तु यह धोरे-धीरे रोप में, रोप प्रतिशोध में, और प्रतिशोध जगल के न्याय में परिवर्तित होने लगता है। मानवीय भय शब्दों द्वारा एक मन से दूसरे मन में पहुँचाया जा सकता है। यह सासगिक होता है और गडबड पैदा करता है।

**मुरक्खा**—कर्मचारी की एक सबसे महत्वपूर्ण इच्छा यह रहती है कि वह अपने काम की मुरक्खा अनुभव कर सके। प्रत्येक महोने के बन्त में वह यह जान सके कि उसे एक निश्चित आमदनी है, एक ऐसा आधार है, जिस पर वह अपने भविष्य का निमण कर सकता है, जिनके चारों ओर वह अपने घर, अपने बच्चों के पालन-पोषण और अपने सामाजिक जीवन को स्थापित कर सकता है। बहुत से कर्मचारी थोड़े-थोड़े समय के लिए मिलने वाली अधिक मजदूरी के काम की व्यवेदा स्थिर काम की अधिक पसन्द करते हैं।

अपने अस्तित्व की स्वीकृति—मजदूरों की जिस मांग की नवमे अधिक उपेक्षा हुई है और जिसे सबसे अधिक गलत रूप में समझा गया है, वह ही उम्मीद व्यक्ति के रूप में स्वीकृति या पहिचान। मजदूर यह चाहता है कि उनके कामों को मान्यता मिले। इस प्रकार, मर्दीन टेन्डर अपनी मर्दीन की, दफनर में काम करने वाला जादमी अपनी मेज़ की बात मानता है। बहुत बार किसी मर्दीन या बैठने की जगह पर नाम-पट्टी लगा देने से ही कर्मचारी के साथ सम्बन्ध बहुत सुधर जाते हैं। इनी चीज़ का एक और पहलू यह है कि औसत कर्मचारी मुख्य प्रबन्धक द्वारा पहिचाना जाता है। उसका एक शब्द हो इसके लिए काफ़ी होगा।

**अवसर**—प्र वेद व्यक्ति अपनी उन्नति का अवसर चाहता है। हो सकता है कि वह ऐसा अवसर जाने पर इससे लाभ न उठाये, पर वह कम से कम, अवसर अवश्य

चाहता है। भभम्भ है कि कुछ लोग जो अनें घट्ट में कुशल हैं उनके नामन्दय काप पर रहता ही दमन्द करते। वे अतिरिक्त निम्नवार लन को अनिच्छा के बारण ऊंचे पद पर जाने से इनकार करते हैं। पर आर बहुत न एक लाग है जिसके लिए दायित्व वद्वि वा अबमर आर अन पड़ा महावाचा उद्देश्य है आर पदि उनसे पदान्मनि के अबमर वा अनमानि तार म अबहू बर दिया जाए ता उनका वर्तमानुराग नष्ट हा जाता है।

**नेत्रत्व—**मूर्ख प्रदेशग की इच्छा दे दा फहरू हैं पहला तो यह मुखिति इच्छ कि कोई एमा व्यक्ति हृषी चाहिं निम्नक निश्चय और दूसरा पर निर्भर हुआ जा सके आर जिनक निषय शक्ति आदर चाह्य हा। प्रथा "मर्की क्षमता और ज्ञान के बारण उम्बा विश्वास किया जाता है। परन्तु वह अन वायों द्वारा भी आदर का पान हा सकता है। मुख्य प्रदायादिकार—मैनर्ता डायरेक्टर या जनरल मैनर—जो दायादिक कारखाने हाँ जहाज का वज्ञान है और उन्हें आदेश पस करना चाहिए। उनके डग के अनुभार दूसरे अपना डग बनायें आर छोटे मे छाता मुखरवाइबर उनके ह, वायों का अनुकरण बरेगा। वह लागा मे तिन प्रबार का व्यवहार करेगा, उम्हों प्रकार मारो कम्पन, में आपसा सम्बन्ध का ढरा बन जाएगा। वर्मचारिदा वे लिए उम्हों आदर भावना प्रत्येक नम्बद्य में उम्हों दिलचस्पी फैक्टरो में से मुखरते हुए दा मैड इन सब याता से जा एक डरा बनता है वह सारे मन्त्रन में मालिव-मजदूर भम्बदा का तज मे मुतार दगा। मन्त्रदर अपने कठिनाइदा की चिन्ता करने लगता है परन्तु पदि सकलता के लिए वे आपद्यक हैं तो एक ऐसे नना क लिए जा मन्त्र-दूरा का अन आपको भित्र मानता है वह चुप्ती स उन्ह भेहन का दैशर हाण। कतव्यानुराग का ऊंचा या नीचा बरने व्यवहारक के रूप में उच्च-निम्न व्यक्तिया के प्रनाव वा महाव बहुत अभिक हैं।

**न्याय—**आदुनिक श्रमिक न्याय और उचित व्यवहार की मान करता है। कार्य और शब्दा म मगति हानि चाहिए। पारस्परिक सम्बन्ध एक दूसरे के विश्वास और आदर पर बनाया जाना चाहिए और प्रबन्ध का विनों भी मूर्ख पर निरे तात्कालिक लाभ का अदेशा काइ और बड़ो बान माच्चा चाहिए। मनमाने काय, कुविचारित वरचालनिया अब सहन नहीं वा जाती। और चुप्ती की धात है कि प्रबन्धका ने नियमा वे दियन भग या आदीशानुनार बान बरन से इन्वार पर अभिक सहिष्णुता को नहि का उपरागिना का समझ लिया है।

**प्रतिष्ठा—**शायद हर आपनी जा जान नमने अधिक तीव्रता मे चाहता है वह है अन उम्हों हन को भावना। उदाहरण के लिए, वर्नचारी यह अनुभव करना चाहता है कि वह जा कुछ कर रहा है वह सबनव करने य अभ्य है और वि अन कार-मैन और मैनबर का निगाह में उने काम तया मन्त्रन की प्रगति में महत्वपूर्ण और दायित्व पूर्ण योगदान बरन बाल ममना जाय। वह अपन बाल, अन काम, अपनी प्रतिष्ठा, और पदि वह मुखरवाइबर है ता अपनी जिम्मेवारी में, विनों और को नहीं

घुमने देता । उम्मीद इस अभिलाप्य की मान्यता कर्तव्यानुराग में एक महत्वपूर्ण भारक हो भवनी है । किसी वर्मचारी को अपना जितना अधिक महत्व अनुभव होगा, उसके उतना ही अधिक अच्छा बास करने की सम्भावना है । किसी राष्ट्र निर्माण के बायं त्रय में किसी भारतीय को उत्पादन का कोई महत्वपूर्ण काम नहीं जा सकता है । भारतीय यह नारा अपना सकता है—“यह सब मुझ पर निर्भर है ।” वर्मचारी जब एक बार राष्ट्रीय आवश्यकता के प्रति मनें ही आया, तब वे अपना कार्य करेंगे और अपिक्तम उत्पादन करेंगे और अधिक म अभिक्त तेजी में अधिक अच्छी रुचि में जपना काम करेंगे । इस जनिमान की भावना में कि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है, और कि कम्पनी कमोडी पर है, और भारत की भवित्व बहुत हृद तक इस बात पर निर्भर है कि इस इस समय क्या करन है, प्राय अमन्मव वाम भी पूरा हो जायगा ।

जानना—मनुष्य को एक लालिङ्क विशेषता है बोतूहल । वह न बेवल ‘कर्म’ बल्कि ‘करो’ और ‘करें’ भी जानना चाहता है । इसलिए कर्तव्यानुराग बढ़ाने का एक बहुत उत्तम तरिका है कि प्रबन्ध जानकार देता रह । जानकारी हानि में महत्वाग बढ़ता है, क्योंकि एक तो वर्मचारी बर्नमान गतिविधि में परिचित हता है । दूसरे, इसमें काम में हिस्मेदार होने की भावना को प्रोत्माहन मिलता है । परन्तु जानकारी मिक्क शब्दों का हो जाम नहीं । यही बात महत्वपूर्ण नहीं कि क्या करना गया, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि कैसे करना गया । सभव है कि शब्दों में कोई आपत्तिजनक चीज न हो परन्तु लट्ठने या चेहरे से चोट पहुँचे ।

सूजनात्मक प्रेरणा—मनुष्य में सूजनात्मक प्रेरणा बड़ी प्रबल है । अमल में यह दृच्छों में भी बड़ी प्रबल है, और इस बात का जानकर मंकना आदि विलाने वनाने बालों न लान उड़ाना । सूजनात्मक भावना मनुष्य के काम में प्रवट की जाए सकती है, और सचाई तो यह है कि प्रवट की जानी चाहिए, और प्राय प्रवट की जानी है । इस भावना के माय पूर्णता का विचार भी होना है । इस प्रकार बनाई गई वस्तु मदा निर्भर करने वाय होनी है, यह अच्छी होनी है । जो सालिंव चाहता है कि उसके वर्मचारी निष्ठावान, सुमतुष्ट और ऊचे कर्तव्यानुराग वाले हों, वह एसी परिस्थितिया पैदा करता है जिनमें मजबूर अपनी योग्यता का परिचय दे सके ।

काम, वस्तु और अपने कम्पनी पर अभिमान—काम का अभिमान पैदा करना, एक बहुत उपरोक्त माध्यन है, विशेष वर तब जब इसके माय कम्पनी की नीति दाजनाओं और प्रगति और भवस्याओं की पूरी जानकारी भी दी जाए । मुड्रवाइजर अपने वर्मचारियों के काम का अभिमान दड़ा भवता है, उन्हें ठोक जाह पर रख सकता है, उन्हें तैयार माल में जपने हिस्में का बन्मद बग मवता है, जार उन्हें यह अनुभव बरा भवता है कि अन्त म वस्तु कर्म होगी । वर्मचारी जनुमय करना चाहता है कि जिम फर्म में काम करता है, वह अच्छा है । वह जपन मित्रों व मायियों में चान्दोन करने दूए यह बनाना चाहता है कि इस कम्पनी म और जगह की अपेक्षा अच्छा काम है । परन्तु यह अभिमान वामविकास पर आपारित होना चाहिए ।

इनका एक परिमाण यह होगा कि मजदूर में अधिक रखनालमक प्रबृत्ति पैदा होगी, वह चौंबों को बगड़ाद होने से बचायेगा। बगड़ार जाने समय रोगनी और पब्स को बन्द कर देगा, कान मनान हो जाने पर कॉल, पैच जादि छोटीछोटी चौंबों स्टोर में व्हाइटिंग कर देगा। ऐसी छोटी-उंगी चौंबों की मस्ता बहुत हो जाती है और हानि तभा कान लेख के दायी और काकी अमर पड़ जाता है। इसके बाष्पक परिणाम हैं कर्तव्यानुराग और उत्साहकता में क्रिया।

पारस्परिक मानचों से जावाज—‘क्योंकि हम कहते हैं, इनकिए ऐसा करो,’ इस तरह के दिन जब लड़ गये। आजकल नेताओं और अनुयायियों के बीच का अन्तर कम और कम हुआ जाता है। आजकल केवों स्थिति परिस्थितियों, जबनर और भाष्य का, तथा इनके होने पर इनका लान उठाने ही का नाम है। परिणाम यह है कि ऊरे ने नीचे से के बड़े मजदूर उन मामलों में अपनी आवाज चाहते हैं, जिन्हे बरने के लिए वे जाने आएकों समझते हैं और जो प्रबन्ध स्वर्ण में या एक मात्र अधिकार या स्वामिन्य का मामला नहीं। इन मामलों में भी अनुभाव प्रबन्ध जिक्कारी बान मूलने को तंयार रहते हैं, क्योंकि मजदूरों के मूलनालमक आवेगों को रोकने की यह एक उत्तम रोनि है।

सुजाव योजना—मजदूरों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक तरीका है सुजाव योजना। बहुत योजना दिन का काम करने हुए कर्मचारियों के दिमाग में कान करने या किये जा सकते के बारे में बहु-बहु अच्छे विचार होते हैं। प्रायः ये विचार बड़े उपयोगी होते हैं, और यदि उन्हें पेश करने का मौका मिले तो वह मूल्यवान सुवार किये जा सकते हैं। पर इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण स्वयं कर्मचारियों पर इनका माननालमक प्रभाव है। उनके लिए उन योजना का महत्व पहला और मुख्य वर्ष्य यह है कि कम्बनी उन्हें जानती है और उनको योजनान में दिलचस्पी रखती है। इस योजना के चलाने का प्रबन्धित तरीका यह है कि प्रायः दिमाग या मेक्जन में सुजाव वक्ता स्व दिने जाते हैं, और यह जान लेना कर दिया जाता है कि मौकिक और उपयोगी या काम में लाये जा सकते वाले विचारों पर पुरस्कार दिये जायें। लेखक ने मिडलेंड फैक्ट्रियों (डिलाइ) के प्रपन्न दौरे में देखा कि कई फैक्ट्रीज केन्द्रीय स्पान पर स्थायी वक्ता रखनी है और उनको और घान बीचने के लिए उन्हें हर महीने एक नये रण में रख देती है। जब इबीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन भर औराम ने लेखक को हल में ही मूल्यित किया है कि कम्बनी ने सुजाव योजना का तबुर्का किया है जिसने उन्हें दरी नफ़लना हुआ है, यहा तक कि कर्मचारियों द्वारा दिये गए कई सुजाव बड़े मूल्यवान् निष्ठ हुए हैं।

सुजाव योजना प्रायः पात्र-छ व्यक्तियों की एक समिति के जापान होती है। ये लोग कारबाने के विभिन्न दिमागों के प्रतिनिधि होते हैं और पेश किये गये विचारों का मूल्यांकन करने में जर्मर्य और इन प्रतार पुरस्कार को मिलारिंग करने में जर्मर्य होते हैं। इन्होंने योजना के लिए बातचर्चक है कि नवरनामूर्ख चार्य हो, क्योंकि यदि विचारों के पेश किये जाते और उन पर भोवनविचार किये जाते के बीच में महीनों मूजर जाते हों तो वे विचार निर्वीक हो जाते हैं। ठीक प्रबन्ध न होने पर योजना

वर्तमानुराग बन बरती है।

मजदूरों के प्रतिनिधियों को सचालक थोड़े में रखने से भी अच्छे सम्बन्ध पैदा होने में बड़ी मदद मिलती है। योग्य मजदूरों की सलाह से और उनके सहप्रयोग की चेतना से भी, जो 'एक के साथ सब' और 'सब के साथ एक' वी भावना होती है, और जिम्मेवारी तथा सचालन में हिस्सा लेने वी भावना से होती है, वहूत लाभ हो सकता है। मजदूर को उन कामों में अधिक जानकारी आवश्यक जिनके सचालन में प्रबन्ध की दृष्टि से उसका कुछ नियन्त्रण है।

**सम्मिलित परामर्श<sup>१</sup>**—सम्मिलित परामर्श उन महत्वपूर्ण योजनाओं में हैं, जिनके द्वारा प्रबन्ध अपने वर्मचारियों का बारताने के कार्यों और प्रयोजनों में जिम्मेदार और पूरा हिस्सेदार बनाने की कोशिश करता है। सम्मिलित उत्पादन समिति (जो सलाह देती है और परामर्श बरती है) जो प्रबन्ध और वर्मचारियों की प्रतिनिधि होती है, बनार्स आम बठिनाइयों और समस्याओं के आपसी विचार-विनियम और उत्पादन की तथा उत्पादकता की विधियों में सुधार बरने में सफलता हुई है। सम्मिलित उत्पादक समितियों द्वारा सम्मिलित परामर्श का प्रयोजन उन वक्सं कमेटियों के प्रयोजन से सर्वेषा भिन्न है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के आधीन स्थापित बरनी आवश्यक है। इनमें और वक्सं कमेटियों में यह भेद है कि बारताने के विधिय विभागों में विचारों और सूचनाओं के विनियम का और समूचन बढ़ाने का साधन है। इसका उस विधार से कोई सम्बन्ध नहीं कि प्रबन्ध और वर्मचारी इन दोनों पक्षों की वक्सं कमेटी जैसी विसी सम्मिलित कमेटी में एक जगह बैठाया जाय, या उनका विरोध भाव बन किया जाये। बारताने में कोई पक्ष विपक्ष नहीं होते। वहा कार्यों, जिम्मेवारियों और और कार्य भार के भेद तो होते हैं, पर उन सबका लक्ष्य एक ही होता है। इस सम्मिलित समिति का बाम बार्य सम्बन्धी इस अन्तर को बन बरना है, स्वार्य के या लक्ष्य के अन्तर को बन बरना नहीं। इसलिए यदि विसी योजना को सफल बनाना है तो इसे सच्चे हृदय से "सम्मिलित परामर्श" शब्दों की सच्ची भावना को हृदय में धारण करते हुए क्रियान्वित करना चाहिए। सम्मिलित परामर्श के समय खुलकर और आजादी से बातचीत होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह प्रबन्ध का प्रतिनिधि हो और चाहे वह कर्मचारी का प्रतिनिधि हो, सच्चे हृदय से बात कहनी चाहिए। मजदूरों को उपहासास्पद और लम्बी चौड़ी मार्गें पेय नहीं करनी चाहिए, और प्रबन्ध को बताई गई न्यूनताजों को पूरा बरने के लिए उन्हें बहाने न बनाने चाहिए। जहा सिफ़ ऊपर से ही अच्छे इरादे प्रदेशित किये जाते हैं, वहा दो चार बैठकों से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी, समय दरवाद होगा, मिजाज बिगड़े, निराशा पैदा होगी, और सन्देहों का जन्म होगा, जिन्हे दूर बरने में अनेक वर्षे लगेंगे।

विसी कमेटी की सत्या और कार्यों का प्रश्न वहूत महत्वपूर्ण है, यद्यपि उच्च

१ इस नियम के अधिक विवेचन के लिए देखो दि प्रिसिपल्स एण्ड प्रैविट्स अफ मैनेजमेंट (१९५३), सम्पादक—८० एफ० एल० ब्रैक।

प्रबन्ध जिभागी इसकी ओर प्राय बहुत कम स्थान देते हैं। कमेटी की मत्त्वा कारखाने के आकार और प्रभार पर, तथा उसके बायें और प्रयोजनों पर निर्भर है। विचारणीय विषय अनेक और विभिन्न हा सकते हैं, परन्तु मजदूरी और दोनों सम्बन्धी प्रश्नों को प्राय सलग कर दिया जाना है। एल० ट्वे ने समिलिन परामर्श समितियों में प्राय बाने वाल मामले पे बताये हैं— (१) गैरलाइजिरी और देर से बाना, (२) दुर्घटना रोकना, (३) समय, धम, और सामान की वरवादी को रोकना, (४) कंनीन, (५) दृष्टियों की व्यवस्था, (६) काम के नियम बनाना और समोनियत करना, (७) बाम के घटों बीच की छुट्टी और समय दर्ज करने वाली का नाम, (८) शारीरिक कल्याण सम्बन्धी प्रश्न, (९) प्रबन्ध और प्रबद्धता के बीच अनुशासन और शिष्टाचार के प्रश्न, (१०) मजदूरों को रखने की दाने, (११) मजदूरों का प्रशिक्षण आदि, (१२) पुस्तकालय, भाषण और उद्घोग का ताकातिक पहलू, (१३) सुनाओं और निवियों की परत तथा कारखाने का सुधार, (१४) मनोरखन और खल, (१५) उत्पादन म सुधार, (१६) कर्म्माण नियम, सह-कर्म्म नियम, आदि, (१७) शिक्षायत। जौदोगिक सम्बन्ध के इत पहलू दो समात करने से पहले इस बात पर बहु दो चर्चित होता कि समिलिन परामर्श का उद्देश्य यह है कि फैब्रिरी के बन्दरपान-विषय म विभाजन न हो, बन्किंग सब मजदूर और प्रबन्ध एक साथ मिलकर काम करते बाल दल के स्प म एक हो जाय।

**अनुशासन**—उपरोक्ती और सुन्दर लेखन के लिए अनुशासन परमावश्यक है। यह बान व्यक्ति पर तथा समग्र पर इक ही तरह लग्ह होनी है और फैब्रिरी दृष्टि एवं अच्छा उदाहरण है। इसलिए, भगट कारखाने म अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था कायम रखनी है, तो अनुशासन बाबद्यक है। इसमे अधिकतम उत्पादन में सहायता मिलनी है। कर्म्मानुराग और अनुशासन दो पृथक नहीं किया जा सकता। अगर कर्म्मानुराग अच्छा है तो अनुशासन भी उच्चा होगा। जो प्रबन्धक अच्छा कर्म्मानुराग, ठोक भावना और बाम करते बाले व्यक्तियों के ठोक मनोभाव निर्माण करते और कायम रखने वाली इन सब प्रयोग और परोक्ष बानों में समझदारी से चलता है, उसे अनुशासन कायम रखने म बीड़े कठिनाई नहीं होगी।

अनुशासन हीन प्रबन्ध का है—

- (१) सेनिक दण का सलन नियन्त्रण बाला अनुशासन,
- (२) पय-प्रदासन और शिक्षण करने वाला अनुशासन,
- (३) स्वयं आरोपित अनुशासन,

सेनिक दण का अनुशासन न तो आवश्यक है और न उद्योग का स्वीकार है। सलन नियन्त्रण से भनुव्य आटोमेटन, अर्थात् यक्ष की तरह काम करने वाला हो जाना है और आटोमेटन न तो सोच सकता है और न वह निश्चिन काम से डबाशा कुछ कर सकता है। अच्छा मैनिंग बहु है जो बिना अगर-भार के आदेश का पालन करता है। समय-भारपर फैब्रिरी मजदूर के लिए बिना अगर-भार के आदेश पालन करता जावश्यक हो परन्तु है परन्तु विशी आदेश का, चाहे वह रामबादी का हो या नामभक्ती का, अवायुष भान

ऐना, विसी अच्छे मजदूर या समुदाय के बुद्धिमान सदस्य का चिह्न नहीं है। आखिरकार सेना एक चीज़ है और उद्योग बिलकुल दूसरी चीज़ है। भव्य के हारा अनुशासन प्राप्त करना कार्य सचालन की बोई सफल नीति नहीं, क्योंकि इमका सारे कारखाने के बत्तन्यानुराग पर हानिकर प्रभाव होता है। विकृद्ध होकर दड़ दे देना हमेशा खतरनाक होता है और वह बत्तन्याविमुखता के लिए उचित दड़ की सीमा ने बाहर ही जाता है।

विसी भी सगठन में नियम आवश्यक है, बयोडि वे सरल और स्पष्ट रूप से पदप्रदर्शन और शिक्षण करते हैं, अथवा उन्हें ऐसा करना चाहिए। किंतु वी नियम, प्रशासनीय चार्ट, बार्यांसी (जौद) की स्पष्ट परिभाषा, ये सब विसी सगठन के व्यवस्थित और प्रभावीरीति से कार्य करने में सहायता देने वाले आवश्यक और महत्वपूर्ण भाग हैं। वे विश्वास, निदेशन और व्यवस्था की भावना तथा सुरक्षा की भावना, जो युक्तियुक्त व्यवहार और दक्षता के लिए इतनी आवश्यक हैं, स्थापित करके अनुशासन लागू करने में सहायता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अधिकतर अनुशासनहीनता का कारण साधारणतया विश्वास की कमी, अनुरक्षा और इसके साथ होने वाली शिकायत की भावना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन शिक्षात्मक होना चाहिए “कि दड़ विसी भी रूप में किसी साध्य का साधन होना चाहिए, अन्यथा यह पूर्णतया अनुचित है।” मनमाने वैयक्तिक निष्ठयों से अनुशासन की समस्या कभी हल नहीं होती और उनमें हमेशा वचना चाहिए। मनुष्य का अधिकार है कि उसके फैसला ढड़े दिमाग से किया जाय। अगर दड़ देना आवश्यक हो, तो वह ऐसे बातावरण में, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति शान्त और सयन हो, सब तथ्यों की परीक्षा करने के बाद दिया जाना चाहिए।

जिन्हे “अद्युक्त सामूहिक असचिया” कहते हैं, वे अनुशासनहीनता वाली परिस्थिति में शायद सबसे अधिक खतरनाक तत्त्व है। ट्रेड यूनियन नेता मैनेजर को अच्छा आदमी समझता हो सकता है, परन्तु प्रबन्ध के प्रति परम्परागत धृणा होती है। इस कारण मह परमावश्यक है कि फैक्टरी में सम्मिलित परामर्श खुले विचार-विनियम और आदेशों के निर्व्यक्तीकरण, आदि सब सभव उपायों से अच्छे व्यक्तिगत सम्बन्धों को बटाया जाय और इनमें रखा जाये। विरोध जो, अनुशासनहीनता की जड़ है, हमेशा आवश्यक रूप से कार्यनालय नहीं होता। यह प्रगती भी हो सकती है। इसका प्रगती होना प्रबन्ध के रखिये पर और इस बात पर निभर है कि मैनेजर में परस्पर-विरोधी शक्तियों की भावनायुक्ति वे बजाय युक्तियुक्त कार्य से सम्भालने की योग्यता है या नहीं, और उसमें निष्पक्ष भाव से, परिस्थिति के अच्छे और बुरे तत्त्वों को पहचानने की योग्यता है या नहीं। विरोध को उपयोगी बनाने का तरीका यह है कि इसे बुद्धिपूर्वक मुलभाया जाय। इसकी एक निश्चित विधि यह है कि शिकायतें पेश हो और उनका सही और न्याय रीति से, घबरेल या सदिग्द समझीने द्वारा नहीं, बल्कि दृष्टिकोणों के “समेकन” की विसी रचनात्मक विधि द्वारा—जिसके अनुभव से दोनों पक्ष लाभ उद्याप, और दोनों पक्ष यह अनुभव करें जि न्याय हुआ है—निर्णय करके उपयुक्त व्यवस्था प्रचलित की जाए और अधिक व्योरे में जाये विना यह बह देना काफी होगा कि न्याय दे निम्नलिखित मूल सिद्धान्त अनुशासन

कायम रखने में सहायत हो सकते हैं।

१ अनुशासन का अर्थ है स्वीकृत नियमों के अनुसार सामान्यतया सुसंगत व्यवहार। इसलिए नियम ऐसे होने चाहिए कि जिन्हे उनका पालन करना है, उनके लिये वे सुवोध और स्वीकार्य हो। इस कारण अनुशासन के नियमों का निश्चय उनके साथ परामर्श बरके बरना चाहिए, जिन पर ये लागू होने हैं।

२ नियमों का पालन त बरने का दड व्यक्तिगत पश्चपात के बिना और ऐसी रीति से मिलना चाहिए जिससे अन्त में नियम भग बरने वाले बोलाभ पहुँचे।

३ एक सर्वथा स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के सामने अपील बरने का अधिकार होना चाहिए। यह न्याय का मूलाधार है।

स्वयं आरोपित अनुशासन अनुशासन का सबसे ऊचा है और इसे बढ़ावा देना चाहिए। इसमें सब लोग विनियमित, वर्धान् स्वयं विनियमित, होने हैं, और सब लोग बल होने हैं। यह ऊचे दर्जे के नेतृत्व के परिणामस्वरूप होता है। यह बहा उन्नत होना है जहा न्याय और औचित्य तथा गहरी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति बरने वाली सब चीजों के लिए सजीव चिन्ता रहनी है। इसमें एक आदमी को दूसरे आदमी को आदेश देने के स्थान पर वे नियम आ जाने हैं, जिनका सब पालन बरते हैं, क्योंकि वे पारस्परिक व्यवहार के नियम हैं। अनुशासन मूलत अच्छे मानवीय सम्बन्धों का मामला है। यह आत्मसम्मान वा, अपने बाम में अभिमान वा, काम के गौरव और अपने प्रति अपने कारबने के प्रति और सारे समाज के प्रति सदा जिम्मेवारी अनुभव बरने का मामला है। बाम जीवित रहने के साधन के बजाय उसका साध्य बन जाना है। मैनेजर को निरन्तर मल ढारा और अपने आचरण तथा अन्य पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के आचरण के ऊचे आदर्शों के द्वारा इसी के लिए कोशिश बरनी पड़ती है। उससे सब मामला में ऊचे नैतिक आदर्शों और उच्च व्यावसायिक आचरणों के ऊचे आदर्शों की आशा की जानी है, जिससे वह मन्देह की सीमा से बाहर रहे।

सधेप में, अनुशासन की आधुनिक अवधारणा भय और घमङ्कियों या सत्ता वा अनुशासन नहीं, बल्कि अच्छे नेनाओं द्वारा अपना आदर्श प्रस्तुत बरवे आरोपित किया गया आत्मानुशासन है। सच्चा अनुशासन निकातमक होता है। इस मामले का दुष्प्रियोंके हृल बरने का यह तरीका है कि दिक्षा देने के प्रति लोगों के रवैये को सजग प्रयत्न द्वारा बदला जाय। इसे तब किया जा सकता है जब आदेशों में से व्यक्तित्व का अस निवारण किया जाय। मैनेजर अपनी आर से उत्पादन कार्यक्रम में परिवर्तन बरने का आदेश नहीं देता, जल्दि "परिस्थिति के नियम" पर्याप्त ऊचे तापात्मकी स्नायुष्ट के कारण परिवर्तन बरना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे से आदेश नहीं ले रहा, बल्कि दोनों परिस्थिति के नियम में, जिसके साथ काई तर्क नहीं हो सकता और इसलिए कोई प्रतिक्रिया या रोप या सघर्ष भी नहीं होता, आदेश लेने हैं। इसमें आदेश को पालन बरने की इच्छा और सद्भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि हिस्मेवार होने की ओर जिम्मेवारी की भावना उन सब लोगों में हो जाती है।

## ओद्योगिक अशान्ति

पूर्ववर्ती पैरे में यह दिखाने का यत्न किया गया है कि प्रबन्ध के टीक अध्ययन की वस्तु मनुष्य है, जि मानवीय आवश्यकताओं की मतुर्धि ही प्रत्येक आर्थिक उपक्रम का लक्ष्य है। जब वभी इनमें से कुछ या दोनों की उपेक्षा की जानी है, तब ओद्योगिक सम्बन्ध में तानाप पैदा होने लगता है, जिनका अत ओद्योगिक अशान्ति या सधर्प के स्पष्ट होता है। जब वभी मजदूरों द्वारा अपने अभावों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्रिय प्रयत्न किये जाते हैं और वे उनमें असफल हो जाने हैं, तब निराशा पैदा होती है। यदि निराशा को रोका न जायेतो प्राय चार परिणाम होते हैं, अवश्य आनामक का प्रदर्शन, वालिश और अथुक्त व्यवहार जिम्म रखनात्मक के बजाय विनाशक काम किये जाते हैं, निराशार्थी अवस्था में 'वध जाना' और इस प्रकार उदामीन हो जाना। इसमें एक विपर्यय चक्र बन जात है। यूनियन के स्पष्ट में समठित मजदूर चार बार-चार अधिक धन की मार्ग दरने जाते हैं, तभी निराश रहने हैं। प्रबन्ध, कर्मचारियों सम्बन्धी और समस्या पैदा कर रहता है और तद निश्चय के साथ बहना है कि काम का एकमात्र उद्दीपन मजदूरी है। अधिक मजदूरों की मार्ग बास्तव में निराशा की भावना को दूर करने का एक प्रयत्न है। कुछ लोग इस निराशा को ओद्योगिक अशान्ति वर मूल बारण समझते हैं, परन्तु वात इतनी सीधी-सादी नहीं है। ओद्योगिक सधर्प के बारणों के दो वर्ग हैं—एक वाप्रत्यक्ष, दूसरे प्रत्यक्ष।

अप्रत्यक्ष कारणों का मानव प्रकृति के अध्ययन से निष्ठ उपक्रम होना है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है परन्तु इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह जो मार्ग अपनाता है, वह जटिल है, अवश्य तकं, भावना और सहज बुद्धि द्वारा अनुशासित है। प्राय वह मार्ग बाहर वाले को युक्तिहीन और तकंहीन प्रतीत हो सकता है, परन्तु उम व्यक्ति की दृष्टि में यह पूर्णतया युक्तियुक्त और तकंसगत होता है। कुछ समय पहले दिल्ली में एक बड़े बैंक के कर्मचारियों ने (प्रबन्ध के बजाय नुसार) सिर्फ इस कारण अक्समात् हृष्टताल कर दी, जो इपनो चली, कि एक बलकं का छुट्टी का प्रार्थना-पत्र अस्तीवृत कर दिया गया था। "तथा" और "भावनाओं" के बीच का अन्तर ध्यान से देखने से मनोरजन भी होता है, और शिक्षा भी मिलनी है। इस प्रकार इस तथ्य में कि ताप ११० जरा है, और इस भावना में कि कोई व्यक्ति गर्मी महसूम करता है कि नहीं, बहुत बास्तविक अन्तर है।

इस प्रकार तथ्य में और तथ्य के प्रति किमी व्यक्ति के मनोभाव म बहुत बास्तविक अन्तर है, जैसा कि ऊपर वाले हृष्टताली चेक कर्मचारियों के बार्थ से प्रदर्शित होता है। समझ है कि यह सिद्ध विषय जो सबके लिए कुछ बार्थ या कमों की शृंखला तर्करहित और निरर्थक है परन्तु इसका आवश्यन स्पष्ट में यह अर्थ नहीं कि कोई व्यक्ति उनके प्रति अपना मनोभाव बदल दे। तथ्य महत्वपूर्ण है परन्तु व्यक्ति का उनके प्रति जो मनोभाव है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। उनके प्रति व्यक्ति का मनोभाव सदा एक सा नहीं होता

वह उनको साधारण मानसिक अवस्था के अनुभाव बदलता रहता है। विभिन्न व्यक्तियों के उसी तथ्य के प्रति विभिन्न मनोभाव होते हैं। इसलिए मानव व्यवहार के साथ वर्ताव करते हुए (और यह एक स्थायी प्रवणता है) प्रबन्ध को यह समझ रखना चाहिए कि हम भाषनाओं के साथ वर्ताव कर रहे हैं।

औद्योगिक विवादों के प्रत्यक्ष कारण—औद्योगिक विवादों के सम्भव कारण ये हो सकते हैं

(१) उद्योग की समृद्धि के नाम पर या रहन-भहन के खंचे में बृद्धि हानि पर गजदूरों बृद्धि की मांग,

(२) काम के समय में कमी और छुट्टियों में बृद्धि की मांग।

(३) किसी वरक्षासन कर्मचारी दो पुन नियुक्ति की मांग

(४) छुट्टी के नियमों में अधिक सुविधा की मांग

(५) प्रबन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधित्व की मांग

(६) किसी ट्रेड यूनियन की मान्यता की मांग;

(८) मजदूरों के उद्याग के लाभ न हिस्सा बटाने की इच्छा या फैक्टरी में या उसके बाहर अधिक सुविधाएँ प्राप्त करने की इच्छा।

(९) दूसरे कारखानों में उद्यागों में हड्डनाल करने वालों से महायना।

(१०) सामान्य आनंदोलन या अमन्योष्य देवा दरने वाले राजनीतिक कारण।

अधिकतर विवाद साधारणतया, मजदूरी, भत्ते, बोनस और कर्मचारियों सम्बन्धी मामलों के बारे में होते हैं। इनमें बाद उपविवादों का नम्बर आता है, जो काम के घट्टों की साधारण दशाओं, ट्रेड यूनियन की मान्यता आदि के विषय में होते हैं। भारत में, औद्योगिक अशान्ति या औद्योगिक शान्ति की समस्या को विशालता, विशेषकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद के बाल में, वे ज्ञान के लिए पृष्ठ ६२० पर दी गयी दो सारणिया देखिए, जिनमें १९३९ और १९५५ के दो बीच के काल में हुए औद्योगिक विवादों के आकड़े हैं।

१९२१ से १९३९ तक दोस वर्ष की अवधि में भारत में विवादों की कुल संख्या ३४९५ थी, जबकि १९४६ से १९४८ तक के तीन वर्षों में विवादों की संख्या ४६९९ थी, यद्यपि १९४९ और १९५० में यह संख्या घटकर त्रिमास १३० और ८१४ हो गई थी, पर १९५१ में यह घटकर १०३१ हो गई, और १९५२ में किर घटकर ९६३ रह गयी—जबकि इसमें दो मजदूर और दो मनुष्य इन अन्तर्गत हुए। १९५३ में गिरकर यह संख्या फिर ७३२ हो गई, पर १९५४ में यह घटकर ८४० और १९५५में ९६२ हो गई।

१९४६-५१ की अवधि में हुए कुल ६८५० अभ विवादों में से लगभग एक तिहाई मजदूरी और भत्तों के बारे में, २०% बोनस के बारे में, २५% सेवा-मुक्ति, वर्ताव-स्तगी, विनेप वर्ग के आपरेटरों की नियुक्ति आदि कर्मचारियों सम्बन्धी प्रस्तोतों के बारे में, २०% छटनों के बारे में, १०% काम के घट्टों या अवकाश और छुट्टी के बारे में, और

### ओद्योगिक विवादों की सह्या प्रदर्शन करने वाली मारणी<sup>४</sup>

वर्ष	विवादों की संख्या	ग्रस्त मजदूरों की संख्या	उस अवधि में नष्ट हुए मनुष्य-दिनों की कुल संख्या
१९४९	४०६	४०९१८९	४९९२७९५
१९५०	३२२	४५२५३९	७५७७२८१
१९५१	३५९	२९१०५८	३३३०५०३
१९५२	६९४	७७२६५३	५७७९९६५
१९५३	७१६	५२५०८८	२३४२२८७
१९५४	६५८	५५००१५	३४४७३०५
१९५५	८२०	७४१५३०	४०५४४९९
१९५६	१६२९	१९६१९४८	१२७१७३६२
१९५७	१८११	१८५०७८४	१६५६२६६६
१९५८	१२५९	१०५६१२०	७८३७१७३
१९५९	९२०	६८५४५३	६६००५९४
१९५०	८१४	७३१८८३	१२८०६७०४
१९५१	१०७१	६९१३२१	३८१८९२८
१९५२	९६३	८०९२४२	३३३६९६१
१९५३	७७२	४६६६०७	३३८२६०८
१९५४	८४०	६७३१८३	३३७२६३०
१९५५	९६२	५६६३४९	४१२५६८५

### ओद्योगिक विवाद कारणों, सितम्बर १९५५<sup>५</sup>

कारण	विवादों की संख्या	ग्रस्त मजदूरों की संख्या	नष्ट मनुष्य-दिनों की संख्या
मजदूरी और भत्ते	२०	२५१३	४२९४
दोनम	३	२८१	२८१
कर्मचारी नियुक्ति	१३	२८३८	४३८२
छटनी	८	२८३	३५२९
छटनी और काम के घट्टे	५	३२२६	९९९
अन्य	११	६८६९	१५८०९
जनाता	५	८५५	९१८४
हुआ	६१	१६४६५	३८६४८

३०% अन्य कारणों से, जैसे काम की व्यवस्था, नियम और अनुशासन, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, आदि सहानुभूतिक हड्डताल आदि में पेंदा हुए। हाल के विवादों के ताजे आड़ों से भी यही अवस्था दृष्टिशोचर होती है। सिनम्बर १९५५ में हुए कुल ६१ विवादों में से २१ (३३%) मजदूरों और भत्तों के, ३ (५%) बोनस के, १३ (२१%) नियुक्ति सम्बन्धी मामला के, (३%) छटनी के, ५ (८%) छुटी और काम के घट्टों के, और ११ (८%) अन्य बानों के बारे में थे, और ५ विवादों के बारे में कुछ पता नहीं चला। विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण अब भी मजदूरी ही है। यद्यपि हाल के वर्षों में कमंचारी सम्बन्धी मामले भी अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत छटनी, सेवामुक्ति और बरखास्तगी, व्यक्तियों के आवरण आदि से सम्बद्ध विवाद हैं।

ओद्योगिक क्षेत्र में द्वितीय महायुद्ध के बाद अक्सर महानिक अशान्ति के मुख्य कारण ये थे (१) कौमों के स्तर पर रहन-सहन के खर्च की निर्देशन मस्तिशक्ति से सूचित रहन-सहन की लागत की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो गई थी। असल पर रहन-सहन का खर्च उतने में बहुत ऊपर था, जितना सरकारी निर्देशन अक्सर में सूचित होता था, और इसलिए मजदूरों को आय में जो वृद्धि हुई, उसमें उनके अनुरूप क्षतिपूर्ति न हुई। इसलिए अधिक मजदूरी और भत्तों की मात्र बढ़ती चली गई। (२) योन्या समृद्धि में वृद्धि स्थायी होती गई, त्योन्यों मह मात्र बढ़ती गई, कि मालिकों को रहन सहन का अतिरिक्त खर्च उठाना चाहिए जो वह अपने नक्के में बिना कोई विशेष कमी हुए बच्चों तरह उठा सकता है। (३) मजदूर युद्ध के दिनों में अत्यधिक बाम बरने में थके हुए थे। उन्हें अपनों अवस्था में मुधार के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिये। (४) विभाजन और साम्प्रदायिक उपद्रवों के बाइं जो आम विकास और अव्यवस्था एंली उसने ओद्योगिक अशान्ति को बहुत सहारा दिया। (५) बहुत से मालिकों ने जो जूठा भय पेंदा करके अपनी जिम्मेवारियों में बच निकलना चाहते थे, जानवृक्षों और उदानोंना प्रदर्शित की, वह ओद्योगिक अशान्ति का एक मुख्य कारण बन गया। पर पिछले दिनों टैक्सटाइल लेबर एसोसिएशन और अहमदाबाद मिल औनर्स एसोसिएशन में बोनस तथा विवादों के निपटारे के बारे में स्वेच्छया समझौते हुए हैं। १२ मार्च १९५६ की थी जें० आर० डी० टाटा ने ऐलान किया है कि मजदूरों को लाभ तथा प्रबन्ध में उचित हिस्सा दिया जाएगा। कानपुर की कुछ मिलों ने भी ऐसे ही ऐलान किये हैं। प्रतीत होता है कि कुछ हृदय-परिवर्तन हो रहा है, जो एक शुभ चिन्ह है।

भारतीय अमिक विद्रोही हो गया था। सारे देश में फैले हुए अमनोंप के परिणामस्वरूप हड्डतालें होने लगी, और कुछ जगह अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिए हिस्सा वा भी आश्रय लिया गया। यह बहने की तो आवश्यकता ही नहीं कि हड्डतालों और तालेबनियों का अर्थ है, राष्ट्रीय धन की हानि, जिनमें राष्ट्र उन वस्तुओं से विचित हो जाना है, जिनकी पहले ही रक्षा है। मिर्क एक उदाहरण देना काफी होगा। १९४८ में बन्वई बाली हड्डताल मिर्क दम किन चलों और इनमें देश को २० करोड़ गज कपड़े में विचित कर दिया और इनके अनावा थामियों को साड़े चार लाख दूर्यों की मजदूरी की

हानि हुई। तो भी यह विवाद बानम में और वह भी मजदूरों के एक बहुत छोटे हिस्से द्वारा मैट्रिकल (वपड़ा बनाते समय मजाकट के लिए धागे खीचने वाले) के बारे म था। अज हम देखने हैं कि “आवस्मिक हड्डताल”, “अन्दर रहा हड्डताल”, “सहानुभूतिक हड्डताल” आदि होनी है। उसके अलावा, जिस व्यवस्था में कार्य की दणाओं का नियोग मान और मक्षरण के नियम के अनुमार होना है, उसमें औद्योगिक हड्डताल और वगं युद्ध और बढ़ने की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। उस नियम का मालिक-मजदूर मध्यवन्धों पर लागू होने वाले उम्मलों में कार्ड सम्बन्ध नहीं। ट्रैड यूनियन इमके लाग बरते का विरोध करनी है। वन की ऋथ-शक्ति के मिदाल्न का ट्रैड यूनियन वादियों के पन्थ में कार्ड स्वान नहीं। मजदूर आर्थिक मुविधाएँ, वास की जच्ची दमाएँ और रहन-भहन का उचित स्तर चाहता है। यदि सुविधाएँ मिल जाएं तो मजदूर “हम काम के लिए नहीं जीते, जीते के लिए काम करते हैं” इस नये धर्म मन्देश को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगा, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुर्यानी करने की तव्यर होगा।

यह टमारे देश के औद्योगिक द्रविताम में परीक्षा का समय है, और राज्य, मालिक-तथा मजदूर मजक्को मिलकर औद्योगिक शानि वायम रखने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। परिचमी देशी में मजदूर और प्रबन्ध के बीच महयोग और मेल स्थापित करने में सम्मिलित परामर्श की बड़ी सफलता मिली। भारत म दिसम्बर १९४३ म एक काशिश की गई थी, जब विदेशी भारतीय उद्याग नम्मेन ने मर्वसम्मति में औद्योगिक शानि के मिदाल्न निष्पित करने वाला ग्रन्ताय स्वीकार किया था। मालिका और मजदूरों दोनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर काम करने तथा कानूनी व्यवस्था की महायता में अपने विवाद न्योयमगत और शान्तिपूर्ण रूपि में हड़ करने की प्रतिज्ञा की थी। यह मुल्ह देश के औद्योगिक जीवन में एक नये मोड़ की सूचर प्रनीत होती थी। मुल्ह के दोष वाद हड्डतालों और तालावन्दिया की मस्त्या बहुत कम हो गई थी, परन्तु कुछ ही दिनों म औद्योगिक अशान्ति किर बढ़ने लगी, और जैमा कि उपर्युक्त मारणिया के वाइटा में स्पष्ट है, विवादों की सत्या १९४८ बारी मस्त्या में कम होने पर भी अभी बहुत बड़ी है। प्रनीत होना है कि नम्मेन में दोनों पक्ष मुच्यन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल ने हृष्ट के आवर्पक व्यक्तित्व के कारण बचमबद हो गये। सभाव्यत, उनके मानविक दृष्टिरोपों में कार्ड परिवर्तन नहीं हुआ था।

इमी बीच राज्य ने अपनी ओर में औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, के स्वयं में नया विधान प्रस्तुत किया, जिसमें कार्ड नये उपबन्ध थे, और फैक्टरीज एकट १९४८ प्रस्तुत किया, जिसमें मजदूरों के कल्याण और संवेतन छुट्टी देने आदि के बारे म बहुत से नये उपबन्ध हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ अनेक विभिन्न प्रकार की फैक्टरियों में निर्धारित योग्य मजदूरी मुनिश्विन स्पष्ट में दियाने में बहुत महायक है। ट्रैड यूनियन ऐक्ट में कार्ड नये उपबन्ध उद्योग में लोकनन्दन की भावना का प्रबोध कराने हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ मानाजिक मुरक्का के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है, और ग्रोवीडेण्ट फ़ाउंड ऐक्ट (मविष्य निधि अधिनियम) १९५२ के स्पष्ट में प्रस्तुत नये

विद्यान में डूड़ों के गिरा व्यवस्था को मर्त है। जीवोगिक विद्याद अधिनियम विवादों के ग्रेकने और नव करने के लिए बहुतानों के दो नये मण्डलों, अर्थात् कानूनाना कमेटियों और जीवोगिक जदालनों की स्थापना का प्रबन्ध करता है। यह नार्वेजिन उद्योग और जीवोगिक जदालनों की स्थापना का प्रबन्ध करता है। यह नार्वेजिन उद्योग को नेतृत्व में नव विद्यादों में समझौते को जनिवार्म, और जन्म उद्योगों में ऐनिझ बनात्वर को नेतृत्व में नव विद्यादों में समझौते को व्यवस्था को नई दिशा देने का यत्न करता है। यह अर्निवासन समन्वय और न्याय-नियंत्रण की कार्यविधि चालू हाले के दिनों में हड्डियाँ और नार्वेजिनियों पर पाइयाँ लगताना है, और उन वार्षिकियों के फैसलों और पचाटा को भरकार अनियंत्रित लाने का यत्न है। परन्तु पूजी और अम में वास्तविक नामजस्त पैदा करने के लिए मिर्क बानून काफी नहीं है। स्वामिन्व के गावायिपत्य की धारणा के स्वान पर ममिन्विन परामर्श होना चाहिए। प्रबन्ध और अम के बीच दिनिक नभवन में एक दूसरे के दृष्टिकोण का समझने के लिए मानूनी बठिनादियों को, जो यदि बट्टी रहे, तो भयहर स्वयं धारण दर मरती हैं, हड्ड करने का उत्तम मांका निलना है। अम और भयहर स्वयं धारण दर मरती हैं, हड्ड करने का उत्तम मांका निलना है। अम और प्रबन्ध को आधी-आधी दूर तक आगे बढ़ाकर निलना चाहिए और मध्य मार्ग पर चलना चाहिए। माधारपत्या मजदूरों के मन में “स्वामानिव अधिकारो” की भावना घर कर जानी है, जिनके कारण के कानूनिक भवों में चिनित रहते हैं, परन्तु देंड दूनियन नेताओं को उन्हें मह पाठ पड़ाना चाहिए कि उनका जैसे अपने प्रति कर्तव्य है, वैसे राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है। जीवोगिक सम्बन्धों को नये दृग में विन्दम्बन करना चाहिए, जिसमें पूजी मी कर्तव्य है। जीवोगिक सम्बन्धों को नये दृग में विन्दम्बन करना चाहिए, जिसमें पूजी प्रबन्ध और अम दोनों के हिस्सेदार हैं, और अन्त उन्हें वायोंके अनुमार, अधिकारों विस्मेतारियों और पुरस्तारों के हिस्सेदार हैं। जिसने नई विधियों की परीक्षा की है, उन्होंने देखा है कि उन्हाइन बड़ा जाता है, विवाद कम हो जाता है, मन्ददान समय बच जाता है, और कारखाने का मारा स्वर ही बढ़ा जाता है। मजदूरों में चुम्ली लाने का एक बहुत प्रभावी तरीका यह है कि कन्याण कार्य के क्षेत्र में उन्हें धनेनर उद्दीपक प्रदान किया जाए।

**किया जाए।**—प्रचलित प्रयोग में कन्याग कार्य का जर्य है मालिक द्वारा अन्ने मद्दूरों की दसा सुनारने के लिए स्वेच्छया किया गया प्रयत्न। इसी कार्य में मानवों वारक अन्ने महीं प्रवास में आता है, क्योंकि चाहे इन दून तथ्य से बचने की किनारी भी कोणिश करे, पर हम इसमें बच नहीं सकते, कि मजदूर की मद्दत मूल्यवान निधि उभरा स्वाम्य, जिन और बुद्धि है, और उनके काव्यव्यञ्ज जीवन की दीर्घना और गेंग का निवारण ऐसी मनम्माए है, जो प्रथेंक मालिक पर अन्नर हानीं हैं। इन तथ्य को मद्दतों स्वीकार करते हैं। परन्तु इसी बहुन में ऐसे कारबानेदार हैं, जिन्होंने अन्ने प्रदुष भाइयों के अन्दे उदाहरण का अनुशरण नहीं किया। ऐसे मालिकों ने जागृत करने के लिए राज्य ने स्वाम्य और सुरक्षा के बारे में न्यूनतम कर्तव्य निश्चित कर दिये हैं और धुलाई की नुविमा, प्राप्तिक उत्तरार के उपराणों, चराहारणहो, विद्यान घरों, बाल घरों आदि विभिन्न कल्याण की विभेद व्यवस्था की है। पात्र सी या इसमें अधिक मद्दूरों वो काम पर लगाने वाली प्रत्येक फैक्टरी को कन्याग अपिकारी (वेन्डर) पर

अपसर) नियुक्त करने पड़ते हैं, और कल्याण व्यवस्थाओं के प्रबन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधियों की साथ रखना पड़ता है। थम कल्याण के लिए कानून बनाने के अलावा भारत सरकार ने द्वितीय विष्व युद्ध के बाद में थम कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्रिय दिलचस्पी लेना शुरू किया। बैन्द्रीय सरकार के लगभग २०० वारसाने हैं, जिनमें थम कल्याण निधि चल रही है, और १९५४ के अन्त में इसकी कुल राशि दस लाख रुपये थी। निजी वारसानेदारों को भी कल्याण ट्रस्ट निधि स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, पर यदि स्वेच्छिया करने की प्रेरणा विफल रहे तो थम स्थायी समिति का मुश्कार है, कि कारखानेदारों को कानून द्वारा में निधि स्थापित करने को वाचित किया जाए।

विभिन्न राज्य मरकारे भी कल्याण बेन्द्र स्थापित करने मजदूरों के कल्याण में सक्रिय दिलचस्पी ले रही हैं। उदाहरण के लिए, बम्बई मरकार ने ५८, विहार ने ४, उत्तर प्रदेश ने ४६ और पश्चिमी बंगाल ने २१ कल्याण बेन्द्र स्थापित किये। अन्य राज्य ने या तो बेन्द्र स्थापित किये, या उनकी योजना बनाई। इन बैन्द्री की स्थापना में राज्य सरकारों के मुख्य उद्देश्य में है—

(१) मजदूरों को ट्रेड यनियन और थम समस्याओं की शिक्षा, •

(२) बच्चों और बड़ों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देना,

(३) पर के घन्दर के और पर के बाहर के लेलो, गोटियो, मिनेमा चित्रों प्रदर्शनियों, व्यायामशालाओं, अलाटों फ़ज़्वारान्स्लानों जादि के हृष में मनोरञ्जन की सुविधा देना;

(४) मजदूरों को चिकित्सा की सुविधाएँ देना।

बैन्द्रीय और राज्य सरकारें जो कुछ कर रही हैं, उम्मे अलावा वारसानेदारों को मजदूर और उम्मे परिवार पर आने वाली मुनीबनों और जापतियों को दूर करने के लिए सुविधाएँ देने को दृष्टि से स्वयं कार्य करना चाहिए। इनमें स मुछ कार्य इस हृष में हिये जा सकते हैं।

मजदूर के मन में देकारी का भय सदा विद्यमान रहता है। वह अपने कार्यकाल की सुरक्षा या स्थायी रोजगार चाहता है। यदि कोई ऐसी व्यवस्था सौची जा सके, जिसमें स्वीकृत नियमों के अनुमार, कुछ वर्षों की सेवा के बाद रिटायर होने की उमर तक स्थायी रोजगार की गारंटी हो तो इस भय को कुछ दूर किया जा सकता है, औद्योगिक अनुशासन बनाया जा सकता है, और औद्योगिक सम्बन्धों को एक नये आधार पर लाया जा सकता है।

दुर्घटनाएँ और उनका निवारण—१९५७ में २६,३७,८३१ औद्योगिक मजदूरों में ६८,३६२ नष्ट-ममत दुर्घटनाएँ हुईं। इनमें से ४७४ घानर, १०,१०७ गम्भीर, ५७७८१ मामूली थीं, जिनम भारी हानि हुई। फैक्टरीज एक्ट में वटे उच्चे दरजे की सुरक्षा व्यवस्था रखी गयी है, और मालिक के लिए यह देखना आवश्यक है कि मजदूर सुरक्षा सांख्यों का उपयोग करे। यदि मजदूर सुरक्षा सांख्यों का उपयोग न करे, तो उम

भी केंद्र या जुर्माना या दोनों को सजा दी जा सकती है। दुर्घटना निवारण भी उसी तरह प्रबन्ध वा कर्तव्य है, जैसे लागत में कमी करना। मेनुपैक्चरिंग में होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएँ मदीन गाड़ों की कमी से नहीं होती, बल्कि मनुष्य की भूल से होती है। आठ हजार मजदूरों वाली मिल में अनुसन्धान करने के परिणामस्वरूप लेखक ने देखा कि अनिवार्य परिस्थितिया, अर्थात् सच्चे अर्थ में दुर्घटनाएँ, कुल दुर्घटनाओं का उन्नीस प्रतिशत थी, जबकि मनुष्य—अर्थात् असावधानी, अनुभवहीनता, पर्यवेक्षण की अपेक्षा अधिक धायल होते हैं, और कुशल की अपेक्षा अकुशल। पछे जाने पर धायल व्यक्तियों ने दुर्घटनाओं के लिए अपने भाष्य को दोषी ठहराया। एक सुरक्षा आन्दोलन शुरू किया गया, और पर्यवेक्षण कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक सप्ताह के भीतर उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए। इम आन्दोलन से पहले प्रतिदिन औमनन एक दुर्घटना होनी थी और पहला सुरक्षा आन्दोलन शुरू करने के बाद तीन महीने तक मिल में कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसलिए यह कह देना उचित होगा कि सुरक्षा कार्य मालिक के लिए, अपने वर्मचारियों की समितिया बनाने और उन्हें दोनों के लाभ की दृष्टि से ग्रन्थ के साथ मिलकर काम करने वी आदत डालने का सबने उत्तम अवसर है।

**डाक्टरी सहायता—** औद्योगिक मजदूरों में रोग का अनुपात बहुत अधिक है, जिसमें काम के समय भी हानि होने है। मजदूर को अपने प्रति निष्ठावान बनाने के लिए डाक्टरी सलाह और डाक्टरी सहायता मुख्य कार्य कार्य है, परन्तु डाक्टरी सहायता फैक्टरी में ही ममाज नहीं हो जानी चाहिए—यह मजदूर के घर तक पहुँचनी चाहिए। मजदूर की दशना फैक्टरी की तरह घर की अवस्थाएँ खराब होने से भी घट जानी है। जो आदमी अपनी तपेदिव वीमार पली की देखभाल में, या वीमार बच्चों की देखभाल बरने में रातों जागना है, उसमें गम्भीर होने की अप्रिक सम्भावना है। वह इजन चलाने या मझोन चलाने के लिए ठीक आदमी नहीं। घर पर जाने वाली नर्म या कल्याण कार्यकर्ता बच्चे की जान बचा सकती है, या बच्चों को खिलाने, पिलाने और उनकी देखभाल बरने में माता को निर्देश दे सकती है, कर्तव्य-त्रिमुखता के बारणभूत कष्ट का पता लगा सकती है, अनुपस्थिति कम कर सकती है, सफाई, मजोशी और बचत के पाठ पढ़ा सकती है, और साधारणतया कष्टघोड़ित परिवार की मिर भिन्न हो सकती है। वह घर वा सारा वातावरण बदल सकती है, और मालिक के प्रति मजदूर में स्थायी विश्वास पैदा कर सकती है। देश में कई बड़ी फैक्टरियों ने डाक्टरी सहायता और मुविद्याओं की व्यवस्था बी है, और उनमें से कुछ ने नसें तथा स्वास्थ्य-निरीक्षक भी नियुक्त किये हैं।

बानूनी और वित्तीय सहायता—मजदूरों को परेशानी और पैसे अमन्यसना से बचाने के लिए बानूनी और वित्तीय कठिनाइयों में उन्हें मदायता देने की व्यवस्था बनानी चाहिए। उच्च कर्तव्यानुराग रखने के लिए और मजदूर को बाहर अनु-

पस्थिति में वचाने के लिए कुछ रपदे वचं वर देना अच्छा है, जो वस्त्रों को उसके मामले में जपने कानूनी मलाहकार या उमड़ी ओर में विशेष रूप में समनावर भजे गये व्यक्ति में उम मामले को वरने में देने पड़ेंगे।

मजदूरों को घन उधार देने की समस्या जरा मुश्किल है, और माथ ही ऐसी है, जिसे काफी कुशलता में हल करने की आवश्यकता है। मजदूर मुमीदन के समय के लिए शायद ही कभी कुछ वक्ता सहित हो। जब जम्मत आ पट्टी है, तब चून मा स्पया प्राप्त वरने की समस्या भी बड़ी कठिन होती है। शायद कभी महाजन के पास जाने में समस्या हो जाय, पर यह मौता बड़ा महण पत्ता है। व्याज की दर प्राप्त इतनी छोटी होती है कि कर्जदार मूलधन मुश्किल में ही चुका पाना है, और व्याज जमा होने-होने कुल कण इनना अविक्ष हो जाता है, कि वह स्थारी दोष बन जाता है। मजदूर वो महाजन के चारूल में वचाने के लिए मालिक को जम्मत के समय अपने कर्मचारियों को रपदा उपार देने की व्यवस्या करती चाहिए। क्रण दो प्रकार हैं, एक तो ढोटी-ढोटी रकमें, जो अजिन मजदूरी की मात्रा में पेशगी दी जा सकती है। मैनेजर को उम तरह की प्रायंना आनानी में स्वीकार कर लेनी चाहिए, दूसरे कि उसे वह आवश्यकता मर्ही मानू म हो। दूसरे, वही रागि १००) रपदे, या २००) स्पने जम्मी धरेलू आवश्यकता के लिए व्यवेक्षित हो सकती है। इस तरह का क्रण जिनी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा तथ्यों की जांच के बाद दिया जा सकता है, और क्रण की रागि का उल्लंघन करने वाला उचित विवरण तथा इसके चुकाने का आपार लिख देना चाहिए। इकरारनामे पर स्टाप्ट लगाकर उमड़ी एक प्रति कर्मचारी को दे देनी चाहिए और उगम यह गिरवा लेना चाहिए कि क्रण चुकाना न होने तक उमड़े बेनन में एक निर्दिचन रागि काटी जाती रहे। व्याज की दर नामधार जानी चाहिए, और क्रण की बात गुज रखनी चाहिए।

इन मामलों के अलावा कर्मचारी-अधिकारी जो निम्नत्रिवित मामलों में त्रियात्मक प्रबन्धर्थन और सहायता करनी चाहिए-

कारखाने और घर के बीच परिवहन की नुवियाए। उमके लिए निवाम-स्थानों और परिवहन के उपलब्ध सापनों का सावधानी स अध्ययन, तथा स्थानीय परिवहन अधिकारियों ने नहरोंग करना होता है।

काम करने से लक्षितिवित समय में स्थानीय प्रोट-गिक्का बेन्द्र, सापकारीन क्लानों, कर्म द्वारा आयोजित कराना और भागणों द्वारा गिंजा की नुवियाए।

जहाँ स्वयं मार्ग है, वहाँ मनोरजन की और भागाजिक नुवियाओं, ममिलनों और मनारजन का जायोजन किया जा सकता है। शोकिया कामों तथा दम्भकारियों को प्राप्त्याहित किया जा सकता है।

मुमीदन के समय मजदूर और उमड़े परिवारों की महायता। इनके लिए पारस्परिक महायता कल्प स्थापित किये जा सकते हैं।

स्ट्रायर होने के बाद पेन्डन की याजना भी ज्ञाय बरनी चाहिए, जिसमें

मजदूर रिटायर होने के बाद अपने रहन-पहन का वह म्हर काम रख सके, जो वह नौकरी के समय रखना था और जो उनकी स्थिति के अनुहृष्प है।

**ओद्योगिक गृह-निर्माण**—भारत में गृह-निर्माण की अवस्थाओं के बारे में जितना कम कहा जाय, उतना ही अच्छा है। लगभग सब औद्योगिक कारखाने अपने मजदूरों के कुछ अवश्य के लिए मकानों की व्यवस्था करते हैं, और यद्यपि विभिन्न स्थानों के अन्याय दसाओं की भित्ता होनी अनिवार्य है, पर साधारणतया ये मकान पशु-परों में बच्चे नहीं। मद्रास के चैरी वम्बई के चाल कल्कत्ते की अवस्था और कानपुर के अहाते, जिनमें दम पट्ट लम्बा दम पट्ट चौड़ा मिर्क एक कमरा होता है जिसमें परिवार के दम या अधिक आदमी रहते हैं, मम्पता के नाम पर बल्क है, और इन्हे प्रशान्तमत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वादो में, जला डालना चाहिए। यदि आवास की व्यवस्था और रहन-नहन की अवस्थाएं अच्छी हों, तो अच्छे दरजे के मजदूर काम पर आयगे और वे सन्तुष्ट तथा स्थायी होंगे।

भारत सरकार ने १९५० में एक औद्योगिक आवास योजना चालू की थी। वित्तीय वर्ष १९५०-५१ में यह योजना मिर्क भाग 'क' राज्यों में लागू थी, और उन्हें एक करोड़ रुपये की राशि कर्ज के रूप में दी गई थी। १९५१-५२ में वह भाग 'ख' और 'ग' राज्यों में (जम्मू और कश्मीर को छोटकर) भी लागू की गई, और इसमें इन राज्यों वो १६८ करोड़ रुपया रुप देने की व्यवस्था की गयी। १९५०-५१ में इन लेने वाले राज्यों द्वारा केन्द्रीय कर्जों से बनाये गये मकानों की संख्या २४८१ थी और १९५१-५२ में १५०० थी। ये कल्याण व्याज के थे और निर्माण के कुल व्यय का दो-तिहाई अन्त पूरा दरने थे। ये प्रभाग राज्य सरकार या श्रमिकों के दारखानेदारों को लगाना था। कवार्टर सरकार द्वारा स्वीकृत प्रमाण के बनते थे, और मजदूरों ने उनको आय का १०% या निर्माण व्यय का दो प्रतिशत, इन दोनों में जो कम हो उसमें अधिक विरामा नहीं लिया जाना था। १९५४ तक १५८८७ मकान बनाये गये थे और कन्नूर १९५२ तथा मार्च १९५५ के मध्य ३३६ करोड़ रुपये के कल्प तथा ३१ करोड़ रुपये की महायना से ५४०३० मकान बनाये गये थे।

पहली व्यवस्था योजना में आवास के लिए ३८२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। नियम्बदर १९५२ से राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना चालू की गई। इस योजना के अंतर्गत भारतीय सरकार ने महायना और क्षेत्र स्वीकार किये। राज्य-सरकारें मकानों के व्यय का ५०% सहायता के रूप में और इतना ही कल्प के रूप में ले सकती हैं। पर उत्तर भारत के नगरों में एक मकान पर अधिकतम व्यय २३०० रुपये और वम्बर्द तथा कल्कना में ८००० रुपये से अधिक न होना चाहिए। इस योजना के अधीन मालिकों और मजदूरों के दोनों मकानों मिनिया भी २५००-३०० तक सहायता ले सकती है। इसके जल्दी मालिकों को सर्व का माफ नीति प्रनिधन तक और मजदूरों की महाकारिता मिनियों की ५० प्रतिशत तक कल्प भी मिल सकता है, जो वार्षिक वित्तों में १५ दर्दों में चुकाना होता। दिनम्बदर १९५३ तक ३६९ लाख रुपये

कृष्ण के रूप में और ३४३ लाख रुपये सहायता के रूप में सरकारी को २४१३० ब्रांटर बनाने के लिए देने स्वीकृत किये गये, और देश के विभिन्न नगरों में ४६६८ कार्टर बनाने के लिए कारखानेदारों को ३७ २६ लाख रुपये देने स्वीकृत हुए।<sup>१</sup>

दूसरी पचवर्षीय योजना में ५० ब्रांटर रुपये की लागत से १,४२,००० औद्योगिक मकान सरकारी आधिक सहायता द्वारा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक भवन निर्माण योजना के कार्य पर पुनर्विचार किया जा रहा है, क्योंकि प्रचुर सहायता तथा कृष्ण और जन्य सुविधाओं के बाबजूद मालिकों ने इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। द्वितीय योजना में गन्दी बस्तिया समाप्त बरने का कार्यक्रम भी रखा गया है।

अब तक जो कार्य किया गया है, वह आवास समस्या के बहुत घोड़े अग्र को हल करता है। देश के महत्वपूर्ण नगरों में गवर्नरी गन्दी बस्तिया भरी पड़ी है, पर मार्च १९५४ में सहस्र में केन्द्रीय आवास मंत्री द्वारा दिये गये बननव्य के अनुसार प्रगति सन्तोषजनक है।

अन्त में यह कह देना उचित होगा कि अब तक इस दिशा में जो कुछ किया गया है, यह जनिच्छा से और अनुग्रह की भावना से किया गया है। कोई सेवा की वाहनविक भावना या साझे काम म सहकारिता की भावना इसमें नहीं रखी। प्रबन्ध ने प्राय इतनी अग्रोभा के साथ काम किया है, कि मजदूरों में विश्वास की अपेक्षा सन्देह अधिक पैदा हुआ है। बहुत में कारखानेदार यह अनुभव नहीं करते, कि कल्याण आन्दोलन पूर्णतया प्रियात्मक आन्दोलन है। यह कारखानेदार का काम है, और उसे अपनी ओर से बरना है। यह कोई कर्मार्थ काम नहीं है। यदि एक जाधुनिक कम्पनी अपने विश्वाल भौतिक साधनों और अपने कर्मचारियों और मजदूरों की योग्यता द्वारा बाजार के लिए बस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इतनी सफल हो सकती है, तो उसे अपने निजी सदस्यों के लिए सेवा—जीवन के बड़े दुर्भाग्य और सकंदरी से रक्षा—के उत्पादन में दक्ष बयो न होना चाहिए। इस भारतवासी भाग्यशाली है, कि यहा अब तक कोई सर्वहारा वर्ग नहीं पैदा हुआ, जैसा औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए कुछ देशों में है। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि ऐसे देश ने उद्योगीकरण कर्त्ता कि इस प्रब्रम म सर्वहारा वर्ग न पैदा हो। यह यह समझ लेना चाहिए कि औद्योगिक अर्थ ध्यवस्था में मजदूर एक पूजी साधन है—वह एक मनुष्य है, और उससे एक ऐसे मनुष्य जैसा ही ध्यवहार होता चाहिए, जो जीवन की उन सब अच्छी बस्तुओं का हकदार है जो पूजी के नियत्रक के पास हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर इनना कहने में सब बात आ गई कि संगठन एवं जीवन का मामला है, और जीवन का अर्थ है एकीकरण न कि, विरोध।

अध्याय :: २६

## मजदूरी देने की विधियाँ

अम और प्रबन्ध मे पैदा होने वाले अन्य प्रस्तो के महत्व के बाबजूद सबसे महत्वपूर्ण मामला मजदूरी हो है। यह औद्योगिक प्रबन्ध को सबसे अधिक विवादास्पद समस्या है। मजदूरी तय करने की बातचीत के परिणाम पर मालिक को लागत और मजदूर की आय निभंर है। अनुच्छेद के बुद्धि-कोशल का यह दुखद परिचय है कि मजदूरी देने को कोई ऐसी विधि नहीं तिकाली जा सकी, जो अम और प्रबन्ध दोनों को स्वीकार्य हो, परन्तु एक तर्बसगत मजदूरी नीति से मजदूर को कारबार-बक (विजनिस साइ-बल) का वह अधिक से अधिक वेतन मिलना चाहिए, जो इस कारबार-बक पर सम्भव अधिकतम रोजगार के साथ सगत हो। इससे कारबानेदार पर वेतन का इतना और पहले से जाना जा सकते वाला बोझ पड़ना चाहिए, जिसमें उस बक मे श्रम लगत वी नम्मता और खर्च किये गये प्रत्येक मजदूरी रूपये की दक्षता का मेल हो सके। इससे अर्थ-व्यवस्था की अधिकतम स्थापिता प्राप्त होनी चाहिए। अन्त में, मजदूरिया शुद्ध स्वीच-तान से नहीं तय की जा सकती। मजदूरी निर्धारण की दो स्पष्ट क्रमावस्थाएँ हैं— मजदूरी के बोझ और अन्य प्रासादिक कारकों के बारे मे सौदेबाजी, और सुनिश्चित मजदूरी दर वा निर्धारण। सारे उद्दोग के लिए विये जाने वाले निर्धारण से मजदूरी बोझ वा पता चलता है और किमी एक कारबाने से मजदूरी दर वा पता चलता है। साधारणतया मजदूरी सम्बन्धी सब बातचीत मजदूरी दर के बारे मे होती है, परन्तु कारबाना बास्तव मे प्रति घटा या प्रति बस्तु मजदूरी दर मे दिलचस्पी नहीं रखता वह तो उत्पादन की प्रति इकाई पर पड़ने वाली मजदूरी वी लागत मे दिलचस्पी रखता है। मजदूर भी प्रति घटा या प्रति बस्तु मजदूरी वी लागत मे दिलचस्पी नहीं रखता, वह अपने आपमे दिलचस्पी रखता है। इसलिए समाज, प्रबन्ध, और मूलियनो के लिये प्रमुख प्रश्न यह है कि उत्पादन पर मजदूरी का बोन क्या पड़ेगा। कुल व्यय वा वित्ती हिस्सा अम पर व्यय होगा? कुल आय मे से धमिक को वित्ती जाय होगी? इस प्रवार मजदूरी दर वा प्रस्तुत सबमे अन्त मे सोचने का है, सबसे पहले नहो। क्योंकि सब मजदूरी बातों का लक्ष्य समझोना है, इसलिए बार्ना मे प्रयमत वे बातें आयेगी जो मजदूरी नार-बोर्डियारिया भंडामार्क हैं।

मजदूरी को प्रभावित करने वाले कारक—मजदूरी को प्रभावित करने वाले कारक के हैं: एक वे जो साधारण मजदूरी स्तर को प्रभावित करते हैं, और दूसरे वे जो एक कारबाने मे विभिन्न बायों वी मजदूरी दरों को प्रभावित करते हैं।

साधारण मजदूरी स्तरों पर आम तौर से माग और सम्भरण, सरकारी मजदूरी नियन्त्रण, प्रचलित मजदूरी, रहन-सहन के स्वर्च, मजदूरों की बमाई में प्रादेशिक और औद्योगिक अन्तर, संगठित थम भी शक्ति और उत्पादन की लागत से प्रभाव पड़ता है। कारखाने के अन्दर मजदूरी दरों को प्रभावित करने वाले कारकों में, उद्दीपन बनाम प्रति घटा मजदूरी वाले कार्यालय, गैरन-वित्तीय उद्दीपन, कम्पनी की नीति, सम्भरण और माग, सामूहिक सौदेबाजी से हुआ समझौता और कार्यालय मूल्यांकन है। माग और सम्भरण के नियम का मजदूरी के स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है, परन्तु कुछ समय से प्रबन्ध और थम आधारभूत कारक के स्पष्ट में इस "नियम" का उत्तरोत्तर कम सहारा लेते रहे हैं। मजदूरों की कमी हाने पर बहुत ऊँची मजदूरी देने से लागत कम रखने में बढ़िनाई होनी, है और फिर जब इस तरह मजदूरी घटाना आवश्यक हो जाता है तब और झगड़ा पैदा होता है। विलामन, मजदूरों की प्रचुरता हाने पर कम बेतन देने से हीने वाले कमंचारियों के अमतोप और दवे हुए क्षाम के स्पष्ट में जागृत लागत आनी है वह अन्ततोग का मजदूरी म हाने वाली बचत की तुलना में कही जानिए है। सरकारी कार्यवाही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८, से प्रकट होनी है, जिसमें विशिष्ट उद्योगों द्वारा कुछ न्यूनतम मजदूरिया देने का उपबन्ध है। चालू मजदूरी वह मजदूरी है जो इस वस्ती म प्रचलित हानी है, परन्तु कुछ कम्पनियां समाज में मजदूरों की सद्भावना जारी रखने के लिए उसमें अधिक मजदूरी देती हैं। बहुत सी कम्पनियों ने रहन-सहन के स्वर्च या अधिक यथार्थत नहीं जायता मजदूरों की अय शक्ति का प्रभावित करने वाले रहन-सहन के स्वर्च के परिवर्तना का उपयोग करके लाभ उठाया है। सुसंगठित मजदूर, जो समर्थ नेताओं के नेतृत्व में वाम बरते हैं, यूनियन और प्रबन्ध की बातोंत द्वारा ऊँची मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न मूल्य भी तुलना में उत्पादन की जो लागत होती है वह कारोबार चालू रखने की इच्छा वाली कम्पनी द्वारा दी जा सकते वाली मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देती है। बोर्ड कम्पनी उस वस्तु के लिए, जो उसे प्रतिस्पर्द्धा या अधिकतम मूल्य निर्धारण के कारण एवं स्पष्ट में वेचनी पड़ेगी, मजदूरी पर सबा रपया स्वर्च करने वाली मजदूरी नीति पर बहुत देर नहीं चल सकती। यह सीमा निर्धारण करने वाला कारक इतना स्पष्ट है कि बहुत बार उपर्युक्त कारकों में से एक या दो की दृष्टि से मजदूरी तय करते हुए लाग इसे नज़रन्दाज कर देते हैं।

पर इस बात पर तो समझौता हो सकता है कि मजदूरी नय करते हुए जिन-किन कारकों पर विचार किया जाय, ऐसे इस बात पर समझौता होना कठिन है कि इन कारकों वा निवचन और महत्व-निर्धारण कैसे किया जाय। यह सच है कि यूनियन के "अय शक्ति" से सदानंत तथा मोरक्का के "पूजा सचय" नीमदान्त में समझौता होने की आगा नहीं की जा सकती। सामजिक स्थापित करने के लिये बार्ता टोम आधारों पर होनी चाहिए, सिद्धान्ता पर नहीं। इसमें बातावरण बढ़ाव जायगा और सहयोग की प्रेरणा मिलेगी। आज दाना पक्ष विवाद-युद्ध का निर्णय करने के लिए मिलते

है। दोनों पक्ष ताज्जालिक लान प्राप्त करने के लिए जामारमूत नीति के बारे में तर्क का उल्लंघन पक्ष दुश्मानों करता है। उदाहरण के लिए, यूनियन जोर-बोर में यह कहाँगी कि जब तक रहन-महन के भर्व को दमना (इंडेक्स) बढ़ रही है तब तक मजदूरी के प्रसव में मजदूर मुख्य बाज़ रहन-महन का सचें है। उनमें ही जार-जार में वह पह भी कहेगी कि ज्याहाँ दमना नीचे जाने लगेगी तभीही मजदूरी में हमारा कोई दास्ता नहीं रहगा। प्रबन्ध १९३० आदिके, और हाल के मध्ये के बाइमार्च और अप्रैल १९५३ के दिनों की, “देने में असमर्थन” पर बहु देश और १९४० के सूब कारावार के दिनों में उनका जिक्र नुस्खा नहीं चाहिया। एक-दूसरे का छानने के इस सामर्थ्य का हल करने के लिए बानवीन, मजदूरी बोझ में सीधा मध्यन्द रखने वाले कारक पर केन्द्रित हानी काहिए, जिनमें मजदूरी के बारे म दूसरालिक आयिक नीति ताज्जालिक लाभ देने की प्रवृत्ति पक्ष रोक लगा दे।

मानूर्हिक मौदेवारी की इन अव्याधणा से कारबाने का निश्चिन भविष्य दाने मजदूरी बाज़ का पक्ष बहु नहीं विसर्गी उसे उन्होंनी ही अविक जामदमकना है जिनकी मजदूर का निश्चिन भविष्य बाली शामदनों की। ट्रेड यूनियन के लिए यह और नीं जरिक महन्द की बात है। इनमें ट्रेड यूनियन को इस उद्योग के सारे क्षेत्र में, जिसमें उम्मा एक बैंग तथा महावर्षी कायं है, मार्यक स्पष्ट में जाना प्रतिस्त फारम रखने का मौका मिलेगा। मामारण समझौते के लिए उचित स्वर मारा उठोग है, पर बामधिक मजदूरी दरों और मजदूरी नविदाओं के बारे में मौदेवारी करने के लिए उचित स्वर अन्न-अन्न बारबाता है। यह बाज तब विशेष स्पष्ट में भी है जब हम निश्चिन-भविष्य आप की और गोजामार याजनाएं तथा लाभ के हिस्सा बटाने की धोजना, या आजम्यक स्पष्ट में कारबाने-कारबाने में नित होती है, स्वीकार करने वाले हैं—और वहे मर्याद रोति में मार्डिन कारबानों में इन्हाइ-इकाई में भिन्नता होती है। मजदूरों नीति मध्यन्दी बातों में यूनियन और प्रबन्ध में बार प्रसन्नों पर विरोधी विचार होते। पहला प्रश्न यह है कि मुख्य बाज उन्नासन है पा आप। “पूजी मूल्य” मिदान और “क्षेत्र शक्ति के अनाद” के मिदान के पक्षान्तियों में यह विवाद तर्क की दृष्टि से उन्होंनी निर्योक्त है जिनका यह विवाद कि मुर्गी पहले हुई पा अदा, परन्तु राजनीतिक दृष्टि से यह दोनों पक्षों के लघ्यों, प्रयोजनों, और जिम्मेदारियों के बीच विद्यमान आवार-भन मेंदों को सम्पूर्ण में प्राप्त कर देता है। इनलिए इसका भासूर्हिक मौदेवारी में रहग मध्यन्द है। दूसरा आधारमूल प्रश्न यह है कि जिसी कारबाने को “ओमन में ऊर” पा “ओमन में नीचे” उन्नासक दमना तथा इसके मजदूरों बोझ में करा जन्मान हो। यदि कोई कम्पनी उस उद्योग के ओमन में बाईं कम दमना की दर पर कायं करती है तो प्रबन्ध अस्वय यह कहेगा कि यदि इसका कारण मजदूर की निम्न उन्नासना नी नहो है तो इसका कारण आज्जालिक परिस्थितियाँ हैं, न कि प्रबन्ध की अपास्थिता। प्रबन्ध निश्चिन है कि प्रबन्ध निम्न उन्नासक दमना को ओमन में कम मजदूरी भार के लिए प्रबन्ध नहीं समझता। दूसरी ओर, यदि उन्नासन ओमन में ऊर है तो निश्चिन स्पष्ट से दूनियन यह कहेगी कि इसमें मजदूरों की अविक उन्नासना

प्रगट होती है, जो "ओसत से ऊपर" मजदूरी दरों में दिखाई देनी चाहिए। तीसरा प्रश्न भी उत्पादकता की समस्या में से ही पैदा होता है। उत्पादकता वृद्धि का लाभ किसे मिलना चाहिए? यूनियन कहेगी कि सारा लाभ ऊची मजदूरी दरों के रूप में मजदूर को मिलना चाहिए। प्रबन्ध यह कहेगा कि सारा लाभ या कम से कम इसका बहुत बड़ा हिस्सा कारखाने और उपभोक्ता के बीच में बढ़ जाना चाहिए, अर्थात् अधिक लाभ और सस्ते मूलयों के रूप में वितरित हो जाना चाहिए। सभाव्यत मतभेद का सबसे अधिक कठिन मुद्दा यह होगा कि दब्ती हुई उत्पादकता का लाभ मजदूर को बद मिलना चाहिए। क्या मजदूरी बढ़ने से पहले उत्पादकता बढ़ जानी चाहिए, अथवा कारखाने वो उत्पादकता बढ़ने से पहले और रूपया लगाना चाहिए? यूनियन कहेगी कि मजदूरों का अधिक बेतन देने से पहले उनसे अधिक उत्पादन की आशा करने का मतलब यह है कि आप आधिक प्रगति का बोझ उन कम्यों पर रखते हैं जो इसे उठाने में सबसे बम समर्थ हैं। प्रबन्ध यह कहेगा कि मजदूरी बढ़ाना तो एक जूझा है जिसमा खतरा वाई भी नहीं उठा सकता और मजदूर तो उठा ही नहीं सकते। दोनों पक्षों की बातों में कुछ जान है, पर इनी कारण तो इस विषय पर विवाद इतना गरम होने की सभावना है। तथ्य यह है कि कुछ सदसे अधिक कठिन और सबसे अधिक कटु विवादों का आधार यही प्रश्न है, पर यदि सामूहिक सौदेबाजी इन प्रश्नों का ध्यान में रख सके, तो एक ऐसी तर्कसंगत भजदूरी नीति की दिशा में नवमे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया होगा जो कारखाने के हितों मजदूर के हितों, यूनियन के हितों और अर्थव्यवस्था तथा समाज के हितों में समर्जस्य कर सके। योकि मतभेद है, इसलिए मजदूरी और मजदूरी की दर का तर्कसंगत आधार सोचना परमावश्यक है।

### मजदूरी और मजदूरी की दर का आधार

उपर्युक्त विवरण में यह निष्पत्ता है कि मजदूर के पारिथमिक की समस्या बास्तव में इस बात को उचित रूप में निश्चाल मनने की समस्या है कि श्रमिक का मूल्य क्या है, अथवा एक मुदिन के बाम के लिए एक मुदिन की मजदूरी क्या है। परन्तु बाम विष जाने के समय काम की कीमत निश्चित करना या मजदूर की कीमत निश्चिन बराना बड़ा कठिन है। पर, मजदूर का मजदूरी तो देनी ही होगी। इसलिए काम के लिए तत्काल मजदूरी दर की समस्या यह जानने की समस्या रह जानी है कि सभाव्यत वह बाम वितन मूल्य क्या है। मजदूर का मिलन वाली कुल मजदूरी मजदूरी के जाधार और दर के गुणनफल के बराबर होनी है। मजदूरी का जाधार उभके बाम का कुछ नाप है, जैसे कितनी बस्तुएँ बनाई या वितन घटे बाम किया। दर उम्मी वीमत का बहने हैं जो मजदूरी के जाधार ने उप मन नुन गय भाष्य का इवाइगा के न्य नहो। उदाहरण करिए, यदि किसी मजदूर का सम्पत्ति उत्पाद दर ५ जल्दे प्रति घटा की दर से मजदूरी दी जानी है, और वह बाठ घट बाम बरता है तो उम्मी कुल मजदूरी २ रुपय हुई। इसी तरह यदि किसी जादमी का मात्रा के जाधार पर दी पाई प्रति जदव मजदूरी मिलनी है और वह दो सौ बस्तुएँ बनाता है तो उम्मी कुल

मजदूरी ३ सप्तमे २ आने हुई। मजदूरी पर विचार करने हुए दोनों कारको—मजदूरी का आपार और मजदूरी को दरबर विचार करना चाहिए। पहले मजदूरी का आपार चुनना चाहिए, क्योंकि दर मजदूरी के आपार के स्पष्ट में, अर्थात् प्रति घटा विनाने आने या प्रति अद्द विनाने पाई बताई जानी है। मजदूरी का आपार चुना जाने पर दर को इस तरह समजित दिया जा सकता है जिस कुल मजदूरी इनी अभीष्ट अद्द के दरावर हो जायें।

मजदूरी देने के मूल आपार केवल दो हैं (१) काम के समय के आपार पर और (२) उत्पादन के आपार पर। इन दोनों निदालों के अनेक प्रकार के रूपनेद और मिथ्यग अवश्य मिलते हैं पर ये दोनों निदालत मूलत पृथक् हैं। तथापि सारन्मूल पृथक्ता के बाबजूद समय-मजदूरी और अद्द मजदूरी पद्धनियों का एक साता आपार है। समय कार्य पद्धति भी उत्पादन में सर्वथा अमन्वद नहीं होती, क्योंकि मालिन जिस मजदूर को काम पर लगाता है उसने काम को कुछ निश्चिन मात्रा की आपार करता है और यदि उतना कार्य न हो तो वह उसे काम में हटा देता है। उत्पादन के आपार पर मजदूरी भी समय प्रमाण में सर्वथा अमन्वद नहीं होती क्योंकि अद्द मूल्य बहुत हद तक मदा दम आप के आपार पर निर्धारित होते हैं, जो, वह काम करने वाले मजदूर का सामान्य जीवन-स्तर होती है। इस तर्कापर विचार की परिधि में, दोनों पद्धनियाँ और उनके भेद पृथक्-पृथक् होते हैं और उन पर नीचे विचार किया जाएगा।

समय-मजदूरी पद्धति—इन पद्धति में मजदूरी का आपार समय को बनाया जाता है। यह मजदूरी की प्राचीनतम पद्धति है और इसमें मजदूर को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चिन धन दिया जाता है। मजदूर को अनन्ते कान करने के एक निश्चिन समय के लिए एक निश्चित धनराशि मिलने की गारंटी होती है। दर इन्हें आने वा रूपये प्रति घटा, दिन, सप्ताह, पञ्चवारा या महीना वर्ती जा सकती है। जिन निश्चिन दर की मदने विचली मीमा अद्दना कर वह विन्दु है जिस पर नोकरों में उन दिनों जाता है और ऊरों नोपा श्रेष्ठना का वह विन्दु है जिस पर परोन्नति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इन गोलाओं के भीतर समय दर केवल मजदूर ने नहीं वहाँ में बदले में धन देरी है, उसके किये हुए कार्य की जागरा का कोई हिसाब नहीं करती। मजदूरी की अद्दायमरि, जैसा आपस में तय हो जाय, उसके अनुसार दिन, सप्ताह, पञ्चवारे या महीने के अल्प में की जा सकती है, परन्तु दो मजदूरों कालों के बीच में एक महीने में अधिक समय नहीं मुश्वरता चाहिए। (धारा ४, मजदूरी अद्दायणी अनियम, १९३१)

लाभ—(१) समय मजदूरी पद्धति का नदने वडा गुण इनकी सरलता है। कोई आदमी, जिसी काम में जो समय स्थानता है उसे नामना जानान है। (२) यह दरों कान पर सर्व किये गये समय की कानन को प्रयट करती है तो यह पद्धति बहुत नोकरनक है। (३) यह मजदूर को उनकी आमदनी में अतिस्तक कर्ती में दखनी है या व्यक्तिगत दस्तावेज में अस्थायी कर्ती, जो अनिवार्य दुर्घटना या रोग या जाहरी कामों में उच्च अशानिक के परिणामस्वरूप पैदा हो नहीं है, वे कारण होने वाली कर्ती

से मजदूर को बचाना है। मजदूर सियर आमदनी का निश्चय हो जाने के कारण अपने खर्च को अपनी आय के साथ समजित कर सकता है और एक निश्चित स्तर वापर रख सकता है। (४) समय दर से काम साक्षातीमें हो सकता है क्योंकि मजदूर दिना कोई हानि उठाये अपना कोशल दिखा सकता है और एक निर्दोष बस्तु बनाने का आनन्द ले सकता है। (५) काम को श्रेणीमें कमी नहीं होती क्योंकि मजदूरों को उत्पादन बढ़ाने की जल्दी नहीं होती। (६) इसमें यह बात निवार्ता है कि मजदूरों को रही ढग से काम में नहीं लाया जाता, जो मालिक के लिये स्पष्ट लाभ है। (७) इस पद्धति में अन्य पद्धतियों की अपेक्षा प्रशासन सम्बन्धी ध्यान कम देना पड़ता है और मजदूर द्वेरा तथा वार्ष-भग (ब्रेक डाउन) होते रहने से सतुष्ट रहते हैं। ) (८) क्योंकि हिमाव लगाना सरल होता है, इसलिए ट्रेड यूनियन, इस पद्धति को प्रसन्न करती है। इसके अलावा, इसमें प्रत्यक्ष मजदूरी-समूह के भीतर हितों की एकता पैदा हो जाती है क्योंकि प्रमाण मजदूरी सदा दी जाती है और इसके बाधार पर जासानीमें समझ में आने वाली समझोते की बातचीत की जा सकती है। (९) जहां समय के आधार पर अदायगी होती है, वहां कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उस समय भी रखने की आवश्यकता होती है जब उन्हें पूरी चाल पर कार्यव्यस्थ रखने के लिए काफी काम न हो। मजदूर की इस आधार पर वैसा दिया जाता है कि वह दीर्घकालिक दृष्टि से कम्पनी के लिए वितना मूल्यवान् है, इस आधार पर उन्होंने विसी समय विशेष में जो काम किया, उसका यथा मूल्य है। उसे उसी तरह समझा जाता है जैसे किसी अर्ध-स्थायी सम्पत्ति को। जैसे कोई मशीनरी अपनी पूरी क्षमता में प्रयोग की जाये या न की जाये, और चाहे यह स्थायी रूप से टूट भी जाये, पर उसके वितीय व्यय—उपरिव्यय—किये ही जाने हैं। इसी प्रकार, मजदूर को इस आधार पर मजदूरी दी जाती है कि वह दीर्घकाल की दृष्टि से कम्पनी के लिए वितना मूल्यवान है। यह मजदूर को उसकी आमदनी में जाकर्सिक कमी हाने से बचाती है और कम्पनी को गन्दे के दिनों में एक मूल्यवान सम्पत्ति—कुशल मजदूर—की हानि से बचाती है। प्रबन्ध अधिकारियों और विशेष कीशल या मूल्यवान् ज्ञान वाले व्यक्तियों को समय के आधार पर चेतान देने और अच्छे या बुरे समय में उन्हें नोकरी पर बनाए रखने का यह भी एक कारण है। इसलिए विशेष प्रकार के, या करने में कठिन कामों में यही एकमात्र सम्भव पद्धति प्रतीत होती है, क्योंकि तब तक काम का हिमाव लगाना समझ नहीं होगा जब तक वापर पूरा न हो जाये। (१०) इसी बात को आगे सोचे तो यह स्पष्ट है कि समय आधार अप्रमाणित बनाया जाने वाले कामों और उन बनेके प्रकार के कामों में, जिन्हे नापा या गिना नहीं जा सकता, ही उपर्युक्त है। (११) समय के आधार पर अदायगी सबसे अतिरिक्त खात्रिय है, जोकि इसे काम की आवश्यकता का भावधानी से निर्धारण करने के बाद और इन निश्चित आवश्यकताओं की दृष्टि से मजदूर के कार्य को नाप कर ही प्रत्यक्त किया जाये। इनके लिए, कार्यालय मूल्यवान और गुण निवारण को लागू करना होगा। (१२) समझोता (वसिलिएशन) वोडों

या ओद्योगिक अधिकारणों के निर्गमों के अन्तिम परिणाम, फैसलों के स्पष्ट ऐकान में चढ़त बढ़ जाने हैं।

**हानियाँ**—(१) सभव मजदूरी पर मुख्य आशेष यह है कि वह “विभिन्न आदमी—को दबाउते हैं”, वर्तोंकि कुठोर परिश्रम के लिए कोई उद्देश्यन नहीं होता और अच्छे और बुरे दोनों मजदूरों को एक साथ बेतन दिया जाता है। सभव अपने-आप में प्रयास या दोखानों का नहीं नापता। वह तो केवल काम पर आदमी की उपस्थिति को नापता है। किये हुए काम का मूल्य उस दर में दिखाई देना चाहिए जो उसके सभव के लिए उसे दी जाती है। परन्तु दरे स्थिर मी हो जाती है। जब वे एक बार स्थिर हो जाती हैं तो किरण उसी अवस्था में रहने लगती है। दरों का निवारण मुख्य रूप में निगाह और सोदेवारी में होता है। और कुछ-कुछ काल बाद गर्भन बरने में जो प्रयास होता है वह उन्हें नियत रखता है। परिणामतः प्रत्येक मजदूर यह अनुभव करता है कि विभी दूमरे मजदूर की अपेक्षा अधिक महन ये कार्य करना निष्कर्ष है, वर्तोंकि मेरे अतिरिक्त प्रयासों के बदल में मुझे तकाल कोई लाभ नहीं होता। जब तक वे अपने कामों पर केवल उपरोक्त रहने हैं तब तक उनकी मजदूरिया उन्हीं होती है। वे आराम-ननद होने लगते हैं। इसमें कर्तव्यानुरोध में कमी होती है और अपेक्षा मजदूर परिश्रम करने के लिए कोई उद्देश्यन नहीं है। तब यह पद्धति अवश्यका को पुरन्कृत करने वाली हो जाती है। तथ्य तो यह है कि सभव-आवार अच्छे कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत और बरे को दण्डित करने की कोई व्यवस्था नहीं करता। (२) जब काम की भावना निश्चित हो और उसके बाद करचारों को हटा दिया जाता हो, तब सभव के आवार पर अदायणों काम को यथासम्भव लम्बा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, जिसने कमाई अधिक हो। जब हटाये जाने वा भव नहीं होता, तब भी मजदूर आम तौर पर काम में बचते हैं। (३) वर्तोंकि यह पद्धति मजदूरों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, इसलिए उन्हें कार्यव्यस्त रखना फोरमेनों और मुपरवाइजरों की जिम्मेवारी हो जाती है। फोरमेन की पुलिम बातें की तरह कार्य करना पड़ता है। उसे यह देखने रहना होता है कि वे बार्य-व्यस्त रहे और उन्हें यह बताना होता है कि वे कैने और क्या करें। (४) इन सब कारकों का परिणाम यह होता है कि दबाव हुई योग्यता उत्पादन के बजाय विरोधी कारों के हृष में प्रगट होने लगती है, वर्तोंकि इसमें योग्य आदिमियों में अदाने की क्षति होने की भावना पैदा हो जाती है। (५) फॉर्मलिन ने लिखा है, “अदानों को दिन-कार्य विधि में बहन में मनव्य ऐने कार्य करने हैं जिनके लिए उनमें न दिलचस्पी है और न योग्यता उद्द्विद्वारे कामों में वे बहत आगे बढ़ सकते हैं.....”। (६) वर्तोंकि प्रबन्ध मजदूरों को एक ही गति में गश नहीं होकर सकता, इसलिए मजदूरों लगत वा एक अनिश्चित अंश बन जाती है। इसका कारण यह है कि पद्धति इस पद्धति में उत्पादन की प्रति घटा लागत नियन है परतों भें अद्विद्वारा लागत बढ़ानी रहेगी वर्तोंकि यदि काम दूतगति में किया जावे तो लागत प्रति अद्विद्वार म होगी और यदि

काम धीरेंग्विरे किया जाय तो यह अधिक होगा। (८) व्यक्तिगत चरित्र और कार्य को विना सोचे, लोगों को वर्गों में समूहवद्ध कर वर देने के परिणामस्वरूप मालिक-मजदूर बगड़े पैदा होते हैं।

**थेणो-दब्बन पढ़ति (य्रेडिंग सिस्टम)**—समय दर पढ़ति में सुधार करने के लिए यह मुझाया जाता है कि भालिक को विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव के अनुसार, सामान्य मजदूरी के आशार पर अपने कर्मचारियों को श्रेणी-बद्ध अदायगी करनी चाहिए। इसे करने की पढ़ति को श्रेणी बन्धन-पढ़ति कहते हैं। इसे विरामिधम ने पीतल व्यापारियों ने सफलतापूर्वक लागू किया है और श्री सी० एल० गुड्रिच ने लेवर अखबार में इसका वर्णन इस प्रकार किया है : “वहा पीतल मजदूरों की राष्ट्रीय यूनियन की कार्यबारिणी प्रत्येक मजदूर को उसकी योग्यता के अनुसार श्रेणी बद्ध करती है और उसे अनेक विभिन्न वर्गों में, जिनमें से प्रत्येक की न्यूनतम मजदूरी सामूहिक सीदेवाजी, द्वारा तय होती है, रखती है। यदि कोई मालिक विसी मजदूर की योग्यता पर आपत्ति उठाये तो म्यूनिसिपल पीतल कार्य विद्यालय के प्रबन्धक उस काम के विभिन्न प्रत्यक्षों के बारे में उसकी प्रायोगिक परीक्षा लेते हैं।”

**अदद-मजदूरी पढ़ति**—समय-मजदूरी के मुकाबले में यह पढ़ति चाल को मजदूरों का आधार बनाती है। क्योंकि समय-मजदूरी से काम से बचने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। इसलिए अदद दर पढ़ति, जो मजदूरी देने की दूसरी प्राचीनतम पढ़ति है, शुल्क की जाती है। मजदूरी देने की अदद-दर योजना इस विचार पर आधारित है कि मजदूरी को काम करने के लिए रक्खा जाता है, खड़े रहने के लिए नहीं, और इसलिए उनकी मजदूरी काम की उस माना पर आधारित होती है जो वे एक निश्चित अवधि में, जिस वेतनावधि कहते हैं, सन्तोषजनक रीति में पूरा कर ले। इसलिए मजदूर वो, जिस चाल से वह कार्य करता है उसके अनुसार, प्रतिदिन या प्रति सप्ताह किये गये काम की चाल के आधार पर, वेतन मात्रा के आधार पर नहीं, मजदूरी दी जाती। “इस योजना में मजदूरों को जो निश्चित अवस्थाओं में और निश्चित मशीनों से कार्य करते हैं, उनके ठोस उत्पादन के ठीक अनुपात में मजदूरी मिलती है।” मजदूर को धूर्ण (मोमेंट) के दृष्टिकोण से उसके उत्पादन के अनुचमनुपात में मजदूरी मिलनी है—मैत्री की प्रति-इकाई पर मिलने वाली वास्तविक मजदूरी की मात्रा उनकी उन सेवाओं के सीमात (मारजिनल) मात्र के लगभग बराबर होती है, जो वह इस उत्पादन के करने में मशीन की सहायता करने में करता है।” इस पढ़ति में मजदूर अपना ही समय बचाता या खोता है। यदि वह थोड़े समय में कार्य कर लेता है, अब वह अधिक चाल से बास करता है तो उसे निये हुए कार्य का कम पुरस्कार नहीं मिलता और वह हुए समय में यह और कमाई कर लेता है। योंदूं वह अधिक समय लगाते हों उसकी मजदूरी समय मजदूरी से कम भी हो जाती है। मजदूर तो अपना ही समय खोता या बचाता है और मालिक द्वारा कार्य होने में इस कारण लाम में रहता है कि प्रत्येक अदद या कार्य पर पड़ने वाला फैक्टरी भार घट जाता है। “जहा कामचोरी

(कोन्वर्टिंग) पकड़ना किन होता है, जैसे ढलाई में, जहा चाल जमावारण स्पष्ट में भट्टवृंद होती है, जैसे रेल-रोट मरम्मन कास्तानों में, जहा काम मालिक वे कार-बार में बहुत दूर होता है और जहा कार्यमार्यों की पथकता के कारण एक कार्यालय के मूल्य का हिसाब लगाना सरल होता है वहा मालिक ब्रदद-दर पसन्द करते हैं।” मह पद्धति उन कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है जिनमें बार बार वहाँ काम करना होता है और उन कार्यालयों के लिए अच्छी है जहा कार्यालयों की अवस्थाओं में ऐसा स्थिर परिवर्तन नहीं होता और मजदूर काम की विधियों में कोई साम सुधार करने में असमर्थ होता है। यह उन व्यवसायों के लिए बहुत उपयुक्त है, “जो पहले बेचने हैं और किर बनाने हैं।” कोपला खानों, मूरी वस्त्र डिशोग, जूता फैक्ट्रिया आदि में यह पद्धति मन्दिरों में ज्ञान की गई है।

लाम—(१) इस पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि कर्माकार मुश्तकान परिणाम या दक्षता के आवार पर होता है, इसलिए इसमें गृण का मान्यता मिलती है। (२) औपनि में अच्छा काम करने में समर्थ व्यक्तियों की मिलन उन्मादक शक्ति का बाजार मिल जाता है। (३) इसमें स्वेच्छाया किये गये प्रयत्न का प्रोभाहन मिलता है, जिसमें कार्य के प्रति रुचि और उम्माह का बानावरण बनता है—समय दर पद्धति में मजदूरों को, “हास्ता” पड़ता है। (४) जो लोग अपनी अवस्था में मन्द नहीं और उने मुकाबला लाते हैं, उन्हें यह पद्धति आवश्यित होती है, और इस प्रकार मजदूरों का एक स्थान में दूसरे स्थान पर के जानो हैं, तथा नियुक्ति-प्रबन्धक का काम करती है। (५) न केवल उन्मादन और मजदूरों वड जाते हैं बल्कि उन्मादन की विधियों में भी मध्याह्न जाता है। (६) कुल लागत घट जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष धर्म लागत तो कार्यपूर्ति की प्रत्येक चाल पर स्थिर रहती है, और प्रति घटा किये गये कार्य की मापदण्ड वृद्धि हो जाती है जिसमें मनीन और प्रबन्ध के कारण पड़ने वाला प्रति घटा भार कम हो जाता है। (७) उन्मादन या कार्यालय की प्रत्येक इकाई पर प्रबन्ध धर्म लागत एक नियर मात्रा हो जाती है, जो लागत मन्दवन्धी गणनाओं में उपयोग के लिए विश्वमनीय हो जाती है।

हानिया—(१) इन्हें लाभा और इसके व्यापक उपयोग के बावजूद अधिक-तर उद्योगी में मह पद्धति अमान्द रहते। जब समय दर के स्थान में अद्दद दर वृद्धि की गयी तब इसके प्रभाव में मजदूरों ने अपनी जाय और उन्मादन बढ़ाया। मालिकों ने मह मालिक कि मजदूर बहुत घन कमा रहे हैं, दर में प्राय कठोरों कर दी या योड़ा-योड़ा करके अनेक बार म इसे घटा दिया, जिसे मजदूरों ने नामन्द दिया क्योंकि वे कठोरियों को ममतोने का भए ममतने हैं। (२) इसमें प्रबन्धक और मजदूरों के बीच विरोध और आर्यक युद्ध शुरू हो जाता है। (३) इसमें कामचोरों को बढ़ावा निकला है, और “पावड और धोने की एक पद्धति” में हो जाती है क्योंकि मजदूर और कठोरियों में बचने के लिए पहले से कम उन्मादन शुरू कर देते हैं। वे कभी-कभी जपनी अधिकतम धर्म का तिहाई या चौथाई उन्मादन करते हैं और अपने मालिकों को उनकी

हर इच्छा का विरोध करने वाला अपना शशुभी ममजने है।” (४) अधिक चाल मजदूर के लिए हानिमारक होती है क्योंकि उन्हें मजीनो और उपस्थर पर अधिक साधारण रहना पड़ता है। अधिक चाल मानव ऊर्जा की दृष्टि में महगी है। (५) चाल पर आधारित मुगलान से बास वो अधिकता के लिए तो उद्दीपन मिलता है पर इससे श्रेष्ठता और विवेक की ओर ध्यान नहीं रहना। (६) इसमें सुपरवाइजरों को बास का अधिक मानवानी से निरोक्षण करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस पदनि में मात्रा के मुकाबले मथेष्ठता की उपेक्षा हो जाती है। समय आधार बाली पदनि में सुपरवाइजरों को चाल बटवाना आवश्यक था चाल बाली पदनि में उन्हें श्रेष्ठता प्रमाण कायम रखना आवश्यक हो जाता है। (७) मीधा अदद कार्य या स्थिर अदद दर में दिन की पूरी मजदूरी को गार्डी नहीं होती जिसमें कभी-कभी मजदूर को निर्वाह के स्तर में कम कमाई भी हो सकती है। कमाई की घटवह से मजदूर को मदा चिन्ता और परेशानी बनी रहती है। भारत में अधिक आमदनी से अनुपस्थिति बढ़ने की समाख्या भी रहती है।

**अदद दर में बृद्धि**—मीधी अदद मजदूरी या स्थिर अदद दर में, आमदनी में बृद्धि चाल की बृद्धि के अनुक्रमानुपात में होती है, पर वह प्रयास को बृद्धि की समानुपाती नहीं होती। जब-जब चाल में बृद्धि होती है तब तब अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है जिसमें बड़ी हृदय आमदनी चाल के अनुपात में अधिक ऊर्जा के व्यय से उत्पन्न होती है, उदाहरण के लिए, जो पहलवान १३ मेंडेंड में १०० गज दौड़ता है, वह परियम में जम्माम द्वारा अपना समय घटा कर १२ मेंडेंड कर सकता है, पर १० मेंडेंड वाले आदमी के लिए अपना समय घटाकर ९ मेंडेंड करता प्राय अम्भव है। इसलिए यह अम्भव नहीं है कि कुल आमदनी प्रयास और चाल, दोनों के माय अनुक्रमानुपात में बदलती रह। अधिक्षण और कृशल कार्यकर्त्ताओं को इसमें लाभ है कि उनकी दर चाल की बृद्धि के माय बढ़ती जाय, जिसमें कुल आमदनी प्रयास की समानुपाती होने रहे। इसलिए धीमत या धटिया मजदूर ऐसी दरों का स्वभावतया नापमन्द बरगे क्योंकि इनमें उनकी आमदनी और कुशल मजदूरा की आमदनी में बहुत अन्तर आ जाता है। बहुती हृदय अदद दर प्रबन्ध के लिए इस समय लाभदायक होती है जब बस्तु की माग औमन उन्नादन में अधिक होती है। अम का अधिक तेज काम करने के लिए प्रात्माहित बरके मजीन की उन्नादक क्षमता, भौतिक मम्पति में जींत धम लगाये बिना ही बढ़ाई जा सकती है। कुछ उत्पादन की अविवाक मात्रा प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई काम की लगत बड़ी जाती है।

**अदद दरे घटाना**—दरों का चाल की बृद्धि के माय-माय घटा देना भी अम्भव है। अगर बाई आदमी अधिक तेज काम करता है तो वह मजदूरी भी अधिक पाना है पर उमकी मजदूरी उनकी नहीं बहुती जितनी इमकी चाल बढ़ती है। इसलिए दर घटाने का बाई औचित्य नहीं है। मुछ चालाइ मालिव थम की लागत कम करने और माय ही मजदूरा से अधिक तेज काम कराने के लिए इसे मुगलान की अनेक जटिल विधियों

की आड़ में छिपा देने हैं। यह भी एक कारण है जिसने मजदूर यमियनें चाल पर आधारित भुगतान की विधि वा विरोध करती है।

**मजदूरी भुगतान की उट्टीपन योजनाएँ—**मजदूरी भुगतान के आधार के रूप में समय और चाल के जो आपेक्षित लाभ हैं, उनमें दोनों पक्षों में ऐसा समझौता करने का विचार पंथ होता है जिसमें दोनों की बच्ची बात जा जाय। जो पढ़तिया ऐमा करने का धत्त बरती है उन्ह उट्टीपन योजनाएँ कहने हैं और ऐसी बहुत भी योजनाएँ प्रचलित हैं। जो उट्टीपन पद्धतिया उद्योग के विभिन्न स्पष्टों में और विभिन्न नामों में प्रचलित है, वे शुल्क में बैंजानिक प्रबन्ध की दिशा में विधे गये प्रबन्धों का परिणाम है। जिस समय, “कार्य पूर्ति” के प्रभाव, “मनि और समय अध्ययन”, “वार्षिक विश्लेषण”, “कार्यान्वयन”, “गुण निर्धारण” आदि पदावलिया प्रचलित हुई, उनमें पहले इगलैण्ड और यूरोप में मजदूरी भुगतान की ऐसी पद्धतियों का उपयाग बरते, जिनमें उन्पादनता को पुरस्कृत किया जाता था, थम की चाल बढ़ाने के प्रयास विधे गये। आज चल भुगतान के आधार का उल्लेख प्रव्याजि (प्रीमियम), समय बचन, बोनस, दधता आदि शब्दों से किया जाना है, पर इन सब शब्दों में यह तथ्य नहीं छिपते देना चाहिए कि सब अवस्थाओंमें भुगतान का आधार बास्तव में समय और चाल दोनों हैं। उट्टीपन योजनाओं के विभिन्न प्रकारों के उदाहरणों पर नीचे विचार किया जाना है।

**शेष या क्रान्त यद्धति—**इस विवि में समय और अदद दरों को मिला दिया गया। इस पद्धति में पूरे सजाह के काम के लिए न्यूनतम म इकाई मजदूरों के गार्डों हार्नी है और माय है। इन आधार पर एक अदद दर में निवारित कर दी जाती है कि मजदूर अपनी न्यूनतम मजदूर, कमाने लायक उद्योग करेगा। यदि अदद के आधार पर गणना करने पर मजदूरी समय दर की अवेदा अविक्षिक बैठकी हो तो मजदूर का अविक्षिक दिया जाना है। यदि अदद-दर मजदूरी समय-दर कमाई न कम हो तो उने तब भी माप्ताहिक मजदूर, मिलें, परन्तु इस तर्ज पर मिलेगी कि उने अदद, बाद की कमाई की मजदूरी में मैं इस अविक्षिक को चुकाना पड़ेगा। कुछ उद्योगों में यह पद्धति उपयुक्त निकट हुई। परन्तु इसमें मूल्य दोर यह है कि यह बेवह तब नकल हो नकल है जब दर अविक्षिक बैंजानिक आधार पर हों और ईमानदारी में तब की गई हो। मान लेंजिए कि एक मजदूर ने अपनी न्यूनतम मजदूरी ६०) ३० कमाने के लिए सजाह में कम १० अदद कार्य करने की आशा की जाती है। अदद दर ६ रुपय प्रति इकाई निश्चिन्त की, गई है। अगर मजदूर मजदूरी में १२ इकाई उल्लंघन नहीं है तो उन्ह ७२ रु० मिलें। इसके अंतर, यदि यह बेवह ९ इकाई उन्पादन बरना है तो उन्हें तब भी उमरी न्यूनतम माप्ताहिक मजदूरी ६० रु० मिलें। परन्तु अदद दर के आधार पर उमरी कमाई के बजाए ५४ रु० होती जाती है। ये अविक्षिक ६ रु० उनके नाम ढाल दिये जाएंगे जो उमरी बाद की कमाई में मैं बाट किये जाएंगे। इस योजना में अविक्षिक उन्पादन के प्रेरक के रूप में मिलने वाली अविक्षिक मजदूरी का मारा लाभ मजदूर को मिलता है और तब भी मजदूरी के आधार का निश्चय बरने में एक भाव

चाल नहीं है—मजदूर की आमदनी उमरे काम के घटों की सत्या और उसके बाम की चार, इन दोनों में निवारित हानी है। इस तथ्य ने कुछ ऐसी विधियों को जन्म दिया है जिनमें व्यवसाय का कुछ अध मार्किंग का मिलता है ताकि मालिक और मजदूर के हिन इकट्ठे थन रहे, और इन विधियों का बर्मी-बर्मी “नके बी हिस्मा-वाट योजनाएँ” कहते हैं।

हैलसे या बेइर प्रव्याजि योजना—हैलसे योजना भूगतान के समय और चाल आपारो वा मरल मरोग है। मजदूर का जितन भय वह काम करता है उस भार का, प्रति घट की दर में भुगतान किया जाता है। उत्पादन के चाल या मात्रा प्रमाण भी, उमरे पिछले काम करने के बोनत समय व आधार पर बनाय जाने हैं और यदि उसकी चाल प्रनिधिन की मात्रा की दृष्टि म प्रमाण चाल में बढ़ जाय तो इस तरह वचाये हुए समय क लिए उसे प्रश्न भुगतान किया जाता है। यह भूगतान घटा दर के नाम से बचे हुए समय के मूल्य का कुछ प्रतिशत (३० से ५० प्रतिशत) होता है। इस प्रकार उमर्की कुर मजदूरी वह राशि हानी है जो काम क घटा के समय में प्रति घटा दर के हिसाब से गारण्टी की हुई मजदूरी में, प्रतिघटा मजदूरी की पूर्व-निर्धारित प्रतिशतता (३० से ५० प्रतिशत) और तज़ काम करक उम द्वारा बचाये हुए समय का गुणनफल जोड़ने से जाती है। यह राशि का क्षेत्र है कि अगर कार्यभार बढ़िन है और वैज्ञानिक आपार पर उमर्की दर नयी की गई है तो ५० प्रतिशत बोनम दिया जा सकता है, पर जब पिछले दिनों के काम के द्वारा बढ़ वाम के अभिनव काम में लाय जायें तब ३० प्रतिशत ही परामर्श है। वचाया हुए समय की मात्रे तो यह परिभाषा की जाती है कि प्रमाण चाल पर काम करने में नो समय लगेगा (जिसे “प्रमाण समय” कहते हैं) उमर्की, और प्रमाण व्यापक तज़ चाल में काम करने में वास्तव में जो समय लगा है, उमर्क बनार वा’ वचाया हुआ समय’ कहते हैं। प्रमाण-समय प्रति अदाद प्रमाण समय को पूर्व किये हुए अदाद की सम्या में गुणा करके निकाला जाता है, उदाहरण के लिए, अगर प्रमाण समय एक घटा है और एक मजदूर आठ घटे के दिन में दस इकाइया पूरी बर लेता है नो वचाया हुआ समय दा घटे है। “प्रमाण” मजदूर का दस इकाइया पूरा बरन में जो आठ घट में पूरी हुई है, दा घट और लगते। इस प्रकार वचाई हुई मजदूरी वचाये हुए समय तया प्रति घटा मजदूरी दर के गुणनफल के बराबर है। इस याजना का ५०-५० या विभाजित बोनम याजना भी कहते हैं। इण्लैण्ड में बेइर घटाति जा इस याजना के नमान ही है, अरिच प्रचलित है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह पहले बराइट नदी पर स्थित बेइर इन्नेनियरिंग बरम, के बराट में काम लाई गई थी।

अगर विसे मजदूर को, जिस एक हपया प्रति घटा मजदूरी दी जाती है, उस घट का खारेनार दिया जाता है, और वह इस आठ घट में पूरा कर लेता है तथा बनाम वचाया हुए समय का ५० प्रतिशत है तो उमर्की कुछ बर्मी है यह होगी। (समय X प्रतिवटा दर) + (बनाम X वचाया हुआ समय X प्रति घटा दर), अर्थात्

$8 \times 1 \text{ रु } + 2 \times 2 \times 1 \text{ रु} = 9 \text{ रु}$  : इसमें प्रति घण्टा दर १ रुपया २ आना पड़ती है। प्रव्याजि (प्रेमियम) प्रत्येक वार्षिक पर अलग अलग निकाला जाता है जिसमें एक वार्षिक पर अमरुचिता होने पर दूसरे में कमारे हुए प्रेमियम की हानि नहीं उठानी पड़ती। इस योजना को मानना प्रत्येक मजदूर के लिए ऐच्छिक है। इस योजना में दिन-मजदूरी ने यह अन्तर है कि मजदूरों को अनिवार्य उत्पादन का अनिवार्य एवं नियमित जाना है। अदृश्य काम में इसने यह अन्तर है कि जिनी विधि हुए समय के भीतर काम की मात्रा ज्ञा-ज्ञा बढ़ाती है तथा या मजदूरों की दर कम होती जाती है। इस-नियम नामा यह है कि व्यापक हुए समय की भरपाई एक सोबत अदृश्य दर है जो मजदूर अपना प्रतिवेद्य व्यापक होने के अनिवार्य पाना है, पर वह तब तक नहीं गुण होती, जब तक प्रभाप चाल न हो जाय। इस अदृश्य दर का छिपाने के लिए 'व्यापक हुए समय' शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसने यह मजदूरों के लिए, जो तज-ज्ञाई (न्यूड-अप) पर यात्रा करते हैं, अधिक अप्रत्यक्ष हो जाय।

हैलमें योजना के लाभ ये हैं—  
(१) इन गुण वरना आलान है जोरोंकि इसके क्रिएटिव्हले के ओनल चक्रग (मरकूरेशन) के अलावा और कई आरम्भिक अध्ययन नहीं करना पड़ता।  
(२) व्यापक हुए समय के लाभ का प्रबन्ध और मजदूरों में बाट कर यह वानम दर को स्थापी कर देता है क्योंकि दाना दश इसमें लाभ उठाने है।  
(३) मनोविज्ञानिक इटिक में यह योजना महत्वपूर्ण है। मजदूर को जो कुछ लाभ होता है, उसमें वह मनुष्ट हो जाता है, परंपरा बनाये हुए समय का कुछ हिस्सा मालिक को मिल जाता है। इस योजना की हानि यह है कि इसने यह कामबोरी है कि यह अवैक्षणिक रूप से नियोन्सित दिये हुए प्रभाप समय के आवार दर मीरी अदृश्य दर अपनाती है। यह नरे प्रभाप बनाने के बजाय पिछले बाद पर नियंत्र रहती है। व्यापक हुए समय के लाभ का प्रबन्ध आर मजदूरों के बीच बाटने का आविष्यक दर आपत्ति की गई है। मजदूर कुछ बासों को जार-गार ने करके प्रेमियम प्राप्त कर ले और अन्य काम पर आराम करने के लिए कामबोरी करे क्योंकि उने दिन की मजदूरी मिलने की गारंटी तो है ही, तो वह मालिक का छाता मरना है। प्रशासन के दृष्टिकोण में यह नीति बहुत जाने की नीति है क्योंकि इस योजना में एक नियिक भ्रमाप दहुच जावे के बाद अपिक उत्पादन करने वाले न करने का नियन्त्रण करना केवल मजदूर पर छोड़ दिया जाता है।

रोवन प्रेमियम योजना—हैलमें पढ़ती का थोड़ा मा परिवर्तन है रोवन योजना है। हैलमें योजना की तरह इनमें भी करने और प्रबन्ध की पहले की अवस्थाओं को बेसा ही रहने दिया जाता है। प्रभाप समय अनुभव दर आवारित होते हैं। जो लोग प्रभाप तक नहीं पहुच सकते, उन्हें समय मजदूरों मिलने की गारंटी होती है। हैलमें पढ़ती की तरह रोवन योजना का मुद्रण लक्ष्य यह है कि मजदूर समय की बचत करने जो कमाई कर मरना है, उनका मौना बापवर प्रेमियम दर स्थापी कर दो जावे। यह योजना बोनम नियोन्सित करने की दृष्टि में हैलमें योजना में दिन है। मजेप में, इन

योजना में पारिश्रमिक का नियम यह है कि जितना समय लगता है उसकी मजदूरी उनने ही प्रतिशत बढ़ जाती है, जितने प्रतिशत कमी उस काम के लिए निर्धारित समय में होनी है। इस प्रकार पर्याप्त कमी वर देता है तो मजदूरी २५ प्रतिशत बढ़ जाती है। वीजरणित द्वारा बोनम या प्रीमियम निम्नलिखित रीति से निकाला जा सकता है —

$$\text{प्रीमियम} = \frac{\text{बचाया हुआ समय}}{\text{दिया गया समय}} \times \text{लगा हुआ समय} \times \text{दर प्रति घटा}$$

यही उदाहरण लो हुए, जहां दिया हुआ या प्रभाव समय १० घटे है और प्रति घटा दर १ रुपया है और मजदूर आठ घट में काम पूरा करके दो घटे बचा लता है, वहां प्रीमियम  $\frac{8}{10} \times 8 \times 1 = 6.4 = 6$  होगा और आठ घटे के दिन की कुल मजदूरी लगा हुआ समय + बोनस अवधि  $8 + 6 = 14$  रुपया होंगी। दूसरी तरह कह तो प्रीमियम की राशि और लग हुए समय में पड़ने वाली सामान्य मजदूरी में बही अनुपात होता है जो बचाये हुए समय और दिये हुए पूरे समय के बीच होता है।

है अब योजना और रोबन योजना का भेद नीचे लिखी सरल रीति से ऊपर बाले ही अक्ष लेने हुए इस तरह प्रदर्शित किया जा सकता है —

हैलमे योजना		रु. ३० पा०
लगा हुआ समय ८ घटे (दर १ रु० प्रति घटा)		८---०---०
दिया हुआ समय १० घट		
ऋण लगा हुआ समय ८ घटे		
बचाया हुआ समय २ घटे		
बचाया हुए समय का ५० प्रतिशत १ घटा (दर १ रु० प्रति घटा)	१—०—०	
८ घटे (दर १ रु० प्रति घटा)	९—०—०	
मजदूर की जो मजदूरी पड़ी — दिय हुए समय का २० प्रतिशत		
मालिक का वर्ची हुई राशि लगे हुए समय का २० प्रतिशत	२—०—०	
रोबन योजना		
दिया हुआ समय १० घटे		
लगा हुआ समय ८ घट मजदूरी	८—०—०	
बचा हुआ समय २ घटे		
बोनम	१—६—५	
मजदूर को जो मजदूरी पड़ी	१—६—५	
मालिक का वर्ची हुई राशि १० घटे	०—९—७	

तु वर्षत तक रोबन पढ़ति हैलसे पढ़ति की अवधि उदार है। उसके बाद यह कम उदार है। इसके अलावा, रोबन योजना में जो अधिकतम राशि मजदूर कमा सकता है, वह गारंटी की हुई मजदूरी का बुगना है जो मनुष्य के लिए कर सकता

इन योजना में नियन्त्रण और दक्षता-भाषण साथनी की उत्तरति आसनी से हो सकती है। इसमें एक बार प्रमाण या शूल्य प्रतिशत चौनम विन्दु जा जाने पर एक नियंत्रण (वास्टेट) इकाई लागत हा जानी है और इसलिए यह लागत का हिसाब लगान (परिवर्तन-उच्चाकृत) और बजट (आवश्यकता के) तथा औचित्य और न्याय के दृष्टिकोण से सदन अधिक उत्पन्न है।

**बैडो योजना या अक्ष योजना—** जब उसी फैक्टरी में विभिन्न प्रकार के कामों के लिए उद्दीपन योजनाएँ लागू की जानी हैं, तब सब कार्यालयों के लिए तुलनीय प्रमाण बनाने पड़ते हैं। प्रबन्ध वो यह देखना पड़ता है कि बानस या प्रीमियम कमाने में एक विभाग के मजदूरों को आमानी और दूसरा का कठिनाई न हो। जहाँ विभागों में मजदूरों की अद्याददली आवश्यक होती है, वहाँ मजदूरी पढ़ति ऐसी होती चाहिए कि स्थान परिवर्तन या शिफ्टों के कारण कार्ड मजदूर नुकसान में न रहे। इसलिए यह परमावश्यक है कि जिन प्रमाणपर एक ही दर से पैसा दिया जाता है उनको प्राप्त करना एक साकठिन होना चाहिए और कार्यभार की कठिनाई को नापने के लिए एक साझा पमाना (डिनोमिनेटर) होना चाहिए। बैडो योजना यह कार्य करने का यत्न करती है। इस योजनामें एक अर्द या बैडो, जो सक्षेप में "B" कहा जाता है, वह कार्य क्षेत्रात है जो एक आदमी को एक मिनट में पूरा कर लेना चाहिए। अब कार्यालय की कठिनाई इसकी "B" सम्या के इस में नापी जानी है। सावधानी से समय अध्ययन किया जाता है, और "B" में साधारण विधाम और शान्ति की गजाइश रखती जाती है ताकि प्रमाण सामान्य हा और ऐसा न हो जिस के बड़े काई-काई मजदूर प्राप्त कर सकते हो। कार्यालय की कठिनाई उसका दिए हुए "B" की सम्याओं से नापी जानी है और प्रमाण समय में प्रत्येक "B" के लिए एक मिनट रखता जाता है। मजदूरी की दर को भी मिनट आवार पर कर ले जाने हैं और कार्यभार की परिमाप ६०  $\times$  घण्टे होती है। इस प्रकार ८ घण्टे के प्रति दिन में ४८० B होती है और अगर मजदूर दिन में ४८० B पूरी कर ले तो वह प्रमाण पर पहुंच जाता है। प्रमाण में नीचे प्रति घटा गारण्टी की हुई मजदूरी मिलती है। प्रमाण में ऊपर उस प्रीमियम मिलता है जो प्राप्त बचाये हुए समय का ७५ प्रतिशत होता है। प्रत्येक मजदूर द्वारा उत्पादित अक्षों या B की सम्या, और जो कुछ उसने कमाया है, उसकी मात्रा प्रतिदिन लिखा दी जाती है, जिससे प्रत्येक मजदूर यह देख सके कि वह उसने क्या कमाया था। बैडो योजना की विभेदक विशेषता यह है कि यह सारी फैक्टरी में तुलनीय प्रमाणों की व्यवस्था करती है। एक उदाहरण में इस योजना का और अधिक स्पष्ट विया जा सकता है। जहाँ ८ घण्टे के दिन हो लिए प्रमाण ८८० B (६०५८) हो, प्रति B प्रमाण दर एक पाई हो और एक मजदूर दिन में ६०० B पूरी कर द और प्रीमियम की प्रतिशतता ७५ प्रतिशत हो तो उसकी कुल मजदूरी यह होगी

$$\begin{array}{l}
 (\text{प्रमाप } B \times \text{दर}) + (\text{प्रीमियम \%}) \times (\text{वास्तविक} - \text{प्रमाप}) \times \text{दर} \\
 ४८० \times १ \text{ पाई} + ०.७५ \times ६०० - ४८० \times १ \text{ पाई} \\
 = ६०.२/८/- \quad - ७/६ = ६०.२/१५/६
 \end{array}$$

नामे हुए दिन का काम—१९३० को मधी के दिनों में मजदूर यूनियने उद्दीपन योजनाओं का साधारण रूप से विरोध करती थी। इस योजना ने, जिसके बई रूप हैं, अनेक उद्दीपन योजनाओं का स्थान प्रहल किया है। प्रमाप उनी तरह तय किये जाने हैं जैसे किसी उद्दीपन योजना में पर उन्हे लागू दूसरे रूप में विद्या जाता है। वह रूप यह है कि पहले कार्यालय की आधार दर दर दाचे के सिद्धान्तों के अनुसार तय की जाती है। इसके बाद दक्षता के विभिन्न स्तरों पर, प्राय १०० प्रतिशत आधार पर अनुप्रसन्नपात में ऊची प्रति घटा दरे तथ की जाती है। प्रमाप के आधार पर मजदूर का काम दक्षता के रूप में प्रतिदिन पारवर्तित बर दिया जाता है और बारखातों में बोडे पर लगा दिया जाता है। जब वह किसी निश्चित अवधि की, जो प्राय तीन महीने होती है, कोई निश्चित दक्षता प्राप्त नहीं होता है, तब उसके अनुसार उसकी आधार दर बढ़ जाती है और यह अगले तीन मास तक प्रभावी होती है। इसके बाद अगले तीन महीने की अवधि में वह जो दक्षता प्राप्त करता है, वह अगली तिमाही की प्रतिघटा दर का आधार बनती है। उदाहरण के लिए, मान लो कि किसी कार्यालय की दक्षता आधार दर १२ आ० है। नामे हुए दिन के काम की योजना के अनुसार हम यह हिसाब समायें कि अगर किसी मजदूर की ओसत दक्षता ७५ प्रतिशत है तो वह १२ आ० की आधार दर कमाता है। इसके बाद हम इस तरह हिसाब रख सकते हैं ८१.२५ प्रतिशत दक्षता १३ आ० प्रति घटे के बराबर है, ८७.५ प्रतिशत दक्षता १४ आ० प्रति घटे के बराबर है ९३.९ प्रतिशत दक्षता १५ आ० प्रति घटे के बराबर है, १०० प्रतिशत दक्षता १६० प्रति घटे के बराबर है, इत्यादि। यह योजना शुल्क बरते वे समय किसी मजदूर की दक्षता पहले उस महीने की किसी आधार दर के लिए ७५ प्रतिशत या १२ आ० है, तो, यदि उस तिमाही में वह ९३.९ प्रतिशत योसत दक्षता प्राप्त करते हों तो उसे अगले तीन महीने १५ आना प्रति घटे की दर से मनदूरी मिलेगी। यदि इस तिमाही में उसकी दक्षता पटकर ८७.५ प्रतिशत हो जाये तो अगली तिमाही में उसकी मजदूरी की दर घटावर १४ आना बरदी जायेगी।

इस योजना में यह जो कमी बरने वाली थान थी, उमने ही मपते अधिक परेशानी पैदा की और मुख्यतः इसके बारण इस योजना की उद्दीपन मम्बन्धी तिमोपना नष्ट हो गई। इसके शब्दों में, यह तब तक काफ़ी लच्छी सरह जाती थी, जब तक सरहड़ की दक्षता स्पिर या बड़ी रहे, जब उमकी दक्षता रही काम के बारण वर्ग होनी थी सब बहुम और मतभेद पैदा होने थे। यदि मजदूरी बढ़ाने वाले कारब वे साथ घटाने वाले कारब को पूरी तरह लागू न किया जाये तो यह योजना प्राय स्थायी रूप से मजदूरी बढ़ाने का, चाहे उसके लिए अपेक्षित स्पिर उत्पादन हो या न हो, साधन याक बन जानी थी। यह स्पष्ट है कि इस तरह की तिमो योजना में अगर उत्पादन का स्तर मतोंप-

जनक रखना है तो पर्यवेक्षण अधिकारियों पर बहुत वोक आ जाता है। यद्यपि उद्दीपन योजना के रूप में यह पढ़ति उपयोगी सिद्ध नहीं हुई, पर नियन्त्रण तत्र के रूप में यह बहुत बाढ़नीय है।

### वैज्ञानिक प्रबन्ध में उद्दीपन योजनाएँ

टेलर की भिन्नक अदद दर—यह पढ़ति अब प्राय बाम नहीं आती, परन्तु इसका उल्लेख इसलिए किया जाता है कि इसके आधारभूत सिद्धान्त का पता चल जाये और इसलिए भी कि इसे उस व्यक्ति ने शुरू किया था जो वैज्ञानिक प्रबन्ध का आविष्टरक माना जाता है। इस पढ़ति का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि कम उत्पादन के लिए नीची अदद दर और अधिक उत्पादन के लिए ऊची अदद दर दी जाए। साड़ी दिन-दर और अदद-दर योजनाओं में यह निश्चय करने का यत्न नहीं किया जाता था कि एक सुदिन का बाभ वितना होना चाहिए। टेलर इस धारणा से चला कि समय अध्ययन के द्वारा कार्यपूर्ति का सर्वथा परियुद्ध प्रमाप निश्चित किया जा सकता है और कार्य की दशाओं को प्रमापित करने के तथा सावधानी से धिक्का देकर मजदूर को इस दिये हुए प्रमाप तक पहुँचाना सम्भव है। मजदूरों को कार्यपूर्ति के प्रमाप तक पहुँचने का प्राप्तमाहन देने के लिए टेलर ने दो अदद-दरे निश्चित की, जिससे यदि कोई मजदूर प्रमाप कायमार पूरा करता है या उससे अधिक बाम करता है तो उसे ऊची अदद दर दी जाती है, और अगर वह प्रमाप तक नहीं पहुँच पाता तो उसे नीची अदद दर दी जाती है। इस प्रकार, यदि प्रमाप उत्पादन १० इकाई प्रतिदिन तय किया गया है तो इतने या उससे अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई दर १ रु० हो सकती है, पर प्रमाप (१० इकाई) से बम उत्पादन के लिए यह दर १२ आ० प्रति इकाई हो सकती है—१० इकाई उत्पादन करने वाले मजदूर को १० रु० मिलेंगे। ११ इकाई उत्पादन करने वाले को ११ रपये मिलेंगे इत्यादि, परन्तु ९ इकाई उत्पादन करने वाले को १२ आ० प्रति इकाई की दर से ६ रु० १२ आ० मिलेंगे और ८ इकाई उत्पादन करने वाले को ६ रु० मिलेंगे इत्यादि।

अधिक उद्योग या अधिक प्रबोधना के लिए पुरस्तृत करने और मदना या अदक्षता को दृष्टि करके यह पढ़ति अधिकतम उत्पादन की दिशा में बहुत उद्दीपन प्रदान करती है। हैल्से और गेवन योजनाओं से इसमें यह भेद है कि इस पढ़ति म यदि मजदूर प्रमाप पर पहुँच जाये या उससे बढ़ जाये तो उससे प्रमाप कार्यपूर्ति की प्रगति के बाद उत्पादन जिनना अधिक होता है, उसके प्रत्येक अदद पर न बेबल ऊची अदद दर, बल्कि पूरी अदद दर मिलती है, उसका कुछ अशमान नहीं। इस योजना म मजदूर वा दिन की मजदूरी की गारटी नहीं होनी क्योंकि प्रमाप से कम बाम करने पर उसे इतनी नीची दर पर भुगतान किया जायगा कि वह दिन की मजदूरी नहीं कमा सकता। प्रमाप और उत्पादन मजदूरों के लिए दर उस पेशे की ओसत दर से ३० से १०० प्रतिशत तक ऊची तय की जाती है। इससे उत्पादन मजदूर काम पर आते हैं, जोर उन्हें अधिक से अधिक

कार्य वस्ते का प्रोत्साहन मिलता है। यह पढ़नि दो चीजों का मेल है, एक तो महयोग्यता की कमी है, और दूसरे, सफल मजदूर वो इसमें और सब पढ़नियों वो अपेक्षा अधिक पारिश्रमिक मिल सकता है। यह न वेदत अच्छे मजदूर वो अधिक मजदूरी कमाने का भीका देता है, अपितु प्रबन्ध भी उन्मादन की वृद्धि और प्रति इकाई उन्मादन की लागत म वर्षी से लागत उठाता है। यह योजना निश्चिन्त है मे मानती है कि कम मजदूरी का अर्थ सस्ता उन्मादन नहीं है। पर इस पढ़नि मे कुछ सहज सीमाए हैं। इसे लागू करना कठिन है और इसम दिन की न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं। जिस विन्दु पर प्रमाण कार्यभार निर्धारित है, उस पर दर का परिवर्तन अद्याधिक आवश्यिक है जिसका यह परिणाम होता है कि या आदमी प्रमाण सीमा से ऊपर ही पीछे रह जाता है, उसे उस आदमी की अपेक्षा बहुत बड़े मजदूरी मिलती है जो उस सीमा पर पहुच भर पाता है। इससे मजदूरी मे बदमजगी पैदा होने की सम्भावना रहती है। एक प्रमाण निश्चिन्त करने के लिए मजदूर की कार्यशक्ति को नापना मालिक के हाथ मे एक बड़ी भारी शक्ति है जिसका दुर्दण्ड भी हो सकता है। सम्बन्ध है कि प्रमाण बहुत ऊचा तम कर दिया जाय।

मेरिक गूगिन अदद दर—टेलर की योजना के आवश्यिक परिवर्तन वहले दोष को इस पढ़नि मे दो के स्थान पर तीन अदद दरों रखकर सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। टेलर योजना की अन्य सब बातें इसमें रहती हैं। वे तीन दरों में हैं : पहली प्रमाण कार्यभार उन्मादन के ८३ प्रतिशत पर, दूसरी कार्यभार विन्दु पर प्रमाण पर, और तीसरी प्रमाण मे कमर होती है। इनलिए यह योजना मजदूरों को तीन सारमान्य बगों मे बाट देती है, अबोनू नये मजदूर, औसत मजदूर और प्रथम कोटि के आदमी, और उन्हें उनके अनुमार ही पैमा देती है—इस प्रकार यह योजना टेलर की नीचों अदद दर की कठोरता को बढ़ाव देती है।

गैंड की कार्यभार और बोनस पद्धति—यह योजना भी आवश्यिक जनु-संधान द्वारा प्रमाणित जबस्याओं की स्पार्ना को भानकर चलती है और सावधानी मे किये हुए समय अध्ययन पर आधारित है। हैलमें योजना की तरह यह योजना भी घोरे काम करने वाले मजदूरों को प्रति घटे की दर मे और तेज मजदूरों को अदद दर से मजदूरों देती है और इसमे अन्याया टेलर योजना के अनुमार प्रमाण तक पहुचने में समय और उनमें समझौते मजदूरों मे निश्चिन्त भेद करती है। टेलर योजना के अनुदृश्य, यह मव मजदूरों को झनि घटा दर (जिन मजदूरी) की गारंटी देती है। उम योजना मे एक नियन्त्रण कार्यकारी नियन्त्रण कार्यकारी वायपूर्ति को नियन्त्रण करता है, प्रमाण बनाया जाता है। गैंड लिखते हैं “आगर कोई आदमी आदेशों के अनुमार चलने और अपने नियन्त्रण स्थापन काम कर ले, जो उमको दिन भर का उचित कार्यभार है, तो उने दिन दर के जनावा, जो हर जुरन मे नियन्त्री है, एक निश्चिन्त बोनस भी दिया जाता है, पर आगर दिन के जन्म मे वह काम पूरा न कर सके तो उने बोनस नहीं मिलता, वह केवल दिन का मजदूरी मिलती है।” इस प्रकार जो लाग

प्रमाप पर पहुचते या उससे आगे बढ़ जाते हैं, उनकी मजदूरी किये हुए वार्षिकभार के लिए प्रमाप के रूप में स्वीकृत समय की दिन मजदूरी तथा उस समय की एक स्वीकृत प्रतिशतता—जो २० से २५ प्रतिशत तक होती है—जिसका हिसाब दिन दर से लगाया जाता है, उसमें बोनस के रूप में जोड़ दी जाती है। शुहू में यह पद्धति जिस रूप में बनाई गई थी, उसमें यह भी व्यवस्था थी कि बचाए हुए समय के मूल्य के वितरण में मजदूरों और कंपनी के साथसाथ फौरमेन को भी हिस्सा मिलना चाहिए। यह इसलिए किया गया था ताकि फौरमेन धीरे काम करने वाले मजदूरों का नाम तेज़ बरने में मदद दे और इस प्रकार भौतिक सम्पत्ति के क्षमता उपयोग (कैपेचिटी यूटिलिजेशन) में वृद्धि हो सके। कुछ नारखानों में यह व्यवस्था है कि अगर किसी फौरमेन के अधीन बास करने वाले सब व्यक्ति प्रमाप पर पहुच जाये तो उसे अतिरिक्त बोनस मिलता है। मान लीजिए कि एक कारखाने में दिन दर १ रु. प्रति घटा है और बोनस प्रमाप समय का २५ प्रतिशत है। अगर कोई मजदूर ८ घटे के काम को १० घटे में करे तो उसे उस काम के लिए १० घटे की समय दर अर्थात् १० रु. मिलेगी। जो मजदूर ८ घटे में उस काम को पूरा कर लेता है उसे ८ घटे की दिन दर और ८ घटे का २५ प्रतिशत, यानी १० घटे की कुल मजदूरी अर्थात् १० रु. मिलेगी। अगर कोई मजदूर ६ घटे में काम पूरा कर ले तो भी उसे ८ घटे की मजदूरी मिलेगी व्योकि कार्यसार को पूरा करने के लिए यही प्रमाप निर्धारित किया गया है और ८ घटे का २५ प्रतिशत भी मिलेगा, जिससे उसकी कुल मजदूरी १० रुपये हो जायेगी। इस प्रकार समय में होने वाली प्रत्येक वर्षीय का अर्थ है बमाई में प्रगामी वृद्धि। इस कारण गंगत पद्धति को, “प्रगामी दर” पद्धति भी कहते हैं। स्पष्ट है कि अगर ८ घटे के एक दिन की दर ८ रु. है तो सबसे धीरे काम करने वाले या अध प्रमाप मजदूर (जिसने उपर्युक्त उदाहरण में ८ घटे का काम १० घटे में किया है) को १२ आ० १।। पा० प्रति घटे की दर से मजदूरी मिलेगी, अर्थात् ८ घटे के दिन भे ६ रु. ६ आना ५ पाई मजदूरी मिलेगी प्रमाप मजदूर को ८ घटे के दिन के १० रु. ० प्रत्यान् सवा १० प्रति घटे की दर से मजदूरी मिलेगी और उपरि प्रमाप मजदूर को, जो ६ घटे में अपना काम पूरा कर लेता है, भी १० रु. मिलेगा, और ८ घटे के दिन की मजदूरी १३ रु. ५ आ० ४ पा० अथवा १ रु. १० आ० ८ पा० प्रति घटा की दर पर होगी। इससे स्पष्ट है कि यह पद्धति अध प्रमाप मजदूर के लिए दिन मजदूरी है और प्रमाप तथा उपरि-प्रमाप मजदूर के लिए अद्वद दर है।

दिन मजदूरी प्रथम दर है, चाहे उत्पादन वितना ही थोड़ा हो। इसने आगे मजदूरी, अद्वद दर से बढ़ती है और प्रमाप पर पहुच जाती है। प्रमाप पर पहुचने पर, बानस दिया जाता है। प्रमाप से आग अद्वद दर घटती जाती है। यह बड़ी मट्टत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इसमें एक निश्चित दिन से जबित, जो बैद्यानिक रीति से प्रमाप के रूप में स्थिर किया गया है, अमीमित तेजी करने में रुकावट पड़ जाती है। स्वभावत यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या इस मजदूरी योजना से दक्षता प्रमाप से नीचे वाले मजदूर

निम्नलिखित एक में वंशानिक प्रबन्ध के अन्तर्गत मिलने वाली मजदूरी योजना का सारांश दिखाया गया है।



को निवांह योग्य मजदूरी मिल जाती है। यदि नहीं मिलने तो प्रमाप विनु पर मजदूरी वा एकदम बड़ जाना उचित नहीं जचता, यद्योऽक इसमे, उदाहरण के लिए, जरा अधिक दश तथा सिर्फ दश मजदूर के बीच में बहुत अन्तर पड़ जाता है। इस विभिन्नाई को दूर करने के लिए दशता पुरस्कार इसमें योजना की तरह यहा भी ६२ ५ प्रतिशत या ६६ ७ प्रतिशत से अधिक ७५ या ८० प्रतिशत ने भी शुरू किया जाता है।

इसमें दशता योजना— डेलर और गैन्ट योजनाओं की तरह इसमें दशता योजना में भी कारखाने के अवस्थाओं का प्रभाविकरण और सावधानी में समय अध्ययन करके वा भारों वा निर्धारण किया जाता है। यह कार्यभार प्रयत्न कोटि के मजदूर के लिए, जो १०० प्रतिशत दश वहलाना है, पूरा और उचित कार्य भार होता है। इस प्रमाप की प्राप्ति के लिए यैष्ट पद्धति की तरह यहा भी बहुत अधिक बोनस प्रस्तुत किया जाता है परन्तु इस प्रमाप पर दहुचने में दहले छोटे शब्द बोनस बोनस बोनस जा नहने हैं और इस तरह यह हैलमे योजना से इस हैटि में मिलता है। गैन्ट योजना की तरह इसमें भी मजदूर को जब तक बाम पर रखा जाना है तब तब उसके बाम का हिसाब किये जिन दिन मजदूरी की गारंटी होती है। इस योजना की सामने विशेषता यह है कि इसमें बार्यूति में मुआर के नाय दिन दर में अद्द दर में मुश्किल बहुत पर्ट-पीरे होता है। पारिथमिक दशता के आधार पर तथा किया जाना है। मजदूर की दशता यह अनुचान है जो निर्माणित समय तथा इनको बान दखले में लगे समय के बीच, अयोग् उसके पूरा किये हुए कावांशों के प्रमाप घट्ट के, और उसने घट्ट के हिसाब में जो घट्ट लगाये, उनके बीच होता है। जो मजदूर ६६ ७ प्रतिशत दशता में कम प्राप्त करते हैं, उन्हें जिन बोनस के दैनिक मजदूरी दर दी जाती है। इसमें ऊपर अधिक उन्पादन के लिए एक निर्दिशन अनुचान में प्रगामी पैदाने में बोनस किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब दशता ८० प्रतिशत हो तब

बोनम ४ प्रतिशत और वह मह १० प्रतिशत हो। तब बोनम १० प्रतिशत और १०० प्रतिशत दशता पर २० प्रतिशत बोनम दिन मजदूरी में जोड़ दिया जाता है—इस तरह १० प्रतिशत और १०० प्रतिशत के बीच दशता बढ़िये में बोनम दुगना हो जाता है। १०० प्रतिशत म ऊपर दशता पर मजदूर को प्रयुक्त समय की तथा घचाये हुए समय का मजदूरिया मिलती है, अर्थात् अदर दर और प्रयुक्त समय की मजदूरी का २० प्रतिशत। इदाहरण के लिए, जहाँ उत्पादन प्रमाण (१०० प्रतिशत दशता) ८०० इकाई है, वह ८०० इकाई उत्पादन करने का को मजदूर की दशता ५० प्रतिशत है और उसे दैनिक मजदूरी दर मिलती। यदि वह ६०० इकाई उत्पादन करे तो उसकी दशता ७५ प्रतिशत होती और उसे उसकी दैनिक मजदूरी दर तथा १ प्रतिशत और मिलेगा। यदि वह ३५० इकाई उत्पादन करता है तो उसकी दशता १३ ३५ प्रतिशत होती और उस उसकी दैनिक मजदूरी नहा १४ प्रतिशत और मिलेगा तथा ८०० इकाई उत्पादन पर उसकी दशता १०० प्रतिशत है और उसे उसकी दैनिक मजदूरी तथा २० प्रतिशत और मिलेगा और यदि वह ८८० इकाई उत्पादन करता है तो उसकी दशता ११० प्रतिशत होती जाए उसकी दैनिक मजदूरी तथा ३० प्रतिशत और मिलेगा, इत्यादि।

### महारारी उत्पादन बोनम योजनाएं

प्रधें भजदूर की अवका निर्वाचित करना और उने इन प्रकार बोनम देना सदा नममद नहीं होता। कुछ तरह के कामों में विभाजन नहीं किया जा सकता और इसलिए अधिक उत्पादन का लक्ष्य, जो व्यक्तिगत अदर दर में प्राप्त होता है, समूह के आवार पर चरने का यतन किया जाता है। बहुत की अवस्थाओं में नामूदित बोनम अदायकी में प्रधान और मजदूर यूनियन में अधिक सहयोग पैदा हो जाता है और “हिस्टेशनरी के मिलान” (विनिपाल बाक फार्मिसेशन) का उपयोग करना है। समूह बोनम पद्धतिया व्यक्तिगत पद्धतियों की अपेक्षा सरलता में लागू की जा सकती है पर वे बेबढ़ कुछ अवस्थाओं में लागू हो सकती हैं। अनेक समूह या महारारी दोनों योजनाओं में से बेबढ़ चार की स्परेन्चा यहाँ दी जाएगी। इनमें से पहली योजना है समूह संस्टंकरण (ग्रुप पीपीवर्स), जिसमें कई मजदूरों को इकट्ठे काम करने को कहा जाता है और उन्हें एक इकाई के आवार पर मजदूरी दी जाती है। द्वितीय मजदूर उस ही बाधीय पर सहयोग करते हैं, इसलिए उसकी सप्ताह की या भवीते की कुल मजदूरों मध्य के सब सदस्यों में बराबर बाट दी जाती है। उसकी नामूदित या पारिक मजदूरों में जिनका बाम अविव होता है, उसकी कुल विशेषत किसी ऐसे पूर्व-निवारित आवार पर जो नम्रों स्वेच्छा हो, उनमें बाट दी जाती है। इसकी योजना प्रोन्टमेन बोनम पद्धतिहै। यह ड्राइवर्स के स्व में अम वे मान पर आवारित है। जहाँ व्यक्तिगत मजदूरी दरा के सब में बोनम जदायगी की गाना की जाती है, वहाँ तक को छोड़कर अन्यत्र लागत या कोमर या मजदूरी का हिस्सा नहीं लगती। प्रोन्टमेन बारबाने में पहले, पिछले १२ महीनों में उत्पादित टन-मत्त्या तथा बाम के कुल घटों की मूल्या और

थउता भाद्री के विचित्रताएँ प्रदर्शक कठिनाइया आदि। इस वेतक के बाद वह कारखाने के प्रत्यक्ष व्यक्तियों को दे जाता है और महत्वपूर्ण मट्टो पर और विचार होता है। नाइन के समय शाम को यूनियन बींचेंज में इन पर विचार विनिमय चलता है। इसका परिणाम है काय बरन का सर्जन व एकता।

स्लाइडिंग स्केल या सर्पी अनुमाप—यह मजदूरी देने की एक ओर ऐसी योजना है जिसमें मजदूरों में यह भावना पैदा की जा सके कि उह कारखाने की समृद्धि में हिस्सेदार माना जाता है और इसलिए उह इसे समृद्ध करने का यत्न करना चाहिए। सर्पी अनुमाप पद्धति प्राय सामूहिक मौदेवाजी के परिणामों पर आधारित होती है। इसमें मजदूरिया इस तरह समर्जित की जाती है कि वे उद्योग में सम्बद्ध होती हैं और सामाय उत्पादित वस्तुओं के जौसत विक्रय मूल्य के साथ अपन आप उठने और गिरती रहती है। आधारभूत विचार यह है कि जब कीमत जच्छी मिल रही हो, तब मजदूरी अच्छा होनी चाहिए और मूल्य कम होन पर मजदूरी भी कम हो जानी चाहिए। प्रमाप मजदूरी और प्रमाप मूल्य बीच बीच में नय तय किय जाते रह। इस पद्धति के य ग्राम वताय जाने ह। निश्चित वक्तियां भीतर मजदूरिया के बारे म विवाद नहीं होता। मालिकों और मजदूरों म सहभागिता (को-पार्टनरशिप) और पारस्परिक हित की भावना बहती है। मालिकों द्वारा उत्पादन की लागत में मजदूरी के अन्दर वाहिनी द्वारा हिसाब लगाना आसान हो जाता है और इस प्रकार वे थोड़ी निश्चितता की भावना के साथ दीघकाटिक करार कर सकते हैं। मजदूरी दरा म परिवर्तन बाइसिक नहीं होने वाला नमक और थोड़ा ढोना करके होते हैं। इस पद्धति में मजदूरों को मार्गियों ने बहियों की विलकुल ठीक ठीक सूचना मिल जाती है। व्याकिं वे स्वयं एक लेखा परीक्षक (आवीन्द्र) नियुक्त करते हैं। उनकी मजदूरिया व्यापार की बदलनी हुद भवन्याओं के बासार फौरन अपन आप बदल जाती है।

दसवें दहन से लाभों के बाबजद और बहुत समय से प्रचलित होने हुए भर यह पद्धति अधिक व्यापक नहीं हुई। इसकी कुछ सहज हानियां म बताई जाती हैं—यह बात न्यायमन्दन नहा समझी जा सकती है कि मजदूरिया भाल का कीमता के साथ साथ बढ़ती या घटती रह। अगर कीमता म घटत अधिक न तर होता हो तो यह पद्धति मजदूरी के मामले म मट्टा करना होगा। कीमत सभरण और माग का परिणाम है और इस पर मजदूर का काइ नियन्त्रण नहीं। मालिक की मजदूरी देन की योग्यता का एकमात्र सूचक दस्तु की दिनाय कीपत नहीं है। यह पद्धति हल्के व्यापार के दिना म प्रदर्श वो कम कीमत पर बचन के लिए प्रात्साहित करती है। घटती-बढ़ती कीमतों के दिना म वाहा विभिन्न मनदूरिया दी जाती है। इससे औद्योगिक आगाति पदा हानी है। उपभोजन के दाटिकोण से इस पद्धति का दुरप्रयाग किया जा सकता है वशाविं कीमतों का आवश्यकता म अधिक उच्चा ते उच्चा जो सकता है जिसमें मालिक और मनदूर दोनों को नहीं है। अगर एकाधिकार की अवस्था हो तो उपभोजता का और अधिक सफूता स शोषण किया जा सकता है।

निर्वाह मजदूरी को लागत—समय बीतने के साथ-साथ, विशेष कर प्रथम महायुद्ध के दिनों में और उसके बाद जब कोमर्ने एकदम बहुत ऊँची चली गयी थी (सबसे ऊँचा स्तर १९२० में था) और मजदूरी की अव्यवस्थित बहुत गिर गयी थी, तब मजदूरियों को रहन-सहन की लागत के साथ सीधे सह-प्रबंध कर दिया गया था। इस योजना की बुनियाद में मुख्य सिद्धान्त यह था कि मजदूरी की दर में होने वाली वृद्धि या कमी से रहन-सहन की लागत को देखना या सूचक स्थाया में निश्चित चढ़ाव या गिरावट होगी। परन्तु भारत जैसे देश में, जहाँ विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस पढ़ति को काम में लाना कठिन है। इसका एक रूपनार महर्गी भत्तों के रूप में हमारे देश में सफलता के साथ काम में लाया गया। कुछ ही समय से भारत सरकार के थम मत्रालय के थम द्वारा ने मजदूरों के रहन-महन की लागत कम होने पर मजदूरी की उपभोग में आने वाली महत्वपूर्ण बद्दुओं के १९४४ वाले वर्ष के औरत मूल्यों पर आवारित है। इस पढ़ति में वही द्रुटिया है जो मापिन दिन काम योजना में, जिसमें रहन-महन की लागत कम होने पर मजदूरी की दर गिरा दी जानी है। इसे ड्होपन योजना के ह्प में नहीं लाया जा सकता और इसके विपरीत दर कम करने पर असल्लोप पैदा होने की सभावना है जिससे अशान्ति फैलने और हड्डताले होनी है।

लाभ में हिस्सा बटाना और थम की सहभागिता—अनेक उद्दीपन योजनाओं और उनके विभिन्न रूपों के बाबजूद मालिकों और मजदूरों में मनमेंद रहने आये हैं और बहुत जगह वे बट रहे हैं। प्रवन्ध और मजदूरों में बटने हुए मतभेदों के कारण जिसमें हड्डताले और तालेबन्दिया होती है, और परिणामतः राष्ट्रों की वर्ष-व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बहुत से समाज-न्युधारकों और औद्योगिक प्रशासन में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों ने विरोध को कम करने के उपाय मोचे। आजकल के औद्योगिक बहुत वी परेशानियों को कम करने में सहायक उपायों के रूप में लाभ में हिस्सा बटाने और थम सहभागिता का सफलता से उपयोग किया गया है। आशा की जाती है कि उनसे थमिक का वह अभिमान, जो साधारणतया नष्ट हो गया प्रतीत होता है, फिर पैदा हो जायगा। वह सहयोगी भावना फिर पैदा हो जायेगी जो उपाइक तथा सकल उप-थम के लिए उनी आवश्यक है और कारबार में कर्मचारियों की दिलचस्पी बढ़ जायेगी और कुछ हड्डतक उनके मन में यह भावना पैदा हो जायेगी कि वे उद्योग और एक प्रकार से स्वयं पूजीपनियों के सहभागी हैं।

लाभ-भाजन (प्रोफिट-शेअरिंग)—“लाभ-भाजन उस स्वेच्छा से किये गये समझौते को कहते हैं, जिससे कर्मचारी को लाभ काटक हिस्सा मिलता है, जो लाभ होने से बहुत पहले तय-कर दिया जाता है” (हेनरी आर सीगर, प्रिसिपल आफ इको-नोमिकन, पृष्ठ ५८१)। ब्रिटेन के लाभ-भाजन और सहभागिता प्रतिवेदन १९२० में “लाभ भाजन” शब्द उन अवस्थाओं पर लागू होने वाला बताया गया है, जिसमें कोई मालिक अपने कर्मचारियों के साथ यह समझौता बता लेता है कि उन्हें अपनी

मजदूरिया के बलावा, उनके थम आविक पारिथमिक के हप म कारखाने के उम हिस्मे के नफे में स, जिस पर लाभ-भाजन योजना लागू है, पहें भे निश्चित एक अद्य मिलेगा। पेरिस म ३८९१ म लाभ-भाजन के बारे मे हृई कन्तरार्टीय-काकस ने इसी-यह परिभाषा की थी कि "वह समन्वया (ओपचारिक या अनुपचारिक) जो स्वेच्छा मे निया गया हो, और जिसके अनसार कर्मचारिया का लाभ हान से पहें निश्चित किया हुआ लाभ वा हिस्मा मिलता है।" यूनाइटेड स्टेट्स मे १९३० मे सीनेट की एक कमेटी ने इसकी यह परिभाषा की थी कि, "कर्मचारियो को लाभ पहुँचाने वाली के मव योजनाएँ जिन पर मालिक कोई संबंध नहता है।" यह जन्तिम परिभाषा प्रचलित प्रयोग के अविक निकट है, क्याकि बोनस, जैसे भारत म दिये जा रहे ह, लाभ के आवार पर दिये जाने हैं। हाल के वर्षो मे कुछ लेखक ने कायाग तथा स्टौक वेयरिंग (स्वन्ध-भाजन) को भी लाभ भाजन के अन्तर्गत रखा है। और कुछ लेखक प्रचलित मजदूरी दर स ऊपर जो कुछ भी दिया जाता है, उने लाभ-भाजन मानते हैं। लाभ-भाजन उद्दीपन योजनाओ के माय-साथ अपनाया जा सकता है और प्राय अपनाया जाना है, पर इसे और उन्हे अलग-अलग समझना चाहिए और दाना म नियम न हाना चाहिए। यथार्थ हप से कह तो लाभ भाजन मजदूरी की अदायगी की पद्धति ही नहीं। यह भी किसी भी जावारभूत योजना मे जोड़ हुआ एक नया जाड है। दूसरी आर, मजदूर को अपनी मजदूरी के जलवाया लाभ के हिस्मे के हप म जो कुछ मिलता है, वह उम लाभ मे सर्वथा बलग है, जो मजदूर को उमी कारखाने म नियन्त्रक (इन्वेस्टर) के हप म मिलता है। यह बात कि हिस्मा पहुँच ही निश्चित कर दिया जाय, लाभ-भाजन योजनाओ की एक मारमत किमेपना समझी जाती है। (यदि लाभ हो तो उम) हिस्मा मिलने का निश्चय बाम के लिए उद्दोपन समझा जाना है।

लाभ-भाजन की पहली योजना वह प्रनीत होनी है जो फ्रान्स म १८२० मे जपनाई गई थी, जिसम कारखार के लाभ का कुछ हिस्मा नुन हुआ कर्मचारियो को उनकी कमाई के अनुपात ने प्रतिवर्ष बाट दिया जाना था। बाद में यूट नियंत्र म बृत नी योजनाम लागू है और लाभ-भाजन सहारिना जान्दोरन का एक हिस्मा बन गया। यूनाइटेड स्टेट्स मे दे १८७० के बाद युर है और उसके बाद कुछ नमय बाद जर्मनी म चाल है इस शताब्दी के आरम्भ तक लाभ-भाजन की जोर ध्यान जाने लगा था और स्पष्टित श्रिमो द्वारा उसका विरोध होने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के दिना म मव जगह लाभ भाजन पर अधिक बल दिया गया। पर उम युद्ध के बाद बाली शनादी म लाभ भाजन की अपेक्षा कर्मचारिया का दोषर होन्दर (अधाधारी) बनान की योजनाओ पर अधिक बल दिया जाने लगा, जिसने कर्मचारिया म कारखार की सफलता म दिर्चसी पैदा है। १९३० के बाद के भद्रे के बायो मे योजनाए अविकन त्याग ही गढ और लाभ-भाजन का फिर बोडाना उद्धार हुआ। भारत मे, "उत्तराधित वस्तु म हिस्मा बाटने" के हप मे लाभ-भाजन स्मरणातीत काल मे मौजूद है। खेनी की बटाई पद्धति, जिसमे भूस्वामी और भाटडी (टैनन्ट) उत्पादित वस्तु को बाबा बाट लेन है, इमी पद्धति का

व्यवसेव है। श्रीयोगिक धेन में लाभ-भाजन को तत्र मुख्यता मिली जर राष्ट्रीय सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के तत्त्वाल बाद देश में ऐसी हुई अधिक श्रीयोगिक असान्नि को दूर बरने का निश्चय किया। परन्तु भारत में लाभ-भाजन के उपयोग पर एक और संघ में विचार किया जाएगा।

लाभ-भाजन के प्रणय—मोटे तौर से लाभ भाजन की योजनाओं को लाभ में हिस्सा देने की विधि के अनुसार हीन सामारण वर्गों में बाटा जा सकता है (१) लाभ उपा ही होता है, मजदूरों को दे दिया जाना है—नकद वितरण, (२) व्यवत (नियम) या नियम लेख (डिपोजिट एकाउण्ट) में जमा बरा देना जो कुछ समय पहले मूचना द्वारा निकाला जा सकता है। इन दो प्रणयों को चालू वितरण या अन्यामी (नौन-ट्रस्टीड) प्रणय बहते हैं; (३) लाभ विनी भविष्य या नियन संबंध अर्वादि नियि (मुख्य एनुएशन फण्ड) में जमा बर दिया जाना है या कारसाने की पूँजी में लगा दिया जाता है, और या इन दोनों विधियों को मिला दिया जाना है। इम प्रणय की योजना वो स्थगित वितरण या न्यामी रूप बहते हैं। सामारणनया मजदूर नकद वितरण को सबसे अधिक प्रमाण बरता है, और नकद वितरण की योजनाएं बहुत अधिक प्रचलित हैं। जिन उद्योगों में मजदूर की उत्पादकता लायन वा महत्वपूर्ण घटक है, उनमें लाभ-भाजन योजनाएं खूब चलनी प्रीत होती है। लाभ अच्छा हो तो भी इन योजनाओं को लागू करने की गुणादृश अग्रिम होती है। इमर्झी भक्ति के लिए एक परम आवश्यक बात यह है कि कर्मचारियों वो लाभ में हिस्सा देने के मिडान्ट में विद्वाम होना चाहिए। एक प्रधान या दुनियादी मजदूरों तप बर दनी चाहिए। जो वारदार की सब सम्भावित अवस्थाओं में चलनी रह सके और इन प्रधान मजदूरों के जलाया लाभ-भाजन की कोई योजना बनायर मजदूरी की कमी पूँजी बरनी चाहिए। मिडान्ट, ऐसी योजना से मजदूरी का टाका कम्पनी को द सकने की योग्यता से अधिक दृढ़ता में बढ़ जायगा। आगा ही जानी है कि इसमें मजदूरी बृहि को मांग अधिकतर समाप्त हो जायगी। और पिछली दशान्दि को मजदूर अगानि समाप्त हो जायगी। यदि लाभ-भाजन की विभी योजना वो सफल होता है तो उसे यथासम्भव सब कर्मचारियों पर लागू बरना चाहिए और सेवा गार की लम्बाई या अस्थियाना के पार कोई रोक न लगानी चाहिए। दूसरा प्रस्तु मह है कि लाभ वा कितना हिस्सा कर्मचारियों में बाटा जाय, और इसे भी मावधानी से हल बरना चाहिए तोमरा सकाल यह है कि प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाली राशि कीमे निर्धारित हो जाय।

यह निर्धारित बरने के लिए कि लाभ वा वितना हिस्सा बाटा जाय, तीन मुख्य विधियां हैं—(१) योजना में पहले यह तप बर लिया जाय, कि बर निवालने से पहले या बाद या लगाई हुई पूँजी पर न्यायमयन प्रतिफल (रिटर्न) निवाल देने के बाद या लाभाश की राशि घटा देने के बाद, वजे हुए लाभ वा वितने प्रतिशत बाटा जायगा। (२) दूसरी रोनि यह है कि प्रबन्ध अपने विवेक यो स्वेच्छा से प्रतिवर्ष यह निश्चिन बरता है, कि लाभ वा वितना अन्य कर्मचारियों में बाटा जाय। तीसरी मुख्य विधि में

संधार और इस प्रकार वर्तन्यानुराग में बृद्धि। यह दावा किया जाता है कि यदि इस योजना को सब्दे दिए से, सरल रूप से और इमानदारी से चलाया जाये तो मजदूर और प्रवृत्ति के संघर्ष बहुत दृढ़ रो जाते हैं। इसमें कमेंचारियों में निष्ठा को स्थोपना और परिवर्तन होता है और इसका कारण तिक्ष्ण यह नहीं है कि इससे आय में बृद्धि होती है बल्कि यह भी है कि इससे यह भूचित्त होता है कि प्रवृत्ति मजदूरों के प्रति अपना कर्तव्यपात्रता करने का यत्न कर रहा है। (२) मिल बरकाम करने की प्रवृत्ति तथा सहयोग में बृद्धि। प्रवृत्ति और मजदूरों का लक्ष्य एक होने से सहयोग ने बृद्धि और हिनों की एकता ही जानी है। (३) कम्पनी के कृत्याण में अभिहचि बढ़ जाती है। लाभ-भाजन सामूहिक आधार पर होने के कारण सर मजदूरों की ओर से स्थिरतापूर्वक काम करने को प्रो-साहित किया जाता है। जिसमें लोग अधिक हो जाते हैं। मजदूरों का रवैया तप्तप्रतापूर्ण और शिक्षान्मुख हो जाता है जिससे स्वस्य लोकमन पंदा हो पाता है और शिखिलता दूर भागने लगती है। मजदूर जिम्मेदारी दी भावना अनुभव करता है क्योंकि वह कम्पनी की समृद्धि, में अभिहचि रखता है। (४) उत्पादकता और दक्षता में बृद्धि। मजदूर लाभ में हिस्सा मिलने के कारण अधिक प्रदाता बरता है, क्योंकि लाभ उसके प्रयाप्त के अनुसार ही अधिक या कम होता। क्योंकि बरवादी और हानि न होने का वर्य है लाभ में बृद्धि, इसलिए मजदूर औजारों, मशीनों और सामान की अधिक परवाह करते हैं, जिससे पर्यवेक्षण और निपत्रण की लागत में कमी हो जाती है। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें कुछ दक्षता १० प्रतिशत बढ़ गई और रही सामान ५० प्रतिशत कम होने लगा। इस तरह मजदूर की कमाई बढ़ने लानी है और मालिक का लाभ अधिक हो जाता है। (५) मजदूरों के पलायन (टर्न-ओवर) में कमी हो जाती है। लाभ-भाजन का उद्देश्य है मजदूरों को अधिक आदिक सुख्खा प्रदान करना। मालिक को यह निश्चय हो सकता है कि मजदूर पर भरोसा किया जा सकता है, और वह स्थिर हृष्ट से रहेगा क्योंकि मजदूर इस क्षय की सचाई अनुभव कर चुका है कि लुढ़कते हुए पत्थर पर बोर्ड नहीं जमनी। (६) अच्छी कोटि के मजदूर आने हैं। जिम्मेदारी और जीवित्य की भावना बाले लोग इमानदारी से काम करते हैं और मालिक की समस्याओं को समझते हैं तथा साथी मजदूरों के रवैये को बदलकर सब को लाभ पहुँचाने हैं। अम रिवारो में कमी। सब मिलकर लाभ-भाजन मजदूरी की मांग और अधिक अद्याति को समाप्त कर देता है और उत्पादन तथा मजदूरी बढ़ाता है जो सब चीजें, अन्तोगत्वा समाज के लिए लाभवापन हैं। (८) कम्पनी की विनीय हितनि और मजदूरों के प्रतिकृद में अच्छा सदृप्त हो जाता है। हात के धौंप में लाभ-भाजन की योजनाएँ इस उद्देश्य से बनाई गई हैं जिम्मेदारों का कुल प्रतिकृद कारबार के उत्तर-चड़ाव के साथ बढ़ा रहे।

हानियो—इन लाभों वे मुकाबले में लाभ-भाजन की यहूल सी वृद्धिया और दोष बनाये गये हैं। कुछ लोग बहुते हैं कि लाभ-भाजन सिद्धान्त वृप्त में तो बहुत

बढ़िया है पर व्यवहार में बहुत असन्तोषजनक है। (१) लाभ भाजन की योजनाएँ लाभ पर ही निर्भर है। इसलिए वे लाभ के समय की योजनाएँ हैं। समृद्धि और बहुत अधिक लाभ के दिनों में बहुत सी नवी योजनाएँ क्षपनायी जाएंगी और मर्यादा गिरावट के दिनों में इस से उल्टा हाल होगा। (२) यह योजना अच्छी तरह जमे हुए और सफल व्यवसायों के लिए ही उपयुक्त है जो पहले से नियन्त्रित राने का कोई तक समत हिताव लगा चुकते हैं। ऐसी योजना नहीं बनाई गई और न बनाई जानी चाहिये जो दोनों दशाओं में लागू होनी हो और हानि-भाजन को भी लागू करती हो। (३) लाभभाजन का एड और डडा भारी दोष यह है कि यह प्रयास और पुरस्कार के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रखता। पुरस्कार व्यक्तिगत दक्षता पर आधारित नहीं है बल्कि यह सामूहिक रूप से सब अधिकारी को दिया जाता है, (४) लाभ-भाजन में पुरस्कार इतनी देर बाद मिलता है कि उससे बहुत चारियों के अतिरिक्त प्रयास को पूरी तरह प्रभावी बनाने में कोई प्रेरणा नहीं मिलती; अनिश्चियत और तंत्र व्यवधान नज़दीक दौड़ा होता है। (५) लाभ भाजन दृढ़पा मनमाने आधार पर मिलता है जो प्राय बेतन का कुछ प्रतिशत होता है और इससे अच्छे मजदूर को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। अधिकतर अबन्धाओं में नाभ बहुत थोड़ा होता है, और व्यक्ति का हिस्ता उपेक्षणीय होता है, हालांकि कुल लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा बाट दिया गया होता। (६) योजनाएँ बहुत जटिल होने तकनी हैं। और मजदूरों के या यूनियनों के रखें और सुझावों के दिना ही बना ली जानी है। लाभ-भाजन की निर्धारण अपने-आप में एक समस्या है और दिनरात के समय बहुत बाइबिल पैदा हुए हैं। (७) इस योजना के अधीन मिलने वाले हिस्ते को प्रथा और अधिकार मान लिया जाता है और उसमें कोई कमी बरते पर या सुरक्षा न देने पर असन्तोष पैदा होना आवश्यक है। (८) लाभ-भाजन का लक्ष्य यद्यपि तकनी और एक नहीं, पर तो भी मजदूर मूलियने इसका विरोध बरती है, इनकी टौसिय के अनुसार, 'इससे मजदूर अपने निकट के साधियों में ही मुख्य दिल चम्पी रखने लगता है और उस घन्थे या दस्ती के मजदूरों में दिलचस्पी नहीं रखता'।

बत में, यह बात पुन दोहराई जा सकती है कि लाभ-भाजन योजनाएँ अपने आप में कोई साध्य नहीं है और वेकल उनसे मजदूरों और प्रबन्ध के बीच अच्छे सम्बन्ध नहीं बन सकते। वे थोरोगिक स्टोकनन्त्र की एक उपयोगी सहायक हैं, पर वे किसी भी जर्य में इसकी स्थान पूर्ति नहीं कर सकती। लाभ-भाजन थोरोगिक वर्तन्यानुराग बढ़ाने में सिर्फ सहायक हो सकता है वह वर्तन्यानुराग का उत्पादक नहीं हो सकता। जब तक मालिक और मजदूरों में सम्बन्ध अच्छे हैं, जब वह पहले ही उद्योग के प्रयोजन के बारे में दोनों पक्षों में सद्भाव विद्यमान है और उसका प्रयोजन है और उस प्रयोजन के प्रति दोनों पक्ष निष्ठावान हैं, तब तब लाभ-भाजन जाने हित की एक स्वाभाविक और तकनी अनुराग अभिव्यक्त है। परिवर्तनियों में (वर्धात् जब वर्तन्यानुराग अच्छा है तब) ऐसे बारणों से लाभ बन हो जाय जो

कम्पनी के नियंत्रण से बाहर है, तो मजदूरों को बोनस की स्थायी हानि को दार्शनिक की भानि देखना चाहिए और कर्म के प्रति उसकी निष्ठा प्रयामूर्ख रहनी चाहिए, पर जट्टी इसी कारण के प्रवृत्ति और मजदूरों में गुप्त अविद्वास या सन्देह होता है वहाँ लाभ-भाजन की योजना लागू करने से न केवल सामन्यस्प नहीं पैदा होता बल्कि उससे और सधर्प तथा अविद्वास पैदा होता है। उस समय जबकि मजदूरों की निष्ठा की स्वसे विधिक आवश्यकता होनी है, उसमें जब कारोबार में कठिनाइयाँ आती हैं और लाभ हानि में दग्धिनित हो जाता है, तक बोनस बन्द हो जाने से मजदूरों में विरोध कैल जाता है और बहुत गड़बड़ होती है।

लाभ भाजन योजनाओं की कमजोरी यह है कि उनके कारण लाभ को ही मालिक और मजदूर को मिलाने वाली कड़ी माना जाने लगता है जबकि लाभ को एक साझे कार्य में सेवा का स्वाभाविक परिणाम समझना चाहिए। न कि सार्वत्रिक या अनिवार्य परिणाम। तो, उचित नियम यह प्रतीत होता है कि लाभ-भाजन की योजना की भी प्रचलन आशय से न लागू की जाय। यदि इसे मजदूर को अनिवार्य परिणामिक देने की एक रीति समझा जाये तो ठीक है पर उसकी निष्ठा प्राप्त करने के साधन या एक उद्दीपन के रूप में इसके असफल सिद्ध होने की सम्भावना है। क्योंकि यह मजदूरों का घटान गलत जगह केन्द्रित करती है। ठीक तरह समझा जाये तो लाभ-भाजन अपन आप भी मजदूर और उसका फैसले में मेल मिलान स्थापित करने का एर्याप्त साधन नहीं है। इसके लिए मजदूर को मालिक के साथ मिलकर परामर्श का अवसर देकर जिम्मेवारी और नियंत्रण का कुछ हिस्सा उसे देकर और इस प्रकार उद्योग में समुक्त प्रयोजन ही भावना पैदा करके, जैसा कि अन्यत्र बता चुके हैं, अन्य रीतियों से यत्न करना चाहिए। यह तभी सचमुच उपयोगी हो सकता है जब यह तीन डॉको वाली मजदूरी की सीढ़ी का अनिम डॉक हो, अर्यात् प्रयोक मजदूर को एक स्थिर न्यूनतन समय मजदूरी और किर एक उद्दीपक या खाड़कमें दोनस और अन में, यदि कम्पनी को वाधिक लाभ हो, तो उसका हिस्सा, निले क्योंकि अकेले लाभ-भाजन में इनसों सारी कमजोरियों हैं और क्योंकि पूँजी विनाखन के अभाव में दह मजदूरों की गुमराह करता है और उनमें गलत भावना पैदा कर देता है, इसलिए उचित यह है कि लाभ भाजन और मजदूर सहभागिता एक साथ होनी चाहिए।

मजदूर सहभागिता—प्रमुख लाभ-भाजक कम्पनियों के अनुभव से यह प्रतीत होता है कि यह योजना तभी सफल होनी है जब इसके साथ कम्पनी के मजदूरों के शेयर रखने की भी व्यवस्था हो। मजदूरों की सहभागिता के उद्देश्य इत प्रकार विपत्र लिये जा सकते हैं “सहभागिता यह कहाँही है कि सब मजदूर कुछ सीमा तक, निच धारोबार में वे नौकर हैं उसके लाभ, पूँजी और नियन्त्रण में हिस्सा लेंगे। इन दात को अविळ विस्तार से इन तरह दहा जा सकता है कि मजदूर को उसके काम की प्रमाप मजदूरों के अलावा धारोबार के अलिंगी लाभ या उत्पादन

की वचत का कुछ हिस्पा मिलेगा; कि मजदूर अपने लाभ के हिस्से को, जिस बारो-बार में वह लाभ करता है उसकी पूँजी में जमा करेगा; कि मजदूर अपने पूँजी बर्जित बरबे और इस प्रकार अशारी (योग्य टोल्डर) के सामान्य अधिकार और जिम्मेदारियाँ प्राप्त करके अथवा मजदूरों की एक ऐसी सहभागिना समिति का निर्माण करके, जिसकी भीतरी बारवार में आवाज हो, बारवार के नियन्त्रण में हिस्सेदार अवदय बने।" इस पढ़ति के परिणामस्वरूप मजदूर बारवार के अश-स्वामी हो जाने हैं—उन्हें लाभ में उनका हिस्पा पूँजी के रूप में मिलता है और इस प्रकार वे बारखाने की समृद्धि की दृष्टि से अधिकाधिक प्रयाम करने को प्रेरित होते हैं। इस योजना में वही परिकल्पन (सट्टे) बाला दोष है जो लाभ-भाजन में था। यह एक स्वयं रथ्य है कि परिकल्पन (सट्टा) थोड़ी पूँजी लगाने वाले के लिए बनुपयुक्त है। बारवार के लाभ बाल्पनिक होने हैं और मजदूर, जिसकी आमदनी थोड़ी है, इस घटनी-बदली आमदनी से अपने लाभ का समन्वय नहीं कर सकता।

भारत में लाभ-भाजन की योजना—इसम्बर १९४७ में जो निदली उद्योग-सम्मेलन हुआ था, उसमें देश के औद्योगिक मवधों में सुधार करने का निर्देश किया गया था। भारत सरकार ने अपने अपेल १९४८ में औद्योगिक नीति सम्बन्धी सदस्य के नीति पैर में यह ऐलान किया था कि वह एक केंद्रीय मन्त्रणालाली परिपद बनायेगी जो निम्नलिखित वातों के निर्धारण के लिए सिद्धांत तथा करक सरकार के पास भेजेगी। (अ) मजदूरों को उचित मजदूरी, (ब) पूँजी पर उचित प्रतिफल या रिटर्न, (ग) बारखाने के प्रतिपालन और प्रतार के लिए तर्कसंगत रक्षित धन, (घ) अतिरिक्त लाभ में मजदूर का हिस्पा—अभिरिक्त लाभ का हिसाब सर्वी बनु-माप (स्लाइटिंग स्केल) से, जो आमान्यतया उत्पादन वे असुमार बदलता रहा, ख और ग का धन निकाल देने के बाद लगाया जायगा। १८ अक्षितयों की एक विभेदज समिति, जिसमें आवे सरकारी और आवे गैर सरकारी सदस्य थे, मई १९४८ में नियुक्त की गई, जिसने सितम्बर १९४८ में अपना प्रतिवेदन दिया। लाभ-भाजन सम्बन्धी समिति ने यह मिकारिया की कि मूरु में निम्नलिखित उद्योगों में पच वर्ष की अवधि तक लाभ-भाजन का प्रयोग करके देवा जाय, अर्थात् मूरी वस्त, जूट, इन्धान (मुम्ब उत्पादन), सीमेट, टायर निर्माण और सिंगरट निर्माण। समिति, लाभ में मजदूर का हिस्पा निर्धारित करने के लिए सर्वी बनुमाप को व्यावहारिक विधि नहीं समझती। उसने लिखा है, "उद्योग में जो लाभ हाता है वह थम के बलाका और बहुन से बारका पर निभर है और उस सीमा तक उसका जो कुछ मजदूर करत है या नहीं करत है उसमें कोई खास सम्बन्ध नहीं। सभव है कि जिसी बारखाने में जिसमें मजदूरों ने पूरे जोर थोर भ काम किया है, जिन्हीं वन्य बारपा से कुछ भी लाभ न हो सके, या मजदूरों की शिथिलता के बाबजूद बहुन लाभ हो जाय। कुछ उत्पादन को किसी एवं सामान्य द्राकार्ड के स्वयं में नामना बदा बठिन काम है.....वापिक उत्पादन का कोई एक सामान्य (नोर्म) तथा कर देना और भी कठिन

है……सभव है कि अन्तचाही बाधा ए आ जायें जिनके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं ।” समिति के अनुसार, पूँजी पर उचित प्रत्यावर्तन (रिटर्न) वह न्यूनतम प्रत्यावर्तन होगा, जो और अधिक पूँजी नियोजन को प्रोत्साहित करे । मजदूरों का हिस्सा कारखाने के अतिरिक्त लाभ का आधा रखने की सिफारिश की गई । एक-एक मजदूर का हिस्सा उनवीं १२ मास की कुल कमाई में से महगाई और उसे प्राप्त हुए कोई और बोनस निकालकर वची हुई राशि के अनुपात में होगा । यदि किसी मजदूर का हिस्सा उसकी प्रधान मजदूरी के २५ प्रतिशत से अधिक हो तो उसे यह २५ प्रतिशत तो नकद मिलेगा और दोष उसकी भविष्य निधि या अन्य खाते में जमा कर दिया जायगा ।

समिति ने अपनी सिफारिश की जोखिम को समझते हुए यह सुझाया है कि लाभ-भाजन इकाईवार होना चाहिए, जिससे मजदूर कारखाने को समृद्धि ने प्रत्यक्ष दिलचस्पी रख सके, पर क्योंकि मजदूर यूनियनें एक उद्योग के बाधार पर बनी हुई है, इसलिए इकाई-वार योजना उस ढंचे को भग करती है और इससे औद्योगिक अशानि की सम्भावना है । समिति की राय में लाभ-भाजन को इन तीन भृत्यपूर्ण दृष्टिकोणों से देखना चाहिये (१) उत्पादन के उद्दीपक के रूप में, (२) औद्योगिक शांति रखने के साधन के रूप में और (३) प्रबंध में मजदूरों को हिस्सा देने की दिशा में प्रगति के रूप में । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, लाभ-भाजन नियन्देह औद्योगिक लोकतन्त्र की दिशा में एक कदम है, पर उसमें बहुत सी चुटियाँ हैं जिन पर पहले विचार किया जा चुका है । इन तथा अन्य बहुत से कारणों से इन्हें और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में, जहाँ बहुत समय तक इसका प्रयोग किया गया है, लाभ-भाजन का इतिहास बड़ा रूप विरगा रहा है । टोटा आवरन एण्ड स्टील कम्पनी को, जिसे पहली बार १९३७ में लाभ-भाजन योजना दूर की थी, बहुत मुख्य अनुभव नहीं हुआ । उनकी योजना में अवक्षयण (डिप्रेसियेशन), कर और प्रिकरेस थेयर होल्डरों के लाभांश की राशि घटाने के बाद बचे हुए शुद्ध लाभ का २२½ प्रतिशत बोनस के रूप में देन की ददार व्यवस्था है, और तो भी मजदूरों की उत्पादकता घट गई । इस गिरावट के कई कारण हो सकते हैं पर इस निष्कर्ष पर तो पहुँचना ही पड़ता है कि लाभ-भाजन की उत्पादकता वडाने का मूल लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ ।

### न्यूनतम मजदूरी

सविदा या अनुबंध (कान्ट्रूट) की स्वनन्वता एक भल अधिकार मानी गई है और साधारण सिद्धान्त के रूप में यह है भी बैसी ही, परन्तु एक उत्कृष्ट स्वार्थ—जनसाधारण की मुक्त-मुदिधा-परिरक्षक या पुलिस शनिन के प्रयोग द्वारा अनन्य अ कुश रख सकता है । इसी आधार पर, बहुत से मामलों में विधान मण्डलोंने मालिकों और मजदूरों के आपस में अपने सबन्धों की शर्त तय कर लेने के साधारण अधिकार में दखल दिया है, बहुत से हस्तांशोंमें से एक वह विधान है जो मजदूरी भुगतान की शर्तें निर्धारित करता है, या न्यूनतम मजदूरी दर तय

वरता है। न्यूनतम भज्डूरी जान्दोलव के बारण ये ये सासार में निश्चिन उद्दोयोग में नज़दूरों की बड़ी दुरी दशा थी। नज़दूरिया अनुचित रूप से बन थी। कुछ फैले नज़दूरों की बनजोर स्थिति का अनुचित लाभ डानी थी और उन व्यक्तों ने साधारणतया स्वीकृत और दी जाने पाली भज्डूरियों से दृढ़त तम नज़दूरी रूप कर देते थी। दूनरी ओर, नियन्त द्वारा सामाजिक और आर्थिक तन्त्र वो इन तरह समन्वित बरने के बल विद्ये ए जिससे मज़दूर वो बन से बम न्यूनतम नावीक आदर्शताओं की पूर्ण अवध्य हो नके। उसे नौकरी की सुरक्षा प्राप्त हो, बनारी के दिनों में उसे दूसरा काम मिलने की, और कान बरने में अस्त्र होने पर उसके भरण पोषण वो व्यवस्था हो।

यह बहा जा सकता है कि तारे सासार में न्यूनतम भज्डूरी के दो बीज १८९१ में स्वर्गीय पोष लियो १३वें द्वारा जारी किए गए मन्त्रिकार्यों द्वारा दीये गये, जिनमें उसने घोषणा की थी “आमस्तरक्षण बासनब में हर विनी वा इत्येव्य है और इस वर्त्तव्य को पूरा न बनाना बनरान है। इनने आदर्शव रूप से यह अधिकार पैदा होना है कि व वस्तुए प्राप्त वो जाये जिनमें जीवन काम रहता है और गरीब लोग भज्डूरी पर कान बरने के बलादा और हिसी रीति से उन्हें नहीं प्राप्त बर सन्तते। हम यान लेने हैं कि मज़दूर और उसका नातिक दिना रुकावट समझीने बर सबने हैं, विशेष हर से भज्डूरी की नाना वे दारे ने। तो भी प्राहृतिक न्याय का एव दुनियादी चिन्दान है जो स्त्रिया बरने वाले पक्षों की स्वनन्त्र अभिलापनओं से अधिक बड़ा और अधिक पुराना है, और वह यह है कि भज्डूरी इननी काकी होनी चाहिए कि एव निन्दयों और हिंसर दुःख भज्डूर अपना भरण पोषण बर सके क्योंकि अगर भज्डूर अपनी आदर्शताओं में बाधित होकर या और भी अधिक मुसीबत के भय से प्रभावित होकर इस बारण अधिक कठोर शर्त स्वीकार बर लेता है जो वह नियन्त्रण रूप से अनिच्छा से ही स्वीकार करेगा कि मालिक या ठेकेदार उस बात पर आप्रह बरता है तो वह बल वा शिकार हो जाना है जिसे न्याय निवनीय समझता है’ (ऐबोल्यूशन आफ इडस्ट्रीयल और्गेनाइजेशन में शील्डज द्वारा उद्धृत)। १९२८ में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन ने न्यूनतम भज्डूरी के बारे में एव आल्प अभियान (draft convention) स्वीकार किया था जिसके अनुमान उस अभियान था अनुसन्धान बरने वाले, अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-संगठन के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के लिए आदर्शव था कि वह ऐसी व्यवस्था बरे जिससे कुछ विशेष घन्धों में, जिनमें खामूहिक समनानों द्वारा या जन्य रीक्षियों से भज्डूरियों द्वारा कल्पनापूर्वक नियन्त्रित बरने की व्यवस्था नहीं है, या भज्डूरिया बहुत ही बम है, तिषुक्त भज्डूरों के लिए भज्डूरी वो न्यूनतम दरे तम की जरुरत है। भारत सरकार ने इस अभियान का समर्थन नहीं किया, पर समय-समय पर नियुक्त विए ये आपोगे और समितियों ने इस प्रश्न पर विचार किया। थम विषयक शाही आपोगे ने यह सिफारिश की कि न्यूनतम भज्डूरी नय बर

का मन्मात्रातांत्रिकों जीव की जाय। १९३३ में कौर्सी महल बन जाने से इस जान्मात्रान को ही प्रगति मिली। बम्बई में मिल थम जीव सनिहित १९३३-४०, बानपुर थम जीव सनिहित, १९३८, विट्टर थम जीव सनिहित, १९३८-४०, इन सभने न्यूनतम मजदूरी के बारे में कानून बनाने के प्रश्न पर व्याप दिया और न्यूनतम बेनन तब कर देने की सिफारिश की। इदियन मेज़लिल कारेस ने १९४५ में जारी किए गए जनने चुनाव घोषणा पत्र में न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता को स्वीकार किया। तब से केंद्रीय बेनन आयोग जीवोगिक न्यायालय जौर अन्व सनिहिता—में भव न्यूनतम मजदूरी तय करने के बारे में एकमन है।

**न्यूनतम मजदूरी तय करना—न्यूनतम तजदूरी तय करना कोई आसान काम नहीं।** न्यूनतम मजदूरी उम मजदूरी को कहते हैं जो एक मिनट्यांदी और मिट्टर बूँदि मजदूर की आवश्यक व न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी हो। आवार तय करने में प्राप्त दो सिद्धान्त अन्ताएं जाने हैं निर्वाह मजदूरी का पिछान और उचित मजदूरी का पिछान। मजदूर को निर्वाह दोष मजदूरी, और नाम ही नामनभन और उचित मजदूरी निलंगे का निश्चय करना परमावश्यक है। इस उद्देश्य की दृष्टि सबने अच्छी तरह इस प्रकार ही सक्ती है कि पहले एक निर्वाह्योग्य या प्रदान मजदूरी की घोषणा कर दी जाय और इसके बाद उनके जापार पर अनेक कामों और कौतल श्रेणियों की न्यूनतम दरों का जटिल ढाढ़ा खड़ा दिया जाए। मजदूर के लिए निर्वाह्योग्य मजदूरों इन्होंने ही चाहिए कि उनमें न केवल अनन्त लिए भरणे-पीपण वा व्यय वा जाय, बल्कि उन्हें परिवार के पालन, अर्थात् उनके भोजन, वन्य मक्कर, शिक्षा और उनके रहन-महन के स्तर के कारण प्राप्त विस्तृप्त अविकारों का स्वर्वं भी आ जाय और इसके बाद कुछ बच भी जाय। दूसरे शब्दों में इसमें उसे जौर उसके परिवार को एक सम्य जीवन दियाने का तर्कमग्न स्तर प्राप्त होना चाहिए, पर करोंकि कीमत स्तर के ज्ञान-चक्राव के साथ विभिन्न वस्तुओं के स्वर्वं घटने-बढ़ते रहने की सम्भावना है इसलिए। उचित यह है कि मजदूरी तय करने से पहले रहन-महन के स्वर्वं में होने वाले परिवर्तनों पर पूरा-न्यून विचार कर लिया जाए। प्रदान मजदूरी तय करने में इस बात पर भी विचार बर लेना चाहिए कि परिवार वित्तना बढ़ा है। एक औनन्द परिवार, जिसमें पति-पत्नी और चार बच्चे हैं, और उनकी आवश्यकताएं रहन-महन के स्तर का हिसाब लगाने के लिए न्यूनतम आवार मानने चाहिए। एक वयस्क मजदूर की भोजन, बानड़े और मकान की न्यून से न्यून आवश्यकता प्रतिविधि इमास. २४०० से ३००० इकाई प्रति कलरीमान (क्लोरीनिं वैल्यू) ३० गज प्रति वर्ष और १०० बग्ने की लगाई गई है। अर्थशास्त्रियों ने मारत के विभिन्न केंद्रों में सम्य जीवन के स्तर का स्वर्वं ३० रुपये से ४०, ५० तक प्रति वर्षित प्रति मास लगाया है। विभिन्न कामों और कौशल की श्रेणियों के लिए न्यूनतम दर के ऊपरी ढाढ़े वा निर्माण, साधारण आवधिक व्यवस्थाएं और उथोर का मजदूरी दे सकने का सामर्थ्य,

देखकर बनाना चाहिए। जिन मजदूरी दरों से मजदूरी की लागत कुल लागत की ५५ प्रतिशत हो जाय, उन्हें अच्छी तरह उचित दर माना जा सकता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त उचित मजदूरी समिति ने यह सिकारिश की थी कि न्यूनतम मजदूरी उचित मजदूरी को निवाली सीमा होनी चाहिए और ऊपरी सीमा वह होगी जो उद्योग में देने का सामर्थ्य है। इन दो सीमाओं के बीच में समिति ने यह सुझाव रखा कि उचित मजदूरी (क) अम की उत्पादकता, (ख) उसी या पहोंसी वस्तुओं में उसी या वैसे ही काम की मजदूरी की प्रचलित दर, (ग) राष्ट्रीय आय के स्तर और उसके वितरण तथा देश की अर्थव्यवस्था में उस मजदूरी के स्थान पर निमंत्र होनी चाहिए। समिति की सिफारिशे इन उपर्युक्त आवश्यकताओं के अनुमत ही थी। उचित मजदूरी विवेदक लक्ष्य में लग्नित है, और इसके पास हो जाने पर निर्वाह योग्य मजदूरी, जिसका भारतीय संविधान में वचन दिया गया है, सुनिश्चित रूप से मिल सकेगी। इस बीच न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८ में कुछ खास रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी देने की व्यवस्था की गई।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८—यह अधिनियम केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने और उसे बीच-बीच में बदलने की शक्ति देता है। जिन उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी स्थिर और पुनरीक्षित। (रिवाइज) करने का सिद्धान्त नवमे पहले लागू होगा, वे ये हैं जली कालीन बुनाई या शाल बुनाई, चावल, आटा या दाल मिल, तमाकू और बीड़ी बनाई, दागान या प्लाटेशन, तेल मिले, सड़क निर्माण या भवन निर्माण जाय, पत्थर लोडना या पत्थर पीसना, लाल निर्माण, अभरक का बारखाना, सावजनिक मोटर परिवहन, चमड़ा बामाने और चमड़े का मामान बनाने के बारखाने, बटे खेतों या फार्मों के मजदूर नज़दीका या डेरी और अन्य। केन्द्रीय और राज्य सरकारें इस सूची में और नाम जोड़ सकती हैं। राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए भवणादाता बोडें नियुक्त करने होंगे और एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड होगा जो साधारणतया मजदूरी तय करने वे भाग्यों में और राज्य भवणादाता बोर्डों के काम का समन्वय करने वे लिए सलाह देंग। इन सब निवायों में मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि वरावर संख्या में होगे और कुछ स्वतन्त्र सदस्य होंगे जिनकी सल्ल्या कुल सदस्यों के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। केन्द्रीय भवणादाता बोर्ड में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने अनुसूचित रोजगारों में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होने वाले रहत-सहन के व्यवहार के सूचक अबों को समय समय पर निरिचित करने वे लिए, और यदि कोई सुविधाएँ दी गई हो तो उनका नकदी के रूप में हिसाब लगाने वे लिए “सकारात्मक अधिकारी” नियुक्त किए हैं।

केन्द्रीय सलाहकार मण्डल में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, धोत्रों के अनुसार, ₹ ४० प्रति दिन से लेकर ₹ २०० प्रतिदिन तक तय की है। अनेक राज्य सरकारों ने

अनुसूचित रोजगारों में लगे हुए मजदूरों की घूतनम् मजदूरी की दरें तय कर दी हैं। विभिन्न उद्योगों की दरें नीचे दी गई हैं।

बाबल, आठा और दाल मिलों में दर दिल्ली में १ रु० १३ आ० ६ पा० से लेकर मद्रास में १२ आने तक है; तेल मिलों में यह पजाव में १रु० १२ आ० से लेकर मद्रास, मेसूर और उत्तर प्रदेश में १रु० तक है, सड़क निर्माण और भवन निर्माण कार्यों में दम्भई में १ रु० १२ आ० से २ रु० ६ आ० तक और उडीसा में १३ आ० से १ रु० तक है; पश्चर तोड़ने के काम में भी दरें ऐसी ही हैं; टेनटी और लैंदर फैक्ट्रियों में २ रु० ६ आ० की उच्चतम दर विहार में है और निम्नतम दर १ रु० ८० उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में है, मोटर परिवहन (अकुशल) में पश्चिमी बगाल में १ रु० ९ आ० १० पा० और कुर्ग में ११ आ० ५ पा० है, कड़नटरों को पश्चिमी बगाल में २ रु० १४ आ० से ३ रु० तक और मध्य प्रदेश में १ रु० ४ आ० तक मिलते हैं; तम्बाकू में दर दम्भई में २ रु० और उत्तर प्रदेश में १ रु० है अमरक की खानों में विहार में १ रु० ५ आ० ९ पा० और मद्रास में १ रु० दरें हैं। लाल निर्माण में १ रु० ४ आने की उच्चतम दर विहार में और १५२ आने की निम्नतम दर मध्यप्रदेश में है; रोपनों (Plantations) में ट्रावनकोर-कोचीन में १ रु० ९ आ० और पजाव में ११ आने की दरें हैं, सीमेंट; बाँच और पोटरी में १ रु० ६ आ० की दर सिर्फ मध्यप्रदेश में तय की गई है; दरी बनाने या शाल बुनने के काम में विहार में १ रु० १२ आ०; मद्रास में १ रु० पजाव में १ रु० ८ आ० और राज स्थान में १ रु० २ आ० की दरें हैं; खेती में निम्नलिखित दरें हैं; विहार—फसल का चौदहवाँ हिस्सा या प्रतिदिन ३ सेर धान और आवा सेर मुड़ी, दम्भई—९ आने से १२ आने तक प्रतिदिन और मुफ्त भोजन, मध्य प्रदेश—१० आने से १ रु० तक दैनिक और मुफ्त भोजन;

उडीसा १० आने से १२ आने तक प्रतिदिन, पजाव १ रु० से २३२ रु० तक प्रतिदिन; उत्तर प्रदेश १ रु० से २३२ रु० तक प्रतिदिन, पश्चिमी बगाल १३२ रु० से २३२ रु० तक प्रतिदिन; हैदराबाद १२ आ० में १ रु० तक, मेसूर १४ आ० से १ रु० तक; आघ १३२ रु० से ३ रु० तक प्रतिदिन; अजमेर १२ आने से १ रु० तक; कुर्ग १ रु० ५ आने; दिल्ली १३२ रु० से २ रु० तक; त्रिपुरा १ रु० २ आने तथा प्रतिदिन ३ भोजन से लेकर २ रु० प्रतिदिन तक।

ओटोमोबाइल इजिनियरिंग, जिसमें मोटरों की सर्विसिंग और मरम्मत भी शामिल है, में सिर्फ दिल्ली में दरें तय की गई हैं और वे १ रु० प्रतिदिन या ६० रु० प्रतिमास हैं। अकेले अजमेर में टैंकस्टाइल में घूतनम् दर प्रति मास ३० रु० और महाराष्ट्र भृत्या २६ रु० है। सौराष्ट्र में नमक (Salt pan) में दो रु० प्रतिदिन और दिल्ली में मैटल बिंग कारखानों के लिए ३५ रु० प्रति मास और फोउण्ड्री के लिए ३८ रु० से ४० रु० तक प्रतिमास की दरें हैं।

मजदूरी और कमाई—निम्नलिखित सारांश से भारत के कुछ महत्वपूर्ण

उद्योग में मजदूरी की मजदूरी और कमाई का कुछ ज्ञान ही जाता है। विविध केन्द्रों में, मूली मिल उद्योग में न्यूनतम प्रधान मजदूरी की दरें ये हैं : बम्बई नगर और उपनगरों कानपुर तथा दिल्ली में ३० रु० प्रतिमास, अहमदाबाद में २८ रु० प्रतिमास, शोलापुर, मध्य प्रदेश, मद्रास राज्य, भोपाल और मध्य भारत में २६ रु० और गडग, सुरत तथा सौराष्ट्र में २१ रु० प्रतिमास। अन्य स्थानों पर वहाँ के अन्य-अलग रहन-महन के खर्च के अनुसार दरें हैं। परिचमी बगाल को छोड़कर जहाँ महगाई ३०) प्रतिमास की समान दर (Flat rate) से दी जाती है, अन्य सूती मिल उद्योग के सब नहत्वपूर्ण केन्द्रों में इसकी दर रहन-सहन की लगत की दराना (सूचक सर्वया) से बधी हुई है, उदाहरण के लिए, बम्बई वी सूती मिले बम्बई के रहन-सहन की लगत की सूचक सर्वया में १०५ से ऊपर होनेवाली वृद्धि के प्रत्येक विन्दु पर प्रतिदिन १०९ पा० की दर से देती है, और अहमदाबाद वी मिले निर्वाह व्यय का सूचक सर्वया में ७३ से ऊपर होनेवाली वृद्धि के प्रत्येक विन्दु पर प्रतिदिन २०८४ पा० की दर से देती है। दिल्ली में बड़ी मिले १९४४ को १०० मान कर निर्वाह व्यय की सूचक सर्वया से बधी हुए हिसाब से महगाई देती है। पहले २० विन्दु की वृद्धि पर ४४ रु० १२ आ०, और इसके बाद ५०२७ पा० प्रतिदिन प्रति विन्दु की दर है। अब कुछ वर्षों से उद्योग में मजदूरी वी वादिक लान पर बोनस देने की प्रथा चल रही है। यह बोनस प्राप्ति साधारणतया हाजिरी, अवैध हड्डनालों में हिस्सा न लेना आदि कुछ वातों पर निर्भर है। बम्बई ने बोनस १९४९ में मजदूरी का छठा हिस्सा था। मद्रास में मजदूरी वा १५ प्रतिशत और दिल्ली में प्रधान (वेसिक) कमाई के प्रति रूपये पर ४ आ० था, इत्यादि।

जूट मिल उद्योग में न्यूनतम प्रधान मजदूरी २६ रु० प्रति मास है, और परिचमी बगाल में ३२ रु० ८ आ० तथा विहार में ३७ रु० ६ आ० महगाई है। जनी मिल उद्योग में विभिन्न केन्द्रों में न्यूनतम प्रधान मजदूरी में बहुत भिन्नता है। उदाहरण के लिए, बम्बई में वे २४ रु० से ३४ रु० २ आ० तक प्रतिमास हैं और उत्तर प्रदेश में १९ रु० से ३० रु० प्रतिमास तक। बगलोर में न्यूनतम मजदूरी दर पुरुषों के लिए १४ आ० ६ पा० प्रतिदिन और स्त्रियों के लिए ११ आ० ६ पा० प्रतिदिन है, जबकि पजाव में दैनिक न्यूनतम मजदूरी १ रु० है। महगाई बम्बई में ५५ और ६७ के बीच में, पजाव में ३४, उत्तर प्रदेश में ५५ रु० और मैसूर में ३३ रु० है। बोनस प्रधान कमाई के आठवें हिस्से से छठे हिस्से तक के बीच में है। रेशम मिल उद्योग में प्रधान मजदूरी मूली मिलों की अपेक्षा बहुत कम है। मैसूर में वे ६ आ० से १ रु० ८ आ० तक प्रति दिन के बीच में हैं। कस्मीर में ६ आ० प्रतिदिन और मद्रास में ४ आ० प्रतिदिन की दर है जबकि परिचमी बगाल में (सब कुछ मिलाकर) २० रु० से २५ रु० तक प्रतिमास है। बम्बई नगर में महगाई निर्वाह व्यय के सूचक अक के साथ बधी हुई है और अन्य स्थानों में यह अलग-अलग केन्द्रों में अलग-अलग है।

सीमेंट उद्योग में प्रधान मजदूरी में कोई एकलृपता नहीं। ए. सी. सी. द्वारा नियन्त्रित सब कारखानों में न्यूनतम कुशल मजदूरों को १२ आ० प्रतिदिन की एक समान न्यूनतम प्रधान मजदूरी दी जाती है। जनना के डालमिरां नगर वाले कारखाने में २१ रु० प्रति घास दिया जाता है और विजयवाडा के कारखाने में प्रतिदिन की सचिन मजदूरी १८० रु० आ० होती है। महणाई निर्वाह व्यय की सूचक संख्या से वधी हुई है। कागज फिल उद्योग में भी प्रधान मजदूरी की दर कारखाने-कारखाने में अलग-अलग है। बम्बई राज्य में यह ८ आ० प्रतिदिन से २५ रु० प्रतिमास तक है। उत्तर प्रदेश में यह ७ आ० प्रतिदिन से ५५ रु० प्रतिमास तक है। पश्चिमी बगाल में ३० रु० प्रतिमास से १८० रु० आ० ९ पा० प्रतिदिन तक है। पश्चिमी बगाल में महणाई प्रधान मजदूरी के १५ प्रतिशत से लेकर ३० रु० प्रतिमास तक है। उत्तर प्रदेश और बम्बई के कारखानों में महणाई निर्वाह व्यय की सूचक संख्या से वधी हुई है। कैमिशल या रसायनिक उद्योग में न्यूनतम कुशल मजदूर को पश्चिमी बगाल में २७ रु० से ३५ रु० प्रतिरास तक, बम्बई राज्य में २२ रु० से ३२ रु० ८ आ० प्रति घास तक और मद्रास में १८० से १८०२ आ० ६ पा० प्रतिदिन तक न्यूनतम प्रधान मजदूरी मिलती है। उत्तर प्रदेश और विहार में चीनी मिलों के मजदूरों को सब कुछ मिलाकर ५५ रु० प्रतिमास मिलता है। चीनी मिलों में मद्रास में ८ रु० १२ आ० से १९ रु० ८ आ० तक प्रतिमास न्यूनतम प्रधान मजदूरी है। और बम्बई में ६ आ० प्रतिदिन से १२ आ० प्रतिदिन तक। उत्तर प्रदेश और विहार के कारखानों में महणाई अलग नहीं दी जाती जबकि अन्य बेन्द्रों में यह निर्वाह व्यय की सूचक संख्या से ज़्यादी हुई है।

## अध्याय २७

# वस्तुओं और सेवाओं का विपणन

(Marketing of Goods and Services)

**विपणन कार्य—**विपणन अद्यान खरीद और बिक्री वा सारभूत कार्य यह है जि वस्तुओं या सेवाओं के स्वामित्व वा उस राशि के बदले में हस्तातरित वर देना जो इसकी समतुल्य या बराबर समझी जाती है। सीधे व्यापार के भरलतम रूपों में आमे दाली विपणन समस्याएँ सीधी सादी होती है। वस्तुएँ बनते ही बेच दी जाती हैं। उत्पादक और उपभोक्ता बिक्री के बिन्दु पर मिलते हैं और व्यवहारों से दोनों पक्षों को अधिकतम सम्मोहन प्राप्त होता है। बिक्री के अधिक जटिल रूपों में, जिनमें उत्पादक और उपभोक्ता मिलते नहीं, स्वामित्व का परिवर्तन बरना, जो विपणन वा मुख्य कार्य या, अब विपणन प्रक्रम वा एकमात्र आवश्यक गुण नहीं रहता। बिक्री बरने से पहले, अर्थात् खरीदने और बेचने वाले को व्यापार करने की इच्छा से एक जगह लाने से पहले, और बहुत से कार्य बरने पड़ते हैं। ये लोग या तो प्रत्यक्ष सम्पर्क बरते हैं या अप्रत्यक्ष या वृत्रिम सम्पर्क करते हैं। प्रत्यक्ष सम्पर्क में वे दोनों एक जगह इकट्ठे होते हैं और आमने सोमने खरीदने वाला और बेचने वाला प्रधान स्वामियों वा रूप में अपना विनिमय बरते हैं। परन्तु यह सारा कार्य वे दूसरों की मदद से करते हैं, जो उनकी तरफ से अभिवृत्ति या विचौलियों के रूप में काय बरते हैं। वृत्रिम सम्पर्क विनापन के जरिये स्थापित होता है। ये सब कार्य, जो समतुल्य राशि वे बदले वस्तुओं का विनिमय बरने के प्रधान कार्य में आवश्यक सहायता है, प्रासंगिक या पूरक कार्य बहलाते हैं, या उसके विपणन के कार्य ही बहलाते हैं। विपणन कार्यों को निम्नलिखित रूप से समूह-बद्ध किया सकता है।

### क-भाग सम्बन्धी कार्य

(१) खरीदना—(क) आवश्यकताओं वा निर्धारण, (ख) विक्रेता वी खोज या सम्भरण स्रोत की खोज, (ग) मूल्य तथा अन्य शर्तें तय करना, (घ) स्वतं वा हस्तातरण, (ङ) भुगतान या उधार की व्यवस्था।

(२) एकत्र करना या इसका विलोम यानी वितरण।

(३) प्रमाणीकरण और श्रेणीतर्थारण।

(४) सम्झौता या स्वन्धरक्षण—समय उपयोगिता की सूचि।

- (५) परिवहन या स्थान उपयोगिता को सूचित।
- (६) विभाजन, पैकिंग, पैकेजिंग और विधायन (प्रोसेसिंग)
- ए—सहायक या साधारण व्यापाराधिक कार्य
- (७) वित्त व्यवस्था।
- (८) जोखिम उठाना—जीमा या बायदे का व्यापार।
- (९) अनिलखन।
- ग—वित्ती कार्य

(१०) बेचना, (व) माँग पैदा करना, (क) खेता ढूँटना, (ग) खेता को वस्तु के उपयोग के बारे में सलाह देना, (घ) मूल्य तथा अन्य शर्तें तय करना, (इ) स्वतंत्र वा हमतातरण, (च) प्रत्यय (Credit) पर दिए हुए माल का धन इक्कठा करना या प्रत्यय का फैलाव।

भभी-कभी भाँड सम्बन्धी तथा वित्ती कार्यों को विपणन का प्राप्तिक कार्य बहा जा सकता है, और साधारण व्यापाराधिक कार्यों को सहायक कार्य बहा जा सकता है। विपणन की प्रक्रिया जो इन सब कार्यों से मिलकर बनी है, व्यावसायिक कार्य की बहु अवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं तथा अधिकारों के हस्तातरण द्वारा मानवीय वभीच्छाओं (wants) की पूर्ति की जाती है। सधेष में यह वह साधन है जिसके द्वारा उत्पादक या विक्रेता अपनी अतिरिक्त वस्तु निपटाता है और उपभोक्ता या क्रेता अपनी कमियों की पूर्ति करता है। खरीदना, बेचना और प्रभापीवरण स्वामित्व के परिवर्तन से सम्बन्ध रखते हैं (पारण उपयोगिता) परिवहन, सप्रह, थेगीनिधारण, विभाजन, पैकिंग और एकत्र करण (assembling) का सम्बन्ध वस्तुओं की शारीरिक उठा धरी से है, व्यान् स्थान और समय उपयोगिता का सूजन। इन सब कार्यों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में विचार किया गया है।

खरीदना—विपणन के प्रथम सम्बन्धी कार्य विक्रय सम्बन्धी प्रदाता के पूरक है। क्रय के अन्दर अपनी बाबृश्यहना वा निर्वाण, सम्भरण सोन का खोजना, व्यावसायिक सम्बन्धों का बनाना, कीमता और दातों का निष्पत्य करना और स्वतंत्र वा विक्रेता से खेता का हस्तान्तरण शामिल है। क्रयण एक महत्वपूर्ण कार्य है, और इसमें व्यवसाय संस्थाओं और अन्तिम उपभोक्ताओं का बहुत सा समय लगता है। बड़ी व्यवसाय संस्थाओं में पृथक क्रयण विभाग होता है। बहुनों में क्रेता, सहायक क्रेता और लिपिका का बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग रहता है। दोषा सुदूरा फरीद अपना बहुत सा समय थोक विक्रेताओं और निर्माताओं के सेल्समैनों के साथ मिलने में खर्च करता है। डिपार्टमेंट स्टोरों में क्रयण इनका महत्वपूर्ण शोना है कि डिपार्टमेंट के मेनेजर को श्रंता बहा जाना है। गृहस्थ उपभोक्ता अपना बहुत सा समय सौश खरीदने में खर्च करता है। भोजन आदि बहुत सी वस्तुएँ खरीदने में क्रेता का बहुत सा समय लग जाता है। सरीदने का अन्तिम प्रयोजन

यह है कि वस्तुओं को, उत्पादन में या व्यक्तिगत उपभोग में, जहाँ उत्काल उपयोग के लिए उन की आवश्यकता है, इकट्ठा किया जाय, परन्तु इससे पर्याप्त और भित्तियों विषयन में भी सुविधा होती है।

बहस्तुएँ चार प्रकार से खरीदी या बेची जाती है अर्थात् निरीक्षण द्वारा नमूने द्वारा, बणन द्वारा, और श्रेणीनिर्धारण द्वारा। निरीक्षण द्वारा खरीद तब की जाती है जब क्रेता यह निश्चय बरने के लिए वि ये बहस्तुएँ नेरो आवश्यकता पूरी बरने के लिए उचित गुण और उपयोगिता वाली है उनकी परीक्षा बर चुकना है। यह खरीदने का सब ऐ पुराना प्रकार है और यदि भी सुदूरा और घोड़ व्यक्ति में बहुत अधिक प्रचलित है। नमूने द्वारा खरीद तब की जाती है जब खरीदने वाला बस्तु के एक नमूने को परख लेता है और यह बात जान ली जाती है कि मारी बहस्तु उस ही क्वालिटी की होगी जिसका यह नमूना है। नमूने द्वारा विक्री इसलिए की जाती है कि खरीदने वाले को सारा सामान दसने की जरूरत न हो। मौदा वार्डलयों में, विनियम स्थानों और वास्तविक बस्तु से दर स्थानों में सपादित किया जा सकता है। बणन द्वारा खरीद तब की जाती है जब ग्राहक सूचीपत्र से परख करता है या विसी अन्य साधन से बरस्तु वा बणन जान लेता है। ग्राहक वो विक्रेता की ईमानदारी में विश्वास होता चाहिए, अथवा वह दर्शन विसी निष्पक्ष विशेषज्ञ अथवा सरकारी निरीक्षक द्वारा किया होना चाहिए। बणन द्वारा विक्री में नमूना वा खर्ची बच जाता है और इनका उपयोग वहाँ हो सकता है जहाँ नमूना पक्ष बरना अव्यवहार्य है। श्रेणीनिर्धारण द्वारा खरीद तब की जाती है जब ग्राहक विसी सूनिश्चित बहस्तु की निश्चित छोटी की निश्चित जाना खरीदता है, जैसे मिट्टिग काटन, ग्रेड ए दूध आदि। यह खरीद तार, टेलीफोन, या टाक द्वारा या जवानी कहवर दो जा सकती है और खरीदने भीर बेचने वालों को बहस्तुएँ देखने की आवश्यकता नहीं होती। वह विक्री उन्हीं बहस्तुओं की हो सकती है जो निश्चित रूप में प्रमापित हो चुकी हैं। उदाहरण दें लिए एक मार्केटेणीनिर्धारण द्वारा खरीद मूल्यवर चायदा, व्यापार वा आधार होता है।

बहस्तु आर्थिक व्यवस्था में प्राय देचने वाला खरीदने वाले को टूटना है, पर इस चलन के बावजूद खरीदने वाल प्राय सम्नरण स्तोतों की तलाश में भूमते हैं। उदाहरण के लिए, सूनी निर्माना और घोड़ परोश ऐसे विक्रेताओं की तलाश में बहुत सा समय और ऊजा खर्च करते हैं जो अभीष्ट बस्तु दे सके, या अभीष्ट शर्तों पर नियन्त्रित रूप में माल दे सके। अतिम उपभोक्ता खुदरा हूकानों पर जाने हैं और काफी समय लगाकर उन विक्रेताओं को ढूढ़ते हैं जिन के पास उनकी भवनाही, बस्तुएँ हैं। विक्रेता से मिलकर ग्राहक या ग्राहक से मिलकर विक्रेता, अथवा दो दानों पक्ष-व्यवहार द्वारा सम्बन्ध बना सकते हैं। सम्बन्ध बनाने में एक प्रत्ययक्रन (लाइन आफ क्रेडिट) स्थापित करना प्राय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार क्यूं और एकत्र करण (Assembling) में विभ्रम हो जाता है परन्तु एकत्रकरण वा अर्थ

हैं वस्तुओं को भौतिक दृष्टि से एक जगह जमा करना, जिससे वस्तुओं को छोटे-छोटे समूह बाहर भेजने या विक्री के लिए एक स्थान पर इकट्ठे हो जायें। यद्यपि दूक्षिणदार अपने आहवान की आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने के प्रकार की वस्तुएँ इकट्ठी करता है और एक ही बन्तु की बहुत अधिक मात्रा नहीं लाना, तब यह कार्य एकत्रिकरण के बजाय नया है। एकत्रिकरण न्यून नहीं है और न यह बाजार का स्थिर कार्य है वयोंकि इसका महाद कृषि उत्पादन और अन्य कच्चे सामान में ही है। आइनियर उन लोगों के लिए बहुत ज्ञान को एकत्र बरता है, जो उन्हें खरीदना चाहते हैं। ठीक इसका बहुत जाय तो वह केवल नहीं एकत्र करता है।

**एकत्ररण—एकत्ररण** का अर्थ है कि कही भेजने, दिनी या निर्माण काम के लिए बहुत सा माल एक जगह जमा करना। यह एक सी वस्तुओं की अभियान प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा करने का भौतिक कार्य है एकत्ररण वा हृषि वस्तुओं के विषय में। जो आमतौर पर दूर-दूर तह के इन हुए क्षेत्रों में बहुत से उत्पादकों द्वारा योड़ी योड़ी मात्रा में उत्पन्न की जाती है, वहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कच्चे सामान का एक जगह इकट्ठा करना आवश्यक है, क्योंकि निर्माणाओं को उसकी बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता है, और उन्हें प्रभागित माल की नियमित मात्रा की आवश्यकता होती है। एकत्ररण से दोनों दाते सुनिश्चित हो जाती है। इससे बड़े पैमाने पर थेगीनिर्धारण में सुविधा होती है और इसका यह लाभ है कि निर्माता जो क्वालिटी चाहे खरीद सकता है। वित्त व्यवस्था में भी सुविधा होती है क्योंकि बड़े पैमाने पर वित्त व्यवस्था करने का काम सरल हो जाता है। सौदों की कुल सूची कम हो जाती है और बन्तुएँ बड़े-बड़े शहरों में बहुत सन्तोषजनक आवश्यकों में समृद्धीत होती हैं, जहाँ वित्त व्यवस्थापक उनका अच्छा नियन्त्रण और नियोजन कर सकते हैं।

**प्रमाणीकरण और थेगीनिर्धारण—थेगीकरण** का अर्थ है वस्तुओं को ढाँचर ऐसे समूहों में बांटना जिनमें वे विस्त, आकार और क्वालिटी में प्राप्त एक से हो। प्रमाणीकरण का अर्थ है इन थेगियों को स्थायी बना देना। नियोजन का अर्थ है यह निश्चय करने के लिए वस्तुओं के समूहों की परीक्षा करना कि वे विन प्रमाण के अनुरूप हैं। थेगीनिर्धारण विविध क्वालिटी और आकार की वस्तुओं को कुछ पूर्वनिर्धारित क्वालिटी प्रमाणों के अनुरूप समूहों में विभाजित करने का साधन माना है, यद्यपि यह निश्चय करने का साधन है कि एक सी, परन्तु अब तक अज्ञान, क्वालिटी की वस्तुएँ विन प्रमाण के अनुरूप हैं। यद्यपि उत्पादन के समय वस्तुएँ प्रमाणित न हो और यद्यपि यह पता नहीं होता कि वे किस प्रमाण के अनुरूप हैं, तब थेगीनिर्धारण वा थेगीकरण आवश्यक हो जाता है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह है कि वस्तुओं को एक ऐसे सामान्य प्रमाणित नाम या थेगी में रखकर जा सके जिसे खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों समझ कर प्रयोग में ला सके। थेगीकरण आकार, रग, वाल्यम्, रासायनिक अनुरूप, सामग्र्य, आड़ति, आपेक्षिक गुरुत्व, विज्ञानीय द्रव्य की मात्रा,

नभी की मात्रा, पक्षता, मिठाप, या रेंग की रम्भाई आदि पर वाधारित हो सकती है। एक थेपी के साथ उदाहरण की भारपा होती है, अर्थात् विभिन्न विक्रेताओं में विभिन्न मनवों में खरीदी हुई वस्तुओं पर ही ववालिटी की होती है। इसलिए प्रमाण पा देती वा प्राप्त यह अर्थ होता है कि वे वस्तुएँ जोहे इसी भी उत्पादन ने बताई हा पर एक ही ववालिटी की होती है। उदाहरण के लिए, अंगूरों का वर्गीकरण करने के लिए एक ही विस्तर का अयूरा का आकार, भार, रग, सुग्राम और कण्ठ-हीनता की दृष्टि में अग्न-अग्न विभिन्नों में छाट दिया जाता है। एक थेपी का वापापी का प्रमाणों के जारीकरण महत्व बोन्विल बर्ने है।

### थ्रेप्टो का थेपीकरण

थ्रेप्टो कारख			थक (प्रतिशत)
गुच्छे वा स्प	..	...	१०
गुच्छे वा आकार	...	...	१५
भरिया (फलों) का आकार	.	...	१०
दृष्टा	...	...	५
रग	..	...	१०
मोमाना (बून)	...	...	५
मुग्रध	...	...	२५
बलवहीनता	...	...	२०

एक और उदाहरण रंगिन। अडों का थेपीकरण, भार, वाहरह और अन्दर की ववालिटी के बाधार पर दिया जाता है। नूविधा के लिए एगमार्ड तत्त्विकरण (मैनिपिकेशन) दिया जाता है। भार की दृष्टि में १५ थोस न्यूनतम भार घोड़े मृगों के बहे 'विनोप' कहलाते हैं। ए थेपी वारे का भार १५ थोड़े, जो थेपी वाले वा १५ थोस और नी थेपी वारे का १५ थोग होता है। इसके अतिरिक्त, अडे छिपी नी मूरत में मरणित नहीं होने चाहिए और रगाना से रहित होने चाहिए। छिपा साफ, घब्बों में रहित, अच्छा मायान्य बरन और बाक्ति बाला होना चाहिए। अन्तर्वस्तु बलवहीन हानी चाहिए। पीरा अंदा (योद) के केन्द्र में और पारमानन्द होना चाहिए, और दमकी स्परेंजा बहुत हमी होनी चाहिए, स्पष्ट नहीं, तथा वह चलिन्न होना चाहिए। सर्वदी पारमानन्द और माझ हानी चाहिए और बायक्यान गहराई में १ इ ज के ३ से अधिक न होना चाहिए।

ठार या विन्ह लगाना—इन थेपीकरणों के बालक उपादक लोग बगने-अपने अलग प्रकार बना रहे हैं, जिन्हें छाप या ब्रान्ड कहत है। छाप लगाना वस्तु के साथ उत्पादक के नाम द्वी एवं वर देने वी प्रक्रिया है। इसके लिए वस्तु पा दिल पर शब्दों के द्वारा वाजारी नाम या ठार वा मारा लगा दिया जाता है। उपरोक्ता वस्तुओं

और उपस्कर में आमनौर पर छाप या मार्क लगा दिया जाता है। छाप या मार्क से यह मारूप होता है कि यह वस्तु स्थायी रूप से उसी ब्रालिटी की है, अथवा उसी ब्रालिटी में सुधार हुआ होता। छाप का चुनाव करना प्राय बड़ा बहिन होता है। बहुत बार उत्पादक उपयुक्त मार्क सुझाने वाले लोगों के लिए इनाम रखते हैं। साधारणतया छाप का नाम या रूपाकृण छाटने में निम्न वार्तों का ध्यान रखता चाहिए। नाम या शब्द सरल और बोलने में आसान होना चाहिए, जिससे कि उसे याद किया जा सके। नाम या रूपाकृण में अपनी कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए, कि किसी और नाम या रूपाकृण से विभ्रन न पैदा हो। इसकी नकल करना आसान न होना चाहिए। इससे अच्छी ब्रालिटी की ध्वनि निकलनी चाहिए और इसे बार-बार बदलना नहीं चाहिए।

(१) शेणीकरण और छापा लगाने के लाभ—(१) विक्रीके तरीके प्रभावीकरण और शेणीकरण या छापा लगाने पर निर्भर है। जो वस्तुएँ उन सब दृष्टियों से प्रभावी कृत होनी हैं जिन्हे त्रीता भ्रह्मवूर्ज समझने हैं, वे नमूने शेणी, वर्णन या प्रतीक के आधार पर बेची जा सकती हैं। इससे खरीद और विक्री बहुत सरल हो जाती है।

(२) सुनिश्चित प्रमाणों के अनुसार शेणीकरण से विषयन की लागत कम हो जाती है और इस का अद्य उत्पादक के लिए अधिक मूल्य और उपयोगिता के लिए कम मूल्य है।

(३) शेणीकृत वस्तुएँ जोखिम कम हो जाने और आवश्यक सीदे में रूपया लगाने में अधिक आसानी हो जाने के कारण सस्ती बेची जा उकती है। परिवहन और संग्रह लागत में कमी, माग पैदा करने की लागत में कमी और खरीद और विक्री करने में खरीदने और बेचने वाले के समय में बचत के कारण भी वस्तुएँ सस्ती बेची जा सकती हैं।

(४) प्रमाण वस्तुएँ अप्रमापित वस्तुओं की अपेक्षा अधिक दूर-दूर तक पैदकर्ती हैं।

(५) शेणीकरण से बायदे को डिलिवरी का सोदा भी हो सकता है जिससे हंजिया (धूतिपण) सीदे आमानी से हो सकते हैं।

(६) क्योंकि प्रभागित वस्तुओं की ब्रालिटी और मूल्य ज्ञात होते हैं इसलिए उन पर धन उधार लेने की इच्छा वाला मालिक उन्हे सार्वजनिक कोषागारों में सप्तरीत कर सकता है और कोषागार की रसीद कृण के परिसुलन के लिए चैक में जमा कर सकता है। चैक प्राप्त, इन वस्तुओं के लगभग पूरे रूप बाजार मूल्य वा धन उधार दे सकते हैं। इस प्रकार मालिक अपनी वस्तुओं को तक रख सकते हैं, जब तक कि उनका अधिक मूल्य न पा सके। अधिकतर अन्डे शोर सप्रह या कोल्ड स्टोरेज में इस तरह महीनों रखते रहते हैं।

(७) शेणीकरण से परिवहन और संग्रह के परिव्यय कम हो जाते हैं।

घटिया या न किक सकने योग्य वस्तुएँ छोड़ दी जाती हैं और इस तरह उपभोक्ता की नापत्तन्द वस्तुओं पर परिवहन या सम्बद्धि वा खर्च नहीं पड़ता।

(८) थेणीकरण के विकास से बाजार विस्तृत हो जाता है और बाजार के सम्बन्ध में परिसुद्ध ज्ञान फैलने में सुविधा होती है।

(९) थेणीकरण से उत्पादन प्रक्रियों की अधिक एक्स्प्रेस हो जाती है और किसी तथा व्यापारिक वर्षनों के असदृश रूपों की सहज वर्तमान हो जाती है।

(१०) थेणीकरण और प्रमापोकरण से पूलिंग सम्भव हो जाता है। क्योंकि छोटी-छोटी सहज में बेचना लाभदायक नहीं है, इसलिए एक थेणी की वस्तुएँ इकट्ठी कर के बड़े पैमाने की विक्री का लाभ उठाया जा सकता है।

(११) थेणीकरण से अधिक व्यापारित बायं होता है। उत्तर विभाग को जो अप्रमाणित वस्तु बेचता है, उक्त मूल्य नहीं मिलता, परन्तु थेणीकरण द्वारा नव कृपक अपनी-अपनी वस्तु का पूरा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

थेणीकरण या ढाप लगाना, खुदरा और थोक दोनों व्यापारों में महाव-पूर्ण होता जाता है। प्रमापित डिव्हो में बेचे जाने वाले सामान की सहज इतनी से बढ़ रही है, और खुदराकरोश की स्थिति उत्पादकों के विस्तृत विज्ञापन से पैदा होने वाली मार्ग को पूरा करने वाले अभिकर्ता की सी होनी पा रही है। इन प्रवृत्ति का परिणाम यह है कि उपभोक्ता वो वर्तमान मूल्य देना पड़ता है, वयस्तोऽनि निरी-क्षणों की संख्या और परिणामतः निरीक्षणों की लागत वर्तम हो जाती है। व्हाईटहॉड के शब्दों में “उपभोक्ता की दृष्टि में ढाप या मार्कें वा अर्थ है विद्वसनीयता, प्रमाणी-करण, बवालिटी तथा अन्य अमूर्त विचार, जिनके बारे में वह स्तरीदारे के पहले निश्चित हो जाता है, परन्तु इसका आर्थिक अभिप्राय यह है ति यह प्रतियोगिता वो एक निश्चित नाम दे देता है। ढाप या मार्कें उपभोक्ता वो एक प्रमाप का निश्चय घराता है पर व्यापारी के लिए वह जरा पुराने और एक भिन्न अर्थ में एक प्रमाप को निरूपित करता है। यह वह ज्ञान है जिससे वह अपने और अपने प्रतियोगियों के बलों को पहचानता है। ढाप निरी सेवा नहीं है, वहिं उपभोक्ता के लिए एक हिफाजत है.....यह वह अनिवार्य हत्तु है जिसमेंसे प्रतियोगिता बहुत ज्ञातानी से बार्य बर सकती है और विज्ञापन करने की बड़ती हुई प्रभावी शक्ति का उपयोग कर सकती है।

सेवेटन और पूली बनाना (प्रिंटिंग एंड प्रेसिंग) — प्रिंटिंग का अर्थ यह है कि वस्तुओं के परिवहन या सम्बद्धि के लिए आवश्यक सेवेटन और कोटिंग किया जाय। बहुतनी वस्तुएँ रखने के लिए या प्राहृती को देने के लिए पैक की जाती है। इब प्रशार्य दोनों बोतलों या पीपों में रखने पड़ते हैं। महाकाय वस्त्र, आदि, दवा कर गाड़े बाघ दी

जाती है। भारी वस्तुओं को उठा यारी या स्थानान्तरण के समय रक्षा के लिए द्रेटा में बन्द किया जाता है। वस्तुएं ड्रूकानदारों को देने के लिए पेटियो में रखकी जानी हैं और खुदराफरोश अनिम उपभोक्ता को देने के लिए कागज की थेलियो में बाँध देते हैं। भगु र वहस्तुएं प्राय विशेष धारकों ने सबेप्टिल की जानी हैं। पेकेजिंग या पुड़ी बनाने का अर्थ यह है कि ये तिम उपभोक्ता के देने के लिए वस्तुएं छोटे छोटे पात्रों, पथा पेटियो, बोतलों तथा फोटो में रखकी जाएं। हाल में पुड़ीबन्द वस्तुओं की विक्री में बहुत उन्नति हुई है। ये बरत्तुएं ऐसे ढंग से बनाई जा सकती हैं कि उत्पादक का नाम अस्तिम उपभोक्ता के पास पहुँचायें और इस तरह उत्पादक सीरे उपभोक्ता के सामने अपने साल के प्रचार का मोका प्राप्त करे। इसके अलावा, पुड़ी बद वस्तुएं, जो किसी ज्ञात दायर या मार्कें के से चलती हैं, उसी तरह की विना पुड़ी यारी हुई वस्तु की अपेक्षा अधिक मूल्य में विक सकती है। इसलिए छाप वाली वस्तुएं हमेशा बहुत अच्छी तरह पुड़ी बन्द होती हैं। ऐसा इस कारण होता है कि इस तरह की बहुत सी वस्तुएं लेने में धाहक पर बाहर रूप और रूपाभास (फिल्म) का बहुत प्रभाव पड़ता है, अधिकतर खुदरा वस्तुएं भृत्ये अपनी पुड़ी से पहिचानी जाती हैं और इससे बाद वस्तु के बाहर रूप और रूपाभास से। यह सामान्य बात है कि छापों के नाम का उपयोग बहुत बड़ जाने के परिणामस्वरूप पुड़ियों के उपनोग में बहुत बढ़ि हो गई। छाप या मार्क खुली बीजों, जैसे दायर, काफी आदि, पर बहुत आसानी से नहीं उगाया जा सकता जिससे जो नियमित अपनी वस्तु के साथ अपने आपको अभिन्न करना चाहता है, उसके लिए यह प्राय अनिवार्य हो जाता है कि वह अपनी वस्तुओं की विक्री के लिए उसे इकाई के रूप में पेंक करे। पुड़ी के उपयोग से वस्तु को कुछ महत्व भी प्राप्त हो जाता है जो उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं होता जिन्हे खुदराफरोश विक्री के समय बाँधना है। यदि मेरे वस्तुएं खुली बैची दायर हो खुदराफरोश का बचन हो जाए, बरालिटी, और मूल्य की गारन्टी होना है। पेकेजिंग या पुड़ीबद्दी से इन वस्तुओं को एक पृथक व्यक्तिगत प्राप्त हो जाता है। सच तो यह है कि पुड़ी, जिसमें सब तरह के डिवे आदि शामिल हैं, का आहक, के पास पहला खुशनुसा रूप पहुँचाने का महत्व इतना अधिक है कि बहुत सी फर्में इसे विज्ञापन के साथने के रूप में प्रपूजा करती हैं। वे इसके हवारोक होने, आसानी से उठाये जा सकने या स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणों की ओर ध्यान लीचती हैं।

### कोष्ठानारण या सग्रह

कोष्ठानारण या सग्रह है एक ड्रूप्पोरिट्रा की सूचिट होती है। बहुत सी वस्तुएं नियमित रूप से तथा उपयोग के स्थान पर नहीं पैदा होतीं और वे उत्पादन के समय से लेवर तब तक संगृहीत रहनी चाहिए जब तक उपभोक्ता को उनकी आवश्यकता नहीं क्योंकि वे उभी ग्रामव्यापी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हैं। जो वस्तुएं उपभोक्ता से दूर उत्पादित होती हैं, उनको उपभोक्ता के पास पहुँचाना पड़ता है। सम्बरण एकसा होता रहे इसके लिए इन वस्तुओं का सग्रह उपभोक्ता के निकट होता चाहिए, जिससे परिवहन सम्बन्धी

विलम्ब या वनिदिचतता का मौका न रह और उसे उचित आर्थिक दृष्टांशों में छा रहना चाहिए। बहुत सी इयिक वस्तुएँ जो एक अनु में पैदा होती हैं, उपभोक्ता को सार साल लगभग एक से ह्य में मिलती रहती है। बनाज, रई, तम्बाकू, और चीनी इसक उदाहरण हैं। ये चीजें कई वय तक रखकी रहने पर भी खराब नहीं होती। दूसरी ओर, शीत सप्रह से मन्दन, अन्डा और पल जैसी नद्दर वस्तुएँ, सगृहीत रहती हैं जिसमें वे लगभग नियमित रूप से बाजार में लाद जाती रह। अन्य वस्तुएँ, जैसे आळू, भट्ठर, गिलास, खूबानी, और नाशपाती को सप्रहण कुछ अधिक अनुकूल नहीं पड़ता। इन वस्तुओं की इच्छावादी द्वारा या मुख्य कर उपभोक्ता की बाद की आवश्यकता बे लिए सगृहीत किया जाता है। कुछ वस्तुओं की मौग अनियमित रहती है। इस अवस्था में शीत सप्रह से लाभ उठाया जा सकता है, जिससे उत्पादन अधिक नियमित रह सके। अधिकतर नाभूषण, कैंसी चीजें, वर्तन और खिलोने दिवाली, क्रिसमस आदि विवेष अवसरा दर खरीदे जाते हैं। यदि इस तरह की वस्तुएँ बनाने वाली फैक्टरिया सारे साल चार्ड जायें तो कम विक्री के महीनों में उत्पादित माल को तब तक के लिए सगृहीत करना होता जब तक कि उपभोक्ता बो उनकी आवश्यकता न हो। सप्रह में सच हाता है, परन्तु यह सच प्राय उस अतिरिक्त लागत से कम होता है जो मकान, मरीनरी और थ्रम लगाकर आवश्यकतानुसार मौसमी वस्तुएँ बनाने में घट्य होता है। इसके बलावा आग, बाढ़, हड्डाल, सर्दी या तूफान से उत्पादन और परिवहन में वाधा पड़ सकती है। सप्रहण इन जोखिमों से बचाता है।

वरक के द्वारा और बाद म अमोनिया तथा अन्य रासायनिक डॉयो द्वारा प्रशोधन (रेफिजरेशन) के विकास ने बहुत सी नद्दर वस्तुओं के विषयत में त्रान्ति करदी है, और माल सारे साल मिलता रहता है। उत्पादन को अधिक मौग पूरी करने का मौका मिलता है क्योंकि अब उन्ह सिंक उतना ही उत्पादन नहीं करता है जिनमा मौसम में निकल जाय, और मूल्य स्थिर हो जात है, परन्तु शीत- सप्रह में रखे हुए खाद्य पदार्थों को कुछ लोग अमी अच्छा नहीं समझते। कुछ लोगों का दायल है (यद्यपि वह गलत है) कि सप्रह के समय बवालिटी गिर जाती है। बवालिटी अधिकतर इस बात पर निर्भर है कि शुरू में वस्तुएँ जिस अवस्था में थीं, शीत सप्रह में वे किस तरह रखली गईं, और शीत सप्रह से निकलने के बाद उन्हें किस तरह उठाया-रखा गया, इस बात पर नहीं कि वे वित्ती दर शीत-घर में रखते गईं। शीत सप्रह के दिनों में वस्तुएँ अपनी वह बवालिटी कायम रखती हैं जो शीत सप्रह से पहले उनमें थीं और जब वह शीतघर से बाहर आती हैं तब वे बहुत तेजी से विगड़ती हैं। उदाहरण के लिए, गर्मिया में जो मक्कन विस्तृल ठीक हालत में शीत सप्रह से निकाला जाता है, वह ताज मवहन की अपेक्षा बहुत जल्दी सड जाता है।

सप्रह की सुविधाएँ—वस्तुओं को दक्षतापूर्वक बेच सकने के लिए इस बात

का बड़ा महत्व है कि सम्राट् की पर्याप्त सुविधाएँ सुलभ हों, पर्याप्त स्थान, उचित अवस्थिति और ताप, सर्दी, गर्मी, शूक्रता, कृनि, आग और चोरों से वस्तुओं को बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुलभ होनी चाहिए। वेयर हाउस ऐसी जगह होना चाहिए और एसा बना हुआ होना चाहिए कि वस्तुएँ न्यूनतम बर्च से प्राप्त की जा सकें और नेजी जा सकें। प्राय बाढ़नीय होना है कि वेयर हाउस बहाँ बहुत सारी वस्तुएँ जमा होनी हैं, आवश्यकता के अनुसार रेलवे साइडिंग या पोतमाह पर होना चाहिए। इसमें ट्रकों के माल लादने और उतारने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए पर यह मूल्य सड़क के निकट होना चाहिए। वस्तुएँ उठाने की सुविधाएँ, चलाहरण के लिए, एलिवेटर, पावरट्रक, लिफ्ट, टक, क्रेन आदि महाव्यूपां हैं। वस्तुएँ उत्साहित के स्थान पर, बर्यांट् खेत पर, मिल में या कैंटरी में और या जहाज पर लादने की जगह समृद्धि की जा सकती है, या बड़े प्रायमिक और जौरिंग बाजारों में या स्थानीय दूकानदारों और बुद्धाकर्यालयों की दूकानों में या उपभोक्ताओं के घरों में या उपभोक्ताओं के घरों में जमा की जा सकती है। वेयर हाउस का स्थान निश्चित करने से पहले कई बातों पर विचार करना होगा। उठा घरी और दीमें की लात कम रखने में और वस्तुओं की उचित रक्षा और देशभाल करने में वस्तुओं के परिवहन को सुविधाओं का बड़ा महत्व है। यदि और बाते समान हों तो वस्तुओं का सम्राट् बहाँ करना चाहिए, जहाँ अधिकतम सुविधाएँ सुलभ हो। बाहरों पर भार एकसा करने के लिए प्राय यह अच्छा होता है कि मोसम के समय उत्साहित वस्तुओं को उत्पादन के स्थान पर ही समृद्धि किया जाय जिससे सारे दर्द एक चाल से माल बाजार को भेजा जा सके। इस का अर्थ यह होगा कि हियक वस्तुएँ प्रायमिक या उपभोक्ता बाजारों के बजाय खेत पर या माल भेजने के स्थानीय केन्द्रों पर समृद्धि करनी चाहिए। दूसरे और मोसम पर उपभोग में जाने वाली वस्तुएँ उपभोग केन्द्र के निकट समृद्धि करनी चाहिए जिससे परिवहन साधनों पर भार कम पड़े। कभी-कभी वस्तुओं को उनके निर्मित रूप के बजाय अनिमित्त अवस्था में समृद्धि करना सत्ता बैठवा है। वस्त्रों के निर्माण, परिवहन और विक्री स उनका मूल्य बढ़ जाना है, जिसके परिणामस्वरूप सम्राट् में अधिक धन रक्खा जाना है। कच्चे सामान में वस्त्र के बेफैदन होने का जोखिम भी कम हो जाता है।

वेयरहाउसों के शृण्य—वेयरहाउसों के दो मूल्य यह किये जाते हैं—१—समृद्धि वस्तुओं के प्ररूप के अनुसार, २—स्वामित्व के अनुसार। समृद्धि वस्तुओं के अनुसार वेयर हाउस को कच्चे सामान का वेयर हाउस या तथ्यार माल का वेयर-हाउस बहा जाता है। इन तरह के कुछ वेयर हाउस पड़चून के वेयर हाउस, वस्त्र-भूमा के वेयर हाउस, टिम्बर या इमारती लकड़ी के वेयर हाउस, हार्ड वेयर के वेयर हाउस, छतनीचर के वेयर हाउस बहलाते हैं। स्वामित्व के अनुसार वेयर हाउस (१) निजी (२) सार्वजनिक, या (३) सरकार द्वारा अनुशन्त या बघपनित वेयर हाउस हो सकता है।

निजी और सार्वजनिक वेयर हाउस—निजी वेयर हाउस वस्तुओं के मालिक वा होता है, जो प्रायः थोकफरोश होता है और अपनी वस्तुएं वहा संगृहान करता है। सार्वजनिक वेयर हाउस डौक स्थाया, माल भरवाने वाले (वार्टरिंगसं), या किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। इस प्रकार का वेयर हाउस नके पर दूसरे लोगों का वस्तुएं संगृहीत करने के प्रयोजन में वनों हूई विविध के अनुसार ही सचालित होता है। बहुत बार ऊपर से माल तब जहाज घाट पर पहुंचता है जब जाने वाले जहाज पर उसके लिए जगह दूड़ना मुश्किल होता है। कभी कभी समुद्र से आता हुआ माल बद्दरगाह पर तब पहुंचता है जब आदतिक को उसे अपने कब्जे में लेने की सुविधा नहीं होती। इस नाल में ये वस्तुएं कही न कही रखनी होगी। इसी प्रकार व्यापार में भी उनके बनाये जाने और काम में लाय जाने के बीच के समय उन्हें रखना पड़ता है। इस तरह की सब वस्तुओं के संग्रह की सुविधा सार्वजनिक वेयर हाउसों में होती है। बानून में सार्वजनिक वेयर हाउस के मालिक और वस्तुओं के मालिक का सम्बन्ध एक ओर तो अभिकर्ता जैसा और दूसरा स्थान मालिक (लैंडलाई) जैसा होता है, अर्थात् वह वस्तुओं का बेलो या संरक्षक होता है। उसे उन वस्तुओं की बैसी ही रक्षा करनी चाहिए जैसी एक समझदार आदमी अपनी वस्तुओं की करता है। क्योंकि उसकी जिम्मेवारी इससे अधिक नहीं है, इसलिए प्राप्त वस्तुओं का बीमा मालिक कराना है। वेयर हाउस वाले ने तो वस्तुएं मालिक को वस्तुओं के रूप में लौटानी है। स्थान मालिक के रूप में वह वस्तुएं हृटाई जाने से पहले भाटक वसूल करने का अधिकारी है। दूसरे शब्दों में उसका वस्तुओं पर धरणाधिकार (तियेन) है।

सार्वजनिक वेयर हाउस व्यापार में बड़ी उपयोगी सेवा करते हैं। वे अच्छे दबे हुए होते हैं। उनमें कृमिनाशक छिड़कने का प्रबन्ध होता है, और चौदीसों घन्टे नौकर देखभाल रखते हैं। इसके बाद वीमे की कोई आवश्यकता नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि उनके घर्हीं रेल और रोड दोनों से आने और जाने वाले माल की उत्तम सुविधाएं होती हैं। जो निर्माता इनका उपयोग करता है, उसे अपना भवान बनाने में अपनी पूँजी नहीं लगानी पड़ती और न दूसरों के भवान ठेके पर लेने पड़ते हैं। वह सिंक उदानी जगह का पैसा देता है जिनकी जगह इसके माल करता है। सार्वजनिक वेयर हाउसों में संगृहीत सामान पर निजी वेयर हाउसों में संगृहीत सामान की अपेक्षा अधिक धारानी से रुपया मिल जाता है। सार्वजनिक वेयर हाउसों की रसीद बैंकों या वित्त कम्पनियां से रुपया उधार लेने के लिए बहुत बढ़िया परितुलक (Collateral) प्रतिमूलि है। सार्वजनिक वेयर हाउस उस व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए विदेशी रूप से अनुकूल है जो क्षेत्रीय वस्तु संग्रह रखना चाहता है, और जिसके पास विभिन्न संग्रह कन्द्रों में इतनी वस्तुएं नहीं हैं कि उसका अपने वेयर हाउस बनवाना या अपने कर्मचारी रखना उचित हो। सार्वजनिक वेयर हाउस के द्वारा छोटे विक्रेता भी क्षेत्रीय वस्तुएं

सरह कर सकते हैं। प्रतियोगिना वाले बाजारों में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है।

**बैंगनिं बैयर हाउस—बधपरित बैयर हाउस वह होता है जिसमें पास सीमा शुल्क के भुगतान से पहले आयात वस्तुओं को संग्रह करने के लिए स्वीकार करने का लाइसेंस होता है। बधपरित बैयर हाउस में अपनी चीजें जमा करके आयातक वो दिन ही शुल्क चुकाए उनपर नियशण हो जाता है। वह योड़ी-योड़ी वस्तुओं का शुल्क चुका कर उन्हें बैच संकटा है और पूरा शुल्क एक साथ देने से बच सकता है। पुनर्नियात में भी वस्तुओं की लाइसेंस या अनुच्छेदित वाले बैयर हाउस में जमा होने दिया जाता है क्योंकि इसमें शुल्क के भुगतान और फिर पुनर्नियात के समय उसकी वापसी का दोहरा बाम, और इस तरह वापसी तक बड़ी-बड़ी घटराशियों का बद पड़े रहता बच जता है। इन बैयर हाउस में कुछ ऐसे काम करने दिये जाने हैं जो वस्तुओं को उपभोग या पुनर्नियात के लिए उपयुक्त बनाने को आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए, चायकी कई चिस्पों को मिलाया जा सकता है, और उसे पुढ़ियों में बद किया जा सकता है, द्रव पदार्थों को बोतलों या अन्य पात्रों आदि में बद किया जा सकता है। स्वैरेशनिमित वस्तुएं भी, जिन पर उत्पादन शुल्क लाता है, उदाहरण के लिए, बोयर, दियासलाइयों, सिगरेट, पेटेन्ट दवाइयों आदि तब तक बधपरित बैयर हाउस में जमा भी जा सकती है, जब तक उनकी जट्ठत न पड़े। इन सब व्यवस्था में शुल्क का भुगतान स्थगित हो जाता है। बैयर हाउस वाले को एक बधपर भरना पड़ता है कि भी सीमाशुल्क अधिकारियों की सम्मति के बिना वस्तुएं न हटाने द्यूगा। बधपरित बैयर हाउसों को वस्तुओं पर सीमा शुल्क अधिकारियों का सहत पर्यवेक्षण रहता है और मालिक को वस्तुओं को हाथ लगाने से पहले सीमा शुल्क अधिकारियों की इजाजत लेनी पड़ती है।**

### (बीमा)

निजी जीवन की तरह व्यापार में भी सब तरह के जोखिम आते हैं। सीमाय से व्यवसाय के अधिकतर जोखिम अपेक्षाया दूरस्थ होते हैं, परन्तु इससे उनसे होने वाली हानि कम नहीं हो जाती। कोई भी आदमी आसानी से झूठी निश्चिता वा आनन्द ले सकता है और यह सौच सकता है कि यह बात मेरे साथ नहीं हो सकती, पर सब दूरदर्शी आदमी अपने या अपने नियशण वाले व्यवसाय के प्रत्येक सम्भव जोखिम पर बड़ी सावधानी से विचार करते हैं और यह सौचने हैं कि वे इनमें से हर जोखिम को आने से बिस तरह रोक सकते हैं या इसके प्रभावों को कमने का सकते हैं। बीमा व्यवसाय का एक आवश्यक अग हो गया है। इसके बिना समुद्र या जमीन पर कोई बाह्य नहीं चलता, कोई मकान नहीं बनाया जाता, और न कोई पर्हिया धूमता है। कोई भी दुष्क्रिया आदमी अपने बीमे में बचत नहीं करता। बीमे को वह व्यवस्था बहा जा सकता है। जो दूरदर्शी आदमी अनसोची या अनिवार्य हानि या दुर्भाग्य के विद्वद करता है, वह जोखिम को कई व्यक्तियों पर फैला दिया जाता है और यदि वह दुष्टना हो भी जाय, जिससे सम्पत्ति का मालिक

अपने को बचाना चाहता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस हानि का एक अद्य उठाने के लिए तैयार होता है। जो व्यक्ति यह जोखिम ग्रहण करता है उसे बीमावर्ती कहते हैं, और वह यह यार्थ कुछ बनराशि के बदले में करता है जिसे प्रीमियम या प्रब्लाज़ि वहते हैं। इन्हें परिणामस्वरूप जो लोग बीमे के अनुदंड में आते हैं और बीमाहृत कहते हैं, उन्हें हानि होने पर इन सीना निप्पि से, जिसमें उन्होंने तथा अन्यों ने अशादान किया है, अतिरूपि दो जाती हैं इसलिए बीमे को बभी-बभी जोखिम पैन्नाने का सहारी तरीका कहते हैं।

कुछ भूल चिढ़ान्तों के बाधार पर हानि है जिनका सच्ची से पालन करना चाहिए, जिनमें से पहला सिढ़ान्त है उद्भाव। बीमाहृत और बीमाकर्ता के बीच अत्यधिक सुदृढ़ता और स्पष्टवादिता हीनी चाहिए। जिसका बीमा निया जा रहा है उसके बारे में सारी बार्ता तथा उब परिस्थितियाँ ठीक-ठीक बता देनी चाहिए, जिसके बीमा करने वाले जो खिम के सीमाविस्तार का पक्षा रक्ष जाय और उसे वह मालूम हो जाय कि इनका बीमा करने का भूमि क्षय लेना चाहिए। किसी प्रायगिक बात जा न बचाना या विसी महत्वपूर्ण तथ्य की गलतव्यानी, गम्भीर बात है, क्योंकि इससे बीमाकर्ता को एक बानूनी ब्रह्मार भिल जरूर है जिसपर वह अनुदंड और शूल्य बरार है सहाया है। बीमाहृत का बीमे के विषयमूर्त व्यक्ति या स्वस्तु में बीमायोग्य स्वत्व होना चाहिए। या तो वह इसके कुछ अवश्यक विषयों का सर्वांग या स्वामी होना चाहिए, अथवा उड़ी ऐसी स्थिति होना चाहिए कि इस क्षति पहुँचने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना हो। बीमायोग्य स्वत्व विषयवस्तु में घन सम्बन्धी स्वत्व होना चाहिए। बीमे का बनुवन्ध सारत इतिरूपि का अनुदंड है और जीवन बीमे तथा हुर्दना बीमे को छोड़कर शेष अवस्थाओं में बीमाकर्ता बीमाहृत को उनी अतिरूपि करने का अनुदंड बरता है जिनी उन घटनाओं के घटने से वान्तव में हानि हो जिन पर बीमाकर्ता का दायित्व शुरू होता है। इन सिढ़ान्तों के बारप बीमाहृत अपने अहित का लाभ नहीं उठा भवता। इसके अलावा, बीमाहृति सम्पत्ति को कुछ नुकसान पहुँच जाने पर यह आवश्यक है कि बीमाहृत अबीमाहृत की तरह व्यवहार करे और अपनी सम्पत्ति के बचाने का पूरा यत्न करे। उने इन डरेस्य से वे सब बाय बरने चाहिए जिन्हें वह दुरदिग्नियोर्ण भवता है, और यदि उसकी सम्पत्ति पर खनन आजाए तो उसे अपनी हानि को कम से कम रखने के लिये, और जो कुछ चर रहे उसकी रक्षा के लिए मरणक दरन बरना चाहिए। आप और सनूदी बीमें भी अवस्था अतिरूपि के सिढ़ान्त से प्रतिविवेशन का चिढ़ाउ (डोकिन आक मझोगेशन) आजाता है। इनका अर्थ यह है कि यदि किसी बीमाहृत व्यक्ति का किसी अनियोग्य (अन्दरराख्टर) ने क्षतिरूपि विद्युत का सिढ़ान्त (डोकिन आक मझोगेशन) आजाता है। इनका अर्थ यह है कि यदि किसी बीमाहृत व्यक्ति का पक्ष से बमूली बरने सम्बन्धी उत्तर के अविकार स्वरूप अनियोग्य या बीमाकर्ता के पास पहुँच जाते हैं। समक्ष बारप या बीमा प्रोक्षिता का सिढ़ान्त बीमे पर राग होता है। जब कोई परियाम दोषा अविकारणों से पैदा हुआ हो, तब हमें

चंचक कारण देखना पड़ता है, चाहे परिणाम दूरभ्य बारण के बिना होना असम्भव था।

समृद्धी वीमे के अलावा, अन्य वीमे का अनुबंध मौजिस दा लिखित हो सकता है। पन्नु चलन यह है कि वीने के सब अनुबंध एक लेख्य में समाविष्ट होते हैं जिस वीमापत्र या पालिसी कहते हैं। नमृदी वीमे को कानून एक वीमापत्र में समाविष्ट करना होता, अन्यथा यह मूल्य होता। वीमापत्र एक प्रबन्धनीय मूद्रावित लेख्य है जिस पर वीमाकर्त्ताओं के हस्ताक्षर होते हैं। इस पर वीमा परवारक और वीमाइता के नाम स्पष्ट और परिषद्धत लिखे रहते हैं। वीमाइत सपत्ति का वर्णन और मूल्य, उठाये गये जांखिम, वीमा बाल की अवधि और अनुबंध से सम्बद्धित सब शर्तें उस पर खिली रहती हैं।

समृद्धी वीमा-समृद्धी वीमा, जो वे मे बा भद्रमे पुराना स्प है और जो अपने वर्तमान स्प में ७०० से अधिक दर्यों से चला आता है, व्यापारिया को समूद्र के खतरों से होने वाली हानियों से बचाता है, और इसी देश के समृद्धी व्यापार दा महत्व मुख्यत इसी बात पर आधारित है कि इस प्रकार के व्यवसाय में निपुण लोग उसे बितनी अधिक नि दाक्ता प्रदान कर सकते हैं। पिछली दो शताब्दियों में समृद्धी वीमा समृद्धी व्यापार के साथ-साथ चला है और इस व्यापार की मात्रा में अभिक वृद्धि के साथ समृद्धी वीमे के महत्व में भी उसी अनुपात से वृद्धि होती रही।

मालिक या विषयवस्तु में वीमायोग्य स्वतंत्र रखने वाला कोई और व्यक्ति जिन सकटों में क्षतिपूर्ति चाहता है, उनमें से मुख्य में है— सम्पूर्ण हानि, जो वास्तविक सम्पूर्ण हानि या व्यवहारतः सम्पूर्ण हानि (कम्प्ट्रिटर टोटल लॉस) हो सकती है, तथा आशिक्षा हानिया जो विशेष जहाजी हानि (फटिक्युलर एवरेज लॉस) या साधारण जहाजी हानि हो सकती है। वास्तविक सम्पूर्ण हानि वहाँ हीनी है, जहाँ वीमाइत विषयवस्तु नष्ट हो जाय, या इतनी क्षतिप्रस्तु हो जाय कि वह वीमाइत प्रकार की न रहे, अथवा जहाँ वीमाइत के हाथ से वह वस्तु बिल्कुल जाती रहे। व्यवहारत सम्पूर्ण हानि वहाँ होती है जहाँ वीमाइत विषयवस्तु वास्तविक सम्पूर्ण हानि अविदार्य प्रतीत होने के बारण तर्फ़-सम्भव आधार पर परिवर्तन करदी जाय, अथवा जहाँ इसे इसके मूल्य से अधिक खर्च किये बिना वास्तविक सम्पूर्ण हानि से न बचाया जा सकता हो।

विशेष जहाजी हानि दाव उस व्याधिक क्षति या हानि पर लागू होता है जो वीमारक्षित सकट के द्वारा अकस्मात हो जाय। जो क्षति होती है उसकी पूर्ति वह पक्ष बरता है जिसे क्षति होता है, सब पक्ष नहीं करते, जैसा कि साधारण जहाजी हानि में होता है। विशेष जहाजी हानि सिर्फ अभिगोपकों द्वारा देय होती है और हानि वी पूर्ति सिर्फ तब की जाती है जब यह वास्तव में हो गई हो। यदि कोई जहाज अचानक क्षतिप्रस्तु हो जाय और उसकी मरम्मत न की गई हो और वह

किर पूर्णतः नप्ट हो जाए तब वीमाहृत विशेष जहाजी हानि के लिए दावा नहीं कर सकता। यदि उन्हें मरम्मत कराली होती तो उसे विशेष जहाजी हानि और समूर्ण हानि, दोनों वीर धनियूति मिलती। जब किंगी अवसर पर जहाज और माल दोनों सकट में हो और स्वेच्छया क्षति या हानि उठाई जाए तब इसे साधारण जहाजी हानि कहते हैं। साधारण जहाजी हानि वार्ष्य अनेक प्रकार के हैं, परन्तु उनमें से तीन बहुत अधिक किये जाते हैं, अर्थात् सकट के समय जहाज को तीरने में अधिक समर्थ बनाने के लिए माल को समुद्र में फेंक दना, किसी खतरनाक स्थान से जहाज को निकालने में क्षतिग्रस्त हुई मर्द नरी और आथर्यमूल बद्रमाह के लचे। साधारण जहाजी हानि या क्षति या तो अकेले जहाज की ओर या माल और भाड़े की होती है। विशेष जहाजी हानि और साधारण जहाजी हानि में मुख्य भेद यह है कि विशेष जहाजी हानि वार्षिक होती है और साधारण जहाजी हानि में यह स्वेच्छया और जान-बूझकर की जाती है, और तब की जाती है जब सारा उपकरण सकट में हो।

समुद्री हानि की अवस्था में दावे का मुगनान बरने से पहले यह सिद्ध भरना आवश्यक है कि वीमाहृत का विषय-वस्तु में वीमायोग्य स्वत्व या, कि हानि लगभग उसी सकट से हुई है जिसका वीमा कराया गया था। समुद्र याना के वीमापत्र की अवस्था में यह मिळ करना होगा कि जहाज याना के शुष्टि में समुद्र-न्याया के योग्य था और जहाँ याना कई मजिलों में हुई हो, वहाँ यह सिद्ध बरना होगा कि प्रत्येक मजिल के शुष्टि में वह याना के योग्य था, याना सर दृष्टियों से बेघ थी और जहाज के पास मध्य सरकारी लेस्य ठीक-ठीक रीति से थे। याना में कोई युक्तिसंगत हेरफेर या परिवर्तन नहीं हुआ, हानि स्वयं वीमाहृत के जान-बूझ कर किये गये दुष्कार्य या अशार्य से नहीं हुई।

अग्नि वीमा—अग्नि वीमा, जिसे 'वाणिज्य की दासी' कहते हैं, पूरी वीर रक्षा से सम्बन्ध रखता है। फैक्टरियों, बेयरहाउस, संप्रहालार, दूकानों आदि को हमेशा आग का सकट रहता है। इन्हीं परिक्रमा के लिए आग वीमा परमआवश्यक है। हम ऊपर दख चुके हैं कि वीमे का जाधार क्षतियूति या हानिरक्षा है, परन्तु अग्निवीमों के मिलतिले में यह सिद्धान्त विशेष महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य प्रकार के वीमों में वास्तविक हानि भे जधिक के लिए न्याय समन दावा बरना सम्भव है, परन्तु साधारण आग-वीमापत्र इस बस्तव बर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बहुत से वीमाहृत व्यक्तियों और वीमा कम्पनियों के वीच बड़ी गलतफट्टी हो जाती है और वह वीमाहृतों के रोपणपूर्ण विरोधों के न्यू में बहुधा प्रकट होती है। ऐसे हजारों दृष्ट अवितु होंगे जिन्होंने किसी न किसी समय ऐसी शिकायत की होगी कि हमें आग लगने के पहले की स्थिति में नहीं लाया गया, पर तो भी इन अविकृत दुर्मियद्रस्त व्यक्तियों का कहना गलत है। इनमें से अधिकतर शिकायतें हानि के

नष्ट विचारणा वाले खड़ (एमरिजन बाट) के लागू होने के परिणामस्वरूप पैदा होती है। यीमान के दूर पूजी की वास्तविक हानि को पूर्ति करता है, वर्तमान यह बहुत हृदयक हानि को सम्भावना को कम करने में और इस प्रकार पूजी के सरकारण में सीमदद करता है। यह काम उन लोगों को दिल्ली वर्षे, जो अपनी सम्पत्ति को बनावश्यक जोखिम में रखते हैं और उन लोगों को प्रोत्साहित करते, जो हानि से बचने के लिए पूरी समर्पण दरतने हैं रिया जाता है। यह काम इन तरह भी जिया जाता है, कि यदि सम्पत्ति का मान या मूल्य कम लगाया गया हो तो यीमापत्र में हानि सम्बिन्दित वाला खड़ डाल कर आनुपातिक हानि यीमाहृत पर डाल दी जानी है।

आग से होने वाली हानि की अवधारणा में अपने दावे को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जाग सहृदय हानि की तुरन्त सूचना दी जाय, जिसमें यीमापत्र का वर्षन हिनों की रक्षा और हानि की पटना तथा उसकी मात्रा का निश्चय करने के लिए फोरन कदम उठा सके। यह उत्तेजनीय बात है कि अग्नि गम्भीरी यीमापत्र यीमा कर्त्ताओं की सम्पत्ति के बिना अभिहस्ताकरणीय नहीं होते, यद्यपि यीमाहृत ऐसे यीमापत्रों के आगम अभिहस्ताकरण वर सरका है। बल्कि यीमा की एक दाता, जो व्यवसायी वा किए बहुत महत्वपूर्ण है, और लाभ की हानि या आनुपातिक हानि यीमा (Consequential Loss Insurance) बटाती है, जिसका बत्त मान रूप यीमाहृती सदी की पैदायश है। सरेप में, यह यीमा यीमाहृत को लाभ की उम हानि से बचाने के उद्देश्य से है जो उसे आग के बारण काम स्वरूप जाने से हुई है। इसकी उपयोगिता स्पष्ट है। आमनौर पर यीमापत्र निम्नसिवित हानियों से रक्षा करता है—(१) नुक्क ताज की हानि, (२) स्थायी प्रभारों के मूलगतान, उदाहरण के लिए ऋण पत्रों और बघड़ों पर व्याज, सचालकों की फीस जाटर, स्थानीय कर, स्थायी कम्चंकारियों के बनत, दृश्य अधिकारियों की मृति या मजदूरी और विज्ञापन, तथा (३) वार्ष सचालन की लागत में वृद्धि, उदाहरण के लिए, अस्थायी मजाना का स्त्रिये पर लेना, अन्य कमों द्वारा अनिवार्य लागत पर पूरे किये गये बांदर और अनिवित विज्ञापन।

जीवन यीमा—जीवन यीमा उस अनुबंध को कह सकते हैं जिसमें यीमाहृती कुछ ग्रीमियम लड़कर यीमाहृत को या उस अवधित को जिसके लाभ के लिए यीमापत्र लिया गया है, मानवीय जीवन की अवधि में सम्मान्य वित्ती विशेष धन्ना के होने पर उत्तिष्ठित धनराशि देना स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, पूर्ण जीवन यीम में यीमापत्र वा धन यीमाहृत को मूल्य पर दिया जाता है और नीति यीमापत्र (एन्डोमेंट पालिमी) में धनराशि कुछ उत्तिष्ठित वर्ष के बाद तर यीमाहृत के यीवित रहने पर, अपवा यदि वह पहले मर जाय तो उसकी मूल्य पर देय होती है। जीवन यीम के सप्तस महत्वपूर्ण उपयोग अपने आधिकारों और बुद्धाने की अवधिया करना, सामेश्वरी की मूल्य पर पूजी औटाने की अवधिया करना, क्रप के

लिए परिसुल्तन प्रतिभूति, वच्चो को शिक्षित करने या उन्हें बृति या व्यवसायमेजमाने के लिए निविद दानाना, पुत्री के विवाह आदि और मृत्यु पर लगने वाले करों, तथा शुल्कोंने भुगतान की व्यवस्था बरता है। इसके द्वारा किसी भैनेजिंग डाइरेक्टर या अन्य विदेशी या दूरजी की मृत्यु से होने वाली धन सम्बन्धी हानि से भी बचा जा सकता है। जीवन वीमा और सप्त प्रकार वीमों इस प्रकार भिन्न है कि जिन सम्मान्यताओं पर यह निभर है। उनकी ठीक-ठीक गणना का जा सकती है और मानवीय मृत्यु एक ऐसी घटना है जो अन्तत अवश्य होनी है। जीवन वीमे के बारे में एक मात्र अनिश्चित बात यह है कि मृत्यु क्व होगी। परिणामत जीवन वीमापत्र एक ऐसा अनुवध है, जिसका अवमान उद्यान्या समीप आता जाता है तथा त्या इसका मूल्य बढ़ता जाता है। यह हानि रखा की सविदा नहीं है। जीवन वीमे का आधार वह सम्यात्मक जानवारी है, जो मानव जीवन की सम्भाग अवधि के बारे में हमारे पास भीजूद है और इन वाकडों स प्राप्त जानवारी को धन की व्याज कमाने की शक्ति के साथ मिलाकर हम यह निकालते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन का वीमा करने के लिए दिनांक धन देना आवश्यक होगा। सह्यात्मक सारणी को मृत्यु सारणी कहते हैं और जो प्रीमियम लिए जाते हैं, वे सम्भाव्यता के नियम पर आधारित होते हैं। यह नियम वीम की सब शाखाओं के मूलभूत सिद्धांत, औसत के सिद्धांत, से निकट सम्बन्ध रखता है।

वीमायोग्य स्वत्व—जीवन वीमे की सविदा (Contract) के लिए आवश्यक है कि वीमाहृत वा, उस जीवन में जिसका वीमा किया जाता है, सविदा करने के समय वीमायोग्य स्वत्व होना चाहिये। तीन अवस्थाओं में वीमायोग्य स्वत्व स्वतः मान्य हिया जाता है, अर्थात् (क) अपने जीवन में (ख) पति का पत्नी के जीवन में, (ग) पत्नी का पति के जीवन में। बोई अन्य सम्बन्ध अपने आप कोई वीमायोग्य स्वत्व नहीं पैदा करता, और अन्य सम्बन्धियों के बारे में यह सिद्ध कर दिया चाहिए कि (द) दूसरे के जीवन पर वीमा करने वाला व्यक्ति दूसरे से इस तरह सम्बन्धित है कि वह उसम अपने भरण-पापण वा कानून द्वारा प्रवतनीय (enforceable) दावा रखता है, या (ख) जिसके जीवन का वीमा किया गया है, वह व्यक्ति तथ्यत उस दिशेदार का भरण पापण करता है। सिफँ स्वामादिक प्रेम और अनुराग से वीमायोग्य स्वत्व नहीं बनता। जो व्यक्ति सम्बन्धी नहीं है, उसके बारे में साधारण नियम यह बताया जा सकता है कि जो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में धन सम्बन्धी स्वत्व रखता है उसका दूसरे दूर तक वीमायोग्य स्वत्व है।

वीमापत्र—समाज की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करते हुए जीवन वीमे ने अनेक रूप धारण कर लिये हैं। सबसे पहले तो पूर्ण आपूर्व वीमापत्र हाता है, जो वीमाहृत की मृत्यु पर ही परिपत्र होता है, चाहे मृत्यु कभी भी हो। यह वीमे का सब से सस्ता और सब से सीधा रूप है। सारे जीवन के लिए एक प्रीमियम तय कर लिया जाता है और आपूर्व शार्टिङ प्रीमियम बही रहता

है, हालांकि दीमाकर्ता को हानि<sup>१</sup> की जोखिम लगातार बढ़ती जाती है और अन्त में हानि प्राप्त निश्चित हो जाती है। जीवन दीमे और अन्य प्रकार के दीमों में यह एक बहुत बड़ा भेद है। अन्य प्रकार के दीमों में जोखिम की वृद्धि के साथ प्रीमियम बढ़ता जाता है, परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि सब के लिए दर वही होती है क्योंकि दर प्रस्थापक (प्रोपोजर) के संकट और स्वास्थ्य पर निभंग है। इस दृष्टि-कोण से दीमा कराने वालों को कई बगों में बांटा जाता है, जैसे प्रथम कोटि का जीवन या द्वितीय कोटि का जीवन। दूसरा प्रकार नीवि दीमापत्र (एंडोमेट पालिसी) है जिसका प्रचार हाल के बगों में बढ़ गया है। इसमें दीमाकृत राशि कुछ निश्चित बगों की समाप्ति पर दी जाती है, बशर्ते कि दीमापत्र-धारक उस निश्चित अवधि के नाम तक जीवित रहे, और यदि वह पहले मर जाता है तो उसकी मूल्य पर ही वह राशि दे दी जाती है। इस दीमापत्र में जीवन वीमे और बचत वैक के लाभ मिल जाते हैं, यदि ठीक उमर में और अच्छी कम्पनी से लिया जाय तो यह दीमापत्र अवधि समाप्त होने पर २ से ४<sup>१</sup> प्रतिशत तक बाला नियोजन (इन्वेस्टमेन्ट) होता है और यदि आय कर की छूट को भी जोड़ा जाय तो ६ प्रतिशत हो जाता है, तीसरी बात यह है कि संयुक्त दीमापत्र भी जारी किये जाते हैं जिनमें दीमाकृत की राशि दोनों जीवनों में से पहले की मूल्य पर दी जाती है। अन्तिम उत्तरजीविता दीमापत्र भी जारी किये जाते हैं, जिनमें दीमे की राशि दोनों जीवनों में से अन्तिम या उत्तरजीवितों की मूल्य पर दी जाती है। साझेदारी दीमा एक संयुक्त दीमा है जिसमें दीमा को राशि दीमाकृतों में से किसी एक की मूल्य पर सह-दीमाकृत को दे दी जाती है। इसके प्रीमियम साझेदारी वाले व्यवसाय में से दिये जाते हैं और खर्च में गिने जाते हैं और दीमाकर्ता से प्राप्त होने वाला घन भूतक की पूँजी चुकाने के काम में आता है। दो संयुक्त जीवनों वाले दीमापत्र का प्रीमियम उसी उम्र के एक प्रीमियम से स्वभावतः अधिक होता है और तीन प्रीमियम पर और भी अधिक होता, क्योंकि शीघ्र दावे की सम्भाव्यता और भी बढ़ जाती है। दीमापत्र लाभ सहित या लाभ-रहित हो सकता है। लाभ-सहित दीमा पत्र में वास्तविक लाभ निश्चित रूप से निकाला जाता है, और इसका एक हिस्सा दीमाकृत की सम्पत्ति हो जाता है और बोनस के रूप में उसके स्थाने में जमा कर दिया जाता है। कुछ कम्पनियां इसे प्रतिवर्ष<sup>२</sup> नकद बोट देती हैं, और कुछ कम्पनियां प्रीमियम की घटाने में इसका उपयोग करती हैं, परन्तु सबसे अधिक प्रचलित तरीका यही है कि वह घन दीमाकृत राशि में जोड़ दिया जाता है।

**अध्यर्थण मूल्य (सर्वे डर वैल्य)**—किसी जीवन दीमे का अध्यर्थण मूल्य वह राशि है जो दीमाकर्ता<sup>३</sup> उस संविदा की पूर्ण अदायगी करने के लिए अदा करने को संम्पाद रखता है, बशर्ते कि दीमाकृत अपना दीमापत्र अध्यर्थित करवा चाहता हो और इस पर अपने दावे का परेशान, अपर्याप्त, समाप्ति, करदे। अध्यर्थण मूल्य अदा

किये हुए धास्तविक प्रीमियमों पर आधारित होता है और प्रीमियम की प्रत्येक अदायगी के साथ मूल्य दढ़ जाता है।

**बीमापत्रों पर ऋण—जहाँ बीमापत्र का एक अव्यर्पण मूल्य होता है वहाँ इसका एक ऋण मूल्य भी होता है और बीमा कम्पनिया अव्यर्पण मूल्य का १५ प्रतिशत उधार देती है और शेष ५ प्रतिशत पहले साल के व्याज के लिए रख लेती है। बीमा कम्पनियों का जीवन बीमों की जमानत पर ऋण देना सभी अच्छा नियोजन है, यद्योऽपि इसमें रुपया जाते रहने का कोई खतरा नहीं रहता।**

अब शुद्ध बीमापत्र का मूल्य—विसी बीमापत्र का अदायुदा मूल्य वह राशि है जो उस अवस्था में आएगी जब कोई बीमाकृत अपनी सविदा का ऐसे ढंग से पुनर्गठन कराना चाहे कि उस और कोई प्रीमियम न दना पड़े। अदायुदा बीमापत्र की राशि उस घटना के होने पर देय होती है जिसके विट्ठ बीमा किया गया था।

**अभिहस्ताकन (Assignment)—** जीवन बीमापत्र अभियोज्यदा वे के रूप में वे रोकटोक अभिहस्ताकनीय होते हैं। वे वे चे जा सकते हैं, वघक रखते जा सकते हैं, परिशोधित किये जा सकते हैं, वशर्ते कि बीमा कपनी को ऐसे अभिहस्ताकन की लिखित सूचना दी जाय जिसमें कम्पनी के विट्ठ अभिहस्ताकिती (Assignee) का स्वत्व प्रभावी हो जाय। यदि लिखित सूचना न दी जाय और अभिहस्ताकन के बाद कम्पनी अभिहस्ताकव को अभिहस्ताकिती की जानकारी में कुछ भुगतान कर द ता कम्पनी परिरक्षित हो जायगी।

**दावे—**दावे मृत्यु के कारण या बीमा पत्र के परियक्व हो जाने पर पैदा होते हैं, और घटना का प्रमाण मिल जाने पर तथा बीमा पत्र के धन पर दावेदार का स्वत्व सत्यापित (Verified) हो जाने पर देय होते हैं।

**मनोनीत व्यक्ति (Nominee)—**जीवन यीमे बी मृत्यु प्रेरणा व्यक्ति की यह प्रशसनीय इच्छा है कि वह अपनी मृत्यु हो जाने की अवस्था में अपने आधितो के लिए कुछ धन की व्यवस्था कर दे। यद्योऽपि वह जीवन बीमापत्र किसी के लाभ के लिए लेता है, अत वह प्राय उसका नाम बीमापत्र पर लिख देता है या इस उस पर पृष्ठाकित (एडोस) कर देता है जिसमें बीमापत्र धारक की मृत्यु के बाद बीमाकृत राशि उसे मिल सके। इस प्रकार जिसका नाम लिखा जाता है उसे मनोनीत व्यक्ति या हितप्राप्ति (वैनेफिशरी) कहते हैं। बीमाकृत बीमापत्र की काल्पूति से पहले, निर्दिष्ट नाम को रद कर सकता है या धदल सकता है। यदि बीमापत्र की काल्पूति बीमापत्र धारक के जीवन क्षाल में हो जाए तो धन उस ही मिलेगा, पर उसकी मृत्यु पर धन मनोनीत व्यक्ति वा मिलेगा।

### व्यापार का वित्त पोपण

विभिन्न देशों में भीतरी व्यापार के लिए वित्त व्यवस्था बनने को विधियी अलग अलग है। भारतीय व्यापार का विधिकाश महाजनी स्वदेशी पद्धति से और योड़ा सा आधुनिक या परिचमी पद्धति से वित्तपोपण

से मिल सकने वाली घनराशि से भी अधिक धन प्रतिभूति रहित हृष्णियों पर ले सकती है। बहन पत्रों (विन्स आफ लोडिंग) पर भी कमी-वभी अल्पनालिङ् क्रृष्ण प्रात् किया जाता है। कम्पनी के पास जो पाप्य होता है, वह भी कमी-वभी ग्रहण के लिए प्रतिभूति के रूप में होता है। सम्बन्ध पर भी अल्पनालिङ् प्रभार (प्लोटिंग चार्ज) लगाया जा सकता है। बैंक नोबरड्रॉपट या अधिविक्षण भी करने देने हैं और उपयुक्त प्रतिभूति पर धोपन केंद्र डेंडिंग अकाउन्ट चलने देते हैं। कमी-वभी कम्पनियाँ विर्तीय दिवालियेपन को टालने या रोकने के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के बास्ते अपने ओपन बुक अकाउन्ट बेच देते हैं, इसे प्राप्य लेखों का अभिहस्ताकन, हार्डपोर्टिंग, या प्लैनिंग कहते हैं। इस तरह के क्रृष्ण साधारण वाणिज्यिक बैंकों से नहीं मिला करते। वे विर्ता-कम्पनियों से प्रचलित की अपेक्षा कुछ ऊँची व्याज दरों पर लेने पड़ते हैं।

**अन्तर्देशीय विप्रेषण (रेमोटेन्स)**—अन्तर्देशीय विप्रेषण के पांच प्रकृति हैं।

(१) हुड़ी या चेक द्वारा विप्रेषण। (२) रिजर्व बैंक और इम्पीरियल बैंक तथा बैंक ड्राफ्टों द्वारा हस्तातरण। (३) सरकारी सजाने (ट्रेजरी) द्वारा हस्तातरण। (४) रेल, रोड या विमान से रूपये भेजना। (५) डाकखाने द्वारा विप्रेषण। इन सब विधियों से धन की तरलता बढ़ने में मदद मिलती है और अलग-अलग स्थानों पर दर्ते क्रम-अधिक होने में स्वाक्षर होती है। भारत में हृष्णियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने का बहुत प्रचलित तरीका रही है। हुड़ी धारक या उत्तमण्ठ, सजाने वाले (द्रायी) के अभिकर्ता से या बट्टा देकर महाजन या बैंकर से या इसके अवित मूल्य (फेमेल्यू) में से इसकी अवधि का व्याज या बट्टा क्रम कराके शेष धन में बैंकर को देचकर, भुगतान प्राप्त कर सकता है। रिजर्व बैंक तार द्वारा स्थानातरण करके और भुगतान कर सस्ती सुविधाएँ प्रदान करता है। इम्पीरियल बैंक डिमान्ड ह्रापट (अधिवाधन विक्षण) स्वीकृत है और ह्रापट तथा तार द्वारा स्थानातरण से भुगतान करता है। सयुक्त सम्बन्ध बैंक बैंकरों के ह्रापट निर्गमित बरते हैं। वजाय इसके कि उत्तमण्ठ स्वयं अधिष्ठन के नाम हुड़ी ले, सम्भव है कि अधमण्ठ अपने बैंक से एक ह्रापट स्वीकृत ले और चढ़े हुए क्रृष्ण के निपटारे के लिए वह उत्तमण्ठ को नेज़ दे। इस तरह का ह्रापट हुड़ी या विनिमय विपत्र का रूप लेता है, जिसमें निर्गमित करने वाला बैंक उत्तमण्ठ के नगर की अपनी शाखा या प्रतिनिधि के नाम लिखता है और उत्तमण्ठ अपने नगर की उस शाखा से अपनी राशि का मुकुतान प्राप्त कर सकता है। यद्यपि उपयुक्त विधियों ने रेल, या सड़क से रूपये भेजने की रीति को बहुत क्रम कर दिया है, परन्तु कपास और जूट के शेत्रों में कपास और जूट स्वीकृतने के लिए अब भी बहुत सा रूपया भेजा जाता है क्योंकि किसान नोटों के मुकाबिले में अब रूपये अधिक पसंद करता है।

छोटी-छोटी रकमें डाकखानों द्वारा भेजी जाती है। विसी व्यक्ति विशेष को मुकुतान करने के लिए पोस्टल बाइंडर एक सुविधाजनक है जो स्वयं डाकखाने

के नाम ही होते हैं। इनमें कुछ प्रभार (चारं) देना पड़ता है जिसे पाउंडेज कहते हैं जो आंडर के मूल्य के अनुसार अलग-अलग होता है यदि आंडर आने की राशियों से लेने १०) २० तक के होने हैं। यदि राशियाँ आठ आने के गुणज से अधिक हो तो सात आने के मूल्य तर के टिकट लगातर वे पूरी की जा सकती हैं। पोस्टल आंडर में प्राप्तकर्ता का नाम तथा जिस डाकखाने में वह आंडर कूकाया जाता है उसका नाम भरकर तथा चेक की तरह उसे कास करके सुरक्षित किया जा सकता है। ये साधारणतया बहीं जायें तो पोस्टल आंडर विप्रेषण का सहता और राकी सुरक्षित तरीका है बशेवि यह परामर्श (नेगोशिएशन) नहीं होता। प्रतीआंडर एक दौर तरीका है, जो भारत में पोस्टल आंडर से अधिक प्रचलित है। यह एक डाकखाने का दूसरे डाकखाने के नाम आदेश है, जिसमें दूसरे डाकखाने से यह बहा जाता है कि यह अमुक व्यक्ति को इनका धन दे दे। धन भेजने वाले को कमीशन देना पड़ता है जिसकी मात्रा विप्रेषण राशि के अनुसार घटनी-बढ़नी रहती है।

आधुनिक देश के बायं—बीमे और परिवहन की तरह वैक भी व्यापार और उद्योग की बड़ी उपयोगी सेवा करते हैं। भारत में उद्योगों के वित्तपोषित करने में वाणिजिक वैकों ने जो भाग लिया है, उस पर पूर्वदर्शी अध्याय में विचार किया गया था। स्थान की कमी से उनके बायों पर विस्तृत विचार नहीं किया जा सकता। इनका ही काफी है कि आधुनिक संयुक्त संघर्ष वैक के मूल्य कार्यों की स्परेखा दे दी जाय। यह इन वैकों को निम्न समूहों में रखता जा सकता है—

### (क) निक्षेपों की प्राप्ति

(१) चान्दू लाने में निक्षेप की प्राप्ति—इसमें धन माँगने पर लौटाना पड़ता है और प्राप्त प्राहृष्ट द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा के नाम लिखे गए चेक के जरिये, जो या तो वह अपने पक्ष मा या विस्तीर्ण से व्यक्ति के पक्ष में लिखता है, निकाला जाता है। इस तरह चेक से पर प्राप्त चुदृष्ट व्याज नहीं लिया जाता।

(२) स्थिर निक्षेप लेशे में निक्षेप की प्राप्ति—इसमें धन निक्षेप की पूर्व स्थीर्ति के समान होने पर ही लौटाया जाता है। इन द्वारा पर व्याज वैक दर तथा निक्षेप की अवधि द्वे आधार पर यनके बाली दर से दिया जाता है। धन पूर्व स्थीर्ति अवधि से पहले नहीं निकाला जा सकता पर उसकी जमानत पर छूट लिया जा सकता है।

(३) सेविस वैक द्वारा में निक्षेप—यह योडे आमदनी वाले लोगों की आवश्यकता पूरी करते हैं और डाकखाने के सेविस वैक द्वारों के अनुसरण पर चलाये जाते हैं। सामान्यतया ५) रुपये से लेका लोगा जा सकता भीर रुपया सप्ताह में एक या दो बार तथा एक निश्चित राशि तर, जो एक बार में प्राप्त २५०) रुपये तक और बुल ५००) रुपये तक होती है, निकाला जा सकता है।

(४) होमसेफ अकाउंट में निक्षेप—“होमसेफ” या धन तिजोरियों योडे-

योटी नकद वचत के लिए प्राहृष्ट को मुपत दी जाती है और उत्तरा धन, इच्छा हीने पर, सेविंग्स अकाउंट में जमा बराया जा सकता है।

**स—अनुमोदित पदधति से क्रृष्ण और श्रीवरडापट देना**

**ग—जमापत्र (क्रेडिट इस्ट्रूमेन्ट)** खरीदकर परोक्ष रीति से अनुग्रह करना—उदाहरण के लिए, विनिमय विषयों को बट्टे पर ले लेना।

**घ—अभिकरण सेवाएँ**

कपर चर्गित मूल्यकार्यों के अतिरिक्त आधुनिक बैंक अपने प्राहृष्टों की सुविधा के लिए बहुत से सेवा कार्य करता है। बैंक अपने साधारण कार्य द्वारा जो भवाएँ (अभिकरण) करता है उन्हे इम प्रकार चर्गवद किया जा सकता है।

(१) चेको, विपनो, लाभादो (डिवीडेंड) और बन्ध लिखतो (इस्ट्रूमेंट) की वसूली और भुगतान।

(२) निधि पत्रो (स्टाक), नशो (शेयर) और बन्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री।

(३) न्यासधारी (इस्ट्री) या निष्पादक (एक्जीक्यूटर) के रूप में कार्य करना।

(४) पूँजी जमा करने में कम्पनियों की सहायता करना।

(५) स्थायी बादेशों का पालन करना, जैस समय-समय पर चन्दा भेजना, बीमे का प्रीमियम भेजना और इसी प्रकार के नियमित रूप से किये जाने वाले आवर्ती भुगतान प्राहृष्टों की ओर से करना।

(६) एक शाखा या बैंक से दूसरे को स्थानावरण। प्राहृष्ट बैंक की किसी नी शाखा पर या किसी अभिकर्ता बैंक में अपने नाम जमा कराने के लिए रूपया दे सकता है, अपवा रूपया किसी से अपने लिए जमा करा सकता है। ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है कि बहु बैंक की किसी शाखा में जमा किये हुए अपने रूपये वो चेह द्वारा किमी और आपिस या अभिकरण से ले सकता है।

**इ—प्रकोण सेवाएँ और वैदेशिक व्यापार का वित्त पोषण**

बैंक जो अप्य कारबार करता है उसके अतर्गत ये चीजें हैं—

(१) बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना, आदि।

(२) सुरक्षा के लिए जमा कराई गई प्रतिभूतियों का प्रबन्ध।

(३) नाइट सेफ रखना।

(४) प्राहृष्टों की ओर से विनिमय विषय स्वीकार करना।

(५) वैयक्तिक और व्याणिज्यिक प्रत्यय पत्र (लेटसं थाफ ट्रैटिं) जारी करना।

(६) विदेशी विनियम का कारबार करके वैदेशिक व्यापार में सहायता करना।

(७) निर्देश के रूप में कार्य करना और व्यापार मूलभाएँ, आकड़े, आदि देना; च—नोटों का निर्गम—भारत में यह अधिकार सिफ़े रिजर्व बैंक और इडिया को है। और कोई बैंक नोटों का निर्गम नहीं कर सकता।

### परिवहन

परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं के उन स्थानों से हटाकर, जहाँ वे कम उपयोगी हैं, वहाँ पहुँचाने को कहते हैं जहाँ वे अधिक उपयोगी हों। आधिक प्रगति के लिए प्रभावी परिवहन अपरिहार्य है। कोई भी राष्ट्र वस्तुओं और व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने की पर्याप्त सुविधाओं के बिना अधिक उन्नति नहीं कर सकता। भारत जैसे विविध साधनों वाले विस्तृत देश में परिवहन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। परिवहन के सब साधन—रेल, मार्ग, राजमार्ग और वायुमार्ग—मिलकर हमारी सम्पत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है, और प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से लाखों व्यक्तियों को रोजमार देते हैं और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

परिष्कृत परिवहन के परिणाम<sup>1</sup>—परिवहन में मुख्यतः दो दिशाओं में सुधार हुआ, अर्थात् इकाई लागत में कमी और चाल, सुरक्षा तथा लचीलेपन में बढ़ि। इस सुधार का परिणाम सुविधा से तीन शीर्यों के नीचे रखा जा सकता, आधिक, सामाजिक और राजनीतिक। आधिक परिणाम परिवहन में इकाई लागत में कमी के कारण हैं जिससे सवारियों और वस्तुओं के लिए एक निश्चित दूरी कम खर्च से पार करना सम्भव हो जाता है। सवारियों को शोकिया यात्रा और वस्तुओं के उत्पादन करने में सुविधा हो जाती है। वस्तुओं की दूषित से इसके चार महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं।

आधिक परिणाम—आज उपभोक्ता ऐसी अनेक वस्तुओं से लाभ उठाते हैं जो अनेक कारणों से उनके आस-पास नहीं उत्पादित हो सकती। ये वस्तुएँ उन वस्तुओं के बदले में प्राप्त की जा सकती हैं, जो उस जगह पैदा होती हैं और यह विनियम सस्ते परिवहन द्वारा सभव हो सकता है। जिन समुदायों के पास सस्ता परिवहन नहीं है, उन्हें अधिकतर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएँ सभी जगह पैदा हो सकती हैं, इसलिए ऐसे समुदाय वैविध्यपूर्ण उपभोग के लाभों से बचित रहते हैं। वस्तुओं के कई जाते वा एक परिणाम यह होता है कि वे विभिन्न बाजारों में एक-सी मात्रा में पहुँच जाती हैं। वस्तुएँ जहाँ अधिक मात्रा में हैं, वहाँ में वे मांग के अनुसार, वहा भी चलने लगती है, जहाँ वस्तुएँ कम हो। परिवहन जिनमा सस्ता होता, स्थानान्तरण उतना ही आसान होता और इन्हिए माल उतना ही अधिक एक-सी मात्रा में पहुँच जाएगा। हृषि में जहाँ उत्पादन की नियन्त्रण करना कठिन होता है, इसीलिए सस्ता परिवहन विशेष रूप से लाभकारक होता है।

यह दुर्भिक्षों को कम कर देता है और वहि उत्पादन से होने वाली बरवादी को भी कम कर देता है। यह मूल्यों को एकसार और स्थिर भी कर देता है क्योंकि परिवहन जितना सस्ता होगा, बाजार उतना ही विस्तृत होगा और बाजार जितना विस्तृत होगा, मूल्य की घट वढ़ में अन्तर उतना ही कम होगा।

सस्ते परिवहन का महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि इससे उपभोक्ता को उत्सु की लागत कम पड़ती है। यह कभी प्रतियोगिता के तीव्र हो जान से, जो परिवहन में सुधार के कारण कभी-कभी हो जाती है, हो सकती है। पर इसका मूल्य कारण यह है कि उत्सुओं के उत्पादन की लागत कम हो जाती है। वडे पैमाने के उत्पादन को प्रात्साहित करके परिष्कृत परिवहन अन्ततोगत्वा प्रतियोगिता के बजाए इजारे या एकाधिकार दो पैदा करता है परन्तु कुछ उद्योग वडे पैमाने के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं हैं, और इन उदाहरणों की प्रकृति यह है कि स्तरीदाने और वेचने वालों की सरया बाजार में वढ़ जाता है। मूल्य की कमी का अव है उत्पादन की लागत में कमी और उत्पादन की लागत में कमी सस्ते तथा पर्याप्त परिवहन से हो सकती है। परिष्कृत परिवहन दो तरह से उत्पादन की लागत कम करने में सहायता करता है थम के भोगोलिक विभाजन दो आसान करके, और वडे पैमाने के उत्पादन को उत्साहित करने। परिणामत विशेषीकरण (स्पेशलाइजेशन) और स्थान सीमन (लोकेलाइजेशन) हो जाता है।

औद्योगिक स्थाननिर्धारण पर और विसी कारक की अपेक्षा परिवहन का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवहन की लागत उत्पादन कार्य की स्थिति को प्रभावित करने वाला एक स्वतन्त्र कारख ही नहीं है, अपितु यह बाजार, कच्चे सामान, ई धन या शक्ति से समीपता आदि व्याय स्थान निश्चयक कारकों का भी एक अग है। वडे पैमाने का उत्पादन विशेषीकरण की ही तरह बाजार के सीमा-विस्तार पर और अतएव दक्ष परिवहन पर निर्भर है। सम्भवत यह सच है कि परिष्कृत परिवहन द्वारा बाजार का विस्तृत हो जाना वडे पैमाने की ओर वहने का वुनियादी कारण है। विसी प्लाट के बिल्कुल निकट की माँग इतनी काफी नहीं हो सकती कि वह उस प्लाट के सारे उत्पादन का उपयोग करले। न उस स्थान पर कच्चा सामान ही इतनी अधिक मात्रा में मिल सकता है, उदाहरण के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स या ब्रिटेन व्यपने मोटर गाड़ी उद्योग का माल विदेशों में वेचते हैं और उसका कच्चा सामान दुनिया भरके स्थानों से प्राप्त करते हैं। दक्ष परिवहन से वडे-वडे उपकरणों का प्रबन्ध करना सरल हो जाता है, क्योंकि इससे उत्सुओं का सचलन होने लगता है और यात्रा या ढाक द्वारा सस्त और द्रुत सचार की सुविधा हो जाती है।

अन्तिम बात यह है कि परिष्कृत परिवहन न बेकल मालवे उत्पादन को प्रभावित करता है, बल्कि उसके कार्यात्मक वितरण को भी प्रभावित करता है।

तर्कसंगत भाटक और इसलिए जमीने के मूल्यों से इसका सम्बन्ध विशेष रूप से जर्यपूर्ण है। क्योंकि भाटक के निर्धारण में स्थान एक महत्वपूर्ण कारक है और क्योंकि दूरी मुख्यतः सचलन की लागत और समय का भासला है, मीलों का नहीं, इसलिए यह स्पष्ट है कि परिवहन में मुद्रार होने से समाज की कुल आपड़े उन हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है जो मूल्यांकियों को भिलता है—भाटक का बटवारा नये मिरे से हो जाता है। जब इसी बहुत का उत्पादन बढ़ाता हो तब अन्य परिस्थितियों में कुछ भूमियों का भाटक घट जाता है और अन्य का बढ़ जाता है। स्वाभाविक कारणों के बे स्वामी, जिन्हें बाजार की दृष्टि से अधिक बच्चा स्थान प्राप्त है और इसलिए जिन्हें अधिक भाटक प्राप्त होता है, देखते हैं कि परिवहन के मुद्रार के बाद उनकी आमदानी बढ़ हो जाती है और बाजार में दूर बाह्य लोगों के नीचे भाटक बढ़ जाते हैं। मोटर के आविष्कार ने उपनगरों में भाटक और जमीनों को कीमतें बढ़ा दी।

**सामाजिक परिणाम**—मुझे हुए परिवहन से बहुत गहरा सामाजिक परिणाम होता है। एक तो यह आदादी की समनता और फैलाव का निर्धारण करता है। मोटरों और बसों ने लोगों के आने-जाने का प्रबन्ध करके उन्हें उपनगरीय समाजों में प्रविष्ट होने में मुश्किल प्रदान की है, जहाँ सास शहर की अपेक्षा जीवन अधिक आकर्षक बताया जाता है। दूसरी बात यह है कि बड़े परिवहन से रहन-सहन का स्तर केवल हो जाता है और जीवन की रीति बदल जाती है। हमारा मकान वा स्वरूप, पहनने का ढग, मनोरजन और यहाँ तक कि भोजन भी मुद्रार जाता है। उपजीविका, आदत और विचार पद्धति पर बड़ी जल्दी प्रभाव पड़ता है। मोटर, विमान और रेलगाड़ी के प्रचलिन हो जाने से जीवन की गति द्रुत हो गई। कुछ ही घण्टों में महाद्वीपों को लाव जाने से समय और दूरी की एक नई धारणा बन गई है। तीसरी बात यह है कि दस परिवहन सहृनि और बुद्धि को बढ़ाता है। जीवनधारण के लिए न्यूनतम से अधिक आप की मात्रा बढ़ने पर साली समय में बृद्धि हो जाती है और दाक का दूर-दूर तक वितरण तथा विस्तृत क्षेत्र में वैदिकितक सम्पर्क स्थापित होने से शिक्षा की प्रगति होती है और मुद्रार तथा प्रगति के लिए प्रेरणा भिलती है। सामाजिक सम्बन्धों में मोटर ने विशेष रूप से बहुत अधिक बार्य दिया है। इसने सब बातों के नागरिकों को यात्रा की ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की है जैसी इससे पहले देखी-मुनी नहीं गई थी। इसने देशों के बलगाव को प्रायः नष्ट कर दिया है। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि परिवहन ने जन मतल में बृद्धि की है।

**राजनीतिक परिणाम**—दृष्टि परिवहन के दो बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होते हैं। प्रथम तो यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है। भारत, यूनाइटेड स्टेट्स या इस जैसे देश परिवहन और सचार की पर्याप्त व्यवस्था के बिना संगठन नहीं रख सकते जा सकते। प्रभावी परिवहन व्यवस्था राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को जन्म देती है। अम के भौगोलिक विभाजन को बढ़ाकर देश के विभिन्न भागों को

आधिक दृष्टि से परस्पराधित वताने वाला परिवहन राजनीतिक एकता को अतिवार्पं कर देता है जिससे व्यापार की स्वतन्त्रता और उद्योग के प्रभावी नियम की गारंटी हो जाती है। फिर, परिवहन सामाजिक समस्याओं का पोषण करके राष्ट्रीय एकता काप्रम रखना आसान कर देता है इसपरिवहन का दूसरा राजनीतिक परिणाम राष्ट्रीय प्रतिरक्षण का सुदृढ़ हौ जाना परिवहन राष्ट्रों का एकीकरण भी कर देता है, स्थाएं और प्रथाएं, कानून और भाषाएं, दृढ़ता से एक दूसरे को आत्मसात करते हैं।

आधुनिक परिवहन को तीन मुख्य प्रकृतों में बंटा जा सकता है। स्थलीय-जलीय और आकाशीय। अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन तीन प्रकार का है—सड़क, अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग और रेल मार्ग। भौतिक वस्तुओं या व्यक्तियों के परिवहन में दो कारक आवश्यक हैं। एक तो यान या स्थानान्तरण की इकाई और दूसरा वह माध्यम जिसमें या जिसपर यान चलेगा। माध्यम के अनुसार यान के प्रकृति या स्थानकए यानी डिजाइन का चुनाव लिया जाता है। माध्यम में दो बाँहें हैं—सार्वजनिक राजपथ या निजी राजपथ। वायु परिवहन और समुद्र परिवहन में सार्वजनिक, प्राष्ट्रिक और मुकुन राजपथ होते हैं। सड़क और अन्तर्राष्ट्रीय राजपथ बीच की स्थिति में है।

### परिवहन के विभिन्न साधनों के लाभों की तुलना

रेल मार्ग—विस्तृत स्थल भूमि पर बड़ी मात्रा में साधारण परिवहन की व्यवस्था करने वाला रेलमार्ग से अच्छा कोई और साधन नहीं। मदि वारचार पर्याप्त हो तो कुछ जलमार्गों को छोड़ कर, परिवहन का कोई और साधन इतना सस्ता यातायात नहीं करा सकता जितना रेलमार्ग, और स्थलीय परिवहन का कोई तरीका अधिक दूर तक इतनी तेजी से नहीं जा सकता। जहाँ जल मार्ग अधिक सस्ते भी हैं वही वे कुछ ही प्रकार का सामान लात, ले जाते हैं। रेल मार्ग में चार विशेष लाभ हैं—पहला, यह जल मार्ग को अपेक्षा प्रायः कम लागत पर लियी भी स्थान तक बनाई जा सकती है, हालांकि साधारण राजपथ की अपेक्षा अधिक लागत पर बनाई जा सकती है। दूसरा, रेल मार्ग में परिवहन के किसी अन्य साधन की अपेक्षा मौसम की अदल ददल से कम वाधा पड़ती है। राजमार्ग या वायुमार्ग कोई भी इतने निर्भरणीय और सुरक्षित नहीं। तीसरे, रेलमार्ग को तेज चाल के लिये अपेक्षया कम कर्षण शक्ति की अवश्यकता होती है, विशेष यह चिकनी पटरी कसिदान्त का उपयोग करता है। चौथे, रेलमार्ग वहे पैमाने पर यातायात सञ्चालने वा लिए बहुत अधिक अनुकूल होता है। खूब अधिक चोर से लड़े हुए डिव्हों की लम्बी गाड़िया सुरक्षित चलाई जा सकती है।

रेलवे के ये लाभ सिरकी जगह, (ट्रम्स) पर किये जाने वाले कारों के समय और लागत के कारण नष्ट से होने लगते हैं। शुल्क के स्टेशन पर वैगनों में भाल लादना और उह जोड़ना, बीच के द्वानों पर किर जोड़ना और गतव्य स्थान पर अलग-अलग करना और भाल उतारना पड़ता है। भालगाड़ी साधारणतया ट्रक या गाड़ी से धीरे चलती है और सी मील से कम दूरीयों के लिये रेल एक्सप्रेस लारी से मदगामी

है, प्रथमि १५० मील से अधिक दूरियों के लिए रेल में अविक चलने का सामर्थ्य है। जहाँ तक लागत का सम्बन्ध है, पूरा बैगन माल २० मील से अधिक दूरी के लिए सावारणतया रेल द्वारा सत्ता भेजा जा सकता है परन्तु एक बैगन माल से कम होने पर ६० मील से सम्बन्ध ११० मील से कम दूरी तक ट्रक द्वारा परिवहन अधिक सम्भाल ड़ता है। एक बैगन से कम माल का वास्तविक सच्चा सड़क द्वारा सभी दूरियों से सावारणतया कम होता है। इसके अनियन्त्रित रेलवे न तो मोटर की तरह लचीली है और न माल घर-बर पहुँचा सकती है। बहुत सारा सामान कम चाल से एक बन्दलाह के दूरे बन्दरगाह तक पहुँचाने में भी रेल प्राइवेट जल मार्ग पर चलने वाले वाहनों से मुकाबला नहीं कर सकती।

**बलपरिवहन—**बल-परिवहन का बड़ा लाभ यह है कि बहुत बड़े बड़े पद्धति सामान के लिए लगभग नहीं के दरवार क्यंग शक्ति लगानी पड़ती है। दन इतना ही है कि चाल धीमी होती है। एक सावारण शक्ति इकाई थोड़े से बड़ों भर कई माल गाड़ियों को अपेक्षा अधिक माल बढ़ा सकती है। प्राहृतिक जलमार्गों पर मार्ग को व्यवस्था करने में अपेक्षया बहुत कम पूँजी या देव्ह रेव की लागत सच्च होती है इन कारणों से जल द्वारा परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सत्ता हो जाता है परन्तु नहरों पर परिवहन की लागत अधिक पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप कृषिम जन्मानों द्वारा परिवहन की असती लागत का बहुत बड़ा हिस्सा करदाना को उठाना पड़ता है।

**सड़क परिवहन—**सड़क परिवहन बहुत विविध रूपी है। यात्री वाहनों को नियों कारो, ट्रैक्सियो और बसों में बांटा जा सकता है। माल होने वाले ट्रक तीन बातों में आते हैं—मालिक द्वारा चलाए जाने वाले, ठेके पर चलाये जाने वाले और सामान्य वाहन। कुछ वाहन नियमित मार्गों पर चलाये जाते हैं और कुछ वाहन किराये पर कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। कुछ वाहन सब तरह की वस्तुएँ लोडे हैं और कुछ वाहन सिर्फ विशिष्ट कार्य करते हैं। जहाँ तक यात्री परिवहन का सम्बन्ध है, सभान्यतः सड़कों द्वारा बिना यातायात होता है वह परिवहन के और सब साधनों में मिलाकर होने वाले यातायात से अधिक है। सड़क से होने वाला अविकतर यातायात थोड़ी मात्रा में बासया कम दूरियों पर होता है, प्रथमि ताजे फल और सम्बद्धी अधिक दूरियों मी पार करती है। मोटर यात के लाभ मूलतः दो बातों पर निर्भर है। प्रथम तो वाहन की इकाई छोटी है और दूसरे यात अपने किनी नियम सड़क मार्ग पर चलने का यावन नहीं। यह थोड़ा-थोड़ा माल सावेषनिक सड़कों पर कहीं भी पहुँचा सकता है और अगर जहरत हो तो घर-घर, घटाई वाली सड़कों पर या टूटी-फूटी सड़कों पर भी जा सकता है। इस प्रकार नोटर यात बहुत अधिक लचोंने और वैविध्यमूले तरीके से काम कर सकता है। यह अन्य प्रकार के परिवहन साधनों को पोछे छोड़ दाता है और अन्य परिवहन साधनों से अवनुष्ठ क्षेत्रों में प्रवेश करता है और नई सेवाएँ प्रस्तुत करता है।

बस के लिये सेवा का सबसे बड़ा क्षेत्र बहाँ है जहाँ यातायात हल्का है अथवा जहाँ लचीरेपन की आवश्यकता है। ऐसी जगहों में यह रेलगाड़ी से सस्ता है, लेपनर मार्ग धारानी से बदल नहीं है, अधिक बार आज्ञा सुनता है और यानियों की मुदिधा के बनुसार उन्हें चढ़ा और उतार सकता है।

इस प्रकार मध्यम दर्जे की लम्बाई के परिवहन में बस भाव की रेलगाड़ी और उपनगरी को पिलाने वाली विजली की रेलगाड़ी ने सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकती है। जहाँ लागत और बोर चालाकी दृष्टि में यानायात नारी हो, वहाँ बस घाटे में रहती है। ऐसी जगह इमेरे रेल के लिए स्थान छोड़ना पड़ता है, जो यात्रा की मात्रा अधिक होने पर प्रति इकाई कम लागत में भाल ले जाती है और साधारणतया यातायात की भीड़ से कम रखती है। वही यात्राओं में रेल बस की अपेक्षा अधिक मुख्यायात्रा है। इसके बलावा, बस को नौसम के कारण होने वाले परिवर्तनों से रुकावट और खतरे पैदा हो जाते हैं। ट्रक में कम से कम पाँच मुख्य लान है—पहला, ट्रक द्वारा बहुतें ले जाना रेल की अपेक्षा बहुधा सस्ता पड़ता है जिसका बारण या तो यह है कि रेल का महसूल, सिरे के (टरमिनल) खर्च को मिलाकर, थोड़ी दूरियों के लिए अपेक्षाया अधिक पड़ता है और या इस बारण कि लम्बाई की लागत रेल के महसूल में जोड़ी फड़ी। दूसरे, थोड़ी दूरी में ट्रक की चाल तेज होती है क्योंकि इससे ज्यादा उठा-घरी की जहरत नहीं रहती और यह शीघ्र से शीघ्र पहुँचने वाला मार्ग पकड़ सकता है, बिसेप कर तब जबकि ट्रक ठेके पर या निजी बाधार पर लिया गया हो। तीसरे, ट्रक एक घर से दूसरे घर, अन्य परिवहन जैसी अपेक्षा अधिक आसानी से, माल पहुँचा सकता है। चौथे, ट्रक अधिक बार आज्ञा सकता है यह हटके और छोटे परिवहन के लिए बहुत अनुकूल पड़ता है। पाँचवें, रेल या जल द्वारा भाल भेजने की बी अपेक्षा ट्रक द्वारा भाल भेजने में साधारणतया उतना अधिक पैकिंग नहीं बरता पड़ता, क्योंकि उठा-घरी में भेद होता है। ताजे फल सविजयां और घरेलू सामान भेजने में इसका बड़ा महत्व है।

**वायुमार्ग—**वायु परिवहन सब तरह के अन्तर्देशीय परिवहन के मुकाबिले में यातायात की सामान की दृष्टि से सब से कम महत्वपूर्ण है। जो माल परिवहित किया जाता है उनकी मात्रा न के बराबर है यद्यपि “बोल कारगो, (All Cargo) बर्निन् सब ग्रेवर वा माल ले जाने की व्यवस्था मौजूद है। वायु मार्ग से यात्री यातायात अधिक महत्वपूर्ण है परन्तु निर्धारित समय से चलने वाली एयरलाइन के मुभाविरों की सूख्या इस समय नगद्य है। इसके बलावा, आनंदिक वायु यातायात उन्हीं देशों में सम्भव है जिनमें बहुत बड़ा प्रदेश है और वाणिज्य के महत्वपूर्ण केन्द्र हो, जैसे भारत, यूनाइटेड स्टेट्स और इम। वायु परिवहन का प्राथमिक लाभ है चाल, दूसरा लाभ यह है कि इसमें ग्रंथि पर होने वाली रुकावटें नहीं आतीं। यद्यपि जहाज उतरने के लड्डे और निर्धारित मार्ग निश्चित हैं पर तो भी वायुयानों को किसी निश्चित लाइन पर नहीं चलना पड़ता और वे नाव की

मीठ में उड़ सकते हैं तथा अगम्य स्थानों पर भी पहुँच सकते हैं। वायु मेवा से तीमरा लाभ है इसकी सहूलिपन। दून या जहाज की तुलना में विमान एक छोटी ड्राई है और इसलिए आवश्यकतानुसार इसकी उड़ान का निश्चय बरता आसान होता है।

वायु यातायात में बहुत बड़ी कमी यह है कि एक यान द्वारा बहुत अधिक भार नहीं ले जाया जा सकता है। इसका कर्य यह है कि सभा की प्रति इकाई लागत कम ही है। यद्यपि सुरक्षा की मात्रा लगातार ठंडी होनी रही है, तो भी मीमन घनी, यान की क्षमताएँ तथा कम्चारियों की बढ़ते सुरक्षित उड़ान में बड़ी याता पड़ जानी है। वायु यातायात या तीसरा मुक्तसान — जो दूसरे का अवधारणा है निमंरणीयता का अभाव है। यीसेन, निश्चिन उड़ान में लगभग १०% कमी बनी रही है नहीं की जा सकती, और जो शुरू की जानी है उनमें से बहुत जारी प्राप्त अतिकूल मीमन के कारण पूरी नहीं की जाती। कीथी हानि है कि यह या विमान-रोग (Air sickness) के कारण आरान का अभाव ये नुटियाँ बुरे दूर तक गुवाहारी जा सकती हैं परन्तु तलबाहनों की अप्सा इनमें सुधार की गुजायग कम है।

## परिवहन को लागत एकाविकार और प्रतियोगिता

रेल मार्ग—रेलवे में पूँजी उद्द्यय कुल राशि की दृष्टि से और कारबार की मात्रा के अनुपात में बहुत अधिक होता है। बहुत बड़े स्थिर नियोजन से रेलवे के व्ययों में सदृश दो विधायनाएँ आ जाती हैं। एवं तो यह कि लंबी मुख्य वास्तविक यातायात ने स्वनघ होता है अर्थात् व्यय ती राशि मुख्यतः यत्रों के उपयोग की अपेक्षा उनकी क्षमता में निर्धारित होती है। दूसरे, मारा सचं माल विशेष पर वैज्ञानिक स्थ से नहीं बांटा जा सकता। जिके बहुत परिवहन होता है, जिसे पैदा होता है और उपार ढाना जा सकता है। प्रथम बान की आम तौर पर दून जा दो में कहा जाता है कि रेलवे के सचं अधिकारि स्थिर या नियन होते हैं, परिवर्ती नहीं। उद्य मध्य नियन होता है तब उमकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे यातायात में कमी हो या बढ़ि। यद्य मध्य परिवर्ती होती है तब यह या ती यातायात के परिवर्तन के अनुराग में या उमरे अनुग्रह के लिए या अन्य कहुँशह या प्रशिक्षित हो जाता है। कुल लगात में बूढ़ी की मात्रा नियनता या परिवर्तन पर निर्भर होती। आम तौर से यह स्वीकार किया जाता है कि रेल के सचं लगभग दो-निहारे नियन और एक-निहारे परिवर्तित होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि रेलवे के सचं स्थिर और परिवर्ती अंतियों में बांटे जा सकते हैं और कि स्थिर सचं कुल सचं का दो-विहार होते हैं, चाहे मातायात की मात्रा

निन्नी हो। यह गणतीय दृष्टि से असम्भव है। इसका मतलब यह हो जाता है कि चचेरे इस तरह बदलते हैं कि मानो वे दो-तिहाई नियत हैं। दूसरे शब्दों में लागत कारबार का एक-तिहाई बदलती है जिसके परिणामस्वरूप यातायात में १५% दृढ़ि होने पर कुल सबं १५% का सिफेर एक-तिहाई या पाँच प्रतिशत ही होगा। इसी प्रकार यातायात में कोई कभी होने से चचों में तदनुसार कभी नहीं होगी। पर यह स्मरण रहना चाहिए कि उन्हें कुछ दूर तक ही नियत रहते हैं। अनुतोगत्वा अधिकतर लागते परिवर्ती हैं, क्योंकि जो उद्द्वय वित्तुल जाते रहे हैं उन्हें छोड़कर और सदकों कारबार की यात्रा के साथ समजित किया जा सकता है।

रेलवे के व्यर्यों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता लागतों के अनियाजन के सिलसिल में है। इस दृष्टि से देखने पर लागतों को (१) सामान्य, (कभी-कभी स्पृहित भी कहते हैं) या (२) विशेष (जिसे कभी-कभी प्रत्यक्ष या प्रधान या आठड़ आक पाइट कहते हैं), बहा जा सकता है। लागत तब सामान्य कहलानी है जब सारे के सारे कारबार के नियमित उठाई गई हो, और जब वह किसी विशेष सेवा या सेवा के किसी विशेष बर्ग बी ओर से उठाई गई हो, तब वह विशेष बहलानी है। रेलवे यातायात ज्ञ और मास की तरह मिली-जुली लागत का कारबार नहीं है, यद्यपि रेले किनी समय कई तरह की सेवाओं को व्यवस्था करती है, जो परिधामन: बहुत सी विभिन्न वस्तुएं होती हैं। मास के उत्पादन का अनिवार्य बर्थ है ज्ञ का उत्पादन और यह सयुक्त लागत का उदाहरण है। परन्तु गेहूं का परिवहन करने वाले के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह पत्तर के कोपले का परिवहन करे और माल ढौने का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं कि मुसाफिर भी ढोये जायें। वयोंदि रेलों को सब प्रकार का यातायात करने में लाभ होता है और वयोंकि लागत विभी विशेष वस्तु या सेवा के लिए बलग नहीं निकाली जा सकती, इसलिए रेलवे लागत बी कभी-कभी सयुक्त कह दिया जाता है, जो बहुत गलत है और सामान्य लागत शब्द इसके लिए अधिक उपयुक्त है। रेलवे की वह लागत नियन होती है जो यातायात पर नियंत्र नहीं है और वह सामान्य होती है जो सारे कारबार के नियमित जाती है। परिवहन व्यवहार अधार सामान्य और अधार विशेष होता है। रेल महसूल रव करने में इन तथ्यों का बड़ा महत्व है।

एक और महत्वपूर्ण बान यह है कि रेलवे आमतौर पर एक आविष्कार एवं विकार होती है। जहाँ एक लाइन लाभ पर चलती है वहाँ दो लाइनें सचालन व्यव भी नहीं निकाल सकती। प्राय सरकार दो रेलवे लाइनों में प्रतियोगिता होने देने को सोकोहत के विस्तर समझते हैं। इस प्रकार सम्भावित रेलवे प्रोत्योगिता अधिकार व्यवहार व्यर्थ हो जाती है। परिवहन के अन्य साधनों की दृष्टि से भी रेल वृत्तिशाश्वी वस्तुओं के अधिक दूरी के यातायात के लिए व्यवहार एवं कारबार की विश्वति में है। एकाविकार होने के कारण रेलवे का लक्ष्य अधिकतरम शुद्ध राजस्व है,

जो इसी पवन में मन्में अधिक सुविधा से उभी बहुल हो सकता है, वह एक में महनूर और भाँडे के बजाए बग्गन्याग (डिफरेन्ट) महनूर और भाँडे लाए करें। यह रेलवे व्याप के म्बन्ड के कारण सम्भव हो जाता है क्योंकि इनमें रेलों को जाय में बृद्धि और लागत में कमी हो सकती है।

**बाधामार्ग—**जहाँ तक समर्पित नियोजन, उपयोग में न आने वाली उत्तादक कामना और लक्ष की स्थिति का सम्बन्ध है, वायुयान रेल और ट्रक परिवहन के बीच में प्रतीत होते हैं। वायु मार्ग कामने में कोई उद्दिष्ट नहीं होता और उत्तरों के बड़ों और विमान द्वारों के लिए अधिकतर पूँजी जनता से मिल जाती है। परन्तु जमीन, मकानों, और इसी कग्ज सामग्री में नियोजन करना पड़ता है, और कान वाले को मात्रा की तुलना में काफी महत्व का है। विमान, यातायात के अनुसार, नव्या में अनेक और कामता में विविध प्रकार के हो सकते हैं, परन्तु बहुत अधिक माल बरीदाने का मतलब है आरन्जिक लागत में कमी, और अधिक स्वर्णाली भूमीकों से परिचालन के खर्च कम हो जाता है। विमान परिवहन की लागत को नूमि व्ययों और उद्देश्य व्यय में बांटा जा सकता है। नूमि व्यय, जो कुल लागत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, नूमि पर की सुविधाओं में लिए गए नियोजन का व्याज विमानायामों (Hangups) और दातार के स्थान का माटक, मकानों का रख-न्दाव, नूमिस्थ कर्मचारियों को भूति, यातायात और वित्तापन के अद्य और नूमिस्थ विद्यमान सामग्री नमाविष्ट है। योद्दी अवधियों के लिए ये लागतें जाऊंदा नियत होती हैं। उद्येश्य व्ययों में उद्देश्य सामग्री का बवधायण और रख-रखाव, ईंधन, तेल, उद्देश्यन कर्मचारियों की भूति, प्रशाय और ऐसी ही अन्य वस्तुएँ होती हैं। ये चीजें विशेष कर ईंधन, घोड़ी दूरी में भी अधिकतर पर्नियाँ होती हैं, परन्तु इनमें भी काफी दूर तक नियरता है।

जहाँ तक इन वात का सम्बन्ध है कि मिनव्ययी परिचालन के लिए बड़े फ्लाईं की जावधिकता है, और लागत नियत होती है, परिवहन उद्देश्यनमें एकाधिकार और डिफरेन्ट लार्ज की प्रवृत्ति होती है। १९५३ में भारतीय वायु परिवहन मेवायाँ के राष्ट्रीयकरण का एक कारण यह बिनार या कि विनाशक प्रतिवेगिता को मारी एकाधिकार स्वापित करके बनाम कर दिया जाय।

**जलमार्ग और राजमार्ग—**बहुताहुती और पथ वाहनों की अधिकतर विशेषताएँ लगभग एसी हैं और दोनों प्राणी पर एक नाय बिचार किया जा सकता है। यह यह देता उचित होगा कि इन मेवायों की प्रहिजि में महबूर्म जन्तर हैं। एक यन्त्र यह है कि जल परिवहन भौगोलिक दूरी में पथ परिवहन की जांका बहुत नीमित है। एक और बन्तर यह है कि जल परिवहन कुछ ही प्रकार की वस्तुओं को बड़ी मात्रायों के यातायात तक नीमित रहता है। तीसरा अन्तर यह है कि जलपर उद्योग में वाहक इकाई बड़ी होती है।

रेलों की तुलनामें जलपथ और राजपथ के यानों के लिए, जैसे कारबार की माना की दृष्टि से, धैर्य कुल राशि की दृष्टि से भी, बहुत कम पूँजी चाहिए। रास्ते के लिए भी कोई पूँजी लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रास्ता प्रहरि या सरकार का बनाया हुआ होता है। सिरे के स्थान बने-बनाए नहीं होने और उनकी व्यवस्था अधिकतर जनता द्वारा या परिवहन-कर्त्ताओं द्वारा की जाती है। बाहनों को, जो मूल्य पूँजी उद्व्यय बरना पड़ता है, वह जहाजों या यानों के लिए है। ये बस्तुएँ भी साधारणतया बहुत छोटे पैमाने पर चलाई जाती हैं। इसलिए जलपथ और सड़क उद्योगों में बाहनों की क्षमता यातायात से काफी समजित होती है। यानों या बाहनों की संख्या या क्षमता माँग के अनुसार विनियमित की जा सकती है। क्योंकि उपयोग में न आने वाली क्षमता अधिक नहीं होती, इसलिए जलपथ और राजपथ बाहनों के खर्च अधिकतर परिवर्ती होते हैं। इन खर्चों में इंधन और प्रदाय व भूतियाँ, चलने वाली सामग्री का अवधायण आते हैं जो सरके सब यातायात के अनुसार ही बदलते रहते हैं। सम्भाव्यतः माल ढोने वाले मोटर यानों के कुल सचालन व्ययों, भाट्टों और करों का ५० हिस्सा परिवर्ती होता है।

**जलपथ और राजपथ परिवहनों में यह भी विशेषता होती है कि इनमें एकाधिकार प्राप्त: नहीं होता।** क्योंकि राजपथ और जलमार्ग सबके लिए सुले होने हैं और क्योंकि इसके लिए योड़ी पूँजी की आवश्यकता होती है, इसलिए इस व्यवसाय में घूसनां आसान है और परिणामतः एक मार्ग पर भी प्रतियोगिता चल सकती है। परिवर्ती खर्चों और एकाधिकार के अभाव के कारण प्रभेद बहुत कम होने लगता है और प्रतियोगिता रेल यातायात की अपेक्षा कम विनाशक होती है। बाहनों के चालक अपने महसूल लागत से कम करने में हिचकते हैं क्योंकि जितना उन्हें नका होता है उससे ज्यादा नुकसान होता है। विनाशक प्रतियोगिता करने से अच्छा यह है कि कारबार छोड़ दिया जाय। काय' विना हानि उठाए विकुल छोड़ दिया जा सकता है अद्यबा किसी और जगह के जाया जा सकता है।

### महसूल को प्रविधि (Technique)

रेलवे के महसूल और भाड़े—रेलवे सेवाओं के मूल्यों में माल के महसूल मुसाफिरों के भाड़े और लगेज (सामान) सवार्धी गोण प्रभारों का समावेश है। मुख्य दिलचस्पी की ओर भाड़े वाला महसूल है। मुसाफिरों से सामान्यतः रेलों की दुल वापिक सचालन आय का १० से १५०/० ही प्राप्त होता है। माल महसूल से वापिक सचालन आय का लगभग ५ प्राप्त होता है और इस महसूल का ढाढ़ा बड़े जटिल ढग था होता है। जटिलता बस्तुओं स्टेशनों और भागों के बाहुल्य के कारण से होती है। रेलों से ढोई जाने वाली बस्तुएँ हजारों स्थानों के बीच लाई-जाई जाती हैं। अनुचित भेदभाव को बचाने की दृष्टि से सरलीकरण के लिए बस्तुओं को

भारतीय रेलों ने १६ वर्षों में विभाजित किया है और दोनों दिशाओं में या दो या अधिक मागों के लिए वे ही महसूल लिए जाते हैं। वर्गीकरण से पहले लाभ है कि महसूलों की सम्पत्ति कम हो जाती है क्योंकि एक वर्ग या उपवर्ग की सब वस्तुओं पर एक ही महसूल लगता है। इससे महसूल अनम्य (इन्फ्लेक्सिवल) भी हो जाते हैं क्योंकि किसी वर्ग का महसूल बदलने का अर्थ यह है कि उस वर्ग की सब वस्तुओं पर, जो वही सी भी हो सकती है, महसूल बदलना, परन्तु सब वस्तुओं पर उस वर्ग का महसूल नहीं लागू होता। इनके विपरीत यातायान का बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित महसूलों पर चलता है जो वर्ग महसूलों से नीचे होने हैं, और कुछ अवस्थाओं में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अलग-अलग महसूल लिए जाते हैं। अन्तिम प्रकार के महसूल दो स्टेशनों के विशेष पटाए हुए महसूल हैं जो प्रायः परिवहन के अन्य साधनों का मुकाबला करने के लिए लागू किये जाते हैं। अधिक दूरी के प्रेयरण को प्रोत्साहित करने के लिए घटने हुए (टेपरिंग या टेलिस्कोपिक) महसूल लिए जाने हैं जिनके अनुसार दूरी बढ़ने के साथ महसूल कम हो जाता है।

**जनरल के बाहर—**जन बाहनों के महसूल ढाँचे अपेक्षया सरल होने पर साधारणतया रेलों के ढाँचे जैसे ही होते हैं, परन्तु सारे महसूल मिर्ज़ लाइनर ही प्रकाशित करते हैं। सविदा बाले बाहन लिफ्स न्यूनतम महसूल बताने हैं, यद्यपि मैं भी मार्ग और सम्बरण के अनुसार बदल जाने हैं। लाइनरों के महसूल रेलवे महसूलों पर आधारित होते हैं जब कि सविदा बाले बाहनों के महसूल जलपथ सेवा की लागत और स्वच्छ दो अधिक ठोक-ठोक प्राट करते हैं। इसलिए सविदा बाले महसूल साधारणतया कम होते हैं और माल की मात्रा के अनुसार बदलते रहते हैं पर न्यूनतम मात्रा, जैसे ३०० टन निश्चित होनी है। लाइनर वर्ग महसूल और वस्तु महसूल दोनों प्रकाशित करते हैं। ये एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह के महसूल, या समुक्त महसूल जैसे जल, रेल या जल-ट्रक हो सकते हैं। बन्दरगाह से बन्दरगाह के महसूल और जल-रेल, महसूल सिफरेल बाले महसूलों की अपेक्षा प्रायः प्रभेदत (डिफेरेंशियली) कम होते हैं, जलीय महसूल रेल महसूलों की तरह कुछ सीमा तक दूरियों के अनुसार बदलते रहते हैं। परन्तु वे रेल महसूलों की अपेक्षा दूरियों को बम महसूल देते हैं क्योंकि बाहनों की लागत दूरी के साथ उतनी नहीं बढ़ती जिनकी रेलवे कारबार में बढ़ती है।

**मोटर बाहन महसूल—**दूसरे में मोटरों के महसूल वैयक्तिक गोदानों का विषय थे, परन्तु सरकारी वित्तियालय के साथ-साथ ये महसूल भी, महसूल दर्जे के रूप में आयते। ढाँचे के अवयव वैसे ही हैं पैसे रेलवे कारबार में, पर महीने अधिक वर्गीकरण नहो है। परन्तु प्रायः पूरी लारों के लदान के महसूल रेलवे अनुमूचित महसूल जैसे ही होते हैं। साधारणतया मोटरों के महसूल रेलवार्ड और जलपार्य की अपेक्षा दूरी से अधिक सम्बन्धित होते हैं। बाहन को लागत अधिकतर परिवर्ती होती है, मूल्यां दूलाई के करर नियंत्र होती है। बिरे के ब्यवहार बोई सारा

महत्वपूर्ण नहीं होते परन्तु जहाँ बाहरों से रेलों से, विशेषकर लम्बी ट्रॉलाई में, प्रबल प्रतियोगिता करनी पड़ती है। वहाँ महमूल कम बर दिये जाते हैं।

बायू बाहने महमूल—स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय या दोनों याची भाड़े तथा नियम और विनियम एवरटेरिफ में प्रकाशित जिए जाते हैं। रेलवे भाड़े की तरह वे मुच्यनामा दूरी के आधार पर होते हैं, यद्यपि प्रति मील महमूल, जो प्रतियोगिता की सूचित करता है, सदा एक सा नहीं होता। महमूल की मात्रा मुच्यन-रेल के पहले दर्जे के भाड़े में कुछ और वर्च जोड़ कर निकाली जानी है जिसने विमान भाड़े पहले दर्जे के भाड़े से अधिक हो जाने हैं। समय की बचत तथा अन्य बारबों की बजह से विमान बाहन महमूल बराबर किए जिन रेलों से मुकाबला कर सके हैं, भारतीय देशों से पहला दर्जा उठाने वा एक कारण यह भी था कि व्यवसायी और घरी लोग विमान यात्रा पद बरने हैं। माल के महमूल इतने ज्ञाने पाउण्ड या हल्के सामान के लिए पाठन्द मिन्न के मध्य में बनाए जाने हैं और प्रायः सब बस्तुओं के लिए एक ही है—दोई सास बर्गक्रिया मही है।

### विदेश महमूलों के आवारस्य सिद्धान्त

महमूलों के निर्धारण के तीन तर्फ़ संगत उद्देश्य हैं पहला, प्रतीक महमूल से सेवा की कुल लागत का कुछ हिस्सा निकले। दूसरा, प्रत्येक महमूल यातायात की अधिकतम आधिक दृष्टि से उपयोगी मात्रा को उद्दीपित करें। तीसरा, प्रत्येक महमूल से अन्य महमूलों की तुलना में लागत के उचित हिस्से की पूर्ति हो। इन प्रत्येक उद्देश्यों वे बलावा कुछ और भी चाहते हैं जिन पर विदेश महमूल तथा वरने समय ध्यान देना चाहिए। ये बातें परिवहने तर उद्देश्यों की पूर्ति से सम्बन्धित हैं जैसे परिवहन के बलावा किसी अन्य उद्योग तथा कृषि में समृद्धि को बढ़ाना, शहरी भौद्ध-भाड़ वो बम करना, वैदेशिक व्यापार का उद्दीपन, किसी बस्तु विदेश के यातायात का नियन्त्रण और बाजार प्रतियोगिता को प्रोत्याहन।

महमूल का आपार—मोटे तीर से रेलवे महमूलों का वह आवार सबसे उत्तम है जो उस सारे यातायात को उद्दीपित करे, जिसको लाने के जाने से नहा हो क्योंकि यातायात अधिक होने से परिवहन की प्रति इकाई लागत कम हो जाती और इस तरह महमूलों को कम बरना सुरक्षा बात हो जानी है तथा इस प्रवार में दो भुलभता बढ़ जानी है। (१) प्लांट के अधिक पूर्ण उद्योग के अर्थ-विधान (Economics) के कारण, और (२) वडे पंमाने के उत्पादन के अर्थ-विधान के कारण औद्योग इकाई लागत कम हो जाती है। इस बूढ़ा परिमाण उत्पादन के अर्थ विधान के कारण ही रेलवे उद्योग में बर्बंधान प्रत्यावर्त्तन (रिटर्न) या पटरी हुई लागत की विदेशी बनाई जानी है। प्लांट जिनका बड़ा होगा लागत उठनी ही कम होगी, वशर्ते कि यातायात पर्याप्त हो। प्लांट के अधिक पूर्ण उपयोग के अर्थ विधान को समझने के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि योटी अवधियों के क्रिए रेलवे

को कुल लागत कारबाह की अवेद्धा अधिक भव्य गति से बढ़ती है। ज्या ज्ञो यातायात बढ़ता है त्यो-त्यो लागत औन्न लागत प्रति टन मील (इकाई) कन हो जाती है। प्रति इकाई नियन या ऊरो लागत की कमी प्रति इकाई परिवर्ती लागत से होने वाली वृद्धि (यदि हो तो) की मात्रा से अधिक होती है। यातायात की वृद्धि के साथ औन्न लागत तब तक गिरली जायगी जब तक दक्षतम उपयोग का विन्दु (अनुकूलनम) न आ जाय और उससे बाद यह बड़ने लगेगी। वर्तमान प्लॉट का श्रेष्ठनम उपयोग होने रहने पर भी यातायात की और अधिक मात्रा चांडनीय हो सकती है। इसका कारण बहुत परिमाण उत्पादन इकाई का अर्थ विधान है जब तक प्लॉट के आकार की सीमा पर नहीं पहुँच जात-और इन अवस्था में दूसरी लाइन बनाना बहुत अच्छा हाया—तब तक रेलवे को अधिक बान लेने में लाभ होगा। जब यातायात की मात्रा कम है तब जो उचित आकार की पद्धति होगी, वह यातायात की मात्रा अधिक होने पर श्रेष्ठनम आकार की पद्धति नहीं होगी। क्योंकि प्लॉट बड़ाने में खर्च बढ़ता है, इसलिए विस्तार के बाद कुछ समय तक औसत इकाई लागत में बृद्धि हो सकती है, क्योंकि शुल्क होने वाला यातायात इतना काफी नहीं हो सकता कि अतिरिक्त सामग्री को पूरी तरह कार्यव्यस्त रख सके परन्तु अन्त में ज्यो-ज्यो यातायात बढ़ता जाता है त्यो-यो प्लॉट किर अधिक-तम उपयोग के निकट पहुँच जायगा और जब यह विन्दु आजायगा, तब औन्न इकाई लागत उत्तीर्ण से कम होगी जिन्हीं यह छोटे प्लॉट का पूरा उपयोग करने पर होगी।

रेलों का बूहदन बहुधा अनेक मार्गों का रूप लेता है। बड़े प्लॉट की अधिक मितव्यप्रियता का यह भी एक कारण है। एक रेलवे एक लाइन पर जितना यातायात करते में जो लागत लठाती है, उबल लाइन द्वारा उससे दुगुना माल ढोने में उस लागत के दुगुने से कम प्रति इकाई लागत लठाती है। एक लाइन के कार्य में स्वभावन होने वाले विलम्ब से बचा जा सकता है। यदि मार्ग को देखते हुए तीसरी लाइन बनाना उचित हो तो उसने और भी नहीं है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि रेलवे प्लॉट या परिचालन की कोई सीमा ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम रेलवे परिचालन में दक्षता निरन्तर बढ़ती जाने की आशा कर सकते थे। परन्तु एक रोकने वाला कारक है वडी प्रणाली के प्रबन्ध की कठिनाई। समूहन (प्रगिर) के कुछ आलोचकों ने समस्ति में भारत में ३४ लाइनों को इ-बड़े समूहों में बाट देने से हमारे रेलमार्गों की दक्षता कम हो गई है। जो हो, पर रेलवे मध्ये ने लोक सभा में यह स्वीकार किया था कि समूहन से रेलमार्गों की दक्षता में मुघार नहीं हुआ। निम्नलिखित कठिकाओं में रेलवे महसूलों के विभिन्न वारों या आधारों पर विचार किया गया है।

सेवा की लात—सेवा की लागत वाले बाद का अभिप्राय यह है कि रेलवे

प्रभारी का आधार वह लागत होनी चाहिए जो रेलवे को सेया बरने में उठानी पड़े। यह सीधी और तर्कसंगत बात मालूम पड़ती है परन्तु व्यवहार में यह सिद्धान्त अनुपयुक्त है। जब तक उपयोग में न आई हुई क्षमता विद्यमान है और प्लॉट थेप्टनम जारी रहता है, तब तक औसत इवाई लागत पर पूर्णतया आवारित महसूल से लाभवारक यातायात के आवागमन में रकावट होगी। किसी लागत प्रभाव में कम मूल्य वाली परन्तु आवार और भार में बड़ी वस्तुओं पर महसूल बढ़ाने होंगे और ऊंचे मूल्य की वस्तुओं पर महसूल घटाने होंगे। इस प्रकार का पुनर्मजन अवाछनीय होगा यद्योऽकि इससे यातायात की कुल मात्रा घट जायगी औसत इवाई लागत चट जायगी और कुछ अवस्थाओं में रेलों का परिचालन ही असम्भव हो जायगा। ऊंचे भूल्य की वस्तुओं के प्रेषण में बृद्धि हो जायगी। परन्तु यह बृद्धि कम मूल्य की वस्तुओं के संचलन में कमी हो जाने से होने वाली न्यूनता के मुकाबले में बृद्धि न रह जायगी। इसका कारण यह है कि ऊंची कीमत वाली वस्तुओं के परिवहन की मांग आधारणतया अधिक अप्रत्यास्थ (इनेलास्टिक) है। अप्रत्यास्थता जितनी अधिक होगी, महसूलों में परिवर्तन से यातायात की अनुश्रिया उतनी ही कम होगी। इसी प्रकार, मांग जितनी कम अप्रत्यास्थ होगी, अनुश्रिया उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा, सब वस्तुओं पर महसूल बराबर कर देने पर वुनियादी चम्तुओं का स्थानातरण कम होगा और विलास वस्तुओं का परिवहन कम होगा। बच्चा सामान या पश्यर का कोयला, जिसे निर्माण कारखानों पर पहुँचने के लिए बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, रेल से ढोया जाका बन्द हो जायगा। दूसरे सिफं लागत पर आधारित महसूल देश के एक्सार विकास में रकावट ढालेंगे। दूरी के अनुमार होने के कारण य महसूल अवसर की समानता में रकावट ढालेंगे। जो उद्योग अपने बाजारों के निकट होंगे, उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और जो दूसरे स्थानों में होंगे, वे अवरुद्ध हो जायेंगे।

यदि सिफं लागत पर बनाए गए महसूल लाभदायक भी होते (जो वे नहीं हैं), तो भी वे महसूली करने के अलावा और किसी ढग से लागू किए जा सकते। सेवा की सिफं आउट आप पौकेट लागत वस्तुतः निर्धारित की जा सकती है। सिद्धान्तत यह उस विशेष दुलाई की विशेष लागत है जिसका महसूल यताया गया है। परन्तु खास कोर से यह सेवा की एक अधिक बड़ी इवाई, जैसे अनिवारित नैगमन यागाड़ी की अतिरिक्त लागत है। परन्तु दोनों अवस्थाओं में महसूल ऐसे ढग से निर्धारित करना नारानभी होगी जिसमें वे सिफं निर्धारणयोग्य लागत की ही पूर्ति कर सकें, यद्योऽकि उपयोग-रत क्षमता की अवस्थाओं में सामान्य खर्च नहीं निकलेंगे। ये खर्च किसी न विसी रीति से डालना आवश्यक है और लागत का कोई ऐसा वैज्ञानिक सरीका नहीं जिससे यह उन पर बढ़ा जा सके। यदि उत्पादन क्षमता यातायात से प्रिल्लुल समजित होती तो महसूल लागत पर तथ्य कर दिये जाते, पर क्षमता और अवसाय

को सनुलिन करना कठिन है। लागत सेवा करने ने पहले ही हो जाती है जिसके कारण यह जानना कठिन है कि यातायात की विशेष इकाई के परिचालन में वितनी लागत आयेगी। यह उपर्यन्त सिर्फ मन्मरण के दहलू पर बल देती है और मात्र के पहलू को नज़रन्दाज कर देती है। यद्यपि यह निष्कर्ष निकालना तर्क समर्त प्रवाहित होता है कि पृथक्-स्थानक महसूल पूरी तरह लागत पर आधारित नहीं हो सकते, तो भी लागत का सिद्धान्त महसूल निर्धारित करने में दो बारणों से एक महत्वर्ण घटना है। प्रथम तो लागत विशेष या आउट आफ पौकेट लागत अपर्याप्त महसूल की निवारी सीमा स्थिर कर दती है क्योंकि आउट आफ पौकेट वह लागत है जो न भी उठाई जायगी जब कोई विशेष डुलाई हो, पर विशेष डलाई न होने पर वह नहीं होगी। इसलिए स्पष्ट है कि कम खर्च ढालना बुद्धिमता नहीं। इससे तो व्यवसाय छोड़ देना फायदेमन्द होगा। आउट आफ पौकेट लागत से नीचे महसूल सारे समाज तथा रेलवे का दृष्टि से जलाभक्त होगे। उनके परिमाण-स्वतंत्र उदादन की (जिसमें परिवहन भी शामिल है) पूरी लागत से कम पर मिलेगी। दूसरी बात यह है कि लागत विशिष्ट महसूलों को समजित करने की दृष्टि से महत्वर्ण है, क्योंकि इससे सब महसूलों से होने वाली कुल आयका निर्धारण होता है। कुल लागत खास महसूलों को निश्चित रूप से तय नहीं करती, पर इसका उस पर प्रभाव पड़ता है।

**सेवा का मूल्य—**इस उपर्यन्त का अर्थ यह है कि ऐसा महसूल लिया जाये जो यातायात दे सके। उदाहरण के लिए, यदि नमीगढ़ की खानों में बोयला (१०) रुपये टन हैं और बम्बई में रेलवे भरणाट (wharf) पर २०) बोस रुपये टन हैं तो स्पष्ट है कि कोयला व्यापारी (१०) ६० टन से अधिक महसूल नहीं दे सकता। इस आधार पर महसूल प्रभेद के सिद्धात (Principle of discrimination) के बनासार तय किये जाते हैं। वे इन्हें ऐसे तय किए जाने हैं : (१) क्योंकि प्रत्येक सेवा की माँग की प्रत्यास्थना एक सी नहीं होती, और (२) क्योंकि माँग कीमतों के एकाधिकार और स्वतंत्रता से प्रत्यास्थना की विभिन्नताओं पर विचार करना सम्भव हो जाता है। अगर सर्विस की माँग की प्रत्यन्धता एक हो तो दरे आउट आफ पौकेट खर्चों के बनार की सीमा तक अलग-अलग होगी और प्रयोक्त बन्नु या ढलाई का साज़ी लापन में आनुपातिक हिस्ता होगा। पर सब मार्ग इकाई प्रदान्यन्ता की नहीं होती और जिन सेवाओं ने कौरें अन्त्यास्थ देती हैं उनके महसूल जकेन्या ऊंचे रखने जा सकते हैं और जिनमें माँगों प्रत्यास्थ हैं, उनमें महसूल कम होना चाहिए। मान दीमतें, की गई सेवा के मूल्य पर निर्भर होती है। सेवा का मूल्य प्रत्येक रिपर या प्रेयक के लिए की गई विशेष सेवा के आधिक परिमाण का निर्देश करता है। आवश्यक नहीं कि यह वही राशि हो जो रिपर दात्तव्रत में देता है। यह वह राशि है जो आवश्यकता होने पर वह स्थानान्तरण से विरत हो जाने के

वजाय देना पसन्द करेगा। यथार्थ माप की दृष्टि से सेवा का मूल्य माग की अधिकतम कीमत के तुल्य है, अथवा उस उच्चतम महसूल के तुल्य है जो लेने पर यातायात की हानि न पहुँचेगी।

निरी शौकिया मुसाफिरी यात्राओं को छोड़ कर और सब परिवहन सेवाएं ध्यावसायिक बारणों से खरीदी जाती है और यिसपर जो अविकृतम् महसूल बदा करेगा, वह पृथक् लाभ की उस मात्रा पर निर्भर है, जो उस प्रेषण के परिणाम स्वरूप बसूल होने की आशा है। तत्कालिक अर्थ में यह लाभ उद्गम के स्वान और गन्तव्य स्थान पर बस्तुओं के मूल्य में जो अन्तर है उस पर निर्भर है, जैसा कि उपर कोयले का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। विसी बस्तु के लिए परिवहन की मांग इसी कारण पैदा होती है योकि स्थान स्थान पर मूल्यों में अन्तर होता है। मूल्यों का अन्तर अनेक बारणों से होता है जिनमें एक कारण स्वयं परिवहन भी है। अगर रेलवे या परिवहन के अन्य विसी माध्यन को एकाधिकार प्राप्त हो, यदि वह सरकारी प्रतिवर्त्य के बिना या सम्भवित प्रतियोगिना के भय के बिना, मुक्त रूप से अपनी सेवाओं की कीमत तय कर सके और यदि वह सब प्रेषकों के तब ढुलाई की बस्तुओं के मांग मूल्य जान सके तो इन परिस्थितियों में रेलवे सेवा के पूरे मूल्य के वरावर महसूल लेकर अधिकतम लाभ उठा सकता है। इस में अवस्था प्रत्येक बस्तु के लिए प्रत्येक प्रेषक के लिए और उनी बस्तु की विभिन्न ढुलाईयों के लिए पृथक् महसूल रखना होगा। परन्तु सेवा के मूल्य का विद्यान्त सर्ती से लागू करने के लिए आवश्यक अवस्थाएं मौजूद नहीं हैं।

तो भी महसूल निर्धारण में सेवा का मूल्य का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें महसूलों की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट बरने में महायता मिलती है। तहमूल उच्चतम मांग कीमत से नीचे हो सकता है परन्तु इससे ऊपर नहीं हो सकता। अब तब कोई यातायात होता है तब तब यह स्पष्ट है कि महसूल कुछ प्रेषकों के लिए सेवा के मूल्य से कम है। यदि यातायात नहीं होता तो यह महसूल सभी प्रेषकों के लिए सेवा के मूल्य से बिक्र हो जाता। इस प्रकार सेवा का मूल्य कारबाह की मात्रा में निकट सम्भव रखता है। इसका दूरी से भी अनिर्दिष्ट सम्बन्ध है। सेवा की लागत दूरी की दृढ़ि के साथ बढ़ जाती है, पर कोई कारण नहा कि सेवा का मूल्य भी इसी सरह बढ़े। महसूलों में दूरी की उपेक्षा करने का एक कारण यह है कि दूरी की दूरी और सेवा के मूल्य में कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है।

यातायात के लिए सही प्रभार लागू करना—यदि विसी रेलवे के महसूल और प्रभार पूरी तरह में वा की लागत पर आधारित नहीं हो सकते तो वे उसी तरह सेवा के मूल्य पर भी आधारित नहीं हो सकते। सेवा की लागत अधिकतम महसूल का निर्धारण करती है और प्रेषण के लिए वो ही दूरी सेवा का मूल्य युक्तिवृक्ष महसूल या प्रभार को अधिकतम बनाता है। इसलिए रेलवे और अन्य बाह्य यातायात

द्वारा सह प्रभार लागू करने के मार्ग पर चलते हैं। इस सिद्धांत का कई प्रकार से निवंचन किया गया है। कभी कभी इसे बताद्धरण (extortion) का साधन कहा जाता है और कभी इसे भार कम करने का उपाय कहा जाता है। प्रथम है कि यह गड़बड़ी इस तथ्य से पैदा होता है कि यातायात के लिए सह प्रभार लागू करने का सम्बन्ध सेवा के मूल्य से है और वह प्रभार एकाधिकार कीनन निर्धारण के टग का है। बहुत बार उस ‘यातायात के लिए सह’ —जो सेवा का अधिकतम मूल्य है— समझ दिया जाता है। यातायात के लिए सह प्रभार लागू करने का एकाधिकार के अर्थ में यह मतलब है कि वे महसूल जिनसे अधिकतम शुद्ध फल हो। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक ग्राहक से यातायात अधिकतम दैसा अवैद्य ले लिया जाय। इसके विपरीत कुछ विशिष्ट नीमा के अन्दर लागू होने वाले महसूल खास वस्तुओं या वस्तुओं की अधिपति के लिए होने हैं, व्यक्तिया के लिए नहीं। महसूल कुछ सम्बद्ध प्रेषणों की माँग कीमता से ज्यादा ज्यादा है, परन्तु महसूलों का यातायात की मात्रा पर जो प्रभाव होता है, उसे देखने हुए अधिकतम लाभ उठाने के लिए अधिकतर सेवाओं के बासे वे माँग कीमतों से नीचे होते।

अधिकतम लाभदायक महसूल सेवा की माँग की प्रत्यास्थना पर निर्भर है और प्रथम स्थिति पर एकाधिकार और प्रतियोगिता का प्रभाव पड़ता है। एकाधिकार वाले कारबार पर महसूल यह देखकर लगाये जायेंगे कि इतना महसूल लगाने से यातायात नष्ट न होगा। उसमें सबसे अधिक लाभदायक महसूल प्रथमत वस्तु की प्रवृत्ति के अनुसार तय होता है। प्रतियोगिता वाले कारबार में यह देखकर महसूल तय किये जायेंगे कि अधिकतम इतना महसूल लागू कर देने से यातायात की दिशा में परिवर्तन न होगा। इस प्रकार नियन्त्रक कारक वह महसूल है, जो दूसरा प्रतियोगी लागू करता है।

इस सिद्धान्त की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि औसत इशाई लागत से निचे महसूलों पर दिया गया यातायात दूसरे यातायात पर महसूल बढ़ा देता है। दूसरे शब्दों में, कम महसूल वाला कारबार अधिक महसूल वाले के सहारे पर चलता है। यह परायणी होता है यह आलोचना आवश्यक रूप से मात्र नहीं। तथ्य तो यह है कि कम महसूल वाली वस्तुएँ कॉर्चे दर्जे की वस्तुओं का महसूल नीचे रखती है जब तक नीचे महसूल बारट बाफ पोकेट खर्चों से अधिक आनंदनी कराने हैं, तर तक वे रेलों के लाभ में बढ़ि रखते हैं। इस लाभ के न होने पर रेलों को कॉर्चे दर्जे की वस्तुओं पर महसूल बढ़ाने होते, अन्यथा कारबार ढोड़ना पड़ेगा। रेलों के बारं से सब जाह पर प्रकट होता है कि कॉर्चे दर्जे के यातायात की अधिकतम आय भी इनी अधिक नहीं होती कि सब खर्चे पूरे हो सकें। इसलिए यातायात के लिए सह प्रभार लागू करना न बैचल बनाद्धरण का साधन नहीं है, बहिक दूसरी ओर यह भार कम करने का उपाय है। लाभ की दृष्टि से भी यातायात द्वारा सहना वाला सिद्धांत बहुत बच्छा है वरन् कि कुल लाभ पुक्कियुक्त स्तर

पर हो। असली लक्ष्य, अर्थात् महसूल कम और कारबार अधिक व्यापार में रखने हुए निवले दर्जे की वस्तुओं के लिए महसूल कम और ऊचे दर्जे की वस्तुओं के लिए महसूल अधिक होना चाहिए, पर लक्ष्य है कि यातायात की प्रत्येक वस्तु उपरी व्याप में कुछ हिस्सा बटाये, चौहे उसकी राशि थोड़ी बयो न हो। सभ ऐपको में न्याय का दृष्टिगति में यह कह दिना उचित होगा कि उन्हें निर्कं इसी कारण ऊचे महसूल अदा करने को धारित न करना चाहिए क्योंकि व अदा कर देंगे। अधिक अदा अदा करने वाले यातायात पर महसूल की ऊपरी सीमा वह लागत होनी चाहिए जो मिफ़ं उस यातायात के लिए परिवहन करने पर आवंगी।

भारत में परिवहन

भारत में सड़कें और पहियेदार गाड़ियां चार हजार ई० पू० में भी थीं। यद्यपि स्वरं युग में भारत की सड़कों की स्थिति भसार के अन्य देशों की अपेक्षा अच्छी थी, परन्तु भीजूदा सड़क प्रणाली आनुनिक परिस्थितियों के लिए मर्दाना अपर्याप्त है। भसार में सड़कों की लम्बाई दृष्टि से भारत का स्थान सबसे नीचे है। जो सड़कें म्युनिस्पल सड़कें नहीं हैं, उनकी कुल २,५०,००० भील लम्बाई में से सिर्फ ३३% से ऊपर पवकी है और ११००० भील लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। मोटर गाड़ियों की लम्बाई सिर्फ १,८१,००० भील है परन्तु आजादी के बाद सड़कों के निर्माण और रख-रखाव पर अधिक ध्यान दिया गया है। पचवर्षीय योजना और राज्य सड़क उन्नति योजनाओं में सड़क निर्माण पर बल दिया गया है। इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है यद्यपि बहुत कुछ करना बाकी है। मोटर परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है।

भारत की रेलवे प्रणाली, जो ३४००० मील से बहुत अधिक लम्बी है, सरकार में चौथे नम्बर पर है, और एशियामें पहले नम्बर पर है। भारत में शुल्क में रेल मार्ग त्रिटिय वस्तुनियों ने बनाए और वित्तपोरिति किये थे और उन्हें सरकार ने पूँजी-नियोजन पर ५% व्याज तथा मुख्य भूमि की व्यवस्था बरने की गारंटी दी थी। पिछली शताब्दी के अन्त तक गारन्टी शुद्ध वस्तुनिया भारत सरकार पर ७६ करोड़ रुपये का भार टालती थीं, क्योंकि वस्तुनियों को इन्हाँ लाभ नहीं होता था कि वे ५% का गारन्टी किया हुआ व्याज अदा कर सकें। परिणामतः एक वर्ष बम्पेटी की निपारिति पर सरकार ने अपनी वस्तुनियों को सरीदरने की नीति को त्वरित कर दिया और १९२८ में रेलवे वित्त संचारण वित्त से पृथक बर दिया गया। दूसरे महायुद्ध के दिनों में रेलों को उनकी घटपता में विविध स्तंभाल किया गया और राष्ट्रीय सरकार के हाथों में रेलवे प्रणाली जीणावस्था में आई, परन्तु आजादी के बाद से भारतीय रेल कोलम्बो योजना बादि अनेक योजनाओं के अधीन मिल रही वित्तीय सहायता से पुनः शक्तिशाली बर रही है और आगा है कि उन्हें बहुत सी व्यवस्थाएँ बनाए जाएंगी।

तथा ग्रामीण संगठन का वैज्ञानिकीकरण कर दिया गया है। सब रेल मार्गों पर भाड़े एक से हो गए हैं, और एक वस्तु के लिए विभिन्न मार्गों पर महसूल की विपरीत हटा दी गई है। इच्छा ढालने की हृसमान (टेलिस्कोपिक) योजना को कार्यान्वयित करने की दृष्टि से असन्तत दूरी प्रणाली (discontinuous milage system) को उठा दिया गया है, और अब सब रेल मार्ग एक रेलवे प्रणाली माने जाते हैं। ३४ लाइनों को मिलाकर इन छ समूहों में बाँट दिया गया है—उत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्यवर्ती रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, और उत्तर पूर्वी रेलवे (हाल में ही उत्तरपूर्वी रेलवे को दो पृथक समूहों में बाँट दिया गया है)।

नौकावहन (Shipping) के क्षेत्र में भारत के पास लगभग ४००० मील लम्बी तट भूमि है और इस देश का भारत महासागर में केन्द्रीय स्थान है। भारत में पांच प्रमुख बन्दरगाह हैं—दम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और विशाखापटनम और ३९ छोटे बन्दरगाह हैं जिनमें से कुछ को अब उन्नत किया जा रहा है। दम्बई का बन्दरगाह सासार के सबसे बड़े और सुरक्षित बन्दरगाहों में है। परन्तु आजादी से पहले भारतीय व्यापारिक जहाजों की तटीय व्यापार में सिर्फ २५-३०% और समुद्र पार के व्यापार में २% से भी कम हिस्सा मिलता था। भारत द्वारा स्वामित्व-कृत जहाजों की स्थिति और भी खराब थी। आजादी के बाद भारतीय जहाजरानी ने अपने अनीत शोरव को पुनरुज्ज्वलित करना शुरू किया है और अब सरकार जहाजरानी और जहाजनिर्माण में गहरी दिलचस्पी ले रही है। दो कारपोरेशन, जिनमें ५१% शेयर सरकार के हैं, बनाये गए हैं। विशाखापटनम जहाज निर्माण याड़ पर सरकार ने अधिकार कर लिया है और वह अधिकाधिक जहाजों का निर्माण करना चाहती है।

वायवीय परिवहन की उन्नति के लिए भारत विशेष रूप से उपयुक्त है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण उसकी स्थिति अद्वितीय है, क्योंकि बहुत से विश्वमार्गों को इस देश से गुजरना पड़ता है। विश्वमार्गों के अलावा भारत का विस्तृत राज्य क्षेत्र वायु सेवाओं के विकास के लिए विशेष उपयुक्त है। वाणिज्य केन्द्र एक दूसरे से काफी दूरी पर है और वायु परिवहन से मूल्यवान् समय की काफी बचत हो सकती है। यह बात विचित्र लगती है परन्तु है सच, कि सासार सबसे पहली सरकारी हवाई डाक भारत में १९११ में इलाहाबाद की प्रदर्शनी के सिलसिले में लेजाई गई थी। नागरिक उद्योग के विषय में सरकार की हाल की प्रस्तावनाओं वा लक्ष्य ऐसी भेवाओं की एक प्रणाली बनाने की योजना निर्माण करना है जो सारे भारत के सामाजिक, वाणिज्यिक और जौदाओंगिक लाभ की दृष्टि से आधुनिक परिस्थितियों में आवश्यक है। देश के विभाजन के बाद कुछ नई कम्पनियों को लाइसेन्स दिए गए थे और १९४९ में भारत सरकार ने टाटा सम्पर्किंग के साथ मिलकर वैदेशिक सेवाओं के लिए एमर इंडिया लिमिटेड का आरम्भ किया। दो कम्पनियों ने पूर्व की ओर भी वैदेशिक सेवाएँ शुरू की, परन्तु कोई भी

कम्पनी अपनी लागत न निकाल सकी। एक बायु परिवहन जांच समिति नियुक्त की गई जिसने सितम्बर १९५० में प्रतिवेदन दिया। समिति ने देखा कि एयर इंडिया के बलाचा और सब कम्पनियाँ हाति उठा रही हैं और सरकार द्वारा पेट्रोल के सीमा-शूल्क में दिये जाने वाले आशिक अपहार (रिवेट) की छोड़ दिया जाय तो इस कम्पनी को भी हानि होती। व्यांकि सरकार सब बायुमार्गों को आर्थिक सहायता दे रही थी और वित्तीय सहायता के बावजूद सब कम्पनिया हानि उठा रही थी, इसलिए सब कम्पनिया को सरीद लने का निश्चय किया गया। अत १९५३ में भारत में बायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया।

## अध्याय २८

# वस्तुओं का वितरण

## DISTRIBUTION OF GOODS

वे चना या विक्रय आधुनिक अर्थ व्यवस्था में विपणन का एक बहुत महत्वपूर्ण और व्यवसाध्य काम है। सब लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि कम लागत पर अधिक विक्री होनी चाहिए। वितरण की लागत में ये चीजें शामिल हैं—(१) निर्माण के स्थान से वस्तुओं को उपभोग के स्थान पर पहुँचाने की लागत; (२) स्टाक को वित्तपोषित करने और एकत्र करने की लागत, और (३) विक्री की वास्तविक लागत जिसमें विक्री नियन्त्रण, विज्ञप्ति, विक्रीवर्धन, सेल्समैन और उनका प्रशिक्षण, बाजार अनुसंधान, अभिलेख इन्वान और उपभोक्ताओं की सेवा की वास्तविक लागत। यह हिसाब लगाया गया है कि ये सब लागतें, उपभोक्ता वस्तु की ओर कीभत देता है उसकी ५०% होती है। विक्री के अन्तर्गत माय पैदा करना, शहृक तलाश करना, कीभत की बात-चौत करना, और विक्री की अन्य शर्तें भी शामिल हैं।

**मार्ग पैदा करना**—मार्ग पैदा करने से हमारा आशय यह है कि लोगों में वस्तुओं की अभिलापा पैदा की जाय। अभिलापा तभी पूर्ण हो सकती है जब उसके साथ पैसा देने का भी सामर्थ्य हो। अभिलापा और सरीदाने की सामर्थ्य मिलकर मार्ग बहाते हैं। सिफ अभिलापा से वस्तुओं की विनी नहीं होनी, पर तो भी इससे एक ब्राइड के मुकाबिले में दूसरी ब्राइड विक सकती है, और एक चीज के मुकाबिले में दूसरी चीज विक सकती है। दूसरी बात यह कि आर अभिलापा पैदा हो जाये तो आइसी उसे पूरा करने के लिए अधिक मैहनत से काम कर सकता है। इस प्रकार, अभिलापा रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने में बड़ा प्रबल घटक है। क्यों कि हम प्राय इनी वस्तुएँ पैदा कर सकते हैं जिन्होंने उपभोक्ता सरीद नहीं सकते, इसलिए वे चने वालों को यह यत्न करना पड़ता है कि लोगों में उनको वस्तु के लिए इच्छा पैदा हो। बाजार में नई-नई चीजें आनी हैं और ये कि उपभोक्ताओं को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं, इनलिए उनकी इच्छा जागृत करने के लिए उन्ह वस्तुओं के बारे में सब बात बतानी चाहिए। हर क्षेत्र में बहुत से उद्यादक हैं और प्रत्येक को यह यत्न करना चाहिए कि लोग उनको वस्तुओं को औरों की वस्तुओं से अधिक पसंद करें। मार्ग व्यक्तिगत स्पष्ट से विक्री करके विज्ञापन, वस्तुओं के प्रदर्शन, प्रत्यक्षीकरण (Demonstration) और साधारण दिक्षात्मक काम या प्रकाशन द्वारा पैदा की जा सकती है। परन्तु वास्तविक विक्री करने से पहले बाजार

की हितति को समझ लेना सर्वथा आवश्यक है बयांि जोखार विक्रीदारी और आमक प्रचार द्वारा अनुचित विनी कुछ समय के लिए तो बनाई जा सकती है पर उसे देर तक कायम नहीं रखा जा सकता, वयोंकि प्रत्येक विक्री खरीदने वाले को एक ऐसी वस्तु देती है जो उसे यह बताने लगती है कि उसने इसे खरीदने में क्या गलती की है। इस प्रकार एक ऋणात्मक विज्ञापन और ऋणात्मक वित्रप्रचारात्मक की ताकत पैदा हो जाती है जो अपने आप ही विक्री में रकावट डाल देती है। इस प्रकार की रकावट से वधने के लिए उन कारबो दा पूर्ण अध्ययन बरना चाहिए जो विषयन कार्यक्रम की सफलता या विफलता का पैमला बरते हैं। इस प्रकार बेचने वाले को वस्तु के गुणधर्मों और जनना की आवश्यकताओं इच्छाओं और मार्गों का पूरी तरह पता होना चाहिए। उसे छिपी हुई माँग, उपभोक्ता की अभिरुचियों, आदतों और वस्तुओं के लिए पैसा खेच बरने के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए आरम्भिक अनुसन्धान वी योजना करनी चाहिए। वही बार इस आरम्भिक अनुसन्धान और बाजार गवेषणा में भ्रम हो जाता है, जो इस अनुसन्धान का सिफ एक हिस्सा है। बाजार गवेषणा या मतलब सिफ बाजार या अध्ययन है और इस प्रकार बाजार के विश्लेषण से प्रवट होता है कि क्या चीजें विकरी हैं। इस प्रारम्भिक अनुसन्धान में विक्री प्रबन्धक को ये बातें जाननी हांगी।

- (१) क्या चीज बेचनी है—उत्पाद विश्लेषण,
- (२) किस के हाथ बेचनी है—बाजार गवेषणा या उपभोक्ता विश्लेषण,
- (३) किसी चीज बेचनी है—विक्री आवश्यक,
- (४) किस बीमत पर बेचनी है—पूर्वानुमान और कीमत खन,
- (५) किन भागों से वह बेच सकेगा—व्यापारसंगियों का अध्ययन।

**उत्पाद विश्लेषण**—सब से पहले विक्री प्रबन्धक को यह मालूम होना चाहिए कि वह क्या चीज बेचना चाहता है। उसे अपनी वस्तु का उन सब विशेषताओं की दृष्टि से पूरा अध्ययन बरना चाहिए जिनके कारण उपभोक्ता इसे उसके प्रतिस्पर्धी की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य समर्थन करता है। इस प्रकार का अध्ययन मित्रव्यविता, दृक्षता, टिकाऊपन, सुविधा, बाम में लाने की सरलता, सधानितरूप, उपयोग में आसानी से आसाना, बाह्यरूप की आकृपक्ता और मरम्मत की आसानी के दृष्टिकोण से बरना चाहिए। उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि वह वस्तु आवश्यकता की चीज़ है या विशेषताजनक चीज़ है। पात्र (वर्टेनर) या पुढिधा (वर्केन) के स्वरूप का भी अध्ययन बरना चाहिए और प्रतिस्पर्धी की वस्तुओं में तुलना बरनी चाहिए। वस्तु परिवर्तन बरने की भूमिका बना दूष वस्तुओं की जगह बैसी ही अधिक विक्री सबने वाली और वस्तु लाने पर भी विचार करना चाहिए। उत्पाद विश्लेषण के काम को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं की आवश्यकता वा भी अध्ययन करना चाहिए। परन्तु इस विश्लेषण को बाजार गवेषणा समझने के भ्रम में न पड़ना चाहिए क्योंकि दोनों चीजें मिन्न-भिन्न हैं। बाजार गवेषणा से यह

पता चलता है कि क्या चीज विक्री है और इसका लक्ष्य मोतूदा माँग को पूरा करना है, जब तिने उपभोक्ता की वापसीकरण के विशेषण में यह पता चलता है कि क्या चीज देवी जा सकती है। उत्ताद विशेषण के मिलतिरे में थोटी सी बन्धुओं या आकारों, शैलियों, रंगों, या पुष्टियों के थोड़े से क्षेत्र में उत्पादन के प्रभावित करने दशता बढ़ाने की सम्भावना पर भी ध्यान देना चाहिए।

**बाजार गवेषणा या विशेषण—उत्ताद और उपभोक्ता की विस्म में बड़ा भारी सम्बन्ध है।** विक्री प्रबन्धक को अपने ग्राहकों का सम्भव ग्राहकों का काफी एक में प्रभाव प्रक्षेत्र या वर्गों में विशेषण करना पड़ता है और प्रत्येक प्रदृष्ट की आवेदित आवृत्ति निकालनी पड़ती है। बाजार के प्रध्यम में उसे पता चल जायगा कि वह धनिक वर्ग, मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग में मिलता है। यदि तीनों वर्गों का पता चल जाय तो प्रायेक वर्ग की सम्भ्या तथ्य करने के लिए सम्भ्यामुक अव्ययन करना चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि बाजार याडम्बर विषयों का है या गवान लोगों का, इस वस्तु को कौन उपलेखार करता है और इसे इम वस्तु के उपयोग की आइन डाली जा सकती है। यह दखलकर बाजार की सम्भावना का विश्वापन करना चाहिए कि सम्भव उपभोक्ता के पास धन है या नहीं, यह बन्धु एक विशेष वर्ग को बेचने योग्य है या नहीं। यदि वस्तु में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो इसे प्रतिवेदी बन्धुओं में बोर्ड व्हालियन प्रशान करती हैं, तो वह मालूम करना चाहिए कि यह विशेषता विस वर्ग को सप्तमे अधिक प्रमद बारेगी। सामाजिक भेदों में बन्धुओं की विकारी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए लोगों के गीति-रिताजों, पम्बन्दतापसन्दगी और आइनों का अन्यथन करना चाहिए। इसके बाद बलायु-प्रवर्धी, औद्योगिक और हृषिक अवस्थाओं का अव्ययन करना चाहिए विद्यों कि इन तम्बा का जनना के स्वभाव पर गदा प्रभाव पड़ता है। प्रदशों के विभिन्न रूपों—नगरों, कस्बों, गाँवों—का भी विक्री पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक नगर दूसरे नगर में अपिक भूमुद्द हो सकता है। इसके बलाया, मूल्यन जिम्मेवाले में माल बेचता है, उसकी खास विशेषताओं पर भी विचार करना चाहिए। इसके बाद यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि बाजार में वड्वों, जवानों और युद्धों की इतनी इतनी सम्भ्या है और यह भी इसका चाहिए कि पुरुष अपिक हैं या नियर्यां, और इन दोनों में दूधों, जवानों और वच्चों में बड़ा अनुपान है। यह बहुत भी जानने का यत्न करना चाहिए कि क्या आमदनी में परिवर्तन में बन्धु की माँग में विश्वरूप हो जाने की सम्भावना है। विश्वरूप का अन्यथन भी उपयोगी होंगा।

**प्रथानन बाजार गवेषणा जनना का एक विशेषण है और इन्हिए इनमें उपभोक्ता की आइनों के अन्तर्गत बाल का अव्ययन किया जाता है, जिसमें यह पता चढ़ते हैं मोतूदा आइनों किस बारण दरी, वर्तमान जा—में यह जानने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं, और अविष्य में यह बड़ा तरने के लिए कि क्या हाजिरी की सम्भावना है। यह अन्यथन पांच विभिन्न दृष्टियों से दिया जा सकता है, अर्थात्**

सांस्कृतिकीय, सामाजिक, आधिक, मनोवैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय दृष्टियों से किया जा सकता है। वितरण की समस्या का सांस्कृतिकीय अध्ययन सबसे अधिक वास्तविक है और अनेक तरह से सबसे अधिक विश्वसनीय भी है। लाकड़ी का उपयोग (१) समय की प्रवृत्तियों को प्रवर्ट करने के लिए, (२) सिर्फ मौजूदा अवस्थाओं का पता लगाने के लिए, (३) भविष्य की प्रवृत्ति का अनुमान करने के लिए, (४) जात कारकों के बीच की अकात वातें जानने के लिए, तथा (५) एक तथ्य समूह या एक प्रवृत्ति की दूसरे तथ्य समूह या दूसरी प्रवृत्तियों से तुलना या सहसम्बन्ध करने के लिए किया जाता है, अर्थात् एक वर्ष की विक्री से दूसरे वर्ष की विक्री की, एक क्षेत्र की प्रति व्यक्ति विक्री से दूसरे क्षेत्र की प्रति व्यक्ति विक्री की तुलना, इत्यादि। आधिक दृष्टिकोण यह है कि यह मालूम किया जाय कि रोग एवं वस्तु के लिए कितना पैसा दे सकत है, वे अपनी धन को रहन सहन की आवश्यकताओं के लिए किस तरह बांटते हैं; और उनके पास जिन्हें वे विलास वस्तुएं और आवश्यक वस्तुएं समझते हैं, उन पर खर्च करने के लिए कितना स्पया बच रहता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि विद्यारणीय बाजार के अन्तर्भूत व्यक्तिमों को वृन्दियादी जन्मजात सहज प्रवृत्तियों और आदतों का ज्ञान-पुण्ड अध्ययन किया जाय और यह सोचा जाय कि किसी विदेष वस्तु को बेचने के लिए सबसे अधिक सफलतापूर्वक उनसे कैसे लाभ उठाया जा सकता है। विदेष से ये वातें विज्ञापन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसका उद्देश्य लोगों की वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित करता है। मानवशास्त्र मानव-जाति की आदतों और प्रथाओं तथा इसके परिवर्धन के इतिहास का अध्ययन है। इसका वैज्ञानिक वितरण की प्रविधि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जातीय आदतें और प्रवृत्तियाँ किसी ममुदाय के सामाजिक ताच में बटी गहरी गई हुई होती हैं। उनका अनुसंधान करना चाहिए।

**विक्री अवध्ययक**—जगला प्रदृश यह है कि आपने कितना माल बेचना है। यह बात बहुत हद तक इसके पूर्ववर्ती दो वारकों पर निर्भर है। इसके लिए विक्री प्रबन्धक को किसी विदेष वस्ती या बाजार में मौजूद धन के वितरण पर विचार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, उसे बाजार के आवार का पता लगाना होता है और यह देखना होता है कि मौजूदा सम्भरण सततृप्ति विन्दु पर पहुंच गया या नहीं और वह बाजार को और वारे बढ़ाने की सम्भावना है। यदि वस्तुएं बढ़िया बवालिटी की हो तो विक्री बढ़ान की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अनिक वग की वस्तुएं कम मूल्य पर निम्न और मध्यम वर्ग को बंचवार, और सम्मव हो तो बवालिटी भी धाढ़ी सी घटावर उनका प्रचार किया जाय, क्योंकि अपनी पहले चाली सीमित विक्री में उन्हें पहले ही समाज में स्थल प्राप्त हो सकता है और उसके कारण, विक्री होने में बहुत मदद मिलती। वगला प्रदृश यह है कि अगर कोई प्रतियोगी हो तो उस पर विचार किया जाय। अन्यथा एकाधिकारी होने के कारण आपकी समस्या आसान हो गई, क्योंकि आपका बाजार पर नियन्त्रण हो

कोमत तय करना और कोमत नीति

कीमत तय करना आरंभ कीमत तय करना बड़ी कठिन कीमत नीति को प्रभावित करने वाले कारक—कीमत तय करना बड़ी कठिन ममम्या है। क्योंकि मह बहुत पहले ही करना पड़ता है और इस पर बहुत-सी बातों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए विकी प्रबन्धक को कीमत नीति बनाते समय और बहुज्ञों की कीमत रखने द्वारा प्रकारों पर विचार करना चाहिए। बहुत से निर्मारक कारक उद्योग-उद्योग और कम्पनी-कम्पनी में अलग-अलग होते हैं। तो भी कुछ आमारमूल सिद्धान्त सब अवध्याओं में विचारणीय होते हैं। वे सिद्धान्त निम्न-लिखित हैं।

(१) सब बल्लुओं के बड़े और यूनिन्यून लाल की व्यवस्था करने के बाद उपनोक्ता को बल्ले की लान। नावारणतया किमी भी कम्हनी का नुकसान उठाकर बेचना ठीक नहीं, परंपरा मन्द है कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो जाय। बल्ले की विक्री को सत्र में नियमिती की लाल जिम्मे करना सामूहिक और कठरी अवधारित है, तथा प्रगतिशील और बेचने के व्यवस्था जाने वालों द्वारा व्यवजया (इन्ड्रेनियेशन), कर, व्याज आदि के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। - इनके बाद इतना काफी उन्नत रहना चाहिए कि बेचने वाले को "यूनिन्यून" लास हो जाय जिसमें ज-कवल-मालिकों की पूँजी पर उचित प्रतिकल आ जाय बल्कि उन जोखिमों की मन्त्रीत के स्वरूप में कुछ अनियन्त्रित माला भी हो जो यूँ जी के स्वामियों ने उपकरणकर्ता के हृष में उठाई है।

✓(२) दूसरी जानने योग्य वात यह है कि प्रतिस्पृष्ठियों ने इसी प्रभार की वस्तुओं की कीमत रखी है, और उसे बनाने में उन्हें क्या लागत आती है। इप्ट स्प से इसका यह अर्थ है कि जिन अवस्थाओं में वस्तु का उत्पादन होता है, उनका ज्ञान प्राप्त किया जाय। यदि उत्पादन 'बढ़ती लागत घटनी आय की' अवस्थाओं में होता है तो कीमत को प्रयासम् व नीची रखकर विश्री बढ़ाने की बोशिया करना भूलेंगा होगी। दूसरी ओर, जब उत्पादन घटती लागत या बढ़ती आय की अवस्था में होता है तब कीमत में कमी करके विश्री की मात्रा बढ़ाना निश्चित स्प से लाभदायक होगा। इन कारकों पर विचार करने से विनेता यह जान सकेगा कि क्या वह कारोबार कर सकता है।

✓(३) माँग को प्रहृति और अवस्थाओं का भी, जिनका पहले अध्ययन हा चुका है, कीमत तथ बरते हुए ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसी कीमत पर, जो कारबार को जारी रखने के लिए जावश्यक है, वस्तुओं की काफी मात्रा बेची जा सकती है? माँग का न केवल साधारण तरीके से इसकी प्रत्यास्थिता वा अप्रत्यास्थिता के बारे में विलिक सम्भावित प्राकृति की विशेषताओं, ध्याप्त मनोवृत्ति, रहन-सहन के स्तर, प्रथाओं और रुद्ध संस्कारों का विशेष ध्यान रखते हुए अध्ययन करना सब से अधिक महत्व वाला वात है। बहुत से होनहार व्यवसाय इन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, कारकों की उपेक्षा करने से नष्ट हो गए जिनका उत्पादन की लागत या माँग और सम्भरण के अमूर्त सिद्धान्तों के प्रदर्शन से बोई भी सम्भव नहीं है।

✓(४) उपर्युक्त वातों से निकट सम्बंध रखने वाला प्रश्न क्वालिटी और सेवा का है। क्वालिटी का जहाँ तक विसी विशेष वस्तु स सम्बंध है वहाँ तक यह मूर्त भी हो सकती है और अपर्युक्त भी। उपयोगिता और टिकाऊत की दृष्टि से मापी गयी वास्तविक क्वालिटी की अपेक्षा वस्तु के विशेष को प्रभावित करने में यह वात अहीं अधिक प्रभावित होती है कि विसी वस्तु के बारे में लोगों के मन में क्या विचार पैदा कर दिया जाता है। बहुधा कल्पना पर डाग दूआ प्रभाव जेव से पैसा निकलनाने में सबसे अधिक प्रभावी होता है। विसी वस्तु की विश्री के मिलसिले में की गई विशेष व्यवितमत मेवाएं वह मूल्य भी प्राप्त करा सकती है जो उत्पादन की वास्तविक लागत से बहुत ज्यादा हो यह याद रखना चाहिए कि अधिकतर लोग मूल्य के क्षेत्रकर नहीं यतीदते। सामान्य आदमी गिर्क वह चीज खरीदता है जिसकी उस आवश्यकता हो। इत्तिए निमी वस्तु का मूल्य क्या होने ही बादमी उस नहीं खरीद रेगा। वह उस हमी खरीदेगा, जब वह उमर्ही बोई व्यावसरण की पूरी बरती हो। विना सबा मूल्य के कीमत बोई आवश्यक नहीं, पर यह बोई व्यादमी कोई वस्तु देते जो उसके उपयोग में आ सकती है (पर दत्तकाल नहीं) तो उम वस्तु का कीमत इसके द्वारे खरीदने को प्रभावित करेगी परन्तु यह एक सीमा निर्धारक कार्य होगा, निश्चाप्त नहीं। कीमत के महत्व को बहुत ज्यादा नहीं समझना चाहिए।

शाहर इस बान को पहचानने हैं कि कम जीमत वाली घटिया बवालिटी की वस्तु उत्तरोगतवा सही नहीं पड़ती। बहुत नीची कीमतों को शाहक प्रयोग सदेह की निगाह ने देखने हैं। बहुत बार शाहक अपना बड़पन दिखाने के लिए कोई कीमत अदा करेगा। उसका प्रेरण भाव गौर, व की इच्छा है, जिसकी पूर्ति के लिए वह और पैसे खर्च करता है यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ हद तक एक खास प्रकार का दैनें खर्च करता है यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ हद तक एक खास प्रकार का आइटमी (आडम्बर प्रेमी या समाज में अपना बड़पन दिखाने वाला) किसी वस्तु के लिए जिनना अधिक पैसा खर्च करता है उसे उनमा ही अधिक आनन्द मिलता है।

(५) उपर्युक्त बातों के अलावा तीन बाँहें और हैं जिन्हें कीमत निर्धारित बरते हुए ध्यान रखना चाहिए। कुछ प्रकार की मोसमी वस्तुएं ऐसी कीमतों पर भी बेची जा सकती हैं जो उत्पादन की वास्तविक लागत की तुलना में लग्तर बहुत कमी हो। बहुत ज्यादा फैशनदार वस्तुओं पर भी यही बान लागू होती है। बहुत कभी विश्वी की प्रबलित या सम्भव भावा भी कीमत पर बसर ढालती है। इसी प्रकार यदि विश्वी का शूल्या देर से मिलता है तो इस तरह इसी हर्डपूजी के व्याज और जोखिम की पूर्ति के लिए कीमत बढ़ा देनी चाहिए।

बाजार की कीमतों की तुलना में उत्पाद की कीमत—उपर्युक्त विश्लेषण कर केने के बाद विश्वी भैने जर यह निश्चय करने की स्थिति में होगा इस बह (१) बाजार से नीचे, (२) बाजार दर पर, या (३) बाजार दर से ऊपर, बेचना चाहता है। पहली अवस्था में उसका उद्देश्य यह होगा कि प्रतियोगियों से कम मूल्य पर बेचा जाए और बहुत सी वस्तुएं बेचने पोड़े लाभ द्वारा अधिक शुद्ध प्रत्यावर्तन प्राप्त किया जाए। बगर दूसरी रास्ता अपनाया जाय तो प्रदृष्टि को प्रबल विज्ञापन द्वारा जोरदार विश्वी पर निर्भर होना पड़ेगा और अपने उत्पादन और दिनरात्रि की लागतों की सावधानी से जांच करनी होगी। कोई ऐसा उपाय भी अपनाना होगा, जिससे वाजार में पहुँचे से विद्यमान उस तरह को वन्नुओं से उसका विभेद किया जा सके। जब जान-बूझकर उसी बवालिटी की, पहुँचे से बाजार में विद्यमान वस्तुओं से ऊपर मूल्यों पर वस्तुएं बेचने का यत्न किया जाता है तब निर्माता या विनियोगी को जिसी खात विचेषणा पर जोर देना चाहिए, जिससे उसके शाहकों को यह अनुभव हो कि इसकी वस्तु कुछ विशेष उपयोग मूल्य प्रस्तुत करती है। क्योंकि इसका अर्थ यह है कि वह उपभोक्ता के सर्वे बरतने के सामर्थ्य में से अधिक हित्सा मार्गिना है इसलिए उसे उपभोक्ता द्वारा यह निश्चय कराना होगा कि उपाद के उपयोग मूल्य से उसकी कोई उपभोक्ता द्वारा यही हो जायगी। इन अवस्थाओं में विज्ञापन का खूब उपयोग करना चाहिए इसलिए कुल मिलाकर व्यवसायी अपनी वस्तुओं की अधिकतम उपभोक्ता के आवश्यक पर अधिक विचार करता है—यह जानता है कि ऐसे बहुत उपभोक्ता के आवश्यक पर अधिक विचार करता है—यह जानता है कि ऐसे बहुत से अधिक से ब्रेना हैं जो बहुत ऊची कीमत दे सकते हैं और दूसरे, जो उस कीमत से अधिक

होगी जो सस्ते से सस्ते मूल्य पर खरीदने वाला दगा। उसे बहुत बार इन ऊंचा खरीदने वाले ( इन्ट्रामारजिनल ) ग्राहकों को प्रभावित करना अधिक पायदमन्द होता है वशर्ते कि प्रतियोगिता उसकी कीमतों को बलात् नीचे न कर दे।

**कीमत बनाना—** एक और बड़ा मनोरजक प्रदर्शन यह है कि क्या सब ग्राहकों से एक कीमत ही जाय, या जिसमें जो मिल सके वह ही ही जाय। एक सी कीमतों वाला इनमें से बोई भी अर्थ हो सकता है सब ग्राहकों से, उनकी स्थिति का या खरीदी गई वस्तु की व्यालिटी का व्याल विषे मिला एक भी कीमत ही जाय, यह बान विसी खास वर्ग या समूह के सब ग्राहकों पर लागू हो सकती है, उदाहरण के लिए सब थोक्फरोशों को एक कीमत थताई जाती है, जो प्राय नीची होती है, और सब खुदराफरोशों को दूसरी कीमत बताई जाती है। इस एक समानता के परिणाम स्वरूप दोनों समूहों के लिए अलग अलग कीमतें हो जाती हैं। जिस क्षेत्र में मार पहुँचाना है। उसकी दृष्टि से एक समानता हो सकती है, पर यदि विभिन्न नीतों के लिए परिवहन की लागत विभिन्न हो तो अलग-अलग कीमतें लगाई जाती हैं। पिछली गूरुत्व में एक समानता रखने के लिए कीमतें एफ० औ० बी० पैकेटरी बनायी जाती हैं। विनी वी शर्तें सब ग्राहकों के लिए एक भी रक्खी जा सकती है जिसमें या तो सब को नकद पैसा चुकाना होगा, और या एक भी शर्तें पर उधार दिया जायगा। एक वस्तु के बजाय विशेषता की सब तरह भी वस्तुओं को खरीदने वाल को रियायत देकर कीमतों में अन्तर दिया जा सकता है। उन दूकानदारों को विनेप कीमतें बताई जा सकती हैं जो प्रतिस्पर्धी उपादक की वस्तुएँ न लाने का बच्चन दें। भौसम खतम हो जाने के बाद भी विनेप कीमता में एक्स्प्रेस ट्रूट जाती है। कीमतों की एक्स्प्रेस या भेदात्मक कीमता की समस्या का हट करने के लिए कर्द उपाय अपनाये गये हैं जिसमें से बूढ़ी नीच दिये जाते हैं।

**सूची और बट्टा कीमत—** सुचिया और विलाय वस्तुआ, जैसे मोटर, रेडियो, टाइपराइटर, ग्रामोफोन, दवाइयाँ आदि, में सभ्यमें अधिक प्रचलित तरीका यह है कि कीमतें नाममात्र की, या मूल्य कीमत द्वारा बनायी जानी है जो बहुत नरह के प्रतिशतकता बट्टों के भयोग से, जिहे मिट्टिकर व्यापार बहुत बहुत हैं, बदल दी जाती हैं। व्यापार बट्टा वह उपाय है जो अन्तिम ग्राहक से वस्तु की वास्तविक नय कीमत दियाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें उपभाक्ता के लिए कोई कीमत वास्तव में निलायन तय किये वस्तु की एक सी मिनी कामन बन जाती है, पर मेलमैलों और दूकानदारों का कीमत में फर्क रखने के लिए निदिचन गुजार्या मिल जानी है। यह तभ उपयाकी हाना है जब विश्री योफ्फरोश और खुदराफरोश को अलग बनाय कीमता पर दी जाती है। दूसरी विधि नकद बट्टे री है। प्राय शीत्र अदायगी पर बूढ़ा बट्टा बाट दिया जाना है। यह पढ़नि वास्तव में नकद अदायगी के लिए दिया हुआ बट्टा बहुत नहीं है। विनी देर से होने वाल नुगान पर प्रयार्जि (प्रीमियम) है। जो कीमत बचाई जाती है, उसमें व्याज और जोखिम के बदले के प्रभार भी शामिल होते हैं।

अगर नक्क भूगतान किया जाय तो वे कीमत में शामिल नहीं होने। इनका मनो-वैज्ञानिक प्रभाव तुरन्त होता है क्योंकि यह अनुभव करता है कि मैंने कम कीमत चुकाएँ।

माना बट्टे (व्हाटिटी डिस्काइन्ट) प्राप्त यह मानकर दिए जाने हैं कि छोटे की अपेक्षा बड़े आदेश की पूर्ति में अधिक लाभ है। वाप्तिविक बट्टे का निर्धारण सावधानी से करना चाहिए क्योंकि किसी भी शिथिलता से विनाशक परिणाम होने की सम्भावना है, क्योंकि विक्री की गतियों का दुष्परिणाम किया जा सकता है। जब कीमतों वेचो गए माना के अनुसार बदलनी है तब यह सलालबद्ध नुस्खे या अन्य सुदृश्यराशि खट्टारी सरीढ़ द्वारा वह कीमत पेश कर सकते हैं जो योक्त परिणाम का निर्माण सुदृश्यरोग को पेश करता है। सुदृश्यरोग वो माना बट्टा छोड़ने के परिपामस्वरूप वह जरूरत से ज्यादा सरीढ़ता है जिसका परिणाम बदा विनाशकारी होता है आपसी गत्तेफहमी और अनुचित भेदभाव को दूर रखने के लिए गामद यह ज्यादा अच्छा है कि माना बट्टे देन से इनकार कर दिया जाय।

कीमतों की गारंटी—कमी-कमी विशेष कर मौसमी वस्तुओं की अदृश्या में वेचने वाला उपभोक्ता यह मार्गदर्शी देता है कि आईंड मिल जाने के बाद या बन्दूर्ये वेची जाने के बाद कीमतों में कमी नहीं की जायगी—(१) तब तक कीमत में कमी न करने वाला रहता, जब तक भविष्य में डिलिवरी के लिए प्राप्त आदेश का माल भेज न दिया जाय, (२) यह माल की डिलिवरी की तारीख तक या जिनी निर्दिचन तारीख तक हो सकती है, (३) यह उस अवधि के लिए भी हो सकती है जिसमें साधारणतया बन्दूर्ये विक्र सकती है; या (४) यह भी हो सकता है कि इसमें सरीढ़ने वाले की विक्री कीमत का जिकन हो विक्र गारंटी देने वाले की भविष्य की विक्री कीमत का जिक्र हो। इन सब अवस्थाओं में अगर कीमत कम हो जाय तो विक्रेता जबहार (रिवेट) देता है कीमत की गारंटी के बेतान बनाए जाने हैं—

(क) इससे विक्री बढ़ जाती है, (ख) जो आदेश अग्रिम मिल जाने हैं उनहें कारण मौसमी घटनाकाल से बचा जा सकता है, (ग) वस्तुएं तेंशार होने ही भेजी जा मैंनी हैं और इस तरह चेयरहाउस का सर्व बच सकता है; (घ) कमिक बड़े काईंडर मिल सकते हैं, (इ) प्राप्त मुगानान जन्मी हो जाना है, (च) दानों में विशेषज्ञ के चम्प जाईंडर रक्त नहीं छिये जा सकते; (छ) साधारणतया बाजार की कीमतें ऐसा करते में स्थिर हो जाती हैं। योक्तप्रोग और सुदृश्यरोग की दृष्टि से ये सामन हैं—(१) गारंटी के कारण वे विक्री ही कीमतों से होने वाली हानि से बच जाते हैं; (२) इसमें वे जाने आड़े कानी पहले देने का यस्त करते हैं और इस तरह माल पूँछने में विलम्ब होने में बच जाते हैं।

(३) इन तरह योक्तप्रोग खोल्खिम में कमी हो जाने के कारण बहुत योंदे

नके पर वस्तुएँ ले सकता है। इससे उपभोक्ता के लिए भी कीमत बढ़ हो जाने की सम्भावना हो जाती है।

गारन्टी शुद्ध कीमत की पद्धति के विषय में कुछ ये दलीलें हैं— (३) यह आशा करना अनुचित है कि निर्माता थोक फरोश और खुदरा फरोश की हिसाजत करे जब कि वह स्वयं ही मुरागित नहीं है, (४) इस पद्धति से कीमतें विलकूल नवलीडग ने ऊंची रही, (५) इससे अति उत्पादन, अतिक्रयण, सट्टे के वास्ते खरीद के लिए प्रोत्साहन मिलता है (६) इसमें लेसाइन और परिव्ययन के लिए एक बड़ा सिरदर्द पैदा हो जाता है। सचमूच यह निर्णायिकाओं को बहुत नियमित करने का घटिया तरीका है। अधिकतर निर्माता इस पद्धति को अच्छा नहीं समझते।

**कीमत सधारण—** सक्षेप में कीमत सधारण निमाता द्वारा पुन विनी की कीमत के नियन्त्रण को कहते हैं। आज कल निर्माता उस कीमत पर प्रतिवध लगाने तक है जिस पर खरीदने वाल (थोकफरोश या खुदराफरोश) दो विस्ती विशेष त्रैड, बारी राइट या प्रतिलिप्य अधिकार व्यापार चिन्ह आदि की वस्तु पुन बेचने का अधिकार है। निर्माता के दस्टिकोण से इस चलन का खास अर्थ है। ब्रांड वाली वस्तुओं का बहुत अधिक विनापन किया जाता है, जिससे उपयोगिता और प्रचलित कीमतों का अधिकतर ग्राहकों को पता होता है। जहाँ ये वस्तुएँ कुछ बढ़ कीमत पर मिलती हैं, वहाँ ग्राहक पर उनके सम्पन्न का मुनिश्चित प्रभाव पड़ता है। इसमें उत्पादक के बारवार दो क्षति पहुँचती हैं। अन्तिम ग्राहक से लेने के लिए एकमी कीमत तय कर लेने से ग्राहक ठगा नहीं जाता और आपसी दुर्भाव नहीं पैदा होते।

**वितरण की सरणिया—** उत्पादक वई सरणियों से अपना माल वितरण कर सकता है। वह थोकफरोश के जरिए वेच सकता है, जो फिर खुदराफरोश को देता है, और खुदराफरोश अनिम उपभोक्ता को बेचता है। यह वितरण की तथा व्यवस्थित रूप पद्धति है। दूसरी पद्धति यह है कि सीधे खुदराफरोश को बेचा जाय और वह अतिम उपभोक्ता को बेच। वितरणनिर्माता के एजेंट द्वारा भी किया जा सकता है जो जौवर, थोकफरोश दलाल खुदराफरोश या अतिम उपभोक्ता को बेच सकता है। निर्माता अपनी विक्री की दूराने अनेक नगरों में खोल्कर सीधे खुदरा विक्री कर सकता है। अन्य व्यापारसरणियों का उपयोग करते हुए फैब्रिरी से सीधे बेचना या सीधे डाक बादल पद्धति अपनाना भी लाभदायक है। सरणियों का चूनाव वस्तु, बाजार जी अवस्थाओं, खरीदने की आदतों आदि अनेक कारकों पर निर्भर है। जहाँ तक उन वस्तुओं का सम्बन्ध है, जिन्हे आम जनना अपने खच या उपयोग के लिए खरीदती है, अन्य बातें समान होने पर, कुछ वस्तुओं के लिए प्रचलित पद्धति यह है कि थोकफरोश के जरिये खुदराफरोश को माल बेचा जाता है। ये वस्तुएँ मुख्य उपयोग की वस्तुएँ होती हैं, विशेष बारे जो

इक्षुठो बहुतसी बेचो जाती है, जो अप्रमाणित होती है, और जिनके लिए किसी श्रेष्ठीयन्धन की आवश्यकता नहीं होती, जिन वस्तुओं के सिलसिले में किसी विरोप सेवा या प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं जिन वस्तुओं की कोई आड़ नहीं और जिनका विनापन नहीं किया जाता, जो वस्तुएँ जपने विरोप वर्ग में बहुत थोड़ी आवश्यकताएँ पूरी करती हैं, वे वस्तुएँ जिनकी माँग अस्थायी अनिश्चित और विकी हुई होती हैं या जहा शंखी, फ़ैन या कीमत में परिवर्तन की जोखिम बहुत होती है। योनफरोज़ के जरिये व इन्हें जौर सीधे खुदराकरोग हो न देचने का साधारण नियम साधारण न नहीं माना जाता है जहा खुदराकरोग का आदेश या आड़ इतना छोटा हो कि कभी खच में उसकी पूर्ति न की जा सके और आड़ छासिल करने की लागत बढ़ जाती हो। इसमें उल्टी परिस्थितियों में बाजार स निकट सम्पर्क आवश्यक है। इसलिए अधिकान्तर अवस्थाओं में उत्पादक और उपभोक्ता की सहाइता के लिए इन विचो-दियों तथा कई अन्य व्यक्तियों को बीच में आना पड़ना है। अगले अध्याय में विनरण की विभिन्न सर्विणियों और विचोदियों पर विस्तार से विचार हिया जायगा।

वेचने की कला और विक्री प्रबंध यह—विक्री प्रबंधन के लिए अपने प्रारम्भिक अनुसंधान पूरे कर देने पर अगला कदम यह है कि वह अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी सब कीमतों को इकट्ठा करे। अब यह वास्तविक विक्री आनंदो-लन के लिए तैयार है, परन्तु इसमें सफलता के लिए यह काम उपयुक्त नीति से पूरा किया जाना चाहिए। उसे बाजार की माँग के उपयुक्त विश्वासनीय क्वालिटी काली वस्तु, पर्याप्त मात्रा में और कई रूपों में बनाने के लिए रूपोंकथ (Design) और निर्माण विभाग का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। विक्री विभाग और अन्य विभागों का सम्बन्ध, विभागाध्यक्षों की एक समिति द्वारा या इस काम के लिए नियुक्त एक विनोप अफसर द्वारा होना चाहिए। यह काम होना आवश्यक है। परन्तु विक्री विभाग और कारबॉर वे अन्य विभागों तथा अन्दर के काम और बाहर का काम करने वाले कर्मचारियों में उचित सम्बन्ध स्थापित होने में दृष्टिनाई पैदा हो सकती है। अल्प-अल्प विभाग अल्प-अल्प आदेश दे सकता है गाहक और सेल्समैन के मध्य तनावनी पैदा करने वाली कोई नी बात वेचने में दृष्टिनाई पैदा नहीं सकती है और सेल्समैन या गाहक की नाराजगी का बारप बन सकती है। उदाहरण के लिए दमूली विभाग किसी गाहक को अविलम्ब भुगतान करने के लिए सारत चिट्ठी लिख दे, जब कि दूसरे विभाग को भेजी गई वस्तुओं के बारे में विवादात्मक ग्राहा हो चुकी हो। कुछ कम्युनिकेशन के बाद सेल्समैन या गाहक को नाराजगी का बारप लाने का यत्न बरती है। एक अच्छा तरीका यह है कि कुछ निश्चिन भौगोलिक सेवे के अन्दर सेल्समैनों और गाहकों से पत्रव्यवहार करने के लिए विक्री कल्के हो। इस प्रकार प्रत्येक सेल्समैन और गाहक सिर्फ़ एक व्यक्ति से मूल्य कार्यालय में भवद की आशा कर सकता है, और गलतियों के लिए उसे जिम्मेवार ठहरा सकता है।

एक और महत्वपूर्ण चीज़, जो विश्री प्रबन्धक को तय करती है इस बात से सम्बन्ध रखती है कि दूकानदार एजेंट, सेल्स मैन, प्रदर्शक, बनवेसर, नमूने, खिड़की प्रदर्शन, सीधे डाक, अस्वार तथा विज्ञापन के अन्य साधनों से या कार्य किया जायगा। व्यवहार में अधिकतर विक्रियों में ये सब चीजें भृत्यपूर्ण कार्य करती हैं और इन्हें एक दूसरे के साथ ऐसे हुगे से मिला देना चाहिए कि प्रत्येक का घल घढ़ जावे। इस उद्देश्य में सफलता के लिए विक्री विभाग के एक अभिन्न व्यग के रूप में एक विक्री प्रबन्धक विभाग बनाया जाता है। सेल्समैनों द्वारा ग्राहकों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के काम के अलावा, सेल्समैनों की आवाज या व्यक्तित्व की पूर्ति के करके, अर्थात् विज्ञापन द्वारा और सीधे या डाक अदेश विषय द्वारा (जिन सब पर एक बाद के अव्याय में विचार किया गया है) निर्माता द्वारा उधार के बारे में अपनी नीति तय करनी पड़ती है, और दूसरों पर चढ़ा हुआ स्पष्ट बसूल करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसका विवेचन नीचे किया जाता है।

## उधार और वसूली

### प्रत्यय पर क्रेडिट (Credit)

बर्यंशाह्य की अनेक परिभाषाओं की तरह क्रेडिट शब्द के भी अनेक अर्थ हैं परन्तु यहाँ हमारा अभिप्राय उस क्रेडिट से है जिसके द्वारा मूल्य बर्तमान काल में हस्तान्तरित कर दिया जाता है, जब तिनि भुगतान भविष्य में किया जाता है। तत्त्वत प्रत्यय (क्रेडिट) उस विश्वास पर भरोसे पर होता है जो दो व्यक्तियों के बीच में पैदा हो जाता है और जिसके परिणामस्वरूप "विश्वास पर विक्री" होती है। प्रत्यय की परिभाषा विभिन्न लेखकों ने अपने-अपने विचार के अनुसार की है। उदा हरण के लिए, एक सम्भावना के रूप में प्रत्यय यानी क्रेडिट (या साल) की परिभाषा यह भी गई है "कि मानने पर या भविष्य में किसी निश्चिन्त तिथि पर घन या वस्तुएँ चुकाने वा बचन देकर वस्तुएँ या सेवाएँ प्राप्त करने की शक्ति अथवा किसी व्यक्ति को यह भरोसा करके वहतुएँ या सेवाएँ हस्तान्तरित करना तिनि वह भविष्य में इसके समनुह्य भुगतान करने को तंयार और समर्थ होगा"। वास्तविक रूप में प्रत्यय (साल) की परिभाषा यह की जाता है कि भविष्य में होने वाले भुगतान पर बर्तमान काल में अधिकार, अथवा भविष्य की एक सम्भाव्यता के बदले में एक वास्तविक वस्तु का देना। प्रत्यय या उधार कई प्रकार का होता है पर यहाँ हमारा मतलब वाणिज्यिक प्रत्यय या उधार से है जिसकी परिभाषा यह की जा सकती है कि भविष्य के भुगतान के बारे में वहतुओं या सेवाओं की विक्री, व्यापारि उधार में वस्तुओं द्वारा निष्पत्ति और घन के रूप में अभिवृत मूल्यों का विनिमय होता है। इसलिए उधार वस्तुएँ बेचने वाला खरीदने वाले के कारबार में अल्पकालिक नियोजन करता है। उधार उन लोगों की, जिनके पास बक्सर वो अपेक्षा सम्पत्ति अविक्षित होती है। उनकी सहायता का मौका देता है जिनके पास सम्पत्ति वी अपेक्षा अवसर

अधि क है। यह उन सब से बड़े आधिक अभिवरणों में से एक है जिनके द्वारा योग्य आदमी अपने नक्षम योग्य प्रतियोगियों में से छाँटे जाने हैं, साधारण से युक्त किये जाने हैं, आधिक दिस्तृत अवसर से युक्त किए जाते हैं, और अपने लिए, अपने सहायकों के लिए तथा सारे समाज के लिए और अधिक सेवा करने के बास्ते सहायता-युक्त किए जाने हैं। साधारणी से उधार देने का यह वर्ण है कि ईमानदार और योग्य आदमियों कारोबार के स्वामी के रूप में उल्लाहित करना; तथा वे ईमानी और अयोग्यना को निरत्साहित करना ॥। इसलिए प्रत्यय से लोगों का नंतिक स्तर उठा होना है, क्योंकि प्रत्येक का हित इसमें है कि वह अपने आप को विश्वास योग्य सिद्ध करे। लेकिन यह न तो समाज के लिए और न व्यक्ति के लिए पूरी तरह शुभ है। इसका उपयोग दुर्घटयोग हो जा सकता है और दोनों में भेद करना हमेशा बासान नहीं होता। इसलिए उधार वस्तुएँ देने वाले विक्रेता को दूसरे पक्ष पर भरोता करने और उधार के समय और मात्रा के बारे में सावधान रहना चाहिए। बहुत सी बातों पर जो उधार की नीति को प्रभावित करती है, नीचे विचार किया गया है। इस विचार पर पहुंचने से पहले इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि उधार दमूली के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति सारे कारबार के अन्य बायों की नीति के पूर्णनया अनुत्तरप होनी चाहिए। योड़ी यू जी बाला कारबार नकद भुगतान के लिए अधिक बड़ा देकर और देर से बमूल होने हिसाबों को चुक्ती से बमूल कर के अपनी आस्तियों के द्वितीय चक्रण का लक्ष्य रखेगा। मौसमी अनियमितता बाला उद्योग अगाऊ आड़ेर की प्रेरणा करने के लिए दीर्घवालिक उधार देने को तैयार रहेगी। उधार को प्रभावित करने वाली बातें नीचे लिखी जाती हैं।

उधार या प्रत्यय की पूर्ति—उधार पर विक्री की शर्तों का प्रभाव पड़ता है। भुगतान का समय और साधारण अवस्थाएँ विक्री की शर्तों को से, या अधिक ठीक पर वम प्रचलित प्रयोग करें तो उधार की शर्तों से, निर्धारित होनी है। जब वस्तुएँ उधार पर बेची जाती हैं, तब उपार के काल की लम्बाई बहुत भिन्न-भिन्न होती है। यह अवधि द मास या एक वर्ष तक हो सकती है, पर आजकल अवधि वम रक्तती जाती है और आम तौर पर इसका समय तीस से साठ दिन तक होता है उधार की शर्तों को प्रभावित करने वाले अन्य बास्तव ये हैं :

(१) दस्तुएँ वित्र प्रयोगन में लगाई जायगी,

(२) वस्तु की प्रकृति, उदाहरण के लिए, नद्वर वस्तुओं पर योड़े दिन का उधार दिया जा सकता है क्योंकि उधार का समय उस वस्तु के जीवन से अधिक नहीं होना चाहिए,

(३) खरीदार का चुकाने का समर्प्य और इच्छा ,

(४) ग्राहकों का निवास-स्थान, क्योंकि ज्यादा दूरी पर रहने वाले ग्राहकों को नियंत्र रहने वालों की अपेक्षा लम्बे समय का उधार दिया जा सकता है,

(५) शर्तों के बारे में प्रतियोगितामुक्त अवस्थाएँ।

(६) खरीदार के उधार में जोखिम की मात्रा—जोखिम जितना अधिक होता है, विक्रेता उसे उतने ही वर्ष समय के लिए उठाना चाहता है,

(७) व्यवसाय चक्र—व्यवसाय चक्र में परिवर्तन के साथ उधार का काल छोटा या लम्बा होने लगता है। समृद्धि की अवधि फैलाव की अवधि है, जिसमें उधार लेना लाभदायक है और अधिक लम्बे समय के ऊण देकर विक्री की ओर उन्हें जित करना बाँछनीय है। वस्तुओं की बड़ी मांग होती है और इसलिए गिनी बड़ी वास्तानी से होती है। तथ्य तो यह है कि विक्रेता का बाजार (Sellers market) हो सकता है।

इस प्रकार विक्रेता अपने इच्छानुसार शर्तें रखने की स्थिति में होता है और सम्भव है कि उसे आवश्यकता बढ़ा, अपने ही फैलाये हुए कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए प्राप्ति (रिसीवेबल्स) में अपना नियोजन कम करना पड़े। इसलिए जब तक व्यय को उद्दीपित किया जाता है, तब तक उधार और उसका काल और उम्मी, अवधि कम होगे। जब व्यय विधिल पह जाता है, तब विक्रेता को विक्री की मात्रा को चौंकी रखने की आवश्यकता होती है और परिणामतः उधार की अवधि लम्बी हो सकती है। मध्दी के दिनों में अधिक काल का उधार दे दिया जाता है, वयोंकि जब बाजार खरीदने वाले का है और कारोबार की आवश्यकता विक्रेता को रियायत देने को वाधित करती है। अधिक लम्बे काल तब सक्षम चलते रहते हैं जब तक उनके अच्छी तरह मध्दी से मुक्त न हो जाय।

उधार की वसूली—उधार की वसूली व्यवसाय संगठन की सब से महत्वपूर्ण अवस्थाओं में से एक है। व्यवसाय में संकड़ा सौदे होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में तीन वार्षिक होते हैं—उत्पाद, विक्रय और वसूली। वसूली प्रत्येक सौदे का अन्तिम लक्ष्य है। इसलिए अच्छे व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि न केवल वसूली की जाय वल्कि फौरन की जाय और ऐसे ढंग से की जाय कि वस्तुनी के बाजार को हानि न पहुँचे। यह जो दूसरी आवश्यकता है, अर्थात् ग्राहक की सद्भावना बनाये रखना, यह ही वसूली को एक बड़िन समस्या बना देती है और वसूली करने में कौशल और चुनुराई को परमावश्यक बना देती है। अधिकतर अवस्थाओं में यदि वसूल करने वाला सद्भावना खत्म करने को तैयार हो, तो वसूली तत्परता से की जा सकती है, पर सद्भावना को और कोई चारा न रहने पर ही खत्म करना चाहिए। अपने महत्व के काम में गिनाये जायें तो वसूली विभाग के तीन उद्देश्य ये हैं—पहुँच, ऋण वसूल और भवित्वसुरा, ऊण वसूल करना और ग्राहक की सद्भावना बनाये रखना, तथा

१. शीलन्य, ये, वसूल, करता, थोर, महत्वपूर्ण, अन्तर, रखता, २. यदि, ये, १

२. वसूल वज्र तो उभे उल्टी तरफ से छोड़ते जाने हैं और कोई अन्य

३. उधार उन लोगों नांत्र ऊण वसूली के लिए सद्भावना को छोड़ दिया तो सहायता का मौक

वसूली की अमावस्याएँ—वसूली की प्रक्रिया वह बीजक ढाक से भेजने के साथ पूर्ण होनी है जिसमें स्तरीदार को क्रम ग्रस्तता की ठीक मात्रा और उसके शोष्य होने की ठीक तिथि की सूचना दी जानी है। साथ ही वस्तुओं का देयक या विल लेवर में चाहक के नाम चढ़ा दिया जाता है जिससे उधार और वसूली विभाग सावधानी से इस सूचना को दर्ज कर लेता है जो लेखे के जीवन में किसी भी समय उपयोगी हो सकती है। वसूली की दिशा में घण्टा कदम प्राप्त यह होता है कि चाहक को उसकी देयता का विवरण भेजा जाय। अगर विवरण देने से भुगतान न हो, तो उसके तुरन्त बाद उसे दृढ़ शब्दों में स्पष्ट पत्र भेजना चाहिए। शोध कार्यवाही और अनुबर्ती पत्र से लेने वाले और देने वाले दोनों को मदद मिलती है तत्परता से हिंसाव-क्रिताव और व्याज तथा अन्यथा इसके हुए धन के व्यावसायिक लाभ की देखभाल करने की परेशानी नहीं होती। क्रणी के व्यवसाय के प्रतिकूल परिवर्तनों के अवसर सीमा के अन्दर रहते हैं तथा क्रणी और अधिक वस्तुएँ लेने की स्थिति में रहता है। अगर कोई चाहक माल ले चुका है और उसपर इतना रुपया चर्चा है जिससे ज्यादा विकेता नहीं चलने देना चाहता तो उस चाहक यों तब तक और माल नहीं भेजा जायगा जब तक उसका हिंसाव साफ न हो। अगर उत्तमण्ड और आडंड ल्लीकार वर्ग के तैदार भी हो तो भी क्रणी चेता प्राप्त उस दूकान से बचेगा जिसका रुपया उसपर चढ़ा है, और अपना आडंड उसके प्रतिस्पर्धी को देगा। जो रुग्ण वहूत दिन तक टाले जाते हैं, वे वही पुश्किल से अदा होने हैं। विलम्ब के काल में क्रणी दूसरे की सम्पत्ति का उपयोग करता है और यह मिथ्यास्थिति अभ्यास। उसकी मूल्य सम्बन्धी समझ को नष्ट कर देती है। उत्काल भुगतान का आग्रह करना अन्त में सस्ता पड़ता है।

हुण्डी, दर्शनी हुण्डी, या प्रामितरी नोट वसूली की चिया में अगला कदम है। कुछ अवस्थाओं में उत्तमण्ड हुण्डी प्राप्त करने की कोशिश करता है, परन्तु भारत में हुण्डियों का चलन बहुत आम है और इसलिए स्तरीदार उसकी परवाह नहीं करते। हुण्डियाँ प्राप्त सकार दी जाती हैं, पर यदि हुण्डी न सकारी जार्दे तो वसूली सकट की स्थिति में पहुँच जाती है, जहाँ आगे कदम उठाने से पहले पूरी जान तर लनी चाहिए। जांच के परिणामस्वरूप (क) या तो समय बढ़ा देना चाहिए और अगर सम्भव हो तो साथ ही अंशिक भुगतान और कुछ अवस्थाओं में अधिक अच्छी जमानत की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आम तरीका महज है कि हुण्डी को छोटी राशियाँ की तीन या चार हुण्डियों में बाट दिया जाना है, और ये राशियाँ कुछ-कुछ समय बाद देय होती हैं। (ख) यदि कोई वसूली अभिकरण मुलभ हो तो हिंसाव उसे हस्तान्तरित किया जा सकता है; (ग) कागजान कानूनी वायंवाही के किए कानूनी परामर्शदाता को सौन दिये जायें; और (घ) हिंसाव असोध्य रुग्ण (बैंड डेट) मान बर लाभ और हानि खाते में ढाल दिया जाय। वकील के आने हों तो प्रेम-सम्बन्ध समाप्त हो जाने हैं। इसलिए कागजात उस सौनमें से पहले मुकदमे को छोड़कर वसूली के बारे मरन बर लेने चाहिए।

अन्त में यह बात फिर कह दी जाय कि विक्री मैनेजर का कर्तव्य कम लागत पर अधिक विक्री कर देना है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कपड़ा, मोटरकार या बीमा बेचना होगा और वह इनकी विक्री से लाभ करना चाहता है। प्रत्येक व्यवसाय, का चाहे वह निर्माण व्यवसाय हो या वितरण व्यवसाय आधारभूत प्रयोजन यह है कि समाज की सेवा की जाय और कम्पनी की स्थाति बनाई जाय। लाभ इस वायं का पुरस्कार मात्र है। इसी वृत्तियाद पर विक्री नीति का भवन बनाना चाहिए। उसे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सामान्यतया व्यवसाय बहुत देर तक चलने के लिए बनाये जाते हैं, इसलिए उसे दक्ष और दीर्घ दृष्टि से बनाये गये संगठन वी वृत्तियाद रखनी चाहिए।

## अध्याय २६

### विचौंदिये

#### (MIDDLEMEN)

आपोजित या यथेच्छ उपभोग—पूँजीवादी देशो में वस्तुएँ बेचते की विभिन्न रीतिया अपनाई गई हैं, जिनके उपभोक्ता अपनी रचियों और निवास-स्थानों की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं और इसलिए किसी उत्पादक के पास ग्राहकों का एक मण्डल होना कठिन है। अगर उत्पादक या निर्माता एक बहुत परिमाण फर्में हैं तो उसने अपने उत्पादन की योजना बनाई होगी, परन्तु यदि वह एकाधिकार-सम्पन्न नहीं है तो उसके लिए उपभोग की योजना बनाना प्रायः असम्भव है, जैसा कि संगठन की तानाशाही प्रणाली में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सोवियत रूस में योजनायन उत्पादन उत्तरी महत्वपूर्ण चौक नहीं, जिनकी योजना बहुत उपभोग है। पूँजीवादी व्यवस्था में वस्तुएँ ऐसी कीमत पर दी जाती हैं कि सम्भरण-कर्ता को कुछ लाभ हो। योद्योगिक उत्पादन की सोवियत प्रणाली में कीमतें और लाभ ही अन्तिम कस्ती नहीं। सोवियत प्रणाली को शैलियों और फैसलों के परिवर्तन वीं फ़िक्र नहीं करनी पड़ती, न इसे विलास वस्तुओं की योड़ी मात्रा का उत्पादन करने की आवश्यकता है जो क्वेचे लाम पर बेची जा सके। वस्तुएँ और सेवाएँ वैसे दी जाती हैं जैसे राष्ट्रीय वर्यं व्यवस्था की सर्वोच्च परिपद् उचित समझती है। परिष्कार, चमकाव या वस्तु वीं रूपाभा में सुधार वीं और बहुत कम ध्यान दिया जाता है .....उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में यथेच्छ स्वयं कर्तृत्व के लिए परिस्थितियाँ बहुत कम अनुकूल हैं। .....उत्पादन, बाजार में दिखाई देने वाली उपभोक्ताओं की इच्छाओं का दिना ध्यान किये समर्थित किया जाता है। वन्मुओं की कीमतें बाजार से स्वतन्त्र रूप से रखती जाती हैं और मांग तथा सम्भरण में संतुलन का कोई प्रश्न नहीं होता।" इसलिए तानाशाही उपभोग आवश्यकताओं की यथेच्छ सन्तुष्टि को समाप्त कर देता है। इस तरह के वितरण का अर्थ यह है कि मनुष्य को वह भोजन—और यह बहुत बढ़िया हो सकता है—खाना पढ़ेगा जो समाज के भोजन केन्द्र द्वारा उसके सामने प्रस्तुत किया जाय, कि उसे अपने मन पक्षन्द फर्नीचर का चुनाव करने का अधिकार नहीं, कि एक स्त्री वह टोप नहीं लगा सकती जो उस पर सबसे ढीक बैठना है। "जो मिले सो खाओ, और जो दिया जाय सो पहनो।" यह नियम है। स्पष्ट है कि यह उपभोग, जो उत्पादक द्वारा आयोजित है, उत्पादन के संगठन को सहन बना देता है, दिपण को आवश्यकता समाप्त कर देता है, वितरण की समस्या कम कर देता है, जिससे वितरक या विचौंदिये की लागत

प्राय कुछ नहीं पढ़ती परन्तु उपभोग वस्तुओं के वितरण की यह रीति मनुष्य को आत्मक आवश्यकताओं की, जिसमें आखिरकार एक भौतिक अवस्था होता है, पूर्ति को असम्भव बना दती है। यह अधिक ऊँची आवश्यकताओं की सन्तुष्टि यह किमी भी प्रकार नहीं बर सकती। उपभोग का जायोजन करने में निर्माना को बड़ी सुविधा हो सकती है परन्तु जब तक पूँजीवाली देश में बतंगान स्थित हो गई है तब तक ऐसा उपभोग का जायोजित और निश्चिन्त कर दिया जाना सहन नहीं चाहेगे। यह मानने पर कि यथेष्ठ खरीद की आदतें और यथेष्ठ उपभोग जारी रहेंगे, वितरण में बहुत से विचौदियों की सहायता लेना आवश्यक है।

जहाँ वस्तुर्त उपभोक्ता को सीधे नहीं देचो जाती वहाँ के विचौदियों के जरए वितरित की जाती है। सीधी वित्ती सेत्समेनो द्वारा, विज्ञापन द्वारा और डाक आदेश पद्धति से की जाती है। विचौदिया द्वारा वित्ती थोकफोशो और खुदराफरोशा या सिफ़ खुदरा फरोशो द्वारा की जाती है। विचौदिये आवस्तायिक समठन है जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में काय बरते हैं, खरीद और वितरण सेवाएँ बरते हैं। अपने शाहका को प्रकृति के अनुसार विचौदिया दो बायों में बाँटा जा सकता है—(क) थोक विचौदिया और (ख) खुदराफरोश। अगर विचौदिये विसी व्यवसाय के स्वामी होते हैं तो वे व्यापारी विचौदिए और यदि स्वामी नहीं होते तो वे बनिकर्ता (हृत्यकारी) विचौदिए होते हैं। व्यापारी न केवल वस्तुओं का स्वामित्व ग्रहण बरत है वहिर वितरण के अधिकार या सब काय भी करते हैं। उनमें थोक और खुदराफरोश दोनों शामिल हैं। एजेंट या अभिकर्ता वित्ती स्वामित्व गिए सीदे करते हैं। इनसे अतगत कमीशन एजेंट, दलाल और वे लोग होते हैं जो कमीशन एजेंट और दलाल का मिश जुला काम बरत है। थोक-थोड़ा माल खरीदने की आदत और बहुधा आवश्यकता विचौदियों की सेवाओं का उपयोग आवश्यक भर देती है और वितरण की बड़ी हुइ लागत वो उठाना आवश्यक बर देती है। वितरक जो कुल लाम लता है, वह निश्चित ही बहुत ऊँचा मालूम होता है। वितरण की लागत के सही अक देना बहिन है, पर यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में लगाये गए हिसाब म पता चलता है कि पहले विश्वयुद्ध के बाद म उनमें बढ़ोनरी हानी गई। स्थित केअनुसार, १९२४ में वितरण की धनात्मक लागत खुदरा मूल्या का लगभग २३% थी और खुदरा वितरण की लागत वितरण की कुल लागत का ७०% थी। १९३१ में मे सस्याएँ और ऊँची हो गई। केंडवरी ने हाल में जो हिसाब लगाया है, उससे इन निष्पत्तों की पुष्टि होती है। उसके अनुमार, युद्धाल की लवस्थाओं में मिटाई के व्यापार में खुदरा वित्ती और थोक वित्ती की लागत कुल खुदरा बीमत का लगभग एकतिहाई थी। सरकारी कीमत नियन्त्रण स भी थही निष्पत्ति निकलता है। कीमत नियन्त्रण

में सरकार को यही समस्या रही है कि अधिकारिम कीमतें और अधिकारन में वरप किन सतह पर निश्चिन विए जाएं जिससे कम स कम दक्ष विनरण की दिनरण की लागत भी पूरी हो जाय क्योंकि प्रत्येक नियन्त्रित कीमत बालो वस्तु की एक सी कीमत रखना कठिन है और उस शालन कराना व्यवसाध है। उदाहरण के लिए, कड़े के लिए, रियन्टन कपड़ा बेचने के लिए अधिकृत सब व्यापारियों के लिए सरकार को अधिकारिम कीमत और अधिकारिम अनुज्ञान भरपाई (मेवअप) भी तय करनी पड़ी। थोक फरोज को, जिस कीमत पर उसने निर्माता से खरीदा है उसमें अधिकारिम कीमत प्रतिवर्ष और जाड़ने की तया खुदराफरोज को (विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए) थोकफरोज को चुकाई गई कीमत पर अधिकारिम २५% ने ४०% तक बढ़ाने की इजाजत दी गई। अनुज्ञान भरपाई का आशय विनरण की लागत की पूर्ण करना है। प्रतीत होता है कि उनमेंसे जब एक रूपया खर्च करता है तब उपर्योग स ५ से ८ बारे तक विनरण के लाने में जात है। इन अवधि को देखकर फौल यह प्रतिनिधि होती है कि विनरण की रीतियाँ दरकारहीन हैं। बाजार में खुदराफरोजों की समस्या आवश्यकता से अधिक है। इस तथ्य के कारण बहुत से लोग यह कहते हैं कि विचौदिए बहुत ज्योदा हैं और यदि उन्हें विलक्षण समाज भी न किया जाय तो उनकी समस्या कम बढ़ती जाय।

इहा जाना है कि थोक फरोज के कार्य उत्पादक और सुदरात्तरोज को बर लेने चाहिए और जगह जगह उत्पादक की दूकानें या छहकाठी स्टोर सोल्डर खुदराफरोज को हटा देना चाहिए। हाल के दिनों में समेत द्वारा बहुत सी अवस्थाओं को मिला देने की प्रवृत्ति बड़ी है। निर्माता स्वतन्त्र थोक व्यापारी की सेवाओं के दिना काम चलाने के लिए थोकफरोज का काम अपने कार ले लेता है। अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए निर्माता स्वयं थोकफरोज बन जाना है और खुदराफरोज के सारीदैने के लिए तेवार माल जमा रखता है, तथा योंदे से व्यापारियों से खड़ी रकमें प्राप्त भरने के बजाय यह बहुत से खुदरा ग्राहकों से योड़ी-योड़ी रकमें प्राप्त बरता है। ऐसा प्राप्त ब्रॉड वाली वस्तुओं के लिए ही होता है कि याल सीधे ही बेचा जाय, क्योंकि निर्माता जनता के लिए विस्तृत विज्ञापन बर सकता है। भोटकार, प्याजो, फर्नीचर, विजली के निटिंग, बूट, चावलसेट, और मुरब्बे बनाने वाले सब के सब खुदराफरोज को माल बेचने हैं। मिलाई की मद्दीन या टाइपराइटर बनाने वाले दबाई मा मिलाई निर्माता, रगने वाले और धुलाई वाले बहुस्थानीय (multiple) दूकानों के मालिक हो सकते हैं, जो अपनी वस्तुओं को अपने बाप ही अनियंत्रित उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। बहुत से खुदराफरोजों ने एक पृथक थोक विभाग बनाकर थोक वित्रिनों का व्यवसाय समाल लिया। खुदरा वित्रिनों ने यह देख लिया कि परिवहन में मुदार हो जाने से सारीदार पहले की अपेक्षा बड़े थोक में ज्या सकता है और इसके अलावा वस्तुएं मोटरों द्वारा बहुत बड़े थोक में पहुंचाई जा सकती हैं। इसका परिणाम यह हुआ है-

कि वहे नगरों की वडी दुकानों में, जो अनेक तरह की वस्तुएँ वडी मात्रा में रख सकती हैं, बहुत बृद्धि हुई है, और आस-पास के क्षेत्र में छोटी दुकानों की सह्या उसी अनुपात से कम हो गई है। दूसरी ओर, थोक विक्रेताओं ने वह लाभ की मात्रा प्राप्त करने के लिए जो खुदराफोटोशा को मिलती है, खुदरा दुकानें खोल लीं।

विचौदियों और उनके लाभ के विषद् जो कुछ कहा जाता है, उस सबके बावजूद व्यवहार में वे किसी तरह लगभग नहीं हो गए हैं और आगामी बहुत बर्पें तक उनके मतभी होने की सम्भावना भी नहीं है। खुदरा दुकान के लिए अब भी थोक फोटोश को भाल देने वाला मूल्य मोत तब तक वही बना रहेगा जब तब (क) सब निर्माता स्वयं थोक व्यापारी का काम न करने रहे और (ख) जब तक डोटे-निर्माता को उद्योग से विलकुल बाहर न निकाल दिया जाय। जब तब यथेच्छ उपभोग जारी है तब तक खुदराफोटोश का वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा। बहुत सम्भाव्यता यह है कि इनमें से कोई भी अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। कृपिक उत्पादन के क्षेत्र में थोकफोटोश की सेवाएँ और भी महत्वपूर्ण हैं। गेहूं, चावच, घपास, चाय, फठ और ऊन के उत्पादक अकेले अकले इनमें खुदरा फोटोशों से सीधे सम्पर्क नहीं कर सकते कि जो उनका सारा माल ले लें। जहाँ वस्तु नश्वर होती है, जैसे फल सब्जियाँ, मछली, वहाँ उन्हें खरीददारों की प्रनीता में यदि वे समृद्धीत करना चाहें तो भी शक्तिसंग्रह का व्यवसाय अपनाये विना समृद्धीत नहीं कर सकते। परन्तु देखने वाले को, जो दिलचस्पी रखने वाला उपभोक्ता है, विचौदियों की संख्या बहुत अधिक मालूम पड़ती है। पर यदि वितरण के कोई और साधन न हो गए तो वहंमान पूजीवादी समाज में वे अवश्य बने रहें। इसके अलावा, उन्हें प्राप्त होने वाली कुल मात्रा, जो २५ से ६० प्रतिशत तक होती है, सारी की सारी विचौदिएं का लाभ नहीं होती। खुदरा के लाभमानों का आधा और थोक की लाभ मानों का दो मजदूरी और तनाखाहों में और शेष वा बहुत सा हिस्सा भारक, व्याज रोशनी संधारण, बीम और विनापन में चला जाता है। जहाँ बेतनभोगी प्रबन्धक वितरक व्यवसाय को नियन्त्रित करते हैं वहाँ अशपारी या शेयरहोल्डर को वास्तविक लाभ के रूप में विक्री का सिर्फ एक या दो प्रतिशत मिलता है। विचौदियों के लाभ भी मात्रा के विषद् आमतौर पर जो दो अवश्यकताएँ हैं वह भ्रामक है। वास्तव में लाभमानों अधिक नहीं हैं और इसलिए भटाचारी भी नहीं जा सकती, बल्कि स्वयं लागत ही अधिक होती है। साधारणतमा वितरक व्यापार की एक सीधी बस्ती पह होती कि उपभोक्ता को जिस चीज़ वीं आवश्यकता है वह उसे आवश्यकता के समय उसी गति-वाचित भीमत पर इतनी थोड़ी मेहनत से मिल सकती है। इस प्रदर्श का उत्तर थोक विक्रेताओं द्वारा वीं जाने वाली सेवाओं का विवरण पढ़ने से मिल सकता है।

## योक विक्रेता

इस बान पर बड़ा मनमेद है कि योक विक्रय में क्या धीज शामिल की जा सकती है। सामान्य व्यवहार में योक विक्रय में वे सब विक्रय और प्रासादिक वार्ष शामिल हैं जिनमें क्रेता ने वस्तुएँ पुन बेचनी हैं या उन्हें अपने व्यवसाय में काम लगाना है, उनका भौतिक उपभोग नहीं करना। परिष्कृत प्रयोग में योक विषयन उस कार्य को कहते हैं जो योक विक्रेता करता है, आपान् व्यापारी विचौदिया करता है—वह कार्य इसमें नहीं आता जो अभिकर्ता विचौदिया करता है, परन्तु योक फरोश की परिमाण करते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि वह व्यापारी योक विक्रेता है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुएँ खरीदता है और योड़ी-योड़ी मात्रा में सुदराफरोश को बेच देता है और इस प्रकार उत्पादक तथा सुदरा फरोश के बीच एक कड़ होता है। उत्पादन और वितरण के प्रदाह में योक विक्रेता का स्थान वस्तुओं के उत्पादक और वस्तुओं के उपभोक्ता या उपभोक्ता को वस्तुएँ पहुँचाने वाले सुदराफरोश के बीच में होता है।

योक विक्रेता के कार्य—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि योक विक्रेता निर्माता, सुदराफरोश और उपभोक्ता की उपयोगी सदा करता है। योक विक्रेता निर्माता की चार तरह से सेवा करता है—(क) बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्य-यिता, (ख) बड़े आड़े देना, (ग) निर्माता के पास माल जमा होने से रोकना, (घ) निर्माता को अपने काम में विशेषता प्राप्त करने देना। निर्माता वस्तुओं की घोड़ी मात्रा सही नहीं बना सकते और बड़े पैमाने का उत्पादन सदमें अधिक मितव्यी तरीका है बरोकि इसमें प्रक्रम प्रमाणित हो जाते हैं और वायों की योजना एक ही दार बना ली जानी है। ऐसा करना तभी सम्भव होता है, जब योक विक्रेता बड़ी मात्रा में सहीदने को तैयार होता है। योक विक्रेता बनाई जाने वाली प्रत्येक प्रकार की वस्तु का बड़ा आड़े देकर निर्माता की मदद करता है। बहुत से दूर दूर फैल हुए सुदरा दूकानदारों को माल देने के कारण उमके पास अपनी वस्तुओं के निकालने का बड़ा रास्ता होता है। इसके अलावा, वह अपने ग्राहकों की इच्छाओं को समझता और उद्दीपित बरता है, वह बाजार प्राप्त करने में निर्माता की मदद करता है, वह उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा और क्वालिटी का पूर्वोनुमान करके उनके विर्धाग में निर्माता की मदद करता है। योक विक्रेता के अभाव में निर्माता वो सुदरा फरोशों से आड़े लेने पड़े जिसमें बड़ी परेशानी और स्वर्व होगा और वितरण में परिवहन का बहुत व्यय उठाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, योक विक्रेता वस्तुओं के सम्बन्ध के लिए बेयर हाउस बनाना है, वह आपातक और निर्माता के स्वर्व में काम करता है और मूल्यों को स्थिर रखने में मदद करता है, क्योंकि वहुत सहीदता है। जब कीमतें नीची होती हैं, और जब वे फिर बढ़ने लगती हैं तब वह

देखने लगता है। साधारण माल की वस्तुएँ उपयोग के लिए आवश्यकता होने से पहले ही उत्पादित करनी होगी। जब मांग हो, तब माल तैयार मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी जगह बहुत सारा माल समृद्धीन रहना चाहिए। दूकानदार तो मिफ उतना ही माल रख सकता है जिनका उसकी कुछ दिन की विक्री के लिए बाकी हो। प्रत्येक व्यवसायका बाला ही माल सचित रखने का भार उठाता है और इसमें हीने वाली कमी को लगातार पूरा करता रहता है। इस प्रकार वह निर्माता वौ तैयार माल हर समय समृद्धीत करने से मुक्त बर देता है, और उसे अपने दो विशिष्ट व्याय पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद देता है—इस तरह उसका काम बहुत बड़ा पूरी जी में चल जाता है और यदि उन्हे रोजाना वौ आवश्यकता के लिए बहुत माल जमा बरना पड़ता तो उसे बहुत पूरी लगानी पड़ती। साधारणतया निर्माता को थोड़ा विकेता से बड़े भरिता में बड़ा प्रकार की चीजों का आईंग मिल जाता है, जो सीधे खुदराविकेता से न मिलता। थोड़ा विकेता खुदरा दूकान वौ अनेक और दोटी छोटी आवश्यकताओं को ढांटकर बढ़े-बढ़े जाऊंग दे देता है। इस व्यवस्था से निर्माता उन बहुतीयों में निरुणना प्राप्त कर सकता है जिनका वह सदमे बढ़िया उत्पादन करता हो। इस रीति से थोड़ा विकेता को ऐसे निर्माता का चुनाव बरने का मौका मिल जाता है जिसने पहले इस तरह के आईंग को सब से अच्छी तरह पूरा किया हो।

थोड़ा विकेता (१) अनेक तरह का माल जमा रखकर, (२) जहरत के समय माल प्रस्तुत करके, (३) उधार का समय देकर, और (४) विशेषज्ञ के द्वारा सलाह देकर, खुदरा विकेता वौ मदद करता है। खुदराफरोश वौ थोड़ा फरोश के बेथर हाउम में बहुत तरह वौ चीजें और अनेक निर्माताओं को अनेकों प्रकार की वस्तुएँ मिल जान से सुविधा होनी है। पर्सिक वौ मांग वडी विविध होनी है और अपर खुदरा-फरोश वौ इन मागों को पूरा करता है तो उसे तरह-तरह का माल रखना चाहिए। खुदराफरोश वह त सारे निर्मानाओं से वार वार दोटी छोटी वस्तुएँ नहीं खरीद सकता, लौर उसे थोड़ा व्यापारी का पहला पकड़ना पड़ता है। थोड़ा व्यापारी खुदरा व्यापारी को समझ के खंड से और बहुत माल रखने वौ जोखिम से बचा दता है। वह वीमने स्थिर रखने में सहायता होता है। छोटी पूरी वाला खुदराफरोश तरह-तरह के माल की बहुत मात्रा जमा नहीं रख सकता। इस तरह माल जमा करने में लगाई गई पूरी तब तक बेकार पड़ी रहगी, जब तक माल बिक न जाय और माल बिकने में बहुत समय लगेगा। सफ़उ खुदरा फरोश की नीति यह है कि माल जल्दी निकाला जाय, एक समय में सिर्फ उतनी बस्तु खली जाय जो उसके ग्राहकों की योड़े दिना वौ आवश्यकता पूरी कर सके, और हर तरह वौ वस्तुएँ जो खत्म हो रही हैं, अविलम्ब ले बायी जाएं। थोड़ा विकेता, जो बेगर हाउस में सब तरह की वस्तुओं का तैयार माल रखना है, खुदराफरोश के लिए हर समय और शीघ्रता से माल मिलने वा साधन बन जाता है। निर्माना शापद खुदराफरोश

को उधार न देना चाहता हो, या न दे सकता हो। योक विक्रेता सुदरा विक्रेता को काफी माल उधार दे अन्ता है। स्पष्ट है कि उस दूकानदार को, जो नवद बचना है और तीन या चार महीने के उधार पर खरीदता है, भुगतान का मौका जाने से पहले ही अपना माल बेच लेने का मौका मिल जाता है। इसका अर्थ यह हूजा कि उमरा थोड़-बक्रेता समय-कुसमय में तीन महीने के माल लायक पूँजी मिलने में भद्र करता है। इसके अलावा, विशेष जानकार होने के कारण वह सुदरा-फरोश को यह मूल्यवान सहायता दे सकता है। बाजार को देखकर वह सुदरा फरोश को यह सलाह दे सकता है कि कौन वस्तुएं अच्छी बिक सकती हैं और उसके लिए कितनी वस्तुएं कितनी मात्रा में और कब खरीदना अच्छा होगा।

योक विक्रेता का संगठन—योक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदने हैं और उन्हें आवश्यक रूप से अपना कारबार बड़े पैमाने पर चलाना पड़ता है। योक विक्रेता का बेपर हाउस बहुत डॉटियों से अनेक विभागों वाली एक बहुत बड़ी दूकान के सदृश होता है जिसका प्रत्येक विभाग एक विभागीय प्रबन्धक के आधीन एक पृथक इकाई होता है। विभागों के दो हिस्से होते हैं, अर्द्ध प्रशासनीय और कार्यपालक। प्रशासनीय वर्म-चारियों का कान वित और नेत्र, पत्र-घटहार, अभिलेख, नस्तीकरण (फाइलिंग) और सामान्य प्रशासन से सम्बन्ध रखता है। कार्यपालक विभागों की स्थिति और विस्तार कारबार के बोकार और प्रत्यक्ष के अनुसार अलग-अलग होते हैं, पर साधारणतया विक्रय विभाग, जिसके प्रबन्धक के तो होते हैं, प्रकाशन विभाग, बेपर हाउस जहाँ वस्तुएं संगृहीत की जाती हैं, प्रेपर विभाग जिसके अन्तर्गत बीजक विभाग भी है, और वैक्चिग या सवेष्टन विभाग का समावेश होता है। क्योंकि योक व्यापारी प्रायः एकमात्र सुदरा व्यापारी से ही कारबार करता है, इसलिए उसकी दूकान के स्थान का प्रदर्श बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य बात यह है कि व्यापारी ग्राहक वहाँ पहुच सके और योक विक्रेता द्वारा ली जाने वाली वस्तुएं सुविधा से लाई जा सकें और भेजी जा सकें। बड़े-बड़े योक व्यापारी साधारणतया अपना कारबार बड़े-बड़े नगरों और बन्दरगाह भागों के व्यवसाय केन्द्रों में ही करते हैं।

योक विक्रेता को प्रायः सुदरा विक्रेता की अपेक्षा बहुत पूँजी की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि (१) बहुत चारी पूँजी उस माल में रखी रखती है जो योक विक्रेता जो रक्षा रखता रखता है; (२) कमरे कमरी दे उत्पादक, जिनकी वस्तुएं योक विक्रेता लगने यहाँ रखता है, अल्प साधनों वाले होने हैं और बहुत बार योक विक्रेता को उनका काम चालू रखने के लिए उन्हें अग्रज पैसा देना पड़ता है; (३) योक विक्रेता को सुदरा विक्रेता के हाथ माल आम तौर में अधिक दिनों के उधार पर बेचना पड़ता है, जबकि उसे अपने मगाए हुए माल का भुगतान माल पहुचने के शीघ्र बाद करना पड़ता है। पूँजी की मात्रा कुछ हद

तक उसके सप्रह के आकार पर और कुछ हद तक खुदरा विक्रेताओं और उत्पादकों द्वारा दिए हुए उधार पर निर्भर होगी। इमलिए हमें विभिन्न प्रकार के थोड़े विक्रेताओं की व्यापार और पूँजी की मात्रा में बहुत अन्तर दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, एक थोड़ा बगड़े वाले की वहाँ पूँजी उदार में कम सी होगी, थोड़ा तम्बाकू वाले की वर्ग।

### खुदरा व्यापार

खुदरा फरीद उन आविष्कारों गृह खला की अनितम बढ़ी है जिससे हमारी आवश्यकताएँ आसानी और दक्षता में पूरी होनी है। उसका यह कर्तव्य है कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं का अध्ययन करे और उसके अनुसार थोड़े विक्रेता को मुचता दे। विनरण के क्षेत्र में खुदराफरीद की स्थिति महत्वपूर्ण और आभद्रायक है। निर्माता के दृष्टिकोण से वह विनी का विशेषज्ञ है और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से वह खरीदने और सम्मरण का एजेंट है। खुदराफरीद अतेक प्रकार की वस्तुएँ जिनकी उपभोक्ता को आवश्यकता होती है, अनेक स्थानों से एक सुविधाजनक स्थान पर एकत्र बारके उपभोक्ता को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब जहरत होता, और वह सकृदार्थ कम परेशानी से खरीदने का मौका देता है, और निर्माता का माल जमा बरने की तकलीफ से बचाता है। वह सामान्यतया विषयत के सभी कार्य करता है, व्यारात् खरीदना, बेचना, स्थानात्मकता बरना, सप्रह करना, श्रेणीकरण, वित्तपोषण और जोखिम उठाना। खुदराफरीद के ये बाब हैं कि वह थोड़ी मात्रा में वस्तुएँ बेचता है, सुविधाजनक स्थानों में वस्तुओं का सप्रह करता है, वस्तुओं का प्रदर्शन करता है, उपभोक्ताओं की इच्छा और आदनों का अध्ययन करता है और उन्हें पूरा करने का यत्न करता है, रोजाना की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए वस्तुएँ प्राप्त करता है, उस जगह की स्थानीय आवश्यकताओं की तथा विभिन्न दर्गों और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और प्राय उपभोक्ताओं को उदार देता है।

खरीदने और बेचने की कला—खुदराफरीद की सफलता प्रथमत इन बात पर निभर है कि वह वित्तने शाहू। को आपनी आर आकर्षित कर सकता है और दिननी वस्तुएँ नफे पर देच सकता है। पर खुदरा व्यवसाय का अमली आधार शिर्फ़ बेचने की होशियारी नहीं, बल्कि खरीदने की होशियारी है। सकृदार्थ के माध्यम बेचने के लिए, उमे मात्रा, बड़ारिटी और दीमत वृद्धि में आहवान की माग यथासम्बन्ध ठीक ठीक पूरी कर सकती चाहिए। इसके लिए शाहू का और माल प्राप्ति के स्थान का ज्ञान आवश्यक है—उसे निरन्तर यह विवेद करना चाहिए कि क्या खरीदू और कब खरीदू और वित्तनी कीमत में खरीदू। उसे फैशन और मनि के परिवर्तनों का पहले से अनुमान बरना चाहिए। क्याकि खुदरा व्यवसाय के लिए खरीदने वाले दो अपनी निर्णय बुढ़ि पर निर्भर रहना पड़ता है, इमलिए उसे भाल मिलने के स्थानों और बाजार की साधारण अवस्था का ठीक-ठीक पता होना

चाहिए। इसके अलावा उमे उन बहुत सारे सेल्समंजो के साथ भी व्यम्हार कर सकना चाहिये जो उसे नई नई चीजें बेचने के लिये देते हैं जो साधद वाजार में न चल सकें, पर दूसरी ओर, यदि उन्हें न खाला जाय तो सभव ह कि वे किसी प्रतिस्पर्धी के हाथ में पड़ जाय और चलने लाएं। यदि पह मात्र हिंदा जाय तो उसने अपने खरेदने का बाम सफलतापूर्वक बर लिया है तो स्पष्ट है कि उसकी अनिम सकृदना उमके बेचने के काम पर निर्भर है। वह उपमीक्ता के सीधे समर्थन में आता है और बस्तुओं तथा सेवाओं की माग को बहुत बघिर प्रभावित करता है। उसे सभावित करता आ को आकृष्ट कर सकना चाहिए और इसके बाद अपनी वस्तुओं को सरीदने के लिए उन्हें प्ररित कर सकना चाहिए। उसे शोदा होने में पहले अपनी वस्तुओं में लोगों की दिलचस्पी पैदा कर सकना चाहिए। वित्तान, प्रदर्शन की रीतिया, पर्याप्त सेवा और उसकी दूकान का आकर्षक विच्छान उमके व्यवसाय को सफल बनाने में बहुत हद तक सहायक होगे।

व्यवसाय के आकार और प्रकृति से यह निश्चय होगा कि पूँजी कितनी लगाई जाय। अगर दूकान नकद विश्री के अधार पर चलानी है तो कम पूँजी की आवश्यकता होगी, और यैसा ही अवसाय उवार के आधार पर चलाना हो तो अधेरपूँजी की आवश्यकता होगी तो भी, खुदरा फरोश को पर्याप्त बत्तुएँ रखने के लिए काफी नकदी चाहिये, चाहे वह अपने दोष सम्भरण कर्ता से उधार माल न ले सकता हो। खुदराफरोश की पूँजी में उसका माल, उसकी दूकान का स्थान, फर्नीचर और फिटिंग, उसकी सन्दूक और बैंक में विद्यमान धन तथा सम्भरण कर्ता द्वारा उसे दिया गया उधार समाविष्ट होने हैं। बहुत बार खुदरा दूकान उधार ली हुई पूँजी पर चल रही जाती है, पर क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारी को अपनी कीमतें रखने में ध्यान को अदायगी को व्यवस्था करनी पड़ती है। इस लिए इसे वित्तपोषण की कोई अच्छी रीति नहीं माना जा सकता। खुदरा दूकान के लिए इस बात का बड़ा महत्व है कि दूकान किस दस्ती में और कैसी जगह हो। दस्ती सोने हुए व्यवसाय की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिये।

लाभ और विक्री कीमत—खुदराफरोश को होने दाला लाभ इतना बाकी होता चाहिये कि उसकी पूँजी और मेहतत वा पुरस्कार मिल जाय और उसकी विश्री कीमतें ऐसी तथ होनी चाहिए जिसने उमे युक्तिसागर लाभ प्राप्त ही जाय, पर साथ ही साथ प्रतिस्पर्धियों द्वारा रखे हुए मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिये। विश्री कीमतें प्रत्येक व्यापार में भिन्न आधार पर तथ दी जाती है। जहाँ विश्री द्वारा होनी है, जैसे नक्दवर दस्तुओं को अवस्था में, वहाँ लालत कीमत वी में तुलना में विश्री कीमत उम व्यवसाय की अपारा बन होनी जिसमें विश्री की गति मन्द होनी, जैसे सर्टिफिकेट विचार का अपारा। व्यापारी वो समय समय पर यह भी बोचना चाहिए कि वया कीमत कुछ राम करने से मुझे लाभ होगा। इस तरह प्रत्येक वस्तु पर लाभ होने से, पर वीमा वी बनी द्वारा विश्री वड जाने से, कुल लाभ में बूढ़ी

हो जायगी। और अवस्थाओं में कीमत छंची रखना और विक्री की कम मात्रा से सनुपट रहना अधिक लाभदायक हो मरता है पर इसमें वहाँ ही सफलता हो सकती है जहाँ कम कीमत पर विक्री की वाला कोई उपयुक्त दूसरी चीज़ न हो। सुदूर बेची जाने वाली अधिकतर वस्तुएँ प्रायः निर्माता द्वारा तय की हुई प्रभाप कीमतों पर बेची जाती हैं, और जहाँ यह वाल हो वहाँ कोई कारण नहीं कि व्यों वस्तुओं पर उनकी कीमत स्पष्ट रूप से अकिञ्चित न कर दी जाय, जिससे ग्राहक को नजर से पता चल जाय कि उसे कितने पैसे देने हैं। प्रायः कीमत इस तरह अकिञ्चित की जाती है जिससे वह आसानी से हटाई और मिटाई जा सके, क्योंकि ग्राहक अपनी वस्तुओं की कीमत जाहिर नहीं बरता चाहते। ऐसे या उपहार के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं पर यदि उनका मूल्य अभिष्ट रूप से अकिञ्चित हो तो वे वस्तुएँ बिक़ ही नहीं सकती। परिणामतः ऐसी वस्तुओं पर कीमत प्रायः इशारों या संकेतों में अंकित होती है। संकेतों की अनेक रीतिया अपनाई जाती है। वे प्रायः सर्वाङ्गों या अक्षरों के बने होते हैं। जो भी रीति हो पर संकेत संक्षिप्त, मुद्राच्चय और भूल की गुजायथ रहित से होने चाहिए जिससे दूकान वा कोई भी व्यक्ति उन्हें पहचान संकेत गोपनीयता के प्रश्न के अलावा संकेत पढ़नि प्रायः उन वस्तुओं के लिए भी प्रयुक्त होती है, जिनकी कीमतें लचीली होती हैं।

**खुदरा दुकानों** के प्रकार—अन्य व्यवसायों की तरह वस्तुओं की विक्री छोटे पैमाने पर तथा बड़े पैमाने पर की जा सकती है। हमारे देश में खुदरा विक्री छोटे पैमाने पर की जाती है जब कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्डियन आदि देशों में हाल के वर्षों में बड़े पैमाने की खुदरा दुकान की ओर प्रवृत्ति हुई है यद्यपि इन देशों में भी छोटे खुदरा विक्रेताओं की प्रधानता है। छोटे पैमाने की खुदरा विक्री (१) केरी वारे (२) स्टाल होल्डर (३) स्वतन्त्र खुदरा दुकानदार वरते हैं। बड़े पैमाने की खुदरा विक्री (४) वह स्थानीय होती है (मलिटियल शोप) (५) शृंखला दुकान (चेन स्टार) (६) वह विभागीय दुकान (डिपार्टमेंटल स्टोर) (७) निश्चित कीमतों वाली शृंखला दुकान (८) डाक बादेश दुकान। (९) उपभोक्ताओं की सहकारी दुकान, (१०) सम्निलित दुकान या गुपर-मार्केट और (११) निर्माता द्वारा सीधी से की जाती है।

**स्वतन्त्र खुदरा दुकान**—प्रायः कहा गया है और यह अब भी सच है कि खुदरा विक्री, दुकानों की कुल संख्या की दृष्टि से घोड़े साधनों वाले आदमी की चीज़ है। छोटी-छोटी स्वतन्त्र खुदरा दुकानें खुदरा की सबसे पुरानी ओर बाज़ भी सब अधिक प्रचलित रूप वाली इकाई है। इम तरह की इकाई का मालिन्य या तो एक स्वतन्त्र व्यक्ति या हिस्सेदार या अविभक्त हिन्दू परिवार होता है। यह साधारणतया व्यक्ति की मामूली पूँजी से चलाई जाती है और परिवार वे सदस्यों द्वारा उसका प्रबन्ध किया जाता है। ये दुकानें रहने के मकानों में भी होती हैं। सीमित पूँजी के बीतर ग्राहकों को सीमित संख्या के कारण माल का संग्रह थोड़ा होता है। अपने ग्राहकों से सीधे सम्पर्क में आने के पारण खुदरा दुकानदार अपने ग्राहकों की आदतों का अधिक

आसानी से अध्ययन कर सकती है, और उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। वह अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की ओर स्वयं और विस्तृत व्यापार देसकता है, जब कि बड़े पैमाने की दूकानें ऐसा नहीं कर सकती। छोटी दूकानें एक ही प्रकार को बहुत का कारबाह करने वाली, यथा आभूषण, पेट्र, स्टेशनरी, आदि की दूकानें, ही सकती हैं, अथवा यह एक साधारण दूकान ही सकती है, जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं, यथा पसारा, दवाइया, हार्डवेयर, सूखी वस्तुएं (हार्ड गुड्स) हो, परन्तु विभागीय संगठन न हो, अथवा यह प्रगाढ़ (inotensive) जनरल स्टोर हो सकता है जो लगभग हरेक वस्तु बेचता है। यह अन्तिम प्रकृति साधारणतया भारत के गांवों में पाया जाता है।

बड़े पैमाने पर सुदूर दिशी—हाल के वर्षों में सुदूर दूकानों में बढ़ने की प्रवृत्ति हुई है। यदि इसी चाल से विकास होता जाए तो बहुत सम्भव है कि उनकी संख्या छोटे सुदूरकरोगों से अधिक हो जाय। जैसे निर्माण कर्मनिया समेकन द्वारा धड़ी इकाइयों का रूप कर लेनी है, वैसे ही सुदूर दूकानें भी इस कार्य में विस्तार के लिए समेकन की दिविष रीतियों, अथवा क्षेत्रिक, शीर्ष, भुजीय और विश्वर्णीय का प्रयोग कर रही हैं। क्षेत्रिक समेकन वही होता है, जहाँ कोई कम्पनी के लिए तीयार माल वडी मात्रा में सरीदारी है और सामान्यतया वस्तुओं का निर्माण नहों करती। यह कच्चे सामान से कोई वास्ता नहीं रखती। दो या अधिक दूकानें इकट्ठी मिलकर एक दूसरे में विलय द्वारा या समिलन (Consolidation) की किसी और रीति से बड़ी एक इकाई का रूप ले सकती हैं। शीर्षविकास तब होता है जब कोई कम्पनी न केवल उपभोक्ताओं को वस्तुएं वितरित करती है वैकिक वस्तुओं का निर्माण भी करती है और सम्भवतः कच्चे सामान के स्रोतों का नियन्त्रण भी करती है। उदाहरण के लिए, लिफ्टन वालों के अपने बाग हैं। वे दिशी के लिए चाय तीयार करते हैं और अन्त में इसका वितरण भी करते हैं। भारत में बाटा वालों को यदनी चर्मसकरणी (टंकरी) है; वे जूते बनाते हैं और दूकानों की शूलिला द्वारा उन्हें विनियत भी करते हैं। वहस्यानीय दूकान (multiple shop) प्रणाली शीर्ष समेकन का मत्र से अच्छा उदाहरण है। भुजीय समेकन वहाँ होता है, जहाँ कोई दूकान अपने ग्राहक की पूरक सेवा करने के लिए सम्बन्धित वस्तुएं भी रखती है। इस तरह वी वस्तुओं का सर्वोत्तम उदाहरण दवाइयों की दूकान है। सम्भव है कि दवाइयों की दूकान शूल में पेट्रेट दवाइयों से चालू की जाय, जो बाद में नुस्खे बनाना भी शुल्क करते। इसके साथ-साथ वह स्तरन की वस्तुएं, प्रसाधन वस्तुएं और पेट्रेट भोजन आदि भी रख सकती हैं। विश्वर्णीय समेकन वहाँ होता है जहाँ विशेषता वस्तुओं की दिशी के साथ मूल डिलिवरी, सूचना विभाग, लिखने और पढ़ने के वर्षे, मरम्मत, बैंकिंग वी सुविधा, आदि भी करता है। विश्वर्णीय समेकन वहु-विभागीय दुकानों में आम होता है।

वहस्यानीय दूकान—(Multiple shop) सुदूर व्यापार की वहस्या-

नीय दूकान पढ़ति हाल में ही शुरू हुई है। वहस्थानीय दूकान का मतलब यह है कि किसी एक व्यवसाय कर्म के स्वायित्र में, कई एकसी दूकानें हो। इस प्रकार यह सारत एक या दो निश्चित प्रकार की वस्तुएं बेचने वाली एकसी इकाइयों का धैतिज संयोग है। प्रत्येक वहस्थानीय दूकान व्यवसाय का एक मुख्य कार्यालय होता है, जहाँ से सब शाखाएं नियंत्रित होती हैं। मुख्य कार्यालय से आदेश और अन्य प्रभाव चलते हैं जो सब शाखाओं को एक संगठन में बाधे रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सब दूकानों में एक ही नीति और चलन होता है। मुख्य कार्यालय प्रायः शाखाओं को उनकी आधिकारिकताओं के अनुसार वस्तुएं भेजने के लिए समरण केन्द्र भी होता है। जहाँ शाखाएं बहुत दूर-दूर तक फैली हुई हों, वहाँ जिला समरण केन्द्र बनाए जा सकते हैं। मुख्य कार्यालय किसी फैक्टरी में हो सकता है, जहाँ शाखाओं में वे चीज़ जाने वाली सब वस्तुएं बनाई जाती हैं इस तरह वी वहस्थानीय दूकान निर्माता की खुदारा दूकान बहलाती है। भारत में इस प्रकार दूकान सब से अच्छा उदाहरण बाटा वाले हैं। यह सिफ़ एक केन्द्रीय कार्यालय भी हो सकता है, जिससे बाहर के निर्माताओं को सीधे स्थानीय केन्द्रों या शाखाओं में माल भेजने के लिए, आईंडिया दे दिए जाते हों। इस रूप को विचोदिया वहस्थानीय दूकान बहते हैं। फिर, मुख्य कार्यालय कोई ऐसा बेयर हाउस हो सकता है जो माल इच्छिता और वितरित करता हो, अथवा शाखाओं को बन्तुओं का कुछ हिस्सा मुख्य कार्यालय में बनता हो और शेष बाहर से मगाया जाता हो।

जहाँ शाखाएं दूर-दूर तक फैली हों, वहाँ शाखाओं के निरीक्षण की दश पढ़ति चालू रहनी आवश्यक है। प्रत्येक निरीक्षक के जिम्मे कई शाखाओं वाला एक जिला होना चाहिए। वह दूकानों की अवस्था, प्रदर्शन, माल और सेवाओं का पर्यावरण करेगा और काम में होने वाली अनियमितताओं और कठिनाइयों का समाधान करेगा। उसका दूकान पर दोरा अनियमित ढग का होना चाहिए जिससे शाखा प्रबन्धकों को यह कभी पता न चले कि इन्सेप्टर कव आने वाले हैं। कभी-कभी इन्सेप्टर नक्की की जांच करेगा और यह देखेगा कि वह ठीक तो है, और कुछ अवधि में एकदार प्रत्येक शाखा के माल परिणाम (स्टॉकटेक्सिंग) का अधीक्षण करेगा। जहाँ शाखाएं बहुत कमी हुई नहीं हैं और इसलिए निरीक्षकों की आवश्यकता नहीं होती वहाँ अपनी शाखा के प्रभारी शाखा प्रबन्धक को दैनिक या साप्ताहिक रिपोर्ट अपने मुख्य कार्यालय को भेजनी पड़ती है। शाखा का भीतरी संगठन शावा प्रबन्धक की जिम्मेदारी है पर सब शाखाओं के लिए साधारण रीति मुख्य कार्यालय बनाता है। जहाँ तक स्थान का सम्बन्ध है, वहस्थानीय दूकान किसी भी काफी आवादी वाले स्थान या जिल में शाखा सोल सकती है, और इस दृष्टि से इसकी स्थिति बहुविभागीय दूकान से स्पष्ट ऊँची है। लगर ग्राहक जासानी में मिलते हो तो स्थान का कोई खास महत्व नहीं। ग्राहकों के लिए नवद विनी या तैयार

धन का ही नियम है। प्रतिदिन याने वाले नक्कर रखने को दूकान का प्रबन्धक जिसी स्थानीय बंक में जमा करा देना है और लेखा रखा देनिक रिपोर्ट और जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो, उनकी वर्णना (रिकॉर्डेशन) मुख्य वार्याच्य वो भेज दता है।

लाभ—दृष्ट्यानीय दूकान पढ़ति में वे सब जायदे हैं जो आमतौर से बड़े पैमाने के उपकरण म होते हैं, अर्थात् बड़े पैमाने पर सहीदने को बचत, केन्द्रीयकृत और अतिक नियन्त्रण, तथा एम्प की विशेष लाइट वा बच्छा विज्ञापन। इनके अलावा बहु स्थानीय दूकानों के कुछ अपने विशेष लाभ ये हैं—(१) इसी शाखा में माल की कभी एक शाखा में दूसरी शाखा में माल पहुंचा कर पूरी की जा सकती है। (२) इनकी के आकड़ा से यह पना लगावर कि कौनसी वस्तुएँ अधिक विकली हैं, और कौनसी कम, और इसके बाद सिफ कम बिकने वाली वस्तुओं का ही अधिक विज्ञापन करके, माल जल्दी बेचा जा सकता है। (३) माल की जन्मी पिक्री के परिणामस्वरूप बहुस्थानीय दूकानों अपना बारावार और प्रह्लो की अपेक्षा कुछ कम लागत पर कर सकती है। (४) ब्याकिं पिक्री नकद की जाती है, इसलिए बहु साने की रकमें नहीं होती, और बहुत से लिपिक कर्मचारी रखने का सर्व भी नहीं पड़ता। (५) बहुस्थानीय दूकान जो इस तर्फ से भी लाभ होता है कि इसकी बहुत सी शाखाएँ शाहरा को उनके घरों से बहुत कम दूरी पर आसानी और दक्षता से माल दे सकती हैं। इसके ग्राहरा की कुल सम्प्या एक चीज बेचने वाली दूकान या बहुविभागीय दूकान के पाहरों की अपेक्षा अधिक होती है। (६) एम्प की प्रत्येक शाखा अपने आप में एम्प की दूसरी शाखाओं का विज्ञापन होती है, और जब तब, कीमत की दृष्टि से, वे चीज गई वस्तुओं की बवालिटी अच्छी है तब तक दश बम्पनी जिनकी ही शाखाओं को अपने नियन्त्रण में रख सकती है।

परिस्तीमाएँ—बहुस्थानीय दूकान में दो महत्वपूर्ण परिस्तीमाएँ हैं। उन्हें भारी खर्चों पूरा करना पड़ता है। उनके सहीद और पिक्री कीमतों के अन्तर का मुख्याश भीड़ वाली सड़कों पर बड़े माराना के ऊंच विराये देने में चला जाना है, जिनके विराये अनुपान में कोच हान हैं और दूकानों का सामने बाला हिम्सा नया बरने और नया मामान लेने की आरम्भिक लागत वो बहु साने में ढारने के उपचारों से, और जहाँ सब दूकानों के लिए व्यापार नाकाकी है, वही कम लाभ दने वाली शाखाओं को वायम रखने में चला जाता है। दूसरी बात यह है कि बहुत से प्रबन्धक और बम्पनी निम्नर वर्षों देखा न होने पर अपना बाम बरने में उतनी दिलचस्पी नहीं दियते जिनकी मालिक दिलाने हैं।

**शृंखला दूकान (Chain Store)—**शृंखला दूकान युद्धरा दूकान। वे समूह की एक दूकान हैं, जो सारे उमी प्रह्ल की और केन्द्रीय स्वामित्र वाली होती है, अर्थात् जिनमें बायं परिषद्वान् बूद्ध हृद तब एक सा हाता है। यह केन्द्रित विक्री य सम्पद के द्वायूत सरीद वो निर्मित बरती है। एक ही एन बहुतनीय युद्धरा दूकानों की मालिक होती है और उन्हें एक ही रूप में चलती है और इस

तरह वडे यमाने के आदेश और प्रमापित विधियों की मित्र-यथिता को मिला देती है और खुदरा विक्री के मार्ग दूर दूर तक पहुंचा देती है। शृङ्खला दूकान विविध वस्तुएँ बेचने वाली दूकान ही सकती है या वहस्थानीय दूकान की तरह कुछ थोड़ी सी वस्तुएँ बेचने वाली ही सकती है। तीसरा रूप निश्चित मूल्य वाली शृङ्खला दूकान है। स्वतन्त्र दूकान की तरह शृङ्खला दूकान की सफलता भी खुदरा विक्री के अधारभूत सिद्धान्तों के अनुसरण पर निभर है अर्थात् (व) सार कम-चारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, (ख) समझदारी से खरीदना, (ग) द्रुत वित्री, (घ) अनुकूल स्थान, (ड) समुदाय की पण्य सम्बन्धी आवश्यकताओं का ज्ञान, (च) कार्यपरिचालन के सब अनावश्यक घर्चों को खत्म कर देना। शृङ्खला दूकान प्रणाली से समाज को इस सीमा तक आविक लाभ है कि इससे अधिक वच्छ मूल्य मिलते हैं। सुस्थित उचार निश्चित रूप से मिल सकता है और इने जिस तरह की राष्ट्रीय प्रस्तुप की वस्तुएँ चाहिए उनके लिए अधिकाधिक विस्तृत होता हुआ व्यापार क्षेत्र प्राप्त करता है और अपने कमन्चारियों को सामुदायिक सेवा की ओर बेचने की सर्वोत्तम विधियों की शिक्षा और प्रशिक्षण देता है।

शृङ्खला दूकान का मुख्य लाभ यह है कि केन्द्रीय प्रबन्ध को यह कहने का अधिकार होता है विं सब इकाइयाँ प्रगृह नीति और वार्षिकालन की दश तथा प्रमापित विधियाँ अपनाएँ। दूसरा लाभ खरीदने में है। खरीदने और भावा आड़र देने से पहले बाजारों की अच्छी तरह छानदीन करली जाती है। इस रीति से न्यून तम कीमतें मिल जाती हैं। तीसरे शृङ्खला दूकान की बेचने की नीति यह है वि सब से अधिक भाँग वाली वस्तुएँ सूब रखनी जाय और कम बिकने वाली चीजों का खत्म कर दिया जाय। इस पढ़ति की कुछ परिसीमाएँ भी हैं। इनमें से पहला तो यह है कि प्रत्येक इकाइ यो उसकी स्थानीय परिस्थितियों के साथ समजित करना कठिन होता है। बढ़िया किस्म के दूकान प्रबन्धक प्राप्त करना और साथ ही खर्च कम रखना कठिन है। केन्द्रीयकरण के लाभ और साथ ही मार्ग की विभिन्नता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को समजित करने की कुछ प्रश्नों की स्वतंत्रता प्राप्त एक साथ नहीं रह सकती।

**नियत फ्रीगत शृङ्खला दूकान—**नियत कीमत वाली शृङ्खला दूकानों या वहस्थानीय विभागीय दूकानों की यूनाईटेड स्टेट्स में अधिकतम उन्नति हो गई मालूम देती है। इन्हें भी अभी इसका विकास हो रहा है पर हमारे दश में एसी कोई योजना नहीं। इन्हें में बूल्वर्ड के तीन पेंस और छ पेंस वार स्टोर और और अमेरिका के पाँच सेंट और १० सेट वारे स्टोर सर्वोत्तम उदाहरण हैं। युद्ध से पहले बूल्वर्ड की सब याताओं ने दूकान के सामने बड़े-बड़े अक्षरों में “अधिकतम कीमत छ पेंस” लिख दिया था और अमेरिका में ग्राहक अब भी “पाँच बार दम” की बात करते हैं। युद्ध के दिनों में जब कीमतें चढ़ गई और उपभोग वस्तुओं की

प्रसूप और कीमतों की भिन्नता की दृष्टि से बहुत सारी वस्तुएँ प्रस्तुत करके अधिक वस्तुएँ बेच देना आसान है। किसी एक वस्ती में उसी तरह की वस्तु को खरीदने वाले बहुत से ग्राहक दौड़ना कठिन वात है। शुरू में वहुविभागीय दूकानें ऊचे दर्जे के ग्राहकों वी, जो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएँ चाहते हैं, और जो मेवा तथा सुविधाओं की आकांक्षा रखते हैं जो छोटे सुदूरा व्यापारियों के यहाँ नहीं मिल सकती, आवश्यकता-पूर्ति के लिए शुरू की गयी थी। पहले युद्ध और दूसरे युद्ध के बीच वी अधिक में वहुविभागीय दूकानों को शू सला दूकानों की तीव्र प्रतियागिता वा मुकाबला करना पड़ा और अपनी विनी बढ़ाने के लिए उन्हाने अपनी सेवाओं का इस तरह विस्तार कर दिया, जिससे वह आमदनी बार लोगों की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें, और नतीजा यह है कि आज एक बड़ी वहुविभागीय दूकान में प्राय हर चीज विक्री मिलेगी। परिचमी देशों में इन दूकानों की सत्या और आकार बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, लदन में सेल्फरिज बालों के यहाँ एक ही भवन में ३०० स अधिक विभिन्न विभाग हैं। भारत में ऐसी बड़ी वहुविभागीय दूकानें नहीं हैं, पर आर्मी एंड नेबी स्टोर और व्हाइटवेज और लेडला (जो अब उठ चुके हैं) छोटे पैमाने की दूकानों के उदाहरण हैं। क्योंकि वहुविभागीय दूकान नगर के सब क्षेत्रों से ग्राहकों वी आकृष्ट करने पर निर्भर है, इसलिए यह किसी केन्द्रीय स्थान में होनी चाहिए। मकान लम्बा चौड़ा खूब सजा हुआ और प्रत्येक उद्भाव सुविधा, यथा लिखने का बमरा, विश्राम का बमरा मूचना विभाग, आदि से मुश्किल होना चाहिए। वहुविभागीय दूकान का विकास क्षेत्र, भूजीय और विवर्णीय समेकन का अच्छा उदाहरण है। यह आम तौर पर एक सीमित ममवाय या लिमिटेड कम्पनी के हृप में गठित होता है, जिसका नियन्त्रण सचालक मटल के हाथ में रहता है। यदि कोई प्रबन्ध सचालक हो तो वह और अन्यथा महाप्रबन्धक या जनरल मैनेजर सस्था का सर्वोच्च विधिकारी होता है और उसके नीचे प्रबन्धक होते हैं। बहुत अधिक विभागों वाले स्टोर में प्रबन्ध सचालक या महाप्रबन्धक के एकदम बाद विभागीय प्रबन्धक होते हैं। प्रविभागीय प्रबन्धक (सेक्शन मैनेजर) एक प्रविभाग का अध्यक्ष होता है—यह प्रविभाग अनेक परस्पर सम्बद्ध विभागों, यथा पण्य द्रव्य प्रविभाग, हार्डवेयर प्रविभाग, से नियमित कारबार दा एक हिस्सा होता है। प्रविभाग प्रबन्धक वा कार्य यह है कि वह अपने प्रविभाग में विभिन्न विभागों के कार्यों दो सहसम्बद्ध करे और वह इस कार्य के लिए सीधे प्रबन्ध सचालक या महाप्रबन्धक के प्रति उत्तरदायी है। प्रविभाग प्रबन्धक मिलकर एक प्रबन्ध मटल बनाते हैं, जिसका सभापति प्रबन्ध सचालक या महाप्रबन्धक होता है। उनकी बैठक सप्ताह में एक बार होती है जिसमें प्रबन्ध सम्बन्धी मोटे प्रदेश पर विचार होता है और सारे कारबार के बारे में महत्वपूर्ण निदेश दिये जाते हैं।

एक प्रविभाग अनेक विभागों में विभक्त होता है, जिनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष एक प्रबन्धक होता है। विक्री विभाग में वह केता कहलाता है और गैर-

विकाविभाग में वह विभागीय प्रबन्धक बहलाता है। उसके आधीन प्रत्येक भेता के साथ कुछ सेल्समैन या विश्री सहायक होते हैं। उसका काम यह देखना है कि ये सहायक दक्ष और शाहदो के साथ नज़र हो। वह दिवाने के लिए माल सजाने वा भी विरोपन होता है। दूकान में उसका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है और मुख्यतः उभरे ही सरीद सम्बन्धी चानुरुं और विवेक पर अन्तरोगत्वा दूकान की समृद्धि निर्भर है। बड़ी दूकानों — वश्रय वार्य या सेन्सर्सनिशिय एक लटिट कला बन गई है। विभागीय प्रबन्धक अपने विभाग के सुब्र लाभ कराने के लिये पूरी तरह जिम्मेवार है। वहुविभागीय दूकानों द्वारा सरीदी गई बन्युओं में य अधिक्तर वस्तुओं की कीमत सरीद के समय चुका दी जाती है और आमतौर पर विक्री नकद ही होती है। परन्तु कुछ दूकानों में स्वीकृत प्राहृष्टों को महोने या किनी अन्य अवधि तक के लिए उधार द दिया जाता है। वहूं सी बड़ी वहुविभागीय दूकानों आज-कल किस्त योजना पर वस्तुए बेचती है जिसमें प्राहृक को वस्तु फैरन मिल जाती है और दाम उसे कुछ कुछ समय बाद या विद्वा में चुकाना होता है। मोटे तौर से विद्वों में चुकाने की दो रीतियाँ हैं—एक तो अवक्षय या भाड़े पर सरीद (हापर-परचेड़) और दूसरी स्थिति नुगानान (डिफ़ॉल्ट पेंसेट)। इन पर आगे विचार किया गया है।

**पायदे और नुक्सान—वहुविभागीय दूकान वडे पैमाने के सुदूरा व्यवसाय की शायद सबसे अधिक उन्नेखनीय घटना है और इस पर बूहू परिभाषा सागठन के सब गुण और दोष लागू होते हैं लेकिन निम्नलिखित बातें विरोपन से लागू होती हैं। मुख्य पायदा है सरीदने में सुविधा। यह मुख्य रूप से सामान भरीदने की दूकान है। एक ही भवन में वहूं तरह की चीजें मिलती हैं और प्राहृक उसी दूकान में वयनी सब चीजें सरीद सहना है। केंद्रीय स्थान में अवस्थित होने से प्राहृक इसकी ओर अधिक आकृष्ट होते हैं जबकि मामूली स्थिति कालो सुदूरा दूकानों की ओर प्राहृक उनका नहीं जाने। बन्युओं की विविधता प्राहृष्टों को आकृपित करती है और विनाशना तथा उचित व्यवहार नियम है, वपवाद नहीं। इस तरह की दूकान वा स्टॉप सेवा है। वहूं से लोगों को कई विभागों में से गुजरना पड़ता है और इसलिए उन्हें उभी भवन में वे चीजें सरीदने की प्रेरणा मिलती है जो वे बाहर सरीदते या विलकूल नहीं सरीदने। प्रायेक विभाग दूसरे का विज्ञापन करता है। इसके विपरीत, जो विस्तृत सेवाए प्रभुत वी जाती है उनके कारण ऊपरी सर्वे, और इमीलिए, कीमतें बढ़ने लगती हैं। इन दूकानों की मिति, जो निवास वाले शेषों से दूर होती है, के कारण घोटी दूकानों को पायदा रहता है जो अधिक बन्युल स्थानों में "बाजार के पास" होती है।**

**दाक प्राइवेट व्यवसाय—दाक आइटम व्यवसाय को केंद्र के दृष्टिकोण संक्षेप में दाक द्वारा सरीदा बहा जा सकता है और यह मुख्यतः सुविधा के बारम सेवों को अच्छा लगता है। प्राहृक पर बैठावैठा चीजें सरीद सहना है और इस**

धारणा बनाते हैं। बात को आमतौर से आवर्षक शब्दों में लिख दिया जाता है और वहूत बार वह लिखा हुआ आमत भी हो सकता है। (५) विश्री की अपील रुद्धि बद्द होनी है, और उसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। (६) विश्री करने या आड़ेर मिलने में अमरुलता होने पर उसके कारण सोअना आसान नहीं।

सेवुक्सन दूकान या सुपर-मार्केट—अमेरिका में दोनों यूदों के बीच बे काल में खुदरा विश्रेता इकाइयों के विभिन्न प्रकार के जन्म दिया जिसे सेवुक्सन टूकान (कौम्बीनेशन स्टोर) या सुपर-मार्केट बतते हैं और जो प्रारूपिकतया पक्काएं और मौस का व्यापार करते हैं, १९२३ में सुपर-मार्केट खाद्य के बुल व्यवसाय का ३६% बरता था और १९३९ तक यह ५४% बने लगा। यह प्रारूपिकतया एक बड़ी 'दाम दो भाल लो' (कैरा एण्ड कैरी) खाद्य दूकान है, जिसकी विश्री एक लास फाल्डर वार्पिक से अधिक होती है। इसकी मूल्य विशेषता यह है कि व्यवसित दूकानदारों के बिना स्वयं अपने भन की चीज़े ले लेता है। ग्राहक एक छोटे रास्ते न दूकान में घुसता है और वह खुली खलमारियों में से (उन चीजों को होड़ कर जिहे बाटने की जात्तर हैं, अपनी पसान्द की चीजें बिना किसी विश्रेता की सेवा के ले लेता है। वहाँ पहियेदार गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिन पर वह स्तरीद-स्तरीद कर चीजें रखता जाता है और अन्त में जब वह ऊरी स्तरीद कर चूकता है तब उस थाली को जिसपर वह अपनी चीजें स्तरीद कर रखता रखता रखता या, टठा कर विक्रय करता या बाल्टन्टर पर रखता है, जहाँ एक बेल्व खारा हिसाब लगाता है और भूगतान नकद कर दिया जाता है। अगर कोई मेवा की गई होती है तो उसके पैस अलग लगाये जाते हैं। ये दूकानें बेचने वाले और खरीदने वाले, दोनों के लिए बड़ी फायदे की हैं। नकद भूगतान करके ग्राहक उधार के प्रभार से बच जाता है और स्वयं अपनी सेवा करके और अपनी बस्तुएँ घर ले जाकर नकद तथा भाल पहुँचाने का खर्च दबा लेता है। बड़ी मात्रा में खरीदने पर ग्राहक बड़ी मात्रा का खरीद से होने वाली मुपर-मार्केट की बचत में हिस्सेदार होता है। इस प्रकार बस्तुओं की लागत में कम से कम १००% की बचत आसानी से हो जाती है। और कीमत ही एकमात्र आवर्षण नहीं ग्राहक दूकान की स्तर्व्य करने वाली विविधता वो पसान्द करता है। किसी बड़ा वड़ुविभागीय दूकान की तुलना में ६०० से १००० तक बस्तुएँ रखती हैं, मुपर-मार्केट २००० से भी अधिक बस्तुएँ रखता है और वास्तव में जिसी वड़ुव अधिक बड़ी दूकान में १०००० तक बस्तुएँ होती हैं। इसमें भी बड़ी बात यह है कि ग्राहक विश्री के दबाव के अभाव को अनुभव करता है। वह यह अनुभव करता है कि मैं चीजें ढौटने में चाह जितनी दर रखा रखता हूँ। मुपर-मार्केट की सफलता ने वड़ुव सी वड़ुविभागीय दूकानों को यह उपाय अपनाने को प्रेरित किया है। हाल में ही खाद्य पदार्थों के चोकविश्रेता मुपर-मार्केट में शामिल हो गए हैं।

सौधी या घर-घर जाकर विश्री—सीधे या घर-घर जाकर बेचना खुदरा

विक्री का सबसे पुराना रूप है। धर-धर जावर बेचने वाले लोगों को मर्दी के बाद अद्यत्वव्यवस्था के मुदार के आरम्भिक दिनों में सबने अधिक सफलता होती दीखती है। सम्मान्यत ऐसा इन तथ्य के कारण है कि जब आनंदनियाँ पहले बड़ी हैं, तब ग्राहक उन विक्रेता से प्रभावित होते हैं जो उन्हें पास पहुँचना है जब कि वे दूजना पर जाकर खरीदने की बजाए पुरानी आदत किर से पकड़ नी नहीं पाये होते। नीथी विक्री की विधियाँ मिनव्यविनामूर्ग नहीं होतीं। हिलिंबरी की दृष्टि से दूजन से बेची गई वस्तु सीधी विक्रय की विधि में खनीदी गई वस्तु की अपेक्षा उन त्वर्च में ग्राहक के पास पहुँचाई जाती है। उनी ब्रालिटी की वस्तु यदि ठीक तरह बेची जाय तो वह धर-धर जाकर जिस कीमत पर बचों जा सकती है, उनमें कन खने में दूजन पर बेची जा सकती है। यह विधि खुदरा विक्रीशारी की सम्मान्यत सबसे इंठित विधि है। न केवल श्राहन ने मिलने में बहिक खनों वस्तुएँ दिवारे में और विक्री बन्द करने में भी एक विशेष विक्री कला की आवश्यकता है। धर-धर जावर बेचने के लिए मध्यम आकार के और छोटे नगर ही अधिक में अधिक चर्तम है। स्थायी ग्राहक बनाना मुश्किल होता है।

### किस्त पर बेचना

हाल के दर्शों में बड़ी दूजाओं ने विक्रेतों के आवार पर वस्तुएँ बेचना शुरू कर दिया है। किस्त योजना, भाड़ा-सरीद या स्टीत मुआवत के रूप में हो सकती है। भाड़ा-सरीद पहुँचि में ग्राहक वस्तुओं का कदा, तुरन्त ले लेता है और निश्चित दिनों बाद एक निश्चित राशि चुकाता है। स्वामित्व अभी विक्रेता में ही निहित होता है और यदि ग्राहक कोई किस्त न दे तो विक्रेता सारी वस्तुओं पर पूँः कम्बजा कर सकता है और यदि तक चुकाई गई किस्तें भी जप्त कर सकता है। बाजून में नियनकान्ति मुआवतों को भाड़े का प्रभार माना जाना है और बग़ अदादों नियमित रूप से वी जाय तो भाड़ा देने वाले को पूरा मुआवत करने पर वस्तुएँ खरीदने की स्वतन्त्रता होती है। जब तक इन अवकाशों का उपयोग न दिया जाय तब तक भाड़े पर लो हुई वस्तुएँ वह बाज़न कर सकता है। भाड़ा-सरीद नमूदन कर सार दह है कि इनमें खरीदने का कोई इकरार नहीं हूँगा, बक्कि नाड़े पर लेने वाले को कुछ अवस्थाओं में खरीदने की, अर्दात् पूरी कीमत चुका देने पर खरीदने की स्वतन्त्रता दी गई। भाड़ा-सरीद पहुँचि को कुछ साहसी खुदरा विक्रेताओं ने लकड़ियाँ न दिया है और वे खरीदने वाले को और अधिक आकर्षित करने के लिए यह मुश्किल देते हैं कि वे एक निश्चित राशि जना करने के बाद कुछ समय बाद मुआवत कर सकते हैं। वस्तुओं पर खेता का कम्बा हो जाने पर वे उस की ममता ही जाती है विक्रेता उन वस्तुओं का कुछ हिस्सा बाज़न ले सकता है, जिनकी किस्त नहीं चुकाई गई है, पर जिनकी किस्त चुकाई जा चुकी, वे वस्तुएँ ग्राहक रख सकता हैं। परन्तु आनंदी समझौते द्वारा इन अवस्थाएँ को बदला जा सकता है।

किस्त पद्धति के गुण और दोष—किस्तों में खरीदने की विधि में जपने लाभ है और यह आर्थिक दृष्टि से सुस्थित है वशर्ने कि इसका दुर्घटयोग न किया जाय। इस पद्धति से घर पर फरिश करता या भाड़ा खरीदता भी हपेण्ट लाभदायक है, और इसने बचत की प्रवृत्ति पैदा होती है। पर केता वो श्रीघ्र कर्जे की सुविधा का मूल्य चुकाना पड़ना है और विक्रेता यह सुविधा देने और अतिरिक्त जोखिम उठाने का प्रतिफल चाहता है। इम पद्धति में सम्भरण कर्त्ता उपभोक्ता के लिए वही काम करता है जो योक विक्रेता कम पूँजी वाले खुदरा विक्रेता के लिए करता है। वह बस्तुएँ उधार देकर उपभोक्ता की धन की वर्तमान कमी को पूरा कर देता है, और केता इन शर्तों के कारण अपनी भविष्य की आमदनी में से बचाकर उधार चुका सकता है। विक्रेता या तो सब कीमत ऊँची रखकर, और नकद भुगतान पर बढ़ा छोड़कर जबवा लागत कीमत में कुछ प्रतिशतकता जोड़कर बस्तुओं की ऊँची कीमत बसूल बरता है। यदि वह लाभन कीमत में कुछ जोड़ता है तो प्रतिशतकता प्राय उम अवधि के अनुसार बदलती रहती है, जिसपर किस्तों के भुगतान को फैलाया जाता है—अवधि जितनी लम्बी होगी, प्रतिशतकता उतनी ही अधिक होगी। इस अवधि के लाभ यह है कि इससे अपार को प्रोत्साहन मिलता है। चेहरे आमदनी बाल लोगों के लिए नकद रुपया देकर महगी चीजें खरीदना असम्भव है। इससे ग्राहक अपनी खरीदी हुई चीज का भुगतान करने के लिए बचत भी बरता है। नकद खरीद के लिए पर्याप्त रुपया होने की प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा की अवधि इतनी लम्बी होगी कि सम्भाव्यत इसी बीच में वह अपना धन इधर-उधर कर देगा। पर इस पद्धति का नुकसान यह है कि इस में व्यक्ति बहुधा उतनी बस्तु खरीद रेता है जितनी का भुगतान करना उसके सामर्थ्य से बाहर होता है। वह अनौचित्य की सीमा तक अपनी भावी जाय बधाएँ रख देता है। इसलिए किस्तों पर खरीदते हुए अति से बचने का धरन करना चाहिए।

इस पद्धति की इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह भविष्य के व्यापार को पहले ही करने जैसा है और जब मन्दी आती है तब भाड़ा खरीद अनुबंधों के अच्छे समय में किए गए और उन बस्तुओं से सम्बन्धित, जो पहले ही नप्ट हो चुकी हैं, वो उनके मौजूद होने से उसका प्रभाव बड़ा जाता है, पर सम्भाव्य यह है कि इस पद्धति के खतरों को बढ़ा चढ़ा कर दताया गया है। भाड़ा खरीद वित्त में बहुत साते का अनुपान उस अनुपात से कम होता है जो महानीया या वैकरा की उठाना पड़ता है। इसके अलावा पूँज उत्पादन (मान प्रोडक्शन) के लिए पूँज उपभोग की आवश्यकता है और इसे प्राप्त करने का एक शारीरीक तरीका यह है कि उपभोक्ताओं के उधार का विस्तार कर दिया जाय। यह सच कहा गया है कि उम व्यक्ति को रुपया उधार देना अधिक अच्छा कारबार है जो विक्री के लिए उत्पादित बस्तुएँ खरीदेगा। उस फक्टरी के निर्माण के लिए रुपया उधार देना अच्छा व्यवसाय नहीं जो अभी बस्तुओं का उत्पादन करेगी। सम्भव है कि वे बस्तुएँ

काम के माय कठिनाई से बिके या बिलकुल ही न बिके। इन पद्धति के गुण और दोष जहे जो भी हों, पर यह जड़ फ़क़ड़ चुकी है। अमर्त्यी परत उम बन्तु की प्रज्ञनि ही प्रतीत होती है जिस पर यह पद्धति काम होती है। जहाँ कोई बस्तु स्थायी क्वालिटी और उपयोगिता वाली हो वहाँ यह पद्धति काफी लाभदायक होती है, पर जो बन्तुर्द ख़्यायी उपयोग की हैती है, या जो नुगकान पूरा होने से पहले उप-भूमि हो जाती है, वे माहा-सरीद के लिए उपयुक्त नहीं। केता के दृष्टिकोण से इन पद्धति से जावददृता की बस्तुर्द सरीदता प्रशंसनीय है और मुविमा की बन्तुर्द सरीदता अवहार्य है।

उपनीतनामों की सहकारी दूकानें—उपनीतनामों की सहकारी दूकानें उप-भूमिकाओं द्वारा नियंत्रित स्वेच्छया बनाये हुए संगठन हैं। उनका लक्ष्य उपचारन, शोक विक्रय और सुदृढ़ा विक्रम के कार्य करना है। सहकारी दूकानों को नव से अधिक मरुलता सुदृढ़ा दूकान के काम में हुई है। विस्तृत विवेचन के लिए “सह-कर्त्ता उपकरणों” बाला अवार दे इन चर्चाहार।

## अध्याय ३०

# परिकल्पन (स्पेक्युलेशन) और संगठित बाजार

**परिकल्पन-** स्पेक्युलेशन शब्द लेटिन के स्पेक्युलेयर शब्द से बना है जिसका अर्थ है दूर से देखना, इसलिए इसका अभिप्राय यह है कि भविष्य की घटनाओं की परिकल्पना करना। बाजार के व्यवहार के प्रत्येक में इसका अर्थ है पदार्थों या प्रतिमूलिकों को लाभ उठा कर, विसी ओर समय, प्राय उसी बाजार में बेचने या खरीद करने के उद्देश्य में, खरीद लेना या बेच देना। इसमें परिकल्पक जो वस्तुएँ खरीदता या बेचता है, उनकी वर्तमान और भावी मूल कीमतों के बन्तर से लाभ उठाया जाता है। परिकल्पक द्वारा नियोजक में यह भेद है कि परिकल्पक मूल्यों में परिवर्तन की सम्भावना से लाभ की आशा रखता है जो खरीदता या बेचता है। नियोजक व्यापिक आय कमाने के लिए सम्पत्ति खरीदता है। इस प्रकार परिकल्पक पूँजी की हानि की अधिक दृष्टि जोखिम उठाता है, और साथ ही अधिक बड़े लाभ की आशा भी करता है। परिकल्पक व्यवसाय में निम्नलिखित एक या अधिक चीजें होती हैं।

बंध उपकरण, जो किसी व्यवसाय, कुशल व्यवित हारा सावधानी स माँग का हिसाद लगाकर, उसकी पूर्वकल्पना करते हुए लाभ मिलने के उद्देश्य में उत्पादन करके किया जाता है। इसमें जोखिम वा अवश्यकता सीमित है और अतिकुशल उपकरणी इसे और कम कर सकता है।

बास्तविक परिकल्पन जिसमें आदमी किसी उपकरण में धन का नियोजन करता है— इस उपकरण के जोखिमा और विवरणों वा किसी आदमी को पता नहीं चलता। उपज विनियम स्थानों और थोरीचत्वरों (स्टोर एक्सचेंज) के व्यापारी कमश जिस (Commodities) या प्रतिमूलिकों की कीमतों के बढ़ान या ऊतार की सम्भावना पर परिकल्पन करते हैं। पदार्थों की अवस्था में, अगर फसलें प्रभूत होने की सम्भावना है तो वे भविष्य में कीमतों की कमी का अनुमान करके गाल प्राप्त करने का अपना अधिकार बेख देते हैं। यदि फसलें हल्की होने की सम्भावना है तो वे भविष्य में कमी और ऊर्जा कीमतों होने की अवस्था करके यथासम्भव अविन्दम पश्चार्य खरीद रेत है। व्यापारी वे पास विशेष प्राविधिक और साधारण जानकारी होती है और वह घटनाजा व भविष्य के सम्बन्ध में अपन निषय के अनुसार ही परिकल्पन बरतता है। परन्तु उसके परिणाम गलत करने वाली इतनी बातें चीजें या सज्जनी हैं कि उमरा व्यवसाय सारत परिकल्पनात्मक है— कभी

उसको बहुत लाभ भी हो सकता है और कभी हानि हो सकती है कि कह बरबाद हो जाय।

जुधा या अवैध परिकल्पन (सट्टा) मुख्यत उस कारबार को सुचित छरता है जो परिकल्पनों द्वारा बहुत भारी लाभ प्राप्त करने की आशा में बंधे हो कर दिना कुछ जाने किया जाता है। इन अवहारों में बाजार का जानदृश कर छलसाधन (मैनप्युलेशन), उदाहरण के लिए, बाजार हृषियाना (कोरनरिंग), भी शामिल है जो बहुत पर घूर्ते आपरेटर द्वारा किया जाता है। हानि की जोखिम बहुत होती है। बहुधा सारी की सारी नियुक्ति पूँजी लुप्त हो जाती है, पर मुख्य बुराई इस बात में है कि आपरेटर वास्तव में बहुत कम जोखिम उठाते हैं क्यों कि ये अधिकतर उधार ली हुई पूँजी के आधार पर या विलकुल बिना पूँजी के सट्टा करते हैं। इस प्रकार अधिकतरों में तजड़िये और मैंदड़िये आपरेटर नियित्रों और शेयरों के लिये लोगों की मौतंग को प्रभावित करने के उद्देश्य से कीमतों को छलसाधन करते हैं। जब कीमतें काफी बढ़ जाती हैं या काफी गिर जाती हैं, तब उच्ची कीमतों पर ये आपरेटर अपना माल बेच डालते हैं, या कम कीमतों पर बहुत सारा खरीद डालते हैं। इस प्रकार का व्यापार समाज के लिए हानिकारक है क्यों कि नियोजक को इसकी हानि उठाती पड़ती है और कीमतों में बहुत अधिक उत्तार-चालाव पैदा कर दिये जाते हैं। वैध परिकल्पन कीमतों की घटनवड को कम करने की प्रवृत्ति रखता है। सट्टा इसे सिर्फ बढ़ाने का काम करता है।

परिकल्पन के आर्थिक प्रभाव—वैध या व्यापरिक या समर्थित परिकल्पन का भौलिक परिणाम है समरण तथा मौतंग क सनुलन की स्थापना में सहायता करना। इस के प्रभाव में दैनिक बाजार कीमतें भौतिकी बाजार कीमतों के अनुरूप होने लानी हैं और भौतिकी बाजार कीमतें ऐसी होने लगती हैं जिन पर सारे भौतिक का माल निकल जाय। कुछ उद्योगों में हानि की जोखिम अधिक होती है, जिसे कर उन उद्योगों में जो रुई, ऊन, गेहूँ आदि कच्चे सामान बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं फसलों की मात्रा और क्वालिटी हमेशा अनिश्चित और मनुष्य के कावू से बाहर की बातें हैं और कुछ-कुछ समय बाद काटी जाने वाली कच्ची उपज की प्राप्ति में प्राप्ति नियमित रूप से और लगातार नहीं होती, पर दूसरी ओर मौतंग स्थिर होती है। रुई, ऊन, और गेहूँ औद्योगिक कार्यों के लिए सब जगह और सब समय चाहिए। इसलिए यदि अन्य दक्षिण औचनान को कम करने के लिए यतनशील न हो तो उत्पादन के इन विभागों में कीमतों की घटनवड चरम सीमा तक और जाने लोगी। ये बड़े अतिसर्वाधित उत्पन्न बानारों पर और प्रतिमूर्तियों की अवस्था में अधिक चरवा पर अपना प्रभाव डालते हैं। केता और विकेता बड़े जानकार विचोदिये होने हैं, जिनकी जीविका लाभ का पूर्वानुभाव करने से ही चलती है। वे वास्तव में

कच्चे सामान वा मरी हाथ नहीं लगात, बहिक उत्पादका और निर्माताओं के बीच में भव्यवर्तिया के रूप में कार्य करते हैं। उनकी काय करने की रीति इस बात से निर्धारित होती है कि वे घटनाको के भावी मार्ग वा क्या तरीकीना लगाते हैं। यदि उनके विचार से कीमतें गिरेगी तो वे भविष्य की डिलिवरी के लिए माल वेचने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि उनको कीमतों के चढ़ने की आशा है तो वे भविष्य की डिलिवरी के लिए माल खरीदने लगते हैं। बत्तेमान विनी, कीमतों को इस समय कम करने लगती है, और इसलिए पूर्वानुमानित उतार की कीद्रता कम करने लगती है। इसी प्रकार, बन्दमान खरीद कीमतों को तुरन्त चढ़ाने लगती है और इस तरह निकट भविष्य में अति तीव्र बुद्धि की गुजायश कम हो जाती है। यदि परिकल्पक का निणय सही हो तो उसकी खरीद वैच स्थिर होने लगती है और प्रबंध उतार-चढ़ाव रुक जाते हैं। इस दृष्टि से वह मूल्यवान आर्थिक तत्व करता है और सारा समाज उससे लाभ उठाता है।

बुशल परिकल्पक माल के समदृत (equalised) वितरण में मदद करते हैं। उन्हें जो विशिष्ट जानकारी होती है वह उत्पादका के लिए वडी सहायक होनी है। इससे उत्पादन की ओर रोजगार की स्थिरता सम्भव हो जाती है। और बस्तुओं के सम्भरण और उनकी मींग वा सम्बन्ध होने लगता है। अनेक देशों की समिति बाजार विविध देशों के बीच आवश्यक पदार्थों का अधिक उपयुक्त वितरण भी होने देते हैं। यदि एक जगह खुले माल उपलब्ध है तो दूसरी जगह कभी हाना सम्भव नहीं। पैशेवर परिकल्पक न केवल कीमतें कुछ कम होने पर खरीदता है और जब कीमतें ऊँची होती हैं, तब वे चेता हैं, यत्कि वह जिस जगह कीमतें कम होती है वहाँ से खरीद कर, अधिक कीमत वाली जगही में भी बेचता है, और इस प्रकार एक और दूसरे स्थान के बीच कीमतों के अन्तर को कम करता है। परिकल्पन बुद्धि वा भाग्य के साथ सघर्ष है और जहा तक इस बात वा सम्बन्ध है ति परिकल्पन आवश्यक पदार्थों की कीमता और सम्भरण के विषय में विद्यमान अनि दिचतता का कम कर देता है, वहाँ तक वह अन्य मनुष्यों की मूल्यवान सेवा करता है।

हाल के दर्पों में शीलसंग्रह (Cold Storage) के विकास ने माल के वितरण पर और समदृत करा दिया है, और यह बात उन सौदों के प्रभाव से होती जो सारत परिकल्पनात्मक होते हैं। फल, मीम, मछली और अड़ा अब अनियमित मात्रा में बाजार में नहीं आते। जो बस्तुएँ विसी समय बहुत यत से होनी हैं, उन्ह सरीद कर व्यापारी दोतासग्रह में रख लेते हैं और कभी के रामय बेचते हैं। कीमतें अधिक एक रूप होती हैं और कुछ मिलानर व्यापारियों के राम की मात्रा सभावन कम हो जाती है। उन्ह जो खिम वर्म हो जाती हैं और समाज की ठीक ढंग के परिकल्पन के परिणामस्वरूप, विचौदिए की सेवाओं से कम लागत लगाकर माल मिल जाता है।

परिकल्पन से, विनोदकर विनिमय स्थानों में, व्यापारगत वस्तुओं के प्रमापन और थेगीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रनम से अनुबंधित वस्तु की क्वालिटी के बारे में सब विवाद समाप्त हो जाते हैं। परिकल्पन मुहूर्ण निधिमय बाजारों (स्टोक मार्केट) और उपज विनिमय स्थानों में होता है, जहाँ कीभतों से समरण माम और बाजार को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सकती है। विनिमय स्थानों का सगठन अत्यधिक विशेषीकृत और प्राविधिक कार्य है। इसमें ऐसी अवस्थाएं होती हैं, जिनमें व्यापार की अनेक पद्धतियां द्वारा, जिनमें पूँछ दामदा व्यापार (फ्लूचर्स) है, उत्पादकों को बाजार की घट घड़ की बहुत सी जोखिम से मुक्त होने का मौका मिलता है। यह जोखिम केवल स्थानान्तरित हो जाती है, परन्तु हैंजिंग (वृत्तिपण) के सौदों द्वारा एक दिशा में ली गई जोखिम को दूसरी दिशा में ली गई जोखिम से प्रतिरुलित करके सर्वथा लुप्त कर दिया जाता है। हैंजिंग के सौदे जुआ नहीं हैं, बल्कि एक तरह का दीमा है। जो निर्माता कच्चा सामान खरीदता है वह अपनी हिफाजत बर लेता है जिसके परिणामस्वरूप कीभतों के परिवर्तनों से उस न हानि होती है और न लाभ इस तरह घट्टी-घट्टी कीभतों की जोखिम से मुक्त होकर वह अपने मुहूर्ण कार्य पर ध्यान लगा सकता है।

पश्चेवर परिकल्पनात्मक सौदों से जो लाभ होता है, उनके मुक्काविले में कुछ गम्भीर दूराइयों भी विचारणीय हैं। ये दूराइया उन्हीं सुविधाओं के द्वारा पैदा होती हैं और बढ़ती हैं। जिनसे परिकल्पन अपने अच्छे प्रभाव डाल पाता है। पहली बात यह है कि जब कोई वस्तु प्रमापित हो जाती है तब कोई भी उसका सौदा करने लगता है। इसलिए ढडे दिमाग वाले और खूब जानकारी रखने वाले उन व्यापारियों के अलावा जिनमें बाजार के प्रभाव को परखने की योग्यता होती है, संकड़ों अज्ञानी और ज्ञानी और जीघ उत्तेजित होने वाले व्यक्ति जो एह बार विचारहीनता से काम करते हैं और दूसरी बार ढरते रहते हैं, परिकल्पन करने लगते हैं। ये “वाहूरी परिकल्पक” या “अज्ञानी” आम लोग सभी अनभ्यस्त जुआरियों की तरह सब के सब हानि उठाते हैं और उनमें से अधिकतर जन्त में बरवाद हो जाते हैं। इस तरह का परिकल्पन अधिकतर थेप्लिंग्चत्वरों पर किया जाता है और इस का कारण यह है कि व्यापारगत प्रतिभूतियों का स्वरूप समान होता है। इनी कम्पनी का शेयर या अश सर्वथा दूसरे शेयर के समान अच्छा होता है। दूसरी दिशा में अधिक गम्भीर और दूरामी आर्थिक हानियां होती हैं। व्यापक परिकल्पन विशेष कर विधिमयों और शेयरों का, औद्योगिक उत्तार-चड़ाव और सदृष्टों की दीवना को बढ़ाया करता है।

### समठित बाजार

थेप्लिंग्चत्वर और उपज विनिमय स्थान विशिष्ट बाजार होते हैं जो एक ऐसा स्थान प्रस्तुत करते हैं, जहाँ उनके सदम्य विशेष प्रकार के पदार्थों (प्रतिभू-

तियों या उपज) को खरीद या बेच सकते हैं अथवा इस काम के लिए विशेष रूप से बनाए गये नियमों के अनुसार सौदे कर सकते हैं। इन विनियम स्थानों में दो प्रकार के सौदे होते हैं—(१) हाजिर या नकद, (२) बायदा। हाजिर या नकद सौदा तत्काल पैसा चका बार किसी पदार्थ या प्रतिभूति को खरीदने या बेचने और डिली-चरी तुरत या एक दो दिन में ले लेने वो कहते हैं। बायदा व्यापार विसी भविष्य की तारीख में खरीदने या बेचने के कारण को कहते हैं, जिसमें डिलीचरी लेने और भुगतान करने का काम भविष्य की विसी स्थीरत तिथि वो होता है। सारत उपज विनियम स्थान और थेट्ठिचत्वर एक ही तरह समठित होते हैं। दोनों में एक ही प्रकार से सौदे किये जाते हैं और इसी प्रकार दोनों का लक्ष्य और कार्य की रीति भी एक ही है। व्यापारगत वस्तुओं में एक ही सी विशेषताएँ होती हैं, यद्यपि उनका उद्गम और प्रकृति भिन्न होती है। उपज विनियम स्थान और थेट्ठिचत्वर या निधिपत्र विनियम में मुख्य भेद दो प्रकार का है। उपज विनियम एक ऐसा स्थान होता है, जिस पर प्रायमिक पदार्थ अर्थात् उपभोग और आगे उत्पादन के लिए अभिप्रेत और भूमि तथा पानी के तल वे भीते से निकाली जाने वाली व्यिक्षण वस्तुओं की खरीद और विक्री होती है, इसके विपरीत, थेट्ठिचत्वर या निधिपत्र विनियम स्थान वह स्थान है जहाँ निधिपत्र, शेयर और अन्य प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। दूसरा अन्तर इस तथ्य में निहित है कि कम से कम शुहू में, निधिपत्र विनियम स्थान लोगों को नकदी की आवश्यकता होने पर अपने शेयर बेचकर नकद रूपया प्राप्त करने का अवसर देता था और इसका व्यापार का पहलू गौण था। उपज विनियम स्थानों में सच्चा व्यापार हमेशा हुआ है, यद्यपि हाल में निधिपत्र विनियम स्थानों में व्यापारिक पहलू प्रमुख हो गया।

**व्यापारगत पदार्थों की विशेषताएँ—**सब प्रकार के पदार्थ गमठित बाजार में नहीं लाए जा सकते। वहाँ के लिए वही पदार्थ उपयुक्त है जिसमें निम्नलिखित पाँच विशेषताएँ हो—(१) यह समान होना चाहिए जिसमें क्वालिटी के बारे में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्थानों और समयों पर यह एक ही पदार्थ समझा जाय। (२) इसका थेणीकरण, तोल, माप या सरयाकरन हो सकना चाहिए ताकि नमूने या वर्णन द्वारा सौदा हो सके और सब लोग इसे एक वस्तु के रूप में स्वीकार कर सकें। (३) यह टिक्काऊ होना चाहिए यानी बायदे के बनूवध की अवधि में जो एक वर्ष या इसमें भी अधिक हो सकती है, खराव न होना चाहिए। (४) उस पदार्थ का व्यापार इतना और इतनी बड़ी मात्रा में होना चाहिए कि उसके लिए दी जाने वाली सुविधाओं की लागत उचित जावे। (५) इसका समठित परिकल्पना-त्मक सौदा हो सकना चाहिए। दूसरे शब्दों में, माँग में, इतनी बादी घट-घट होनी चाहिए कि उत्पादन की दर में द्रुत परिवर्तनों द्वारा सम्भवरण तत्काल माँग से सम्भित न हो सकता हो, यद्योऽनि यदि शीघ्र समजन हो सकता है तो व्यापारियों को ग्राम का मौका बहुत थोड़ा है। घरस्ती की स्वाभाविक पैदावार, जैसे अनाज, दई,

चीनी, तिलहन, काफी, कोको, बलोह धातुएं, रखड़, रेशम, जूट, जूट की दोरिया, विनोले का तेल, तरे का तेल, खनी, शल्कलाका (Shellac), सुअर के मास के उत्पादन, बांगे पिर्च, ऊन, खाले, राराव, ऐल्फोहल बदि शर्तों को पूरा करते हैं और इसलिए सगठित उपचर विनिमय स्थानों में इसके सौदे होते हैं, परन्तु पूर्णता या आनंद निर्मित बन्नुएं शर्तों को पूरा नहीं करती और इसलिए वे सगठित बाजार में सौदे के लिए उपयुक्त नहीं। उनकी बहुत सी किसी होती है और प्रत्येक किसी इनना बड़ा समांग समूह नहीं दिया सकती, जिनका पुज इस में सौदा किया जा सके। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां में (जो आम तौर से स्टॉक एक्सचेंज की प्रतिभूतियां कहलाती हैं) आदर्श समागम और प्रमाप होता है। इसलिए वे बायदे बाजार और परिकल्पन के लिए उपयुक्त होती हैं और इस प्रकार उन्हें निषिपत्र विनिमय स्थानों में बेवा सहीदा जा सकता है।

### थेटिं चत्वर या निषिपत्र विनिमय स्थान (स्टाक एक्सचेंज)

अब तबा आधिक शर्य—जो लोग प्रतिदिन थेटिंचत्वर पर आम करते हैं उन्हें भी इसके बर्य की ठीक धारणा नहीं मालूम होती। कुछ लोगों की दृष्टि में यह बलीवाला का सजाना या झटपट धनी हो जाने का स्थान है, और कुछ लोग इसे सट्टे या जुए की जगह समझते हैं। इसे तस्तर का बड़ा बाजार, राष्ट्रों की राजनीति और वित्ती का स्नायुकेन्द्र और उनकी समृद्धि का पैमाना माना जाता है। इसे अधाह कूप और सब तरकों से भयकर भी कहाया गया है, पर इसे ठीक-ठीक शब्दों में देख भी और बाहरी दुनिया की विभिन्न कम्पनियों के निषिपत्रों और दोयरों तथा अन्य प्रतिभूतियों की विक्री और सरीद का बाजार कहा जा सकता है। यदेकि जिन प्रतिभूतियों का इसमें सौदा होता है वे ससार के हर भाग में सम्पत्ति को निष्पत्ति करती है। इनलिए थेटिंचत्वर को ससार का बाजार कहा गया है। थेटिंचत्वर का व्यवसाय धन बाजार के बलावा और सब बाजारों की तुलना में विविधतापूर्ण और विवरणायी होता है। इसका व्यवसाय व्यवसायों का व्यवसाय है। यह राष्ट्रों की राजनीति और वित्ती का स्नायु केन्द्र है क्योंकि इसमें इतिहास का निर्माण करनेवाली सब वार्ते समन्वित होती हैं और उनकी तत्काल अभियन्त्रित हो जाती है। थेटिंचत्वर के दिना किसी देश का आणिज्यिक और आधिक जीवन कभी उन्नत और परिष्कृत नहीं हो सकता। परोक्षत यह सत्या उद्योग और वाणिज्य के सबसे बड़े शक्ति तत्त्व दानी पूर्णी की व्यवस्था करती है। यदि किसी आविष्कारक को किसी विचार का नहीं किसी नहीं करना चाहिए ही तो उसी नहीं ही विचार करना है, यदि किसी वैकार को अपनी निधि से लाभ बमाना है, यदि सरकार जो कोई योजना वित्तपोषित करती है तो ये सब के सब अन्त में थेटिंचत्वर ही पूँछते हैं। इस बर्य में इसे सब व्यवसायों का व्यवसाय बहा जाता है। यह

परिवल्पन और नियोजन के लिए पूँजी वा अग (व्यस्त) है। इसके सदस्यों वा सद्गुजीपति नियोजको और परिवल्पको ने निकट सम्पर्क होता है। इसके बलावा, जिन प्रतिभूतियों पर धन दिया जाता है, उनके लिए उन्मुक्त वाजार की घटवस्था बरके थ्रेप्टिचत्वर अभिदानों (Subscriptions) को आकृष्ट बरता है और सच तो यह है कि जहाँ अन्यथा अभिदान सम्बन्ध न होते वहाँ उन्हें सम्बन्ध देना देना है। अधिकार सर लोगों द्वारा यदि यह निश्चय न हो कि आवश्यकता होने पर वे थ्रेप्टिचत्वर द्वारा प्रस्तुत उन्मुक्त वाजार में प्रतिभूति बेचकर इसका धन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो वे अच्छी-से-अच्छी प्रतिभूतियों के लिए भी अपना पैसा देने में हिचकिचाने। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि थ्रेप्टिचत्वर से पूँजी द्वारा चलिष्टुता बढ़ जानी है। यदि थ्रेप्टिचत्वर न हो तो सरकार द्वारा उधार लेना बठिठ हो जाय। फौरन पूँजी न खिलने से बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक योजनाएं घरी रह जायेंगी। न रेले घरती पर चल सकेंगी और जहाज समुद्र पर; उपरम निरस्ता-हित है जायेगा, इत्यादि। थ्रेप्टिचत्वर वा सरकार की समृद्धि से विशेषतया प्रतिष्ठ सम्बन्ध है, और उस समृद्धि के साथ-साथ इसका विकास हुआ है।

**थ्रेप्टिचत्वरों का इतिहास—थ्रेप्टिचत्वरों की वृद्धि अपेक्षया टाल में ही हुई है।** दो शताब्दी पहले समार में कोई थ्रेप्टिचत्वर नहीं था, और लदन स्टौक एकम-चैंब, जो अपने डग का सबमें पहला एकमचैंब था, सौ वर्ष पहले निरा दुधमुहा बच्चा था। इसकी स्थापना १७७३ में हुई थी और यह योग्य ही सासार का वित्तीय स्नायु बन्द हो गया। अपने बत्त मान स्थान केपल्कोट में यह १८०१ में आया और १८०२ में परिसोधन विलेख (डीड बाक सेटिलमेन्ट) के बघीन गठित हुआ। एक शताब्दी के काल में फ्रास ने लदन का अनुकरण विया और कुछ समय बाद जर्मनी और अमेरिका भी इस क्षेत्र में आ गए। परन्तु भारत में आधुनिक अर्थ में थ्रेप्टिचत्वर १८८० से पहले बनात था और नेटिव शेयर एन्ड स्टौक ब्रोकरें प्रोसेसिएशन बाजे था बम्बई स्टौक एकमचैंब बोपचारिक रूप से १८८७ में गठित हुआ। बलवत्ते में वर्ननान बलवत्ता स्टौक एकमचैंब की स्थापना से बहुत पहले सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन होता था। प्रतिभूतियों खरीदने और बेचने का काम सार्वजनिक स्थानों में होता था, पर १९०८ में बलवत्ता स्टौक एकमचैंब एसोसिएशन के नाम से एक एसोसिएशन स्थापित विया गया। मद्रास में पहला स्टौक एकमचैंब १९२० में बना पर १६२३ में इसे बदल हो जाना पड़ा फिर १९३० में मद्रास स्टौक एकमचैंब लिमिटेड के नाम से इसे पुनर्जीवित विया गया और महत्व की दृष्टि से इसका स्थान बम्बई और कलबत्ते के बाद है। १९३८ में बम्बई में इडिपन स्टौक एकमचैंब लिमिटेड के नाम से एक नया स्टौक एकमचैंब लोला गया जिसके सचालक मण्डल के सदस्य बड़े शक्तिशाली थे। यद्यपि सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी है, तो भी इसमें वायदे का लेन-देन बहुत मात्रा में होता है। क्योंकि कलबत्ता स्टौक एकमचैंब सिर्फ नकद रेन-देन करने देता था, इसलिए कलबत्ते में बम्बई स्टौक एकमचैंब के नमूने पर वायदा

## परिकल्पन (स्पेक्यूलेशन) और समिति बाजार

व्यापार करने के लिए १९३७ में बगाल शेयर एण्ड स्टोक एक्सचेंज एसोसियश लिमिटेड नाम का एक और एसोसियेशन शुरू किया गया। विभिन्न नगरों में और भी बहुत से स्टॉक एक्सचेंज हैं पर वे मुख्यतः स्थानीय हैं और उनकी कार्यप्रणाली बम्बई तथा कलकत्ता के नमूने पर हैं। अहमदाबाद शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, यू० पी० स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, कानपुर, हैंदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का नाम उनमें उल्लेखनीय है।

**गठन—**भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के गठन में साधारण समस्पता है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर और सब भारतीय कम्पनी अधिनियम १९१३ के अधीन रजिस्टर्ड सीमित दायित्व कम्पनियाँ हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लन्दन स्टॉक एक्सचेंज की तरह अनिवार्य, सर्वथा निजी स्वेच्छया निमित लाभ न करने वाला एसोसिएशन है और वह ३३ अनुच्छदों वाले एक पार्षदविलेख (डीड आफ एसोसिएशन) तथा बम्बई सरकार द्वारा अनुमोदित और मजूर किये गये नियमों से शासित होता है। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज बम्बई के नमूने पर हैं पर मुख्यतः स्थानीय सूनी मिलों के दोयरों का लेन-देन करता है। कलकत्ता एक्सचेंज की पूँजी तीन लाख रुपये हैं जो एक एक हजार रुपये वाले तीन सौ साधारण दोयरों में विभाजित है। कोई भी सदस्य एक से ज्यादा दोयर नहीं ले सकता। मद्रास स्टॉक एक्सचेंज की पूँजी चालिस हजार रुपये हैं, जो पाँच-पाँच सौ रुपये वाले बाहर सर्वथापक सदस्य दोयरों में और एक-एक हजार रुपये वाले साधारण सदस्य दोयरों में विभाजित हैं, और पूँजी घटाने या बढ़ाने का अधिकार इसे प्राप्त है। यू० पी० स्टॉक एक्सचेंज की पूँजी ५० हजार रुपये हैं जो ढाई-ढाई सौ रुपये वाले दोसौ दोयरों में बटी है। हैंदराबाद एक्सचेंज की पूँजी दोयरों द्वारा सीमित कोई पूँजी नहीं, पर प्रत्येक सदस्य ने यह बचत दिया है कि यदि उसे बन्द किया गया तो वह कम्पनी की आस्तियों में अशादान करेगा।

भारत में प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में एक स्टॉक एक्सचेंज है, परन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। इसे एक राष्ट्रीय संस्था कहा जा सकता है यद्यपि कलकत्ता और मद्रास एक्सचेंज भी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में नियोजक जनता की उपयोगी सेवा करते हैं। क्योंकि भारत में उद्योग किसी विशेष स्थान में अधिक मात्रा में है, इसलिए कुछ प्रकार की प्रतिभूतियों का लेन-देन खाल एक्सचेंजों में स्थानबद्ध होने की प्रवृत्ति रही है। उदाहरण के लिए, बम्बई विशेष रूप से इन्सार और टैक्सटाइल दोयरों का लेन-देन करता है, यद्यपि अन्य प्रतिभूतियों का भी लेन देन वहाँ होता है। कलकत्ता में जूट, चाय, कोदला, और माइनिंग दोयरों का कारबार अधिक होता है। मद्रास में मुख्यतः प्लान्टेशन दोयर चलते हैं और अन्य प्रतिभूतियों के लिए वह स्थानीय बाजार है। चौनी दोयरों का कारबार कानपुर एक्सचेंज पर अधिक होता है। मद्रास और कलकत्ता

अधिकतर नियोजन के लिए है, जबकि बम्बई में परिवर्तन के लिए अधिक अच्छा क्षेत्र है।

**प्रबन्ध—प्रत्येक स्टोक एक्सचेंज के कारबार का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध समिति करती है जो विभिन्न एक्सचेंजों में विभिन्न नामों से पुकारी जाती है : बम्बई स्टोक एक्सचेंज में यह गवर्निंग बोर्ड कहलाती है। भट्टाचार्य और अन्य स्थानों में इसे कॉसिल आफ मैनेजमेंट बहते हैं और इन्हें एक्सचेंज में इमवा नाम दियें हैं। प्रत्येक स्टोक एक्सचेंज के कार्यसचालन के नियम अपने-अपने हैं। कमेटियों को पर्यावरण और प्रदूषक की माधारण दखिया है परं रोजर्मर्टा का प्रबन्ध उपसमितियाँ जैसे, मध्यस्थ निर्णय समिति (आविट्रेशन कमटी), वशोधी समिति (टिफाल्टमं कमटी), मूर्चाकर्ता समिति (लिस्टिंग कमटी), आदि करती हैं। प्रम्पासियों का एक निकाय, जो एसोसिएशन की एवं साधारण सभा द्वारा नियुक्त होता है, जैसे बम्बई में, एनोसिएशन के घन और सम्पत्ति की देख रेख करता है। लदन स्टोक एक्सचेंज में १९४५ से पहले समितियों द्वारा नियन्त्रण होना था। एवं प्रबन्ध समिति थी जो मालिका की प्रतिनिधि थी और एवं साधारण नामों के लिए समिति थी, जो सदस्यों की प्रतिनिधि थी, (शेयरो होल्डरों या मालिकों की नहीं)। १९४५ में दोनों को मिलाकर एवं कॉसिल आफ स्टोक एक्सचेंज बना दी गई, जो कारबार तथा वित्त दोनों ओरों को समालती है।**

**सदस्यता—**स्टोक एक्सचेंज पर सिर्फ़ सदस्य ही कारबार कर सकते हैं। गैर सदस्य को, जो इस पर प्रतिभूतियाँ खारीदना या बेचना चाहता है विस्तीर्ण सदस्य की मार्फत यह कार्य करना होगा। बाहरी लोगों का मतान में भी नहीं घुसने दत्ते। स्टोक एक्सचेंज का सदस्य होने के लिए उसके नियमों का धार्लन करना पड़ता है। सदस्यता सिर्फ़ वयस्कों के लिए खुली है और बन्दर्द एक्सचेंज २१ वर्ष से कम उम्र वालों को सदस्य नहीं बनाता। दिवालिया और पागलों को सदस्य नहीं बनाया जाता। सदस्यों को व्यवसाय के प्रयोगन न विज्ञापन करने की इनाजन नहीं और न वे व्यावसायिक परिषिव जारी कर सकते हैं। सदस्य एवं दूसरे वे विश्वद बानूमी कार्यवाही नहीं करत वित्त उन्हें भव विवाद मध्यस्थ निर्णय कमटी के पास भेजने चाहिए। मुद्रृट वित्तीय हिति वालों को ही सदस्य बनाया जाता है। प्रत्येक स्टोक एक्सचेंज प्रबन्ध शुल्क और नियमित चन्दा अधिक रखता है। कुछ स्पष्ट जमा भी रखना पड़ता है। बम्बई स्टोक एक्सचेंज का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे गवर्निंग बोर्ड में एक कार्ड हासिल करना चाहिए। यदि वह विभीती सदस्य का युत नहीं तो उसे २० हजार रुपये नकद या स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में जमा करने पड़ते हैं। कार्ड की कीमत २० हजार रुपये और ५० हजार रुपये के बीच में रहती है। १९३० में इसकी कीमत ४८ हजार रुपये थी, फिर २० हजार रुपये हो गई, फिर इसके बाद चढ़कर ४० हजार रुपये हो गई। करक्षणा

और प्रदान आदि के नियमित एक्सचेंजों का सदस्य होने के लिए वादमी को बम-मेक्स एक बैंयर जबर सरीदना पड़ता है। प्रवेश शुल्क (उदाहरण के लिए कलकत्ता एक्सचेंज में ५ हजार रुपया) भी देना पड़ता है बैंयरों का बाजार मूल्य उनके अकित मूल्य में प्राप्त है। इनके लिए बैंयर का बाजार मूल्य ३० हजार रुपये के बाम-दाम है, और वहाँ जाना है कि १९४८ में यह एक लाख रुपये तक पहुँच गया था। नई सदस्यता की अवस्था में दो प्रत्येक सदस्यों द्वारा मिलारिश आवश्यक है। अगर किसी सदस्य द्वारा कोई आसनि न ढाई जाए, और ग्राही अपनी वित्तीय स्थिति और बाजार के अनुभव के बारे में ऐसे जिग कमटी को सन्तुष्ट करदे तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। बम्बई एक्सचेंज का कार्ड या किसी कमनी एक्सचेंज का बैंयर कोई दें तो या सरने वाली या बचनबद्ध अभिन नहीं है और न डम्पे, सदस्य को एक्सचेंज की समाति में स्वामित्व विविहार मिलता है। सदस्य जपने-अपने एक्सचेंजों के नियमों के पावन होते हैं। नियमों के मध्य का दृढ़ जुमाने निलम्बन (Suspension) या नियमान के हृषि में दिया जा सकता है। नियमान तर होता है, जब कोई सदस्य नैतिक अव्यवहार वाले अपराध का दोषी हो या अद्वान में दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या पाश्छ हो गया हो। बाजार से बाहर या कारबार के समर में पहुँचे या तीछे कारबार बर्ले वाले सदस्य को जुमाने या निलम्बन वी सजा मिल सकती है। सदस्य अङ्गें-अङ्गें या साझीदार बन कर कारबार बर सकते हैं।

“पूर्ण” सदस्यों के अनिरित, जिन्हें उम जगह कारबार करने के मद अधिकार और विशेष अधिकार होते हैं, कुछ अन्य व्यक्तियों को भी, जिन्हें सीमित अधिकार होते हैं, समर में जुमाने दिया जाता है और सदस्यों की ओर से या सदस्यों के नाम कार्ड करने दिया जाता है। वे ये हैं—(१) रेमिजियर (Remisier) (२) ग्राहित करके या सदस्य सहाय (३) अप्रापितृत करके या नील-बद्ध लड़के, (Blue-button boys) (४) तालिगीवाला।

**रेमिजियर**—बम्बई स्टाक एक्सचेंज में रेमिजियर आपे कमीशन वाला वादमी होता है और वह किसी सदस्य की ओर से कारबार प्राप्त करने के लिए अभिकर्ता के रूप में बाईं करता है। वह जी कारबार लाता है, उसके कमीशन में से ही उसका मुलाकात दिया जाता है वह व्यवहारतः डाक्टराल है। उम पर यह नियम लागू होते हैं, और उसका पारिविक उम ही कारबार पर प्राप्त हुए कमीशन के ८०% से अधिक नहीं हो सकता। सदस्य की तरह उम पर भी कोई और व्यवसाय न करने की पाबंदी है, और उन्हें पांच हजार रुपये तक या प्रतिमूलियों के हृषि में यमा करने पड़ते हैं। वह सौ रुपया वार्षिक शुल्क भी देता है, और विनापन नहीं बर सकता।

**ग्राहित कर्ता (Authorised clerk)**—मद स्टोर एक्सचेंजों के

सदस्यों को दुछ बल्कं या सदस्य सहायक नियुक्त करने की इजाजत होनी है । जो पने मालिकों की ओर से एकसचेज भवन में सौदे कर सकते हैं । बम्बई और लदन के एकसचेजों में पाँच, कलकत्ता एकसचेज में अधिकसे-अधिक ८ । और मद्रास एकसचेज में, जहाँ वे सदस्य-सङ्गामक कहलाते हैं, ३ बल्कं रखने की इजाजत होती है । लदन स्टोक एकसचेज में सदस्य २ अधिकृत बल्कं, या नीले बटन वाले लडके, प्रवेश गुह्यक और वार्षिक चन्दा देकर रख सकता है । इन बलकों को सौदे करने का अधिकार नहीं होता, यद्यपि वे सदेश पहुँचाने और इसी तरह के काम करने के लिए भवत में आजा सकते हैं ।

**तारणीवाला**—बम्बई स्टोक एकसचेज में सदस्यों दो कमीशन ब्रोकर और तारणीवाला कहते हैं । तारणीवालों को कभी-कभी लन्दन स्टोक एकसचेज के जावरों के सदृश समझा जाता है, पर यह सादृश वास्तविक नहीं । तारणीवाला अपनी ही ओर से सौदे करता है, अपने ग्राहकों की ओर से नहीं, और इनमें इतना ही सादृश है । लन्दन के जावर से इसमें यह भेद है कि वह प्रतिदिन सेशन की समाप्ति से पहले हमेशा अपना हिसाब नहीं तैयार करता और न वह कीमतें बताने के लिए बहुत खड़ा होता है । वह कमीशन वाले दलाल के रूप में भी काम कर सकता है पर लदन का जावर नहीं कर सकता । तारणीवाले अपने सौदों द्वारा कुछ अधिक चलने वाली प्रतिभूतियों की कीमत हिपर करने में थोड़ी सेवा कर सकते हैं, पर वे मुख्यतः घटती बढ़ती कीमतों पर खरीद देच किया करते हैं और खरीदी गई प्रतिभूतियों का भुगतान करने या देची गई प्रतिभूतियों की डिलिवरी देने का उनका बोई इरादा नहीं होता । उनका एकमात्र उद्देश अपनी खरीद और विक्री कीमतों से पैदा होने वाला लाभ प्राप्त करना है । ये नके-नुकसान के अन्तरों का जुआ खेलते हैं । प्राय तारणीवाला "ग्राहकों के व्यवसाय के उचित निष्पादन में अनावश्यक वाधा होता है और वह लाभ संग्रह करता रहता है जो उस द्वारा उठाई जाने वाली जीलिम के मुकाबले में बहुत अधिक होता है" । यह वहथा दलाल के मुकाबले में, यदि वह नहीं होता हो तो प्रतिभूति की कीमत की कंची बोली लगता है और यदि दलाल विक्री हो तो तारणीवाला इसके मुकाबिले में ब्रतिभूति की कीमत नीची लगता है गैर जिम्मेदार प्रतिक्रीया (विडिंग) और प्रस्तवन करने और फिर उससे मुद्र जाने को रोकने के लिए भौरिसन कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि वाजार में जहाँ बोई राशि न बताई जाय वहाँ निधिपत्र का प्रतिक्रीया या प्रस्तवन दस हजार रुपये की राशि-तक वधनकारी होगा और वार्गोंने इस राशि की निकटतम राशि तक परिणित किया जायगा । परन्तु इस राशि का बोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि तारणीवाला बहुत अधिक चलने वाले प्रतिभूतियों की इससे बहुत बड़ी राशियों के सौदे करता है । यह सीमा बढ़ाकर बहुत ऊँची, जैसे ५० हजार रुपये, कर देनी चाहिए । और उसका व्यवसाय ठीक तरह निर्दिष्ट हो जाना चाहिए ।

दलाल और जोगर—लदन स्टौड एक्सचेंज के सदस्य दो भागों में बट दुए हैं—दलाल और जोगर। निधिपत्र दलाल (स्टार नोबर) स्टार एक्सचेंज के सदस्य होना है, और साधारण जनना से सम्बन्ध में आन है। वे निधिपत्रों और शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों की सरोद या विक्री करने के लिए अपने प्राहृष्टों के मध्यस्थ होने हैं और वे जोवरों से सरोद या विक्री करते हैं तथा अपनी सेवाओं के लिए ग्राहकों से दलाली लेते हैं। सामान्यनया वे अपनी ओर से सौदे नहीं करते। वे अपने ग्राहकों और जोवरों को एक जगह लाने के लिए एक्सचेंज भवन के बाहर और अन्दर बाम बरत हैं। स्टौक जोवर भवन के अन्दर बालू व्यक्ति हैं, जो अपनी लेन-देन बाली प्रतिभूतियों की कीमतें तय करते हैं और प्रतिनियोक्ताओं (Principals) के रूप में सरोदन और बेचते हैं। वे बाहर बालों के साथ सीधे लेन-देन नहीं कर सकते। जोवरों की प्रयोक्ता फर्म प्रायः किसी वित्तीय शेयर समूह की वित्तीय पत्र होनी है और आवश्यक है कि उन्हें अपने सौदे के शेयरों के बारे में ताजी से ताजी और पूर्ण जानकारी हो, जिसने वे तदनुसार उनकी कीमतों में ट्रैक-फेर कर सकें। उनको अपनी स्थरीद और विक्री की कीमतों के अन्दर से और अपने सौदे बाली प्रतिभूतियों के सफल परिवर्तन से लाभ होता है। बवाकि वे प्रतिनियोक्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए जो निधिपत्र (स्टौड) वे स्थरीदों हैं, उसे रखने वे लिए, और जो वह बेचत है, उसे हासिल करने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। वे एक तरह से निधिपत्रों और शेयरों के थोक व्यापारी हैं। जहाँ तर उनकी स्थिति का सम्बन्ध है दलाल और जोगर, दोनों स्टौड एक्सचेंज के सदस्यों के रूप में एक ही आधार पर है, पर शुहू में सदस्य को वह पोपिन बनाए पड़ता है कि वह दलाल के रूप में कार्य करना चाहता है या जोवर के रूप में। वह दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता, और एक दगल तथा एक जोगर में साझेदारी भी नहीं हो सकती।

यह पृथक्ता मिर्क लदन स्टौड एक्सचेंज में ही है, और वही नहीं। इस पृथक्ता का लक्ष्य यह प्रतीत होना है कि जनना वो दलाल के माध्यम द्वारा प्रतिभूतियों के चतुर पश्चवर व्यापारियों से बचाया जाय। जोवर सर दृष्टियों से व्यापारी है जब कि दलाल बाहरी जनना का एजेंट है जिसके हिन की रक्षा वह चतुर जोगर से करता है। सभी समय पर ये मुझाव रखते गए हैं कि बम्बई स्टौड एक्सचेंज में भी इन पृथक्ताओं को लागू कर दिया जाय, परन्तु सर्वांग विभाजन अव्यवहाय मात्रम् हुआ है क्योंकि न तो एक्सचेंज की सदस्यता ही उनकी रिस्तृत है, और न सौदों की संगता ही उनकी बड़ी है जिनकी लदन स्टौड एक्सचेंज पर।

तेजीबाला और मदीगला (Bull and Bear)—बहुत से लोग

ऐसे हैं जो डिलिवरी लेने वा इरादा न होने हुए भी स्थरीदने हैं और बहुत से लोग मार अपने पास न होने पर भी उमे बेचते हैं। इन लोगों को तेजीबाला-मदी बाला बहुत है। तेजी बाले वे लाग हैं जो कीमत बढ़ि की आवा में निधिपत्र मा शेयर स्थरीदने हैं। ये लोग इस आवा से शेयर स्थरीद लेते हैं, कि कीमत ऊँची होने पर माल

बड़े में आमे से पहले उन्हें वेच लेंगे और इत तरह लाभ कमा लेंगे। वे आशावादी होते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि कीमतें चढ़ोगी और उन्हें संभावित विकेता माना जा सकता है। अदीवाले वे लोग हैं जो निषिपत्ती या शेयरों के मूल्यों में गिरावट की आशा में उन्हें बेच देते हैं। ये वे शेयर बेचने हैं, जो इनके पास नहीं होते, पर उन्हें यह भरप्रा होता है कि हम कम कीमत पर उन्हें खरीद सकेंगे। मदी वाले निराशावादी होते हैं और उन्हें यह विश्वास होता है कि कीमतें गिरेंगी, और उन्हें संभावित श्रेता माना जा सकता है।

**स्टैग या प्रव्याजिलोगी—**स्टैग या प्रव्याजि शेषी उस परिकल्पना को कहते हैं जो विसी नई कम्पनी के शेयर इस दृष्टि में खरीदता है कि उन्हें एलोट में या बटन ने पहल प्रवाजि पर अपनी नियोजक को बेचदे। वह शेयरों का बास्तविक धारक होने का कार्ड इरादा नहीं रखता, परन्तु वह प्रार्थनापत्र का धन इन्विटेशन करता है क्योंकि उसे लाभ है कि बाजार कीमत नियंत्रण कीमत से लंची होगी। स्टैग के विस्तृत से वह प्रतीयमान असमर्ति स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि नियंत्रण के समय मांग सम्भरण में बहुत अधिक थी, पर उसके शीघ्र बाद नियंत्रण की मांग में धीरे-धीरे लगातार कमी होती जाती है। यह कमी स्टैगों द्वारा जिन्होंने, नकली मांग पैदा करदी थी, धीरे-धीरे स्थिर स्था में विक्री के बारण पैदा होती है।

**लेमडक या लगड़ी बत्तख (Lame duck)** अर्थात् फ्या हूआ मदी-बाल। अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति करने में आई तात्कालिक विज्ञापनों ने सधिये बरत हुए दटीबार को लेमडक बहन है। यह अवस्था वही हो सकती है जहाँ वह घिर गया हो, मानी कौरनर हो गया हो, याकि बाजार में शेयर प्राप्त न होने वे बारण वह किसी भी कीमत पर किर उन्हें नहीं खरीद सकता और वह जिसे शेयर बेच चुका है उसक साथ या किसी और के साथ जो इसे शेयर दें, समझौता नहीं भर सकता।

**बाहरी सीधार—**प्रतिमूलियों के मोद करने वाले कुछ और भी व्यक्ति और फर्म हैं पर वे स्टार्क एकमचेन वे नियममें बाहर हैं और उन्हें बाहरी दलाल बहने हैं। वे बरने माल की तारीफ के विज्ञापनों न अन्यबार मर देन हैं और इस लिए स्टैक एकमचेन वा प्रमुख पत्र में स्वायो विज्ञापन होता है, कि स्टैक एकमचेन के मदम्या को विज्ञापन बरने वी इजान नहीं, और कि विज्ञापनदाता स्टैक एकमचेन के सदम्य नहीं। बहुतसी बाहरी फर्में वैध व्यवसाय बरती हैं, और उनकी स्थिति बहुत ज़ेरी है तथा उनका व्यवसाय स्टैक एकमचेन की अधिकतर फर्मों के व्यवसाय के मुकाबले में बड़ा और प्रतिष्ठित है परन्तु बहुत से बदमाश और चरन-पित्ते लोग भी हैं जो प्रतिक्रिया के साथ सीधे व्यवहार करके उसे ठगते हैं। ग्राहकों की हानि चनवा लाभ है और ग्राहकों का लाभ भी ग्राहकों की हानि है, याकि ये

व्यापारी भुगतान कर देने से इनकार कर देते हैं और यदि उन्हें बदालत में लेजासा जाय तो जुआखोरी अविनियम (गैरलिंग एक्ट) की आड़ लेते हैं। उनके बहुन से नाम है, जैसे शेयर पूजार यानी प्राहृष्टों के पास जाजा कर दोयर बेचने वाले, “बट्ट शोर” या “बक” जो एक निदातनक शब्द है, स्टौक एक्सचेन्ज से सम्बन्ध रखने वाले सब बाहरी दलालों पर सानान्य रूप से प्रदूकन होता है, “झनलोडिंग शौप” जो नियोजक को आकृष्ट करती है; जुआखोरी की दूकानें या गैरलिंग शौप जो परिकल्पनों को सुविधाएँ देनी हैं।

कारबार क्से दिया जाजा है—वयोकि स्टौक एक्सचेन्ज एसोसिएशन के नियमों साथ बाहरी लोग सदस्य दलाल के स्वनन्व रूप से कारबार नहीं कर सकत, इन्स्लिए जो वोई आदमी स्टौक एक्सचेन्ज से खरीदना या बेचना चाहता हो, उसे अपने सौंदे के लिए एक्सचेन्ज के किमी सदस्य के पास जाना पड़ेगा। सनावी प्राहृष्ट को अपनी वित्तीय विद्यत और ईमानदारी के बारे में बैंक के तथा अन्य निदेश पेश करने होंगे और दलाल के महीने अपना हिनाव सोचना पड़ेगा। इसके बाद प्राहृष्ट किसी निश्चित कीमत या बाजार की सब से अच्छी कीमत पर खरीदने या बेचने का आडंर देगा। आगे चलने में पहले जनेक प्रकार के आदेशों पर सक्षेप में विचार कर लेना अच्छा होगा। नियत आदेश (फिल आडंर) वह आदेश है जो या तो प्राहृष्ट द्वारा बताई गई कीमत पर, अथवा खरीदने का आदेश हो सो उससे नीचे, और बेचने का आदेश हो सो उससे ऊपर पुरा पुरा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक नियत आदेश यह हो सकता है कि “१७५० पर १० टाटा डेफॉ खरीदो” या “१७३० पर १०टाटा डेफॉ बेचो”。 दलाल वो १७५० पर या इनसे नीचे सर्वेदना है और १७३० पर या इसमें ऊपर बेचना है लेकिन दलाल नियत कीमत आदेशों को बढ़ावा नहीं देते। वे इस तरह के बदल सहने वाले हैं कि वह अच्छा समझते हैं, उदाहरण के लिए, परिसीमा आदेश (लिमिट आडंर) जिसमें निश्चित परिसीमाये बतादी जाती हैं, और दलाल उसके बाहर नहीं जा सकता। परिसीमा आदेश या लिमिट आडंर इस तरह लिखा जायगा “१७५० में ऊपर न सरीदो” या “१७३० से नीचे मन बेचो”。 वयोकि दलाल प्राहृष्ट का अनिकर्ता है इसलिए उससे यह जाजा की जाती है कि वह नीची से नीची कीमत पर शरीदेगा और ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचेगा। नम्भव है कि प्राहृष्ट अपने जादेश को बहुत समर तक चुना न रखे: इस लिए नियन आदेश के बजाय “तत्काल या रद् करने” का आदेश दे सकता है। इस तरह का आदेश इन ढंग से लिखा जायगा “खरीदो (या बेचो) १० टाटा डेफॉ १७५० तत्काल या रद् करो” और इनका यदायुम्ब अच्छी से अच्छी कीमतों पर तत्काल पालन करना चाहिए, और नमर कीमतें अनुकूल होने के बारें तत्काल पालन नहीं किया जा सकता तो दलाल इने रद् कर देगा और प्राहृष्ट को सूचना दे देगा। कभी-कभी प्राहृष्ट कीमतों में यारी गिरावट या बढ़ि से अपनी रसा करने के लिए “स्टौप दौस आडंर” या “हानिरोक आदेश” दे सकता है, जो इस तरह से लिखा जायगा

“खरीदो १० टाटा डेफंड १७५० पर स्टोप” आदेश मिलने पर दलाल तभी कार्य करगा जब वाजार कीमत १७५० से नीचे हो, पर जब कीमत इस जगह पहुँच जाय तब उसे बदल्य कार्यवाही करनी चाहिए। जब कोई ग्राहक जिसने १० टाटा डेफंड १८५० म खरीद है, वेचना चाहता है, तो वह अपने दलाल को वेचने का आदेश इन तरह देगा “१० टाटा डेफंड १७३० पर स्टोप” और इस तरह अपनी हानि २० रुपये प्रति शेयर तक सीमित कर दगा। ज्योही कीमत १७३० पर पहुँचेगी या कम होने लगेगी त्योही दलाल शेयर वेच देगा। हानिरेक आदेश उस समय वाजार आदेश बन जाता है जब कीमत निर्धारित अक पर पहुँच जानी है। एक विवेकाधीन आदेश (डिस्ट्रेशनरी आर्डर) जिसमें दलाल अपने विवेक के अनुसार खरीदने और बेचने को स्वतन्त्र होता है, प्रायः तब दिया जाता है जब नियोजक चुनून कम चलने वाली प्रतिभूतियाँ खरीदता बेचता है और अपने दलाल में पूर्ण विस्वास रखता है। सर्वोत्तम आदेशों (वेस्ट आर्डर) में किसी कीमत का उल्लेख नहीं होता और उन्हें उस समय उपलब्ध बच्छी से बच्छी कीमत पर अविलम्ब पूरा करना चाहिए। दलाल को विवेकाधिकार नहीं होता। ये आदेश सबसे अधिक दिये जाते हैं। सर्वोत्तम कीमत आदेश इस तरह लिखा जायगा “खरीदो (या बेचो) १० टाटा डिफंड सर्वोत्तम कीमत पर”。 कीमत वे बारे में आदेश देने के अलावा ग्राहक उस समय भी भी सीमा बांध सकता है जिसमें वह आदेश प्रवर्त्तन में रहेगा। यद्यं समय परिसीमा निर्धारित नहीं होती वहाँ आदेश को खुला आदेश या बोपन आर्डर कहते हैं। समय की सीमा एक दिन, एक सप्ताह, एक मास, या जब तक आदेश रह न किया जाय, तब तक के लिए ही सकती है। ये आदेश इस तरह खिला जा सकते हैं “खरीदो (या बेचो) १० टाटा डेफंड १७५० पर”; सीमा एक दिन एक महीने या जब तक रह न किया जाय तब तक के लिए ही सिकती है। आदेश में डिलिवरी की अवधि भी उल्लिखित हो सकती है और यह भी कि सौदा नकद डिलिवरी के लिए होगा या हिसाब में होगा। आदेश का स्वर्ग चाहे जो हो, पर यह स्पष्ट, असुदिष्ट और मतिष्ठ होना चाहिए।

जब किसी दलाल को किसी ग्राहक से कोई आदेश मिलता है, तब वह या उनका प्राधिकृत बलकं उन विशेष शेयरों का मौदा बरने वाले एक या अधिक दलालों (लन्दन स्टोर्क एक्सचेज में, जौररो) के पास जाता है। स्टोर्क एक्सचेज की जगह अभिस्थीत वाजारों में बटी रहती है, और किसी विशेष शेयर का नाम वहाँ लिखा रहता है। प्रत्येक वाजार के दलाल कारबाह के लिए एक दूसरे ने प्रतियोगिता बरत है। प्राधिकृत बलकं उनमें दाम पूछता है, या अपना दाम धड़ाना है, और जब मौदा हो जाता है, जो हमेशा जवानी होता है, तब दोनों पक्ष एक छोटे पैंड पर पेसिल से सक्षिप्त नोट लिख लेते हैं। यह पैंड दो भागों में बटा होता है। एक ओर विकलन (Debit) वाले हिस्से में खरीद लिखी जाती है और दूसरी ओर आकलन (credit) वाले हिस्सों में विक्रियाँ। मध्या, प्रतिभूतियों का बण्ठन,

और जिसने स्वरीदा या जिने बेचा जाना है उनका नाम लिख लिया जाना है। दलाल एक कागज पर संक्षेप में सौदे का विवरण लिख कर उन कागज को एक बस में ढाल देता है, जो इसी बान के लिए अधिकृत व्यक्ति से रखता जाना है, और इसमें यह बात निर्दिष्ट हो जाती है कि जिम बीमन पर सौदा हुआ है, वह प्रबन्ध बनेटी द्वारा प्रकाशित कीमतों की अधिकृत मूल्य में, जो स्टॉक एक्सचेंज देनिक अधिकृत सूची कहलाती है, “जिया गमा व्यवसाय” रायर्स के नीचे प्रकाशित होती है। शेयरों के सौदे अपने मूल्य के अनुसार कुछ स्मूहों में होते हैं। सौदे उन्हीं प्रतिभूतियों के हो सकते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में स्वीकृत की गयी हैं।

लग्नदन स्टॉक एक्सचेंज में दलाल और जौबर दो पृथक् बग्गे होने के कारण, कीमतों बनाने के बारे में किया कुछ निम्न है। जब दलाल बीमन पूछता है, तब वह यह नहीं कहता कि मैं स्वरीदना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जौबर बीमन ज़ोची बनाने लगेगा। न वह यह कहता है कि मैं बेचना चाहता हूँ क्योंकि उन पर दृभीमन नीची बनाने लगेगा। वह सिर्फ़ मात्र पूछता है। इनलिए जौबर दो कीमतों बनाता है—एक वह जिम पर वह बेचने वो तंत्यार है और दूसरी वह जिम पर वह स्वरीदने वो तंत्यार है। उदाहरण के लिए अगर कोई दलाल इम्प्रेस बर्यान् इम्प्रेसिप्ट टोवर्ड्स कम्पनी के शेयरों पूछता है तो जौबर बचाव देता है कि १००० में ४ पॉइंड १४ शिल्लिंग ६ पैसे ने ४ पॉइंड १५ शिल्लिंग तक। इनका अर्थ यह है कि जौबर १००० शेयर तक पहली कीमत पर स्वरीदने और दूसरी कीमत पर बेचने को तंत्यार है। अगर दलाल इसमें अनुष्टुप्त न हो तो वह या तो दूसरे जौबर के पान जायेगा और या वह यह कहता कि ‘कुछ कम करो’ बर्यान् स्वरीदने और बेचने की कीमतों का अनुर कम बरो। जौबर अपने भाव में मुशार कर सकता है और दलाल, जिसके पान अपने ग्राहक का स्वरीदने का आदेश मौजूद है, कहेगा “५०० लिया”, जिसका अर्थ यह है कि वह जौबर में ५०० शेयर स्वरीदेगा। इसके बाद दोनों पक्ष उसकी सौदों वाली बारी में सौदा लिखवा देते हैं और शेष जिमा उपर्युक्त तथा निम्नलिखित होती है।

कारबार दन्द होने पर प्राधिकृत कर्कं अपने कार्यालयों में लौटने हैं और सौदों का विवरण अपनी सौदे की बहियों में, जो नक्क और बायदे के सौदों के लिए अलग-अलग होती है, चालेते हैं। इसके बाद दलाल अनुबन्ध पत्र का एक रेप्लॉलेशन पार्म तंत्यार करता है और वह अपने ग्राहक को भेजता है। इसमें वह प्रतिभूतियों का विवरण, कीमत, दलाल का रेप्लॉलेशन कमीशन, टिक्ट (रेवेन्यू-स्टाप्प) की कीमत तथा निर्गमक निकाय द्वारा लिया गया शूलक लिखता है, और यदि सौदा नक्क न हो तो वह तारीख भी लिखता है जिम पर परिसोमन होना है, अनुबन्ध पत्र की एक प्रति दूसरे पक्ष को नेबी जाती है। अगले दिन प्राचेर फर्म के कर्कं एक दूसरे से मिलते हैं और अनुबन्ध-पत्रों की तुलना करते हैं तथा

अनुबन्ध-भिन्नों की शुद्धता स्वीकार करते हुए, एक दूसरे की बहियों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यदि अभिलेखन में ईमानदारी से बोई भूल रह जाय तो उसकी हानि को दोनों पक्ष वरावर बाट लेते हैं।

नकद सौदों का परिशोधन—कुछ सौदे नकद या हाजिर डिलिवरी के आवार पर इए जाते हैं जिनमें भुगतान प्रतिमूर्तियाँ हस्तान्तरित होते ही फौरन या तीन दिन के भीतर किया जाता है। नकद सूची की प्रतिमूर्तियाँ या तो समाशोधित (कट्टीयड) प्रतिमूर्तियाँ होती हैं, यद्यपि असमाशोधित प्रतिमूर्तियाँ होती हैं।

समाशोधित प्रतिमूर्तियाँ समाशोधन गृहों द्वारा समाशोधित की जाती हैं, जबकि अन्य प्रतिमूर्तिया विना समाशोधन गृह के द्वारा के, दस्ती डिलिवरी के प्रदर्शन में समाशोधित बो जाती है। समाशोधित प्रतिमूर्तियों वा, सौदा जो किसी कारबार के दिन किया जाता है, अगले सप्ताह गुरुवार को परिशोधित किया जाता है और इस दिन बो समाशोधन का दिन कहते हैं। शनिवार को इए गए सौदे अरागामी सोमवार बो किये हुए माने जाते हैं। सोमवार बो विक्रेता के समाशोधन टिकट (सैलसे क्लीयरेस टिकट) की दो प्रतियाँ बनाता है और व्रेता को भेजता है। ऐना मूल प्रति रख लेता है और दूसरी प्रति वाकायदा हस्ताक्षर करके लौटा देता है। समाशोधन के दिन से पहले, वुधवार को विक्रेता समाशोधन गृह को एक समाशोधनपत्र प्रस्तुत करता है जिसमें स्तरीयी हुई प्रतिमूर्ति का विवरण और चुकाया जाने वाला मूल्य विकलन की ओर तथा वेची गई प्रत्येक प्रतिमूर्ति का हिसाब और प्राप्ति किया जाने वाला धन आकलन की ओर तथा शुद्ध शेष भी दिखाये होते हैं। यदि शुद्ध विकलन शेष हो तो सदस्य उस राशि का चैक भी भेजता है और आकलन शेष होने पर समाशोधन गृह के नाम ड्रापट (विवर्ण) साथ नवी होना है। समाशोधन के दिन वेची गई प्रतिमूर्तियाँ और अपेक्षित हस्तान्तर विलेख (ट्रान्सफर डीड) विक्रेता द्वारा समाशोधन गृह बो सौंप दिये जाते हैं। स्तरीदने वाला सदस्य समाशोधन से अगले दिन समाशोधन गृह स प्रतिमूर्तियाँ प्राप्त करता है और स्वयं या अपने बलकं द्वारा रसीद पर हस्ताक्षर कर दता है।

वायदा डिलिवरी अनुबन्धों का परिशोधन—वायदे के अनुबन्धों के लिए वर्ष्वई एस्टीक एक्सचेंज साल को १२ परिशोधन अवधियों में वाटता है और लन्दन स्टौक एक्सचेंज इसे २६ भागों में बाटता है, जिनका यह परिणाम है कि भारत में प्रतिमास परिशोधन होता है और इन्हें में ग्राति पक्षवाहे। परिशोधन के दिन प्रमाण समिति तथा बरती है और भारत में वे प्रायः महीने के अन्तिम सप्ताह में होते हैं पर इन्हें में वे चार दिन होते हैं जिनमें गुरुवार भुगतान का दिन होता है। वायदे के सौदे सिर्फ़ चालू खाते के लिए किये जाने हैं और अगले परिशोधन पर उनकी निपटारा हो जाता है, यद्यपि दो परिशोधनों के सौदे एक ही समय में करने वी इजाजत होती है। परिशोधन वा पहला दिन नौटेंगो या बदली वा दिन (कैरी-नोवर हे) बहलाता है, दूसरा दिन टिकट या नाम का दिन बहलाता है, तीसरा दिन मध्यवर्ती (मेडिम-अप) दिन कहलाता है और अन्तिम दिन हिसाब का

या भुगतान का दिन कहलाता है। यही परिसोधन का वास्तविक दिन है जब प्रत्येक सदस्य एक चिट्ठा और अन्तरों का विवरण समाजोधन गृह को पेश करता है। भुगतान के दिन के बाद अगले दिन मध्याह्न से पहले जो सदस्य भुगतान नहीं करता उसे अशोधी (डिफाल्टर) घोषित कर दिया जाता है। विवरण में दिखाया गया वेप सदस्य के समाजोधन गृह वाले हिनाव में विवरित या अकलित कर दिया जाता है। इस दिन बाजार वायदे के सौदों के लिए बन्द रहता है। इसके बाद सदस्यों को समाजोधन गृह से देयर और भुगतान मिलता है।

**कैरीओवर या बदली—**जब कीमतें सौदा करने वालों द्वारा आशाऊं के अनुसार नहीं घटती-बढ़ती, तब बदली की जाती है या सौदा अप्रेनीत किया जाता है, अथवा बदली की दलाली देकर अगले परिसोधन तक स्थगित कर दिया जाता है। (बदली जब लाइफ बुल द्वारा दी जाती है तब कौन्टेंगो दर कहलाती है और जब मंदीवाले द्वारा दी जाती है तो बैंकवार्डेशन कहलाती है)। कौन्टेंगो शब्द लंदन स्टोक एक्सचेंज में सौदे को अगले हिनाव में ले जाने के लिए भी प्रयुक्त होता है और उस व्याज के लिए भी प्रयुक्त होता है जो खरीद को वित्तपोरित करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। बदली या कैरीओवर (अद्वेन्यन) दो नवे सौदों के जरिए किया जाता है तेज़िडिए वा सौदा चालू परिसोधन के लिए विक्री करके और अगले परिसोधन के लिए पुनः खरीद कर अप्रेनीत किया जाता है। पदिष्ये का सौदा चालू परिसोधन के लिए खरीद कर और अगले परिसोधन के लिए पुनः वेचकर बदली या अप्रेनीत किया जाता है। परिणाम यह होता है कि मूल सौदा चालू परिसोधन के लिए पूर्ण हो जाता है, और अगले परिसोधन के लिए नई कीमत पर नया सौदा खुल जाता है। बदली करने वाला व्यक्ति उसी स्थिति में है, पर सौदा पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता है। तेज़िडिया आपरेटर, जो प्रतिमूर्तियों की डिलिवरी के लिए पैसा चुकाने में असमर्थ है, बदली वाले या टेकर-इन (taker-in) के पास जाता है जो व्याज या कॉटेंगों की ऊंची दर पर रुपया उधार देता है, परन्तु खरीदने के लिए वित्त प्राप्त करने के बजाय खरीदने वाले और वेचने वाले ( तेज़िडिये और मंदिडिए ) के बीच यह व्यवस्था को जाती है कि कैरी ओवर या बदली करा सकने वाले पक्ष को व्याज देकर वे अपने सौदे को अगले परिसोधन में अप्रेनीत करें। यह आम रिवाज है क्योंकि प्रायः तेज़िडिए खरीदते समय इस आदाय से नहीं खरीदने कि वे डिलिवरी लेंगे और मदिडिए वह चीज बेचते हैं जो उनके पास हैं ही नहीं। अगर कोई बुद्धि न हो या तेज़िडिए को और अधिक बुद्धि होने की आशा हो तो वह सौदे की बदली कर लेगा और मदिडिए को कॉटेंगो रेट या बदलीगला दे देगा जो हर प्रतिमूर्ति के लिए अलग-अलग होता है। जब कोई बाजार किसी विशेष प्रतिमूर्ति में अतिविक्रीत ( ओवरसोल्ड ) हो जाता है, अर्थात् प्रतिमूर्ति के परिसोधन में तेज़िडियों की अपेक्षा मदिडिये अधिक होते हैं, तब मंदिडिया बदली करने के लिए उत्सुक होगा और इस सुविधा के लिए तेज़िडिये को व्याज देगा जिसे विवृति या

वैकवाहिन वहते हैं। यह तब होता है जब कोई प्रतिभूति इतनी कम और इसी कारण अलग्द होती है कि तेज़दिये या नेना से कौटुम्बों दर प्राप्त चरने के बनाय मदिया या विकेता अनुग्रह (एकोमोडेशन) के लिए कुछ प्रतिफल दने को तयार होता है। अगर प्रतिभूति का भुगतान करने के लिए रेताआ की घटन की माग उतनी ही हो जितनी विकेताओं को उसी प्रतिभूति के लिए तो न तो बौटुम्बों दर होती है और न वैकवाहिन का विधृति दर। उम समय समदर (ईवन रेट) होती है क्योंकि उम प्रतिभूति के अंताआ और विकेताआ को बदली के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता।

तेज़दिये और मदिये स्टोर एकमचेज पर महत्वपूर्ण परिकल्पन होता है और वे कीमतों पर काफी प्रभाव डालते हैं। बहुत बड़े तेज़दिये लेते या बहुत बड़े मदिये लेके के अस्तित्व का ही बाजार पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तेज़दिया इसे कमज़ोर करता है और मदिया इस मजबूत करता है क्योंकि प्रत्येक नज़दिया एक सभावी विकेता है और प्रत्येक मदिया एक सभावी अंता है। जिस समय तेज़दिए खरीदते हैं, उस समय कीमतें चढ़ जाया चढ़ती हैं और जिस समय मदिया वे चढ़ते हैं तब वे गिर जाया करती हैं, पर एक समय आता है जब उनके बाय, जो जितने भी सफ़र हो, पूर्ण करने पड़ते हैं और विरोधी दिशा में सचलन स्थिर हो जाता है। अच्छी खबर ने बहुधा कीमतें बहुत गिर जाती हैं, क्योंकि इसका लान उठाने के लिए उत्तमुक्त तेज़दिए बचू हो जाते हैं। बुरी खबर का बहुधा कोई असर नहीं होता, या थोड़ी बहुत बृद्धि हो जाती है, क्योंकि मदिये अपनी बेची हुई प्रतिभूतियों को किर खरीदने का अच्छा भौता पाते हैं और इसे तरह बाजार को मजबूत करते हैं। सम्भव है कि तेज़दिए बड़े प्रबल हो और सम्मिलित कार्य द्वारा, जिस तेज़दिया का आन्दोलन (बुल कैम्पेन) कहत है, प्रतिभूति पर अनुकूल प्रभाव डालने वाली वातें फैलाकर जो आपी भच्छी या झूँठी हो सकती हैं, कीमतों में नक्ली बढ़ि कर दे हैं और इस प्रकार बाजार को रिंग (Ring) कर द। नक्ली बढ़ि स तेज़दियों को, जिन्हाने बहुत मात्रा में खरीद रखा है, बहुत हानि होने वी सम्भावना है और इसलिए उन्हें अपनी स्थिति को अत्यधिक कुशलता न सम्भालने की जरूरत है, क्योंकि जब बेचने या समय आता है और अनकूड़िग किया जाता है तब वे डिल्वरी लने में असमर्थ हैं और जो प्रतिभूतिया उन्होंने खरीदी हुई है उनका भुगतान करने में असमर्थ है और इसलिए जा हानि उठाकर अपना हिसाब बद बरते हैं, उनकी सस्या बहुत अधिक रह जायगी। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि मदिए प्रबल हो जाय। ये सम्मिलित कार्यवाही द्वारा बाजार का रोक (बैग) सकत है, 'वेयर रेट या 'मदिया का हमला' कर सकते हैं और कीमतों को इतना नीचा ला सकते हैं जितना उन प्रतिभूतियों के आतंत्रिक गुणों की दृष्टि से उचित नहीं, जो उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में बाजार पर पेंक दी है। पर हमले के बाद मदिए की हालत बहुत खतरनाक होती है। हो सकता है कि जो

निधिपत्र बेचकर उसने देने की जिम्मेवारी ली है वह निधिपत्र उसे मिलना कठिन हो जाय। कीमतें फिर चढ़ने लगती हैं और शेयर कवरिंग या मदडियों की पुनर्खरीद से ऊपर की ओर ही कीमतें बढ़ती हैं। कभी-कभी किसी भी कीमत पर पुनर्खरीदना असम्भव हो जाता है। जब कोई भी निधिपत्र बाजार में उपलब्ध नहीं होता तब मदडिए चारों तरफ से लाचार हो जाते हैं, या कीनंर हो जाते हैं। यदि कोई मदडिया उस अवस्था में उस आदमी के साथ जिसे उसने प्रतिभूतियाँ देची हैं, समझना नहीं करता तो वह उस आदमी की अवस्था में जो अपना माल देने वा वचन पूरा नहीं कर सकता या स्टौक एक्सचेन की परिभाषा में है कहे तो वह लेनदेन लगड़ी बतख (शोधन में असमय) है।

विकल्प सौदे या आप्शन डीलिङ्ग—एक और प्रकार वा व्यवसाय है जिसे कुछ लोग स्टौक एक्सचेनों तथा कौमोडिटी एक्सचेनों में करते हैं और ये एक्सचेन टेजडियों और मदडियों को आजादी से परिकल्पन करने देने हैं सतकंता से करने पर इस प्रकार के व्यवसाय से हानियाँ सीमावद्ध हो जाती हैं, और चनूर आपरेटर के लिए यह बड़ा आकर्षण होता है। इस व्यवसाय को विकल्प सौदे या आप्शन डीलिंग कहते हैं, अर्थात् किसी निश्चित तारीख पर किसी निश्चित कीमत पर कोई प्रतिभूतियाँ खरीदने या बेचने का अधिकार। विकल्प तीन तरह के होते हैं, और आपरेटर उनमें से कोई एक या सब के सब प्राप्त कर सकता है। वे हैं पुट आप्शन या विक्रयाधिकार काल आप्शन या क्याधिकार और पुट व काल आप्शन या डबल आप्शन। पुट आप्शन में आपरेटर कुछ शेयर एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित तिथि पर या उससे पहले बेचने का अधिकार खरीदना है; काल आप्शन में आपरेटर एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित तिथि तक कुछ शेयर खरीदने का अधिकार खरीदता है; पुट व काल या डबल आप्शन में आपरेटर एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित तिथि तक कुछ शेयर खरीदने या बेचने का अधिकार खरीदता है। आपरेटर विश्वास देने वाले व्यक्ति को विकल्प के लिए प्रति शेयर कुछ राशि देता है, और यह विकल्प धन या प्रव्याजि भी उस कीमत का हिसाब लगाते समय जोड़ लेना चाहिए, जिस पर आपरेशन नफा उठाने के लिए बद करना होगा पुट आप्शन या विक्रयाधिकार तब खरीदे जाते हैं जब यह विश्वास हो कि कीमतें गिरने की सम्भावना है और काल आप्शन या क्याधिकार तब खरीदे जाने हैं जब यह विश्वास हो कि कीमतें चढ़ेगी। पुट व काल आप्शन या क्य-विक्य अधिकार बहुत अधिक मात्रा में घटने-बढ़ने वाले शेयरों में खरीदे जाते हैं और इसकी खरीद बेच क्याधिकार या विक्रयाधिकार की अपेक्षा अधिक जुआ है। जब विकल्प या अधिकार को प्रयोग करने का समय आता है तब अधिकार के खरीदने वाले को यह घोषणा करती है कि वह इसे खरीदेगा या नहीं। यदि वह क्याधिकार का प्रयोग करता है तो उसे धन चुकाना होगा और शेयर लेने होंगे और यदि यह विक्रयाधिकार है तो उसे शेयर देने होंगे और धन लेना होगा।

रक्षा राशि पद्धति या कवर सिस्टम—कवर या रक्षाराशि वह बनराशि है जो कोई प्राहृक प्रति खरीदने या बेचने की हिसाब से दलाल को देता है, और उसे अपनी ओर से खरीदने या बेचने की हिदायत भी देता है, जिसमें यह शर्त निहित रहती है कि यदि बाजार सौदे वाले के प्रतिकल जा रहा हो और हानि की राशिरक्षा राशि तक पहुँच जाय, तो विना ग्राहक से पूछताछ किए सौदा बद कर दिया जाय। दूसरे शब्दों में, हानि की राशि वभी भी रक्षा राशि से अधिक न होनी चाहिए। इसके विपरीत, अगर सौदा लाभदायक सिद्ध हो तो ग्राहक को लाभ तथा रक्षाराशि दोनों मिल जायगे। रक्षा राशि के धन और विकल्प धन (आप्दान मनी) में कुछ भेद है। रक्षा राशि का धन लाभ सहित लौटाया जायगा जब कि विकल्प धन विकल्प देने वाले पक्ष को बेचने या खरीदने का विकल्प देने के बदले में दिया जाने वाला, श्रीमियम् (प्रब्याजि) है। इसलिए उसे बही रख लेता है, चाहे विकल्पाधिकार का प्रयोग किया जाय या न किया जाय। रक्षा राशि पद्धति उसी सिद्धान्त पर आधारित है जिस पर घुड़दोड के दाँव लगाना।

मार्जिन ट्रेडिंग या अन्तर व्यापार—मार्जिन ट्रेडिंग दलालों से उधार लिए हुए धन से प्रतिमूलियाँ खरीदने की पद्धति को कहते हैं। यह उस खरीद के सदूश है जो वे को और वित्तीय स्थितियों से उधार लिये हुए धन से की जाती है पर सादृश्य यही खतम हो जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग परिकल्पन का सहोदर है, क्योंकि नकद सौदे में मार्जिन की जरूरत भी पड़ती है। मार्जिन पर व्यापारी तभी खरीदते हैं जब वे अपने हिसाब में सौदे करते हैं और प्रतिमूलियों के मूल्य में बढ़ि की आशा करते हैं। मार्जिन पर व्यापार करने की इच्छा वाला ग्राहक अपने दलाल के पास कुछ नकद धन या प्रतिमूलियाँ जमा करके उसके साथ हिसाब खोल लेता है और इसे एक निश्चित राशि तक रक्षा स्वीकार करता है। मार्जिन ट्रेडिंग या अन्तर-व्यापार की पद्धति से प्राईवेट आपरेटर उतनी बड़ी राशियों के सौदे कर सकता है, जो यदि उसे पूरी राशि प्राप्त करनी पड़ती तो, उसके सामर्थ्य से बाहर होते। दलाल वित्त व्यवस्था करने या तलाश कर देने के लिए सदा तैयार रहते हैं, वशतें कि ग्राहक अन्तर जमा कराए और क्योंकि अन्तर धन की आवश्यकता लिंक उस सम्भव फर्क को पूरा करने के लिए होती है जो शेयरों के खरीदने और अन्त में बेचने की कीमतों के बीच हो। इसलिए साधारणतया दाल के पास ५०० रुपया जमा कर देना १०००० रुपये तक शेयर खरीदने और बेचने के लिए काफी होगा।

अन्तरणन या आविट्रेज—अन्तरणन इश्वद वा अर्थ यह है कि विनियम विपर्ती या निधिपत्रों और प्रतिमूलियों वा इस प्रयोजन से पएन (traffic) कि विभिन्न देशों या बाजारों में मौजूद विभिन्न कीमतों से लाभ उठा लिया जाए। प्रतिमूलियों में अन्तरणन तब होता है जब दो विभिन्न केन्द्रों में एक ही निधिपत्र एक ताय ऐसी कीमतों पर खरीदा और बेचा जाय जिन से आपरेटर को लाभ भालूम होता हो।

इसको स्पष्ट करने के लिए लदन स्टॉक एक्सचेंज और एम्स्टडम स्टॉक एक्सचेंज के बीच अन्तरराष्ट्रीय सौदे का एक चदाहरण लिया जा सकता है। अगर रोपल हच पंट्री-लियम नोमरो की कीमत ३६० पलोरिन प्रतिशेषर विकेता एम्स्टडम में हो और ३० पॉड प्रति शेषर, कोता लदन में हो, और लदन तथा एम्स्टडम में विनियम दर १२.१० पलोरिन प्रति पॉड, विकेता, हो तो कोई भी आपरेटर एम्स्टडम में २९ पॉड १५ मिलिंग प्रति शेषर के आस-पास खरीद कर लदन में ३० पॉड प्रति शेषर बेच सकता है और लाभ उठा सकता है, वशतें कि अन्तर खत्तों में न निकल जाय। इस तरह के सौदे बहुत दैक्षिण्यल होते हैं और बड़ी-बड़ी फ्मों की ओर से काम करने वाले पेंट्रीवर आपरेटरों द्वारा ही दिये जाने हैं।

असरलता—जब ह्टौक एक्सचेंज का कोई सदस्य यह देखे कि मैं अपने दायित्व पूरे नहीं कर सकता, तब उसे तुरन्त प्रवर्धन समिति को सूचना देनी चाहिए, जो उसे अशोधी घोषित कर सकती है। सम्बद्ध व्यक्ति या कर्म की वहाँ की सदस्यता फौरन ममाप्त हो जाती है और उसके बारबार को अविकृत अभिहस्ताविती समाप्त करना है। जब कोई सदस्य अशोधी घोषित हो जाता है, तब अन्य सदस्यों के साथ विए हुए उसके सब सौदे फौरन उसी बीमत पर वापिस आ जाने हैं, जो उसकी वशोधिना घोषित करने के समय थी। अशोधी दुछ दर्ते पूरी कले पर पुनः प्रविष्ट किया जा सकता है। पुनः प्रवेश का प्रायंनाम्न देने पर अशोधी समिति उसके आचरण और हिंसाव की जांच पद्धताल करेगी और प्रवर्धन समिति से सिफारिश करेगी। यदि समिति चाहे तो वह जो दर्ते उचित समझे बे लगाकर उसे पुनः प्रविष्ट कर सकती है, पर यह तभी होगा जब उनकी राय में उसने अपने कार्य को अपने साधनों की तक्षणता सीमा में रखा हो और उसका साधारण आचरण कलक्षीन रहा हो। वर्ष ई स्टौक एक्सचेंज में अशोधी को तब तक पुनः प्रविष्ट नहीं किया जाता जब तक वह अपनी हानि की राशि पर स्पर्धे में ६ आना से अधिक धन ठीक-ठीक ह्य में जमा न करा दे पर यदि उसकी अशोधिता का कारण उसका विचारहीन सौदा रहा हो तो उसको पुनः प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

स्टाक एक्सचेंजों का नियन्त्रण और विनियमन—हम पहले देख चुके हैं कि परिवहन का लक्ष्य मात्रा और समरण (Demand and supply) का सनुलन स्थापित करने में सहायता देना है यह तो ही सभव है यदि परिवहन वंश और विनियमित हो। विलोभत, जान बूझकर किए गए छलसाधनों या गोटीबाजियों द्वारा जो जुकामों की ओर लीजा है यहाँका कोई जप्ताल नहीं अस्तित्व में उतार-चढ़ावा और सफटों की तीव्रता बढ़ जाती है। इसलिए अवाधनीय परिवहन को रोकन की दृष्टि से सरकार के लिए आवश्यक है कि वह स्टाक एक्सचेंजों तथा उन पर वेची खरीदी जाने वाली प्रतिभूतियों के सौदों को विनियमित करे। यह भी आवश्यक है कि प्रतिभूति खरीदने वेचने वालों को काइगेस देने के द्वारा स्टाक एक्सचेंजों की सीमाओं से बाहर प्रतिभूतियों की खरीद और बिशी को विनियमित

किया जाए। १९४५ और १९४६ के मध्य स्टौक एक्सचेंज में जो युद्धोत्तर तेजी आयी और इसके बाद जो कुछ हुआ उसने अतिल भारतीय आधार पर स्टौक एक्सचेंज सुधार शीघ्र से शीघ्र बरता और आवश्यक बर दिया। तदनुसार वित्त मंत्रालय के तत्कालीन आधिक सलाहकार डॉ पी० जे० टामस से भारत सरकार ने इस विषय का सर्वज्ञीण विधयन करने के लिए वहां डॉ टामस ने वर्ष के अंत में अपनी रिपोर्ट दी और स्टौक एक्सचेंज के सुधार के लिए बहुत सी उपयोगी सिफारियें थीं। इस रिपोर्ट पर एक उच्च शिक्षित समिति ने विचार किया जिसमें केन्द्रीय वित्त और विधि मनालय रिजब वैक आफ इण्डिया और बम्बई सरकार के प्रतिनिधि थे। इस समिति की सिफारियों पर एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया जो एक और समिति द्वारा सीधा गया, जिसमें गैरसरकारी सदस्यों की अधिकता थी। इस समिति के सभापति थे ए० जी० गोरखाला थे गोरखाला समिति ने अगस्त १९५१ में अपना प्रतिवेदन दिया और एक विधेयक का प्रारूप भी प्रस्तुत किया जो लोकमत जानने के लिए प्रसारित किया गया जनता की टीका टिप्पणियों का विश्लेषण करने के बाद प्रतिभूति सिद्धा ( विनियमन ) विधेयक ( Securities Contracts ( Regulation Bill ) तैयार किया गया और २४ दिसम्बर १९५४ बो लोकसभा में पुर स्थापित किया गया (Introduced) बाद में यह संसद की सम्मुक्त प्रवर समिति द्वारा भेजा गया जिसने मार्च १९५६ के पहले सप्ताह में अपना प्रतिवेदन दिया और विधेयक में परिवर्तन करने के लिए बहुमत सुझाव दिए।

विधेयक में विनियमन की जो योजना सोची गई है उसमें यह उपवध है कि स्टौक एक्सचेंज को उनके निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर पूर्व स्वीकृति दी जाए—  
 (१) स्वीकृति के प्रार्थना पत्र में नियत विवरण होना चाहिए और उसके सिविदाओं के विनियमन और नियन्त्रण के लिए स्टौक एक्सचेंज की उपविधियाँ (Bye-laws) और इसके गठन सम्बधी नियमों की एक प्रति अवश्य होनी चाहिए। यदि बेन्द्रीय सरकार को यह सतोष हो जाए कि नियम और विनियम उन शर्तों के अनुरूप हैं जो उचित कारबाह को सुनिदिचत करने के लिए और वैसा लगाने वाला को सरक्षण देने के लिए नियम की जाएं और कि स्टौक एक्सचेंज बेन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई जाने वाली सब शर्तों का पालन करने के लिए राजी हैं, तो वह स्टौक एक्सचेंज द्वारा स्वीकृति प्रदान कर सकती है। सरकार जो शर्तें नियत कर सकती हैं वे स्टौक एक्सचेंजों की सदस्यता की अर्हता सदस्यों के बीच सिविदाओं को प्रवर्तित कराने की रीति, स्टौक एक्सचेंजों में केन्द्रीय सरकार के नामजद व्यक्तियों द्वारा उसका प्रतिनिधान और सदस्यों के हिसाब रखने तथा सनदग्राप्त लेखपालों ( Chartered Accountants ) द्वारा उनकी नियतकालिक लेखापरीक्षा के बारे में हो सकती है। सम्पूर्ण प्रवर समिति ने यह प्रस्थापना रखी है कि सब अस्वीकृत स्टौक एक्सचेंज अवैध होंगे। समिति ने यह भी सुझाव रखा है

कि हातिर दिलीदरो सविदाए स्वतन्त्रानुबंध के होनी चाहिए, पर सरकार को अपने पास यह शक्ति रखनी चाहिए कि जहा कोई दुश्प्रयोग हो वहा वह लाइसेंस देने की प्रणाली के द्वारा उन्हें विनियमित कर सके। यह चाहती है कि सरकार स्टौक एक्सचेंज की सदस्यता के दार में नियंत्रण किया करे और सरकारी नामजदों की संख्या ३० से अधिक न हो।

विदेशक में व्यापार की रीतियों या प्रथाओं पर साधारण नियन्त्रण का उपयोग किया गया है जो उन शक्तियों द्वारा किया जायगा जो नियम, विनियम और उप-विनियम नज़र करने और उन्हें बनाने या नयोंविन करने के लिए सरकार को दीजायगी जसानाम्य परिस्थितियों और व्यापारों में जिनमें स्टौक एक्सचेंजों के काम करने पर गम्भीर अन्तर पड़ता हो और अविलम्बनीय तथा उन कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, कार्यवाही करने की शक्ति भी देता है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार इसी स्वीकृत स्टौक एक्सचेंज के शामक निकाय को नियन्त्रणाव कर सकती है, या सात दिन से अन्यिक की अवधि के लिए या दसमें अधिक अवधि के लिए कारबार बन्द कर सकती है पर ६ दिन से अधिक की अवधि के लिए शासक निकाय वा पश्च मुन रेने के बाद ही कारबार बन्द किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार स्टौक एक्सचेंज के मामलों वे विषय में या इसके किनी मद्दत के बारे में वह सब जानकारी मांग सकती है जो वह आवश्यक समझे और यदि आवश्यक समझे तो स्टौक एक्सचेंज के मामलों में अनुसंधान का नियन्त्रण दे मश्नी है। प्रतियिद्द क्षेत्रों में वी गयी सविदाएँ यदि वे स्वीकृत स्टौक एक्सचेंज के सदस्यों के मध्य नहीं हैं तो, अर्द्ध होणी विदेशक के सम्बन्ध १९ में प्रतिभूतियों के विकल्प सौदों का प्रतियोगि किया गया है, केन्द्रीय सरकार किन्हीं विनियिष्ट प्रतिभूतियों के सौदे उनमें बद्धाछनीय परिवर्तन रोकने के लिए सम्बन्धित एक्सचेंज से परामर्श लेने के बाद प्रतियिद्द कर सकती है।

समूक्त समिति ने सुझाया है कि निरक हस्तान्तरो का चलन (Currency of Blank transfers) ६ महीने तक सीमित कर देनी चाहिए पर हमारा यह अनुरोध है कि निरक हस्तान्तर उभया प्रतियिद्द होने चाहिए जैसे कि वे लदन और न्यूयार्क में हैं। विमेयक को “प्रतिभूतिया के अवार्डनीय सौदे रोकने के लिए…… बनाया गया विदेशक” बताया गया है पर इसमें प्रतिभूतियों के अवार्डनीय सौदे को कोई परिमाण या वर्गन नहीं किया गया और न इसमें ऐसे प्रबलिन प्रतिभूतियों के बद्धाछनीय सौदों का ही उल्लंघन है जैसे ‘फटका’, समुच्चय कार्प (Pool operations) और हस्तेकरण या कारनरिंग इसमें कुछ ऐस तरव है जो फटका डग की जुआखोरी के विनाशकारी रूप को बढ़ावा दे मद्यपि इसमें सरकार को जब आवश्यक हो तब स्टौक एक्सचेंज का कुछ कारबार रोकने की शक्ति दी गई और वह भी स्टौक एक्सचेंज से परामर्श करने के बाद। यदि इसका आशय अवार्डनीय सौदों को रोकना है तो फटके को सबसे पहले प्रतियिद्द करना चाहिए क्योंकि यह सबसे बुरी प्रया है। फटका या बायदों के व्यापार में और हाजिर सौदों में बन्तर है। हाविर

सौदे में केता को प्रतिभूतियों की कीमत देकर सविदा की तिथि के बाद तीन दिन के भीतर प्रतिभूतियों की वास्तविक डिलीवरी होनी पड़ती है। इसलिए हाजिर सौदों में त्रैता अपना सौदा अपने वित्तीय समर्थ की सीमा के अन्दर रखता है। फटका या वायदे के सौदे में आपरेटर (अपने वित्तीय सामर्थ्य से बाहर जाकर) हजारों शेयर इस आशा में खरीदता जाता है कि वह निपटारे वी १५ दिन की अवधि में उन्हें बेच देगा और अपने खरीदे हुए शेयरों के न बेचे गए अश की ही कीमत चुका देगा। यदि उसका वित्तीय सामर्थ्य इतना नहीं है कि वह अपनी खरीद को अनबेचे अश की कीमत चुका सके तो वह 'बदले' के प्रभार चुका कर अपनी जिम्मेदारी आगे भी जो सकता है इस प्रकार फटके से अति व्यापार (over-trading) होता है जो स्टौक एक्सचेंज पर प्राय आने वाले सवटों वा मुरय कारण है कामोडी मार्केट या जिन्स बाजार में फटके का कोई औचित्य हो सकता है क्योंकि इसमें उत्पादक अपनी भविष्य यी जिम्मेदारी सतुरित कर सकता है जिन्स बाजार में इसका प्रयोजन जिन्स लने या देने के दायित्व के सिलसिले में कीमत की जोखिम से बचना या उमे न्यूनतम बरना है। स्टाक भार्केट में ऐसी कोई आकस्मिकता या दायित्व नहीं होता स्टौक बाजार में सिवाय इसके और कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता कि एक खास तरह के लोग अपनी जुआखोरी की इच्छा पूरी बार ले यह बुरी प्रथा भारत से बाहर किसी स्टौक एक्सचेंज में नहीं चलने दी जाती यहाँ भी यह अभियक्षत निपिद्ध होनी चाहिए। इस सिलसिले में गोरखाला समिति का यह उद्धरण देना उचित होगा, "जिस आदमी के पास काफी धन नहीं है, पर ज्ञान है और वह परिकल्पन बरता है। वह आदमी सम्भावी (Prospective) दिवालिया है, जो आदमी धन और ज्ञान दोनों के अभाव में परिकल्पन करता है वह न केवल एक खतरा है बल्कि अनुपयुक्त जगह पर बाम बर रहा है, उस कभी भी परिकल्पन नहीं करना चाहिए" यह निश्चित रूप से एक अवाञ्छनीय प्रथा है और यह अवश्य पिछ होनी चाहिए।

विधेयक प्रतिभूतियों सम्बन्धी व्यापार के अन्य अवाञ्छनीय रूपों, यथा हस्तेकरण या कन्नर, समुच्चय कार्य, छलसाधन, या गोटेवाजी आदि के विषय में भी भौत है पर स्टौक एक्सचेंज पर व्यापार के अत्यधिक घृणित रूप भी प्रचलित है और स्थाना में हस्तेकरण समुच्चय कार्य और, छलसाधन को रोकने के लिए जनक उपाय किये गये है क्योंकि वे स्टाक एक्सचेंज को स्टाका वा सही और उपयुक्त मूल्यांकन बरतने का इसका प्राथमिक कार्य करने से रोकते हैं और इस प्रकार स्टौक एक्सचेंज के कार्य करने की दक्षता को बिनापृष्ठ करते हैं इसलिए विधेयक में इन सब 'प्रतिभूतियों' के अवाञ्छनीय सौदा वो प्रतिपिछ बरने के लिए विनिर्दिष्ट उपबंध होने चाहिए।

### उपज विनिमय स्थान (Produce Exchanges)

उपज विनिमय स्थान या प्राइव्यूस एक्सचेंज (स्टौक एक्सचेंज की तरह) एक विशिष्ट संगठित बाजार है, जो एक ऐसा स्थान प्रस्तुत बरता है, जहाँ उसके सदस्य

कुछ पदायं खरीद या बेच सकें। स्टोक एक्सचेंज की तरह प्रोड्यूस एक्सचेंज में भी कारबार कुछ नियमों के अनुसार होता है। सौदे उसी तरह होते हैं जिस तरह स्टोक एक्सचेंज में, इसलिए जो कुछ ऊपर कहा गया है, वह प्रोड्यूस एक्सचेंजों के सौदों पर भी उसी तरह लागू होता है। यहाँ विशेष हृप से यह विचार करने की आवश्यकता है कि भारत में वित्त-किस प्रकार के प्रोड्यूस एक्सचेंज हैं, उनका गठन कैसे है तथा हाजिर व बायदे के सौदे तथा हंजिंग कैसे होते हैं।

गठन—सामान्यतया सासार भर के प्रोड्यूस एक्सचेंज निर्गमित निकाय हैं। भारत में अधिकतर प्रोड्यूस एक्सचेंज प्रयमत बायदे के सौदों के लिए ही संगठित किये गये हैं, यद्यपि उनमें से कुछ हाजिर सौदों को भी नियमित करते हैं। भारत के चब प्रोड्यूस एक्सचेंज दो मुख्य बगौं में आने हैं—एक लाभ में हिस्सा देने वाले और दूसरे लाभ में हिस्सा न देने वाले। पर दोनों प्रलृप्त भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९१३, के आधीन पजीयित किये जाते हैं, पहले वाले धारा १३ के आधीन, और दोषे वाले धारा २६ के आधीन। प्राय सब लाभ में हिस्सा न देने वाले एसोसिएशन बन्दरगाहों पर अवस्थित हैं। वर्द्धई के ईस्ट इन्डिया काटन एसोसिएशन और मारवाड़ी चैम्बर आफ कामर्स इसके प्रालिपिक उदाहरण हैं। लाभ में हिस्सा देने वाले एसोसिएशन उत्तर में ही पाये जाते हैं। इन्हियन एक्सचेंज लिमिटेड अमृतसर में इसका एक बड़ा प्रमुख उदाहरण है। पह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि लाभ में हिस्सा न देने वाले एसोसिएशनों की स्थायिता और प्रभाव लाभ में हिस्सा देने वाले अधिक दर एसोसिएशनों की स्थायिता और प्रभाव से बहुत अधिक है। लाभ में हिस्सा न देने वाले अपने सदस्यों को दूसरों की तुलना में अधिक सुविधाएँ देते हैं। भारत में मेलो, बाजारो, और प्रोड्यूस एक्सचेंजों की रिपोर्ट के अनुसार, १९४३ में भारत में १८४ प्रोड्यूस एक्सचेंज से परन्तु इनमें से १०५ पजाद में ये जिनमें से अब ७५ पारिस्तान में हैं। दोनों तरह के एसोसिएशन वा प्रदन्ध सचालक मढ़लों या समिनियों के हाथ में होता है, जिनका गठन और पूँजी भिन्न-भिन्न होती है।

सदस्य—प्रोड्यूस एक्सचेंज के सदस्यों का वर्गीकरण या तो, वे जो कार्य करते हैं जसकी प्रकृति के आधार पर, अथवा वे जो सौदे करते हैं, उनके आधार पर, किया जाता है। कार्यों के आधार पर सदस्य (१) दलाल, (२) जौबर, (३) योक विक्रेता, (४) सुदरा विक्रेता, (५) आपातक और (६) निर्यातक हो सकता है। सौदों के अनुसार सदस्य “हेजर या प्रतिक्लिपक हो सकते हैं। प्रोड्यूस एक्सचेंज वाहरी लोगों के प्रवेश उत्तरी कड़ाई से रुही घोकरे जितनी कड़ाई से स्टोक एक्सचेंज घोकरे हैं।

लक्ष्य और उद्देश्य—प्रोड्यूस एक्सचेंजों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हृप में बताये जाते हैं। (१) व्यापार करने और विचार-विनियम करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों को एक सुविधाजनक स्थान देना; (२) बाजार सम्बन्धी सूचना सचित और प्रचारित करना; (३) व्यापार में सुविधा पैदा करने के उद्देश्य से नियम बनाना और लागू करना; (४) अणियाँ बनाना और उन्हें कायम रखना;

(५) व्यापार सम्बन्धी विवादों के मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था करना, (६) बाजार मूल्यों को व्यक्त करने में सहायता करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति का यत्न चरते हुए मैं प्रौद्यूस एक्सचेंज कुछ प्रत्यक्ष और परोक्ष सेवाएँ करते हैं। वे उत्पादकों, वितरकों, वित्त पोषकों, नियोजकी और उपभोक्ताओं को सतत बाजार प्रदान करते हैं, वे जोखिम को कम करते हैं, अर्थात् वे दो बाजारों में सामानान्तर सौदों के द्वारा कीमत की सभावित घट-बढ़ के प्रभावों को कम करते हैं, और कभी-भी समाप्त भी कर देते हैं। जोखिम के धारण अर्थात् एक प्रकार के व्यापारियों से एक विशेष प्रकार के जोखिम उठाने वालों अर्थात् परिवर्तकों को जोखिम वा हस्तातर सुविधा से हो जाता है। वे हैंजिंग के सौदों द्वारा बीमे या सुरक्षा की एक उपयोगी विधि प्रस्तुत करते हैं जहाँ एक बाजार से दूसरे बाजार में स्थानान्तरण या अन्तर-पण (Arbitrading) या 'हिडल' (Straddling) कीमतों को बराबर करने में बड़ा प्रभावी होता है।

सौदों के प्रलय—प्रौद्यूस एक्सचेंज में दो तरह के सौदे होते हैं—हाजिर या नकद, और बायदे। स्टौक एक्सचेंज की तरह यहाँ भी हाजिर या नकद सौदे का मतलब नकद या घोड़ी अवधि में, जैसा भी एक्सचेंज वा नियम हो, भुगतान करके खरीदने या बेचने को कहते हैं और डिलिवरी या तो फौरन और या प्रायः आठ दिन के अन्दर ली जाती है। सौदे का बायदा एक निष्पादित अन्वन्ध या विक्री है, और उसे कीमत छहने पर अन्तर ले लेने के प्रयोजन से पृष्ठा नहीं जा सकता, जैसा कि बायदे के सौदे में सम्भव है, जो बेचने का इकरार मात्र है। बायदे का सौदा दो पक्षों में किसी विशेष पदार्थ या थेनी को इस आधार पर खरीदने या बेचने का समझौता है कि डिलिवरी भविष्य में किसी निश्चित तारीख पर ली जा सकती है। नकद या हाजिर सौदा नमूने के आधार पर किया जा सकता है, पर भविष्य के सौदे में किसी प्रमाणित थेनी का उत्तेज होना चाहिए। भविष्य का सौदा परिकल्पनात्मक अवधार हैंजिंग होता है। परिकल्पनात्मक सौदा 'बायदा' 'बापशत' 'स्ट्रॉडल' और 'बदला' हो सकता है। परिकल्पनात्मक सौदों पर परिकल्पन और स्टौक एक्सचेंज के सिलसिले में पहले विचार किया जा चुका है। हैंजिंग पर नीचे विचार किया जाता है।

हैंजिंग—प्रौद्यूस एक्सचेंज में हैंजिंग के सौदे जोखिम को स्थानान्तरित करने का बहुत उपयोगी साधन है। हैंजिंग उस कार्य को कहते हैं जिसमें दो निपरीत दिशाओं में सवादी प्रवृत्ति के सौदे एक साथ किये जाते हैं—एक हाजिर बाजार में और दूसरा बायदा बाजार में। ये सौदे विपरीत इस तरह होते हैं कि एक में खरीद की जाती है और दूसरे में बेच, पर यह चलता जूँ भाग, चूँ चूरिल ऐसे स्थानी होते हैं। इस कार्य में बराबर मात्रा की निपरीत विक्री और खरीद की जाती है—एक हाजिर बाजार में जहाँ वास्तविक भौतिक पदार्थ हस्तगत किया जाता है, और दूसरी बायदा बाजार में। यदि दोनों बाजारों में कीमतें विलक्षण समानान्तर चलें

तो एक बाजार में कीमत परिवर्तन में होने वाली हानि दूसरे से होने वाले लाभ से प्रतिशुलिष्ठ हो जाती है। जब इन प्रकार किया जाता है तब बायदे का व्यापार एक प्रकार का बीमा हो जाता है, जिसमें परिवर्तन समूदाय बीमाकर्ता होते हैं और बीमाहत हैं जरो का समूदाय होता है। हैंडिंग आपसे दान विनिन धनधो, यथा बनाड़, रहि, बीज आदि और विभिन्न कार्य करने वालों यथा खेतिहर, व्यापारी, आदाउक, नियांउक, स्टौकिस्ट या निर्माता द्वारा अपने-आपको कीमतों की घट-ढड के बारण होने वाली हानियों से बचाने के लिए जिये जाने हैं।

दशहरण के लिये एक आठा मिल मालिक की स्थिति पर विचार कीजिये जो अपनी मिल के लिये कच्चे सामान के हथ में गेहूँ चालू कीमत पर खरीदता है। आर गेहूँ की कीमत उसका आठा विनामें स पहल मिर जाय तो उने आठा कम कीमत पर बेचता होगा, क्योंकि प्राय बाटे की कीमत गेहूँ की कीमत के माय मिर जाता है इनलिये इस जोविम नो हानिरप्ति करने के लिये आठा मिल मालिक अपनी हाविर गेहूँ खरीद को 'हैंड' कर देता है और इसके लिये नदिय म गेहूँ बेचते का एक और सौदा करता है। दूसरे सादो में वह बायदे की विक्री करता है। यगर जैसा कि उने नय था, गेहूँ की कीमत उनका आठा विक्री में पहले गिर गई तो उसे बाटे पर नुकसान होगा क्योंकि वह बाद की कीमतों से ऊपर भुगतान कर चुका है पर अपने बायदे के सौदे पर उम्म लाभ होगा क्योंकि जब सौदे की डिफिक्वरी द्वारा पूर्ण का समय आयेगा तब वह हाविर गेहूँ उन कीमत में नीचे खरीद लेगा, जो उसे अपने बायदे की विक्री के लिये मिलनी है। इस प्रकार वह अपने बायदे के नीचे के लाभ से आटे वाले सौदे की हानि को पूरा कर लेता है। बार कीमत ऊँची हो जाती है वह अपने बायदे के सौदे की हानि को अपने हाविर सौदे के लाभ से पूरा कर लेता। हैंडिंग का परिणाम यह है कि व्यापारी को अपना सामान्य व्यापार-लाभ मिलना निश्चित हो जाता है और कीमतों के परिवर्तनोंके बारण होने वाले परिवर्तनात्मक हानि या लाभ में वह बच जाता है।

## अध्याय ३१

### नौवहन और वित्त (Shipping and Finance)

निर्यात और आयात का व्यापार—आवृत्तिक जटिलताओं और धन के उपयोग के नावजद, व्यापार, विशेषकर प्रादेशिक व्यापार, अब भी मूलत प्राचीन काल का वस्तु विनिमय ही है। जैसे बोई व्यक्ति जो कुछ पाता है उसके बदले में उचित मूल्य देता है, उसी प्रकार राष्ट्र भी अ ततोगत्वा अपने निर्यात से अधिक आयात नहीं कर सकता। पर यह आवश्यक नहीं कि आयात वस्तुएँ निर्यात वस्तुओं के बराबर हो। उदाहरण के लिए, निर्यात सेवाओं के रूप में हो सकता है, जैसे नौवहन या वीमा या छुट्टी विताने आने वालों के लिए स्थान की व्यवस्था जिन्हे अदृश्य निर्यात (Invisible exports) कहने हैं—परन्तु वर्तमान प्रयोजन के लिए हमें सिर्फ मूर्त वस्तुओं के स्थानान्तरण पर विचार करना है, सेवाओं पर नहीं।

कुछ समय पूर्व तक आयातक मुख्यतः एक व्यापारी होता था जो ऐसी वस्तुएँ अपने देश में लाने का काम करता था जिन्हे वह लाभ पर बेच सके। उभके अपने ही जहाज होते थे जैसे मर्चेंट आफ वैनिस में एटानियो के थे। इस प्रकार और व्यापारी थे, जो माल जहाज में भरकर ले जाते थे और उसे बेच वर विदेशी वस्तुएँ लेते थे। इन जहाजों को शहर-सजिन और लड्ने के लिए तंदार होकर जाना पड़ता था। विदेशी रीति-रिवाजों और भाषाओं के कारण, वास्तविक कठिनाइयाँ आती थी जिससे वैदेशिक व्यापार सिर्फ उन लोगों तक सीमित था जो इसमें विशेषता हासिल करते थे। पर आजकल विभिन्न देशों की वाणिज्यिक रीतियाँ एक जैसी हैं। पिछली दो शताब्दियों में वाणिज्यिक ईमानदारी का मानदण्ड ऊचा हो गया है। विदेशों में उपलब्ध वस्तुओं के बारे में व्यापारिक सूचीपत्रों, अखबारों और व्यापारिक पत्रों द्वारा जानकारी मिलना थासान होगया है और इसके परिणामस्वरूप अब कोई भी व्यक्ति विदेशी व्यापारियों से पूछताछ कर सकता है और नमूने तथा तरबीयों माँग सकता है। परिवहन सुविधाओं में बहुत सुधार हो गया है। इसलिए आयात और निर्यात व्यापार अबाध रूप से और दूरदूर में करना सभव और सुविधाजनक होगया है।

नियन्त्रण—परिवहन और सचार साधनों में सुधार होने से समय और दूरी की बाधाएँ तो कहुत काफी हट गई हैं, और वैदेशिक मुद्रा विनिमय की व्यवस्था विदेशी मुद्राओं में भुगतान की सुविधा के लिए कर दी गई है, पर आयातनिर्यात पर नये नियन्त्रण लागू होगए हैं, विशेषकर युद्ध के दिनों में, यद्यपि हिटलर ने सत-

३० के आसपास ही वैदेशिक व्यापार पर कठोर नियन्त्रण लागू कर दिये थे। युद्ध के दिना में भिन्न राष्ट्रों के सामने तीन समस्याएँ थीं—

- (१) प्रभावशक्ति पदार्थों की मात्रा की रक्षा,
- (२) साथ ही यथासम्भव अधिकतम वैदेशिक मूद्रा प्राप्त करना,
- (३) उपलब्ध वैदेशिक मूद्रा का अच्छे न बच्चा उपयोग करना।

समस्या के ठीक समाधान के लिए यह आवश्यक था कि किसी पदार्थ की जो अधिक मात्रा उपलब्ध हो उने उन दशा में भेजा जाय जिनकी मूद्राओं की जरूरत है। यह नियन्त्रण करना भी आवश्यक था कि सारी दृपलब्ध वैदेशिक मूद्रा युद्ध सचाइन में ही प्रयुक्त हो जौर आवश्यक उपभोक्ता वग्तुओं में नष्ट न हो जाए, युद्धके बाद कुछ मूद्राओं विदेशी पक्षकर डालर के भुगतान सुतुलन की कठिनाइया, के कारण नियन्त्रण जारी रहे। हमारे लिए यह आवश्यक था कि उन देशों को निर्यात करें, जिनकी मूद्राएँ दुलभ थीं और यह भी आवश्यक हो गया कि निर्यात से उपर्याप्त विदेशी मूद्रा वैदेशिक के बजाय दशा के टिन की दृष्टि से बाद में लाई जाय इस गिरे नियात पर नियन्त्रण इस ढंग से किया गया जिससे यह मुनिशित हो कि सारी उपर्याप्त मूद्रा बैंक्रीय बैंक—हमारे देश में रिजब बैंक आफ इण्डिया—को समर्पित करदी जाय। इसी प्रकार आयात का भी लाइंगें लिया जाता था, जिससे आवश्यक बच्चे सामान और सामग्री के मूद्रावले भी नावश्यक सामान के निर्यात को रोका जा सके। निर्यात पर नियन्त्रण का उपयोग दशा में नवे उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिए भी किया गया है। परन्तु जब समार की स्थिति सुधर जाने से नियन्त्रण में थाम डिलाई हो गई है। अधिकाधिक वस्तुएँ बी० जी० एल० (बीपन-जनरल लाइसेंस) में रखदी गयी हैं। भारत सरकार अपनी आयात नीति उम्हाने पहले पौष्टिक बर देती है। आयात का मुख्य नियन्त्रक दस जीति के अनुसार ही लाइम म दना है। यदि आवश्यक लाइम म पेशन किया जाय तो वस्तुओं को बहाज से उतारने नहीं दिया जाता है, और रिजब बैंक आफ इण्डिया भी उनके भुगतान के लिए विदेशी मूद्रा नहीं देता।

नियात और आयात के तत्र को अच्छी तरह समझने के लिए हम किसी वस्तु की उसके निमाता के स्थान से उसकी अतिम मनिल विदेशस्थ उपभोक्ता, तत्र उसकी यात्रा पर विचार करें। एक आदमी जो उनके डाक्टर ने पोलीक्यूरीन नामक फॉडे को दवा लेता है, जो एक त्रिटिश फर्म द्वारा तंत्यार की जाती है। इस बात की कोई समावान नहीं, कि वह आदमी घर जाकर निर्माता को लिखे कि मूले यह दवा भेज दो। उसके ऐसान बरने के अनेक कारण हैं। पहले तो सम्बन्ध वह निर्माता का पता नहीं जानता। दूसरे, यदि निर्माता का पता भी चल जाय, तो भी वह किसी विदेशस्थ नैमित्तिक ग्राहक का आड़ेर पूरा करने में जो सब कार्य करने पड़ते हैं, उन्हें देखते हुए, इतनी योड़ी मात्रा भेजने की तकलीफ नहीं उठा

येगा। तीसरे, ममता है कि उमेर आयात का लाइसेंस न मिले। अतिम पर अन्यून महत्व की बात यह है कि वह आठ मास सप्ताह प्रतीक्षा करना पसंद नहीं करेगा उसे दबाई आनी चाहिए। स्पष्ट है कि वह अपने कैमिस्ट के यहाँ जायगा और उसे महज जानकर खुशी होगी कि इसके कैमिस्ट के पास यह अद्भुत दरा मौजूद है। इसके साथ आहट यह जानना चाहना है कि वह दबा वहाँ कैसे आई। इस प्रदर्शन के दो उत्तर समझ हैं — या तो पोलीक्यूरीन की भाग पहले हुई होगी और कैमिस्ट ने उस दबा को मगाना और रखना आवश्यक समझा होगा, अथवा निर्माता ने इस देश में मौग की समावना समझकर यह यत्न किया होगा कि वह तथा अन्य कैमिस्ट दबा अपने यहाँ रखें। पहली अवस्था में प्रधास कैमिस्ट ने किया और आयात यथा को चलाया और दूसरी अवस्था में प्रधास निर्माता ने किया और अपनी दबा भारत तथा विदेशों में निर्यात करने की व्यवस्था की। यह विधि अधिक अवृत्तनीय (Uptodate) है। इस विभेद को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि दबाई की उत्पादक से निर्माता तक यात्रा हर अवस्था में अर्थ बदल जाएगी।

पहले उस अवस्था पर विचार करें जिसमें कैमिस्ट पोलीक्यूरीन की नियमित मौग देखता है और माल प्राप्त करना चाहता है। बहुत सम्भाव्य उम्मेद किसी थोड़े विक्रेता को अपनी आवश्यकता की सूचना दी और अन्त में बस्तुएं प्राप्त कर ली। होल सेलर या थोक विक्रेता जो स्वयं आयातक है, अनेक लूदरा विक्रेताओं के बीच ही आदेश प्राप्त करके इगलैंड से दबाई मगाने के लिए तीन मार्ग गढ़ण कर सकता है —

(१) वह सीधे निर्माता से मापकं करता है और पोलोक्यूरीन की बहुत बड़ी मात्रा का आड़ंर दता है, जिसमें कुछ से अपने प्राप्तकों की सात्कालिक आवश्यकता पूरी करेगा, और कुछ जमा कर लेगा।

(२) वह इगलैंड में किसी नियात व्यापारी से सम्पर्कं करता है जो उसे त्रिटिश बल्लुए नियमित रूप से भेजता है। यह नियमित व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में दबाई भेजता है, जाहे यह उसके स्टोक में हा या वह इसी वाम के लिए निर्माता से खरीदे।

(३) वह त्रिटेन में अपनी सारी खरीद करने के लिये नियुक्त आइटी को एक इंडेंट, अर्थात् श्रयादेन, भेजता है। तब निर्माता वा नियात निमान उम आइटी की देख रेख में भारतीय आयातक को सीधे दबा भेज देगा। भारत में अधिकतर आयातक यही तरीका वाम में लान है। इसका एक कारण यह है कि उपभोक्ता बस्तुओं के आयातक को सिर्फ एक पर्म द्वारा नियमित बस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती और आइटी यानी वर्मीशन वाइग एंजेट, जो विदेशों के आड़ंर समालने

में विशेष नियुण होता है, अनेक निर्माताओं से वस्तुएँ स्तरीदत्ता है और उनके उचित पैकिंग तथा परिवहन की व्यवस्था करता है। उसे खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य पर कमीशन के ढंग से परिस्थितिक मिलता है।

इडेंट शब्द प्राचीन अदालती रिवाज में से आया है जिसके अनुमार दो प्रतिलिपिया के बिनार इस तरह काट दिये जान य जिससे उन दोना की कटन का सादृश्य देख कर यह निश्चय हो सके कि वे दोना एक है। इडेंट का काइ निश्चिन रूप नहीं है। यह निरा विल हैंडिंग भी हो सकता है और इसमें कई बड़े-बड़े कागज भी हो सकते हैं जिनका पहला पछल कानूनी दस्तावेज की तरह सावधानी से लिखा गया है। इडेंट बन्द या तुली होनी है। यदि इसमें यह निर्देश हो कि वस्तुएँ किनसे स्तरीदत्ती हैं और किस कीमत पर तथा जिस क्राड की स्तरीदत्ती है तो यह बन्द इडेंट (Closed Indent) कहलाती है। पर यदि मामला आलिये पर छोड़ दिया जाय और वह कई जाह से कीमतें पूछकर सर्वोत्तम कीमत पर आड़र दे तो यह सुली इडेंट (Open Indent) कहलानी है। आयानक को आड़निये की निर्यात व्यापार सम्बन्धी विशेष जानकारी का लाभ मिल जाता है। स्तरीदत्ते का काम, जैसा कि हम पहले से जानते हैं एक गम्भीर मामला है जिसमें सावधानी से निर्णय करने और जान की आवश्यकता होती है। न केवल कीमता और कदाचित् पर विचार करना होता है, बल्कि जिस बाजार के लिये माल स्तरीदा जाता है, उसके लिये उपयुक्त नमूना का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा, यह भी प्रश्न है कि ठीक समय पर निर्माता माल भेज दे, और जहाज पर पाल ले जाने के लिए उपयुक्त पैकिंग आदि का उसे अनुनव हो।

क्योंकि वस्तुओं को बड़ी-बड़ी दूरियां पार करनी पड़ती है और बहुत सी दाघाएँ लानी हैं, जिनमें समय और धन खंड होता है, इसलिये इडेंट अन्यान नहीं होनी चाहिये। अनेकिन वस्तुएँ ठीक ठीक बनानी चाहिये। इडेंट में पैकिंग, बाणिजियक और अन्य बाजक तैयार करने, बीमे, वस्तु की यात्रा के रास्ते, आदि के बारे में भी स्पष्ट जल्देख होता चाहिये, अन्यथा ये बातें दूसरी ओर माल भेजने वाले के ऊपर छोड़ देनी चाहिये। जो हो, निर्माता को अधिक से अधिक पूरे निर्देश मिल जाने चाहिये। इडेंटों में प्राय विशेष चिन्ह भी बता दिये जाने हैं जो पैकिंग पर होने चाहिये, जिससे ये पटियां और पैटियों से मिल न जाय। जहाज से माल भेजने वाला अपनी जानकारी, क्षेत्र क्षेत्रके लाले आलिये के कल्प हैं, लगभग यह सह आश्वह भी कहेगा कि निर्माता की पहचान करनाने वाले सब निशान या लेविल हटा दिये जाय। यह माल अपने देयर हाड़म में डिल्वर करने का आदेश देगा मा पैकिंग करने वाला से ऐसा पैकिंग करने के लिये कहेगा कि माल इकठा बाधा जा सके। माल स्तरीदत्ते के बाद आला काम यह होगा कि प्रत्येक सदिन निर्माता को स्तरीद का नोट भेज कर बाड़ की पुष्टि कर दी जाय। यह सब विवरा पूछ

होना चाहिए, और इसमें क्वालिटी, कीमत, मार्किंग, डिलिवरी का स्थान और समय, भुगतान की शर्तें, डिस्काउंट, आदि सब विलक्षुल ठीक-ठीक होने चाहिए। नीचे दिया हुआ खरीद नोट का प्रयत्न आमतौर से बाम आता है।

लदन १० दिसंबर १९५५

श्री.....स्मित एण्ड कम्पनी.....

हम अब निम्नलिखित वस्तुओं के समरण के दिए आपको विये हुए अपने आदेशों की पुष्टि करते हैं।

### या

हमने आज आपसे निम्नलिखित वस्तुएँ खरीदी ।

कृपया आईंड नम्बर.....का वीजक भेजिए.....

(वस्तुएँ वर्णनानुसार).....

मार्किंग.....

कीमत.....

शर्तें .....

डिलिवरी.....

**नोट**—कृपया ध्यान रखिए कि डिलिवरी की ऊपर लिखी हुई तारीख अतिम है और यदि इस तक माल न मिला तो हमें आदेश रद्द करना पड़ेगा ।

वस्तुओं का पैकिंग जहाज पर चढ़ाना और वीमे की देखभाल महत्वपूर्ण वर्तम्य है, जो नियन्ति व्यापारी या इंडेट भेजने वाली फर्म को पूरे करने होते हैं। वह अपनी ही ओर से कार्य करता है इसलिए इन वार्षों में की हुई किसी भी भूल के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यही कारण है कि सिफ़ बड़ी फर्म ही यह कार्य अपने आप करती है परन्तु छोटी फर्म के लिए एक भाव सभव तथा प्रचलित रीति यह है कि वे किसी पैक करने वाली फर्म और माल लादने तथा बीमा करने वाले एजेंटों की सेवाओं से लाभ उठाते हैं। प्रक्रिया के इस भाग की चर्चा करने से पहले हम उस अवस्था पर विचार करते, जिसमें पोलीक्यूरीन वा निर्माता मुहूर्प्रयास करता है।

पोलीक्यूरीन का निर्माता सर्वसाधारण में विज्ञापन के कारण पैदा हुई दबाई की मांग का अनुगमन करके तीन विधियों से इस कंपनिट को अपना माल रखने के लिए प्रेरित भर सकता है।

(१) निर्माता का नियांति प्रबन्धक उस वस्ती के सब डाक्टरो, हस्पतालों और कंपनिटों को दबाई के बारे में सूचित बरता है। इसके बाद होने वाले विज्ञापन कार्य और डाक्टरों द्वारा समावित सिफारिश उसे यह दबा स्टॉक करने के लिए प्रेरित करेंगी।

- (१) निर्यात का आग्रह एजेंट, जिने भारत के लिए ऐसी बम्बूएं बेचने का एकाधिकार है या जैना कि आम तौर पर होता है सभ विदेशी बाजारों के लिये निर्यात वा एक नाव जपिशार है आग्रहकों से कहता है कि अच्छी बातें प्रम्तुर करके स्थानीय कैमिन्टा में इस दशा को प्रबलित करो।
- (२) निर्यात प्रबन्धक द्या निर्यात एजेंट को पर व्यवहार, नमूनों आदि से जो सफलता होती है, उसमें अधिक सफलता व्यक्तिगत सरकं में प्राप्त होती है। इस आशा से निर्याता विदेशों में अपने घूमने वाले प्रतिनिधि नेबना है।

आदेश की स्वीकृति और उम्मी दूर्जि का किस्मा आगे बढ़ाने से पहले इन दोन पर जोर देना चाही है कि निर्याता, निर्यात अभिकर्ता या निर्यात व्यापारी को विदेशी बाजार में विज्ञापन करना चाहिए। जो बम्बूएं बिना घूमधाम के निर्यात की जाती है, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देना। निर्यात का विज्ञापन करने से पहले उस तरह की आरम्भिक जांच कर लेनी चाहिए जिस पर बस्तुओं के विषयन के मिलमिले में हन पहले विचार कर चुके हैं। पर विदेश में विज्ञापन करने हुए बहुत जपिक सावधानी वीं आवश्यकता है। क्योंकि दूर देश के लोगों को अदर्ना और उनके रीनिरिक्वाजों का विशेष अध्ययन करना आवश्यक है। विदेशी के लिए विज्ञापन की योजना बनाने हुए निर्यातिक को पहुंचने रखना चाहिए कि वह एक में अधिक जानियों के लिए विज्ञापन कर रहा है। उत्तरण के लिए, यदि किसी चिन में हिन्दू वैष्णव वाङ्मय व्यक्ति का नाम अनुच्छा रखा गया हो तो भारत में उनका उपहास किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्यातिक को आपानक की भाषा में विज्ञापन और पत्र-व्यवहार वरके उम्में बात को सुख बनाना चाहिए।

**कौमन बनाना—**निर्यात के लिए कीमत बढ़ाने समय न केवल बस्तुओं की सामन और लाभ की मात्रा पर ही बिचार करना चाहिए, बल्कि दून सब स्वर्चों का भी ध्यान रखना चाहिए जो माड मेज़ने के मिलतिले में होने हैं। इन स्वर्चों की मात्रा कीमत बढ़ाने समय दो गई शर्तों पर निर्भर है। यदि बस्तुएं “लोको” (Loco) पेन की जाती हैं, अर्थात् उस जगह जहाँ वे बिना पैकिंग, ट्रूलाई, भाड़े या बीमे के पड़ी होंती हैं, तो सर्व कुठ भी नहीं होता। यदि बस्तुएं “प्रो डोमेंसाइल”, अर्थात् लेने वाले के घर तक सब लागत देकर प्रम्तुर की जाती है, तो वह सर्व काफी होगा। इसलिए कौमन बढ़ाने में यह उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि बस्तु को तटीं तक पहुंचाने का सर्व कीमती में शामिल है। आम तौर से पढ़हरीम प्रामाणिक शब्द प्रचलित है जिनमें से प्रत्येक का अर्थ कानून द्वारा निश्चित है और सर्वोले विवादों से बचने के लिए बड़ी सावधानी और परिदृढ़ता से इन घट्ठों का प्रयोग करना चाहिए होगा।

एक० ओ० बी० शब्द सबसे सरल और सबसे प्रचलित शब्दों में है। इमरा शास्त्राधीश है की आन बोर्ड (जहाज पर तक बिना लागत) और इसमें वस्तुओं के पैकिंग, जहाजी घाट तक परिवहन, जहाजी जहाज घाट पर न हो, वहाँ लाइटरेज और लादने तथा स्टोइग के खंच इसके अन्तर्गत होते हैं। भाड़ा और बीमा इसमें शामिल नहीं होता। आयातक प्राय सीधी दरें पनद करते हैं, या इसके निकटवर्ती सी० आई० एफ० (कोस्ट, इशोरेस फ्रैट अधिकार लागत, बीमा और भाड़ा) दर पसर वरते हैं। सी० आई० एफ० कीमत वस्तुओं को डिलिवरी के बन्दरगाह तक पहुँचा देती है और इसमें माल उतारने के बाद के आयत शुल्क, रेलवे भाड़ा, दुलाई भादि शामिल नहीं होते। आखिरकार भाडे और बीमे की लागत का निश्चय बरना आयातक की अपेक्षा प्रेषक के लिए अधिक आसान है, क्योंकि आयातक सो हजारों भील दूर होगा और उसके लिए सी० आई० एफ० बीमत की सुविधा इतनी स्पष्ट है कि आयातक के लिए एफ० ओ० बी० बीमतों की अपेक्षा सी० आई० एफ० की बीमतें हमेशा आवश्यक हैं।

सी० आई० एफ० के थोटा-थोड़ा भिन्न अंतर है, जिनमें से मुख्य ये हैं सी० आई० एफ० सी० बाई० (कोस्ट यानी लागत, इशोरेस यानी बीमा, फ्रैट यानी भाड़ा, कमीशन और इटरस्ट यानी ब्याज), सी० आई० एफ० सी० जिसमें इटरस्ट यानी ब्याज शामिल नहीं है और सी० एफ० जिसमें सिर्फ लागत और भाड़ा आने हैं, बीमा नहीं आता। प्राको और प्री डोमीसाइल शब्द में प्रेषिता (कन्साइनी) के द्वारा एक के सब खंच समाविष्ट करते हैं। प्राको डिलिवर्ड वस्टम हाउस में सी० आई० एफ० और उतारने के खंच शामिल हैं। को इयटी वस्टम हाउस में सीमा शुल्क वा चुकाना भी सम्मिलित है, की हार्डर शब्द मुख्यत बम्बई के व्यापार में प्रयुक्त होता और गतव्य बदलगाह तक के सब खंच इसमें शामिल होते हैं।

और भी बहुत से शब्द हैं जो या तो एफ० ओ० बी० के ही स्पष्टर हैं और या उनमें एफ० ओ० बी० तक के खंच शामिल नहीं। उदाहरण के लिए—

एफ० ए० एस० (की अलागसाइड विप अर्थात् जहाज के पास तक की कीमत) एफ० ओ० बी० क्रैण लदान के खंच के बराबर है।

एफ० ओ० आर० (की औन रेल अर्थात् रेल तक माल पहुँचाने की कीमत) में लागत, पैकिंग वसूली और प्रेषक की तरफ रेल तक परिवहन शामिल है, पर रेल का महसूल इसमें शामिल नहीं।

डी० डी० (डेलीवर्ड डोक्स या बी डोक्स) में वस्तुओं को जहाजी घाट और डोक्स में रखने तक के सब खंच शामिल होते हैं।

की पोर्ट औफ डिपोचर शब्द के है अर्थ हो सकते हैं, इसलिये इससे बचना चाहिये। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वस्तुओं पर रखानगी के बदलगाह पर रेल

हैंड तक सर्वां लाया जायेगा, या जहाजी घाट तक का, अथवा जहाज पर लादने तक का।

सोकों का वर्ण है कि बन्नुएँ जहाँ पड़ी हैं वहाँ विना पैकिंग या किसी तरह की दुर्लाइ के सत्रे के उनको लागत।

फट नारवड़ का वर्ण यह है कि भाड़ा प्रैपिनी (कल्पाइनी) देगा।

पैकिंग या स्वेच्छन—बन्नुओं के निर्यातक को प्रेष्य बन्नुओं के पैकिंग पर भावयानी से विचार करना चाहिए। न केवल अपने विदेशम्य ग्राहकों की दृष्टि में बन्नु सुरक्षित पढ़ूँचाने के लिए वह विन्मवार है बल्कि यदि बन्नुएँ अपने गतव्य स्थान पर सरोपत्रक अवस्था में नहीं पढ़ूँचती तो दहभविष्य के दोबगार को मी सतर में डालता है। निर्यात व्यापारियों और स्तरीदाने वाले आदियों तथा उन निर्यातात्री को जो स्वयं पैकिंग नहीं करते, पैकिंग का निरीणण तो अवश्य कर लेना चाहिए और यह निर्दिश कर लेना चाहिए कि प्रैपिनी के जादेयों का पूरी तरह दानन दिया जाय। जब निर्यातिक पैक की हुई बन्नुओं को जहाज पर भेजें, उसमें पहले उने यह भी सनुष्टि कर लेनी चाहिए कि सब पैटियों पर बड़े बड़े जगरों में कन से कम दो पहन्नुओं पर प्रैपिनी का नाम और पता, गतव्य बदरगाह का नाम, पहचान कराने वाले अधार और संख्याएँ स्पष्ट हृप से अंकित हो गई हैं। कोई विशेष दिनावनी या निरेश, जैसे 'यह तरफ ऊपर रखनो', 'टूने कान्हो चीज़', इत्यादि, स्पष्ट निर्दिश होना चाहिए।

यदि पैकिंग निर्यातक के यहाँ दिया जाय तो यह काम जानकार पैकर को मौसमा चाहिए जो कठम की आवश्यकताओं और जहाजी कमनियों के नियमों से परिवर्तित हो दहाँ पैकिंग की कुछ विविध दर्शाई जानी है। नरम बन्नुएँ कलड़ी या आवल पैकर पैटियों में चिठ्ठाकर पैक की जानी है, या गाड़ बनाड़ी जानी है। गाड़ की अवश्या लकड़ी की पेटी बनाने में खबरों अधिक आना है पर इनमें हिक्काजन ज्यादा होती है और बन्नुओं का हृप भी अधिक अच्छी तरह बायम रहता है। इनलिए अधिक महसी बन्नुओं के लिए यह विधि कान में लाई जाती है। बड़ी मसी-नरों में पेटी उम्में चारों ओर बनाई जाती है और नार दवाव के ठीक बन्नुओं पर भावयानी से रोका जाता है। छोटे छोटे टुकड़े बोन्ट और अन्य हिस्से बलग-अलग बासों में रखते जाने हैं और बसों को बड़ी पेटी के अन्दर मजबूती में जमा दिया जाता है। हाँडेपर चारों ओर घाम आदि लगाकर ढोला में आसानी से भेजा जाता है। बायने के काम में बाने वाला एठा हुआ तार निकल जाने का मज नहीं होता। कान और चीनी के बर्नत को मा ढोल म बच्छी तरह बाने हैं।

कुछ बन्नुओं, यथा करडे, का पैकिंग करते हुए 'पैकिंग अप' कोन सूनना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत में ज्ञानी छीट के हर टुकड़े की लम्बाई और कठ-पीसों में भागों को संचार कानूनन छों होनी चाहिए। मैकिन-जर का मतलब है तरह बर्ने, टिकट चिपकाने, मुहर लगाने, सीन कानज या कठे में लगेटने आदि की

की विधि। मार्केन (टीए क्लोथ) में छत्तीस तह होती है। घोरियो और मरमान में चौडाई के जनुसार वाँ तह या स्केमर पोल्ड पर प्राप्त बारह इधर, बारह उधर या १८ इधर २४ उधर तहें होती है। ड्रेसेड, साटन और इटालियन गते पर तहि याथी जानी है और पीले बागज या सफेद टिलोट में लगेटी जानी है। बुढ़े बीज वो तो भेजने के लिए सुसज्जित या "मेकन्चर" किया जाता है और बुढ़े बस्तुओं को "नीकडाऊन या जला टुच्डों में बर दिया जाना है। यह "ब्ल्यूमूल्ट्यू" पर्नीपर के सिलसिले में प्रयुक्त होता है। फर्नीचर जो इन तरह अली अलग बर दिया जाना है कि अबुशल आदमी नी माल के गुणव्य स्थान पर पहुँच जाने पर नरेन सेहर उसे जोड़ सकता है और जहाज पर भेजने के लिए इसे आमताकार पेटियो ने बना पैक कर दिया जाना है। इसी प्रकार साइक्लो का हिसाब है। उनके हैडल और दैल अलग कर लेने हैं और छह छह जो इकट्ठा कर्टों में बद बरते हैं।

**शिपिंग दा नौकरहन—**बब कोइ विक्रेता आजैर स्नीचार बर लेना है तब पहला हिस्सा जर्यान कानूनो हस्तातरण भूरा हो जाय। दूसरी अवस्था है बास्टिक भीतिक हस्तानरण, जिसकी पूर्ति नौकरहन की सेदाजो का उपयोग बरके की जानी है। परन्तु बस्तुओं के नीन्टन के लिए पूरे बाँध विशिष्ट जान की आवश्यकता है। और यदि निर्दातव अपनी बस्तुएं स्वयं जहाज पर चढ़ाता चाहता है, तो उसे बाई बनुभक्ती शिपिंग बतके नौकर रख लेना चाहिए, या शिपिंग एजेंट अधिकारी पारमार्टिएट एजेंट नियुक्त कर लेना चाहिए। प्राप्त किसी जन्मे शिपिंग एजेंट को सेवाओं का उपयोग बरना लाभदायक होता, जिसे इस जान का बच्चा अनुभव हो। ज्याने शिपिंग एजेंट को यह स्वतंत्र मिलनी है कि बस्तुएं भेजने के लिए पैक की हुई तैयार रखकी है त्योहारी दह सद्दे अधिक सुविधाजनक जहाज पर स्थान बुक बरता है और या तो बस्तुएं जहाज पर पहुँचा देता है, अधिक निर्दातकर्ता वो प्रैषण नन्दन उचित कागजान भेज देता है। जहाँ वही बाणिज्य दूल्हावास की दृष्टि से अबद्धन कागजान की जरूरत होती है, वहाँ शिपिंग एजेंट उन्हें तैयार करके विधिमन्त्र करता है। वह बावस्तवना होते पर दिना अनिखित व्यय के सरकारी टट्टवर दा पर कम्बुदी और युद्ध बीजा बरता है। अन्न ने शिपिंग एजेंट बस्तुओं को कस्टम से बाहर कराता है और बहन पत्र (बिल आफ लेडिंग) या तो जहाज पर प्रेषिती वो भेज देता है, अपवा फौरन बीमापत्र, बाणिज्यिक बीजको आदि के साथ निर्दातक के बैंकर वो भेज देना है।

नौकरहन ने पहला कार्य वह जनाड छाटना है जिससे बस्तुएं भेजी जाएंगी। सामान्यतया जहाज बननियाँ बगली बाजाओं के ऐलान करती हैं, जो जहाजी अखबारों आदि में दृश्य हैं। इन्हें देहकर जार्वेंडिंग एजेंट भा शिपिंग बल्ड देसा जहाज छाट सकेग जिसने भेजने पर नाल डिलिवरी की स्वीकृत तारीख से पहल पहुँच सके। यदि बस्तुएं फैलवर में ढेटी और ऊँच मूल्य की हैं, या बहुत जीम

आवश्यकता है, तो लाइनर (डाक और यात्रों जहाज जो थोड़ा सा माल भी ले जाता है।) छाटा जायेगा। अन्यथा कोई मालवाही जहाज चुना जायगा, जिसने भाड़ा कम पड़े। बस्तुएँ भेजने से पहले माल भेजने वाला शिपिंग कम्पनी को अपने माल भेजने के इरादे की सूचना देता है। इसपर शिपिंग कम्पनी एक शिपिंग नोट जारी करेगी, जिसमें पेटियो दी सूच्या, उनकी प्रहृति और अन्तर्वर्त्तु, चिन्ह, सूच्य, प्रेपिनी का नाम और बीमा करने के बारे में निर्देश आदि का पूरा विवरण होता है। शिपिंग नोट भर कर बाष्पम् करने के बाद निर्धारित शिपिंग कम्पनी से नोट या भाड़ा पत्र पैर बहन पत्र (बिल आक लेडिंग) लेना है। भाड़ा पत्र तो भाड़े का हेबिट नोट या विकलन पत्र होता है। बहन-पत्र माल भेजने का विस्तृत प्रमाण पत्र होता है, और इसकी प्राप्त तीन प्रतिलिपियां दबाई जाती हैं। एक जहाज मालिक रख लेता है, एक माल भेजने वाला रखता है, और तीसरी प्रति तथा सारे के सारे बीमक सौमाशुल्क सदर्धाघोषणा, उद्गम का प्रमाणा पत्र, तथा माल पहुँचने पर डिलिवरी लेने के लिए आवश्यक अन्य कागजात प्रेपिनी को भेज दिए जाते हैं। जिस समय बस्तुएँ जहाज पर चढ़ाई जानी हैं उम समय एक रसीद (मेट्रस्सिट) दे दी जानी है, और बाद में उसके बदले पूरा बहन पत्र दे दिया जाता है।

माल भेजने में बहन-पत्र सब से आवश्यक कागज है और इसमें भेजी गई बस्तुओं की सूची और रसीद तथा नाडे के अनुबन्ध को शर्तों की आवृत्ति और स्वामित्व का प्रमाणपत्र होने हैं। इसपर जहाज का मास्टर या जहाज मालिक को और से कोई और बाकायदा प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर करता है। बहनपत्र कई इकट्ठे बनाए जाते हैं और जैसा आपार हो उसके अनुसार अलग-अलग सूच्या में तंत्यार किये जाते हैं, और आमतौर से तीन होते हैं। कम-से-कम एक स्टाम्प लगा हुआ बहनपत्र प्रेपिनी को भेजना आवश्यक है, और एक विना स्टाम्प लगो हुई प्रतिलिपि मास्टर अभिलेख के लिए रख लेता है। जहाज का मास्टर उसी व्यक्ति को बस्तुओं वी डिलिवरी दे देगा जो स्टाम्प लगा हुआ बहन-पत्र पेश करे और इसपर अन्य प्रतिलिपियां व्यर्थ हो जायेगी। दो प्रकार के बहन-पत्र प्रयोग में आते हैं। पहले प्रकार का "जहाज से भेजने के लिए आपत्ति" बहन पत्र होता है; जिसमें यह कहा होता है कि बस्तुएँ भेजने के लिए जहाज पर प्राप्त हुई हैं। दूसरा प्रकार 'जहाज पर लाद दी गई' (शिप्प) बहन-पत्र होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा होता है कि बस्तुएँ जहाज के ऊपर बास्तव में लाद दी गई हैं। यह प्रहृत अधिक उपयोगी है और ज्यादा काम में लापा जाता है। अगर बस्तुएँ जहाज के ऊपर ठीक हालत में प्राप्त होती हैं तो 'साफ' (वलीन) बहन-पत्र जारी किया जाता है। बहन-पत्र का एक विशेष महत्व यह है कि यह कल्प-परकार्य सलेख (कासी-नेगोशिएट्स इन्स्ट्रुमेंट) है और माल भेजने वाले के हितों की रक्षा के साथ साथ मुग्जान की व्यवस्था करने

के साधन के रूप में उपयोगी है। उदाहरण के लिए, यदि नियतिकर्ता ने 'लेस्यों पर भुगतान' (पेमेन्ट्स अगेन्स्ट डाकुमेंट्स) की व्यवस्था की है तो वह वहन-पत्र प्रेपिती को भेजने के बजाय आवश्यक हिदायतें देकर गतव्य वदरगाह के किसी देवक को भेजता है। प्रेपिती देवक को वस्तुओं की मत चुका कर वहन-पत्र के सहता है।

अगर नियतिकर्ता प्रेपित माल के आधार पर उसका भुगतान दिय होने से पहले धन लेना चाहता है तो वह जिन लेन्यों को वधक रखता है उनमें से एक भहतवपूर्ण ऐस्य वहन-पत्र है। स्वामित्व प्रदानित करने वाला ऐस्य होने के कारण वहन-पत्र उस ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत प्रतिभूति होता है जिसे वह डिस्काउंट करना चाहता है। वहन पत्र का बल्प परकाम्य रूप इस तथ्य में है कि इसका और इसमें निदिष्ट वस्तुओं का स्वामित्व हस्तातरकर्ता द्वारा हस्तानिरती के नाम इसे पूँछाकित (Endorse) करके और सौंप कर हस्तातरित किया जा सकता है, पर हस्तातरिती (Transferee) का स्वामित्व वही तरह होता है जहाँ तक हस्तातरक (Transferor) का था। यदोंकि वहन-पत्र परकाम्य सल्ल सही है, इसलिए इसका हस्तातरक हस्तानिरती को उससे अधिक स्वामित्व नहीं दे सकता जितना उसके खुद के पास है। जब वहन पत्र ग्राहक के नाम के बजाए 'टु बार्ड' (आदशानुसार) बनाया जाता है, तब प्रेपित को इसे पूँछाकित करना चाहिए, अन्यथा जब प्रेपिती माल की डिलिवरी लेना चाहगा, तब यह उसके लिए निरपयोगी होगा।

वस्तुएं जहाजी घाट तक ले जाने के लिए कोई बाहन बर लेना चाहिए, और उसके लिए एक कराइनमेंट नोट तैयार कर दना चाहिए। यह वस्तुएं फारवड़ करने की हिदायत है, और इसमें उसकी विस्तृत मूच्छी, चिन्ह, प्रेपिती का नाम और बाहन व्यय चुकाने के जिमदार व्यक्तिया का उल्लेख होता है। जहाजी घाट पर पहुँचने पर वस्तुएं तौली जाती हैं और एक भार पत्र (वेट-नोट) बाहन को दे दिया जाता है। यह पत्र बाहन व्यय का आधार होता है। बम्बई के व्यापार में बाहक की रसीद प्राप्त करना आवश्यक है, जो डिलिवरी का बारकिंगर द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र है और आत्म में बहन पत्र तथा अन्य ऐस्यों के साथ कानूनी प्रमाण के रूप में आगे भेजा जाता है। अग्रेण (Forwarding) प्रभारा में इस तरह के प्रासारिक सचें शामिल होते हैं जैसे जहाजी घाट के देय, त्रन का सचा, मास्टर पोर्टरेज, विदेश शमिक और सीमा शुल्क सबंधी प्रविष्टिया। इन्हें साधारणतया एक० थो० बी० बहा जाता है। जब वस्तुएं जहाजी घाट भेजनी हो तब यह निदन्य बर लेना आवश्यक है कि बया जहाज के लिए कोई तटागमनतियि (एलोगसाइड डेट) घोषित की जा चुकी है। अन्यथा वस्तुएं पहले पहुँच जायेंगी, और जहाज माल न दर सकेगा तथा डेमरिज पड़ने लगेगा।

अधिकार देशों में सीमाशुल्क अधिकारी उद्गम (origin) का प्रमाणपत्र और वाणिज्यदूनीय बीजक (Consular in voice) मागत है, अर्थात् जहाज द्वारा भेजी गई वस्तुओं का वह बीजक जिसे उस देश के वाणिज्य द्रूत ने प्रमाणित किया हो, जिसे वस्तुएँ भेजी जा रही हैं। वाणिज्यदून वे अफसर होते हैं, जिन्ह कोई देश अपने व्यापारिक हितों को देख-भाल के लिए किसी विदेश में नियुक्त करता है। वाणिज्यदूनीय बीजकों का प्रयोग यह है कि प्रेपित वस्तु का मूल्य निश्चित हो जाय। वाणिज्यदूनीय बीजक अर्थात् शुल्क लेने के प्रयोगन के लिए और उद्गम के प्रमाणपत्र व्याधिमान्य छूट (प्रेफरेंशिल एलाउस) देने में काम आते आते हैं। कामनवेत्य या राष्ट्रमण्डल के अधिकारा के लिए मूल्य और उद्गम के सम्मिलित प्रमाणपत्र आवश्यक होते हैं। इन लेखों में दी हुई सब कीमतें निर्माण की असली लागत होनी चाहिए, एक० थो० बी० या सी० आई० एक० नहीं।

वाणिज्यदूनीय लेख और कीमत तथा उद्गम के प्रमाणपत्र तो विदेश के सीमाशुल्क अधिकारियों की सतुष्टि के लिए अपेक्षित होते हैं, परन्तु स्वदेशी सीमा शुल्क अधिकारियों के उपयोग के लिए प्रत्येक कन्साइनमेन्ट का सीमा शुल्क विवरण भरना पड़ता है। जहाज पर वस्तुएँ लेने से पहले जहाज के मास्टर को सीमाशुल्क कार्यालय में जहाज की अंतिम यात्रा का 'इनवार्ड-ब्लीरिंग नोट' और जहाज के लिए एक 'एट्री बाउटवाइंस' जमा करना पड़ता है। निर्यात सवधी सब लेख अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार ही होने चाहिए। ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर जिनके लिए किसी वधपत्र की आवश्यकता नहीं है, जहाज के अध्यक्ष या स्वामी को जहाज की अंतिम बड़ीपरेंस के बाद छ. दिन के भीतर जहाज पर रखी गई सब वस्तुओं का एक 'मैनेजेस्ट' दे देना चाहिए, जिसमें सब ऐटियों के चिन्ह, संख्याएँ और वर्णन तथा उस-उस बहनपत्र के अनुसार प्रेपिती का नाम उल्लिखित हो, और वह घोषणा करनी चाहिए कि मैनेजेस्ट में जहाज के सारे माल का सही विवरण है।

**भाड़ (Freight)**—भाड़ जहाज-मालिक की इच्छानुसार तोल या भाक्षार पर लिया जाता है। सामान्यतया वह चालोंस घनफुट के मानक के आधार पर टन की माप प्रसन्न करता है, जिसमें दो घनफुट, भाड़ के हिसाब के लिए, एक हड्डरवेट भाने जाते हैं और इसमें प्राईमेज जोड़ दिया जाता है। नियमित मार्गों पर भाड़ की दरें निरिवर करने के लिए अधिकतर जहाजी कम्पनियाँ वस्तुओं को कई मीटे वर्गों में बौट देती हैं और इनके अलावा एक विस्तृत विशेष सूची होती है। कुछ कम्पनियाँ विस्तृत सूचियाँ निकालती हैं और उन सूचियों में न दी गई वस्तुओं की विशेष दरें बताती हैं। भाड़ की दरों में एक प्राईमेज शब्द भी होता है। यह वह प्रभार है जो जहाज मालिक भाड़ लादते और उतारते समय जहाज के माल की उठा-घरी करने वाले औजारों के उपयोग के बदले में लेता है। जब बहन-पत्रों में प्राईमेज और एवरिज एकस्टम्ड पदावली होती है, तब इसका अर्थ

यह होता है कि वस्तुएँ भेजने वाला प्रत्येक प्रैपक कुल प्राइमेज तथा बाक पाइलटेज आदि अन्य देयों का हिस्सा अनुपात से चुकाएगा। वर्मीशन या रिप्रेट, जो प्राय विलम्बित कर दिया जाता है, और भाड़े के बन का कुछ प्रतिशत (प्राय १०%) होता है, जहाज मालिक प्रैपक को रौटा देता है वहाँ कि कुछ अवधि (प्राय दह मास) के बाद प्रैपक ने विसी प्रतिस्पर्धी कम्पनी या जहाज में वस्तुएँ न भर्जा हो। आजकल शिपिंग काफ़ैस पढ़ति अधिक प्रचलित है जिसमें सदस्य शिपिंग कम्पनियाँ सब प्रैपकों से एक सा भाड़ा लेती है। जिन स्थानों को बोई नियमित जहाज सेविस नहीं हैं, और बल्कि जहाज के जाना पड़ता है, उनमें भाड़ा दरें बाजार में अनुसार होती हैं। इसलिए दरें भी और सनरण के बनुसार घटती या बढ़ती रहती हैं। जहाज के अपनी मजिल पर पहुँचने तक भाड़ा देय हो जाता है। नियतिकर्ता इसके लिए दायी होता है, पर एक० थो० बी० विकी की सूरत में वह प्रैपिटी से भाड़ा वयूल कर नक्ता है।

कभी कभी प्रैपक को अपनी वस्तुएँ भेजने के लिए सारे जहाज या उनमें किसी निश्चित हिस्से भी खावश्यकता हो सकती है। तब प्रैपक एक जहाज चार्टर कर लेगा और चाटरकर्ता वहला एगा। इसमें एक चार्टर पार्ट अर्थात् किसी विशेष यात्रा के लिए या चार्टर पार्टी अवधा भाड़े पर लेने का समझौता किया जाता है, जो किसी निश्चित समय के लिए विया गया चार्टर पार्ट होता है। पड़ता है यदि डिमाइज चार्टर पार्टी ने तैयार की गई हो तो जहाज पर बद्दा और नियन्त्रण जहाज मालिक का ही रहता है, और चार्टर कर्ता को किसी विशेष जहाज से अपनी वस्तुएँ लेजाने मजबूत अधिकार होता है। चार्टर पार्टी के मुख्य उपबन्ध ये हैं कि जहाज यात्रा के दोष तथा ठीक तरह सुसज्जित, निश्चित तिथि पर, तप इए हुए बन्दरगाह पर विद्यमान, और विना बनुचित दरी के उस यात्रा पर रखना होने वाला होना चाहिए। चार्टरकर्ता अपना माल फोरन लादने के लिए तेयार रखता है, और जहाज भालिक के सब प्रभार चुकाता है। प्राय चार्टरकर्ता को पूर्ण माल भरना पड़ता है और उस अवस्था में अगर चार्टर कर्ता के माल से सारी जगह न भरे तो उसे और माल देबा चाहिए। जिसे बोक्स स्टोएज बहते हैं, अधवा माल की कमी की क्षतिगूणि करनी होगी, जिसे डेक्फेट कहत है। चार्टर की अवस्था में भी चार्टरपार्टी के अलावा एक बहन पत्र जारी किया जाता है, पर इस अवस्था में बहन-पत्र सिर्फ़ वस्तुओं की रसीद होता है, और वह स्वामित्व का लेन्य नहीं, और न जहाज भाड़े पर लेने (एकेटमेंट) का अनुबन्ध है।

माल चार्टर्ज़ में जा रहा हो, या बहन पत्र में, पर प्रैपक को अपनी वस्तुएँ तटपरतापूर्वक भेजनी चाहें और ग व्य बन्दरगाह पर विना विलम्ब के उनकी डिनिंवरी ले लेनी चाहिए। ऐसा न होने पर उसे विलम्ब शुल्क (डिमरेज) भरना पड़ेगा। प्राय माल लाने और उनारने की अवधियाँ निश्चित कर ली जानी हैं,

जो 'ले डेज' (lay days) यानी माल उत्तराखने-बढ़ाने की अवधि कहलाती है, जो बहाव के पहुंचने ही शुरू हो जाती है।

**बीमा—**इनसे सारे आधुनिक आविष्कारों के यावजूद वस्तुओं को अब भी समुद्री खनरे रहने हैं और उनकी हानि दो ज्ञोसिन का बीमा कराना पड़ता है। बीमा नियांतकर्ता उस प्राहृक के नाम से और उसको और से कराएगा जिसे वस्तुएँ भेजी गईं। समुद्री बीमे के प्रश्न पर पहले अन्यत्र विचार हो चुका है।

**भुगतान—**विक्री के समय नियांतकर्ता यह सम्मुखियि चाहता है कि वस्तुओं का भुगतान हो जाय और आयातकर्ता यह निश्चित करना चाहता है कि भुगतान करने पर वस्तुएँ या वस्तुओं पर स्वरूप उसे मिल जायेगा। आयात का भुगतान प्राप्त करने की कड़ी विधियाँ हैं। प्रायः ड्राइट की विधि पसन्द की जाती है, पर भुगतान के अन्य रूप, जैसे विशेषण (Remittance) द्वारा भुगतान, लेख्यों पर नकद भुगतान, तार द्वारा भुगतान आदि भी प्रायः काम आते हैं।

अगर विक्री के अनुबन्ध में ड्राइट शर्तें उत्तिकृत हों तो नियांतकर्ता विदेशी ग्राहक के नाम विनिमय-विपत्र देयार करता है जिसमें घन की समय पूर्ति, प्रस्तुति (साइट) और बापसी में लाने वाले समय का ब्याज भी होता है। विदेशी ग्राहक इसे स्वीकार कर लेना है वहाँते कि निर्धारितकर्ता की खात अच्छी हो। अन्यथा स्वामित्व के लेख्य मिलने से पहले उसका बैंक उस विपत्र को स्वीकार कर लेना है। आयातकर्ता को स्वामित्व के लेख्य पा तो सम्बद्ध विनिमय-विपत्र की स्वीकृति (D/A) पर या भुगतान (D/P) पर दिए जाते हैं। नियांतकर्ता अपने बैंक से विपत्र को डिस्काउंट करवा कर अविलम्ब भुगतान पा सकता है। जो प्रेयक विपत्र को डिस्काउंट कराना चाहता है, उसे जमानत अवश्य देनी होगी और इसके लिए वह किपिंग के लेख्यों को बन्धक रख देता है (हाईपोरीकेशन)। विनिमय विपत्र के अतिरिक्त वह बैंक को बहन-पत्रों, बीमा पत्र और बीजक का पूरा सेट बन्धक की एक चिट्ठी के साथ देना है। चिट्ठी में सिफं विनिमय विपत्र की शर्तें लिखी होती हैं। शर्तें और अन्य लेख्यों का बर्णन तथा यह प्राधिकरण (ब्योराइजेशन) लिखा होना है कि यदि विनिमय विपत्र अस्वीकृत हो जाय तो वस्तुएँ प्रेयक के लाभ के लिए यापित (डिस्पॉज) की जायेगी और डिस्काउंट की गई राशि घटा दी जायगी, जिसके बदले में अपेक्षित राशि पेयागी देने की प्रार्थना की जाती है। तब बैंकर प्रेयक को वह राशि देवा है और लेख्य गन्तव्य बन्दरगाह पर अपने बैंक या एजेन्ट को भेज देना है जो प्रेयिनी से विपत्र का घन प्राप्त हो जाने पर लेख्य उसे सौंप देता है। सोमा पूरा हो जाने पर बैंकर प्रेयक को सूचित करता है और साथ ही विपत्र की राशि का शेष अश जो उसे नहीं दिया गया था, अब उसे दे देता है।

कुछ समय से भुगतान की विधि के रूप में प्रत्यय पत्र या लेटर आफ क्रेडिट बहुत प्रचलित हो गया है। आयातकर्ता को अपने बैंकर के पा स्वयं आयातकर्ता

के नाम कुछ घन राशि रख देने के लिए कहता है जो वस्तुओं के प्रेषण को सिद्ध करने वाले लेख्यों के अध्ययन पर ही वास्तव में निकाली जाएगी। यदि प्रत्यय पन किसी भी समय वापिस लिया जा सकता है तो इसे प्रतिसहरणीय या रिवोकेबल कहते हैं और यदि वह जिस नाम जमा किया गया है उसकी पूर्व-स्वीकृति वे बिना आपस नहीं लिया जा सकता तो उसे अप्रतिसहरणीय कहा जाता है।

निर्यातकर्ता को प्रेषण सम्बन्धी लेख ठीक-ठीक प्रत्यय वी शर्तों के अनु-सार ही तैयार करने चाहिए। प्रत्यय-पन का एक नमूना नीचे दिया जाता है—

दि ब्रिटिश बैंक लिमिटेड  
लन्दन, ई० सी० २  
१७ जून, १९५६

उत्तर देते हुए प्रत्यय सम्ब्या और प्रयमाक्षर (इनीशियल) लिखने की कृपा कीजिए।

ए० बी० कम्पनी,  
लन्दन,

प्रिय भ्रहोदय,

प्रतिसहरणीय प्रत्यय  
सम्ब्या ४७७४२/६७७८४

हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आपके पक्ष में ३७० पौण्ड १० शिलिंग ६ पैस (तीन सौ सत्तर पौण्ड दस शिलिंग छँ पैस) की राशि का एक प्रतिसहरणीय प्रत्यय एक्स. वाई. एड कम्पनी, वम्बई, की ओर से खोला गया है। यह प्रत्यय हमारे नाम लिखे गये ड्रापट (विकर्ष) द्वारा.....प्रस्तुत करते ही.....प्राप्त किया जा सकता है—विकर्ष पर यह लिखा होना चाहिए कि वह प्रत्यय सम्ब्या ४७७४२/६७७८४ के सम्बन्ध में है और उसके साथ निम्नलिखित सूच्य उसकी पुष्टि के लिए होने चाहिये।

वाणिज्यिक वीजक तीन प्रतियाँ

समूद्री वीमापत्र या प्रत्यय के चालू होने वा प्रमाणपत्र।

वाणिज्यदूतीय वीजक।

एक्स० वाई० एड कम्पनी वम्बई के २०० फाईवर रस के आदेश के बहन पत्रों की पूरी सम्ब्या।

बहन पत्रों से यह सिद्ध होता चाहिए कि वस्तुएँ वास्तव में जहाज पर लादी गई न कि जहाज पर लादने के लिए प्राप्त हुई हैं, और उस पर हाथ से हस्ताक्षर होने चाहिये।

यदि प्रत्यय पहले ही रद्द न कर दिया जाय तो विकर्ष हमारे नाम से बनाने चाहिए और २४ दिसम्बर १९५६ को या उससे पहले पेश करने चाहिए।

दृष्टया व्यान रखिए कि यह मूच्छना प्रत्यय की पुष्टि नहीं है। प्रत्यय किसी भी समय बदला या वापस लिया जा सकता है।

कृपना मलान स्वीकृतिपथ पर हन्ताशर करके वह लौटा दीजिए।

आपका विश्वासपत्र

जी० बाड़न

प्रबन्धक

यही यह उल्लेख कर देना अप्रासमिक न होगा कि भारत में विदेशी विनियम का बारबार एकसचेज बैंकों द्वारा विया जाता है जो या तो विदेशी बैंकों की भारत में स्थापित शास्त्राएं हैं, यथा विदेशी मुद्राओं का बारबार करने के लिए विषेषधृष्टि से स्थापित किए गये विदेशी बैंक हैं, एवं कुछ समय से भारतीय बैंक भी विदेशिक मूद्रा विनियम का बारबार करने लगे हैं।

दूसरी विधि है “विश्रेषण द्वारा भुगतान” जो तीन देश के व्यापार में तो नियम ही है और कुछ सीमा तक सब बाजारों में चलता है। इस विधि में प्रेषण कर्ता ग्राहक की बहुत बड़ी मेहरबानी पर होता है—ग्राहक ऐसे बहुते बना कर कि विनियम दर प्रतिकूल है, या आजकल हाथ तंग है, भुगतान में विलम्ब कर सकता है। “ऐव्व लेकर नकद देना” भुगतान का बहुत मनोषयक तरीका है, वर्तोंकि इनमें प्रत्यय की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन पदनि में बहन-भन तथा अन्य लेख्य गत्रव्य बंदरगाह के किसी बैंक में मेज दिये जाते हैं और उसे यह हिदायत दे दी जाती है कि भाल पर देय राशि लेकर वे ऐव्व और बहन-भन वह प्रेपिनी को दे दे। नकद भुगतान की एक और बहुत प्रचलित विधि है तार द्वारा हस्तांतरण। आपात-कर्ता स्थानीय बैंक में भुगतान करता है जो यह तथ्य निर्यातकर्ता देश में अपने बैंक के मुख्य कार्यालय को तार से सूचित करता है। बैंक योड़ा सा कमीशन और तार की लागत लेता है।

बहन-भन तथा अन्य लेख्य बैंक से प्राप्त करके आयातकर्ता भाल छुड़ाने और उसे अपने पास मौगाने के लिए किसी बलीयरिंग एजेंट के नाम पूछावित कर देगा। कलीबरिंग एजेंट “प्रविष्टि-पत्र” (विल आफ एन्ड) की तीन प्रतियाँ, जिनमें भाल का पूरा और सही विवरण होगा, सीमागुल्ठ अधिकारियों के पास जमा करेगा और वे आयात की वस्तुओं पर सीमा शुल्क वसूल करेंगे। दो प्रतियाँ कर्लीय रिंग एजेंट को लौटा दी जाती हैं जो बहुत से वस्तुएं उत्तरवाता है, और उनका पूरी तरह निरीश्वण करता है। मदि वस्तुओं में क्षति या नुस्खा होती है तो उसकी मूच्छना शिपिंग कम्पनी के एजेंट को तुरन्त दी जाती है। शिपिंग कम्पनी क्षति की जाँच का द्वारा द्वारा है जिसमें बीमा कम्पनी से मुकाबला होगा जो सके। अगर प्रेषण सम्बन्धी लेख्य उत्तरव्य न हो और इसलिए बलीयरिंग एजेंट प्रविष्टि पत्र जमा न कर

सके तो एक और लेख्य, जिसे विल थाफ़ साइट कहते हैं, पेश किया जाता है। वस्तुओं पर अस्थायी सीमा शुल्क लिया जाता है जो अन्त में ममजित हो जाता है और वस्तुएं जनारते दी जाती है। वस्तुएं छुड़ने के बाद क्लीयरिंग एजेंट माल आयात-कर्ता को भेज देगा और रेटवे रसीद तथा सीमा शुल्क धोर वदरगाह अधिकारिया द्वारा दी गई रसीदें भी अपने आयात-कर्ता को भेज देगा। यदि शुल्क योग्य वस्तुओं का आयात कर्ता शुल्क अधिक हाने और सारी राशि फोरन चुकाने को अपनी अनिच्छा के कारण अबवा इस कारण वि वह वस्तुएं तुरन्त बेच लेने की आशा रखता है, जिससे केंद्र। शुल्क समेत कीमत चुका दे, उनकी तत्काल डिलिवरी नहीं होना चाहता, तो वह वस्तुओं को विसी बधायित बयर हाउस (बोडेड बेयर हाउस) में रख देगा। वह बेयर हाउस ऐसी फौ का होता है जिसने सरकार को यह बधायित द रखवा है कि शुल्क योग्य वस्तुओं का सब व्यापार कानूनी रीति से किया जावेगा कि वस्तुएं आवश्यक शुल्क पहले बिना अदा किये बेयरहाउस से नहीं निकालने दी जायेगी। जो आयात कर्ता अपनी वस्तुएं बधायित बयर हाउस में रखता है उस थोड़ा सा प्रभार चुकाना पड़ता है। वह उन्हें बेचने के लिए दुवारा पैक कर सकता है और सीमा शुल्क मिक्क बेच हुए माल पर लगता है।

कभी 'वस्तुएं' दूसरे देशों को मुन नियात करने के लिये आयात की जाती है पर इसमें ड्रा बैंक हो सकता है। ड्रा बैंक उस छूट या रिवेट को कहते हैं जो आयात कर्ता को उन नियमित (मैनुफैक्चर्स) वस्तुओं के नियात पर मिलता है, जिनके निर्माण में प्रयुक्त वस्तुओं पर शुल्क चुकाया जा चुका है। ड्रा बैंक पढ़ति इस सिद्धांत पर आधारित है कि सीमा शुल्क सिर्फ उन वस्तुओं पर पड़ना चाहिए जो आयात कर्ता के काम आयें। इसलिए जहाँ कच्चा सामान या धर्षनियमित वस्तुएं देग में आयात की जाती है और उनमें कुछ वस्तु बनाकर दूसरे देश को नियात की जाती है तब जो कच्चा सामान प्रयुक्त हुआ है उस पर चुकाये गए आयात शुल्क की मात्रा पर रिवेट दिया जाना है।

भारत से आयात करने में फावड़िग एजेंटों की सेवाओं का उपयोग होता है। अधिकतर वस्तुओं पर नियात का प्रतिवर्ष नहीं होना पर सरकार के पास प्रति वर्ष लगाने की शक्तिया होनी है। उदाहरण के लिए, सूची कपड़े का नियात कुछ मात्रा से अधिक नहीं किया जाता या और मात्रा समय समय पर नियत की जाती थी परन्तु आज दश को अधिकतम नियात की आवश्यकता है। कुछ वस्तुओं पर नियात शुल्क लगता है और इसलिए सीमा शुल्क सम्बन्धी वैसी ही घोषणा जैसी आयात कीलिए की गई थी, की जाती है और वस्तुओं का समुद्री बोगा बरान पड़ना है।

यहाँ यह कह देना भी उचित होगा कि विदेशी गोदारों में भारतीय वस्तुओं की कुछ शिकायतें की गई हैं। कुछ दैर्घ्यमान नियात-कर्ताओं ने उन नमूनों से भिन्न वस्तुएं

भेद दी जिनके आधार पर आड़ेर मिले थे। इसने भारतीय व्यापार की बदनामी हुई परन्तु बब अनेक बदलता हुआ पर यह देखने के लिए कि नवली माल न भेजा जाए निरीनण की व्यवस्था है। हमारा पैकिंग भी सठोपजनक नहीं और इससे बस्तुओं को क्षति पहुँचनी है। जो लोग अपने निर्दात ध्यापार को बढ़ाना और अच्छा बरना चाहता हूँ उनको अपने व्यापार से विदेशी क्रेनोंओं को सद तरह से सहृष्ट बना चाहिए।

एक समय यह प्रस्थापना भी थी कि विदेशी व्यापार राज्य द्वारा हो। इस तरह के व्यापार की समावना की जाव करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने उन बस्तुओं का व्यापार राज्य द्वारा किए जाने की सिफारिश की थी जो निम्न शर्तें पूरी करती ही—

#### निर्यात के लिए

- (१) प्राप्त करने में न्यूनतम कठिनाई हो।
- (२) सबह बस्तु पर एकाधिकार या अर्ध-एकाधिकार हो।
- (३) विदेशी माल का पूर्णानुमान करने और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार सचरण निश्चयन रूप से बरने का कार्य अनेक बदलियों हीने के कारण या उभयोक्ताओं की पसंदगी के कारण जटिल न होना चाहिए।

आपात के लिए यह यानि रखी गई कि माँग का तखमीना लगाना आसान होना चाहिए।

समिति ने राज्य द्वारा व्यापार के कार्य को समालने के लिए एक नियम (कारपोरेशन) स्थापित करने की सिफारिश की। सरकार ने यह प्रस्थापना स्वीकार नहीं की, यद्यपि उनने अनाज, खाद, इस्पात और चीनी का राजकीय आधार पर आपात किया है। पाकिस्तान को कोयले का निर्यात भी राजकीय आधार पर किया गया।

कार्यालय संगठन—बस्तुओं का निर्यात एक जटिल और विशेषीकृत व्यापार है जो लोग मार्टिनिंग, डिपिंग, विलीय स्क्रगर्ड आदि विविध कारणों से पूरी तरह समझने हों, उन्हीं नियुक्त बरना चाहिए। खजांची को साधारण चेक के अन्वाय विद्योय सुलेखों का सूब अच्छी तरह पता होना चाहिए। वेकर के ड्रायर, विनियम विपत्र, विल ब्रोकिंग, डिम्कार्डिंग और प्रोटेस्टिंग, उपाधान पत्र (लेटर आफ हाईपोचीकेशन), प्रत्यय पत्र, मार्टनी अकाउट, विप्रेषण, विनियम दर आदि बस्तुओं को वह सूब अच्छी तरह समझता हो और नियति वित्त के जटिल तन्त्र को वह निश्चय और सरलता के साथ समाल सके।

अगला कार्य ही साधारण वहीखाता लेखन, बीजक बनाना और शिपिंग बीमों तथा फार्मिंग और फार्मिंग लेख्य तैयार करना, और यह व्यायं विशेषज्ञों को सौंपना चाहिए। उदाहरण के लिए, बीजक कल्क वहूत परिशुद्ध और शिपिंग त्रिया ना वहूत अधिक ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। सामान्य वाणिज्यिक शिपिंग बीजक रैमार करने के अलावा उसे वाणिज्य-दूतीय बीजक, संगी शुल्क संबन्धी घोषणाएँ सही रूप में तैयार करना और उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी से प्रमाणित करना पड़ सकता है। उसे “प्रभारो” (चार्जर) वाले व्यापक अर्थं वाले पद पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें विलों का डिस्काउंट बरने व्यथा अन्य सेवाओं के बैक कमीशन, दलाली, विषेषों पर लगी टिकट, डाक व्यय, तार, खरीदने का कमीशन, आदि अनेक चीजें शामिल होती हैं।

ऐख्याध्यक्ष या मुनीम की निम्नलिखित मुख्य पुस्तकों की उचित देखभाल करनी होगी लेजर या प्रेजी, जिसमें दोहरी प्रविष्टि के लिए रेखाएँ खिची हो, अथ पुस्तक जिसमें लरीदी हुई वस्तुओं के प्राप्त बीजकों की राशियाँ या किए गए खर्चों के बीजकों की राशियाँ दिखाई गई हा। प्रविष्टियाँ शिपिंग फर्म के लेजर साते के अकलन पाइव में खतियायी जायेंगी। इनिंक विशी पुस्तक (सेल्स जर्नल) जो बैची गई सब वस्तुओं का अभिलेख है और इसमें सी० आई० एफ० कीमतें बीमा आदि का हिसाब लगाने में तैयार निर्देश (ready reference) के लिए सब बीजक, जो वाहर भेजे जाते हैं, उतार लिए जाते हैं और इस किताब में, जिस ग्राहक को माल भेजा गया है, उसके लेखे के विकलन पाइव में चढ़ाए जाते हैं। रोकड वही (कैशवृक्ष) जिसमें प्राप्त किए गए और चुकाए गए सब धन दिखाए जाते हैं, प्राप्य-देयक वही (विल्स रिसीवेल बुक) जिसमें उन सब विलों का विवरण होता है जिनका धन प्राप्त होना है, शोध विल वही (विल्स पेयेबल बुक) जिसमें उन सब विलों का विवरण होता है जिनका धन चुकाना है, बहिर्दिश प्रेयण वही (वर्साइरिन्ट्स आउटवर्क बुक) जिसमें सब प्रेयित वस्तुओं का विवरण होता है।

व्यापार सम्बन्धी पश्चव्यवहार विसी योग्य व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो न केवल इग्लूश भाषा में अभ्यस्त हो, बल्कि ‘विचार देने’ और ग्राहकों को अपना बनाने में निपुण हो। टाइपिस्ट परिशुद्ध होने के साथ साथ सारणीकरण और अन्य विशेष काम में भी कुशल होना चाहिए। वार्तालिय के संगठन से सबधित अन्य सब मामलों में पाठक को अध्याय १२ देखना चाहिए।

## अध्याय ३२

### वेचने को कला (Salesmanship)

सफल विक्रम कार्य का महत्व—आज का नारा है अधिकाधिक उत्पादन, परंतु यदि मांग न हो तो समरण का कुछ मूल्य नहीं जो उत्पादन लाभ उठाकर नहीं बेचा जाता वह अस्ति नहीं, बल्कि दायित्व है। वस्तुएँ बना कर बेच न सकने वाला दिवालिया हो जाता है। व्यवसाय में लाभ विक्री से ही होता है; वाकी उच्च सर्व हो सकता है। अधिकाधिक बड़ते हुए उत्पादन के लिये मांग पैदा करने की आवश्यकता बड़ी महत्वपूर्ण है और मांग लगातार न बढ़ी रहे तो उत्पादन गिर जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापार चक्र पर विक्री की सफलता या विकलता के अतिरिक्त अन्य बलों का भी प्रभाव होता है। पर मांग पैदा करना एक महत्वपूर्ण अंग है। इन बात का कोई सास महत्व नहीं कि कब्जे सामान का उत्पादक क्रिती अच्छी तरह काम करता है, या निर्माता क्रिती अच्छी तरह अपनी वन्नें बनाता है, या क्रिती मिन-व्यविधियाँ में दुकानदार उन्हें सरीद सकता है। यदि आप वह वस्तु सफलता के साथ नियन्त्रिता के साथ और लाभ उठाकर उपभोक्ता को नहीं यमा सकते तो पहले के सब काम बेचार हो जाते हैं। हमें दम्पों का सामना करना होगा और यह मानना होगा कि “अच्छी विक्री ही अच्छे कारबार की कुंजी है। यह बड़े महत्व की बात है। क्योंकि अब तक हमारे देश में ठीक ढम की विक्री या विक्रय कला दिसायी नहीं देती। जो चीज़ भी बनायी गयी, वही बेच ली गयी, क्योंकि बाजार बेचने वाले के लिये अनुकूल था। तथ्य तो यह है कि आज वह पीड़ी कारबार कर रही है जिने कभी यह नहीं सोचना पड़ा कि उपभोक्ता को सरीदने की प्रेरणा करने के तरीके अपनाये जाएं। आज जबकि बाजार विक्रेता के हाथ में नहीं रहा है, हमारे व्यवसायियों को अपनी विक्री में मुकाबला करना चाहिए और सरकार की औद्योगिक नीति की शिक्षायत करने रहने की बजाए दूसरे लोगों से कुछ सीखते रहने की कोशिश करनी चाहिए।

आज हम अपने औद्योगिक उत्पादन को बड़ी तेजी से बड़ा रहे हैं और हमें न केवल स्वदेश में बन्कि विदेशों में भी उसके लिए बाजार ढूँढ़ना होगा। विदेशों में हमें उन लोगों से मुकाबला करना है जो विक्रय कला में बड़े उन्नत हैं। उदाहरण के लिये, हम इस सेत्र में मुनाइटेड स्टेट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि उसने विक्रय को एक परिष्कृत कला या लिलित कला बना दिया है, उनके तरीके दूसरे हैं। ‘अन्यी विक्री’ जो हमारे महां आज भी चलती है, वहाँ से कभी की विदा हो चुकी है

वे सुननाइमक विक्रय कला, प्रबन्धना से विक्री बढ़ाने और पर्याप्त विज्ञापन द्वारा विक्री प्रतिरोध को विजय करते हैं। उनके तरीके अपने देश से भिन्न अवस्थाओं वाले देश में भी किन्तु आश्चर्यजनक रूप से सफल रहते हैं, यह बान कोका कोला को और कुछ ही दिन पहले पैप्सीनोला को हमारे देश के बाजार में लाने ने पना चलता है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि इन कम्पनियां को भारतीय उपभोक्ता के लिये विल्कुल सर्वथा नयी वस्तुएँ यहाँ बचने का साहस वैसे हुआ और उन्होंने किस तरह कोका कोला को ठण्डा रखने की मुश्किल ने सुधार करवे, जो इस पदाय वी खुदरा विक्री के लिए इतनी आवश्यक बात है, किस तरह सफलतापूर्वक विनरण की समस्या हल कर डाली, उनका वितरण कोशल शायद मिल में अधिक उत्तमताय रहा है, जहाँ सचार साधना की इतनी यमी है खुदरा दुकानें अच्छी नहीं हैं और टाङडा रखने की मुश्किलों का अभाव है हमारे दोनों देशों का आकर्षण एक सा है और हम उनके विक्री के तरीकों से बहुत बुद्धि सीख सकते हैं। हमारी विक्री की शक्ति बहुत चाहिए और उसे बाजार गवेषण तथा विज्ञापन की सहायता भिलनी चाहिए और इस तरह हमें विक्री के मैदान में उत्तरांश आज हमारे देश में विक्री की भार ध्यान रखने वाला प्रबन्ध—कर्त्ताकी की आवश्यकता है और विक्रेता वर्मंचारिया को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, जो विक्री के सम्बन्ध में दूसरों द्वारा दी हुई गिरा से लाभ उठाने को तैयार हो।

विक्री कापें और वित्रय कला का अर्थ—विक्री काय विसे कहते हैं? वित्रय कला या चीज है? क्या वे कोई नयी चीज है? दूसरे सवाल को पहले ले तो यह कहा जा सकता है कि विक्री या वित्रय कला नयी बना नहीं है। यह सम्भवता के सारे समय मौजूद रही है। यह वहा जा सकता है कि यह उतनी ही पुरानी है जिनका स्वयं मनुष्य। जब मनुष्य ने पहल-पहल विचारों का विनिमय शुरू किया, तब उसने बेचना भी शुरू किया। विक्री का प्रयोग विसी ग्रामीण से बुद्धि बराने के साधन के रूप में किया गया है यह विचारों वस्तुओं योजनाओं या सेवाओं का विनिमय करने के रूप में दिखायी दी है। अपनी मजदूरी बेचने वाले मजदूर से लेकर अपने घन का उपयोग बेचने वाले पूँजीपति तक प्राय हर आदमी अपना ज्यादा भावा में विक्री कला इस्तेमाल करता है और प्रत्येक व्यक्ति ने अपने साधियों को कोई न कोई चीज बेचनी है। विक्री के बारे में जो नयी बात है वह इस सच्चाई को समझ लेना है कि सफल विक्री या वित्रय कला अब तुकड़ेबाजी की चौम नहीं रही। यह लोगों को प्रभावित करने की कला है और इस बात का ज्ञान है कि लोगों को प्रभावित करने के लिये उन्हें प्रसन्न बरता आवश्यक है।

मोटे अर्थ में विक्री शायद प्रेरणा करन का धार्चक भावा जा सकता है। पर दोक दोक वह तो दोनों शब्दों का एक ही अर्थ नहीं है। बार-बार में विक्री या अप घन लेकर भ्रेता को वस्तुओं या सेवाओं का स्वामित्व हस्तातर करना है।

विक्रय कला किसी व्यक्ति को बस्तुएँ या मेवाएँ खरीदने के लिए प्रेरणा देने वा प्रतरम है। इस व्यापारिक अर्थ में ही यहाँ विक्रय कला या सेल्समैनेशिप पर विचार किया जायगा। ऊपरी निगाह से देखनेवाला विक्रय कला के इस अर्थ से यह नतीजा निकालेगा कि विक्रय कर्ता का भूर्य काम अपनी बस्तुएँ बेचना, है पर यह सच्ची विश्ववक्ता नहीं है, ऐसी कोई चीज बेचने थी कोशिश करना जिसकी भावी गाहक को कोई आदृश्यकता नहीं या उसकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक मात्रा में बेचेन थी कोशिश करना नैतिक दृष्टि से तो गलत है ही, व्यापक विक्री की दृष्टि से भी बहुत पठिया काम है। यह 'जबरदस्ती' की विक्री या 'अतिविक्री' सिर्फ़ एक दार की जा सकती है अन्त में जाकर इसमें विश्ववक्ता और उसकी फर्म के नाम को हानि पहुँचती है तो भी बनिविक्री और उचित प्रेरणा में वहाँ थोड़ा अनर है और जो उचित प्रेरणा की तरफ रहता है, वह मैदान मार जाता है, किसी आदमी को प्रेरणा देने के इस काम में सफल होने के लिए विक्रय कर्ता को न केवल अपनी बस्तुओं का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए बल्कि विक्री की कला अर्थात् विक्रयकला इस मनोविज्ञान सी पता होना चाहिए। इस उपर्युक्त कथन से एक परिभाषा निकलती है जिसको अलग-अलग तरह से दिया गया है। विक्रय कला की यह परिभाषा की गयी है कि कोई बस्तु ऐसे ढंग से पेश करने की कला को गाहक उसकी आवश्यकता समझे और इसके बाद दोनों पक्षों के लिए सनोधकारक विक्री हो जाए। 'गारफीन्ड ट्रेक ने लिखा है कि 'विक्री कला विकेता की फर्म और बस्तुओं में केता का विश्वास जमा देने और इस प्रकार एक नियमित और स्थायी ग्राहक प्राप्त करने का नाम है। यह किसी बस्तु सेवा या विचार की बाधनीयता के बारे में एक ही दृष्टि कोण पर पहुँचने का एक तरीका है। सच तो यह है कि विक्री का काम (विक्रय कला) एक मानव मन के दूसरे मानव मन को प्रभावित करने का नाम है। यह परिभाषा आधारभूत है। इससे विक्री का कार्य अपने शुद्ध रूप में सामने आता है, चाहे यह कोई विचार हो, 'कोई घर्म हो' टाइपराइटर हो या चाकलेट का फिच्चा हो। यदि विक्री हुई है तो एक मानव मन ने इस सरल काम द्वारा दूसरे मानव मन को प्रभावित किया है। सरल काम? हाँ बशर्ते कि आपको यह पता हो कि पह कैसे करना है।

हर कोई जानता है कि यदि मनुष्य को जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना हो तो उसे अपने आस पास के लोगों को और जिनके साथ वह सम्पर्क में आता है उन्हें अपना दृष्टिकोण बेच सकता चाहिए। विक्रय कर्ता भी अपना दृष्टिकोण ही बेचता है, पर वह गाहक के दृष्टिकोण से शूरू करता है और उसके मन को अपने पीछे पीछे उस खगह ले जाता है जहाँ वह विकेता के विचार को स्वीकार करले हैं तो फोरे वे अपने विक्रय कर्ताओं से कहा या कि आप मोटरों नहीं बेच रहे हैं पेण्ट और बारिश, बेचने वाली एक कम्पनी के कार्यपालने अपने विक्रयकर्ताओं का ये शब्द कहे थे "सबसे पहले

आपका काम बेचता है। पर आपने क्या बेचता है? सीधी बात है कि आपने पेट, चानिश वर्षीरा बेचने हैं पर ये चीजें साधन मात्र हैं। आधारमूल बात यह है कि आपने कुछ विचार बेचते हैं जैसे सौंदर्य का स्वास्थ्य का, मितव्ययिता का, सुशाहदी का, सेवा का विचार' इमलिए विचय कर्ता को मानव प्रकृति का ज्ञान व्यवस्था होना चाहिए जिससे वह अपने भावी गाहकों के मन को अपना दृष्टिकोण और अपने विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सके।

सच्चे विचय कर्ता के गुण—शायद विचयकर्ता के रूप में सफल होने के लिए सबसे अधिक सारभूत बात यह है कि कठिन परिस्थिति का अभ्यास होना चाहिए। चीज़ चाह जो हो, पर यह आधारमूल बात है और आवश्यक विशेषताओं में एक चीज़ है एम्ब्रेंस के दुष्टिकोण से और गाहक के दृष्टिकोण से निर्भर योग्यता एम्ब्रेंस का नाम संस्कृतमैन के हाथों में है। गाहक के लिए वह ही फर्म है और गाहक उसकी ईमान-दारी और निर्भरणीयता पर जिनका भरोसा करता है उसके हिसाब से उसका उसके मालिक पर, उम ड्वारा बनायी जाने वाली बन्धुओं पर और विचय कर्ता ड्वारा की जाने वाली विक्रीय पर विद्यास होगा सच्चे रक्तक अपनी फर्म के प्रति और उसके मूल्य अधिकारिया और वस्तुओं के प्रति वफादार रहो। प्रश्नता और सहानुभूति ये दो और गुण हैं जिनका विकास अवश्य करना चाहिए। अपने गाहकों की बसली जन्मतों को समझने की तो सहज बुद्धि पैदा हो जानी चाहिए। धर्म और लग्न को ठीक सुनुष्टित करके रखना चाहिए जिसके भावी गाहक पर न तो इतना दबाव पड़े कि वह हाथ से निकल जाए और दूसरी ओर न ऐसा हो कि बाइंड इसलिए रह कम जाये कि ठीक उनी समय आपने गाहक को छोड़ दिया जब उसकी प्रतिरोध शक्ति सदम हो रही थी। अतिम गुण जिसके बिना इसी दो भी सत्त्वमैन का जीवन ग्रहण बरने पर विचार न करना चाहिए यह है कि अपनी वस्तुएँ धूमते फिरते जीवन, अधिक समय काम करने और सम्बवित लोगों से मिलने के लिए उत्साह होना चाहिए। किंतु वस्तु के बारे में 'एम्ब्रेंस के सुगठन के बारे में' और उत्साह के प्रभाव के बारे में ज्ञान होना चाहिए और इन तीनों का सुयोग आपको अनुपम विचयकर्ता बना देगा। याद रखो कि और किसी मानवीय गुण से उतनी विजय नहीं प्राप्त होनी, उतने कारबाहर नहीं निर्मित होते, उतनी वाधाएँ नहीं दूर होती जितनी प्रसन्न स्फूर्तिमय उत्साह से।

अपनो सफलना जो और एकका करने के लिए ये गुण और जोड़ लीजिये कुल व्यक्तित्व—अपने सायी भनूप्यों से आसानी से मिलने की योग्यता, दूसरे आदमी पर अपने विचारों की ढाप ढाल सकना और यह कायें आकपक ढग से कर सकना, निराकाश की बात होने पर भी पुन फुन काम करते ही जाने का दृढ़ स्वास्थ्य; आकाशका बन्धा होने की और अपने साधियों से अच्छा काम करने की अभिलाषा, पर यह कायिता न करो कि दूरे हुए केंद्रों पर अवालित वस्तुएँ खोप दी जाए। याद रखो कि हर गाहक भनूप्य है जो स्वभावतः मुख की भावना वायम रखने की कोशिश

कर रहा है और आपका काम यह है कि ऐसे डग से बने और बोले, जिससे गाहूक को सफल होने में मदद मिले। सच्चे विक्रय कर्ता दनों व्यर्थात् मानव मन को प्रशापित करो। ऐसा लिखने में क्षण लगता है पर सीखने में वर्षों लग जाते हैं पर जिन्होंने इसे सीख लिया है वे इसकी ताकत जानते हैं। चुने हुए बादमी को प्रशिक्षण देना आवश्यक है क्योंकि सच्चे विक्रयकर्ता दनाये जाते हैं। वे पैदा नहीं होते, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं।

**सेल्समैनशिप का प्रशिक्षण—** कोई भी जन्म से सेल्समैन नहीं होता। वह समर्थित और सुनिश्चित प्रशिक्षण द्वारा बनाया जाता है। तथाकथित जन्मजान सेल्समैन में कुछ आधारभूत विशेषणाएँ हो मिलती हैं जिनके कारण उसका सेल्समैन बनना आसान हो पर सेल्समैनशिप तो उसे सीखनी ही होगी। मनुष्य में स्वामाविक गुण कोई भी हो और किनी भी माना में हो, पर उनका विचास करना आवश्यक है। जो बस्तुएँ वह बेच रहा है उनके बारे में ज्ञान अव्ययन और ध्यान दने से ही प्राप्त हो सकता है। सेल्समैन के लिए उससे अच्छा तो यह होगा कि वह उस फैक्टरी में काम करे जिसमें वह बस्तु बनायी जा रही है। उसे वहा इतने दिन रहना चाहिए कि वह उत्पादन के सारे प्रक्रम को जान ले, ताकि वह गाहूको के प्रदनों का सतोष-जनक उत्तर दे सके अन्दर के प्रशिक्षण से वह अधिकारपूर्वक बोल सकेगा क्योंकि उसे फर्म की परम्पराओं और बातावरण का अच्छा अनुभव और ज्ञान होगा परिचयी देशों में बहुत-सी फर्में अपने सेल्समैनों को सेल्समैनशिप द्वा कियोंग कोस दराती हैं।

बस्तु की दिक्षी की युनियादी बातें पकड़ लेने के बाद प्रशिक्षण में अगली चीज़ 'यह है कि किसी सेल्समैन को विक्री करते हुए देखा जाए। किसी जनुभवी साथी के साथ काफी समय रहना चाहिए और उस समय देखने और सीखने के अलावा कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेनी चाहिए, ऐसे समय पुराने साथी अपना सदस्य अच्छा हृष प्रस्तुत करेंगे और बात-चीन, चुटकुले तथा प्रदर्शन द्वारा असम्भव बातें आपको दत्ताएँ। आईं बुक निस तरह भरनी चाहिए। नमूने का सदस्य बटिया उपयोग कैसे हो सकता है, खरीदार के पास पहुँचने का सही रास्ता क्या है, जनरल मैनेजर से और दाप एसिस्टेंट से कैसे व्यवहार करना चाहिए। अच्छा यह है कि पहली दोशिया किसी पुराने साथी के साथ रहने हुए की जाए।

इस तरह दूसरे की देखभाल में पहली कोशिश करनेने के बाद विक्रेता को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे कुछ समय जैसे १५ दिन के लिये, तब काम सौंपा जाए जब नियमित आदमी छुट्टी पर गया हो। इससे उसे काम की जटिलता का पता चल जायगा और उसे मालूम हो जाएगा कि उसने जिस योजना निर्माण को अब तक विलुप्त आसान चीज़ मान रखा था उसमें सावधानी से विचार और काम की आवश्यकता है जिसने सारा दिन अच्छी तरह गुजारे। शुरू में नौसिलिया बहुत सी गतियाँ कर सकता है पर गतियों से सीखना सेल्समैन की कला सीखने के सर्वोत्तम तरीकों में है पर शर्त मूँह है कि सीखने की इच्छा बनी रहे। यह

प्रशिक्षण न केवल अपने प्रतिस्पृष्ठियों के कामों को बहिक वित्तुल दूसरी तरह के काम करने वाली कम्पों के कामों को भी सावधानी से देखकर जारी रखा जा सकता है। प्रमुख उद्योगों द्वारा प्रयोग में लाय जाने वाले विज्ञापनों और टैक्सीज़ से सज्ज विक्रयकर्ता को बहुत कुछ जानकारी मिल मिल जाती है। गाहक भी वस्तु की या उसे प्रस्तुत करने के तरीके की सीधी आलोचना करके बहुत कुछ सिखाते हैं सावधानी से यह नोट करके कि एक ढग से की गई विक्री वयों असफल रही उसमें थोड़ा परिचर्तन किया जा सकता है और इस तरह सफलता प्राप्त की जा सकती है। पर सेल्समैन का चाहे किसी काम भी क्षेत्र में करता हो प्रशिक्षण कभी खाली नहीं होता। इस तरह हमें यापारिक जगत में मिलने वाले अनेक तरह के सेल्स मैनों पर विचार करना पड़ता है।

सेल्समैनों के प्ररूप—डा० विलियम ए. नोलैण्डर ने सेल्समैनों को दो प्रमुख रूपों में बांटा है। सृजनशील (Creative) और सेवा (service) सेल्समैन। उन्होंने सृजनशील सेल्स मैन की यह परिभाषा की है कि जो बाजार में नई वस्तु या नयी त्रैंड चलाना चाहता है और इसकी माम पैदा करना चाहता है। उसे मिशनरी भी कहा जाता है। सेवा वाला सेल्समैन वह है जो उन लोगों को बेचता है जो विक्रय की वस्तु पहले ही खरीदना चाहते हैं या कम से कम उससे परिचित हैं। सृजनशील सेल्समैन व्यवसाय का सृजन या प्रसार करता है। सेवा वाला सेल्समैन व्यापार को चलाये रखता है।

सेल्समैनों के वर्गीकरण का एक और तरीका उन वस्तुओं या सेवाओं के आधार पर है जो वे बेचते हैं। साधारणतया इस आधार पर दो मुख्य वर्गीकरण हैं—  
मूर्त (Tangible) या अमूर्त (Intangible)। पहले वर्ग में वे लोग हैं जो वे वस्तुएं बेचते हैं जो इन्द्रिय गोवर हैं और दूसरे वर्ग में वे लोग हैं जो ऐसी वस्तुएं बेचते हैं जो इन्द्रियप्राहित नहीं, जैसे वह आनन्द जो सिनेमा आदि देखने से प्राप्त होता है। सुरक्षा, जो सुरक्षित नियोजन में प्राप्त होती है। यह घह लाभ है जो विज्ञापन करने से भविष्य में प्राप्त होता है।

सेल्समैनों को वर्गीकृत करने का तीसरा तरीका ग्राहक के आधार पर है जिसे वे बेचते हैं, जैसे उपभोक्ता खुदरा दुकानदार, थोक दुकानदार, थोयोगिक फर्म और विद्यावृत्ति लोग (Professional men)। पर सेल्समैन का काम ग्राहक के रूप पर उतना निर्भर नहीं जितना पहले पहल भालूम होता है। हर हालत में उसे एक आदमी से व्यवहार करना है और लोग अधिक्तर एक से ही होने हैं चाहे वे कोई भी देश करते हों।

सेल्समैनों का वर्गीकरण निम्नलिखित रीति से किया जाता है—

(१) खुदरा सेल्समैन या शाय एसिस्टेंट—जो खुदरा दुकान में बाड़ण्डर पर वस्तुएं बेचता है। (२) थोक विक्रीता का सेल्समैन जो अपने ग्राहकों के पास जाता है और जिसे विविध वस्तुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। (३) निर्माता

का प्रतिनिधि जो थोड़ी सी अपनी ही वस्तुएँ बेचता है, चाहे वह दूसरे निर्माताओं, योक विक्रेताओं, खुदरा दुकानदारों, सम्बन्धित पेशे के लोगों या उपभोक्ताओं के पास भी जाता हो। उसे उन थोड़ी सी वस्तुओं के बारे में जो वह देचता है, वहूँ कुछ पता हाना चाहिए। (४) सीधा सेल्समैन (आर्टरेट सेल्समैन) वह होता है जो कोई विशेष वस्तु बेचता है जो उसके गाहको द्वारा नियमित रूप से नहीं खरीदी जाती। वह निर्माताओं को या ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों आदि को नये तरह के समान बेचता हो या व्यापारियों को कार्यालय मशीनें बेचता हो। (५) अमूर्त वस्तुओं का सेल्समैन सेवा या उपयोगिता बेचता है जैसे जीवन दीना पर यह सब वर्गोंकरण बेचने की कठिनाई के आधार पर ३ मोटे समूहों में एकत्र किये जा सकते हैं, बार्यात् (१) शाप एसिस्टेंट या खुदरा सेल्म मैन (२) वाणिज्यिक यात्री जो योक विक्रेता के सेल्समैन और निर्माता के प्रतिनिधि दोनों के काम करता है और (३) विशेष सेल्समैन या मास्टर सेल्समैन, जो सीधे सेल्समैन और अमूर्त वस्तुओं के सेल्समैन का कार्य करता है। इन प्रणयों पर विचार करने से पहले यह दोहरा देना उचित होगा कि किसी भी वर्ग का सेल्समैन हो जो अपनी रीतियों को सुधारने के लिये बठोर परिवर्तन करता है, उसकी विकी बड़ेगी। इसलिये सेल्समैनों को इस तरह भी वर्गबद्ध किया जा सकता है।

यका हुआ सेल्समैन—जो गाहक के पास से जाता है। मेरे मन से जाता है और अपनी वस्तुओं के बारे में अच्छी तरह बात नहीं करता।

नकली सेल्समैन—जो बड़ी-बड़ी बातें करके असर ढालने की कोशिश करता है और बेचना भूल जाता है।

आदर्श सेल्समैन—आदमी से बात करना और विक्री करना जानता है, वह जानता है कि विक्री के सुख की जाए और कब वद वद करदी जाए। वह मानव मन को प्रभावित करने वाला होता है।

शाप एसिस्टेंट, वाणिज्यिक यात्री और विशेष वस्तुओं के सेल्समैनों तथा उनके तरीकों पर विचार करने से पहले खरीदने के प्रेरकों (Buying motives) पर विचार करना उचित होगा।

खरीदने के प्रेरक—अच्छे सेल्समैन को अपने आप से योह पूछना चाहिए कि कोई ग्राहक क्यों खरीदता है और उसे मेरी वस्तु क्यों खरीदनी चाहिये। मनोविज्ञान के बहुत से विद्वानों ने खरीदने के प्रेरक अलग-अलग तरह बताए हैं। खरीदने के दृष्टिकोण से खरीदने के प्रेरकों को दूसरी तरफ उपयोगी विवाह से उत्पन्न की प्रकृति के अनुसार इस आवार पर वे प्रायमिक, संलग्निक, वरणात्मक या संरक्षण यात्री पंद्रोनेक्ष हो सकते हैं। प्रायमिक प्रेरक केता की प्रकृति से पैदा हो सकते हैं और उनसे यह तय होता है कि किसी इच्छा की तृप्ति के लिए किस तरह की सेवा या वस्तु खरीदी जाएगी। इन्हे आगे कार्यवीय (Physiological) तथा सामाजिक प्रेरकों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार प्रायमिक कार्यकीय प्रेरक भूख-प्यास, काम

भावना(Sex), मुविधा, भुक्ता, कार्यशीलता या आराम की पूर्ति करने वाले हो मने हैं। प्राथमिक सामाजिक प्रेरक भविन, अनुमोदन, वहयन, अभिमान, स्पष्टी आदि हो सकते हैं। मैलेनिटिव या वरणात्मक प्रेरक वस्तु की प्रहृति से पैदा होत है और उनमें यह तथ्य होता है कि वनेक किसी में से कौनभी खरीदी जाएगी। ये प्रेरक हैं स्वास्थ्यप्रदत्ता, दक्षता, मित्रश्वयिता, निमंरणीयता, टिकाऊन, उपयोग में सुविधा, कुनू-हृल सरक्षण के प्रेरक वे प्रेरक हैं जो विकेता की प्रहृति में से पैदा होत हैं और जिनमें यह तथ्य होता है कि वस्तुएँ या सेवा किसी सरीदी जाएंगी। उन्हें विकेता की स्थापित, प्रस्तुत मेवाएँ, स्वान की सुविधा, सेवनमें का व्यक्तित्व, आदि हैं। स्पष्ट है कि ऐसा कोई वर्गीकरण पूर्णत वृद्धता करने वाला नहीं हो सकता। यह मृज्ञाव मात्र दता है।

खरीदने के प्रेरकों का वर्गीकरण इस वाधार पर भी किया जा सकता है कि वे भावना में पैदा होते हैं या तक्ष में। जो प्रेरक 'प्राथमिक सामाजिक प्रेरक' बनाये गए हैं वे भावना पर आधित हैं, और जो सेलेविट या वरणात्मक बताए गये हैं, वे बुद्धि पर अधिक आधित हैं। साधारणतया उपभोगता भावनात्मक प्रेरकों में प्रेरित होते हैं और पेशेवर चेता बुद्धि यगत प्रेरकों में।

खरीदने के प्रेरकों का ग्राहक के दायों के दारे में यह प्रिदर्शण करते कि वह अपने हिनों ने वहा तक नियन्त्रित है और अपनी खरीद से विनाका कायदा होने की आना करता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। ग्राहक के प्रेरकों के विद्येषण में पठा चलता है कि वह नियन्त्रित कारण से प्रेरित होता है। प्रथम उसमें एक बाढ़ा होनी है। बाढ़ा उस दब्ढा को बूत है जो अपूर्ण है और पूरी होना चाही है। दूसरी, ग्राहक में एक आवग होता है और वह आवेग उसे खरीदने के लिए उद्दीपित और उत्तेजित करता है। तृतीय, ग्राहक के पास कोई कारण नहीं है और वह कारण इसी जमी हृदय आवश्यकता के नियन्त्रित ज्ञान पर आधारित होता है। जीवन में मनुष्य के हीन स्वार्थ होने हैं और इन हीन स्वार्थों पर उसके खरीदने के अधिकतर कारण आधारित होता है। पहला स्वार्थ है उसका परिवार। वह अपने परिवार को नृत और जड़ा जीवन दते के लिए बस्तुएँ खरीदता है। दूसरी दिव्यस्थी उम्मा पेशा या कारोबार है। वह फिर केचने के लिए बस्तुएँ खरीदता है या वपने कारोबार में काम लगने के लिए बस्तुएँ खरीदता है या वे बस्तुएँ खरीदता हैं जो उस उम्मे काम में अधिक दक्ष बनाने में महायता दें। आदमी की तीमरी दिलचस्पी है अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। किंतु हम इन कारणों और दिव्यस्थीयों का विश्लेषण करें तो हमें पठा चलेगा कि इन पर कूट मूविधाओं का प्रभाव पड़ता है। आदमी पहली सुविधा सुन या मानमिक शान्ति चाहता है। उसे अपनी खरीदी हुई चीज ने बदा सन्तोष मिलना है, उसकी खरीद से उसमें चुम्ही पैदा हो जाती है। वह यह अनुभव करता है कि मैं कोई करने प्रयत्न काम नहीं कर सकता हूँ। वह जो दूसरे सुविधा चाहता है वह है स्वास्थ्यलाभ। वह इसे बड़ा

महत्व देता है क्योंकि वह उसकी सबसे बड़ी और सबसे महत्व की चीज़ है और यदि उसे यह विश्वास ही जाय कि कोई वस्तु उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो वह उसे खरीद लेगा। तीसरी सुविधा वह यह चाहता है कि घन प्राप्त हो। आदमी अनुभव करता है कि घन खच्च करने के लिए घन कमाना जहरी है। इसलिए वे वस्तुएँ खरीदेगा, जिनमें वह घन कमा मकना है या जिन्हे पुन वेचकर लाभ कमा सकता है, पर उन सब प्रेरणों, कारणों, दिलचस्पियों और सुविधाओं को खरीदने के निम्नलिखित सात प्रेरणों में रखा जा सकता है —

- (१) घन की प्राप्ति ।
- (२) मावधानी की स्तुष्टि ।
- (३) उपयोगिना मूल्य ।
- (४) अभिमान की स्तुष्टि ।
- (५) स्थायी भाव (सेटिमेंट) ।
- (६) आनन्द की प्राप्ति ।
- (७) स्वास्थ्य को लाभ ।

अब उन वस्तुओं का बारीबी से विश्लेषण कीजिए जिन्हें आप वेच रहे हैं और आपको पना चल जाएगा कि ग्राहक को किस कारण आपने खरीदने से लाभ होगा। इसके बाद आप बारी-बारी एक-एक वदम उठा सकते हैं और अपनी वस्तु के खरीदने के बारें और विश्लेषित विशेषताओं पर विचार करके प्रत्येक वदम के बारे में एक वेचने का वायर बना सकते हैं। किसी बीतन की विश्लेषण करके हम खरीदने और वेचने की तीव्रियों का पता चला सकते हैं। पर काउंटर पर वेचने और सम्भावी ब्रेनों के पास जाकर वेचने में उसे लागू करने का तरीका थोड़ा-सा जलग-अलग है। इसलिए हम यह विचार करेंगे कि शाप एमिस्टेट वाणिज्यिक यारी और विशेष वस्तु वेचने वाले सेवनमैन को जलग-अलग कौन से कदम उठाने चाहिए।

**खुदरा विशेष शाप एमिस्टेट**—हमारे देश में खुदरा विक्री का काम मालिकों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से किया जाता है। यद्यपि बही-बही शाप एमिस्टेट नौकर भी रखे जाते हैं। बाम तौर से यह कहा जाता है कि जो आदमी खुदरा दुकान में वस्तुएँ वेचता है सचका काम सबसे जास्तान है। जो ग्राहक उसकी दुकान में आता है वह पहले ही कोई विशेष चीज़ खरीदने का निश्चय कर चुका है। यहा विक्री करने और नकायाने के लिए न ब्रता और शीघ्र सेवा तथा दक्षता ही काफी है। यह बात बही तक ठीक है जहाँ प्रशिक्षित विक्रेता, वे मालिक होंगा या नौकर, वस्तुएँ वेचने हों। पर अनुभव से पता चलता है कि अधिकतर मालिक अपने घन के अभिमान में रहते हैं, जिनसे ग्राहक को वेचनी अनुभव होनी है। यदि इस मनोवृत्ति को न बदला गया तो हमारे देश में खुदरा दुकानदारी वैसी सफल नहीं हो सकती जैसी यह दूसरे देशों में है। यह ध्यान रखना चाहिए कि “अच्छी

खुदरा विश्री अच्छे बारबार की कुञ्जी है, यह अच्छी सेवा, अच्छे अवसर और इसलिए अधिक बड़े लाभ की कुंजी है।" वहुत बार बेचने का ढङ्ग रही होने के कारण, सेवा से नुटि या विलम्ब होने के कारण, बस्तुओं का विनियम करने के लिए तैयार न होने के कारण, विनेताओं द्वारा बस्तुएं बेचने के लिए चालाकी के उपाय बरतने के कारण, अमन्द्र व्यवहार और उदासीनता के कारण ग्राहक हाथ से निकल जाता है। ७० प्रतिशत से अधिक ग्राहक मानवीय अवश्य के कारण हाथ से निकल जाया करते हैं। प्रत्येक खुदरा दुकानदार के लिए यह आवश्यक है कि वह उदासीनता और लापरवाही के कारण पैदा हुई प्रतिशोध की भावना को हटाने के लिए दक्ष विधियाँ अपनाए। निम्नलिखित ६ उपाय करके यह विधा जा सकता है—

**खुदरा विश्री में सात काम—**शाद रखो कि विक्री का अर्थ यह नहीं है कि ग्राहक दुकान में आकर अपनी माँगी हुई बस्तु लिफाफे में ढालकर और पैसे बापिस लेकर चला जाय और आप उसे नमस्ते कहकर विदा कर दें। विक्री तब तक विक्री नहीं जब तक ग्राहक अपने मन की चीज लेकर इस भावना के साथ दुकान से न जाए कि उसे अपनी खरीदी हुई चीज के साथ कोई और चीज भी मिली है। वह उस भावना के साथ दुकान से जाए जो भावना मेरे दिल में तब होती है जब मैं आपके घर आगम वासमय वहाँ बिताने के लिए निम्ननियत होने के बाद आपके घर से बिदा होता हूँ और मेरे मन में बृत्तज्ञता की, और आपने मेरे लिए स्वेच्छया जो कुछ विधा है उसके लिए सराहना की भावना होती है और मैं उन चीजों के कारण, जो आपने मुझे दी हैं और घन से नहीं खरीदी जा सकती दार-बार आपके पास आना चाहता है। विक्री बास्तव में पूरी होने से पहले सात महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं।

पहला काम है स्वागत। इस मोके पर आप प्रतिरोध को बना सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, जो अधिकतर आपके स्वागत पर या ग्राहक के प्रति आपके रख पर निर्भर है। जब कोई ग्राहक दुकान में आये तो उस यह महसूस होना, चाहिए कि जैसे वह अपने घर पर है। यदि वह दुकान में सिर्फ इधर-उधर दब रहा है तो उसे देखने दीजिए और उसकी पूरी तरह उपक्षा न कीजिए। अगर वह कुछ पूछने की इच्छा से सिर उठाए तो जबाब देने के लिए आप उसके पास होने चाहियें। याद रखिए कि कोई भी आदमी विसी चीज की जरूरत होने पर ही आपकी दुकान में आएगा। कुछ दिन हुए में कुछ बच्चों की निताँ खरीदने एवं दुकान में गया। मैं हीन मिनट तक खड़ा रहा और तब जाकर दुकानदार मेरी अखबार नीचे रखने और मेरी जोर ध्यान देने की कृई बार कोशिश की थी। इतने में उसका माझी आप हुंचा और उसने इन ध्यान में मापी मामी 'मुझे बढ़ा अपमोस है कि मर साक्षाৎ से आपको इतनी धटिया सेवा प्राप्त हुई।' जबाब में मैंने कहा "कृपया सेवा के लिए माझी न मायिये, मुझे कोई भी सेवा नहीं मिली।" और मैं चल दिया। आप उत्तरपति हो, तो भी अपने ग्राहक की ओर ध्यान दीजिए। आपका ग्राहक उस समय

आपका अनियि है, जिसे किसी तरह के विज्ञापन द्वारा आमन्वित किया गया है और यदि आप चाहते हैं कि वह खरीदे तो उससे अनियि जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अपनी दुकान में आने वाले लोगों का मुस्कराकर स्वागत करो, क्योंकि वह अपनी खरीद के द्वारा आपकी दुकान को सौंधे फायदा पहुँचा रहे हैं। आपको मुस्कराकर उनका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपना घन खर्च करने के लिए शहर की सब दुकानों में से आपकी ही दुकान को चुना है। चीन की इस कहावत को कभी मत भूलो “मुस्कराहटहीन चेहरे वाले मनुष्य को कभी दुकान न खोलनी चाहिए।” यदि आप ग्राहक का नाम जानते हैं तो उसका नाम लेकर उत्साह से नमस्ते कीजिए। नाम से पुकारे जाने पर ग्राहक खुश होते हैं और वह नाम से जाना हुआ होना चाहिए जैसे आपके धर वाले बाला अतिथि नाम से जाना हुआ होता है। यदि किसी कारण आप ग्राहक को नहीं जानते तो ‘नमस्ते महोदय’ या “नमस्ते बहन जी” कहना काफी होगा।

आपका स्वागत सच्चा और हार्दिक, होना चाहिये। दुकान का गाहक जीवन में वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक या अन्यदृष्टियों से किसी भी पद पर हो, इसका विना विचार किये सब से एक सा व्यवहार करो।

दूसरी बात है यह जानना कि गाहक क्या चाहता है, साधारणतया गाहक खुद यह बात बताता है। सम्भव है कि वह हमेशा उसका नाम न बता सके कभी-कभी गाहक उसका योड़ा बहुत वर्णन करता है और आपको ठीक बस्तु का पता लगाने के लिये अपनी कल्पना और ज्ञान से काम लेना पड़ता है।

तीसरा काम है गाहक की चीज दिखाना यदि वह आपको मिल जाय। कभी-कभी गाहक दूसरी जगह चला जाता है क्योंकि सेल्समैन माल के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण उसके कह देता है कि वह चीज स्टोक में नहीं है। सल्समैन जो अपने स्टोक का अवश्य पता होना चाहिये जब गाहक कम होते हैं तब का समय स्टोक को नये सिरे से लगाने और देखने मालने में काम लाना चाहिये। चौथा काम है बस्तु को विशेषनाएं बनाना कि यह बस्तु क्यों बनायी गयी बाहे से बनायी गयी इसकी बड़ालिटी, इसके उपयोग का तरीका और यह बताना कि उससे गाहक की समस्या किस तरह हल होगी अपनी चीज के बारे में बात, कीमत के बारे नहीं गाहक के मन में और दिल में अच्छी बड़ालिटी की चीजों की इच्छा पैदा करो। अपनी जानकारी के द्वारा यह बताओ कि किसम की बस्तुएं लेने से किस तरह बढ़त होती हैं ज्ञान से विशेषज्ञ प्रझ्वल है विशेषज्ञ ज्ञान से ज्ञान होता है ज्ञान से ज्ञान होता है ज्ञान से ज्ञान होता है। अपनी वस्तुओं में विद्वास हैं तो आपको उनके बारे में अवश्य उत्साह होया और यदि आपको अपनी वस्तुओं का उत्साह दूसरे आदमी में भी उत्साह पैदा करता है।

पाचवे कदम में आप मारी गयी बस्तु की विश्वी पूरी कर देते हैं। पर बेचने के काम का महान अवसर छठे कदम अर्थात् सुझाव देने में आता है। जब आप कोई

दूसरी चीज बेचने की वोशिग करत है, यह वात मन है कि कुछ लोग मुझाव द्वारा चीज बेचना या दूसरी चीज बेचना तब एतराज, वी वात नहीं जब महसमेन दिल मे यह समझना हो कि गाहृ के पास यह चीज होनी चाहिए जब कोई आदमी गच्छे दिल मे कोई वात पश्च करता है, तब गाहृ पर प्रिकुल भिन्न मानसिर प्रतिक्रिया होती है। सातवा कदम वह कदम है जिसमे दुकान वी दिलचस्पी सभस अधिक है जब गाहृक अन्तिम स्तर से यह बहता है, "मैं यह नू गा," या "बस इतना ही," तब उम्मा ध्यान विमी और दसर बाम मे है और वह वहाँ पहुँचने की ज़दी मे है, पर दुकान वी इम बिक्री का पर्चा तैयार कर देना चाहिये और ध्यापि इन सभस जन्मी बरनी चाहिये पर परिणाम नव से अधिक महत्वपर्ण है। जब पर्चा तैयार हो जाने और बौखर बन जाने तथा नुगनान हो जाने पर बस्तुआ को बागज मे लेने दिया जाता है और सदा याद रखिये कि अच्छी तरह लट्टा हुआ पैनेट दुकान का सभसे क्षेत्र विज्ञापन है। बस्तुआ को सफाई से और मजबूरी से वाधिए पर, डि वे या डारी को बरबाद मन कीजिये। जब पैकेन बथ जाने पर यह गाहृ को दे दीजिये। इसे बाउटर पर मन रखिये यह उसके हाय मे यमाइये और "धन्यवाद, नमस्कार" कहकर गाहृ को विदा कीजिये।

बस्तुओं का प्रदर्शन या बिन्डो डिस्प्ले—कुदरा दिनी मे बस्तुओं के प्रदर्शन का बड़ा महत्व है खाम बर उम्हार सरीदने के दिनों मे जैने दिशाली और श्रिम-मन मे यह याद रखना चाहिये कि प्राय हर चीज आज की मानक दिनी है। यदि कोई बस्तु बेचनी हो तो वह अच्छे स्तर मे दिखायी पनी चाहिये। जिनी बस्तुएँ हो मर्जे, उतनी खिड़की मे रखनी चाहिये। अधिक बढ़ा यह हा कि एक दूसरे का धरान दिलाने वाली बस्तुएँ रखी जाए पर भीड़ भाड़ न मालूम होने लगे। रिण्डो डिस्प्ले विज्ञापन का सब से सस्ता और सबने कीमती तरीका है। इसके परिणाम देखे जा नक्क है क्योंकि लोग दुकान मे थान जान है और खिड़की मे प्रदर्शन बस्तुएँ मानत है यहा खिड़का डिस्प्ले के कुछ बापारमून तत्त्व बता दना उचित होगा अधिक्तर लाग खिड़की के निचे इम्स की ओर देखन है। इसके बाद लोग बीच के भाग को देखने है। याथो तरफ की अपका दायी तरफ चीजें रखना अच्छा है और आप की उन्ह से ऊपर बढ़त योड़े लोग देखन है प्रदर्शन के लिये ४ बोर ५ फूट क बीच की ऊचाई अच्छी रहनी है। निःकी रखी जाने वाली बस्तुओं के दुनाव मे सउ से बड़ी बात यह है कि गाहृ। को व चीजें दर्शने का भोका दीजिये जिनकी उन्हें जनरत है। हा मकना है कि जब तक वे बस्तुएँ न दैर्घ्य तरतक उन्हें यह पता न चले कि थे क्या चाहते हैं पर जब उन्हें किसी ऐसी वस्तु का पता चल जाना है जो उनक मन मे बैठ जानी है, तब सुमझ लीजिये कि निश्ची हो गयी। परिमितिया के अनुसार लिइकियो मे चीजा मे हेर-फेर करन रहना चाहिए। किसी बड़े शहर की बड़ी दुकान मे सचाह मे परिवर्तन कर दना उचित होगा, पर छोटे

जटर में जहा लोग बहुत बार उन लिंडकियों को देखते हैं, जन्मी-जन्मी बदलना अच्छा होगा।

**वाणिज्यिक यात्री**—दूसरे वर्ग के सेल्समैनों में वे सेल्समैन शामिल हैं जो व्यावसायिकता की वन्मत्तु बेचते हैं। वे घोष विक्रेताओं और खुदरा दूकानदारों के पास जाने हैं जो दुवारा बेचते हैं। याने-योने की वस्तुओं की माग यदा स्थिर सी बनी रहती है और वाणिज्यिक यात्री का काम सिर्फ आईर लेना मालूम होता है। जिस आदमी ने अच्छे सेल्समैन के गुण पकड़ लिए हैं वह यानी नहीं रहता। वह सम्भावी गाहका के साथ व्यवहार में विनी अनुक्रम (Sales sequence) का तरीका पकड़ता है। इसका काम याप एसिस्टेंट के काम से बहुत कठिन है। उसे फ्रेता की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए बेचते की सीटियों चलना पड़ता है। इसलिए उसे सफल होने के लिए यिकी अनुक्रम को विधि अपनानी चाहिए।

**विनी अनुक्रम (Sales sequence)**—यदि हम किसी औसत विनी का विलेपण करे तो हम देखत हैं कि इनमें अनिवार्यत विनी की निम्नलिखित ५ सीटियों यानी हैं। विनी की पहली सीटी है गाहू से मिलना जिसके द्वारा सेल्समैन सभावी गाहक का अनुकूल ध्यान और दिलचस्पी प्राप्त करने के लिए आनन्दमय बानावण्ण पैदा करता है। विनी की दूसरी सीटी है खरादने के प्रेरक वो अपील करना जिससे नम्भावी गाहक अपनी व्यावश्यकता या, इच्छा को पहचानी गयी समझ सके विनी को हीसरी सीटी है बन्नु को विनेपनाएँ या लाभ स्पष्ट करना जिससे सभावी गाहक यह जाव कर सके कि वस्तु उनकी व्यावश्यकता पूरी कर सकती है या नहीं। विनी की तीसरी सीटी है बन्नु की वाचनोंयना का विवात जमाने दो प्रेरणा देना। और खरादने की इच्छा पैदा करना। अतिम सीटी है गाहू से भाल खगोदवाकर विनी प्राप्त करना। जब इस तरह बात पद्ध की जाती है तब विनी वा प्रनम विल्कुल यागिक मालून होना है पर विनी की सीटियों पर यच्चत नहीं बटा जा सकता, क्योंकि उनमें मानवीय अवधि से सम्बन्ध होता है और गाहून में विनी का स्वाभाविक प्रतिरोध हुआ करता है।

विनी प्रतिरोध सबमें कठिन समस्या है। हर आदमी अपने जीवन और धन का मालिक होना चाहता है, वह जानन्द-प्राप्ति के मार्ग पर चलने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है। परिणामतः यह मुनाना किसी को पुसन्द नहीं कि वह अपना जीवन और अपना वात्रवार कैमे चाहा ए, प्रत्येक उपनोक्ता वो घटिया सेल्समैन से वास्तवापड़ा है। जिसने बड़ों तरह से उन पहुँचे ठीक तरह प्रोरित किए विना सलाह नाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। परिणामतः अधिकतर लोग सेल्समैनों से समक्षित रहते हैं और तुरत एक प्रतिरोध की वाधा खड़ी कर लेते हैं। इसके बलावा बहुत से सेल्समैनों का आचार भी आलोचना से परे नहीं होता। अपनी वस्तुओं को गलत हृष में पेश करके उन्होंने बेता के मन में, जो इस तरह ठाग गया, एक विरोध की भावना पैदा कर दी है। प्रत्येक नये सेल्समैन वो, जो आगे आता है,

सब से पहले इस भय को दूर करना चाहिए कि उसका प्रयोजन वेईमानी करने का है। वह सेल्समैन विश्री प्रतिरोध को जीत लेता है जो सरीदने के प्रेरकों और गाहूँ के स्वार्थ के साथ अपनी बस्तु का मूल्य चतुराई से जोड़ सकता है। उसे अपने गाहूँ को ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ स्वयं फैसला दरे, न कि सेल्समैन। वह अनुभव करता है मैं सरीद रहा हूँ, न कि मुझे मार देचा जा रहा है और जब कोई आइमी सरीदता है, तब माल तो विक्री ही है। यह सफल सेल्समैनशिप का सारतत्व है।

विश्री के लिए तंथार करना—अपनी बस्तु की उपयोगिता का सही चित्र पद्धति कर सकने के लिए उसे सभी तर्थों की जानकारी होनी चाहिए, वह चुक्के हैं कि ज्ञान से उत्साह पैदा होता है। यदि हमें यह पता हो कि इस सम्भावी गाहूँ द्वारा पूछे जाने वाले विश्री भी प्रदन कर उत्तर दे सकते हैं तो हम गाहूँ से मेट के लिए उत्सुक रहते हैं चूँकि महसूस में सन्तोष बेचता है इसलिए उस बस्तु के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और उसे उसकी मूल्य बानो, जैसे नियाण परिपूर्ति और परिचालन का बर्णन कर सकना चाहिए। उदाहरण के लिए क्षणे की जितद वाली पुस्तक कागज की जिलद वाली पुस्तक से अधिक टिक्काऊ होनी है। जो व्यापारी पुन बेचने के लिए दस्तुरें सरीदना हैं वह वितरण सम्बन्धी नीतियाँ जानना चाहता है। बस्तु को बनाने वाली कम्पनी उस उद्योग में वही मशहूर हो सकती है और इसकी विश्री नीति क्रेनोआ के लिए आकर्षक हो सकती है। यह जानका आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धियों की बस्तुओं के मुद्राग्रंथ में यह बस्तु ग्राहकों के आक्रोशों का छह्या तक समाधान कर सकती है। यह बात आवश्यक है क्योंकि दूमर की चीज़ों को गिराने के लिए आपको उसकी या उसके निर्माता की आलोचना नहीं करती है, क्यांचिए ऐसा करना बुरा समझा जाता है।

अपनी बस्तु का पूरी तरह अध्ययन कर लेने के बाद अब आप विश्री पद्धति करने की स्थिति में हैं। इसका सबस आमान सरीका यह है कि अपने मन में या विश्री कागज पर ही विश्री की सीटियाँ सोचिए और उनमें से प्रस्तुत को पूछ बस्तु के लिए आप जो कुछ बहेंगे, वह सोचिए। इस तरह बलग बलग तरह वे गाहूँ में आप बलग बलग दृग से बात कर गड़ने हैं। बम्बुत गाहूँ में मिलने से पहले बगला छदम है खोजना या ग्राहकोंकी चुँकि सुल्ममैन का समय सीमित होता है, इसलिए उस यह अधिक स अधिक उपयोगी दृग में बचं करना चाहिए। ऐसे सम्भावी गाहूँ का खोजना, जो गाहूँ बन सकता है, समय और अविन के बहुत मुख्यन्यय को बचा दाता। सम्भावा गाहूँ का पता चलने पर सेल्समैन उसे ब्रेता बनाने के लिए उसको विश्रीपत्राई पर विकार कराएँ यह देखना चाहिए कि वह सरीदने के लिए तंथार या समर्थ है या नहीं।

मिलने से पहले सम्भावी गाहूँको की मूल्य बना लेने के बाद भी सेल्समैन उनसे मिलने के लिए जल्दी नहीं बरता। वह सम्भावी गाहूँकों के नाम उनहें सही

स्वैलिन और उच्चारण पता लगाता है। शेक्सपीयर ने तो लिख दिया था—‘नाम में क्या स्वा है?’ पर मनुष्य का नाम उसको औरंगे से अच्छा दिकाने वाला मुख्य चिह्न है यह उसका प्रतीक है और वह इसे प्यार करता है। यदि मैन्यमैन यह प्रदर्शित करें कि वह इसे जानता है तो उसका अच्छा अन्दर पड़ता है और वह आदर मिलने की दिशा में ठीक चल रहा है। अबला काम सम्भावी गाहक की निजी विशेषताएँ और उसके शोकों का पता लगाता। जब कोई बिन्कुल नया आदमी जैसे मैन्यमैन कालेज में पढ़ने वाले आपके लड़क को प्राप्ति के बारे में या परिवार के किसी रोगी स्वास्थ्य के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करता है, तब अधिकतर लोग सुन्हा मट्टमूल करते हैं, चाहे वे इस बात से इनकार करें। मैन्यमैन के लिए गाहक से मिलने में पढ़ने एक और काम महँ है कि वह अपने समय और काम को योगता इस तरह बनाए कि उसका अधिक समय सम्भावी गाहकों से बानधान बरने में मुश्किल न कि घर में गैरहाविर गाहकों के पास जाने के लिए याता करने में। सैन्यमैन का काम बेचता है, याता करने का काम यात्रियों के लिए ही छोड़ दिया जाना चाहिए। पढ़ने से समय की कर लेने से पन्द्रह में बचत हो सकती है और इसने मैन्यमैन के गैरव में बृद्धि होती है। आशा किये जाने पर पढ़ूँचता हैंशह अच्छा रहता है।

### विश्री की सीधिया पार करना

**पढ़ूँचना पा मिलना (Approach)—**विश्री की पहली सीढ़ी यह है कि सम्भावी गाहक के पास पढ़ूँचा जाए और प्रसन्ननादायक ढग से उसका ध्यान अपनी ओर खोका जाए। यह बात आप शारीरिक रूप, सचाई, प्रनन्दता और विनय की दृष्टि से आकर्षक व्यक्तित्व का विकास बरके कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप में रहिये और कृत्रिम ढग भत अपनाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पहुँचना करें। तो मुस्कराइए, डदास चेहरा सफलता में बाधक है और मुस्कराहट सार्वभौमिक परिवर्प पथ है। यदि आपने सम्भावी गाहक को दिलचस्पी आने में पैदा कर दी है तो आप उसे पहली सीढ़ी पर पढ़ूँचने में कामयाद हो गए हैं। दिलचस्पी पैदा करने के लिए दूसरों में दिलचस्पी लीजिए, अगर सम्भावी गाहक कुछ कहता है तो ध्यान में सुनिए। तो उसमें उसे सुनी होती है, जबकी अपनी वस्तु पा फर्ने के बारे में बात मत कीजिए। गाहक के हित की दृष्टि से बानधान कीजिए। किसी मनुष्य के दिल में पढ़ूँचने का सबसे अच्छा रास्ता पट्ट है कि उन चोरों के विषय में बात कीजिए। जिन्हें वह सब में अधिक पसन्द करता है एक बार डिराइली ने कहा था—“आदमी से उसके अपने बारे में बात कीजिए और वह घट्टों आपकी बात मुकता रहता”।

**अर्जी—**सम्भावी गाहक का अनुकूल ध्यान अपनी ओर खींच लेने के बाद आपको यह ध्यान अपनी बस्तु पर पढ़ूँचा देना चाहिए और बस्तु के बारे में प्रत्येक सम्बन्धित बात उसे बना कर इसमें उसकी दिलचस्पी पैदा कर देनी चाहिए। जो खींच उसके मुन्ह, उसके स्वास्थ्य या उसके धन को बढ़ाएगी, उसकी ओर सुनिश्चित

शब्दों में उसका ध्यान खीचिए। उनके मन में अपने विचार बो दीजिए और विकी की फसल बाट लीजिए। यह विचार ऐसे सोचे हुए शब्दों में प्रकट किए जाने चाहिए और इनसे गाहक की सावधानी, वैफिली और सुरक्षा की भावना की सतुष्टि होनी चाहिए। सीधे-मादे रोजाना की बोलचाल के शब्द सबसे अधिक कारगर होते। उनसे गाहक यह अनुभव करेगा कि यह विचार उसका अपना ही है। उनसे उसे आपकी बस्तु खरीदने के लिए प्रेरणा और विश्वास प्राप्त होता है।

**स्पष्टीकरण**—किसी अपूर्ण इच्छा में गाहक की दिलचस्पी पैदा कर देने के बाद उसे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि विस तरह यह वस्तु किसी और सम्भव साधन की अपक्षा अधिक अच्छी तरह उस इच्छा की पूर्ति करेगी। जिन शब्दों का वह प्रयोग बरे बह उसके खरीदने के प्रेरकों से सम्बन्धित होने चाहिए। स्पष्टीकरण का सब रो बच्छा तरीका मह है कि वह को यथासम्भव नाहकीय रूप में पढ़ा किया जाए। याद रखिये, करके दिलाने वाला सेत्समैन सिर्फ बातचीत बरने वाले एक दजन सेल्समैन के बदावर है। सफल स्पष्टीकरण वह है जिससे त्रेता पूरी तरह यह जाँच कर सके कि वह वस्तु उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है।

**निश्चय कराना** (Conviction)—खरीदने से पहले गाहक को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि उस वस्तु की उसे बड़ी आवश्यकता है और जो बाड़ थेची जा रही है वह उस आवश्यकता वी सदस अच्छी तरह पूर्ति करेगी, पर निश्चय कराना आमान नहीं होता। सबसे पहले सेत्समैन को यह निश्चय होना चाहिए कि वह यह बाम कर सकता है और यह निश्चय उसे अपने ऊपर आस्था, दूसरों पर आस्था और वस्तु पर आस्था के आवार पर होना चाहिए। अगर आप को यह निश्चय है कि आपकी वस्तु गाहक की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है तो जो चीज आप बेच रहे हैं, उसके बारे में आप बड़े अधिकारपूर्वक बोलेंगे और आपकी बातें सजीदगी की भावना से गूज रही होगी। इससे आप भ अटल विश्वास और असमित शहदा पैदा हो जाती है। इसका प्रभाव तुरन्त होता है और गाहक सदा बायपल हो जाता है, बल्कि अनुप्राणिन हो जाता है, और उसे आपसे खरीदने की प्रेरणा निरन्तर है। निश्चय कराने का एक तरीका सम्भावी गाहक के साथ तक बरने का है, पर ट्रैकिनग खरीदारों को छोड़कर अधिकतर लोग तबंपूर्ण बाता से प्रभावित नहीं होते। एक और भी सतरा है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो इससे बाद विवाद पैदा हो सकता है। इसलिए सुझाव रखिए, वहस न कीजिए, ध्योकि दलील से अधिक से अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है और वह यह है कि दलील से बचो। वहस से आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि यदि आप वहस में हार जाते हैं तब तो हार हो जात है और यदि आप जीत जाते हैं तो आप वहस में भी हारते हैं और गाहक से भी हार घोते हैं। अगर आदमी को उसकी इच्छा के विश्वास करा-

दिया जाय तो उसकी राय तो बद मां बही रहती है। पर यह आनंदे प्रति उसकी सद्भावना बहत हो जानी है। इनरा तरीना प्रेरणा का तरीका है, प्रेरणा तो सारानन्द प्रभाव है। एक प्रभाव है प्रयोगीत्तर या करके दिलाना। दूसरा प्रभाव है दियेयनों के प्रभावण। बहुतओं का प्रयोग करने वालों के प्रभाव पर निर्वास करने का एक और सामन है, पर मदि सब आजेपो का समाधान न हो जाए तो विश्वास नहीं है ता। याक्षरेय मा तो चान्तविक होने हैं और मा बहाने होने हैं। नये मेल्टननंत प्राय आजेपो से ढरते हैं पर अनुभवी सेल्समैन याक्षरेया की दिक्षी के रूप में बदल दते हैं। अलग-अच्छ तरह के क्रेता होते हैं और वे सब तरह के याक्षरेय करते हैं। इन श्रेताओं को पाँच जीविया में बैठा जा सकता है।

पहले वह गाहृक है जो बोलना ही चला जाता है और उसका विसरीन व्यक्ति वह है जो विलकुल नहीं बोलता। बोलने वाले महान्य को तम्हालने का एक ही तरीका है—उने टोक्किए मत, पर यह वह साम लेने के लिए रक्ते तब नम्रना और दृढ़ता के साथ अपनी बात रख दीनिए। ढरते रहने से कोई लाभ नहीं। जो कुछ वह बहता है उसका सम्बन्ध अपनी बाती से जोड़ दीजिए और ऐसे उलाह के साथ वेचिये जैसे आप वेच सकें। पर चूप महान्य के साथ समझा यह है कि उन से बुर-बायर जाय। एक एक शब्द बाले प्रश्न और उत्तर करते रहने का कोई लाभ नहीं। उनने ऐसे प्रश्न पूछिये जिनके उत्तर में उमे ही या ना कहना पड़े। यदि उसका उत्तर हा में है तो आप अपनी बात जारी रखिये क्योंकि यदि वह प्राय सहन्त हो जाता है तो वह अन्द में स्तरीदलेगा। यदि वह नहीं में उत्तर देना है तो आप सैन्यमैन = प्रसिद्ध सुवाल 'क्यों' का उत्तरण करें। उसके उत्तर से आप अपनी बातचीत दो आं बड़ा सकते हैं और उनका काम संचार कर सकते हैं। दूसरी जोड़ी में बहुत अधिक प्रियता दिलाने जाने और नाक चहाने वाले तथा व्यग करने वाले क्रेता हैं। मंत्री-पूर्ण महान्य एक जाल और मृगनरीचिका है। बड़ी प्रसन्नता से देख आकर वह जान को अपना चित्ता भुजा देना इत्तिहास चावधान रहो और ऐसे इनी दिवचन्पी देना करो कि वह आप की बात पर आ जाए। व्यग करने वाले स्तरीदार आपको छोड़ नहसूल करा कर ही सुध होने हैं। ये बेचार हीन भाइयों के रोगी होते हैं और वे बड़पन दिला कर इते दवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे गाहृकों के साथ व्यवहार करने हुए आपको में मन जागते। मुस्करान रहो। उन्हें अपने को बड़ा महसूस करने दो और इनमें उनकी सहायता करो और वे यह मानेंगे कि आप बड़े बच्ठे जादमी हैं और वे माल खरीदेंगे।

इसके बाद डरता हुआ हिचकचाने वाला श्रेता और बड़ी-बड़ी बात हाँचने वाला श्रेता जाने हैं। भयमीन नेता चिरित रहता है और उसे गली हो जाने का डर रखा रहता है। उसे प्राय वह डर होता है कि मदि नैने स्तरीदले में गली की तो मेरी नौकरी चली जायगी। अब आपको अधिक चलाह से यह बनाना चाहिए कि मदि वह नहीं स्तरीदेगा कि तो ऐसे बया नुकसान होगा। उसे स्तरीदले से

जिनका भय है उसने अधिक नद न खरीदने से पैदा कर दीजिए। पर वही वही बाने हावने वाले के साथ आपको इनसे बिल्कुल उल्टा व्यवहार करना होगा। वह अपने विषयभिन्नत के बारण वडी डी हाँवेगा घोड़ी मात्रा में उसे जोई दिलचस्पी नहीं होगी। ऐसे आइसी बोक्स को बेचना (Under selling) होता है। उसने चहिए कि आप उसकी हृषा को संरक्षित करते हैं और जब वह चाहेगा तब उसके बड़े आइंटर की पूर्ति खुशी से करेगे। पर उसे छोटा आइंटर कौरन देने के लिए धरिये और इसके बिना मत छोड़िये।

चौथी जोड़ी में वह बृद्ध महाशय है जो आपके जाम पहले से बारोबार कर रह है और व न तो नए विचारों को पसंद करते हैं और न नए सेसमेनों बो, और वह नौजवान है जो शायद अभी विश्वविद्यालय से निकला है और यह दिखाना चाहता है कि वह जब कुछ जानता है। चिड़चिडे बृद्ध महाशय के साथ व्यवहार करता हुए यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह वर्षों से सेसमेनों के साथ व्यवहार करता रहा है और जो बातें आप उसने कहने वाले हैं, वे बातें वह पहले बनेकानेक बार सुन चुका है। बिल्कुल ठीक। अब आप उससे सहायता लीजिए, उसका उचित आइंटर जोजिए, उससे सलाह लीजिए, उसे मह बताइये कि आप निश्चित रूप से ऐसा समझते हैं कि उसने ऐसी प्रत्येक चीज़ का लाभ उठाया है, जो उसके व्यवहार के लिये लाभदायक हो। उदाहरण के लिए, उसके टेलीफोन और टाइपराइटर के उपयोग की चर्चा कीजिए, जिनमें से किसी का भी उसने अपने मुरुके दिनों में उपयोग नहीं किया था। वह यह सुन वर खुश होगा, उसकी भावना की तृप्ति होगी और वह आपकी वस्तु में दिलचस्पी रखन लगेगा। अबौव बात है कि ऐसे ही तरीके नौजवानों के साथ व्यवहार करने में भी आवश्यक है। उसे यह परेशानी है कि वह उमर में बम है और शायद दीखना भी बंसा है और उसे नये है कि उसे नुस्खे बनाया जाएगा। वह यह दिखाना चाहता है कि वह बास्तव में वित्तना चनूर है और सचमूच होगा भी, क्योंकि अच्छा सेसमेन प्रत्येक से कुछ सीखने की जोशिका करता है। इनाहए इस नौजवान को यह मौका दीजिए कि वह आपको कुछ सिखाये। उसने अपने बाम या बस्तु के पहलुओं के बारे में उसकी राय पूछिये और उसे जब यह अनुभव होगा कि आप उसका आइंटर करते हैं तब वह खुश हो जायेगा उसे छोटा करके मत देखो उसके प्रति नम्रता प्रदर्शित करो और वह भी बदले में नम्रता प्रदर्शित करेगा, और वही बात यह है कि वह माल खरीदेगा।

अन्त में हम उस व्यक्ति के पास पहुँचने हैं जो आपके बहे हुए बो नहीं सुनता और उसके साथ उस सावधान केता को रखने हैं जो ध्यान से सुनता तो है पर जल्दबाजी में आइंटर नहीं देना चाहता। वह न सुनने वाला वित्तने कुड़न पैदा करता है। वह आपकी तरफ नहीं देखता। मालूम होता है जैसे भीलो दूर हो और आपकी ओर बिल्कुल ध्यान न देकर आपकी बढ़िया से बढ़िया बात को बरखाद कर देता है। इसके साथ आपको पहले समूह के चुप महाशय की तरह व्यवहार

करना है। उससे प्रश्न पूछिये : उसे अपने साथ बातों में लगाइये। अपनी विकी सम्बन्धी बात करने से पहले उनमें प्रत्येक बात पर हाँ कहूँबाइए और धीरे-धीरे वह आपकी बात सुनने लगेगा और आप का माल खरीदेगा। सावधान केना प्राप्य जीरों की अपेक्षा धीरे सोचने वाला और बात करने वाला होता है और यद्यपि वह आपकी बात बात लगा कर सुन रहा है, तो भी आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह आपकी सब बात समझ रहा है। बहुन से सेल्समैन बनने उन्साह में कुछ जल्दी बोलने लगते हैं और विकी की बातचीत करते हुए टेक्नीकल या उस पेशे में चलने वाले शब्द बोलने लगते हैं। यह निश्चय कर लेना महत्वपूर्ण है कि आपका सम्मानी गाहक आपकी बात समझ रहा है और ऐसा कीजिए कि वह गाहक आपकी चीज पर अपने को देच दे।

आक्षरों का उत्तर देना—अगली समस्या यह है कि किस किस तरह के बासेप उठाये जा सकते हैं और उनका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। शुरू में ही यह बता देना उचित हो। कि जब कोई सम्मानी ग्राहक आक्षेप करता है, तब शायद वह अधिक जानकारी मांग रहा है। आखिरकार यदि सम्मानी ग्राहक प्रश्न न पूछे तो उसे माल देना बड़ा कठिन है, पर आक्षेप बास्तविक भी हो सकता है और बहाना भी। बास्तविक आक्षेप का प्राप्य यह अर्थ होता है कि सम्मानी ग्राहक को दिल-चर्चा है। बास्तविक आक्षेप का सीधे तौर से परन्तु सम्मानी ग्राहक को बिना नाराज किये जवाब देना चाहिए। बहानों से यह पता चलता है कि सेल्समैन सम्मानी ग्राहक के मन में उसकी आवश्यकता को पर्याप्त भावना पैदा नहीं कर सका। वह यह भावना पैदा नहीं कर सका कि वह बस्तु उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेगी। जहाँ तक हो सके, आक्षरों का पहले ही अनुभान कर लेना चाहिये और उम्मा समाधान विकी को बातचीत करने हुए पेश कर देना चाहिये। उदाहरण के लिये, गाहक यह कह सकता है कि मैं कम्पनी के नाम से बाकिक नहीं हूँ यद्योऽपि यह नहीं है। उत्तर में आप उसे महबता सकते हैं कि यद्यपि कर्म नहीं बनी है तो भी इसके अक्षर बहुत नामी और अनुभवी लोग हैं। उसके क्यन के उत्तर में यह न कहो “नहीं आपकी बात गलत है”。 अपनी बात का सीधा स्पष्टन विसी को भी पसंद नहीं आना। इसका उचित उत्तर शायद यह होगा, “यह ठीक है, महोदय, हमारी कर्म पिछले साल ही सप्ताहिन हुई है। तो भी इन कम्पनी के अक्षरों की यह एक सूची है और उनके पिछले अनुभव का पोडा-थोडा इतिहास दिया गया है। यह देखिये कि १५ माल से हमारा जनरल मैनेजर अमुक कम्पनी का सेल्स मैनेजर या,” इत्यादि। सम्मानी गाहक शायद यह कहे, “नहीं आपकी बस्तुएँ बहुत महगी मातृम होती हैं” ऐसी अवस्था में एकदम यह न कह दो “नहीं जनाव, विल्डल नहीं”। अच्छा तरीका यह है कि कैंची कीमत की बात स्वीकार कर लो, पर अपनी बस्तु की बे विरोपताएँ बता कर जो सम्तों चीज में नहीं है, उसे उचित ठहराओ। उसे वे फायदे बैचो जो लागत के मुकाबले बहुत अधिक हैं। इसलिये मान्य आक्षरों की अवस्था में

दिसी भी आदेष वा उत्तर सदा इस तरह शुरू करो जैसे आप सम्भावी गाहूँ मे सहमत हैं। इसके बाद 'लैटिन' दाद लगाकर अपनी बात कहिए। ऊपर से सहमति दिखाकर आप सम्भावी गाहूँ दो टीला कर दत हैं और उनके बाद आप अपनी विश्वी मन्त्रन्यी विरोधनाएं उभरी दिखाता में बढ़ा दते हैं। इस तरीके को कभी कभी "जो हैं, लैटिन" तरीका बहते हैं और यह सदा अच्छा रहता है। बदायि इसमें आप सभावी गाहूँ की भावनाओं का आदर दरते हैं।

जब आपका यह बिलकुल निश्चित रूप से अनुभव हो कि आपका सम्भावी गाहूँ न खरीदने के बहाने ढूढ़ रहा है, तब आप कई बातें कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि वह जो बहाना पेश करे, उसी से आप यह मिद्द करें कि उमे इसके खरीदना चाहिए। अगर सम्भावी गाहूँ यह बहता है, "मूल समझना है, मनोदय कि आप बड़े कार्यव्यस्त आदमी हैं। इनी बारण तो आप सफल आदमी हैं। आप जानते हैं कि आपका सफर्ता बायम रखने के लिए आपको आकस्मिक जावदयकताजा का द्वायम कर लेना चाहिये। इसलिए मूले निश्चय है कि आप इनमें व्यस्त नहीं हैं कि यह विचार न कर सकें कि नेते प्रस्ताव से आपको भविष्य की वित्तीय सुरक्षा बरने में किस तरह सहायता मिलेगी"। अगर सम्भावी गाहूँ यह बहता है, "मूलने खगले सप्ताह मिलिए" या, "मैं इस विषय पर विचार कर रा" तो इसका उत्तर इस तरह दिया जा सकता है 'यह तो आपकी बड़ी हृषा है कि आपने मुझे फिर मिलने वो कहा, पर बहुत आश्रम करने की इच्छा न रखते हुए भी वा आप मनमूच यह समयन है कि अपनी मेरी बस्तुओं के विषय में तब अब मेर अधिक आप सप्ताह या किस तरह विचार कर ही चुके हैं और मैंने जानकारी मिल सकेंगी। इन पर तो हम अच्छी तरह विचार कर ही चुके हैं और मैंने उनके बारे में जो कहा है, उससे आप सहमत हैं। प्रत्येक प्रस्ताव या तो अच्छा होता है या दुरा, यदि यह दुरा प्रस्ताव है तो आप मूलने न चाहेंगे कि मैं आपने अगले सप्ताह या किस तरह मिलूँ, पर चूँ कि इस बात पर हम असहमत नहीं हैं कि यह अच्छा है, इसलिए मूले निश्चय है कि कारबाही के नाते आप इनके लाभ जल्दी से जल्दी प्राप्त करना पसन्द करेंगे..... अगर सम्भावी गाहूँ यह कह कि भूमि कोई दिलचस्पी नहीं है तो इसका यह उत्तर हो सकता है, "वेशक, आपका दिलचस्पी नहीं और इनका बारण यह है कि आपही कान तक यह बात नहीं पहुँची कि किस तरह हमारी योनना आपका परिचालन लग जाधा कर देगी। आज मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वह यह है... इस बहाने के जबाब में जि स्टाक बहुत पढ़ा है, यह कहा जा चुका है, "प्रत्येक सफल व्यापारी सब सद्विन सौदे सदा स्टाक में रखता है, यह तो मुझे नालूम है। इसी कारण यह सपर होना है क्यों कि आप अपनी बस्तुओं की नूची बड़ी नावधानी से बनाते हैं इसी कारण मूले निश्चय है कि आप हमारी नई सिन्क की कमीनों को उसमें शामिल करना पसन्द करेंगे। अच्छे दूकानदारों के गाहूँ में हर जगह उनकी मार्ग है"। बहाने को

सम्भालने का एक और तरीका यह है कि उसकी उपका कर दी जाए यदि वह बहाना किर पढ़ा जाए तो इस वास्तविक आज्ञेप मानकर इसका उत्तर दिया जा सकता है। यदि यह बहाना मात्र है तो अपनी बार सम्भावी गाहूँ कोई जोड़ बात कहा जाए।

**समाप्ति (Close)**—विनी की समाप्ति विक्री को आसिरी सीढ़ी है। अगर और सीढ़ियाँ सफलता से पार हो गई हैं तो समाप्ति स्वाभाविक रूप से हो जायगी। अस्तिरकार विनी की समाप्ति उस भेट का ताकिंव और स्वाभाविक परिणाम है जो शुहू से ठीक तरह की गई है, पर ऐसा नोई वियोप समय नहीं है जिसमें आहर प्रामं पेश किया जाय और सम्भावी गाहूँ बिना कुछ बोले हस्तान्तर कर दे। यह नियम बनाया जा सकता है कि विनी की बात सत्तम करने का ठीक समय वह होता है जब आप यह महसूस करते हैं कि सम्भावी गाहूँ ज्ञक रहा है और आप जानते हैं कि आप आहंर ले सकते हैं। यदि टीक समय ५मिनट बाद आजाए तो उसी समय विनी की बात सत्तम करके भोके का लाभ उठाइये। यदि यह एक घटे या दो घटे या तीन घटे बाद आए तो भी यही तरीका कीजिए। अपने समय से ज्यादा मत छहतरिए। जब आप यह देखें कि सम्भावी गाहूँ स्तरीदने वाला है तब बढ़ूँ सुन न हो जाएं। सम्भावी गाहूँ आपको बहुत सूझ देखकर फीछे हटने लाता है। सम्भावी गाहूँ सोचना है कि यह आदमी एक आहंर लेकर इनना लूश होगा है। तो ऐसा बहुत कम होता दीखता है। इसलिए अच्छा हो कि मैं धोर चलूँ। शाव और गम्भीर रहिए और मन में दृढ़ निश्चय रखिए कि आपको आहंर मिलेगा। इसके न मिन्ने पर ही आदर्श रूप कीजिए, मिलने पर नहीं। आहंर लेने का एक निश्चित उपाय यह है कि इस तरह बात कीजिए जैसे सम्भावी गाहूँ स्तरीदेता ही। यह न कहिए “यदि आप यह वस्तु स्तरीदें”, बल्कि मह कहिए “जब आप इसे अपने यहाँ लगवा लंगे . . .” इससे अवधेन मन में प्रेरक विचार जम जाता है। बान सन करने के अलग अलग तरीके और हृष हैं।

**परत समाप्ति (Trial Close)**—अपनी बातचीन में भागे बढ़ते हुए आपको अनने सम्भावी गाहूँ को अनने कीटे फीछे ले जाने की कोशिश करना चाहिए और ऐसा करते हुए यह निश्चय करने रहना चाहिए कि उसके विचार आपके वेचने के अनुकूल रहें। प्रायेक बात के सत्तम होने पर अपने सम्भावी गाहूँ से उसकी राय पूछिए। इससे आपको उसकी प्रतिविधि समझने में मदद मिलेगी। इसका प्रायेक सम्भव जगह प्रयोग कीजिए, प्रदन पूछने रहिए। यदि इसमें सफलता न हो तो किर कोशिश कीजिए। बाद रखिए, परत समाप्ति परीक्षणात्मक ढग है।

**वैक्षणिक समाप्ति**—जगर आप की परत समाप्ति से यह पता चले कि आप को आहंर मिन्ने वाला है तो आप बड़े सरल तरीके से एक और साम करने की स्थिति पैदा कर सकते हैं। ये तो वेचे जाना पसन्द नहीं करते। वे स्तरीदना पसन्द करते

है। वेकलिपक समाप्ति में गाहक को चुनाव करने दिया जाता है। उदाहरण के लिए, आप इस ढंग से वह सकते हैं “यह कमीज बहुत बढ़िया चीज है, जो शुद्ध रेखम जैसे बढ़िया सिल्क की थी थी है और इसमें विलकुल नये फैशन के दो कालर हैं। यह बहुत दिन चलने वाली है। आप कौनसा रंग पसंद करेंगे, भूरा या नीला”।

**सक्षेप समाप्ति**—अपनी चीज क बारे में बहुत सी बातें बताने के बाद उन्हें संक्षेप में अपने गाहक की आवश्यकताओं की दृष्टि से पेश कीजिए। अपनी आडंडर दुक निकाल लीजिए और उसे यह समझने दीजिए कि वह कुछ खरीदने वाला है और फिर प्रत्येक चीज लिखते जाइये और लिखते हुए उसे बोलते जाइए। अब उनकी कीमतें लिख दीजिए और सूची पूरी करने के बाद उसे जोड़ कर अपने गाहक को दे दीजिए और उसे कहिए कि वह इन्हें चम्प कर ले। इसके बाद उससे आडंडर को ठीक से जाच लेने के लिए कहिए और उसे अपना पैन दे दीजिये। जाचने शब्द में हस्ताक्षर करने के लिए प्रारंभना से बहुत कम बात आती है।

**लड़ाकू समाप्ति** (Fighting Close)—कुछ गाहक विना यह देखे कि-प्रस्ताव कितना अच्छा है, वेचे जाने के हर प्रयत्न का आप से आप विरोध करते हैं। वे सख्त रवैया अपना लेते हैं और आप की सब दलीलों के जवाब में संक्षेप से नहीं ‘कह देते हैं’ अगर आप इस हमले में दब गये तो लत्स हो गये। घरराइये नहीं और उसको खुश करने की बोधिश कीजिए। वह जो कुछ वह उस सबसे सहमति प्रकट कीजिए, पर जब सम्भव हो तब ही अपनी विक्री सम्बन्धी दलील बीच में डालने का भौका न चूकिए। वहे ध्यान से सुनिये और माकी सी मारते हुए यह कहिए, ‘महसूल हम अदा करते हैं’, “हम आपको ३० दिन की मोहल्लत दे सकते हैं”, “आपको समय पर माल पहुँचाने के लिए विशेष रूप से वहा जाना पड़ेगा और मैं वहा तुरन्त चला जाता हूँ” “हम आमतौर से ४ सप्ताह में माल पहुँचाते हैं पर मूँझे आशा है कि मैं हैड अफिस को मना लूँगा कि वह आपको २ सप्ताह बाद माल पहुँचावूँ”, “अगर हम आपका आडंडर ले सके आपकी चीजें देने के लिये हमें फैब्रिरी में ओवर टाइम कराना पड़ेगा पर आपकी जैसी लंबे पाये की फर्म के साथ.....” अपने सम्भावी गाहक को यह अनुभव कराइये कि उसका आडंडर सबसे अधिक भावूष्ण है और उसकी सेवा करने की इच्छा ने उस असुविधा को माफूली चीज बना दिया है। आप प्राय निश्चित रूप से यह देखेंगे कि वह पछताएगा और आपको आडंडर मिल जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि आप अलग कप्ट न करें। सामान्य शर्त ही स्थीकार कर ली जाएगी।

**सेवा समाप्ति** (Service Close)—अपनी सारी जानवारी मत देदी-जिए, चाहे आप आडंडर की बात समाप्त करने की बोधिश ही कर रहे हो। यदि आप को नकार मिल जाए तो आपके पास कहने के लिए कोई और बात नहीं रहती,

गिना बारतुस की दूड़ की तरह आप चूप हो जाते हैं। आखिरी प्रेरणाकर्ता के हृप में कुछ चीज़ बचा रखिए। बरीब-करीब प्रत्येक सुगठन या बस्तु के साथ ऐसी कोई न छाँट बान हानी है। सेवा ? दिग्गजपन ? सोन एजेन्सी ? पर निश्चय रखिये यह ऐसी चीन है जिसमें आप का सम्भावी गाहुक दिलचस्पी लेगा और जिसकी उसे आवश्यकता है। यह इन तरह की बान है जैसे प्रत्येक आडंडर के साथ कुछ बोनस दना हम सब को यह महमूम करके खुशी होती है कि हमें मुफ्त में कुछ मिल रहा है। इसलिए वह प्रस्तुत बर दीजिए।

विनी भी तरह स आप विकी की समाजित करें पर चनुराई से आपहूं कोजिए, सजीदगी से अनुरोध कोजिए और कूटनीति से मनाइये।

विशेष बस्तुएं बेचने वाले सेल्समैन—विशेष बस्तुएं बेचने वाले सेल्समैनों का काम सबमें कठिन और सब में अधिक आमदानी बाला होता है। वे बीमा पालिसियाँ, टाइपराइटर सबलन भरीने, कैश रजिस्टर और तराजू और इसी तरह की अन्य बस्तुएं बेचते हैं जिनकी कोई विशेष मीा नहीं होती। विशेष बस्तुएं बेचने में शोविया चुस्त सेल्समैन की आवश्यकता नहीं, चाहे वह किनारा ही उत्साही हो। यह काम बहुत अधिक प्रतिभिन्न और उत्साह, बुढ़ि तथा भानसिङ्ग चुस्ती से युक्त आदमी कर सकता है जो प्रशिक्षा प्रहा करने के लिए सदा तंयार हैं और जिसमें शक्ति, सकल्य और चरित्र वा आकृपण है। इस तरह के सेल्समैन को बुलाया नहीं जाना, उसके आने की आशा नहीं की जाती और उसका स्वागत नहीं किया जाता। यह प्रत्येक आडंडर के लिए लड़ता है और बारबार इनहारी मिलने पर भी पस्त-हिम्मत नहीं होता। वह अपनी खमफलता का विशेषण करता है और किर और अधिक दृढ़ता से लड़ता है। होसला बरके खड़े रहना उसकी सफलता का बड़ा महत्वपूर्ण हिम्मा है। शानियूवंश कन्वेंशन, सावधान योजना निर्माण और अपने आपर्यव व्यवहार से वह स्वयं को और अपनी बस्तु को बेचता है। वह बस्तु नहीं बेचता, उसके पायदे बेचता है। उसका काम आमान नहीं। पर यदि उसमें अच्छे सेल्समैन के सद्गुण हैं और यहाँ उन्निलक्षित मुन प्रचुर भावा में हैं तो वह सफल हो सकता है और उसकी आमदानी उन बहुत से लोगों से अधिक हो सकती है जो अपने घेरों में कचे पद पर हैं।

इस विशेष बस्तुआ में जीवन-नीमा पालिसी बेचना सबमें कठिन काम है। जीवन नीमा एक अमूल्य बन्नु है और इसके लिए सग्न झौंचे दजें वी सूजनात्मक विश्व-बला की आवश्यकता है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि जो आदमी जीवन-नीमा चैच सकता है वह हर चीज़ बेच सकता है। इस तरह की चीज़ें खरीदने का प्रेरणा सावधानी की भावना की सतुरिट है। आदमी अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में निश्चिन होना चाहना है। वह यह निश्चय करता है कि आवश्यकता के समय उसकी इच्छा की पूर्ति का उपाय हो जाएगा। बुदापा सामने दिखायी दे रहा है।

जब वह आये तब आदमी वित्तीय दृष्टि से स्वतन्त्र होना चाहता है। जीवन-बीमा के स्थारीदने से उसे मानसिक दानिंत प्राप्त होती है और उसके तथा उसके परिवार के मंगल, सुख और सुविधा में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। १८ वर्ष से कमर और ६५ वर्ष से नीचे का प्रस्थेक व्यक्ति गाहक दन सकता है और इसमें स्थितां भी शामिल हैं जो पहले से अधिक बीमा घसंद होती जा रही है। इसके साथ प्रत्येक व्यक्ति जीवन बीमे को अच्छा समझता है और एक पालिसी खरीद रेना चाहता है पर स्थारीदा नहीं है। सेल्समैन के नारे आप का काम है उसे खरीदने के लिए प्रेरित करना।

जीवन बीमे की बिक्री योजना बनाने में बहुत विचार की आवश्यकता होती है। जब आप किसी गाहक के पास जाएं तो उसे यह बनुभव कराइये कि जीवन बीमा से उसे क्या लाभ हो सकते हैं। उसका ध्यान अपने और अपने परिवार के लिए सम्पत्ति जमा करने पर केन्द्रित कीजिये, उसका ध्यान इस तथ्य की ओर जीचिए कि इस सम्पत्ति से बहुत से लाभ है। उसे बाताइये कि इस योजना से बचत होने लगेगी जो आवश्यकता या सकट के समय आसानी से काम आ सकेगी। उसे समझाइये कि यदि किसी तरह की बीमारी या दुष्टिना से वह विलकुल असमर्थ हो जाए तो इस योजना से उसे श्रीमियम के बारे में कोई परेशानी नहीं होगी और वि उस की सम्पत्ति और बचत जैसी वीर्तंसी बनी रहेगी। जीवन बीमे के बारे में जो कुछ आप जानते हैं उसे वह आप न बताने लगिए। उसे लिखे यह बताइए कि इससे उसे क्या लाभ होगा। यह योजना गाहक दो अपना रपया ऐसी जगह लगाने का मौका देनी है जहाँ वह बड़ता रहेगा और जब गाहक वहा पहुँचेगा तब भी वह वहाँ होगा। यह उसे बढ़ावस्था में आमदनी की व्यवस्था बर देती है। आज उस आदमी के सामने, विसके पास बड़ी सम्पत्ति है, एक बड़ी कठिन समस्या यह है कि मृत्यु-शुल्क देने के लिए वह नकद रपया भी छोड़ बर मरे। प्रायः उसकी आस्तिनां आसानी से विदेने योग्य नहीं होती और उसकी मृत्यु पर उसके बाधितो के लिए नकदी एवं गम्भीर समस्या होती है। जीवन बीमा मृत्यु पर नकदी की व्यवस्था करता है।

विशेष चर्चनुएँ बैचने वाले सेल्समैन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह शादी का प्रयोग करने में और शादीचित्र प्रस्तुत बरते में बहाँ तक समर्थ है और यदि वह नवविवाह का उज्ज्वल चित्र पेश कर सकता है तो उसका बाजार बड़ा ही जाएगा।

### दित्रो सम्बन्धी पत्र

आपने यह समझ लिया है कि भेट भी किस तरह व्यवहार करना चाहिए। आप को अपनी वस्तुओं या नेवा की दित्रो सम्बन्धी बातें मालूम हैं। आप अपने गाहकों और सम्भावी गाहकों को जानते हैं और आपने उनका अलग-अलग लघ्ययन किया है। आप प्रत्येक व्यक्ति के सम्भावित आज्ञेयों का पहले से जनुमान कर सकते हैं और उनका जवाब सोच सकते हैं और उन्हें अपने लिए लाभदायक बना सकते हैं।

आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुकूल रूप अपनी ओर सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, उसकी दिवसीय पैदा करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, उसे अपनी बहुत या सुंदर प्रसन्न कराने का तरीका क्या है और उसमें अपना अभिलिपित वार्ष कराने के लिए ठीक किम जगह और कैसे वान समाप्त कर दनों काटिये। आप सभसे अधिक अच्छा तरह जानते हैं कि किस तरह एक आदमी दूसरे से मिल्ने है और उम्र अनुसार ही विनी सम्बन्धी बान्चीत करना कितना आवश्यक है। पर यदि आपको इस कारण भेट का मौका नहीं मिल सकता कि आप का गाहूक या सम्भावी गाहूक बहुत व्यस्त है या रोगी या दृढ़ी पर गया हुआ है परं किसी कारण से आपसे मिल नहीं सकता या नहीं मिल्ना तो सोची भेट के बाद सर्वोत्तम जीज है वैयक्तिक पन। चतुरादि से लिखा हुआ पन आपके गहरों और आप में मैंनी का मज़बूत बधन वाय मङ्गता है और उसके परिणामस्वरूप आपको सम्भावी गाहूक से 'आज नहीं, फन्यवाद' के हथान पर अच्छा स्वागत प्राप्त हो सकता है।

याद रखिये कि हर आदमी चिढ़ी पाना पसन्द करता है, और कारबार बड़ा ही या छोटा, प्रयेक कारबारी सबेरे सभमें पहल दाक देखता है। बहुत बार पन से सीधी भेट की अपेक्षा भी अधिक अच्छा परिणाम हो सकता है। सम्भावी गाहूक चुस्त और ग्रहणशील होता है। वह कारबार करने के लिए बैठा है, आवश्यित किए जाने के लिए तैयार है और ऐसे किमी भी प्रस्ताव में दिवसीय सेने के लिए तैयार है जो उम्रके कारबार को अधिक दक्ष और अधिक सफल और अधिक लाभदायक बना सके। कोई गाहूक या सम्भावी गाहूक आपके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इसके अधिक अनुकूल मानसिक स्थिति में नहीं हो सकता। इसका पूरा लाभ उठाइ एक अच्छा विनी सम्बन्धी पन लिखिए। इस बात में बात से ज्यादा सुविधा और किमी को नहीं है।

पन अनेक प्रकार के होते हैं और इस विषय पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, पर हम सिफे उन पत्रों पर विचार करेंगे जो विकी के सम्बन्ध में होते हैं। पन किसे कहते हैं? पन एक लिखित सवाद है जो एक खास समय एक खास व्यक्ति को एक खास प्रस्ताव के बारे में आपकी माननाएं बताता है या सूचना पहुंचाना है। पन आपके विचारों का अभिलेख है। जिस पन पर आपने कुछ समय और दिमाग खर्च किया है, उससे आपके सम्भावी गाहूक को कुछ मोड़ने की वस्तु मिलती है। अपने पत्रों को सुविधाएं बेचने का दृष्टि से तैयार कीजिए, बन्तुएं नहीं। आपको जितने पन मिल नके उन सब को पत्ते का अभ्यास ढालिए और आप देखेंगे कि उनमें से बहुत योंडा में वास्तविक सेल्मनस्टिप का लेश भी है। अपारी कमों ढारा लेंगे गए अधिकतर पन नीरम और निर्जीव होते हैं जिनमें धिसे-धिसाए विचार और बातें लिखी होती हैं। अधिकतर पन ऐसे होते हैं जैसा अच्छे पन को नहीं होना चाहिए। उन्हें पन प्रदर्शित कराइए और उनमें विवरीन डग से लिखिए। इस तरह आप विनी सम्बन्धी अच्छा पन लिखना सीख जाएंगे।

अच्छा पत्र कैसे लिखें—पत्र पांच हिस्सों में बांटा जा सकता है :-

पहला अभिवादन । पत्र में उस व्यक्ति का उल्लेख होना चाहिए जिसके नाम वह लिखा जा रहा है । बजाए यह लिखने के कि "प्रिय महोदय," लिखिए "प्रिय श्री—" । "प्रिय महोदय" हर किसी के लिए लिखा जा सकता है पर जब आप उसमें किसी व्यक्ति का नाम डाल देते हैं तब उस पत्र में प्रेम और हार्दिकता झलकने लगते हैं । इस तरह आप अपनी बात को व्यक्तिगत रूप दे देते हैं ।

दूसरा: आरम्भिक बाब्य । पत्र का पहला बाब्य दिलचस्पी प्रकट करने वाला होना चाहिए । प्रेम और हार्दिकता से लिखिए और स्वार्थ तथा दर्प के दण से बचिए । "मैं" के बजाए "आप" का प्रयोग करके अपनी दिलचस्पी प्रकट कीजिए । अपने पत्र को "आपका कृपापन मिला" से पत्र आरम्भ कीजिए, "मुझे आपका पत्र मिला" से नहीं । पत्र आरम्भ करने का एक और प्रभावी तरीका कोई प्रश्न पूछना है "क्या आपने कभी सोचा है.....?" इससे उस व्यक्ति में आपकी दिलचस्पी प्रकट होती है जिसे आप पत्र लिख रहे हैं ।

तीसरा. पत्र का मध्य भाग । पत्र तभी प्रभावोत्पादक हो सकता है जब वह सीधे तौर से मतलब की बात कहता हो । आप पत्र में जो कुछ लिखना चाहते हैं उस सब को सिलसिलेवार लगाइए । प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार और प्रत्येक बाब्य का अपना स्थान होना चाहिए । इसलिए लिखना शुरू करने से पहले यह ठीक ठीक तय कर लीजिए कि आप अपने पाठक से क्या चाहते हैं और उसी बात को लिखिए । यदि आप उसे नहीं लिखते तो उसे इसका कभी पता नहीं चलेगा । याद रखिए कि लोग भावना से अधिक प्रेरित होते हैं, वुद्धि से कम । इसलिए अपना पत्र प्रेम, लाभ, कर्तव्य, अभिमान, सुखभोग, आत्मरक्षण आदि प्रायमिक भावनाओं को प्रेरित करते हुए लिखिए । अपने पत्रों को 'समाचारमय' बनाइए, यदि आप किसी आदमी को समा चार देते हैं तो उसे आप से दिलचस्पी हो जाती है । रोज लाखों अखबार विकते हैं और वे समाचारों के लिए विकते हैं, सम्मादकीय लेखों या विज्ञापनों के लिए नहीं । किर, सुआब दीजिए, दलाल न कीजिए, पाठक के मन में आपके प्रस्ताव से होने वाले लाभों का ऐसा सजीव चित्र पेश कीजिए कि वह उसके लिए बहुत आवंटक हो जाए । शब्दों से ऐसे चित्र प्रस्तुत कीजिए जिन्हें आपका पाठक समझ सके, जो चीज करने की इच्छा पैदा करने में आपको सफलता हुई है वह तुरत बरने के लिए अपने पाठक को कारण दीजिए । बहुत से आदमी कोई काम करने के लिए मन में तैयार हो जाते हैं पर वे उसे कभी करते नहीं, व्योकि उसे तुरन्त बरने के लिए कोई कारण नहीं होता । हजारों दिक्रियां रोज सिफ़े इसका कारण रह जाती है कि सेल्समैन गाहक को तुरत आर्डर देने के लिए कोई अच्छा और काफ़ी कारण नहीं पेश कर सके । अपना कारण निश्चित रूप से बताइए और सदैह कोई गुणजायश न छोड़िए अन्यथा विलम्ब का कारण बना रहेगा । पाठक को अपना मन बनाने में सहायता

देकर—जिसने (सर्वेषां अपनी स्वतंत्र इच्छा से) वह काम करने का निश्चय किया किया है जो आप उससे करना चाहते हैं—और उसे ऐसा तुरन्त करने का कोई उचित पुरस्कार प्रस्तुत करने के बाद अब उसके लिए ऐसा करना आसान बना दीजिए। आप पत्र के अंतिम भाग द्वारा उसे काम करने के लिए प्रेरित कीजिए।

चौथा अन्तिम भाग। पत्र का अन्तिम भाग पत्र के मध्य भाग में प्रस्तुत मुख्य बातें और लाभों का सक्षिप्त सारांश होना चाहिए। छोटे-छोटे वाक्य लिखिए जो चुस्त और तीखे हों। हर एक पंक्ति में कृपा और आदर की भावना डाल दीजिए और पत्र के अन्तिम भाग में भी इसे लाना न भूलिए। पत्र में कृपापूर्ण शब्द लिखिए। उस सम्मानी गाहक आप के प्रति मैंत्री भाव रखने लगता है। अपना पत्र इस तरह खत्म कीजिए। “आदर और सद्भावना सहित, आपका हो।”

पांचवां हस्ताक्षर। पत्र पर सदा अपने आम तौर से किए जाने वाले हस्ताक्षर स्वाभाविक रीति से कीजिए।

पत्र एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से मुलाकात की तरह दो मनों का सम्मिलन है। इसलिए पत्र में तथ्य और परिस्थितियाँ इस तरह प्रकट होनी चाहिए कि दूसरा प्रभावित, प्रेरित और विश्वसित हो जाय। सब बेकार और निरर्थक शब्द काट दीजिए। व्यापारी दुनिया में घोलमोल बात का कोई अर्थ नहीं। छोटे-छोटे शब्द लिखिए। छोटे शब्दों में शक्ति और बल होता है। जब आप मिलने जाय और मिल न सकें, तब समयनिकाल कर निजी पत्र लिखिए। दकियानूसी पत्र चाहे वे हैंड हाफिस से आए हं पर आपने भेजे हों, जिनमें इस तरह का कुछ लिखा रहता है, “हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि अनुक महाशय अनुक दिन अनुक समय आपसे मिलने आएंगे और विश्वास है कि आप उन्ह भेट क्षा अवसर देने की कृपा करेंगे”, बिल्कुल बेकार होते हैं और रही की टोकरी में कैक दिए जाते हैं। प्रेमपूर्ण और मैंत्रीपूर्ण निजी पत्र लिखिए जिससे उसे पता चले कि वह आपके प्रस्ताव की उपक्षा करके कितनी हानि उठा रहा है। उसे यह बताइये कि आपके साथ कारबाह करने से और लोगों ने किस तरह लाभ उठाया। यहाँ एक पत्र का नमूना दिया जाता है जो बहुत लाभ-दायक सिद्ध हुआ।

“प्रिय………थी

उत्पादन में ३५% बढ़ि—हमारे एक हाल के गाहक को इतना अधिक लाभ हुआ। उसे पहले दिए हुए आईसो पर कोई उचित लाभ नहीं हो रहा था।

आपके लाभ की क्या स्थिति है?—क्या सामान और मजदूरी की बढ़ती हुई लागत या उत्पादन तथा लागत के अपर्याप्त नियन्त्रण के कारण आपको कम लाभ हो रहा है? बाज के कारबाह में भीतर की समस्यायों में बाहर की सहायता लेकर प्रगतिशील प्रबन्धकों को अपने लाभ की मात्रा बढ़ाने में बड़ी सफलता हुई है।

बहुत सम्भव है कि हम आपको भी उसी तरह का लाभ पहुँचा सकें, जिस तरह हमने अपने अन्य गाहकों को लाभ पहुँचाया है। हम स्वयं उपस्थित होकर आपके सामने अपने काम की रूप-रेखा पेश करने का अवसर चाहत है जो देना आपकी बढ़ी रूपा होगी ॥ ॥ “इस पत्र को देखिए यह सम्भावी गाहक की दिलचस्पी जागृत करने और उसे इस आदर्शपर्द में डालने के लिए कि ये सब बया हैं, थोड़ी सा बात बताता है। निम्नलिखित पत्र सदा सम्भावी गाहक की दिलचस्पी पेंदा करेगा। “आपकी कपनी के सामने आज एक महत्वपूर्ण स्थिति पेंदा हो गई है जो इसके सारे भविष्य के सचालन पर आसानी से असर डाल सकती है। आपको इस स्थिति के बारे में निम्नकारी होनी चाहिए और मैं आपके सामने तथ्य प्रस्तुत करने के लिए बुधवार के सवेरे लगभग १० बजे आ रहा हूँ। आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद और आदर तथा सद्भावना सहित आपका ही ।”

ये पत्र अनुकरण के लिए अच्छे नमूने हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं पत्र की रचना कर सकते हैं। पर उन पत्रों का उपयोग तभी कीजिए जब आप यह देख लें कि आपना पत्र नियमों के अनुसार है। इन नियमों को नुस्खे के बजाए नपैने के तौर पर प्रयुक्त कीजिए। आपका पत्र जौर से पढ़ने पर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप विक्री सम्बन्धी बातचीत कर रहे हैं। पुराने ढंग के प्रचलित शब्द और पदावलियाँ प्रयोग में न लाइये। यह कल्पना कीजिए कि आपका सम्भावी गाहक आपके सामने बैठा है और अपने पत्र की रचना इस तरह कीजिए जैसे आप उससे बात चीत कर रहे हैं।


**विक्रयकर्त्ता का पारिथमिक—विक्रय-कर्त्ता का पारिथमिक बड़ा जटिल प्रश्न है और इस पर बहुत परीक्षण हुए हैं। कोई एक विधि सब जगह उपयुक्त नहीं जबकी। चाहे जो विधि या विधियाँ अपनाई जाय पर उद्देश्य यह होना चाहिए कि ठीक ढंग के आदभी को आहूष्ट किया जाय और रक्त जाय तथा उसकी सेवाओं के मूल्य के अनुसार पुरस्कृत किया जाय। इस समस्या में बहुत कठिनाइया है। उसी कारबाह में भी कुछ बस्तुएँ बेचनी सरल होती हैं और कुछ कठिन और कुछ से अधिक लाभ होता है और कुछ से कम। तेजो (बूम) में बेचना आसान होता है और मन्दी में कठिन। मोहम के समय विक्री आसान होती है और मोहम के बलावा कठिन। कुछ क्षेत्रों में बास करना आसान होता है, तथा कुछ में कठिन और महान। फिर उस क्षेत्र को नापना और पुरस्कृत करना कठिन होता है, जो तकाल फल देने के बजाय भविष्य की विनी का निर्माण करने के आशय में होता है। विक्रयकर्त्ताओं को पारिथमिक देने के दो मुख्य तरीके ये हैं कि या तो सीधे बेतन दिया जाय, और या उनकी कमाई को उनके कार्य के फल के साथ सबद्ध कर दिया जाय। यह पिछला तरीका, जिसके अनेक रूप है, दो उद्देश्यों से अपनाया जाता है। (१) विक्री की मात्रा बढ़ाने के लिए सीधा प्रलोभन देना और (२) विक्री के सबूतों और विनी की मात्रा में कोई निश्चित अनुपात कायम करना।**

भुगतान के मुहूर्य प्रचलित तरीके ये हैं (१) नियत वेतन । (२) नियत आधार पर कमीशन, (३) विक्री की मात्रा के अनुसार विभिन्न दरों पर कमीशन (४) वेतन और कमीशन, (५) एकत्रित कमीशन, जब कई विक्रयकर्ता इकट्ठे काम करते हैं और प्रत्येक को समूह के कुल कार्य पर कमीशन दिया जाता है। नियत वेतन देना सीधी चीज़ है पर इससे परिथम करने के लिए कोई प्रलोभन नहीं मिलता। तो भी जहाँ कारबार को उन्नत करना हो, जहाँ कभी बहुत छोटे कभी बहुत बड़े आडंडे आते हैं या जहाँ आडंडे कभी-कभी आते हैं, वहाँ यही तरीका उपयुक्त है। परन्तु यह यह है कि विक्रय कर्ता उस व्यवित्र की अपेक्षा कम मेहनत करेगा, जिसकी आमदनी उसके कार्य के परिणाम से जुड़ी हुई है। दूसरी रीति विक्री पर कमीशन देना है जिसे कभी-कभी 'कार्य के फल के अनुसार देना' कह दिया जाता है। परन्तु ऐसा बहुत गलत है। इसका आशय यह होता है कि वह और अधिक आदेश प्राप्त करने के लिए प्रलोभन दिया जाय और पैसा देने का भी यह एक अच्छा तरीका है। परन्तु विक्री व्यवित्र के कारबार को हानि पहुँचा कर की जा सकती है। सिर्फ़ इस आधार पर पारिथमिक पाने वाला विक्रयकर्ता सभावित ग्राहक की उपस्थिति में काम सकेगा—इसका तो उसूल है ना नकद, न तेरह उधार। वह अपने थोक में कमी किये जाने का या अनुनन्द थोकों में भेजे जाने का विरोध करेगा, चाहे उसमें कम को बिना ही लाभ हो। वह अति-वित्रय के स्तरे को नज़र-न्दाज़ कर जाता है।

बुनियादी वेतन तथा कुछ कमीशन से मालिक और विक्रय कर्ता दोनों को कुछ फायदे हैं। वेचने की लागत विक्री की मात्रा के अनुसार ही कुछ दूर तक घटनी-चढ़नी रहती है। विक्रयकर्ता तात्कालिक वित्तीय चिन्ता से मुक्त हो जाता है पर यह पद्धति उन्नति या उत्पादकता की विभिन्न मानवाओं वाले थोकों के बीच न्यायसंगत नहीं है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए एकत्रित कमीशन की विधि अपनाई जाती है कि निश्चित थोक में काम करने वाले विक्रय कर्ता एक समूह माने जाते हैं उस सारे समूह की विक्री पर मिला हुआ कुल कमीशन सब सैलसमेनों में विभाजित कर दिया जाता है। वह विभाजन बराबर हो सकता है, अथवा इसका कुछ अर्थ वैयक्तिक विक्री के आधार पर तथा थोक बराबर विनियत किया जा सकता है प्रत्येक व्यवित्र को समूह के प्रत्येक व्यवित्र के उपर्यन्त वा अशत् जिम्मेवार बना कर थोक सा प्रभाव ढाला जाता है जिससे कार्य के उद्दीपन की आशा होती है। विक्री के कोटे भी बना दिये जाते हैं। प्रत्येक विक्रयकर्ता जो विक्री की कुछ मात्रा निश्चित कर दी जाती है जो उसके थोक की आपेक्षित समृद्धि, उननि की मात्रा और सारे थोक में जाने की कठिनाई के आधार पर होती है। कुछ कम जो यह समझती है कि विक्रयकर्ता के काम में अनेक कार्य हैं जिनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन उसकी योग्यता के आधार पर होता चाहिए, नुकता प्रणाली (Point System) अपनाती हैं। इस

यातायात विभाग का काम यह है कि बिलों को, विशेष रूप से महत्वूल सम्बद्धी बिलों को चेक करे। इसमें ये बातें देखनी पड़ती हैं कि ( १ ) मात्रा ठीक हो, ( २ ) मार्ट ठीक हो, ( ३ ) रुटिंग या उनका मार्ग ठीक हो, ( ४ ) उनका वर्गीकरण ( विशेष रूप से रेलवे परिवहन की अवस्था में ) ठीक हो और ( ५ ) ठीक दर लगाई गई हो। इसमें कोई गतितयाँ होने पर उनको ठीक कराया जाता है। अगर कोई कमी या नुकसान हो तो यातायात विभाग बलेम या दावा तैयार करता है और 'इसे वाहक को पेश करता है।

बाहर जाने वाले माल के सम्बन्ध में काम—बस्तुएँ आती तो व्यादेश के परिणामस्वरूप हैं और वे भेजी जाती हैं ग्राहकों द्वारा दिये गए या सेल्समैनों द्वारा लिए गए विक्री आदेशों पर। सद्योप में, किसी के व्यादेश इसके सम्भार्ड करने वालों के विक्री आदेश होते हैं और ग्राहक के व्यादेश फर्म के विनी आदेश होते हैं। पह दात नीचे दिये गए रेखाचित्र में दर्शाई गयी है।



आने वाले माल की तरह यहाँ भी मार्ग निश्चित करने का काम यातायात विभाग पर पड़ता है। साधारणतया ग्राहक आदेश देते सभी मार्ग और भेजने का तरीका बता देता है, पर कुछ ग्राहकों की दृष्टि में इस बात का कोई महत्व नहीं, यदि उन्हें उनकी बस्तु जल्दी और कम खर्च निलम्बे जाएँ। ऐसी अवस्था में यातायात विभाग को भेजने का रास्ता और तरीका तय करना पड़ता है। यह चुनाव करने में वही बातें सौचनी पड़ती हैं, जो ऊपर आने वाले माल के बारे में वही गयी हैं, और परिवहन की चाल, लागत और सुरक्षा का उचित ख्याल करना पड़ता है। विदेश

के आदेश की अवस्था में शिपिंग कम्पनी से सम्पर्क बनाना होगा और यदि कर्म बन्दरगाह से दूर है तो गाड़ी से भाल पहुँचाने और किर उमे जहाज पर पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी। यदि भाल पहुँचाने में देर हो गयी तो देरी बाले भाल का पना लगाना होगा कि वह कहाँ है। और कभी या ट्रूट फूट की अवस्था में ब्लेम तैयार करके देश किया जायगा और उसका ध्यान रखा जायगा।

वस्तुएँ भेजने और प्राप्त करने के सीधे काम के अतिरिक्त पूरा और रोजाना का पत्र व्यवहार, फाइलें, रिकार्ड और टैक्सिक रखने होंगे। बढ़े कारखाने में यातायात विभाग के जरिये बड़ा पत्र व्यवहार होता है और वस्तुओं की गतिविधि के बारे में सब कागजात का ठीक-ठीक पना रखने के लिए विभाग की फाइलें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। यातायात विभाग का एक और महत्वपूर्ण वर्तम्य यह है कि वह विक्री विभाग से निकट सम्पर्क रखे क्योंकि बाहन को भाल देने का काम विक्री से अधिक सम्बन्ध रखता है। वस्तुएँ जहाँ जर और जिस मात्रा में भेजनी हो विक्री, विभाग द्वारा ही भेजी जानी है। माल पहुँचाने की लागत प्राप्त विक्री कीमत में जोड़ ली जाती है और इस प्रकार एक ऐसी चीज हो जाती है जिसकी सीमा का उन्हीं के अनुसार घटकों द्वारा नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है जो कीमत निर्धारण की साधारण प्रक्रिया को नियन्त्रित करते हैं विक्री विभाग का क्षेत्र माल भेजने की चाल और लागत से अदान निश्चित होता है। भेजने में गलतियाँ या देर होने पर विक्री विभाग को शिकायतें आती हैं और कभी कभी दोबारा भी माल भेजना पड़ सकता है। इसी प्रकार, यातायात विभाग को सरोदने वाले अफसरों के मामने पर यह सब जानकारी देनी चाहिये कि बढ़ाए हुए स्थानों से माल भगवाने में वित्तना समय लगेगा और प्रतिस्पर्धा स्थानों से माल भगवाने में महसूल कितना कम या अधिक पड़ेगा। यह क्रेडिट विभाग या उधार विभाग के कहने पर माल भेज देगा या बहन-न्यून या रेलवे रसीद भेज देगा और क्रेडिट वालों के कहने पर वह मार्ग में रोकने के अधिकार का प्रयोग करेगा।

महसूल को दरों और वर्गीकरण—हमारे देश में लम्बी दूरियों (साधारणतया १०० भील से अधिक) का अधिकतर यानायात रेलो द्वारा होता है। इसलिये रेलवे की महसूल दरों का वस्तुओं के यातायात पर बहुत असर पड़ता है। इस दृष्टि से प्रत्येक कम्पनी के यातायात विभाग की महसूल दरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। हम पहले एक अध्याय में बता चुके हैं कि रेल महसूल के तय बरने में मुख्य कारण ये होते हैं (१) माल भेजने वाले की सेवा का महत्व या पैसा देने की योग्यता, (२) सेवा करने का स्वर्च, (३) अन्य बाहनों से प्रतिस्पर्धा (४) निहित स्थानों की रक्षा और (५) कानून की अनेकाओं का पालन। ये किंतु रेल सब व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये सम्मिलित कारबाह हैं और ये किंतु उन्हें सेवा के मूल्य और उसकी लागत दोनों के अनुसार महसूल लेना होता है। इसलिये वे अलग-अलग वस्तुओं पर

अलग-अलग दर लगाती है। रेल से भेजी जाने वाली लाखों चीजों में से प्रत्येक पर अलग-अलग दर नहीं लगाई जा सकती। इसलिये रेलवे ने सब ज्ञात वस्तुओं को कुछ वर्गों में बाट दिया है जिससे विसी चीज की इन थोड़ी सी वर्ग दरों के आधार पर निकाली जा सके। वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक सक्षेप में यहीं दिये जाते हैं क्योंकि यातायात विभाग का वस्तुओं के वर्गीकरण और महसूल दरों पर इसके प्रभाव से बहुत मम्बन्ध है। प्रथम तो भार की तुलना में वस्तु के आकार पर विचार किया जाता है। अधिक बड़ी वस्तु जगह धेरती है और इसलिये उसकी ऊँची दर होनी चाहिये। यदि कोई वस्तु दबा कर अच्छी तरह बौध दी जाए तो इसे निचले वर्ग में रखा जा सकता है और इस पर महसूल कम लिया जा सकता है। फिर किसी चीज की टूट-फूट के दायित्व का प्रदंत है। काच चीनी मिट्टी या मिट्टी के नमूने सावधानी से सभालने पड़ते हैं और उन्हें ऊँची दर के वर्ग में रखा जाता है। चीज के आकार का भी वर्गीकरण पर असर पड़ता है। छोटे पैकिटों पर भी लगभग उतना ही ध्यान देना पड़ता है जितना बड़ों पर। इसलिये छोटी चीजों की दर प्रायः ऊँची होती है, इसी प्रकार, डिब्बा भर माल पर कम दर लगाई जाती है; उदाहरण के लिये, यदि सेबों का भार प्रति वर्गन एक टन हो तो उन्हें वर्ग एक अर्थात् निचले वर्ग में रखा जाता है, अन्यथा वर्ग दो में। वस्तुओं के वर्ग का निश्चय करने में उनके अपनी मंजिल पर पहुँचने में लगाने वाले समय का भी महत्व पूर्ण हिस्सा होता है। योड़े समय में पहुँचाई जाने वाली वस्तुएँ ऊँचे वर्ग में रखी जाती हैं क्योंकि उन्हें अधिक तेज गाडियों से ले जाना पड़ता है। जल्दी त्रिगडने वाली और ताजी वस्तुएँ इस वर्ग में आती हैं। कुछ वस्तुओं को भेजने की नियमितता के आधार पर अलग वर्ग में रखा जाता है। अगर मैनेजर यह जानता है कि कुछ वस्तुएँ नियमित रूप से भेजी जाती हैं तो वह उन्हें निचले वर्ग में रख सकता है, या उन पर 'विशेष' दर लागू कर सकता है। काम में आने वाले डिब्बे (मालगाड़ी) के प्रहृष्ट से भी वर्गीकरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर वस्तुएँ खुले डिब्बे में ले जाई जा सकती हैं तो वे निचले वर्ग में रखी जाएंगी और यदि उनके लिए बन्द डिब्बे की आवश्यकता है तो वे ऊँचे वर्ग में रखी जाएंगी। विशेष वर्गन के लिये, जैसा भोड़े, मरेशी आदि ले जाने के लिये प्रयुक्त होता है। और भी ऊँची दर वस्तु की जायेगी, जो वस्तुएँ एक दूसरे के स्थान पर काम आती हैं वे प्रायः एक ही वर्ग में रखी जाती हैं और अन्य वातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए, वह सब वस्तु सामान और वस्तुएँ जो कागज बनाने में काम आती है, जैसे एस्पार्टों घास, लकड़ी की लुगदी (Wood pulp) और चियड़े, एक ही वर्ग में रखे जाते हैं, पर उनमें कुछ शर्तें होती हैं।

स्पष्ट है कि हर कमनी कम में कम महसूल देना चाहती है। इसीलिए दर क्लर्क (Rate Clerk) को अपनी वस्तुओं पर लागू होने वाली दरों का सदा पता रखना होता है। कुछ विशेष वस्तुओं के लिए विशेष दरों भी होती हैं उदाहरण के लिए कोयला बलास रेट से बम में जाता है। कई जगह दो स्टेंशनों के बीच अलग दर होती है।

है यह बहा होती है जहा रेलवे को सदक मोटरो से मुकाबला करना पड़ता है। इन सब दरों से लाभ उठाना चाहिए। दरें बढ़ाने वाली सूचिया मिल जाती है और वे सदा पास रखनी चाहिए, जहा कोई कम्पनिया कुछ गाहका या नगरों को एक ही बस्तु बार-बार भेजती है वहाँ यह अच्छा रहता है कि बार-बार नूचिया देखने के बजाय विभिन्न नगरों की दरों की एक सारणी तैयार कर ली जाए पर यह सारणी हमेशा ठीक रहते रहना चाहिए।

**पैकिंग या सदेष्टन—**ठीक तरह से पैकिंग जरने का बड़ा महत्व है क्यों कि इस से अनावश्यक टूट-फूट से भी बचा जा सकता है और महसूल में भी बचत हो सकती है, अगर पैकिंग का सर्वोत्तम तरीका अपनाया जाए। पैकेज-प्रहृति और पैकिंग के तरीके पर ही महमूल वीं दर का केमला किया जाता है। छोटी या मध्यम दरों की बन्ननी में पैकिंग की देखभाल शिर्पिंग बलकं करता है, पर बड़ी कम्पनी में जहाँ बहुत बस्तुएं भेजनी होती है, एक विशेष पैकिंग विभाग होता है। कुछ बच्चे प्रब्रह्म वाली कम्पनियों में यात्रायात विभाग पैकिंग के तरीके को प्रमापित कर देता है। उचित रैकिंग का अर्थ यह है कि बस्तु इस तरह पैक वीं जाए जिससे हानि, चोरी, टूट-फूट और नौसम से होने वाले खिलाड़ के मौके कम से कम हो जाए, जब बस्तुएं पैक की जाती हैं तब उनकी विक्री आदेश की नकल से मिलाई भी की जाती है। पैकर और चंकर को पैकिंग त्रिलेप पर हस्ताक्षर करने चाहिए ताकि जिम्मेवारी उन पर ढाली जा सके। यह स्त्रिय माल के माय रख देनी चाहिए जिससे गाहक बस्तुओं को इसके साथ बिला भरे।

**मार्किंग या निशान लगाना—**इसके बाद पैकेज को मार्क किया जाता है। हर पैकेज पर सुपाठ्य अझरों में कन्साइटी या माल पाने वाले और पहुंच के स्थान का नाम लिख देना चाहिए। मार्किंग ऐसे तरीके से होना चाहिए कि यह मिट न सके या बम्बूओं से अलग न हो सके। यह सावधानी रखनी चाहिए कि पैकेजों पर मार्क शिर्पिंग सवाली हिदायतों के अनुसार हो हो। शिर्पिंग हिदायतें और बट्टन-पर (Bill of lading) सावधानी ने सुपाठ्य अझरों में पूरे नाम और पैके परिणाम बर्निं, सब पैकेजों के नम्बर और मार्क तथा पूरी हिदायतें देते हुए तैयार करना चाहिए। रेलवे रनीद, बहन-न्यन एयर कन्साइटेट नोट या मोटर ट्रक रसीद ऐसे बाज हैं जो बाहन द्वारा प्राप्त रसीद और बस्तुओं पर स्वयं प्रकट करने वाले कानून में जिससे धारक (Holder) माल अपने काने में ले सकता है।

**बाहक को भोगना—**अगर विक्री आदेश यह निर्देश करता है कि या तो कीमत बमूल हो गई है या उत्तर दिया जाना है तो देकेज गाहक को सौंप दिये जाते हैं या ढाकखाने ले जाये जाने हैं। अगर कुछ स्थानों में रेलवे की माल उठाने और घर पहुंचाने वीं सेवा है तो वे माल ले जाएंगे और नामनाम पैसा लेकर इससे पहुंचा देंगे। पासुंल पोस्ट पैकेज ढाकखाने को पहुंचा देने चाहिए। मोटर,

टूक कम्पनी के कारबाह के स्थान से वस्तुएँ उठा लेते हैं और उन्हें वही सौंप देते हैं।

ज्यों ही कोई माल गाहक द्वारा सौंप दिया जाता है, त्यों ही शिर्पिंग बट्टकं दिक्री विभाग को इसकी सूचना देता है, जो इसके बाद गाहक को सूचित करता है। यह सूचना प्राप्त वहन पत्र, रेलवे रसीद, एयर बन्साइनमेट नोट, आदि, और बीज़व या बिल तथा सहगामी पत्र के रूप में होती है। कभी-कभी पत्र भेजा जाता है और जल्दी के मामला में तार दिया जाता है, जिसमें गाहक को यह पता चल जाए कि उसकी वस्तुएँ चल पड़ी हैं। यदि वस्तुएँ अपनी मनिज़ल पर सुरक्षित पहुँच जाती हैं, तो यातायात विभाग की ओर जिम्मेवारी नहीं।

नुकसान या टूट फूट के लिए रेलवे द्वारा दावे—भारत में रेलवे प्रशासन की जिम्मेवारी नियंत्रण ग्रहीता (Bailee) की होती है। जहाँ वस्तुएँ रेलवे की जोखिम पर और इसीलिए उसी दर पर जाती हैं और ठीक रीति से पैक की हुई हैं, वहाँ नुकसान के लिए रेलवे जिम्मेवार है। अगर वह मालिक के जोखिम पर हैं जारी जाती हैं तो रेलवे प्रशासन उस हानि या टूटफूट के लिए दायी हैं जो रेलवे प्रशासन या उसके कमचारियों के दुराचरण या लापरवाही के कारण हो। यदि वस्तुएँ टूटी फूटी हालत में, अपनी मनिज़ल पर पहुँचे या नष्ट हो जायें, तो वाहक पर सविदा की शर्तों और कानून के अनुसार ही दायित्व होगा। रिसीविंग बल्कं को टूटफूट या हानि नोट कर लेनी चाहिए और यह भी देख लेना चाहिए कि वाहक या उसका एजेंट इस नोट कर ले। जहाँ बन्साइनमेट ही नष्ट हो जाये, वहाँ वाहक को वस्तुआ की कीमत देनी होगी, वशतें कि उसे कानून ने छूट न दे रखी हो। उदाहरण के लिए, ईश्वरीय प्रक्रोध से होने वाली हानि या सविदा द्वारा दी गई छूट। भेजने वाले को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने वस्तुएँ भेजो थीं और उनमें यह माल था। वहन-पत्र या रेलवे रसीद या एयर बन्साइनमेट नोट या बेबिल (Way bill) भेजने का काफी प्रमाण है और बीज़व की प्रमाणित प्रति उसकी अन्तर्भृतुआ का प्रमाण है। भेजते समय के भार में और प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त करने के समय के भार में बोई कमी हो तो यह पता चलेगा कि वभी उस समय हुई है, जब माल वाहक के पास था।

जब माल को कुछ नुकसान हुआ हो, तब यातायात विभाग उस हानि या नुकसान के लिए दावा वाहक के सामने पेश करता है। इस दावे के साथ रेलवे रसीद और बीज़व आदि समयक बागज़ होने चाहिए। कानून के अनुसार दावे नियंत्रित समय के अन्दर पेश करा देना चाहीरी है। इसलिए यातायात विभाग का दावे का समयन करने के लिए आवश्यक सारी गवाही इकट्ठी करके उसे जल्दी पेश कर देना चाहिए। अधिकारी लोग दावों की जोख करने और उनका फैसला करने में बड़े मुस्त होते हैं। इसलिए दोनों के पीछे लगे रहना चाहीरी हो जाता है।

जहाँ बोई माल पहुँचने में देर हो गई हो, वहाँ यातायात विभाग के टूटेंगे

बलकं को देरी की सूचना मिलने पर वहन पत्र या रेलवे रसीद को फाइल कापी निकाल कर उस जगह के स्टेशन मास्टर को टेलीफोन, तार या पत्र द्वारा सूचना देनी चाहिए, जहाँ माल दिया गया था। उसे माल पाने वाले से भी अपने यहाँ के स्टेशन मास्टर से पूछ-ताछ करने के लिए कहना चाहिए। रेलवे अधिकारियों से माल का पता लगाने को कहा जाता है और माल का पता लगने पर उसे माल पाने वाले को सौप देने के लिए कहा जाता है। अगर युक्तिसंगत समय के भीतर माल न सौप दिया जाय तो ब्लेम पेश कर देना चाहिए।

प्राप्य यह होना है कि अफसरों, विभागाध्यक्षों, सेल्समैनों और अन्य कर्मचारियों को गाड़ी, विमान या जहाज द्वारा कारबार के लिए यात्रा करनी पड़ती है। यातायात प्रबन्धक से उनके लिए जगह बुक कराने को कहा जाता है। वहन बार यात्रा करने का निश्चय बहुत देर में किया जाता है और साधारणतया यात्रा करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए स्थान की व्यवस्था करना बड़ा कठिन होगा। अच्छा यातायात प्रबन्धक अधिक बासानी से ऐसे काम करा सकता है।

---

१. अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए अध्याय २७ और मेरो पुस्तक मैनुअल आफ मॉटाइल (हिन्दी में यह वाणिज्यिक विधि के नाम से प्रकाशित है)